CO:IRD:2026:27:96 **Date: 09.07.2026**

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051 **Scrip code – CENTRALBK**	**BSE Limited** Corporate Relationship Dept., Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 **Scrip Code – 532885**

Dear Sir/Madam,

Sub: Integrated Annual Report of the Bank for the Financial Year 2025-26.

Pursuant to Regulation 34 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find herewith the enclosed Integrated Annual Report of the Bank for the FY 2025-26. The Integrated Annual Report of the Bank for FY 2025-26 is also made available on the Bank's website under following web-link:
https://centralbank.bank.in/en/Annual-Reports

Please take the same on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **CENTRAL BANK OF INDIA**
CHANDRAKANT C BHAGWAT
Digitally signed by CHANDRAKANT C BHAGWAT
Date: 2026.07.09 14:16:50 +05'30'

CHANDRAKANT BHAGWAT
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट
Integrated Annual Report

2025-26

व्यवसाय गति संवर्धन का वर्ष

The Year of Business Acceleration.

www.centralbank.bank.in

व्यवसाय गति संवर्धन का वर्ष

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26: व्यावसायिक गति संवर्धन के माध्यम से संकल्प साकार करना

वित्तीय वर्ष 2025-26, जिसे "व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" के रूप में अभिहित किया गया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विकास-यात्रा का वह निर्णायक चरण है, जिसमें बैंक ने अपनी सुदृढ़ संस्थागत आधारशिला एवं अंतर्निहित प्रत्यास्थता का प्रभावी उपयोग करते हुए तीव्र, सतत एवं विस्तार योग्य विकास सुनिश्चित किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 की हमारी थीम "उत्कृष्टता का निर्वहन" की निरंतरता में, हमने अपने सभी हितधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को वास्तविक अर्थों में साकार किया है। परिणामस्वरूप हमारी रणनीति अकांक्षाएं प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता में परिवर्तित हुईं।

परिमाणित प्रगति एवं वित्तीय सुदृढ़ता

हमारा हमारा कार्यनिष्पादन व्यवसाय में प्राप्त इस तीव्र प्रगति का सशक्त प्रमाण है। बैंक का कुल व्यवसाय बढ़कर ₹8,12,439 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गया, जो गत वर्ष की तुलना में 15.60% की सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि प्रबंधन द्वारा निर्धारित 14-15% के लक्ष्य से भी अधिक रही। यह उपलब्धि अनुशासित सुदृढ़ वित्तीय आधार पर आधारित रही। बैंक ने अपने निकटवर्ती इतिहास में पहली बार वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों (प्रथम तिमाही में 1.02%) के दौरान आस्तियों पर प्रतिफल के 1.00% के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को सफ़लतापूर्वक प्राप्त किया, जो हमारी परिचालन दक्षता का स्पष्ट प्रमाण है। यद्यपि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का एकल आस्तियों पर प्रतिफल 0.89% रहा, तथापि इस पर वित्त अधिनियम, 2026 के अंतर्गत आस्थगित कर परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न उल्लेखनीय एकमुश्त प्रभाव सम्मिलित है।

रैम (रिटेल कृषि एवं एमएसएमई) क्षेत्र बैंक की वृद्धि का प्रमुख प्रेरक रहा। इस खंड में 20.86% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप इसका आकार बढ़कर ₹2,34,571 करोड़ हो गया। व्यवसाय में इस तीव्र प्रगति की एक प्रमुख उपलब्धि यह रही कि बैंक का रिटेल अग्रिम पोर्टफोलियो पहली बार ₹1,00,000 करोड़ के महत्त्वपूर्ण स्तर को पार करते हुए ₹1,03,533 करोड़ पर पहुँच गया। यह उपलब्धि वर्ष-दर-वर्ष 25.67% की उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप संभव हुई। इसी प्रकार बैंक के दायित्व व्यवसाय में भी अभूतपूर्व सुदृढ़ता परिलक्षित हुई। बचत जमा ने पहली बार ₹2,00,000 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर बैंक के सुदृढ़ देयता आधार को और अधिक सशक्त बनाया।

आस्ति गुणवत्ता एवं जोखिम अनुशासन का संस्थागत सुदृढ़ीकरण

हमने केवल व्यावसायिक वृद्धि के आँकड़ों तक ही सीमित न रहते हुए केंद्रीकृत परिवर्तन रूपरेखाओं के माध्यम से अपनी जोखिम प्रबंधन संरचना का व्यापक पुनर्गठन किया तथा "अनुशासन के साथ गति संवर्धन" की संस्कृति को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। यह वित्त वर्ष बैंक के लिए आस्ति गुणवत्ता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धियों का वर्ष सिद्ध हुआ। सकल एनपीए अनुपात घटकर 2.67% (पूर्व वर्ष 3.18%) पर आ गया, जबकि शुद्ध एनपीए 0.49% के स्तर पर बना रहा। बैंक की वास्तविक वित्तीय सुदृढ़ता का परिचायक स्लिपेज अनुपात में उल्लेखनीय सुधार रहा, जो घटकर 1.16% पर आ गया। इस उपलब्धि में स्वचालित अनुपालन निगरानी पोर्टल तथा सुदृढ़ीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की सक्रिय भूमिका रही, जिसने जोखिमों की समयपूर्व पहचान एवं प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया। इसके अतिरिक्त बैंक ने 95.97% का उत्कृष्ट प्रावधान कवरेज अनुपात बनाए रखा, जिससे उसकी बैलेंस शीट और अधिक सुदृढ़ बनी रही।

डिजिटल प्रगति एवं समावेशी विकास

सेन्ट नियो तथा डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी) के विस्तार ने बैंक की डिजिटल प्रगति को नई गति प्रदान की। वर्तमान में यह मंच 37 सक्रिय डिजिटल माध्यमों का समर्थन कर रहा है। हमारी "डिजिटल-फर्स्ट" रणनीति की सफ़लता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि कुल बैंकिंग लेन-देन में डिजिटल लेन-देन की हिस्सेदारी बढ़कर 90.54% के अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुँच गई। बैंक ने तकनीकी विस्तार के साथ-साथ मानव पूँजी की उत्पादकता को सुदृढ़ बनाने पर भी विशेष बल दिया। इसके परिणामस्वरूप प्रति कर्मचारी व्यवसाय बढ़कर ₹23.89 करोड़ हो गया। साथ ही बैंक की 4,585 शाखाओं में ऋण मूल्यांकन के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1,000 क्रेडिट अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त हमारे हाइब्रिड सेवा मॉडल ने वित्तीय समावेशन को और अधिक सुदृढ़ करते हुए राष्ट्र-निर्माण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को सशक्त बनाया। बैंक ने अपने सेवा नेटवर्क का विस्तार करते हुए कुल 22,129 सेवा-संपर्क बिंदुओं तक अपनी पहुँच सुनिश्चित की, जिनमें से 65.19% शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। बैंक ने सामाजिक सुशासन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 115 "पिंक शाखाओं" को स्थापित किया गया है।

भावी योजना: व्यवसाय उत्कृष्टता की ओर

व्यवसाय में प्राप्त यह तीव्र प्रगति कोई क्षणिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि बैंक में स्थायी संस्थागत परिवर्तन की सुदृढ़ आधारशिला है। आज बैंक वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपने मूल उद्देश्यों की सफ़लतापूर्वक पूर्ति करते हुए तथा "अपने संकल्प को साकार करने" के उपरांत एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मोड़ पर खड़ा है। अब हम वित्तीय वर्ष 2026-27 को "व्यावसायिक उत्कृष्टता का वर्ष" के रूप में देखते हैं, जो अब तक अर्जित उपलब्धियों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने हेतु समर्पित है। इस चरण में हमारा ध्यान तीव्र विस्तार से आगे बढ़कर परिचालन दक्षता को और अधिक परिष्कृत एवं सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित रहेगा। इसके अंतर्गत लागत-आय अनुपात को 56% से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित है एवं प्रत्येक ग्राहक संपर्क बिंदु पर उत्कृष्ट अनुभव सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को कार्यान्वित किया जाएगा।

हम अपनी गौरवशाली विरासत से प्रेरित होकर डिजिटल प्रगति के साथ अपनी पहचान को सुदृढ़ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं, जो वास्तव में "प्रत्येक भारतीय के लिए पूर्णत: केन्द्रित" है।

रिपोर्टिंग कम्पास:

व्यावसायिक गतिसंवर्धन वर्ष की प्रगतिशील यात्रा

एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट
2025-26
डाउनलोड करने के लिए

क्यूआर कोड स्कैन करें

अथवा बैंक की वेबसाइट

www.centralbank.bank.in

देखें।

शीर्षक एवं दृष्टिकोण: पारदर्शिता के अपने वचन को साकार करते हुए

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शीर्ष प्रबंधन द्वारा आधिकारिक तौर पर "व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" के रूप में नामित वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी तृतीय एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित है। यह प्रतिवेदन हमारी रणनीतिक यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जहाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 की थीम "उत्कृष्ट परिणाम" से आगे बढ़ते हुए हमने "संकल्प से सिद्धि तक" को अपनी वर्तमान कार्य-दृष्टि बनाया है। जहाँ हमारे प्रथम एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन का उद्देश्य समेकित चिंतन की आधारभूत अवधारणा एवं उसके प्रमुख स्तंभों को स्थापित करना था, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह संस्करण इस बात का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करता है कि उन रणनीतिक रूपरेखाओं को किस प्रकार सफलतापूर्वक ठोस, तीव्र एवं परिणामोन्मुख उपलब्धियों में परिवर्तित किया गया है।

इस प्रतिवेदन का उद्देश्य यह पारदर्शी एवं प्रमाण-आधारित विवरण प्रस्तुत करना है कि बैंक ने अपनी छह प्रकार की पूंजी - वित्तीय, विनिर्मित, बौद्धिक, मानव, प्राकृतिक तथा संबंध एवं सामाजिक पूंजी - का उपयोग करते हुए किस प्रकार स्थायी मूल्य का सृजन किया है। अपने मूल सीबीआई-केयर मूल्यों के साथ अपनी संस्थागत गति का समन्वय स्थापित करते हुए, हमने सफलतापूर्वक ₹8,12,439 करोड़ के कुल व्यवसाय की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की, जो अनुशासन के साथ विस्तार करने की हमारी क्षमता को सिद्ध करता है। यह प्रतिवेदन दिशा-सूचक हमारे आधारभूत स्थिरीकरण से उच्च-स्तरीय क्रियान्वयन की ओर हुए परिवर्तन को संप्रेषित करने का प्रमुख माध्यम है तथा वित्तीय वर्ष 2027 के हमारे आगामी लक्ष्य : "व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष" की दिशा में एक सुरक्षित एवं सुदृढ़ सेतु प्रदान करता है। हम अपने 8.26 करोड़ ग्राहकों तथा सभी हितधारकों को हमारी उस यात्रा की दिशा से स्पष्ट रूप से अवगत कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके माध्यम से हम वित्तीय वर्ष 2030 तक ₹13 लाख करोड़ का संस्थान बनने की ओर अग्रसर हैं।

रूपरेखाएँ: भविष्योन्मुख परिप्रेक्ष्य का निर्माण

वैश्विक तुलनीयता सुनिश्चित करने तथा संस्थागत सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए यह प्रतिवेदन अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत प्रतिवेदन परिषद (आईआईआरसी) फ्रेमवर्क के अनुरूप तैयार किया गया है, जो अब आईएफआरएस फाउण्डेशन की आधारशिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमारे प्रतिवेदन का परिपक्व स्वरूप बहुआयामी वैश्विक मानकों के प्रति कठोर अनुपालन से परिभाषित होता है, जो एक सुरक्षित वित्तीय संस्थान के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को प्रतिबिंबित करता है। हम ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) मानकों का अनुपालन निरंतर जारी रखे हुए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का आकलन सर्वाधिक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों का समाधान करने के लिए अपने प्रतिवेदन ढाँचे में सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के संकेतकों तथा जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरणों पर टास्कफोर्स की अनुशंसाओं को सम्मिलित किया है। इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ईज़ 7.0 सुधारों के अनुरूप हमारा समन्वय रहा, जिसमें बैंक ने डेटा गुणवत्ता के क्षेत्र में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जो परिचालन उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। वर्ष 2028 तक नेट ज़ीरो स्कोप 1 के अपने स्वैच्छिक लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होते हुए, हमने आईएफआरएस सस्टेनेबिलिटी प्रकटीकरण मानकों (आईएफआरएस एस1 एवं एस2) की ओर स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह व्यापक रूपरेखा हमें अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं - गतिसंवर्धन, विस्तारण, रूपांतरण एवं सुदृढ़ीकरण को सीधे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ने में सक्षम बनाती है, जो हमारे व्यावसायिक गतिसंवर्धन का राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिणामों में सकारात्मक योगदान सुनिश्चित करता है। द्वैध महत्त्वता दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारा प्रतिवेदन उन मुद्दों पर केंद्रित रहे, जो समय के साथ मूल्य सृजन करने की हमारी क्षमता को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं।

कार्यक्षेत्र, परिधि एवं रिपोर्टिंग अवधि

जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, इस एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई जानकारी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि को कवर करती है।

प्रतिवेदन की परिधि में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 4,585 शाखाओं तथा 22,129 कुल संपर्क बिंदुओं के विस्तृत नेटवर्क में संचालित समस्त परिचालन शामिल हैं, जिससे हमारी व्यापक उपस्थिति का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है। इस परिधि में हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सीएफएसएल) का वित्तीय एवं परिचालन कार्यनिष्पादन भी सम्मिलित है, जो हमारी विशिष्ट वित्तीय सेवा इकाई के रूप में कार्य करती है, साथ ही हमारे एवं सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (सीबीएचएफएल), विशेषीकृत वित्त इकाई बैंक भी इसमें शामिल हैं।

यह विवरण विशेष रूप से व्यावसायिक गतिसंवर्धन चरण के दौरान हमारे प्रबल प्रभाव पर बल देता है, विशेषकर 1.00% आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) के लक्ष्य की प्राप्ति तथा हमारे रिटेल अग्रिम पोर्टफोलियो के ऐतिहासिक रूप से ₹1,00,000 करोड़ के स्तर से आगे बढ़ने की उपलब्धि पर। सभी भौतिक एवं डिजिटल माध्यमों, जिनमें सेन्ट निओ इकोसिस्टम भी शामिल है, को कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करके हम इस ऐतिहासिक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यनिष्पादन एवं जोखिमों का समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं।

सत्यनिष्ठा एवं विश्वास: स्वचालित सुदृढ़ता

इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत जानकारी की सत्यनिष्ठा हमारी संबंधपरक पूंजी की आधारशिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने पारंपरिक मैनुअल रिपोर्टिंग व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए बुद्धिमत्तापरक सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी वित्तीय आँकड़े बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं, जिन्हें असंशोधित लेखापरीक्षा अभिमत प्राप्त हुआ है। यह हमारे वित्तीय प्रतिवेदन की शुद्धता, विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता की पुष्टि करता है। जहाँ मध्य-वर्षीय प्रगति को रेखांकित करने के उद्देश्य से अनंतिम अथवा अनलेखापरीक्षित आँकड़ों का उपयोग किया गया है, वहाँ उन्हें स्पष्ट रूप से अस्थायी के रूप में चिह्नित किया गया है।

बैंक ने तीन प्रमुख तकनीकी स्तंभों के माध्यम से "स्वचालित सुदृढ़ता" की एक सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था स्थापित की है-

1. **स्वचालित अनुपालन पोर्टल**: बैंक की सभी 4,585 शाखाओं में सफलतापूर्वक लागू इस पोर्टल ने ईएसजी जोखिम मूल्यांकन एवं स्लिपेज नियंत्रण प्रक्रिया को स्वचालित बनाया है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्लिपेज अनुपात न्यूनतम 1.16% पर रहा।
2. **प्रिज़्म पोर्टल**: यह पोर्टल बैंक की प्रमुख परिवर्तनकारी एवं डिजिटलीकरण परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी एवं प्रगति-ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है।
3. **.bank.in डोमेन में पूर्ण माइग्रेशन**: बैंक द्वारा सुरक्षित एवं सत्यापित .bank.in डोमेन पर शत-प्रतिशत माइग्रेशन पूर्ण कर लिया गया है, जिससे सभी हितधारकों के साथ होने वाले संवाद में डिजिटल विश्वास एवं साइबर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

इन उन्नत आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों तथा डेटा गुणवत्ता में प्राप्त #2 स्थान के संयुक्त प्रभाव से यह सुनिश्चित होता है कि इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत प्रत्येक आँकड़ा सत्यापित, विश्वसनीय एवं सुदृढ़ है।

भविष्योन्मुख कथन

"व्यावसायिक गतिसंवर्धन वर्ष" के रूप में अभिहित वित्तीय वर्ष 2025-26 की यह एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2026-27 के "व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष" की ओर अग्रसर होते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भावी परिचालन, वित्तीय प्रदर्शन तथा रणनीतिक कार्ययोजना से संबंधित भविष्योन्मुख कथनों को समाहित करती है। "संकल्प से सिद्धि तक" की हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने वाले इन कथनों की पहचान सामान्यत: "कर सकता है", "करेगा", "प्रयास", "लक्ष्य रखने", "पूर्वानुमान", "लक्षित करना", "प्रक्षेपित", "अपेक्षा करना", "अनुमान", "आशय", "योजना", "लक्ष्य", "विश्वास" अथवा इसी प्रकार के अन्य अभिव्यक्तियों के माध्यम से की जा सकती है।

ये कथन इस प्रतिवेदन की तिथि तक प्रबंधन के वर्तमान विश्वासों, आकलनों तथा अपेक्षाओं पर आधारित हैं तथा स्वभावत: ऐसे ज्ञात एवं अज्ञात जोखिमों, अनिश्चितताओं और मान्यताओं के अधीन हैं, जिनका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। इन कारकों में भारतीय एवं वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन, निरंतर विकसित हो रहे नियामकीय ढाँचे, परिपक्व हो रही ईएसजी एवं जलवायु-संबद्ध प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम तथा बैंक के नियंत्रण से परे अन्य बाह्य घटनाएँ शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

इन कथनों में व्यक्त अथवा निहित अपेक्षाओं की तुलना में बैंक के वास्तविक परिणाम तथा संस्थागत उपलब्धियाँ उल्लेखनीय रूप से भिन्न हो सकती हैं। संभावित जोखिमों एवं अनिश्चितताओं, जिनमें विजन 2030 की दिशा में बैंक की प्रगति से संबंधित जोखिम भी सम्मिलित हैं, का विस्तृत विवरण इस एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन के जोखिम प्रबंधन अनुभाग तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में उपलब्ध है। लागू विधिक अथवा नियामकीय प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित परिस्थितियों को छोड़कर, बैंक इस प्रतिवेदन की तिथि के पश्चात घटित घटनाओं अथवा परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर किसी भी भविष्योन्मुख कथन को अद्यतन, संशोधित अथवा परिवर्तित करने का कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता।

रणनीतिक संपर्क

व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष का विश्लेषण

गति संवर्धन का विश्लेषण: हमारी एकीकृत रिपोर्टिंग की मार्गदर्शिका

अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्ट परिषद के सिद्धांतों के अनुरूप, यह अध्याय हमारी वित्तीय वर्ष 2025-26 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट को समझने के लिए एक रणनीतिक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। जहाँ, गति वर्ष का केंद्रबिंदु, हमारी एकीकृत रिपोर्ट यात्रा की आधारभूत शुरुआत था, वहीं इस वर्ष का विवरण प्रगति की तीव्रता को क्रियान्वयन के माध्यम से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

जैसे-जैसे बैंक "उत्कृष्टता के निर्वहन" से "अपने संकल्प को साकार करने" की ओर अग्रसर हो रहा है, इस रिपोर्ट को इस प्रकार संरचित किया गया है कि हितधारक हमारे छह पूंजीगत आधारों—वित्तीय, विनिर्मित, बौद्धिक, मानव, प्राकृतिक तथा संबंध एवं सामाजिक पूंजी—से इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त उल्लेखनीय परिणामों तक मूल्य सृजन के प्रवाह का प्रत्यक्ष रूप से अनुसरण कर सकें। हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं तथा हमारी रिकॉर्ड-तोड़ उपलब्धियों के मध्य अंतर्संबंधों को समझकर, पाठक इस बात की गहनता को समझा सकते हैं कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने सार्वभौमिक बैंकिंग मॉडल का विस्तार करते हुए ₹13 लाख करोड़ के संस्थान के रूप में किस प्रकार विकसित हो रहा है।

संकल्प से सिद्धि: संपर्कता का मूल्य

हमारे महत्त्वपूर्ण विषयों, रणनीतिक प्राथमिकताओं तथा व्यवसाय मॉडल के घटकों के मध्य अंतर्संबंध स्थापित करना, वित्तीय वर्ष 2026 को परिभाषित करने वाले तीव्र गति-निष्पादन को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह समग्र दृष्टिकोण हमें एक सुसंगत विवरण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है कि किस प्रकार विभिन्न पूंजीगत आधार एक-दूसरे को प्रभावित करते हुए संस्थागत प्रगति को गति प्रदान करते हैं।

इस रिपोर्ट में संपर्कता केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर मूल्य सृजन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन है। उदाहरणस्वरूप, पाठक यह देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारी बौद्धिक पूंजी (विशेष रूप से सेन्ट नियो इकोसिस्टम) ने मानव पूंजी की उत्पादकता के एक प्रमुख इंजन के रूप में कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रति कर्मचारी ₹23.89 करोड़ का ऐतिहासिक व्यवसायिक स्तर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, प्राकृतिक पूंजी पर हमारा ध्यान अब केवल एक नीतिगत रूपरेखा तक सीमित नहीं है, बल्कि परिणामोन्मुखी दायित्व के रूप में परिलक्षित होता है, जिसका प्रमाण किसानों के लिए 16,500 सौर पंपों की कागज-रहित डिजिटल स्वीकृति है। इन "मूल्य प्रवाहों" का अनुक्रम समझकर हितधारक यह देख सकते हैं कि बैंक की रणनीतिक धारणा किस प्रकार प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्र में मापने योग्य तथा तीव्र गति वाले परिणामों में सफलतापूर्वक परिवर्तित हुई है।

गति संवर्धन बिंदु: महत्त्व के अनुसार विस्तार का मानचित्रण

इस वर्ष की रिपोर्ट की एक विशिष्ट विशेषता दोहरी महत्त्वपूर्णता दृष्टिकोण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारी रणनीतिक गति वित्तीय सुदृढ़ता तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व दोनों के अनुरूप हो। इस रिपोर्ट में इन अंतर्संबंधों को समझने में पाठकों की सहायता के लिए विशिष्ट "गति संवर्धन बिंदुओं" का उपयोग किया गया है:

- **रणनीतिक प्राथमिकताएँ एवं परिणाम**: हम अपने चिन्हित महत्त्वपूर्ण विषयों—जैसे वित्तीय समावेशन तथा ग्राहक-केंद्रितता—को सीधे अपने रेम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) विकास इंजन से जोड़ते हैं। इससे पाठक यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारे रिटेल अग्रिमों के पोर्टफोलियो ने ऐतिहासिक ₹1,00,000 करोड़ के स्तर को पार किया, साथ ही सीबीआई- केयर के आकांक्षी विकास संबंधी हमारे संकल्प को भी पूर्ण किया।
- **परिवर्तन केंद्र**: पूरे दस्तावेज़ में मिशन प्रगति की भूमिका उस केंद्रीय नोडल बिंदु के रूप में रेखांकित की गई है, जहाँ रूपरेखाएँ कार्यान्वयन मंचों में परिवर्तित होती हैं। चाहे सक्षम के माध्यम से- परिसंपत्ति गुणवत्ता की चर्चा हो अथवा प्रिज़्म के माध्यम से- परियोजना अनुश्रवण की, हमारी शासन व्यवस्था तथा हमारे परिणामों के मध्य संपर्कता पूरी तरह पारदर्शी बनी रहती है।
- **स्थायित्व समन्वय**: यह रिपोर्ट वर्ष 2028 तक स्कोप 1 के अंतर्गत नेट ज़ीरो लक्ष्य को हमारी परिचालन विनिर्मित पूंजी से जोड़ती है तथा यह प्रदर्शित करती है कि हमारे वाहन बेड़े के 33% भाग का इलेक्ट्रिक वाहनों में रूपांतरण किस प्रकार संस्थागत कार्बन-उत्सर्जन में कमी में योगदान दे रहा है।

इंटेलिजेंस लेजर: नेविगेशन एंकर्स

इस ऐतिहासिक रिपोर्ट का सहजतापूर्वक अध्ययन करने में सुविधा प्रदान करने के लिए हमने अपनी इंटेलिजेंस-आधारित शासन व्यवस्था के अनुरूप अपनी नेविगेशन प्रणाली को अद्यतन किया है। संपूर्ण दस्तावेज़ में विभिन्न पूंजीगत आधारों तथा रणनीतिक प्राथमिकताओं को परस्पर जोड़ने के लिए निम्नलिखित "नेविगेशन एंकर्स" का उपयोग किया गया है:

1. **सीबीआई-केयर मूल्य**: प्रत्येक अध्याय हमारे मूल मूल्यों—ग्राहक सेवा, आकांक्षी विकास, राष्ट्र निर्माण में भूमिका तथा कर्मचारी कल्याण—पर आधारित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारी तीव्र प्रगति सदैव उद्देश्य-प्रेरित रहे।
2. **रणनीतिक प्राथमिकताएँ (एईएफटी)**: गति संवर्धन, विस्तार, रूपांतरण तथा सुदृढ़ीकरण के प्रतीकों को प्रमुख उपलब्धियों के साथ प्रदर्शित किया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हमारी कार्ययोजना किस प्रकार हमारी प्रगति की गति का मार्गदर्शन करती है।
3. **डिजिटल विश्वास संकेतक**: .bank.in तथा सक्षम से संबंधित संकेतकों पर विशेष ध्यान दें। ये उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जहाँ प्रौद्योगिकी ने संस्थागत अनुशासन तथा डिजिटल विश्वास को सुदृढ़ किया है।
4. **एकीकृत मूल्य मैट्रिक्स**: यह दृश्य उपकरण इस बात का तकनीकी सार प्रस्तुत करता है कि हमारे इनपुट (प्रगति के ईंधन) किस प्रकार विशिष्ट आउटपुट (गति के परिणाम) तथा आउटकम (पूर्ण किए गए संकल्प) में परिवर्तित हुए।

संदर्भ तालिकाएँ:

1. रणनीतिक प्राथमिकताएँ: एईएफटी रोडमैप

वित्तीय वर्ष 2026 में हमारी समग्र रणनीतिक दिशा को चार प्रमुख स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है, जो हमारे तीव्र गति वाले क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं।

कोड	रणनीतिक प्राथमिकता	गति संवर्धन वर्ष का आशय
ए	गति संवर्धन	रैम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) क्षेत्रों में तीव्र गति से ऋण वितरण तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि पर केंद्रित।
ई	विस्तार	22,129 सेवा संपर्क बिंदुओं तथा 115 पिंक शाखाओं के माध्यम से अपनी भौतिक एवं डिजिटल उपस्थिति का विस्तार।.
टी	रूपांतरण	सेन्ट नियो, डिजिटल ऋण प्रदाता मंच (डीएलपी) तथा कागज-रहित प्रक्रियाओं के माध्यम से इंटेलिजेंस-संचालित बैंक की दिशा में रूपांतरण।
एफ	सुदृढ़ीकरण	सक्षम-आधारित अनुपालन के माध्यम से बैलेंस शीट को सुदृढ़ बनाना तथा सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को बहुवर्षीय न्यूनतम 2.67% के स्तर पर लाना।

2. रणनीतिक सह-प्राथमिकताएं (विस्तृत बेविगेशन कोड)

सूक्ष्म स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, बैंक विशिष्ट गतिविधियों को रणनीतिक उद्देश्यों से जोड़ने हेतु अक्षर-आधारित (A–O) कोडिंग प्रणाली का उपयोग करता है

कोड	रणनीतिक उद्देश्य	आशय एवं संदर्भ
ए	परिचालन दक्षता	प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करना।
बी	बैलेंस शीट का अनुकूलन	संसाधनों के आबंटन एवं लाभप्रदता में सुधार।
सी	संलग्न कार्यबल	समावेशी एवं विविधतापूर्ण कार्य-संस्कृति को प्रोत्साहित करना।
डी	प्रतिभा प्रतिधारण	प्रशिक्षण एवं सहयोगात्मक कार्य वातावरण में निवेश करना।
ई	डिजिटल क्षमताएँ	उत्कृष्ट समाधान प्रदान करने के लिए तकनीक का उपयोग करना।
एफ	ग्राहक नवाचार	डेटा विश्लेषण के आधार पर उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करना।
जी	डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता	सुदृढ़ एन्क्रिप्शन एवं लेखा-परीक्षण के माध्यम से ग्राहकों का विश्वास सुनिश्चित करना।
एच	अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवाचार	प्रयोगशालाओं एवं i3 के माध्यम से प्रक्रिया पुनर्रचना में निवेश करना।

आई	ग्राहकों का वित्तीय स्वास्थ्य	डेटा-आधारित अंतर्दृष्टियों द्वारा व्यक्तिगत वित्तीय परामर्श प्रदान करना।
जे	वित्तीय समावेशन	बैंकिंग सेवाओं से वंचित एवं अल्प-सेवित आबादी तक पहुँच बढ़ाना।
के	रणनीतिक भागीदारी	को-लेंडिंग के लिए फिनटेक कंपनियों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के साथ सहयोग करना।
एल	भुगतान नवाचार	संपर्करहित एवं ब्लॉकचेन आधारित साधनों के माध्यम से भुगतान प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना।
एम	वितरण माध्यम	हाइब्रिड एवं डिजिटल सेवा प्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।
एन	स्थिरता को प्रोत्साहन	परिचालन के भीतर पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना।
ओ	सतत बैंकिंग	जलवायु-अनुकूल वित्तपोषण एवं हरित उत्पादों के प्रति प्रतिबद्ध रहना।

3. व्यवसाय मॉडल के घटक (बीएमसी)

ये कोड बिजनेस मॉडल कैनवास पर आधारित बैंक की मूल्य सृजन संरचना के प्रमुख घटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कोड	व्यवसाय मॉडल घटक	आशय
1	**प्रमुख भागीदार**	भारत सरकार, फिनटेक सहयोगी तथा को-लेंडिंग भागीदार।
2	**प्रमुख गतिविधियाँ**	जमा संकलन, ऋण वितरण तथा ट्रेजरी परिचालन।
3	**प्रमुख संसाधन**	मानव, वित्तीय, विनिर्मित तथा प्रौद्योगिकी पूंजी।
4	**मूल्य प्रस्ताव**	वित्तीय समावेशन, नवाचार तथा ग्राहक-केंद्रित सेवाओं का प्रदान करना।
5	**ग्राहक संबंध**	आईसीसी तथा डिजिटल स्व-सेवा के माध्यम से सक्रिय सहभागिता।
6	**सेवा माध्यम**	4,585 शाखाएँ, एटीएम तथा सेन्ट नियो डिजिटल इकोसिस्टम।
7	**ग्राहक वर्ग**	रिटेल, कृषि, एमएसएमई (रैम) तथा कॉर्पोरेट ग्राहक।
8	**प्रमुख इनपुट**	प्रगति के प्रेरक तत्व, जिनमें कुशल कर्मचारी तथा सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) शामिल हैं।
9	**राजस्व स्रोत**	ऋण, कोषागार तथा बैंकएश्योरेंस से प्राप्त विविधीकृत आय।

4. प्रमुख महत्त्वपूर्ण विषय

हमारा महत्त्वपूर्णता मूल्यांकन उन पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सुशासन (ईएसजी) संबंधी विषयों की पहचान करता है, जो हमारी मूल्य सृजन क्षमता के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

क्षेत्र	विषय संख्या	प्रमुख महत्त्वपूर्ण विषय	अर्थ / वित्तीय वर्ष 2026 का परिणाम
पर्यावरण	01	जलवायु जोखिम एवं रणनीति	वर्ष 2028 तक स्कोप 1 के अंतर्गत नेट ज़ीरो का लक्ष्य; निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति।
	02	परिचालन पर्यावरणीय दक्षता	16,500 किसानों के लिए सौर पंपों का कागज-रहित वित्तपोषण।
सामाजिक	06	ग्राहक-केंद्रितता	रिटेल पोर्टफोलियो का ₹1.00 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार करना।
	08	वित्तीय समावेशन	22,129 सेवा संपर्क बिंदुओं पर 65.19% आरयूएसयू उपस्थिति।
	10	मानव पूंजी विकास	गुणवत्तापूर्ण विस्तार सुनिश्चित करने हेतु 1,000 क्रेडिट अधिकारियों को प्रशिक्षण।
	11	विविधता एवं समावेशन	115 पूर्णत: महिला-संचालित "पिंक शाखाओं" की स्थापना।
सुशासन	12	नवाचार एवं डिजिटलीकरण	37 सक्रिय डिजिटल यात्राओं के साथ डिजिटल हिस्सेदारी 90.54% तक पहुँची।
	15	जोखिम एवं संकट प्रबंधन	गैर-निष्पादित आस्तियां घटकर 2.67% हुआ; सक्षम आधारित स्वचालित अनुपालन प्रणाली लागू।
	16	डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता	सत्यापित .bank.in डोमेन पर 100% स्थानांतरण।

5. वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) मानकों का मानचित्रण

वैश्विक प्रतिवेदन पहल (जीआरआई) कोड स्थिरता प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के लिए मानकीकृत संकेतक प्रदान करते हैं।

जीआरआई श्रृंखला	दायरा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संदर्भित प्रमुख मानक
100 श्रृंखला	आधार एवं प्रोफ़ाइल	102 (सामान्य प्रकटीकरण), 103 (प्रबंधन दृष्टिकोण)।
200 श्रृंखला	आर्थिक मानक	201 (आर्थिक प्रदर्शन), 203 (अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव), 205 (भ्रष्टाचार-रोधी)।
300 श्रृंखला	पर्यावरणीय मानक	302 (ऊर्जा), 303 (जल), 305 (उत्सर्जन), 306 (अपशिष्ट)।
400 श्रृंखला	सामाजिक मानक	401 (रोजगार), 404 (प्रशिक्षण), 405 (विविधता), 413 (स्थानीय समुदाय), 418 (ग्राहक गोपनीयता)।
एफएस श्रृंखला	क्षेत्र-विशिष्ट अनुपूरक	एफएस-8 (पर्यावरणीय लाभ), एफएस -13 (सेवा पहुँच बिंदु), एफएस -14 (वंचित वर्गों के लिए सेवा पहुँच)।

6. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) के साथ संरेखण: राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि

बैंक वैश्विक सतत विकास उद्देश्यों में योगदान देने के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है।

यूएनएसडीजी संख्या #	लक्ष्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2026 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रमुख क्रियान्वयन
	गरीबी उन्मूलन	13,685 बीसी आउटलेट्स के माध्यम से ग्रामीण भारत को ऋण उपलब्ध कराना।
	उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण	लक्षित सीएसआर हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का प्रदान करना तथा संरचित वेलनेस पहलों के माध्यम से कर्मचारियों के कल्याण को सुदृढ़ करना।
	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	आकांक्षी विद्यार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो का उल्लेखनीय विस्तार।
	लैंगिक समानता	पूर्णत: महिलाओं द्वारा संचालित 115 पिंक शाखाओं की स्थापना।
	सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा	नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹2,751.44 करोड़ के ऋण स्वीकृत करना।
	सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास	व्यवसाय में वर्ष-दर-वर्ष 15.65% की वृद्धि तथा 1.00% आस्तियों पर प्रतिफल का ऐतिहासिक स्तर प्राप्त करना।
	उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना	सेन्ट नियो, 37 लाइव डीएलपी यात्राओं, प्रिज़्म निगरानी तथा 100% .bank.in स्थानांतरण के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार।
	असमानताओं में कमी	प्रधान-मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधान-मंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाना।
	उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन	कागज-रहित बैंकिंग, परिचालन इको-एफिशिऐंसी तथा डिजिटल यात्राओं और सतत अवसंरचना पहलों के माध्यम से हरित संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना।
	जलवायु कार्रवाई	हरित वाहन बेड़े में रूपांतरण के माध्यम से वर्ष 2028 तक स्कोप 1 के अंतर्गत नेट ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होना।

विषय-सूची

हमारी व्यावसायिक कार्यप्रणाली: त्वरित विकास की संरचना

पृष्ठ 40

पृष्ठ 44

मूल्य सृजन कैसे करें: वित्त वर्ष 2026 में मूल्य सृजन एवं प्रभाव

पृष्ठ 64

बौद्धिक पूंजी
संस्थागत बुद्धिमत्ता – नवाचार के संकल्प का विस्तार

व्यवसाय गति संवर्धन का वर्ष	02
रिपोर्टिंग कम्पास व्यवसाय गति संवर्धन के वर्ष की प्रगतिशील यात्रा	04
रणनीतिक संपर्क व्यवसाय गति संवर्धन के वर्ष का विश्लेषण	06
विषय-सूची	10

बैंक के बारे में

निदेशक मंडल	12
कॉर्पोरेट जानकारी	14
वरिष्ठ प्रबंधन टीम (दिनांक 30.04.2026 की स्थिति के अनुसार)	15
प्रगति के शिल्पकार: सर सोराबजी की 115 वर्षीय प्रतिबद्धता	16
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का हितधारकों के नाम संदेश	22

रणनीति

बाजार की बदलती परिस्थितियों का प्रबंधन: गति संवर्धन हेतु अवसरों का लाभ उठाना	26
हमारी व्यावसायिक प्राथमिकताएं: प्रतिबद्धता से प्रगति की ओर	30
हितधारक जुड़ाव: वचनबद्धता	34
प्रासंगिकता एवं हितधारक मूल्य: संवर्धन पर हमारा दृष्टिकोण	36
हमारी व्यावसायिक कार्यप्रणाली: त्वरित विकास की संरचना	40
मूल्य सृजन कैसे करें: वित्त वर्ष 2026 में मूल्य सृजन एवं प्रभाव	44
हमारी ईएसजी नीति रूपरेखा: उत्तरदायी एवं सतत विकास के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धताओं का निर्वहन	46
नैतिकता एवं कार्यप्रणाली में सुशासन का समावेशन: अपनी प्रतिबद्धताओं का निर्वहन	50

पूंजी

विनिर्मित पूंजी त्वरित प्रगति का सशक्त हाइब्रिड आधार	54
वित्तीय पूंजी गतिशील पूंजी- तीव्र विकास के संकल्प की सिद्धि	58
बौद्धिक पूंजी संस्थागत बुद्धिमत्ता- नवाचार की संभावनाओं का विस्तार	64
प्राकृतिक पूंजी नेट-ज़ीरो भविष्य की ओर अग्रसर	70
संबंध एवं सामाजिक पूंजी उद्देश्य को सशक्त बनाना- समावेशन के संकल्प को साकार करना	76
मानव संपदा प्रगति की शक्ति- उत्पादकता की सिद्धि	84

अधिसूचना

19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	88

सांविधिक

निदेशक रिपोर्ट 2025-26	123
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	129
निदेशकों का गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र	133
प्रबंधकीय विमर्श एवं विश्लेषण	134
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2025-26	188
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणपत्र	216
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत प्रमाण-पत्र	217
व्यवसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट 2025-26	218
बैंक की लाभांश वितरण नीति	253

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (एकल)	254
एकल वित्तीय विवरण	264
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)	339
समेकित वित्तीय विवरण	348
दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार पिलर 3 (बेसिल- III) प्रकटीकरण	391
जीआरआई सूचकांक	392

निदेशक मंडल

श्री कल्याण कुमार
(प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिनांक 30.09.2025 से)

श्री एम. वी. राव
(प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिनांक 31.07.2025 तक)

श्री एम वी मुरली कृष्णा
(कार्यपालक निदेशक)

श्री महेन्द्र दोहरे
(कार्यपालक निदेशक)

श्री ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक
(दिनांक 24.11.2025 से)

श्री विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक
(दिनांक 30.09.2025 तक)

श्री चन्द्रदीप कुमार झा
सरकार नामित निदेशक
(दिनांक 19.06.2026 से)

श्री बी. पुरुषार्थ
सरकार नामित निदेशक
(दिनांक 24.07.2025 से 19.06.2026 तक)

श्री हार्दिक मुकेश सेठ
सरकार नामित निदेशक
(दिनांक 24.07.2025 तक)

श्री मनोरंजन दास
भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक

श्री प्रियव्रत शर्मा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
(दिनांक 07.05.2026 तक)

श्री शारदा कुमार होता
अंशधारक निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
(दिनांक 11.04.2025 से 10.04.2026 तक)

कॉर्पोरेट जानकारी

निदेशक मंडल

श्री कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(दिनांक 30.09.2025 से)

श्री एम. वी. राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(दिनांक 31.07.2025 तक)

श्री एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

श्री महेन्द्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

श्री ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक
(दिनांक 24.11.2025 से)

श्री विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक
(दिनांक 30.09.2025 तक)

श्री चन्द्रदीप कुमार झा
सरकार नामित निदेशक
(दिनांक 19.06.2026 से)

श्री बी. पुरुषार्थ
सरकार नामित निदेशक
(दिनांक 24.07.2025 से 19.06.2026 तक)

श्री हार्दिक मुकेश सेठ
सरकार नामित निदेशक
(दिनांक 24.07.2025 तक)

श्री मनोरंजन दास
भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक

श्री प्रियव्रत शर्मा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
(दिनांक 07.05.2026 तक)

श्री शारदा कुमार होता
अंशधारक निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
(दिनांक 11.04.2025 से 10.04.2026 तक)

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक

मैसर्स एडीबी एंड कंपनी

मैसर्स अमित रे एंड कंपनी

मैसर्स जैन पारस बिलाला एंड कंपनी

मैसर्स गर्ग अशोक एंड कंपनी

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, *मुंबई*

सहायक कंपनियाँ

सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

सहयोगी कंपनियाँ

जेनरली सेन्ट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
जेनरली सेन्ट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड, *ज़ाम्बिया*

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता

इक्विटी शेयरों हेतु
एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सी-101, 247 पार्क,
एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400083
दूरभाष: 022-49186270
फैक्स: 022-49186060
ई-मेल : rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

बॉण्ड (डिबेंचर) हेतु
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

कार्यालय संख्या 383, तृतीय तल, बी-विंग,
गुंडेचा एन्क्लेव प्रिमाइसेस, सहकारी समिति लिमिटेड,
खेरानी रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400072
दूरभाष : 022-28516021
ई-मेल : helpdeskmum@mcsregistrars.com

बैंक के साथ पत्राचार हेतु पता

सहायक महाप्रबंधक - कंपनी सचिव
एवं अनुपालन अधिकारी

श्री चन्द्रकांत भागवत
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल,
चंदर मुखी भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021

दूरभाष : 022-66387818 / 7575
ई-मेल : agmcompsec@centralbank.bank.in /
investors@centralbank.bank.in

वरिष्ठ प्रबंधन टीम

(30.04.2026 की स्थिति अनुसार)

क्र.	अधिकारी का नाम	धारित कार्यभार
1	श्री अजय कुमार सिंह	मुख्य सर्तकता अधिकारी

क्र.	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों के नाम	धारित कार्यभार
1	श्री मुकुल नारायण दांडिगे	मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्त अधिकारी
2	सुश्री कविता ठाकुर	मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी
3	श्री राज कोकिल सिंह	महाप्रबंधक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी
4	सुश्री प्रीति सारस्वत	उप महाप्रबंधक एवं लेखापरीक्षा विभाग प्रमुख
5	श्री चंद्रकांत भागवत	सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
6	श्री राजेन्द्र भालेराव	सीआईएसओ

क्र.	मुख्य महाप्रबंधकों के नाम	धारित कार्यभार
1	सुश्री पॉपी शर्मा	ग्राहक सेवा विभाग
2	श्री वास्ती वेंकटेश	ट्रेजरी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग
3	श्री सोहेल अहमद	रणनीति प्रबंधन विभाग
4	श्री कुशल पाल	मानव संपदा प्रबंधन, ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग, राजभाषा एवं सुरक्षा विभाग

क्र.	महाप्रबंधकों के नाम	धारित कार्यभार
1	श्री उमेश कुमार सिंह	एमडी एवं सीईओ, सरसाई (प्रतिनियुक्त)
2	श्री बी एस हरिलाल	प्राचार्य, एसपीबीटी महाविद्यालय, ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग
3	श्री मोहित कोडनानी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
4	श्री विवेक कुमार	वित्त एवं लेखा विभाग
5	श्री ए. डी. श्रीनिवास	ऋण निगरानी एवं नीति विभाग
6	श्री शीशराम तुंदवाल	सरकारी व्यवसाय विभाग, दिल्ली
7	श्री पी अनूप कुमार	नियो बैंकिंग एवं विकोसोन्मुख तकनीक विभाग
8	श्री संजू मंगरुलकर	विकासोन्मुख व्यवसाय विभाग
9	श्री शशिधर के	संसाधन विभाग
10	श्री धर्म पाल खुराना	रणनीति विभाग
11	श्री अश्वनी कुमार धींगड़ा	ग्राहक सेवा विभाग
12	श्री अजय खन्ना	कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग
13	श्री सूर्यनारायण मूर्ति सलादी	एमएसएमई विभाग
14	डॉ. जी. भास्कर	ट्रेजरी विभाग
15	श्री अरविंद कुमार	खुदरा आस्ति विभाग
16	श्री कौशिक काला	व्यवसाय सहायक विभाग
17	श्री पी महादेवन	अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग
18	डॉ. हिमांशु गुप्ता	एमएसएमई विभाग
19	श्री बीरेन्द्र मेहता	सैम एवं वसूली विभाग

क्र.	अंचल प्रमुखों के नाम	धारित कार्यभार
1	श्री अजय कुमार सिंह	पुणे अंचल
2	श्री तरसेम सिंह जीरा	दिल्ली अंचल
3	श्री धनंजय सिंह राठौर	मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय
4	श्री के धारासिंग नायक	चेन्नई अंचल
5	श्री डी. के. अर्जवानी	लखनऊ अंचल
6	श्री राजीव रंजन सिंहा	पटना अंचल
7	श्री धीरज गोयल	भोपाल अंचल
8	श्री प्रमोद मिश्रा	अहमदाबाद अंचल
9	श्री अनिल कुमार	जयपुर अंचल
10	श्री सुरेश सिंह	चंडीगढ़ अंचल
11	श्री राजकिशोर सिंह	कोलकाता अंचल
12	श्री एम. पिचैया	हैदराबाद अंचल
13	श्री राकेश भूतड़ा	रायपुर अंचल
14	श्री रजत मिश्रा	गुवाहाटी अंचल

प्रगति के शिल्पकार:

सर सोराबजी की 115 - वर्षीय प्रतिबद्धता

"व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष'' में हम अपने गतिमान विकास के मूल स्रोत की ओर पुन: उन्मुख हो रहे हैं। वर्ष 1911 में स्थापित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसी स्थिर संस्थान के रूप में नहीं, बल्कि 28 वर्षीय दूरदर्शी अग्रणी सर सोराबजी पोचखानावाला की दूरदर्शी सोच, तीव्र प्रगति से उत्पन्न हुआ था। उनका 'राष्ट्र की संपत्ति' स्थापित करने का संकल्प केवल एक लक्ष्य नहीं था, बल्कि प्रत्येक भारतीय तक आर्थिक आत्मनिर्भरता पहुँचाने की एक दृढ़ प्रतिज्ञा थी।

गति संवर्धन हमारी स्वदेशी भावना की समकालीन अभिव्यक्ति है। सर सोराबजी ने केवल एक बैंक की स्थापना नहीं की, बल्कि भारतीय नवाचार, एक ऐसी प्रयोगशाला का निर्माण किया, जिसने अपने समय की रुढ़ियों और पूवाग्रहों को चुनौती देते हुए अद्वितीय गति से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया.

मूल "स्टार्टअप" भावना: 28 वर्ष की आयु में गति संवर्धन

विदेशी एकाधिकार के प्रभुत्व वाले युग में सर सोराबजी ने यह समझ लिया था कि अस्तित्व केवल प्रत्यास्थता से नहीं, बल्कि ***रणनीतिक गति*** *से ही सुनिश्चित किया जा सकता है।*

- **1911 | निर्णायक शुरुआत**: जब अधिकांश युवा अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत कर रहे होते हैं, उस आयु में सर सोराबजी ने तत्कालीन बैंकिंग व्यवस्था की रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हुए भारत के प्रथम वास्तविक स्वदेशी बैंक की स्थापना की।
- **1916 | एकाधिकार को चुनौती**: अपनी संस्थागत गतिशीलता का प्रदर्शन करते हुए, बैंक ने कोलकाता स्थित बैंकर्स क्लियरिंग हाउस में प्रवेश किया और विदेशी बैंकों के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को निर्णायक चुनौती दी।
- **1913 | अग्निपरीक्षा का वर्ष**: वर्ष 1913 के गंभीर बैंकिंग संकट का सफलतापूर्वक सामना करने की सर सोराबजी की क्षमता ने यह सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी, सुदृढ़ मूल्यों और विवेकपूर्ण नेतृत्व पर आधारित तीव्र विकास ही किसी संस्था के लिए अटूट एवं दीर्घकालिक आधारशिला का निर्माण करता है।

संकल्प से सिद्धि तक: "अग्रणी उपलब्धियों" की गौरवशाली विरासत

सर सोराबजी का नेतृत्व बैंकिंग उद्योग में अनेक अग्रणी एवं अभिनव पहलों से परिभाषित होता है। आज हमारी ***सेन्ट नियो*** *तथा* ***रणनीतिक परिवर्तनकारी पहलें*** *उसी दूरदृष्टि और नवाचार की निरंतरता के रुप में परिलक्षित होती हैं। उनका विश्वास था कि भारतीयों के जीवन में वास्तविक अर्थों में 'केंद्रीय' स्थान प्राप्त करने के लिए बैंक को मांग से पूर्व ही परिणाम प्रदान करने होंगे।*

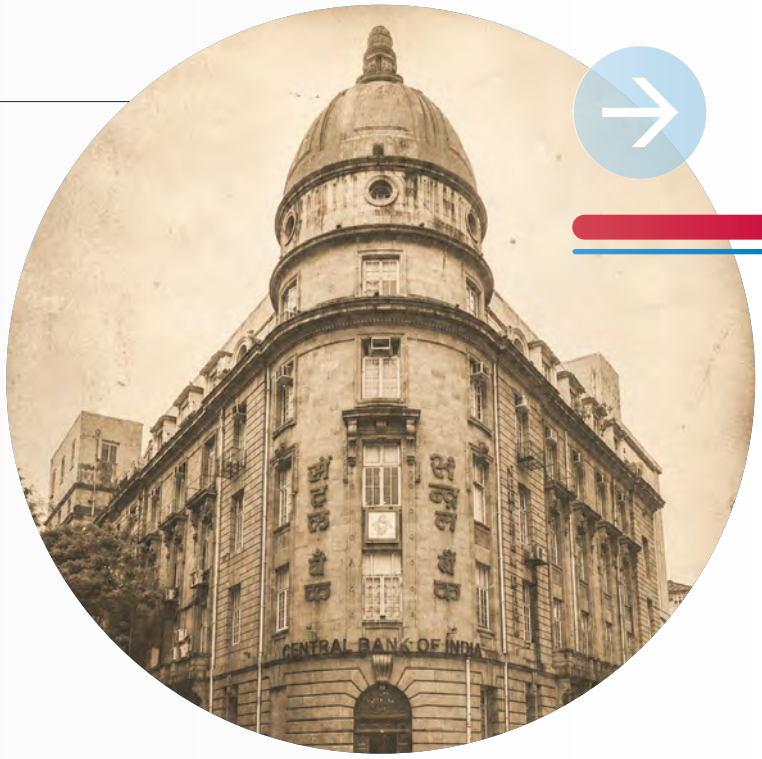

- **1912 पारदर्शिता का अग्रदूत:** स्थापना के मात्र एक वर्ष के भीतर ही सर सोराबजी ने बैंक को देश का पहला ऐसा बैंक बनाया, जिसने प्रत्येक पखवाड़े अपने वित्तीय विवरण प्रकाशित करने की परंपरा प्रारंभ की। इस पहल से उत्तरदायित्व की ऐसी संस्कृति स्थापित हुई जो आज भी हमारे पीआरआईएसएम (प्रिज़्म) निगरानी तंत्र में परिलक्षित होती है।
- **सामाजिक प्रगति को नई गति (1924):** महिलाओं की आर्थिक क्षमता और उनकी अप्रयुक्त संभावनाओं को समय से बहुत पहले पहचानते हुए सर सोराबजी ने मुंबई में महिलाओं के लिए एक समर्पित 'महिला विभाग' की स्थापना की। 1920 के दशक के भारत में यह एक क्रांतिकारी पहल थी, जिसने महिला सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन की दिशा में नई राह प्रशस्त की। यही दूरदृष्टि आज वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापित हमारी 115 'पिंक शाखाओं' के रूप में साकार होती दिखाई देती है।
- **बचत को जन-जन तक पहुँचाना:** सर सोराबजी ने होम सेविंग्स बैंक विभाग तथा आवर्ती जमा जैसी अभिनव योजनाओं की शुरुआत की। उनका उद्देश्य केवल बचत योजनाएँ उपलब्ध कराना नहीं था, बल्कि बचत की संस्कृति को जन-जन तक पहुँचाकर उसे राष्ट्रीय जीवन-शैली का अभिन्न अंग बनाना था।

1911 से 2026 तक: प्रगति की निरंतर यात्रा

"प्रत्येक भारतीय के जीवन और प्रगति के केंद्र में रहने" की संस्थापक की परिकल्पना आज भी हमारी दिशा और संकल्प की प्रेरक शक्ति है। "उत्कृष्टता के निर्वहन" से "व्यावसायिक गति संवर्धन" की ओर हमारी यात्रा उसी दूरदर्शी दृष्टि का स्वाभाविक विस्तार है। सर सोराबजी परिणामोन्मुख नेतृत्व के प्रतीक थे। स्वदेशी बैंकिंग के विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1934 में 'नाइटहुड' से सम्मानित किया गया।

आज, जब बैंक का कुल व्यवसाय ₹8,12,439 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुका है, तब हम केवल विकास के नए आयाम नहीं छू रहे हैं, बल्कि 115 वर्ष पूर्व सर सोराबजी द्वारा निर्धारित दूरदर्शी विकास-पथ को साकार कर रहे हैं। उनकी विरासत हमारी प्रेरक शक्ति है और हमारी तीव्र प्रगति उसी दूरदृष्टि का सजीव प्रतिफल है.

एक नज़र में: तीव्र प्रगति की झलक

इस रिपोर्टिंग चक्र में बैंक रणनीतिक ढाँचों से उच्च-स्तरीय निष्पादन की ओर अग्रसर हुआ है। ये ऐतिहासिक मैट्रिक्स इस बात का प्रमाण है कि हमने अपने 8.26 करोड़ ग्राहकों तथा राष्ट्र के प्रति अपनी "प्रतिज्ञा का निर्वहन" किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 का कार्यनिष्पादन: एक नज़र में

वित्तीय पैमाने

कुल व्यवसाय

₹8,12,439 करोड़

वार्षिक आधार पर 15.60% की सुदृढ़ वृद्धि।

शुद्ध लाभ

₹4,369 करोड़

पिछले वर्ष की तुलना में 15.43% की वृद्धि।

कुल जमा

₹4,67,923 करोड़

बचत जमा ने ऐतिहासिक ₹2.00 लाख करोड़ की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

कुल अग्रिम

₹3,44,516 करोड़

₹1,03,000 करोड़ से अधिक के ऐतिहासिक रिटेल पोर्टफोलियो द्वारा समर्थित।

डिजिटल एवं उत्पादकता

डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी

90.54%

डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी, जो बैंक के ऐतिहासिक उच्च स्तर को दर्शाती है।

मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता

2 करोड़+

सेन्ट नियो इकोसिस्टम में परिवर्तन के पश्चात सक्रिय उपयोगकर्ता।

उत्पादकता

₹23.89 करोड़

प्रति कर्मचारी व्यवसाय में 12.11% की वृद्धि दर्ज की गई।

डिजिटल विश्वास

100%

डिजिटल अवसंरचना को सत्यापित .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित किया गया।

पहुँच एवं उपस्थिति

सक्रिय ग्राहक आधार

8.26 करोड़

सक्रिय ग्राहक

कुल संपर्क बिंदु

22,129

टचपॉइंट्स द्वारा अंतिम छोर तक सेवा वितरण सुदृढ़ किया जाना।

शाखा नेटवर्क

4,585

शाखाएँ, जिनमें 65.19% ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी भारत में स्थित हैं।

सक्रिय ग्राहक आधार

13,685

व्यवसाय प्रतिनिधियों को 40 बीसी मैक्स केंद्रों द्वारा समर्थन प्राप्त है।

कार्यबल

33,997

कर्मचारियों को व्यवसाय उत्कृष्टता हेतु प्रशिक्षित एवं संरेखित किया गया है।

उत्कृष्टता का सम्मान : हमारे संकल्प की सार्थकता का प्रमाण

वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमारी तीव्र प्रगति को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्राप्त अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों और अभूतपूर्व मान्यताओं ने प्रमाणित किया है। 'व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष' के दौरान हमारे उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को एक प्रौद्योगिकी-सक्षम, बुद्धिमत्ताप्रेरित तथा समावेशी वित्तीय संस्था के रूप में नई पहचान और विशिष्ट प्रतिष्ठा प्रदान की है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रमुख सम्मान

समावेशी नेतृत्व:

ईटी एज द्वारा "बेस्ट ऑर्गनाइजेशन फॉर विमेन 2026" सम्मान से अलंकृत—यह हमारी 115 सर्व-महिला पिंक शाखाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं समावेशी कार्यसंस्कृति के प्रति हमारी सुदृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

डिजिटल सुरक्षा:

सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (एसओसी) की सुदृढ़ता के लिए स्कॉच अवॉर्ड 2025 से सम्मानित।

आकांक्षी विकास:

नवभारत एजुकेशन अवॉर्ड्स में "शिक्षा ऋण के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक" सम्मान प्राप्त।

राष्ट्र निर्माण:

एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2025 में "सरकारी योजनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु सर्वश्रेष्ठ बैंक" पुरस्कार से सम्मानित।

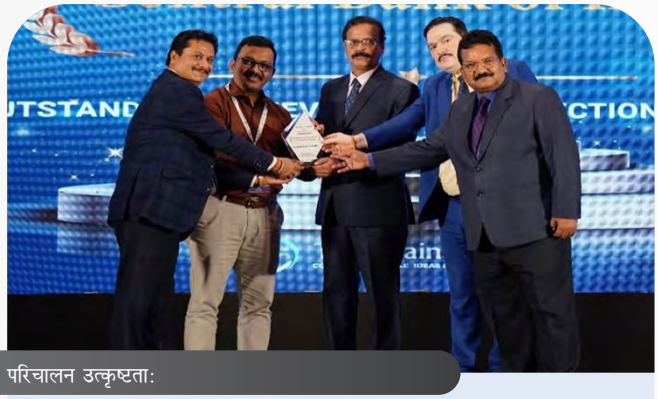

परिचालन उत्कृष्टता:

ईज़ 7.0 सुधारों के अंतर्गत डेटा गुणवत्ता में द्वितीय स्थान।

नवाचार:

डेटा इनोवेशन अवॉर्ड्स 2026 में "कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मर" पुरस्कार से सम्मानित।

स्वदेशी प्रगति का प्रेरक आधार

1911 में सर सोराबजी पोचखानावाला द्वारा स्थापित, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश का पहला पूर्णत: भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन वाला वाणिज्यिक बैंक है। "व्यावसायिक गतिसंवर्धन वर्ष" में, हमारी 115-वर्षीय विरासत को एक उच्च-स्तरीय वित्तीय इकोसिस्टम में रूपांतरित किया गया है, जो आज भी "प्रत्येक भारतीय के लिए वास्तव में केंद्रित" बना हुआ है।

स्वदेशी नेतृत्व का युग (1911–1930)

1911

स्वदेशी युग का शुभारंभ: सर सोराबजी पोचखानावाला द्वारा स्थापित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश का पहला वाणिज्यिक बैंक बना, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन पूर्णत: भारतीयों के हाथों में था। इसकी स्थापना आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी भावना को सशक्त आधार प्रदान करने के उद्देश्य से की गई।

1916

एकाधिकार को चुनौती: बैंक ने कोलकाता के बैंकर्स क्लियरिंग हाउस में प्रवेश प्राप्त कर विदेशी बैंकों के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को चुनौती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

1921

सुरक्षा में अग्रणी पहल: भारतीय बैंकिंग उद्योग में पहली बार सुरक्षित जमा लॉकर की स्थापना कर ग्राहकों की संपत्तियों की सुरक्षा के नए मानक स्थापित किए।

जनविश्वास का प्रतीक: बैंक बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी तथा बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की निधियों का प्रबंधन करने वाला पहला भारतीय बैंक बना, जिससे विश्वसनीयता और जनविश्वास को नई पहचान मिली।

1922

बचत और पारदर्शिता की नई संस्कृति: लघु बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से होम सेविंग्स बैंक विभाग की स्थापना की तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पाक्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशित करने वाला देश का पहला बैंक बना।

1924

वित्तीय सशक्तीकरण की ऐतिहासिक पहल: महिलाओं की औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महिला सहायिकाओं सहित एक समर्पित 'महिला विभाग' की स्थापना की, जो भारत में अपनी तरह की पहली पहल थी।

1932

ग्रामीण भारत से सशक्त जुड़ाव: पंजाब में 'मंडी शाखाओं' की स्थापना कर कृषकों को अपनी उपज के विपणन हेतु प्रत्यक्ष ऋण सहायता उपलब्ध कराने की अभिनव पहल की।

मध्यकालीन विस्तार का युग (1940–2000)

1962

बचत में नवाचार: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आवर्ती जमा की अवधारणा को अग्रणी रूप से प्रस्तुत कर बैंक ने घरेलू बचत की प्रवृत्ति में संरचनात्मक परिवर्तन की आधारशिला रखी।

1964

राष्ट्र निर्माण में सहभागिता: कृषकों को लघु ऋण प्रदान करने की औपचारिक शुरुआत कर बैंक ने कृषि ऋण के क्षेत्र में अपनी संस्थागत भूमिका को सुदृढ़ किया।

1980

डिजिटल युग की आधारशिला: 'द सेन्ट्रलकार्ड', भारत का पहला क्रेडिट कार्ड, प्रारंभ कर बैंक ने उपभोक्ता-केंद्रित ऋण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया।

2001

आधुनिक भुगतान व्यवस्था की ओर अग्रसर: अपने व्यापक ग्राहक आधार के लिए डेबिट कार्ड सुविधा प्रारंभ कर बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं के प्रसार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया (वर्तमान में श्रीलंका में)।

परिवर्तन और पुनरुत्थान का युग (2022–2025)

2022

ऐतिहासिक पुनरुत्थान: प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढाँचे से सफलतापूर्वक बाहर निकलते हुए बैंक ने अपनी बैलेंस शीट के व्यापक सुदृढ़ीकरण, वित्तीय पुनर्संतुलन तथा संस्थागत स्थिरता की दिशा में किए गए प्रयासों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया।

2025

उत्कृष्टता का संकल्प: यह वर्ष बैंक के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि का वर्ष रहा, जिसमें शुद्ध लाभ में 48.49% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई और यह बढ़कर ₹3,785 करोड़ तक पहुँच गया।

सेन्ट नियो की आधारशिला: भविष्य के लिए तैयार, बुद्धिमत्ताप्रेरित डिजिटल बैंक के निर्माण की दिशा में सेंट नियो कार्यक्रम तथा डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया, जिन्होंने बैंक के डिजिटल परिवर्तन के प्रमुख प्रेरक तंत्र के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया।

रणनीतिक परिवर्तन का निर्णायक चरण (2026)

2026

व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष: इस वर्ष बैंक ने केवल रणनीतिक रूपरेखाएँ तैयार करने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें व्यापक स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करते हुए परिमाणित एवं उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए। इसके साथ ही बैंक ने अपने प्रत्येक हितधारक से किए गए वादे को सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

त्रिस्तरीय ऐतिहासिक उपलब्धि: बैंक ने कुल व्यवसाय ₹8,00,000 करोड़, बचत जमा ₹2,00,000 करोड़ तथा रिटेल ऋण पोर्टफोलियो ₹1,00,000 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को सफलतापूर्वक पार कर तीन महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ एक साथ अर्जित कीं।

वित्तीय सुदृढ़ता: हाल के वर्षों में पहली बार बैंक ने वर्ष के दौरान 1.00 प्रतिशत आस्तियों पर प्रतिफल के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया, जो संस्थागत उत्कृष्टता की दिशा में उसके स्थायी रूपांतरण का स्पष्ट संकेत है।

डिजिटल विश्वास: बैंक ने अपने संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम का सुरक्षित एवं सत्यापित .bank.in डोमेन पर 100 प्रतिशत सफल माइग्रेशन पूर्ण कर डिजिटल सुरक्षा, विश्वसनीयता और ग्राहकों के विश्वास को नई मजबूती प्रदान की।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

का हितधारकों के नाम संदेश

विकास का वास्तविक अर्थ तभी है, जब वह विश्वास से प्रेरित हो, समावेशिता से परिपूर्ण हो और स्थायी प्रगति का आधार बने। इस उल्लेखनीय वर्ष के दौरान हमारा यही मूलमंत्र रहा।

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

₹8,12,439 करोड़

कुल व्यवसाय की ऐतिहासिक उपलब्धि: वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने कुल व्यवसाय के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह उपलब्धि वर्ष-दर-वर्ष 15.60% की सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाती है।

प्रिय हितधारकों,

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। हमारी 115 वर्ष की गौरवशाली विरासत में यह वर्ष, जिसे हमने "व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" (दि ईयर ऑफ बिजनेस एक्सलेरेशन) के रूप में नामित किया है, एक ऐतिहासिक एवं निर्णायक पड़ाव का प्रतीक रहा है। यह वह वर्ष रहा, जब हमने केवल सुदृढ़ आधार तैयार करने की यात्रा से आगे बढ़ते हुए तीव्र गति एवं व्यापक स्तर पर विकास के नए आयाम स्थापित किए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस वर्ष हमने अपने प्रत्येक हितधारक से किए गए वादे को सफलतापूर्वक निभाया। अपनी रणनीतिक दृष्टि और महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को सतत एवं उत्तरदायी ढंग से ठोस, मापनीय और ऐतिहासिक उपलब्धियों में रूपांतरित करते हुए हमने अपने संकल्पों को सार्थक परिणामों में परिवर्तित किया।

रणनीतिक अवसरों से परिपूर्ण परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं तथा परिवर्तित होते वैश्विक व्यापार परिदृश्यों के बीच "नाजुक अनुकूलन" की स्थिति में कार्य किया। किंतु इस जटिल वैश्विक परिवेश के बीच भारत विश्व की सर्वाधिक सुदृढ़ एवं संरचनात्मक रूप से अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा, जहाँ सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6% रही। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इन परिस्थितियों का केवल सामना ही नहीं किया, बल्कि उन्हें रणनीतिक अवसरों में परिवर्तित किया। 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप अपनी संस्थागत कार्यगति को समन्वित करते हुए हमने ₹8,12,439 करोड़ के कुल व्यवसाय की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.60 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

हमारा यह विस्तार आकस्मिक नहीं था, बल्कि बाजार की परिस्थितियों के गहन विश्लेषण पर आधारित एक सुविचारित एवं अनुशासित रणनीति का परिणाम था। हमने घरेलू अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ विकास क्षमता पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव को प्रभावी ढंग से संतुलित किया। परिणामस्वरूप, हमारी विकास यात्रा वास्तव में "प्रत्येक भारतीय के जीवन से जुड़ी और उसके विकास की सहभागी" बनी रही।

मापनीय उपलब्धियाँ और वित्तीय सुदृढ़ता

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हमारी तीव्र प्रगति की सबसे बड़ी पहचान हमारे उन महत्त्वाकांक्षी वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति रही, जिन्हें हमने अपने लिए निर्धारित किया था। हाल के वर्षों के इतिहास में पहली बार बैंक ने वर्ष के दौरान आस्तियों पर प्रतिफल हेतु निर्धारित 1% लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया, जो हमारे परिचालन मॉडल की दक्षता और प्रभावशीलता का स्पष्ट प्रमाण है। यद्यपि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का स्टैंडअलोन आस्तियों पर प्रतिफल 0.89 प्रतिशत रहा, जिसका प्रमुख कारण वित्त विधेयक, 2026 के अनुरूप आस्थगित कर परिसंपत्ति की मान्यता के परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ पर ₹632 करोड़ का प्रभाव था, फिर भी हमारा मुख्य परिचालन लाभ 10.34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹8,124 करोड़ तक पहुँच गया।

बैंक की पूंजीगत स्थिति भी अत्यंत सुदृढ़ बनी हुई है। पूंजी से जोखिम-भारित आस्ति अनुपात 17.91 प्रतिशत के मजबूत स्तर पर है, जो हमारे आगामी विस्तार चरण को गति प्रदान करने के लिए पर्याप्त पूंजीगत आधार उपलब्ध कराता है। यही वित्तीय सुदृढ़ता हमारी तीव्र गति से विकसित हो रही देयताओं तथा आस्ति व्यवसाय की मजबूत नींव है।

रैम व्यवसाय: व्यापक स्तर पर विकास के संकल्प को साकार करने वाला इंजन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान रैम अर्थात् रिटेल, कृषि एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र बैंक के विकास का प्रमुख प्रेरक बना रहा। इस व्यवसाय खंड में 20.86 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और इसका कुल आकार बढ़कर ₹2,34,571 करोड़ तक पहुँच गया। इस तीव्र प्रगति का सबसे उल्लेखनीय आयाम हमारा रिटेल ऋण पोर्टफोलियो रहा, जिसमें 25.67 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि के साथ पहली बार ₹1,00,000 करोड़ का ऐतिहासिक आँकड़ा पार हुआ और यह ₹1,03,533 करोड़ के स्तर पर पहुँचा। यह उपलब्धि देशवासियों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता तथा उच्च मात्रा के लेनदेन का कुशलतापूर्वक एवं सटीक प्रबंधन करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है।

हमारे एमएसएमई व्यवसाय ने भी उल्लेखनीय गति प्रदर्शित करते हुए 17.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हमने परंपरागत ऋण वितरण की अवधारणा से आगे बढ़ते हुए क्लस्टर-आधारित वित्तपोषण मॉडल को संस्थागत रूप प्रदान किया तथा 225 शाखाओं को विशिष्ट औद्योगिक समूहों से जोड़ा। इसी प्रकार, कृषि क्षेत्र में हमारा ऋण पोर्टफोलियो 17.60 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹61,687 करोड़ तक पहुँचा। ग्रामीण उद्यमिता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 274 शाखा समूहों को विशिष्ट कृषि क्लस्टरों से जोड़ा गया।

दायित्व पक्ष पर हमारी "कासा प्रथम" कार्यनीति ने भी अभूतपूर्व परिणाम दिए। 'आगाज़' तथा 'प्रारंभ' जैसे लक्षित अभियानों के माध्यम से पहली बार हमारी बचत बैंक जमाएं ₹2,00,000 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गईं। इससे बैंक को कम लागत पर स्थिर संसाधन आधार प्राप्त हुआ, जिसने हमारे ऋण व्यवसाय के सतत विस्तार को सुदृढ़ आधार प्रदान किया.

25.67%

रिटेल ऋण पोर्टफोलियो में उल्लेखनीय वृद्धि: बैंक के रिटेल ऋण पोर्टफोलियो, जो बैंक के रैम व्यवसाय का प्रमुख आधार है, ने ऐतिहासिक ₹1,00,000 करोड़ का आँकड़ा पार करते हुए ₹1,03,533 करोड़ के स्तर पर पहुँचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।

> वित्त वर्ष 2025-26 केवल सशक्त वित्तीय परिणामों का वर्ष नहीं रहा, बल्कि यह हमारी रणनीतिक सोच, अनुशासित क्रियान्वयन और परिणामोन्मुख कार्यसंस्कृति का प्रमाण रहा, जिसने हमारी महत्वाकांक्षी रणनीतियों को ठोस उपलब्धियों में परिवर्तित किया।

90.54%

डिजिटल लेनदेन की ऐतिहासिक उपलब्धि: कुल लेनदेन में डिजिटल माध्यमों की हिस्सेदारी 90.54% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई। यह उपलब्धि बैंक की 'डिजिटल-प्रथम' कार्यनीति तथा ग्राहकों एवं संस्थागत हितधारकों के दृढ़ विश्वास का सशक्त प्रतिबिंब है।

डिजिटल रूपांतरण : तीव्र विकास की आधारशिला

वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमारी तीव्र विकास यात्रा को गति प्रदान करने में हमारे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तथा आंतरिक रूपांतरण केन्द्र की निर्णायक भूमिका रही। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर उनकी प्रभावशीलता एवं व्यावसायिक उपयोगिता को भी सफलतापूर्वक स्थापित किया। आज हमारा डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म 37 सक्रिय डिजिटल यात्राओं का समर्थन कर रहा है, जिसके माध्यम से हम एमएसएमई तथा रिटेल ऋण के हजारों प्रस्तावों का अनुमोदन लगभग शून्य मानवीय हस्तक्षेप के साथ दक्षतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं।

हमारी 'डिजिटल-प्रथम' कार्य-दृष्टि की सफलता इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि बैंक के कुल लेनदेन में डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी बढ़कर ऐतिहासिक 90.54 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई। इस तकनीकी विस्तार को संस्थागत विश्वास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ने और अधिक सुदृढ़ बनाया, जब हमने अपनी संपूर्ण डिजिटल अवसंरचना का सफलतापूर्वक स्थानांतरण सुरक्षित .bank.in डोमेन पर किया। आज सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया केवल एक गौरवशाली विरासत वाला बैंक नहीं है, बल्कि डेटा, प्रौद्योगिकी और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय क्षमता से संचालित एक आधुनिक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हो चुका है।

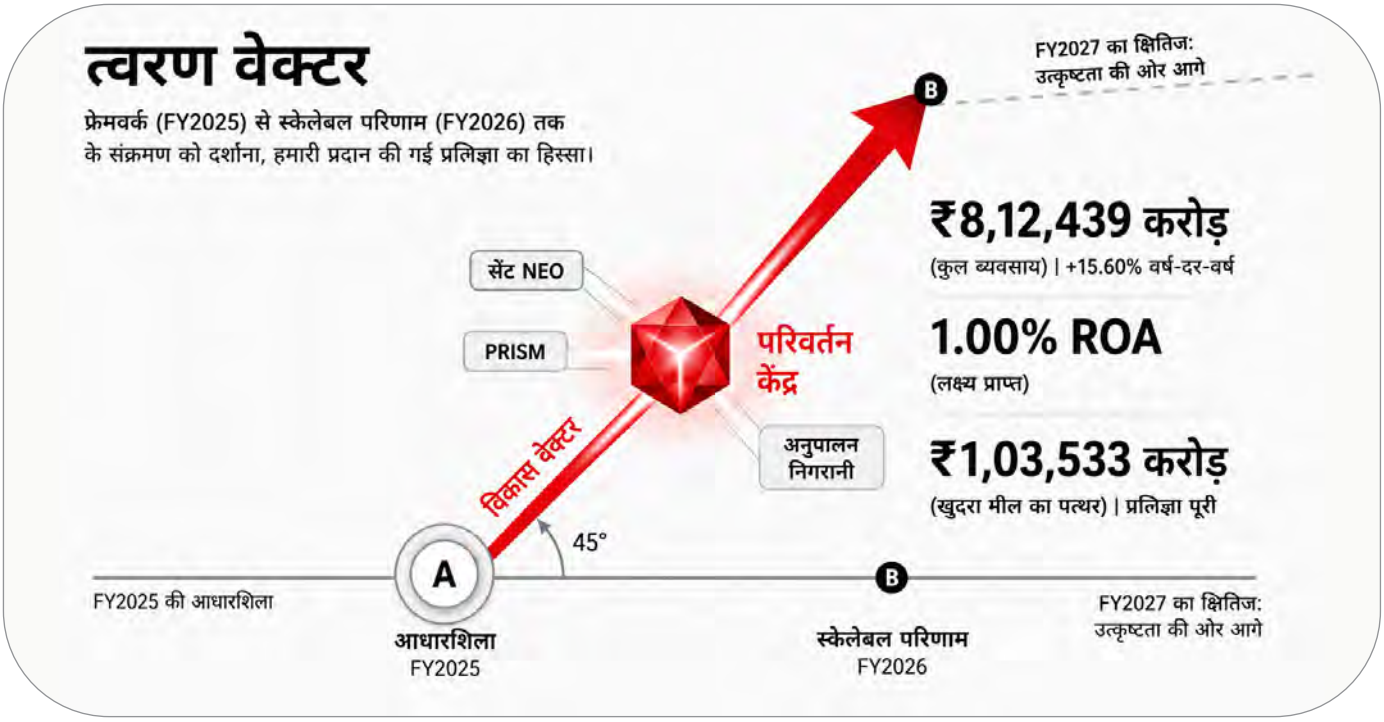

संस्थागत अनुशासन : आस्ति गुणवत्ता एवं जोखिम प्रबंधन

तीव्र गति से होने वाले विकास की वास्तविक सफलता सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता और प्रभावी जोखिम प्रबंधन पर आधारित होती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 इस दृष्टि से बैंक के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष सिद्ध हुआ। इस अवधि में हमने अपनी सकल गैर-निष्पादित आस्ति को 3.18 प्रतिशत से घटाकर 2.67 प्रतिशत के स्तर पर लाते हुए आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार प्राप्त किया। साथ ही, शुद्ध गैर-निष्पादित आस्ति को 0.49 प्रतिशत के संतोषजनक स्तर पर बनाए रखा।

हमारी वास्तविक परिचालन क्षमता और वित्तीय दृढ़ता का सबसे सशक्त प्रमाण स्लिपेज अनुपात रहा, जिसे हमने रिकॉर्ड न्यूनतम 1.16 प्रतिशत के स्तर पर नियंत्रित रखा। यह उपलब्धि हमारी सक्रिय वसूली रणनीतियों तथा उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रतिफल है। 'अनुशासन के साथ तीव्र विकास' की संस्कृति को संस्थागत स्वरूप प्रदान करते हुए हमने यह सुनिश्चित किया है कि नियोजित पूंजी की प्रत्येक इकाई दीर्घकालिक मूल्य सृजन में सार्थक योगदान दे।

मानव पूंजी : उत्पादकता की प्रेरक शक्ति

हमारे 33,997 कर्मचारियों का समर्पित कार्यबल हमारी विकास यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रति कर्मचारी व्यवसाय 12.11 प्रतिशत बढ़कर ₹23.89 करोड़ तक पहुँच गया। 'प्रोजेक्ट सेन्ट नर्चर' के अंतर्गत हमने 1,000 ऋण अधिकारियों को विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया, ताकि व्यवसाय के विस्तार के साथ-साथ ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम आकलन के हमारे उच्च मानक निरंतर अक्षुण्ण बने रहें।

हमने अपने कर्मचारियों के समग्र कल्याण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। इसी उद्देश्य से 'सेन्ट चेतना' जैसी गोपनीय परामर्श पहल प्रारंभ की गई है। हमारा लक्ष्य सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय बैंकिंग उद्योग में 'सर्वाधिक पसंदीदा नियोक्ता' के रूप में स्थापित करना है, ताकि हम श्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें और उनके माध्यम से डिजिटल नवाचार, परिचालन उत्कृष्टता तथा सतत विकास की अपनी यात्रा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकें।

सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र निर्माण

राष्ट्र निर्माण में बैंक की भूमिका उसकी केयर (सीएआरई) दर्शन की मूल भावना का अभिन्न अंग है, जिसका सार है "ग्राहक प्रथम । राष्ट्र सदैव । कर्मचारी सर्वदा ।" यह दर्शन चार महत्वपूर्ण आयामों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करता है, जिनमें ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता, आकांक्षी एवं सतत विकास, राष्ट्र निर्माण तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान, और कर्मचारियों एवं उनके परिवारों का समग्र कल्याण शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी हाइब्रिड पहुँच का और विस्तार करते हुए कुल 22,129 सेवा संपर्क बिंदुओं का नेटवर्क स्थापित किया। बैंक की कुल शाखाओं में से 65.19 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी भारत में स्थित हैं। यह व्यापक उपस्थिति बैंक को सुलभ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने, वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाने तथा देशभर के ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाती है।

बैंक ने सामाजिक सुशासन की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति करते हुए 115 पिंक शाखाओं की स्थापना की, जिनका संचालन पूर्णत: महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। ये शाखाएँ केवल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने वाले संपर्क केंद्र ही नहीं हैं, बल्कि महिला नेतृत्व, वित्तीय सशक्तिकरण और समावेशी विकास की सशक्त प्रतीक भी हैं।

हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि बैंक ने उद्यमियों को उनके व्यावसायिक विकास के प्रत्येक चरण में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से एक व्यापक ई-एमएसएमई परामर्श सेवा प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत एमएसएमई पंजीकरण, जीएसटी एवं आयकर संबंधी विषयों, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुपालन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। इस पहल के माध्यम से बैंक एमएसएमई उद्यमियों की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने, उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने तथा डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में उनकी सहायता करते हुए उन्हें परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बना रहा है।

एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र की गहन समझ होने के कारण बैंक एमएसएमई इकाइयों को उनकी सफलता की यात्रा के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सहजता से सामना करने हेतु प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करने की सुदृढ़ स्थिति में है। परामर्श-आधारित यह दृष्टिकोण उद्यम विकास, रोजगार सृजन तथा विकसित भारत के निर्माण के प्रति बैंक की सतत एवं दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण संरक्षण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक एवं सुशासन) नीति के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2028 तक स्कोप-1 उत्सर्जन में नेट ज़ीरो का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैंक की हरित बैंकिंग पहलों, जिनमें 16,500 किसानों को सौर पंपों के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना शामिल है, से यह स्पष्ट होता है कि सतत विकास और व्यवसाय की प्रगति एक-दूसरे के पूरक बनते हुए साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।

> भविष्य की ओर हमारी दृष्टि स्पष्ट और अडिग है, परिचालन उत्कृष्टता को समावेशी विकास के साथ जोड़ते हुए प्रत्येक भारतीय के लिए सच्चे अर्थों में एक विश्वसनीय एवं केंद्रीय बैंक बने रहना।

आगे की रूपरेखा : व्यावसायिक उत्कृष्टता की ओर (वित्तीय वर्ष 2026-27)

'व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष' के सफल समापन के साथ, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अर्जित उपलब्धियों ने हमारी अगली विकास यात्रा के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपने 'संकल्प को साकार करने' के उपरांत, अब हम वित्तीय वर्ष 2026-27 को 'व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष' के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अब हमारा ध्यान केवल तीव्र विस्तार पर नहीं, बल्कि ग्राहक अनुभव से जुड़े प्रत्येक सेवा-संपर्क बिंदु को और अधिक उत्कृष्ट एवं प्रभावी बनाने पर केंद्रित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि में हमारा उद्देश्य ग्राहक सेवा के क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम मानकों को अपनाना, परिचालन दक्षता को और सुदृढ़ करते हुए लागत-आय अनुपात को 56 प्रतिशत से नीचे लाना तथा ऋण-जमा अनुपात में और अधिक सुधार सुनिश्चित करना है। वित्तीय वर्ष 2029-30 तक ₹13 लाख करोड़ के व्यवसाय वाले संस्थान के रूप में स्थापित होने की हमारी यात्रा सुदृढ़ गति से आगे बढ़ रही है। इस यात्रा की आधारशिला हमारी समृद्ध विरासत है और निरंतर प्रगति हमारी प्रेरक शक्ति है।

मैं हमारे सभी ग्राहकों का उनके अटूट विश्वास, हमारे कर्मचारियों का उनके अथक समर्पण तथा हमारे अंशधारकों का उनके निरंतर सहयोग एवं विश्वास के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी मिलकर भविष्य में भी "प्रत्येक भारतीय के विश्वास के केंद्र" में रहने की अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर साकार करते रहेंगे।

सादर,

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

बाज़ार की बदलती परिस्थितियों का प्रबंधन:

गति संवर्धन हेतु अवसरों का लाभ उठाना

वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रतिवेदन चक्र के दौरान वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक परिदृश्य में व्यापक एवं दूरगामी परिवर्तन देखने को मिले। समीक्षाधीन वर्ष सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए वह निर्णायक चरण सिद्ध हुआ, जिसमें बैंक ने आधारभूत स्थिरता से आगे बढ़ते हुए तीव्र निष्पादन के नए चरण में प्रवेश किया। बाज़ार में उपलब्ध संरचनात्मक अवसरों के साथ अपनी संस्थागत कार्यक्षमता एवं गति का प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए बैंक ने ₹8,12,439 करोड़ के कुल कारोबार के ऐतिहासिक के मील के पत्थर को सफलतापूर्वक प्राप्त किया।

गतिसंवर्धन रणनीतिक स्पष्टता एवं बाज़ार में उपलब्ध अवसरों के प्रभावी समन्वय का परिणाम है। वैश्विक परिदृश्य जहाँ अभी भी 'नाज़ुक अनुकूलन' की स्थिति से गुजर रहा था, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म एवं विविध आयामों पर हमारे केंद्रित निष्पादन ने हमें अनुशासित, सतत एवं विस्तार योग्य विकास प्राप्त करने में सक्षम बनाया।

– 2026-27 के लिए प्रबंधन विजन

संचालन परिवेश के प्रमुख संकेतक

भारत की जीडीपी वृद्धि दर

7.6%

(राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अनंतिम अनुमान)

बैंकिंग प्रणाली में ऋण वृद्धि

14.5%

(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, दिसंबर 2025 तक)

वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूंजीगत निवेश

200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक

संवृद्धि का प्रमुख प्रेरक

स्वर्ण का उच्चतम मूल्य

3,500 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस

(सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में बढ़ती मांग का संके)

वैश्विक परिदृश्य : अनिश्चितताओं के बीच प्रत्यास्थता की परीक्षा

इस अवधि के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था ने "परीक्षित प्रत्यास्थता" के दौर का सामना किया। गंभीर भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, वैश्विक स्तर पर व्यापारिक तनावों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच विश्व अर्थव्यवस्था ने स्वयं को निरंतर अनुकूलित करने का प्रयास किया।

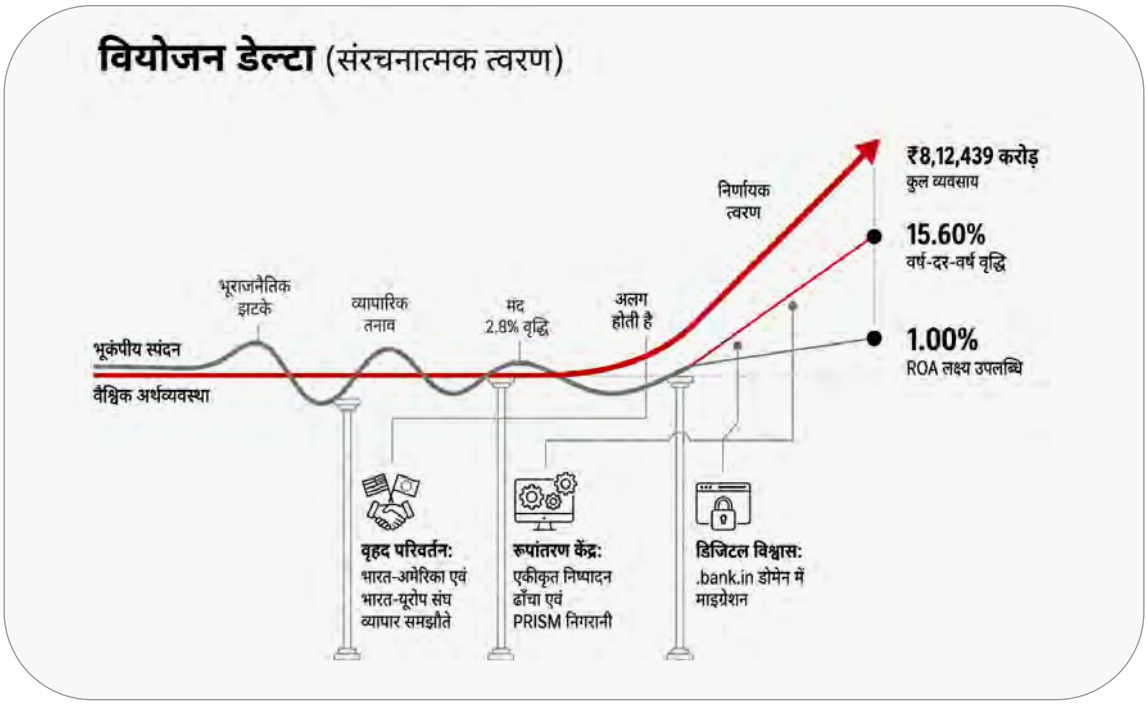

- **व्यापक आर्थिक आधार:** वैश्विक आर्थिक वृद्धि लगभग 2.8% के अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर रही, फिर भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वर्ष 2025 के दौरान 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अभूतपूर्व निवेश के कारण वैश्विक वित्तीय प्रणाली किसी व्यापक संकट से सुरक्षित रही। इन निवेशों ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक आधार के रूप में कार्य करते हुए व्यापार संबंधी प्रतिकूल प्रभावों को काफी हद तक संतुलित किया।.
- **भू-राजनीतिक अस्थिरता:** भू-राजनीतिक जोखिम वित्तीय स्थिरता के लिए प्रमुख खतरे के रूप में उभरे। मध्य-पूर्व में संघर्ष के पुन: तीव्र होने तथा हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से होने वाले समुद्री परिवहन में व्यवधान के कारण ऊर्जा एवं उर्वरकों की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई।
- **व्यापारिक व्यवधान:** वर्ष के दौरान व्यापक स्तर पर लागू किए गए प्रशुल्क वर्ष 1930 के दशक के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गए। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की औसत प्रभावी आयात शुल्क दर लगभग 17% तक बढ़ गई, जिससे वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ा तथा प्रतिशोधात्मक शुल्कों का नया चक्र प्रारंभ हुआ।
- **सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुझान:** वैश्विक अनिश्चितताओं एवं जोखिमों में वृद्धि के कारण निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2026 के प्रारंभ में स्वर्ण की कीमत बढ़कर 3,500 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, जो सुरक्षित निवेश परिसंपत्तियों की अभूतपूर्व मांग का स्पष्ट संकेत है।

भारत : संरचनात्मक मजबूती के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था

वैश्विक संघर्षों, भू-राजनीतिक तनावों एवं आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक सुदृढ़ प्रदर्शन जारी रखा। लगभग 7.6% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा।

1

घरेलू मांग: आर्थिक विकास का सुदृढ़ आधार:

भारत की आर्थिक मजबूती का प्रमुख आधार सुदृढ़ घरेलू उपभोग तथा ग्रामीण मांग में निरंतर सुदृढ़ीकरण रहा। समीक्षा अवधि के अधिकांश समय में ग्रामीण उपभोग ने शहरी उपभोग की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को स्थायित्व एवं गत प्राप्त हुई।

2

परिवर्तनकारी व्यापार समझौते:

वर्ष 2026 के प्रारंभ में भारत–अमेरिका व्यापार समझौते तथा भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप से संपन्न होने ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय गति प्रदान की। इन ऐतिहासिक समझौतों ने भारतीय रुपये में 'V' आकार की तीव्र पुनर्बहाली को प्रोत्साहित किया तथा श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए वैश्विक निर्यात बाज़ारों के व्यापक अवसर उपलब्ध कराए।

3

राजकोषीय सुदृढ़ता:

भारत के सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त हुई। परिणामस्वरूप, आर एंड आई, जापान (R&I Japan) द्वारा देश की क्रेडिट रेटिंग BBB+ (स्थिर) तथा एस एंड पी ग्लोबल द्वारा BBB (स्थिर) तक उन्नत की गई।

बैंकिंग क्षेत्र की प्रवृत्तियाँ : जमा संसाधनों की प्रतिस्पर्धा एवं डिजिटल विस्तार की दौड़

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने इस अवधि में रिकॉर्ड स्तर की लाभप्रदता के साथ प्रवेश किया, किंतु साथ ही इसकी देयता संरचना में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन भी देखने को मिला।

1

ऋण संवितरण में तीव्र गति:

भारतीय बैंकिंग उद्योग ने तुलन-पत्र सुदृढ़ीकरण के चरण से आगे बढ़ते हुए संतुलित एवं विवेकपूर्ण ऋण विस्तार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। परिणामस्वरूप, दिसंबर 2025 तक संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में ऋण वृद्धि बढ़कर 14.5% तक पहुँच गई। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टरों, खुदरा ऋण तथा स्वर्ण ऋण क्षेत्रों में ऋण की मांग अत्यंत सशक्त रही।

2

जमा संसाधनों की प्रतिस्पर्धा:

बैंकिंग क्षेत्र में जमा संसाधनों को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा अत्यधिक तीव्र हो गई, क्योंकि घरेलू बचत का एक बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत उच्च प्रतिफल सावधि जमाओं तथा बाज़ार-संबद्ध निवेश साधनों की ओर स्थानांतरित होने लगा। इसके परिणामस्वरूप जमा ब्याज दरों पर बढ़ोतरी का दबाव बना तथा बैंकों के लिए छोटे-छोटे एवं विविध स्रोतों से जमा संसाधनों के प्रभावी संकलन पर रणनीतिक रूप से विशेष ध्यान देना आवश्यक हो गया।

3

डिजिटल विश्वास बैंकिंग की अनिवार्य आवश्यकता:

साइबर सुरक्षा अब केवल एक सहायक कार्य न रहकर जोखिम प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम बन गई है। बैंकिंग उद्योग में .bank.in डोमेन को अपनाना संस्थागत विश्वसनीयता, ग्राहक विश्वास तथा विनियामकीय अनुपालन का एक महत्वपूर्ण मानदंड बनकर उभरा।.

गतिसंवर्धन हेतु हमारी रणनीतिक स्थिति: SWOT विश्लेषण

1. शक्तियाँ: संस्थागत सुदृढ़ता की आधारशिला

हमारे गतिसंवर्धन का आधार संस्थागत विश्वसनीयता, ग्राहकों का अटूट विश्वास तथा भौतिक एवं डिजिटल बैंकिंग नेटवर्क के अद्वितीय समन्वय पर आधारित है।

- **115 वर्षों की स्वदेशी विरासत:** हमारी समृद्ध विरासत ग्राहकों के विश्वास की आधारशिला है, जिसके बल पर 8.26 करोड़ सक्रिय ग्राहकों का हमारा आधार स्थापित है।
- **समावेशी पहुँच में अग्रणी:** हमारी 4,585 शाखाओं में से 65.19% शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारे पास एक विशिष्ट एवं 'स्थायी' व्यापक बाज़ार उपलब्ध है, जो 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- **उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि:** "व्यावसायिक गतिसंवर्धन वर्ष" में कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹21.31 करोड़ से बढ़कर ₹23.89 करोड़ हो गया।
- **देयताओं में अग्रणी:** 47.30% के CASA अनुपात के साथ, हमारे पास बैंकिंग उद्योग के सर्वश्रेष्ठ CASA आधारों में से एक है, जो हमारे ऋण व्यवसाय के लिए कम लागत वाला संसाधन उपलब्ध कराता है।

2. कमजोरियाँ: परिचालन उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर परिष्करण

हम अपनी आंतरिक चुनौतियों को "अनुकूलन की दिशा" के रूप में देखते हैं तथा संस्थागत कार्यप्रणाली को अधिक दक्ष बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।

- **लागत-आय अनुपात:** यद्यपि वर्तमान में हमारा लागत-आय अनुपात 58.61% है, तथापि इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 56% से नीचे लाने के लिए हमने प्रक्रियाओं के पुनर्रचना तथा डिजिटल रूपांतरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।
- **ऋण-जमा अनुपात की दक्षता:** दिसंबर 2025 तक हमारा ऋण-जमा अनुपात 72.00% है। इसे उद्योग के 75%–80% के मानक स्तर के अनुरूप लाने के लिए हम लक्षित सूक्ष्म ऋण वितरण की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

3. अवसर : लक्षित विकास के प्रेरक

हमारी रणनीतिक से ठोस परिणामों की दिशा में हुई प्रगति हमारे द्वारा चिन्हित विकास क्षेत्रों में सर्वाधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

- **मिशन प्रगति एवं क्लस्टर वित्तपोषण:** हमने सामान्य ऋण वितरण से आगे बढ़ते हुए 225 एमएसएमई क्लस्टरों तथा 274 कृषि क्लस्टरों का मानचित्रण किया है, जिससे सिरेमिक एवं वस्त्र जैसे विशिष्ट उद्योगों के लिए अनुकूलित वित्तीय पारितंत्र का सृजन हुआ है।
- **डिजिटल प्रगति:** हमारे डिजिटल ऋण मंच पर वर्तमान में 37 सक्रिय यात्राएँ उपलब्ध हैं, जो सेन्ट गृह लक्ष्मी तथा सौर पम्प वित्तपोषण जैसे उत्पादों के लिए लगभग तत्काल ऋण स्वीकृति प्रदान करती हैं।
- **आय का विविधीकरण:** जनरली सेन्ट्रल लाइफ इंश्योरेंस तथा जनरली सेन्ट्रल नॉन-लाइफ इंश्योरेंस में नई भागीदारी एवं हिस्सेदारी अधिग्रहण से हमारे व्यापक बैंकएश्योरेंस माध्यमों के द्वारा उच्च-मार्जिन शुल्क-आधारित आय के नए स्रोत उपलब्ध हुए हैं।

4. जोखिम : बाह्य सतर्कता

हम "अनुशासन के साथ गतिसंवर्धन" की संस्कृति तथा उन्नत जोखिम प्रबंधन संरचना के माध्यम से बाह्य जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करते हैं।.

- **जमा संसाधनों की प्रतिस्पर्धा:** जैसे-जैसे घरेलू बचत बाज़ार-संबद्ध निवेश साधनों (म्यूचुअल फंड में 21.90% की वृद्धि) की ओर स्थानांतरित हो रही है, हम अपने ".bank.in" डिजिटल विश्वास तथा ब्रांड विरासत का लाभ उठाकर अपने जमा संसाधन आधार को सुदृढ़ बनाए हुए हैं।
- **भू-राजनीतिक जोखिम एवं शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव:** वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों तथा ब्याज दरों में अस्थिरता से ऊर्जा कीमतों एवं व्यापार वित्तपोषण पर जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। इन जोखिमों का प्रबंधन हम सुदृढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तथा क्षेत्रवार जोखिमों की सक्रिय निगरानी के माध्यम से कर रहे हैं।

1. शक्तियाँ
फ्रैंचाइज़ मजबूती

संस्थागत विश्वास और व्यापक पहुँच पर आधारित वृद्धि

115 वर्षों की स्वदेशी विरासत
- ग्राहक विश्वास की मज़बूत नींव
- सक्रिय ग्राहक आधार: 8.26 करोड़

प्रमुख समावेशी पहुँच
- 65.11% आरयुएसयु शाखाएँ (ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी)
- अनूठा "कैप्टिव" ग्रैन्युलर बाज़ार
- विकसित भारत के साथ संरेखित

उत्पादकता में तेज वृद्धि
- "बिज़नेस एक्सेलेरेशन का वर्ष" प्रति कर्मचारी व्यवसाय: ₹23.89 करोड़ (₹21.31 करोड़ से वृद्धि)

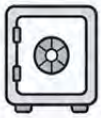

मज़बूत देयता आधार
- उद्योग में सर्वोत्तम CASA आधार: 47.30%
- ऋण इंजनों के लिए कम लागत वाली धनराशि (फंडिंग)

2. कमज़ोरियाँ
संचालन परिष्कार (रिफाइनमेंट)

'प्रौद्योगिकी के माध्यम से अनुकूलन की दिशाएँ'

लागत-से-आय अनुपात (CIR) की दिशा
- वर्तमान स्तर: 58.61%
- ध्यान: प्रक्रिया पुनरचना और डिजिटल माइग्रेशन
- लक्ष्य: वित्त वर्ष 2027 तक <56%

CD अनुपात (क्रेडिट-डिपॉज़िट) क्षमता में सुधार
- वर्तमान: 73.80% (मार्च 2026)
- कार्रवाई: 75%–80% उद्योग मानक का लक्ष्य
- लक्षित: ग्रैन्युलर क्रेडिट तैनाती

3. अवसर
लक्षित विकास इंजन

फ्रेमवर्क से परिणामों की ओर परिवर्तन

परिवर्तन फ्रेमवर्क और क्लस्टर वित्तपोषण
- 225 MSME क्लस्टर और 274 कृषि क्लस्टर की मैपिंग
- अनुरूपित इकोसिस्टम (जैसे, सिरेमिक, टेक्सटाइल्स)

डिजिटल गति (DLP)
- डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (DLP)
- 37 लाइव डिजिटल जर्नी
- त्वरित अनुमोदन: सेंट ग्रीह लक्ष्मी, सोलर पंप

राजस्व विविधीकरण
- नई साझेदारियाँ और राज्य अधिग्रहण
- सामान्य केंद्रीय जीवन एवं नॉन-लाइफ बीमा
- उच्च-मार्जिन शुल्क-आधारित आय धाराएँ
- बैंकाश्योरेंस चैनल्स के माध्यम से आय

4. खतरे
बाह्य सतर्कता

उन्नत जोखिम संरचना के माध्यम से बाह्य जोखिमों का प्रबंधन

जमा (डिपॉज़िट) के लिए युद्ध
- घरेलू बचत का बाज़ार-लिंक्ड साधनों की ओर स्थानांतरण
- म्यूचुअल फंड वृद्धि: 21.90%
- लाभ: डिजिटल विश्वास और ब्रांड विरासत

भूराजनैतिक और NIM दबाव
- वैश्विक तनाव, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव
- जोखिम: कर्जा कीमतें, व्यापार वित
- प्रबंधन: उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS)
- क्षेत्रीय जोखिमों की सक्रिय निगरानी

हमारी व्यावसायिक प्राथमिकताएँ:

प्रतिबद्धता से प्रगति की ओर

वित्त-वर्ष 2025-26 में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रणनीतिक रूपरेखाओं के निर्माण से आगे बढ़ते हुए तीव्र गति निष्पादन के चरण में प्रवेश किया। हमारी व्यावसायिक प्राथमिकताएं अब केवल महत्वाकांक्षी लक्ष्य नहीं रह गई हैं, बल्कि वे ₹13 लाख करोड़ के संस्थान बनने के हमारी यात्रा को गति प्रदान करने वाली एक सक्रिय प्रेरक शक्ति बन चुकी हैं। "गति संवर्धन, विस्तारण, रुपांतरण एवं सुदृढ़ीकरण'' रोडमैप के मार्गदर्शन में हमने अपनी संस्थागत सुदृढ़ता को रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन में सफलतापूर्वक रुपांतरित किया है।

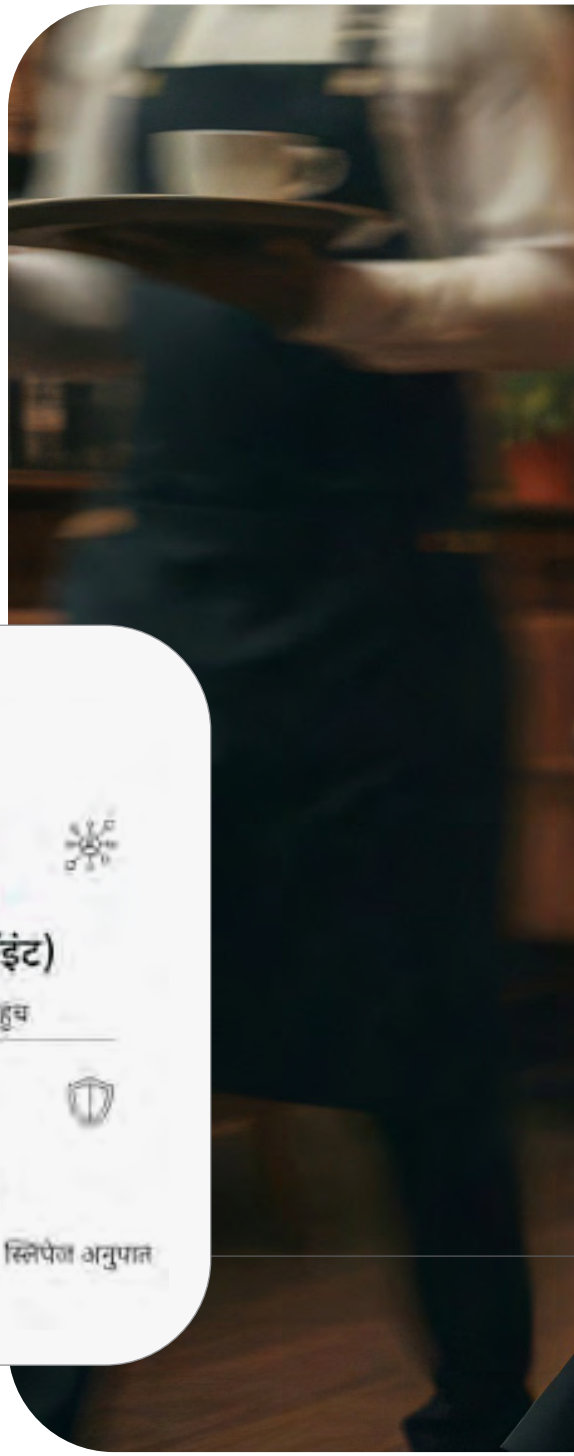

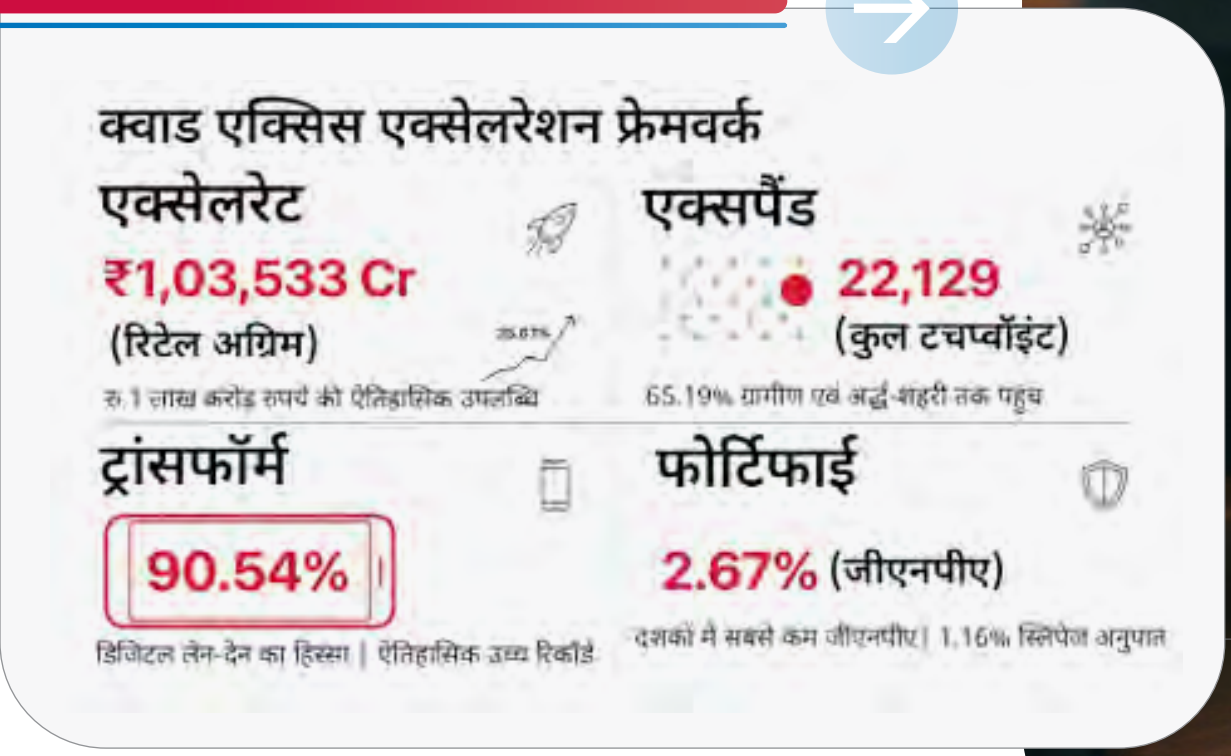

आगे की राह: व्यवसाय उत्कृष्टता की ओर (वित्त वर्ष 2027)

जैसा कि हम "व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष'' के समापन की ओर अग्रसर हैं, हमारी प्राथमिकताओं का पुनर्संतुलन पहले ही प्रारंभ हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-27, जिसे "व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष'' के रूप में नामित किया गया है, में हमारा ध्यान व्यावसाय के मात्रात्मक विस्तार से हटकर परिचालन दक्षता के परिष्करण पर केन्द्रित होगा, हमारा लक्ष्य लागत-आय अनुपात को 56%से कम करना तथा ऋण-जमा अनुपात में और अधिक सुधार सुनिश्चित करना है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, सदैव की भाँति, "हर भारतीय के लिए पूर्ण रूप से केन्द्रित" बना रहेगा।

गति संवर्धन, गति और दिशा का समन्वय है। वित्त वर्ष 2026 में हमने केवल तेज़ी से आगे बढ़ना ही नहीं, बल्कि अपने 8.26 करोड़ ग्राहकों से किए गए हर वादे को पूरा करने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना सुनिश्चित किया।

– प्रबंधनतंत्र का वित्त वर्ष 2026 के लिए विज़न

A

प्राथमिकता 1: गति संवर्धन | सूक्ष्म स्तर पर विकास

हमने विविधीकृत, कम जोखिम वाली और उच्च प्रतिफल प्रदान करने वाली बैलेंस शीट सुनिश्चित करने के लिए रैम *(रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई)* क्षेत्र को अपने प्रमुख विकास इंजन के रूप में प्राथमिकता दी है।

- **रिटेल की उल्लेखनीय उपलब्धि**: भारतीय परिवारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए, हमारा रिटेल पोर्टफोलियो 25.67% की वृद्धि के साथ ऐतिहासिक ₹1,00,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर ₹1,03,533 करोड़ पर पहुंच गया.
- **एमएसएमई औद्योगिक इंजन**: क्लस्टर-आधारित वित्तपोषण पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप 17.06% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके अंतर्गत 225 संभावित शाखाओं की पहचान विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरों (जैसे सिरेमिक, वस्त्र आदि) से की गई तथा वर्ष 2030 तक ₹16,983 करोड़ के क्लस्टर ऋण स्वीकृति का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- **कृषि क्षेत्र की सुदृढ़ प्रगति**: कृषि व्यवसाय में 17.60% की वृद्धि के साथ यह ₹61,687 करोड़ तक पहुँच गया। इस वृद्धि को सशक्त बनाने हेतु 274 शाखाओं को 9 विशिष्ट कृषि-क्लस्टर गतिविधियों से जोड़ा गया, जिससे "विकसित भारत" के राष्ट्रीय संकल्प को गति मिली।
- **कासा का विस्तार**: "अगाज़" एवं "प्रारंभ" अभियानों के माध्यम से बचत जमा में ₹2,00,000 करोड़ का ऐतिहासिक आँकड़ा पार किया गया, जिससे आमजन के पसंदीदा बैंक के रूप में हमारी स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई।

E

प्राथमिकता 2: विस्तारण | हाइब्रिड पहुँच का विस्तार

हमारी प्राथमिकता सुदृढ़ भौतिक उपस्थिति बनाए रखते हुए, एजेंट-आधारित एवं साझेदार-आधारित इकोसिस्टम का विस्तार करना है, जिससे अंतिम छोर तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

- **हाइब्रिड वितरण**: अब हमारे पास 22,129 कुल संपर्क बिंदु हैं, जिनमें से 65.19% हमारी 4,585 शाखाओं में ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।
- **एजेंट-आधारित विस्तार**: हमारे 13,685 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (बीसी) बैंक की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करते हैं, जबकि 40 बीसी मेक्स केन्द्र बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में विशेषीकृत डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं।
- **को-लेंडिंग इकोसिस्टम**: हमने अपने को-लेंडिंग मॉडल को प्रारंभिक चरण से व्यापक विस्तार के स्तर तक पहुँचाया है। वर्तमान में हमारा सहयोग 36 एनबीएससी/एचएफसी साझेदारों तक विस्तारित हो चुका है तथा टियर-2 से टियर-4 के अल्पसेवित बाजारों में ₹7,296.02 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

T

प्राथमिकता 3: रुपांतरण | डिजिटल क्षितिज की ओर अग्रसर

वित्तीय वर्ष 2026 में हमारा रुपांतरण "निर्माण" से आगे बढ़कर "अनुकूलन" के चरण में पहुँचा, जिसका प्रमुख आधार सेन्ट नियो इकोसिस्टम एवं आंतरिक रूपान्तरण कार्यक्षेत्र रहा।

- **सेन्ट नियो डिजिटल बैंक**: हम अगली पीढ़ी के ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक भविष्य-उन्मुख, बुद्धिमत्ता-संचालित डिजिटल बैंक का निर्माण कर रहे हैं।
- **डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी)**: हमारा डिजिटल लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म (डीएलपी) वर्तमान में 37 सक्रिय डिजिटल ऋण-माध्यमों का समर्थन कर रहा है तथा लगभग शून्य मानवीय हस्तक्षेप के साथ ₹1,625 करोड़ मूल्य के 6,182 एमएसएमई ऋण स्वीकृत कर चुका है।
- **डिजिटल विश्वसनीयता का आधार**: साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हमने अपने संपूर्ण एंटरप्राइज ई-मेल, इंटरनेट बैंकिंग तथा कार्पोरेट वेबसाइट का ".bank.in" डोमेन पर स्थानांतरण किया है।
- **हाइपर-पर्सनलाइजेशन**: कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग और अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग से हमने अपने फील्ड स्टाफ को एमएसएमई पात्रता कैलकुलेटर जैसे डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए हैं, जिनकी सहायता से ग्राहकों का त्वरित ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित किया जा सके।

F

प्राथमिकता 4: सुदृढ़ीकरण | आस्ति गुणवत्ता एवं सतत सुशासन

व्यवसाय में गति संवर्धन उत्कृष्ट पोर्टफोलियो अनुशासन एवं पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता का होना आवश्यक है।

- **संस्थागत अनुशासन**: हमने परिसंपत्ति गुणवत्ता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। हमारा सकल गैर-निष्पादित आस्ति अनुपात 3.18% से घटकर 2.67% हो गया है तथा शुद्ध गैर-निष्पादित आस्ति अनुपात 0.49% के स्वस्थ स्तर पर रहा है।
- **स्वचालित अनुपालन**: सक्षम पोर्टल ने सभी शाखाओं में अनुपालन निगरानी को स्वचालित बनाया है, जिससे समग्र स्लिपेज अनुपात को रिकॉर्ड स्तर 1.16% तक नियंत्रित रखने में सहायता मिली है।
- **ईएसजी एकीकरण**: हमने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति लागू की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2028 तक नेट ज़ीरो स्कोप 1 उत्सर्जन प्राप्त करना है। हरित पहलों के अंतर्गत ₹16,500 करोड़ के ग्रीन पंप वित्तपोषण तथा कागजरहित प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया गया है।
- **नारी शक्ति**: हमने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करते हुए 115 "पिंक शाखाएं'' स्थापित की हैं, जिनका संचालन पूर्णत: महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

हितधारक जुड़ाव:

वचनबद्धता

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, हितधारकों के साथ जुड़ाव हमारी संस्थागत गति का प्राथमिक उत्प्रेरक है। "व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" में, हम वित्तीय वर्ष 2025 के सुव्यवस्थित संवाद तंत्र से आगे बढ़कर प्रभावी निष्पादन एवं अपेक्षाओं की सफल पूर्ति के चरण में पहुंच गए हैं। अपने हितधारकों की निरंतर विकसित होती आकांक्षाओं के साथ अपनी विकास रणनीति का तालमेल बिठाकर हमने आपसी संवाद को ₹8,12,439 करोड़ के कुल व्यावसाय की ऐतिहासिक उपलब्धि में परिवर्तित कर दिया है।

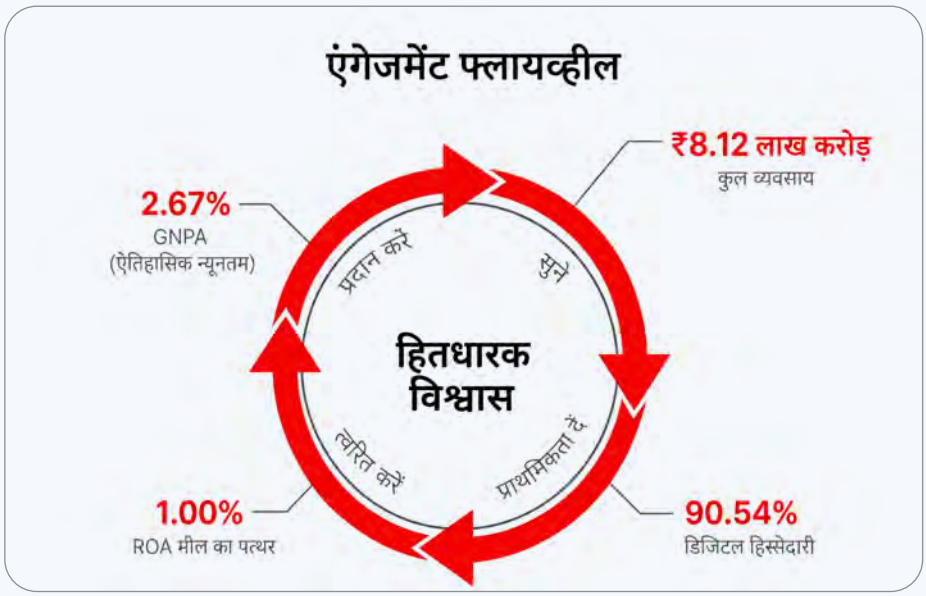

> विश्वास से ही प्रगति संभव है। वित्तीय वर्ष 2026 में हमने न केवल अपने हितधारकों की बात सुनी; बल्कि हमने उन्हें वह डिजिटल गति, वित्तीय सुदृढ़ता और समावेशी पहुंच भी प्रदान की जिसका हमने उनसे वादा किया था।
>
> – वित्त वर्ष 2026 के लिए प्रबंधन का दृष्टिकोण

हमारी सहभागिता की रूपरेखा

हमारा दृष्टिकोण सीबीआई – केयर मूल्यों पर आधारित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक सम्पर्क चाहे डिजिटल हो या भौतिक – एक ऐसे बैंक के रूप में हमारी भूमिका को सुदृढ़ करे जो "वास्तव में प्रत्येक भारतीय के लिये केन्द्रित" है। हम इन संबंधों को उनके महत्व, प्रभाव और ₹13 लाख करोड़ के संस्थान बनने की हमारी यात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता देते हैं।

कर्मचारी सहभागिता एवं संकल्पों की सिद्धि

हितधारक समूह	जुड़ाव के माध्यम	संकल्प (वित्तीय वर्ष 2025 जनादेश)	गति संवर्द्धन का परिणाम (वित्तीय वर्ष 2025 परिणाम)
ग्राहक	सेंट नियो, सोशल मीडिया, शाखाओं का दौरा, आईसीसी प्लेटफॉर्म।	निर्बाध, उपकरण-निरपेक्ष, एवं त्वरित बैंकिंग।	90.54% डिजिटल हिस्सेदारी; खुदरा पोर्टफोलियो ने ₹1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया ।
कर्मचारी	इंट्रानेट (i3 पोर्टल), प्रिज़्म, स्टाफ कॉन्फ्रेंस।	व्यावसायिक विकास और डिजिटल कौशल उन्नयन ।	₹23.89 करोड़ प्रति कर्मचारी व्यवसाय; 1,000 क्रेडिट अधिकारियों के लिये विशेष प्रशिक्षण।
निवेशक	एनालिस्ट कॉल्स, एजीएम, आईआर वेबसाइट।	बेहतर लाभप्रदता और परिचालन दक्षता।	वर्ष के दौरान 1.00% आस्तियों पर प्रतिफल का लक्ष्य प्राप्त किया; शुद्ध लाभ 15.43% बढ़ा।
नियामक	बैठकें, सक्षम अनुपालन पोर्टल।	बढ़ी हुई पारदर्शिता और डेटा विश्वसनीयता	सभी शाखाओं में सक्षम की शुरुआत हुई; सकल एनपीए बढ़कर 2.67% हो गया।
समुदाय	सीएसआर पहल, "पिंक शाखाएं"।	क्षेत्रीय समावेशिता और राष्ट्र निर्माण ।	22,129 संपर्क बिंदुओं तक पहुंच; पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित 115 "पिंक शाखाएं"।

शिकायत निवारण में परिचालन गतिशीलता

वित्तीय वर्ष 2026 में, एकीकृत ग्राहक सेवा (आईसीसी) प्लेटफॉर्म एक परिचालन ढांचे से बदलकर एक तीव्र गतिशीलता वाले समाधान इंजन के रूप में परिवर्तित हो गया।

प्रौद्योगिकी एकीकरण:

सेंटीमेंट एनालिटिक्स और वीडियो बैंकिंग का लाभ उठाकर हमने जटिल प्रश्नों के प्रतिक्रिया समय (टीएटी) को कम किया है।

डिजिटल विश्वास:

.bank.in डोमेन में सफलतापूर्वक स्थानांतरण से हमारे डिजिटल टचपॉइंट्स की सुरक्षा और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सक्षम कार्यान्वयन:

स्वचालित अनुपालन निगरानी ने यह सुनिश्चित किया कि शिकायत निवारण के आगे बढ़ने के मार्गों का कड़ाई से पालन किया जाए, जिससे उत्तरदायित्व की एक संस्थागत संस्कृति को बढ़ावा मिला।

प्रासंगिकता एवं हितधारक मूल्य:

संवर्धन पर हमारा दृष्टिकोण

"व्यवसाय उत्कर्ष के वर्ष" के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हितधारकों की अपेक्षाओं की पहचान तक स्वयं को सीमित न रखते हुए, व्यापक एवं प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक साकार किया। मूल्य सृजन के प्रति हमारा दृष्टिकोण द्वैध भौतिकता के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारी विकास गति वित्तीय सुदृढ़ता के साथ-साथ संस्थागत उत्तरदायित्व के अनुरूप भी रहे।

> स्पष्ट दिशा के बिना विकास की गति केवल गति है, सार्थक प्रगति नहीं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भौतिकता का पुनर्मूल्यांकन कर हमने सुनिश्चित किया है कि रीटेल, कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र में हमारी तीव्र संवृद्धि हमारे 8.26 करोड़ ग्राहकों की मूलभूत अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहे।
>
> - वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रबंधन की परिकल्पना

द्वैध भौतिकता की रूपरेखा

बैंक अपने परिचालन परिवेश का आकलन दो पृथक, किन्तु परस्पर पूरक दृष्टिकोणों से करता है।

1. प्रभाव भौतिकता (इन्साइड-आउट): डिजिटल बैंकिंग तथा क्लस्टर-आधारित ऋण वितरण में बैंक की तीव्र संवृद्धि का अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन।
2. वित्तीय भौतिकता(आउटसाइड-इन): यह आकलन कि भू-राजनीतिक घटनाक्रम, व्यापारिक तनाव तथा "जमा जुटाने की प्रतिस्पर्धा" जैसे बाह्य कारक बैंक के वित्तीय मूल्य और ₹13 लाख करोड़ के संस्थान बनने की उसकी यात्रा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

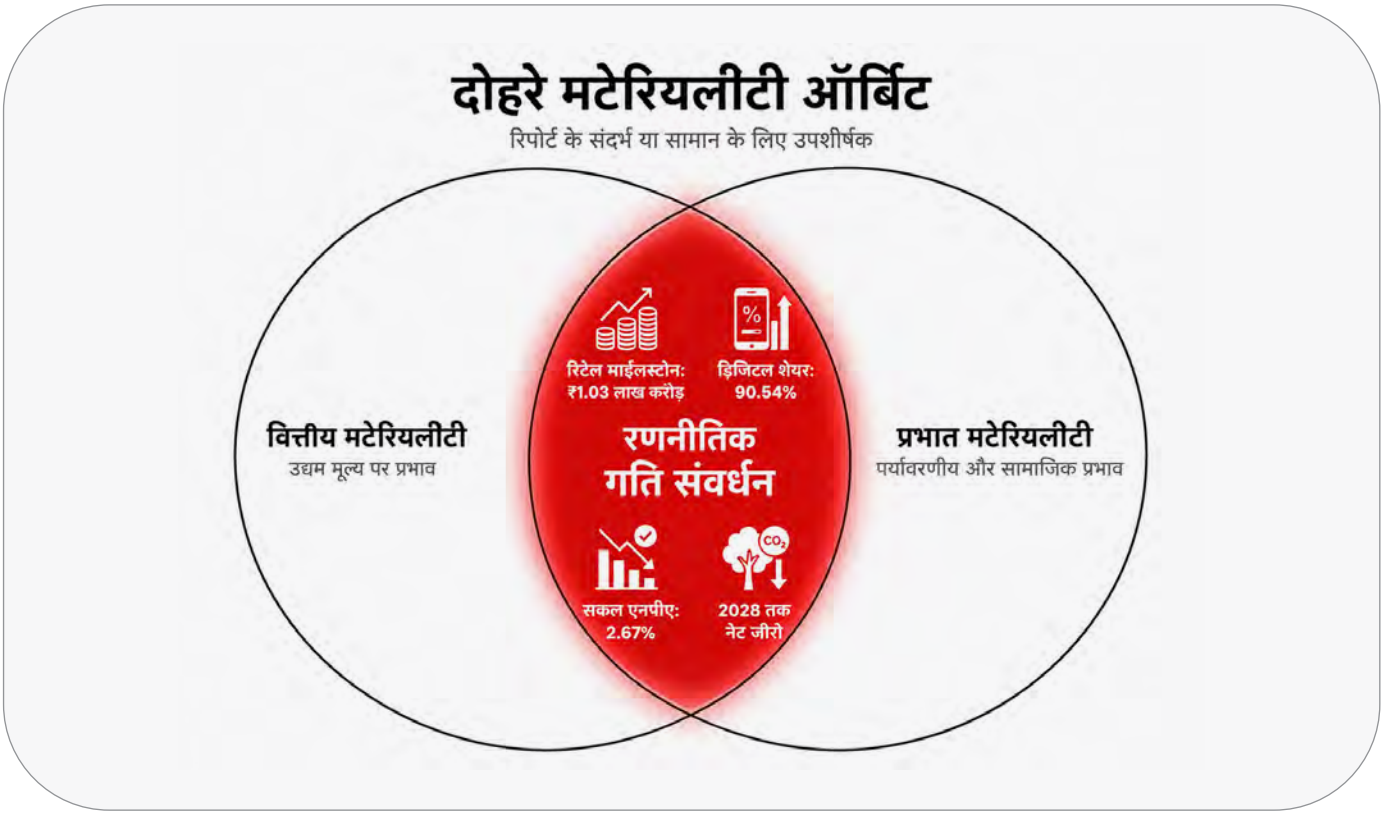

कार्यप्रणाली : हितधारकों से संवाद की प्रक्रिया

इस चक्र के लिए भौतिकता आकलन एक सुव्यवस्थित एवं संरचित प्रक्रिया थी, जिसका उद्देश्य बैंक को आधारभूत स्थिरता से उच्च-स्तरीय प्रभावी क्रियान्वयन की ओर अग्रसर करना था।

- **सतत सहभागिता**: हितधारकों के साथ संवाद को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया, जिसमें कर्मचारियों के साथ नियमित संवाद तथा नियामकों के साथ निरंतर परामर्श शामिल रहे।
- **बहु-चैनल मॉडल**: ग्राहकों एवं कर्मचारियों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने हेतु बैंक ने डिजिटल माध्यमों, प्रत्यक्ष संपर्क तथा संरचित परामर्श को सम्मिलित करते हुए समग्र कार्यप्रणाली अपनाई।
- **मिश्रित पहुँच मॉडल (हाइब्रिड आउटरीच)**: ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक को सोशल मीडिया निगरानी, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षणों तथा शाखा स्तर पर संवाद के माध्यम से संकलित किया गया। कर्मचारियों के साथ बैंक के इंट्रानेट तथा समर्पित सम्मेलनों के माध्यम से सहभागिता सुनिश्चित की गई, ताकि उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों को बैंक के "व्यावसायिक उत्कर्ष" मिशन के साथ समन्वित किया जा सके।
- **समेकन एवं प्राथमिकता निर्धारण**: प्रमुख हितधारकों जिनमें निवेशक तथा वंचित वर्ग भी शामिल हैं, का मूल्यांकन बैंक के रणनीतिक निर्णयों पर उनके महत्व तथा उनके प्रभाव की तीव्रता के आधार पर किया गया।

डबल मैटेरियलिटी मैट्रिक्स

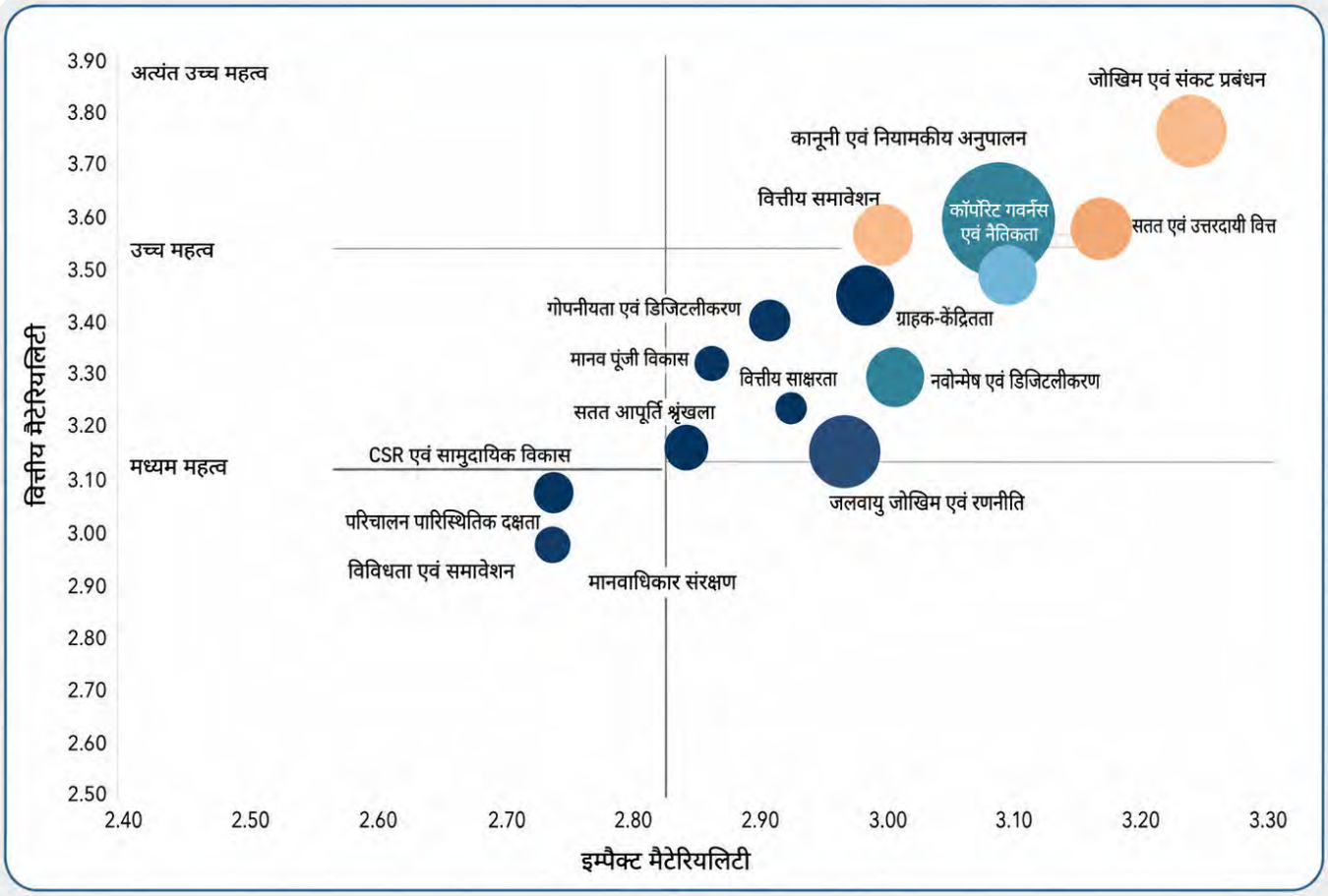

संवृद्धि की रूपरेखा : वित्तीय वर्ष 2025-26 की भौतिकता एवं जीआरआई मैट्रिक्स

निम्नलिखित सारणी इस वार्षिक प्रतिवेदन की रणनीतिक सेतु के रूप में कार्य करती है। इसमें बैंक द्वारा चिन्हित भौतिक विषयों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की रणनीतिक प्राथमिकताओं – संवृद्धि, विस्तार, रूपांतरण तथा सुदृढ़ीकरण के साथ मानचित्रित किया गया है तथा उन्हें जीआरआई मानकों के अनुरूप संरेखित किया गया है।

क्षेत्र	प्रमुख भौतिक विषय	जीआरआई मानकों से संबद्धता	वित्तीय वर्ष 2025-26 की रणनीतिक प्राथमिकता	वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियाँ
पर्यावरण	जलवायु जोखिम एवं रणनीति	302, 305	सुदृढ़ीकरण	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति तथा वर्ष 2028 तक स्कोप-1 उत्सर्जन हेतु नेट-ज़ीरो लक्ष्य निर्धारित।
	परिचालन पारिस्थितिक दक्षता	302, 305	रूपांतरण	16,500 किसानों को सौर पंपों हेतु पेपरलेस वित्तपोषण।

क्षेत्र	प्रमुख भौतिक विषय	जीआरआई मानकों से संबद्धता	वित्तीय वर्ष 2025-26 की रणनीतिक प्राथमिकता	वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियाँ
सामाजिक	वित्तीय समावेशन	203, 413	विस्तार	कुल 22,129 सेवा संपर्क बिंदु; ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में 65.19% उपस्थिति।
	ग्राहक-केंद्रितता	203, 417, 418	संवृद्धि	रीटेल ऋण पोर्टफोलियो ₹1 लाख करोड़ के पार; नवीन ऋण स्वीकृतियों में 48.71% वृद्धि।
	मानव पूंजी विकास	404	सुदृढ़ीकरण	गुणवत्तापूर्ण ऋण विस्तार हेतु 1,000 ऋण अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण।
	विविधता एवं समावेशन	405, 406	विस्तार	महिला कर्मचारियों द्वारा पूर्णत: संचालित 115 'पिंक शाखाओं' की स्थापना।
सुशासन	नवाचार एवं डिजिटलीकरण	203, 418	रूपांतरण	डिजिटल हिस्सेदारी 90.54% तक पहुँची; डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर 37 ग्राहक सेवाएँ सक्रिय।
	जोखिम एवं संकट प्रबंधन	201, 205	सुदृढ़ीकरण	जीएनपीए घटकर 2.67%; सक्षम (SAKSHAM) आधारित स्वचालित अनुपालन निगरानी लागू।
	डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता	418	रूपांतरण	डिजिटल विश्वास एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु .bank.in डोमेन पर सफल माइग्रेशन पूर्ण।

सहभागिता के परिणाम : सुझावों से विकास की ओर

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक की विकास यात्रा को गत वर्ष के भौतिकता आकलन चक्र के दौरान हितधारकों द्वारा व्यक्त अपेक्षाओं एवं चिंताओं के प्रति अपनाए गए सक्रिय दृष्टिकोण और प्रभावी कार्यान्वयन से नई गति मिली।

- **निवेशकों के लिए**: बैंक ने लाभप्रदता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देते हुए वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों पर 1.00% प्रतिलाभ (आरओए) का लक्ष्य हासिल किया तथा शुद्ध लाभ में 15.43% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।
- **ग्राहकों के लिए**: बैंक ने मैनुअल प्रक्रियाओं के स्थान पर सेन्ट निओ को अपनाते हुए तीव्र, निर्बाध एवं सभी डिजिटल उपकरणों पर सुलभ बैंकिंग सेवाओं की ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा किया।
- **कर्मचारियों के लिए**: बैंक ने कर्मचारी कल्याण एवं उत्पादकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹23.89 करोड़ के स्तर तक पहुँचा।

हमारी व्यावसायिक कार्यप्रणाली:

त्वरित विकास की संरचना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मूल्य-सृजन तंत्र अब आधारभूत स्थिरता से विकसित होकर एक उच्च-विकासशील, परिणामोन्मुखी एवं मूल्य-वर्धक पारितंत्र का रूप ले चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 – 'व्यवसायिक गतिसंवर्धन का वर्ष' में हमारा सार्वभौमिक बैंकिंग मॉडल 'उत्कृष्टता प्रदान करने' से आगे बढ़कर मापनीय एवं विस्तारयोग्य विकास के माध्यम से 'अपने वादे को साकार करने' के नए चरण में प्रवेश कर चुका है।

जैसे ही हम 'व्यवसायिक गतिसंवर्धन का वर्ष' समापन कर रहे हैं, हमारा मॉडल वित्त वर्ष 2027, "व्यवसाय उत्कर्ष का वर्ष" के लिए पहले से ही पुनर्गठन कर रहा है। हम प्रत्येक टचपॉइंट को अनुकूलित करने के लिए वॉल्यूम (मात्रा) से भी आगे बढ़ेंगे, जिसका लक्ष्य लागत-आय अनुपात को 56% से नीचे लाना है।

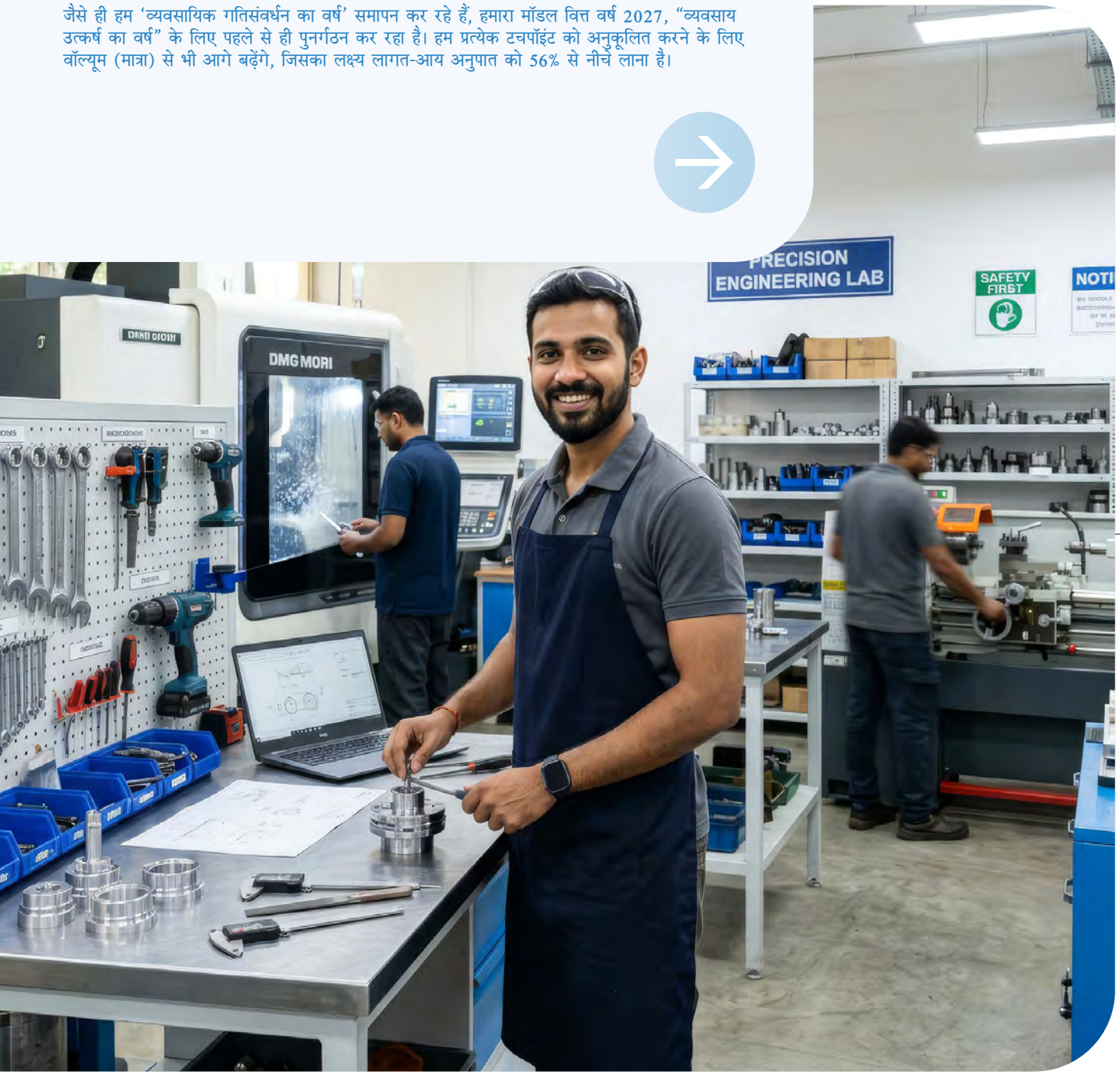

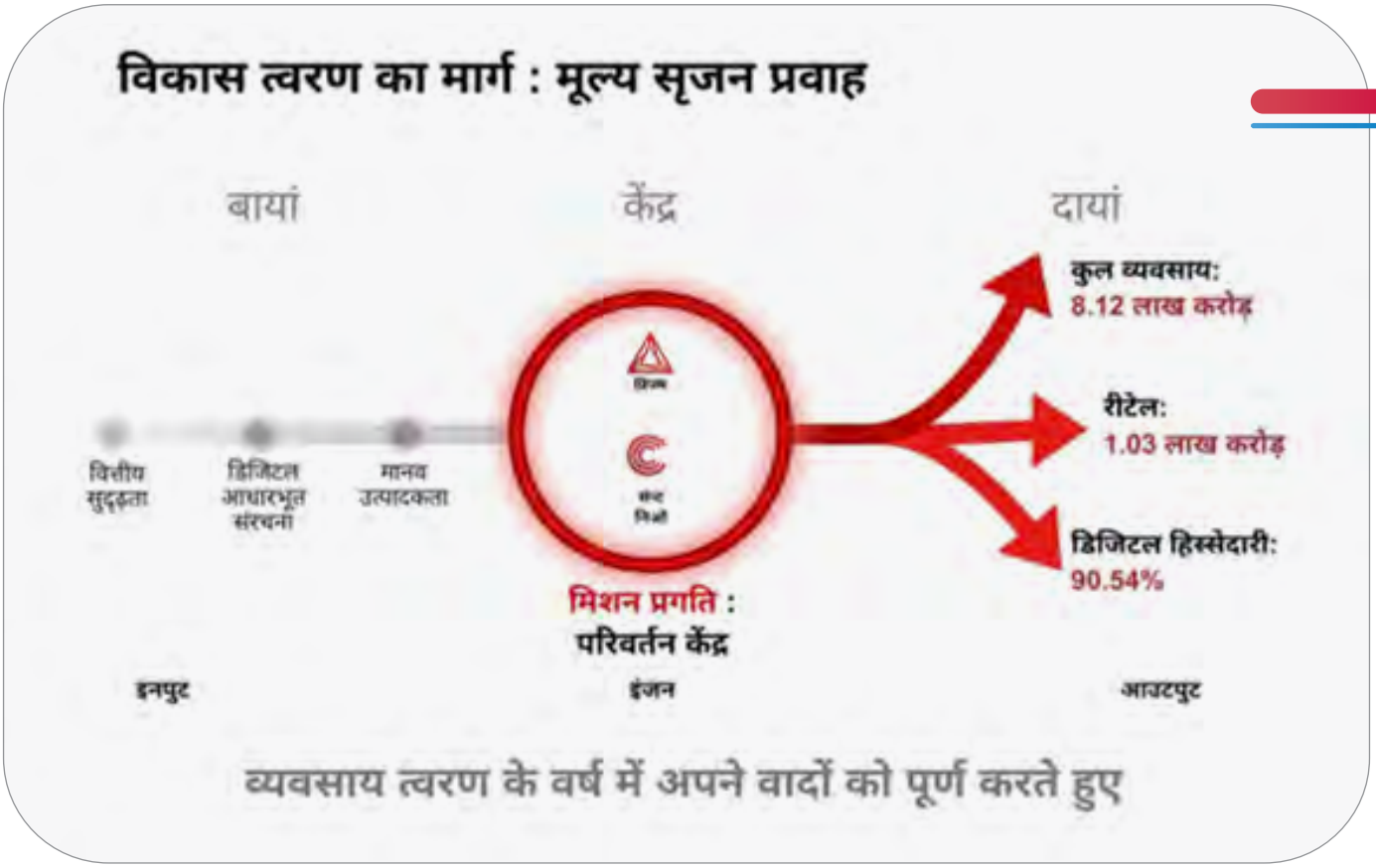

गति संवर्धन, गति और दिशा का समन्वय है। 'मिशन प्रगति' के माध्यम से हमने यह सुनिश्चित किया है कि नियोजित पूंजी की प्रत्येक इकाई हमें ₹13 लाख करोड़ के संस्थान बनने के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर करे।

- वित्तीय वर्ष 2026 हेतु प्रबंधन की परिकल्पना

विस्तार की गति

कुल व्यवसाय
₹8,12,439 करोड़
(लक्ष्य प्राप्त किया)

डिजिटल साझेदारी
90.54%
(ऐतिहासिक उच्चतम स्तर)

जीएनपीए अनुपात
2.67%
(दशकों में न्यूनतम स्तर)

व्यवसाय/कर्मचारी
₹23.89 करोड़
(+12.11% वृद्धि)

त्वरित व्यवसाय मॉडल की रूपरेखा

मुख्य व्यावसायिक घटकों की पहचान और दृश्यांकन के लिए एक रूपरेखा।

कोड	रूपरेखा स्तम्भ	वित्तीय वर्ष 2026 हेतु उत्कृष्टा की दिशा में परिवर्तन
1	मुख्य साझेदार	36 सक्रिय सह-वित्तपोषण भागीदारों एवं प्रमुख एससीएफ़ साझेदारियों (टीपीईएमएल, बीएएलसीओ) के माध्यम से इकोसिस्टम का विस्तार।
2	प्रमुख गतिविधियाँ	मैनुअल शाखा-आधारित ग्राहक अधिग्रहण से व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण और डिजिटल स्व-सेवा यात्राओं की ओर बढ़े।
3	प्रमुख संसाधन	अनुकूलित वित्तीय पूंजी, उच्च गुणवत्ता वाली बौद्धिक पूंजी तथा आंतरिक निष्पादन क्षमताओं क माध्यम से डिजिटल, ऋण एवं परिचालन परिवर्तन के क्षेत्रों मे अनुशासित विस्तार सुनिश्चित किया गया।
4	मूल्य प्रस्ताव	3-इन-1 खाते के माध्यम से "वित्तीय सुपरमार्केट" अनुभव प्रदान करना (आदित्य बिड़ला, एसएमसी ग्लोबल) और एकीकृत डिपॉजिटरी सेवाएं [15 (सीएमसी)।
5	ग्राहक संबंध	स्वचालित सहायता, समर्पित परामर्श समर्थन तथा डिजिटल फर्स्ट सहभागिता क माध्यम से विभिन्न मंचों, प्लेटफॉर्मों एवं शाखा सम्बद्ध संपर्क बिंदुओं पर ग्राहक अनुभव को सुदृढ़ किया गया।
6	चैनल	13,685 बीसी आउटलेट्स एवं .bank.in डिजिटल डोमेन सहित 22,129 सेवा-संपर्क बिंदुओं का हाइब्रिड नेटवर्क।

कोड	रूपरेखा स्तम्भ	वित्तीय वर्ष 2026 हेतु उत्कृष्टा की दिशा में परिवर्तन
7	ग्राहक वर्ग	42.78% की वृद्धि के साथ मध्यम उद्यम क्षेत्र पर विशेष ध्यान एवं 8.26 करोड़ के मजबूत खुदरा ग्राहक आधार का लाभ उठाना।
8	मुख्य इनपुट	अनुकूलित वित्तीय पूंजी (सीआरएआर 17.91%) और मिशन प्रगति के माध्यम से उच्च-गुणवत्ता वाली बौद्धिक पूंजी।
9	राजस्व के स्रोत	सेंट ई-ट्रेड पोर्टल के माध्यम से विदेशी मुद्रा, व्यापार वित्त एवं मर्चेंट एक्वायरिंग सेवाओं के जरिए विविधीकृत राजस्व स्रोतों का सृजन।

मूल्य का आधार : सीबीआई केयर (सीएआरई)

हमारा मॉडल सीबीआई – केयर रूपरेखा पर आधारित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि मूल्य सृजन और व्यवसायिक त्वरण कभी भी संस्थागत अनुशासन से समझौता किए बिना प्राप्त किए जाएँ।

सी

ग्राहक सेवा उत्कृष्टता: सेंट नियो एवं एकीकृत ग्राहक सेवा प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित, सभी उपकरणों पर एकसमान एवं निर्बाध ग्राहक अनुभव।

ए

महत्वाकांक्षी और सतत विकास: खुदरा इंजन को ऋण निर्देशित करना, जो इस वर्ष 25.67% बढ़कर ₹1,00,000 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया।

आर

राष्ट्र निर्माण में भूमिका: 154 जिलों में 274 कृषि और 225 एमएसएमई समूहों का मानचित्रण करने के लिए मिशन प्रगति का लाभ उठाना।

ई

कर्मचारी कल्याण: 1,000 ऋण अधिकारियों का विशेषीकृत प्रशिक्षण एवं निष्पादन-आधारित कार्य संस्कृति द्वारा उत्पादकता में वृद्धि।

परिवर्तन केंद्र: आंतरिक परिवर्तन केंद्र

वित्तीय वर्ष 2026 के हमारे व्यवसाय मॉडल की प्रमुख विशिष्टता **'आंतरिक परिवर्तन केंद्र'** है—यह परिवर्तन का केंद्रबिंदु है, जो हमारी रणनीतिक सोच को व्यापक एवं मापने योग्य परिणामों में परिवर्तित करता है।

प्रिज़्म पोर्टल: 37 सक्रिय डिजिटल प्रक्रियाओं की वास्तविक समय में निगरानी।

1

कोर : अंतर-विभागीय पुनर्गठन और 100% नियामक सरेखण सुनिश्चित करना।

2

प्रणाली संचालित : स्वचालित अनुपालन निगरानी जिसने हमारे स्लिपेज अनुपात को घटाकर 1.16% कर दिया।

3

मूल्य सृजन कैसे करें:

वित्त वर्ष 2026 में मूल्य सृजन एवं प्रभाव

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हमारा मूल्य सृजन मॉडल एक ऐसे इंजन के रूप में कार्य करता है जो आधारभूत सुदृढ़ता को मापनीय एवं सतत प्रभाव में परिवर्तित करता है। **"व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष"** में हमने केवल रूपरेखाएँ स्थापित करने से के स्थान पर हितधारकों के प्रति अपनी **प्रतिबद्धताओं को सक्रिय रूप** से पूर्ण किया। मिशन प्रगति परिवर्तन केंद्र के माध्यम से अपनी छह पूंजी श्रेणियों का समन्वय करते हुए हमने ₹8,12,439 करोड़ के कुल व्यवसाय का ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि हमारी वृद्धि तीव्र होने के साथ-साथ अनुशासित भी रहे।

मूल्य सृजन का इंजन: हमारे कार्यनिष्पादन के केंद्र

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा व्यावसायिक गति संवर्धन दीर्घकालिक मूल्य सृजन में परिवर्तित हो, हमने चार विशिष्ट "निष्पादन प्रेरकों" को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया है, जो हमारे परिचालन मॉडल को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं।

परिवर्तन केंद्र: सभी प्रमुख संगठनात्मक विकास एवं डिजिटलीकरण परियोजनाओं के समन्वय और निगरानी का केन्द्र बिंदु, जो ईज़ 7.0 जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखित है।

प्रिज्म [प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम]: विचार सृजन, निगरानी और रिपोर्टिंग हेतु वास्तविक समय ट्रैकिंग पोर्टल, जो प्रबंधन को पहलों के तीव्र विस्तार हेतु आवश्यक परिचालन दृश्यता प्रदान करता है।

सेन्ट निओ (डिजिटल): एक बुद्धिमत्ता-संचालित डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र, जो अत्यधिक वैयक्तिकृत एवं उपकरण-स्वतंत्र ग्राहक अनुभव प्रदान करता है।

सक्षम/SAKSHAM **(अनुपालन)**: एक स्वचालित पोर्टल, जो 100% नियामकीय अनुपालन और स्लिपेज की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करता है, जिससे बैंक 1.16 का रिकॉर्ड न्यूनतम स्लिपेज अनुपात प्राप्त करने में सक्षम हुआ।

> गति संवर्धन रणनीतिक उद्देश्य और मापनीय निष्पादन का समन्वय है। अपनी पूंजी के प्रवाह को अनुकूलित करके हमने यह सिद्ध किया है कि 115 वर्ष पुरानी संस्था भी आधुनिक डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र की गति से कार्य कर सकती है।

गति संवर्धित मूल्य सृजन मैट्रिक्स: इनपुट से प्रभाव तक

पूंजी का प्रकार	इनपुट: वृद्धि का ईंधन	आउटपुट: गति का परिणाम (वित्त वर्ष 2026)	परिणाम: संकल्प की सि द्धि	संरेखण एवं मानचित्रण (बीएमसी– व्यवसाय मॉडल घटक)
वित्तीय पूंजी *(पृष्ठ 58)*	• पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.91 % • कुल जमा आधार ₹4,67,923 करोड़ • सूक्ष्म कासा पर केंद्रित (कासा अनुपात: 47.30%)	• कुल व्यवसाय ₹8.12 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंच गया • शुद्ध लाभ 15.43% बढ़कर ₹4,369 करोड़ हो गया • वर्ष के दौरान 1.00% आस्ति पर प्रतिफल प्राप्त किया	• 2.67% के बहुवर्षीय निम्न सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के साथ बैलेंस शीट को सुदृढ़ बनाया • राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा बड़ी अवसंरचना वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की क्षमता में वृद्धि	**जीआरआई**: 201 **यूएनएसडीजी**: 8 **बीएमसी**: प्रमुख इनपुट, राजस्व स्रोत **प्राथमिकता**: सुदृढ़ीकरण
निर्मित पूंजी *(पृष्ठ 54)*	• 4,585 शाखाओं का हाइब्रिड नेटवर्क • ग्रामीण, शहरी, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 65.19% की व्यापक उपस्थिति • कुल संपर्क बिंदु 22129 तक पहुँचे	• खुदरा अग्रिम पोर्टफोलियो ₹1,00,000 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंच गया • डिजिटल हिस्सेदारी 90.54% के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँची • मोबाइल बैंकिंग सक्रिय उपयोगकर्ता आधार बढ़कर 2 करोड़ हुआ	• सेन्ट निओ इकोसिस्टम के माध्यम से निर्बाध 24×7 बैंकिंग द्वारा 'हर भारतीय के लिए वास्तव में सेन्ट्रल' की पुनर्परिभाषा • अंतिम छोर तक डिजिटल एवं भौतिक पहुँच द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाया	**जीआरआई**: 203 **यूएनएसडीजी**: 1, 8, 10, 13 **बीएमसी**: प्रमुख संसाधन, चैनल **प्राथमिकता**: विस्तार
बौद्धिक पूंजी *(पृष्ठ 64)*	• एकीकृत परिवर्तन केंद्र • वास्तविक समय परियोजना निगरानी हेतु प्रिज़्म पोर्टल • स्वचालित अनुपालन पोर्टल	• डीएलपी प्लेटफॉर्म पर 37 सक्रिय डिजिटल यात्राएँ • सुरक्षित एवं सत्यापित .bank.in डोमेन पर 100% सफल स्थानांतरण • डिजी स्व-नवीनीकरण हेतु स्वचालित प्रसंस्करण	• बुद्धिमत्ता-संचालित बैंकिंग; डेटा गोपनीयता उल्लंघन की शून्य घटनाएँ • सक्रिय स्लिपेज नियंत्रण (1.16%) के माध्यम से परिसंपत्ति गुणवत्ता का संस्थानीकरण	**जीआरआई**: 203, 418 **यूएनएसडीजी**: 1, 8, 10, 13 **बीएमसी**: 2, 4 (प्रमुख गतिविधियाँ, मूल्य प्रस्ताव) **प्राथमिकता**: रूपांतरण
मानव पूंजी *(पृष्ठ 84)*	• 33997 कर्मचारियों का प्रतिभाशाली कार्यबल • प्रोजेक्ट सेन्ट नर्चर के माध्यम से व्यावसायिक विकास में निवेश	• प्रति कर्मचारी व्यवसाय 12.11% बढ़कर ₹23.89 करोड़ हुआ • 1,000 ऋण अधिकारियों हेतु विशेष ऋण प्रशिक्षण • महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़कर 28.77% हुई	• 'गति संवर्धन' मिशन के अनुरूप अत्यधिक उत्पादक एवं संलग्न कार्यबल • 115 पूर्णत: महिला संचालित पिंक शाखाओं के माध्यम से विविधता में उद्योग में अग्रणी के रूप में स्थापित	**जीआरआई**: 401, 404, 405 **यूएनएसडीजी**: 3, 4, 5, 8 **बीएमसी**: प्रमुख संसाधन, प्रमुख इनपुट **प्राथमिकता**: गति संवर्धन
प्राकृतिक पूंजी *(पृष्ठ 70)*	• बोर्ड-अनुमोदित ईएसजी नीति एवं जोखिम ढाँचा • सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स में ₹350.26 करोड़ का निवेश • नवीकरणीय ऊर्जा हेतु लक्षित वित्तपोषण	• नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ₹2,751.44 करोड़ का वित्तपोषण • सेन्ट ईवी कनेक्ट एवं सेन्ट सोलर उद्यम सुरक्षा का शुभारंभ • डीएलपी पर कागजरहित डिजिटल यात्राओं का विस्तार	• 2028 तक नेट ज़ीरो स्कोप 1 के स्वैच्छिक लक्ष्य की दिशा में सक्रिय प्रगति • उन्नत ईएसजी जोखिम स्क्रीनिंग के माध्यम से जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों का न्यूनीकरण	**जीआरआई**: 302, 305 **यूएनएसडीजी**: 7, 12, 13 **बीएमसी**: प्रमुख गतिविधियाँ, मूल्य प्रस्ताव **प्राथमिकता**: रूपांतरण
संबंध एवं सामाजिक पूंजी *(पृष्ठ 76)*	• 115 वर्ष की स्वदेशी विरासत एवं विश्वास • 8.26 करोड़ ग्राहकों का सक्रिय आधार • 13 राज्य स्तरीय एसआरएलएम के साथ रणनीतिक साझेदारियाँ	• इस वर्ष 25.67% की खुदरा पोर्टफोलियो वृद्धि • 225 शाखाओं को एमएसएमई क्लस्टरों तथा 274 शाखाओं को कृषि क्लस्टरों से जोड़ा गया • सीएसआर निधि वितरण: ₹1.13 करोड़	• मिशन प्रगति के माध्यम से समावेशी विकास एवं क्षेत्रीय एमएसएमई सशक्तीकरण का उत्प्रेरक • विकसित भारत की परिकल्पना का समर्थन करने वाली उत्तरदायी संस्था के रूप में प्रतिष्ठा बनाए रखी	**जीआरआई**: 203, 413 **यूएनएसडीजी**: 1, 4, 5, 8, 10 **बीएमसी**: प्रमुख साझेदार, संबंध, खंड **प्राथमिकता**: विस्तार

हमारी ईएसजी रणनीतिक रूपरेखा:

उत्तरदायी एवं सतत विकास के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धताओं का निर्वहन

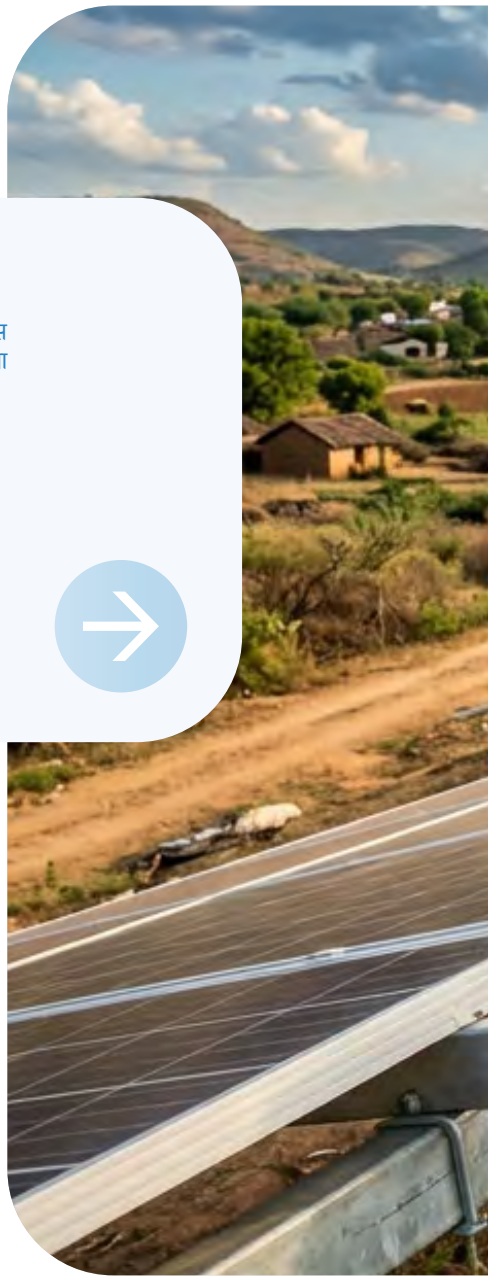

पर्यावरणीय, सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) सिद्धांत इस बात के परिचायक हैं कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार दीर्घकालिक मूल्यों का सृजन करता है, जोखिमों का प्रबंधन करता है, पूंजी का आवंटन करता है तथा हितधारकों के विश्वास को सुदृढ़ बनाता है। अपने परिवर्तनकारी विकास-पथ पर आगे बढ़ते हुए, बैंक अब ईएसजी को केवल एक स्वतंत्र धारणीयता एजेंडा के रूप में नहीं देखता है, बल्कि इसे अपने व्यवसाय संचालन, ग्राहकों को सहयोग प्रदान करने, समुदायों को सशक्त बनाने तथा संस्थागत लचीलेपन के निर्माण की प्रक्रिया में समाहित कर चुका है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने ईएसजी के आधारभूत ढाँचों की स्थापना से आगे बढ़कर धारणीयता को परिचालन निष्पादन का अभिन्न हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमारा दृष्टिकोण उत्तरदायी बैंकिंग को व्यावसायिक विकास के साथ समन्वित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक समावेशन तथा सुदृढ़ शासन प्रत्येक रणनीतिक निर्णय के केंद्र में बनी रहे। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ईएसजी रूपरेखा के मार्गदर्शन में, बैंक सतत वित्त, जलवायु कार्रवाई, वित्तीय समावेशन, नैतिक शासन तथा हितधारकों के साथ पारदर्शी संवाद को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। साथ ही, भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं तथा वैश्विक संपोषणीय आकांक्षाओं के समर्थन हेतु अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रहा है।

ईएसजी शासन एवं पर्यवेक्षण

बैंक ईएसजी के लिए शीर्ष से निम्न शासन दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थायित्व संबंधी विचारों को रणनीतिक नियोजन, जोखिम प्रबंधन तथा परिचालन निष्पादन में समुचित रूप से समाहित किया जाए।

ईएसजी से संबंधित विषयों का पर्यवेक्षण निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (जो.प्र.स.) द्वारा किया जाता है, जो रणनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान करती है तथा निर्धारित धारणीय उद्देश्यों के विरुद्ध प्रगति की निगरानी करती है। यह शासन संरचना पूरे संगठन में स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करती है तथा साथ ही, यह भी सुनिश्चित करती है कि ईएसजी संबंधी विचारों को व्यावसायिक निर्णयों, जोखिम आकलनों तथा निष्पादन प्रबंधन प्रणालियों में एकीकृत किया जाए।

बैंक ईएसजी को एक रणनीतिक व्यावसायिक अनिवार्यता के रूप में देखता है, जो उत्तरदायी विकास को समर्थन प्रदान करती है, उभरते जोखिमों के प्रति संस्थागत लचीलेपन को सुदृढ़ बनाती है तथा संपोषणीय अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने में बैंक को सक्षम बनाती है।

ईएसजी: रणनीतिक रूपरेखा

बैंक की ईएसजी रणनीति तीन परस्पर संबद्ध स्तंभों पर आधारित है:

1

पर्यावरणीय संरक्षण –
पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, सतत वित्त को गति प्रदान करना तथा भारत का कम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को समर्थन देना।

2

सामाजिक उत्तरदायित्व–
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, कर्मचारियों के विकास को प्रोत्साहित करना, विविधता एवं समावेशन को सुदृढ़ बनाना, सामुदायिक कल्याण को समर्थन देना तथा बैंकिंग सेवाओं तक समान एवं न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करना।

3

शासन उत्कृष्टता –
नैतिक आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, जोखिम प्रबंधन तथा हितधारकों के विश्वास को सुदृढ़ बनाना।

ये तीनों स्तंभ मिलकर संपूर्ण संगठन में निर्णय-निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं तथा एक ऐसा ढांचा प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से धारणीयता से संबंधित उद्देश्यों को मापनीय परिणामों में परिवर्तित किया जाता है।

जलवायु कार्रवाई एवं सतत वित्त

जलवायु संबंधी उत्तरदायित्व बैंक की एक प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता बनी हुई है। बैंक उन परियोजनाओं एवं क्षेत्रों की ओर पूंजी प्रवाह को निरंतर निर्देशित कर रहा है, जो पर्यावरणीय संपोषणीयता को समर्थन प्रदान करते हैं, साथ ही अपने परिचालन स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी के प्रयासों को भी सुदृढ़ कर रहा है।

हमारी सतत वित्त रूपरेखा नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा दक्षता तथा जलवायु अनुकूल अवसंरचना के वित्तपोषण को समर्थन प्रदान करती है। इस वर्ष के दौरान, हमने सौर, पवन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी हरित वित्तपोषण पहलों का विस्तार किया, जिससे धारणीय आर्थिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है ।

ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट कार्यक्रम ने पर्यावरणीय रूप से लाभकारी परियोजनाओं के लिए समर्पित संसाधनों के संग्रहण को जारी रखा, जबकि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में निवेश ने राष्ट्रीय जलवायु प्राथमिकताओं के प्रति हमारे योगदान को और सुदृढ़ किया है । हमने रूफटॉप सोलर अपनाने तथा स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण पहलों को भी निरंतर समर्थन दिया है, जिनका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों तथा व्यवसायों के लिए इसकी पहुँच एवं वहन करने की क्षमता को बढ़ाना है।

वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि 16,500 किसानों को पूर्णत: डिजिटल एवं कागज़ रहित प्रक्रिया के माध्यम से सौर पंपों की स्वीकृति प्रदान की गई। यह दर्शाता है कि किस प्रकार संपोषणीयता और प्रौद्योगिकी मिलकर बड़े पैमाने पर प्रभावी एवं सार्थक परिणाम प्रदान कर सकते हैं।

साथ ही, बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहन वित्तपोषण तथा संबंधित अवसंरचना के समर्थन का भी विस्तार किया है, जिससे भारत के स्वच्छ परिवहन प्रणालियों की ओर संक्रमण को गति मिल रही है।

परिचालनगत संपोषणीयता

बैंक का परिचालनगत संपोषणीयता एजेंडा संसाधन दक्षता में सुधार, उत्सर्जन में कमी तथा पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना के विकास पर केंद्रित है।

बैंक ने वर्ष 2028 तक स्कोप-1 उत्सर्जन के लिए नेट ज़ीरो का लक्ष्य प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है, जिसे एक संरचित रोडमैप, मापनीय लक्ष्यों तथा कार्यान्वयन कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है ।

प्रमुख पहलें :

- स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों/परिसरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का विस्तार।
- पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता में क्रमिक कमी।
- डीज़ल जनरेटर आधारित बैकअप प्रणालियों का ऊर्जा-दक्ष विकल्पों से प्रतिस्थापन।
- बैंक के वाहन बेड़े का इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी आधारित गतिशीलता की ओर रूपांतरण।
- शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों में ऊर्जा-दक्ष प्रथाओं का अपनाया जाना।

इन पहलों को मजबूत निगरानी प्रणालियों का समर्थन प्राप्त है, जो ईएसजी मापदंडों को परिचालन निर्णय-निर्माण तथा जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में एकीकृत करती हैं।

सामाजिक प्रभाव एवं समावेशी विकास

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया समावेशी विकास के प्रति एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता रखता है, जो इसकी सुगमता, विविधता तथा सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक भूमिका में परिलक्षित होती है।

हमारा सामाजिक एजेंडा वित्तीय समावेशन का विस्तार, कर्मचारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना, वंचित एवं अल्पसेवित समुदायों को समर्थन प्रदान करना तथा एक समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

बैंक अपने विस्तृत भौतिक एवं डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से अपनी पहुँच को निरंतर विस्तारित कर रहा है, जिससे शहरी, अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित हो सके। हमारे टचपॉइंट नेटवर्क का विस्तार देशभर में ग्राहकों की सेवा करने की क्षमता को और सुदृढ़ करता है तथा अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है।

विविधता एवं लैंगिक समावेशन हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।वर्ष 1924 में स्थापित एक समर्पित महिला विभाग की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, बैंक ने संगठन में महिलाओं की भागीदारी एवं नेतृत्व को निरंतर सुदृढ़ किया है। पूर्णत: महिला-प्रबंधित “पिंक शाखाओं” का विस्तार इस प्रतिबद्धता का एक स्पष्ट एवं सशक्त उदाहरण है।

कर्मचारी क्षमता विकास में निवेश हमारी मानव संसाधन रणनीति का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। व्यापक प्रशिक्षण एवं डिजिटल कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के माध्यम से, हम कर्मचारियों को एक अधिक डिजिटल, डेटा-आधारित तथा धारणीयता-केंद्रित बैंकिंग वातावरण में कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान कर रहे हैं। इन प्रयासों ने उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर ग्राहक सेवा तथा संगठनात्मक दक्षता को सुदृढ़ किया है।

हितधारक सहभागिता

सार्थक हितधारक सहभागिता हमारे ईएसजी दृष्टिकोण की आधारशिला है।

हम ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों, नियामकों, समुदायों तथा व्यावसायिक भागीदारों के साथ संरचित संचार माध्यमों, फीडबैक तंत्रों, सर्वेक्षणों तथा हितधारक संवादों के माध्यम से सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं। ये सहभागिताएँ बदलती अपेक्षाओं को समझने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है तथा हमारी धारणीयता संबंधी प्राथमिकताओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों को आकार देने में सहायक होती हैं।

खुले एवं पारदर्शी संवाद को बनाए रखते हुए, हम हितधारकों के विश्वास को सुदृढ़ करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी ईएसजी पहलें प्रासंगिक, उत्तरदायी एवं परिणाम-उन्मुख बनी रहे।

नवाचार एवं साझेदारी

बैंक यह मानता है कि धारणीयता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नवाचार एवं सहयोग दोनों आवश्यक है।

हम ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं का निरंतर विकास कर रहे हैं, जो वित्तीय प्रदर्शन को पर्यावरणीय एवं सामाजिक परिणामों के साथ संरेखित करते हैं। प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधान, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म तथा डेटा-आधारित क्षमताएँ हमें अधिक सुलभ, दक्ष एवं सतत बैंकिंग अनुभव प्रदान करने में सक्षम बना रही है।

हम सरकारी संस्थाओं, नियामकों, उद्योग निकायों, विकास संगठनों तथा अन्य हितधारकों के साथ भी सहयोग कर रहे हैं, ताकि साझा स्थायी उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। ये साझेदारियाँ ज्ञान के आदान-प्रदान, संसाधन जुटाने तथा सामूहिक कार्रवाई को सुगम बनाती है, जिससे हमारी ईएसजी पहलों का प्रभाव और अधिक व्यापक एवं सशक्त होता है।

नीतिगत ढांचा एवं वैश्विक संरेखण

बैंक की ईएसजी नीति इसकी स्थायित्व रणनीति को एक आधारशिला प्रदान करती है तथा इसे प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रूपरेखाओं के साथ संरेखित करती है, जिनमें शामिल हैं:

- उत्तरदायी बैंकिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत (यूएनआईपी एफआई)
- सेबी व्यवसायिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) आवश्यकताएँ
- आईएफएसआर धारणीयता प्रकटीकरण मानक (आईएफएसआर एस1 एवं आईएफएसआर एस2)
- जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्यबल (टीसीएफडी)
- वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरई)
- स्थायित्व लेखांकन मानक बोर्ड (Sustainability Accounting Standards Board – SASB)

यह नीति पूरे संगठन पर लागू होती है तथा जलवायु कार्रवाई, उत्तरदायी व्यवसाय आचरण, सामाजिक उत्तरदायित्व, कार्यबल विकास, शासन की अखंडता एवं जोखिम प्रबंधन को समर्थन प्रदान करती है।

इस नीति की प्रासंगिकता, नियामकीय संरेखण तथा बदलती हितधारक अपेक्षाओं एवं धारणीयता संबंधी चुनौतियों के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है।

हमारी 2028 प्रतिबद्धताएँ

बैंक अपनी दीर्घकालिक धारणीयता रूपरेखा के अंतर्गत मापनीय प्रगति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। प्रमुख प्रतिबद्धताएँ निम्नलिखित हैं:

- वर्ष 2028 तक स्कोप 1 उत्सर्जन के लिए नेट ज़ीरो का लक्ष्य प्राप्त करना।
- वित्तीय वर्ष 2024 को आधार मानते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने तथा ऊर्जा-दक्षता उपायों के माध्यम से स्कोप 2 उत्सर्जन में 50% की कमी करना।
- पारंपरिक वाहन परिसंपत्तियों को इलेक्ट्रिक (इवी) अथवा सीएनजी विकल्पों से प्रतिस्थापित करना।
- बैंक-स्वामित्व वाली अवसंरचना में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाना।
- ऋण प्रदान करने, निवेश तथा जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ईएसजी का अधिक सुदृढ़ एकीकरण करना।
- भारत के हरित संक्रमण एवं समावेशी विकास एजेंडा को समर्थन देने हेतु सतत वित्त समाधान का विस्तार करना।

हमारी प्रतिबद्धता का निर्वहन

हमारी ईएसजी यात्रा एक सरल किन्तु सशक्त विश्वास को प्रतिबिंबित करती है: सतत विकास और व्यावसायिक विकास एक-दूसरे से पृथक नहीं हैं, बल्कि परस्पर अविभाज्य हैं। जैसे-जैसे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने परिवर्तन के अगले चरण की ओर अग्रसर है, ईएसजी निरंतर संस्थागत लचीलापन, नवाचार तथा दीर्घकालिक मूल्य सृजन का एक रणनीतिक उत्प्रेरक बना रहेगा।

धारणीयता को अपने परिचालन, वित्तपोषण निर्णयों, मानव संसाधन प्रथाओं तथा शासन संरचनाओं में समाहित करके, हम केवल बदलती अपेक्षाओं के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बल्कि सभी हितधारकों के लिए एक अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं सतत भविष्य के निर्माण में सक्रिय योगदान भी दे रहे हैं।

नैतिकता एवं कार्यप्रणाली में सुशासन का समावेशन:

अपनी प्रतिबद्धताओं का निर्वहन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, सत्यनिष्ठा केवल एक सैद्धांतिक मूल्य नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक कार्य-व्यवहार का अभिन्न अंग है। "व्यावसायिक गतिसंवर्धन वर्ष" के दौरान हमारी सुशासन एवं नैतिकता संबंधी रूपरेखा ने आधारभूत पर्यवेक्षण से आगे बढ़कर विश्वास को गति प्रदान करने वाले एक सशक्त तंत्र का रूप ग्रहण किया। हमारा मानना है कि सतत विकास तभी संभव है, जब वह सुदृढ़ सिद्धांतों, कठोर आंतरिक नियंत्रणों तथा उत्तरदायित्व की ऐसी संस्कृति पर आधारित हो, जो हमारे 115 वर्ष पुराने संस्थान के प्रत्येक स्तर में समाहित हो।

गवर्नेंस प्रिज्म: वादे का स्वचालन

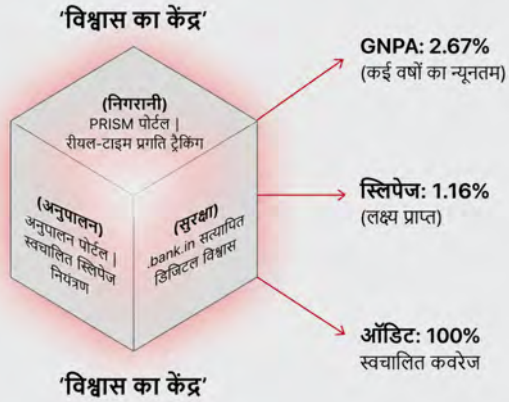

निष्पादन उत्कृष्टता हमारी विशिष्ट पहचान है। वित्त वर्ष 2025-26 में हमने सिद्ध किया है कि तीव्र प्रगति और अनुशासन एक-दूसरे के पूरक हैं। सक्षम के माध्यम से अनुपालन के स्वचालन तथा प्रिज्म के माध्यम से निगरानी को सुदृढ़ बनाकर हमने एक सुरक्षित, पारदर्शी एवं सुदृढ़ बैंक के वचन का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

हमारी नैतिक आधारशिला : विकास का सुदृढ़ आधार

निदेशक मंडल ने जटिल नैतिक परिस्थितियों में मार्गदर्शन प्रदान करने तथा सुदृढ़ सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लेने में सहायता हेतु आचार संहिता , व्यावसायिक आचरण संहिता एवं हितों के टकराव की नीति को अनुमोदित किया है। इसके साथ ही, हम सुदृढ़ आचार एवं नैतिक संहिता का पालन करते हैं, जिसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है। यह उत्तरदायित्व और विश्वास पर आधारित कार्य-संस्कृति को और सशक्त बनाती है।

ईएसजी गवर्नेंस ढांचा

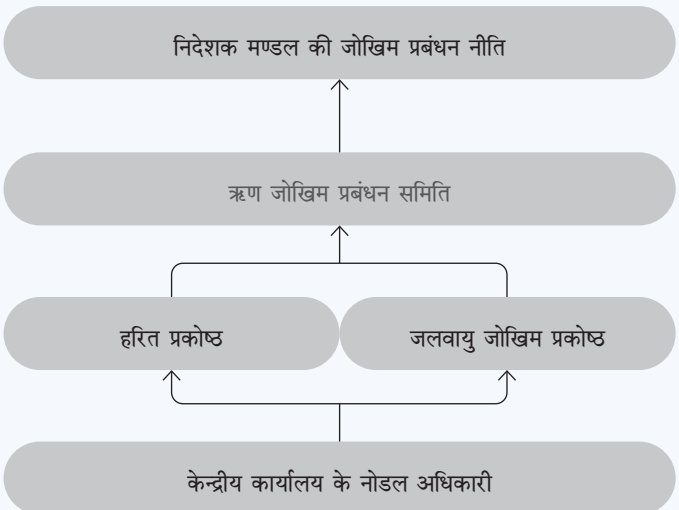

ये रूपरेखाएँ निम्नलिखित विषयों पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती हैं :

- हितों के टकराव के प्रभावी प्रबंधन पर।
- व्यावसायिक आचरण बनाए रखने पर।
- सभी हितधारकों के साथ संवाद एवं व्यवहार में उच्चतम नैतिक मानकों के पालन पर।
- कर्मचारी उत्तरदायित्व नीति के माध्यम से उत्तरदायी एवं विवेकपूर्ण निर्णय-निर्माण की संस्कृति को प्रोत्साहित करने पर।

वित्त वर्ष 2025-26 में "अनुशासन के साथ गतिसंवर्धन" के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने इस संस्कृति को और सुदृढ़ किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि व्यावसायिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद नैतिक मानकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पूर्णत: अक्षुण्ण बनी रही।

गतिसंवर्धन सेतु : आंतरिक नियंत्रण निष्पादन

वित्त वर्ष 2024-25 (उत्कृष्टता) से वित्त वर्ष 2025-26 (गतिसंवर्धन) तक की हमारी यात्रा को मैनुअल रिपोर्टिंग से स्वचालित एवं बुद्धिमत्ता-संचालित सुशासन प्रणाली की ओर रूपांतरण द्वारा सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है।

आंतरिक नियंत्रण का विकास (वित्त वर्ष 2024-25 बनाम वित्त वर्ष 2025-26)

नियंत्रक घटक	वित्त वर्ष 2024-2025 की स्थिति (आधारभूत चरण)	वित्त वर्ष 2025-2026 की स्थिति (गतिसंवर्धन के परिणाम)
अनुपालन पोर्टल	आधारभूत ढाँचा स्थापित किया गया।	सक्षम पोर्टल बैंक की सभी 4,585 शाखाओं में पूर्णत: कार्यरत।
स्लिपेज नियंत्रण	आधारभूत चरण में 1.45% स्लिपेज दर्ज।	1.16% (लक्ष्य < 1.25% के लक्ष्य से बेहतर परिणाम)
डिजिटल विश्वास	स्थानांतरण की योजना बनाई गई।	.bank.in सत्यापित डोमेन में स्थानांतरण 100% पूर्ण।
लेखा-परीक्षा कवरेज	मैनुअल रिपोर्टिंग पर केंद्रित व्यवस्था।	प्रिज्म पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी एवं ट्रैकिंग।

वैश्विक मानकों के साथ संरेखण एवं नीतिगत प्रकटीकरण

हमारी सुशासन रणनीति एक सुदृढ़ एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ईएसजी नीति द्वारा निर्देशित है, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों मानकों के अनुरूप है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सतत एवं नैतिक वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी रहा है।

- उत्तरदायी बैंकिंग हेतु संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत (यूएनईपी एफआई)
- सेबी का व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) ढाँचा
- अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड (आईएसएसबी) द्वारा जारी आईएफआरएस एस1 एवं एस2 मानक
- जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण कार्यबल (टीसीएफडी)
- वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरई) मानक
- स्थायित्व लेखांकन मानक (एसएएसबी) मानक

वित्त वर्ष 2025-26 में, ईज 7.0 सुधारों के अंतर्गत डेटा गुणवत्ता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर हमने अपने अनुपालन ढाँचे को और सुदृढ़ बनाया, जो परिचालन उत्कृष्टता एवं पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

सुशासन एवं नैतिकता के प्रमुख उद्देश्य

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हमारी नीतियाँ संगठन के सभी आयामों को समाहित करती हैं तथा कर्मचारियों, संविदाकर्मियों एवं हितधारकों को निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के माध्यम से संबोधित करती हैं :

1. **नेट-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य**: वर्ष 2028 तक स्कोप-1 उत्सर्जन में नेट-शून्य स्थिति प्राप्त करना तथा स्कोप-2 उत्सर्जन में 50% की कमी लाना (आधार वर्ष : वित्त वर्ष 2023-24)।
2. **जलवायु कार्रवाई**: बैंक की गतिविधियों को पेरिस समझौते सहित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों के अनुरूप बनाना।
3. **सामाजिक उत्तरदायित्व**:
   - **कर्मचारी विकास**: ईएसजी विषयों, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं विविधता से संबंधित प्रशिक्षण पहलों को प्रोत्साहित करना।
   - **समावेशी नेतृत्व**: वित्त वर्ष 2025-26 की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 115 "पिंक शाखाओं" का संचालन रहा, जिनका प्रबंधन पूर्णत: महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये शाखाएँ महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं।
   - **सामुदायिक सहभागिता**: वंचित समुदायों के उत्थान हेतु कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमों का निरंतर मूल्यांकन एवं संचालन। इसके अंतर्गत सिग्नल शाला परियोजना तथा दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी पहलें शामिल हैं।
4. **सुशासन एवं नैतिकता**: सुदृढ़ आचार संहिता का अनुपालन, जिससे निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। इसे मजबूत जोखिम प्रबंधन तथा शिकायत निवारण प्रक्रियाओं का समर्थन प्राप्त है।

निष्पादन के प्रेरक तंत्र : स्वचालित अनुपालन प्रणाली एवं प्रिज्म

"व्यावसायिक गतिसंवर्धन वर्ष" के दौरान हमने दो प्रमुख डिजिटल पोर्टलों के माध्यम से सुशासन को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि हमारी विकास यात्रा ठोस तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित रहे।

- **स्वचालित अनुपालन प्रणालियाँ**: यह स्वचालित पोर्टल 100% नियामकीय अनुपालन तथा स्लिपेज की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में स्वचालित अनुपालन प्रणाली ने हमारे सकल एनपीए को 2.67% तक कम करने तथा स्लिपेज अनुपात को 1.16% पर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो पिछले कई दशकों का न्यूनतम स्तर है।
- **प्रिज्म (प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम)**: प्रिज्म सभी परिवर्तनकारी परियोजनाओं की निगरानी, विचार-सृजन, तथा सहायता-प्रेषण के लिए केंद्रीय नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा आईटी जोखिम प्रबंधन समिति को आवश्यक परिचालन दृश्यता प्रदान करता है, जिससे कड़े लेखा-परीक्षण ट्रेल को बनाए रखते हुए पहलों का तीव्र विस्तार संभव हो पाता है।

सतर्कता एवं व्हिसलब्लोअर संरक्षण

पारदर्शी एवं उत्तरदायी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बैंक "सेन्ट ई-व्हिसलब्लोअर" पोर्टल संचालित करता है।

- **गोपनीयता**: यह पोर्टल कर्मचारियों एवं निदेशकों को अपनी पहचान प्रकट किए बिना नैतिक उल्लंघनों अथवा अनियमितताओं की सूचना देने हेतु सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराता है।
- **प्रोत्साहन**: बैंक ने संभावित धोखाधड़ी अथवा अनियमितताओं से संबंधित सूचना देने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की योजना लागू की है, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार समर्पित स्टाफ पोर्टल पर किया गया है।
- **सत्यनिष्ठा का रिकॉर्ड**: वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में बैंक पर स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी द्वारा कोई दण्ड अथवा प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

आगे की राह: उत्कृष्टता का संस्थानीकरण (वित्त वर्ष 2026-27)

जैसे ही हम "व्यावसायिक गतिसंवर्धन वर्ष" का समापन कर रहे हैं, हमारा ध्यान अब वित्त वर्ष 2026-27 अर्थात "व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष" की ओर केंद्रित हो रहा है। बड़े पैमाने पर निष्पादन के माध्यम से अपनी वचनबद्धता को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् अब हम अपनी सुशासन रूपरेखाओं को और अधिक परिष्कृत एवं सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारी भावी कार्ययोजना में निम्नलिखित पहलें शामिल हैं :

- स्वचालित अनुपालन निगरानी पोर्टल के माध्यम से जनशक्ति, उत्पाद अथवा प्रक्रिया-संबंधी जोखिमों के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान हेतु अनुपालन परीक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) का एकीकरण।
- परिचालन दक्षता को और सुदृढ़ बनाते हुए तथा डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देकर लागत-आय अनुपात (सीआईआर) को 56.00% से नीचे लाना।
- एआई-संचालित धोखाधड़ी जैसे उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु साइबर सुरक्षा ढाँचे को और सशक्त बनाना तथा आईएसओ 27001 एवं आईएसओ 22301 मानकों के साथ निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करना।

विनिर्मित पूंजी:

त्वरित प्रगति का सशक्त हाइब्रिड आधार

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण

रणनीतिक प्राथमिकता

E

व्यवसाय मॉडल का घटक

3 6

जीआरआई मानक

203 (परोक्ष आर्थिक प्रभाव)

हमारी अवसंरचना हमारे स्वदेशी भाव और की भौतिक एवं डिजिटल अभिव्यक्ति है. 4,585 शाखाओं को डिजिटल हब में परिवर्तित कर तथा सेन्ट नियो प्लेटफ़ॉर्म को इस स्तर तक सशक्त बनाकर कि वह हमारे 90% से अधिक लेनदेन का संचालन कर सके, हमने ऐसा बैंक विकसित किया है जो भारत की आकांक्षाओं की गति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है.

रणनीतिक संरचना : हाइब्रिड विस्तार ("विस्तार" स्तंभ)

विनिर्मित पूंजी हमारे 'विस्तार' अधिदेश की प्रमुख प्रेरक शक्ति है. हम क्षेत्रीय बाजारों में अपनी पहुँच का विस्तार करने तथा विशिष्ट वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए अपने भौतिक एवं डिजिटल संपर्क बिंदुओं का प्रभावी उपयोग करते हैं। 'व्यावसायिक संवृद्धि के वर्ष' में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विनिर्मित पूंजी एक सहायक परिसंपत्ति वर्ग से विकसित होकर तीव्र गति से होने वाली वृद्धि की प्रमुख प्रेरक शक्ति बन गई है. हमने अपनी 115 वर्षीय भौतिक विरासत और सीमाहीन डिजिटल इकोसिस्टम के प्रभावी समन्वय के माध्यम से हितधारकों से किए गए अपने वादे को पूरा किया है. यह हाइब्रिड अवसंरचना हमारी वह संरचनात्मक विशिष्टता है, जिसने हमारे कुल व्यवसाय को **₹8,12,439 करोड़** के ऐतिहासिक स्तर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हमारी विनिर्मित पूंजी रणनीति अब केवल पहुँच सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है; बल्कि यह व्यापक स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया "प्रत्येक भारतीय के लिए वास्तव में केंद्रित" बना रहे।

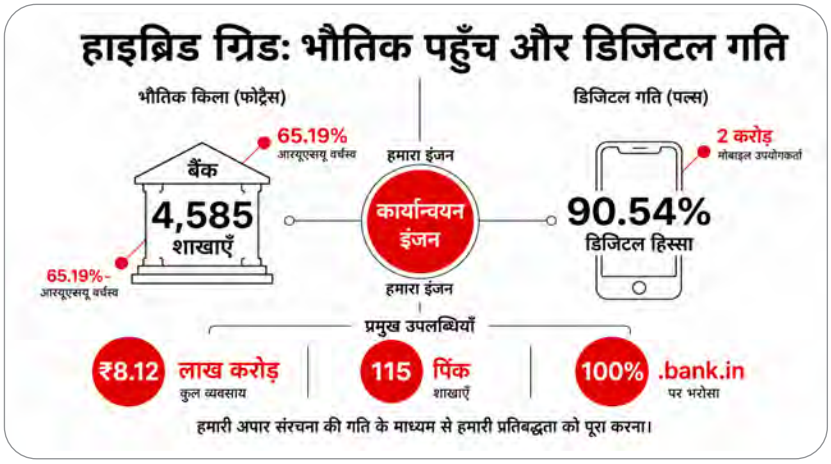

भौतिक अवसंरचना: अंतिम छोर तक सुदृढ़ीकरण

हमारा भौतिक नेटवर्क हमारी संबंध एवं सामाजिक पूंजी की सुदृढ़ नींव है, जो उच्च-मूल्य परामर्श तथा क्षेत्रीय विश्वास को सशक्त बनाने हेतु आवश्यक मानवीय स्पर्श प्रदान करता है.

I. व्यापक शाखा नेटवर्क एवं क्षेत्रीय नेतृत्व

31 मार्च 2026 तक, बैंक 4,585 भौतिक शाखाओं के सुदृढ़ एवं व्यापक नेटवर्क के माध्यम से अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा है। हमारी वितरण रणनीति 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुविचारित रूप से तैयार की गई है, जो देश के आंतरिक क्षेत्रों की सूक्ष्म आर्थिक विकास पर केंद्रित है।

- **ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी में वर्चस्व**: हमारी शाखा नेटवर्क का 65.19% (2,989 शाखाएँ) रणनीतिक रूप से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित है. यह सुनिश्चित करता है कि "व्यावसायिक गतिसंवर्धन वर्ष" समावेशी हो तथा वंचित कृषि एवं एमएसएमई क्लस्टरों तक ऋण प्रवाह सुनिश्चित हो।
- **शहरी-मेट्रो समन्वय**: हमारी 1,596 शहरी एवं मेट्रो शाखाएँ उच्च-मूल्य कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करने तथा "सेन्ट नियो" डिजिटल ऑनबोर्डिंग अनुभव उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करती हैं.

II. "पिंक" उपलब्धि: सामाजिक रूप से उत्तरदायी अवसंरचना

वित्त वर्ष 2026 में हमारी संस्थागत परिपक्वता का एक सशक्त एवं स्पष्ट प्रतीक देशभर में 115 "पिंक शाखाओं" का नामांकन रहा। ये शाखाएँ पूर्णत: महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित हैं तथा महिला उद्यमियों के लिए नेतृत्व विकास केंद्रों और विशिष्ट सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करती हैं। ये परिसंपत्तियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि विनिर्मित पूंजी का उपयोग सामाजिक परिवर्तन और लैंगिक समावेशी नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के प्रभावी साधन के रूप में किया जा सकता है।

III. बीसी मैक्स: हाइब्रिड फ्रंटीयर

वित्त वर्ष 2025 में स्थापित 25 पायलट केंद्रों से आगे बढ़ते हुए, हमने अपने बीसी मैक्स केंद्रों का सफलतापूर्वक विस्तार कर उनकी संख्या **40 परिचालन इकाइयों तक पहुँचा दी है**। ये केंद्र बैंकिंग के "फिजिटल" भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ आवश्यक लेन-देन हेतु न्यूनतम भौतिक उपस्थिति उपलब्ध कराई जाती है, जबकि साथ ही ये तीव्र गति वाले डिजिटल ऑनबोर्डिंग केंद्रों के रूप में भी कार्य करते हैं. ये केंद्र बैंक को दूरस्थ एवं दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में कम लागत पर उच्च गति से अपनी उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं.

IV. एटीएम एवं संपर्क बिंदु पारिस्थितिकी तंत्र

24×7 विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएँ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमने अपने कुल भौतिक सेवा-संपर्क बिंदुओं का विस्तार करते हुए उनकी संख्या 22,129 तक पहुँचा दी है। इसके अंतर्गत निर्बाध सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से 3,819 एटीएम का उन्नत नेटवर्क शामिल है।

रणनीतिक अंतर्दृष्टि : गतिसंवर्धन की अवसंरचना

कार्यनिष्पादन का आधार स्तंभ	अवसंरचना सूचकांक (वित्तीय वर्ष 2026)	गतिसंवर्धन हेतु रणनीतिक प्रभाव
भौतिक पहुँच	22,129 कुल संपर्क बिंदु	यह अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित कर समावेशी ऋण विस्तार एवं आर्थिक सशक्तिकरण को गति देता है.
क्षेत्रीय विस्तार	65.19% ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखा नेटवर्क	सूक्ष्म स्तर पर जमाओं का संकलन करते हुए 'विकसित भारत' के लक्ष्य को गति प्रदान करता है.
डिजिटल भागीदारी	90.54% लेन-देन की गति	नियमित बैंकिंग गतिविधियों को डिजिटल माध्यमों की ओर स्थानांतरित कर मानव पूंजी को उच्च-मूल्य ऋण व्यवसाय के लिए मुक्त करता है.
आस्ति गुणवत्ता	1.16% स्लिपेज अनुपात	सक्षम स्वचालित अनुपालन प्रणाली द्वारा संचालित, जो उच्च-गुणवत्ता वाले विकास को सुनिश्चित करती है.
डिजिटल इकोसिस्टम	37 सक्रिय डीएलपी प्रक्रियाएं	खुदरा एवं एमएसएमई क्षेत्रों के लिए त्वरित एवं कागजरहित ऋण स्वीकृति प्रदान करता है.
साइबर विश्वसनीयता	100% .bank.in सत्यापित डोमेन	8.26 करोड़ ग्राहकों के लिए डिजिटल विश्वास को संस्थागत स्वरूप प्रदान करते हुए फिशिंग संबंधी जोखिमों को समाप्त करता है.
नेटवर्क सामर्थ्य	40 बीसी मैक्स केंद्र	दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल ऑनबोर्डिंग हेतु उच्च-प्रभावी एवं कम-लागत वाले 'फिजिटल' केंद्र.
समावेशी नेतृत्व	115 पूर्णत: महिला-संचालित पिंक शाखाएँ	लैंगिक समावेशी नेतृत्व एवं विशेषीकृत वित्तीय सेवाओं के विकास हेतु एक प्रयोगशाला.
परिचालन उपलब्धता	96.35% एटीएम नेटवर्क की उपलब्धता	बढ़ते हुए राष्ट्रीय लेन-देन आधार के लिए 24×7 विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएँ सुनिश्चित करता है.
डेटा सुरक्षा एवं सुदृढ़ता	आईएसओ-प्रमाणित द्वि-स्थलीय डेटा केंद्र	शून्य-डेटा-हानि अवसंरचना उच्च उपलब्धता एवं प्रत्यास्थता सुनिश्चित करता है.

डिजिटल अवसंरचना : गति का केंद्र

डिजिटलीकरण हमारी तीव्र प्रगति का प्रमुख आधार रहा है, जिसने बैंक को केवल एक लेन-देन संसाधक से एक बुद्धिमत्ता-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र में रूपांतरित किया है. वित्तीय वर्ष 2026 में हमने "प्लेटफॉर्म लॉन्च करने" से आगे बढ़कर व्यापक रूप से अपनी क्षमता सिद्ध करने के चरण में प्रवेश किया है।

I. सेंट नियो: डिजिटल फ्लैगशिप

हमारा प्रमुख डिजिटल मंच 'सेंट नियो' हमारे 8.26 करोड़ ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं का मुख्य माध्यम बन चुका है.

- **मोबाइल बैंकिंग की तीव्र प्रगति**: हमारा सक्रिय मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता आधार बढ़कर 2 करोड़ तक पहुँच गया है, जो प्लेटफॉर्म के सहज उपयोग इंटरफेस और 24×7 विश्वसनीयता का प्रमाण है.
- **इंटरनेट बैंकिंग स्थिरता**: 118 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ, हमारा इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल एमएसएमई एवं कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए उच्च-मूल्य व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखला लेन-देन हेतु प्राथमिक विकल्प बना हुआ है.

II. अभूतपूर्व डिजिटल हिस्सेदारी

"व्यवसायिक गति संवर्धन के वर्ष" में शाखा-आधारित बैंकिंग से डिजिटल चैनलों की ओर स्थानांतरण हमारे इतिहास के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुँच गया. डिजिटल लेन-देन की हिस्सेदारी 90.54% तक पहुँच गई है. इस परिवर्तन ने हमारे भौतिक स्टाफ को नियमित प्रसंस्करण कार्यों से उच्च-मूल्य ऋण अंडरराइटिंग की ओर स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया है, जिससे प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹23.89 करोड़ तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है..

III. डिजिटल ऋण मंच: 37 सक्रिय डिजिटल यात्राएं

हमारा डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म हमारी परिसंपत्ति संवृद्धि का प्रमुख संचालक तंत्र है.

- **ऋण स्वीकृतियों का विस्तार**: अब हम डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म पर 37 सक्रिय डिजिटल यात्राएं संचालित कर रहे हैं, जिनमें खुदरा (आवास, शिक्षा, स्वर्ण ऋण), एमएसएमई (मुद्रा, सेंट उद्यम) और कृषि क्षेत्र शामिल हैं.
- **ऐतिहासिक उपलब्धि**: यह अवसंरचना वह उत्प्रेरक सिद्ध हुई, जिसने हमारे खुदरा अग्रिम पोर्टफोलियो को इस वर्ष ₹1,00,000 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर तक पहुँचाने में सक्षम बनाया, जहाँ हजारों ऋण स्वीकृतियाँ लगभग शून्य मैनुअल हस्तक्षेप के साथ निष्पादित की गईं.

IV. .bank.in : डिजिटल विश्वास की आधारशिला

वित्त वर्ष 2026 में हमने अपने डिजिटल अवसंरचना का 100% स्थानांतरण सुरक्षित एवं सत्यापित .bank.in डोमेन पर पूर्ण कर लिया. यह विनिर्मित पूंजी परिसंपत्ति साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो हमारे डिजिटल विस्तार के साथ-साथ ग्राहकों को फिशिंग एवं स्पूफिंग जैसे खतरों से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है.

बुद्धिमत्ता-संचालित प्रबंधन: रूपांतरण केंद्र एवं प्रिज़्म

त्वरित प्रगति के लिए आवश्यक गति के साथ अपनी विनिर्मित पूंजी का प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु, हमने दो प्रमुख प्रदर्शन एवं प्रबंधन केंद्रों की स्थापना की है:

1. **आंतरिक रूपांतरण केंद्र**: यह केंद्र सभी अवसंरचना एवं डिजिटलीकरण परियोजना का समन्वय करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि वे हमारी सीबीआई -केयर मूल्यों एवं राष्ट्रीय ईज 7.0 अधिदेशों के अनुरूप हो |
2. **प्रिज़्म पोर्टल**: एक रियल-टाइम ट्रैकिंग पोर्टल, जो प्रबंधन को प्रत्येक एटीएम, शाखा प्रदर्शन नोड तथा डिजिटल लेन-देन की गतिविधियों पर उच्च-गति आधारित दृश्यता प्रदान करता है.

सतत परिसंपत्तियाँ: हरित बैंकिंग की ओर अग्रसर

हमारा तीव्र विकास "ग्रीन वेलोसिटी" पर आधारित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारा अवसंरचना विकास पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हो.

- **नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना**: हमने वित्त वर्ष 2026 में अपने स्वामित्व वाले परिसरों में रूफटॉप सोलर क्षमता को बढ़ाकर 658 किलोवाट पीक कर दिया, जिससे ग्रिड पर निर्भरता कम हुई और परिचालन कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई.
- **हरित वाहन बेड़े में परिवर्तन** : हमारी 2028 रोडमैप के अनुरूप, बैंक ने इस वर्ष अपने स्वामित्व वाले वाहन बेड़े का 33% हिस्सा सफलतापूर्वक ईवी या सीएनजी विकल्पों से प्रतिस्थापित किया.
- **परिचालन स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी**: हमने अपने ग्रामीण एवं अर्ध्द शहरी नेटवर्क में डीज़ल जनरेटर सेट्स को ऊर्जा-कुशल इन्वर्टर्स से बदलने की प्रक्रिया को तेज किया है, जिससे हम 2028 तक 50% स्कोप 2 उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई हैं.

भविष्य की दिशा: व्यावसायिक उत्कृष्टता के वर्ष की ओर

जैसे ही हम व्यवसायिक गतिसंवर्धन वर्ष समाप्त करते हुए वित्त वर्ष 2026–27 के "व्यवसाय उत्कृष्टता के वर्ष" की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हमारा विनिर्मित मुख्य विकास योजना "परिशोधन एवं कृत्रिम बुद्धिमता-परिपक्वता" पर केंद्रित है.

1. **एआई-एकीकृत अनुरक्षण**: हमारे एटीएम एवं डेटा सेंटर नेटवर्क के लिए एआई-संचालित पूर्वानुमानित अनुरक्षण व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे निर्बाध एवं "शून्य अवरोध" परिचालन वातावरण सुनिश्चित हो सके।
2. **ओमनी-चैनल 2.0**: हमारे ओमनी-चैनल प्लेटफॉर्म की परिपक्वता को अंतिम रूप देना, ताकि एक निर्बाध, डिवाइस-स्वतंत्र ग्राहक यात्रा सुनिश्चित की जा सके, जिसमें ग्राहक मोबाइल फोन पर शुरू की गई आवेदन प्रक्रिया को बिना पुन: डेटा दर्ज किए शाखा में पूरा कर सके.
3. **टियर-IV डेटा सेंटर विस्तार**: हमारे प्राथमिक एवं डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर्स को उन्नत करना ताकि हम ₹13 लाख करोड़ के संस्थान बनने की दिशा में अगले बड़े चरण को समर्थन दे सकें.

वित्तीय पूंजी:

गतिशील पूंजी – तीव्र विकास के संकल्प की सिद्धि

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण

रणनीतिक प्राथमिकता

E

व्यवसाय मॉडल का घटक

1 3 6

जीआरआई मानक

201 (आर्थिक प्रदर्शन) 203 (अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव) 207 (कर)

शुद्ध लाभ अर्जन

₹4,369 करोड़

15.43% वर्ष-दर-वर्ष ,वृद्धि के साथ अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने स्थिरीकरण के चरण से सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए व्यवसाय संवर्धन के एक नए दौर में प्रवेश किया। वर्ष के दौरान परिचालन गतिविधियों में प्राप्त गति ने हमारे रणनीतिक उद्देश्यों की प्रभावशीलता को प्रमाणित किया। यह उपलब्धि अभूतपूर्व लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता के अनुशासित प्रबंधन तथा दायित्व आधार की सुदृढ़ एवं लचीली संरचना से परिलक्षित होती है। "पुनरुत्थान" से "वित्तीय सुदृढ़ता" की ओर बैंक की यह यात्रा इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि उसने व्यापक स्तर पर प्रभाव उत्पन्न करने वाले परिणामों के माध्यम से अपने हितधारकों के प्रति की गई प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक साकार किया है।

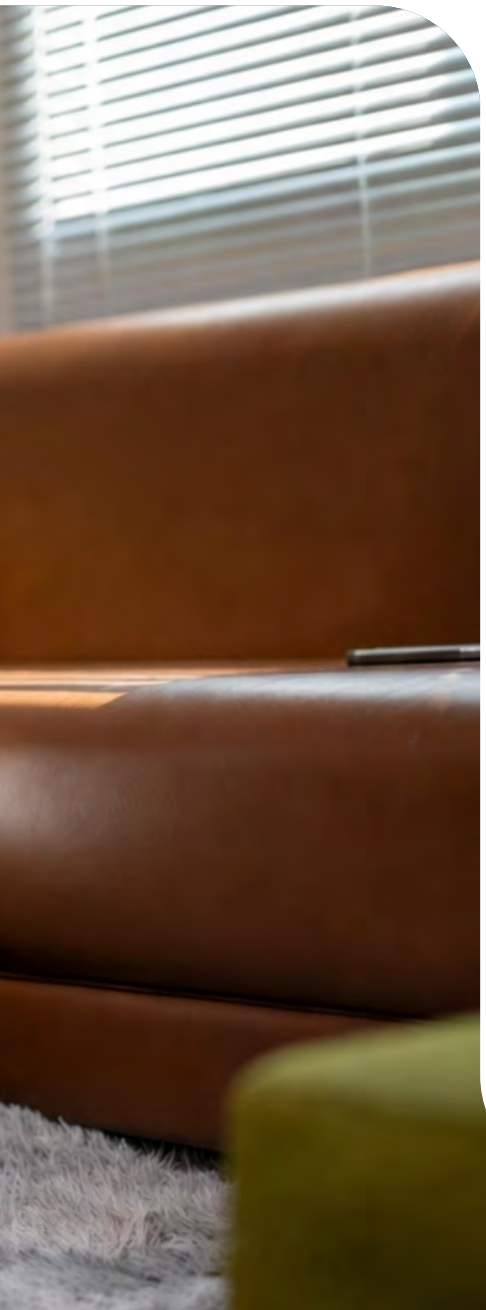

1. लाभप्रदता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि: 1.00% के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति

बैंक ने ₹4,369 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.43% की वृद्धि को दर्शाता है। यद्यपि बैंक के शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, शुद्ध ब्याज आय की वृद्धि अपेक्षाकृत संयमित रही। वर्ष के दौरान शुद्ध ब्याज आय 1.97% बढ़कर ₹14,171 करोड़ हो गई। यह अंतर तीव्र प्रतिस्पर्धी ब्याज दर परिदृश्य तथा उच्च लागत वाली सावधि जमाओं की ओर उद्योग स्तर पर हो रहे संरचनात्मक परिवर्तन का परिणाम है, जिनमें से अनेक पर 7% से अधिक की ब्याज दर प्रदान की जा रही है। इन चुनौतियों के बावजूद, बैंक 3.07% का स्वस्थ शुद्ध ब्याज मार्जिन बनाए रखने में सफल रहा।

प्रमुख लाभप्रदता संकेतक (वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26)

संकेतक	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि / परिवर्तन
शुद्ध लाभ	₹3,785 करोड़	₹4,369 करोड़	15.43%
परिचालन लाभ	₹8,124 करोड़	₹8,479 करोड़	4.37%
शुद्ध ब्याज आय	₹13,897 करोड़	₹14,171 करोड़	1.97%
इक्विटी पर प्रतिलाभ	12.48%	13.00%	+52 बीपीएस

परिसंपत्तियों पर 1.00% का प्रतिलाभ: एक ऐतिहासिक उपलब्धि

"व्यावसायिक उत्कृष्टता के वर्ष" में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की संरचनात्मक सुदृढ़ता का सबसे स्पष्ट प्रमाण उसकी आय वृद्धि की सुदृढ़ होती प्रवृत्ति रही। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने लाभप्रदता को बनाए रखने के चरण से आगे बढ़ते हुए नियोजित आस्तियों से प्राप्त प्रतिलाभ को अधिकतम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की तथा आस्तियों पर 1.00% प्रतिलाभ के महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर को हासिल किया। यह उपलब्धि केवल लाभप्रदता में सुधार का ही परिचायक नहीं है, बल्कि बैंक के अधिक अनुशासित, सुदृढ़ तथा संस्थागत रूप से परिपक्व परिचालन मॉडल को भी प्रतिबिंबित करती है।

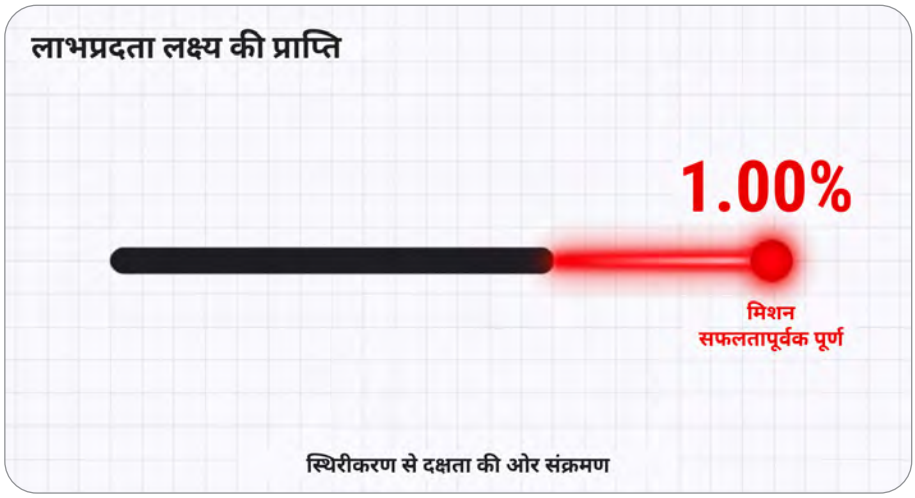

त्रैमासिक प्रगति : सुदृढ़ होती मूल आय का प्रमाण

आस्तियों पर 1.00% की त्रैमासिक प्रतिफल सीमा की प्राप्ति कोई आकस्मिक या एकबारगी उपलब्धि नहीं थी। यह रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिचालन गतिविधियों में बनी रही निरंतर गति, व्यवसायिक प्रगति तथा आय अर्जन क्षमता में सतत सुदृढ़ता का परिणाम थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही में बैंक ने परिसंपत्तियों पर 1.02% का प्रतिलाभ (आरओए) दर्ज करते हुए इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त किया। यह सकारात्मक प्रवृत्ति द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में भी जारी रही, जहाँ परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ 1.01% पर बना रहा तथा पूरे कालखंड में 1.00% के स्तर से ऊपर कायम रहा। कार्यनिष्पादन की इस निरंतरता ने उच्च प्रतिफल वाले रीटेल, कृषि एवं एमएसएमई ऋणों पर बैंक के रणनीतिक फोकस, बेहतर निष्पादन अनुशासन तथा सेंट नियो डिजिटल पारितंत्र के बढ़ते योगदान की प्रभावशीलता को प्रमाणित किया। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि तिमाही कार्यनिष्पादन की इस प्रवृत्ति ने प्रदर्शित किया कि बैंक का मूल व्यवसायिक तंत्र अब संरचनात्मक रूप से इतना सुदृढ़ हो चुका है कि वह उच्च संस्थागत मानदंडों के अनुरूप प्रतिलाभ प्रदान करने में सक्षम है।

वार्षिक आस्तियों पर प्रतिफल : डीटीए के प्रभाव का आकलन

सम्पूर्ण वर्ष के लिए बैंक ने 0.89% का स्वतंत्र आरओए दर्ज किया। तथापि, इस परिणाम का आकलन एक विशिष्ट गैर-परिचालन लेखांकन समायोजन के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। रिपोर्टित आंकड़े में आस्थगित कर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उत्पन्न ₹632 करोड़ के एकमुश्त व्यय का प्रभाव सम्मिलित है। वित्त अधिनियम, 2026 में किए गए संशोधनों के अनुपालन में बैंक ने अपनी निवल आस्थगित कर आस्तियों का पुन: आकलन किया तथा उन्हें संशोधित 25.168% कर दर के आधार पर मापा, जबकि पूर्व में यह आकलन 34.944% की कर दर पर किया गया था। यह प्रभाव विशुद्ध रूप से लेखांकन एवं कराधान संबंधी समायोजन का परिणाम था और इससे बैंक के परिचालन प्रदर्शन की मूलभूत सुदृढ़ता अप्रभावित रही। इस विशिष्ट तकनीकी व्यय के प्रभाव को समायोजित करने पर बैंक की परिचालन प्रगति पूरे वर्ष 1.00% आरओए के लक्ष्य के अनुरूप बनी रही, जो उसकी आय प्रोफ़ाइल की गुणवत्ता, स्थायित्व तथा लचीलेपन को रेखांकित करती है।

विजन 2030 की ओर सेतु निर्माण

बैंक का आस्तियों पर प्रतिफल का कार्यनिष्पादन वर्ष-दर-वर्ष निरंतर सुदृढ़ होती प्रगति को भी रेखांकित करता है। डीटीए के प्रभाव के पश्चात भी, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 0.89% का वार्षिक आरओए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के 0.86% तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के 0.63% की तुलना में बेहतर कार्यनिष्पादन को दर्शाता है। यह बैंक की लाभप्रदता एवं परिचालन दक्षता में निरंतर हो रहे सुधार का प्रमाण है। लगातार बीस तिमाहियों तक अर्जित लाभप्रदता ने इस प्रगति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, प्रचालन लाभ में 10.34% की वृद्धि के साथ इसके ₹8,124 करोड़ तक पहुँचने तथा परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन में निरंतर अनुशासन ने इस उपलब्धि को और बल प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन में निरंतर अनुशासन के फलस्वरूप गिरावट अनुपात 1.16% के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर आ गया, जो बैंक के जोखिम प्रबंधन एवं ऋण गुणवत्ता पर निरंतर फोकस को रेखांकित करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.00% परिचालन आरओए के मील के पत्थर की प्राप्ति ने बैंक के विजन 2030 के उस लक्ष्य के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार किया है, जिसके अंतर्गत 1.50% से अधिक आरओए प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। वर्ष के दौरान अपनी लाभप्रदता संबंधी प्रतिबद्धता को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात बैंक, "व्यावसायिक उत्कृष्टता के वर्ष" में उस गति, परिचालन अनुशासन एवं संस्थागत विश्वास के साथ प्रवेश कर रहा है, जो दीर्घकाल में इन उपलब्धियों को सुदृढ़ एवं स्थायी बनाने के लिए आवश्यक हैं।

परिचालन दक्षता

बैंक प्रक्रिया पुनर्रचना तथा नियमित कार्यों के डिजिटल रूपांतरण के माध्यम से लागत-आय अनुपात के अनुकूलन को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। वर्तमान में 58.61% पर स्थित लागत-आय अनुपात 56.00% से कम के लक्ष्य की दिशा में बैंक की सतत प्रगति को दर्शाता है। यह दक्षता एक संस्थागत आंतरिक परिवर्तन प्रकोष्ठ के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, जो संगठनात्मक चुस्ती को बढ़ाने तथा पूरे बैंक नेटवर्क में परियोजनाओं के निष्पादन की लागत को कम करने के लिए एक केंद्रीय समन्वय मंच के रूप में कार्य करता है।

संपत्ति पर प्राप्त रिटर्न

1 %+ परिसंपति पर प्रतिफल

लगातार चार तिमाहियों तक 1 % से अधिक परिसंपत्ति प्रतिफल बनाए रखा

2. परिसंपत्ति गुणवत्ता की सुदृढ़ता: अनुशासित संवृद्धि

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विकास रणनीति एक स्पष्ट दृष्टिकोण से प्रेरित रही – बैलेंस शीट की मजबूती को अक्षुण्ण रखते हुए व्यवसायिक विस्तार को तीव्र गति प्रदान करना। बैंक ने पोर्टफोलियो की बेहतर गुणवत्ता, सक्रिय जोखिम निगरानी तथा परिणामोन्मुखी वसूली संस्कृति के माध्यम से ऋण विस्तार को और अधिक सुदृढ़ बनाया। इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति गुणवत्ता कई वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर पहुँची, जो इस तथ्य का प्रमाण है कि बैंक की विकास यात्रा सुदृढ़ नियंत्रण व्यवस्थाओं, जोखिमों की अग्रिम पहचान तथा अनुशासित समाधान तंत्र द्वारा समर्थित रही।

स्वचालित अनुपालन एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली : जोखिम सतर्कता का संस्थानीकरण

स्वचालित अनुपालन निगरानी तंत्र की शुरुआत बैंक में अनुपालन संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल रही। सभी 4,585 शाखाओं में नीतिगत अनुपालन की वास्तविक समय, प्रणाली-आधारित निगरानी के माध्यम से स्वचालित अनुपालन निगरानी तंत्र ने नियंत्रण पर्यवेक्षण के लिए एक अधिक सुसंगत, पारदर्शी एवं संस्थागत दृष्टिकोण को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) ने इस ढाँचे को और अधिक सुदृढ़ किया, जिससे बैंक को परिचालन एवं वित्तीय तनाव के संकेतों की समय रहते पहचान करने में सहायता मिली। इन उपायों के परिणामस्वरूप स्खलन अनुपात 1.16% पर सीमित रहा, जो 29 आधार अंकों के उल्लेखनीय सुधार को परिलक्षित करता है।

बैंक ने विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) की निगरानी हेतु समर्पित "वार रूम" भी स्थापित किए, जिससे दैनिक ट्रैकिंग, उत्तरदायित्व में वृद्धि तथा क्षेत्रीय स्तर पर अधिक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सका। इस अनुशासित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ₹5 करोड़ एवं उससे अधिक राशि वाले एसएमए खातों का बकाया ₹2,169 करोड़ से घटकर ₹1,670 करोड़ रह गया। इन सभी पहलों के संयुक्त प्रभाव से सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 3.18% से घटकर 2.67% पर आ गया, जबकि निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 0.49% पर नियंत्रित रहा। साथ ही, बैंक ने 95.97% का सुदृढ़ प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बनाए रखा, जो जोखिमों को वहन करने की उसकी क्षमता में निरंतर हो रही मजबूती को दर्शाता है।

वसूली कार्य-निष्पादन: परिणामों में सुदृढ़ता

वर्ष के दौरान बैंक ने लक्षित वसूली पहलों तथा सुदृढ़ क्रियान्वयन अनुशासन के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान एवं मूल्य प्राप्ति के प्रयासों को और अधिक गति प्रदान की। तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली बढ़कर ₹2,271 करोड़ हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 77% की प्रभावशाली वृद्धि को परिलक्षित करती है। इस कार्य-निष्पादन को विषयगत ओटीएस योजनाओं तथा सरफेसी के अंतर्गत अधिग्रहित परिसंपत्तियों की नीलामी हेतु आयोजित "मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो" पहलों से प्राप्त ₹1,120 करोड़ की प्रत्यक्ष नकद वसूली का भी महत्वपूर्ण समर्थन मिला। ये परिणाम इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि बैंक ने एक सक्रिय एवं सुव्यवस्थित वसूली संस्कृति विकसित की है, जिसमें प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी, खाता-स्तरीय उत्तरदायित्व तथा क्षेत्रीय स्तर पर केंद्रित क्रियान्वयन ने मिलकर दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को ठोस व्यावसायिक मूल्य सृजन में परिवर्तित किया।

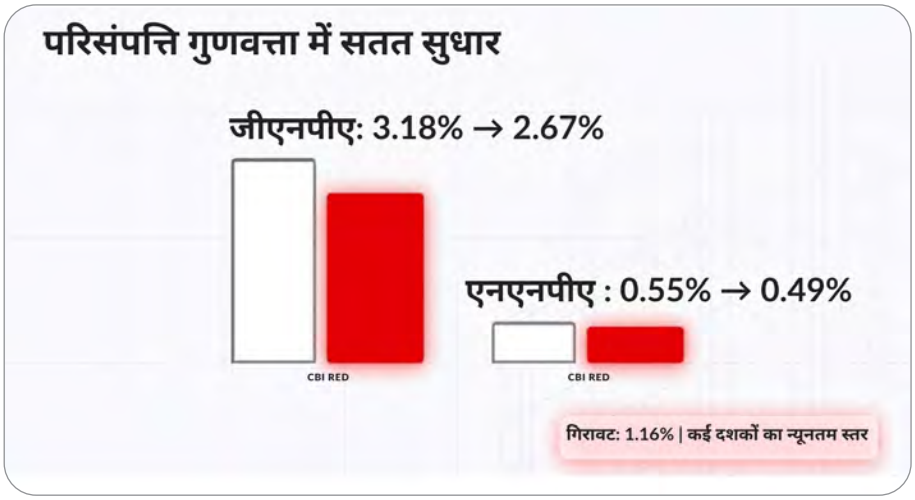

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1.00 % आस्तियों के प्रतिफल का ऐतिहासिक आँकड़े को पार किया, साथ ही बैंक ने परिसंपत्ति गुणवत्ता को और सुदृढ़ बनाया, स्लिपेज मे कमी लाई तथा वसूली की गति को निरंतर बनाए रखा।

संपत्ति पर प्राप्त रिटर्न

2.67 % सकल एनपीए

3.18% से सुधार दर्ज करते हुए, एनएनपीए 0.49% पर पहुँच गया।

3. ऋण वृद्धि का प्रमुख चालक: रीटेल, ऋण एवं एमएसएमई व्यवसाय क्षेत्र में तीव्र प्रगति

रीटेल, कृषि एवं एमएसएमई व्यवसाय वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विकास यात्रा के प्रमुख प्रेरक रहे, जिन्होंने बैंक को ₹8,12,439 करोड़ के कुल व्यवसाय के महत्त्वपूर्ण स्तर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सकल अग्रिमों में 18.76% की वृद्धि दर्ज की गई और वे बढ़कर ₹3,44,516 करोड़ हो गए। यह वृद्धि अधिक प्रभावकारी एवं व्यापक आधार वाले ऋण उत्पादों पर बढ़े हुए फोकस तथा विभिन्न क्षेत्रों की संतुलित भागीदारी से समर्थित रही।

महिलाओं के आवास वित्तपोषण पर केंद्रित सेंट गृह लक्ष्मी तथा वाहन वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने वाली सेंट गो-ग्रीन जैसी लक्षित ऋण योजनाओं ने इस विकास गति को और अधिक सुदृढ़ किया। इन उत्पादों ने प्राथमिक ग्राहक वर्गों में ऋण विस्तार को गति प्रदान करने के साथ-साथ बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो की संतुलित एवं रीटेल-प्रधान प्रकृति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान रीटेल, कृषि एवं एमएसएमई पोर्टफोलियो में व्यापक एवं संतुलित वृद्धि दर्ज की गई। रीटेल अग्रिमों में 25.67% की वृद्धि हुई और वे वित्तीय वर्ष 2024-25 के ₹82,383 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,03,533 करोड़ हो गए। कृषि अग्रिमों में 17.60% की वृद्धि दर्ज की गई और वे ₹52,456 करोड़ से बढ़कर ₹61,687 करोड़ हो गए, जबकि एमएसएमई अग्रिम 17.06% बढ़कर ₹59,243 करोड़ से ₹69,351 करोड़ पर पहुँच गए।

तीनों व्यवसाय क्षेत्रों के संयुक्त योगदान से कुल अग्रिमों में 20.86% की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई और वे ₹1,94,082 करोड़ से बढ़कर ₹2,34,571 करोड़ पर पहुँच गए। यह उपलब्धि व्यापक आधार वाली ऋण वृद्धि, क्षेत्रीय विविधीकरण तथा अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में बैंक की गहन भागीदारी की रणनीति को और अधिक सशक्त बनाती है।

व्यवसाय क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2024-25 (आधार वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2025-26 (उपलब्धि)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)
रीटेल	₹82,383 करोड़	₹1,03,533 करोड़	+25.67%
कृषि	₹52,456 करोड़	₹61,687 करोड़	+17.60%
एमएसएमई	₹59,243 करोड़	₹69,351 करोड़	+17.06%
कुल रीटेल, कृषि एवं एमएसएमई अग्रिम	**₹1,94,082 करोड़**	**₹2,34,571 करोड़**	**+20.86%**

क्लस्टर-आधारित विकास : मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण में सुदृढ़ता

विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप बैंक ने विशिष्ट क्लस्टर -आधारित ऋण मॉडल को अपनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। इस रणनीति के माध्यम से बैंक उत्पादन से उपभोग तक सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में अपनी उपस्थिति सुदृढ़ करने में सफल रहा, जिससे ऋण वितरण की प्रासंगिकता, व्यापकता तथा प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान 225 शाखाओं को एमएसएमई क्लस्टरों तथा 274 शाखाओं को धान मिल, शीतगृह एवं मूंगफली क्लस्टर सहित नौ विशिष्ट कृषि गतिविधियों से जोड़ा गया। इस लक्षित रणनीति ने बैंक को क्षेत्र-विशिष्ट आर्थिक पारितंत्रों में अपनी भागीदारी को और अधिक गहन बनाने, स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देने तथा क्षेत्रीय आर्थिक क्लस्टरों में ऋण की उपलब्धता को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान की।

क्लस्टर-आधारित रणनीति ने बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण उपलब्धियों को भी सुदृढ़ किया, जिसके परिणामस्वरूप समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के अनुपात में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 53.18% तक पहुँच गया, जो 40% की नियामकीय आवश्यकता से कहीं अधिक है। यह प्रदर्शन व्यवसाय संवृद्धि को विकासात्मक उद्देश्यों के साथ समन्वित करने की बैंक की क्षमता को रेखांकित करता है। इसके माध्यम से बैंक ने समावेशी ऋण विस्तार को प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

> रैम व्यवसाय मे वृद्धि केवल बैलेन्स शीट के विस्तार तक सीमित नहीं है; बल्कि यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों मे आर्थिक सुदृढ़ ऋण सहभागिता, क्लस्टर आधारित उपस्थिति का विस्तार तथा भारत की उत्पादक अर्थव्यवस्था को अधिक उद्देश्यपूर्ण ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने का प्रतीक है

4. जमा आधार की सुदृढ़ता: कासा इंजन

जमाओं को आकर्षित करने के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद बैंक ने अपने सुदृढ़ एवं लचीले जमा आधार को बनाए रखा। इस अवधि में उद्योग ने बचत के स्वरूप में एक संरचनात्मक परिवर्तन का अनुभव किया, जिसमें घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रवाह म्यूचुअल फंडों (21.90% वृद्धि) तथा पेंशन निधियों (23.10% वृद्धि) की ओर बढ़ा। उद्योग स्तर पर कम लागत वाली कासा जमाओं के अनुपात में गिरावट दर्ज किए जाने के बावजूद, बैंक का कासा अनुपात केवल मामूली रूप से घटकर 47.30% रहा और यह बैंकिंग क्षेत्र के सर्वोत्तम अनुपातों में सम्मिलित बना रहा।

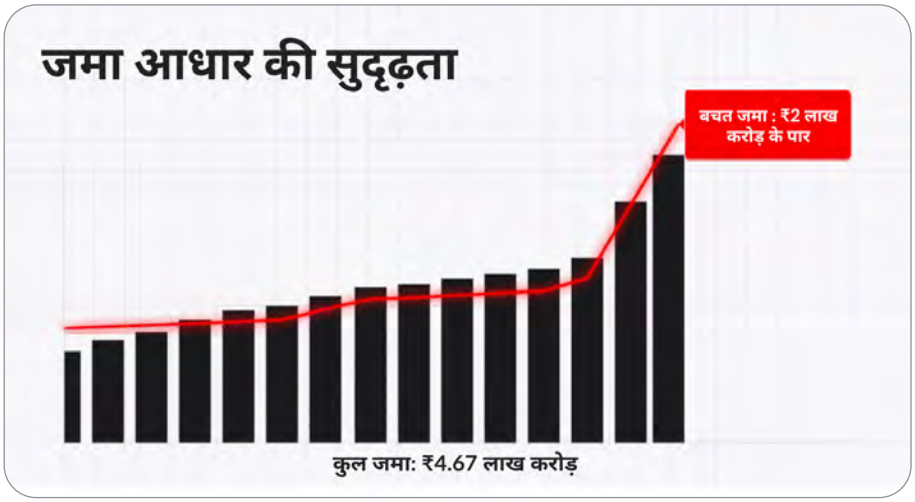

जमा आधार की सुदृढ़ता के प्रमुख स्तंभ

1. **व्यापक ग्राहक आधार का विस्तार:** "आगाज़" एवं "प्रारंभ" अभियानों ने जमा पोर्टफोलियो के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप बचत जमा पहली बार ऐतिहासिक ₹2,00,000 करोड़ के स्तर को पार करते हुए ₹2,00,024 करोड़ तक पहुँच गई।
2. **अनुकूलित उत्पाद नवाचार:** सेंट क्वीन (महिलाओं हेतु) तथा सेंट पराक्रम (रक्षा कर्मियों हेतु) जैसे विशेषीकृत उत्पादों ने प्रमुख ग्राहक वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आकर्षक एवं मूल्यवर्धित बैंकिंग समाधान प्रदान किए।
3. **डिजिटल ऑनबोर्डिंग:** सेंट ईज़ एप्लिकेशन ने सरल, त्वरित एवं निर्बाध ग्राहक अधिग्रहण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके माध्यम से संसाधन संकलन को सुदृढ़ आधार मिला, जिसके परिणामस्वरूप कुल जमाएँ 13.38% की वृद्धि के साथ ₹4,67,923 करोड़ तक पहुँच गईं।

5. नियामकीय पूंजी एवं शोधनक्षमता: उत्कृष्टता का सुदृढ़ आधार

बैंक की सुदृढ़ पूंजी स्थिति "उत्कृष्टता के सुरक्षा कवच" के रूप में कार्य करते हुए उसकी दीर्घकालिक शोधन क्षमता तथा भविष्य की नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहने की क्षमता को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। जोखिम-भारित आस्तियों के अनुपात में पूंजी (सीआरएआर) 89 आधार अंकों के सुधार के साथ 17.02% से बढ़कर 17.91% पर पहुँच गई, जबकि टियर-I पूंजी अनुपात 15.61% रहा।

- **ऋण विस्तार को समर्थन:** सुदृढ़ पूंजी बफर ने बैंक को ऋण वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान की। साथ ही, बैंक ने 73.80% का स्वस्थ ऋण-जमा अनुपात बनाए रखा, जो उसके जमा आधार के प्रभावी एवं कुशल उपयोग को दर्शाता है।
- **प्रत्याशित ऋण हानि(ईसीएल) तत्परता एवं वित्तीय सुदृढ़ता:** उच्च पूंजी स्तर तथा 95.97% का प्रावधान कवरेज अनुपात बैंक को प्रत्याशित ऋण हानि ढाँचे को अपनाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार बनाते हैं तथा वैश्विक व्यापक आर्थिक अस्थिरताओं के प्रति उसकी सुदृढ़ता को भी सुनिश्चित करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2026-27, जिसे "व्यवसाय गति संवर्धन का वर्ष" नामित किया गया है, में प्रवेश करते हुए बैंक का ध्यान तीव्र विस्तार की रणनीति से आगे बढ़कर परिचालन उत्कृष्टता एवं संस्थागत परिपक्वता को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित रहेगा। प्रति कर्मचारी ₹23.89 करोड़ के व्यवसाय सहित उत्पादकता के प्रमुख मानक बैंक की आगामी प्रदर्शन दिशा के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इसी आधार पर बैंक ने 1.00% से अधिक आरओए, 2.50% से कम जीएनपीए अनुपात तथा 56.00% से कम लागत-आय अनुपात जैसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों का निर्धारण किया है।

बौद्धिक पूंजी:

संस्थागत बुद्धिमत्ता - नवाचार की संभावनाओं का विस्तार

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण

रणनीतिक प्राथमिकता

T

व्यवसाय मॉडल का घटक

2 4

जीआरआई मानक

203 (अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव)
418 (ग्राहक गोपनीयता)

"व्यवसाय गति संवर्धन का वर्ष" में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बौद्धिक पूंजी एक अमूर्त परिसंपत्ति से विकसित होकर उच्च-स्तरीय निष्पादन क्षमता के प्रेरक तंत्र में परिवर्तित हो गई है। हमने वित्तीय वर्ष 2025 में स्थापित कार्यनीतिक रूपरेखाओं को मापनीय एवं तीव्र गति से प्राप्त परिणामों में परिवर्तित कर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। हमारी बौद्धिक कार्यनीति अब केवल मंचों के शुभारंभ तक सीमित नहीं है; यह बुद्धिमत्ता-आधारित निष्पादन पर केंद्रित है, जिसने हमारे कुल व्यवसाय को ₹8,12,439 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर तक पहुँचाने में सक्षम बनाया है।

अपने मानवीय कौशल एवं विशेषज्ञता को आंतरिक रूपांतरण केंद्र तथा सेन्ट नियो डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ समन्वित करते हुए हमने अपनी 115 वर्ष पुरानी स्वदेशी विरासत को एक भविष्य-उन्मुख, बुद्धिमत्ता-प्रथम संस्था के रूप में पुनर्परिभाषित किया है।

संरचनात्मक पूंजी: गति संवर्द्धन के परिवर्तनीय तंत्र

"व्यवसाय गति संवर्द्धन के वर्ष" में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की संरचनात्मक पूंजी को पारंपरिक प्रणालियों के एक समूह से पुनर्परिभाषित कर एक उच्च-गति, एकीकृत संरचना के रूप में विकसित किया गया है, जिसे विस्तार योग्य परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। यह रणनीतिक विकास हमारी "अवसंरचना के आधुनिकीकरण" की आधारभूत अवस्था से "संरचना-संचालित प्रगति" के क्रियान्वयन चरण की ओर रुपांतरण को दर्शाता है। हमारी संरचनात्मक पूंजी अब बैंक के संस्थागत "मस्तिष्क" के रूप में कार्य करती है, जिसमें स्वचालित प्रक्रियाएँ, स्वामित्वाधीन डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा बुद्धिमत्ता-आधारित निगरानी प्रणालियाँ सम्मिलित हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि ₹8,12,439 करोड़ के हमारे कुल व्यवसाय का प्रबंधन सर्वोच्च अनुशासन एवं दक्षता के साथ किया जाए।

मिशन प्रगति: वादे को साकार करना

फ्रेमवर्क से बड़े पैमाने के निष्पादन की ओर संक्रमण।

आंतरिक रूपांतरण केंद्र : परिवर्तन का केंद्रीय नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र

वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमारे परिचालन मॉडल की सबसे विशिष्ट विशेषता आंतरिक रूपांतरण केंद्र का संस्थानीकरण है। इस विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना संगठन में समग्र परिवर्तन लाने तथा शीर्ष स्तर पर निर्धारित रणनीतिक उद्देश्यों को बैंक की सभी 4,585 शाखाओं में मूर्त, मापनीय एवं व्यापक परिणामों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से की गई है। यह हब संगठनात्मक सुधारों के समन्वय के लिए केंद्रीय नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि बैंक की सभी पहलें ईज़- 7.0 रूपरेखा तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) के निर्देशों जैसे राष्ट्रीय अधिदेशों के साथ पूर्णत: संरेखित हों। प्रक्रियाओं के पुनर्रचना को गति देने तथा संगठन के भीतर त्वरित निर्णय एवं अनुकूलन की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के माध्यम से इस रूपांतरण केंद्र ने बैंक को बाजार के अवसरों के प्रति अभूतपूर्व गति से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाया है। इसके परिणामस्वरूप नियोजित पूंजी की प्रत्येक इकाई का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हुआ है और बैंक ₹13 लाख करोड़ के व्यवसाय वाले संस्थान बनने की अपनी यात्रा में और अधिक तीव्र गति से अग्रसर हुआ है।

त्वरित एवं व्यापक दृश्यता: प्रिज़्म पोर्टल

इस तीव्र विकास को समर्थन प्रदान करने हेतु, हमने प्रिज़्म (प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम) पोर्टल को बैंक में वास्तविक समय आधारित परिचालन पर्यवेक्षण के प्रमुख तंत्र के रूप में संस्थागत रूप प्रदान किया है। प्रिज़्म, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता वाली आईटी जोखिम प्रबंधन समिति को बैंक की डिजिटल एवं ऋण संबंधी पहलों का पारदर्शी तथा समग्र दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है। यह केवल रिपोर्टिंग तक सीमित न रहकर विचार-सृजन, उनके क्रियान्वयन तथा निगरानी को भी सक्रिय रूप से सक्षम बनाता है। वर्तमान में, प्रिज़्म हमारे डिजिटल ऋण मंच (डीएलपी) पर संचालित 37 सक्रिय डिजिटल यात्राओं की प्रगति पर सतत निगरानी रखता है तथा प्रबंधन को ऐसी उच्च-गुणवत्ता वाली सूचनाएँ उपलब्ध कराता है, जो पहलों के तीव्र विस्तार के साथ-साथ सुदृढ़ लेखापरीक्षण अनुक्रम बनाए रखने में सहायक हैं। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि हमारा व्यवसायिक गति संवर्द्धन साक्ष्य-आधारित हो, जिससे आवश्यकता पड़ने पर त्वरित हस्तक्षेप तथा संसाधनों के पुनर्समायोजन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

स्वचालित सुदृढ़ता : अनुपालन निगरानी

मूलभूत उत्कृष्टता से उच्च स्तर के निष्पादन की दिशा में हमारी यात्रा के साथ जोखिम प्रबंधन संरचना में रूपान्तरण की आवश्यकता थी। इसी दृष्टि से सक्षम स्वचालित अनुपालन निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया। अब यह प्रणाली बैंक की समस्त शाखाओं में लागू है और इसने अनुपालन को केवल मैनुअल पर्यवेक्षण तक सीमित न रखकर रीयल-टाइम, बुद्धिमत्ता-आधारित अनुशासन का स्वरूप प्रदान किया है। स्वचालित अनुपालन निगरानी प्रणाली ने बैंक को 1.16% के ऐतिहासिक स्लिपेज अनुपात की उपलब्धि प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हमारे 1.25% के निर्धारित लक्ष्य से भी बेहतर है। यह सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय की मात्रा में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ हमारे ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता भी निरंतर मजबूत बनी रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि बैंक का सकल गैर निष्पादक परिसंपत्ति अनुपात घटकर 2.67% के बहुवर्षीय न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है।

डिजिटल फ्रंटियर: सेंट नियो इकोसिस्टम

हमारी संरचनात्मक पूंजी के शिखर पर सेंट नियो स्थित है, जो आधुनिक भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकसित हमारा प्रमुख बुद्धिमत्ता-संचालित डिजिटल इकोसिस्टम है। वित्तीय वर्ष 2026 में सेंट नियो ने एक आरंभिक रूपरेखा से विकसित होकर उच्च-स्तरीय परिचालन मंच का रूप धारण किया, जिसने हमारे 8.26 करोड़ ग्राहकों को अत्यधिक वैयक्तिकृत तथा उपकरण-निरपेक्ष सेवाएँ प्रदान कीं। यह पारिस्थितिकी तंत्र हमारे 90.54% के रिकॉर्ड डिजिटल लेनदेन हिस्से का प्रमुख प्रेरक रहा है। इसने नियमित बैंकिंग कार्यों को स्वचालित माध्यमों की ओर स्थानांतरित किया, जिससे हमारी मानव पूंजी को उच्च-मूल्य ऋण अभिग्रहण एवं मूल्यांकन गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ। सेंट नियो एक ऐसे भविष्य-उन्मुख बैंक के निर्माण की हमारी प्रतिबद्धता का मूर्त रूप है, जो वास्तव में प्रत्येक भारतीय के जीवन में "सेन्ट्रल" भूमिका निभाता है। यह 24×7 बैंकिंग सेवाओं को वैश्विक मानकों की दक्षता एवं विश्वास के साथ प्रदान करने हेतु आवश्यक संरचनात्मक क्षमता उपलब्ध कराता है।

डिजिटल शेयर

90.54%

डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी 90.54% के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो व्यापक स्तर पर वैकल्पिक वितरण माध्यमों को अपनाए जाने का प्रतीक है।

संबंधपरक बौद्धिक पूंजी : डिजिटल फ्रंटियर में विश्वास का विस्तार

"व्यवसाय गति संवर्द्धन के वर्ष" में, संबंधपरक बौद्धिक पूंजी हमारे 115 वर्षों की विश्वासपूर्ण विरासत और एक बुद्धिमत्ता-संचालित डिजिटल इकोसिस्टम के रूप में हमारे भविष्य के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में उभरी है। हमने पारंपरिक संबंध प्रबंधन की अवधारणा से आगे बढ़कर डिजिटल विश्वास एवं अत्यधिक वैयक्तिकृत सेवाओं को संस्थागत रूप प्रदान किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि हमारे 8.26 करोड़ ग्राहकों को एक फिनटेक की गति तथा एक राष्ट्रीय संस्थान की सुदृढ़ता का समन्वित अनुभव प्राप्त हो। अपनी स्वामित्वाधीन बौद्धिक परिसंपत्तियों का लाभ लेते हुए, हमने ऐसा बैंकिंग परिवेश विकसित किया है, जहाँ सुरक्षा अदृश्य होते हुए भी पूर्णत: सुनिश्चित है तथा जहाँ नवाचार का उपयोग सामाजिक रूपांतरण एवं समावेशी विकास के एक सुनियोजित साधन के रूप में किया जाता है।

डिजिटल विश्वास का आधार: .bank.in डोमेन में स्थानांतरण

वित्तीय वर्ष 2026 में हमारी संस्थागत परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण संकेतक बैंक की संपूर्ण डिजिटल अवसंरचना — जिसमें एंटरप्राइज ई-मेल, इंटरनेट बैंकिंग तथा हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट शामिल हैं — का सुरक्षित एवं सत्यापित .bank.in डोमेन में 100% स्थानांतरण रहा है। यह केवल एक तकनीकी अद्यतन नहीं था, बल्कि साइबर सुरक्षा को हमारी ब्रांड प्रतिष्ठा के एक मूलभूत घटक के रूप में संस्थागत रूप प्रदान करने की दिशा में लिया गया एक रणनीतिक कदम था। परिष्कृत साइबर खतरों के इस युग में, .bank.in डोमेन विश्वास के एक उच्च-विश्वसनीयता वाले दृश्य संकेतक के रूप में कार्य करता है, जो फिशिंग एवं स्पूफिंग के जोखिमों को प्रभावी रूप से समाप्त करते हुए ग्राहकों को पूर्णत: यह आश्वासन प्रदान करता है कि वे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वास्तविक एवं प्रामाणिक डिजिटल मंच के साथ संवाद कर रहे हैं। यह स्थानांतरण एक सुरक्षित वित्तीय शक्ति-केंद्र के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को और अधिक सुदृढ़ करता है तथा हमारी डिजिटल संरचना को वैश्विक स्तर के सर्वोच्च विनियामकीय मानकों के अनुरूप स्थापित करता है।

प्रगति का प्रमाण : 90.54% डिजिटल हिस्सेदारी की उपलब्धि

हमारी बौद्धिक पूंजी की प्रभावशीलता का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे डिजिटल माध्यमों द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड-स्तरीय प्रगति में परिलक्षित होता है। वित्तीय वर्ष 2026 में वैकल्पिक वितरण चैनलों के माध्यम से किए गए डिजिटल लेनदेनों की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से 90.54% तक पहुँच गई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और सेंट नियो इकोसिस्टम की विस्तार क्षमता को प्रमाणित करती है। इसका अर्थ है कि अब प्रत्येक 10 में से 9 ग्राहक संपर्क हमारी बुद्धिमत्ता-संचालित प्रणालियों के माध्यम से हो रहे हैं, जिससे भौगोलिक सीमाओं से परे 24×7 सेवाएँ प्रदान करना संभव हो सका है। नियमित बैंकिंग सेवाओं का डिजिटल फ्रंटियर की ओर यह स्थानांतरण न केवल ग्राहकों की सुविधा में वृद्धि का कारण बना है, बल्कि कार्यबल की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रमुख आधार भी रहा है। इससे हमारे कर्मचारियों को उच्च-मूल्य परामर्श सेवाओं तथा जटिल ऋण अभिग्रहण एवं मूल्यांकन कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

समावेशी नवाचार : पिंक शाखाओं के माध्यम से नेतृत्व

हमारा मानना है कि वास्तविक बौद्धिक पूंजी केवल संस्थागत विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक प्रगति की भी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए। सामाजिक अभिशासन के क्षेत्र में हमारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि देशभर में 115 "पिंक शाखाओं" का संचालन है, जिनका प्रबंधन पूर्णत: महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। ये शाखाएँ केवल भौतिक अवसंरचना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नेतृत्व के ऐसे सशक्त केंद्र हैं जहाँ विविधता एवं समावेशन से संबंधित हमारी बौद्धिक अवधारणाओं को एक विशिष्ट, संवेदनशील एवं ग्राहक-केंद्रित सेवा मॉडल के रूप में मूर्त रूप दिया जाता है। "नारी शक्ति" के प्रति हमारी इस प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में बैंक को "बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमन 2026" का प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हमारी बौद्धिक परिसंपत्तियों का उपयोग समाज के सभी वर्गों के लिए आकांक्षी एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने हेतु प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

बुद्धिमत्ता के माध्यम से अत्यधिक वैयक्तिकृत सेवाएँ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग तथा भावना विश्लेषण को हमारे ग्राहक सहभागिता मॉडलों में एकीकृत करके हमारी संबंधपरक पूंजी को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म तथा आंतरिक डेटा लेक का उपयोग करते हुए हमने अपने फ्रंटलाइन कर्मचारियों को एमएसएमई पात्रता कैलकुलेटर जैसे उपकरणों से सशक्त बनाया है, जिससे ग्राहकों को त्वरित एवं डेटा-के आधार पर शामिल करना संभव हुआ है। हमारा एकीकृत ग्राहक सेवा प्लेटफॉर्म अब भावना विश्लेषण का उपयोग करते हुए शिकायतों के सक्रिय समाधान को सक्षम बनाता है, जिससे ग्राहक सेवा एक प्रतिक्रियात्मक कार्यप्रणाली से विकसित होकर त्वरित एवं प्रभावी समाधान प्रदान करने वाले सशक्त तंत्र में परिवर्तित हो गई है। यह बुद्धिमत्ता-संचालित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया केवल पूंजी उपलब्ध कराने वाला संस्थान ही न रहे, बल्कि प्रत्येक भारतीय की वित्तीय यात्रा में अत्यधिक वैयक्तिकृत सेवाएँ प्रदान करने वाला एक विश्वसनीय सहभागी भी बना रहे।

मानव बौद्धिक पूंजी : ज्ञान-संचालित उत्पादकता

"व्यवसाय गति संवर्द्धन के वर्ष" में, मानव बौद्धिक पूंजी को संस्थागत क्षमता को तीव्र एवं प्रभावी परिणामों में परिवर्तित करने वाले प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में देखा गया है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 33,997 कर्मचारियों वाले कार्यबल को अब केवल एक कार्यात्मक संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि 8.26 करोड़ ग्राहकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले एक रणनीतिक प्रेरक तंत्र के रूप में देखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अपनी मानव पूंजी रणनीति को "सामान्य प्रशिक्षण" से "लक्षित कौशल संवर्धन" की दिशा में परिवर्तित किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी सामूहिक विशेषज्ञता उच्च स्तर के ऋण वितरण तथा डिजिटल रूपांतरण की आवश्यकताओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से संरेखित हो। इस परिवर्तन ने एक अधिक गतिशील, बुद्धिमत्ता-संचालित कार्यबल का निर्माण किया है, जो जटिल वित्तीय परिदृश्य में प्रभावी ढंग से कार्य करने के साथ-साथ सतत विकास के लिए आवश्यक सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन एवं अभिग्रहण मानकों को बनाए रखने में सक्षम है।

लक्षित कौशल संवर्धन : 1,000 क्रेडिट अधिकारियों का अधिदेश

बैंक के तीव्र गति से बढ़ते ऋण एजेंडा को समर्थन प्रदान करने हेतु, हमने 1,000 क्रेडिट अधिकारियों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। यह पहल हमारी बौद्धिक पूंजी रणनीति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ रही, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले ऋण मूल्यांकन मानकों को संस्थागत रूप देना तथा निर्णय-निर्माण की गति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना था। पारंपरिक ऋण मूल्यांकन से आगे बढ़ते हुए, इस पाठ्यक्रम में विशेषीकृत ईएसजी जोखिम आकलन तथा डिजिटल मूल्यांकन तकनीकों को भी सम्मिलित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि ऋण पोर्टफोलियो में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता एवं स्वच्छता भी सुदृढ़ बनी रहे। विशेषज्ञता में निवेश ने बैंक को रैम तथा कॉर्पोरेट खंडों में उच्च-गति ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया, वह भी उस, ऋण अनुशासन से समझौता किए बिना जो हमारे परिवर्तन की पहचान है।

उत्प्रेरक को सशक्त बनाना

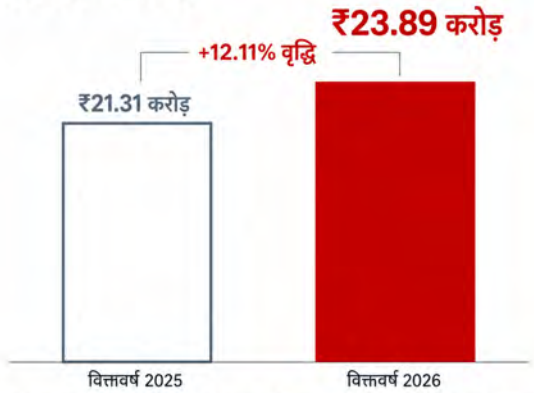

33,997 सदस्यों वाले कार्यबल में 1,000 क्रेडिट अधिकारियों के सटीक कौशल-विकास से संचालित उत्पादकता वृद्धि।

उत्पादकता का कीर्तिमान: ₹23.89 करोड़ तक की तीव्र वृद्धि

हमारे ज्ञान-संचालित दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे बढ़ते उत्पादकता संकेतकों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वित्तीय वर्ष 2026 में हमारा प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹23.89 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.11% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। यह कार्य-निष्पादन वृद्धि हमारे उस रणनीतिक निर्णय को प्रमाणित करती है, जिसके अंतर्गत नियमित एवं निम्न-मूल्य वाले लेनदेन को सेंट नियो इकोसिस्टम में स्थानांतरित किया गया, जिसने इस वर्ष 90.54% का रिकॉर्ड डिजिटल शेयर प्राप्त किया। बौद्धिक पूंजी के उपयोग से नियमित कार्यों के स्वचालन ने हमारे मानव संसाधनों को उच्च-मूल्य परामर्श सेवाओं, जटिल एमएसएमई क्लस्टर वित्तपोषण तथा सक्रिय ऋण निगरानी जैसे कार्यों पर केंद्रित होने के लिए मुक्त किया है। यह "प्रसंस्करण" से "बुद्धिमत्ता" की ओर परिवर्तन हमारे तीव्र गति वाले व्यवसाय मॉडल का निर्णायक अंतरकारी तत्व है।

भविष्य का निर्माण: सेंट नर्चर परियोजना एवं सक्सेशन रेडीनेस

उच्च-गति से संवर्द्धन के इस वर्ष के समापन के साथ ही, हमारी बौद्धिक पूंजी रणनीति पहले से ही आगामी प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2027 के "व्यवसाय उत्कृष्टता वर्ष" की तैयारी में संलग्न है। "परियोजना सेंट नर्चर" पहल के परिष्करण के माध्यम से, हमने महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिकाओं हेतु लक्षित विकास प्रक्रिया को संस्थागत रूप प्रदान किया है। उच्च संभावनाओं वाली प्रतिभा की पहचान कर उन्हें विशिष्ट नेतृत्व प्रदान करते हुए, बैंक सभी प्रशासनिक एवं परिचालन स्तरों पर सुदृढ़ सक्सेशन रेडीनेस सुनिश्चित कर रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि गति संवर्द्धन चरण के दौरान प्राप्त गति केवल अस्थायी न होकर, स्थायी संस्थागत उत्कृष्टता की आधारशिला बने तथा सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन का आधार प्रदान करे।

> जब ज्ञान को उद्देश्यपूर्ण ढंग से परिष्कृत किया जाता है, तो मानव उत्पादकता, सटीक ऋण वृद्धि और दीर्घकालिक संस्थागत उत्कृष्टता के लिए बैंक की सबसे सशक्त प्रेरक शक्ति बन जाते हैं।

भावी दृष्टिकोण : उत्कृष्टता का संस्थानीकरण (वित्तीय वर्ष 2027)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के "व्यवसाय गति संवर्द्धन के वर्ष" के समापन के साथ ही हम एक रणनीतिक परिवर्तन बिंदु पर स्थित हैं। आधारभूत रूपरेखाओं को मूर्त एवं विस्तार योग्य परिणामों में परिवर्तित कर अपनी "प्रतिबद्धता को पूर्ण करने" के पश्चात अब हमारा ध्यान वित्तीय वर्ष 2026-27, अर्थात् "व्यवसाय उत्कृष्टता वर्ष" की ओर केंद्रित है। यह अगला चरण हमारे गति संवर्द्धन काल में अर्जित उपलब्धियों के संस्थानीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें तीव्र विस्तार से आगे बढ़ते हुए परिचालन दक्षता, डिजिटल परिपक्वता तथा सतत मूल्य सृजन के सूक्ष्म संवर्धन पर बल दिया जाएगा। आगामी चक्र के लिए हमारी बौद्धिक पूंजी रूपरेखा उच्च-गति विकास और स्थायी संस्थागत उत्कृष्टता के मध्य अंतर को कम करने हेतु विशेष रूप से तैयार की गई है।

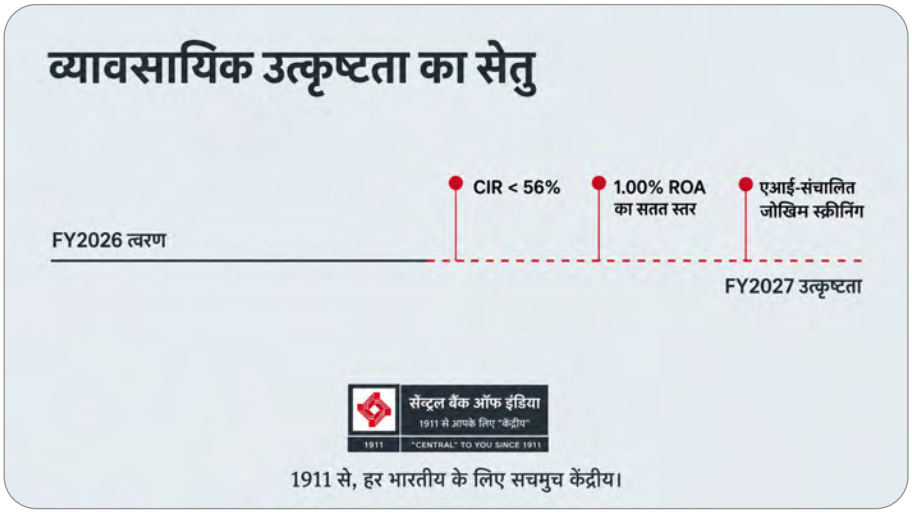

बुद्धिमत्ता-संचालित अभिशासन : पूर्वानुमानात्मक एआई/एमएल एकीकरण

स्वचालित अनुपालन निगरानी प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के आधार पर अब बैंक पूर्वानुमान-आधारित शासन मॉडल की दिशा में अग्रसर होगा। हमारी भावी कार्ययोजना के अंतर्गत स्वचालित अनुपालन पारिस्थितिकी तंत्र में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग तथा सेंटिमेंट एनालिटिक्स का समावेश किया जाएगा, ताकि मानव संसाधन, उत्पाद, प्रक्रियाओं अथवा नीतियों से संबंधित संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की अग्रिम पहचान कर समय रहते आवश्यक निवारक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। वास्तविक समय आधारित निगरानी से आगे बढ़ते हुए पूर्वानुमानात्मक जोखिम मॉडलिंग की ओर यह परिवर्तन हमें परिसंपत्ति गुणवत्ता की सुदृढ़ता को और अधिक संस्थागत बनाने में सक्षम बनाएगा, जिसका लक्ष्य सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के स्तर को 2.50% से नीचे बनाए रखना तथा स्लिपेज अनुपात को सख्त सीमाओं के भीतर नियंत्रित रखना है। यह विकास सुनिश्चित करता है कि हमारी संरचनात्मक पूंजी बैंक की सुदृढ़ता की एक स्व-शिक्षण संरक्षक प्रणाली के रूप में विकसित हो।

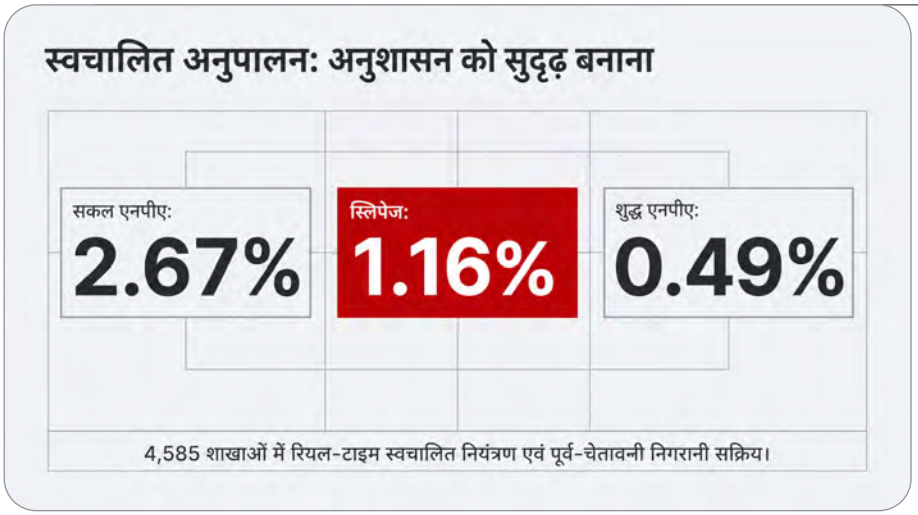

निर्बाध सहभागिता: ओम्नी-चैनल परिपक्वता

"व्यवसाय उत्कृष्टता वर्ष" के प्रमुख अधिदेशों में से एक पूर्ण विकसित ओम्नी-चैनल प्लेटफॉर्म का निर्माण है। इसके अंतर्गत हम एक एकीकृत डिजिटल संरचना विकसित कर रहे हैं, जो एक निर्बाध एवं उपकरण-निरपेक्ष ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करेगी, जहाँ ग्राहक यात्रा मोबाइल डिवाइस पर प्रारंभ होकर सहायता-आधारित चैनल के माध्यम से बिना किसी डेटा पुनरावृत्ति के पूर्ण की जा सकेगी। यह परिपक्वता हमारी डिजिटल ऋण मंच (डीएलपी) की वर्तमान 37 यात्राओं से आगे विस्तार तथा सेंट नियो इकोसिस्टम के व्यापक विस्तार द्वारा समर्थित होगी। प्रत्येक संपर्क बिंदु पर "वित्तीय सुपरमार्केट" जैसा अनुभव प्रदान करते हुए, हम अपने 8.26 करोड़ ग्राहकों की विकसित होती आकांक्षाओं के केंद्र में वास्तविक अर्थों में "सेन्ट्रल" बैंक बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता को साकार करेंगे।

कोर का अनुकूलन: डेटा लेक विस्तार एवं दक्षता

वित्तीय वर्ष 2027 में हमारी बौद्धिक पूंजी का उपयोग संस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने तथा बैलेंस शीट के अनुकूलन हेतु किया जाएगा। आधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म तथा विस्तारित डेटा लेक क्षमताओं का लाभ उठाते हुए बैंक उन्नत विश्लेषण के माध्यम से ऋण-जमा अनुपात को और अधिक परिष्कृत करेगा, जिससे इसे 75%–80% के उद्योग मानकों के अनुरूप संरेखित किया जा सके। ये बुद्धिमत्ता-संचालित सक्षमकारी उपकरण हमारी दक्षता संबंधी अनिवार्यता के प्रमुख प्रेरक होंगे, जिनका लक्ष्य लागत-आय अनुपात को 56.00% से नीचे लाना है। परिचालन उत्कृष्टता के प्रति यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि हमारा व्यवसायिक गति संवर्द्धन दीर्घकालिक, श्रेष्ठ मूल्य सृजन के लिए सभी हितधारकों हेतु एक स्थायी आधार के रूप में कार्य करे।

प्राकृतिक पूंजी : नेट-ज़ीरो भविष्य की ओर अग्रसर

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION

रणनीतिक प्राथमिकता

T

व्यवसाय मॉडल का घटक

2 4

जीआरआई मानक

302, 305 (ऊर्जा एवं उत्सर्जन)
एफएस-8 (पर्यावरणीय लाभ)

"व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्राकृतिक पूंजी हमारी मूलभूत प्रतिबद्धता से विकसित होकर सतत विकास को गति प्रदान करने वाला एक सशक्त और प्रभावशाली प्रेरक बन गई है। हम यह मानते हैं कि हमारी 115 वर्षों की गौरवशाली विरासत पर्यावरण की स्थिरता और प्रत्यास्थता से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। वित्तीय वर्ष 2026 में **"अपने संकल्प को सिद्ध करने"** के पश्चात्, हमने केवल नीतिगत ढाँचों तक सीमित रहने के बजाय हरित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मापनीय प्रभाव उत्पन्न किया है। हमारी प्राकृतिक पूंजी रणनीति अब **रुपांतरण की** प्राथमिकता को आगे बढ़ाने वाली एक प्रमुख प्रेरक शक्ति बन चुकी है, जो यह सिद्ध करती है कि संस्थागत तीव्रता तथा पर्यावरणीय संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं और मिलकर सतत प्रगति को सुदृढ़ बनाते हैं।

> वित्तीय वर्ष 2025 में स्थापित हमारी मजबूत आधारशिला ने एक प्रभावशाली प्रस्थान मंच का कार्य किया। वित्तीय वर्ष 2026 में हमने नई ऊँचाइयों की ओर निर्णायक उड़ान भरी—अपनी सार्वभौमिक पहुँच और व्यापक उपस्थिति का लाभ उठाते हुए भारत के हरित परिवर्तन को अभूतपूर्व पैमाने पर वित्तपोषित किया, जो राष्ट्र की नेट-ज़ीरो आकांक्षाओं को साकार करने में वास्तव में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।

हरित वित्त की गति को बढ़ावा देना: पोर्टफोलियो का व्यापक विस्तार

"व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हरित अवसरों की रणनीतिक पहचान के चरण से आगे बढ़ते हुए उच्च-स्तरीय परिचालन निष्पादन के चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। जहाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 नीति-निर्माण तथा हमारी प्रारंभिक हरित पहलों के शुभारंभ के माध्यम से "उत्कृष्टता प्रदान करने" का प्रतीक था, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 वह निर्णायक अवधि सिद्ध हुआ है, जिसमें इन रूपरेखाओं का प्रभावी उपयोग कर राष्ट्रीय स्तर पर सार्थक प्रभाव उत्पन्न किया गया है। हमने अपने हितधारकों के प्रति संकल्प को पूरा करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि हमारा सतत वित्त ढाँचा अब जलवायु-अनुकूल एवं पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी क्षेत्रों की ओर पूंजी आवंटन का मार्गदर्शन कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, हरित ऋण-वितरण को हमारी मुख्य व्यावसायिक कार्यप्रणाली के एक अभिन्न एवं संस्थागत रूप से स्थापित अनुशासन के रूप में सुदृढ़ किया गया है।

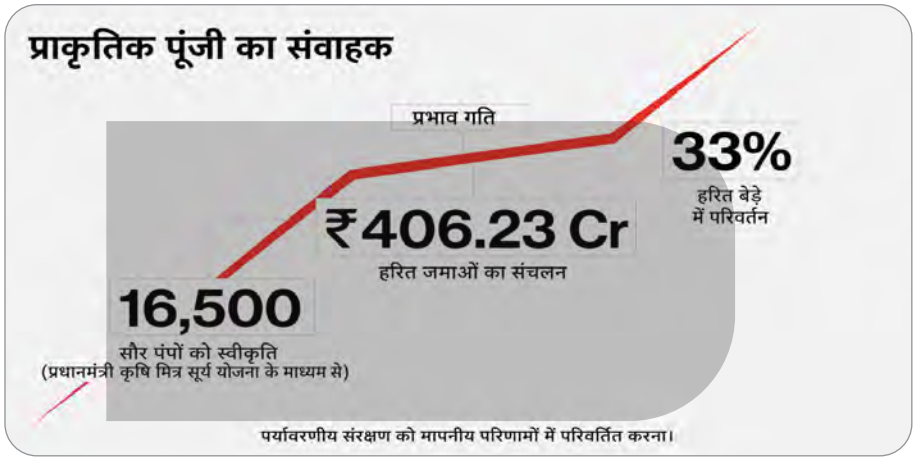

I. बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन: विस्तार की गति में वृद्धि

वित्त वर्ष 2025 में वितरित किए गए ₹2,932.22 करोड़ की सुदृढ़ आधारशिला पर आगे बढ़ते हुए, बैंक ने भारत के ऊर्जा परिवर्तन की रीढ़ माने जाने वाले रणनीतिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में अपने निवेश को और अधिक गति प्रदान की है। वित्त वर्ष 2026 में, बैंक ने बड़े पैमाने की पवन, सौर तथा जलविद्युत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से ₹2,751.44 करोड़ की ऐतिहासिक स्वीकृति प्रदान की। सामान्य ऋण वितरण से आगे बढ़कर तीव्र गति से परियोजना-विशिष्ट वित्तपोषण की दिशा में किया गया यह परिवर्तन सुनिश्चित करता है कि बैंक की ऋण प्रणाली सीधे तौर पर किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को गति प्रदान कर रही है। आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन हब के माध्यम से हरित ऋण की अंडरराइटिंग प्रक्रिया को अधिक तीव्र एवं सुव्यवस्थित बनाते हुए हमने ऋण स्वीकृति एवं वितरण की समयावधि में उल्लेखनीय कमी की है। इससे बैंक प्रतिस्पर्धी परिवेश में उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का सृजन करने के साथ-साथ विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प को भी सशक्त समर्थन प्रदान कर रहा है।

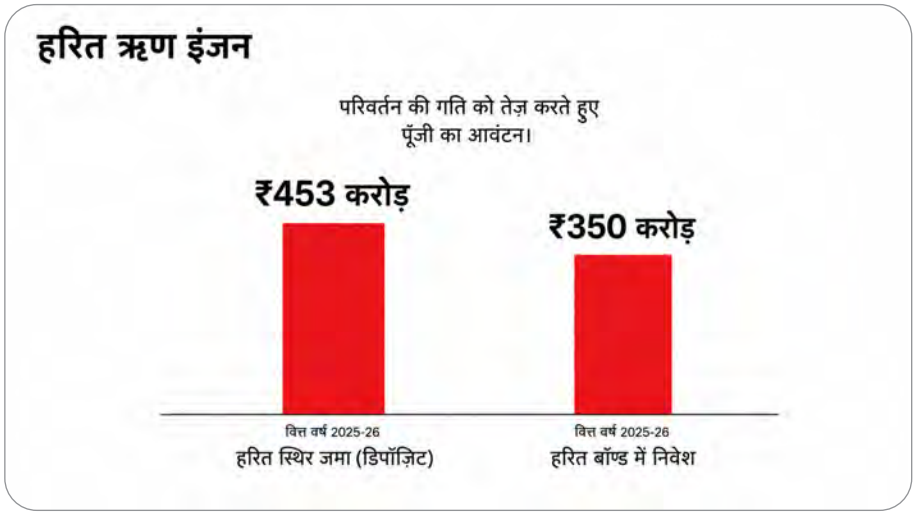

II. हरित बॉन्ड एवं जमा: सतत विकास की गति में वृद्धि

हमारी देयता फ्रेंचाइज़ी हरित विकास की एक प्रमुख उत्प्रेरक बनकर उभरी है, जो हमारे सतत ऋण पोर्टफोलियो के विस्तार को गति देने के लिए आवश्यक कम-लागत, व्यापक एवं स्थिर वित्तीय संसाधन प्रदान कर रही है।

- **हरित जमा में वृद्धि:** वित्त वर्ष 2025 में सफल संकलन के बाद, हमने अपने **ग्रीन फिक्स्ड डिपॉज़िट** कार्यक्रम का उल्लेखनीय विस्तार किया है। वित्त वर्ष 2026 में इस कार्यक्रम ने **₹453 करोड़** का ऐतिहासिक स्तर प्राप्त किया, जिससे ग्राहकों को लचीली जमा अवधि के विकल्पों के साथ-साथ देश के हरित परिवर्तन में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर मिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त समस्त धनराशि का उपयोग विशेष रूप से पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु किया जाता है, जो जलवायु-संवेदनशील एवं उत्तरदायी वित्तपोषण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है।
- **सॉवरेन हरित बॉन्ड में निवेश:** हमने अपने ट्रेज़री परिचालनों के माध्यम से राष्ट्रीय सुदृढ़ता एवं स्थिरता को सशक्त बनाने में अपनी भागीदारी को भी समानांतर रूप से बढ़ाया है। सॉवरेन हरित बॉन्ड (जी-सेक) में हमारा निवेश वित्त वर्ष 2026 में **₹350.26 करोड़** हो गया। यह रणनीतिक वृद्धि हमारे पूंजी भंडार को ईज़ 7.0 की सतत विकास संबंधी प्राथमिकताओं तथा वित्त मंत्रालय के ग्रीन फाइनेंस रोडमैप के अनुरूप संरेखित करती है। इसके परिणामस्वरूप, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया संस्थागत स्तर पर पर्यावरणीय उत्तरदायित्व एवं सतत वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में एक आदर्श मानक स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

परिसंपत्तियों के परिनियोजन और संसाधनों के संकलन के इस समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से हमने यह सिद्ध किया है कि पर्यावरणीय स्थिरता अब केवल एक परिधीय उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह संस्थागत प्रगति की गति को संचालित करने तथा दीर्घकालिक मूल्य सृजन को सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बन चुकी है।

विषयगत हरित प्रगति: देश के ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों तक विकास के संकल्प को सिद्ध करना

"व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के परिचालनात्मक परिवर्तन का सबसे स्पष्ट प्रतीक हमारी उन्नत डिजिटल इकोसिस्टम के साथ प्राकृतिक पूंजी का निर्बाध एकीकरण रहा है। जहाँ वित्त वर्ष 2024-25 मुख्यत: ईवी, सौर ऊर्जा एवं बायोगैस योजनाओं की वैचारिक शुरुआत के माध्यम से "उत्कृष्टता प्रदान करने" पर केंद्रित था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 तीव्र गति से क्रियान्वयन का चरण है। हमने पायलट परियोजनाओं के प्रायोगिक चरण से आगे बढ़ते हुए हरित विकास की ऐसी विषयगत गति प्राप्त की है, जो विश्वसनीय है और भारत के हृदयस्थल में वास्तव में "टूली सेन्ट्रल" बन चुकी है। यह इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि व्यापक स्तर पर ऋण वितरण और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, विकास को गति देने वाले परस्पर पूरक एवं सुदृढ़ प्रेरक तंत्र हैं।

I. पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना: डिजिटल - हरित समन्वय

वित्तीय वर्ष 2026 में हमारी डिजिटल रूपांतरण यात्रा की एक प्रमुख उपलब्धि **प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना** के अंतर्गत प्राप्त ऐतिहासिक सफलता रही। "संकल्प से सिद्धि" की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान **16,500 किसानों** के लिए सौर पंपों की स्वीकृति प्रदान की। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि ये स्वीकृतियाँ पारंपरिक मैनुअल प्रक्रियाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि हमारे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म (डीएलपी) पर आधारित **पूर्णत: कागज़रहित (100% पेपरलेस)** डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गईं।

यह पहल हमारी रूपांतरण प्राथमिकता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहाँ संस्थागत बुद्धिमत्ता सीधे तौर पर पर्यावरणीय परिणामों को सशक्त बनाती है। भौतिक दस्तावेज़ीकरण को समाप्त करके, बैंक ने एक ओर अपने परिचालन से उत्पन्न कार्बन पदचिह्न में कमी की है, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र को स्वच्छ ऊर्जा आधारित आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त किया है। यह समन्वित प्रयास सुनिश्चित करता है कि हमारे किसान धारणीय सिंचाई अवसंरचना से सुसज्जित हों, जिससे जीवाश्म ईंधनों पर उनकी निर्भरता कम हो तथा बैंक की ऋण प्रणाली **'विकसित भारत'** के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप सतत एवं समावेशी विकास को गति प्रदान करे।

II. एमएसएमई एवं खुदरा क्षेत्र, हरित विकास इंजन: सतत वाणिज्यिक के विस्तार को गति प्रदान करना

हमारी **रैम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई)** श्रेणी में त्वरित विकास रणनीति को और अधिक सुदृढ़ किया गया है, जिसके अंतर्गत विशेषीकृत "ग्रीन इंजन" शामिल किए गए हैं, जो हमारे ग्राहकों के लिए स्थिरता को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में परिवर्तित करते हैं।

- **सेंट सोलर उद्यम सुरक्षा**: वित्तीय वर्ष 2026 में, हमने एमएसएमई इकाइयों द्वारा कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रदान की जाने वाली अपनी विशेषीकृत वित्तपोषण सुविधा का सफलतापूर्वक विस्तार किया। यह उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता कम करने के साथ-साथ दीर्घकालिक परिचालन लागतों में कमी लाने में सहायता करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। एमएसएमई इकाइयों को कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके, बैंक ऐसी चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें व्यावसायिक विकास पर्यावरणीय क्षरण से पृथक होकर सतत रूप से आगे बढ़ सके।
- **सेंट ईवी कनेक्ट**: वित्त वर्ष 2025 में वाहन-केंद्रित पायलट परियोजनाओं से आगे बढ़ते हुए, बैंक ने अब मूल्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर कदम रखते हुए **इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना** के वित्तपोषण पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित किया है। सेंट ईवी कनेक्ट योजना के माध्यम से हम शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवश्यक चार्जिंग नेटवर्क के विकास को समर्थन प्रदान कर रहे हैं, जिससे भारत को स्वच्छ एवं सतत परिवहन व्यवस्था की ओर अग्रसर होने में सहायता मिल रही है। यह सतत गतिशीलता से संबंधित संरचनात्मक चुनौतियों के समाधान के माध्यम से **राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका** को सशक्त रूप से प्रतिबिंबित करता है।
- **ग्रीन एमएसएमई परिवर्तन**: इस क्षेत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण एमएसई गिफ्ट (ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन) तथा एमएसई स्पाइस (चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन एवं निवेश) योजनाएँ हैं। वित्त वर्ष 2026 में, बैंक ने इन श्रेणियों के अंतर्गत स्वीकृत वित्तपोषण को क्रमशः **₹1.69 करोड़ और ₹0.14 करोड़** तक बढ़ाया। इसके माध्यम से लघु उद्यमों को पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने हेतु एक सुव्यवस्थित एवं सशक्त वित्तीय मार्ग उपलब्ध कराया गया, जिससे उनके सतत एवं हरित विकास को बढ़ावा मिल सके।

III. नवीकरणीय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था: भविष्य का वित्तपोषण

हमारे हरित पोर्टफोलियो की प्रगति का आधार नवीकरणीय ऊर्जा तथा ग्रामीण स्वच्छ ईंधन पहलों में बड़े पैमाने पर किया गया वित्तपोषण है। 31 मार्च 2026 तक, बैंक ने बड़े पैमाने की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹2,751.44 करोड़ का वित्तपोषण किया है। इसके अतिरिक्त, सेंट सोलर पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत हमने विकेन्द्रीकृत ग्रिड-संबद्ध सौर ऊर्जा संयंत्रों हेतु ₹312.10 करोड़ का वित्तपोषण प्रदान किया है, जिससे ग्रामीण समुदायों को स्वच्छ ऊर्जा के शुद्ध निर्यातक बनने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। साथ ही, हमने संपीडित जैव-गैस योजना को भी परिचालित किया है, जिसके अंतर्गत ₹33.90 करोड़ का वित्तपोषण प्रदान कर मौजूदा संयंत्रों के उन्नयन तथा ग्रामीण भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। आंतरिक रूपांतरण केन्द्र के माध्यम से इन विषयगत ऋण उत्पादों का प्रभावी समन्वय करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यह सिद्ध किया है कि वह देश के ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों तक तीव्र गति से ऋण उपलब्ध कराने के साथ-साथ नेट ज़ीरो के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का भी समान रूप से निर्वहन कर सकता है।

परिचालनात्मक उत्तरदायी प्रबंधन: स्वदेशी फ्रेंचाइजी का कार्बन उत्सर्जन कम करना

"व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का परिचालन संबंधी उत्तरदायी प्रबंधन ने मापन-केंद्रित चरण से आगे बढ़कर तीव्र एवं प्रभावी जोखिम-निवारण के चरण में निर्णायक रूप से प्रवेश किया है। हमने अपनी 4,585 शाखाओं तथा 22,129 कुल सेवा-संपर्क बिंदुओं पर **"लीन एवं ग्रीन"** दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देकर हितधारकों के प्रति किए गए अपने संकल्प को सफलतापूर्वक पूरा किया है। जहाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 बैलेंस शीट के पुनर्सुदृढ़ीकरण तथा आधारभूत उत्सर्जन सूची के निर्माण पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन का निर्णायक वर्ष सिद्ध हुआ है। हमारी प्राकृतिक पूंजी रणनीति अब केवल नीतिगत रूपरेखाओं का संग्रह मात्र नहीं रह गई है; यह एक परिणामोन्मुखी प्रेरक तंत्र के रूप में कार्य कर रही है, जो बैंक को कार्बन-तटस्थ परिचालन वास्तविकता की दिशा में निरंतर अग्रसर कर रहा है।

I. स्वदेशी नेटवर्क को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाना

हमारी परिचालन डीकार्बोनाइजेशन रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ हमारे स्वामित्व वाले परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का तीव्र विस्तार है। वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय वृद्धि की है और कुल स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 638 किलोवाट तक पहुंचाया, जो पिछले चक्र में दर्ज 608 किलोवाट की आधारभूत क्षमता से अधिक है। यह विस्तार संस्थागत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक पहल है, जिसके माध्यम से बैंक "हरित लाभांश" अर्जित करते हुए ग्रिड-आधारित ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को क्रमिक रूप से कम कर रहा है। अपने प्रशासनिक कार्यालयों एवं शाखाओं को स्वच्छ और सतत ऊर्जा से संचालित करके, बैंक (वित्तीय वर्ष 2023-24 को आधार वर्ष मानते हुए) वर्ष 2028 तक स्कोप-2 उत्सर्जन में 50% की स्वैच्छिक कमी के लक्ष्य की दिशा में निरंतर एवं सुदृढ़ प्रगति कर रहा है।

II. अवसंरचना रूपांतरण: डीज़ल से इन्वर्टर की ओर अनिवार्य रूपांतरण

हम यह स्वीकार करते हैं कि स्थायी संस्थागत उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हमारी बैकअप अवसंरचना में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को व्यवस्थित रूप से समाप्त करना आवश्यक है। "व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" के दौरान, बैंक ने पारंपरिक डीज़ल जनरेटर (डीजी) सेटों के स्थान पर उच्च दक्षता वाले, 5-स्टार रेटिंगयुक्त इनवर्टरों की स्थापना के अपने कार्यक्रम को और गति प्रदान की। यह परिवर्तन विशेष रूप से हमारे ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी नेटवर्क में स्थानीय वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमारे कुल नेटवर्क का **65.19%** हिस्सा है। इस प्रतिस्थापन प्रक्रिया में तेजी लाकर बैंक ने स्कोप-1 के अंतर्गत डीज़ल-जनित उत्सर्जनों को पूर्णतः समाप्त करने की दिशा में एक सुदृढ़ कार्ययोजना तैयार की है। बैंक का लक्ष्य वर्ष 2026 के अंत तक सभी लक्षित शाखाओं में यह परिवर्तन पूर्ण कर लेना है, जिससे डीज़ल-आधारित बैकअप प्रणालियों पर निर्भरता समाप्त हो सके और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ हो।

III. हरित परिवहन बेड़े का तीव्र विस्तार: नेट ज़ीरो के संकल्प को सिद्ध करना

हमारे परिचालनात्मक उत्तरदायी प्रबंधन में तीव्र प्रगति का सबसे स्पष्ट संकेत बैंक की लॉजिस्टिक परिसंपत्तियों में हो रहा तेज़ परिवर्तन है। वर्ष 2028 तक स्कोप 1 उत्सर्जन में नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित रोडमैप के अनुरूप, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान अपने स्वामित्व वाले वाहन बेड़े के 33% हिस्से को सफलतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों अथवा सीएनजी आधारित विकल्पों से प्रतिस्थापित किया। व्यापक स्तर पर किए गए इस प्रभावी क्रियान्वयन ने यह सिद्ध किया है कि बैंक अपनी रणनीतिक प्रतिबद्धताओं को मापनीय एवं ठोस परिणामों में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है तथा वित्तीय वर्ष 2025 के पायलट चरण से आगे बढ़कर वास्तविक परिवर्तन को संस्थागत रूप दे चुका है। प्रति वर्ष 33% प्रतिस्थापन दर को संस्थागत रूप से अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी संस्थागत गतिशीलता पर्यावरणीय क्षरण से पृथक रहे और सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप आगे बढ़े।

IV. भविष्य के लिए तैयारी: उत्कृष्टता की ओर अग्रसर

इन परिचालनगत सफलताओं ने आगामी "व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष" के लिए एक सुदृढ़ और विश्वसनीय आधारशिला स्थापित की है। वित्तीय वर्ष 2027 के लिए हमारी कार्ययोजना में आईएसओ-प्रमाणित ऊर्जा ऑडिटों के विस्तार तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भवन प्रबंधन प्रणालियों के एकीकरण को शामिल किया गया है, जिससे प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत का और अधिक प्रभावी अनुकूलन किया जा सके। आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन ढाँचे के माध्यम से इन सभी पहलों का समन्वित क्रियान्वयन करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यह प्रमाणित किया है कि एक शताब्दी से अधिक पुरानी संस्था भी सतत विकास तथा विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को दिशा देने और उसे गति प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा सकती है।

जलवायु जोखिम सुशासन: बुद्धिमत्ता के माध्यम से मूल्य का संरक्षण

"व्यवसाय गति संवर्धन वर्ष" में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पर्यावरणीय पर्यवेक्षण ढाँचे को मूलभूत रूप से रूपांतरित करते हुए "परिपक्वता स्तर 1" की व्यवस्था—जो कार्यबलों के मैनुअल गठन पर आधारित थी—से आगे बढ़कर बुद्धिमत्ता-आधारित जलवायु जोखिम सुशासन की एक उन्नत प्रणाली स्थापित की है। हम यह स्वीकार करते हैं कि जैसे-जैसे हमारे व्यवसाय का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है, वैसे-वैसे हमारे पर्यावरणीय जोखिमों की जटिलता भी बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2026 में अपने संकल्पों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत, हमने एक ऐसी संस्थागत सुशासन व्यवस्था को स्थापित किया है, जो यह सुनिश्चित करती है कि ₹13 लाख करोड़ की संस्था बनने की दिशा में हमारी तीव्र प्रगति सुदृढ़, अनुशासित तथा राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों एवं नियामकीय अपेक्षाओं के साथ पूर्णत: संरेखित बनी रहे।

आंतरिक रूपांतरण केन्द्र : रणनीतिक समन्वय का केंद्रीय नोडल केंद्र

बैंक की जलवायु सुशासन व्यवस्था का प्रमुख आधार आंतरिक रूपांतरण केन्द्र है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापित आधारभूत समिति संरचनाओं से आगे बढ़ते हुए यह हब अब वह केंद्रीय नोडल केंद्र बन गया है, जहाँ बैंक की सभी पर्यावरण, सामाजिक एवं सुशासन संबंधी पहलों का विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर समन्वय किया जाता है।यह हब सुनिश्चित करता है कि बैंक की सभी पहलें ईज़ -7.0 रूपरेखा तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा निर्धारित सतत विकास संबंधी अधिदेशों के साथ पूर्णत: संरेखित हों तथा उच्च-स्तरीय नीतिगत उद्देश्यों को व्यापक एवं प्रभावी परिचालन परिणामों में परिवर्तित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ईएसजी लक्ष्यों को बैंक की प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताओं, अर्थात् गति संवर्धन, विस्तार, रूपांतरण तथा सुदृढ़ीकरण के साथ एकीकृत करके आंतरिक रूपांतरण केंद्र यह सुनिश्चित करता है कि सतत विकास केवल एक पृथक कार्यसूची न रहकर बैंक की संस्थागत प्रगति, परिवर्तन की गति तथा दीर्घकालिक विकास का प्रमुख प्रेरक बने।

स्वचालित अनुपालन : ₹8.12 लाख करोड़ के व्यवसाय के लिए सुदृढ़ नियंत्रण कवच

हमारी तीव्र प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि स्वचालित अनुपालन निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह प्रणाली एक आधारभूत ढाँचे से विकसित होकर रीयल-टाइम, बुद्धिमत्ता-आधारित नियंत्रण प्रणाली के रूप में स्थापित हुई, जो अब सभी ऋण व्यवसाय क्षेत्रों में ईएसजी जोखिमों की स्वचालित जाँच सुनिश्चित करती है। बैंक का कुल व्यवसाय ₹8,12,439 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार करने के साथ इस प्रणाली ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों से व्यवसाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिजिटल माध्यम से संचालित सुदृढ़ समुचित जाँच तथा ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की रीयल-टाइम पहचान के माध्यम से इस प्रणाली ने बैंक को 1.16% के रिकॉर्ड न्यूनतम स्लिपेज अनुपात की उपलब्धि प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि बड़े पैमाने पर व्यवसाय का विस्तार करते हुए भी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता एवं जोखिम प्रबंधन के उच्चतम मानकों से किसी प्रकार का समझौता किए बिना उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रिज़्म पोर्टल: त्वरित दृश्यता एवं पुनर्संमायोजन

हमारी प्राकृतिक पूंजी में तीव्र प्रगति हेतु आवश्यक सटीकता के साथ प्रबंधन करने के लिए, हमने प्रिज़्म (प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम) पोर्टल को संस्थागत रूप प्रदान किया है। प्रिज़्म, एमडी एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व वाली आईटी जोखिम प्रबंधन समिति को बैंक की स्थिरता संबंधी प्रगति का वास्तविक समय में समग्र दृश्य प्रदान करता है, जिसमें हरित ऋण वितरण तथा हमारी 4,585 शाखाओं में परिचालन ऊर्जा तीव्रता की निगरानी शामिल है। यह तकनीकी डैशबोर्ड संसाधनों के तीव्र एवं प्रभावी पुनर्संतुलन को सक्षम बनाता है, जिससे प्रबंधन उच्च-प्रभाव वाली हरित पहलों की पहचान कर उन्हें शीघ्रता से विस्तारित कर सकता है—जैसे कि 16,500 किसानों के लिए कागजरहित सौर पंप वित्तपोषण पहल। इस बुद्धिमत्ता-संचालित संरचना के माध्यम से, हमने ऐसा शासन मॉडल संस्थागत रूप से स्थापित किया है जो जलवायु संबंधी जोखिमों को दीर्घकालिक मूल्य सृजन के मापनीय प्रेरक कारकों में परिवर्तित करता है।

> स्वचालित ईएसजी जोखिम स्क्रीनिंग, हरित गतिशीलता की ओर संक्रमण तथा इंटेलिजेंस-आधारित सुशासन व्यवस्था के माध्यम से जलवायु संबंधी उत्तरदायित्व को परिचालन अनुशासन में परिवर्तित करना।

भविष्य की संभावनाएं: व्यावसायिक उत्कृष्टता के वर्ष की ओर

जैसे ही सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया "व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष'' का सफल समापन करता है, हम एक ऐसे रणनीतिक मोड़ पर खड़े होंगे जहाँ पर्यावरणीय संरक्षण अब केवल अनुपालन अथवा सहायक दायित्व नहीं रह गया है, बल्कि संस्थागत मूल्य-सृजन का एक प्रमुख और विशिष्ट आधार बन चुका है। हरित वित्तपोषण के विस्तार तथा परिचालन स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर हमने अपने संकल्प को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। अब हम वित्त वर्ष 2026-27, अर्थात् "व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष'' की ओर अग्रसर हैं। इस आगामी चरण का मुख्य केंद्रबिंदु हरित परिपक्वता का संस्थानीकरण होगा, जिसके अंतर्गत तीव्र गति से किए गए कार्यान्वयन को परिष्कृत कर स्थायी, बुद्धिमत्ता-संचालित उत्कृष्टता में परिवर्तित किया जाएगा। प्राकृतिक पूंजी के लिए हमारी कार्ययोजना इस प्रकार तैयार की गई है कि वह उद्देश्य-प्रेरित ₹13 लाख करोड़ की संस्था बनने के हमारे विज़न 2030 के लक्ष्य की दिशा में एक सतत सेतु के रूप में कार्य करे।

> मापन योग्य पर्यावरणीय कार्यों का विस्तार करते हुए उन्हें संस्थागत उत्कृष्टता और दीर्घकालिक मूल्य सृजन में रूपांतरित कर सततता के अगले क्षितिज का निर्माण।

I. नेट ज़ीरो 2028 की प्राप्ति हेतु निर्णायक मार्ग

हमारा प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2028 तक स्कोप-1 उत्सर्जनों में नेट-ज़ीरो की स्थिति प्राप्त करना है। यह एक स्वैच्छिक प्रतिबद्धता है, जो बैंक को वर्ष 2070 तक भारत के नेट-ज़ीरो लक्ष्य के अनुरूप स्थापित करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमने अपने परिचालन कार्यों में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित, समयबद्ध एवं अनुशासित कार्ययोजना तैयार की है। "व्यावसायिक उत्कृष्टता का वर्ष" के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, हम 31 दिसंबर 2026 तक अपने डीज़ल-से-इन्वर्टर रूपांतरण को पूर्ण करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारा संपूर्ण ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी नेटवर्क, जो हमारे कुल परिचालन क्षेत्र का 65.19% है, स्वच्छ बैकअप ऊर्जा पर संचालित हो। इसके साथ ही, हम अपने ग्रीन फ्लीट कार्यक्रम की गति को बनाए रखते हुए वर्ष 2028 तक प्रतिवर्ष अपने स्वामित्व वाले वाहन बेड़े के 33% हिस्से को इलेक्ट्रिक वाहन अथवा सीएनजी आधारित वाहनों से प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे पर्यावरण-अनुकूल एवं सतत परिवहन को बढ़ावा मिल सके।

II. परिचालनात्मक पर्यावरणीय दक्षता का विस्तार

वित्त वर्ष 2026-27 में, बैंक वित्त वर्ष 2023-24 के आधार स्तर की तुलना में अपने स्कोप 2 उत्सर्जन में 50% की कमी लाने के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्तमान 638 kWp क्षमता से आगे बढ़ते हुए रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों का विस्तार किया जाएगा, ताकि बैंक की 4,585 शाखाओं के नेटवर्क में सभी स्वामित्वाधीन परिसरों को इसके दायरे में लाया जा सके। आंतरिक रूपांतरण रूपरेखा के माध्यम से हम ऊर्जा दक्षता-आधारित कार्यप्रथाओं का संस्थानीकरण करेंगे तथा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के अनुकूलन हेतु नियमित ऊर्जा ऑडिट संचालित करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारा अवसंरचना तंत्र जितना हरित हो, उतना ही सुव्यवस्थित एवं दक्ष भी हो।

III. बुद्धिमत्ता-संचालित स्थिरता: ईएसजी डेटा लेक

"व्यावसायिक उत्कृष्टता" की ओर रूपांतरण के लिए डेटा-आधारित पर्यावरणीय सुशासन को अपनाना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2027 में, बैंक अपने ईएसजी जोखिम मूल्यांकन ढाँचों को और अधिक परिष्कृत करने हेतु उन्नत एआई/एमएल विश्लेषणात्मक क्षमताओं का उपयोग करेगा तथा उन्हें डिजिटल ऋण मंच के साथ गहराई से एकीकृत करेगा। समर्पित ईएसजी डेटा लेक के निर्माण के माध्यम से, हम वित्तपोषित उत्सर्जनों का अधिक सटीक आकलन करने तथा विद्युत गतिशीलता और बड़े पैमाने की नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विकासोन्मुख क्षेत्रों में नए अवसरों की पहचान करने की अपनी क्षमता को सुदृढ़ करेंगे। यह बुद्धिमत्ता-संचालित संरचना सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सतत सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में एक वैश्विक मानक के रूप में स्थापित करेगी तथा यह सिद्ध करेगी कि संस्थागत सुदृढ़ता और पर्यावरणीय प्रत्यास्थता एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।

संबंध एवं सामाजिक पूंजी

उद्देश्य को सशक्त बनाना – समावेशन के संकल्प को साकार करना

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण

रणनीतिक प्राथमिकता

E

व्यवसाय मॉडल का घटक

1 7

जीआरआई मानक

203, 413, 417

व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संबंध एवं सामाजिक पूंजी संसाधन केवल प्रत्यास्थी की परिसंपत्ति न रहकर तीव्र गति से विकास को संचालित करने वाला एक सशक्त प्रेरक तंत्र बन गया है। हम यह मानते हैं कि भारत के प्रथम स्वदेशी बैंक के रूप में हमारी 115 वर्ष की विरासत हमारे 8.26 करोड़ ग्राहकों के साथ "विश्वास के अनुबंध" का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2026 में, हमने अतीत के संरचित ग्राहक-सुनवाई व्यवस्था से आगे बढ़कर उच्च-स्तरीय निष्पादन के चरण में प्रवेश किया, जहाँ प्रत्येक संवाद-चाहे वह डिजिटल माध्यम से हो या भौतिक शाखा के माध्यम से-समावेशी, तीव्र गति एवं सुरक्षित बैंकिंग प्रदान करने के हमारे "संकल्प से सिद्धि" के उद्देश्य के अनुरूप अभिकल्पित किया गया।

व्यवसाय वृद्धि में तीव्रता विश्वास से आती है। वित्त वर्ष 2026 में, हमने सिर्फ अपने हितधारकों को न केवल सुना; बल्कि उन्हें डिजिटल गति, मज़बूत आर्थिक स्थिति और सभी तक पहुँच का जो संकल्प किया था, उसे पूर्ण भी किया। परिणामस्वरूप हमने ₹8,00,000 करोड़ से अधिक के व्यवसाय की एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की।

हितधारक सहभागिता: संवाद को विकास की गति में परिवर्तित करना

व्यवसायिक गति संवर्धन वर्ष में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हितधारक सहभागिता ने पिछले परिचालन के संरचित संवाद एवं प्रतिक्रिया-संग्रह तंत्र से आगे बढ़ते हुए उच्च-स्तरीय निष्पादन को संचालित करने वाले एक तीव्रगामी प्रेरक तंत्र का रूप ग्रहण किया है। हम यह मानते हैं कि हमारी 115 वर्षीय स्वदेशी विरासत केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि "विश्वास का अनुबंध" है, जो हमारी संस्थागत प्रगति एवं गतिशीलता का प्रमुख प्रेरक तत्व है। हमारी हितधारक सहभागिता संरचना सीबीआई-केयर वेल्यू-ग्राहक सेवा, आकांक्षी विकास, राष्ट्र निर्माण में भूमिका तथा कर्मचारी-कल्याण-पर दृढ़तापूर्वक आधारित है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारी संस्थागत प्रगति का प्रत्येक आयाम हमारे 8.26 करोड़ ग्राहकों की मूल अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ पूर्णत: समन्वित रहे ।

वित्त वर्ष 2026 में अपनी "प्रतिबद्धता का सफल निर्वहन" करते हुए, बैंक ने यह सिद्ध किया है कि हितधारकों के साथ सक्रिय एवं प्रभावी संरेखण सीधे तौर पर उल्लेखनीय व्यावसायिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करता है। इसका प्रमाण यह है कि बैंक का कुल कारोबार ₹8,12,439 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है ।

आकांक्षी वृद्धि का विस्तार

+25.67%
कुल रिटेल पोर्टफोलियो में उछाल।

₹1,00,000 Crore
रिटेल पोर्टफोलियो की मील का पत्थर उपलब्धि

+48.71%
नई स्वीकृतियों में वृद्धि।

अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, OEM साझेदारियों और डिवाइस-निरपेक्ष Cent NEO इकोसिस्टम से संचालित गति।

निवेशक: लाभप्रदता की प्रतिबद्धता का निर्वहन

वित्त वर्ष 2026 में निवेशक समुदाय के साथ हमारी सहभागिता स्थिरीकरण-केंद्रित विमर्श से आगे बढ़कर मापनीय वित्तीय सुदृढ़ता के प्रदर्शन पर केंद्रित रही। वर्ष के दौरान 1.00% परिसंपत्ति-पर-प्रतिफल के आकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त कर हमने पूंजी के श्रेष्ठ एवं दक्ष उपयोग संबंधी अपनी प्रतिबद्धता का सफल निर्वहन किया, जिससे हमारे संरचनात्मक रूपांतरण की प्रभावशीलता प्रमाणित हुई। इस कार्यनिष्पादन को निवल लाभ में 15.43% की वृद्धि का सशक्त समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप निवल लाभ बढ़कर ₹4,369 करोड़ तक पहुँच गया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि हमारी "गति संवर्धन" की रणनीति हमारे निवेशकों एवं वित्तीय समर्थकों के लिए ठोस और प्रत्यक्ष मूल्य सृजन कर रही है।

ग्राहक: डिजिटल क्षितिज का विस्तार

ग्राहकों के साथ हमारी संबंध पूंजी को सेंट निओ डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से नई परिभाषा मिली है। पारंपरिक एवं मैनुअल ग्राहक-अर्जन प्रक्रियाओं से आगे बढ़ते हुए, हमने निर्बाध एवं उपकरण-निरपेक्ष बैंकिंग की बढ़ती अपेक्षाओं को पूर्ण किया है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे डिजिटल लेनदेन का हिस्सा बढ़कर 90.54% के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँच गया। डिजिटल ऋण प्रदान मंच (डीएलपी) पर 37 सक्रिय डिजिटल यात्राओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर अपनी प्रभावशीलता सिद्ध करते हुए, हमने लगभग शून्य मैनुअल हस्तक्षेप के साथ हजारों ऋण स्वीकृतियाँ सक्षम की हैं। इसके माध्यम से हमने आधुनिक भारतीय ग्राहकों की गति, सुविधा और सहज बैंकिंग अनुभव की अपेक्षाओं को प्रभावी रूप से पूरा किया है।

कर्मचारी: ज्ञान-संचालित उत्पादकता

हम यह मानते हैं कि हमारा 33,997 सदस्यों वाला कार्यबल हमारी संस्थागत प्रगति एवं गतिशीलता का प्रमुख प्रेरक है। वित्त वर्ष 2026 में हमने व्यावसायिक कल्याण तथा लक्षित कौशल-विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। विशेष रूप से, विस्तार के चरण के दौरान सुदृढ़ एवं विवेकपूर्ण ऋण मूल्यांकन मानकों को बनाए रखने हेतु 1,000 ऋण अधिकारियों को प्रदान किया गया प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा। इस केंद्रित प्रयास के परिणामस्वरूप उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसके तहत प्रति कर्मचारी व्यवसाय में 12.11% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹23.89 करोड़ तक पहुँच गया.

नियामक: स्वचालित अनुपालन एवं अनुशासन

नियामकों के साथ हमारी सहभागिता अब स्वचालित सुदृढ़ता द्वारा परिभाषित होती है। 4,585 शाखाओं में स्वचालित अनुपालन के संस्थानीकरण के माध्यम से हमने मैनुअल प्रतिवेदन-आधारित प्रणाली से आगे बढ़कर तत्काल अनुपालन निगरानी की व्यवस्था स्थापित की है। इस संरचनात्मक क्षमता ने बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता एवं पोर्टफोलियो अनुशासन संबंधी हमारी "प्रतिबद्धता के सफल निर्वहन" में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके परिणामस्वरूप सकल गैर-निष्पादित आस्ति अनुपात घटकर 2.67% के बहुवर्षीय न्यूनतम स्तर पर आ गया, जबकि स्लिपेज अनुपात को रिकॉर्ड 1.16% के स्तर पर नियंत्रित रखा गया।

ग्राहक संबंध: आकांक्षी विकास को गति प्रदान करना

"व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक संबंध प्रबंधन एक कार्यात्मक विभाग की भूमिका से आगे बढ़कर आकांक्षी विकास को गति प्रदान करने वाले एक रणनीतिक प्रेरक तंत्र के रूप में विकसित हुआ है। जहाँ वित्त वर्ष 2024-25 में "मूल्य सृजन के साथ ग्राहक संतुष्टि" की थीम तथा हमारे एकीकृत ग्राहक सेवा केंद्रों के प्रारंभिक परिचालन पर बल दिया गया था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 उन संबंधों के प्रभावी उपयोग का वर्ष रहा, जिसके माध्यम से उल्लेखनीय व्यावसायिक उपलब्धियाँ प्राप्त की गईं। हमने अपने 8.26 करोड़ ग्राहकों के प्रति "प्रतिबद्धता का सफल निर्वहन" करते हुए संस्थागत विश्वास को तीव्र गति वाले ऋण वितरण में परिवर्तित किया है। विशेष रूप से रैम (रिटेल, कृषि, एमएसएमई) में यह प्रगति उल्लेखनीय रही है, जो अब हमारे विविधीकृत ऋण पोर्टफोलियो का 68.09% हिस्सा बनाते हैं।

रीटेल बैंकिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि: आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता का सफल निर्वहन

वित्त वर्ष 2026 में हमारी संबंध-आधारित रणनीति की सबसे महत्वपूर्ण पुष्टि हमारे रीटेल बैंकिंग व्यवसाय के ऐतिहासिक विस्तार के रूप में सामने आई। भारतीय परिवारों की आकांक्षाओं के केंद्र में स्थित "वास्तव में केंद्रीय बैंक" बनने की अपनी प्रतिबद्धता को साकार करते हुए, हमने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की, जब हमारा रीटेल अग्रिम पोर्टफोलियो पहली बार ₹1,00,000 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया और वित्तीय वर्ष के अंत में ₹1,03,533 करोड़ पर पहुँच गया।

यह उपलब्धि वर्ष-दर-वर्ष 25.67% की सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाती है, जो न केवल उद्योग के औसत प्रदर्शन से कहीं अधिक है, बल्कि हमारे आंतरिक लक्ष्यों एवं मार्गदर्शन से भी बेहतर रही। इस तीव्र विस्तार को नवीन ऋण स्वीकृतियों में 48.71% की उल्लेखनीय वृद्धि से गति मिली, जिसने हमारे डिजिटल ऋण प्रदान मंच (डीएलपी) की प्रभावशीलता तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की बढ़ी हुई सक्रियता और ग्राहक सहभागिता को प्रमाणित किया।

- **आवास ऋण की सुदृढ़ता**: हमारे विकास के प्रमुख प्रेरक के रूप में आवास ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹59,012 करोड़ तक पहुँच गया, जो कुल रीटेल अग्रिमों का 57.00% है। 13.13% की यह वृद्धि गृह-खरीदारों के साथ हमारी सुदृढ़ संबंध पूंजी तथा राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- **शिक्षा ऋण की तीव्र प्रगति**: सीबीआई-केयर के "आकांक्षी विकास" स्तंभ के अनुरूप, हमारा शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो 17.86% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ₹6,374 करोड़ तक पहुँच गया। इसके माध्यम से देशभर के हजारों विद्यार्थियों की शैक्षणिक आकांक्षाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।
- **विविधीकृत प्रभाव**: अन्य रीटेल ऋण खंडों, जिनमें वाहन ऋण (₹4,676 करोड़) तथा व्यक्तिगत ऋण (₹4,335 करोड़) शामिल हैं, ने भी निरंतर एवं संतुलित वृद्धि दर्ज की। इससे बैंक की रीटेल तुलन पत्र अधिक संतुलित, विविधीकृत तथा व्यापक आधार वाली बनी रही।

बुद्धिमत्ता-आधारित अति-वैयक्तिकरण: डिजिटल संबंध

वित्त वर्ष 2026 में हमारी संबंध पूंजी को प्रतिक्रियात्मक सेवा मॉडल से आगे बढ़कर बुद्धिमत्ता-आधारित सक्रिय ग्राहक सहभागिता के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। विश्वास की हमारी 115 वर्षीय विरासत को उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वित करते हुए हमने ग्राहक अनुभव को एक निर्बाध, डेटा-संचालित और भविष्य-उन्मुख यात्रा के रूप में पुनर्परिभाषित किया है।

- **बुद्धिमत्ता-आधारित ग्राहक ऑनबोर्डिंग**: कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग तथा अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए हमने अपने अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को एमएसएमई पात्रता कैलकुलेटर जैसे उन्नत उपकरणों से सशक्त बनाया है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की त्वरित एवं डेटा-आधारित ऑनबोर्डिंग संभव हुई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रसंस्करण समय में कमी आई है तथा ग्राहक संपर्क के प्रथम बिंदु से ही ऋण अनुशासन को संस्थागत स्वरूप प्राप्त हुआ है।
- **सेंट निओ का अनुभव**: हमारे डिजिटल रूप से जागरूक ग्राहक वर्ग के साथ संबंध अब सेंट निओ डिजिटल इकोसिस्टम पर आधारित हैं। यह भविष्य-उन्मुख मंच हमारे 90.54% डिजिटल लेनदेन का संचालन कर रहा है, जिससे 24×7, उपकरण-निरपेक्ष एवं तीव्र बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का सफल निर्वहन हुआ है।
- **स्वचालित नवीनीकरण तंत्र**: ग्राहक प्रतिधारण को सुदृढ़ करने के लिए हमारी बौद्धिक पूंजी का प्रभावी उपयोग किया गया है। डिजिटल ऋण प्रदान मंच (डीएलपी) पर उपलब्ध डिजी ऑटो रिन्यूअल प्रक्रियाओं के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहक संबंधों का नवीनीकरण बिना किसी मैनुअल जटिलता के सुनिश्चित किया गया है। इससे ग्राहक सुविधा में वृद्धि हुई है तथा दीर्घकालिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ है ।

आईसीसी का विकास: तीव्र गति से समाधान प्रणाली

एकीकृत ग्राहक सेवा (आईसीसी) प्लेटफ़ॉर्म, जो वित्त वर्ष 2025 में एक "बुनियाद" था, वित्त वर्ष 2026 में तेज़ी से समाधान करने वाले एक सिस्टम में बदल गया है। मुंबई और हैदराबाद में दो जगहों से काम करते हुए, आईसीसी अब एजेंटों को "कस्टमर 360⁰ व्यू" देता है, जिससे हर ग्राहक के अकाउंट, ट्रांज़ैक्शन और शिकायत के इतिहास को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है।

अपने अलग-अलग तरह के हितधारक को निर्बाध अनुभव देने के लिए, हमने आईसीसी में नई क्षमताएं जोड़ी हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **भावनाएं और स्पीच एनालिटिक्स**: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए शिकायतों का सक्रिय रूप से समाधान करना तथा ग्राहकों के आशय की महचान करना, जिससे ग्राहक सेवा को प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था से पूर्वानुमान-आधारित व्यवस्था में परिवर्तित किया जा सके।
- **वीडियो बैंकिंग और को-ब्राउज़िंग**: कठिन प्रश्नों के लिए डिजिटल सहायता प्रदान करना, जिससे आमने-सामने की बातचीत की मानवीय समझ और डिजिटल स्पीड के बीच का अंतर कम हो सके।
- **बहुभाषी एआई वॉइस बॉट**: अपनी पहुँच को हिंदी, अंग्रेज़ी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं तक बढ़ाना, ताकि बैंक हर भारतीय के लिए उपलब्ध रहे, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो।

भावी परिदृश्य: संबंध उत्कृष्टता का संस्थानीकरण

जैसे-जैसे हम "व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" (वित्त वर्ष 2027) की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हमारी संबंध रणनीति का प्रमुख केंद्र हमारे विभिन्न मंचों की समग्र ओम्नी-चैनल परिपक्वता को सुनिश्चित करना होगा। हमारा उद्देश्य सभी माध्यमों और उपकरणों पर एकीकृत एवं निर्बाध ग्राहक अनुभव प्रदान करना है, ताकि मोबाइल अनुप्रयोग पर प्रारंभ की गई ग्राहक यात्रा को शाखा अथवा एकीकृत ग्राहक सेवा के माध्यम से सहज रूप से पूर्ण किया जा सके। ₹8.12 लाख करोड़ के हमारे व्यापक व्यावसायिक आधार को अति-वैयक्तिकृत बुद्धिमत्ता के साथ समेकित करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया विकसित भारत की निरंतर विकसित होती आकांक्षाओं के लिए पसंदीदा वित्तीय भागीदार बने रहने के लिए सुदृढ़ रूप से तैयार है।

समावेशी पहुँच: सामाजिक सुशासन में 'पिंक' उपलब्धि

"व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी विस्तार प्राथमिकता के माध्यम से समावेशी बैंकिंग के मानकों को नई परिभाषा प्रदान की है। हम यह मानते हैं कि वास्तविक संस्थागत प्रगति और गतिशीलता तभी संभव है, जब विकास का लाभ देश के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र और प्रत्येक सामाजिक वर्ग तक समान रूप से पहुँचे । वित्त वर्ष 2026 में, संबंध एवं सामाजिक पूंजी के प्रति हमारी रणनीति केवल भौतिक विस्तार तक सीमित न रहकर सामाजिक अभियांत्रिकी के एक परिष्कृत मॉडल के रूप में विकसित हुई। इसके अंतर्गत हमारी निर्मित परिसंपत्तियों (जैसे शाखाएँ और ग्राहक संपर्क केंद्र) का उपयोग नेतृत्व विकास एवं सशक्तिकरण के प्रायोगिक केंद्रों के रूप में किया गया। "प्रत्येक भारतीय के लिए वास्तव में केंद्रित" बनने की अपनी प्रतिबद्धता का सफल निर्वहन करते हुए, हमने अपनी 115 वर्षीय विरासत को लैंगिक विविधता-आधारित नेतृत्व तथा जमीनी स्तर तक पहुँच के आधुनिक दायित्वों के साथ समन्वित किया है।

सामाजिक शासन में 'पिंक' मील का पत्थर।

115 **पिंक शाखाएँ।**
संपूर्णतः महिला कर्मियों द्वारा संचालित देशव्यापी केंद्र, जो महिला नेतृत्व की उच्च दृश्यता और विशिष्ट सेवा प्रदाय को आगे बढ़ाते हैं।

65.19% **RUSU उपस्थिति।**
ग्रामीण और अर्ध-शहरी भौगोलिक क्षेत्रों में नेटवर्क का रणनीतिक संरेखण, जो सुदृढ़ अंतिम-मील सेवा सुनिश्चित करता है।

ET Edge द्वारा 'महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन 2026' के रूप में मान्यता प्राप्त।

I. भारत के ग्रामीण हृदयस्थल में अग्रणी उपस्थिति: सुदृढ़ ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी आधार

राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भारत के ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हमारी अद्वितीय पहुँच के माध्यम से सर्वाधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान, बैंक ने अपने हाइब्रिड वितरण नेटवर्क का विस्तार करते हुए कुल 22,129 ग्राहक संपर्क बिंदुओं की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। इस व्यापक नेटवर्क में 4,585 पूर्ण-सेवा शाखाएँ सम्मिलित हैं, जिनमें से 65.19% शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।

यह केवल सांख्यिकीय उपस्थिति नहीं है, बल्कि वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाने वाला हमारा प्रमुख प्रेरक तंत्र है। इस नेटवर्क को 13,685 व्यवसायिक कॉरेस्पॉन्डेंट केंद्रों तथा 40 बीसी मैक्स केंद्रों द्वारा और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है, जो बैंक रहित एवं अल्प-बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में बैंक की विशेषीकृत डिजिटल शाखाओं के रूप में कार्य करते हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इस उच्च-सघन उपस्थिति को बनाए रखते हुए, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसका ₹8,12,439 करोड़ का कुल व्यवसाय 8.26 करोड़ ग्राहकों के व्यापक, विविधीकृत तथा सुदृढ़ ग्राहक आधार पर आधारित रहे।

II. पिंक उपलब्धि: नारी शक्ति का संस्थानीकरण

वित्त वर्ष 2025-26 में हमारे सामाजिक सुशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि **"पिंक शाखाओं"** का सफल विस्तार रही। पिछले चक्र में स्थापित 90 शाखाओं से आगे बढ़ते हुए, बैंक ने देशभर में औपचारिक रूप से **115 पिंक शाखाओं** को नामित किया। ये शाखाएँ हमारी "प्रतिबद्धता की प्रत्यक्ष

ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी टचपॉइंट्स

22,129

भारत के अल्प-सेवित बाजारों में वित्तीय समावेशन का विस्तार करना।

नारी शक्ति का सशक्तीकरण: हमारी 115 पूर्णत: महिला-संचालित पिंक शाखाओं में से एक के उद्घाटन का प्रदर्शन, जो समावेशी सामाजिक नेतृत्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता तथा हमारे दीर्घकालिक संकल्प की पूर्ति का प्रतीक है।

अभिव्यक्ति" हैं, क्योंकि इनका परिचालन एवं प्रबंधन पूर्णत: महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

ये केवल कार्यात्मक बैंकिंग आउटलेट नहीं हैं, बल्कि नेतृत्व प्रयोगशालाएँ हैं, जिनका उद्देश्य बैंक की व्यावसायिक संरचना में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना तथा हमारी महिला ग्राहक आधार के लिए उच्च संवेदनशीलता एवं विशेषीकृत सेवा मॉडल उपलब्ध कराना है। यह पहल वर्ष 1924 से एक ऐतिहासिक सेतु का निर्माण करती है, जब हमारे संस्थापक सोराबजी पोचखानावाला ने बम्बई में महिलाओं के लिए प्रथम समर्पित 'महिला विभाग' की स्थापना की थी। उस समय का यह क्रांतिकारी कदम अब एक विस्तारयोग्य राष्ट्रीय मॉडल के रूप में रूपांतरित हो चुका है। महिलाओं को इन केन्द्रों का नेतृत्व सौंपकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी मानव पूंजी का गति संवर्धन जितना उत्पादक हो, उतना ही समावेशी भी हो।

बाह्य मान्यता : सामाजिक प्रभाव को प्राप्त मान्यता

"व्यवसाय गति संवर्धन वर्ष" के दौरान हमारे कार्यनिष्पादन ने विविधता एवं समावेशन के क्षेत्र में उद्योग अग्रणी के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को नए आयाम प्रदान किए हैं। इस प्रभाव को औपचारिक रूप से ईटी एज द्वारा मान्यता प्रदान की गई, जिसने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2026 के लिए "महिलाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ संगठन" सम्मान से अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त, बैंक को ईवाई-इंडिया द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए "महिलाओं के लिए सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल" के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यह उपलब्धि हमारी आंतरिक सहयोगात्मक व्यवस्थाओं की सफलता को प्रतिबिंबित करती है, जिनमें पायलट मातृत्व सहायता पैकेज कार्यक्रम भी शामिल है, जो कार्य पर पुन: लौटने वाली महिला कर्मचारियों के लिए 12 माह का परामर्श एवं ट्रांजिशन फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है।

ये सम्मान इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया केवल अपनी तुलन-पत्र का विस्तार ही नहीं कर रहा है, बल्कि सामाजिक समता के संकल्प को सक्रिय रूप से व्यापकता प्रदान करते हुए वित्त वर्ष 2027 के प्रस्तावित "व्यावसाय उत्कर्ष का वर्ष" की दिशा में एक सुदृढ़ एवं सुरक्षित सेतु का निर्माण भी कर रहा है।

> समावेशी बैंकिंग तब राष्ट्र-निर्माण का माध्यम बन जाती है, जब महिलाओं द्वारा संचालित शाखाएँ, डिजिटल सेवाएँ और अंतिम छोर तक वित्तीय पहुँच सुलभता को सम्मान, सुदृढ़ता और अवसर में परिवर्तित कर देती हैं।

वित्तीय समावेशन : राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को साकार करना

"व्यवसायिक गति संवर्धन वर्ष" के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन के मानकों को मूलत: पुनर्परिभाषित किया है तथा भौतिक पहुँच-आधारित ढाँचे से आगे बढ़कर बुद्धिमत्ता-आधारित सशक्तीकरण के मॉडल को अपनाया है। राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता - जो हमारी सीबीआई-केयर दर्शन की 'आर' परिकल्पना का अभिन्न अंग है - अब केवल एक निष्क्रिय दायित्व नहीं रह गई है, बल्कि विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति प्रदान करने वाला एक उच्च-वेग प्रेरक तंत्र बन चुकी है। वित्त वर्ष 2026 में अपने संकल्पों को सफलतापूर्वक साकार करने के उपरांत, बैंक ने अपने उन्नत डिजिटल ऋण प्रदान मंच को अपने सामाजिक दायित्वों के साथ एकीकृत किया है, ताकि संस्थागत गति और लाभ देश के दूरस्थ एवं अंतिम छोर तक स्थित क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुँच सकें।

सौर-हरित तालमेल: कृषि स्वायत्तता को गति देना

इस वर्ष हमारे व्यावसायिक गति संवर्धन का सबसे स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण संकेतक प्राकृतिक पूंजी और हमारे सामाजिक दायित्व का निर्बाध एकीकरण रहा, जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत एक ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की गई। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने 16,500 किसानों को सौर पंपों हेतु स्वीकृति प्रदान की। यह उपलब्धि पूर्णत: कागजरहित डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित की गई।

इस जटिल कृषि ऋण प्रक्रिया को डिजिटल ऋण प्रदान मंच (डी एल पी) पर स्थानांतरित कर हमने त्रिस्तरीय सफलता अर्जित की है :

- **परिचालनगत गति** : स्वचालित डिजिटल सत्यापन के माध्यम से निष्पादन अवधि में उल्लेखनीय कमी लाई गई, जिससे किसानों को अभूतपूर्व तीव्रता के साथ वित्तीय संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित हुई।
- **पर्यावरणीय संरक्षकता** : सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई प्रणाली को अपनाने से कृषि क्षेत्र की कार्बन सघनता में उल्लेखनीय कमी आती है तथा नेट जीरो भविष्य के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति को बल मिलता है।
- **सामाजिक समता** : 16,500 कृषक परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा आधारित आत्मनिर्भरता उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया गया है तथा सीमांत एवं वंचित उत्पादकों को जीवाश्म ईंधन की बढ़ती लागत के प्रभाव से सुरक्षित किया गया है।

व्यापक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा: सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना

"व्यवसाय गति संवर्धन वर्ष" के दौरान हमने सरकार समर्थित बीमा एवं पेंशन योजनाओं के वितरण का विस्तार करने के लिए अपने 22,129 सेवा-संपर्क बिंदुओं के व्यापक नेटवर्क का प्रभावी उपयोग किया। हम यह मानते हैं कि समाज के सीमांत, वंचित एवं संवेदनशील वर्गों के लिए सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित किए बिना वित्तीय समावेशन की अवधारणा पूर्ण नहीं हो सकती।

31 मार्च, 2026 तक बैंक ने तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित करते हुए व्यापक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की:

- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाय)**: नामांकन की संख्या बढ़कर 32.26 लाख तक पहुँच गई, जिससे लाखों परिवारों को आवश्यक जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी एम एस बी वाय)** : हमने 116.87 लाख नामांकन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की, जिससे दुर्घटनाजन्य मृत्यु एवं दिव्यांगता बीमा सुरक्षा देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी सुलभ हो सकी।
- **अटल पेंशन योजना (ए पी वाय)** : दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिभूति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बैंक ने 31.81 लाख नामांकन सुनिश्चित किए, जिससे असंगठित क्षेत्र के लोगों में बचत एवं सेवानिवृत्ति नियोजन की संस्कृति को प्रोत्साहन मिला।

III. समावेशन का आधार: प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी एम जे डी वाय) एवं बी सी मॉडल

हमारी वित्तीय समावेशन कार्यनीति का प्रमुख आधार प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी एम जे डी वाय) है, जो लाखों लोगों के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश का माध्यम है। वित्त वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खातों की संख्या बढ़कर 195.55 लाख के ऐतिहासिक स्तर तक पहुँच गई तथा इनमें ₹9,222.59 करोड़ की शेष राशि दर्ज की गई, जो लघु बचतों के संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है।

यह व्यापक पहुँच हमारे अत्यंत स्थानीयकृत वितरण तंत्र के माध्यम से संभव हुई है :

- **व्यावसायिक कॉरेस्पॉन्डेंट (बी सी) नेटवर्क:** हमने "घर-घर बैंकिंग" सुविधा प्रदान करने के लिए 13,685 बी सी आउटलेट और 40 विशेष बी सी मैक्स केंद्र स्थापित किए हैं।
- **आर यू एस यू का वर्चस्व:** अपनी 4,585 शाखाओं में से 65.19% शाखाओं को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सुनिश्चित करके, बैंक राष्ट्र के कृषि और औद्योगिक केंद्रों के लिए "वास्तव में केंद्रित" बना हुआ है।
- **लक्षित सशक्तिकरण:** 13 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों के माध्यम से हमने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण उपलब्ध कराने के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ किया है, जिससे ग्रामीण भारत की महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता को संस्थागत आधार प्राप्त हुआ है।

आंतरिक परिवर्तन केन्द्र के माध्यम से इन प्रयासों का समन्वय करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यह सिद्ध किया है कि संस्थागत विस्तार और सामाजिक उद्देश्य न केवल एक-दूसरे की पूरक हैं, बल्कि सतत एवं तीव्र गति संवर्धन के दोहरे प्रेरक भी हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं सामुदायिक विकास : सामाजिक कल्याण में निवेश

"व्यवसाय गति संवर्धन वर्ष" के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) स्वैच्छिक परियोजनाओं की एक श्रृंखला से आगे बढ़कर रणनीतिक प्रभाव सृजन के एक सुनियोजित एवं संरचित माध्यम के रूप में विकसित हुआ है। हम यह मानते हैं कि एक स्वदेशी संस्था के रूप में हमारी 115 वर्षों की विरासत के साथ एक गहन सामाजिक दायित्व भी जुड़ा हुआ है: यह सुनिश्चित करता है कि बैंक ₹13 लाख करोड़ के संस्थान बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर हो, उस विकास के लाभ समाज के सबसे वंचित एवं संवेदनशील वर्गों तक भी समान रूप से पहुंचाया गया। हमारी सामुदायिक सहभागिता रणनीति सीबीआई-केयर दर्शन, विशेष रूप से **'राष्ट्र निर्माण में भूमिका'** तथा **'कर्मचारी कल्याण'** के स्तंभों पर दृढ़तापूर्वक आधारित है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के हित में निवेश की गई प्रत्येक पूंजी सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक न्याय के अनुरूप सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करे।

वित्त वर्ष 2025-26 में अपने 'वादे को सफलतापूर्वक पूरा करने' के पश्चात् बैंक ने पारंपरिक परोपकारी गतिविधियों से आगे बढ़कर स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा की सुलभता तथा दिव्यांगजन पुनर्वास जैसे क्षेत्रों में लक्षित एवं उच्च-प्रभावकारी पहलों पर विशेष बल दिया। दिनांक 31 मार्च 2026 तक बैंक ने 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने में प्रत्यक्ष योगदान देने वाली विशिष्ट एवं प्रभावशाली सीएसआर पहलों के लिए ₹1.17 करोड़ की राशि स्वीकृत की।

शैक्षिक सशक्तिकरण : आकांक्षाओं की सुदृढ़ नींव का निर्माण

हमारा मानना है कि शिक्षा दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक उन्नति का सबसे प्रभावी माध्यम है। 'व्यवसाय संवर्धन वर्ष' के दौरान बैंक ने केवल बुनियादी अवसंरचनात्मक सहायता तक सीमित रहने के बजाय प्राथमिक स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, ताकि वंचित एवं जरूरतमंद बच्चों को अपने शैक्षणिक सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं अवसर उपलब्ध हो सकें।

- **अवसंरचना एवं सुविधाएँ:** बैंक ने विद्यालयों के लिए आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण तथा वाटर कूलर लगाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे हजारों विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं अनुकूल शिक्षण वातावरण सुनिश्चित हुआ।
- **लक्षित सहायता:** बैंक ने वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को समग्र शैक्षिक सहायता प्रदान की। इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे हाशिए पर स्थित एवं अल्पसंपन्न परिवारों पर होने वाले प्रत्यक्ष शैक्षिक व्यय का बोझ कम करने में सहायता मिली।
- **सतत् विद्यालय:** अपने प्राकृतिक पूंजी लक्ष्यों को सामाजिक सरोकारों के साथ जोड़ते हुए, बैंक ने शैक्षणिक संस्थानों एवं उनके आसपास सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की। इस पहल ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ युवाओं में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता को भी प्रोत्साहित किया।

स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण विशेषीकृत जीवनरक्षक अवसंरचना

वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक की स्वास्थ्य संबंधी पहलों ने बुनियादी सहायता से आगे बढ़कर जरूरतमंद लोगों को उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। हमारा उद्देश्य वंचित एवं कमजोर वर्गों को सुलभ तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को साकार करना था।

- **निदान संबंधी उत्कृष्टता:** बैंक ने कार्डियक कलर डॉप्लर प्रणाली हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत की, जो हृदय संबंधी रोगों की प्रारंभिक पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण नैदानिक उपकरण है। यह सुविधा विशेष रूप से उन आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित मरीजों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें सामान्यत: ऐसी उन्नत जांच सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त नहीं हो पाती।
- **उन्नत चिकित्सा सहायता:** बैंक ने साइक्लोट्रॉन सुविधाओं के विकास हेतु सहयोग प्रदान किया, जिससे नाभिकीय चिकित्सा (न्यूक्लियर मेडिसिन) एवं कैंसर उपचार से संबंधित राष्ट्रीय अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में योगदान मिला।
- **संस्थागत साझेदारियाँ:** अपने 33,997 कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के

उद्देश्य से बैंक ने रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ट्रस्ट के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। यह पहल कर्मचारी कल्याण को बैंक की प्रमुख कॉर्पोरेट प्राथमिकताओं में संस्थागत रूप से शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

III. दिव्यांगजन सहायता: संवेदनशीलता एवं समावेशन के साथ अग्रसर

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिव्यांगजनों के पुनर्वास, समावेशन एवं सशक्तिकरण के प्रति हमारी सुदृढ़ प्रतिबद्धता हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व दृष्टिकोण की एक विशिष्ट पहचान रही।

- **पुनर्वास सेवाएँ:** बैंक ने तंत्रिका संबंधी विकारों एवं बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं पुनर्वास सेवाओं को निरंतर प्राथमिकता प्रदान की।
- **समावेशी गतिशीलता:** सुगम्यता एवं पहुँच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक ने बैटरी चालित उपयोगिता विद्युत वाहनों हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत की, जिससे सामुदायिक कल्याण संगठनों को स्वच्छ, पर्यावरण-अनुकूल एवं प्रभावी परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकी।
- **कार्यस्थल पर संवेदनशीलता:** आंतरिक स्तर पर बैंक ने समावेशिता की अपनी संस्कृति को और सुदृढ़ बनाना जारी रखा तथा सभी कर्मचारियों एवं आगंतुकों के लिए सुरक्षित, समावेशी एवं लैंगिक रूप से संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए।

IV. कर्मचारी सहभागिता से प्रेरित सामाजिक परिवर्तन

हमारा मानना है कि वास्तविक सामाजिक पूंजी का निर्माण तभी होता है, जब हमारे कर्मचारी हमारे उद्देश्य एवं सामाजिक प्रतिबद्धताओं के प्रमुख संवाहक बनकर उन्हें समाज तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

- **सेंट संस्कृति:** बैंक ने सेंट संस्कृति मंच का निरंतर विस्तार किया, जो विशेष रूप से कर्मचारियों के जीवनसाथियों को सामुदायिक सेवा गतिविधियों से जोड़ने का कार्य करता है। इस पहल के माध्यम से बैंक ने अपने सामाजिक सरोकारों एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों का विस्तार कर्मचारियों के परिवारों तक भी सुनिश्चित किया।
- **सहभागिता को नई गति:** उद्देश्य-प्रेरित कार्यसंस्कृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को नियमित रूप से आयोजित हैप्पीनेस सर्वेक्षणों के माध्यम से बल मिला, जिनके द्वारा कर्मचारियों की संतुष्टि, नेतृत्व के प्रति उनके विश्वास तथा बैंक के सामाजिक मूल्यों के साथ उनके सामंजस्य का आकलन किया जाता है।

इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यह सिद्ध किया है कि संस्थागत प्रगति एवं विकास तभी सर्वाधिक सतत और सार्थक होते हैं, जब उनकी नींव उस समाज के कल्याण में निहित हो, जिसकी सेवा के लिए संस्था प्रतिबद्ध है।

भावी परिदृश्य: व्यवसाय उत्कर्ष के वर्ष की ओर अग्रसर

'व्यवसाय संवर्धन वर्ष' के सफल समापन के साथ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पड़ाव पर खड़ा है। वित्त वर्ष 2025-26 में रणनीतिक रूपरेखाओं को तीव्र गति से प्राप्त ठोस परिणामों में परिवर्तित करते हुए हमने अपने 'वादे को सफलतापूर्वक पूरा' किया है। अब आगामी चरण हमारी उपलब्धियों को संस्थागत रूप से सुदृढ़ करने का है, जिसमें तीव्र व्यवसायिक विस्तार से आगे बढ़कर हमारे डिजिटल एवं भौतिक पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक संपर्क बिंदु को और अधिक परिष्कृत एवं उत्कृष्ट बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना

आगामी वित्तीय वर्ष में बैंक परिचालन स्थिरता से आगे बढ़ते हुए ग्राहक सेवा एवं शिकायत निवारण के क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उन्हें संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की दिशा में अग्रसर होगा। हमारा एकीकृत ग्राहक सेवा मंच अपने विकास के अगले चरण में प्रवेश करेगा, जिसमें ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को ग्राहकों के खातों एवं लेन-देन के वास्तविक समय (रियल-टाइम) विवरण की समग्र जानकारी उपलब्ध कराने हेतु **'कस्टमर 360° व्यू'** सुविधा शामिल की जाएगी। इससे ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक व्यक्तिगत, त्वरित एवं प्रभावी सेवा प्रदान करना संभव होगा। हमारा लक्ष्य आईवीआर संतुष्टि स्कोर को 90% तक पहुँचाना तथा शिकायत निवारण की औसत निष्पादन अवधि को घटाकर मात्र चार दिन करना है। इन प्रयासों के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सेवा उत्कृष्टता के मानक के रूप में अपनी पहचान को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

ओम्नी-चैनल बैंकिंग परिपक्वता की प्राप्ति

'व्यवसाय उत्कर्ष के वर्ष' की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक पूर्ण विकसित ओम्नी-चैनल प्लेटफॉर्म की स्थापना करना है. यह पहल सभी उपकरणों एवं सेवा माध्यमों पर ग्राहकों को एकीकृत और निर्बाध अनुभव प्रदान करेगी। इसके माध्यम से ग्राहक किसी प्रक्रिया की शुरुआत मोबाइल उपकरण पर कर सकेंगे तथा बिना जानकारी को पुन: दर्ज किए सहायक चैनलों के माध्यम से उसे पूर्ण कर सकेंगे। सेंट नियो डिजिटल परिवेश का विस्तार करते हुए तथा डिजिटल ऋण मंच के अंतर्गत उपलब्ध सेवा प्रक्रियाओं की संख्या को वर्तमान 37 से आगे बढ़ाकर, हम अपने 8.26 करोड़ ग्राहकों की निरंतर विकसित होती अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप एक ऐसा एकीकृत अनुभव प्रदान करेंगे, जो किसी एक विशेष उपकरण या माध्यम तक सीमित नहीं होगा।

'कम्युनिटी इम्पैक्ट 2.0 (सामुदायिक प्रभाव 2.0): सामाजिक प्रतिबद्धता का विस्तार

'कम्युनिटी इम्पैक्ट 2.0' के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक होगी। अगले चरण में विस्तारित वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्रों (एफएलसीसी) तथा सुदृढ़ आरसेटी पहलों के माध्यम से 30,000 से अधिक लाभार्थियों तक पहुँचने का हमारा लक्ष्य है। ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य अवसंरचना तथा स्टार्टअप्स एवं श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए विशेष ऋण योजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ₹13 लाख करोड़ के संस्थान बनने की उसकी यात्रा 'विकसित भारत' के लिए समावेशी एवं न्यायसंगत विकास को निरंतर गति प्रदान करती रहे।

मानव संपदा

प्रगति की शक्ति- उत्पादकता की सिद्धि

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण

रणनीतिक प्राथमिकता

A

व्यवसाय मॉडल का घटक

3 8

जीआरआई मानक

401, 404, 405
(रोजगार, प्रशिक्षण,विविधता)

गति संवर्धन केवल गति बढ़ाने का पर्याय नहीं बल्कि हमारे मानव संसाधन की सामूहिक कौशल दक्षता और प्रत्यास्थी का परिणाम है| वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान हमने अपने कर्मचारियों को नियमित प्रक्रियात्मक कार्यों से आगे उच्च मूल्य आधारित बौद्धिक कार्यों की दिशा में सशक्त बनाया है। परिणामस्वरूप हमने अभूतपूर्व कार्यकुशलता प्राप्त की, जो वैश्विक उत्कृष्टता मानकों को अपनाने और हमारी तत्परता को प्रतिबिंबित करती है।

प्रारम्भिक दृष्टिकोण: विकास की गति का आधार- "हमारा कार्यबल"

"व्यावसायिक गतिसंवर्धन" के वर्ष में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मानव पूंजी में एक गहन रणनीतिक परिवर्तन हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025 में संस्थागत स्थिरता प्रदान करने वाली अपनी भूमिका से आगे बढ़ते हुए, हमारा कार्यबल अब हमारे सार्वभौमिक बैंकिंग मॉडल के निर्णायक **"गतिसंवर्धन इंजन"** के रूप में स्थापित हुआ है। हम यह मानते हैं कि हमारा 33,997 सदस्यों वाला कार्यबल वह प्रमुख उत्प्रेरक है, जिसके माध्यम से हमने अपनी रणनीतिक मंशा को ₹8,12,439 करोड़ के कुल व्यवसाय में परिलक्षित उच्च-गति वाले परिणामों में परिवर्तित किया हैं। वित्तीय वर्ष 2026 में "अपनी प्रतिबद्धता" को सफलतापूर्वक साकार करने के उपरांत, बैंक आधारभूत क्षमता निर्माण के चरण से आगे बढ़कर "ज्ञान-संचालित उत्पादकता" के मॉडल को अपनाने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इससे यह सिद्ध हुआ है कि सशक्त एवं स्फूर्त कार्यबल ही संस्थागत सुदृढ़ता की आधारशिला है|

हमारे कर्मचारी अब केवल कार्यात्मक संसाधन के रूप में नहीं देखे जाते; वे हमारे रूपांतरण के बौद्धिक शिल्पकार हैं, जो "सेंट नियो" पारितंत्र के विस्तार तथा स्वचालित निगरानी के माध्यम से कठोर ऋण अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। यह परिवर्तन "सीबीआई -केयर" दर्शन द्वारा निर्देशित रहा है, विशेष रूप से कर्मचारी कल्याण के स्तंभ के माध्यम से, जिससे यह सुनिश्चित किया गया है कि तीव्र प्रगति के साथ-साथ हमारे कर्मचारी सुदृढ़, दक्ष तथा विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप बनें। वित्तीय वर्ष 26 के दौरान, हमने अपने कर्मचारियों को नियमित प्रक्रियात्मक कार्यों से आगे बढ़कर उच्च-मूल्य आधारित बौद्धिक कार्यों की ओर अग्रसर किया, जिसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड स्तर की कार्यकुशलता प्राप्त हुई, जो वैश्विक मानकों के लिए हमारी तैयारी प्रदर्शित करती है । यह व्यापक दृष्टिकोण हमारे सामूहिक कौशल की शक्ति को समर्पित एक नए अध्याय का आधार तैयार करता है तथा यह सिद्ध करता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 115 वर्षों की गौरवशाली विरासत को एक ऐसे कार्यबल द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है जो भविष्य के लिए तैयार तथा परिणामोन्मुख है।

त्वरण इंजन को शक्ति देती मानव पूंजी

उच्च-गति उत्पादकता के अपने वादे को साकार करते हुए।

33,997 सशक्त कर्मचारी

₹8.12 लाख करोड़ का पैमाना

रणनीतिक स्तंभ:रूपरेखा से उत्कृष्ट क्रियान्वयन तक

हमारी मानव पूंजी रणनीति पाँच प्रमुख विषयों पर दृढ़तापूर्वक आधारित है, जो हमारे गत्यात्मक क्रियान्वयन मॉडल के स्तंभ हैं-नेतृत्व विकास, डिजिटल सशक्तीकरण, सहभागिता एवं कल्याण, प्रतिभा विकास एवं प्रतिधारण तथा गतिशील कार्य संस्कृति। वित्तीय वर्ष 26 में हमने इन स्तंभों की केवल वैचारिक स्थापना से आगे बढ़ते हुए उन्हें विकास के प्रेरक तंत्र के रूप में सक्रिय रूप से लागू किया।

आई3(आईडीएट,इनोवेट,इन्सपाइर) डिजिटल पोर्टल हमारी "गतिशील कार्य संस्कृति" का प्रमुख प्रेरक रहा है, जिसने प्रत्येक कर्मचारी को परिवर्तन का सक्रिय भागीदार बनाया है। कर्मचारियों को प्रक्रिया पुनर्रचना हेतु नवोन्मेषी सुझाव प्रस्तुत करने तथा उनकी प्रगति का अनुश्रवण करने की सुविधा प्रदान कर, आई3 ने संगठन में नवाचार और समन्वय की संस्कृति को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया है। इसी के साथ, हमारी गोपनीय व्यावसायिक परामर्श सेवा "सेंट-चेतना" का शुभारंभ "सहभागिता एवं कल्याण" स्तंभ को और अधिक सुदृढ़ बनाता है। यह पहल कर्मचारियों के भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा कार्यस्थल की परिस्थितियों के प्रभावी प्रबंधन में सहयोग प्रदान करती है, जिससे संगठनात्मक गति के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक दृढ़ता भी सुनिश्चित होती है।

डिजिटल सशक्तीकरण को **सेन्ट स्वाध्याय एप** तथा **सेन्ट चाणक्य** जनरेटिव एआई आधारित चैटबॉट के माध्यम से और अधिक विस्तार दिया गया, जिससे कर्मचारियों को शिक्षण संसाधनों तथा वास्तविक समय में प्रश्नों के समाधान की त्वरित सुविधा उपलब्ध हुई। ये रणनीतिक स्तंभ सुनिश्चित करते हैं कि हमारी मानव पूंजी रणनीति केवल एक स्वतंत्र पहल न होकर संगठन की कार्यगत गति को बढ़ाने वाला प्रमुख कारक बने, जिससे हम बाजार के अवसरों का अभूतपूर्व तीव्रता से लाभ उठा सकें। इन पाँच स्तंभों के माध्यम से मानव पूंजी के प्रवाह का अनुकूलन कर हमने सिद्ध किया है कि एक शताब्दी पुराना संस्थान भी आधुनिक डिजिटल-पारितंत्र की गति के साथ कार्य कर सकता है।

उत्पादकता एवं विस्तार: ₹23.89 करोड़ के लक्ष्य तक पहुँचने की गति

वित्तीय वर्ष 26 में हमारी मानव पूंजी रणनीति की सबसे महत्वपूर्ण पुष्टि कार्यबल की उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि के रूप में हुई। "व्यवसाय संवर्धन वर्ष" के दौरान हमारा प्रमुख उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर प्रति कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाना तथा व्यवसाय वृद्धि को मानव संसाधन संख्या में वृद्धि से पृथक करना था।

इसका परिणाम एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में सामने आया—प्रति कर्मचारी व्यवसाय में 12.11% की वृद्धि होकर यह ₹23.89 करोड़ तक पहुँच गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह ₹21.31 करोड़ था। यह सूचकांक हमारी उच्च-गति कार्यकुशलता संबंधी प्रतिबद्धता के सफल क्रियान्वयन का स्पष्ट प्रमाण है। उत्पादकता में यह उल्लेखनीय वृद्धि 90.54% लेन-देन को सेंट-नियो तथा डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल माध्यमों पर स्थानांतरित करने की हमारी रणनीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके फलस्वरूप हमारे मानव संसाधनों को नियमित लिपिकीय कार्यों से मुक्त कर उच्च-मूल्य वाले ऋण अभिग्रहण तथा परामर्श सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित किया जा सका।

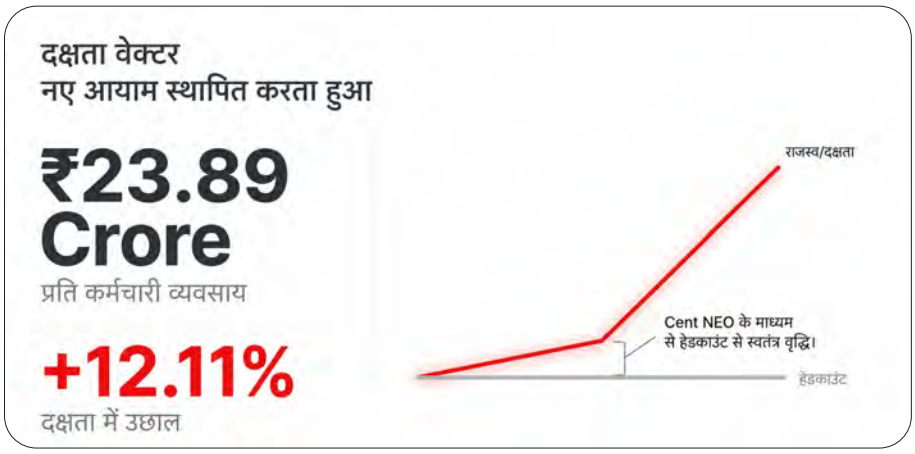

शाखा-स्तर पर भी विस्तार समान रूप से प्रभावशाली रहा है, जहाँ प्रति शाखा व्यवसाय बढ़कर ₹177.19 करोड़ हो गया। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि हमारा शाखा नेटवर्क, जो अभी भी 65.19% ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, समावेशी होने के साथ-साथ समान रूप से उत्पादक भी है। उत्पादकता में यह उल्लेखनीय वृद्धि हमारी "अधिक स्मार्ट तरीके से विकास की रणनीति को प्रमाणित करती है तथा यह दर्शाती है कि 33,997 कर्मचारियों वाला हमारा कार्यबल अब निजी क्षेत्र के मानकों के समकक्ष कार्यनिष्पादन कर रहा है। संस्थागत क्षमता को उच्च-गति वाले परिणामों में परिवर्तित करते हुए हमारे कर्मचारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय वृद्धि की प्रत्येक इकाई अनुशासित मानव दक्षता द्वारा समर्थित हो।

लक्षित प्रशिक्षण: 1000 ऋण अधिकारियों की पहल का प्रभाव

वित्त वर्ष 2025 – 26 में बैंक ने अपने अधिगम एवं विकास कार्यक्रम को "सामान्य प्रशिक्षण" से "लक्षित कौशल संवर्धन" की ओर रणनीतिक रूप से परिवर्तित किया तथा अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को बड़े पैमाने पर ऋण वितरण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया। इस रणनीति का प्रमुख आधार **1000 ऋण अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम** का सफल क्रियान्वयन रहा।

इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले ऋण अभिग्रहण मानकों को संस्थागत रूप देना तथा ऋण स्वीकृति संबंधी निर्णय प्रक्रिया की गति में उल्लेखनीय वृद्धि करना था। यह विशेष रूप से उस समय महत्वपूर्ण था जब बैंक का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो ₹1,00,000 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया। पारंपरिक ऋण मूल्यांकन के अतिरिक्त, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीएलपी के माध्यम से ईसीजी जोखिम परीक्षण तथा डिजिटल ऋण मूल्यांकन तकनीकों को भी सम्मिलित किया गया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि ऋण वितरण में तीव्र वृद्धि के बावजूद हमारे ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता एवं सुदृढ़ता बनी रहे। जिसका प्रमाण 1.16 % के स्लिपेज अनुपात के रूप में परिलक्षित होता है।

इसके अतिरिक्त बैंक ने आईआईएम और एक्सएलआरआई जैसे संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवात्मक अध्ययन यात्राओं एवं संरचित कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी नेतृत्व क्षमता विकास श्रृंखला को और सुदृढ़ किया। बैंक ने चयनित 225 अधिकारियों को एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण विशेषज्ञ के रूप में विकसित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया। इस क्षेत्र को समर्थन प्रदान करने के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन की गई प्रशिक्षण पुस्तिका भी प्रकाशित की गई। विशिष्ट विशेषज्ञता में किया गया यह निवेश सुनिश्चित करता है कि हमारी मानव पूंजी अधिक जटिल एवं बुद्धि संचालित तुलन पत्र के प्रबंधन के लिए सक्षम हो क्योंकि हम प्रस्तावित वित्त वर्ष 2026 – 27 "व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष" की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सामान्यीकरण के स्थान पर विशेषज्ञता को प्राथमिकता देने की हमारी प्रतिबद्धता इस तीव्र विकास चरण में हमारी मानव पूंजी मॉडल की विशिष्ट पहचान है।

समावेशिता (विस्तार): "पिंक" उपलब्धि एवं विविधता नेतृत्व

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक सुशासन एवं लैंगिक समावेशन के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करना जारी रखे हुए है तथा वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को नए आयाम प्रदान कर रहा है। वित्त वर्ष 2025 – 26 की एक प्रमुख उपलब्धि हमारी "पिंक शाखाओं" का विस्तार कर उनकी कुल संख्या को 115 तक पहुँचाना रहा। महिला कर्मचारियों द्वारा पूर्णत: संचालित ये शाखाएँ नेतृत्वकर्ता केन्द्रों के रूप में कार्य करती हैं जहाँ विविधता संबंधी हमारी वैचारिक रूपरेखाओं को विशिष्ट, ग्राहक केंद्रित एवं संवेदनशील सेवा मॉडल में रूपांतरित किया जाता है।

यह पहल 1924 से एक प्रत्यक्ष ऐतिहासिक सेतु स्थापित करती है, जब हमारे संस्थापक सर सोराबजी पोचखानावाला ने बंबई में प्रथम महिला समर्पित विभाग की स्थापना की थी। आज हमने उस अग्रणी दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक एक ऐसे राष्ट्रीय स्तर के मॉडल के रूप में रूपांतरित किया है, जो महिलाओं को बैंकिंग व्यवसाय के प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाता है। समावेशी कार्यबल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को वित्त वर्ष 2025 – 26 में प्राप्त अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों द्वारा औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई :

- **ईटी एज द्वारा "महिलाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ संगठन 2026"**.सम्मान से अलंकृत।
- **ईवाई इंडिया** द्वारा **"महिलाओं के लिए सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल 2025-26"**. के रूप में पहचान।

इस उद्देश्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए, बैंक ने मातृत्व सहायता कार्यक्रम के एक प्रायोगिक मॉडल को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जिसके अंतर्गत मातृत्व अवकाश के उपरांत कार्य पर पुन: लौटने वाली महिला कर्मचारियों के लिए 12 माह की परामर्श एवं पुन:कार्यग्रहण सहायता व्यवस्था उपलब्ध कराई, जिससे उनके कार्यबल में निर्बाध पुनर्समावेशन सुनिश्चित हो सके। इन पहलों ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी विकास यात्रा की गति जितनी उत्पादक है, उतनी ही समावेशी भी है, जिससे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी के लिए पसंदीदा नियोक्ता के रूप में स्थापित हो रहा है।

कर्मचारी कल्याण एवं नैतिकता: संस्थागत सुदृढ़ता को प्रोत्साहन

हम जानते हैं की संस्थागत प्रगति की गति का आधार हमारे कार्यबल का समग्र कल्याण तथा अडिग नैतिक मूल्यों की संस्कृति होना चाहिए। वित्त वर्ष 2025 – 26 में बैंक ने सामान्य कल्याण कार्यक्रमों से आगे बढ़ते हुए 'सेंट चेतना' नामक गोपनीय परामर्श मंच को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। इस मंच का परिचालन योग्य पेशेवरों द्वारा किया जाता है, जो कर्मचारियों की भावनात्मक दृढ़ता तथा कार्यस्थल संबंधी चुनौतियों से निपटने मे सहायता प्रदान करते हैं। यह पहल लोगों को आजीवन प्राथमिकता देने संबंधी हमारी सीबीआई – केयर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

नवाचार की हमारी संस्कृति एक सुदृढ़ नैतिक आधार पर स्थापित है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आचार एवं व्यावसायिक आचरण संहिता की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है, जिससे उत्तरदायित्व एवं विश्वास पर आधारित कार्यसंस्कृति को और सशक्त बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत संकट की परिस्थिति में कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु बैंक ₹25 करोड़ का शोक सहायता कोष बनाए रखता है, जिससे सुरक्षित एवं सहयोगपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित होता है।

इन पहलों की सफलता का आकलन करने के लिए बैंक अब नियमित रूप से **"हैप्पीनेस सर्वे"** आयोजित करता है, जिनके माध्यम से कार्य संतुष्टि, कार्यस्थल संस्कृति तथा कार्य – जीवन संतुलन का मूल्यांकन किया जाता है। इन निष्कर्षों ने हमें 98.38 प्रतिशत की उचित कर्मचारी प्रतिधारण दर बनाए रखने में सहायता प्रदान की है, जो हमारे 33,997 कर्मचारियों की बैंक के प्रति गहरी संस्थागत निष्ठा दर्शाती है। आई3 के माध्यम से व्यावसायिक नवाचार तथा सेंट चेतना के माध्यम से भावनात्मक कल्याण को समान रूप से प्राथमिकता देने वाली कार्यसंस्कृति का निर्माण कर हमने यह सुनिश्चित किया है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया गतिशील बैंकिंग परिदृश्य में एक प्रत्यास्थी, उद्देश्य संचालित एवं सुदृढ़ संस्थान बना रहे।

भावी परिदृश्य: व्यावसायिक उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम (वित्त वर्ष 2027)

व्यावसाय संवर्धन वर्ष के समापन के साथ, वित्त वर्ष 2026–27 अर्थात् "व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष" के लिए हमारी मानव पूँजी रूपरेखा हमारी प्रतिभा – संपदा के बुद्धिमत्ता - संचालित परिष्करण पर केंद्रित है। हम व्यवसाय की मात्रा में विस्तार से आगे बढ़कर परिचालन दक्षता के सूक्ष्म एवं व्यवस्थित मापन की दिशा में अग्रसर हैं।

आगामी चक्र हेतु प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

1. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ मशीन लर्निंग आधारित कौशल विश्लेषण**: हम उन्नत विश्लेषणात्मक प्रणालियों का उपयोग कर "पद कौशल उपयुक्तता" प्रतिशत का आकलन करेंगे, जिससे उभरती प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्व पहचान की जा सकेगी तथा कर्मचारियों की प्रोफाइल के अनुरूप पदों का अत्यन्त सटीक मिलान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
2. **मानव संपदा प्रक्रियाओं का केंद्रीकरण**: एचआर हब के कार्यान्वयन के माध्यम से वेतन एवं गैर - वेतन संबंधी सभी प्रक्रियाओं जैसे पदस्थापन उपयुक्तता तथा सेवांत लाभों का केन्द्रीकरण किया जायेगा तथा मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आरंभ से अंत तक स्वचालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. **लक्षित भर्ती**: बैंक ने अपनी अग्रिम पंक्ति की सेवा वितरण क्षमता को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 500 पीओ, मुख्यधारा के अंतर्गत 1,000 ऋण अधिकारियों, वेतनमान-I, II, III एवं IV में 670 विशेषज्ञ अधिकारियों, विभिन्न कार्यक्षेत्रों में 15 सहायक महाप्रबंधकों तथा 2,000 ग्राहक सेवा सहयोगियों की भर्ती की योजना प्रारंभ की है।
4. **वैश्विक मानक निर्धारण**: नेतृत्व को दक्षता एवं डिजिटल परिपक्वता के वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरों तथा कार्यकारी नेतृत्व परामर्श के दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है।

यह कार्ययोजना सुनिश्चित करती है कि गति संवर्धन चरण के दौरान अर्जित प्रगति दीर्घकालिक संस्थागत उत्कृष्टता के लिए एक स्थायी प्रक्षेपण मंच का कार्य करे।

बैंक की 19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना

सूचना दी जाती है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के शेयरधारकों की **19वीं (उन्नीसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम)** शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को अपरान्ह 03.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर विचार एवं निर्णय किया जाएगा।

साधारण कार्य :-

मद संख्या 1

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित बैलेंस शीट तथा एकल एवं समेकित लाभ-हानि खाते पर, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना तथा उन्हें अनुमोदित एवं अंगीकृत करना।

मद संख्या 2

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा घोषित एवं अनुमोदित ₹10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर कुल ₹1.20 (12%) के 04 (चार) अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।

विशेष कार्य :-

मद संख्या 3

बैंक के निदेशक मंडल में श्री बलदेव पुरुषार्थ की भारत सरकार नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित करना।

इस पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित किया जाए:

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) तथा समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ संख्या eF.No.6/2(ii)/2022-BO.I दिनांक 24 जुलाई, 2025 के साथ सहपठित अधिसूचना संदर्भ संख्या eF.No.6/2(i)/2022-BO.I दिनांक 19 जून, 2026 के माध्यम से श्री बलदेव पुरुषार्थ की बैंक के सरकार नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में 24 जुलाई, 2025 से 19 जून, 2026 तक की गई नियुक्ति का अनुमोदन किया जाता है।"

मद संख्या 4

बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. वी. मुरली कृष्णा के कार्यकाल के विस्तार को अनुमोदित करना।

इस पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित किया जाए:

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) तथा समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(a) के अंतर्गत, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या eF.No.4/4(vii)/2024-BO.I दिनांक 15 सितंबर, 2025 के माध्यम से श्री एम. वी. मुरली कृष्ण के बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल को उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल, जो 30 नवंबर, 2025 को समाप्त हुआ, के पश्चात उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात् 31 जुलाई, 2027 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाए जाने को इस प्रकार अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 5

बैंक के निदेशक मंडल में श्री कल्याण कुमार की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित करना।

इस पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित किया जाए:

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) तथा समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(a) के अंतर्गत, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या eF.No.4/3(ii)/2024-BO.I दिनांक 30 सितंबर, 2025 के माध्यम से श्री कल्याण कुमार की बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 30 सितंबर, 2025 से, अर्थात् उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई नियुक्ति को इस प्रकार अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 6

बैंक के निदेशक मंडल में श्री ई. रतन कुमार की कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित करना।

इस पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित किया जाए:

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1C) तथा समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(a) के अंतर्गत, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या eF.No.4/4(ii)/2024-BO.I दिनांक 24 नवंबर, 2025 के माध्यम से श्री ई. रतन कुमार की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में 24 नवंबर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई नियुक्ति को इस प्रकार अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या.7

बैंक के निदेशक मंडल में श्री चन्द्रदीप कुमार झा की सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु।

विचारार्थ तथा उपयुक्त समझे जाने पर निम्नलिखित **साधारण प्रस्ताव** पारित करने हेतु :

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1C) तथा अन्य लागू प्रावधानों जो समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं, के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ eF.No.6/2(i)/2022-BO.I दिनांक 19 जून, 2026 के माध्यम से श्री चन्द्रदीप कुमार झा की बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में 19 जून, 2026 से आगामी आदेशों तक की गई नियुक्ति का अनुमोदन किया जाता है।"

मद संख्या 8

क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू जैसी विभिन्न विधाओं के माध्यम से अधिकतम ₹7,000 करोड़ तक की इक्विटी पूंजी जुटाने पर विचार करना।

इस पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **विशेष प्रस्ताव** के रूप में संशोधन सहित अथवा रहित पारित किया जाए:

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा/या इस संदर्भ में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकरण की स्वीकृति, अनुमति, संस्तुति व आदेशों के अधीन और उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान करते समय निर्धारित शर्तों, नियमों एवं संशोधनों के अधीन – जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सके – तथा सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018, सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, तथा अन्य सभी प्रासंगिक लागू कानूनों, अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों एवं समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और बैंक द्वारा जिन स्टॉक एक्सचेंजों में उसके शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके साथ किए गए सूचीबद्ध समझौतों के अधीन – बैंक के निदेशक मंडल (जिसमें 'कैपिटल रेज़िंग कमेटी' भी सम्मिलित मानी जाएगी, जिसे निदेशक मंडल ने गठित किया है या भविष्य में पुनर्गठित कर सकता है) को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस या अन्य किसी दस्तावेज के माध्यम से, भारत या विदेश में, ऐसे अंशों/श्रेणियों के लिए आरक्षण या प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आरक्षित आवंटन की व्यवस्था सहित, ₹10 (केवल दस रुपये) अंकित मूल्य के ऐसे अंशों को जारी करने, प्रस्ताव करने और आवंटित करने का कार्य करें, जिसकी कुल राशि ₹7000 करोड़ (रुपये सात हजार करोड़ मात्र, प्रीमियम सहित यदि हो तो) तक हो, इस प्रकार कि भारत सरकार का न्यूनतम 51% अंश पूंजी में हिस्सेदारी सदैव बनी रहे। यह निर्गम एक या अधिक किस्तों में किया जा सकता है, और यह बैंक के सदस्यगण, कर्मचारीगण, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), निजी या सार्वजनिक कंपनियाँ, निवेश संस्थान, सोसायटीज़, ट्रस्ट, अनुसंधान संगठन, योग्य संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी), विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियाँ, भविष्य निधियाँ, पेंशन निधियाँ, विकास वित्त संस्थान या ऐसे अन्य संस्थाएं/प्राधिकरण या निवेशक श्रेणियाँ जिन्हें प्रचलित नियमों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है, अथवा इनका कोई संयोजन – जिन्हें बैंक उपयुक्त समझे – को आवंटित किए जा सकते हैं।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त निर्गम, प्रस्ताव या आवंटन योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू (एफपीओ), राइट्स इश्यू या इनका संयोजन, जिसमें समग्र आवंटन विकल्प के साथ या बिना योग्य संस्थागत प्लेसमेंट शामिल हो सकता है, के माध्यम से किया जाएगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आवंटन बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और अन्य प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, और वह ऐसे समय/समयों पर, ऐसी विधि से और ऐसे नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि निदेशक मंडल को अपनी पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उपयुक्त लगे।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि निदेशक मंडल को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह सेबी (आईसीडीआर) विनियमों, अन्य

विनियमों तथा सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे निवेशक/निवेशकों को — चाहे वे बैंक के वर्तमान सदस्य हों या न हों — उस न्यूनतम मूल्य पर या उससे अधिक पर, जो सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, निर्गम करने का निर्णय ले सके। यह निर्णय निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आवश्यकतानुसार लीड मैनेजर्स और/या अंडरराइटर्स और/या अन्य सलाहकारों से परामर्श करके या अन्यथा, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, ऐसी विधि से तथा ऐसे नियमों और शर्तों पर ले सकेगा, जैसा वह उपयुक्त समझे।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्ध समझौतों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा सिक्योरिटी का ट्रांसफर या जारी किया जाना) विनियमन, 2000 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों (जिन्हें आगे चलकर सामूहिक रूप से "उपयुक्त प्राधिकरण" कहा गया है) की आवश्यक स्वीकृति, सहमति, अनुमति और/या अनुमोदनों (जिन्हें आगे चलकर "आवश्यक स्वीकृतियां" कहा गया है) के अधीन तथा उन प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृति प्रदान करते समय लगाए गए नियमों व शर्तों के अधीन, निदेशक मंडल को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, समय-समय पर, एक या एक से अधिक किस्तों में, ऐसे इक्विटी शेयर या अन्य कोई प्रतिभूतियां (वारंट को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या अदला-बदली योग्य हों, इस प्रकार निर्गम, प्रस्तावित और आवंटित कर सके जिससे कि भारत सरकार की बैंक में इक्विटी शेयर पूंजी में हिस्सेदारी कभी भी 51% से कम न हो। यह निर्गम योग्य संस्थागत खरीदारों को, जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में परिभाषित किया गया है, के पक्ष में 'क्यूआईपी' के अंतर्गत, जो सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में प्रदान किया गया है, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट और/या अन्य किसी दस्तावेज/प्रस्ताव/परिपत्र/स्मरणपत्र के माध्यम से, उस समय प्रचलित कानूनों, सेबी आईसीडीआर विनियमों या अन्य प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित मूल्य, शर्तों और नियमों पर किया जा सके।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत यदि योग्य संस्थागत प्लेसमेंट किया जाता है, तो –

ए. प्रतिभूतियों का आवंटन केवल ऐसे योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में परिभाषित है, तथा ऐसी सभी प्रतिभूतियाँ पूर्णत: चुकता होंगी और इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से 365 दिनों के भीतर उनका आवंटन पूर्ण किया जाएगा।

बी. बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 176(1) के अंतर्गत, न्यूनतम मूल्य के अनुसार निर्धारित मूल्य पर अधिकतम पाँच प्रतिशत की छूट के साथ शेयर जारी करने के लिए अधिकृत होगा।

सी. प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण 'प्रासंगिक तिथि' के आधार पर किया जाएगा, जो कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि निदेशक मंडल को यह अधिकार और शक्ति प्रदान की जाती है कि वह भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, वह स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं अथवा अन्य किसी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्गम, आवंटन तथा सूचीबद्धता के संबंध में स्वीकृति, सहमति, अनुमति अथवा अनुमोदन प्रदान करते समय आवश्यकतानुसार सुझाए या थोपे गए किसी भी संशोधन/परिवर्तन को स्वीकार कर सके, बशर्ते कि निदेशक मंडल द्वारा उसे स्वीकार किया गया हो।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि नए इक्विटी शेयरों / प्रतिभूतियों का निर्गम और आवंटन, यदि कोई किया जाता है, अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के अधीन होगा, यदि लागू हो, किन्तु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर ही किया जाएगा।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रस्तावित नए इक्विटी शेयरों का निर्गम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (यथा संशोधित) के अधीन होगा तथा ये शेयर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी प्रकार से समान दर्जे के होंगे और यदि कोई लाभांश घोषित किया जाता है, तो वे उस पर वैधानिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो उस समय प्रभावी हों, लाभांश के पात्र होंगे।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम या आवंटन को प्रभावी रूप देने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह सार्वजनिक निर्गम की शर्तों का निर्धारण कर सके, जिसमें उन निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक किस्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि आदि शामिल हैं, और निदेशक मंडल जो कुछ भी आवश्यक, उचित या वांछनीय समझे, ऐसे सभी कार्य, कृत्य, विषय एवं कार्यवाहियां कर सके, तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों और अनुबंधों को क्रियान्वित कर सके। साथ ही, यदि सार्वजनिक निर्गम, निर्गम, आवंटन और निर्गम से प्राप्त धन के उपयोग के संबंध में कोई प्रश्न, कठिनाई या संदेह उत्पन्न होता है, तो निदेशक मंडल उसे सुलझाने अथवा उसके लिए निर्देश/निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत होगा, तथा वह निर्गम की शर्तों एवं नियमों में संशोधन, परिवर्तन, विविधता, परिवर्तन, विलोपन या वृद्धि को, जैसा कि वह बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उपयुक्त समझे, स्वीकार और क्रियान्वित कर सकेगा, इसके लिए सदस्यों की किसी अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक तथा निदेशक मंडल को प्रदत्त सभी या कोई भी अधिकार निदेशक मंडल द्वारा प्रयुक्त किए जा सकेंगे।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि निदेशक मंडल को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह किसी भी बुक रनर, लीड मैनेजर, बैंकर, अंडरराइटर, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार, ऑडिटर तथा ऐसी

सभी एजेंसियों के साथ, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के इस प्रस्ताव में शामिल या संबद्ध हों, आवश्यक समस्त व्यवस्थाओं/संधियों में प्रविष्ट होने एवं उन्हें क्रियान्वित करने हेतु अधिकृत हो, तथा ऐसी संस्थाओं और एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या अन्य किसी उपयुक्त रूप में पारिश्रमिक प्रदान करने हेतु भी अधिकृत हो; साथ ही वह इन एजेंसियों के साथ सभी आवश्यक समझौतों, अनुबंधों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में प्रविष्ट हो सके एवं उन्हें क्रियान्वित कर सके।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु, निदेशक मंडल को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह लीड मैनेजर्स, अंडरराइटर्स, सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके, निर्गम के स्वरूप और शर्तों का निर्धारण कर सके, जिसमें उन निवेशकों की श्रेणी जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक किस्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि हो), अंकित मूल्य, निर्गम/ परिवर्तन/ वारंट्स के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के रिडेम्पशन पर लगने वाला प्रीमियम, ब्याज दर, रिडेम्पशन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या रिडेम्पशन या निरस्तीकरण पर मिलने वाले इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम/परिवर्तन पर छूट या प्रीमियम, ब्याज की दर, परिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बुक क्लोजर की तिथि का निर्धारण एवं अन्य संबंधित या अनुषंगिक विषय, भारत में और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता आदि शामिल हैं, जैसा कि निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त समझे।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों में से जो सदस्यता के लिए नहीं लिए गए हों, उन्हें निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, जैसा उसे उपयुक्त एवं विधिसम्मत लगे, उस प्रकार से निष्पादित करने के लिए अधिकृत होगा।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से ऐसा कोई भी कार्य, कृत्य, विषय अथवा प्रक्रिया कर सके, जो वह आवश्यक, उचित अथवा वांछनीय समझे, तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान कर सके। साथ ही निदेशक मंडल को यह अधिकार भी प्रदान किया जाता है कि वह अपने विवेकानुसार सभी आवश्यक, उपयुक्त अथवा सुविधाजनक दस्तावेजों एवं लेखों को अंतिम रूप देने, निष्पादित करने और लागू करने हेतु, कोई भी कार्य, कृत्य, विषय अथवा प्रक्रिया कर सके, और इसके लिए उसे पुन: किसी भी प्रकार की शेयरधारकों की सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, यह मानते हुए कि इस प्रस्ताव द्वारा शेयरधारकों ने स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।"

"यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि निदेशक मंडल को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह इस प्रस्ताव के अंतर्गत उसे प्रदान किए गए सभी अथवा इनमें से किसी एक या अधिक अधिकारों को, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक(गण), या ऐसे अन्य अधिकारी(गण) अथवा निदेशक मंडल की किसी समिति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु प्रत्यायोजित कर सके।"

मद संख्या 9

एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन.

बैंक के शेयरधारकों में से, केंद्रीय सरकार को छोड़कर, ऐसे एक निदेशक का चुनाव करना, जिसके संबंध में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हों। यह चुनाव बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9(3)(i), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे आगे "विनियमन अधिनियम" कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 (जिसे आगे "योजना" कहा गया है), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) विनियम, 1998 (जिसे आगे "विनियम" कहा गया है), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (जिसे आगे "सेबी सूचीबद्धता विनियम" कहा गया है) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश दिनांक 28.11.2025 (वाणिज्यिक बैंक – शासन) निर्देश, 2025 एवं उनमें समय-समय पर किए गए संशोधनों, यदि कोई हों, के अनुसार किया जाएगा तथा इसके लिए निम्नलिखित **आम प्रस्ताव** पारित किया जाएगा:

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्री/श्रीमती _____, जिन्हें बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i), उसके अंतर्गत बनाई गई प्रासंगिक योजना एवं विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देशों तथा अन्य लागू दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है, उन्हें एतद्द्वारा बैंक का निदेशक नियुक्त किया जाता है। वे 01 अगस्त, 2026 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे तथा 31 जुलाई, 2029 तक, अर्थात् **तीन वर्ष की अवधि** के लिए इस पद पर बने रहेंगे।"

निदेशक मंडल के आदेश से

(चंद्रकांत भागवत)
कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 23 जून, 2026
स्थान: मुंबई

टिप्पणियाँ:

1. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत तैयार किया गया यह व्याख्यात्मक विवरण, बैठक में विचारार्थ रखे जाने वाले **व्यवसाय मद संख्या 3 से 9 से** संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाता है, जिसे इसके साथ संलग्न किया गया है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम द्वारा एजीएम का आयोजन:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित 22 सितम्बर, 2025 के परिपत्र संख्या 3/2025 के अनुसार, बैंक 19वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम द्वारा कर रहा है, जिसमें सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी। अत: सदस्य केवल वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ही एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित सदस्यों को गणपूर्ति निर्धारित करने के उद्देश्य से उपस्थित माना जाएगा। मुंबई स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय एजीएम आयोजित होने का स्थल माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य, अपने स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकता है तथा प्रॉक्सी का बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूँकि यह एजीएम एमसीए के परिपत्रों के अनुसार वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों को भौतिक उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है। परिणामस्वरूप, इस एजीएम हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी प्रपत्र तथा उपस्थिति पर्ची सूचना-पत्र के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं।

4. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की किसी बैठक में कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक उपस्थित होने या मतदान करने का अधिकारी नहीं होगा, जब तक कि उसे अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की सत्यापित प्रति (जिस बैठक में वह प्रस्ताव पारित किया गया हो) बैंक को ई-मेल द्वारा investors@centralbank.bank.in पर बैठक की निर्धारित तिथि से कम-से-कम चार दिन पूर्व, अर्थात् **शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को सायं 5:00 बजे तक** प्राप्त न हो जाए।

5. बैंक का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी शेयरधारक का अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

6. 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रहा है, जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सदस्य यह भी ध्यान दें कि 19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 बैंक की वेबसाइट https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations; स्टॉक एक्सचेज की वेबसाइट अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगा। सदस्य वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं।

बैंक उन शेयरधारकों को भी एक पत्र भेजेगा, जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उस पत्र में वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए वेब-लिंक तथा उसका पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

7. वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु बैंक द्वारा प्रदत्त अंतरिम लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने ₹10/- अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रत्येक तिमाही के लिए अंतरिम लाभांश घोषित किया था तथा बैंक द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड तिथियों के अनुसार शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में इसका भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक द्वारा घोषित एवं भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	लाभांश का प्रकार	बैंक के निदेशक मंडल द्वारा लाभांश घोषणा की तिथि	लाभांश (%)	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश राशि (₹)
1	प्रथम अंतरिम लाभांश	19.07.2025	2%	0.20
2	द्वितीय अंतरिम लाभांश	17.10.2025	2%	0.20
3	तृतीय अंतरिम लाभांश	16.01.2026	2%	0.20
4	चतुर्थ अंतरिम लाभांश	30.04.2026	6%	0.60
		कुल	**12%**	**1.20**

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 12 के अनुसार, लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाता है जिन्होंने अपनी केवाईसी एवं बैंक खाते का विवरण डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता के साथ अद्यतन किया है। लाभांश वारंट अथवा चेक के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जहाँ भी लागू हो, बैंक द्वारा अंतरिम लाभांश के भुगतान के समय निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की गई है।

8. बैंक ने शेयरधारकों की शिकायतों के पंजीकरण हेतु एक विशेष ई-मेल आईडी investors@centralbank.bank.in निर्धारित की है। यदि किसी सदस्य को खातों अथवा एजीएम में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी विषय के संबंध में जानकारी अपेक्षित हो तो वे बुधवार, दिनांक **22 जुलाई 2026** तक उपर्युक्त ई-मेल पते पर बैंक को लिख सकते हैं। बैंक द्वारा उचित रूप से उत्तर प्रदान किया जाएगा।

9. ई-मेल आईडी एवं बैंक खाते के विवरण का पंजीकरण

बैंक की एजीएम सूचना एवं एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु ई-मेल आईडी का पंजीकरण तथा लाभांश भुगतान के लिए बैंक खाते का विवरण अद्यतन करने की प्रक्रिया: यदि शेयरधारक की ई-मेल आईडी बैंक/उसके रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (RTA)/डिपॉजिटरी के पास पहले से पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग से संबंधित लॉग-इन विवरण पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दिए जाएंगे।

यदि किसी शेयरधारक ने बैंक/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है अथवा भविष्य में घोषित होने वाले लाभांश की प्राप्ति हेतु अपने बैंक खाते का अधिदेश अद्यतन नहीं किया है, तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाए:

(i) कृपया बैंक के आरटीए एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (MUFG Intime India Pvt. Ltd.) की वेबसाइट पर लॉग-इन करें और Investor Services > Email/Bank Detail Registration अनुभाग में जाकर आवश्यक विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें तथा आवेदन प्रस्तुत करें।

अथवा

(ii) **डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए:** शेयरधारक अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क कर सकते हैं तथा डीमैट खाते में ई-मेल आईडी एवं बैंक खाते का विवरण, डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करा सकते हैं।

(iii) **भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए:** जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक स्वरूप में हैं तथा जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे विधिवत भरा हुआ आईएसआर-1 (ISR-1) प्रपत्र तथा आवश्यक दस्तावेज एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को भेजकर अपनी ई-मेल आईडी एवं बैंक खाते का विवरण अद्यतन करा सकते हैं। पता: MUFG Intime India Pvt. Ltd. सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400083 या फिर, विधिवत भरे हुए आईएसआर-1 प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रति ई-मेल द्वारा rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर भेज सकते हैं।

बैंक द्वारा प्रारंभ की गई "हरित पहल" के अनुरूप, भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते बैंक के आरटीए के पास पंजीकृत कराएं। वहीं, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कराएं।

10. बैंक के शेयरधारकों द्वारा पैन, केवाईसी, बैंक विवरण एवं नामांकन का अद्यतन:

सेबी ने अपने मास्टर परिपत्र संख्या HO/38/13/(4)2026-MIRSD-POD/I/4298/2026 दिनांक 06 फरवरी, 2026 के माध्यम से निवेशकों के सेवा अनुरोधों के निस्तारण तथा आरटीए द्वारा पैन, उनका केवाईसी विवरण एवं नामांकन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए सरल एवं मानकीकृत प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उन्होंने केवाईसी विवरण एवं नामांकन विकल्प को अद्यतन नहीं कराया है, तो वे बैंक के आरटीए के पास निम्नलिखित प्रपत्र जमा करें:

क्रम संख्या	प्रपत्र	उद्देश्य
1	प्रपत्र ISR-1	पैन एवं केवाईसी विवरण का पंजीकरण/अद्यतन
2	प्रपत्र ISR-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि
3	प्रपत्र ISR-3	नामांकन न करने (Opting-out) संबंधी घोषणा पत्र
4	प्रपत्र SH-13	नामांकन प्रपत्र
5	प्रपत्र SH-14	नामांकन का निरस्तीकरण अथवा परिवर्तन

उपरोक्त सभी प्रपत्र (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13 एवं SH-14) तथा सेबी का उक्त परिपत्र बैंक की वेबसाइट http://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations पर उपलब्ध है।

बैंक के आरटीए एवं निवेशक संबंध प्रभाग का संपर्क विवरण निम्नलिखित है:

इक्विटी शेयरों के लिए रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता
एमयूएफजी इटाइम इंडिया प्रा. लि.
(पूर्व नाम: लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.)
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग,
विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400083
दूरभाष: 022-4918 6270
ई-मेल: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

बैंक के साथ पत्राचार हेतु पता

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9वीं मंजिल, चंदरमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई – 400021
दूरभाष: 022-6638 7575 / 7818
ई-मेल: investors@centralbank.bank.in

11. भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए सूचना:

जैसा कि आप जानते हैं, भौतिक स्वरूप में रखे गए शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता। अत: शेयरधारकों को तरलता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को डीमैट (Dematerialised) स्वरूप में परिवर्तित करा लें।

डीमैट स्वरूप में शेयर रखने के निम्नलिखित लाभ हैं:

- अनेक कंपनियों की प्रतिभूतियों को रखने का सुरक्षित एवं सुविधाजनक माध्यम।
- भौतिक शेयर प्रमाण-पत्रों से जुड़े जोखिमों से मुक्ति, जैसे—प्रमाण-पत्रों का खो जाना, प्रमाण-पत्रों का क्षतिग्रस्त होना, गलत वितरण, जाली अथवा कूटरचित प्रमाण-पत्र/पृष्ठांकन आदि।
- प्रतिभूतियों का सरल एवं त्वरित अंतरण।
- डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियों के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं होता।
- अधिकार निर्गम(Rights Issue), बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट आदि लाभों एवं कॉर्पोरेट कार्यवाहियों का सीधा क्रेडिट शेयरधारक के डीमैट खाते में प्राप्त होता है।

12. भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुन: प्रस्तुत करने हेतु विशेष अवधि

सेबी के दिनांक 30 जनवरी, 2026 के परिपत्र के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने भौतिक शेयरों के अंतरण संबंधी लंबित अनुरोधों को, जो सभी प्रकार से पूर्ण हों, बैंक के आरटीए के पास 04 फरवरी, 2027 तक प्रस्तुत कर दें। इसके लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक विशेष अवधि (Special Window) उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन भौतिक शेयरों के अंतरण अनुरोधों को पुन: प्रस्तुत किया जा सके, जो 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व जमा किए गए थे किन्तु दस्तावेज़ों अथवा प्रक्रिया में कमी के कारण अस्वीकृत, वापस कर दिए गए अथवा लंबित रह गए थे।

13. ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र (SMART ODR)

सेबी द्वारा 31 जुलाई, 2023 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/131 तथा 04 अगस्त, 2023 को जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/135, जिन्हें 31 जुलाई, 2023 के मास्टर परिपत्र (11 अगस्त, 2023 तक अद्यतन) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार भारतीय प्रतिभूति बाजार से संबंधित विवादों के समाधान हेतु एक साझा ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (ODR Portal) स्थापित किया गया है। उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, आरटीए/बैंक के समक्ष उपलब्ध शिकायत निवारण विकल्पों तथा वर्तमान SCORES मंच का उपयोग करने के बाद भी यदि विवाद का समाधान नहीं होता है, तो निवेशक ODR पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं।

14. अदावा लाभांश / शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरण

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10B के अनुसार, जो लाभांश भुगतान की तिथि से सात वर्ष तक अवैतनिक या अप्राप्त रहता है, उसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात उस राशि के भुगतान के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। उपरोक्त के अनुपालन में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक घोषित सभी अवैतनिक अथवा अदावा लाभांशों को उक्त निधि में स्थानांतरित कर दिया है। जिन शेयरधारकों के अदावा लाभांश आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, वे आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब प्रपत्र आईईपीएफ-5 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर उक्त राशि का दावा कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10B में किए गए संशोधन के अनुसार, वे सभी इक्विटी शेयर जिन पर घोषित लाभांश लगातार सात वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि तक अप्राप्त अथवा दावा न किया गया हो, उन्हें भी आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाएगा।

इस प्रावधान के अनुपालन में बैंक उन शेयरधारकों के अदावाकृत शेयरों को जिन्होंने पिछले सात वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि तक लाभांश का दावा नहीं किया है, आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है। वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के अदावा लाभांशों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ऐसे शेयरों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भविष्य में इन शेयरों पर प्राप्त होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए शेयरों के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15. मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2E) के अनुसार, केंद्र सरकार को छोड़कर संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक के संबंध में अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर पर

मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नाम में दर्ज है, तो मतदान के उद्देश्य से रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को ही उस शेयर का एकमात्र धारक माना जाएगा। अत:, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही एजीएम में भाग लेने तथा कार्यसूची पर मतदान करने का अधिकारी होगा। मतदान रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में किया जा सकता है, बशर्ते मतदान अधिकार का प्रयोग पहले से रिमोट ई-वोटिंग द्वारा न किया गया हो।

16. मतदान हेतु कट-ऑफ / रिकॉर्ड तिथि

1. बैंक के वे शेयरधारक, जो **शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026** (कट-ऑफ तिथि) को भौतिक अथवा डीमैट रूप में शेयर धारक होंगे, कार्यसूची की **मद संख्या 1 से 8 तक** पर मतदान करने के पात्र होंगे।
2. बैंक के वे शेयरधारक, जो **शुक्रवार, 26 जून, 2026** (कट-ऑफ तिथि) को भौतिक अथवा डीमैट स्वरूप में शेयर धारक होंगे, कार्यसूची की **मद संख्या 9** पर मतदान करने के पात्र होंगे।

17. रिमोट ई-वोटिंग:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44(1), कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 (संशोधित रूप से) तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुपालन में, बैंक वैकल्पिक मतदान व्यवस्था के रूप में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है, जिससे सदस्यों को अपने मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान करने में सुविधा होगी। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक द्वारा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता **एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के साथ आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं।

दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242, जो सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित है, के अनुसार मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी व्यक्तिगत डीमैट खाता धारकों के लिए उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी अथवा डीपी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम की गई है। व्यक्तिगत डीमैट खाता धारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता ("ईएसपी") के साथ पुन: पंजीकरण कराए बिना ही अपना मत प्रदान कर सकेंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण सुनिश्चित होगा, बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में सरलता एवं सुविधा भी प्राप्त होगी। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी अद्यतन करने की सलाह दी जाती है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को प्रात: 10.00 बजे प्रारंभ होगी और गुरुवार, 30 जुलाई, 2026 को सायं 05.00 बजे समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान हेतु एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

डीमैट मोड/भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया, निर्देश तथा लॉगिन करने की विधि निम्नलिखित है:

दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन की विधि :

एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

विधि 1 - एनएसडीएल ओटीपी आधारित लॉगिन

ए) यूआरएल पर जाएँ: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp

बी) अपना 8-अक्षरीय डीपी आईडी, 8-अंकीय क्लाइंट आईडी, पैन, सत्यापन कोड दर्ज करें तथा ओटीपी जनरेट करें।

सी) अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और "लॉगिन" पर क्लिक करें।

डी) सफल प्रमाणीकरण के उपरांत आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप मूल्य संवर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।

ई) "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "ई-वोटिंग" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु 'इंस्टा वोट' वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

विधि 2 - एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा

आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक :

ए) यूआरएल https://eservices.nsdl.com पर जाएँ तथा "IDeAS अनुभाग" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें।

बी) अपना IDeAS यूज़र आईडी, पासवर्ड तथा सत्यापन कोड दर्ज करें और "लॉगइन" पर क्लिक करें।

सी) सफल प्रमाणीकरण के उपरांत आप मूल्य संवर्धित सेवाएँ अनुभाग के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।

डी) "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "e-voting" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

आईडीईएएस सुविधा के अन्तर्गत गैर पंजीकृत शेयरधारक:

ए) पंजीकरण के लिए यूआरएल https://eservices.nsdl.com पर जाएँ तथा "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

बी) अपना 8-अक्षरीय डीपी आईडी, 8-अंकीय क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर तथा सत्यापन कोड दर्ज करें और "Submit" पर क्लिक करें।

सी) अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें / 'ओटीपी' जनरेट करें।

डी) सफल पंजीकरण के उपरांत उपयोगकर्ता को लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।

ई) उपर्युक्त बिंदु (ए) से (डी) में दिए गए चरणों का पालन करें.

Shareholders/ Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speed" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience

App Store Google Play

विधि 3 - एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट

ए) यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com पर जाएँ।

बी) 'Shareholder/Member' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध "Login" टैब पर क्लिक करें।

सी) यूज़र आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के साथ धारित आपके डीमैट खाते की 16-अंकीय संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करें और "Login" पर क्लिक करें।

डी) सफल प्रमाणीकरण के उपरांत आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप मूल्य संवर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।

ई) "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "e-voting" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टावोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

विधि 1 - सीडीएसएल ई-वोटिंग पृष्ठ

ए) यूआरएल https://www.cdslindia.com पर जाएँ।

बी) ई-वोटिंग टैब पर जाएँ।

सी) 16-अंकीय डीमैट खाता संख्या (बीओ आईडी) तथा पैन संख्या दर्ज करें और "Submit" पर क्लिक करें।

डी) प्रणाली डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करेगी।

ई) सफल प्रमाणीकरण के उपरांत उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा। ई-वोटिंग विकल्प में ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात् "एमयूएफजी इनटाइम" के लिंक उपलब्ध होंगे। "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "e-voting" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टा वोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

विधि 2 - सीडीएसएल ईज़ी/ईज़ीएस्ट सुविधा

ईज़ी/ईज़ीएस्ट सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक:

ए) यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login पर जाएँ अथवा www.cdslindia.com पर जाकर "Login" पर क्लिक करें और "My Easi New (Token)" का चयन करें।

बी) अपना वर्तमान यूज़रनेम एवं पासवर्ड दर्ज करें और "Login" पर क्लिक करें।

सी) सफल प्रमाणीकरण के उपरांत उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा। ई-वोटिंग विकल्प में ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात् एमयूएफजी इनटाइम के लिंक उपलब्ध होंगे। "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "e-voting" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टा वोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

ईज़ी/ईज़ीएस्ट सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले शेयरधारक:

ए) पंजीकरण हेतु यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration अथवा https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiestRegistration पर जाएँ।

बी) पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण/फील्ड अद्यतन करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

सी) सफल पंजीकरण के उपरांत उपयोगकर्ता को उसके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर यूज़रनेम एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। इसके बाद उपर्युक्त बिंदु (ए) से (सी) में दिए गए चरणों का पालन करें।

डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक

व्यक्तिगत शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं।

ए) डीपी (डिपॉजिटरी प्रतिभागी) की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

बी) सफल लॉगिन के उपरांत उपयोगकर्ता "e-voting" विकल्प पर जाए।

सी) "e-voting" विकल्प पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात उपयोगकर्ता एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित हो जाएगा, जहाँ वह ई-वोटिंग सुविधा

देख सकेगा।

डी) सफल प्रमाणीकरण के उपरांत "एमयूएफजी इनटाइम" अथवा कंपनी के नाम के साथ प्रदर्शित "e-voting" लिंक पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने हेतु इंस्टा वोट वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।

भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले शेयरधारकों / डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन की विधि।

ई-वोटिंग हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार भौतिक मोड में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक / डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक निम्नानुसार इंस्टा वोट पर पंजीकरण कर मतदान कर सकते हैं :

चरण 1 : इंस्टा वोट पर लॉगिन / साइन-अप

इंस्टा वोट सुविधा के लिए पंजीकृत शेयरधारक :

ए) यूआरएल https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ तथा 'SHARE HOLDER' टैब के अंतर्गत "Login" पर क्लिक करें।

बी) निम्नानुसार विवरण दर्ज करें :

InstaVote USER ID	
NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

1. यूजर आईडी: यूज़र आईडी दर्ज करें
2. पासवर्ड: वर्तमान पास्वर्ड दर्ज करें
3. इमेज सत्यापन (कैप्चा) कोड दर्ज करें".
4. Submit पर क्लिक करें.

(ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा। इसके पश्चात "प्रस्तावों पर मतदान करने के चरण" के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया का पालन करें।)

इंस्टा वोट सुविधा के लिए गैर पंजीकृत शेयरधारक:

ए) यूआरएल https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ तथा 'SHARE HOLDER' टैब के अंतर्गत "Sign Up" पर क्लिक करें और निम्नानुसार विवरण भरकर पंजीकरण करें :

InstaVote USER ID	
NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

1. यूज़र आईडी: यूज़र आईडी दर्ज करें
2. पैन: अपना 10-अंकीय स्थायी खाता संख्या दर्ज करें। (जिन शेयरधारकों ने अपना पैन डिपॉजिटरी प्रतिभागी/कंपनी के साथ अद्यतन नहीं किया है, वे लागू होने पर उन्हें प्रदान की गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करें।)
3. जन्म तिथि/निगमन तिथि : अपनी जन्म तिथि / निगमन तिथि DD/MM/YYYY प्रारूप में दर्ज करें (जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के अभिलेखों में दर्ज है)
4. बैंक खाता संख्या: अपने बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक दर्ज करें, जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के अभिलेखों में दर्ज है।
   - **एनएसडीएल फॉर्म में** शेयर धारित करने वाले शेयरधारक उपर्युक्त बिंदु 4 में दी गई जानकारी प्रदान करेंगे।.
   - **सीडीएसएल फॉर्म में** शेयर धारित करने वाले शेयरधारक उपर्युक्त बिंदु 3 अथवा बिंदु 4 में दी गई जानकारी प्रदान करेंगे।
   - **भौतिक रूप** में शेयर धारित करने वाले ऐसे शेयरधारक, जिनके लिए उपर्युक्त बिंदु 3 एवं बिंदु 4 में उल्लिखित विवरण अभिलेखित नहीं हैं, वे उपर्युक्त बिंदु 4 में अपने फोलियो नंबर का उल्लेख करेंगे।
5. अपनी पसंद का पासवर्ड निर्धारित करें।

   (पासवर्ड में न्यूनतम 8 अंक होने चाहिए तथा उसमें कम से कम एक विशेष वर्ण (!#$&★), एक अंक, एक अक्षर तथा एक कैपिटल अक्षर होना आवश्यक है।)
6. **इमेज सत्यापन (कैप्चा) कोड** दर्ज करें।
7. सबमिट पर क्लिक करें" (अब आपका इंस्टा वोट पर पंजीकरण हो चुका है।)

   सफल पंजीकरण के उपरांत 'SHARE HOLDER' टैब के अंतर्गत "Login" पर क्लिक करें तथा उपर्युक्त बिंदु **(ए) से (बी)** में दिए गए चरणों का पालन करें।

चरण 2 : इंस्टा वोट के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान करने के चरण

ए. सफल प्रमाणीकरण तथा इंस्टा वोट इनबॉक्स पेज पर पुनर्निर्देशन के उपरांत, आप "Notification for e-voting" देख सकेंगे।

बी. 'View' आइकन का चयन करें। ई-वोटिंग पेज प्रदर्शित हो जाएगा।

सी. प्रस्ताव के विवरण को देखें और 'पक्ष में' / 'विपक्ष में' में से अपनी इच्छित विकल्प का चयन कर मतदान करें। (यदि आप प्रस्ताव का पूर्ण विवरण देखना चाहते हैं, तो 'View Resolution' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें।)

डी. इच्छित विकल्प अर्थात् 'पक्ष' / 'विपक्ष' का चयन करने के बाद 'Submit' पर क्लिक करें।

ई. एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'Yes' पर क्लिक करें; अन्यथा अपना मत बदलने के लिए 'No' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने मत में संशोधन करें।

नोट : शेयरधारक मतदान करने से पूर्व "Vote as per Proxy Advisor's Recommendation" विकल्प पर क्लिक कर प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में प्रॉक्सी सलाहकार की अनुशंसाओं को देख सकते हैं। "Vote as per Proxy Advisor's Recommendation" विकल्प ई-वोटिंग प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञों की राय एवं सुझावों तक पहुँच

प्रदान करता है। अंतिम रूप से मत प्रस्तुत करने से पूर्व शेयरधारक अपने मत में संशोधन कर सकते हैं।

एक बार किसी प्रस्ताव पर अपना मत प्रदान करने के पश्चात, आप उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

गैर-व्यक्तिगत निगमित निकाय शेयरधारक अपने प्रतिनिधि को मतदान हेतु प्राधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव की स्कैन की हुई प्रति, जांचकर्ता के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजेंगे तथा उसकी प्रति रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) को enotices@in.mpms.mufg.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत ई-मेल पते पर भी प्रेषित करेंगे।

संस्थागत शेयरधारकों ("अभिरक्षक/ निगमित निकाय/ म्यूचुअल फंड") के लिए दिशानिर्देश

चरण 1 – अभिरक्षक/ निगमित निकाय / म्यूचुअल फंड का पंजीकरण

ए. यूआरएल https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ।

बी. "अभिरक्षक/ निगमित निकाय/ म्यूचुअल फंड" के अंतर्गत "Sign Up" पर क्लिक करें।

सी. अपनी संस्था/निकाय से संबंधित विवरण भरें और फॉर्म जमा करें।

डी. एक घोषणा-पत्र तथा संस्था आईडी तैयार होकर प्राथमिक संपर्क व्यक्ति के ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी (जो साइन-अप के समय दर्ज की गई है)। उक्त फॉर्म पर संस्था के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, निदेशक अथवा कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे तथा संस्था की मुहर लगाकर उसे insta.vote@linkintime.co.in पर भेजा जाएगा।

ई. इसके उपरांत लॉगिन क्रेडेंशियल (यूज़र आईडी, ऑर्गनाइजेशन आईडी एवं पासवर्ड) प्राथमिक संपर्क व्यक्ति के ई-मेल आईडी पर भेज दिए जाएँगे। (अब आपका इंस्टा वोट पर पंजीकरण पूर्ण हो चुका है।)

चरण 2 – निवेशक मैपिंग

ए. यूआरएल https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ तथा अपने **इंस्टा वोट लॉगिन क्रेडेंशियल** का उपयोग करके लॉगिन करें।

बी. मेन्यू अनुभाग के अंतर्गत "Investor Mapping" टैब पर क्लिक करें।

सी. निम्नलिखित विवरणों के साथ निवेशक की मैपिंग करें:

1. 'निवेशक आईडी' – एनएसडीएल डीमैट खाते के लिए निवेशक आईडी 8-अक्षरीय डीपी आईडी के बाद 8-अंकीय क्लाइंट आईडी होगी, अर्थात् IN00000012345678. सीडीएसएल डीमैट खाते के लिए निवेशक आईडी 16-अंकीय लाभार्थी आईडी होगी।
2. 'निवेशक का नाम' – डीपी के अभिलेखों में अद्यतन नाम के अनुसार निवेशक का नाम दर्ज करें।
3. 'निवेशक का पैन'– अपना 10-अंकीय पैन दर्ज करें।
4. 'पावर ऑफ अटॉर्नी' – बोर्ड प्रस्ताव अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति संलग्न करें।

नोट : बोर्ड प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी की फ़ाइल का नाम डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी अथवा 16-अंकीय लाभार्थी आईडी के अनुसार होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अभिरक्षक एवं म्यूचुअल फंड को अपने नमूना हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे।

डी. "Submit" बटन पर क्लिक करें। (अब निवेशक की मैपिंग अभिरक्षक / निगमित निकाय / म्यूचुअल फंड इकाई के साथ हो जाएगी) इसकी जानकारी "Report" अनुभाग के अंतर्गत देखी जा सकती है।

चरण 3 – इंस्टा वोट के माध्यम से प्रस्तावों पर मतदान करने के चरण

निगमित शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान निम्नलिखित दो विधियों से मतदान कर सकता है.

विधि 1 – मत प्रविष्टि

ए) यूआरएल https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ तथा अपने इंस्टा वोट लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें।

बी) मेन्यू अनुभाग के अंतर्गत "Votes Entry" टैब पर क्लिक करें।

सी) उस "Event No." को दर्ज करें, जिसके लिए आप मतदान करना चाहते हैं।

Event No. को इंस्टा वोट के होम पेज पर "On-going Events" के अंतर्गत देखा जा सकता है।

डी) 16-अंकीय डीमैट खाता संख्या दर्ज करें।

ई) प्रस्ताव का विवरण देखें तथा 'पक्ष' / 'विपक्ष' में से अपनी इच्छित विकल्प का चयन कर मतदान करें। (यदि आप प्रस्ताव का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हैं, तो 'View Resolution' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें।) इच्छित विकल्प अर्थात् 'पक्ष' / 'विपक्ष' का चयन करने के बाद 'Submit' पर क्लिक करें।

एफ) एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'Yes' पर क्लिक करें; अन्यथा अपना मत बदलने के लिए 'No' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने मत में संशोधन करें।

(एक बार किसी प्रस्ताव पर अपना मत प्रदान करने के पश्चात, आप उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं कर पायेंगे)

विधि 2 – मत अपलोड

ए) यूआरएल https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ तथा अपने इंस्टा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें।

बी) सफल लॉगिन के उपरांत आपको "Notification for e-voting" दिखाई देगा।

सी) "Company's Name / Event Number" के लिए "View" आइकन का चयन करें।

डी) ई-वोटिंग पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा।

ई) "Download Sample Vote File" टैब से नमूना मतदान फ़ाइल डाउनलोड करें।

एफ) नमूना मतदान फ़ाइल में 'पक्ष' / 'विपक्ष' में से अपनी इच्छित विकल्प का चयन करके अपना मत दर्ज करें तथा उसी फ़ाइल को "Upload Vote File" विकल्प के अंतर्गत अपलोड करें।

जी) 'Submit' पर क्लिक करें। 'Data uploaded successfully' का संदेश प्रदर्शित होगा।

(एक बार किसी प्रस्ताव पर अपना मत प्रदान करने के पश्चात, आप उसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं कर पायेंगे)

नोट: गैर-व्यक्तिगत निगमित निकाय शेयरधारक अपने प्रतिनिधि को मतदान हेतु प्राधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव की स्कैन प्रति जांचकर्ता के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजेंगे तथा उसकी प्रति रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) को enotices@in.mpms.mufg.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत ई-मेल पते पर भी प्रेषित करेंगे।

हेल्पडेस्क :

भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले शेयरधारक / डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक :

भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले शेयरधारक / डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, यदि लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करते हैं, तो वे इंस्टा वोट हेल्पडेस्क से enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर अथवा निम्नलिखित दूरभाष संख्या पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं : दूरभाष : 022 – 4918 6000.

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक:

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या हेतु संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क जानकारी
एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्य अपनी समस्या का विवरण evoting@nsdl.co.in ई-मेल पर भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्य अपनी समस्या का विवरण helpdesk.evoting@cdslindia.com ई-मेल पर भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल-फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

पासवर्ड भूलने की स्थिति में:

भौतिक रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक/ डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक:

यदि भौतिक रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक / डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक अपना उपयोगकर्ता आईडी [लॉगिन आईडी] अथवा पासवर्ड या दोनों भूल गए हों, तो वे https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध "Forgot Password" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।:

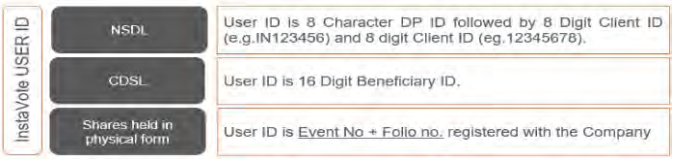

- 'शेयरधारक' टैब के अंतर्गत "Login" पर क्लिक करें।
- इसके पश्चात "Forgot Password?" पर क्लिक करें।
- उपयोगकर्ता आईडी दर्ज करें, मोड का चयन करें तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
- "Submit" पर क्लिक करें।

यदि कस्टोडियन / कॉर्पोरेट निकाय / म्यूचुअल फंड अपना उपयोगकर्ता आईडी [लॉगिन आईडी] अथवा पासवर्ड या दोनों भूल गए हों, तो वे https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध "Forgot Password" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं

- "कस्टोडियन/ कॉर्पोरेट निकाय / म्यूचुअल फंड" टैब के अंतर्गत "लॉगिन" पर क्लिक करें।
- इसके पश्चात "Forgot Password?" पर क्लिक करें।
- उपयोगकर्ता आईडी, संगठन आईडी तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
- "Submit" पर क्लिक करें।

यदि शेयरधारकों का वैध ई-मेल पता पंजीकृत है, तो पासवर्ड उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दिया जाएगा। शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न एवं उत्तर, पैन, जन्म तिथि/निगमन तिथि आदि का विवरण प्रदान करके अपनी पसंद का पासवर्ड निर्धारित कर सकते हैं। पासवर्ड में न्यूनतम 8 वर्ण होने चाहिए तथा उसमें कम से कम एक विशेष चिन्ह (!#$&★), एक अंक, एक अल्फाबेट अक्षर और एक कैपिटल लेटर अवश्य होना चाहिए।

एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक जो अपना पासवर्ड भूल गए हों:

डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा यदि अपना उपयोगकर्ता आईडी [लॉगिन आईडी] अथवा पासवर्ड या दोनों भूल गए हों, तो उन्हें संबंधित डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी की उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "यूज़र आईडी भूल गए "Forget User ID" तथा "Forget Password" विकल्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

शेयरधारकों हेतु आम निर्देश

- यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसित किया जाता है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें तथा अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
- भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों/सदस्यों के लिए, इन विवरणों का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल प्रस्तावों पर मतदान करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।
- मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक/सदस्य किसी विशेष "इवेंट" के लिए प्रस्ताव/प्रस्तावों पर मतदान करने तक कितनी भी बार लॉगिन कर सकते हैं।
  - कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना ई-मेल द्वारा प्रेषित किए जाने के पश्चात बैंक का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को शेयर धारित करता है, वह ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
  - इस सूचना की एक प्रति बैंक की वेबसाइट तथा एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।

18. रिमोट ई-वोटिंग / बैठक में मतदान हेतु संवीक्षक:

- "ठाणे स्थित **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी,** कंपनी सचिवों को वार्षिक आम बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग तथा मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित कराने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

19. रिमोट ई-वोटिंग एवं बैठक में मतदान के परिणाम:

- संवीक्षक, ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात दो (2) कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर, बैंक के कर्मचारी न होने वाले कम-से-कम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में मतों को अनब्लॉक करेंगे तथा पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों, यदि कोई हों, की संवीक्षक रिपोर्ट तत्काल अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
- घोषित परिणाम, संवीक्षक रिपोर्ट के साथ, बैंक की वेबसाइट https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations तथा एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक आम बैठक में प्रस्ताव पारित होने की तिथि से दो (2) दिनों के भीतर उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उनकी सूचना बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी दी जाएगी।

20. बैठक का परिणाम:

प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने की शर्त पर, प्रस्तावों को बैंक के केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तिथि पर पारित माना जाएगा।

21. बैठक की रिकॉर्डेड प्रतिलिपि/कार्यवाही:

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही यथाशीघ्र बैंक की वेबसाइट https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations पर उपलब्ध कराई जाएगी।

22. ई-वोटिंग एवं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 22.09.2025 के आम परिपत्र संख्या 03/2025 के अनुसार, कंपनियाँ वर्तमान प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम से वार्षिक आम बैठकें आयोजित करना जारी रख सकती हैं। अगले आदेश तक यह छूट प्रभावी रहेगी।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे इंस्टामीट सुविधा का उपयोग करने हेतु अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी सही रूप से अद्यतन रखें

इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए लॉगिन की प्रक्रिया:

ए) यूआरएल https://instameet.in.mpms.mufg.com पर जाएँ तथा "Login" पर क्लिक करें।

बी) "कंपनी का नाम" का चयन करें और निम्नलिखित विवरणों के साथ अपना पंजीकरण करें।

सी) "डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या/ पैन)" वाले चेक बॉक्स का चयन करें।

- एनएसडीएल/सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक "डीमैट खाता संख्या" वाले चेक बॉक्स का चयन करें तथा 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या दर्ज करें।
- भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक "फोलियो संख्या" वाले चेक बॉक्स का चयन करें तथा कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या दर्ज करें।
- शेयरधारक "पैन" वाले चेक बॉक्स का चयन करें तथा 10 अंकों की स्थायी खाता संख्या दर्ज करें। जिन शेयरधारकों ने अपना पैन डिपॉजिटरी प्रतिभागी/कंपनी के साथ अद्यतन नहीं कराया है, वे, यदि लागू हो, एमयूएफजी इंटाइम द्वारा प्रदान की गई क्रम संख्या का उपयोग करें।

- मोबाइल नंबर: डीपी के साथ अद्यतन मोबाइल नंबर स्वत: प्रदर्शित होगा। जिन शेयरधारकों ने अपना मोबाइल नंबर डीपी के साथ अद्यतन नहीं कराया है, उन्हें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- ई-मेल आईडी: डीपी के साथ अद्यतन ई-मेल आईडी स्वत: प्रदर्शित होगी। जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी डीपी के साथ अद्यतन नहीं कराई है, उन्हें अपनी ई-मेल आईडी दर्ज करनी होगी।

डी) "Go to Meeting" पर क्लिक करें।

अब आप इंस्टामीट के लिए पंजीकृत हो चुके हैं तथा बैठक हेतु आपकी उपस्थिति दर्ज कर ली गई है।

इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक के दौरान मतदान करने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

बैठक के दौरान जब इलेक्ट्रॉनिक मतदान सक्रिय किया जाएगा, तब वे शेयरधारक जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है, निम्नानुसार मतदान कर सकते हैं:

ए) शेयरधारक वीसी पृष्ठ पर "Cast your vote" लिंक पर क्लिक करें।

बी) अपनी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या तथा इंस्टामीट के लिए पंजीकरण के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ई-मेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।

सी) "सबमिट" पर क्लिक करें।

डी) सफलतापूर्वक लॉगिन होने के पश्चात आपको "प्रस्ताव का विवरण (Resolution Description)" दिखाई देगा तथा उसके सामने मतदान हेतु "पक्ष में" / "विपक्ष में" का विकल्प उपलब्ध होगा।

ई) अपनी इच्छा के अनुसार उपयुक्त विकल्प अर्थात् "पक्ष में" या "विपक्ष में" का चयन करके मतदान करें। 'पक्ष में'/'विपक्ष में' के अंतर्गत कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों की संख्या (जो मतों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दर्ज करें।

एफ) अपनी इच्छा के अनुसार "पक्ष में" या "विपक्ष में" विकल्प का चयन करने तथा मतदान का निर्णय लेने के पश्चात "सेव" पर क्लिक करें। इसके बाद एक पुष्टि बॉक्स (Confirmation Box) प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "कन्फर्म" पर क्लिक करें; अन्यथा अपना मत बदलने के लिए "बैक" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत संशोधित करें। एक बार किसी प्रस्ताव पर अपने मत की पुष्टि कर देने के पश्चात आपको उसे बाद में संशोधित अथवा परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

नोट:

जो शेयरधारक/सदस्य इंस्टामीट सुविधा के माध्यम से आम बैठक में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मत नहीं दिया है और जो अन्यथा मतदान करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

जो शेयरधारक/सदस्य आम बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर चुके हैं, वे इंस्टामीट के माध्यम से आम बैठक में उपस्थित होने/भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि, वे बैठक के दौरान पुन: मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों/सदस्यों को ब्रॉडबैंड से जुड़े टैबलेट अथवा लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए शेयरधारकों/सदस्यों को अच्छी गति वाले इंटरनेट कनेक्शन (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड) का उपयोग करना आवश्यक है।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों, टैबलेट अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े लैपटॉप का उपयोग करने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो में व्यवधान या गुणवत्ता में कमी का सामना करना पड़ सकता है। अत: ऐसी समस्याओं से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई अथवा लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

हेल्पडेस्क:

लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक अपनी समस्या का विवरण instameet@in.mpms.mufg.com पर ई-मेल भेजकर इंस्टामीट हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा दूरभाष संख्या 022 – 4918 6000 / 4918 6175 पर संपर्क कर सकते हैं।

वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों/सदस्यों द्वारा स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करने हेतु निर्देश

जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपनी पंजीकरण अनुरोध एवं प्रश्न ई-मेल आईडी investors@centralbank.bank.in पर 24 जुलाई, 2026 को प्रात: 10:00 बजे से 27 जुलाई, 2026 को सायं 5:00 बजे तक भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं।

टिप्पणी:

केवल वे ही शेयरधारक/सदस्य, जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया होगा, बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने अथवा प्रश्न पूछने के लिए अनुमत होंगे। बैंक, वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे केवल तभी बोलें जब बैठक के संचालक अथवा प्रबंधन द्वारा उनके नाम एवं क्रम संख्या की घोषणा की जाए।*

शेयरधारकों/सदस्यों को कैमरा का उपयोग करना चाहिए तथा बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए अच्छी गति वाले इंटरनेट कनेक्शन (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड) का उपयोग करना आवश्यक है।

व्याख्यात्मक विवरण

एजेंडा मद सं. 3

बैंक के निदेशक मंडल में श्री बलदेव पुरुषार्थ की सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु।

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संदर्भ संख्या eF.No.6/2(ii)/2022-BO.I दिनांक 24 जुलाई, 2025 के माध्यम से श्री बलदेव पुरुषार्थ को 24.07.2025 से प्रभावी तथा आगामी आदेश तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दिनांक 19 जून, 2026 की अधिसूचना के माध्यम से श्री बलदेव पुरुषार्थ के स्थान पर श्री चन्द्रदीप कुमार झा को नामित किया है। अत: श्री बलदेव पुरुषार्थ दिनांक 19 जून, 2026 से बैंक के निदेशक पद पर नहीं रहे।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में प्राप्त की जाए। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में **श्री बलदेव पुरुषार्थ** की सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा आम बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या-2 के पैरा 1.2.5 के अनुसार **श्री बलदेव पुरुषार्थ** का संक्षिप्त परिचय इस स्पष्टीकरणात्मक विवरण में आगे दिया गया है:

नाम	**श्री बलदेव पुरुषार्थ**
डीआईएन	07570116
आयु	52 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
नियुक्ति तिथि	24 जुलाई, 2025 से 19 जून, 2026
शैक्षणिक योग्यता	एम.ए. (इतिहास)
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय:	श्री बलदेव पुरुषार्थ को 24 जुलाई, 2025 से बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे वर्ष 2002 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त होने से पूर्व वे लोकपाल सचिव तथा पंजाब के जालंधर मंडल के मंडलायुक्त के रूप में कार्यरत रहे हैं। उन्होंने पंजाब सरकार तथा भारत सरकार में विभिन्न क्षेत्रीय एवं सचिवालय पदों पर भी कार्य किया है। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव, पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक, पंजाब के तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशक, पंजाब के अनिवासी भारतीय (एनआरआई) आयुक्त तथा पंजाब सरकार के व्यय विभाग में विशेष सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों का दायित्व संभाला है। उन्होंने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के कार्यकारी बोर्ड में निदेशक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के बोर्ड में वैकल्पिक निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त, वे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), इंडियन रेल्वे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसीएल), इंडियन रेल्वे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी), नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एनआईआईएफटीएल), नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलएमसीएल), ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) – नामित निदेशक

अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हुडको) – लिस्टेड कंपनी नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति – सदस्य
निदेशकों के मध्य पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण	किसी भी निदेशक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं से निदेशक ने त्यागपत्र दिया है	शून्य।

वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति की संख्या, धारित इक्विटी शेयरों की संख्या तथा निदेशक को भुगतान किए गए बैठक भत्ते संबंधी अन्य विवरणों के लिए कृपया एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का संदर्भ लें।

निदेशक मंडल द्वारा सूचना में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्ताव में, बैंक में उनके शेयरधारण के हित की सीमा को छोड़कर, कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित अथवा सरोकार नहीं है।

एजेंडा मद सं. 4

बैंक के निदेशक मंडल में श्री एम. वी. मुरली कृष्णा के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल के विस्तार के अनुमोदन हेतु।

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या eF.No.4/4(vii)/2024-BO.I दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के माध्यम से बैंक के निदेशक मंडल में श्री एम. वी. मुरली कृष्णा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति की अवधि को 15.09.2025 से प्रभावी रूप से, उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल जो 30 नवम्बर, 2025 को समाप्त हुआ था, के पश्चात उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 31 जुलाई, 2027 तक अथवा आगामी आदेश तक बढ़ा दिया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में प्राप्त की जाए। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में **श्री एम. वी. मुरली कृष्णा** की कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा आम बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या-2 के पैरा 1.2.5 के अनुसार **श्री एम. वी. मुरली कृष्णा** का संक्षिप्त परिचय इस स्पष्टीकरणात्मक विवरण में आगे दिया गया है।

नाम	**श्री एम. वी. मुरली कृष्णा**
डीआईएन	09021111
आयु	59 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
नियुक्ति तिथि	01 दिसंबर, 2022
शैक्षणिक योग्यता	एमबीए (बैंकिंग एवं वित्त)
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय :	श्री एम. वी. मुरली कृष्णा ने 1 दिसम्बर, 2022 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व वे बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में उनकी अंतिम नियुक्ति बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र के कॉर्पोरेट एवं संस्थागत ऋण विभाग के प्रमुख के रूप में थी। बैंकिंग एवं वित्त में एमबीए की उपाधि प्राप्त श्री मुरली कृष्णा ने बैंक ऑफ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की थी तथा उन्हें नेतृत्वकारी भूमिकाओं में तीन दशकों से अधिक का व्यावसायिक बैंकिंग अनुभव प्राप्त है। उनकी विशेषज्ञता बैंकिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कॉर्पोरेट ऋण, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, एनआरआई व्यवसाय आदि तक विस्तृत है।

	बैंकिंग उद्योग में अपने दीर्घ कार्यकाल के दौरान उन्होंने शाखाओं से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक तथा विदेशी क्षेत्रों से लेकर कॉर्पोरेट कार्यालय तक विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट विभाग के प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय परिचालन विभाग के प्रमुख, ग्रामीण एवं कृषि विभाग के प्रमुख तथा वित्तीय समावेशन विभाग के प्रमुख जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। उन्होंने बीओबी कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक तथा एएफसी लिमिटेड (कृषि वित्त निगम लिमिटेड) के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	1. सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड– अध्यक्ष - अनलिस्टेड कंपनी 2. सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड– अध्यक्ष - अनलिस्टेड कंपनी 3. जनरेली सेन्ट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - अध्यक्ष - अनलिस्टेड कंपनी
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
निदेशकों के मध्य पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण	किसी भी निदेशक के साथ कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं से निदेशक ने त्यागपत्र दिया है	शून्य

वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति की संख्या, धारित इक्विटी शेयरों की संख्या तथा निदेशक को उनके पूर्व कार्यकाल में भुगतान किए गए बैठक भत्ते संबंधी अन्य विवरणों के लिए कृपया वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का संदर्भ लें।

निदेशक मंडल द्वारा सूचना में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्ताव में, बैंक में उनके शेयरधारण के हित की सीमा को छोड़कर, कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित अथवा सरोकार नहीं है।

कार्यसूची मद संख्या 5

बैंक के निदेशक मंडल में श्री कल्याण कुमार को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संदर्भ eF.No.4/3(ii)/2024-BO.I दिनांक 30 सितंबर, 2025 के माध्यम से श्री कल्याण कुमार को 30.09.2025 से प्रभावी, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में प्राप्त की जाए। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में **श्री कल्याण कुमार** की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु वार्षिक आम बैठक(एजीएम) में शेयरधारकों की स्वीकृति अपेक्षित है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा आम बैठक पर सचिवीय मानक संख्या-2 के पैरा 1.2.5 के अनुसार, श्री कल्याण कुमार का संक्षिप्त परिचय इस स्पष्टीकरणात्मक विवरण में आगे प्रदान किया गया है।

नाम	**श्री कल्याण कुमार**
डीआईएन	09631251
आयु	57 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय

नियुक्ति की तिथि	30 सितंबर, 2025
शैक्षणिक योग्यताएँ	एम.एससी. (कृषि)
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय	श्री कल्याण कुमार ने 30 सितंबर, 2025 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) का पदभार ग्रहण किया। सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री कुमार पंजाब नेशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। श्री कल्याण कुमार ने राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वे भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य भी हैं तथा भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) से ट्रेड फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस, आईटी सुरक्षा तथा केवाईसी-एएमएल संबंधी विभिन्न प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं। श्री कुमार ने वर्ष 1995 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में अपने कार्यजीवन की शुरुआत की तथा विभिन्न पदों पर 26 वर्षों से अधिक समय तक बैंक की सेवा की। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों की शाखाओं में शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया, जिनमें वीएलबी (अत्यधिक बड़ी शाखाएँ) भी शामिल हैं। वे स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहें। कॉर्पोरेट कार्यालय में उन्होंने बैंक की व्यवसाय प्रक्रिया रूपांतरण, ऋण समीक्षा एवं निगरानी तथा सतर्कता संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आंध्रा बैंक तथा कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सफल विलय उनके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में संपन्न हुआ। वे पंजाब नेशनल बैंक की दो अनुषंगी कंपनियों, अर्थात् पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड तथा पीएनबी काड्र्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वे प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) सोसायटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नामित सदस्य, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में एससीबी के नामित निदेशक तथा एनआईबीएसकॉम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में, वे भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की प्रबंधन समिति के सदस्य, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की बैंकिंग संबंधी राष्ट्रीय समिति के सदस्य, भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम) के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय की सलाहकार समिति के बाह्य सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। श्री कुमार ने शीर्ष नेतृत्व विकास हेतु एफएसआईबी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा निदेशक विकास कार्यक्रम पूरा किया है, जिसका आयोजन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से एगॉन ज़ेहन्डर द्वारा किया गया था।
अन्य कंपनियों में धारण किए गए निदेशक पद	निरंक
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	निरंक
निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण	परस्पर में कोई संबंध नहीं।
वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है	निरंक

वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में निदेशक की उपस्थिति, उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या तथा निदेशक को प्रदत्त बैठक शुल्क आदि के संबंध में अन्य विवरणों के लिए कृपया समेकित वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन का संदर्भ लें।

निदेशक मंडल द्वारा नोटिस में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्ताव में, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, कोई हित या सरोकार नहीं है।

कार्यसूची मद संख्या 6

बैंक के निदेशक मंडल में श्री ई. रतन कुमार को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संदर्भ eF.No.4/4(ii)/2024-BO.I दिनांक 24 नवम्बर, 2025 के माध्यम से श्री ई. रतन कुमार को 24.11.2025 से प्रभावी, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति अथवा प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में प्राप्त की जाए। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में **श्री ई. रतन कुमार** की कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु वार्षिक आम बैठक(एजीएम) में शेयरधारकों की स्वीकृति अपेक्षित है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा सामान्य सभाओं पर सचिवीय मानक संख्या-2 के पैरा 1.2.5 के अनुसार, **श्री ई. रतन कुमार** का संक्षिप्त परिचय इस स्पष्टीकरणात्मक विवरण में आगे प्रदान किया गया है।

नाम	**श्री ई. रतन कुमार**
डीआईएन	10686007
आयु	57 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
नियुक्ति की तिथि	24 नवम्बर, 2025
शैक्षणिक योग्यताएँ	एम. टेक. (कंप्यूटर साइंस)
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय	श्री ई. रतन कुमार ने 24 नवम्बर, 2025 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.ई. (कंप्यूटर साइंस), हैदराबाद विश्वविद्यालय से एम. टेक. तथा एनएमआईएमएस, मुंबई विश्वविद्यालय से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। श्री ई. रतन कुमार ने वर्ष 1997 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में अधिकारी संवर्ग में अपने बैंकिंग कार्यजीवन की शुरुआत की तथा बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में लगभग 35 वर्षों का विविध अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने पूर्व में हैदराबाद एवं भुवनेश्वर क्षेत्र का नेतृत्व वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक तथा हैदराबाद अंचल का नेतृत्व अंचल प्रबंधक के रूप में किया। परिचालन बैंकिंग एवं प्रौद्योगिकी दोनों क्षेत्रों में उनके पास व्यापक अनुभव है, जिसके साथ प्रक्रिया पुनर्रचना के संबंध में उनकी गहन समझ उन्हें संगठन के लिए समृद्ध एवं प्रभावशाली ज्ञान प्रदान करने में सक्षम बनाती है। मुख्य महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी) के रूप में उन्होंने विभिन्न डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया तथा बैंक की अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना 'डिजिटल स्ट्रेटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन' का संचालन एवं मार्गदर्शन किया।
अन्य कंपनियों में धारण किए गए निदेशक पद	1. सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (नामित निदेशक) - अनलिस्टेड कंपनी
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	निरंक
निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण	परस्पर कोई संबंध नहीं
वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है	निरंक

वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में निदेशक की उपस्थिति, उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या तथा निदेशक को प्रदत्त बैठक शुल्क आदि के संबंध में अन्य विवरणों के लिए कृपया समेकित वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन का संदर्भ लें।

निदेशक मंडल द्वारा नोटिस में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्ताव में, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, कोई हित या सरोकार नहीं है।

कार्यसूची मद संख्या 7

बैंक के निदेशक मंडल में श्री चन्द्रदीप कुमार झा की सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु।

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संदर्भ संख्या eF.No.6/2(i)/2022-BO.I दिनांक 19 जून, 2026 के माध्यम से श्री चन्द्रदीप कुमार झा को 19.06.2026 से प्रभावी तथा आगामी आदेश तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली सामान्य बैठक में प्राप्त की जाए। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में **श्री चन्द्रदीप कुमार झा** की सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी) के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 36(3) तथा सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या-2 के पैरा 1.2.5 के अनुसार **श्री चन्द्रदीप कुमार झा** का संक्षिप्त परिचय इस स्पष्टीकरणात्मक विवरण में आगे दिया गया है:

नाम :	**श्री चन्द्रदीप कुमार झा**
डीआईएन :	11417133
आयु :	50 वर्ष
राष्ट्रीयता :	भारतीय
नियुक्ति तिथि :	19 जून, 2026
शैक्षणिक योग्यता :	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय :	श्री चन्द्रदीप कुमार झा (आईएसएस: 2000) को 19 जून, 2026 से बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर दो दशकों से अधिक की विशिष्ट सेवाओं का समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) में सांख्यिकीय सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) तथा गृह मंत्रालय (एमएचए), के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने का व्यापक एवं बहुआयामी अनुभव है। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने डेटा विश्लेषण, समन्वय, योजना निर्माण, पर्यवेक्षण, नीतिगत निर्धारण, अवसंरचना परियोजनाओं के विकास तथा निगरानी के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनकी विशेषज्ञता का दायरा सांख्यिकीय मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार, व्यवसाय सुगमता, औद्योगिक विकास तथा प्रमुख सरकारी पहलों के क्रियान्वयन सहित अनेक क्षेत्रों तक विस्तृत है। वे वर्तमान में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में सरकार के नामित निदेशक, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अंशकालिक सदस्य तथा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई), गुरुग्राम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य भी हैं।

अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद:	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) – सरकार द्वारा नामित निदेशक - लिस्टेड कंपनी
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता:	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) - लिस्टेड कंपनी लेखा परीक्षा समिति – सदस्य हितधारक संबंध समिति – सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – सदस्य
निदेशकों के मध्य पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण:	आपस में कोई संबंध नहीं।
पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक पद से त्यागपत्र दिया है:	शून्य

वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति, धारित इक्विटी शेयरों की संख्या तथा निदेशक को प्रदत्त बैठक शुल्क आदि के अन्य विवरणों के लिए कृपया एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखें।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्ताव में, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त, कोई हित या सरोकार नहीं है।

कार्यसूची मद संख्या 8

क्यूआईपी / एफपीओ / राइट्स इश्यू जैसे विभिन्न माध्यमों के द्वारा कुल ₹7,000 करोड़ तक की इक्विटी पूंजी जुटाने पर विचार करने के संबंध में।

बेसल-III विनियमों के अनुसार, बैंक के लिए इक्विटी पूंजी के रूप में न्यूनतम 5.50% का कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी 1) अनुपात तथा 2.50% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी), कुल मिलाकर 9.50% का टियर-1 अनुपात तथा 11.50% का समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखना आवश्यक है। निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक का सीआरएआर 17.91% रहा है, जिसमें टियर-I 15.61% (सीसीबी सहित) तथा टियर-II 2.30% है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यवसाय में 14% से 15% की अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखने तथा बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने क्यूआईपी (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट), एफपीओ (फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफ़र) अथवा राइट्स इश्यू जैसे विभिन्न माध्यमों के द्वारा कुल ₹7,000 करोड़ तक की इक्विटी पूंजी जुटाने का निर्णय लिया है। इन विकल्पों का उपयोग बैंक द्वारा आवश्यकता तथा उस समय प्रचलित बाजार परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।

उक्त इक्विटी पूंजी भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत तथा सेबी के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों/विनियमों के अधीन जुटाई जाएगी।

निदेशक मंडल ने अपनी 30 अप्रैल, 2026 को आयोजित बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से ₹7,000 करोड़ तक की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी।

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 17.91% है। वर्तमान में बैंक की अधिकृत पूंजी ₹10,000 करोड़ है। 31 मार्च, 2026 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹9,051.40 करोड़ है।

वर्धित पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

यह विशेष प्रस्ताव निदेशक मंडल को एक अथवा एक से अधिक किश्तों में, ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर तथा ऐसे निवेशकों को, जिन्हें निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उपयुक्त समझे, इक्विटी शेयर जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें, जब भी ऐसा निर्गम किया जाएगा, उस समय प्रचलित बाजार

परिस्थितियों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, मर्चेंट बैंकरों, लीड मैनेजरों, सलाहकारों तथा बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की जाएँगी।

उपर्युक्तानुसार यदि इक्विटी शेयरों का निर्गम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से किया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि :

- ✓ इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक तिथि, सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय VI तथा/अथवा अन्य लागू विनियमों के अनुसार, वह तिथि होगी जिस दिन निदेशक मंडल अथवा उसकी पूंजी जुटाने संबंधी समिति, सदस्यों की स्वीकृति तथा अधिनियम एवं प्रस्तावित इक्विटी शेयर निर्गम से संबंधित अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक अन्य प्रावधानों के अनुपालन के पश्चात, प्रस्तावित इक्विटी शेयर निर्गम को प्रारंभ करने का निर्णय लेगी।
- ✓ चूंकि प्रस्ताव के मूल्य का निर्धारण बाद के चरण में ही किया जा सकता है, इसलिए जारी किए जाने वाले शेयरों का मूल्य इस समय बताना संभव नहीं है। तथापि, यह मूल्य सेबी (आईसीडीआर) विनियमों, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा समय-समय पर संशोधित सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 अथवा अन्य लागू अथवा अपेक्षित दिशानिर्देशों/विनियमों/अनुमोदनों के अनुरूप होगा।
- ✓ पूर्णत: चुकता इक्विटी शेयरों का निर्गम एवं आवंटन केवल सेबी (आईसीडीआर) विनियमों में परिभाषित क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को किया जाएगा तथा उपर्युक्त प्रस्ताव पारित होने की तिथि से 365 दिनों के भीतर आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।
- ✓ प्रस्ताव से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें, उस समय की प्रचलित बाजार परिस्थितियों तथा अन्य नियामकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सलाहकारों, लीड मैनेजरों, अंडरराइटरों तथा अन्य आवश्यक प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके निर्धारित की जाएंगी।
- ✓ इस प्रकार यदि प्रतिभूतियों के निर्गम की शर्तों के अनुसार कोई अतिरिक्त आवंटन किया जाता है, तो उसे सम्मिलित करते हुए जुटाई गई कुल राशि, पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार बैंक की निवल संपत्ति के पाँच गुने से अधिक नहीं होगी।
- ✓ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के अंतर्गत आवंटित पात्र प्रतिभूतियों को आवंटी द्वारा आवंटन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए जाने वाले विक्रय को छोड़कर, बेचा नहीं जाएगा।
- ✓ बैंक, उसका प्रमोटर अथवा उसके निदेशक, फरार आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender) नहीं हैं।
- ✓ आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर, लाभांश सहित सभी दृष्टियों से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समान अधिकार(pari passu) वाले होंगे।

निदेशक मंडल द्वारा नोटिस में उल्लिखित विशेष प्रस्ताव को पारित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्तावों में, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, कोई हित या सरोकार नहीं है।

कार्यसूची मद संख्या 9

एक शेयधारक निदेशक का निर्वाचन

i. बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, जहाँ धारा 3 की उपधारा 2बी के खंड (ग) के अंतर्गत जारी पूंजी, बैंक की कुल चुकता पूंजी के 16% से अधिक हो, वहाँ बैंक के निदेशक मंडल में 2 निदेशक ऐसे होंगे, जो केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने मध्य से विधिवत निर्वाचित किए जाएंगे।

ii. उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार तथा बैंक के प्रमोटर द्वारा मई 2026 में घोषित ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) निर्गम के पूर्ण होने के पश्चात बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता 10.73% से बढ़कर 18.81% हो जाने के परिणामस्वरूप, बैंक दो (02) ऐसे निदेशकों का हकदार है, जो केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से निर्वाचित किए जाएँ। वर्तमान में बैंक के निदेशक मंडल में एक शेयरधारक निदेशक, श्री शारदा कुमार होता, कार्यरत हैं तथा बैंक के निदेशक मंडल में एक अन्य शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति किया जाना अपेक्षित है।

iii. निदेशक मंडल ने अपनी 03 जून, 2026 को आयोजित बैठक में बैंक के निदेशक मंडल में उत्पन्न हुई एक शेयरधारक निदेशक की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

iv. अत:, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक, विभिन्न प्रासंगिक अधिनियमों/योजनाओं/विनियमों/अधिसूचनाओं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन प्रस्तुत करने के पात्र होंगे। विधिवत एवं सभी दृष्टियों से पूर्ण रूप से भरे हुए नामांकन प्राप्त होने पर, नामांकन पत्रों की जांच निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति अथवा निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी।

वैधानिक प्रावधान

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5	• पर्याप्त हित
	धारा 16(1)	• समान निदेशक पर प्रतिबंध।
	धारा 20	• किसी निदेशक को अथवा उसके पक्ष में किसी ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध।
	धारा 51	• अधिनियम की कुछ धाराओं का संबंधित नए बैंक पर लागू होना।
बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई)	• मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध।
	धारा 9(3)(i)	• शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या।
	धारा 9(3ए)(ए) से (ग)	• विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष ज्ञान।
	धारा 9(3एए)	• कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, जब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा तथा अन्य निर्धारित मानदंडों के आधार पर उसे उपयुक्त एवं समुचित स्थिति वाला व्यक्ति न माना गया हो।
	धारा 9(3एबी)	• भारतीय रिज़र्व बैंक, धारा 9(3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में, उपयुक्त एवं समुचित स्थिति के निर्धारण के लिए प्राधिकरण, निर्धारण की प्रक्रिया तथा उससे संबंधित अन्य आवश्यक अथवा आनुषंगिक विषयों का भी विनिर्देशन कर सकता है।
	धारा 9(3बी)	• भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे निर्वाचित निदेशक को पद से हटाने का अधिकार है, जो अधिनियम की धारा 9(3ए) एवं 9(3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हो।
	धारा 13(2)	• निष्ठा एवं गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व।
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970	खंड 9(4)	• निर्वाचित निदेशकों के पदावधि की अवधि।
	खंड 10	• बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यताएँ।
	खंड 11	• निदेशकों के पद का रिक्त होना।
	खंड 11ए	• निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना।
	खंड 11बी	• निर्वाचित निदेशक के पद पर आकस्मिक रिक्ति को भरना।
	खंड 12(8)	• उन व्यवस्थाओं के संबंध में, जिनमें निदेशकों का हित निहित हो, उनके द्वारा हितों का प्रकटीकरण।
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998	विनियम 10	• संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग।
	विनियम 63	• सामान्य सभाओं में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक।
	विनियम 64	• शेयरधारकों की सूची।
	विनियम 65	• निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन।
	विनियम 66	• नामांकनों की जांच।
	विनियम 67	• निर्वाचन संबंधी विवाद।
	विनियम 68	• मतदान अधिकारों का निर्धारण।
	विनियम 69	• विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान।

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक - शासन) निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025	बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3AA) एवं धारा 9(3AB) के अनुसार	• राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त एवं समुचित मानदंड।
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015	विनियम 16 एवं 25	• स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान।
कंपनी अधिनियम, 2013	धारा 2(77), 89, 90, 164 एवं 184	• निदेशकों से संबंधित प्रावधान।

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, संबंधित अधिनियमों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, योजनाओं/विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के प्रासंगिक शेयर बैंक की वेबसाइट अर्थात् https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा देखा अथवा डाउनलोड किया जा सकेगा। ऐसे शेयर इच्छुक अभ्यर्थियों को कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय को investors@centralbank.bank.in पर संबोधित अनुरोध प्राप्त होने पर, नामांकन प्रक्रिया हेतु नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात् **गुरुवार, 16 जुलाई, 2026 को सायं 5:00 बजे** तक, ई-मेल के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

निर्वाचन में भागीदारी :

वे शेयरधारक, जिनके नाम निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि अर्थात् **शुक्रवार, 26 जून, 2026** को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई शेयरधारकों/हितकारी स्वामियों की सूची में अंकित होंगे, वे केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक के निर्वाचन में भाग लेने अर्थात् नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा मतदान करने के पात्र होंगे। यह उल्लेखनीय है कि कार्यसूची मद संख्या 8 अर्थात् निदेशक के निर्वाचन में केंद्र सरकार भाग लेने की पात्र नहीं होगी, तथापि वह वार्षिक आम बैठकमें प्रेक्षक के रूप में उपस्थित रह सकेगी।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु आवश्यक योग्यताएँ:

उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 9(3ए) में निर्धारित योग्यताओं का पालन करना होगा तथा योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट अयोग्यताओं से मुक्त होना चाहिए और विनियमों के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

ए. अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार, बैंक का वह शेयरधारक जो बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसे—

(ए) निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, अर्थात्—

(i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

(ii) बैंकिंग

(iii) सहकारिता

(iv) अर्थशास्त्र

(v) वित्त

(vi) विधि

(vii) लघु उद्योग

(viii) कोई अन्य विषय, जिसमें विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, बैंक के लिए उपयोगी हो। (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने मास्टर निदेश – वाणिज्यिक बैंक गवर्नेंस निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से विशेषज्ञता के क्षेत्रों का विस्तार करते हुए निम्न क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया है: (i) सूचना प्रौद्योगिकी, (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली, (iii) मानव संसाधन, (iv) जोखिम प्रबंधन तथा (v) व्यवसाय प्रबंधन, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें बैंक में निदेशक की नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है।)

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

(सी) किसानों, श्रमिकों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

बी. अधिनियम की धारा 9(3एए) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुसार, बैंक का वह शेयरधारक जो बैंक के निदेशक के रूप में नामांकन प्रस्तुत करता है, उसके पास उसके कार्य निष्पादन के रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य मानदंडों के आधार पर "उपयुक्त एवं उचित" स्थिति होनी चाहिए।

सी. भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19ए की उपधारा (2) तथा बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधाराओं (3एए) एवं (3एबी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – गवर्नेंस) निदेश, 2025 जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम,

1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचित होने वाले निदेशकों के लिए "उपयुक्त एवं उचित" मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

डी. इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशकों को संविदा-पत्र निष्पादित करना होगा, वे बैंक की आचार संहिता के अधीन होंगे तथा उन्हें इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक/अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएँ प्रस्तुत करनी होंगी।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यता:

ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने तथा निदेशक बने रहने के लिए अयोग्य होगा—

(ए) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा उसने भुगतान निलंबित कर दिया हो अथवा अपने लेनदारों के साथ समझौता किया हो; अथवा

(बी) यदि उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा

(सी) यदि उसे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध केलिएदोषसिद्धमानागयाहोजिसमेंनैतिकअधमतासम्मिलितहो; अथवा

(डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक में लाभ का कोई पद धारण करता हो; तथापि इसमें पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) एवं (एफ) के अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक सम्मिलित नहीं होंगे।

तथा

बी. यदि बैंक की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/निदेशक मंडल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – गवर्नेंस) निदेश, 2025 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार उसे "उपयुक्त एवं उचित" व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

प्रतियोगी उम्मीदवारों हेतु शेयरधारकों की सूची

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) विनियम, 2008 के विनियम 64 के अनुसार, **शुक्रवार, 26 जून, 2026** की स्थिति में बैंक के शेयरधारकों की सूची बैंक के शेयरधारकों के लिए सोमवार, 29 जून, 2026 से उपलब्ध होगी। इसके लिए "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में, मुंबई में देय **₹50,000/- (केवल पचास हजार रुपये)** का डिमांड ड्राफ्ट तथा सहायक महाप्रबंधक – कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021 को संबोधित अनुरोध पत्र अथवा investors@centralbank.bank.in पर ई-मेल के माध्यम से आवेदन करना होगा। साथ ही यह वचन देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग केवल चुनाव प्रचार हेतु किया जाएगा तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार शेयरधारकों की सूची का निरीक्षण भी कर सकते हैं तथा उससे आवश्यक अंश प्राप्त कर सकते हैं।

शेयरधारक रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारक रजिस्टर बैंक के केंद्रीय कार्यालय में सोमवार से शनिवार तक प्रात: 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार तथा बैंक अवकाश को छोड़कर) निरीक्षण हेतु खुला रहेगा। यदि कोई शेयरधारक रजिस्टर अथवा उसके किसी भाग की प्रति अथवा कंप्यूटर प्रिंट प्राप्त करना चाहता है, तो उसे प्रति 1000 शब्द अथवा उसके अंश के लिए ₹5/- की दर से अग्रिम भुगतान करने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

चुनाव में भागीदारी

वे शेयरधारक जिनके नाम **शुक्रवार, 26 जून, 2026** को एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारा उपलब्ध कराए गए सदस्यों/लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे, वे केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निदेशक के निर्वाचन में भाग लेने, अर्थात् नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा मतदान करने के पात्र होंगे।

नामांकन:

नामांकन की वैधता

विनियम 65, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक पद के निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध माना जाएगा, जब—

(ए) वह शुक्रवार, 26 जून, 2026 को, जो चुनाव में भागीदारी हेतु निर्दिष्ट तिथि है, बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) अंशों का धारक हो।

(बी) गुरुवार, 16 जुलाई, 2026 (नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि) को वह अधिनियम, योजना अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अयोग्य न हो।

(सी) नामांकन लिखित रूप में हो तथा उस पर निदेशकों का निर्वाचन करने के पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों अथवा उनके विधिवत अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों। बशर्ते कि यदि कोई शेयरधारक कंपनी है, तो उसका नामांकन उस कंपनी के निदेशक मंडल के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, जिस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप मेंप्रमाणित प्रस्ताव की प्रति सहायक महाप्रबंधक – कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021 को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।

(डी) बैंक के शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किया गया नामांकन, इस सूचना में दिए गए नामांकन एवं घोषणा-पत्र के नमूना प्रपत्रों के अनुसार उम्मीदवार की घोषणा के साथ संलग्न हो, जिस पर उम्मीदवार ने न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-पंजीयक (आश्वासन), अन्य राजपत्रित अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक

के अधिकारी अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षर किए हों। घोषणा में यह उल्लेख होना चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता/करती है, चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना, विनियम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है। साथ ही उसके व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) संलग्न हों, जिन पर उसके हस्ताक्षर हों तथा यह पुष्टि की गई हो कि उक्त विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं। इसके अतिरिक्त, वह यह भी वचन दे कि घोषणा के बाद यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है जो प्रस्तुत जानकारी से संबंधित हो, तो वह यथाशीघ्र बैंक को सूचित करेगा/करेगी।

(ई) विनियमों/भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुसार निर्धारित नामांकन प्रपत्र एवं घोषणा-पत्र वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न हैं। उक्त प्रपत्र बैंक की वेबसाइट https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

नामांकन प्रपत्रों की प्रस्तुति

निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—

ए. विधिवत भरा हुआ घोषणा-पत्र;

बी. चुनाव में भाग लेने के पात्र बैंक के न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा समर्थित नामांकन;

सी. व्यक्तिगत जानकारी, संबंधित दस्तावेजों एवं प्रमाण-पत्रों सहित घोषणा एवं वचन-पत्र जैसे कि बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव प्रमाण-पत्र आदि, इस सूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूपों में, एक सीलबंद लिफाफे में, जिस पर **"सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया – निदेशक निर्वाचन – जुलाई 2026"** अंकित हो। यह दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक/कूरियर के माध्यम से सहायक महाप्रबंधक – कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021, टेलि: 022 6638 7818/7575 को भेजे जाएँ। सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन बैठक की तिथि से कम से कम 14 दिन पूर्व, अर्थात् गुरुवार, 16 जुलाई, 2026 को सायं 5:00 बजे तक (बैंक के कार्य समय समाप्त होने से पूर्व) प्राप्त हो जाने चाहिए।

नामांकनों की जांच एवं निदेशकों का निर्वाचन

ए) नामांकनों की जांच शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026 को, जो नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद का अगला कार्य दिवस है, की जाएगी यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

बी) नामांकनों की जांच भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/निदेशक मंडल द्वारा भी की जाएगी।

सी) बैंक, नामांकनों की जांच के समय अथवा निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/निदेशक मंडल के परामर्शानुसार, उम्मीदवार से उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।

डी) यदि चुनाव द्वारा भरे जाने वाले एक पद के लिए केवल एक वैध नामांकन प्राप्त होता है, तो उस उम्मीदवार को बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम की धारा 9(3)(i) के साथ पठित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 25(2ए) के अनुसार वार्षिक आम बैठक में एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें केवल केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारक ही मतदान करने के पात्र होंगे। उक्त प्रस्ताव बहुमत से पारित होने पर ही उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। नव-निर्वाचित निदेशक शनिवार, 01 अगस्त, 2026 से पद ग्रहण करेगा तथा पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक पद पर बना रहेगा।

ई) यदि एक से अधिक वैध नामांकन प्राप्त होते हैं, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे तथा निर्वाचन कराया जाएगा। निर्वाचन में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित माना जाएगा। उसके नाम की घोषणा वार्षिक आम बैठक के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार निर्वाचित उम्मीदवार शनिवार, 01 अगस्त, 2026 को बैंक के निदेशक का पद ग्रहण करेगा।

एफ) यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निपटान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

नामांकन की वापसी

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह **शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को अपराह्न 4:00** बजे तक, अर्थात बैंक के कार्य समय समाप्त होने से पूर्व, हस्ताक्षरित पत्र सहायक महाप्रबंधक – कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021 को भेजकर अथवा हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन प्रति ई-मेल द्वारा investors@centralbank.bank.in पर भेजकर ऐसा कर सकता है।

निदेशकों के हित

बैंक के किसी भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का उपर्युक्त प्रस्ताव में कोई हित या सरोकार नहीं है, सिवाय बैंक में उनके अंशधारण की सीमा तक।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 23 जून, 2026
स्थान: मुंबई

(चंद्रकांत भागवत)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

घोषणा-पत्र

(उम्मीदवार द्वारा)

(विनियम 65 के संदर्भ में)

मैं, श्री/श्रीमती _____, श्री/श्रीमती _____ के

पुत्र/पुत्री/पत्नी, निवासी _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि—

ए. मैं **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** का शेयरधारक हूँ तथा चुनाव में भागीदारी **हेतु कट-ऑफ/निर्दिष्ट तिथि शुक्रवार, 26 जून, 2026** की स्थिति में मेरे पास ₹10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के पूर्णत: चुकता _____ इक्विटी अंश हैं, जो फोलियो संख्या _____ / डीपी आईडी संख्या _____ / क्लाइंट आईडी संख्या _____ के अंतर्गत धारित हैं।

बी. मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग अथवा किसी अन्य विषय, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी/भुगतान एवं निपटान प्रणाली/मानव संसाधन/जोखिम प्रबंधन/व्यवसाय प्रबंधन आदि में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा। साथ ही, मैं बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं/किसानों/श्रमिकों/कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ। इसके समर्थन में मैं संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न कर रहा/रही हूँ। (जो लागू हो उस पर टिक करें।)

सी. मैं क्रमांक _____ से _____ तक के नामांकनों को स्वीकार करता/करती हूँ।

डी. मैं **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के निदेशक पद हेतु निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक हूँ।

ई. मैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अंश एवं बैठकें) विनियम, 1998 (यथा संशोधित) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरधारक निदेशकों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचनाओं/निर्देशों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं हूँ।

एफ. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भी अयोग्य नहीं हूँ।

जी. मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3(1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक में लाभ का कोई पद धारण नहीं करता/करती और न ही उनका कर्मचारी हूँ।

एच. मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि—

i. मुझे किसी भी समय दिवालिया घोषित नहीं किया गया है तथा मैंने अपने लेनदारों के साथ भुगतान स्थगित नहीं किया है और न ही कोई समझौता किया है;

ii. मुझे विकृतचित्त (अस्वस्थ मस्तिष्क वाला) नहीं पाया गया है और न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है तथा मुझे किसी ऐसे अपराध के लिए किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो;

iii. मुझे किसी आर्थिक अपराध अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है;

iv. निर्वाचित होने पर मैं बैंक के साथ किसी भी प्रकार के व्यावसायिक/पेशेवर संबंध को तत्काल समाप्त कर दूँगा/दूँगी तथा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान और उसके पश्चात तीन वर्ष की अवधि तक बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध स्थापित नहीं करूँगा/करूँगी;

v. मैं किसी बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी अथवा किसी अन्य बैंक को धारण करने वाली एनओएफएचसी के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं हूँ;

vi. मैंने पूर्व में किसी बैंक/वित्तीय संस्था/भारतीय रिज़र्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के निदेशक के रूप में लगातार अथवा अंतराल सहित कुल छः वर्ष तक कार्य नहीं किया है;

vii. मैं शेयर दलाली (स्टॉक ब्रोकिंग) के व्यवसाय में संलग्न नहीं हूँ;

viii. मैं संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल सदस्य, नगर निगम, नगरपालिका अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय (जैसे अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि) का सदस्य नहीं हूँ;

ix. मैं ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का भागीदार नहीं हूँ जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक की सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हो;

x. मैं ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का भागीदार नहीं हूँ जो वर्तमान में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक अथवा समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हो;

xi. मेरा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (जिसमें विधिक सेवाएँ, परामर्श सेवाएँ आदि सम्मिलित हैं) नहीं है और न ही मैं ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न हूँ जिससे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता हो;

xii. मेरा किसी बैंक अथवा किसी अन्य बैंक को धारण करने वाली एनओएफएचसी के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं है तथा यदि मैं निर्वाचित होता/होती हूँ तो निदेशक पद ग्रहण करने से पूर्व ऐसे संबंध को समाप्त कर दूँगा/दूँगी;

xiii. किसी नियामक अथवा पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी अथवा विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा मेरे विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी/सूचना नहीं है तथा मैं किसी ऋणदाता संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ।

आई. मैं निदेशक पद ग्रहण करने से पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में संविदा-पत्र निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ।

जे. मैं बैंक के निदेशक पद पर रहते हुए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ।

के. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि इस घोषणा के पश्चात यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है जो यहाँ प्रदान की गई जानकारी से संबंधित हो, तो मैं यथाशीघ्र बैंक को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊँगा/कराऊँगी तथा बैंक का निदेशक निर्वाचित होने पर संविदा-पत्र निष्पादित करूँगा/करूँगी।

एल. मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण संलग्न कर रहा/रही हूँ, जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी दृष्टियों से सत्य एवं पूर्ण है।

नाम

हस्ताक्षर

शेयरों की संख्या

पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि डीमैट नहीं है)

डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी (यदि डीमैट है)

स्थान

दिनांक

मेरे समक्ष उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।

मुहर सहित हस्ताक्षर : _____

प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम : _____

घोषणा-पत्र पर उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा उप-पंजीयक (आश्वासन), अन्य राजपत्रित अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

★ जो लागू हो उस पर टिक करें।

नामांकन प्रपत्र

(शेयरधारक द्वारा)

(विनियम 65(डी) के संदर्भ में)

सेवा में,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केंद्रीय कार्यालय, चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट,
मुंबई – 400021

महोदय,

निदेशक के निर्वाचन हेतु नामांकन

दिनांक 23 जून, 2026 की आपकी सूचना के संदर्भ में, मैं, श्री/श्रीमती _____, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयरधारक, जो **शुक्रवार, 26 जून, 2026** (जो निर्वाचन में भाग लेने के उद्देश्य से कट-ऑफ/निर्दिष्ट तिथि है) की स्थिति में ₹10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के पूर्णत: चुकता _____ इक्विटी अंशों का धारक हूँ, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती _____ _____, श्री/श्रीमती _____ के पुत्र/पुत्री/पत्नी, निवासी _____ _____ को बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु नामांकित करता/करती हूँ, जिसका निर्वाचन शेयरधारकों की **19वीं वार्षिक आम बैठक,** जो **शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026** को आयोजित की जाएगी, में किया जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम

धारित अंशों की संख्या

पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि डीमैट नहीं है)

डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी (यदि डीमैट है)

स्थान

दिनांक

टिप्पणियाँ :

1. यदि नामांकन किसी निगमित निकाय द्वारा किया जाता है, तो नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
2. उम्मीदवार को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण अभिकर्ता के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
3. यदि उपर्युक्त किसी भी कॉलम को रिक्त छोड़ा जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है, तो नामांकन अस्वीकृत किया जा सकता है।

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन-पत्र प्रस्तुत करने का प्रारूप
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यहाँ स्व-सत्यापित पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएँ

अभ्यर्थी द्वारा दिनांक _____ की स्थिति के अनुसार घोषणा एवं वचन पत्र (आवश्यक संलग्नकों सहित)

I. अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण

1.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	प्रथम नाम मध्य नाम उपनाम
2.	पिता का नाम (पूर्ण रूप में)	
3.	लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)	पुरुष/महिला/अन्य
4.	वर्तमान पता (पत्राचार हेतु)	
5.	ई-मेल पता और वैकल्पिक ई-मेल पता: टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड सहित): मोबाइल नंबर:	
6.	नागरिकता	
7.	जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष) एवं आयु	
8.	शैक्षणिक योग्यता	
9.	निदेशक पहचान संख्या	
10.	आधार संख्या	
11.	ए) स्थायी खाता संख्या (पैन नं.) बी) आयकर विभाग के उस परिक्षेत्र/विभाग का नाम एवं पता जहाँ व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल किये जाते हैं। सी) पिछले तीन वर्षों के दाखिल आयकर रिटर्न एवं कर भुगतान का विवरण	

रिटर्न दाखिल करने की तिथि	भुगतान किया गया कर (₹ में)

12.	स्थायी पता	
13.	लेखांकन, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग,सहकारिता अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान प्रणालियाँ, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन,व्यवसाय प्रबंधन अथवा अन्य किसी ऐसे क्षेत्र में,जिसके विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव को भारतीय रिजर्व बैंक उपयोगी मानता हो, के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान अथवा अनुभव का संक्षिप्त विवरण।	
14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संस्था/संगठन का नाम तथा अनुभव का संक्षिप्त विवरण)	

15. पिछले कम से कम 10 वर्षों के व्यवसाय/रोजगार का विवरण, जिसमें संबंधित संगठन/संस्थाओं का पूर्ण पता/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्यमुक्त होने की तिथि(कारण सहित), पदनाम आदि शामिल हों।

16. यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो निम्नलिखित विवरण दे-

ए) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या

बी) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथि

सी) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम एवं पता

डी) फर्म/फर्मों अथवा स्वयं द्वारा वर्तमान में किए जा रहे लेखा परीक्षणों का विवरण

17. उन बैंको का नाम, शाखा तथा खाता संख्या(बचत/चालू/ऋण खाते) जहाँ आप प्राथमिक खाताधारक हैं।

बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता सं.

18. आपके, आपके जीवनसाथी तथा आपके अवयस्क बच्चे द्वारा किसी संस्था में धारित शेयरधारिता का भौतिक अथवा (डी -मैट रूप में विवरण)

19. बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी

II. प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध

20. ऐसे रिश्तेदारों की सूची जो कंपनी अधिनियम, की धारा 2(77) तथा कंपनी (परिभाषा विनिर्देशन) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार किसी बैंक से संबद्ध हों।

21. उन संस्थाओं/इकाइयों की सूची जिनमे –

ए) आपकी रूचि/हित हो। (कंपनी अधिनियम की धारा 184 के अनुसार]

बी) आपका लाभकारी स्वामित्व हो। (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 तथा एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों के अनुसार)

सी) आप न्यासी हों। (किसी ट्रस्ट के सन्दर्भ में अन्य सन्दर्भों का भी उल्लेख करें)

22. वर्तमान एवं प्रस्तावित उन संस्थाओं/इकाइयों की सूची, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 5(एनई)4 के अन्तर्गत आपका पर्याप्त हित हो।

कंपनी/फर्म का नाम
निगमित होने का देश
शेयरों की संख्या
प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य
शेयरधारिता का कुल अंकित मूल्य
कुल चुकता पूँजी में शेयरधारिता का प्रतिशत
लाभकारी हित(मूल्य और प्रतिशत दोनों में)
क्या संस्था, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत कंपनी है?

23. विदेश में निगमित तथा भारत में व्यवसाय स्थल रखने वाली संस्थाओं में धारित हिस्सेदारी का विवरण	
24. उस बैंक/एनबीएफसी/अन्य कंपनी का नाम जिसमें आप वर्तमान अथवा पूर्व में निदेशक मंडल के सदस्य/सलाहकार आदि रहे हों। (ऐसे पद पर रहने की अवधि का विवरण भी दें।)	
25. यदि आप किसी ऐसी संस्था से संबद्ध हैं जो हायर परचेज, वित्तपोषण, निवेश पट्टे तथा अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न हैं, तो उससे संबद्धता की प्रकृति एवं उसका विवरण।	
26. यदि आप शेयर दलाल हैं अथवा किसी ऐसी संस्था से सबंद्ध हैं जो शेयर दलाली गतिविधियों में संलग्न है, तो उसका विवरण।	
27. आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा/उपर्युक्त क्रमांक (21) से (26) में उल्लिखित संस्थाओं द्वारा वर्तमान में प्राप्त निधि आधारित और गैर-निधि आधारित बैंकिंग सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो।	
28. ऐसे मामले, यदि कोई हों, जिनमें आप व्यक्तिगत रूप से अथवा उपर्युक्त (21) से (26) में उल्लिखित संस्थाओं को अतीत में किसी बैंक/एनबीएफसी/अन्य ऋणदाता संस्था से प्राप्त ऋण या साख सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता अथवा जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया गया हों।	
III. व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड	
29. निदेशक पद के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियाँ।	
IV. प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो	
30. किसी व्यावसायिक संघ/निकाय के सदस्य के रूप में, यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो या आरंभ की गई हो, अथवा अतीत में दोषसिद्धि हुई हो, या किसी भी समय किसी व्यवसाय/पेशे में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया हो, तो उसका विवरण।	
यदि व्यक्तिगत व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप लगाया गया हो, तो उसका विवरण।	
31. आपके अथवा क्रमांक 21 से 26 तक सूचीबद्ध इकाइयों में आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के लिए यदि कोई अभियोग लंबित है या शुरू हो गया है या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई है ,तो उसका विवरण।	
32. किसी आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई लंबित हो, आरंभ किया गया हो या दोषसिद्धि में परिणत हुआ हो।	
33. यदि एएमएल/सीएफटी (AML/CFT – धन शोधन निवारण/ आतंकवाद वित्तपोषण निरोध) दिशानिर्देशों के किसी उल्लंघन में संलिप्त रहे हों, तो उसका विवरण।	
34. यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत वर्णित किसी अयोग्यता से प्रभावित हों, तो उसका विवरण।	

35. यदि दिवालिया घोषित किए गए हों, या भुगतान स्थगित किया हो, अथवा लेनदारों के साथ समझौता किया हो, तो उसका विवरण।

36. यदि सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण।

37. (क) यदि किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक दुराचार अथवा अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण।

(ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में दोषसिद्ध घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण।

38. यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर किसी लाभ के पद पर कार्यरत हों, तो उसका विवरण।

39. यदि स्वयं या ऊपर बिंदु (21) से (26) में उल्लिखित कोई संस्था किसी पूर्व नियोक्ता, सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा किसी जांच/सतर्कता संबंधी मामले या पूछताछ के अधीन रही हो, तो उसका विवरण।

40. यदि सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क/ आयकर/ विदेशी मुद्रा अथवा अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/ विनियमों/ वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो, तो उसका विवरण दें।

41. यदि किसी नियामक संस्था जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, किसी व्यावसायिक संगठन, सरकारी एजेंसी अथवा न्यायालय द्वारा व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण फटकारा गया हो, निंदा की गई हो, प्रतिबंधित किया गया हो, निलंबित किया गया हो, निष्कासित किया गया हो, आदेश द्वारा रोका गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार का दंड लगाया गया हो, तो उसका विवरण दें। (यद्यपि ऐसे आदेशों एवं निष्कर्षों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें बाद में पूर्णत: निरस्त/ रद्द कर दिया गया हो, तथापि यदि निरस्तीकरण/ रद्दीकरण केवल तकनीकी आधारों जैसे परिसीमा अथवा अधिकार-क्षेत्र के अभाव के कारण हुआ हो तथा गुण-दोष के आधार पर न हुआ हो, तो उसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि आदेश पर अस्थायी स्थगन प्राप्त हो तथा अपीलीय/ न्यायालयीन कार्यवाही लंबित हो, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।)

V. आम जानकारी

42. यदि अभ्यर्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता आदि जैसा कोई पेशेवर है तथा वर्तमान में या पूर्व में किसी बैंक में कोई व्यवसायिक कार्य कर रहा है/ कर चुका है, तो उस कार्य का विवरण, संबंधित बैंक का नाम तथा बैंक के साथ संबद्धता की अवधि का उल्लेख करें।

43. यदि अभ्यर्थी वर्तमान में सांसद / विधायक / विधान परिषद सदस्य है अथवा किसी नगर निगम, नगरपालिका अथवा अन्य स्थानीय निकाय में कोई राजनीतिक पद धारण करता है, तो उसका विवरण दें।	
VI. प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के हित में, यदि 'उपयुक्त एवं समुचित (Fit and Proper)' आकलन हेतु कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी हो, तो उसका विवरण दें।	

वचन-पत्र

मैं, ... पुत्र/ पुत्री, श्री .... यह पुष्टि करता/ करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, सही एवं पूर्ण है।

मैं यह वचन देता/ देती हूँ कि बैंक में शेयरधारक निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन के पश्चात् यदि कोई ऐसी घटना घटित होती है जो ऊपर दी गई जानकारी से संबंधित हो, तो मैं यथाशीघ्र बैंक को उसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊँगा/ कराऊँगी।

मैं यह भी वचन देता/ देती हूँ कि बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु अपेक्षित संविदा-पत्र (Deed of Covenant) निष्पादित करूँगा/ करूँगी।

स्थान :

दिनांक: **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

संलग्नक:

टिप्पणी :

1. जहाँ उपलब्ध स्थान पर्याप्त न हो, वहाँ जानकारी को परिशिष्ट के रूप में कालानुक्रमिक क्रम में संलग्न करें तथा उपयुक्त परस्पर संदर्भ दें।
2. परिशिष्टों सहित सभी पृष्ठों पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

नामांकन एवं पारिश्रामिक समिति/निदेशक मंडल की टिप्पणियाँ

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/निदेशक मंडल के अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक:

स्थान:

व्यावसायिक विश्लेषण

मापदंड	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24	मार्च-25	मार्च-26
कुल व्यवसाय	4,49,679	4,72,323	4,67,584	4,86,007	5,06,886	5,32,404	5,77,075	6,36,756	7,02,798	8,12,439
वार्षिक वृद्धि	-1.46%	5.04%	-1.00%	3.94%	4.30%	5.03%	8.39%	10.34%	10.73%	15.60%
कुल जमा	2,96,671	2,94,839	2,99,855	3,13,763	3,29,973	3,42,692	3,59,296	3,85,011	4,12,697	4,67,923
वार्षिक वृद्धि	11.45%	-0.62%	1.70%	4.63%	5.17%	3.85%	4.85%	7.16%	7.19%	13.38%
कुल ऋण और अग्रिम	1,53,008	1,77,484	1,67,729	1,72,244	1,76,913	1,89,712	2,17,779	2,51,745	2,90,101	3,44,516
वार्षिक वृद्धि	-19.53%	16.00%	-5.50%	2.69%	2.71%	7.23%	14.79%	15.60%	15.24%	18.76%
निवेश	93,792	1,05,295	1,29,219	1,47,358	1,53,820	1,46,759	1,42,653	1,49,538	1,43,032	1,58,832
वार्षिक वृद्धि	4.34%	12.26%	22.72%	14.03%	4.39%	-4.59%	-2.80%	4.83%	-4.35%	11.05%
सीडी अनुपात	51.57%	60.20%	55.94%	54.90%	53.61%	55.63%	60.86%	65.59%	70.53%	73.80%
संपत्तियों पर प्रतिफल	-0.80%	-1.61%	-1.70%	-0.35%	-0.26%	0.30%	0.44%	0.63%	0.86%	0.89%

लाभप्रदता

मापदंड	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24	मार्च-25	मार्च-26
सकल आय	27,537	26,659	25,052	27,200	25,846	25,770	29,626	35,434	39,308*	42,342
वार्षिक वृद्धि	-1.03%	-3.19%	-6.03%	8.57%	-4.98%	-0.29%	14.96%	19.60%	10.93%	7.72%
सकल व्यय	24,448	23,926	21,925	22,856	21,267	20,028	22,742	28,071	31,184*	33,863
वार्षिक वृद्धि	-2.92%	-2.14%	-8.36%	4.25%	-6.95%	-5.83%	13.55%	23.43%	11.09%	8.59%
परिचालन लाभ	3,089	2,733	3,127	4,344	4,579	5,742	6,884	7,363	8,124	8,479
वार्षिक वृद्धि	16.92%	-11.52%	14.42%	38.92%	5.41%	25.40%	19.89%	6.96%	10.34%	4.37%
शुद्ध लाभ / (हानि)	-2,439	-5,105	-5,641	-1,121	-888	1,045	1,582	2,549	3,785	4,369
वार्षिक वृद्धि	-72.00%	-109.31%	-10.50%	80.13%	-20.79%	217.68%	51.39%	61.13%	48.49%	15.43%
एनआईएम (%)	2.51%	2.47%	2.54%	2.80%	2.78%	3.21	3.47%	3.40%	3.40%	3.07%
शुद्ध ब्याज आय	6,574	6,517	6,773	7,629	8,245	9,487	11,687	12,896	13,897	14,171
वार्षिक वृद्धि	-6.95%	-0.88%	3.93%	12.64%	8.07%	15.06%	23.19%	10.34%	7.76%	1.97%
गैर-ब्याज आय	2,876	2,623	2,413	3,637	3,116	2,968	4,084	4,712	5,642*	6,316
वार्षिक वृद्धि	48.40%	-8.80%	-8.01%	50.73%	-14.32%	-4.75%	37.60%	15.38%	19.74%	11.95%

* मार्च 2025 के आंकड़ों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक है, चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्गणित/पुनर्समूहीकृत किया गया है।

निदेशक रिपोर्ट 2025-26

माननीय सदस्यों,

आपके निदेशक दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण सहित बैंक की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं.

1. कार्य निष्पादन वैशिष्ट्य:

- दिनांक 31 मार्च 2026 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹812439 करोड़ रहा जो 31 मार्च 2025 को 702798 करोड़ था.
- बैंक की कुल जमाराशि ₹467923 करोड़ हो गई, जो दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹412697 करोड़ थी.
- बैंक का कुल अग्रिम ₹344516 करोड़ हो गया है, जो दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹290101 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल आय ₹ 42342 करोड़ रही जबकि दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹39308 करोड़ थी.
- बैंक की गैर-ब्याज आय दिनांक 31 मार्च 2026 को ₹6316 करोड़ रही जो दिनांक 31 मार्च 2025 को सामान्य वित्तीय वर्ष में ₹5642* करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंक का परिचालन लाभ 4.37% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹8479 करोड़ हो गया. जो पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रुपए ₹8124 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंक ने ₹4369** करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है जबकि दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ ₹3785 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी व्यवसाय बढ़कर ₹23.89 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में ₹21.31 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-III के अनुसार) 17.91% रहा जिसमें टीयर I- 15.61% एवं टीयर II– 2.30% रहा. (बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी गैर ब्याज वाले पुर्नपूंजीकरण बॉन्ड के एनपीवी की गणना के लिए समायोजन के बाद पूंजी अनुपात की गणना की है.)
- दिनांक 31 मार्च 2026 को निवल संपत्ति मूल्य ₹34599.72 करोड़ रही.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नकद वसूली (एनपीए की बिक्री एवं खातों के अपलेखन सहित) ₹ 3418 करोड़ हो गई जो दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में ₹ 3396 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को सकल एनपीए से सकल अग्रिम में वृद्धि दर्शाते हुए 2.67% हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2025 को 3.18% था.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को निवल एनपीए से निवल अग्रिम घटकर 0.49% हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2025 को 0.55% था.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को प्रावधान कवरेज अनुपात घटकर 95.97% हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2025 को 96.54% था.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.07% रहा जो दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 3.40% था.
- आस्तियों पर प्रतिफल मार्च 2025 के 0.86% से बढ़कर मार्च 2025 के लिए 0.89 % हो गया, जो 3 बीपीएस के सुधार को दर्शाता है।.
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन ₹159094.26 करोड़ रहा. तथापि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में एएनबीसी को ऋण के आधिक्य का लाभ उठाने के लिए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/ खरीद लेनदेन किया है. वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत ₹6800 करोड़ के पीएसएलसी की बिक्री की.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का कृषि अग्रिम ₹ 61687 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 52456 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएसएमई अग्रिम ₹ 69351 करोड़ रहा जबकि दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹ 59243 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में रिटेल ऋण बढ़कर ₹103533 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में ₹ 82383 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो ₹59012 करोड़ रहा जो वर्ष-दर-वर्ष 13.13% की वृद्धि दर्शाता है. दिनांक 31 मार्च 2026 को कुल रिटेल पोर्टफोलियो में आवास ऋण पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 57% रही.
- बैंक ने देश के 9 राज्यों यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (3) राजस्थान (1), ओडिशा (1) एवं असम (1) में 48 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) स्थापित किए हैं. वर्ष 2025-24 के दौरान आरसेटी ने 1486 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 46188 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया. इनमें से 34037 (अर्थात 73.69%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते और स्ववित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है नियोजित अभ्यर्थियों को क्रेडिट लिंकेज उपलब्धि 22214 अर्थात 65.26% रही.

- दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकएश्योरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹161 करोड़ हुई, जिसमें इसकी दो सहयोगी कंपनियों, जेनरली सेन्ट्रल इंश्युरेंस कं. लि. तथा जेनरली सेन्ट्रल लाइफ इंश्युरेंस कं. लि. से प्राप्त बैंकएश्योरेंस आय भी शामिल है।
- दिनांक 31 मार्च 2026 को 4585 शाखाओं के नेटवर्क जिसमें 2989 शाखाएं ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में (65.19%), 3819 एटीएम, 13685 बीसी प्वाइंट तथा कुल 22129 टच प्वाइंट्स के साथ बैंक की अखिल भारतीय उपस्थिति है.

* चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, आकड़ो की पुनर्गणना/पुनर्समूहन किया गया है.

** 34.944% के स्थान पर 25.168% की दर से स्थगित कर परिसंपत्ति की मान्यता के एकमुश्त प्रभाव, जिसकी राशि ₹632 करोड़ थी, को समायोजित करने के पश्चात्।

2. आय एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय एवं व्यय विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025	विचलन	%
1 ब्याज आय	36026	33666	2360	7.01%
– अग्रिम	24050	22339	1711	7.66%
– निवेश	10210	10092	118	1.17%
– अन्य	1766	1235	531	42.99%
2 गैर ब्याज आय*	6316	5642	674	11.95%
3 कुल आय (1+2)*	42342	39308	3034	7.72%
4 प्रदत्त ब्याज	21855	19769	2086	10.55%
– जमाराशि	21001	18488	2513	13.59%
– अन्य	854	1281	(427)	-33.33%
5 परिचालन व्यय*	12008	11415	593	5.19%
– स्थापना	7581	7219	362	05.01%
– अन्य★	4427	4196	231	05.51%
6 कुल व्यय (4+5)*	33863	31184	2679	08.59%
7 स्प्रैड (1-4)	14171	13897	274	1.97%
8 परिचालन लाभ (3-6)*	8479	8124	355	04.37%
9 प्रावधान*	4110	4339	(229)	-5.28%
10 कर के लिए प्रावधान	2066	1149	917	79.81%
11 शुद्ध लाभ/(हानि) (8-9-11)	4369	3785	584	15.43%

* चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, आकड़ो की पुनर्गणना/पुनर्समूहन किया गया है.

3. प्रावधान

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, लाभ और हानि खातों को प्रभारित ₹4110 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 (वि.व)	31.03.2025 (वि.व)	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(115)	73	-257.53%
एनपीए के लिए प्रावधान *	1534	2802	-45.25%
पुनर्संरचित खातों के लिए प्रावधान	688	539	27.64%
निवेश के लिए प्रावधान *	(121)	(306)	60.46%
करों के लिए प्रावधान	2066	1149	79.81%
अन्य	58	82	-29.27%
कुल	**4110**	**4339**	**-5.28%**

* चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, आकड़ो की पुनर्गणना/पुनर्समूहन किया गया है.

4. लाभप्रदता अनुपात

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभप्रदता अनुपात का विवरण इस प्रकार है:

(प्रतिशत में)

विवरण	31.03.2026 (वि.व)	31.03.2025 (वि.व)
जमाओं की लागत	4.82	4.76
निधियों की लागत	4.83	4.85
अग्रिमों पर आय	8.21	8.78
निवेशों पर आय	6.74	6.87
निवेश पर आय (ट्रेडिंग लाभ सहित)	7.30	7.45
शुद्ध ब्याज मार्जिन	3.07	3.40
लागत आय अनुपात*	58.61	58.42

* चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, आकड़ो की पुनर्गणना/पुनर्समूहन किया गया है.

5. व्यवसाय अनुपात:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यवसाय अनुपात का विवरण इस प्रकार है:

(प्रतिशत में)

विवरण	31.03.2026 (वि.व)	31.03.2025 (वि.व)
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) से ब्याज आय	7.37	7.65
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) से गैर-ब्याज आय	1.29	1.28
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) से परिचालन लाभ	1.73	1.85
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.89	0.86
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹करोड़ में)	23.89	21.31
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹लाख में)	13.00	12.00

* चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, आकड़ो की पुनर्गणना/पुनर्समूहन किया गया है.

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात के घटक निम्नानुसार रहे:

(प्रतिशत में)

विवरण	31.03.2026 (वि.व)*	31.03.2025 (वि.व)
	बेसल-III	बेसल-III
टियर-I	15.61%	14.73%
टियर-II	2.30%	2.29%
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	17.91%	17.02%

* जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में सलाह दी है, बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी गैर-ब्याज वाले पुनर्पूंजीकरण बांड के एनपीवी की गणना के लिए समायोजन के बाद पूंजी अनुपात की गणना की है.

7. निवल लाभ/ हानि

दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने (34.944% के स्थान पर 25.168% की दर से स्थगित कर परिसंपत्ति की मान्यता के एकमुश्त प्रभाव, जिसकी राशि ₹632 करोड़ थी, को समायोजित करने के पश्चात) ₹4,369 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

8. लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर कुल ₹1.20 के अंतरिम लाभांश को अनुमोदित किया है (अर्थात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अंतरिम लाभांश के रूप में प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.20 तथा चतुर्थ अंतरिम लाभांश के रूप में प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.60)। बैंक द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित दरों पर, वित्त अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सभी पात्र शेयरधारकों को उक्त सभी अंतरिम लाभांशों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

उक्त लाभांश के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,086.17 करोड़ का नकद बहिर्प्रवाह हुआ है। उपर्युक्त लाभांश की घोषणा निदेशक मंडल द्वारा वर्ष के दौरान बैंक के प्रदर्शन, इसकी भावी विकास संभावनाओं तथा व्यवसाय विस्तार एवं परिचालन संबंधी आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त आरक्षित निधि बनाए रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए की गई है।

9. पूंजी एकत्र करना:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक द्वारा कोई इक्विटी पूंजी एकत्र नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कॉल विकल्प का प्रयोग करते हुए ₹500 करोड़ मूल्य के 01 बेसल-III अनुपालक टियर-II बॉण्ड का मोचन किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक द्वारा कोई ऋण पूंजी भी एकत्र नहीं की गई।

10.वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन:

श्री हार्दिक मुकेश सेठ दिनांक 24.07.2025 से बैंक के भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के पद से पदमुक्त हो गए

श्री बलदेव पुरुषार्थ को दिनांक 24.07.2025 से आगामी आदेश तक बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री मटम वेंकट राव दिनांक 31.07.2025 को अधिवार्षिता (सेवानिवृत्ति) पर बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नहीं है।

श्री विवेक वाही दिनांक 30.09.2025 को अधिवार्षिता (सेवानिवृत्ति) प्राप्त करने पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर नहीं है।

श्री कल्याण कुमार को दिनांक 30.09.2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री ई. रतन कुमार को दिनांक 24.11.2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री मल्लादी वेंकट मुरली कृष्णा का कार्यकाल, जो उनकी वर्तमान अधिसूचित अवधि के अनुसार दिनांक 30 नवम्बर, 2025 को समाप्त हो रहा था, भारत सरकार द्वारा उनकी अधिवार्षिता की तिथि अर्थात 31 जुलाई, 2027 तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

11.व्हिसल ब्लोअर नीति:

जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाताओं का संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक सूचनादाता शिकायतों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है. बैंक का "सेन्ट ई व्हिसिल ब्लोअर" नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारी की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते है, जो सिर्फ महाप्रबंधक – मानव संपदा प्रबंधन विभाग को ज्ञात होती है. निदेशकगण और कर्मचारी लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी सीधे संपर्क कर सकते है. इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलती है.

12. निदेशकों एवं बोर्ड का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन:

सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 25 के आधार पर बोर्ड और गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं पूर्णकालिक निदेशकों सहित बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2026 को आयोजित एक अलग बैठक में किया गया.

इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड की समिति द्वारा किया जाता है। साथ ही, बैंक के गैर-सरकारी निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन वित्तीय सेवाएं विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निदेशक मंडल एवं उसकी उप-समितियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन मे. केपीएमजी द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी निदेशक मंडल मूल्यांकन संबंधी मार्गदर्शिका के आधार पर किया गया। निदेशक मंडल मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11.07.2025 को आयोजित बैठक में की गई।

निदेशक मंडल, उसकी उप-समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों का मूल्यांकन एक संरचित प्रश्नावली तथा केपीएमजी टीम के साथ व्यक्तिगत निदेशकों की अंत:क्रिया के माध्यम से किया गया, ताकि बैंक की समग्र कार्यप्रणाली के संबंध में उनके मूल्यवान विचार एवं सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

निदेशक मंडल एवं उसकी उप-समितियों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु तैयार की गई संरचित प्रश्नावली में उनकी संरचना एवं गठन, निदेशक मंडल की प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता, पर्यवेक्षण, जोखिम एवं स्वतंत्रता, दृष्टि एवं रणनीति, भूमिकाएँ एवं कार्य आदि पहलुओं को सम्मिलित किया गया था।

बैंक के निदेशकों ने निदेशक मंडल, उसकी उप-समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य-निष्पादन एवं प्रभावशीलता पर संतोष व्यक्त किया।

13.बोर्ड एवं इसकी उप- समितियां:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं इस हेतु आयोजित की गई बैठकें, जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, के अनुसार आवश्यकतानुसार बोर्ड एवं उप-समितियों का गठन किया जाता है.

14. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा वर्ष के दौरान की गई घोषणा

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस बात की पुष्टि करते हुए यह घोषित किया है सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनिमय 25 में वर्णित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करेंगे.

15. सचिवीय लेखा परीक्षा:

सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम (सेबी), 2015 के विनियम 24ए, अन्य लागू विधियों, यदि कोई हों, तथा सेबी द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों (उनमें समय-समय पर किए गए किसी वैधानिक संशोधन

अथवा पुन: अधिनियमन सहित) के अनुपालन में तथा बैंक की 18वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की पाँच वर्ष की अवधि के लिए मुंबई स्थित प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों की फर्म मे.रागिनी चोकसी एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या 92897) को बैंक का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियाँ तथा उन पर बैंक की प्रतिक्रिया अनुलग्नक-1 में सम्मिलित हैं।

16.आचार संहिता

कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम (सेबी), 2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन में, बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

17. प्रबंधकीय विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट:

सूचीबद्ध विनियमों की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण को वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनाने वाले एक अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है।

18. व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट:

व्यवसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट, जो कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34 के अंतर्गत निर्धारित है, इसके साथ संलग्न है तथा बैंक की वेबसाइट (www.centralbank.bank.in) पर भी उपलब्ध है.

19. लाभांश वितरण नीति:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार, बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है. नीति बैंक की वेबसाइट (www.centralbank.bank.in) पर उपलब्ध है.

20. निदेशकों के उत्तरदायित्व सम्बंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया गया है; समुचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ हानि का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके.

भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई है.

खातों को चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया गया है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से परिचालित हैं और सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गई है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से परिचालित है.

21. कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

बैंक का निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरश: अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर स्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है. बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

22. आभार:

बोर्ड ने बैंक के साथ अपने कार्यकाल के दौरान निवर्तमान निदेशकों द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण योगदान के प्रति अपनी गहरी सराहना व्यक्त की।

निदेशक मंडल शेयर धारकों, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बैंक संघ, ग्राहकों, निवेशकों, शेयर बाजर निवेशकों एवं अन्य शेयर धारकों के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है.

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 3 जून, 2026

[कल्याण कुमार]
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि हेतु

प्रपत्र सं. एमआर-3

प्रति,
सदस्यगण,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

हमारे द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा सुशासनात्मक कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षण किया गया. सचिवीय लेखापरीक्षण इस प्रकार से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट व्यवहार/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उपयुक्त आधार प्राप्त हो सके.

बैंक की बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों एवं फाइल किए गए रिटर्न्स तथा बैंक द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों का सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षण के दौरान बैंक एवं इसके अधिकारियों, एजेंट्स एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्न उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा बैंक के पास उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक, उस तरीके से और उसके बाद की रिपोर्टिंग के अधीन विद्यमान हैं.

हमने 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की लेखापरीक्षा अवधि के लिए बैंक द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों एवं फाइल किए गए रिटर्न्स तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

i. बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970;

ii. राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) की योजना, 1970;

iii. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एवं बैंकिंग विनियमन (कंपनियाँ) नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित);

iv. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998;

v. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम; (जहाँ तक लागू हो)

vi. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपविधियाँ;

vii. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश में प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियमन एवं दिशा-निर्देश निर्धारित हैं:

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015; ("सूचीबद्धता विनियम")

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियमन, 2011;

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2018;

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 – **(समीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2021;

जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीबद्धीकरण) विनियमन, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

एच) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुर्नखरीद) विनियमन, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

आई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा निधि) विनियमन, 2009;

जे) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993;

के) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एवं प्रतिभागी) विनियमन, 2018;

हमने बैंक तथा उसके अधिकारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विश्वास किया है, जिनमे बैंक पर लागू अन्य अधिनियमों, विधियों एवं विनियमों के अनुपालन हेतु बैंक द्वारा स्थापित प्रणालियों एवं तंत्रों की जानकारी प्रदान की गई है।

हमने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों/खंडों के अनुपालन की भी समीक्षा की है:

ए) द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक। **(लागू नहीं, क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित नहीं है)**

बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम")।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने सामान्यत: अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, तथापि निम्नलिखित अपवाद रहे हैं:

- दिनांक 31 मार्च, 2026 को बैंक के निदेशक मंडल में 09 निदेशक (जिनमें 04 कार्यपालक निदेशक, 02 नामित/गैर-कार्यकारी निदेशक तथा 03 गैर-कार्यकारी /स्वतंत्र/अंशधारक निदेशक शामिल थे) कार्यरत थे, जबकि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार निदेशक मंडल की निर्धारित संख्या 15 है।
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) (ए) के अनुसार कम-से-कम एक महिला निदेशक तथा एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थीं।
- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के अभाव में बैंक के निदेशक मंडल में 50% स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है (उपर्युक्त उल्लिखित अपवादों को छोड़कर)। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम, नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों के आयोजन हेतु समुचित सूचना दी जाती है। बैठक की कार्यसूची तथा कार्यसूची संबंधी विस्तृत टिप्पणियाँ कम-से-कम सात दिन पूर्व प्रेषित की जाती हैं तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची संबंधी विषयों पर अतिरिक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु एक उपयुक्त व्यवस्था विद्यमान है।

बहुमत का निर्णय मान्य होता है तथा असहमति रखने वाले सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलिखित एवं दर्ज किया जाता है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के आकार एवं परिचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं, जो लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा उसे सुनिश्चित करने के लिए सक्षम हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक में निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएँ अथवा कार्यवाहियाँ हुईं, जिनका उपर्युक्त उल्लिखित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन के संदर्भ में बैंक के कार्यकलापों पर प्रभाव पड़ सकता है:

1. बैंक ने निर्गम की तिथि से 62 माह पूर्ण होने पर कॉल विकल्प का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.05.2025 को ₹500 करोड़ के बेसल-III अनुरूप टियर-II बॉण्ड का मोचन किया।
2. बैंक ने दिनांक 16 जुलाई, 2025 को आयोजित 18वीं वार्षिक आम बैठक में अपने अंशधारकों से क्यूआईपी निर्गम/एफपीओ निर्गम/अधिमान्य निर्गम/अधिकार निर्गम के माध्यम से ₹5,000 करोड़ तक की इक्विटी पूंजी एकत्रीकरण की स्वीकृति प्राप्त की।
3. दिनांक 16 जुलाई, 2025 को आयोजित 18वीं वार्षिक आम बैठक में बैंक के अंशधारकों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹0.1875 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश को अनुमोदित किया।
4. बैंक के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के ₹10 अंकित मूल्य वाले प्रति शेयर पर कुल ₹1.20 (12%) के चार अंतरिम लाभांश घोषित किए।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1. भारत सरकार द्वारा श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 11 अप्रैल, 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया गया।
2. भारत सरकार द्वारा श्री बलदेव पुरुषार्थ को बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में दिनांक 24 जुलाई, 2025 से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया गया।
3. श्री हार्दिक मुकेश सेठ दिनांक 24 जुलाई, 2025 से बैंक के सरकार नामित निदेशक नहीं हैं।

4. श्री मटम वेंकट राव सेवानिवृत्ति उपरांत दिनांक 31 जुलाई, 2025 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नहीं हैं।

5. श्री विवेक वाही अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति उपरांत दिनांक 30 सितंबर, 2025 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर नहीं हैं।

6. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एम. वी. मुरली कृष्णा का कार्यकाल, जो 30 अक्टूबर, 2025 को समाप्त हुआ था, दिनांक 31 जुलाई, 2027 तक अथवा आगामी आदेशों तक, बढ़ाया गया।

7. भारत सरकार द्वारा श्री कल्याण कुमार को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दिनांक 30 सितंबर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

8. भारत सरकार द्वारा श्री ई. रतन कुमार को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में दिनांक 24 नवंबर, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
कंपनी सचिव
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर.92897

हस्ताक्षरित
(रागिनी चोकशी)
(साझेदार)
एम. सं.: 2390
सीओपी नं.1436
यूडीआईएन: F002390H000572355
पीआर नं.: 4166/2023

दिनांक: 03-06-2026
स्थान: मुंबई

यह रिपोर्ट हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुलग्नक'ए' के रूप में संलग्न है तथा इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक"ए"

प्रति
सदस्यगण,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी समदिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रख-रखाव बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। इन सचिवीय अभिलेखों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की शुद्धता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रदर्शित हों। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ एवं पद्धतियाँ हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा-पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के घटित होने के संबंध में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।
5. निगमित तथा अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण-आधारित सत्यापन तक सीमित थी।
6. यह सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता का प्रमाण है।

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
कंपनी सचिव
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर.92897

हस्ताक्षरित
(रागिनी चोकशी)
(साझेदार)
एम. सं.: 2390
सीओपी नं.1436
यूडीआईएन: F002390H000572355
पीआर नं.: 4166/2023

दिनांक: 03-06-2026
स्थान: मुंबई

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियाँ तथा उन पर बैंक का प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :

क्र. सं.	टिप्पणियाँ/अवलोकन	बैंक का प्रत्युत्तर
1	31 मार्च, 2026 की स्थिति में बैंक के निदेशक मंडल में 09 निदेशक (जिनमें 04 कार्यपालक निदेशक, 02 नामित/गैर-कार्यकारी निदेशक तथा 03 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र/अंशधारक निदेशक शामिल हैं) थे, जबकि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार निदेशक मंडल की निर्धारित संख्या 15 है।	अंशधारक निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर, बैंक के निदेशक मंडल में रिक्त पदों पर निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग का है।
2	समीक्षा अवधि के दौरान सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ए) के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल में कम-से-कम एक महिला निदेशक तथा एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थीं।	बैंक ने सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु प्रशासनिक मंत्रालय से निदेशक मंडल में महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है।
3	समीक्षा अवधि के दौरान गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के अभाव में, सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल में 50% स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।	

निदेशकों के गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और पांचवी अनुसूची पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार)

प्रति
सदस्यगण
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
चंदरमुखी बिल्डिंग, नौवां तल,
नरीमन पॉइंट, मुम्बई- 400021, महाराष्ट्र

हमारे द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (जिसे इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसका केन्द्रीय कार्यालय चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021 में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियों और प्रकटीकरण की जाँच की गई है, यह जाँच बैंक द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-सी उप-खंड *(10)(i)* के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार, यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से की गई है।

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा बैंक तथा इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रदान किए गए सत्यापन (जिसमें आवश्यकतानुसार पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति शामिल है) और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए बैंक के बोर्ड में से कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक / कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने के लिए प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री कल्याण कुमार	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	09631251	30-09-2025
2.	श्री एम वी मुरली कृष्णा	कार्यपालक निदेशक	09021111	01-12-2022
3.	श्री महेन्द्र दोहरे	कार्यपालक निदेशक	09406117	09-10-2023
4.	श्री ई. रतन कुमार	कार्यपालक निदेशक	10686007	24-11-2025
5.	श्री बलदेव पुरुषार्थ	भारत सरकार नामित निदेशक	07570116	24-07-2025
6.	श्री मनोरंजन दास	भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक	लागू नहीं	12-12-2024
7.	श्री प्रियव्रत शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	06972771	08-05-2023
8.	श्री शारदा कुमार होता	अंशधारक निदेशक	07491088	17-07-2024
9.	श्री प्रदीप खिमानी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	लागू नहीं	11-04-2025

* श्री प्रियव्रत शर्मा, अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत, दिनांक 07.05.2026 से बैंक के निदेशक पद पर नहीं हैं.
** श्री प्रदीप खिमानी, अपने 01 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत दिनांक 10.04.2026 से बैंक के निदेशक पद पर नहीं हैं.

टिप्पणी: बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार, बैंक के बोर्ड में निदेशकों के लिए डीआईएन (निदेशक पहचान संख्या) प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। इसलिए, जिन निदेशकों के पास कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी डीआईएन है, उनके लिए डीआईएन का उल्लेख किया गया है, और जिन निदेशकों के पास डीआईएन नहीं है, उनके लिए 'लागू नहीं' का उल्लेख किया गया है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए उनकी पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करना है।

यह प्रमाण पत्र बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है और न ही यह प्रबंधन द्वारा बैंक के मामलों के संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का है.

कृते **रागिनी चोकशी एंड कंपनी**
कंपनी सचिव
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर.92897

हस्ताक्षरित
(रागिनी चोकशी)
(साझेदार)
एम. सं.: 2390
सीओपी नं.1436
यूडीआईएन: F002390H000572377
पीएन नं.: 4166/2023

दिनांक: 03-06-2026
स्थान: मुम्बई

प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था का अवलोकन: अनिश्चितताओं के मध्य अनुकूलन एवं प्रत्यास्थता

समीक्षाधीन अवधि के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अपेक्षाकृत धीमी, किंतु स्थिर वृद्धि का प्रदर्शन किया। यद्यपि मुद्रास्फीति पूर्व के उच्च स्तरों से सामान्य स्तर पर वापस आई तथा अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बाज़ार की स्थितियाँ सामान्य होने लगीं, फिर भी व्यापारिक व्यवधानों, नीतिगत अनिश्चितताओं तथा निरंतर भू-राजनीतिक तनावों ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप, वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी लेकिन सतत वृद्धि देखी गई, जहाँ पूंजी प्रवाह और कमोडिटी बाज़ार वैश्विक जोखिम लेने की प्रवृत्ति में होने वाले बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बने रहे।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी थी, जहाँ उसे बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच स्वयं को अनुकूलित करने और अपनी अंतर्निहित प्रत्यास्थता का परीक्षण करने की आवश्यकता थी। वर्ष 2025 के प्रारंभ में जहाँ "सॉफ्ट लैंडिंग" की संभावनाएँ प्रबल दिखाई दे रही थीं, वहीं बाद में बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों, व्यापारिक तनावों में तीव्र वृद्धि तथा मध्य-पूर्व क्षेत्र में उभरे संघर्षों ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को जटिल बना दिया। वर्ष 2026 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 2.6% से 2.9% के बीच रहने का अनुमान है, जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है जो वृद्धि तो कर रही है, किंतु विभिन्न क्षेत्रों में असमान और अस्थिर परिस्थितियों का सामना कर रही है।

बैंक के अनुसंधान दस्तावेज़ में उद्धृत नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार, वर्ष 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि की गति वर्ष की शुरुआत में किए गए अनुमानों की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी रहने की संभावना है। इस मंदी का प्रमुख कारण नए टैरिफ उपायों का लागू होना, जवाबी व्यापारिक कार्रवाइयाँ तथा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ी हुई अनिश्चितता को माना जा रहा है। इसके बावजूद, मुद्रास्फीति में कमी, परिस्थितियों के अनुरूप नीतिगत हस्तक्षेप तथा सेवा एवं प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों में निरंतर गतिविधियों के बल पर वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय प्रत्यास्थता प्रदर्शित की है। निकट अवधि का आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है, हालांकि वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों तथा निवेश भावना में संभावित कमजोरी से जुड़े जोखिमों के प्रति सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है।

वर्ष 2026 की शुरुआत की एक प्रमुख विशेषता वैश्विक व्यापारिक संबंधों में कमजोरी रही। 1930 के दशक के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर लगाए गए टैरिफों ने नीतिगत अनिश्चितता को बढ़ाया, जिससे वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता और जोखिम की भावना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इसके बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रत्यास्थता प्रदर्शित की, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में बढ़ते निवेश के माध्यम से। वर्ष 2025 में एआई-संबंधित पूंजीगत व्यय 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा, जिसने विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने तथा व्यापारिक व्यवधानों के प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, वैश्विक वृद्धि दर का वर्ष 2024 के 3.3% से घटकर वर्ष 2025 में 2.8% रहने का अनुमान है तथा वर्ष 2026 में भी इसके लगभग इसी स्तर पर बने रहने की संभावना है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर उभरते बाज़ारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की तुलना में अपेक्षाकृत कम रहने की उम्मीद है, जबकि ईएमडीई समूह वैश्विक वृद्धि का प्रमुख चालक बना रहेगा।

चित्र 1: वैश्विक वृद्धि, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि तथा ईएमडीई मेन वृद्धि का ट्रेंड (2024–2026)

वर्ष	वैश्विक वृद्धि (%)	विकसित अर्थव्यवस्था में वृद्धि (%)	ईएमडीई में वृद्धि (%)
2024	3.3	1.8	4.3
2025	2.8	1.4	3.7
2026	2.8	1.5	4.0

Source: IMF World Economic Outlook

विकसित अर्थव्यवस्थाएँ

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की गति अपेक्षाकृत मध्यम रहने का अनुमान है, जिसका प्रमुख कारण कुछ प्रमुख बाज़ारों में कमजोर उपभोक्ता मांग तथा अन्य क्षेत्रों में अभी भी प्रतिबंधात्मक वित्तीय परिस्थितियाँ हैं। अमेरिका का प्रदर्शन अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर बना हुआ है, यद्यपि वहाँ भी आर्थिक गतिविधियों में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ नरमी देखी गई है। यूरोप में रिकवरी मिली-जुली है और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में विनिर्माण की स्थिति अभी भी सुस्त बनी हुई है। जापान में भी मामूली ग्रोथ की उम्मीद है।

इन अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबावों में कमी आने से नीतिगत समर्थन की कुछ गुंजाइश बनी है, तथापि केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

केंद्रीय बैंकों के लिए, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, शुल्कों के मुद्रास्फीतिक प्रभाव चिंता का एक प्रमुख विषय बना हुआ है, क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं ने इन अतिरिक्त लागतों को वहन करने की सीमित क्षमता दिखाई दी है। विशेषत: स्टिकी मुद्रास्फीति सेवाओं एवं आवास क्षेत्र में विद्यमान आर्थिक वृद्धि में मंदी के बावजूद, केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति में आक्रामक नरमी बरतने की क्षमता को सीमित करती है। इसके

परिणामस्वरूप अनेक बाजारों में वित्तीय परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत सख्त बनी हुई हैं तथा सतर्क नीतिगत रुख भी बना हुआ है।

विकासोन्मुख बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ

विकासोन्मुख बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तीव्र गति से आगे बढ़ते रहने की अपेक्षा है, यद्यपि उनकी वृद्धि अब पूर्ववर्ती चक्रों की भाँति समान रूप से व्यापक नहीं रही है। वर्ष 2026 में ईएमडीई की वृद्धि दर औसतन 4.0% रहने का अनुमान है, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर होगी, किन्तु महामारी-पूर्व औसत से अभी भी कम है। यह समूह अब भी प्रत्यास्थता का परिचय दे रहा है, जिसे बेहतर नीतिगत ढाँचों तथा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सुदृढ़ घरेलू मांग का समर्थन प्राप्त है।

हालाँकि, अब एक तीव्र असमानता उभरती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ लगभग 90% उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ अब महामारी-पूर्व प्रति व्यक्ति आय स्तर से ऊपर पहुँच चुकी हैं, वहीं ईएमडीई में एक-चौथाई से अधिक अर्थव्यवस्थाएँ अभी भी 2019 की तुलना में अधिक कमजोर बनी हुई हैं। भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक सशक्त प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, जबकि चीन अभी भी कमजोर रियल इस्टेट गतिविधियों तथा बाह्य व्यापार संबंधी दबावों का सामना कर रहा है। वर्ष 2026 में चीन की वृद्धि दर 4.4% तक मंद पड़ने का अनुमान है, जिस पर रियल इस्टेट में दीर्घकालिक मंदी, उच्च ऋण स्तर तथा व्यापक विनिर्माण शुल्कों के प्रभाव का दबाव रहेगा।

व्यापक परिप्रेक्ष्य में विकासोन्मुख बाजारों के संदर्भ में, अमेरिकी डॉलर की दिशा, वैश्विक प्रतिफल दरें तथा वस्तु मूल्यों की प्रवृत्ति पूंजी प्रवाह, घरेलू तरलता परिस्थितियों और बाह्य संतुलन की स्थिरता के महत्वपूर्ण निर्धारक बने रहेंगे। अनेक बड़ी ईएमडीई को वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में अमेरिकी डॉलर के अवमूल्यन से लाभ मिला, जिससे स्थानीय मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत बॉन्डों पर प्रतिफल में सुधार हुआ तथा विनिमय दर पर तत्काल दबाव के बिना व्यापारिक प्रतिकूलताओं का सामना करने हेतु नीतिगत प्रतिक्रिया के लिए कुछ अतिरिक्त गुंजाइश प्राप्त हुई।

भूराजनीतिक संकट एवं वैश्विक युद्धों का प्रभाव

वर्ष 2026 में भूराजनीतिक जोखिम वैश्विक वित्तीय स्थिरता के समक्ष प्रमुख खतरे के रूप में उभरकर सामने आया। रूसी संघ द्वारा यूक्रेन पर लंबे समय से जारी आक्रमण ने यूरोप और मध्य एशिया में वस्तु बाजारों तथा ऊर्जा सुरक्षा को निरंतर प्रभावित किया। ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों के कारण ऊर्जा संक्रमण की लागत उच्च बनी रही तथा आपूर्ति की प्रत्यास्थी क्षमता सीमित हुई, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय प्रभाव वाले देशों की आर्थिक वृद्धि में मंदी देखने को मिली।

इसी के साथ, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इज़राइल से जुड़ा संघर्ष वर्ष 2026 के प्रारम्भ में एक अत्यंत निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया। जहाँ इससे पूर्व वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति में नरमी की प्रवृत्ति विद्यमान थी, वहीं इस संघर्ष के परिणामस्वरूप कच्चे तेल एवं गैस की कीमतों में तीव्र उछाल आया, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा वैश्विक स्तर पर घरेलू मांग कमजोर हुई। इन घटनाओं ने न केवल भूराजनीतिक जोखिम को अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचा दिया, बल्कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में जोखिम ग्रहण करने की प्रवृत्ति के पुनर्मूल्यांकन को भी तीव्र रूप से प्रेरित किया।

इसके परिणामस्वरूप सुरक्षित निवेश परिसंपत्तियों की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसके चलते वर्ष 2026 के प्रारम्भ में सोने की कीमतें बढ़कर $ 3,500 प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गईं। सशस्त्र संघर्ष की तीव्रता में वृद्धि को अब एक नकारात्मक आपूर्ति आघात के रूप में देखा जा रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन लागत में वृद्धि करता है तथा समष्टिगत मांग पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में अवरोध एवं अस्थिर ऊर्जा–वस्तु मूल्य

वर्ष 2026 के प्रारम्भ का सर्वाधिक निर्णायक आर्थिक आघात हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से होने वाले माल-प्रेषण में उत्पन्न अवरोध के रूप में सामने आया। इस महत्वपूर्ण समुद्री संकरे मार्ग में व्यवधान के कारण ऊर्जा तथा उर्वरक मूल्यों में वैश्विक स्तर पर तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। चूँकि मध्य-पूर्व वैश्विक आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र है, इसलिए ऊर्जा अवसंरचना के बंद होने तथा क्षतिग्रस्त होने से ऊर्जा एवं अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं, विशेषकर उर्वरकों, की आपूर्ति प्रभावित हुई, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

ऊर्जा आयातक देशों के लिए यह अवरोध एक गंभीर आपूर्ति-आघात सिद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों में पुनरीक्षण करना पड़ा। अब जी-20 देशों में शीर्षक मुद्रास्फीति के वर्ष 2026 में पूर्वानुमानित स्तर की तुलना में 1.2 प्रतिशत अंक अधिक होकर 4.0% तक रहने का अनुमान है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, यदि ये व्यवधान बने रहते हैं, तो वस्तु व्यापार वृद्धि, जिसके वर्ष 2026 में पहले ही 1.9% तक धीमा पड़ने का अनुमान है, उसमें अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत अंक की और कमी आ सकती है।

बढ़ती हुई अनिश्चितता एवं अविश्वसनीयता के इस परिवेश ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के रूपांतरण की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक कंपनियाँ भूराजनीतिक अवरोध-बिंदुओं से उत्पन्न जोखिमों के विरुद्ध प्रत्यास्थता विकसित करने हेतु ऑनशोरिंग तथा नियरशोरिंग जैसी रणनीतियाँ अपना रही हैं।

वस्तु बाजार की गतिशीलता

ऊर्जा बाजारों में विद्यमान अस्थिरता अन्य वस्तु-वर्गों में भी परिलक्षित हुई। जहाँ एक ओर मांग में नरमी के कारण कच्चे तेल की कीमतें प्रारम्भिक रूप से घटकर $ 60 प्रति बैरल तक

आने का अनुमान लगाया गया था, वहीं जून 2025 तथा वर्ष 2026 के प्रारम्भ में भूराजनीतिक तनावों के पुन: उभार ने कीमतों पर उल्लेखनीय ऊर्ध्वमुखी दबाव उत्पन्न कर दिया। प्राकृतिक गैस बाजार भी संरचनात्मक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस की कीमतों में 11% वृद्धि का अनुमान है, क्योंकि अधिक मात्रा में गैस का निर्यात द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के रूप में किया जा रहा है। इसके विपरीत, यूरोप में गैस की कीमतों में लगभग समान परिमाण की गिरावट देखे जाने की संभावना है, क्योंकि पाइपलाइन आधारित रूसी गैस पर निर्भरता में कमी के पश्चात वैश्विक स्तर पर एलएनजी की उपलब्धता बढ़ने से उसे लाभ मिल रहा है।

खाद्य मूल्यों के संरचनात्मक रूप से उच्च बने रहने का अनुमान है, क्योंकि मध्य-पूर्व संघर्ष से जुड़ी उर्वरक कीमतों में वृद्धि कृषि उत्पादकों के उत्पादन व्यय को बढ़ा रही है। हरित ऊर्जा संक्रमण से उत्पन्न मजबूत मांग के कारण औद्योगिक धातुओं के मूल्यों को सहारा मिल रहा है, जिससे विनिर्माण गतिविधियों की सुस्त वृद्धि के प्रभाव का आंशिक संतुलन हो रहा है। बढ़ती लागतों और परिवर्तित होती आपूर्ति श्रृंखलाओं के इस जटिल अंत:संबंध ने व्यवसायों तथा बैंकों दोनों के लिए वित्तीय सुदृढ़ता एवं लागत अनुशासन के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है।

वैश्विक व्यापार एवं मौद्रिक नीति

वैश्विक व्यापार प्रणाली पिछले कई दशकों के अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यवधान के दौर से गुजर रही है। प्रमुख पारस्परिक शुल्कों की शुरुआत के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की औसत प्रभावी शुल्क दर बढ़कर लगभग 17% तक पहुँच गई। इससे तनाव-वृद्धि का एक नया चक्र प्रारम्भ हुआ, जिसके तहत अमेरिका–चीन के बीच अधिकांश व्यापार गलियारों पर लगाए गए शुल्क अत्यंत उच्च स्तर तक पहुँच गए।

व्यापार नीति के इस निर्णायक मोड़ के कारण आयातों में उल्लेखनीय अग्रिम वृद्धि देखी गई, क्योंकि कंपनियाँ शुल्क लागू होने से पहले वस्तुओं का भंडारण करने के लिए तेजी से जुट गईं। वर्ष 2026 में इस अग्रिम आयात प्रभाव के कम होने के साथ, वैश्विक व्यापार वृद्धि के उल्लेखनीय रूप से घटकर 2.2% तक रहने का अनुमान है। व्यापारिक तनाव, शुल्कों से संबंधित नई कार्रवाइयाँ तथा प्रतिशोधात्मक उपाय वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अब भी प्रमुख जोखिम बने हुए हैं, विशेषकर इसलिए क्योंकि इनका मुद्रास्फीति, निवेश धारणा तथा वित्तीय बाजारों की अस्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था प्रत्यास्थता एवं संरचनात्मक गति संवर्धन:

असमान वैश्विक परिदृश्य के बाबजूद, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी प्रत्यास्थता निरंतर प्रदर्शित करना जारी रखा। घरेलू मांग आर्थिक वृद्धि का प्रमुख आधार बनी रही, जिसे कृषि, निर्माण, वित्तीय सेवाओं तथा लोक प्रशासन से समर्थन प्राप्त हुआ। ग्रामीण मांग में सुदृढ़ता आई, मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय नरमी देखी गई, मौद्रिक परिस्थितियाँ अधिक सहायक हुईं, तथा मुद्रा एवं वैश्विक बाजारों में बीच-बीच में उत्पन्न अस्थिरता के बावजूद बाह्य क्षेत्रीय सुरक्षा कवच पर्याप्त रूप से मजबूत बना रहा.

वैश्विक संघर्षों और तनावपूर्ण परिस्थितियों के मध्य, भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता बना रहा तथा वित्तीय वर्ष 2026 में 6.4% से 6.6% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है। भारत ने वैश्विक व्यापारिक तनावों के प्रति उल्लेखनीय प्रत्यास्थता प्रदर्शित की, जिसे मजबूत घरेलू मांग तथा महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन का समर्थन प्राप्त हुआ।

जीडीपी वृद्धि

वैश्विक स्तर पर भारत की विकास दर सबसे मजबूत बनी रही। उपलब्ध व्यापक आर्थिक अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर लगभग मध्य-6% के स्तर पर रहने का अनुमान है, जिसे स्वस्थ घरेलू उपभोग, निरंतर सार्वजनिक निवेश, बेहतर कृषि उत्पादन और निरंतर सेवा गतिविधि का समर्थन प्राप्त है। अनुकूल मानसून स्थितियों के कारण कृषि ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि निर्माण और वित्तीय सेवाएं भी सहायक बनी रहीं।

पिछले वर्ष के उच्च आधार के कारण विनिर्माण विकास दर में कमी आई, लेकिन समग्र विकास प्रोफ़ाइल इतनी मजबूत रही कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि औद्योगिक गतिविधियों में काफी मजबूती आई, और वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में उद्योग जीवीए में 7.0% की वृद्धि हुई। विशेष रूप से, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण जीवीए में 9.13% की वृद्धि हुई।

इस गति को सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने 2025 के अंत तक ₹2.0 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया और 12.6 लाख से अधिक रोजगार सृजन किए। इसके अतिरिक्त, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने ₹1.60 लाख करोड़ के निवेश वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जिससे देश क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो गया।

मुद्रा स्फ़ीति

खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी, बेहतर कृषि उत्पादन और साल के अधिकांश समय कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के कारण, इस अवधि के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति में काफी कमी आई। मुख्य मुद्रास्फीति में कमी ने घरेलू क्रय शक्ति में सुधार किया और अधिक सहायक मौद्रिक रुख के लिए नीतिगत संभावना बनाई। इसके बावजूद, भू-राजनीतिक झटकों, सोने की अस्थिर कीमतों और बदलती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की दुनिया में मुख्य मुद्रास्फीति पर अभी भी नज़र रखने की आवश्यकता है।

भारत 2026 में ऊर्जा और वस्तुओं की कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल और कीमती धातुओं के बाज़ार में अस्थिरता के कारण वस्तु व्यापार घाटा बढ़ गया है। ऊर्जा और फर्टिलाइज़र की कीमतों पर फिर से बढ़ता दबाव भी महंगाई के अनुमानों और परिवारों की क्रय क्षमता के लिए एक बड़ा जोखिम बना हुआ है।

नीतिगत दरें और मौद्रिक स्थितियां

इस अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिक उदार नीतिगत रुख अपनाया, जिसमें लगातार रेपो दर में बदलाव और तरलता-सहायक उपाय किए गए, जिनका उद्देश्य मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर रखते हुए विकास को बनाए रखना था। बदलता ब्याज दर परिवेश निधि लागत और ऋण देने के अवसरों दोनों के माध्यम से बैंकों के लिए प्रासंगिक है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए, परिवेश ने व्यवसाय विस्तार का समर्थन किया, हालांकि इसके लिए मार्जिन, देनदारी मिश्रण और मूल्य निर्धारण अनुशासन पर निरंतर सतर्कता की भी आवश्यकता थी।

औद्योगिक उत्पादन

औद्योगिक उत्पादन सकारात्मक बना रहा लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कमी आई। मजबूती के अधिक सतत स्रोत घरेलू बुनियादी ढांचे, सेवा गतिविधियों और चुनिंदा उपभोक्ता मांग से जुड़े क्षेत्रों से आए। औद्योगिक गति सभी श्रेणियों में समान नहीं थी, जो बैंक ऋण पोर्टफोलियो में क्षेत्र-विशिष्ट जोखिम की बारीकी से निगरानी और सुनियोजित ऋण वितरण की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

उसी समय, भारत की औद्योगिक गति को नीति-आधारित निवेश, विनिर्माण क्षेत्र के प्रोत्साहन और आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीकरण के अवसरों से समर्थन मिला। इन कारकों ने एक ऐसे परिवेश का निर्माण करने में सहायता की जिसमें भारत, बाहरी व्यापार व्यवधानों के बावजूद, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन के लाभार्थी के रूप में स्वयं को स्थापित करना जारी रख सकता था।

मुद्रा विनिमय दर

भारतीय रुपया वृहद तौर पर प्रत्यस्थी बना रहा, लेकिन वैश्विक जोखिम-मुक्त घटनाओं, वस्तुओं की कीमतों में हलचल और अमेरिकी दरों के दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशील रहा। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और अपेक्षाकृत नियंत्रित बाहरी ऋण स्थिति ने महत्वपूर्ण स्थिरता प्रदान की। लगभग 696.65 अरब अमेरिकी डॉलर का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और 18% के कम बाहरी ऋण-से-जीडीपी अनुपात ने एक महत्वपूर्ण बफर प्रदान किया।

इसके बाबजूद, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आयातित मुद्रास्फीति, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता और वित्तीय बाजारों में जोखिम धारणा पर बना रहा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों के परिदृश्य और विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह में उलटफेर के जोखिम के प्रति अर्थव्यवस्था संवेदनशील बनी हुई है।

व्यापार एवं चालू खाता

भारत का वस्तु व्यापार घाटा ऊँचे स्तर पर बना रहा, यद्यपि सेवा निर्यातों ने संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेवा क्षेत्र की मजबूत वृद्धि, भारतीय क्षमताओं की निरंतर अंतरराष्ट्रीय मांग तथा बाह्य खातों की बेहतर सुदृढ़ता ने समष्टि आर्थिक स्थिरता को समर्थन प्रदान किया, हालांकि ऊर्जा की बढ़ती कीमतें तथा पुन: वैश्विक व्यवधानों के उभरने से जोखिम बना रहा।

ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि तथा बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में अस्थिरता के कारण वस्तु व्यापार घाटा और बढ़ गया। यदि कच्चे तेल की कीमतों पर पुन: दबाव बढ़ता है और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य 74 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना रहता है, तो चालू खाता घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 1.3 प्रतिशत तक पहुँच सकता है, जिससे रुपये की स्थिरता एवं मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह वैश्विक परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील बना रहा, किन्तु वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत के समावेशन तथा घरेलू बाजार की निरंतर बढ़ती गहराई ने ऋण निवेश प्रवाह को समर्थन प्रदान किया। यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रणालीगत तरलता तथा भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति से जुड़े व्यापक विश्वास, दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

साथ ही, वैश्विक व्यापार तनाव, वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों की स्थिति विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह में प्रतिकूल परिवर्तन ला सकती है। अत:, यद्यपि भारत की समष्टि आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है, फिर भी बाह्य बाजारों की अस्थिरता पर सतर्क निगरानी बनाए रखना आवश्यक है।

बैंकिंग उद्योग का परिदृश्य : सतर्क दृष्टिकोण एवं डिजिटल विस्तार

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2026 में अभूतपूर्व संस्थागत मजबूती के साथ प्रवेश किया है। इसने पिछले वित्तीय वर्ष की जटिल चुनौतियों का उल्लेखनीय प्रत्यास्थता के साथ सफलतापूर्वक सामना किया। यह मजबूती वित्त वर्ष 2025 में प्राप्त रिकॉर्ड वित्तीय प्रदर्शन पर आधारित है, जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1.78 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक संचयी लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है।

रिकॉर्ड लाभप्रदता के इस दौर को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के बहुवर्षीय निम्न स्तर ने और सुदृढ़ किया। पूरे बैंकिंग उद्योग का सकल एनपीए वित्त वर्ष 2025 के अंत तक

घटकर 2.7 प्रतिशत के 13-वर्षीय न्यूनतम स्तर पर आ गया। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए यह प्रवृत्ति और भी अधिक स्पष्ट रही, जहाँ सकल एनपीए में उल्लेखनीय गिरावट होकर यह 3.18 प्रतिशत पर आ गया, जबकि शुद्ध एनपीए सुधरकर 0.55 प्रतिशत के मजबूत स्तर पर पहुँच गया, जो 1 प्रतिशत की सीमा से काफी नीचे है।

जमा संसाधनों की प्रतिस्पर्धा एवं निधि लागत का प्रभावी प्रबंधन

मजबूत पूंजीगत आधार के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र वित्त वर्ष 2026 में सतर्क आशावाद की स्थिति का सामना कर रहा है। इसका मुख्य कारण निवेश लागत का प्रभावी प्रबंधन तथा विकास की गति को बनाए रखने की दोहरी चुनौती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में घटकर लगभग 11% रह गई, जो वर्ष 2021-22 के बाद का सबसे निम्न स्तर है। इसका प्रमुख कारण खुदरा ऋण में जोखिमों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपनाई गई समष्टि-सावधानीपूर्ण नीतियाँ रहीं। साथ ही, जमा संसाधनों का संकलन चुनौतीपूर्ण बना रहा तथा बैंकिंग उद्योग में जमा वृद्धि दर 10.6% पर सीमित रही।

बैंकिंग उद्योग वर्तमान में अपनी देयता संरचना में एक संरचनात्मक परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। मार्च 2025 तक, कम लागत वाले कासा जमा (चालू एवं बचत खाता जमा) का हिस्सा घटकर 29.1% रह गया, क्योंकि जमाकर्ताओं ने अधिक प्रतिफल देने वाली सावधि जमाओं की ओर रुख किया। वर्तमान में लगभग 72.7% सावधि जमाओं पर 7% से अधिक ब्याज दर प्रदान की जा रही है। संसाधनों को आकर्षित करने के लिए बढ़ती यह प्रतिस्पर्धा बैंकों के लिए अपनी रणनीतियों में परिवर्तन तथा संसाधनों के अधिक कुशल एवं प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, जिसने 17.02% की सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता अनुपात दर्ज की है, उच्च लागत वाली जमा व्यवस्था के वर्तमान परिवेश में मार्जिन, आस्ति-देयता प्रबंधन तथा ऋण वृद्धि के अवसरों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन आवश्यक है। बदलता हुआ ब्याज दर परिवेश व्यापार विस्तार को समर्थन प्रदान करता है, किन्तु साथ ही निवेश लागत एवं लाभप्रदता पर निरंतर सतर्कता बनाए रखने की भी आवश्यकता है।

सतर्कतापूर्ण परिदृश्य : भू-राजनीतिक एवं वस्तु-बाज़ार संबंधी जोखिम

वित्त वर्ष 2027 का परिदृश्य वैश्विक अनिश्चितताओं में वृद्धि के कारण अत्यधिक सावधानीपूर्ण बना हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध तथा ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल से जुड़े मध्य-पूर्वी संघर्षों के पुन: तीव्र होने से आपूर्ति श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के लंबे समय तक अवरुद्ध रहने की संभावना वैश्विक ऊर्जा एवं उर्वरक कीमतों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती है, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है और समग्र मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए ये घटनाएँ कई प्रकार के संचरण जोखिम उत्पन्न करती हैं। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों पर पुन: बढ़ते दबाव से चालू खाता घाटा बढ़ सकता है और रुपये की स्थिरता तथा मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएँ प्रभावित हो सकती हैं। मुद्रा विनिमय दरों में अस्थिरता भी एक प्रमुख जोखिम बनी हुई है, क्योंकि भारतीय रुपया संयुक्त राज्य अमेरिका में लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों की स्थिति तथा वैश्विक व्यापार तनावों के प्रति संवेदनशील है। इसके परिणामस्वरूप विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह में प्रतिकूल परिवर्तन हो सकता है। व्यापार संबंधी व्यवधान भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं, विशेष रूप से तब जब भू-राजनीतिक चुनौतियाँ निर्यात ऋण तथा क्षेत्रीय व्यापार गलियारों को प्रभावित करती हैं।

भूराजनैतिक परिवर्तनों का प्रभाव निर्यात ऋण पर पहले से ही परिलक्षित होने लगा है, जैसा कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निर्यात ऋण पोर्टफोलियो में देखा गया है, जहाँ प्रमुख निर्यातक ग्राहकों द्वारा चूक का एक कारण क्षेत्रीय व्यापार गलियारों में उत्पन्न व्यवधान रहा। यह स्थिति बैंकों के लिए इस आवश्यकता को रेखांकित करती है कि वे क्षेत्रवार जोखिम, उधारकर्ताओं की संवेदनशीलताओं तथा बाह्य बाजार संबंधी व्यवधानों की निरंतर निगरानी करते हुए अपनी कार्यप्रणाली को प्रत्यास्थी एवं सतर्क बनाए रखें।

डिजिटल विस्तार, वित्तीय सुदृढ़ता एवं समावेशी विकास

यद्यपि बैंकिंग क्षेत्र को बाह्य अस्थिरता के प्रति प्रत्यास्थी एवं त्वरित प्रतिक्रियाशील बने रहना आवश्यक है, फिर भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मूलभूत सुदृढ़ता, जो उच्च पूंजी पर्याप्तता, मजबूत तरलता भंडार तथा रिकॉर्ड निम्न एनपीए से परिलक्षित होती है, घरेलू अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय स्थिरता प्रदान करती है। अनुशासित वित्तीय प्रबंधन, मजबूत पूंजीगत स्थिति तथा निरंतर डिजिटल परिवर्तन का समन्वय भारतीय बैंकों को अनिश्चितताओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए एक अनुकूल स्थिति में स्थापित करता है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, वर्तमान परिचालन परिवेश में चुनौतियाँ और अवसर दोनों विद्यमान हैं। बैंक की बेहतर होती आस्ति गुणवत्ता, मजबूत पूंजी आधार तथा भारत की घरेलू विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी की क्षमता एक स्थायी और सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। साथ ही, जमा संसाधनों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा, निधि लागत पर दबाव, मुद्रा विनिमय दरों में अस्थिरता, वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा बाह्य व्यापार में व्यवधान जैसी चुनौतियाँ विकास के लिए एक संतुलित एवं विवेकपूर्ण रणनीति अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

अनुशासित वित्तीय सुदृढ़ता को डिजिटल अवसंरचना के तीव्र विस्तार के साथ जोड़ते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया वित्त वर्ष 2027 के दौरान वैश्विक चुनौतियों को समावेशी विकास के अवसरों में परिवर्तित करने के लिए सुदृढ़ एवं सक्षम स्थिति में है।

3. बैंकिंग क्षेत्र का अवलोकन

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में उल्लेखनीय रूप से बेहतर वित्तीय स्थिति के साथ प्रवेश किया। इसकी प्रमुख विशेषताओं में आस्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार, मजबूत पूंजी पर्याप्तता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निरंतर लाभप्रदता तथा डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग शामिल हैं। पूर्ववर्ती अवधि में रिकॉर्ड लाभप्रदता और गैर-निष्पादित आस्तियों के बहुवर्षीय न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के बाद, इस क्षेत्र ने व्यापार विस्तार को समर्थन देने हेतु और अधिक सुदृढ़ आधार के साथ नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत की।

साथ ही, परिचालन परिवेश पहले की अपेक्षा अधिक प्रतिस्पर्धी एवं जटिल हो गया। बैंकिंग प्रणाली के समक्ष ऋण वृद्धि की गति बनाए रखने के साथ-साथ मूल्य निर्धारण में अनुशासन, विवेकपूर्ण जोखिम चयन तथा देयता प्रबंधन के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती रही। जमा संसाधनों का संकलन प्रतिस्पर्धी बना रहा, क्योंकि ग्राहक अधिक प्रतिफल देने वाली सावधि जमाओं को प्राथमिकता देने लगे। इसके परिणामस्वरूप कासा (CASA) अनुपात तथा वित्तपोषण लागत पर दबाव बना रहा। इन परिस्थितियों के बावजूद, वित्त वर्ष 2025-26 ऐसा वर्ष बनकर उभरा जिसमें बैंकिंग क्षेत्र ने अपनी मूलभूत स्थिरता को निरंतर ऋण वृद्धि तथा परिचालनात्मक प्रत्यास्थता में परिवर्तित किया, जबकि वैश्विक परिवेश अस्थिर बना रहा।

"व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" के रूप में नामित इस अवधि में बैंकिंग क्षेत्र ने तुलन-पत्र के पुनर्संतुलन से आगे बढ़कर संतुलित एवं विवेकपूर्ण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। विशेष रूप से, खुदरा बैंकिंग, कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्द्योग तथा चुनिंदा कॉर्पोरेट क्षेत्रों में ऋण की मांग निरंतर बनी रही। यह मांग मुख्यत: अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण, अवसंरचना विकास, आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों तथा उभरते उद्यमों की वित्तीय आवश्यकताओं से प्रेरित थी। वर्ष के प्रारंभिक चरण में बैंकिंग प्रणाली की वृद्धि दर में आई कुछ नरमी ने वितरण क्षमता, ऋण मूल्यांकन एवं स्वीकृति में अनुशासन, डिजिटल सशक्तीकरण तथा क्षेत्र-विशिष्ट रणनीति के महत्व को और अधिक रेखांकित किया।

3.1 ऋण वृद्धि

बैंकिंग प्रणाली की ऋण वृद्धि दर पिछले वर्ष के उच्च स्तरों की तुलना में कुछ धीमी हुई, तथापि यह समग्र रूप से स्वस्थ स्तर पर बनी रही। वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत बैंक ऋण वृद्धि में तीव्र मंदी के साथ हुई, जो जून तिमाही में घटकर 9.49 प्रतिशत रह गई। यह मार्च 2022 के बाद का सबसे निम्न स्तर था। प्रारंभिक चरण की यह मंदी विशेष रूप से कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट थी, जबकि व्यक्तिगत ऋण की तुलना में इन क्षेत्रों में गिरावट अपेक्षाकृत अधिक रही।

हालांकि, जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ा, ऋण वृद्धि में मजबूत पुनरुद्धार देखने को मिला। इस सुधार को प्रमुख क्षेत्रों में बनी हुई ऋण मांग, वैश्विक स्तर पर ऊँची ब्याज दरों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण भारतीय कंपनियों द्वारा स्थानीय वित्तपोषण की ओर बढ़ते रुझान तथा खुदरा एवं रैम (खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई) क्षेत्रों में निरंतर गति से समर्थन मिला। विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के दौरान ऋण मांग में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, कृषि ऋण, व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण तथा स्वर्ण ऋण ने भी वृद्धि को निरंतर गति प्रदान की।

वर्ष के दौरान स्वर्ण ऋण सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक रहा। स्वर्ण की बढ़ती कीमतों ने परिवारों के बीच इस बहुमूल्य धातु के प्रति रुचि को पुनर्जीवित किया, जिसके परिणामस्वरूप स्वर्ण ऋण ऐसा एकमात्र क्षेत्र बन गया जिसने वर्ष के कई महीनों तक लगातार तीन अंकों की वृद्धि दर दर्ज की।

वर्ष के दौरान ऋण वृद्धि में आई पुनर्बहाली ने यह दर्शाया कि बैंकिंग क्षेत्र जोखिम चयन में सावधानी बरतते हुए भी भारत की घरेलू आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने में सक्षम है। वर्ष के प्रारंभिक चरण में प्रणाली स्तर पर देखी गई मंदी ने सुनियोजित विकास, सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन एवं स्वीकृति ढाँचे तथा उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रित ऋण रणनीतियों के महत्व को और अधिक रेखांकित किया।

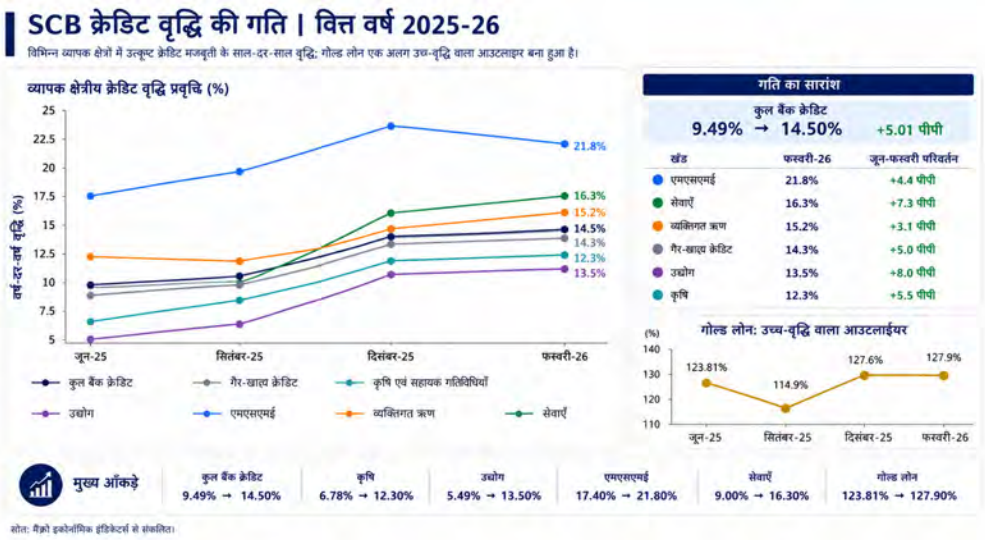

1 तालिका 1 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

3.2 जमा वृद्धि

जमा वृद्धि पूरे वर्ष सकारात्मक बनी रही, हालांकि प्रतिस्पर्धा भी काफी तीव्र रही। बैंकिंग क्षेत्र में जमाकर्ताओं ने अधिक प्रतिफल देने वाली सावधि जमाओं को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप कासा अनुपात तथा देयता लागत पर दबाव बना रहा। यह प्रवृत्ति बैंक के स्वयं के वित्त वर्ष 2026 के प्रदर्शन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जहाँ जमाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, किंतु उनकी वृद्धि दर अग्रिमों की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी रही। वहीं, कासा अनुपात में कुछ कमी आने के बावजूद, कासा जमाओं का कुल स्तर सुदृढ़ बना रहा।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान भारतीय परिवारों की वित्तीय संरचना में एक संरचनात्मक परिवर्तन देखा गया। यद्यपि कुल बैंक जमाओं ने प्रत्यास्थता प्रदर्शित की, फिर भी उन्हें अन्य वित्तीय साधनों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। पूर्ववर्ती अवधि में बैंक जमाओं में निवेशित घरेलू परिसंपत्तियों की वृद्धि दर 8.39% रही, जबकि म्यूचुअल फंड में यह 21.90% तथा पेंशन फंड में 23.10% दर्ज की गई। यह घरेलू बचत व्यवहार में व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें बाजार से जुड़े तथा दीर्घकालिक वित्तीय उत्पादों की ओर निवेश का रुझान बढ़ा है।

उद्योग में कम लागत वाली कासा जमाओं से अधिक प्रतिफल देने वाली सावधि जमाओं की ओर स्थानांतरण भी देखा गया। मार्च 2025 तक, 7% से अधिक ब्याज दर वाली सावधि जमाओं का हिस्सा बढ़कर 72.7% हो गया। इस संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जमाओं की लागत में वृद्धि हुई और बैंकों को देयता प्रबंधन, ग्राहक प्रतिधारण, सूक्ष्म स्तर पर जमा संसाधन जुटाने तथा मूल्य निर्धारण अनुशासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ा।

प्रणालीगत तरलता को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से नकद आरक्षित अनुपात में 100 आधार अंकों की कमी किए जाने से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹2.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता आने की संभावना व्यक्त की गई। इससे ऋण वितरण को सुगम बनाने में सहायता मिली। हालांकि, इस तरलता समर्थन के बावजूद, जमाओं के लिए प्रतिस्पर्धी वातावरण ने बैंकों के लिए यह आवश्यक बना दिया कि वे ग्राहक सहभागिता को सुदृढ़ करें, वितरण नेटवर्क का विस्तार करें तथा अपनी देयता संरचना की गुणवत्ता एवं स्थिरता में निरंतर सुधार करें।

3.3 आस्ति गुणवत्ता

उद्योग की आस्ति गुणवत्ता सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर बनी रही और सकल गैर-निष्पादित आस्तियों का अनुपात बहुवर्षीय न्यूनतम स्तर के आसपास बना रहा। इससे बैंकों को संतुलित विकास, डिजिटल सशक्तीकरण तथा परिचालन दक्षता पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। हालांकि, विशेषकर बाह्य अनिश्चितताओं और तीव्र गति से बढ़ते ऋण पोर्टफोलियो के वर्तमान परिवेश में, सुदृढ़ निगरानी की आवश्यकता यथावत बनी रही।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में निरंतर और उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला, जिसके परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो की गुणवत्ता बहुवर्षीय उच्च स्तर पर पहुँच गई। उद्योग स्तर पर सकल गैर-निष्पादित आस्ति अनुपात दिसंबर 2024 के 2.42 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2025 में 1.89 प्रतिशत पर आ गया। यह सुधार निम्नलिखित कारकों का परिणाम रहा,

क्षेत्रवार ऋण वितरण	जून -25 (%)	सितं-25 (%)	दिसं-25 (%)	फर-26 (%)
सकल बैंक ऋण	9.49	10.4	14.5	14.5
गैर-खाद्य ऋण	9.33	10.2	14.4	14.3
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	6.78	9.0	12.1	12.3
उद्योग	5.49	7.3	13.3	13.5
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग	17.4	19.7	23.4	21.8
व्यक्तिगत ऋण	12.11	11.7	14.4	15.2
सेवा क्षेत्र	9.00	10.2	15.3	16.3
स्वर्ण ऋण	123.81	114.9	127.6	127.9

***स्रोत:** समष्टि आर्थिक संकेतकों से संकलित*

ऋणों की बेहतर वसूली, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों में सुधार, तथा पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए तुलन-पत्र शुद्धिकरण के सकारात्मक प्रभाव।

बैंकिंग क्षेत्र ने मजबूत पूंजी बफर भी बनाए रखा। सितंबर 2025 तक, उद्योग का जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के सापेक्ष पूंजी अनुपात 17.2 प्रतिशत पर रहा, जबकि कॉमन इक्विटी टियर-1 अनुपात 14.8 प्रतिशत दर्ज किया गया। ये स्तर नियामकीय न्यूनतम आवश्यकताओं से पर्याप्त रूप से ऊपर बने रहे तथा संभावित चुनौतियों को सहन करते हुए ऋण विस्तार को समर्थन प्रदान करने की क्षमता से बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाए रखा।

आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार ने बैंकों को वृद्धि, ग्राहक अधिग्रहण, डिजिटल रूपांतरण तथा उत्पादकता संवर्धन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अतिरिक्त प्रत्यास्थता प्रदान की। तथापि, अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियाँ, वस्तु मूल्यों से जुड़े जोखिम, निर्यात

संबंधी व्यवधान तथा कुछ ऋण खंडों में तीव्र विस्तार की प्रवृत्ति निरंतर सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

3.4 लाभप्रदता

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस अवधि के दौरान बढ़ते प्रतिस्पर्धी, चयनित अवधियों में कोषागार से प्राप्त सहयोग, पूर्ववर्ती अवधियों की तुलना में कम ऋण लागत तथा बेहतर परिचालन अनुशासन के बल पर मजबूत लाभप्रदता बनाए रखी। क्षेत्र की लाभप्रदता को बेहतर आस्ति गुणवत्ता, वसूली के बेहतर परिणामों तथा प्रावधानों की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता से निरंतर समर्थन प्राप्त हुआ।

साथ ही, परिवर्तित ब्याज दरों और जमाओं के लिए बढ़ते प्रतिस्पर्धी वातावरण में, मार्जिन प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण बना रहा। यद्यपि मुख्य आय में कमी के कारण कुछ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ में वृद्धि की गति थोड़ी धीमी रही, तथापि कुल लाभ में गैर-ब्याज आय का योगदान बढ़ा। इससे आय के विविधीकृत स्रोतों, शुल्क-आधारित राजस्व, कोषागार की दक्षता तथा परिचालन उत्पादकता के बढ़ते महत्व का संकेत मिलता है।

बैंकों की लाभप्रदता की संभावनाएँ उनकी निधि लागत के प्रभावी प्रबंधन, स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने, खुदरा एवं विविधीकृत ऋण वितरण का विस्तार करने, डिजिटल माध्यमों को और सुदृढ़ बनाने तथा क्रॉस-सेलिंग के अवसरों को बढ़ाने की क्षमता से निकटता से जुड़ी हुई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में, सुदृढ़ पूंजी स्थिति, बेहतर लाभप्रदता तथा उन्नत आस्ति गुणवत्ता का संयोजन निरंतर व्यावसायिक वृद्धि के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

3.5 प्रौद्योगिकीय उन्नयन एवं डिजिटल विश्वास

बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण परिचालनात्मक स्फुर्ति एवं दक्षता का एक प्रमुख साधन रहा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने डिजिटल माध्यमों को व्यापक रूप से अपनाया, साथ ही विश्लेषण, प्रक्रिया स्वचालन, जोखिम निगरानी तथा ग्राहक सहभागिता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के उपयोग को निरंतर बढ़ावा दिया।

डिजिटल बैंकिंग को तीव्रता से अपनाए जाने से बैंकों को सेवा प्रदायगी में सुधार करने, पहुँच का विस्तार करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा विभिन्न ग्राहक वर्गों में ग्राहक अधिग्रहण को समर्थन देने में सहायता मिली है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने अधिक प्रभावी ऑनबोर्डिंग, त्वरित प्रसंस्करण तथा डेटा-आधारित बेहतर निर्णय-निर्माण के माध्यम से खुदरा, एमएसएमई एवं ग्रामीण ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने की बैंकों की क्षमता को भी सुदृढ़ किया है।

साथ ही, डिजिटल लेन-देन के बढ़ते पैमाने ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल विश्वास के महत्व को और बढ़ा दिया है। उन्नत एवं जटिल साइबर खतरों का सामना करने के लिए बैंकों ने अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा उपकरणों की खरीद तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी लाई। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उद्योगगत पहल के रूप में मौजूदा डोमेन को ".bank.in" डोमेन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिससे डिजिटल विश्वास को सुदृढ़ करने तथा नियामकीय सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता मिली। यह बैंकिंग क्षेत्र की इस बढ़ती समझ को दर्शाता है कि डिजिटल विस्तार के साथ-साथ सुदृढ़ प्रतिभूति संरचना, ग्राहक संरक्षण और परिचालनात्मक प्रत्यास्थता भी अनिवार्य है।

3.6 संभावित जोखिम एवं स्थिरता परिदृश्य

क्षेत्र की समग्र सुदृढ़ता के बावजूद, वित्तीय स्थिरता से जुड़े कुछ निकटवर्ती जोखिमों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। भू-राजनीतिक घटनाक्रमों तथा वैश्विक व्यवधानों से ऊर्जा उपलब्धता, वस्तुओं की कीमतों, आयातित मुद्रास्फीति तथा घरेलू मांग पर जोखिम बना रहा। अमेरिका–ईरान तनाव सहित जारी संघर्षों ने ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान तथा मुद्रास्फीति के दबावों के पुन: उभरने की आशंकाओं को बढ़ाया।

वित्तीय बाजारों में अस्थिरता भी एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक बनी रही। वैश्विक ट्रेज़री प्रतिफलों में उतार-चढ़ाव तथा विदेशी मुद्रा बाजारों में अस्थिरता को ऐसे कारकों के रूप में चिन्हित किया गया, जो गैर-मुख्य आय, निवेशक प्रवाह तथा बाजार धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। पारस्परिक शुल्क तथा व्यापारिक गतिविधियों में मंदी को भी व्यापार संतुलन और चालू खाते के घाटे के लिए प्रमुख जोखिमों के रूप में उल्लेखित किया गया।

बैंकों के लिए इन जोखिमों का प्रभाव ऋण मांग, उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह, निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों, कोषागार कार्यनिष्पादन, तरलता की स्थिति तथा आस्ति गुणवत्ता पर पड़ सकता है। अत: यद्यपि बैंकिंग क्षेत्र पूर्ववर्ती अवधियों की तुलना में अधिक सुदृढ़ पूंजीयुक्त और प्रत्यास्थी है, फिर भी बाह्य जोखिमों की निरंतर निगरानी अत्यंत आवश्यक बनी हुई है।

3.7 वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उद्योग परिदृश्य

मजबूत आधारभूत कारकों के समर्थन से बैंकिंग उद्योग की संभावनाएँ सतर्क आशावाद को प्रतिबिंबित करती हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में बैंकिंग क्षेत्र बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता, मजबूत लाभप्रदता तथा निरंतर विस्तारित हो रही डिजिटल क्षमताओं के साथ प्रवेश कर रहा है। ये सुदृढ़ताएँ बैंकों को जोखिमों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करते हुए भारत की विकास आकांक्षाओं को समर्थन प्रदान करने की स्थिति में रखती हैं।

आगामी वर्ष में सफलता संस्थाओं की इस क्षमता पर निर्भर करेगी कि वे अपनी सुदृढ़ पूंजी स्थिति और बेहतर आस्ति गुणवत्ता का उपयोग करते हुए विकसित होते ऋण परिदृश्य का किस प्रकार प्रभावी ढंग से सामना करते हैं। उच्च जीडीपी वृद्धि के अनुमान, विशिष्ट ऋण खंडों के लिए जोखिम भार में कमी तथा नीतिगत दरों में कटौती के निरंतर प्रभाव के समर्थन से ऋण वृद्धि के सुदृढ़ बने रहने की अपेक्षा है।

साथ ही, जमा संसाधन जुटाना, मार्जिन संरक्षण, साइबर सुरक्षा, ऋण अनुशासन तथा बाह्य व्यवधानों के प्रति जोखिम-प्रबंधन प्रमुख प्रबंधन प्राथमिकताएँ बनी रहेंगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में क्षेत्र का "व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" से परिकल्पित "व्यावसायिक उत्कृष्टता का वर्ष" की ओर रूपांतरण इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंक वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता, डिजिटल विस्तार के साथ विश्वास तथा लाभप्रदता के साथ विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन का कितना प्रभावी समन्वय कर पाते हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यनिष्पादन की प्रमुख उपलब्धियाँ

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 में में व्यावसायिक गति संवर्धन का मूल्यांकनीय कार्यनिष्पादन करते हुए रणनीतिक ढाँचे को बड़े पैमाने पर उच्च प्रभाव वाले परिणामों में बदलकर अपने हितधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण किया है। 'डिलिवरिंग आवर प्रॉमिस' की थीम के तहत, बैंक ने सफलतापूर्वक ₹8,00,000 करोड़ के कुल व्यवसाय के ऐतिहासिक कीर्तिमान को पार किया, अपनी आस्तियों पर प्रतिफल के अपने आकांक्षी लक्ष्य को हासिल किया तथा अपने रैम- खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई तथा कॉर्पोरेट व्यवसाय खंडों में उल्लेखनीय प्रगति दर्शायी। यह कार्यनिष्पादन स्थिरीकरण की अवधि से आगे बढ़ते हुए उच्च-स्तरीय निष्पादन क्षमता और वित्तीय सुदृढ़ता के एक नए युग की ओर बैंक की निर्णायक प्रगति को दर्शाता है।

प्रमुख वित्तीय एवं व्यावसायिक संकेतक

मापदंड	वित्त वर्ष 2026	वित्त वर्ष 2025	चेंज
कुल व्यवसाय (₹ करोड़)	8,12,439	7,02,798	15.60%
कुल जमा (₹ करोड़)	4,67,923	4,12,697	13.38%
सकल अग्रिम (₹ करोड़)	3,44,516	2,90,101	18.76%
कासा जमा (₹ करोड़)	2,20,781	2,01,173	9.75%
कासा अनुपात (%)	47.30	48.91	-161 bps
रैम व्यवसाय (खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई) (₹ करोड़)	2,34,571	1,94,082	20.86%
परिचालन लाभ (₹ करोड़)	8,479	8,124	4.37%
शुद्ध लाभ (₹ करोड़)	4,369	3,785	15.43%
शुद्ध ब्याज आय (₹ करोड़)	14,171	13,897	1.97%
आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.89	0.86	+3 bps
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	13.00	12.48	+52 bps
सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (%)	2.67	3.18	-51 bps
शुद्ध गैर-निष्पादित आस्तियाँ (%)	0.49	0.55	-6 bps
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	17.91	17.02	+89 bps
प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	95.97	96.54	-57 bps

4.1 कुल व्यवसाय में वृद्धि

दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बैंक का कुल व्यवसाय ऐतिहासिक ₹8,12,439 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के ₹7,02,798 करोड़ की तुलना में 15.60% की सुदृढ़ वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि बैंक के 14-15% के निर्धारित मार्गदर्शन से अधिक रही, जो बैंक की बढ़ती बाजार उपस्थिति तथा उसके आंतरिक रूपांतरण कार्यक्षेत्र की परिवर्तनकारी पहल की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है। इस पहल ने बैंक की 4,585 शाखाओं तथा 22,129 कुल संपर्क बिंदुओं के नेटवर्क में नवाचार और परिचालनात्मक स्फुर्ति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

4.2 अग्रिमों एवं ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि

सकल अग्रिमों में 18.76% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹3,44,516 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के ₹2,90,101 करोड़ की तुलना में काफी अधिक है।

- **खंडवार प्रगति:** विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें रैम (रैम—खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई) पोर्टफोलियो 20.86% बढ़कर ₹2,34,571 करोड़ तक पहुँच गया।
- **रैम पोर्टफोलियो का विवरण:** खुदरा अग्रिमों में 25.67% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹1,03,533 करोड़ तक पहुँच गया। कृषि अग्रिम 17.60% बढ़कर ₹61,687 करोड़ तथा एमएसएमई अग्रिम 17.06% की वृद्धि के साथ ₹69,351 करोड़ तक पहुँच गए।

- **कॉर्पोरेट ऋण**: ₹1,09,945 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया, जो कुल अग्रिम पोर्टफोलियो का 32% है।
- **दक्षता**: सीडी अनुपात सुधरकर 73.80% हो गया, जो ऋण वितरण की बेहतर दक्षता तथा ऋण स्वीकृति एवं जोखिम मूल्यांकन (अंडरराइटिंग) में बढ़े हुए विश्वास को दर्शाता है।

4.3 लाभप्रदता एवं वित्तीय सुदृढ़ता

बैंक ने वर्ष के दौरान ₹4,369 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 15.43% की वृद्धि को दर्शाता है। यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें 25.168% की संशोधित दर पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता के कारण उत्पन्न ₹632 करोड़ के एकमुश्त प्रभाव को भी समाहित किया गया है।

- **परिचालन लाभ**: 4.37% की वृद्धि के साथ ₹8,479 करोड़ तक पहुँच गया।
- **शुद्ध ब्याज आय**: बढ़कर ₹14,171 करोड़ हो गई। क्योंकि ब्याज दरों से संबंधित दवाबों के बावजूद बैंक ने उद्योग में सर्वाधिक शुद्ध ब्याज मार्जिन में से एक 3.07 % बनाए रखा।
- **प्रतिफल अनुपात**: बैंक ने अपने प्रमुख कार्यनिष्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया। आस्तियों पर प्रतिफल बढ़कर 0.89% हो गया (वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर 1.00% के स्तर को पार करते हुए), जबकि इक्विटी पर प्रतिफल 13.00% तक पहुँच गया।

4.4 आस्ति गुणवत्ता की सुदृढ़ता

सक्रिय निगरानी तथा वसूली प्रयासों को और सशक्त बनाए जाने के परिणामस्वरूप आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ और पोर्टफोलियो की गुणवत्ता कई वर्षों के सर्वोत्तम स्तर पर पहुँच गई।

- **एनपीए अनुपात**: सकल एनपीए अनुपात में 51 आधार अंक (बीपीएस) का सुधार दर्ज किया गया और यह घटकर 2.67% रह गया, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 0.49% के स्तर पर बना रहा।
- **स्लिपेज एवं वसूली**: उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तथा स्वचालित अनुपालन निगरानी पोर्टल के समर्थन से स्लिपेज अनुपात को 1.16% पर नियंत्रित रखा गया, जो 29 आधार अंक (बीपीएस) का सुधार दर्शाता है।
- **प्रावधानीकरण**: बैंक ने 95.97% का उत्कृष्ट प्रावधान कवरेज अनुपात बनाए रखा।

4.5 संसाधन संकलन एवं कासा की गतिशीलता

कुल जमा में 13.38% की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹4,67,923 करोड़ तक पहुँच गया, जो 10-12% के निर्धारित मार्गदर्शन से अधिक रहा।

- **जमाओं की ऐतिहासिक उपलब्धि**: जमाओं ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए ₹2,00,000 करोड़ का स्तर पार कर ₹2,00,024 करोड़ तक पहुँच गया।
- **कासा कार्यनिष्पादन**: कासा जमा में 9.75% की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹2,20,781 करोड़ हो गया। यद्यपि उद्योग-व्यापी स्तर पर जमाकर्ताओं के अधिक प्रतिफल देने वाली सावधि जमाओं (टर्म डिपॉजिट) की ओर स्थानांतरण के कारण कासा अनुपात घटकर 47.30% रह गया, फिर भी बैंक ने उद्योग में सबसे सुदृढ़ कासा आधार वाले बैंकों में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी।
- **एक्विजिशन अभियान**: यह स्थिरता "आगाज़" और "प्रारंभ" जैसे व्यापक ग्राहक एक्विजिशन अभियानों तथा "सेन्ट क्वीन" (महिलाओं के लिए) और "सेन्ट पराक्रम" (रक्षा कर्मियों के लिए) जैसे अभिनव उत्पादों के माध्यम से प्राप्त हुई।

4.6 पूंजी पर्याप्तता एवं रेटिंग्स

बैंक की पूंजी स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है, जो भविष्य में व्यावसायिक गति संवर्धन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

- **सीआरएआर**: पूंजी से जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) बढ़कर 17.91% हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89 आधार अंक (बीपीएस) की वृद्धि को दर्शाता है।
- **टियर-I पूंजी**: 15.61% पर रही, जो उच्च गुणवत्ता वाले पूंजी बफर को प्रतिबिंबित करती है।
- **ऋण रेटिंग्स**: अग्रणी रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक की स्थिरता की पुन: पुष्टि की गई। सीआरआईएसआईएल (CRISIL) तथा इंडियन रेटिंग्स ने बैंक की "AA (स्थिर)" रेटिंग को यथावत बनाए रखा।

4.7 उत्पादकता एवं प्रसार वृद्धि

"व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" के दौरान परिचालन उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया:

- **प्रति कर्मचारी व्यवसाय**: वित्तीय वर्ष 2025 के ₹21.31 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर ₹23.89 करोड़ हो गया।
- **प्रति शाखा व्यवसाय**: बढ़कर ₹177.19 करोड़ हो गया।
- **अखिल भारतीय विस्तार**: बैंक ने अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए 4,585 शाखाओं तक पहुँच बनाई, जिनमें से 65.19% शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इससे राष्ट्र निर्माण तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका और अधिक सुदृढ़ हुई है।

4.8 विभागीय प्रमुख उपलब्धियाँ: विकासोन्मुख व्यवसाय एवं को-लेंडिंग

विकासोन्मुख व्यवसाय विभाग ने नवोन्मेषी ऋण वितरण मॉडलों के माध्यम से अग्रिम पोर्टफोलियो के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- **को-लेंडिंग में उत्कृष्टता**: बैंक ने अपने को-लेंडिंग फ्रेमवर्क को और सुदृढ़ करते हुए 36 एनबीएफसी/एचएफसी भागीदारों तक इसका विस्तार किया।
- **स्वीकृतियों का प्रभाव**: वर्ष के दौरान को-लेंडिंग के अंतर्गत कुल ₹7,296.02 करोड़ की ऋण स्वीकृतियाँ प्रदान की गईं, जबकि 31 मार्च, 2026 तक इस श्रेणी का बकाया पोर्टफोलियो ₹14,379.58 करोड़ रहा।
- **सुरक्षित ऋणों पर ध्यान**: सुरक्षित अग्रिमों पर विशेष रणनीतिक फोकस के परिणामस्वरूप सह-ऋण के अंतर्गत सुरक्षित पोर्टफोलियो में 10.58% की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹13,357.36 करोड़ तक पहुँच गया।

तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2025 एवं वित्तीय वर्ष 2026 के प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों में परिवर्तन

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वृद्धि / चेंज
कुल व्यवसाय	₹7,02,798 करोड़	₹8,12,439 करोड़	15.60%
कुल जमा	₹4,12,697 करोड़	₹4,67,923 करोड़	13.38%
सकल अग्रिम	₹2,90,101 करोड़	₹3,44,516 करोड़	18.76%
कासा अनुपात	48.91%	47.30%	(161 बीपीएस)
शुद्ध लाभ	₹3,785 करोड़	₹4,369 करोड़ ★	15.43%
जीएनपीए %	3.18%	2.67%	(51 बीपीएस)
एनएनपीए %	0.55%	0.49%	(6 बीपीएस)
सीआरएआर %	17.02%	17.91%	89 बीपीएस
आरओए %	0.86%	0.89%★	3 बीपीएस

★डीटीए समायोजन के पश्चात।

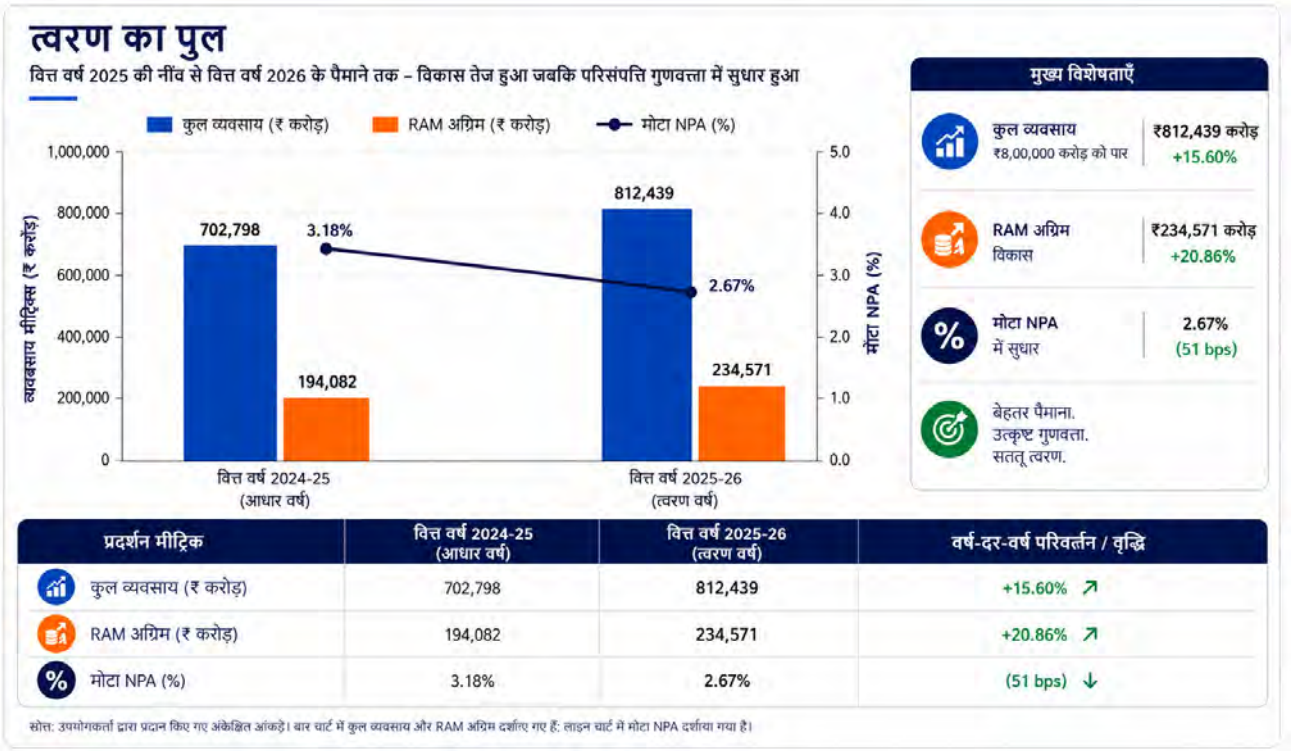

5. रणनीतिक पहल एवं व्यावसायिक परिवर्तन

वित्त वर्ष 2025-26 संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ निष्पादन द्वारा चिह्नित रहा, जिसमें बैंक ने टर्नअराउंड एवं स्थिरीकरण से उच्च-स्तरीय व्यवसायिक तीव्रता की ओर स्पष्ट एवं निर्णायक रूपांतरण दर्ज किया। यह परिवर्तन बैंक के कुल व्यवसाय द्वारा ऐतिहासिक **₹8,12,439 करोड़** के स्तर को पार करने से परिलक्षित होता है, जो सभी परिचालनों में स्फुर्ति बढ़ाने हेतु समेकित रूपांतरण कार्यक्षेत्र के संस्थानीकरण द्वारा समर्थित रहा।

5.1 विस्तारणीय व्यवसाय मॉडलों के माध्यम से वृद्धि संवर्धन

यह गति संवर्धन परंपरागत ग्राहक आधार विस्तार से हटकर व्यापक इकोसिस्टम-आधारित दृष्टिकोण की ओर हुए परिवर्तन से प्रेरित रहा, जिसे विशेष रूप से विकासोन्मुख व्यवसाय विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाया गया।

- **सह-वित्तपोषण में उत्कृष्टता**: बैंक ने अपने सह-वित्तपोषण ढाँचे का विस्तार करते हुए 36 एनबीएफसी/एचएफसी साझेदारों तक पहुँच बनाई तथा वर्ष के दौरान ₹7,296.02 करोड़ की स्वीकृतियाँ प्रदान कीं।
- **क्षेत्रवार प्रभाव**: 31 मार्च 2026 तक बकाया सह-वित्तपोषण पोर्टफोलियो ₹14,379.58 करोड़ तक पहुँच गया, जिसमें सुरक्षित अग्रिमों पर रणनीतिक बल दिया गया। परिणामस्वरूप सुरक्षित अग्रिम 10.58% की वृद्धि के साथ ₹13,357.36 करोड़ हो गए।
- **पूल बायआउट**: पूल बायआउट के अंतर्गत ₹4,381.90 करोड़ का कुल व्यवसाय प्राप्त किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 155% की वृद्धि दर्शाता है।
- **टीआरईडीएस** (TReDS – **ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम**): टीआरईडीएस के अंतर्गत 31.03.2026 तक ₹4,440.54 करोड़ का कुल व्यवसाय प्राप्त किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 45.72% की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 5.1 : सह-वित्तपोषण स्वीकृतियाँ, वित्त वर्ष 2025-26

क्षेत्र	स्वीकृत राशि (₹ करोड़)
एमएसएमई	2,493.22
खुदरा	2,378.43
कृषि	1,905.58
कॉर्पोरेट	518.79
कुल	**7,296.02**

5.2 डिजिटल रूपांतरण: सेन्ट नियो का विकास

डिजिटलीकरण परिचालनगत चुस्ती का प्रमुख सक्षमकारी तत्व रहा और सेन्ट नियो पहल ने अगली पीढ़ी के लिए एक भविष्य-सक्षम बैंक के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- **डिजिटल ऋण मंच (डीएलपी)**: इस मंच का विस्तार 37 सक्रिय ग्राहक-यात्राओं तक किया गया, जिससे सेन्ट गृह लक्ष्मी, मुद्रा की विभिन्न योजनाओं तथा सोलर रूफटॉप ऋण जैसे उत्पादों के लिए निर्बाध स्वीकृति संभव हुई।
- **डिजिटल अंगीकरण**: वैकल्पिक वितरण माध्यमों (एडीसी) के माध्यम से कुल डिजिटल लेन-देन की हिस्सेदारी 90.54% तक पहुँच गई, जबकि सेन्ट ईज़ ऐप का उपयोग सक्रिय ग्राहक आधार के 67.32% तक बढ़ गया।
- **डिजिटल विश्वास**: अनुपालन के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में बैंक ने अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट तथा इंटरनेट बैंकिंग को ".bank.in" डोमेन पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया, जिससे साइबर सुरक्षा और संस्थागत विश्वसनीयता दोनों सुदृढ़ हुईं।

5.3 रैम केंद्रित नवाचार एवं क्लस्टर आधारित ऋण-वितरण

आकांक्षी वृद्धि (सीबीआई केयर के "A") को प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक ने रैम- रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई क्षेत्रों में अपनी पेशकश को और अधिक सुदृढ़ किया, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में 20.86% की वृद्धि दर्ज की गई।

- **क्लस्टर आधारित ऋण-वितरण**: बैंक ने 225 शाखाओं को विशिष्ट एमएसएमई क्लस्टरों से तथा 274 शाखाओं को 9 पृथक कृषि क्लस्टर गतिविधियों (जिनमें चावल मिल एवं कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं) से संबद्ध किया।
- **उत्पाद पुनर्रचना**: "घर वापसी" (एमएसएमई टेकओवर हेतु) जैसे अभियानों तथा सेन्ट पराक्रम (रक्षा क्षेत्र हेतु) और सेन्ट क्वीन (महिलाओं हेतु) जैसे नए उत्पादों ने सूक्ष्म देयता पोर्टफोलियो को और अधिक गहराई प्रदान की।

5.4 परिसंपत्ति गुणवत्ता एवं वित्तीय सुदृढ़ता को बनाए रखना

ऋण अनुशासन से कोई समझौता किए बिना विकास की गति प्राप्त की गई, जो हमारी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (ईडब्ल्यूएस) की प्रभावशीलता को प्रमाणित करती है।

- **पोर्टफोलियो की गुणवत्ता:** बैंक ने अपने जीएनपीए अनुपात को घटाकर 2.67% कर दिया तथा शुद्ध एनपीए को 0.49% पर बनाए रखा, जो हाल के वर्षों में सबसे निम्न स्तर है।
- **अनुपालन का स्वचालन:** स्वचालित अनुपालन निगरानी पोर्टल के शुभारंभ से 1.16% का नियंत्रित स्लिपेज अनुपात बनाए रखने में सहायता मिली।
- **लाभप्रदता की उपलब्धि:** पहली बार बैंक ने परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) का 1.00% लक्ष्य (तिमाही 1- तिमाही 3 हेतु) प्राप्त किया, जो इसकी उल्लेखनीय वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाता है।

त्रैमासिक ROA प्रदर्शन | वित्त वर्ष 2025-26

प्रथम तिमाही में 1.00% ROA का लक्ष्य पार; तृतीय तिमाही तक प्रदर्शन बना रहा; चतुर्थ तिमाही पर एकमुश्त DTA पुनर्मापन शुल्क का प्रभाव

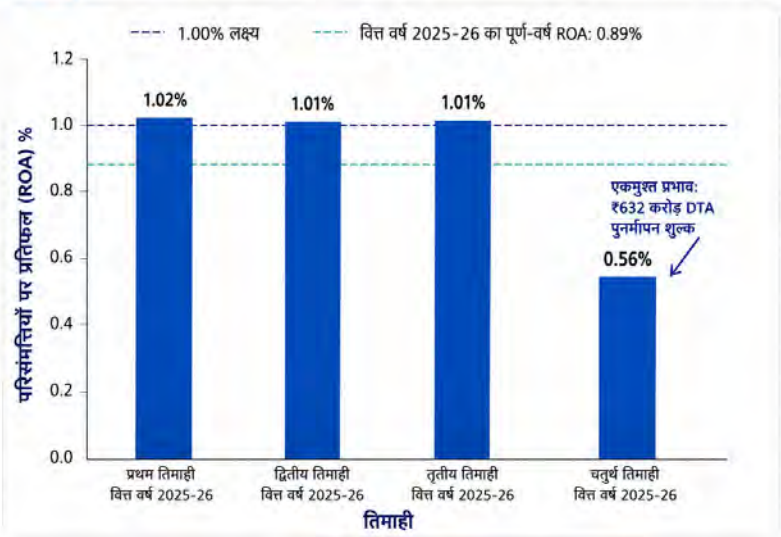

रणनीतिक महत्व

- प्रथम तिमाही में बैंक ने 1.00% ROA लक्ष्य को औपचारिक रूप से पार किया।
- द्वितीय और तृतीय तिमाही में ROA 1.00% से अधिक बना रहा, जिससे परिचालन गति की पुष्टि हुई।
- चतुर्थ तिमाही का ROA 0.56% रहा, जिसे पर एकमुश्त ₹632 करोड़ DTA पुनर्मापन शुल्क का प्रभाव पड़ा।
- एकमुश्त प्रभाव को छोड़कर पूर्ण-वर्ष का स्वतंत्र ROA 0.89% रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 0.86% से बेहतर है।

नोट: चतुर्थ तिमाही वित्त वर्ष 2025-26 का ROA स्थगित कर (DTA) परिसंपत्तियों के पुनर्मापन के कारण हुए एकमुश्त ₹632 करोड़ के शुल्क को शामिल करता है, जो वित्त अधिनियम 2026 के तहत संशोधित 25.168% कर दर पर है।

5.5 परिचालन दक्षता एवं लागत अनुशासन

प्रबंधन का ध्यान केवल विस्तार तक सीमित न रहकर आय की गुणवत्ता पर भी केंद्रित रहा, विशेष रूप से लागत-आय अनुपात (सीआईआर) पर।

- **सीआईआर का अनुकूलन:** प्रक्रियाओं की पुनर्रचना तथा नियमित कार्यों के डिजिटल माइग्रेशन के माध्यम से बैंक लागत-आय अनुपात को 56% से नीचे लाने की दिशा में अग्रसर है।
- **शुल्क-आधारित आय के स्रोत:** सेन्ट ई-ट्रेड पोर्टल के माध्यम से व्यापार, विदेशी मुद्रा तथा मर्चेंट एक्वायरिंग में बेहतर संकलन द्वारा राजस्व स्रोतों का विविधीकरण किया गया।

5.6 सेवा उत्कृष्टता: ग्राहक सेवा और ग्राहक पहुँच का विस्तार

वित्त वर्ष 2025-26 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुन: पुष्ट किया और इसे एक रणनीतिक अनिवार्यता तथा सतत विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्वीकार किया। बैंक का दृष्टिकोण "मूल्य सृजन के साथ ग्राहक संतुष्टि" विषय पर केंद्रित रहा, जो नैतिक आचरण को बनाए रखने, व्यावसायिक व्यवहार में निष्पक्षता सुनिश्चित करने तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं को परिचालन के केंद्र में रखने की उसकी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। इस रूपांतरण के अंतर्गत योजना, विकास एवं परिचालन विभाग का पुनर्गठन कर उसका नाम परिवर्तित कर ग्राहक सेवा विभाग रखा गया, जिससे ग्राहक अनुभव पर बैंक के नए संस्थागत फोकस को रेखांकित किया गया।

एकीकृत ग्राहक सेवा (आईसीसी) मंच

एकीकृत ग्राहक सेवा (आईसीसी) मंच का शुभारंभ बैंक की सेवा संरचना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। वर्ष 2024 में स्थापित यह केंद्रीकृत एवं विस्तारक्षम मंच अब शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) के माध्यम से बैंक के व्यापक ग्राहक आधार के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आईसीसी, मुंबई में 05.02.2024 से तथा हैदराबाद में

30.03.2024 से परिचालित है। इसमें 360 से अधिक पेशेवर कर्मी कार्यरत हैं और यह बैंक के डेटा सेंटर (डीसी) तथा आपदा पुनर्प्राप्ति (डीआर) अवसंरचना के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत हैं।

आईसीसी जमा, ऋण, भुगतान तथा बीमा एवं म्यूचुअल फंड सहित तृतीय-पक्ष उत्पादों से संबंधित सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त यह सेवा अनुरोधों, नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग सहायता, अभियान-आधारित पहुँच, लीड जनरेशन तथा शिकायत निवारण का भी प्रबंधन करता है। 1800 30 30 जैसा एक सार्वभौमिक एवं सहज-स्मरणीय टोल-फ्री नंबर बहु-चैनल ग्राहक सहभागिता ढाँचे को समर्थन प्रदान करता है, जिसमें वॉयस, आईवीआर, व्हाट्सऐप लाइव चैट, ई-मेल/वेब फॉर्म, वीडियो बैंकिंग तथा को-ब्राउज़िंग जैसी सुविधाएँ सम्मिलित हैं।

ग्राहक-केंद्रित विस्तार एवं अवसंरचना

बैंक ने अपनी भौतिक एवं डिजिटल उपस्थिति को सुदृढ़ करने के प्रयास निरंतर जारी रखे। 31 मार्च 2026 तक बैंक का शाखा नेटवर्क 4,545 से बढ़कर 4,585 शाखाओं तक पहुँच गया, जिसमें 1,622 ग्रामीण शाखाएँ, 1,367 अर्ध-शहरी शाखाएँ, 779 शहरी शाखाएँ तथा 817 महानगरीय शाखाएँ शामिल हैं। इसी प्रकार एटीएम नेटवर्क में भी मामूली वृद्धि होकर यह बढ़कर 3,819 टर्मिनलों तक पहुँच गया।

शाखा विस्तार

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक पहुँच बढ़ाने, सेवा प्रदायगी में सुधार लाने तथा वित्तीय समावेशन को और गहरा करने की अपनी व्यापक प्रतिबद्धता के अंतर्गत रणनीतिक शाखा विस्तार एवं अनुकूलन के एजेंडे को आगे बढ़ाया। यह रणनीतिक पहल डेटा-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित रही, जिसके अंतर्गत उच्च व्यावसायिक क्षमता और ग्राहक माँग वाले क्षेत्रों में नई शाखाएँ खोलने को प्राथमिकता दी गई। साथ ही परिचालन दक्षता को अनुकूलित करने के उद्देश्य से चुनिंदा शाखाओं के विलय अथवा बंदी के माध्यम से समेकन की प्रक्रिया भी अपनाई गई।

31 मार्च 2026 तक विभिन्न भौगोलिक श्रेणियों में बैंक की शाखाओं का वितरण निम्नानुसार है-

क्रं.सं.	श्रेणी	31.03.2025 को शाखाएँ	31.03.2026 को शाखाएँ
1	ग्रामीण	1,616	1,622
2	अर्ध-शहरी	1,348	1,367
3	शहरी	774	779
4	महानगरीय	807	817
	कुल	4,545	4,585

31 मार्च 2026 तक बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 4,585 रही। यह विस्तार इस तथ्य की पुष्टि करता है कि बैंक सेवा प्रदायगी के माध्यम के रूप में अपनी भौतिक उपस्थिति को निरंतर महत्त्व देता है। विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में। ये दोनों श्रेणियाँ मिलकर बैंक के कुल शाखा नेटवर्क का 65% से अधिक हिस्सा बनाती हैं, जो क्षेत्रीय पहुँच और जमीनी स्तर तक विस्तार पर बैंक के रणनीतिक फोकस को सुदृढ़ करती हैं।

यद्यपि यह वृद्धि ग्राहकों की पहुँच को बढ़ाती है और समावेशी बैंकिंग को समर्थन देती है, तथापि इससे परिचालन व्यय में भी वृद्धि होती है, विशेष रूप से किराया और उपयोगिता व्यय जैसी मदों में। इसके बावजूद बैंक नेटवर्क विस्तार और परिचालन दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रत्येक नई अथवा यथावत रखी गई शाखा ग्राहक सेवा तथा व्यवसाय विकास के उद्देश्यों में सार्थक योगदान दे सके।

डिजिटल सक्षमीकरण एवं प्रौद्योगिकी पहलें

ग्राहक संवाद और सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की केंद्रीय भूमिका रही। प्रमुख डिजिटल प्रगतियाँ निम्नलिखित रहीं-

- सेन्ट पे एप्लीकेशन के अंतर्गत यूपीआई की उन्नत सुविधाओं का समावेश, जिनमें हेलो यूपीआई, यूपीआई ग्लोबल, वर्चुअल वॉलेट, मार्केटप्लेस तथा क्रेडिट स्कोर एकीकरण शामिल हैं।
- विभिन्न उपकरणों पर एकीकृत ग्राहक अनुभव उपलब्ध कराने हेतु ओम्नी-चैनल प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन।
- वीडियो केवाईसी तथा आवधिक केवाईसी अद्यतन को डिजिटल माध्यमों के जरिए विस्तारित किया जाना।
- मोबाइल नंबर और केवाईसी अद्यतन, फॉर्म 16 एवं ब्याज प्रमाणपत्र डाउनलोड, तथा सेवा डी-रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाओं हेतु स्व-सेवा उपकरणों की शुरुआत।

वर्तमान में एमएसएमई और कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित डिजिटल समाधान विकासाधीन हैं। दैनिक औसत मोबाइल लेन-देन 0.49 लाख तक पहुँच गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 6.52% की वृद्धि को दर्शाता है और डिजिटल अंगीकरण में निरंतर वृद्धि का संकेत देता है।

शिकायत निवारण एवं ग्राहक प्रतिपुष्टि

बैंक ने एकीकृत ग्राहक सेवा के माध्यम से अपनी शिकायत निवारण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया। एक सुव्यवस्थित शिकायत प्रबंधन प्रणाली समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करती है, जिसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से परिभाषित निपटान समय-सीमाएँ (टैट्स) निर्धारित की गई हैं। वित्त वर्ष 2026 में बैंक को ग्राहकों से 3,21,197 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 3,641 शिकायतें वर्षांत तक लंबित रहीं। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2025 में 1,60,868 शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा 8,285 शिकायतें वर्षांत तक लंबित थीं।

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति शिकायत निवारण तथा ग्राहक अधिकारों से संबंधित बैंक की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नीतियों के मार्गदर्शन में सेवा-सुधार की प्रक्रिया की निरंतर निगरानी करती रही। बैंक द्वारा ग्राहक प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया निगरानी, सर्वेक्षणों तथा शाखा-स्तरीय संवाद जैसे तंत्रों का उपयोग किया जाता है।

वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनभोगियों के लिए समावेशी सेवाएँ

बैंक वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनभोगियों को समर्पित सेवाएँ प्रदान करता है, जिनमें विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 203 1911 तथा बारह भाषाओं में सक्रिय आईवीआर अनुस्मारक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र, फॉर्म 121 का प्रस्तुतिकरण, चेकबुक, एटीएम कार्ड एवं खाता विवरणी की प्राप्ति तथा डोरस्टेप सेवा बुकिंग जैसी सुविधाएँ इस वर्ग के ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को और अधिक सुगम बनाती हैं।

दिव्यांगजनों के लिए सुगमता एवं समावेशन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता

बैंक ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) तथा सुगमता संबंधी मानकों के अनुरूप वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग एवं अशक्त खाताधारकों के लिए समावेशी बैंकिंग सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु अपनी नीति को और अधिक सुदृढ़ किया है। इस दिशा में प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं-

- **नोडल अधिकारी:** शाखा स्तर पर शाखा प्रबंधक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, जबकि केंद्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, ग्राहक सेवा विभाग (सीसीडी) दिव्यांगता-संबंधी मामलों की देखरेख करते हैं। इनके संपर्क विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- **परामर्शदात्री समिति:** मुख्य महाप्रबंधक-सीसीडी के नेतृत्व में एक चार-सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसमें डीपीटीबी, बीएसडी और डीआईटी के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति के गठन में यह सुनिश्चित किया गया है कि समिति का कम-से-कम एक सदस्य दिव्यांगजन हो। यदि किसी कारणवश दिव्यांग प्रतिनिधि उपलब्ध न हो, तो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यपालक निदेशक को किसी वरिष्ठ दिव्यांग अधिकारी को नामित करने का अधिकार है।
- **ग्राहक सेवा समिति:** शाखा-स्तरीय ग्राहक सेवा समिति में कम-से-कम एक सदस्य दिव्यांगजन होता है।
- **अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी:** बैंक की 3,447 भूतल-स्थित शाखाओं में से 2,604 शाखाओं में रैंप सुविधा उपलब्ध है तथा अधिकांश कार्यालय लिफ्ट अथवा अन्य सुगम अवसंरचना से युक्त हैं। बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली में अब विशेष आवश्यकताओं वाले ग्राहकों की पहचान/फ्लैगिंग की सुविधा भी सम्मिलित की गई है।
- **प्रशिक्षण एवं संवेदनशीलता:** 8,073 से अधिक कर्मचारियों ने दिव्यांग ग्राहकों को समावेशी सेवाएँ प्रदान करने से संबंधित वेबिनार एवं प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया।
- **समर्पित सेवाएँ:** दृष्टिबाधित ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाओं तक भेदभाव-रहित पहुँच प्रदान की जाती है, जिनमें चेकबुक, एटीएम, नेट बैंकिंग, लॉकर, ऋण तथा क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के लिए समर्पित/प्राथमिकता काउंटर की सुविधा भी उपलब्ध है।
- **डोरस्टेप बैंकिंग:** दिव्यांग अथवा अशक्त ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत नकद अथवा लिखत-पत्रों का संग्रह, नकद की डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट की आपूर्ति, फॉर्म 121 का प्रस्तुतिकरण, चेकबुक, एटीएम कार्ड एवं खाता विवरणी की प्राप्ति तथा केवाईसी दस्तावेजों अथवा जीवन प्रमाण-पत्र का जमा करना जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सेवाएँ मांग पर उपलब्ध हैं।

बैंक दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादों एवं सेवाओं को अनुकूलित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें समावेशी, सुगम और निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान किया जा सके।

उत्पाद नवाचार एवं अनुकूलन

बैंक ने अपने दृष्टिकोण को मानकीकृत उत्पादों से आगे बढ़ाकर अनुकूलित, उद्देश्य-आधारित उत्पादों की दिशा में परिवर्तित किया। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- सेन्ट गृह लक्ष्मी, जो महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती है।
- सेन्ट ई-व्हीकल्स तथा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में सहभागिता, जो पर्यावरणीय सततता को समर्थन प्रदान करती है।

ये उत्पाद बैंक के उस फोकस के अनुरूप हैं, जिसके अंतर्गत ग्राहकों की परिवर्तित होती अपेक्षाओं तथा व्यापक पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन प्राथमिकताओं के अनुरूप समाधान उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्त वर्ष 2026 के दौरान की गई पहलें- ग्राहक-केंद्रितता, परिचालन उत्कृष्टता तथा डिजिटल रूपांतरण पर रणनीतिक फोकस को प्रतिबिंबित करती हैं। अपनी एकीकृत ग्राहक सेवा संरचना, उत्पाद नवाचार तथा भौतिक एवं डिजिटल—दोनों माध्यमों से विस्तृत पहुँच के साथ बैंक एक विश्वसनीय वित्तीय साझेदार के रूप में अपनी भूमिका को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है तथा एक्सेस, सेवा-गुणवत्ता और समग्र ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्ध है।

वास्तविक समय ग्राहक सहभागिता

बैंक ने वास्तविक समय में बहुभाषी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक आधुनिक एकीकृत ग्राहक सेवा (आईसीसी) मंच प्रारंभ किया। इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं-

- मुंबई और हैदराबाद से पूर्णत: परिचालित यह मंच विस्तार-क्षमता तथा उन्नत ग्राहक पहुँच मॉडल से युक्त है।
- शिकायत निवारण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु पुनर्गठित शिकायत निवारण प्रणाली तथा एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली लागू की गई।
- वॉयस, आईवीआर, व्हाट्सऐप, वीडियो बैंकिंग तथा को-ब्राउज़िंग के माध्यम से सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं।
- वरिष्ठ नागरिकों, दृष्टिबाधित ग्राहकों तथा दिव्यांगजनों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की गईं।
- ग्राहक सहायता के लिए फीट-ऑन-स्ट्रीट (एफऔएस) मॉडल तथा कलेक्शन कॉल सेंटरों का उपयोग किया गया।

भुगतान सुरक्षा में सुदृढ़ीकरण

सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया गया :

- यूपीआई लाइट लेन-देन ने सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए पिन-रहित, कम-मूल्य भुगतान को संभव बनाया।
- वर्चुअल डेबिट कार्ड ने ई-कॉमर्स लेन-देन के लिए सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया।
- साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी) द्वारा 24x7 निगरानी उपलब्ध कराई गई।
- ISO 27001, पीसीआई-डीएसएस तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साइबर सुरक्षा मानदंडों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ग्राहक डेटा और बैंकिंग प्रणालियों की सुदृढ़ सुरक्षा बनाए रखी गई।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इन पहलों के माध्यम से न केवल अपने ग्राहक सहभागिता मॉडल का आधुनिकीकरण किया है, बल्कि समावेशी, सुरक्षित और त्वरित बैंकिंग के लिए एक सुदृढ़ आधार भी स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2026 ग्राहक सेवा को डिजिटल नवाचार और समावेशी विकास के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण वर्ष सिद्ध हुआ, जिसने बैंक की स्थिति को लाखों ग्राहकों के विश्वसनीय वित्तीय साझेदार के रूप में और अधिक सुदृढ़ किया।

5.7 ईएसजी: राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका

सतत वित्त अब बैंक की विकास रणनीति का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका (CBI-CARE के "R" – Role in Nation Building) के अनुरूप है।

- **हरित वित्त**: बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹2,751.44 करोड़ का वित्तपोषण किया तथा हरित बॉण्ड्स में ₹350.26 करोड़ का निवेश किया।
- **सौर ऊर्जा को बढ़ावा**: बैंक ने प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत पूर्णत: कागजरहित डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से 16,500 किसानों को सौर पंपों हेतु ऋण स्वीकृत किए।
- **पर्यावरणीय लक्ष्य**: बैंक वर्ष 2028 तक 'नेट ज़ीरो स्कोप-1' की प्राप्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस उद्देश्य हेतु बैंक ने अपने स्वामित्व वाले परिसरों में कुल 658 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए हैं।

6. ऋण व्यवसाय में तीव्र प्रगति: प्रमुख उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण संवितरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की तथा रणनीतिक तरीके से ऋण प्रदायगी के अपने फ्रेमवर्क को बड़े पैमाने पर मूर्त एवं प्रभावशाली परिणामों में परिवर्तित किया। बैंक के सकल अग्रिम बढ़कर ₹3,44,516 करोड़ हो गए, जो वर्ष-दर-वर्ष 18.76% की सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाते हैं; जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त किए गए ₹2,90,101 करोड़ की तुलना में काफी अधिक है। इस प्रगति का मुख्य आधार ऋण पोर्टफोलियो के विविधीकरण तथा ऋण स्वीकृति व मूल्यांकन प्रक्रिया में बढ़ी हुई दक्षता एवं मजबूत गति रही। जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि बैंक द्वारा परिसंपत्ति गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान बनाए रखते हुए व्यवसाय के तीव्र विस्तार के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।

ऋण वृद्धि और पोर्टफोलियो संरचना | वित्त वर्ष 2025 बनाम वित्त वर्ष 2026

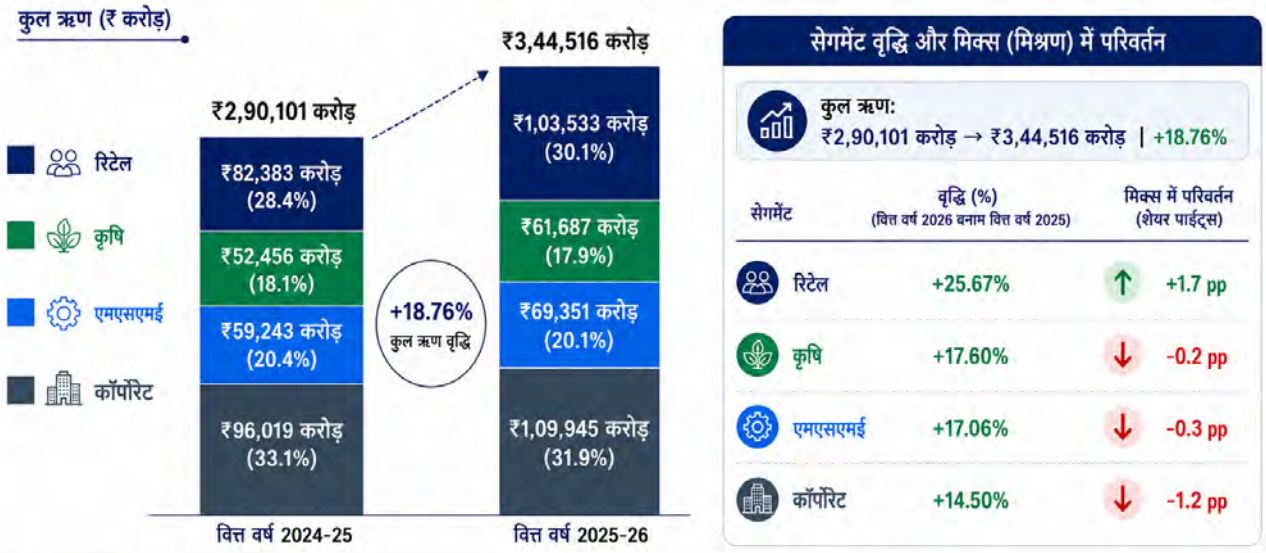

स्रोत: ऑडिटेड वित्तीय परिणाम, मार्च 2026

6.1 रैम क्षेत्र एवं खुदरा ऋण व्यवसाय की ऐतिहासिक उपलब्धि

रैम (खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई) क्षेत्र बैंक की विकास यात्रा का प्रमुख प्रेरक स्त्रोत बना रहा तथा 20.86% की वृद्धि दर्ज करते हुए यह ₹2,34,571 करोड़ तक पहुँच गया। "व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" की एक ऐतिहासिक उपलब्धि यह रही कि बैंक का खुदरा अग्रिम पोर्टफोलियो ₹1,00,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया और वर्ष के अंत में यह ₹1,03,533 करोड़ पर पहुँच गया।

- **आकांक्षाओं के अनुरूप विकास:** खुदरा क्षेत्र में, आवासीय ऋण (₹59,012 करोड़) और शिक्षा ऋण (₹6,374 करोड़) विकास के मुख्य आधार रहे, जो भारतीय परिवारों की आकांक्षाओं को पूरा करने में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं।
- **समावेशी पहुंच:** कृषि अग्रिम बढ़कर ₹61,687 करोड़ हो गए, जबकि एमएसएमई ऋण ₹69,351 करोड़ तक पहुंच गए। यह रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राष्ट्र निर्माण में बैंक की भूमिका की पुनर्पुष्टि करता है।

6.2 कॉर्पोरेट ऋण एवं रणनीतिक व्यावसायिक तंत्र

कॉर्पोरेट ऋण का कुल ऋण पोर्टफोलियो में ₹1,09,945 करोड़ का योगदान रहा, जिसमें 14.50% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक ने रणनीतिक रूप से उच्च रेटिंग वाले ऋण खातों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप मानक रेटिंग वाले अग्रिमों में 'A' एवं उससे उच्च श्रेणी के खातों की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2025 की तुलना में 81.87% से बढ़कर 83.59% हो गई।

- **व्यवसाय में गति संवर्धन:** ऋण व्यवसाय में वृद्धि को अभिनव ऋण वितरण मॉडलों से मजबूती मिली, जिनमें वित्तीय आपूर्ति श्रृंखला (एससीएफ़) प्रमुख रही। इस पहल को टीपीईएमएल, बीएएलसीओ तथा वेदांता लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ स्थापित रणनीतिक साझेदारियों द्वारा सुदृढ़ समर्थन प्राप्त हुआ।
- **समन्वित विस्तार:** सह-ऋण व्यवस्था का विस्तार करते हुए बैंक ने 36 एनबीएफसी/ एचएफसी भागीदारों को अपने नेटवर्क में शामिल किया, जिससे उन बाजारों तक पहुँच संभव हुई, जहाँ बैंकिंग सुविधाएँ कम थीं। परिणामस्वरूप, इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल को-लेंडिंग स्वीकृतियाँ ₹7,296.02 करोड़ तक पहुँच गईं।

6.3 ऋण निगरानी, नीति एवं स्वचालित अनुपालन निगरानी

केंद्रीकृत रूपांतरण फ्रेमवर्क के माध्यम से ऋण निगरानी को एक संस्थागत परिचालन तंत्र के रूप में स्थापित किया गया। बैंक ने मैनुअल पर्यवेक्षण से आगे बढ़ते हुए स्वचालित अनुपालन निगरानी पोर्टल के माध्यम से अनुपालन प्रक्रिया को स्वचालित बनाया, जिससे नीतिगत अनुपालन की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित हुई।

- **वॉर रूम तंत्र:** विशेष रूप से चिन्हित खातों (एसएमए) के लिए समर्पित "वॉर रूम" बनाए गए, जिनके माध्यम से संभावित दबाव खातों की

दैनिक निगरानी की गई। इसके परिणामस्वरूप समग्र गिरावट अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह पिछले वर्ष के 1.45% से घटकर 1.16% पर आ गया।

6.4 व्यापक ऋण निगरानी तंत्र

बैंक द्वारा सुदृढ़ प्रशासनिक एवं निगरानी तंत्र को बनाए रखते हुए साप्ताहिक उच्च स्तरीय ऋण समिति (एचएलसीसी) तथा आंचलिक स्तरीय ऋण समिति (ज़ेडएलसीसी) की नियमित बैठकें आयोजित की गई। इससे स्वीकृति मानकों की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना ऋण संबंधी निर्णय प्रक्रिया में तेजी आई। इस कठोर दृष्टिकोण को अपनाते हुए बैंक ने 73.80% का स्वस्थ ऋण-जमा (सीडी) अनुपात बनाए रखा, जो देयताओं को उत्पादक परिसंपत्तियों में प्रभावी रूप से परिवर्तित करने की बैंक की क्षमता को दर्शाता है।

6.5 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडबल्यूएस) एवं पूर्व-निवारक कार्रवाई

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता का एक प्रमुख आधार इसकी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडबल्यूएस) को सशक्त बनाना था। बैंक ने प्रारंभिक चरणों में ही परिचालन एवं वित्तीय तनाव की पहचान कर संभावित जोखिमों पर सक्रिय नियंत्रण स्थापित किया तथा नई गिरावट को प्रभावी रूप से सीमित किया। इसके परिणामस्वरूप सकल एनपीए (जीएनपीए) में सुधार हुआ और यह 3.18% से घटकर 2.67% पर आ गया, जबकि शुद्ध एनपीए (एनएनपीए) 0.49% पर ही बना रहा।

6.6 बड़े ऋण खातों हेतु विशेषीकृत निगरानी

₹250 करोड़ से अधिक के उच्च-मूल्य ऋण जोखिमों के लिए बैंक ने विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों (एएसएम) की सेवाओं का उपयोग करना जारी रखा। इन एजेंसियों के माध्यम से लेनदेन-आधारित गतिविधियों पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित की गई। निगरानी की इस अतिरिक्त व्यवस्था ने बड़े कॉर्पोरेट ऋण पोर्टफोलियो में पारदर्शिता एवं अनुशासन को बनाए रखा। यह बैंक के कुल अग्रिम पोर्टफोलियो का लगभग 32% हिस्सा था।

6.7 ऋण क्षेत्र का डिजिटलीकरण: डीएलपी क्रांति

डिजिटलीकरण ने व्यवसाय के विस्तार एवं वृद्धि को प्रमुख आधार प्रदान किया है। बैंक ने डिजिटल ऋण मंच (डीएलपी) का विस्तार करते हुए 37 सक्रिय डिजिटल ऋण प्रक्रियाओं को संचालित किया।

- **लचीली ऋण उत्पत्ति प्रक्रिया:** डीएलपी के माध्यम से सेन्ट गृह लक्ष्मी, मुद्रा ऋण के विभिन्न प्रकारों तथा सौर पंप वित्तपोषण जैसे प्रमुख उत्पादों के लिए निर्बाध एवं पूर्णत: कागजरहित ऋण स्वीकृति प्रक्रिया सुनिश्चित की गई।
- **डेटा नवाचार:** जीएसटी विश्लेषण, आयकर रिटर्न सत्यापन तथा कृषि ऋणों हेतु आरबीआईएच-यूएलआई प्लेटफॉर्म के साथ तृतीय-पक्ष एपीआई के एकीकरण से ऋण प्रसंस्करण की अवधि (टीएटी) में कमी आई तथा ग्राहकों के अनुभव में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

6.8 नीतिगत फ्रेमवर्क एवं मानव पूंजी

बैंक ने सुदृढ़ व्यवस्था और क्षमता निर्माण के फ्रेमवर्क के तहत विकास को आगे बढ़ाया है। व्यवसाय में तेजी के इस लक्ष्य को समर्थन प्रदान करने हेतु बैंक ने 1,000 ऋण अधिकारियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल उन्नयन को प्रोत्साहित करना तथा ऋण मूल्यांकन एवं स्वीकृति प्रक्रिया की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखना था। कर्मचारी कल्याण एवं व्यावसायिक विकास में किया गया यह निवेश सुनिश्चित करता है कि बैंक की मानवीय पूंजी वित्तीय वर्ष 2027 के प्रस्तावित 'व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष' की दिशा में बैंक के व्यवसाय को सफलतापूर्वक आगे ले जाने हेतु पूर्णत: सक्षम है।

7ए. व्यवसाय प्रदर्शन एवं क्षेत्रवार वृद्धि: प्रगति का इंजन- रैम

वित्तीय वर्ष 2025-26 में रैम क्षेत्र (खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई) बैंक के "व्यवसायिक गति संवर्धन वर्ष" का प्रमुख विकास इंजन रहा। रणनीतिक विकास फ्रेमवर्क को बड़े पैमाने पर ठोस एवं प्रभावी परिणामों में परिवर्तित करते हुए बैंक ने अपने विस्तृत ऋण पोर्टफोलियो का ऐतिहासिक विस्तार किया, जो बढ़कर **₹2,34,571 करोड़** तक पहुँच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में **20.86%** की सुदृढ़ वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। इस तीव्र वृद्धि ने बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। परिणामस्वरूप, **कुल घरेलू अग्रिमों में रैम की हिस्सेदारी 68.09%** हो गई है, जो कि पिछले वर्ष 66.90% थी।

RAM वृद्धि इंजन | वित्त वर्ष 2022–वित्त वर्ष 2026

रिटेल, कृषि और एमएसएमई अग्रिमों में सतत वृद्धि बैंक के रणनीतिक फोकस का संकेत है, जिससे परिसंपत्ति पत्रक अधिक संतुलित और विविधापूर्ण बना है।

वित्त वर्ष 2026 RAM snapshot

रिटेल अग्रिम	₹1,03,533 करोड़
कृषि अग्रिम	₹61,687 करोड़
एमएसएमई अग्रिम	₹69,351 करोड़
कुल RAM पोर्टफोलियो	₹2,34,571 करोड़
वर्ष-दर-वर्ष कुल RAM वृद्धि	+20.86%

वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 की वृद्धि

रिटेल	+98.2%
कृषि	+59.7%
एमएसएमई	+103.1%
कुल RAM	+87.7%

स्रोत: कॉरपोरेट प्रस्तुति मई 2026, स्लाइड 16; ऑडिटेड वित्तीय परिणाम मार्च 2026।

7ए. 1 रैम प्रगति: व्यापक स्तर पर विस्तार

बैंक की संतुलित एवं विविधीकृत बैलेंस शीट की दिशा में रणनीतिक पहल का स्पष्ट प्रमाण रैम के तीनों उप-खंडों के विकास में स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस विकास गति को एक विस्तृत पारितंत्रात्मक दृष्टिकोण का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत बैंक ने पारंपरिक शाखा-आधारित व्यवसाय अधिग्रहण मॉडल से आगे बढ़ते हुए एंकर-आधारित तथा डिजिटल-प्रथम मॉडलों को अपनाया है।

RAM सेगमेंट वृद्धि पथ | वित्त वर्ष 2025 बनाम वित्त वर्ष 2026

रिटेल, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में समेकित रूप से मजबूत एवं व्यापक विस्तार ने बैंक के RAM पोर्टफोलियो को सशक्त गति प्रदान की है।

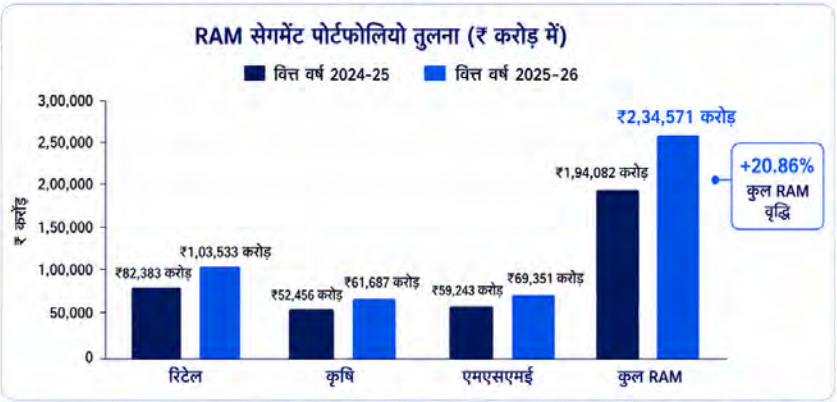

वृद्धि की प्रमुख झलकियाँ

कुल RAM पोर्टफोलियो:
₹1,94,082 करोड़ → ₹2,34,571 करोड़ | +20.86%

सेगमेंट	वित्त वर्ष 2025-26	वृद्धि (%)
रिटेल	₹1,03,533 करोड़	+25.67%
कृषि	₹61,687 करोड़	+17.60%
एमएसएमई	₹69,351 करोड़	+17.06%

रिटेल सेगमेंट में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कृषि और एमएसएमई ने भी स्वस्थ डबल-डिजिट विस्तार प्रदान किया।

सेगमेंट	वित्त वर्ष 2024-25 (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2025-26 (₹ करोड़)	वृद्धि (%)
रिटेल	82,383	1,03,533	25.67%
कृषि	52,456	61,687	17.60%
एमएसएमई	59,243	69,351	17.06%
कुल RAM	**1,94,082**	**2,34,571**	**20.86%**

स्रोत: ऑडिटेड वित्तीय परिणाम, मार्च 2026

7ए.2 खुदरा ऋण: ₹1,00,000 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े की प्राप्ति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के ऋण पोर्टफ़ोलियो में खुदरा ऋण ने एक प्रमुख स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। यह बैंक के परिसंपत्ति आधार में विविधता लाने और उपभोक्ता व्यय में वृद्धि के माध्यम से व्यापक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दोहरी भूमिका निभाता है। "**व्यवसायिक गति संवर्धन का वर्ष**" के दौरान, खुदरा ऋण व्यवसाय ने अब तक की अपनी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। यह शुरुआती विकास के दौर से आगे निकलकर तेज़ी से बढ़ने वाले एक इंजन के रूप में बदल गया है, तथा इसने बैंक के **हितधारकों से किए अपने वादे को सफलतापूर्वक पूरा** किया है।

रिटेल पोर्टफोलियो संरचना | 31 मार्च, 2026

₹1,03,533 करोड़ के महत्वपूर्ण रिटेल बुख का विवरण, जिसमें आवास ऋण आकांक्षात्मक वृद्धि का प्रमुख चालक है।

रिटेल पोर्टफोलियो मिक्स (₹ करोड़ में)

आवास ऋण	₹59,012 करोड़	57.00%
शिक्षा ऋण	₹6,374 करोड़	6.16%
ऑटो / वाहन ऋण	₹4,676 करोड़	4.52%
व्यक्तिगत ऋण	₹4,335 करोड़	4.19%
अन्य रिटेल ऋण	₹29,136 करोड़	28.13%
कुल रिटेल पोर्टफोलियो	₹1,03,533 करोड़	100.00%

आवास ऋण रिटेल पोर्टफोलियो में 57.0% हिस्सेदारी के साथ प्रमुख है।

प्रमुख झलकियाँ

कुल रिटेल पोर्टफोलियो: ₹1,03,533 करोड़

रिटेल उप-सेगमेंट	बकाया शेष (₹ करोड़ में)	रिटेल बुक में हिस्सेदारी (%)
आवास ऋण	₹59,012 करोड़	57.00%
शिक्षा ऋण	₹6,374 करोड़	6.16%
ऑटो / वाहन ऋण	₹4,676 करोड़	4.52%
व्यक्तिगत ऋण	₹4,335 करोड़	4.19%
अन्य रिटेल ऋण	₹29,136 करोड़	28.13%

आकांक्षात्मक वृद्धि

- शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2025-26 में 17.86% बढ़ा।
- आवास ऋण पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2025-26 में 13.13% बढ़ा।
- ये सेगमेंट सीधे तौर पर CBI-CARE में 'A' (आकांक्षात्मक वृद्धि) का समर्थन करते हैं।

रिटेल उप-सेगमेंट	बकाया शेष (₹ करोड़ में)	रिटेल बुक में हिस्सेदारी (%)
आवास ऋण	₹59,012 करोड़	57.00%
शिक्षा ऋण	₹6,374 करोड़	6.16%
ऑटो / वाहन ऋण	₹4,676 करोड़	4.52%
व्यक्तिगत ऋण	₹4,335 करोड़	4.19%
अन्य रिटेल ऋण	₹29,136 करोड़	28.13%
कुल रिटेल पोर्टफोलियो	₹1,03,533 करोड़	100.00%

स्रोत: कॉर्पोरेट प्रस्तुति मई 2026, स्लाइड 17 और 32; ऑडिटेड वित्तीय परिणाम मार्च 2026।

7ए.2.1 ऐतिहासिक वृद्धि और पोर्टफोलियो का विस्तार

31 मार्च, 2026 तक, बैंक का रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो ₹1,03,533 करोड़ तक पहुँच गया, जो बैंक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में बताए गए ₹82,383 करोड़ की तुलना में 25.67% की सशक्त सालाना बढ़ोत्तरी को दिखाता है। इस तेज़ी ने बैंक की बैलेंस शीट में संरचनात्मक बदलाव किया है; अब कुल अग्रिमों में खुदरा ऋण का हिस्सा 30.05% हो गया है, जो वित्त वर्ष 2025 में 28.40% था।

इस तेज़ी का सबसे बड़ा सबूत बैंक के ऋण स्वीकृतियों के निरन्तर विस्तार से मिलता है, जिससे पूंजी परिनियोजन में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई।

तालिका 7a.2: खुदरा ऋणों की स्वीकृति में तीव्र संवर्धन (वित्त वर्ष 25 बनाम वित्त वर्ष 26)

प्रदर्शन का पैमाना	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	विकास (%)
स्वीकृत खुदरा खातों की संख्या	3,50,892	4,97,809	+41.87%
कुल स्वीकृत राशि (₹ करोड़)	29,951.00	44,541.64	+48.71%

7ए.2.2 मुख्य खंड: आकांक्षी विकास को बढ़ावा देना

बैंक का खुदरा पोर्टफोलियो मुख्य भाग में अच्छी तरह से फैला हुआ है, जो सीधे तौर पर सीबीआई- केयर के "एस्पिरेशनल ग्रोथ" (महत्वाकांक्षी विकास) स्तंभ को सपोर्ट करता है। प्रत्येक सेगमेंट ने स्थिर विकास दिखाया और छोटे-छोटे ऋण वाले पोर्टफोलियो की कुल रफ़्तार बढ़ाने में योगदान दिया।

- **आवास ऋण**: गृह स्वामित्व को समर्थित करने में बैंक की भूमिका को पक्का करते हुए, यह बड़ा खंड **₹59,012 करोड़ तक पहुंच गया**, जो 13.13% की बढ़ोतरी के साथ कुल रिटेल पोर्टफोलियो का **57.00%** है ।
- **शिक्षा ऋण**: भारतीय युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने के बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, शिक्षा ऋण **17.86% बढ़कर ₹6,374 करोड़** तक पहुंच गया , जो रिटेल सेगमेंट का **6.16%** है।

- **वाहन ऋण**: एग्रेसिव ओइएम भागीदारी और उत्सव आधारित अभियानों के समर्थन से, यह खंड **16.96%** बढ़कर ₹**4,676 करोड़** तक पहुंच गया ।
- **व्यक्तिगत ऋण**: जोखिम पर अनुशासित ध्यान बनाये रखते हुए व्यक्तिगत ऋण ₹**4,335 करोड़** रहे, जिसमें 4.58% की मामूली बढ़त हुई, जो चयनात्मक ऋण अभिग्रहण मानकों को दिखाता है।
- **अन्य खुदरा ऋण**: यह श्रेणी - जिसमें उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, जीवनशैली और लघु मूल्य वित्तपोषण शामिल हैं - सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट था, जो 79.08% बढ़कर ₹29,136 करोड़ या कुल पोर्टफोलियो का 28.13% तक पहुंच गया ।

7ए.2.3 तकनीकी प्रगति और डिजिटल दक्षता

"व्यवसाय गति संवर्धन का वर्ष" में, तकनीकी ने कामकाज में तेज़ी लाने और ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव देने में मुख्य भूमिका निभाई। बैंक ने खुदरा ऋण वितरण को ज़्यादा कुशल और डेटा-संचालित युग में ले जाने के लिए अपने सेंट नियो इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया।

- **डेटा-आधारित अधिग्रहण**: बैंक ने अपने मौजूदा 8.26 करोड़ ग्राहकों के बीच क्रॉस-सेल और अप-सेल के खास मौकों की पहचान करने के लिए एआई, मशीन लर्निंग और एडवांस्ड डेटा माइनिंग का इस्तेमाल किया।
- **अकाउंट एग्रीगेटर इंटीग्रेशन**: अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म को अपनाने से लीड जनरेशन में क्रांतिकारी बदलाव आया है और खुदरा उधारकर्ताओं के लिए सत्यापन की प्रक्रिया आसान हो गई है।
- **सेंट ईज का विकास**: वित्त वर्ष 2026 में तेज़ी से काम करने वाली डिजिटल पहलें शुरू की गईं, जिनमें सेंट ईज ऐप के अंदर पहले से मंज़ूर डिजिटल ऋण की सुविधाएँ और इंटीग्रेटेड क्रेडिट स्कोर जाँच शामिल हैं।
- **ओमनी-चैनल विज़न**: बैंक एक ऐसे ओमनी-चैनल प्लेटफ़ॉर्म की ओर बढ़ रहा है जो किसी खास डिवाइस पर निर्भर नहीं है, ताकि सभी डिजिटल संपर्क बिंदुओं पर ग्राहकों को एक सहज और एक जैसा अनुभव मिल सके।

7ए.2.4 रणनीतिक पहल: खुदरा ऋण इकोसिस्टम का विस्तार

रणनीतिक भागीदारी और नवोन्मेषी उत्पाद वितरण मॉडल, आधारभूत ढाँचे को बड़े स्तर पर नतीजों में बदलने में मददगार रहे।

- **यूपीआई पर ऋण सुविधा**: एक बड़े नए कदम के तौर पर, बैंक ने टाइम डिपॉज़िट के बदले ऋण देने की सुविधा शुरू की है। इससे तुरंत नकद की ज़रूरत पूरी की जा सकती है और इसे सीधे सेंट ईज और नेट बैंकिंग के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **फिनटेक एग्रीगेटर भागीदारी**: बैंक ने हाउसिंग.कॉम, 99acres, पॉलिसी बाजार और नो ब्रोकर जैसे बड़े डिजिटल एग्रीगेटर्स के साथ मिलकर लीड सोर्सिंग को सफलतापूर्वक बढ़ाया है।
- **ओईएम साझेदारी का विस्तार**: टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और विनफास्ट के साथ पहले से बनी भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए, बैंक ने वाहन ऋण की वृद्धि को और तेज़ करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में महिन्द्रा, टोयोटा और हुंडई को शामिल करने की योजना बनाई है।
- **वेतन - आधारित ऋण**: बैंक ने वेतन संबद्ध उत्पादों के लिए उच्च स्तरीय बिल्डर्स और सरकारी/संस्थागत संस्थाओं के साथ साझेदारी करके सुरक्षित और ज़्यादा रिटर्न वाले खुदरा ऋण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।
- **सामयिक गति**: समय-समय पर त्योहारों के दौरान चलाए गए कैंपेन का इस्तेमाल सामयिक मांग बढ़ाने और खुदरा ग्राहकों के लिए एक पसंदीदा भागीदार के तौर पर बैंक की ब्रांड इमेज को मज़बूत करने के लिए किया गया।

7ए.2.5 भावी परिदृश्य : व्यवसाय गति संवर्धन वर्ष की ओर (वित्त वर्ष 2027)

खुदरा ऋण अब वृद्धि के मुख्य संचालक के तौर पर मज़बूती से स्थापित हो चुका है। ऐसे में, जब बैंक अपने प्रस्तावित वित्त वर्ष 2027 "व्यवसाय उत्कृष्टता वर्ष" की ओर बढ़ रहा है, तो यह सेगमेंट बाज़ार के नए मौकों का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। आने वाले वित्तीय चक्र के लिए, बैंक ने कुल कर्ज़ में 20-21% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। इसमें खुदरा ऋण संभाग की अहम भूमिका रहने की संभावना है, जो लगातार डिजिटल विस्तार, मज़बूत भागीदारी और ग्राहक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित कर यह भूमिका निभाएगा।

7ए.3 कृषि पोर्टफोलियो: रणनीतिक क्लस्टर मैपिंग

मिशन प्रगति के तहत पारंपरिक लोन देने के तरीके से आगे बढ़कर मूल्य श्रृँखला आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने से बैंक का कृषि ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹61,687 करोड़ हो गया।

- **एग्रो-क्लस्टर रणनीति**: बैंक ने 39 जिलों में 274 शाखाओं को चावल, दाल और तेल मिलों और मखाना प्रसंस्करण सहित 9 खास क्लस्टर गतिविधि के लिए सफलतापूर्वक मैप किया। इससे उत्पादन से लेकर उपभोग तक केंद्रित ऋण वितरण हो पाता है।
- **मशीनीकरण पर केन्द्रित**: एसीई (एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट) लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी से 334 मैप्ड शाखा के ज़रिए ट्रैक्टर और खेती की मशीनरी का वित्तपोषण हो सके।
- **एसएचजी लिंकेज**: 13 स्टेट लाइवलीहुड मिशन (एसएलआरएम) के साथ एमओयू ने स्वयं सहायता समूह पोर्टफोलियो को काफी मजबूत किया, जिससे ग्रामीण कॉरिडोर में उद्यमिता वृद्धि को बढ़ावा मिला।

7ए.4 एमएसएमई विभाग: तीव्रता लाने वाले विकास के औद्योगिक इंजन को सशक्त बनाना

"व्यवसायिक गति संवर्धन वर्ष" में, एमएसएमई विभाग ने देश के निर्माण और महत्वाकांक्षी विकास में बैंक की भूमिका को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। रणनीतिक ऋण देने के तरीकों को ठोस और बड़े पैमाने पर लागू करने वाले नतीजों में बदलकर, बैंक ने अपने एमएसएमई पोर्टफोलियो का ऐतिहासिक विस्तार किया और 31 मार्च, 2026 तक यह ₹69,351 करोड़ तक पहुँच गया। यह साल-दर-साल 17.06% की मज़बूत बढ़त को दिखाता है, जो पिछले साल के ₹59,243 करोड़ के संदर्भ स्तर से काफी ज़्यादा है।

7ए.4.1 खंडवार प्रदर्शन तथा त्वरित विकास के सूचकांक

वित्त वर्ष 2026 में बैंक की एमएसएमई रणनीति सभी स्तरों पर संतुलित विकास पर केंद्रित थी, जिसमें मध्यम उद्योग खंड में उल्लेखनीय उछाल देखा गया और इसमें 42.78% की असाधारण वृद्धि हुई।

तालिका 7a.4. : एमएसएमई खंडवार वृद्धि ट्रैजेक्टरी (₹ करोड़ में)

खंड	31.03.2025	31.03.2026	वृद्धि राशि	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %
सूक्ष्म	35,354	42,302	6,948	19.65%
लघु	17,496	17,921	425	2.43%
मध्यम	6,393	9,128	2,735	42.78%
कुल	**59,243**	**69,351**	**10,108**	**17.06%**

7ए.4.2 परिसम्पत्ति गुणवत्ता एवं पोर्टफोलियो शुद्धता

क्रेडिट वितरण में तेज़ी लाने के साथ-साथ, बैंक ने पोर्टफोलियो की गुणवत्ता पर भी अनुशासित ढंग से ध्यान बनाए रखा। कुल एमएसएमई एनपीए प्रतिशत 5.35% रहा, जिसमें सेवा क्षेत्र ने 5.00% गैर निष्पादित परिसंपत्तियां स्तर के साथ बेहतर मज़बूती दिखाई।

तालिका 5.4बी: एमएसएमई पोर्टफोलियो और परिसम्पत्ति गुणवत्ता (31.03.2026 तक)

विशिष्ट	कुल पोर्टफोलियो (₹ करोड़)	विनिर्माण(₹ करोड़)	सेवा (₹ करोड़)
कुल अग्रिम	69,551	29,784	39,767
शुद्ध एनपीए	3,713	1,726	1,987
एनपीए%	5.35%	5.79%	5.00%

7ए.4.3 डिजिटल गति संवर्धन : डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी) का असर

डिजिटलाइज़ेशन बड़े पैमाने पर काम करने का मुख्य ज़रिया बना, जिसमें डिजिटल लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म (डीएलपी) में बिना कागज़-पत्रों के आसानी से मंज़ूरी दिलाने में मदद की। वित्त वर्ष2026 में, डीएलपी में कुल ₹1,625.26 करोड़ की मंज़ूरी के साथ 6,182 स्वीकृति आदेश जारी किए।

तालिका 7ए.4.सी : डिजिटल यात्रा (डीएलपी) प्रदर्शन वित्त वर्ष 2025-26

योजना का नाम	स्वीकृतियों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़)
सेंट व्यवसाय ऋण	1,321	1,266.59
सेंट सरल	2,309	197.63
सेंट मुद्रा	2,148	113.97
सेंट जीएसटी	66	44.27
अन्य (पीएम स्वनिधि / विश्वकर्मा)	318	1.31
कुल डीएलपी स्वीकृतियाँ	**6,182**	**1,625.26**

7ए.4.4 एमएसएमई की मुख्य योजनाएं: लक्ष्य आधारित नतीजे देना

"व्यवसाय गति संवर्धन वर्ष" में खास योजनाओं में रिकॉर्ड से ऊपर प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें **सेंट होटल 128.36% वृद्धि** के साथ सबसे आगे रहा ।

तालिका 7ए.4.डी : प्रमुख एमएसएमई योजनाओं का प्रदर्शन

योजना का नाम	31.03.2025 (₹ करोड़)	31.03.2026 (₹ करोड़)	विकास %
सेंट होटल	599.29	1,368.55	128.36%
सेंट संजीवनी	291.53	503.28	72.64%
परिवहन संचालक	622.49	1,013.06	62.74%
सेंट सीए/सीएस/सीएमए	120.17	194.69	62.01%
एमएसएमई - प्लैटिनम	898.20	1,251.34	39.32%
सेंट होजरी/वस्त्र	1,447.26	2,005.97	38.60%
सेंट बिजनेस	5,725.93	7,274.60	27.05%

7ए.4.5 रणनीतिक क्लस्टर-आधारित वित्तपोषण: मिशन प्रगति का आधार

मिशन प्रगति के ट्रांसफॉर्मेशन हब के तहत, बैंक ने एमएसएमई वित्तपोषण के लिए "क्लस्टर-फर्स्ट" नज़रिए को संस्थागत रूप दिया।

- विस्तार लक्ष्य: बैंक ने क्लस्टर-आधारित वित्तपोषण के तहत मंजूरी को मार्च 2025 में ₹2,963 करोड़ से बढ़ाकर मार्च 2030 तक **₹16,983 करोड़** करने का रणनीतिक लक्ष्य रखा है ।
- संरचना: बैंक ने 26 राज्यों और 154 जिलों में 225 संभावित ब्रांच की पहचान की, और उन्हें ज़रूरी इंडस्ट्रियल क्लस्टर से मैप किया।
- परिचालन संबंधी अनुशासन: गति बनाए रखने के लिए, बैंक हर हफ़्ते एक पहले से तय "**एमएसएमई क्लस्टर डे**" (जैसे, लेदर, टेक्सटाइल, या इंजीनियरिंग क्लस्टर डे) मनाता है, जिसमें नए अधिग्रहण और सेवा – समस्या निवारण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

मुख्य पहचाने गए क्लस्टर (वित्त वर्ष 2026):

1. **सिरेमिक**: जोधपुर, राजकोट, कडप्पा।
2. **इलेक्ट्रिकल्स**: अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर।
3. **इंजीनियरिंग**: राजकोट, लुधियाना, सूरत, थाने, कोलकाता।
4. **खाद्य प्रसंस्करण**: करनाल, पानीपत, औरंगाबाद, जलगाँव।
5. **अतिथि सत्कार**: शिमला, गंगटोक, पणजी, उदयपुर।
6. **कपड़ा**: कानपुर, लुधियाना, सूरत, मुंबई, राजकोट, जोधपुर।

7ए.4 .6 सप्लाई चेन वित्त पोषण (एससीएफ) और डिजिटल इकोसिस्टम

एससीएफ प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च से आगे बढ़कर बड़े स्तर पर काम करने लगा है और इसने 40% क्षेत्रीय संवर्धन हासिल कर लिया है, जबकि 2026-27 तक 100% संवर्धन का लक्ष्य रखा गया है।

- **एकत्रित करना:** बैंक ने अपने सोर्सिंग भागीदार, यूबी के ज़रिए ₹518 करोड़ जुटाए।
- भविष्य हेतु दिशानिर्देश: पीएसबी अलायंस के साथ टाई-अप के ज़रिए, बैंक को मार्च 2027 तक ₹2,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद है ।
- क्षेत्रों में कार्यरत स्टाफ को मज़बूत बनाना: नए डिजिटल टूल्स, जिसमें एमएसएमई पात्रता कैलकुलेटर और सेंट संपूर्ण में योजनाओं की डिजिटल पुस्तिका शामिल हैं, कर्मचारी को ग्राहकों को त्वरित ऋण अर्हता बताने में मदद करते हैं।

7ए.4. 7 मानव संसाधन: संस्थागत उत्कृष्टता

उत्कृष्ट गुणवत्ता की अंडरराइटिंग सुनिश्चित करने के लिए, बैंक गहन प्रशिक्षण के ज़रिए एसएसएमई प्रसंस्करण विशेषज्ञों का एक समूह तैयार कर रहा है।

- **समयकाल**: 225 चिन्हित अधिकारियों के एक बैच ने फरवरी 2026 में सीबीओटीसी कोलकाता और भोपाल में ट्रेनिंग शुरू की।
- **विस्तारण**: बैंक का लक्ष्य 2030 तक प्रत्येक वर्ष 1,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है।

7ए.4 .8 रणनीतिक पहुँच: साइना नेहवाल अभियान

व्यापार में तेजी बनाए रखने के लिए, बैंक ने 1 मई से 30 जून, 2026 तक देशव्यापी 'मेगा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम' आयोजित किया। पद्म भूषण साइना नेहवाल द्वारा होस्ट किए गए इस कैंपेन का ध्यान आरएएम सेगमेंट पर है; इसमें उनकी लोकप्रियता का इस्तेमाल करके ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ाई जाएगी और क्रेडिट वृद्धि को बढ़ावा दिया जाएगा।

7ए.5 कासा को प्रधानता और लक्षित सेगमेंट उत्पाद

कम लागत वाले संसाधनों के साथ आरएएम लेंडिंग की सहायता करने के लिए, बैंक ने "आगाज़" और "प्रारंभ" अधिग्रहण कार्यक्रम के माध्यम से अपनी देयता फ्रैंचाइज़ को और मज़बूत किया।

- **सेंट क्वीन:** खास तौर पर महिलाओं के लिए एक प्रीमियम बचत खाता, जो दुर्घटना बीमा एवं स्वास्थ्य सुविधा भी देता है।
- **सेंट पराक्रम:** प्रतिरक्षा और सुरक्षा कर्मचारियों के लिए एक खास बचत उत्पाद, जो बैंक के प्रति श्रद्धा रखने वाले ग्राहकों के सेगमेंट में क्रॉस-सेल की सुविधा देता है।
- **सेंट प्रेस्टीज:** सरकारी और शीर्ष स्तरीय पीएसयू में कार्यरत पेशेवरों के लिए बनाया गया एक प्रीमियम वेतन खाता।

7ए.6 सह – ऋण वितरण संवर्धन: पहुंच का विस्तार

36 एनबीएफसी/एसएफसी भागीदारों के साथ बैंक के सह – ऋण वितरण ढांचे ने आरएएम वृद्धि खासकर टियर 2 से टियर 4 स्थानों पर, के लिए एक क्षमतावर्धक का काम किया।

- **स्वीकृति बढ़ाना**: इस वर्ष कुल सह – ऋण वितरण मंजूरी ₹7,296.02 करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें खुदरा (₹2,378.43 करोड़) और एमएसएमई (₹2,493.22 Cr) पर खास ध्यान दिया गया ।
- **पोर्टफोलियो शुद्धता:** सह ऋण वितरण पोर्टफोलियो को रणनीतिक गुणवत्ता की ओर अग्रसर किया गया, जिसमें सुरक्षित ऋण 10.58% बढ़कर ₹13,357.86 करोड़ तक पहुंच गया।

7बी. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण: समावेशी गतिसंवर्धन के वादे को पूरा करना

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का कम से कम 40% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र से समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाना है.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 में समावेशी विकास और वित्तीय पहुँच के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुन: दोहराया है. बैंक ने इस विनियामक सीमा को उल्लेखनीय रूप से पार किया, जिसमें 31 मार्च 2026 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम इसके एएनबीसी का 53.18% रही. यह प्रदर्शन अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण खंडों की सेवा करने और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में योगदान देने की दिशा में बैंक के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है.

प्राथमिकता क्षेत्र में उत्कृष्टता | वित्त वर्ष 2025-26

सभी प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणियों में बैंक ने अनिवार्य नियामकीय मानकों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

प्राथमिकता क्षेत्र उपलब्धि बनाम नियामकीय मानक (% ANBC का)

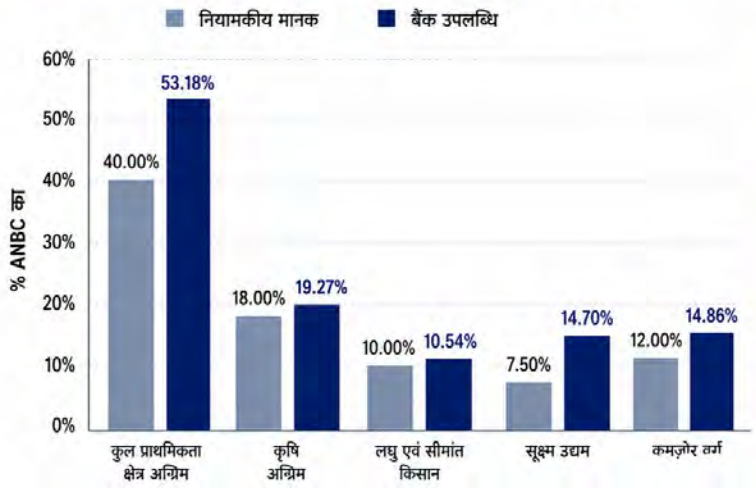

प्रदर्शन सारांश

सभी 5 श्रेणियों में अनिवार्य मानकों से बेहतर प्रदर्शन

श्रेणी	उपलब्धि	मानक से अधिक (प्रतिशत अंक)
कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	53.18%	↑ +13.18 pp
कृषि अग्रिम	19.27%	↑ +1.27 pp
लघु एवं सीमांत किसान	10.54%	↑ +0.54 pp
सूक्ष्म उद्यम	14.70%	↑ +7.20 pp
कमज़ोर वर्ग	14.86%	↑ +2.86 pp

स्रोत: ऑडिटेड वित्तीय परिणाम, मार्च 2026

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रदर्शन

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम 31 मार्च 2026 तक रु.1,59,094.25 करोड़ तक पहुँच गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.15%, अर्थात् रु. 24,448 करोड़ की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हैं. यह विस्तार निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन बनाए रखते हुए कृषि, एमएसएमई और किफायती आवास जैसी प्रमुख श्रेणियों में ऋण पहुंच को बढाने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित था.

कृषि ऋण बढ़कर रू. 61,687.39 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 की तुलना में रू. 9,231 करोड़ की वृद्धि है, इसने एएनबीसी का 19.27% हासिल किया और 18% के विनियामक उप-लक्ष्य को पार कर लिया। इसी प्रकार, एमएसएमई ऋण में 17.06% की मजबूत वार्षिक वृद्धि देखी गई, जिसका कुल अग्रिम बढ़कर रू. 69,350.49 करोड़ हो गया.

शिक्षा ऋण में 43.11% की वृद्धि हुई, जबकि 25 लाख तक के आवास ऋण 20.10% बढ़ कर रु. 24,829.89 करोड़ तक पहुँच गई. नवीकरणीय ऊर्जा, सामाजिक अवसंरचना और निर्यात ऋण जैसी छोटी उप-श्रेणियों में कुछ संकुचन देखा गया, जो चक्रीय रुझानो और पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन को दर्शाता है.

खंड-वार प्रदर्शन का सारांश नीचे रेखांकित किया गया है:

खंड	वित्त वर्ष 2025 (रु. करोड़)	वित्त वर्ष 2026 (रु. करोड़)	वृद्धि (%)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	1,34,646.12	1,59,094.25	18.16%
कृषि	52,456.39	61,687.39	17.60%
एमएसएमई	59,242.97	69,350.49	17.06%
शिक्षा	2,238.30	3,203.14	43.11%
आवास (रु. 25 लाख तक)	20,673.49	24,829.89	20.10%
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	0.82	5.02	512.20%
नवीकरणीय ऊर्जा	0.85	0.31	-63.53%
सामाजिक अवसंरचना	24.25	16.85	-30.52%
निर्यात ऋण	9.05	1.16	-87.18%

पीएसएलसी का रणनीतिक उपयोग और आरआईडीएफ आवंटन

विनियामक पूंजी को अनुकूलित करने और कुछ श्रेणियों में अत्यधिक उपलब्धि का लाभ उठाने के लिए बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र बाज़ार में सक्रिय रूप से भाग लिया. वित्त वर्ष 2025-26 में कुल रु. 6,800 करोड़ के पीएसएलसी बेचे गए, जिनमें कृषि के अंतर्गत रु.5,300 करोड़ और लघु एवं सीमांत किसान उप-श्रेणी के अंतर्गत रु.1,500 करोड़ शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में अपनी उपस्थिति बनाए रखी. 31 मार्च 2026 तक, बकाया आरआईडीएफ) एक्सपोज़र रु. 619.12 करोड़ था, जिसमें से रु. 523.21 करोड़ सहायक गतिविधियों के लिए निर्धारित किए गए थे. ये पहल ग्रामीण विकास का समर्थन करती हैं और बैंक को पात्र निवेशों के माध्यम से उप-लक्ष्यों में कमी को पूरा करने में सक्षम बनाती हैं.

कृषि क्षेत्र

सेंट्रलबैंकऑफ इंडिया आजीविका को बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत की आर्थिक सुदृढ़ता में योगदान देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए कृषि क्षेत्र को अपनी समावेशी विकास रणनीति के केंद्र में बनाए रखना जारी रखता है. वित्त वर्ष 2025-26 में, बैंक ने विशेष वित्तीय उत्पादों, सक्रिय ऋण वितरण, और कृषि-संबद्ध गतिविधियों एवं अवसंरचना के लिए लक्षित सहायता के माध्यम से किसान समुदाय तक अपनी पहुँच को गहरा किया है.

कृषि अग्रिमों में मजबूत वृद्धि

31 मार्च 2026 तक, बैंक के कुल कृषि एवं संबद्ध अग्रिम रु.61,687.39 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2025 के अंत में दर्ज रु. 52,456.39 करोड़ की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 17.60% की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर्शाता है.उल्लेखनीय रूप से, कृषि ऋण से समायोजित निवल बैंक ऋण अनुपात 19.27% तक पहुँच गया, जो 18% की विनियामक आवश्यकता से अधिक है. यह प्रदर्शन भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विनियामक अधिदेशों के अनुपालन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को पुनर्रेखांकित करता है.

विविध एवं समावेशी कृषि-वित्त योजनाएं

बैंक किसानों, कृषि-उद्यमियों और ग्रामीण उद्यमों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि वित्त उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सेंट किसान क्रेडिट कार्ड - फसल उत्पादन, कटाई-उपरांत व्यय, और कार्यशील पूंजी के लिए.
- सेंट एग्री गोल्ड लोन - फसल और पूंजीगत आवश्यकताओं हेतु सोने के बदले त्वरित ऋण सुविधा.
- सेंट पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस योजना - बागवानी फसलों की संरक्षित खेती के लिए.
- सेंट ए.एम.आई - विपणन और भंडारण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए.
- सेंट डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालान और पशुपालन अवसंरचना- संबद्ध गतिविधियों के वित्तपोषण और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए.
- सेंट एस.एच.जी. बैंक लिंकेज और डे-एन.आर.एल.एम. - महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को मियादी एवं आवर्ती ऋण के साथ सशक्त बनाना.
- सेंट फार्म मशीनरीऔर सेंट एग्री इंफ्रा - मशीनीकरण और कटाई-उपरांत निवेश के लिए.
- सेंट सोलर (पीएम-कुसुम के अंतर्गत) – विकेन्द्रीकृत एवं नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों हेतु।

सेंट गोटरी, मशरूम एवं नारी शक्ति – आय के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहित करने तथा अल्प-प्रतिनिधित्व प्राप्त समूहों को समर्थन प्रदान करने हेतु।

सेंट एफपीओ, एफआईडीएफ, पीएमएफएमई एवं कोल्ड स्टोरेज योजनाएँ – उत्पादक संगठनों, प्रसंस्करण इकाइयों तथा ग्रामीण कृषि-लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहित करने हेतु।

ये योजनाएँ कृषि वित्तपोषण के प्रति बैंक के समग्र दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती हैं, जिनमें फसल ऋण, पूंजीगत निवेश, अवसंरचना सृजन तथा जलवायु-सहिष्णु कृषि को समाहित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियाँ एवं पहलें

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने तथा समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक लक्षित पहलें कीं, जिनका विवरण निम्नानुसार है—

- ऋण अभियान एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम: ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं द्वारा प्रतिमाह ऋण शिविरों तथा ग्राम-स्तरीय जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया। इन अभियानों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह वित्तपोषण को बढ़ावा दिया गया तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाओं तक पहुँच का विस्तार किया गया।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र : अधिशेष ऋण वितरण से प्राप्त नियामकीय लाभों के अधिकतम उपयोग हेतु बैंक ने ₹6,800 करोड़ के पीएससीएल प्रमाणपत्र का विक्रय किया, जिनमें से ₹5,300 करोड़ कृषि क्षेत्र तथा ₹1,500 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों से संबंधित थे।
- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि : 31 मार्च 2026 तक बैंक के पास आरआईएफडी के अंतर्गत ₹619.12 करोड़ का बकाया आवंटन था, जिसमें से ₹523.21 करोड़ सहायक गतिविधियों के लिए आवंटित थे। इससे ग्रामीण पूंजी निर्माण में बैंक की सुदृढ़ भूमिका और अधिक सशक्त हुई।
- कृषि समावेशन हेतु डिजिटल नवाचार: बैंक ने आपातकालीन फसल वित्तपोषण सहित डिजिटल कृषि ऋण उत्पादों का पायलट संचालन किया तथा प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रियाएँ प्रारंभ कीं, जिससे दूरस्थ एवं वंचित उधारकर्ताओं के लिए ऋण सुविधाओं की पहुँच और सुगमता में वृद्धि हुई।
- जलवायु-स्मार्ट कृषि पर विशेष ध्यान: सेन्ट पॉली हाउस जैसी योजनाओं के माध्यम से बैंक ने सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया तथा संरक्षित वातावरण में उच्च-मूल्य बागवानी फसलों की खेती हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रदर्शन से ग्रामीण ऋण को प्रोत्साहित करने, प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा सतत कृषि परिवर्तन को गति देने के प्रति बैंक की सक्रिय प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। उत्पाद नवाचार, डिजिटल सशक्तीकरण तथा संस्थागत साझेदारियों के प्रभावी समन्वय के माध्यम से बैंक भारत के कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अपने सकारात्मक प्रभाव का और अधिक विस्तार करने के लिए सुदृढ़ स्थिति में है।

वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय समावेशन को अपनी संस्थागत रणनीति के प्रमुख आधार-स्तंभ के रूप में आगे बढ़ाने के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है। बैंक के लिए वित्तीय समावेशन केवल एक नियामकीय दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, आर्थिक सशक्तीकरण तथा सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने लक्षित योजनाओं, रणनीतिक साझेदारियों तथा डिजिटल सशक्तीकरण के माध्यम से वंचित एवं सेवाविहीन समुदायों तक अपनी पहुँच का और विस्तार किया। इसके परिणामस्वरूप बैंक ने सतत विकास लक्ष्यों , विशेषकर एसडीजी 1 (गरीबी उन्मूलन), एसडीजी 8 (सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक वृद्धि) तथा एसडीजी 10 (असमानताओं में कमी) की प्राप्ति में प्रत्यक्ष योगदान दिया।

कृषि समावेशन को सुदृढ़ बनाना

भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना में कृषि की केंद्रीय भूमिका को ध्यान में रखते हुए बैंक ने किसानों तथा कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए समयबद्ध एवं पर्याप्त ऋण प्रवाह को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि एवं संबद्ध अग्रिमों में 17.60% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹61,687.39 करोड़ तक पहुँच गया। कृषि ऋण-से-एएनबीसी अनुपात 19.27% रहा, जो 18% के नियामकीय लक्ष्य से अधिक है।

कृषि एवं कृषि-व्यवसाय की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक की क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं का व्यापक पोर्टफोलियो उपलब्ध है। प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं—

- सेंट किसान क्रेडिट कार्ड – फसल उत्पादन एवं फसलोपरांत वित्तपोषण हेतु।
- सेंट एग्री गोल्ड लोन – त्वरित तरलता उपलब्ध कराने हेतु।
- सेंट पॉली हाउस योजना – संरक्षित बागवानी को बढ़ावा देने हेतु।
- सेंट डेयरी, सेंट फिशरी एवं सेंट फार्म मशीनरी – कृषि विविधीकरण एवं यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु।
- सेंट एफपीओ, सेंट पीएमएफएमई तथा सेंट कोल्ड स्टोरेज – कृषि अवसंरचना एवं प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने हेतु।
- सेंट सोलर एवं सेंट एग्री इंफ्रा – जलवायु-स्मार्ट कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु।
- सेंट फूड क्लस्टर (दल/चावल/तेल) – रियायती ब्याज दर पर खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु।
- सेंट कोल्ड स्टोरेज/वेयरहाउस क्लस्टर – कृषि अवसंरचना के अंतर्गत कृषि व्यवसाय पोर्टफोलियो की वृद्धि हेतु।
- सेंट एग्रो टी – चाय उत्पादक क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट योजना।

अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं में प्रतिमाह ऋण शिविर आयोजित किए तथा ग्राम स्तर पर साप्ताहिक जागरूकता अभियान संचालित किए। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा सेंट एसएचजी बैंक लिंकेज के अंतर्गत औपचारिक ऋण संपर्क को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों हेतु विशेष शिविर आयोजित किए गए। साथ ही, बैंक ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत समावेशन सुनिश्चित करते हुए लघु एवं सीमांत किसानों को जोखिम न्यूनीकरण का लाभ उपलब्ध कराया।

बैंक ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन को और सुदृढ़ किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट व्यवसाय में 15.68% तथा कुल वित्तीय समावेशन व्यवसाय में 12.99% की वृद्धि दर्ज की गई।

देशभर में बैंकिंग सेवाओं का उल्लेखनीय विस्तार किया गया। 19,336 गाँवों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाया गया तथा 13,685 बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट तैनात किए गए। शहरी क्षेत्रों में 1,268 वित्तीय समावेशन केंद्र संचालित रहे, जिससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित हुई।

प्रौद्योगिकी-संचालित समावेशन

बैंक की समावेशन रणनीति में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण सक्षमकर्ता बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डिजिटल माध्यमों से आपातकालीन कृषि ऋण सुविधा प्रारंभ की गई, जिससे ग्राहकों को समयबद्ध एवं लचीले ढंग से वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकी। यद्यपि डिजिटल वित्तीय साक्षरता संबंधी विशिष्ट आँकड़े उपलब्ध नहीं थे, तथापि बैंक की बढ़ती डिजिटल पहुँच से ग्राहकों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निरंतर ऑनबोर्डिंग हुआ, जिससे स्व-सेवा (Self-service) क्षमताओं तथा वित्तीय जागरूकता में वृद्धि हुई।

सामाजिक सुरक्षा एवं कमजोर वर्गों के लिए सहायता

बैंक ने सेंट नारी शक्ति (महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों हेतु), सेंट किसान साथी (अनौपचारिक साहूकारों से लिए गए ऋण से राहत हेतु) तथा सेंट अनुसूचित जनजाति (कमजोर वर्गों को लक्षित) जैसी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों तक अपनी पहुँच का विस्तार किया। ये योजनाएँ सामाजिक समावेशन एवं लक्षित कल्याण संबंधी राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार समर्थित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई—

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : 17.35% की वृद्धि (कुल 32.26 लाख नामांकन)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : 11.88% की वृद्धि (कुल 116.87 लाख नामांकन)
- अटल पेंशन योजना : 20.35% की वृद्धि (कुल 31.81 लाख नामांकन)

बैंक ने इन योजनाओं के अंतर्गत दावों के निपटान में उल्लेखनीय कार्य निष्पादन किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त 20,539 मृत्यु दावों में से 18,771 दावों तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त 9,248 दावों में से 6,984 दावों का निपटान किया गया। यह समयबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं बैंकिंग संवाददाता मॉडल के अंतर्गत कार्य निष्पादन

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक का कार्य निष्पादन निरंतर सुदृढ़ हुआ। बैंकिंग संवाददाताओं (बीसी) के माध्यम से संपादित व्यवसाय में 15.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹6,917.37 करोड़ हो गया। इसी प्रकार, बीसी खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन संबंधी लेनदेन में 12.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह ₹10,405.36 करोड़ तक पहुँच गया। बीसी के माध्यम से खोले गए कुल खातों की संख्या में 4.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 198.69 लाख हो गई, जो बैंकिंग सेवाओं से अब तक वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में इस मॉडल की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।

पीएमजेडीवाई खातों में आधार सीडिंग की स्थिति में भी सुधार हुआ। सभी खातों में आधार सीडिंग का स्तर बढ़कर 91.25 प्रतिशत तथा परिचालित खातों में 95.51 प्रतिशत तक पहुँच गया, जिससे लाभों के निर्बाध अंतरण और ग्राहकों की पहचान की शुद्धता में वृद्धि हुई।

भौतिक पहुँच, ग्राहक-आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद विकास, विभिन्न साझेदारियों तथा डिजिटल सेवाओं के समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के वित्तीय समावेशन परिदृश्य में एक अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में अपनी सुदृढ़ पहचान स्थापित की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के प्रयास इस मिशन को और अधिक गहराई प्रदान करते हैं, जिसमें ग्रामीण ऋण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, महिलाओं तथा समाज के वंचित एवं संवेदनशील वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। ये प्रयास न केवल विनियामकीय दायित्वों की पूर्ति करते हैं, बल्कि व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए औपचारिक वित्तीय तंत्र में अधिकाधिक लोगों को सम्मिलित कर दीर्घकालिक मूल्य सृजन में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने समर्पित जनसंपर्क एवं जागरूकता पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल देना जारी रखा, जिनमें वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र प्रमुख रहे। ये केन्द्र बैंक की उस कार्यनीति के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसके माध्यम से वित्तीय शिक्षा एवं मार्गदर्शन को बैंकिंग सेवाओं से वंचित तथा अल्पसेवित वर्गों तक पहुँचाया जाता है। इनका प्रमुख उद्देश्य व्यापक वित्तीय शिक्षा प्रदान कर लोगों को सशक्त बनाना, उन्हें सूचित वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाना तथा उपलब्ध वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के प्रति उनकी समझ को बढ़ाना है। वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सात राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में कुल 52 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, केरल में ब्लॉक स्तर पर चार एफएलसीसी स्थापित किए गए हैं। बैंक इन राज्यों में रणनीतिक रूप से स्थापित 178 सामुदायिक वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का भी संचालन कर रहा है। इनकी राज्यवार संख्या इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल (12), मध्य प्रदेश (49), उत्तर प्रदेश (21), राजस्थान (7), बिहार (61), छत्तीसगढ़ (14) तथा महाराष्ट्र (14)। ये केन्द्र समाज के विभिन्न वर्गों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण मंच हैं तथा इनके माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान एवं सामुदायिक बैठकों का आयोजन किया जाता है।

एफएलसीसी, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों तथा सीएफएल की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों का संचालन और पर्यवेक्षण "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान" नामक एक समर्पित सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं के प्रभावी प्रबंधन एवं समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्षस्तरीय शासी परिषद समग्र मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करती है. बैंक विभिन्न संसाधनों का सक्रिय रूप से उपयोग करता है, जिसमें सेवानिवृत्त कार्मिकों की सलाहकार के रूप में बहुमूल्य सेवाएँ भी शामिल हैं। इस पहल के माध्यम से बैंक उनके व्यापक अनुभव एवं ज्ञान का लाभ उठाते हुए ग्राहकों को समृद्ध परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है, जो बैंक की व्यापक वित्तीय समावेशन एवं अनुभव-साझाकरण रणनीति के अनुरूप है। इन प्रयासों का उद्देश्य विशेष रूप से अल्पसेवित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों तथा लघु उद्यमों तक पहुँचना तथा ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी समुदायों में वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप लोगों को प्रभावी वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान प्राप्त हो रहा है तथा उनकी आर्थिक समृद्धि और कल्याण में वृद्धि हो रही है।

आरसेटी के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना

वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को और अधिक सुदृढ़ बनाया। ये संस्थान बैंक की व्यापक रणनीति का एक प्रमुख आधार हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार अथवा लाभकारी रोजगार के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल और उद्यमशीलता क्षमताओं से सुसज्जित करना है। आरसेटी केवल कौशल विकास तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने और समुदायों में सतत आजीविका के अवसरों का सृजन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बैंक देश के नौ राज्यों में रणनीतिक रूप से स्थापित 48 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) का संचालन कर रहा है। इनमें मध्य प्रदेश में 18, बिहार में 9, महाराष्ट्र में 6, उत्तर प्रदेश में 5, पश्चिम बंगाल में 3, छत्तीसगढ़ में 4, राजस्थान में 1, ओडिशा में 1 तथा असम में 1 आरसेटी संचालित हैं। ये संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं, जिनमें व्यावहारिक कौशल विकास, उद्यमशीलता संवर्धन और वित्तीय जागरूकता पर विशेष बल दिया जाता है। आरसेटी, वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्रों तथा वित्तीय साक्षरता केन्द्रों की गतिविधियों का प्रबंधन और पर्यवेक्षण बैंक के समर्पित गैर-लाभकारी ट्रस्ट, "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान" द्वारा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरसेटी द्वारा कुल 1,510 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से 46,914 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें से 34,037 (अर्थात् 72.55 प्रतिशत) प्रशिक्षार्थियों का सफलतापूर्वक पुनर्वास/स्थापन किया गया। पुनर्वासित अभ्यर्थियों में से 22,214 (अर्थात् 47.35 प्रतिशत) को ऋण-संबद्धता (क्रेडिट लिंकेज) प्रदान की गई।

जमीनी स्तर पर उद्यमिता और वित्तीय आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करते हुए आरसेटी समावेशी विकास के महत्वपूर्ण संवाहक के रूप में अपनी भूमिका निरंतर निभा रहे हैं। इन संस्थानों के प्रति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की निरंतर प्रतिबद्धता क्षमता निर्माण की परिवर्तनकारी शक्ति में उसके विश्वास तथा रोजगार सृजन, ग्रामीण उत्थान और समावेशी आर्थिक विकास पर केन्द्रित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।

सामाजिक बैंकिंग एवं सरकार प्रायोजित योजनाएँ

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से समाज के व्यापक वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान कर समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये पहलें वित्तीय समावेशन को गहन बनाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा अल्पसेवित एवं वंचित समुदायों को सशक्त बनाने संबंधी बैंक की रणनीतिक कार्यसूची का अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से एसडीजी-1 (गरीबी उन्मूलन), एसडीजी-8 (सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक वृद्धि) तथा एसडीजी-10 (असमानताओं में कमी) के अनुरूप, बैंक की पहुँच एवं पहलें सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को कम करने तथा सामुदायिक स्तर पर विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने लक्षित वित्तीय साधनों के माध्यम से सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने में सुदृढ़ परिचालन क्षमता का कार्य निष्पादन किया। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुई, जिसका उद्देश्य शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की आजीविका को पुनर्स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत खातों की संख्या 3,48,472 से बढ़कर 3,76,528 हो गई, जो 8.05 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाती है। यह बैंक की समाज के संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया क्षमता को रेखांकित करता है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ समर्थन प्रदान करते हुए बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भी उत्कृष्ट कार्य निष्पादन किया। पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण वितरण ₹8,906.37 करोड़ से बढ़कर ₹9,592.37 करोड़ हो गया, जो 7.70 प्रतिशत की वृद्धि को प्रतिबिंबित करता है। यह वित्तपोषण विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों में कार्यरत गैर-कॉर्पोरेट उद्यमों, विशेष रूप से टियर-II एवं टियर-III शहरों में संचालित इकाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक माध्यम बना हुआ है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। इस योजना के अंतर्गत खातों की संख्या 6,132 से बढ़कर 8,962 हो गई, जो 46.15 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। यह पहल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के औपचारिकीकरण और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा ग्रामीण रोजगार सृजन और मूल्य श्रृंखला एकीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, के अंतर्गत ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस योजना के अंतर्गत ऋण वितरण ₹2,467.79 करोड़ से बढ़कर ₹2,738.15 करोड़ हो गया, जो 10.95 प्रतिशत की वृद्धि को प्रतिबिंबित करता है। यह उत्कृष्ट कार्य निष्पादन विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समग्र रूप से, ये उपलब्धियाँ सामाजिक बैंकिंग एवं समावेशी विकास के प्रति बैंक की गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। अपनी 4,545 शाखाओं के व्यापक नेटवर्क तथा सुव्यवस्थित बैंकिंग संवाददाता मॉडल के माध्यम से बैंक ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी तथा बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों तक वित्तीय उत्पादों की अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित करता है। इन प्रयासों को बैंक के वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान और अधिक सुदृढ़ बनाते हैं, जो वित्तीय आत्मनिर्भरता की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों को आवश्यक प्रशिक्षण, जागरूकता एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

बैंक की डिजिटल परिवर्तन संबंधी पहलों ने भी इसके सामाजिक उद्देश्य को प्रभावी रूप से सशक्त बनाया है। प्रौद्योगिकी-आधारित सरलीकरण, जैसे एमएसएमई ऋणों का डिजिटल नवीनीकरण तथा ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं का सरलीकरण, ने वित्त तक पहुँच को अधिक सुगम बनाया है और लघु उधारकर्ताओं के लिए प्रसंस्करण समय में उल्लेखनीय कमी की है। ये सुधार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए अधिक सक्षम और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण संबंधी बैंक के उद्देश्य में सार्थक योगदान देते हैं।

आगे बढ़ते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी सामाजिक

बैंकिंग पहलों की पहुँच और प्रभावशीलता का विस्तार करने के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है। बैंक सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी को और सुदृढ़ करेगा, प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करेगा तथा अपने विविध ग्राहक वर्ग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप लक्षित योजनाओं का विकास जारी रखेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त परिणाम वित्तीय समावेशन के एक विश्वसनीय संवाहक तथा भारत की समावेशी विकास यात्रा के एक दृढ़ सहयोगी के रूप में बैंक की भूमिका के सशक्त प्रमाण हैं।

8(ए). आंतरिक नियंत्रण परिवेश : जोखिम प्रबंधन, अनुपालन एवं वसूली

विभिन्न उन्नत नियंत्रण तंत्रों के संस्थानीकरण के माध्यम से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 'व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष' में 'उत्कृष्टता प्रदान करने' से आगे बढ़कर 'अपने वचन का निर्वहन करने' की दिशा में सफल परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन प्रस्तावित वित्त वर्ष 2027 के 'व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष' की ओर अग्रसर होने के लिए एक सुरक्षित, सुदृढ़ और स्थिर आधार प्रदान करता है।

आंतरिक नियंत्रण कार्य निष्पादन का सारांश

नियंत्रण घटक	वि व 2025 की स्थिति	वित्त वर्ष 2026 (गति संवर्धन वर्ष के परिणाम)
अनुपालन पोर्टल	मूलभूत ढाँचा	'सक्षम' सभी शाखाओं में क्रियाशील/लाइव किया गया
एनपीए स्लिपेज नियंत्रण	1.45%	1.16 प्रतिशत (1.25 प्रतिशत से कम का लक्ष्य प्राप्त)
डिजिटल विश्वास	स्थानांतरण की योजना	.bank.in" डोमेन पर स्थानांतरण पूर्ण
लेखापरीक्षा कवरेज	मैनुअल रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान	रीयल-टाइम निगरानी हेतु 'प्रिज्म' पोर्टल

8(ए).1. प्रशासकीय व्यवस्था एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का आंतरिक नियंत्रण परिवेश निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा संचालित एक सुदृढ़ ढाँचे पर आधारित है, जिसका उद्देश्य बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा वित्तीय प्रतिवेदन की सत्यनिष्ठा एवं विश्वसनीयता को बनाए रखना है।

- **एमडी एवं सीईओ तथा सीएफओ का प्रमाणीकरण**: 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी ने वित्तीय प्रतिवेदन हेतु आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं उनके अनुरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का प्रमाणीकरण किया है। उन्होंने इन नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा यह पुष्टि की है कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इन नियंत्रणों की अभिकल्पना अथवा संचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी परिलक्षित नहीं हुई।
- **लेखापरीक्षकों की राय**: सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के स्वतंत्र तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर निष्कलंक राय व्यक्त की है। उन्होंने यह पुष्टि की है कि बैंक के वित्तीय विवरण सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बैंक की वित्तीय स्थिति का सत्य एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।
- **मिशन प्रगति**: बैंक का यह केंद्रीय परिवर्तन केंद्र पर्यवेक्षण की एक अतिरिक्त परत के रूप में कार्य करता है। यह संस्थागत क्षमता निर्माण को गति प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रक्रिया पुनर्रचना संबंधी पहलें नियामकीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनी रहें।

8(ए).2. स्वचालित अनुपालन निगरानी

'व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष' की एक ऐतिहासिक उपलब्धि हस्तचालित निगरानी व्यवस्था से आगे बढ़कर स्वचालित तथा रीयल-टाइम निगरानी तंत्र को अपनाना रही है।

- **वास्तविक समय निगरानी**: बैंक ने स्वचालित अनुपालन निगरानी पोर्टल प्रारंभ किया है, जो संपूर्ण शाखा नेटवर्क में नीतियों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है।
- **दक्षता एवं त्वरित कार्यक्षमता**: नियमित अनुपालन संबंधी कार्यों के स्वचालन के माध्यम से बैंक ने विचलनों की तत्काल पहचान करने की अपनी क्षमता को सुदृढ़ किया है। इससे संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा मिला है तथा लागत-आय अनुपात को 56 प्रतिशत से नीचे लाने के बैंक के उद्देश्य को समर्थन प्राप्त हुआ है।

8 ए.3. ऋण निगरानी एवं जोखिम नियंत्रण

ऋण व्यवसाय में 18.76 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद परिसंपत्ति गुणवत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से बैंक ने ऋण क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है।

- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली**: बैंक ने अपनी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की क्षमता को और अधिक सशक्त बनाया है, जिससे उधारकर्ता खातों में उत्पन्न होने वाले संभावित तनाव के शुरुआती संकेतों की सक्रिय रूप से पहचान करना संभव हुआ है। इस व्यवस्थित नियंत्रण तंत्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्लिपेज अनुपात को घटाकर 1.16 प्रतिशत तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- **'वॉर रूम आधारित अनुशासित निगरानी**: विशेष उल्लेख खातों की दैनिक समीक्षा हेतु समर्पित वॉर रूम व्यवस्था अपनाई गई, जिसके माध्यम से त्वरित सुधारात्मक हस्तक्षेप सुनिश्चित हुआ तथा सकल एनपीए अनुपात घटकर 2.67 प्रतिशत रह गया।
- **विशिष्ट निगरानी व्यवस्था**: ₹250 करोड़ से अधिक के बड़े ऋण जोखिमों के लिए बैंक निरंतर 'विशिष्ट निगरानी एजेंसियों' की सेवाएँ ले रहा है, जो वास्तविक समय में लेनदेन आधारित सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करती हैं।

8(क).4. डिजिटल अवसंरचना एवं साइबर सुरक्षा नियंत्रण

जब डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी बढ़कर रिकॉर्ड 90.54 प्रतिशत तक पहुँच गई, तब बैंक की प्रौद्योगिकी अवसंरचना पर आधारित आंतरिक नियंत्रणों का महत्व और अधिक बढ़ गया।

- **ऑपरेशनल रेजिलिएंसी कमांड सेंटर** : यह केंद्र महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों तथा ग्राहक-संबंधी सेवाओं के कार्य निष्पादन की 24x7 निगरानी करता है। स्वचालित कोर बैंकिंग प्रणाली के दिनांत प्रसंस्करण का उपयोग करते हुए यह व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
- **सीएसओसी एवं पीएएमएस**: 24x7 कार्यरत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) वास्तविक समय में साइबर खतरों की पहचान एवं निगरानी करता है, जबकि विशेषाधिकार प्राप्त अभिगम प्रबंधन प्रणाली(पीएएमएस) तथा डेटा रिसाव रोकथाम उपकरण (डीएलपी) आंतरिक जोखिमों को कम करने और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक हैं।
- **डोमेन माइग्रेशन** : ".bank.in" डोमेन में सफल माइग्रेशन बैंक की डिजिटल विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने वाला एक उच्च-स्तरीय नियंत्रण संकेतक है। यह पहल डिजिटल विश्वास को बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य की नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने में भी सहायक है।

8(क).5. लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण फ्रेमवर्क

बैंक ने एक बहुस्तरीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण फ्रेमवर्क विकसित किया है, जो परिचालन जोखिमों की समय रहते पहचान करने हेतु एक प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी तंत्र के रूप में कार्य करता है।

- **समवर्ती लेखापरीक्षा**: 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत बैंक के कुल व्यवसाय का लगभग 60 प्रतिशत तथा कुल अग्रिमों का 72.64 प्रतिशत भाग शामिल है। यह व्यवस्था महत्वपूर्ण शाखा परिचालनों की वास्तविक समय निगरानी एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करती है।
- **अनुपालन एवं विधिक लेखापरीक्षा** : नीतियों से संबंधित विचलनों की पहचान के लिए 696 शाखाओं में नियमित अनुपालन लेखापरीक्षाएँ संचालित की गईं। साथ ही, विधिक लेखापरीक्षाओं के माध्यम से बैंक के परिसंपत्ति पोर्टफोलियो से संबंधित प्रलेखन की विधिक वैधता एवं प्रवर्तनीयता सुनिश्चित की गई।

8 ए .6. वसूली

वित्त वर्ष 2026 के दौरान बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में एक ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया। बैंक का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात घटकर 2.67 प्रतिशत पर आ गया, जो हाल के वर्षों में इसका न्यूनतम स्तर है। साथ ही, स्वचालित अनुपालन निगरानी पोर्टल तथा उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों जैसे प्रणालीगत हस्तक्षेपों के माध्यम से स्लिपेज अनुपात को 1.16 प्रतिशत तक नियंत्रित रखा गया। बैंक की अभूतपूर्व लाभप्रदता में बट्टे खाते में डाले गए खातों से हुई वसूली का निर्णायक योगदान रहा। इस मद में वसूली 77.01 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ₹2,271 करोड़ तक पहुँच गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह राशि ₹1,716 करोड़ थी। इस प्रदर्शन को एनपीए खातों से ₹1,146 करोड़ की कुल नकद वसूली तथा सक्रिय उन्नयन (अपग्रेडेशन) के माध्यम से ₹443 करोड़ मूल्य के खातों को पुन: 'मानक' श्रेणी में लाने की उपलब्धि से और अधिक मजबूती मिली। विषय-आधारित एकमुश्त निपटान योजनाओं तथा सरफेसी से संबंधित परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए देशव्यापी मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो आयोजित कर बैंक ने आक्रामक वसूली संस्कृति को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। परिणामस्वरूप, बैंक ने 95.97 प्रतिशत का अत्यंत सुदृढ़ प्रावधान कवरेज अनुपात बनाए रखा, जिसने प्रस्तावित वित्त वर्ष 2027 के 'व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष' की दिशा में अग्रसर होने के लिए एक लचीला, सुरक्षित और मजबूत आधार प्रदान किया।

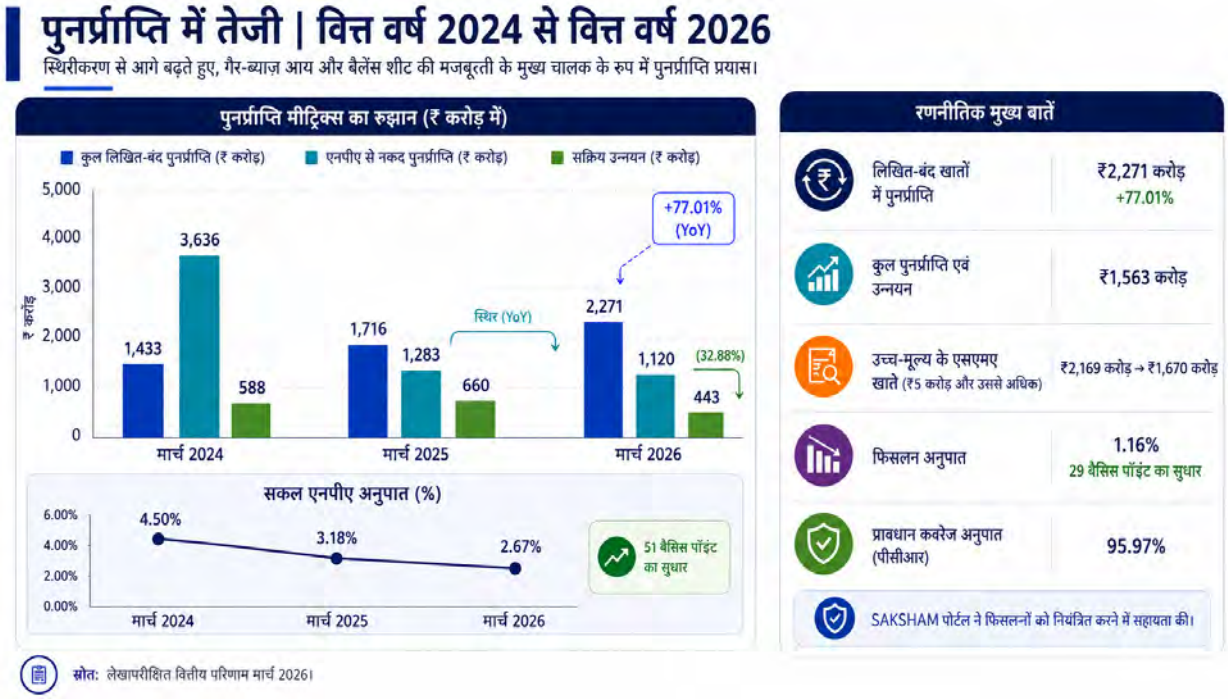

8 ए.7. सहायक कंपनी नियंत्रण : सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

आंतरिक नियंत्रण उत्कृष्टता का विस्तार बैंक की सहायक कंपनियों तक भी है, जिससे समूह-स्तर पर वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित होती है।

- **असंशोधित लेखापरीक्षा मत:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएफएसएल के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों ने निष्कलंक राय व्यक्त की है तथा यह पुष्टि की है कि कंपनी में पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।
- **मानक संचालन प्रक्रिया :** सीएफएसएल ने निष्क्रिय न्यास खातों पर होल्डिंग शुल्क अधिरोपित करने हेतु नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू की है। इस पहल से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा प्रशासनिक अनुशासन के मानकीकरण को भी बल मिला है।
- **सॉफ्टवेयर आधारित सुरक्षा उपाय:** सहायक कंपनी विशेषीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, जिसमें अनिवार्य लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा उपलब्ध है। यह प्रणाली पूरे वर्ष प्रभावी रूप से संचालित रही और अभिलेखों में किसी भी अनधिकृत परिवर्तन या छेड़छाड़ को रोकने में सहायक सिद्ध हुई।

8(बी). अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग : वैश्विक उपस्थिति का विस्तार

'**व्यवसायिक गति संवर्धन वर्ष**' के दौरान बैंक का अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग एक विशिष्ट सहयोगी इकाई से विकसित होकर विस्तारयोग्य वृद्धि के एक प्रमुख प्रेरक के रूप में उभरा है। "अपने वादे को निभाना" की अवधारणा से प्रेरित होकर बैंक ने प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा भारत की निर्यात महत्वाकांक्षाओं को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से अपने अंतरराष्ट्रीय ढाँचों को बड़े पैमाने पर ठोस परिणामों में परिवर्तित किया है। बैंक की सीमा-पार बैंकिंग गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, ग्राहकों को समर्पित सेवाएँ प्रदान करने तथा अनुपालन मानकों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बैंक ने एक नए अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग का गठन किया है। इस प्रभाग की स्थापना बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने, प्रभावी रणनीतियों का निर्माण करने तथा बैंक की अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं उन्नत बनाने के उद्देश्य से की गई है।

यह नया प्रभाग 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तथा इसका मुख्य ध्यान बैंक के वर्तमान ग्राहकों के साथ अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संबंधों को और गहरा करने, संभावित ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाने, विभागीय कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करने तथा इस क्षेत्र में बैंक की उपस्थिति को और सशक्त बनाने के लिए नई रणनीतियों के कार्यान्वयन पर केंद्रित रहेगा।

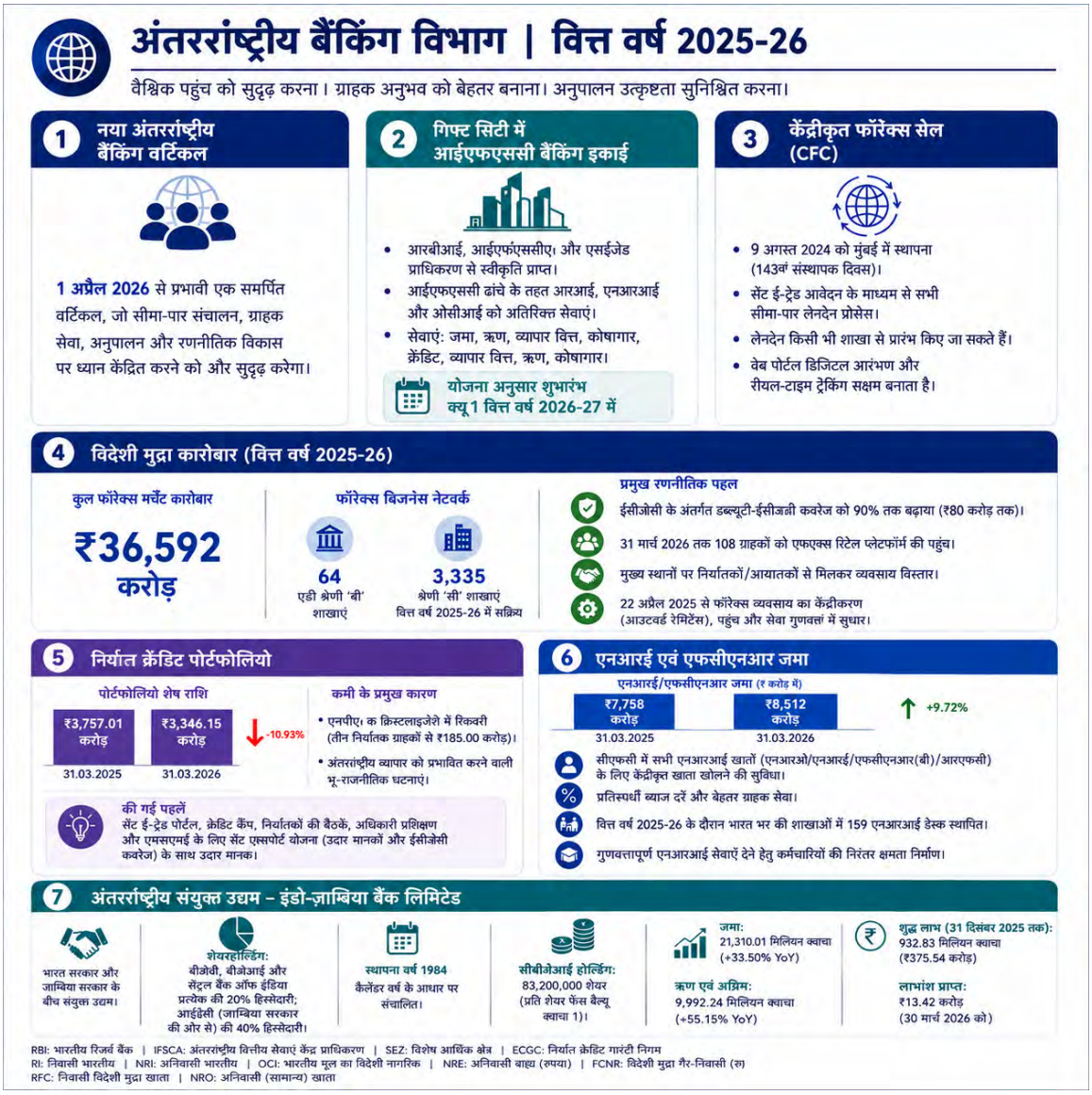

गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग इकाई की स्थापना

बैंक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी, गांधीनगर, गुजरात में अपनी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बैंकिंग इकाई स्थापित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कांडला पोर्ट से नियामकीय एवं सांविधिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

आईएफएससी बैंकिंग इकाई बैंक की देशभर में स्थित वर्तमान शाखाओं द्वारा पहले से प्रदान की जा रही विदेशी मुद्रा विनिमय एवं व्यापार वित्त सेवाओं के अतिरिक्त अनेक नई सेवाएँ प्रदान करेगी। ये सेवाएँ विशेष रूप से बैंक के वर्तमान एवं संभावित ग्राहकों, जिनमें निवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के विदेशी नागरिक शामिल हैं, को गिफ्ट सिटी व्यवस्था के अंतर्गत अनुमत प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएँगी। इन सेवाओं में बचत एवं चालू खातों के रूप में जमा सुविधाएँ, ऋण एवं व्यापार वित्त सेवाएँ, जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार, क्रेता एवं आपूर्तिकर्ता ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, सिंडिकेटेड ऋण तथा ट्रेजरी सेवाएँ शामिल होंगी।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही के दौरान अपनी आईएफएससी बैंकिंग इकाई प्रारंभ करने की योजना बनाई है।

केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा कक्ष

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालन के केंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ की, जिससे बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित की जा सके और सभी विदेशी मुद्रा परिचालन को एक ही स्थान पर लाकर अनुपालन संस्कृति को सुदृढ़ किया जा सके।

बैंक के 143वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 9 अगस्त 2024 को मुंबई के सर सोराबजी भवन (पूर्व में एवर्ट हाउस) में बैंक द्वारा केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा कक्ष की स्थापना की गई।

सभी सीमा पार लेनदेन, जिनमें बहिर्वाह प्रेषण, अंतर्वाह प्रेषण, विदेशी बैंक गारंटी, आयात बिल, विदेशी साख पत्र और निर्यात शामिल हैं, बैंक के नवीनतम सेंट ई-ट्रेड एप्लिकेशन के माध्यम से केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा कक्ष में संपन्न किए जाएंगे।

बैंक की सभी शाखाएं अब सेंट ई-ट्रेड एप्लिकेशन के माध्यम से व्यापार और गैर-व्यापार लेनदेन आरंभ कर सकती हैं, जिन्हें प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच और उचित परिश्रम के पश्चात केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा कक्ष में आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। इससे फेमा (एफईएमए) और अन्य नियामक तथा बैंक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। ग्राहकों को अब अधिकृत डीलर श्रेणी 'बी' शाखा से सीधे या अपने क्षेत्र में किसी गैर-अधिकृत डीलर शाखा के माध्यम से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बैंक की किसी भी शाखा से लेनदेन आरंभ किया जा सकता है।

बैंक ने एक वेब-आधारित सेंट ई-ट्रेड कस्टमर वेब पोर्टल की शुरुआत की है, जो सभी व्यापार वित्त लेनदेन को आरंभ करने में सक्षम है। इस पोर्टल के माध्यम से, ग्राहक आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करके सीधे बाहरी प्रेषण, विदेशी बैंक गारंटी, साख पत्र, निर्यात बिल जमा करने और प्राप्ति, तथा निर्यात पैकिंग ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन दस्तावेज़ों को केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा कक्ष में आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। इससे परिचालन में लचीलापन बढ़ा है और ऐसे लेनदेन के लिए लगने वाला समय काफी कम हो गया है।

इसके अतिरिक्त, सेंट ई-ट्रेड पोर्टल, ग्राहक पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत फॉरेक्स कक्ष, शाखा और ग्राहक स्तर पर आवेदनों की सरल ट्रैकिंग को संभव बनाता है।

विदेशी मुद्रा व्यापार

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ग्राहकों की ओर से किए गए आंतरिक और बाहरी प्रेषण, निर्यात लेनदेन और आयात लेनदेन से संबंधित भारतीय केंद्रीय बैंक का कुल विदेशी मुद्रा व्यापारी कारोबार ₹36,592 करोड़ रहा।

विदेशी मुद्रा परिचालनों को सुदृढ़ एवं अधिक प्रभावी बनाने के लिए बैंक ने निम्नलिखित सहित अनेक रणनीतिक पहलें कीं:

- बैंक ने बैंकों के लिए संपूर्ण व्यापार निर्यात ऋण बीमा का एक उन्नत विकल्प चुना है, जो 90% तक की गारंटी प्रदान करता है। सभी पैकिंग ऋण और पोस्ट-शिपमेंट सीमाओं के लिए कुल बकाया निर्यात ऋण सीमा ₹80.00 करोड़ तक है, जो कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ईसीजीसी) का कवरेज बैंक के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह निर्यात ऋण में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए ईसीजीसी कवर की सीमा तक उच्च प्रावधान की आवश्यकता को कम करता है।
- 31 मार्च 2026 तक, एफएक्स रिटेल एक्सेस एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। बैंक के खुदरा ग्राहकों को प्रत्यक्ष विनिमय दरें प्राप्त करने के लिए 108 ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान की गई। सभी गैर-अधिकृत डीलर शाखाओं को अपने ग्राहकों के अनुरोध सीधे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग को भेजने की अनुमति दी गई, ताकि उन्हें एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म में शामिल किया जा सके।
- बैंक ने अपने उत्पादों के व्यापक प्रचार-प्रसार और विद्यमान सेवाओं के उन्नयन हेतु ग्राहकों से सुझाव एवं प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से तिरुपुर, हैदराबाद, मदुरै एवं चेन्नई सहित देश के विभिन्न केंद्रों पर निर्यातकों एवं आयातकों के लिए ग्राहक बैठकें आयोजित कीं।

बैंक का विदेशी मुद्रा कारोबार पहले इसकी 64 अधिकृत डीलर श्रेणी 'बी' शाखाओं के माध्यम से परिचालित होता था। 22 अप्रैल 2025 से बाहरी प्रेषण लेनदेन के साथ, बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा कारोबार का केंद्रीकरण आरंभ किया। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, अतिरिक्त 3,335 श्रेणी 'सी' शाखाओं को सक्रिय किया गया ताकि अधिकृत डीलर श्रेणी 'बी' शाखा के हस्तक्षेप के बिना सीधे नए व्यापार वित्त केंद्र ई-ट्रेड एप्लिकेशन के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेनदेन आरंभ किया जा सके।

श्रेणी 'सी' की शाखाओं से प्राप्त अनुरोध अब सीधे केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा कक्ष में प्रसंस्करण के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे शाखाओं में बैंक के विदेशी मुद्रा कारोबार की पहुंच में वृद्धि हुई है, ग्राहक सेवा में सुधार हुआ है और अनुपालन को मजबूत किया गया है। बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संलग्न ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सेवा वितरण में सुधार करने का प्रयास जारी रखेगा।

निर्यात ऋण पोर्टफोलियो

बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो 31 मार्च 2026 तक ₹3,346.15 करोड़ था, जबकि 31 मार्च 2025 तक यह ₹3,757.01 करोड़ था। इस कमी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:

- विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित उधार खातों में बकाया गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की राशि को अंतिम रूप देकर वसूली की गई। कुल वसूली राशि लगभग ₹185.00 करोड़ रही, जो बैंक के तीन निर्यातक ग्राहकों से संबंधित खातों से प्राप्त हुई।
- रूस-यूक्रेन युद्ध, इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष, लाल सागर संकट तथा मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में उभरते भू-राजनीतिक घटनाक्रमों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं। परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले बैंकों के अनेक निर्यातक ग्राहकों के समक्ष अनिश्चितताएँ एवं चिंताएँ बढ़ गईं।

बैंक ने अपने निर्यात ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करने के लिए कई पहलों को लागू किया है, जैसे कि सेंट ई-ट्रेड पोर्टल की शुरुआत के साथ विदेशी मुद्रा व्यवसाय का केंद्रीकरण, क्रेडिट कैप और निर्यातकों की बैठकें आयोजित करना, तथा

अधिकारियों को बेहतर समझ और प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निर्यातकों की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। उदाहरण के लिए, बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों के लिए विशेष रूप से सेंट एक्सपोर्ट स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें ग्राहकों को ऋण देने के लिए उदार मानदंड निर्धारित किए गए हैं, और ईसीजीसी की गारंटी भी उपलब्ध है।

एनआरई और एफसीएनआर जमा

बैंक ने अपने अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर दिया है। सभी अनिवासी भारतीय खाते, जिनमें एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर(बी) और आरएफसी खाते शामिल हैं, केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा कक्ष के तहत खोले जा रहे हैं। यह कदम प्रक्रिया को मानकीकृत करने, अनावश्यकताओं को समाप्त करने, परिचालन को सुव्यवस्थित करने और अनिवासी भारतीय सेवाओं के वितरण में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनिवासी बाह्य जमा और विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा में वृद्धि दर्ज की है। कुल अनिवासी बाह्य जमा और विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा 31 मार्च 2025 को ₹7,758 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹8,512 करोड़ हो गए, जो 9.72% की वृद्धि दर्शाते हैं।

बैंक ने उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा प्रदान करना जारी रखा है, साथ ही इन जमा योजनाओं पर प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरें भी उपलब्ध कराई हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत के विभिन्न स्थानों पर 159 एनआरआई डेस्क स्थापित किए गए। इन एनआरआई डेस्क पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए निरंतर क्षमता निर्माण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि वे दैनिक कार्यों का प्रबंधन कर सकें, नए एनआरआई ग्राहकों को आकर्षित कर सकें और बैंक के ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान कर सकें।

8 बी.1 अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम: इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड

ज़ाम्बिया में स्थित इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड, ज़ाम्बिया गणराज्य की सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक भारतीय बैंक की इसमें 20% हिस्सेदारी है, जबकि सरकारी स्वामित्व वाली निवेश कंपनी औद्योगिक विकास निगम, ज़ाम्बिया सरकार की ओर से शेष 40% हिस्सेदारी रखती है।

1984 में स्थापित, इंडो-ज़ाम्बिया बैंक कैलेंडर वर्ष के अनुसार कार्य करता है। 31 मार्च 2026 तक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास संयुक्त उद्यम में 83,200,000 शेयर थे, जिनमें से प्रत्येक शेयर का मूल्य 1 क्वाचा था। बैंक ने वर्ष के दौरान सुदृढ़ विकास दर का कार्यनिष्पादन जारी रखा। जमा राशि पिछले वर्ष की तुलना में 33.50% बढ़कर 21,310.01 मिलियन क्वाचा हो गई, जबकि ऋण और अग्रिम राशि 55.15% बढ़कर 9,992.24 मिलियन क्वाचा हो गई। 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए कैलेंडर वर्ष के लिए, इंडो-ज़ाम्बिया बैंक ने 932.83 मिलियन क्वाचा का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो ₹375.54 करोड़ के बराबर है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी इंडो-ज़ाम्बिया बैंक से ₹13.42 करोड़ का शुद्ध लाभांश प्राप्त हुआ।

ज़ाम्बिया बैंक का कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए 30 मार्च 2026 का अभिलेख।

मदें	विवरण
संयुक्त उद्यम इकाई	इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड,
स्थान	ज़ाम्बिया
स्थापना वर्ष	1984
संचालन वर्ष	कैलेंडर वर्ष में
शेयरधारिता संरचना	बैंक ऑफ बड़ौदा: 20%; बैंक ऑफ इंडिया: 20%; सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 20%; ज़ाम्बिया सरकार की औद्योगिक विकास निगम: 40%
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग	83,200,000 शेयर,
प्रति शेयर अंकित मूल्य	क्वाचा 1
जमा राशि	21,310.01 मिलियन क्वाचा
जमा राशि में वृद्धि	पिछले वर्ष की तुलना में 33.50% की वृद्धि
ऋण और अग्रिम	9,992.24 मिलियन क्वाचा
ऋण और अग्रिमों में वृद्धि	पिछले वर्ष की तुलना में 55.15% की वृद्धि
31 दिसंबर 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	932.83 मिलियन क्वाचा, जो ₹375.54 करोड़ के समकक्ष है।
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त शुद्ध लाभ	वर्ष 2025 के लिए ₹13.42 करोड़ की राशि 30 मार्च 2026 को प्राप्त हुई.

8बी.5 डिपॉजिटरी सेवाएं: पूंजी बाजार तक पहुंच को तेज करना

"**व्यवसायिक गति संवर्धन वर्ष**" में, बैंक ने अपने ग्राहकों की बढ़ती निवेश आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूंजी बाजारों में अपनी उपस्थिति का रणनीतिक विस्तार किया है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक सशक्त डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के रूप में कार्य करते हुए अपनी डिपॉजिटरी सेवाओं को सुदृढ़ करने में निरंतर प्रयासरत है।

रणनीतिक विस्तार और द्वि-स्तरीय उपस्थिति

अपने 8.26 करोड़ ग्राहकों को विकल्प और लचीलापन प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, बैंक - जो पहले सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट था - ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट

बनने का आधिकारिक रूप से विकल्प चुना है। दोहरी डिपॉजिटरी मॉडल में यह परिवर्तन हमारी विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे ग्राहकों को भारत के डिपॉजिटरी बुनियादी ढांचे की संपूर्ण श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त हो।

परिचालन उत्कृष्टता और केंद्रीकरण

उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने तथा जोखिम-अनुशासित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के डिपॉजिटरी परिचालनों का पूर्णत: केंद्रीकरण किया गया है। इनका प्रबंधन मुंबई के फोर्ट स्थित एमर्जिंग बिज़नेस शाखा में अवस्थित विशेष नोडल कार्यालय, कैपिटल मार्केट सेल (सीएमसी), द्वारा किया जाता है।

- अखिल भारतीय स्तर पर पहुंच: सीबीआई-केयर के ग्राहक सेवा स्तंभ के अनुरूप, हमारे 4,585 शाखाओं के व्यापक नेटवर्क में स्थित सभी शाखाएं ओएलएओ (ऑनलाइन खाता खोलने) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डीमैट खाता खोलने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं।
- प्राथमिक बाजार सहायता: पूंजी बाजार प्रकोष्ठ (एएसबीए) (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन) सेवाओं के लिए नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करना जारी रखता है, जिससे हमारे ग्राहकों के लिए देश के प्रमुख शेयर और ऋण बाजारों में निर्बाध सहभागिता सुनिश्चित होती है।

3-इन-1 खाता प्रणाली: एक सरल अनुभव प्रदान करना

बैंक एकीकृत निवेश अनुभव प्रदान करने के लिए बैंकिंग, डीमैट और ट्रेडिंग सेवाओं को समेकित करने की दिशा में सक्रिय रूप से प्रयासरत है।

- **रणनीतिक साझेदारियां**: बैंक ने 3-इन-1 खाता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आदित्य बिरला मनी लिमिटेड तथा एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ भागीदारी स्थापित की है।
- **गति संवर्धन की स्थिति** : इन ट्रेडिंग सेवाओं के लिए तकनीकी एकीकरण की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है, जिसके परिणामस्वरूप खुदरा एवं उच्च निवल मूल्य वाले (एचएनआई) ग्राहकों के लिए भविष्य-उन्मुख, एंड-टू-एंड निवेश पोर्टल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

31 मार्च, 2026 तक, बैंक डीमैट खाताधारकों के बढ़ते आधार को सेवा प्रदान करता है, जो हमारे विकासोन्मुख व्यावसायिक वर्टिकल के सफल विस्तार को दर्शाता है।

तालिका 8बी.5: डिपॉजिटरी सेवाओं के प्रमुख चरण

फीचर	वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्थिति:	वित्तीय वर्ष 2025-26 (त्वरण परिणाम)
डिपॉजिटरी संबंध	केवल सीडीएसएल	दोहरी उपस्थिति: सीडीएसएल और एनएसडीएल
ट्रेडिंग साझेदारी	योजना का चरण	आदित्य बिरला मनी तथा एसएमसी ग्लोबल के साथ साझेदारी
खाता खोलना	शाखा-नेतृत्व वाला	सभी शाखाओं में ओएलएओ लागू है।
परिचालन	विखंडित	यह पूरी तरह से केंद्रीकृत है (मुंबई नोडल कार्यालय)

8सी. सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल अवसंरचना: विकास का प्रेरक

वित्त वर्ष 2025-26 में, बैंक की प्रौद्योगिकी रणनीति आधारभूत स्थिरीकरण से तीव्र क्रियान्वयन की दिशा में अग्रसर हुई, जो "व्यवसायिक गति संवर्धन वर्ष" की नींव बनी। डिजिटलीकरण ने परिचालन चपलता के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कार्य किया, जिससे बैंक संस्थागत सुदृढ़ता बनाए रखते हुए अपने कुल कारोबार को ₹8,00,000 करोड़ से अधिक तक विस्तारित करने में सक्षम हुआ। बैंक की अवसंरचना अब एक "भविष्य के लिए तैयार" पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती है, जो 22,129 संपर्क बिंदुओं के विशाल नेटवर्क पर 24x7 बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है।

8सी.1 डिजिटल आधारभूत संरचना और परिचालन लचीलापन

बैंक आईएसओ-प्रमाणित डेटा केंद्रों और शून्य डेटा हानि वास्तुकला के साथ निर्मित आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र द्वारा समर्थित एक सशक्त प्रौद्योगिकी आधार का संचालन जारी रखता है।

- **व्यापार निरंतरता**: नियमित अभ्यासों द्वारा समर्थित समकालिक और असमकालिक प्रतिकृति ढांचा, ऑनलाइन, मोबाइल, एटीएम और आरटीजीएस चैनलों पर निर्बाध बैंकिंग संचालन की गारंटी देता है।
- **ऑपरेशनल रेजिलिएंसी कमांड सेंटर (ओआरसीसी)**: निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया।

महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए, ओआरसीसी स्वचालित सीबीएस एंड-ऑफ-डे (ईओडी) प्रोसेसिंग और उन्नत एप्लिकेशन प्रदर्शन निगरानी का उपयोग करता है ताकि निरंतर सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

- **अपनाए जाने का पैमाना**: इस बुनियादी ढांचे ने डिजिटल जुड़ाव में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रभावी ढंग से संभाला, जिसके साथ वित्त वर्ष 2026 में वैकल्पिक वितरण चैनलों (एडीसी) के माध्यम से डिजिटल लेनदेन का हिस्सा ऐतिहासिक रूप से 90.54% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है।

8सी.2 आंतरिक रूपांतरण केन्द्र के माध्यम से रूपांतरण

बैंक के केंद्रीय रूपांतरण केंद्र ने प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन का संस्थानीकरण आंतरिक रूपांतरण वर्टिकल के माध्यम से किया।

- **प्रिज़्म पोर्टल**: प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम (पीआरआईएसएम) पोर्टल का उपयोग सभी प्रमुख परिवर्तन और डिजिटलीकरण परियोजनाओं की वास्तविक समय में ट्रैकिंग, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए किया गया है।
- **कोर उत्कृष्टता**: संगठनात्मक सुधार और ईज उत्कृष्टता केंद्र कोर ने यह सुनिश्चित किया कि सभी आईटी पहलें नियामक प्राथमिकताओं और सरकारी पहलों, जैसे कि ईज 7.0 सुधारों के अनुरूप बनी रहें।

8 सी.3 आईटी गवर्नेंस, अनुपालन और डेटा सुरक्षा

प्रौद्योगिकी प्रशासन एक सुव्यवस्थित बहुस्तरीय निगरानी तंत्र पर निर्भर करता है, जिसमें बोर्ड स्तर की आईटी रणनीति समिति और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में आईटी जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है।

- **मानक और लेखापरीक्षा**: बैंक ने आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा) और आईएसओ 22301 (व्यावसायिक निरंतरता) के साथ निरंतर अनुपालन बनाए रखा, जिसे सीईआरटी-इन सूचीबद्ध एजेंसियों और आरबीआई समीक्षाओं द्वारा नियमित लेखापरीक्षाओं के माध्यम से और सुदृढ़ किया गया।
- **कार्डधारक सुरक्षा**: पीसीआई-डीएसएस स्तर 1 संस्करण 4.0 अनुपालन प्राप्त करना कार्डधारकों के डेटा की सुरक्षा और डिजिटल विश्वास के निर्माण के प्रति बैंक की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

8सी.4 सूचना सुरक्षा एवं डिजिटल विश्वास

परिष्कृत साइबर खतरों के युग में, बैंक ने उच्च-स्तरीय सुरक्षा नियंत्रणों तथा संस्थागत विश्वास की स्थापना एवं संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान की है :

- **डोमेन माइग्रेशन**: बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग तथा ई-मेल प्रणाली का ".bank.in" डोमेन पर सफल माइग्रेशन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इस पहल से बैंक की साइबर सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ हुई है तथा ग्राहकों के लिए यह डिजिटल विश्वास के एक स्पष्ट एवं विश्वसनीय प्रतीक के रूप में कार्य करती है।
- **रीयल-टाइम सुरक्षा**: 24x7 साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र के माध्यम से निरंतर जोखिम निगरानी तथा साइबर घटनाओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाती है। इस व्यवस्था को प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम (PAMS) और डेटा लीकेज प्रिवेंशन (DLP) टूल्स द्वारा समर्थन प्राप्त है ।

8सी.5 वित्त वर्ष 2025-26 में प्रमुख डिजिटल उपलब्धियाँ एवं नवाचार

वित्त वर्ष के दौरान बैंक का प्रौद्योगिकी एजेंडा सुविधा एवं नवाचार के वादे को मूर्त रूप देने पर केंद्रित रहा :

- **सेंट नियो इकोसिस्टम**: अगली पीढ़ी के ग्राहकों की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए सेंट नियो डिजिटल बैंक के विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की गई।
- **डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म**: इसका विस्तार 37 सक्रिय ग्राहक यात्राओं तक किया गया, जिससे निर्बाध एवं त्वरित अनुमोदन सुनिश्चित हुए तथा कुल अग्रिमों में वृद्धि को बल मिला।
- **वर्चुअल डेबिट कार्ड**: सेंट ईज ऐप के माध्यम से रीयल-टाइम निर्गम एवं सक्रियण सुविधा प्रारंभ की गई, जिससे विनिर्माण लागत में कमी आई तथा डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा मिला।
- **सेंट ईज व्यापार साथी**: लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एक व्यापक कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग मंच प्रारंभ किया गया, जिसमें बल्क अपलोड सुविधा तथा बहु-उपयोगकर्ता कार्यप्रवाह जैसी विशेषताएँ उपलब्ध हैं।
- **इन-हाउस डीईएएफ़ पोर्टल**: आरबीआई के यूपीडीजीएएम फ्रेमवर्क के अनुरूप दावा न की गई जमाओं के प्रबंधन हेतु एकीकृत पोर्टल लागू किया गया, जिससे पारदर्शिता तथा ग्राहकों का विश्वास और सुदृढ़ हुआ।
- **वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने वाली पहलें**: बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु 40 बीसी मैक्स केन्द्र स्थापित किए गए। साथ ही, दावों के निपटान को सरल बनाने के उद्देश्य से इंटरनेट बैंकिंग में बहुविध नामांकन की सुविधा भी प्रारंभ की गई।

सारणी 8.1: डिजिटल विकास की प्रगति यात्रा

मापदंड	मार्च 2025	मार्च 2026	वृद्धि %
इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता (लाख में)	114.29	117.62	2.91%
मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता (लाख मे)	91.90	93.36	1.59%
डिजिटल लेन-देन का प्रतिशत हिस्सा(%)	86.15%	90.54%	439 bps
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹करोड़ में)	21.31	23.89	12.11%

(स्रोत:लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम एवं कॉर्पोरेट प्रस्तुतीकरण, मई 2026)

8डी. कोषागार, निधि एवं निवेश

31 मार्च 2026 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निवेश पोर्टफोलियो ₹1,58,831.58 करोड़ था। इसमें गैर-एसएलआर श्रेणी के भारत सरकार के पुनर्पूंजीकरण बॉण्डों में निवेशित ₹17,982.40 करोड़ भी शामिल हैं।

निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

(₹करोड़)

क्र. सं.	संरचना	वित्त वर्ष2025	वित्त वर्ष 2026
1	एसएलआर	1,11,907.80	1,28,830.15
2	गैर-एसएलआर	31,124.22	30,001.43
	कुल	**1,43,032.02**	**1,58,831.58**

8डी.1 मौद्रिक एवं समष्टिआर्थिक परिवेश

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का समष्टि आर्थिक परिवेश स्थिर बना रहा, जिसमें मुद्रास्फीति में निरंतर नरमी तथा आर्थिक वृद्धि की गति में स्थिरता देखी गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के औसतन लगभग 2.50% से 2.60% के स्तर पर रहने का अनुमान है, जिसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता, आपूर्ति स्थितियों में सुधार तथा वैश्विक वस्तु-बाजारों में अनुकूल रुझानों का समर्थन प्राप्त हुआ। कोर मुद्रास्फीति भी लगभग 4.2% से 4.4% के स्तर पर नियंत्रित रही, जो आगत लागतों के अपेक्षाकृत कम दबाव को दर्शाती है।

मुद्रास्फीति में आई नरमी से घरेलू उपभोग को समर्थन मिला तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र के लाभ मार्जिन में सुधार हुआ। तथापि, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों तथा खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली मौसम संबंधी अनिश्चितताओं के कारण जोखिम बने रहे।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने क्रमिक रूप से समायोजनकारी रुख अपनाया। फरवरी 2025 में प्रारंभ किए गए दर कटौती चक्र के पश्चात्, भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रमबद्ध रूप से रेपो दर में कुल 125 आधार अंकों की अतिरिक्त कटौती की, जिससे रेपो दर 5.25 प्रतिशत के स्तर के निकट पहुँच गई। इन कटौतियों का उद्देश्य मुद्रास्फीति को लक्षित दायरे के भीतर बनाए रखते हुए आर्थिक वृद्धि को समर्थन प्रदान करना था। इन उपायों में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किए जाने के माध्यम से 100 आधार अंकों की कमी के साथ-साथ खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के अंतर्गत क्रय नीलामियाँ तथा यूएसडी/आईएनआर क्रय-विक्रय स्वैप परिचालन भी शामिल थे।

पिछले वर्ष की तुलना में तरलता की स्थिति में सुधार हुआ, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सक्रिय उपायों का समर्थन प्राप्त हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित माध्यमों से तरलता का प्रबंधन किया :

- टिकाऊ तरलता उपलब्ध कराने हेतु खुले बाजार परिचालन।
- अल्पकालिक तरलता के सूक्ष्म समायोजन के लिए परिवर्तनीय रेपो दर तथा परिवर्तनीय रिवर्स रेपो दर नीलामियाँ।
- प्रणालीगत तरलता तथा मुद्रा विनिमय दर की अस्थिरता के प्रबंधन के लिए विदेशी मुद्रा स्वैप परिचालन।
- तरलता की स्थिति स्थिर होने के साथ-साथ नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) संबंधी आवश्यकताओं का क्रमिक सामान्यीकरण।

प्रणालीगत तरलता अधिकांश अवधि के दौरान अधिशेष अथवा तटस्थ स्थिति में रही, जिससे ऋण वृद्धि तथा वित्तीय बाजारों की स्थिरता को समर्थन प्राप्त हुआ।

वैश्विक स्तर पर, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक सहजता का क्रम जारी रहा। मुद्रास्फीति के लक्षित स्तरों की ओर घटने के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिज़र्व जैसे केंद्रीय बैंकों ने कुल 75 आधार अंकों की दर कटौती लागू की। तथापि, नीतिगत विचलन बना रहा, जहाँ जापान में मजदूरी-प्रेरित मुद्रास्फीति के परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक नीति के सख्तीपूर्ण रुझान को बनाए रखा गया।

वैश्विक वित्तीय बाजार भू-राजनीतिक जोखिमों तथा वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बने रहे, जबकि भारत सहित उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की ओर पूंजी प्रवाह, वृद्धि दर के अनुकूल अंतर तथा व्यापक आर्थिक सुदृढ़ता के कारण सामान्यत: स्थिर बना रहा।

वित्त वर्ष के दौरान, मानक प्रतिफल 6.48 प्रतिशत से 7.03 प्रतिशत के दायरे में रहे तथा जून 2025 में अल्पावधि के लिए 6.11 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को भी स्पर्श किया।

मार्च के प्रथम सप्ताह में पश्चिम एशिया में संघर्ष प्रारंभ होने से पूर्व, भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल 6.52 प्रतिशत से 6.66 प्रतिशत के दायरे में कारोबार कर रहे थे, पाँच वर्षीय ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप 5.95 प्रतिशत से 6.03 प्रतिशत के दायरे में कारोबार कर रहा था तथा ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत लगभग 72 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। तथापि, शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में तीव्रता आने के पश्चात्, मानक प्रतिफलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे वे 7 प्रतिशत के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करते हुए 7.03 प्रतिशत पर बंद हुए। 30 मार्च 2026 तक ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप का स्तर भी बढ़कर कई महीनों के उच्चतम स्तर 6.80 प्रतिशत पर पहुँच गया।

8डी.2 कोषागार आय का निष्पादन

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25 (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2025-26 (₹ करोड़)
निवेशों की बिक्री पर लाभ	1,048	1,054
विनिमय लेन-देन पर लाभ	225	180
लाभांश आय	9	18
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर(लाभ/हानि)	145	(93)
कुल कोषागार आय	**1,427**	**1,159**

वित्त वर्ष 2025-26 में, प्रतिफलों में वृद्धि के कारण निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ में उल्लेखनीय गिरावट आने से कुल कोषागार आय में पर्याप्त कमी दर्ज की गई और यह ₹1,159 करोड़ रह गई।

- कारोबार लाभ को छोड़कर निवेशों पर प्रतिफल में 13 आधार अंकों की कमी आई और यह वित्त वर्ष 2024-25 के 6.87 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में 6.74 प्रतिशत रह गया।
- कारोबार लाभ सहित निवेशों पर प्रतिफल में 15 आधार अंकों की कमी आई और यह 7.45 प्रतिशत से घटकर 7.30 प्रतिशत रह गया।

ब्याज दर संवेदनशीलता के प्रबंधन हेतु बैंक ने अपने निवेश पोर्टफोलियो की अवधि प्रोफाइल में आवश्यक समायोजन किए। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार:

- संशोधित अवधि : 4.25, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 3.46 था।
- मूल्य में एक आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव (पीवी01) : 18.08, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 13.28 था।

बीमा क्षेत्र में रणनीतिक विस्तार

- एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल के अंतर्गत, बैंक ने निम्नलिखित अधिग्रहणों के माध्यम से बीमा सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश किया :
- जनरली सेन्ट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से ज्ञात)में 24.91 प्रतिशत हिस्सेदारी।
- जनरली सेन्ट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फ्यूचर जेनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से ज्ञात) में 25.27 प्रतिशत हिस्सेदारी।

यह निवेश बैंक की वित्तीय सेवाओं के विविधीकरण रणनीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उसे एकीकृत बैंकिंग एवं बीमा समाधान प्रदान करने में सक्षमता प्राप्त होगी। यह अपेक्षित है कि

- दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य में वृद्धि करना
- आय के नए स्रोतों का सृजन करना।
- पारंपरिक बैंकिंग आय पर निर्भरता को कम करना।

9. मानव पूंजी प्रबंधन : संवर्धन इंजन को गति प्रदान करना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मानव पूंजी प्रबंधन को बैंक की सफलता को आगे बढ़ाने में केंद्रीय तत्व के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा इसे परिचालन उत्कृष्टता और रणनीतिक सफलता की आधारशिला माना जाता है। बैंक के लिए अपने कर्मचारियों में निवेश करना, उसके भविष्य में निवेश के समान है। मानव पूंजी प्रबंधन बैंक की सफलता एवं स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो परिचालन दक्षता, ग्राहक संतुष्टि तथा नवाचार को प्रभावित करता है।

वित्त वर्ष 2025 - 26 के दौरान, मानव पूंजी प्रबंधन के प्रति बैंक की नीति निरंतर रणनीतिक पहलों पर केंद्रित रही, जिनमें कर्मचारी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण कर्मचारी सहभागिता तथा कल्याण पर विशेष बल दिया गया। यह दृष्टिकोण एक अधिक समावेशी, संलग्न एवं कुशल कार्यबल को प्रोत्साहित

करने के लिए तैयार किया गया है, जो संगठनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप हो। वित्त वर्ष 2025-26 में की गई पहलों का उद्देश्य नेतृत्व विकास, डिजिटल सशक्तिकरण तथा कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए एक अधिक अनुकूलनशील एवं सुदृढ़ कार्यबल के लिए मजबूत आधार तैयार करना रहा। मानव पूंजी विकास की रणनीतिक प्राथमिकताओं में एक गतिशील एवं संलग्न कार्यबल का निर्माण तथा प्रतिभा विकास एवं प्रतिधारण को सुदृढ़ करना भी शामिल है।

मानव पूंजी प्रदर्शन में सुधार | वित्त वर्ष 2026

प्रतिभा अधिग्रहण, क्षमता निर्माण, विविधता और कर्मचारी कल्याण में रणनीतिक निवेशों ने कार्यबल की सुदृढ़ता और संगठनात्मक तत्परता को मजबूत किया।

प्रमुख मानव पूंजी KPI सुधार (वित्त वर्ष 2025 की तुलना में परिवर्तन)

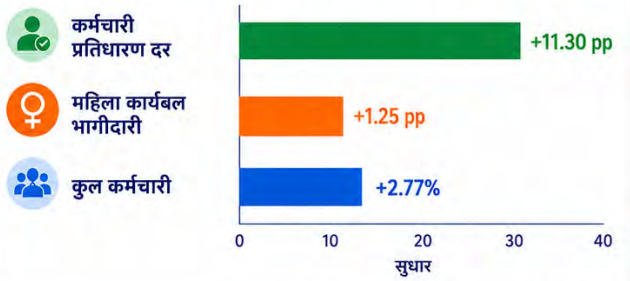

संदर्भ डेटा (वास्तविक मान)

मापदंड	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026
कुल कर्मचारी	31,610	33,081	33,997
कर्मचारी प्रतिधारण दर	80.50%	87.00%	98.30%
महिला कार्यबल भागीदारी	26.18%	27.51%	28.76%

मानव पूंजी KPI स्कोरकार्ड

मापदंड	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2026	परिवर्तन
कुल कर्मचारी	33,081	33,997	+916
कर्मचारी प्रतिधारण दर	87.00%	98.30%	+11.30 pp
महिला कार्यबल भागीदारी	27.51%	28.76%	+1.25 pp
नए भर्ती	–	2,419	–
प्रशिक्षणाधीन क्रेडिट अधिकारी	–	1,000	–
राष्ट्रीय कर्मयोगी प्रतिभागी	–	10,000+	–
सर्व-महिला पिंक शाखाएँ	–	115	–
कार्यबल में प्रशिक्षुओं का %	–	7.12%	–

वित्त वर्ष 2026 मानव पूंजी सक्षमकर्ता एवं प्रमुख बिंदु

प्रतिभा अधिग्रहण
भविष्य-तैयार कार्यबल को सुदृढ़ करने हेतु प्रमुख भूमिकाओं में लक्षित भर्ती।

क्षमता निर्माण
भविष्य की तैयारी हेतु नेतृत्व, कार्यक्षेत्र और डिजिटल क्षमता कार्यक्रम।

समावेशन एवं विविधता
115 पिंक शाखाएँ और लैंगिक समावेशन पर मजबूत जोर।

कर्मचारी कल्याण
परामर्श, स्वास्थ्य सेवा समर्थन और वित्तीय सुरक्षा पहल।

नवाचार एवं चपलता
i³ पोर्टल, मिशन प्रगति और डिजिटल चैंपियंस परिवर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं।

कार्यबल सुदृढ़ता
उच्च प्रतिधारण, सहभागिता और सकारात्मक कार्य संस्कृति।

स्रोत: लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम और कॉर्पोरेट प्रस्तुति, मई 2026।

वित्त वर्ष 2025-26 में उपलब्धियाँ एवं पहलें

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मानव संसाधन को सुदृढ़ करने हेतु कई प्रमुख रणनीतियाँ एवं पहलें लागू कीं :

कार्यबल में वृद्धि एवं भर्ती: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभा को आकर्षित करने के उद्देश्य से लक्षित भर्ती पहलों के माध्यम से अपने कार्यबल को सुदृढ़ किया, जिससे संगठनात्मक विकास में योगदान प्राप्त हुआ। ये रणनीतिक भर्ती पहलें बैंक के व्यावसायिक उद्देश्यों तथा भावी आवश्यकताओं के अनुरूप थीं। इस अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल 2,419 कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिनमें 1,164 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 163 क्षेत्र आधारित अधिकारी तथा 117 विशेषज्ञ अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 1,000 क्रेडिट अधिकारियों (पीजीडीबीएफ) के समावेशन हेतु एक विशेष भर्ती पहल भी की गई है, जिन्हें बेंगलुरु स्थित मणिपाल अकादमी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा वे वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान बैंक में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इन रणनीतिक प्रयासों का उद्देश्य कुशल प्रतिभा को आकर्षित करना तथा बैंक की उस प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है जिसके अंतर्गत वह विकसित होती बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक सक्षम एवं भावी कार्यबल का निर्माण कर रहा है।

प्रतिभा विकास एवं प्रशिक्षण: वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने व्यावसायिक प्राथमिकताओं के अनुरूप लक्षित अधिगम पहलों के माध्यम से नेतृत्व एवं कार्यबल क्षमताओं को सुदृढ़ किया। नेतृत्व विकास को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र विज़िट्स तथा प्रतिष्ठित बाह्य संस्थानों के सहयोग से संचालित संरचित कार्यक्रमों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ किया गया।

क्षेत्रीय विशेषज्ञता को एमएसएमई तथा धारणीय वित्त संबंधी प्रशिक्षणों के माध्यम से सुदृढ़ किया गया साथ ही ऋण उत्कृष्टता विशिष्ट कार्यक्रम भी शामिल किए गए। विक्रय दक्षता, ग्राहक सेवा, संचार तथा टीम निर्माण विषयों पर व्यापक क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में किया गया, जिनमें प्रत्येक विषय के लिए 4,000 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 10,000 से अधिक कर्मचारियों को "राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम" के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिससे नागरिक केन्द्रित सेवा दृष्टिकोण को और सुदृढ़ता मिली।

बैंक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षणों के माध्यम से डिजिटल क्षमताओं के विकास पर भी विशेष बल दिया। साथ ही डिजिटल शिक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनी अधिगम प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन की दिशा में भी पहल की गई।

कर्मचारी कल्याण एवं सहभागिता: बैंक ने कर्मचारी कल्याण पर विशेष ध्यान बनाये रखा। यह प्रतिबद्धता "सेंट चेतना" जैसी पहलों में परिलक्षित होती है। जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को गोपनीय परामर्श तथा भावनात्मक सहायता सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। वहीं "सेंट आरोग्य" के माध्यम से कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 24★7 टेली-चिकित्सा परामर्श सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 – 26 के लिए 20 करोड़ के परिक्रामी शोक सहायता कोष की स्थापना कर सेंट्रलाइट परिवार के प्रति संवेदनशील सहयोग भी प्रदान किया। कर्मचारी कल्याण को प्रोत्साहित करने तथा संगठनात्मक दक्षता में वृद्धि के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025 – 26 के दौरान विभिन्न नीतियों की समीक्षा एवं अनुमोदन किया गया।

विविधता एवं समावेशन: बैंक ने आरक्षण नीति तथा समान अवसर नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से समावेशी एवं न्यायसंगत कार्यस्थल को बढ़ावा देना जारी रखा। बैंक ने लैंगिक समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए महिला कार्यबल की भागीदारी को वित्तीय वर्ष 2025 के 27.5 प्रतिशत से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2026 में 28.76 प्रतिशत तक पहुँचाया।

बैंक ने "सेंट ममता" नामक प्रसूति-पूर्व एवं प्रसूति-पश्चात् परामर्श पहल तथा मातृत्व अवकाश के उपरांत कार्य पर लौटने वाली महिला कर्मचारियों के समर्थन हेतु बैंक टू वर्क प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल की सुगम्यता एवं समावेशन को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सुगम्यता एवं समावेशन सर्वेक्षण भी आयोजित किया गया।

कार्यबल विकास एवं वित्तीय समावेशन सहभागिता : वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाने हेतु मानव पूँजी की सहभागिता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें की गई। इसके अंतर्गत समृद्ध परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त कार्मिकों को सलाहकार के रूप में जोड़ा गया जो बैंक की व्यापक समावेशन एवं अनुभव साझाकरण रणनीति के अनुरूप था। वित्तीय वर्ष 2026 में कार्यबल विकास संबंधी प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना का क्रियान्वयन भी शामिल था। कुल कर्मचारियों में प्रशिक्षुओं की हिस्सेदारी लगभग 6.09% प्रतिशत रही जिसमें कौशल उन्नयन तथा नियोजनीयता को बढ़ावा मिला।

औद्योगिक संबंध: वित्तीय वर्ष 2026 में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए गए। जिन्हें प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सम्मान तथा सक्रिय संवाद द्वारा और सुदृढ़ किया गया।, जिससे सहयोगात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा मिला।

वित्तीय वर्ष 2026 में प्रमुख निष्पादन संकेत

बैंक मानव पूँजी से संबंधित विभिन्न प्रमुख निष्पादन संकेतों की निगरानी करता है। वित्तीय वर्ष 2026 की एक उल्लेखनीय उपलब्धि कुल कर्मचारी प्रतिधारण दर में महत्वपूर्ण सुधार रही जो वित्तीय वर्ष 2025 के 87 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में 98.3 प्रतिशत हो गई। यह कर्मचारियों की बढ़ी हुई कार्य संतुष्टि तथा संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महिला कार्यबल की भागीदारी भी वित्तीय वर्ष 2025 के 27.51 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में 28.76 प्रतिशत हो गई।कर्मचारियों की कुल संख्या 33081 से बढ़कर 33997 हो गई तथा नियुक्त किए गए विशेषज्ञ अधिकारियों की संख्या 471 से बढ़कर 610 हो गई।

इन सभी संकेतकों के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2026 के वार्षिक निष्पादन ने वर्ष के लिए निर्धारित वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया। वित्तीय वर्ष 2026 में मानव पूँजी प्रबंधन के अन्तर्गत की गई ये पहलें एवं उपलब्धियाँ एक ऐसे सहयोगात्मक एवं गतिशील वातावरण के निर्माण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास दोनों को प्रोत्साहित करता है तथा व्यापक वित्तीय सेवाओं के अग्रणी प्रदाता बनने तथा आर्थिक विकास को गति देने के बैंक के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रभावी मानव पूँजी प्रबंधन को कर्मचारी संतुष्टि एवं प्रतिधारण में वृद्धि का आधार माना जाता है जो बैंक की दीर्घकालिक समृद्धि को दृढ़ करता है।

औद्योगिक संबंध

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पारस्परिक सम्मान, पारदर्शिता तथा प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच खुले संवाद पर आधारित सकारात्मक एवं सहयोगात्मक कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों को परिचालन निरंतरता एवं संस्थागत स्थिरता की आधारशिला माना जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी कल्याण तथा बैंक की दीर्घकालिक सफलता में योगदान देते हैं।

वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान बैंको ने अपने सभी परिचालन क्षेत्रों में सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सफलतापूर्वक बनाये रखा। यह उपलब्धि कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद तथा सक्रिय संचार एवं पारस्परिक सम्मान पर आधारित प्रबंधन धारणा का परिणाम रही। बैंक का यह दृष्टिकोण विश्वास एवं सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देता है। जो आगे चलकर उत्पादकता, कार्यस्थल,मनोबल तथा संगठनात्मक प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करता है।

वर्ष के दौरान व्यापक मानव पूँजी प्रबंधन ढांचे ने सकारात्मक कार्यबल गतिशीलता को सुदृढ़ करने में महत्वूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। कर्मचारी केंद्रित नीतियों जिनमें – कर्मचारी कल्याण, समावेशन, व्यावसायिक विकास तथा संगठनात्मक दक्षता शामिल है – की समीक्षा की गई तथा उनका क्रियान्वयन किया गया, जिससे सहयोगात्मक कार्य वातावरण को और तेजी मिली। ये नीतियाँ बैंक की व्यापक ईएसजी प्रतिबद्धताओं तथा उत्तरदायी व्यावसायिक आचार के अनुरूप है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए आंतरिक आकलनों में यह पुष्टि हुई कि बैंक की किसी भी शाखा अथवा कार्यालय में बाल श्रम, बंधुआ अथवा अनैच्छिक श्रम, कार्यस्थल पर भेदभाव, यौन उत्पीड़न अथवा वेतन संबंधी शिकायत का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, मानवाधिकार संबंधी शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत भी कोई शिकायत

प्राप्त नहीं हुई। यह बैंक द्वारा नैतिक रोजगार प्रथाओं के अनुपालन तथा सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समावेशी कार्यस्थल बनाए रखने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करता है।

सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने पर बैंक का सतत बल भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में उसे एक पसंदीदा नियोक्ता के रूप में सुदृढ़ करता है। सहयोगात्मक एवं नैतिक कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया संगठनात्मक सामंजस्य बनाए रखने तथा अपने कर्मचारियों एवं हितधारकों के कल्याण में सकारात्मक योगदान देने के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है।

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का समुचित रूप से अनुपालन करता है। यह नीति कार्यबल के सभी संवर्गों में लागू की जाती है, जो विविधता, समावेशन, समान अवसर तथा सामाजिक न्याय के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। केन्द्रीय कार्यालय में स्थापित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन,निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है तथा सरकारी दिशानिर्देशों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। मुख्य संपर्क अधिकारी इस प्रकोष्ठ के कार्यों की देखरेख करते हैं, शिकायतों का निवारण करते हैं तथा एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करतें हैं।

आरक्षण रोस्टरों का संधारण सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है तथा पारदर्शिता एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नियमित रूप से अद्यतन कर बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। वर्ष 2024 के आरक्षण रोस्टर का वर्ष के दौरान निरीक्षण भी किया गया। कल्याण संघों तथा आंतरिक शिकायत निवारण समितियों के साथ नियमित संवाद आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निरन्तर सुधार को और सुदृढ़ बनाते हैं।

इसके अतिरिक्त बैंक 1 फरवरी, 2019 से भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्यक्ष भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान कर रहा है।

विविधता एवं समावेशन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता उसकी व्यापक मानव पूँजी दर्शन में परिलक्षित होती है। जो कर्मचारी विकास, डिजिटल सशक्तीकरण, सहभागिता, कल्याण तथा समान अवसर पर बल देता है। ये प्रयास गतिशील कार्यबल के निर्माण तथा प्रतिभा विकास एवं प्रतिधारण को सुदृढ़ करने संबंधी बैंक की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन करते हैं। महिला कार्यबल की भागीदारी वित्तीय वर्ष 2025 के 27.51 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में 28.76 प्रतिशत हो गई। जो अधिक विविधतापूर्ण एवं समावेशी कार्यस्थल की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाती है।

आरक्षण नीति के सतत कार्यान्वयन एवं निगरानी से सभी कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत एवं समावेशी कार्य वातावरण बनाये रखने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ होती है।

कार्यबल क्षमता, समावेशन तथा कल्याण को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त पहलें

वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान की गई अतिरिक्त पहलों में 1000 ऋण अधिकारियों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल था, जिसका उद्देश्य ऋण मूल्यांकन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाना था। इसके अतिरिक्त फेमा दिशानिर्देशों एवं विप्रेषण संबंधी मामलों में प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा संचालित 159 विशिष्ट एनआरआई डेस्कों की स्थापना की गई तथा शाखाओं में डिजिटल चैंपियनों को नामित किया गया ताकि सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके और सेन्ट – ईज पर ग्राहक ऑनबोर्डिंग में सहायता प्रदान की जा सके। बैंक ने पूर्णत: महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित 115 पिंक शाखाओं के माध्यम से समावेशी नेतृत्व को और सुदृढ़ किया तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के माध्यम से युवाओं की रोजगार योग्यता को बढ़ावा दिया जिसमें प्रशिक्षुओं की हिस्सेदारी कुल कर्मचारियों की लगभग 6.09 प्रतिशत थी। संस्थागत रूपांतरण को 'मिशन प्रगति', बैंक के केंद्रीय रूपांतरण केंद्र तथा कर्मचारी-प्रेरित नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले "i3 – आइडिएट, इनोवेट, इंस्पायर" डिजिटल पोर्टल के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ किया गया। कर्मचारी कल्याण एवं प्रत्यास्थता को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने "सेंट चेतना" नामक गोपनीय परामर्श सेवा प्रारंभ की, सुगम्यता एवं समावेशन सर्वेक्षण आयोजित किया, मातृत्व अवकाश से लौटने वाली महिला कर्मचारियों के लिए 12 माह की मातृत्व सहायता पायलट योजना शुरू की तथा कार्य संतुष्टि, कार्यस्थल संस्कृति एवं कार्य-जीवन संतुलन का आकलन करने हेतु नियमित हैप्पीनेस सर्वेक्षण जारी रखे।

राजभाषा विभाग की विशेष उपलब्धियां : वित्त वर्ष 2025–26

वित्त वर्ष 2025–26 राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से बैंक के लिए अत्यंत उल्लेखनीय रहा। इस अवधि में न केवल हिंदी के प्रयोग को संस्थागत स्तर पर सुदृढ़ किया गया, बल्कि नवाचार, प्रकाशन, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं के माध्यम से इसे व्यापक जन-भागीदारी से भी जोड़ा गया। विभिन्न राष्ट्रीय मंचों पर प्राप्त सम्मान तथा आंतरिक पहलों ने बैंक की राजभाषा प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

पुरस्कार एवं सम्मान

वर्ष के दौरान बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, गांधीनगर में बैंक के संयोजन में कार्यरत विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मदुरै नराकास को सर्वोच्च प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पणजी, देवरिया, ग्वालियर, अकोला एवं ठाणे नराकासों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मान प्रदान किए गए।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा बैंक को भाषिक क्षेत्र 'ख' में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धि रही। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा गुवाहाटी एवं पणजी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा पणजी एवं ठाणे नराकासों को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए।

अन्य संस्थाओं द्वारा भी बैंक की उपलब्धियों को सराहा गया। मुंबई स्थित साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्था 'आशीर्वाद' द्वारा बैंक को "भाषा-सेतु पुरस्कार" तथा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री कुशल पाल को "आशीर्वाद राजभाषा गौरव पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

नराकास स्तर पर भी बैंक के विभिन्न कार्यालयों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा, जहां कुल 73 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 25 प्रथम, 15 द्वितीय, 20 तृतीय एवं 13 प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल हैं। यह उपलब्धि बैंक के सभी स्तरों पर राजभाषा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

समग्र रूप से, वित्त वर्ष 2025–26 में राजभाषा विभाग ने पुरस्कार, प्रकाशन, नवाचार एवं व्यापक सहभागिता के माध्यम से हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन को नई दिशा प्रदान की है। यह उपलब्धियां बैंक की उस सतत प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं, जिसके माध्यम से हिंदी को कार्य-संस्कृति का अभिन्न अंग बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

10. तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन एवं वसूली: परिसंपत्ति गुणवत्ता के वादे को बनाए रखना

व्यावसायिक गति संवर्धन के वर्ष में, तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन ने प्रतिक्रियात्मक परिमार्जन की भूमिका से आगे बढ़कर वित्तीय सुदृढ़ता के एक सक्रिय प्रेरक तंत्र का रूप धारण कर लिया। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यह मान्यता दी कि तीव्र व्यावसायिक वृद्धि को सतत मूल्य सृजन के अपने "हमारे वादे को पूरा करना " संकल्प के अनुरूप उच्चस्तरीय पोर्टफोलियो स्वच्छता का आधार प्राप्त होना चाहिए। आक्रामक वसूली संस्कृति को संस्थागत रूप प्रदान करने तथा प्रणालीगत निगरानी को सुदृढ़ बनाने के परिणामस्वरूप बैंक ने परिसंपत्ति गुणवत्ता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इसका प्रमाण सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में सुधार के रूप में सामने आया, जो घटकर 2.67 प्रतिशत रह गया, जो हाल के वर्षों में इसका न्यूनतम स्तर है।

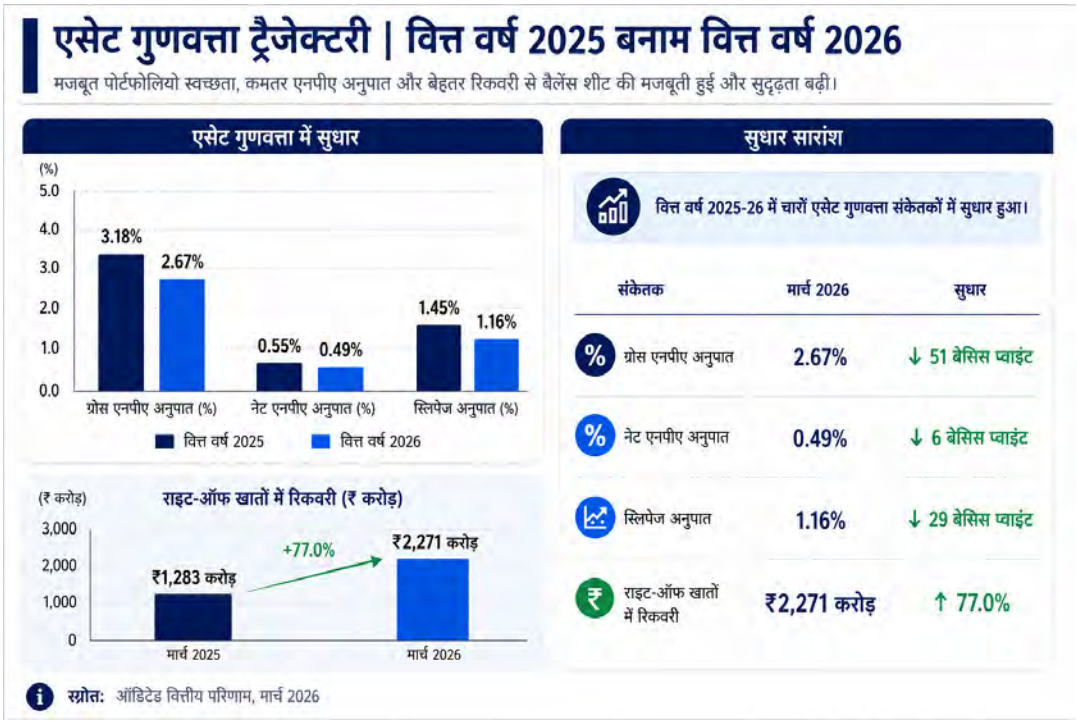

10.1 वसूली निष्पादन एवं पोर्टफोलियो गुणवत्ता

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण तथा लाभ-हानि खाते पर राइट-बैक के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए अपने प्रयासों को और तेज किया।

- **नकद वसूली एवं खातों का उन्नयन :**

  बैंक ने एनपीए खातों से कुल ₹1,120 करोड़ की नकद वसूली प्राप्त की, जबकि सक्रिय उन्नयन प्रयासों के माध्यम से ₹443 करोड़ के खातों को पुन: मानक श्रेणी में लाने में सफलता प्राप्त की।

- **अपलिखित-बट्टा खातों में वसूली :**

  वर्ष के दौरान गैर-ब्याज आय का एक प्रमुख स्रोत लिखित-बट्टा खातों में वसूली रही, जो बढ़कर ₹2,271 करोड़ तक पहुँच गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 में यह ₹1,283 करोड़ थी।

- **प्रावधानीकरण सुदृढ़ता**:

  व्यवसाय में वृद्धि के बावजूद बैंक ने प्रावधान कवरेज अनुपात को 95.97% के मजबूत स्तर पर बनाए रखा, जिससे संभावित ऋण जोखिमों के विरुद्ध उच्च स्तर की प्रत्यास्थता सुनिश्चित हुई।

10.2 रणनीतिक वसूली पहलें

बैंक के नेतृत्व ने गुणात्मक पहलों पर विशेष बल दिया, जिनके परिणाम मात्रात्मक उपलब्धियों के रूप में सामने आए।

- **विशेष ओटीएस योजनाएँ** :

  शीघ्र समाधान को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ने कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए विषय-आधारित एकमुश्त निपटान योजनाएँ प्रारंभ कीं।

- **संपत्ति प्रदर्शनी एवं सरफेसी** :

  वसूली टीमों ने सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत अधिगृहीत परिसंपत्तियों की नीलामी हेतु देशव्यापी मेगा संपत्ति प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी तथा प्रतिभूतियों से अधिक वसूली मूल्य प्राप्त हुआ।

- **एआरसी एवं एनएआरसीएल लेनदेन**:

  बैंक ने तनावग्रस्त ऋणों के द्वितीयक बाजार का रणनीतिक उपयोग करते हुए वर्ष के दौरान 4 उच्च-मूल्य एनपीए खातों को एआरसी एवं एनएआरसीएल को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया, जिनकी कुल मूलधन बकाया राशि ₹241 करोड़ थी।

10.3 स्लिपेज नियंत्रण एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली

बैंक की "अनुशासन के साथ संवर्द्धन" रणनीति का वास्तविक प्रमाण नए स्लिपेज में उल्लेखनीय कमी रही।

- **स्लिपेज अनुपात**: पूर्व चेतावनी प्रणालियों को और सुदृढ़ बनाकर बैंक ने कुल स्लिपेज अनुपात को वित्तीय वर्ष 2026 में 1.16% तक सीमित रखा, जो पिछले वर्ष के 1.45% की तुलना में कम है।
- **सक्षम स्वचालन**: स्वचालित अनुपालन ट्रैकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन से नीतिगत अनुपालन की वास्तविक समय निगरानी संभव हुई, जिससे संभावित तनाव की समय रहते पहचान कर उसे एनपीए में परिवर्तित होने से पूर्व नियंत्रित किया जा सका।

10.4 एसएमए प्रबंधन : वार रूम दृष्टिकोण

बैंक के विशेष उल्लेख खाता प्रबंधन ने उसके रूपांतरण प्रयासों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया। विशेषीकृत "वार रूम" के माध्यम से दैनिक निगरानी एवं गहन क्षेत्रीय कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बैंक ने उच्च-मूल्य एसएमए पोर्टफोलियो में उल्लेखनीय कमी हासिल की।

- एसएमए में कमी: 31 मार्च 2026 तक ₹5 करोड़ एवं उससे अधिक वाले खातों के अंतर्गत बकाया एसएमए राशि घटकर ₹1,670 करोड़ रह गई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में यह ₹2,169 करोड़ थी।

10.5 आगे की राह: उत्कृष्टता का संस्थानीकरण

जैसे-जैसे बैंक प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2027 के "व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष" की ओर अग्रसर है, एसएएम विभाग वसूली-व्यय अनुपात को और अधिक अनुकूल बनाने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि इस तीव्र प्रगति चरण में प्राप्त उपलब्धियों को दीर्घकालिक रूप से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जा सके।

11ए. ईएसजी : व्यावसायिक गति संवर्द्धन में धारणीयता का समावेशन

"व्यावसायिक गति संवर्द्धन वर्ष" के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पर्यावरणीय, सामाजिक एवं शासन ढाँचों की स्थापना से आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर मापनयोग्य प्रभाव प्राप्त करने की दिशा में सफल संक्रमण किया है। "संकल्प से सिद्धि" की मूल अवधारणा के अंतर्गत धारणीयता को बैंक की मूल वित्तीय रणनीति में समाहित किया गया है, ताकि आकांक्षी एवं धारणीय विकास को गति दी जा सके। सीबीआई - केयर मूल्यों के अनुरूप बैंक का ईएसजी एजेंडा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तथा कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर केंद्रित है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि व्यवसायिक गति संवर्द्धन सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य का सृजन करे।

11ए.1 ईएसजी रणनीति एवं धारणीय वित्त रूपरेखा:

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ESG नीति बैंक की धारणीयता पहलों का मार्गदर्शन करती है, जो उसके विज़न एवं मिशन को राष्ट्रीय धारणीयता लक्ष्यों के अनुरूप बनाती है।

- **संरचित वित्त** : उत्तरदायी बैंकिंग हेतु व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित धारणीय वित्त रूपरेखा लागू की है।
- समर्पित पर्यवेक्षण : बैंक ने ईएसजी पहलों का संचालन करने तथा भौतिक एवं संक्रमण जोखिमों का आकलन करने के लिए केंद्रीय कार्यालय स्तर पर एक ग्रीन सेल तथा जलवायु जोखिम प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

11ए.2 पर्यावरणीय संरक्षण :

नेट-ज़ीरो की ओर :

बैंक वर्ष 2028 तक स्कोप-1 श्रेणी के उत्सर्जन में नेट-ज़ीरो का स्पष्ट लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। इस प्रतिबद्धता को हरित क्षेत्रों के वित्तपोषण तथा अपने परिचालनों

के कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

- **नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण**: 31 मार्च 2026 तक बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ₹2,751.44 करोड़ का वित्तपोषण किया।
- **प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना उपलब्धि**: समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में बैंक ने मध्य प्रदेश के 16,500 किसानों को पूर्णत: कागजरहित डिजिटल ऋण प्रक्रिया के माध्यम से सौर पंपों की स्वीकृति प्रदान की।
- **हरित अवसंरचना**: बैंक ने अपने परिसरों में 658 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए हैं तथा जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने हेतु डीज़ल जनरेटरों के स्थान पर ऊर्जा-दक्ष इन्वर्टर लगाए जा रहे हैं।
- **एमएसई गिफ्ट एवं एमएसएमई स्पाइस**: इन हरित-एमएसएमई योजनाओं के अंतर्गत बैंक ने ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन हेतु ₹1.69 करोड़ तथा सर्कुलर अर्थव्यवस्था में संवर्धन एवं निवेश हेतु ₹0.14 करोड़ स्वीकृत किए।
- **संसाधन संग्रहण**: 1111, 2222 एवं 3333 दिनों की लचीली अवधि वाली सेंट ग्रीन डिपॉजिट योजना के माध्यम से बैंक ने पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु ₹453 करोड़ जुटाए।
- **हरित निवेश** : वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक हरित बांड (जी- सेक) में बैंक का कुल निवेश ₹350.26 करोड़ तक पहुँच गया।

तालिका 7.1: विषयगत हरित ऋण एवं पहलें

कार्यनिष्पादन सूचकांक	वि व 2026 गति संवर्धन परिणाम
नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण (₹ करोड़)	2,751.44
हरित बॉण्ड निवेश (₹ करोड़)	350.26
सेंट ग्रीन जमा संकलन (₹ करोड़)	406.23
स्थापित रूफटॉप सौर क्षमता (केडब्ल्यू)	658
संपीडित बायोगैस वित्तपोषण (₹ करोड़)	33.90*

★टिप्पणी: यह वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की गई नई स्वीकृतियों का प्रतिनिधित्व करता है |

11ए.3 सामाजिक प्रशासन : लोगों एवं समुदायों का सशक्तीकरण :

सीबीआई - केयर के कर्मचारी कल्याण स्तंभ के अनुरूप बैंक ने अपनी मानव पूंजी के विकास तथा सेवा-प्राप्त समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को प्राथमिकता दी है।

- **प्रतिभा एवं क्षमता निर्माण**: ऋण मूल्यांकन की गुणवत्ता तथा निर्णय लेने की गति में सुधार के लिए 1,000 ऋण अधिकारियों हेतु एक प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- **महिला नेतृत्व का सशक्तीकरण**: देशभर में 115 "पिंक शाखाओं" की स्थापना एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि रही। इन शाखाओं का संचालन पूर्णत: महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जिससे महिला नेतृत्व सुदृढ़ हुआ तथा बैंक को ईटी एज द्वारा "महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन 2026" का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- **कर्मचारी कल्याण एवं प्रत्यास्थता**: बैंक कार्यस्थल संस्कृति, कार्य संतुष्टि एवं कार्य-जीवन संतुलन के आकलन हेतु नियमित "हैप्पीनेस सर्वेक्षण" आयोजित करता है। साथ ही, कर्मचारियों के भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण के समर्थन हेतु "सेंट चेतना" नामक गोपनीय परामर्श सेवा भी प्रारंभ की गई।
- **नवाचार संस्कृति**: समावेशी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने "i3 – आइडिएट, इनोवेट, इंस्पायर" डिजिटल पोर्टल प्रारंभ किया, जो कर्मचारियों को नवोन्मेषी प्रक्रिया सुधार सुझाव प्रस्तुत करने एवं उनकी प्रगति की निगरानी हेतु समर्पित मंच उपलब्ध कराता है।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**:

  31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक स्वीकृत 1.17 करोड़ की राशि में से 1.13 करोड़ का वितरण प्रभावी सामुदायिक गतिविधियों हेतु किया ।

  - वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराना है।
  - ग्रामीण विद्यालयों हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण।
  - अबैंकित क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाईटों तथा जलशीतकों (वाटर कूलर) की स्थापना।
  - कार्डियक कलर डॉप्लर प्रणालियों सहित चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

11(ए).4 वित्त वर्ष 2026 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक विकास

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया समावेशी एवं सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अभिन्न अंग के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करता है। यद्यपि वित्त वर्ष 2026 में बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनिवार्य प्रावधानों के दायरे में नहीं आता था, तथापि उसने सामुदायिक उत्थान, वित्तीय साक्षरता, पर्यावरणीय सततता तथा नैतिक बैंकिंग प्रथाओं के प्रति अपनी सुदृढ़ स्वैच्छिक प्रतिबद्धता का निरंतर प्रदर्शन किया। ये प्रयास बैंक की व्यापक सामाजिक-पूंजी रणनीति का महत्वपूर्ण भाग हैं तथा एक उत्तरदायी वित्तीय संस्था के रूप में उसकी दीर्घकालिक भूमिका को प्रतिबिंबित करते हैं।

31 मार्च 2026 तक, बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों हेतु स्वीकृत कुल ₹1.16 करोड़ की राशि में से ₹1.13 करोड़ का व्यय किया। यह व्यय प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण एवं विकासात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए बैंक के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करता है।

वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता से संबंधित पहलें विभिन्न क्षेत्रों में संचालित की गईं:

- **शिक्षा सहायता**: बैंक ने विभिन्न शैक्षिक पहलों के माध्यम से बौद्धिक दिव्यांगता वाले 45 बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसका उद्देश्य शिक्षण वातावरण में सुधार करना तथा संसाधनों से वंचित संस्थानों को सहयोग प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त, वंचित विद्यार्थियों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। यद्यपि वर्ष के दौरान कोई छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई, फिर भी बैंक ने वंचित समुदायों के लिए आधारभूत शिक्षा को समर्थन देने पर अपना रणनीतिक ध्यान बनाए रखा।
- **स्वास्थ्य सेवा एवं कल्याण**: स्वास्थ्य सेवा, बैंक के प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों में बनी रही। इस अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु सहायता प्रदान की गई। यद्यपि स्वास्थ्य शिविरों से संबंधित विशिष्ट आँकड़े प्रकाशित नहीं किए गए, बैंक ने आगामी वर्षों में इन प्रयासों का विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **सामुदायिक विकास**: अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहभागिता को सुदृढ़ करते हुए बैंक ने जल शीतलन प्रणाली की स्थापना, स्वच्छता सुविधाओं एवं परिधि दीवारों के निर्माण तथा छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक शौचालय ब्लॉकों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की। अस्पतालों में भर्ती रोगियों के साथ आने वाले परिचारकों एवं उनके परिजनों के लिए खाद्य वितरण कार्यक्रमों हेतु भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।
- **पर्यावरणीय उत्तरदायित्व**: पर्यावरण संरक्षण, बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एजेंडा का अभिन्न अंग बना रहा। बैंक ने 25 सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की तथा अधिक आवागमन वाले सामुदायिक स्थल पर हरित परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए बैटरी चालित उपयोगिता विद्युत वाहन (Utility Electric Vehicle) उपलब्ध कराया। यद्यपि वित्त वर्ष 2026 के लिए वृक्षारोपण से संबंधित मात्रात्मक उपलब्धियों की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, तथापि बैंक ने हरित पहलों के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की। बैंक ने सौर ऊर्जा संयंत्रों तथा पीएम-कुसुम जैसी योजनाओं सहित सतत अवसंरचना के वित्तपोषण को भी समर्थन प्रदान किया, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने तथा पारिस्थितिकीय लचीलेपन को बढ़ावा मिला।

इन विविध पहलों के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयासों ने स्थानीय समुदायों के साथ अपनी सहभागिता को और सुदृढ़ किया, हितधारकों के विश्वास को मजबूत किया तथा समावेशी विकास को गति प्रदान की। ये पहलें इस विश्वास को प्रतिबिंबित करती हैं कि समुदाय का कल्याण संस्था की दीर्घकालिक सफलता से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है।

भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए, बैंक नवोन्मेषी तथा विस्तार योग्य दृष्टिकोणों के माध्यम से अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रभाव का दायरा बढ़ाने के उपायों का अन्वेषण कर रहा है। इसकी प्राथमिकताओं में कार्यक्रमों के प्रभाव का उन्नत मूल्यांकन, कर्मचारियों की संरचित स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करना तथा रणनीतिक साझेदारियों के संबंध में प्रतिवेदन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाना शामिल है। इन प्रथाओं को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ढाँचे में समाहित करके, बैंक का उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही तथा मूल्य सृजन को बढ़ावा देना है।

सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपने सक्रिय एवं सिद्धांतनिष्ठ दृष्टिकोण के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के उत्प्रेरक के रूप में अपनी विरासत को निरंतर आगे बढ़ा रहा है तथा ऐसे परिणाम प्रदान कर रहा है जिनका प्रभाव बैंकिंग के पारंपरिक दायरे से कहीं अधिक व्यापक है।

11(ए).5 बाह्य प्रमाणीकरण एवं ईएसजी (ESG) रेटिंग

सतत विकासोन्मुख प्रगति की दिशा में बैंक के सफल परिवर्तन को अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है:

- क्रिसिल ने बैंक की "AA (Stable)" रेटिंग की पुन: पुष्टि की।
- इंडिया रेटिंग्स ने बैंक की "IND AA (Stable)" रेटिंग की पुन: पुष्टि की
- आईसीआरए ने बैंक की "AA(stable)" रेटिंग की पुन:पुष्टि की |

11(बी). कॉर्पोरेट संचार एवं हितधारक सहभागिता

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक की कॉर्पोरेट संचार रणनीति ने "व्यवसायिक गतिसंवर्धन वर्ष" के लिए एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। यह केवल आकांक्षापरक संदेशों तक सीमित न रहकर, महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के वास्तविक एवं ठोस परिणामों पर केंद्रित रही। विभाग का प्रमुख उद्देश्य बैंक के मिशन, मूल्यों तथा आंतरिक रूपांतरण केंद्र के अंतर्गत चल रहे रणनीतिक रूपांतरण को प्रतिबिंबित करने वाली एक सुसंगत एवं सकारात्मक सार्वजनिक छवि का निर्माण करना है। परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण का प्रभावी उपयोग करते हुए, इस वर्टिकल ने हितधारकों के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया तथा प्रस्तावित "व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष" की दिशा में एक स्पष्ट एवं सशक्त कथानक-सेतु स्थापित किया।

11.1 ब्रांड सुदृढ़ीकरण एवं विषयगत संरेखण

बैंक ने मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल तथा बाह्य (आउटडोर) माध्यमों पर उच्च प्रभावशीलता एवं कम लागत वाले विज्ञापन मॉडल का उपयोग करते हुए अनुशासित ब्रांड-निर्माण रणनीति को बनाए रखा।

- **व्यापक स्तर पर उपस्थिति**: बैंक की ब्रांड छवि को उसके 22,129 कुल टचपॉइंट्स के व्यापक नेटवर्क में निरंतर सुदृढ़ किया गया, जिससे "गतिसंवर्धन (Acceleration)" की अवधारणा दूरस्थ ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुँची, जो बैंक के कुल शाखा नेटवर्क का 65.19% है।
- **ओम्नी-चैनल विज्ञापन**: अभियान बैंक के प्रमुख बैंकिंग उत्पादों एवं अभिनव डिजिटल सेवाओं पर केंद्रित रहे। ग्राहक सफलता की कहानियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने हेतु टेलीविजन एवं रेडियो विज्ञापनों का उपयोग किया गया तथा ब्रांड की उपस्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय प्रकाशनों में मुद्रित विज्ञापन प्रकाशित किए गए।
- **स्थिर एवं गतिशील मीडिया**: स्थिर एवं गतिशील मीडिया पर व्यापक ब्रांडिंग के माध्यम से ब्रांड की निरंतर सुदृढ़ उपस्थिति सुनिश्चित की गई, ताकि जब भी कोई ग्राहक किसी शाखा में प्रवेश करे अथवा एटीएम का उपयोग करे, उसे एक परिचित एवं विश्वसनीय वातावरण का अनुभव हो।
- **सीबीआई-केयर मूल्य**: समेकित अभियानों को सीबीआई-केयर के स्तंभों के अनुरूप संचालित किया गया, जिसमें विशेष रूप से राष्ट्र निर्माण में बैंक की भूमिका तथा आकांक्षी विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

11.2 नवाचार का प्रदर्शन: ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल एवं हैकाथॉन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक की सार्वजनिक सहभागिता रणनीति में डिजिटलीकरण एवं प्रौद्योगिकी नेतृत्व प्रमुख आधार रहे।

- **ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025**: बैंक ने इस प्रतिष्ठित मंच का उपयोग बायोमेट्रिक यूपीआई तथा आधार-आधारित फेस यूपीआई पिन जैसी अग्रणी डिजिटल समाधानों के शुभारंभ के लिए किया। इनका शुभारंभ वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
- **नवाचार केंद्र**: ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में हैकाथॉन-2025 के आयोजन ने बैंक को "ग्राहक अनुभव रूपांतरणकर्ता" के रूप में प्रभावी रूप से स्थापित किया । इसके अंतर्गत 35 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITs) की प्रतिभाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित 'धोखाधड़ी पहचान समाधान' विकसित करने हेतु जोड़ा गया।

11.3 डिजिटल विश्वास एवं ".bank.in" डोमेन में माइग्रेशन

डिजिटल युग में हितधारकों की सहभागिता का एक प्रमुख आधार डिजिटल विश्वास को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना है। बैंक के एंटरप्राइज़ ई-मेल, इंटरनेट बैंकिंग तथा कॉर्पोरेट वेबसाइट का सफलतापूर्वक ".bank.in" डोमेन में स्थानांतरण साइबर सुरक्षा एवं विनियामकीय अनुपालन के एक महत्त्वपूर्ण दृश्य संकेतक के रूप में कार्य करता है। इस पहल से संस्थागत जोखिम में उल्लेखनीय कमी आई है तथा बैंक के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति ग्राहकों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

11.4 सामुदायिक सहभागिता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व

समुदाय के प्रति सार्थक योगदान देना बैंक के मिशन का मूल आधार है और सामुदायिक सहभागिता उसी का अभिन्न अंग बनी हुई है।

- **सामाजिक योजनाओं में सहभागिता**: बैंक सरकारी सामाजिक योजनाओं तथा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जैसी प्रमुख प्रदर्शनियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने उत्पादों को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाता है।
- **सम्मान कार्यक्रम**: शिक्षकों, विद्यार्थियों, चिकित्सकों एवं अभियंताओं का सम्मान करने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करने से बैंक के स्थानीय ब्रांड मूल्य में वृद्धि हुई है।
- **नारी शक्ति**: विभाग ने पूर्णत: महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित बैंक की 115 "पिंक शाखाओं" को प्रमुखता प्रदान करते हुए महिला सशक्तिकरण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ किया।

- **सीएसआर की दृश्यता:** वर्ष के दौरान किए गए संचार माध्यमों से समाज के कल्याण हेतु बैंक के ₹7.09 करोड़ के स्वैच्छिक योगदान को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी पहलें तथा वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता शामिल हैं।

11.5 संस्थागत उपलब्धियां एवं पुरस्कार

"व्यवसायिक गतिसंवर्धन वर्ष" के रूप में बैंक के सफल परिवर्तन को अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, जिनका उपयोग बैंक की समग्र ब्रांड प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करने के लिए किया गया।

तालिका 11.1: वित्त वर्ष 2025-26 में संस्था की उल्लेखनीय उपलब्धियां

पुरस्कार	पुरस्कार प्रदाता	मूल्य सामंजस्य
कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मर	डेटा इनोवेशन अवार्ड्स 2026	उत्कृष्ट ग्राहक सेवा
महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन 2026	ईटी ऐज	कर्मचारी कल्याण / समावेशन
रीजिलिएंस अवार्ड 2025	स्कोच अवार्ड	संस्थागत लचीलापन और विश्वास
डेटा गुणवत्ता मान्यता में दूसरा स्थान	ईज 7.0 रिफोर्म	परिचालन उत्कृष्टता
शिक्षा ऋण के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक	नवभारत एजुकेशन अवार्ड्स	आकांक्षी विकास

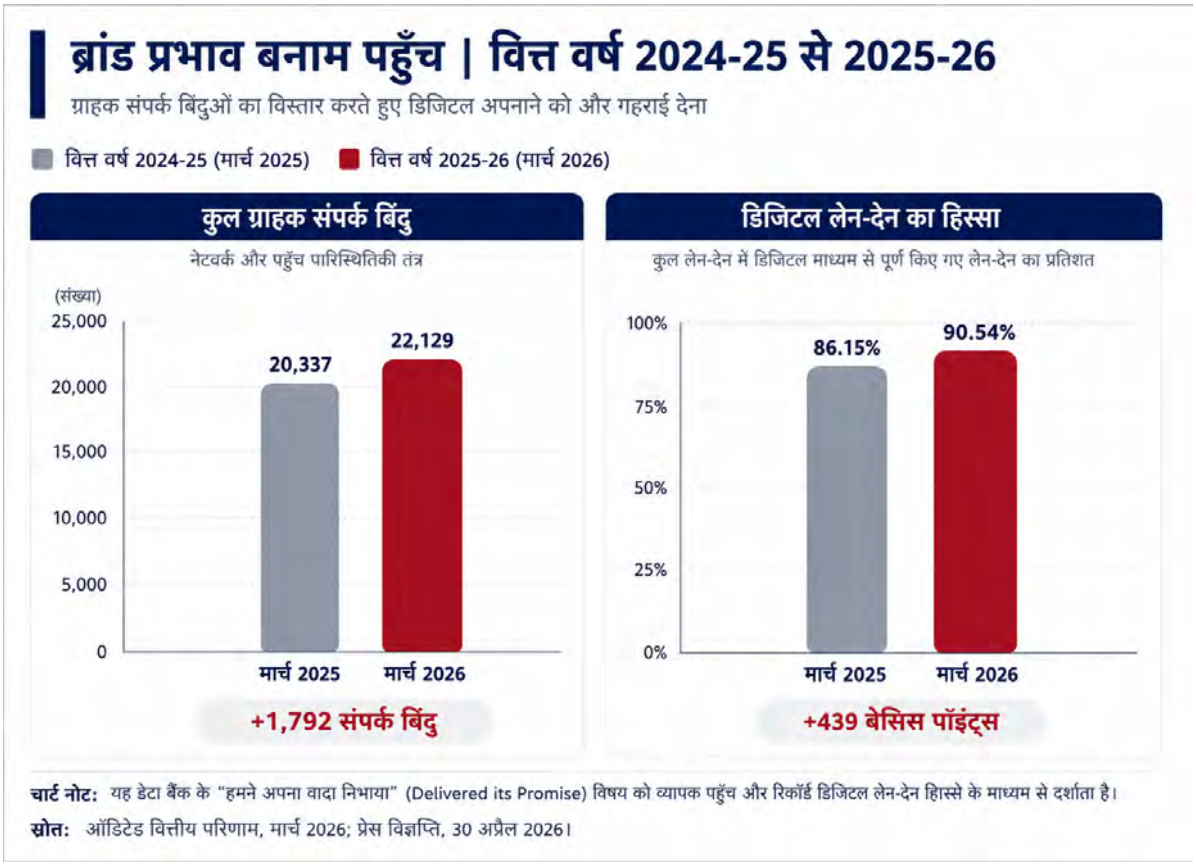

चार्ट नोट: यह डेटा बैंक के "हमने अपना वादा निभाया" (Delivered its Promise) विषय को व्यापक पहुँच और रिकॉर्ड डिजिटल लेन-देन हिस्से के माध्यम से दर्शाता है।

स्रोत: ऑडिटेड वित्तीय परिणाम, मार्च 2026; प्रेस विज्ञप्ति, 30 अप्रैल 2026।

11(बी).2 नवाचार का प्रदर्शन: ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल एवं हैकाथॉन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक की सार्वजनिक सहभागिता रणनीति में डिजिटलीकरण एवं नवाचार केंद्रीय तत्व रहे।

- **ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025:** बैंक ने इस प्रतिष्ठित मंच का उपयोग अपने प्रौद्योगिकी नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए किया तथा बायोमेट्रिक यूपीआई एवं आधार-आधारित फेस यूपीआई पिन जैसी अग्रणी डिजिटल समाधानों का शुभारंभ वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।
- **नवाचार केंद्र:** ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में हैकाथॉन 2025 के सफल आयोजन ने बैंक को "ग्राहक अनुभव रूपांतरणकर्ता" के रूप में प्रभावी रूप से स्थापित किया। इस पहल के अंतर्गत 35 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITs) की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित धोखाधड़ी पहचान समाधान विकसित करने हेतु जोड़ा गया।

11(बी).3 डिजिटल विश्वास एवं ".bank.in" डोमेन में माइग्रेशन

डिजिटल युग में हितधारकों की सहभागिता का एक प्रमुख आधार डिजिटल विश्वास को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना है। बैंक के एंटरप्राइज़ ई-मेल, इंटरनेट बैंकिंग तथा कॉर्पोरेट वेबसाइट का सफलतापूर्वक ".bank.in" डोमेन में स्थानांतरण साइबर सुरक्षा एवं विनियामकीय अनुपालन के एक महत्त्वपूर्ण दृश्य संकेतक के रूप में कार्य करता है। इस पहल से संस्थागत जोखिम में उल्लेखनीय कमी आई है तथा बैंक के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति ग्राहकों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

11(बी).4 पुरस्कार एवं संस्थागत मान्यता

"व्यवसायिक गति संवर्धन वर्ष" के रूप में बैंक के सफल रूपांतरण को अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों द्वारा मान्यता प्रदान की गई, जिनका उपयोग बैंक की ब्रांड प्रतिष्ठा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए किया गया।

- **एंटरप्राइज़ सुरक्षा उत्कृष्टता**: पीएसई एक्सीलेन्स अवार्ड में एंटरप्राइज़ सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत बैंक को पुन: "सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक" के रूप में मान्यता प्रदान की गई
- **ग्राहक अनुभव रूपांतरणकर्ता**: ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में उत्कृष्टता के लिए बैंक को डेटा इनोवेशन अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया।
- **समावेशी नेतृत्व**: ईटी ऐज द्वारा बैंक को "बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन 2026" के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जो महिला कर्मचारियों द्वारा पूर्णत: संचालित 115 पिंक शाखाओं जैसी पहलों की सफलता को दर्शाती है।
- **संस्थागत लचीलापन**: बैंक के सुरक्षा संचालन केंद्र की सुदृढ़ता के लिए बैंक को स्कोच अवार्ड-2025 से सम्मानित किया गया।

11(बी).5 सामाजिक जनसंपर्क एवं सीएसआर संचार

सीबीआई-केयर के 'कर्मचारी कल्याण' तथा 'राष्ट्र निर्माण' स्तंभों के अनुरूप बैंक ने अपनी सामाजिक सहभागिता को और अधिक सशक्त बनाया।

- **सीएसआर की दृश्यता**: वर्ष के दौरान,समाज के कल्याण हेतु बैंक के ₹7.09 करोड़ के स्वैच्छिक योगदान को संचार माध्यमों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। इसमें वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता तथा कार्डियक कलर डॉप्लर प्रणाली उपलब्ध कराने जैसी स्वास्थ्य संबंधी पहलें शामिल हैं।
- **हरित दृष्टिकोण**: वर्ष 2028 तक नेट ज़ीरो स्कोप 1 प्राप्त करने की बैंक की परिकल्पना तथा पूर्णत: पेपरलेस डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से 16,500 किसानों को सौर पंपों के वित्तपोषण के अभियान के माध्यम से, बैंक के पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रयासों को प्रमुखता से रेखांकित किया गया।

11(बी).6 आगे की राह: उत्कृष्टता की ओर विस्तार

"व्यावसायिक गतिसंवर्धन वर्ष" के समापन के साथ ही बैंक की नई कॉर्पोरेट संचार रणनीति वित्तीय वर्ष 2027: व्यावसायिक उत्कृष्टता वर्ष की दिशा में प्रत्यावर्तित हो रही है। बैंक का ध्यान निवेशकों, ग्राहकों एवं कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के साथ पारदर्शी एवं सक्रिय संवाद बनाए रखने पर केंद्रित रहेगा, ताकि बैंक की निरंतर प्रगति को वित्तीय सुदृढ़ता एवं सेवा उत्कृष्टता की सतत यात्रा के रूप में समझा और स्वीकार किया जा सके।

12. सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं की समीक्षा: समन्वित गति संवर्धन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक की सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के पोर्टफोलियो ने व्यापक बैंकिंग व्यवसाय को महत्वपूर्ण पूरक क्षमताएँ प्रदान करना जारी रखा। इन संस्थाओं ने "व्यावसायिक गतिसंवर्धन वर्ष" के दौरान विशिष्ट विशेषज्ञता-आधारित विकास प्रेरकों के रूप में कार्य किया, जिससे किफायती आवास एवं ट्रस्टीशिप सेवाओं में बैंक की पहुँच का विस्तार हुआ तथा समूह की समग्र वित्तीय सुदृढ़ता में भी योगदान मिला।

12.1 सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

वित्त वर्ष 2025-26 में सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी बैलेंस शीट में निरंतर वृद्धि तथा लाभप्रद परिचालन प्रदर्शन का प्रदर्शन किया और बैंक की महत्त्वाकांक्षी विकास रणनीति के एक प्रमुख प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। चुनौतीपूर्ण संसाधन जुटाने की परिस्थितियों के बावजूद, सहायक संस्था ने अपने परिसंपत्ति आधार का सफलतापूर्वक विस्तार करते हुए इसे ₹2,000 करोड़ के स्तर तक पहुँचा दिया।

तालिका 12.1 : सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रमुख वित्तीय प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक (KPIs) – तुलनात्मक सारांश

मद (₹ करोड़)	2024-25	2025-26	वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन (%)
कुल आय	183.56	183.84	0.15%
शुद्ध लाभ	25.29	19.70	22.10%
लोन बुक(अग्रिम)	1638.50	1787.04	9.07%
कुल परिसंपत्तियाँ	1715.00	1892.66	10.36%
पूंजी एवं आरक्षित निधियाँ	239.23	258.93	8.23%
प्रति शेयर आय (₹)	10.11	7.88	22.06%

स्रोत: मार्च 2026 के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।

प्रदर्शन समीक्षा – वित्तीय वर्ष 2025-26

- **आय एवं लाभप्रदता:**

  सीबीएचएफएल ने ₹183.84 करोड़ की कुल आय के साथ स्थिर आय अर्जन क्षमता बनाए रखी। वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ ₹19.70 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष में उच्च ब्याज व्यय के प्रभाव को परिलक्षित करता है।

- **बैलेंस शीट की स्थिति:**

  कंपनी की कुल बैलेंस शीट ₹1,892.66 करोड़ तक पहुँच गई, जो वर्ष-दर-वर्ष 10.36 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्शाती है। यह विस्तार मुख्यत: ऋण पोर्टफोलियो के ₹1,787.04 करोड़ तक बढ़ने के कारण हुआ, जो खुदरा एवं किफायती आवास वित्त खंडों पर कंपनी के विशेष ध्यान को रेखांकित करता है।

- **संसाधनों का संग्रहण:**

  जमाओं का स्तर ₹613.79 करोड़ रहा, जबकि व्यवसाय वृद्धि हेतु आवश्यक तरलता उपलब्ध कराने के लिए उधारियों में वृद्धि होकर ₹949.11 करोड़ हो गई।

- **भावी परिदृश्य:**

  वित्तीय वर्ष 2026-27 में सीबीएचएफएल वित्तीय समावेशन के अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा। सहायक कंपनी उच्च ऋण गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए किफायती आवास वित्त पोर्टफोलियो के विस्तार हेतु अपने पेरेंट बैंक की व्यापक वितरण व्यवस्था का प्रभावी उपयोग करने पर केंद्रित रहेगी।

12.2 सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली ट्रस्टीशिप सहायक कंपनी है, ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिचालन गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया गया है तथा लेखा परीक्षकों द्वारा उन पर असंशोधित मत व्यक्त किया गया है, जो इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता की पुष्टि करता है।

तालिका 12.2 : सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड के प्रमुख वित्तीय प्रदर्शन संकेतकों का तुलनात्मक सारांश

मद (₹ करोड़)	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन (%)
कुल आय	12.80	20.24	+58.13%
शुद्ध लाभ	8.25	12.27	+48.73%
कुल परिसंपत्तियाँ	63.23	78.09	+23.50%
पूंजी एवं भंडार	44.73	55.00	+22.96%
प्रति शेयर आय (₹)	1,650	2,453	+48.67%

(स्रोत : मार्च 2026 के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम एवं स्वतंत्र वित्तीय विवरण)

प्रदर्शन समीक्षा – वित्तीय वर्ष 2025-26

- **राजस्व एवं लाभप्रदता:**

  उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन करते हुए अपनी कुल आय को बढ़ाकर ₹20.24 करोड़ तक पहुँचाया। यह वृद्धि मुख्यत: परिचालन राजस्व (₹17.32 करोड़) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के कारण हुई, विशेष रूप से निष्पादक तथा डिबेंचर ट्रस्टीशिप शुल्क से प्राप्त आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप। कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर ₹12.27 करोड़ हो गया।

- **व्यय प्रबंधन:**

  वर्ष के दौरान कुल व्यय ₹3.55 करोड़ के नियंत्रित स्तर पर बनाए रखा गया, जिसमें कार्मिक व्यय (₹0.95 करोड़) प्रमुख घटक रहा। होल्डिंग शुल्क हेतु नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू किए जाने से कार्यकुशलता तथा राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई।

- **बैलेंस शीट में मजबूती:**

  कंपनी की शुद्ध संपत्ति (पूंजी एवं आरक्षित) बढ़कर ₹55.00 करोड़ हो गई, जो लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। संपत्तियों का निवेश मुख्यत: सुरक्षित निवेश साधनों तथा नकदी समतुल्यों में किया जाता है।

- **भावी परिदृश्य:**

  सीएफएसएल समूह के भीतर एक विशिष्ट वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी "व्यवसाय उत्कृष्टता वर्ष" के दौरान कंपनी, प्रतिभूति न्यासिता तथा एस्क्रो सेवाओं के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने पर विशेष ध्यान देगी।

12.3 सहयोगी संस्थाएँ एवं संयुक्त उपक्रम

बैंक का रणनीतिक व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र उसकी सहयोगी संस्थाओं एवं संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ हुआ है, जो आय के विविधीकरण तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड

इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड ने अपनी सुदृढ़ विकास यात्रा को जारी रखा। 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के हिस्से के शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा यह बढ़कर ₹436.11 करोड़ हो गया।

- **बीमा संयुक्त उपक्रम (जनरली सेन्ट्रल):** जनराली सेन्ट्रल इंश्योरेंस में 24.91% तथा जनराली सेन्ट्रल लाइफ इंश्योरेंस में 25.27% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के पश्चात् इन कंपनियों को बैंक की सहयोगी कंपनियों के रूप में शामिल किया गया है। यद्यपि प्रारंभिक एकीकरण संबंधी व्ययों के कारण वर्ष के दौरान कुछ हानि दर्ज की गई, तथापि दीर्घकाल में ये कंपनियाँ शुल्क-आधारित आय में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक माध्यम के रूप में कार्य करेंगी।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: सरकार द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के एकीकरण के परिणामस्वरूप, 1 मई 2025 से बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक तथा उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक नहीं रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में इन संस्थाओं में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश से बैंक ने ₹84.85 करोड़ की एकमुश्त (असाधारण) आय अर्जित की।

13.भावी परिदृश्य : व्यवसायिक गति संवर्द्धन वर्ष की ओर

वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मोड़ पर खड़ा है। बैंक ने **"व्यावसायिक गति संवर्द्धन वर्ष"** के दौरान ₹8,00,000 करोड़ के कुल व्यवसाय के ऐतिहासिक स्तर को पार करते हुए तथा 1.00 प्रतिशत रिटर्न ऑन एसेट्स महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इन उपलब्धियों के साथ बैंक अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रवेश कर रहा है, जिसे औपचारिक रूप से **"व्यवसायिक गति संवर्द्धन वर्ष"** घोषित किया गया है। विकास यात्रा का यह अगला चरण मात्र आकार और विस्तार पर केंद्रित न होकर परिचालन उत्कृष्टता, डिजिटल परिपक्वता, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक अनुभव तथा दीर्घकालिक मूल्य सृजन को सुदृढ़ करने पर बल देगा। इसका उद्देश्य तीव्र विकास के दौर में अर्जित उपलब्धियों को संस्थागत रूप प्रदान करते हुए बैंक को अधिक दक्ष, प्रौद्योगिकी-संचालित और भविष्य के लिए तैयार संगठन के रूप में स्थापित करना है।

वित्तीय प्रदर्शन मार्गदर्शन | वित्त वर्ष 2026-27 के लिए

वित्त वर्ष 2025-26 की उपलब्धि बनाम वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रबंधन मार्गदर्शन

वृद्धि संबंधी सूचकांक

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2025-26 की उपलब्धि	वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मार्गदर्शन
कारोबार वृद्धि	15.60%	↑ 14.00% - 15.00%
जमा वृद्धि	13.38%	↑ 10.00% - 12.00%
ऋण (एडवांस) वृद्धि	18.76%	↑ 14.00% - 16.00%
CASA अनुपात	47.30%	↑ 48.00% (+/- 1%)

लाभप्रदता एवं दक्षता

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2025-26 की उपलब्धि	वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मार्गदर्शन
कुल परिसंपत्ति पर प्रतिफल (ROA)	0.89%*	↑ 1.00% से अधिक
लागत-आय अनुपात (CIR)	58.61%	↓ 56.00% से कम

परिसंपत्ति गुणवत्ता

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2025-26 की उपलब्धि	वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मार्गदर्शन
सकल एनपीए (Gross NPA)	2.67%	↓ 2.50% से कम
शुद्ध एनपीए (Net NPA)	0.49%	↓ 0.50% से कम

*DTA समायोजन के पश्चात एकल (Standalone) आधार पर।

मार्गदर्शन की प्राथमिकताएँ

- संतुलित वृद्धि संतुलित एवं नियंत्रित दृष्टिकोण के साथ
- मजबूत देयता फ्रैंचाइज़ी और CASA पर फोकस
- ROA को 1.00% से अधिक तक पुनः स्थापित करना और दक्षता में सुधार
- परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार

13.1 वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक परिदृश्य

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक परिदृश्य आशावादी दिखाई देता है, जिसका आधार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की एक "उज्ज्वल संभावनाओं" वाले देश के रूप में स्थापित स्थिति है।

- **वैश्विक परिदृश्य** : यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ष 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है, तथापि निरंतर व्यापारिक तनाव तथा भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ—विशेषकर अमेरिका-ईरान युद्धविराम से संबंधित घटनाक्रम-ऊर्जा एवं उर्वरकों की उपलब्धता पर संभावित प्रभाव के कारण सतत निगरानी की अपेक्षा रखते हैं।

- **भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता** : निजी उपभोग में स्थिरता, निजी निवेश में सुधार तथा प्रमुख व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिए जाने के परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने की संभावना है। द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यद्यपि वर्ष 2026 में यह वृद्धि दर कुछ घटकर 6.5 प्रतिशत रह सकती है, फिर भी घरेलू आर्थिक वातावरण बैंकिंग ऋण विस्तार के लिए अनुकूल बना हुआ है।

13.2 बैंकिंग क्षेत्र का परिदृश्य एवं ऋण वृद्धि की गति

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2026-27 में सुदृढ़ परिसंपत्ति गुणवत्ता तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के पर्याप्त पूंजी बफर के साथ मजबूत स्थिति में प्रवेश कर रहा है।

- **ऋण मांग** :

  अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में ऋण की निरंतर मांग दर्ज की गई है। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही में उल्लेखनीय मजबूती प्रदर्शित की। आगे चलकर उच्च GDP वृद्धि अनुमान तथा मौद्रिक नीति दरों में कटौती के प्रभाव के विस्तार से ऋण वृद्धि मजबूत बने रहने की संभावना है।

- **परिसंपत्ति गुणवत्ता :**

  दिसंबर 2025 तक संपूर्ण बैंकिंग उद्योग का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात घटकर 1.89% पर आ गया है, जो परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार को दर्शाता है। यह सकारात्मक प्रवृत्ति बैंकों को अपनी सुदृढ़ पूंजी स्थिति का लाभ उठाते हुए ऋण विस्तार तथा व्यावसायिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत और स्थिर आधार प्रदान करती है।

13.3 संकल्प से सिद्धि तक: वित्तीय वर्ष 2026-27 की परिचालन एवं वित्तीय प्राथमिकताएँ

"व्यवसाय उत्कृष्टता के वर्ष" के लिए बैंक का रोडमैप स्पष्ट प्रदर्शन मानकों तथा रणनीतिक प्राथमिकताओं पर आधारित है, जिन्हें वित्तीय सुदृढ़ता को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

13.4 उत्कृष्टता हेतु रणनीतिक प्रेरक तत्व

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बैंक निम्नलिखित परिवर्तनकारी स्तंभों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा :

- **सेन्ट नियो के माध्यम से डिजिटल नेतृत्व :** बैंक, सेन्ट नियो डिजिटल बैंक पहल का और अधिक विस्तार करते हुए स्वयं को भविष्य के लिए तैयार संस्था के रूप में विकसित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ओम्नी-चैनल ग्राहक अनुभव उपलब्ध कराना तथा डिजिटल लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म (DLP) के विस्तार पर विशेष ध्यान देकर इसकी पहुँच वर्तमान 37 डिजिटल ग्राहक यात्राओं से आगे बढ़ाकर अधिक व्यापक बैंकिंग एवं ऋण सेवाओं को समाहित करना है।
- **रूपांतरण केंद्र :** नवाचार के केंद्रीय मंच के रूप में आंतरिक रूपांतरण केन्द्र प्रक्रिया पुनर्रचना तथा परिचालन दक्षता को गति प्रदान करेगा, जिससे लागत-आय अनुपात को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
- **रैम क्षेत्र एवं क्लस्टर वित्तपोषण :** बैंक खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ करेगा तथा क्लस्टर-आधारित शाखा मानचित्रण के माध्यम से "विकसित भारत" के लक्ष्य के अनुरूप कार्य करेगा।
- **ईएसजी एवं राष्ट्र निर्माण :** CBI-CARE के मूल मूल्यों के अनुरूप बैंक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत ईएसजी नीति को लागू करेगा तथा वर्ष 2028 तक स्कोप-1 के अंतर्गत नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में कार्य करेगा।

13.5 निष्कर्ष

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त व्यावसायिक संवर्द्धन, वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्थागत उत्कृष्टता की आधारशिला सिद्ध हो। परिसंपत्ति गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान, डिजिटल विश्वास को सुदृढ़ बनाने तथा अपने 33,997 कर्मियों को सशक्त बनाने के माध्यम से बैंक देश की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करने हेतु व्यापक वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे भी सफलतापूर्वक निभाता रहेगा।

14. SWOT विश्लेषण: संस्थागत उत्कृष्टता के लिए व्यावसायिक संवर्द्धन को आधार बनाना

14.1 सामर्थ्य (संस्थागत सुदृढ़ता)

- **विरासत एवं ब्रांड पहचान :** 115 वर्षों से अधिक के गौरवशाली इतिहास के साथ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश के प्रथम स्वदेशी बैंक के रूप में अपनी मजबूत ब्रांड पहचान बनाए हुए है। विश्वास की यह विरासत बैंक के 8.26 करोड़ सक्रिय ग्राहकों के आधार की प्रमुख शक्ति है।
- **सुदृढ़ देयता आधार :** 47.30 प्रतिशत के कासा (चालू एवं बचत खाता) अनुपात के साथ बैंक के पास उद्योग के सर्वश्रेष्ठ देयता आधारों में से एक उपलब्ध है। इसने बैंक को कम लागत पर संसाधन उपलब्ध कराते हुए नियामकीय दरों में कटौती के बावजूद 3.07 प्रतिशत के उच्च शुद्ध ब्याज मार्जिन को बनाए रखने में सहायता प्रदान की।
- **व्यापक भौतिक एवं डिजिटल उपस्थिति :** बैंक 4,585 शाखाओं तथा 22,129 ग्राहक संपर्क बिंदुओं के विशाल अखिल भारतीय नेटवर्क के माध्यम से सेवाएँ प्रदान कर रहा है। इसकी उपस्थिति विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मजबूत है, जो कुल नेटवर्क का 65.19 प्रतिशत हिस्सा हैं।
- **सुदृढ़ वित्तीय स्थिति :** पीसीए ढाँचे से बाहर आने के पश्चात बैंक ने लगातार 20 तिमाहियों तक लाभप्रदता बनाए रखी है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹4,369 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है। बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति भी मजबूत है, जिसमें सीआरएआर 17.91 प्रतिशत तथा टियर-I पूंजी अनुपात 15.61 प्रतिशत रहा।
- **परिसंपत्ति गुणवत्ता में मजबूती :** बैंक ने परिसंपत्ति गुणवत्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार करते हुए सकल एनपीए अनुपात को घटाकर 2.67 प्रतिशत तथा शुद्ध एनपीए अनुपात को 0.49 प्रतिशत तक सीमित रखा है। 95.97 प्रतिशत का प्रावधान कवरेज अनुपात इसकी वित्तीय दृढ़ता को और सुदृढ़ करता है।

- **परिचालन उत्पादकता में वृद्धि** : "व्यावसायिक संवर्द्धन वर्ष" के दौरान बैंक ने परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया। प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹21.31 करोड़ से बढ़कर ₹23.89 करोड़ हो गया, जबकि वैकल्पिक वितरण माध्यमों के जरिए किए गए डिजिटल लेन-देन का हिस्सा बढ़कर 90.54 प्रतिशत के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।

14.2 कमजोरियाँ (परिचालन सुधार के क्षेत्र)

- **उच्च लागत-आय अनुपात** : 58.61 प्रतिशत का लागत-आय अनुपात अभी भी कुछ समकक्ष बैंकों की तुलना में अधिक है। इसे 56 प्रतिशत से नीचे लाना "व्यवसाय उत्कृष्टता वर्ष" का प्रमुख लक्ष्य है।
- **वैश्विक झटकों का ब्याज मार्जिन पर प्रभाव** : यद्यपि बैंक ने उच्च शुद्ध ब्याज मार्जिन बनाए रखा है, तथापि नियामकीय ब्याज दरों में कटौती तथा दूरस्थ क्षेत्रों में विस्तृत भौतिक अवसंरचना के रखरखाव की उच्च लागत के कारण मार्जिन पर दबाव अभी भी जारी है।
- **कासा अनुपात में कमी** : हालांकि कासा अभी भी एक मज़बूत पक्ष बना हुआ है, लेकिन पूरे इंडस्ट्री में जमाकर्ताओं के ज़्यादा रिटर्न देने वाले टर्म डिपॉज़िट की ओर रुझान के कारण इसका अनुपात 48.91% से घटकर 47.30% हो गया
- **ऋण-जमा अनुपात** : यद्यपि ऋण जमा अनुपात में सुधार के पश्चात यह 73.80 प्रतिशत हो गया है, फिर भी बैंक के मजबूत देयता आधार के अधिक प्रभावी उपयोग हेतु इसमें और सुधार की आवश्यकता है।

14.3 उपलब्धियाँ (रणनीतिक प्रगति)

- **सेन्ट नियो डिजिटल बैंक** : बैंक की प्रमुख डिजिटल पहल 'सेन्ट नियो' अगली पीढ़ी के ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक समग्र एवं भविष्य-उन्मुख डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
- **स्केलेबल इकोसिस्टम मॉडल** : सह-ऋण साझेदारियों की संख्या बढ़कर 36 हो जाने तथा आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण मंच के विस्तार से उच्च गुणवत्ता वाले एवं विविधीकृत ऋण वितरण के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं।
- **क्लस्टर आधारित ऋण वृद्धि** : आंतरिक रूपांतरण पहल के अंतर्गत बैंक ने एमएसएमई क्लस्टरों हेतु 225 शाखाओं तथा कृषि क्लस्टरों हेतु 274 शाखाओं का मानचित्रण किया है, जो "विकसित भारत" के लक्ष्य के अनुरूप केंद्रित आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
- **सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से आय विविधीकरण** : जनरली सेन्ट्रल लाइफ एवं जनरली सेन्ट्रल जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी अधिग्रहण से बैंक को बैंकएश्योरेंस माध्यमों द्वारा गैर-ब्याज आय बढ़ाने के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे।
- **वैश्विक एनआरआई व्यवसाय** : 159 विशेष एनआरआई डेस्कों की स्थापना के माध्यम से बैंक वैश्विक भारतीय समुदाय के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर सकता है तथा प्रेषण एवं निवेश व्यवसाय में वृद्धि कर सकता है।
- **डिजिटल ऋण विस्तार**: वर्तमान में 37 ऋण यात्राओं वाले डिजिटल ऋण मंच (DLP) में कॉर्पोरेट एवं एमएसएमई क्षेत्र के अधिक जटिल उत्पादों को शामिल करने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं, जिससे ऋण स्वीकृति समय एवं अधिग्रहण लागत में कमी आएगी।

14.4 जोखिम (समष्टि आर्थिक एवं बाह्य सतर्कता)

- **भू-राजनीतिक अस्थिरता** : विशेषकर अमेरिका-ईरान संबंधों से जुड़ी भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं, ऊर्जा उपलब्धता तथा आयातित मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे घरेलू मांग प्रभावित होने की संभावना है।
- **मौद्रिक एवं बाजार अस्थिरता** : विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों की स्थिति उभरते बाजारों से पूंजी निकासी तथा मुद्रा अवमूल्यन को बढ़ावा दे सकती है, जिसका प्रभाव विदेशी मुद्रा एवं ट्रेजरी आय पर पड़ सकता है।
- **कम लागत वाली जमाओं के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा** : म्यूचुअल फंड (21.90 प्रतिशत वृद्धि) तथा पेंशन फंड (23.10 प्रतिशत वृद्धि) जैसे वैकल्पिक निवेश साधनों के कारण बैंकों को कम लागत वाली जमाओं के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम** : साइबर खतरों की बढ़ती जटिलता के कारण डिजिटल विश्वास बनाए रखने हेतु सुरक्षा प्रणालियों एवं अवसंरचना में निरंतर और पर्याप्त निवेश की आवश्यकता बनी हुई है।
- **कृषि आपूर्ति शृंखला में व्यवधान** : उर्वरकों की कमी तथा खुदरा मूल्य सूचकांक में वृद्धि जैसी परिस्थितियाँ खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे कृषि क्षेत्र की ऋण गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2025-26

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति बैंक की विचारधारा

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य अपने व्यावसायिक कार्यों के संचालन में नैतिक आचरण एवं सर्वोत्तम व्यावसायिक नियमों का पालन करते हुए तथा प्रकटीकरण और पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखकर शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करना है। बैंक ने गवर्नेंस की सर्वोत्तम नियमों एवं मानकों को अपनाया है, जिनकी निगरानी निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। निदेशक मंडल, कार्यकारी अधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों की भूमिकाएँ कॉर्पोरेट उद्देश्यों की प्राप्ति बेहतर प्रदर्शन एवं शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित एवं पृथक रूप से परिभाषित हैं।

बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। तथापि, बैंक एक कंपनी न होकर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय है तथा इसका विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड [सेबी] (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी मानदंडों का अनुपालन उस सीमा तक करता है, जहाँ तक वे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 तथा इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, आदेशों एवं अन्य प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं।

निदेशक मंडल :

(क) निदेशक मंडल की संरचना

बैंक की स्थापना बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथासमय संशोधित) के अंतर्गत की गई है। बैंक के कार्यों एवं व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं।

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथासमय संशोधित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 (यथासमय संशोधित), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथासमय संशोधित) तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है।

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल में कुल 09 निदेशक हैं, जिनमें 04 कार्यकारी निदेशक, 02 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशक तथा 03 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित हैं।

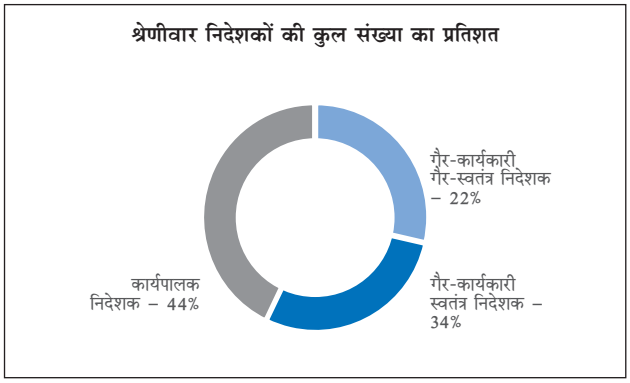

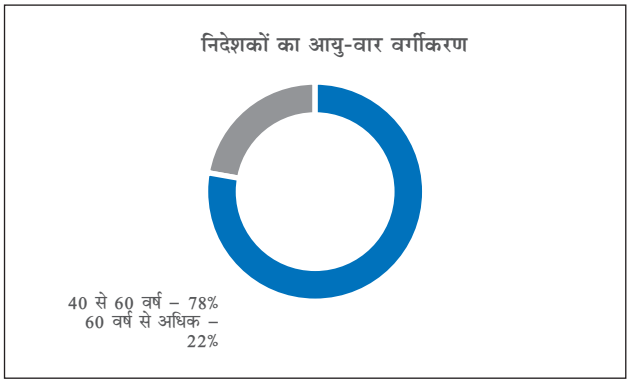

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित कौशल, विशेषज्ञता अथवा दक्षताओं का होना अपेक्षित है।

i. लेखांकन
ii. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
iii. बैंकिंग
iv. सहकारिता
v. अर्थशास्त्र
vi. वित्त
vii. विधि
viii. लघु उद्योग
ix. सूचना प्रौद्योगिकी
x. लोक नीति आदि, अथवा ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव, भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी हो।

बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों के पास उपर्युक्त व्यावसायिक ज्ञान, कौशल एवं अनुभव का समुचित समावेश है, जिससे सतत व्यावसायिक विकास के माध्यम से वैल्यू क्रिएशन के लिए एक सक्षम एवं अनुकूल वातावरण सुनिश्चित होता है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 7(2) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है। निदेशक मंडल की प्रमुख जिम्मेदारियों में नीतियों का निर्धारण, नई पहलों का अनुमोदन, बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा, विनियामकीय एवं वैधानिक अनुपालन की निगरानी, विभिन्न पदाधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा बैंक के विभिन्न कार्यात्मक प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों से परे वित्तीय स्वीकृतियों पर समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण सुनिश्चित करना शामिल है। बैंक का निदेशक मंडल बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथासमय संशोधित) तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार कार्य करता है।

दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना

क्रम सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से – तक)	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार बैंक के धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं (इस बैंक सहित) में एसीबी/ एसआरसी की सदस्यता / अध्यक्षता★		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों/निगमित निकायों में निदेशक पद	19.07.2025 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री कल्याण कुमार	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्णकालिक निदेशक)	30.09.2025 से	शून्य	बैंकिंग	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
2.	श्री एम वी राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्णकालिक निदेशक)	01.03.2021 से 31.07.2025 तक	शून्य	बैंकिंग	शून्य	शून्य	1. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (1) 2. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (2)	हाँ
3.	श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)	10.03.2021 से 30.09.2025 तक	शून्य	बैंकिंग	एसआरसी★	शून्य	1. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड	हाँ
4.	श्री एम. वी. मुरली कृष्णा	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)	01.12.2022 से	12025	बैंकिंग	एसआरसी★	शून्य	1. सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 2. सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड 3. जनरली सेन्ट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	हाँ
5.	श्री महेंद्र दोहरे	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)	09.10.2023 से	शून्य	बैंकिंग	एसआरसी★	शून्य	1. जनरली सेन्ट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	हाँ
6.	श्री ई. रतन कुमार	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)	24.11.2025 से	21920	बैंकिंग	एसआरसी★	शून्य	1. सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	लागू नहीं
7.	श्री हार्दिक मुकेश सेठ	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)	11.04.2022 से 24.07.2025 तक	शून्य	बैंकिंग एवं वित्त	शून्य	शून्य	शून्य	नहीं

क्रम सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से – तक)	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार बैंक के धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	31.03.2026 की स्थिति के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं (इस बैंक सहित) में एसीबी/ एसआरसी की सदस्यता / अध्यक्षता★		31.03.2026 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों/निगमित निकायों में निदेशक पद	19.07.2025 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति
						सदस्य	अध्यक्ष		
8.	श्री बलदेव पुरुषार्थ	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)	24.07.2025 से	शून्य	बैंकिंग एवं वित्त	शून्य	शून्य	1. हुडको लिमिटेड	लागू नहीं
9	श्री मनोरंजन दास	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)	12.12.2024 से	शून्य	शून्य	बैंकिंग एवं वित्त	एसीबी★	शून्य	हां
10.	श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	11.04.2025 से 10.04.2026 तक	शून्य	लेखांकन एवं वित्त	एसीबी★	एसआरसी	शून्य	हाँ
11.	श्री प्रियव्रत शर्मा	अंशकालिक अशासकीय निदेशक (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	08.05.2023 से 07.05.2026 तक	शून्य	लेखांकन एवं वित्त	शून्य	एसीबी★	ब्रह्म फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	हां
12.	श्री शारदा कुमार होता	शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	17.07.2024 से	250	बैंकिंग एवं वित्त	शून्य	शून्य	शून्य	हां

★ एसीबी का अर्थ है ऑडिट कमिटी ऑफ़ बोर्ड तथा एसआरसी का अर्थ है स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशीप कमिटी

1 एवं 2: श्री एम वी राव ने दिनांक 31.07.2025 तक इन कंपनियों के निदेशक के रूप में कार्य किया।

3: श्री विवेक वाही ने इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड के निदेशक के रूप में दिनांक 30.06.2025 तक कार्य किया।

वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1. श्री हार्दिक मुकेश सेठ दिनांक 24.07.2025 से बैंक के सरकारी नामित निदेशक नहीं रहे।
2. श्री बलदेव पुरुषार्थ को दिनांक 24.07.2025 से बैंक के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में, अग्रिम आदेश तक, नियुक्त किया गया।
3. श्री एम. वी. राव दिनांक 31.07.2025 से अधिवर्षिता प्राप्त करने के उपरांत बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो गए।
4. श्री विवेक वाही दिनांक 30.09.2025 से अधिवर्षिता प्राप्त करने के उपरांत बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गए।
5. श्री कल्याण कुमार को भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.09.2025 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अग्रिम आदेश तक, नियुक्त किया गया।
6. श्री ई. रतन कुमार को भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.11.2025 से बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में, 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अग्रिम आदेश तक, नियुक्त किया गया।.
7. श्री एम. वी. मुरली कृष्णा, कार्यकारी निदेशक, का कार्यकाल उनके अधिसूचित कार्यकाल, जो 30 नवम्बर 2025 को समाप्त हो रहा था, से आगे बढ़ाकर उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात 31 जुलाई 2027 तक अथवा अग्रिम आदेश तक विस्तारित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति के पश्चात बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन:

1. श्री प्रदीप पी. खिमानी दिनांक 10.04.2026 से बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के पद से, उनके 01 वर्ष के कार्यकाल की पूर्णता पर, सेवानिवृत्त हो गए।
2. श्री प्रियव्रत शर्मा दिनांक 07.05.2026 से बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (सीए श्रेणी) के पद से, उनके 03 वर्ष के कार्यकाल की पूर्णता पर, सेवानिवृत्त हो गए।

दिनांक 31.05.2026 की स्थिति के अनुसार बैंक के निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1. श्री कल्याण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री कल्याण कुमार को 30 सितम्बर 2025 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान पदभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री कुमार ने तीन वर्ष से अधिक अवधि तक पंजाब नेशनल बैंक में

कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएँ प्रदान कीं।

एक अनुभवी बैंकर, श्री कुमार ने राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वे भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य (सीएआईआईबी) हैं तथा भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान से व्यापार वित्त, एमएसएमई वित्त, आईटी सुरक्षा तथा केवाईसी - एएमएल में विभिन्न प्रमाणपत्र की उपाधि प्राप्त हैं।

श्री कुमार ने पंजाब नेशनल बैंक की दो अनुषंगी कंपनियों, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड तथा पीएनबी काड्र्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वे प्रबंधन विकास संस्थान सोसायटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नामित सदस्य भी रहे हैं। श्री कुमार राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली केंद्र के निदेशक मंडल में भी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे हैं एवं आईआईएफसीएल के बोर्ड में एससीबी के नामांकित निदेशक भी थे।

पंजाब नेशनल बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में, उन्होंने प्रमुख व्यावसायिक, सहायक एवं नियंत्रण कार्यों के अंतर्गत लाभ एवं हानि की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अनेक क्षेत्रों में दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

उन्होंने डिजिटल परिवर्तन, रणनीतिक प्रबंधन, आर्थिक परामर्श, डेटा एनालिटिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के माध्यम से समग्र व्यावसायिक वृद्धि हेतु बैंक के दृष्टिकोण एवं रणनीति का नेतृत्व किया। उन्होंने मानव संसाधन परिवर्तन पहल 'पीएनबी उड़ान' का भी नेतृत्व किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी की भूमिकाओं एवं अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हुए सुव्यवस्थित एवं मापनीय प्रमुख परिणाम क्षेत्र निर्धारित किए गए। वे 'बिजनेस एक्विजिशन और रिलेशनशिप डिवीज़न' का नेर्तृत्व भी करते हैं, जिसमें उनका मुख्य ध्यान कासा में बढ़ोतरी करने और क्रेडिट कार्ड सहित आस्ति और देयता उत्पादकों की मार्केटिंग पर होता है। श्री कुमार ने बैंक के 'वेल्थ मैनेजमेंट वर्टिकल' का नेर्तृत्व भी किया, जिसमें थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट्स के जरिए फीस-बेस्ड इनकम बढ़ाने पर ध्यान दिया गया।

ई.एस.जी. लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए, श्री कुमार ने 'पी. एन.बी. पलाश' नामक हरित पहल की शुरुआत भी की। इसके अंतर्गत अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा वृक्षारोपण अभियान, डिजिटल प्रतियों एवं बायोडिग्रेडेबल फोल्डरों का उपयोग, ऊर्जा, कागज एवं जल संरक्षण उपाय तथा कारपूलिंग जैसी विभिन्न पहलों को लागू किया गया।

श्री कल्याण कुमार ने वर्ष 1995 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और विभिन्न पदों पर 26 वर्षों से अधिक समय तक बैंक की सेवा की। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों की शाखाओं में शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया, जिनमें अत्यंत बड़ी शाखाएँ भी शामिल हैं। उन्होंने स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया। कॉर्पोरेट कार्यालय में उन्होंने बैंक के व्यवसाय प्रक्रिया परिवर्तन, ऋण समीक्षा एवं निगरानी तथा सतर्कता कार्यों में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में मानव संसाधन विभाग का नेतृत्व भी किया। आंध्र बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सफल समामेलन का संचालन एवं नियंत्रण भी उनके पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।

श्री कुमार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा संचालित शीर्ष नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इगॉन ज़ेहन्डर द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित निदेशक विकास कार्यक्रम में भाग लिया है।

वर्तमान में वे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की राष्ट्रीय बैंकिंग समिति के सदस्य, भारतीय बैंकिंग प्रबंधन संस्थान के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय की कॉलेज सलाहकार समिति के बाह्य सदस्य तथा भारतीय बैंकिंग संघ (आईबीए) के वैकल्पिक अध्यक्ष/सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

2. श्री एम. वी. मुरली कृष्णा, कार्यपालक निदेशक

श्री एम. वी. मुरली कृष्णा दिनांक 01 दिसंबर 2022 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पूर्व, उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवाएँ प्रदान कीं।

श्री एम. वी. मुरली कृष्णा ने बैंकिंग एवं वित्त में एमबीए. की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की तथा नेतृत्वकारी भूमिकाओं में तीन दशकों से अधिक का पेशेवर बैंकिंग अनुभव प्राप्त किया है। उनकी विशेषज्ञता बैंकिंग के सभी प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कॉरपोरेट क्रेडिट, अंतरराष्ट्रीय परिचालन, ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग, वित्तीय समावेशन तथा एनआरआई व्यवसाय आदि में विस्तृत है। बैंक ऑफ बड़ौदा में उनकी अंतिम पदस्थापना बड़े कॉर्पोरेट के लिए कॉर्पोरेट संस्थागत ऋण विभाग के प्रमुख के रूप में रही।

अपने लंबे बैंकिंग कार्यकाल के दौरान उन्होंने शाखाओं से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विदेशी क्षेत्र से लेकर कॉर्पोरेट कार्यालय तक विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है। उन्होंने सफलतापूर्वक बड़े कॉर्पोरेट विभाग के प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय परिचालन के प्रमुख, ग्रामीण एवं कृषि विभाग के प्रमुख तथा वित्तीय समावेशन विभाग के प्रमुख के रूप में दायित्वों का निर्वहन किया। इससे पूर्व, उन्होंने बीओबी कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक तथा ए.एफ.सी. इंडिया लिमिटेड (एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन) के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

वर्तमान में, वे बैंक की अनुषंगी/सहायक कंपनियों सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड तथा जनरली सेन्ट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

3. श्री महेंद्र दोहरे, कार्यपालक निदेशक

श्री महेंद्र दोहरे दिनांक 09 अक्टूबर 2023 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पूर्व, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवाएँ प्रदान कीं।

श्री महेंद्र दोहरे ने मार्केटिंग एवं वित्त में एमबीए की उपाधि प्राप्त की है तथा वे भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य हैं। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग, आईटी सुरक्षा, साइबर अपराध एवं धोखाधड़ी प्रबंधन की रोकथाम, प्रमाणित सूचना प्रणाली बैंकर, ग्राहक सेवा, एमएसएमई वित्त तथा लेखा एवं लेखांकन में भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) से विभिन्न प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए हैं।

वे एक अनुभवी बैंकर हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति से पूर्व, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक तथा ई-यूएनआई में मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक के रूप में विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों जैसे व्यवसाय अधिग्रहण एवं संबंध प्रबंधन, डिजिटल बैंकिंग परिवर्तन, फिनटेक, क्रेडिट कार्ड, मर्चेंट एक्वायरिंग व्यवसाय तथा सूचना प्रौद्योगिकी में सेवाएँ प्रदान की हैं।

उन्होंने मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्षेत्रीय प्रमुख सहित विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए विविध भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। इससे पूर्व, उन्होंने पीएनबी काड्र्स एंड सर्विसेज लिमिटेड तथा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में भी सेवाएँ प्रदान की हैं।

वर्तमान में, वे जनरली सेन्ट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पीएसबी, एलायंस प्रा. लि. के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

4. श्री ई. रतन कुमार, कार्यपालक निदेशक

श्री ई. रतन कुमार ने दिनांक 24 नवम्बर 2025 को कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व, वे मुख्य महाप्रबंधक (तकनीक) के रूप में बैंक के डिजिटल परिवर्तन का कार्य संभाल रहे थे।

उन्होंने आरईसी (वर्तमान एनआईटी), इलाहाबाद से कंप्यूटर साइंस में बीई तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स में एमटेक की उपाधि प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के एनएमआईएमएस से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त की है।

बैंकिंग में उन्हें मध्य कॉर्पोरेट शाखा के प्रभारी, कॉर्पोरेट फाइनेंस शाखा, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रमुख तथा अंचल प्रमुख के रूप में विविध अनुभव प्राप्त है। परिचालन बैंकिंग एवं प्रौद्योगिकी दोनों क्षेत्रों में अनुभव तथा प्रक्रिया पुनर्रचना की मजबूत समझ के साथ, वे संगठन को समृद्ध एवं प्रभावी ज्ञान प्रदान करते हैं।

वर्तमान कार्यभार से पूर्व, उन्होंने बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, योजना एवं विकास, व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्गठन विभाग, ऋण निगरानी , सीडीआर सेल आदि सहित विभिन्न विभागों में कार्य किया है। उनके द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाओं में ओमनीचैनल तथा डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म सहित कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ शामिल हैं। समग्र रूप से, उनके पास प्रौद्योगिकी एवं बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में तीन दशकों का अनुभव है।

मुख्य महाप्रबंधक–प्रौद्योगिकी के रूप में, वे डिजिटल पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं तथा बैंक की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना "डिजिटल रणनीति एवं परिवर्तन" का संचालन एवं नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान में वे सीएफएसएल के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

5. श्री बलदेव पुरुषार्थ, सरकार नामित निदेशक

श्री बलदेव पुरुषार्थ वर्ष 2002 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आईएएस) हैं, जो पंजाब कैडर से संबंधित हैं। उन्होंने पंजाब सरकार एवं भारत सरकार में विभिन्न क्षेत्रीय तथा सचिवालय स्तर के पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे भारत सरकार की ओर से अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडलों में भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्हें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चंडीगढ़ को फर्स्ट मिलियन प्लस ओडीएफ शहर बनाने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

वे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के निदेशक मंडल में भी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री पुरुषार्थ ने दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। डीईए में संयुक्त सचिव के रूप में उन्होंने अवसंरचना में पीपीपी से संबंधित विभिन्न पुस्तकों के निर्माण एवं नीति-निर्माण में योगदान दिया है, जिनमें राज्य पीपीपी इकाइयों की स्थापना हेतु संदर्भ मार्गदर्शिका, पीपीपी परियोजना मूल्यांकन हेतु संदर्भ मार्गदर्शिका तथा परियोजना कार्यान्वयन हेतु संदर्भ मार्गदर्शिका शामिल हैं।

मोड चयन - वॉटरफॉल फ्रेमवर्क; पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए लेन-देन सलाहकार: पैनल के इस्तेमाल के लिए मैनुअल, वगैरह। उन्होंने आधारभूत संरचना और पीपीपी पर कई पत्रिकाओं में कई लेख भी लिखे हैं।

6. श्री मनोरंजन दाश, भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक

श्री मनोरंजन दाश 12.12.2024 से बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक हैं।

श्री मनोरंजन दाश के पास कृषि में स्नातक डिग्री है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एंड फाइनेंस के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ काम करने का तीन दशकों से ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के जोखिम निगरानी विभाग के मुख्य महा प्रबंधक – प्रभारी के रूप में काम किया और मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले, उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक गुवाहाटी के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया। वह 1990 में ग्रेड 'बी' अधिकारी के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक में शामिल हुए थे।

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन जोखिम कार्य समूह और सेन्ट्रल बैंक रिस्क मैनेजर्स फोरम जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया है।

7. श्री शारदा कुमार होता, शेयरधारक निदेशक

श्री शारदा कुमार होता 17 जुलाई, 2024 से बैंक के शेयरधारक निदेशक हैं।

श्री शारदा कुमार होता कृषि में स्नात्कोत्तर हैं। उन्हें 34 साल से ज़्यादा का अनुभव है, जिसमें से 26 साल वाणिज्यिक बैंकिंग में देश के सभी इलाकों में - ग्रामीण और अर्ध-शहरी से लेकर मेट्रो शाखाओं में काम किया है। उन्होंने केनरा बैंक के साथ अलग-अलग जगहों पर मानव संसाधन, रणनीतिक व्यवसाय योजना और लाभ आयोजना वर्टिकल में कई भूमिकाओं में काम किया है।

उन्हें बोर्ड लेवल पर 08 साल का अनुभव है (03 साल कैन फिन होम्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ के तौर पर और 05 साल राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के तौर पर)।

वह भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर-नियामक मंच के सदस्य,

रियल एस्टेट नियामक प्रधिकरण के केंद्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य और अटके हुए प्रोजेक्ट्स से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्य भी थे।

आचार संहिता :

बैंक के निदेशक बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के लोगों के लिए आचार संहिता को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के तहत निदेशक बोर्ड ने मंज़ूरी दी है। यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

https://centralbank.bank.in/sites/default/files/Code-of-conduct-for-Bank's-BOD-and-Senior-Management-2025-26.pdf

बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लोगों ने इस आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता के बारे में बोर्ड की पुष्टि:

सभी स्वतंत्र निदेशकों से मिली जानकारी के आधार पर, बोर्ड का मानना है कि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनीज़ एक्ट, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 में बताई गई स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा किया है और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। .

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 11.03.2026 को बैंक के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई।

बोर्ड सदस्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन:

पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन, भारत सरकार द्वारा तय दिशानिर्देशों के आधार पर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए बनी बोर्ड की समिति करती है। इसके अलावा, गैर-आधिकारिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन निदेशक बोर्ड सालाना आधार पर करते हैं।

जानकारी देने का कार्यक्रम :

बैंक अपने निदेशकों को बैंक में उनकी भूमिकाओं, अधिकारों, जिम्मेदारियों और दायित्वों के बारे में नियमित रूप से जानकारी देता रहता है। बैंक समय-समय पर सीएएफआरएएल, आईडीआरबीटी, आईआईसीएऔर अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी अपने निदेशकों को नॉमिनेट करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के निदेशकों द्वारा अटेंड किए गए जानकारी/ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स बैंक की वेबसाइट https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations पर उपलब्ध हैं।

आपस में संबंध :

बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई संबंध नहीं है।

ए) निदेशक मण्डल की बैठक

बैंक का बोर्ड, बैंक की बिज़नेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजी पर चर्चा करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करता है। बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की बैठकें आमतौर पर मुंबई में बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में होती हैं। डायरेक्टर्स को बोर्ड और उसकी सब-कमेटी की बैठकों में वर्चुअल माध्यम से भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की 13 बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के क्लॉज़ 12 के तहत कम से कम 6 बैठकें और सेबी (लिस्टिंग से जुडी बाध्यताएं और जानकारी देने की जरुरतें) अधिनियम 2015 के तहत कम से कम 04 (चार) बैठकें अनिवार्य हैं :

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित तारीखों पर 13 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:

28.04.2025	07.10.2025	16.01.2026
13.06.2025	17.10.2025	10.02.2026
11.07.2025	25.11.2025	24.03.2026
19.07.2025	02.12.2025	
17.09.2025	20.12.2025	

बोर्ड मीटिंग में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

निदेशक का नाम	दर्ज की गई उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान हुई मीटिंग	अवधि (से – तक)
श्री कल्याण कुमार	08	08	30.09.2025-31.03.2026
श्री एम.वी.राव	04	04	01.04.2025-31.07.2025
श्री विवेक वाही	05	05	01.04.2025-30.09.2025
श्री एम.वी.मुरली कृष्णा	13	13	01.04.2025-31.03.2026
श्री महेंद्र दोहरे	13	13	01.04.2025-31.03.2026
श्री ई-रतन कुमार	06	06	24.11.2025-31.03.2026
श्री हार्दिक मुकेश सेठ	03	04	01.04.2025-24.07.2025
श्री बालदेव पुरुषार्थ	05	09	24.07.2025-31.03.2026

श्री मनोरंजन दाश	13	13	01.04.2025-31.03.2026
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	13	13	11.04.2025-31.03.2026
श्री प्रियव्रत शर्मा	12	13	01.04.2025-31.03.2026
श्री शारदा कुमार होता	13	13	01.04.2025-31.03.2026

बी) बोर्ड की उप-समितियों का विवरण

आज की तारीख तक, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम और स्वयं बोर्ड द्वारा जारी नियमों/विनियमों और निर्देशों के तहत बोर्ड की कुल 16 समितियां बनाई गई हैं। इन उप-समिति का विवरण इस प्रकार है:-

i) बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

ii) बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति (सीएसीबी)

iii) बोर्ड की ऑडिट समिति (एसीबी)

iv) बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

v) धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और फॉलो-अप के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएफ)

vi) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएसबी)

vii) बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

viii) बोर्ड की शेयरधारक संबंध समिति (एसआरसी)

ix) बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

x) बोर्ड की सतर्कता समिति (वीजीसी)

xi) बोर्ड की मानव संसाधन समिति (एचआरसी)

xii) बोर्ड की वसूली की निगरानी के लिए समिति (एमआरसी)

xiii) बोर्ड की पूंजी जुटाने वाली समिति (सीआरसी)

xiv) जानबूझकर चूक करने वालों (विलफुल डिफॉल्टर) की पहचान और सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं को घोषित करने की समीक्षा के लिए बोर्ड की समिति (सीआरआईडब्ल्यू एवं एनसीबी)

xv) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर)

xvi) बोर्ड की निष्पादन मूल्यांकन समिति (बीसीपीई)

i) बोर्ड की प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के क्लॉज़ 13, सब-क्लॉज़ 2 और वित्तीय सेवा विभाग के 24.08.2015 और 10.06.2014 के पत्रों के अनुसार किया गया है। यह समिति महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों पर विचार करती है, जैसे कि उच्च मूल्य वाले ऋण प्रस्तावों को मंज़ूरी देना, समझौता/राइट-ऑफ प्रस्ताव, पूंजी और राजस्व व्यय की मंज़ूरी, परिसर, निवेश, दान आदि। आर.बी.आई/ भारत सरकार/ बैंक बोर्ड के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य भी करती है। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होती है।

31.03.2026 तक, इसमें 06 सदस्य शामिल थे, जिनमें प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 03 कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक और शेयरधारक निदेशक शामिल थे। समिति की बैठक की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी करते हैं।

बोर्ड की प्रबंधन समिति की बैठक वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर 16 बार हुई:

28.04.2025	14.08.2025	25.11.2025	10.02.2026
02.06.2025	17.09.2025	15.12.2025	23.02.2026
25.06.2025	29.09.2025	24.12.2025	11.03.2026
30.07.2025	01.11.2025	23.01.2026	24.03.2026

सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया:

निदेशक का नाम	दर्ज की गई उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान हुई मीटिंग	अवधि (से – तक)
श्री कल्याण कुमार	09	09	30.09.2025-31.03.2026
श्री एम.वी.राव	04	04	01.04.2025-31.07.2025
श्री विवेक वाही	07	07	01.04.2025-30.09.2025
श्री एम.वी.मुरली कृष्णा	16	16	01.04.2025-31.03.2026
श्री महेंद्र दोहरे	15	16	01.04.2025-31.03.2026
श्री ई रतन कुमार	08	08	24.11.2025-31.03.2026
श्री मनोरंजन दाश	15	16	01.04.2025-31.03.2026
श्री सारदा कुमार होता	15	16	01.04.2025-31.03.2026

ii) ऋण स्वीकृति समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 के क्लॉज़ 13A के तहत, 31.01.2012 से निदेशक बोर्ड की एक ऋण मंज़ूरी समिति बनाई गई है। यह समिति ऋण प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि : अकेले उधारकर्ता के लिए ₹100 करोड़ से ज्यादा और ₹400 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव; ग्रुप कंपनियों/उधारकर्ताओं के लिए ₹200 करोड़ से ज़्यादा और ₹800 करोड़ तक के प्रस्ताव; और ऐसे समझौते/राइट-ऑफ़ (बट्टे खाते में डालने) के प्रस्ताव जिनमें ₹10 करोड़ से ज्यादा और ₹50 करोड़ तक का नुकसान शामिल हो। इसके अलावा, आर.बी.आई/ भारत सरकार/ सेबी/ बैंक बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कोई भी अन्य काम भी यह समिति करती है। यह समिति जरुरत पड़ने पर बैठक करती है।

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 03 कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय, ऋण, लेखा/वित्त, ऋण निगरानी एवं नीति के प्रभारी महाप्रबंधक तथा उन कार्यक्षेत्रों (वर्टिकल्स) के महाप्रबंधक, जिनके प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, एवं मुख्य जोखिम अधिकारी शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

क्रेडिट मंज़ूरी समिति की बैठक साल के दौरान 22 बार इन तारीखों पर हुई:

24.04.2025	15.10.2025	01.12.2025	02.03.2026
22.05.2025	23.10.2025	08.12.2025	09.03.2026
20.06.2025	31.10.2025	02.01.2026	20.03.2026
05.08.2025	06.11.2025	05.01.2026	30.03.2026
04.09.2025	10.11.2025	23.01.2026	
25.09.2025	19.11.2025	06.02.2026	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री कल्याण कुमार	16	16	30.09.2025-31.03.2026
श्री एम.वी.राव	03	03	01.04.2025-31.07.2025
श्री विवेक वाही	06	06	01.04.2025-30.09.2025
श्री एम.वी.मुरली कृष्णा	22	22	01.04.2025-31.03.2026
श्री महेंद्र दोहरे	21	22	01.04.2025-31.03.2026
श्री ई रतन कुमार	09	10	24.11.2025-31.03.2026

iii) बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति:

बोर्ड की ऑडिट समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के 28.11.2025 के मास्टर निर्देश, वित्तीय सेवा विभाग के

10.06.2014 के सर्कुलर और समय-समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) नियमों, 2015 के अनुसार किया गया है। एसीबी बैंक के पूरे ऑडिट कामकाज के संचालन पर नज़र रखती है और दिशा-निर्देश देती है। इसमें बैंक के अंदर आंतरिक ऑडिट और निरीक्षण का संगठन, संचालन और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल है, साथ ही बैंक के वैधानिक/बाहरी ऑडिट और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षणों पर फ़ॉलो-अप करना भी शामिल है। समिति साल में कम से कम चार बार और हर तिमाही में एक बार बैठक करती है।

लेखा परीक्षा समिति के काम करने के नियम इस प्रकार हैं:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में, बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कामकाज की समीक्षा करना। इसमें खास तौर पर अंतर शाखा एडजस्टमेंट अकाउंट, अंतर -बैंक अकाउंट और नॉस्ट्रो अकाउंट में लंबे समय से बकाया बिना मिलान वाली एंट्री, बही-खातों के मिलान में देरी, धोखाधड़ी और हाउस-कीपिंग के अन्य सभी मुख्य क्षेत्रों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने पर ध्यान दिया जाता है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से छमाही रिपोर्ट प्राप्त करना और उनकी समीक्षा करना;
3. स्वतंत्र लेखापरीक्षा के दायरे की समीक्षा करना, जिसमें ऑडिटर की टिप्पणियाँ शामिल हैं, और बोर्ड को सौंपने से पहले तिमाही, छमाही और सालाना वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;
4. सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट (एसएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्यवाही करना और तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षक के साथ चर्चा करना;
5. खातों, अकाउंटिंग नीतियों और प्रकटीकरणों की नियमित रूप से समीक्षा करना ;
6. प्रबंधन के निर्णय के आधार पर मुख्य अकाउंटिंग प्रविष्टियों की समीक्षा करना और ऑडिट से निकले किसी भी अहम बदलाव की समीक्षा करना; ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में बताई गई कमियों या आपत्तियों पर ध्यान देना; ऑडिट के बाद ऑडिटर के साथ चर्चा करके किसी भी चिंता वाले विषय का पता लगाना; इंटरनल ऑडिट का दायरा और आवृति तय करना, आंतरिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट की समीक्षा करना और आंतरिक कंट्रोल सिस्टम के सही और पर्याप्त होने को सुनिश्चित करना।
7. जहाँ लागू हो, वहाँ वित्तीय विवरणियों से जुड़ी स्टॉक एक्सचेंज की कानूनी ज़रूरतों का पालन करना ;
8. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में उल्लिखित विषयों तथा समय-समय पर लागू किसी वैधानिक, संविदात्मक अथवा विनियामक अपेक्षा के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति द्वारा विचारणीय एवं अनुपालित किए जाने वाले अन्य मामलों पर विचार करना।
9. भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार /सेबी /बैंक के बोर्ड के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में 02 स्वतंत्र निदेशक और आरबीआई नामित निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता श्री प्रियव्रत शर्मा, स्वतंत्र निदेशक (सीए श्रेणी) द्वारा की जाती है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित तारीखों पर 11 बैठकें हुईं:

28.04.2025	07.10.2025	16.01.2026
02.06.2025	17.10.2025	23.03.2026
19.07.2025	24.11.2025	25.03.2026
29.09.2025	19.12.2025	

सदस्यों का उपस्थिति रिकॉर्ड नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री प्रियव्रत शर्मा	11	11	01.04.2025-31.03.2026
श्री प्रदीप प्रानलाल खिमानी	11	11	16.04.2025-31.03.2026
श्री मनोरंजन दाश	11	11	01.04.2025-31.03.2026

कंपनी सचिव, एसीबी के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।.

iv) जोखिम प्रबंधन समिति:

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 28.11.2025 के आरबीआई के मास्टर निर्देशों और समय-समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार किया गया है। समिति का गठन क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीति की निगरानी के लिए किया गया था। समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार और प्रत्येक तिमाही में एक बार होती है।

जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

1. समिति बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों का दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों दृष्टिकोणों से मूल्यांकन करेगी।
2. दीर्घकालिक हितों और प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, यह बैंक के जोखिम दर्शन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगी और उसे सक्रिय रूप से अपडेट करेगी।
3. परिचालनात्मक दृष्टिकोण से समिति बैंक की जोखिम-प्रोफाइल की समीक्षा करेगी तथा जोखिमों के बेहतर प्रबंधन हेतु संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश/दिशानिर्देश जारी करेगी।
4. समिति विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहलों तथा नीतिगत दिशानिर्देशों के समन्वय हेतु सर्वोच्च समिति के रूप में कार्य करेगी। यह बैंक की जोखिम प्रबंधन दर्शन के साथ-साथ बैंक के जोखिम प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और दिशानिर्देश प्रदान करने पर बोर्ड को दिशा देने की सुविधा प्रदान करेगी। यह बैंक द्वारा लिए जाने वाले जोखिमों का एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएगी और बैंक की जोखिम क्षमता को दर्शाने के लिए व्यापक निर्देश प्रदान करेगी।.
5. यह ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों की भी समीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बैंक के जोखिम दर्शन और जोखिम प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। यह देशव्यापी/संगठन स्तर पर जोखिम प्रबंधन नीतियों के प्रति जागरूकता और समझ का निर्माण भी करेगी। यह बैंक के परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों की समय-समय पर समीक्षा करेगी। इसके अलावा समिति नीतियों के अनुपालन की निगरानी के लिए समय-समय पर प्राप्त सूचनाओं की भी आवधिक समीक्षा करेगी।
6. पूरे बैंक में एएलएम (परिसंपत्ति देयता प्रबंधन) के मुद्दों के प्रति जागरूकता और समझ पैदा करना। बैंक की इच्छित जोखिम प्राथमिकताओं और बैलेंस शीट प्रोफाइल को बनाए रखने के लिए बैलेंस शीट संरचना, निधि संरचना, मूल्य निर्धारण और कॉर्पोरेट योजना के क्षेत्रों में उपयुक्त दिशानिर्देशों का उपयोग करना।
7. जोखिम प्रबंधन तथा जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु स्थापित निर्देशात्मक तंत्र की समय-समय पर समीक्षा करना।
8. समिति ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम-उद्भासनों को समाहित करने वाले एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करेगी।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, सेबी या बैंक के बोर्ड के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य।

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति में 01 कार्यपालक निदेशक, 02 स्वतंत्र निदेशक और भारत सरकार के नामांकित निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक, श्री शारदा कुमार होता द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की बैठक निम्नलिखित तारीखों पर 05 बार हुई::

02.06.2025	17.09.2025	19.12.2025	10.02.2026	23.03.2026

सदस्यों की दर्ज की गई उपस्थिति नीचे दिखाई गई है:

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री शारदा कुमार होता	05	05	01.04.2025-31.03.2026
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	05	05	16.04.2025-31.03.2026
श्री विवेक वाही	02	02	01.04.2025-30.09.2025
श्री ई रतन कुमार	03	03	24.11.2025-31.03.2026
श्री हार्दिक मुकेश सेठ	01	01	01.04.2025-24.07.2025
श्री बलदेव पुरुषार्थ	02	04	24.07.2025-31.03.2026

v) धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति का गठन 15.07.2024 के आरबीआई के परिपत्र के अनुसार किया गया है। समिति बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की निगरानी करती है। एससीबीएमएफ धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा एवं निगरानी करेगी, जिसमें मूल कारण विश्लेषण शामिल है और आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए शमन उपायों का सुझाव देगी। समिति संदिग्ध खातों के रूप में चिह्नित खातों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा करती है।

समिति वर्ष में कम-से-कम चार बार तथा प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम एक बार बैठक आयोजित करती है। 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, समिति में 03 कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार के नामांकित निदेशक और 02 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठक

की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक, श्री प्रियव्रत शर्मा द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की बैठक निम्नलिखित तारीखों पर 04 बार हुई:

23.05.2025	29.09.2025	25.11.2025	23.03.2026

सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री प्रियव्रत शर्मा	04	04	01.04.2025-31.03.2026
श्री विवेक वाही	02	02	01.04.2025-30.09.2025
श्री एम. वी. मुरली कृष्णा	04	04	01.04.2025-31.03.2026
श्री महेंद्र दोहरे	04	04	01.04.2025-31.03.2026
श्री ई रतन कुमार	02	02	24.11.2025-31.03.2026
श्री हार्दिक मुकेश सेठ	01	01	01.04.2025-24.07.2025
श्री बलदेव पुरुषार्थ	02	03	24.07.2025-31.03.2026
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	02	02	07.10.2025-31.03.2026

vi) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति:

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन आरबीआई के 14 अगस्त 2004 के पत्र के परामर्श और विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के संबंध में ग्राहक सेवाओं में व्यापक सुधार का समर्थन करने के उद्देश्य से डॉ. एस. एस. तारापोर की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित 'सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रियाओं और प्रदर्शन लेखापरीक्षा समिति' के साथ मिलाकर किया गया था। समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार और प्रत्येक तिमाही में एक बार होती है।.

ग्राहक सेवा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं

1. बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना।
2. बैंकों में सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रियाओं और प्रदर्शन लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
3. सभी स्तरों पर सभी श्रेणियों के ग्राहकों के लिए ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और ग्राहक संतुष्टि के स्तर में सुधार करने के लिए अभिनव (नवाचारी) उपाय शुरू करना।
4. ग्राहकों की शिकायतों/व्यथाओं की समीक्षा करना। (i) एक व्यापक जमा नीति तैयार करना (ii) खाता संचालन के लिए जमाकर्ता की मृत्यु के बाद की प्रक्रियाओं जैसे मामले (iii) उपयुक्तता और औचित्य को ध्यान में रखते हुए उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया
5. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, सेबी या बैंक के बोर्ड के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, समिति में 03 कार्यपालक निदेशक, 01 स्वतंत्र निदेशक और 01 आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र (डोमेन) के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की बैठक निम्नलिखित तारीखों पर 04 बार हुई:

23.05.2025	17.09.2025	19.12.2025	11.03.2026

सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री महेंद्र दोहरे	04	04	01.04.2025-31.03.2026
श्री ई रतन कुमार	02	02	24.11.2025-31.03.2026
श्री विवेक वाही	02	02	01.04.2025-30.09.2025
श्री एम वी मुरली कृष्णा	04	04	01.04.2025-31.03.2026
श्री प्रदीप प्रानलाल खिमानी	04	04	16.04.2025-31.03.2026
श्री गुलशन राय (आमंत्रित)	01	02	19.12.2025-31.03.2026

vii) बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति:

बोर्ड की आईटी रणनीति समिति का गठन आरबीआई के 07.11.2023 के परिपत्र, वित्तीय सेवा विभाग के 06.06.2018 के पत्र और आईबीए के निर्देशों के अनुसार किया गया है।

भूमिकाएं और उद्देश्य:

1. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन द्वारा एक प्रभावी आईटी रणनीतिक नियोजन प्रक्रिया स्थापित की गई है।
2. आईटी रणनीति के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना कि आईटी रणनीति बैंक की समग्र रणनीति एवं व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुरूप हो।
3. स्वयं को आश्वस्त करना कि आईटी प्रशासन और सूचना सुरक्षा (इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी) प्रशासन की संरचना उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है, प्रभावी एवं दक्ष है, उसके पास पर्याप्त कुशल संसाधन हैं तथा संगठन के प्रत्येक स्तर के लिए स्पष्ट उद्देश्यों एवं निर्विवाद उत्तरदायित्वों को परिभाषित करती है।
4. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं लागू की हैं।
5. यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी कार्य (जिसमें आईटी सुरक्षा भी सम्मिलित है) तथा साइबर सुरक्षा हेतु बजटीय आवंटन बैंक की आईटी परिपक्वता, डिजिटल विस्तार, जोखिम परिवेश एवं उद्योग मानकों के अनुरूप हो तथा उसका उपयोग निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही किया जाए।
6. बैंक की व्यवसाय निरंतरता योजना तथा आपदा पुनर्प्राप्ति प्रबंधन की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता की कम-से-कम वार्षिक आधार पर समीक्षा करना।
7. आईटी रणनीति और नीति दस्तावेज को मंजूरी देना।
8. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, सेबी या बैंक के बोर्ड के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, समिति में 03 कार्यपालक निदेशक, 02 स्वतंत्र निदेशक, सरकारी नामांकित निदेशक और 01 आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक श्री शारदा कुमार होता द्वारा की जाती है।.

वर्ष के दौरान समिति की 06 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को हुईं:

02.06.2025	11.07.2025	17.09.2025	25.11.2025	19.12.2025	11.03.2026

सदस्यों का उपस्थिति रिकॉर्ड नीचे दिया गया है::

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री शारदा कुमार होता	06	06	01.04.2025-31.03.2026
श्री विवेक वाही	03	03	01.04.2025-30.09.2025
श्री एम वी मुरली कृष्णा	06	06	01.04.2025-31.03.2026
श्री महेंद्र दोहरे	06	06	01.04.2025-31.03.2026
श्री ई रतन कुमार	03	03	24.11.2025-31.03.2026
श्री हार्दिक मुकेश शेठ	02	02	01.04.2025-24.07.2025
श्री बलदेव पुरुषार्थ	03	04	24.07.2025-31.03.2026
श्री प्रियव्रत शर्मा	06	06	01.04.2025-31.03.2026
श्री वीरेश्वर कुमार (आमंत्रित)	06	06	01.04.2025-31.03.2026

viii) हितधारक संबंध समिति

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अनुपालन में बैंक ने हितधारक संबंध समिति का गठन किया है। समिति का मुख्य उद्देश्य शेयरधारकों, ऋण-पत्रधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण तंत्र की निगरानी करना है। इसमें विशेष रूप से शेयरों के अंतरण, वार्षिक प्रतिवेदन की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना तथा अन्य संबंधित शिकायतों के निवारण से जुड़े मामलों पर विचार किया जाता है। वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों

का उत्तर दिया गया है तथा उनका निवारण कर दिया गया है। सामान्यत: निवेशकों की शिकायतों का निस्तारण आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर दिया जाता है। आरबीआई/भारत सरकार/सेबी/बैंक के बोर्ड के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य। समिति वर्ष में कम-से-कम चार बार तथा प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम एक बार बैठक आयोजित करती है।

दिनांक 31.03.2026 तक, समिति में 03 कार्यपालक निदेशक और 01 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी, स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गईं -

23.05.2025	11.07.2025	24.11.2025	11.03.2026

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है -

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री विवेक वाही	02	02	01.04.2025-30.09.2025
श्री एम. वी. मुरली कृष्णा	04	04	01.04.2025-31.03.2026
श्री महेंद्र दोहरे	04	04	01.04.2025-31.03.2026
श्री ई. रतन कुमार	01	01	24.11.2025-31.03.2026
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	04	04	16.04.2025-31.03.2026

वित्तीय–वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.03.2026) के लिए निवेशकों की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	शून्य
2	शेयर प्रमाणपत्र/शेयर प्राप्त न होने के संबंध में पत्र	शून्य
3	लाभांश वारंट प्राप्त न होना	शून्य
4	वार्षिक रिपोर्ट / ईजीएम की सूचना प्राप्त न होना	शून्य
5	धनवापसी आदेश प्राप्त न होना	शून्य
6	अस्वीकृत डीआरएफ प्राप्त न होना	शून्य
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	शून्य
8	कुल प्राप्त शिकायतें	शून्य
9	कुल निपटाई/ समाधान की गईं शिकायतें	शून्य
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	शून्य

हम पुष्टि करते हैं कि किसी भी निवेशकों की कोई भी शिकायत 30 दिनों से अधिक की अवधि तक बिना कार्रवाई के / लंबित नहीं रही।

ix) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 28.11.2025 के मास्टर निर्देशों तथा समय-समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार कियां गया है। बैंक ने बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रम) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए उचित जाँच-पड़ताल प्रक्रिया अपनाने तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में दी गई निर्दिष्ट भूमिका निभाने के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। समिति की भूमिका सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप है। यह समिति आवश्यकता अनुसार बैठक करती है।

31.03.2026 तक , इस समिति में 03 गैर-कार्यपालक निदेशक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक प्रदीप प्राणलाल खिमानी द्वारा की गई।

वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक निम्नलिखित तिथि को आयोजित हुई थी :

23.03.2026

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	01	01	16.04.2025-31.03.2026
श्री हार्दिक मुकेश सेठ	00	00	01.04.20205-24.07.2025
श्री बलदेव पुरूषार्थ	00	00	24.07.2025-20.12.2025
श्री प्रियव्रत शर्मा	01	01	20.12.2025-31.03.2026
श्री शारदा कुमार होता	01	01	01.04.2025-31.03.2026

x) सतर्कता समिति:

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों तथा विभागीय जाँच की समीक्षा के लिए सतर्कता समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, समिति भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार/सेबी/बैंक के बोर्ड के निर्देशानुसार अन्य कार्य भी करती है। समिति की बैठक वर्ष में कम-से-कम चार बार तथा प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाती है।

31.03.2026 तक के अनुसार, सतर्कता समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत सरकार के नामित निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गईं:

02.06.2025	11.07.2025	25.11.2025	11.03.2026

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है -

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री कल्याण कुमार	02	02	30.09.2025-31.03.2026
श्री एम. वी. राव	02	02	01.04.2025-31.07.2025
श्री हार्दिक सेठ	02	02	01.04.2025-24.07.2025
श्री बलदेव पुरुषार्थ	02	02	24.07.2025-31.03.2026
श्री मनोरंजन दास	04	04	01.04.2025-31.03.2026

xi) बोर्ड की मानव संपदा समिति:

बोर्ड की मानव संपदा समिति (एचआरसी) का गठन वित्तीय सेवा विभाग के दिनांक 21.10.2011 और मार्च, 2012 के पत्र के अनुसार किया गया है। समिति की बैठक वर्ष में कम-से-कम चार बार तथा प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाती है। समिति का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार हैं :

1. पांच वर्षीय जनशक्ति योजना और उसकी वार्षिक समीक्षा करना।
2. उत्तराधिकार योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नेतृत्वकारी पदों की त्रैमासिक समीक्षा करना।
3. चिन्हित संभावित उत्तराधिकारियों को अत्यंत महत्वपूर्ण पदों के लिए तैयार करने हेतु विभिन्न तंत्रों के माध्यम से उनके विकास की त्रैमासिक निगरानी करना।
4. कोई भी अन्य मानव संपदा विषय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक माना जाता है, परन्तु जिसमें मानव संपदा नीतियां, व्यक्तिगत मामले या अवॉर्ड स्टाफ से संबंधित वे द्विपक्षीय मुद्दे शामिल नहीं हैं, जिनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत अवॉर्ड स्टाफ के बहुसंख्यक संघ के साथ समझौते शामिल हों, और अधिकारियों से संबंधित नीतिगत मुद्दे जो द्विपक्षीय हों आदि), जिसे समिति समक्ष संदर्भित किए जाने की आवश्यकता हो।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार/सेबी/बैंक के बोर्ड के निर्देशानुसार अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

31.03.2026 तक के अनुसार, मानव संपदा समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 03 कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार के नामित निदेशक तथा 01 आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की 07 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गईं:

23.05.2025	11.07.2025	17.09.2025	17.10.2025
19.12.2025	05.02.2026	23.03.2026	

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है -

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री कल्याण कुमार	04	04	30.09.2025-31.03.2026
श्री एम. वी. राव	02	02	01.04.2025-31.07.2025
श्री विवेक वाही	03	03	01.04.2025-30.09.2025
श्री एम. वी. मुरली कृष्णा	07	07	01.04.2025-31.03.2026
श्री महेंद्र दोहरे	07	07	01.04.2025-31.03.2026
श्री ई रतन कुमार	03	03	24.11.2025-31.03.2026
श्री हार्दिक एम सेठ	02	02	01.04.2025-24.07.2025
श्री बलदेव पुरुषार्थ	03	05	24.07.2025-31.03.2026
श्री एस सेनगुप्ता (आमंत्रित सदस्य)	05	07	01.04.2025-31.03.2026

xii) वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड की समिति:

वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड की समिति (एमआरसी) का गठन वित्तीय सेवा विभाग के दिनांक 21.11.2012 के पत्र के अनुसार किया गया है। बैंक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों तथा एनपीए खातों में वसूली की निगरानी करने के लिए इस समिति का गठन बोर्ड की एक उप-समिति के रूप में किया गया है। समिति की बैठक वर्ष में कम-से-कम चार बार तथा प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाती है।

समिति का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है:

1) वसूली की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करना, वसूली के सभी संभावित विकल्पों की समीक्षा करना तथा उन्हें लागू करना।

2) विशेष उल्लेखित खाते की स्थिति का विश्लेषण करना तथा खातों को एनपीए बनने से रोकने के लिए रणनीति तैयार करना।

3) भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार/सेबी/बैंक के बोर्ड के निर्देशानुसार अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

31.03.2026 तक के अनुसार, समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 03 कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार के नामित निदेशक तथा 01 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गईं :

23.05.2025	29.09.2025	25.11.2025	11.03.2026

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री कल्याण कुमार	02	02	30.09.2025-31.03.2026
श्री एम. वी. राव	01	01	01.04.2025-31.07.2025
श्री विवेक वाही	02	02	01.04.2025-30.09.2025
श्री एम. वी. मुरली कृष्णा	04	04	01.04.2025-31.03.2026
श्री महेंद्र दोहरे	04	04	01.04.2025-31.03.2026
श्री ई रतन कुमार	02	02	24.11.2025-31.03.2026
श्री हार्दिक एम सेठ	01	01	01.04.2025-24.07.2025
श्री बलदेव पुरुषार्थ	03	03	24.07.2025-31.03.2026
श्री प्रियव्रत शर्मा	04	04	01.04.2025-31.03.2026

xiii) पूंजी संवर्धन समिति:

बैंक के बोर्ड ने बैंक के लिए आवश्यक टियर-1 एवं टियर-2 पूंजी जुटाने संबंधी गतिविधियों की निगरानी तथा उनसे संबंधित सभी परिचालनात्मक कदम उठाने के लिए पूंजी संवर्धन समिति का गठन किया है। समिति भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार/सेबी/बैंक के बोर्ड के निर्देशानुसार अन्य कार्यों का निर्वहन करती है। समिति की बैठकें आवश्यकता अनुसार आयोजित की जाती हैं।

31.03.2026 तक के अनुसार, समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा 03 कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

xiv) गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं को घोषित करने तथा इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, बैंक ने गैर-सहयोगी उधारकर्ता घोषित करने और इरादतन चूककर्ताओं की पहचान करने के लिए समीक्षा समिति का गठन किया है। समिति की भूमिका, आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गैर-सहयोगी उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता घोषित करने संबंधी आंतरिक समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार/ सेबी/बैंक के बोर्ड के निर्देशानुसार अन्य कार्यों का भी निर्वहन किया जाता है। समिति की बैठकें आवश्यकता अनुसार आयोजित की जाती है।

31.03.2026 तक के अनुसार, समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा 03 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

02.06.2025	29.09.2025	25.11.2025	11.03.2026

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री कल्याण कुमार	02	02	30.09.2025-31.03.2026
श्री एम. वी. राव	01	01	01.04.2025-31.07.2025
श्री विवेक वाही	01	01	02.08.2025-30.09.2025
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	02	02	07.10.2025-31.03.2026
श्री प्रियव्रत शर्मा	04	04	01.04.2025-31.03.2026
श्री शारदा कुमार होता	04	04	01.04.2025-31.03.2026

xv) निदेशक मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

बैंक द्वारा गठित समिति, कार्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों (दान सहित) के संबंध में निर्णय लेगी। समिति बैंक की सीएसआर नीति को अनुमोदित करेगी तथा बैंक की सीएसआर गतिविधियों के बजट की समीक्षा एवं निगरानी करेगी।

31 मार्च 2026 को समिति में 03 कार्यपालक निदेशक तथा 02 स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। समिति की बैठक की अध्यक्षता संबंधित कार्यकारी निदेशक करते हैं।

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गईं :

02.06.2025	11.03.2026

सदस्यों के उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री विवेक वाही	01	01	01.04.2025-30.09.2025
श्री एम. वी. मुरली कृष्ण	02	02	01.04.2025-31.03.2026
श्री महेन्द्र दोहरे	02	02	01.04.2025-31.03.2026
श्री ई. रतन कुमार	01	01	24.11.2025-31.03.2026
श्री प्रियव्रत शर्मा	02	02	01.04.2025-31.03.2026
श्री शारदा कुमार होता	02	02	01.04.2025-31.03.2026

xvi) बोर्ड की निष्पादन मूल्यांकन समिति (बीसीपीई)

बोर्ड की निष्पादन मूल्यांकन समिति (बीसीपीई) का गठन वित्तीय सेवा विभाग के दिनांक 30.08.2019, 06.02.2023, 14.11.2019 के पत्रों के अनुसार किया गया है। समिति पूर्णकालिक निदेशकों तथा महाप्रबंधकों (आंतरिक नियंत्रण कार्यों अर्थात् जोखिम, अनुपालन एवं लेखा परीक्षा के प्रभारी) के कार्यनिष्पादन का वार्षिक आधार पर मूल्यांकन करेगी। समिति आवश्यकता के अनुसार बैठक करती है।

दिनांक 31.03.2026 को, भारत सरकार नामित निदेशक और 03 स्वतंत्र निदेशक इस समिति के सदस्य हैं. समिति की बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक श्री शारदा कुमार होता द्वारा की जाती है.

वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गईं :

13.06.2025	30.07.2025	29.09.2025	24.03.2026

सदस्यों के उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	दर्ज उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	ऑडिट समिति में अवधि (से - तक)
श्री शारदा कुमार होता	04	04	01.04.2025-31.03.2026
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	04	04	11.04.2025-31.03.2026
श्री प्रियव्रत शर्मा	02	02	17.09.2025-31.03.2026
श्री हार्दिक एम. सेठ	01	01	01.04.2025-24.07.2025
श्री बलदेव पुरुषार्थ	02	03	24.07.2025-31.03.2026

1. निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों/गैर-कार्यकारी निदेशकों को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु ₹40,000 (दिनांक 28.10.2025 से ₹60,000) तथा निदेशक मंडल की विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु ₹20,000 (दिनांक 28.10.2025 से ₹30,000) की बैठक शुल्क का भुगतान किया गया। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशकों तथा भारत सरकार के अधिकारियों के रूप में नामित निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। निदेशक मंडल तथा उसकी समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करने हेतु क्रमश: ₹10,000 (दिनांक 28.10.2025 से ₹15,000) तथा ₹5,000 (दिनांक 28.10.2025 से ₹7,500) की अतिरिक्त बैठक शुल्क का भुगतान किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा पात्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने हेतु ₹24,60,000/- (रुपये चौबीस लाख साठ हजार मात्र) तथा निदेशक मंडल की उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु पात्र निदेशकों/आमंत्रित सदस्यों को ₹39,47,500/- (रुपये उनतालीस लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ मात्र) का भुगतान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क

निदेशक का नाम	वि.व.2025-26 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क (राशि ₹ में)
श्री शारदा कुमार होता	17,02,500
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	15,42,500
श्री प्रियव्रत शर्मा	15,52,500
श्री मनोरंजन दास	13,40,000
कुल	**61,37,500**

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आमंत्रित सदस्यों को भुगतान की गई बैठक शुल्क

आमंत्रित सदस्यों के नाम	वि.व.2025-26 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क (राशि ₹ में)
श्री एस. सेनगुप्ता	1,20,000
श्री वीरेश्वर कुमार	1,50,000
डॉ. गुलशन राय	शून्य
कुल	**2,70,000**

टिप्पणी

1. श्री एस. सेनगुप्ता निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति के आमंत्रित सदस्य हैं।
2. श्री वीरेश्वर कुमार निदेशक मंडल की आईटी रणनीति समिति के आमंत्रित सदस्य हैं।
3. डॉ. गुलशन राय निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति के आमंत्रित सदस्य हैं। वे बैठकों में भाग लेने हेतु कोई बैठक शुल्क स्वीकार नहीं करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशकों को वेतन, भत्तों एवं परिलब्धियों के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया :

क्र.	नाम	राशि (₹ लाख में)
1.	श्री कल्याण कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (30.09.2025 से)	20.66
2.	श्री एम. वी. राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (31.07.2025 तक)	30.20
3.	श्री विवेक वाही, कार्यकारी निदेशक (30.09.2025 तक)	32.64
4.	श्री एम. वी. मुरली कृष्ण, कार्यकारी निदेशक	73.39
5.	श्री महेन्द्र दोहरे, कार्यकारी निदेशक	67.68
6.	श्री ई. रतन कुमार, कार्यकारी निदेशक (24.11.2025 से)	14.86
	कुल	**239.43**

2. अनुपालन अधिकारी

श्री चंद्रकांत भागवत, सहायक महाप्रबंधक/कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत बैंक द्वारा जारी एवं स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों तथा गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

3. सचिवीय लेखा परीक्षा

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की पाँच वर्षीय अवधि के लिए बैंक की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई को सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

6. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम आदि से प्राप्त आय

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक द्वारा कोई इक्विटी पूंजी नहीं जुटाई गई।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कॉल विकल्प का प्रयोग करते हुए ₹500 करोड़ मूल्य के एक बेसल-III अनुरूप टियर-II बॉण्ड का मोचन किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक द्वारा कोई ऋण पूंजी नहीं जुटाई गई।

5. संप्रेषण के माध्यम

त्रैमासिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित, किन्तु वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यत: अंग्रेज़ी, हिन्दी एवं मराठी समाचार पत्रों, जैसे बिज़नेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तरुण भारत, जनसत्ता, लोकसत्ता आदि में प्रकाशित किए जाते हैं। विश्लेषकों हेतु प्रस्तुतियाँ, वित्तीय निष्पादन संबंधी प्रेस विज्ञप्तियाँ तथा आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियों सहित वित्तीय परिणाम भी बैंक की वेबसाइट www.centralbank.bank.in पर अपलोड किए गए थे। शेयरधारिता पैटर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, कॉर्पोरेट घोषणाएँ, मीडिया विज्ञप्तियाँ तथा अन्य आवधिक अनुपालन/दाखिले बीएसई कॉर्पोरेट कम्प्लायंस एवं लिस्टिंग सेंटर तथा एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं तथा व्यापक प्रसार हेतु बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

6. आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता अपनाई है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसकी प्रति बैंक की वेबसाइट www.centralbank.bank.in पर "निवेशक संबंध" अनुभाग में उपलब्ध है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने उक्त आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है तथा इस संबंध में अनुपालन प्रमाण-पत्र अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।।

बैंक ने अपने निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए बैंक की प्रतिभूतियों में अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) के निषेध हेतु पृथक आचार संहिता भी निर्धारित की है। इसकी प्रति बैंक की वेबसाइट www.centralbank.bank.in पर "निवेशक संबंध" अनुभाग में निम्नलिखित वेब-लिंक पर उपलब्ध है: https://centralbank.bank.in/sites/default/files/CBI_POLICY_PIT_2026-27.pdf

7. अन्य प्रकटीकरण

7.1 सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों के साथ ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है जिससे बैंक के

हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। वर्ष के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों का बैंक के साथ कोई वित्तीय संबंध अथवा लेन-देन नहीं था।

7.2 बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि जब किसी निदेशक अथवा उसके संबंधियों से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है, तब संबंधित निदेशक निदेशक मंडल अथवा उसकी उप-समितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। वर्ष के दौरान ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं हुआ जिससे बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है।

7.3 बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों तथा अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सभी लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है।

7.4 गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में बैंक पर किसी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कोई बड़ा दंड अथवा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

7.5 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने कमोडिटी कारोबार नहीं किया है। अत: "कमोडिटी मूल्य जोखिम एवं कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों" से संबंधित जानकारी शून्य है।

7.6 बैंक लोकहित प्रकटीकरण एवं सूचनादाताओं के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के अंतर्गत व्हिसल ब्लोअर शिकायतों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करता है। बैंक के पास "सेंट ई-व्हिसल ब्लोअर" नाम से एक वेब-आधारित पोर्टल उपलब्ध है, जिसके माध्यम से कर्मचारी एवं निदेशक अपनी पहचान प्रकट किए बिना अनियमितताओं की रिपोर्ट कर सकते हैं; जिसकी सूचना महाप्रबंधक - मानव पूंजी प्रबंधन को होगी। निदेशक एवं सभी कर्मचारी निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। इससे अनियमितताओं पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी की रोकथाम करने तथा कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में सहायता मिलती है। किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

7.7 बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा सूचीबद्धता समझौते की निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, उस सीमा तक, जहाँ तक उनकी आवश्यकताएँ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, उपबंधों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

7.8 बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर), अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर), वारंट अथवा अन्य परिवर्तनीय लिखतें, उनकी परिवर्तन तिथि तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव – शून्य।

7.9 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं रहा जिसमें निदेशक मंडल ने अपनी किसी समिति की ऐसी अनुशंसा को अस्वीकार किया हो, जिसका स्वीकार किया जाना अनिवार्य था।

7.10 हम सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची-V के उप-पैरा (2) से (10) तक निहित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

7.11 विनियम 32(7ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन अथवा योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से संग्रहीत की गई निधियों के उपयोग का विवरण: इन निधियों को बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों में वृद्धि करने के मुख्य उद्देश्य से जुटाया गया था। जुटाई गई निधियों का उपयोग उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है।

7.12 'महत्त्वपूर्ण' सहायक कंपनियों के निर्धारण संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट www.centralbank.bank.in पर "निवेशक संबंध" अनुभाग के अंतर्गत निम्नलिखित वेब-लिंक पर उपलब्ध है: https://centralbank.bank.in/sites/default/files/2%20Material%20Subsidiary.pdf

7.13 संबंधित पक्ष लेन-देन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट www.centralbank.bank.in पर "निवेशक संबंध" अनुभाग के अंतर्गत निम्नलिखित वेब-लिंक www.centralbank.bank.in पर https://centralbank.bank.in/sites/default/files/1%20RPT_0.pdf उपलब्ध है।

7.14 बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है, जो बैंक की वेबसाइट https://centralbank.bank.in/sites/default/files/Policy%20on%20Dividend%20Distribution%202024-25.pdf पर उपलब्ध है।

7.15 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सूचीबद्ध इकाई तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर वैधानिक लेखा परीक्षक तथा उसके नेटवर्क फर्मों/नेटवर्क इकाइयों को सभी सेवाओं के लिए कुल ₹54.03 करोड़ शुल्क का भुगतान किया गया।

7.16 कार्यरत कंपनी सचिव से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है कि बैंक के निदेशक मंडल का कोई भी निदेशक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा बने रहने से वंचित अथवा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है तथा यह रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

7.17 बैंक ने विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के भाग सी, डी एवं ई में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, जहाँ तक कि उक्त आवश्यकताएँ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, उपबंधों एवं विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु शिकायतों की स्थिति:

वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	01
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	15
मामलों की कुल संख्या	16
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	12
वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	04

विवेकाधीन आवश्यकताएं (सेबी में सूचीबद्ध विनियमों की अनुसूची-II का भाग ई)

क्रम सं.	गैर- अनिवार्य	कार्यान्वयन की स्थिति
1	गैर कार्यकारी अध्यक्ष के लिए संस्था के खर्च पर अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखना तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति करना अनुमत है ।	हाँ, लागू किया गया है। हालांकि 23.05.2021 से गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद रिक्त है ।
2	पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश के साथ अर्द्धवार्षिक वित्तीय प्रदर्शन की घोषणा शेयरधारकों को भेजें गए हैं ।	बैंक अपने तिमाही, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक के आधार पर वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करता है तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाईट www.centralbank.bank.in पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं.
3	कंपनी अहर्तारहित वित्तीय परिणामों की ओर अग्रसर हो सकती है।	बैंक के वित्तीय विवरण अहर्तारहित हैं .
4	आंतरिक लेखा परीक्षक रिपोर्टिंग।	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (एचआईए) निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

8. सामान्य शेयरधारकों के लिए जानकारी

बैंक की 19 वीं(उन्नीसवीं) वार्षिक आम बैठक:

दिन और दिनांक: शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को सुबह 03:00 बजे बैंक के सेन्ट्रल ऑफिस, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021 (बैठक का मान्य स्थल) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य तरीकों (ओएवीएम) से बैठक होगी।

1. यह वार्षिक आम बैठक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रासंगिक है।

9 विगत तीन वर्षों में हुई सामान्य सभा की बैठक के विवरण नीचे दी गए हैं:

बैठक की प्रकृति	तिथि एवं समय	स्थल	व्यावसायिक प्रदर्शन
अठारहवां सामान्य वार्षिक बैठक	19 जुलाई 2025, प्रात: 11:00 बजे	चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021, (बैठक के मान्य स्थल पर) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य तरीकों (ओएवीएम) के माध्यम से ।	1. 31 मार्च, 2025 के लिए बैंक के लेखापरीक्षित स्टैंड अलोन एवं समेकित तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन एवं समेकित लाभ एवं हानि खाते, लेखों द्वारा कवर किए गए अवधि के लिए बैंक की कार्यशैली एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं तुलनपत्र तथा लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अंगीकृत करना । 2. बैंक के हर इक्विटी शेयर पर रु. 0.1875 का लाभांश की घोषणा करना । 3. भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में श्री मनोरंजन दाश को बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्ति को स्वीकृत करना । 4. बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में श्री प्रदीप पी. खिमानी की पुनर्नियुक्ति की स्वीकृत करना. 5. क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू/इत्यादि विभिन्न रूपों के माध्यम से ₹5000 करोड़ तक की सकल पूंजी जुटाने पर विचार करना । 6. वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक की अवधि हेतु बैंक की सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में सुश्री रागिनी चोकशी एंड कंपनी की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान करना ।

बैठक की प्रकृति	तिथि एवं समय	स्थल	व्यावसायिक प्रदर्शन
सत्रहवाँ सामान्य वार्षिक बैठक	16 जुलाई 2024, प्रात: 11:00 बजे	चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021, (बैठक के मान्य स्थल पर) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य तरीकों (ओएवीएम) के माध्यम से ।	1. 31 मार्च, 2024 के लिए बैंक के लेखापरीक्षित स्टैंड अलोन एवं समेकित तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन एवं समेकित लाभ एवं हानि खाते, लेखों द्वारा कवर किए गए अवधि के लिए बैंक की कार्यशैली एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं तुलनपत्र तथा लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अंगीकृत करना । 2. भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में सुश्री चारुलता एस. कार को बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्ति को स्वीकृत करना । 3. बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री महेंद्र दोहरे की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान करना । 4. एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन । 5. क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू/इत्यादि विभिन्न रूपों के माध्यम से ₹5000 करोड़ तक की सकल पूंजी जुटाने पर विचार करना ।
सोलहवां सामान्य वार्षिक बैठक	30 जून 2023, प्रात: 11 बजे	चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021, (बैठक के मान्य स्थल पर) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य श्रव्य-दृश्य तरीकों (ओएवीएम) के माध्यम से ।	1. 31 मार्च, 2024 के लिए बैंक के लेखापरीक्षित स्टैंड अलोन एवं समेकित तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन एवं समेकित लाभ एवं हानि खाते, लेखों द्वारा कवर किए गए अवधि के लिए बैंक की कार्यशैली एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं तुलनपत्र तथा लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अंगीकृत करना । 2. बैंक के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री हार्दिक मुकेश शेठ की नियुक्ति का अनुमोदन एवं अंगीकृत करना । 3. बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. वी. मुरली कृष्णा की नियुक्ति का अनुमोदन एवं अंगीकृत करना । 4. बैंक के निदेशक मंडल में सीए कैटेगरी के अंतर्गत गैर सरकारी निदेशक के रूप में श्री प्रियव्रत शर्मा की नियुक्ति का अनुमोदन एवं अंगीकृत करना । 5. क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू/इत्यादि विभिन्न रूपों के माध्यम से ₹2500 करोड़ तक की सकल पूंजी जुटाने पर विचार करना ।

10. स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता:

बैंक के शेयर बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं। इनके स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं:

बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज़ जीजीभॉय टावर्स, 25वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) "एक्सचेंज प्लाज़ा", बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051	CENTRALBK
आईएसआईएन संख्या	INE483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया जा चुका है.

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिसरी नोट्स (टियर-II कैपिटल) के तौर पर नॉन-कन्वर्टिबल बॉन्ड जारी किए हैं। इससे जुड़ी शेष जानकारी नीचे दी गई है:

भारतीय रिज़र्व बैंक टियर-II बांड – 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत स्थिति

श्रृंखला विवरण	निर्गम तिथि	कुल मूल्य(करोड़ में)	आईएसआईएन	रेटिंग
बासेल III कम्प्लेंट एसआर VI	30.08.2023	1500.00	आईएनई 483ए08049	क्रिसिल एए/ आईसीआरए AA
कुल		**1500.00**		

उपरोक्त बॉण्ड बीएसई लिमिटेड (बीएसई लि.) में सूचीबद्ध है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लिस्टिंग के शुल्क का भुगतान कर दिया है।

बाजार मूल्य संबंधी जानकारी:

एनएसई पर कारोबार किए गए शेयरों की मासिक उच्चतम एवं न्यूनतम भाव तथा मात्रा (एनएसई निफ्टी के साथ बैंक के शेयर मूल्य की तुलना) निम्नानुसार है:

एनएसई					
माह	उच्चतम कीमत (₹)	न्यूनतम कीमत (₹)	शेयरों की संख्या	एनएसई निफ्टी	
				उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल 2025	42.79	33.16	346769143	56098.70	49156.95
मई 2025	39.48	32.75	217277126	55875.75	53483.05
जून 2025	41.20	36.37	343422249	57614.50	55149.30
जुलाई 2025	40.69	35.88	173504565	57628.40	55843.25
अगस्त 2025	37.08	34.22	76130738	56156.30	53606.45
सितम्बर 2025	38.75	34.52	121995877	55835.25	53658.15
अक्टूबर 2025	40.65	36.66	214850000	58577.50	54582.55
नवंबर 2025	40.53	37.24	156157977	59897.50	57521.00
दिसंबर 2025	39.04	35.40	112189960	60114.30	58801.40
जनवरी 2026	39.75	35.50	177423300	60437.35	58346.25
फ़रवरी 2026	40.92	35.52	201051444	61764.85	57829.85
मार्च 2026	39.20	31.30	169737370	60177.50	50105.25

बीएसई पर कारोबार किए गए शेयरों के मासिक उच्चतम एवं न्यूनतम भाव तथा मात्रा (सेंसेक्स के साथ बैंक के शेयर मूल्य की तुलना) निम्नानुसार है:

बीएसई					
माह	उच्चतम कीमत (₹)	न्यूनतम कीमत (₹)	शेयरों की संख्या	बीएसई सेंसेक्स	
				उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल 2025	43.51	33.18	28612111	80661.31	71425.01
मई 2025	39.45	32.81	22111230	82718.14	78968.34
जून 2025	41.18	36.41	22995478	84089.35	80705.18
जुलाई 2025	40.70	35.96	13640126	83935.01	80776.44
अगस्त 2025	37.10	34.22	6622098	82231.17	79809.65
सितम्बर 2025	38.73	34.53	11103669	83108.92	79818.38
अक्टूबर 2025	40.68	36.70	18520683	85290.06	80159.90
नवंबर 2025	40.53	37.25	13816426	86055.86	82670.95
दिसंबर 2025	39.05	35.40	8848730	86159.02	84238.43
जनवरी 2026	39.75	35.51	15192276	85883.50	81088.59
फ़रवरी 2026	40.91	35.50	17651953	85871.73	80387.25
मार्च 2026	39.19	31.29	17124419	80632.55	71774.13

11. शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण :

शेयर अंतरण, रिफंड आदेश, लाभांश भुगतान तथा निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यों का निपटान और प्रसंस्करण हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय द्वारा किया जाता है। इनमें से किसी भी दस्तावेज़ को जमा करने तथा किसी भी प्रकार की पूछताछ, शिकायत या निवेशक /शेयरधारक संबंधी समस्या के समाधान हेतु, शेयरधारकों एवं निवेशकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित पते पर रजिस्ट्रार से संपर्क करें:

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड

(पूर्वनाम लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड)

सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400 083 दूरभाष: 022-4918 6270

फैक्स: 022-4918 6060

ईमेल आईडी : rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

सूचीबद्ध गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों हेतु रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड ऑफिस नंबर 3बी3, 3री मंजिल, बी विंग

गुंडेचा ऑनक्लेव परिसर को-ऑप सोसाइटी लिमिटेड खेरानी रोड, साकीनाका,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 072

दूरभाष: 022 – 2851 6021

ईमेल पहचान: helpdeskmum@mcsregistrars.com

सूचीबद्ध गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों हेतु डिबेंचर ट्रस्टी:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, सर पीएम रोड,

फोर्ट, मुंबई – 400 001

टेलीफोन : 022-4080 7000

फैक्स :022- 66311776

ई-मेल पहचान: itsl@idbitrustee.com

बैंक के साथ पत्र-व्यवहार हेतु पता :

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

सेन्ट्रलबैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल ,

चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

दूरभाष: 022- 6638 7575/7818

ईमेल आइडी: investors@centralbank.bank.in

12. शेयरधारिता का वितरण

i) 31.03.2026 तक शेयरधारिता का वितरण (डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी और फोलियो नंबर के आधार पर)

शेयरधारिता (शेयर) का वितरण				
शेयरों की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर	कुल का प्रतिशत
1 से 500	609037	83.5235	61540534	0.6799
501 से 1000	53686	7.3625	43731068	0.4831
1001 से 2000	30259	4.1497	45955249	0.5077
2001 से 3000	11796	1.6177	30575091	0.3378
3001 से 4000	5550	0.7611	19903575	0.2199
4001 से 5000	5014	0.6876	23938425	0.2645
5001 से 10000	8477	1.1625	61535860	0.6798
10001 से 999999999999	5361	0.7352	8764221472	96.8272
कुल	**729180**	**100**	**9051401274**	**100**

ii) "सार्वजनिक" श्रेणी के उन व्यक्तियों की शेयरधारिता जिनके पास कुल शेयरों का 1% से ज़्यादा हिस्सा है।

"सार्वजनिक" श्रेणी से संबंधित और कुल शेयरों की संख्या के 3% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	285865659	3.16%

iii) "सार्वजनिक" श्रेणी के उन व्यक्तियों की शेयरधारिता जिनके पास कुल शेयरों का 1% से ज़्यादा हिस्सा है।

"सार्वजनिक" श्रेणी से संबंधित और कुल शेयरों की संख्या के 5% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	%
शून्य	शून्य	शून्य

iv) 31.03.2026 तक शेयरहोल्डिंग पैटर्न

शेयरधारिता (शेयर) का वितरण						
शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरों की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर	धारिता का प्रतिशत
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
केंद्र सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	8080391687	0	1	0	8080391687	89.2723
पब्लिक	425817947	8916	716777	78	425826863	4.7045
जीवन बीमा निगम (बीमा कंपनियों सहित)	288813263	0	11	0	288813263	3.1908
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	15047379	90	881	1	15047469	0.1662
हिंदू अविभाजित परिवार	14964357	0	7080	0	14964357	0.1653
जीआईसी एवं सहायक कंपनियां	6531875	0	4	0	6531875	0.0722
प्रवासी भारतीय	5846477	121600	1995	1	5968077	0.0659

शेयरधारिता (शेयर) का वितरण						
शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरों की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर	धारिता का प्रतिशत
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
क्लियरिंग सदस्य	314197	0	45	0	314197	0.0035
म्यूचुअल फंड्स	30367526	0	49	0	30367526	0.3355
अनिवासी (गैर- प्रत्यावर्तनीय)	4133323	0	2087	0	4133323	0.0457
बॉडी कॉर्पोरेट - सीमित देयता साझेदारी	797873	0	64	0	797873	0.0088
ट्रस्ट	171494	0	20	0	171494	0.0019
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	34014	0	4	0	34014	0.0004
राष्ट्रीयकृत बैंक	78853408	0	10	0	78853408	0.8712
गैर राष्ट्रीयकृत बैंक	29677359	0	5	0	29677359	0.3279
एफपीआई (कॉर्पोरेट)	67877646	0	60	0	67877646	0.7499
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी	427852	0	1	0	427852	0.0047
सरकारी कंपनियाँ	1700	0	2	0	1700	0.0000
वैकल्पिक निवेश निधि	1201291	0	4	0	1201291	0.0133
कुल :	**9051270668**	**130606**	**729100**	**80**	**9051401274**	**100**

v) लॉक-इन शेयरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.	शेयरधारक का नाम	लॉक-इन शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में लॉक-इन शेयर
1.	प्रमोटर	शून्य	शून्य
2.	पब्लिक	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**

vii) डिपॉजिटरी रिसीटों (DRs) का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.	बकाया डीआर का प्रकार (एडीआर, जीडीआर,एसडीआर आदि)	बकाया डीआर की संख्या	अंतर्निहित बकाया डीआर शेयर की संख्या	कुल शेयरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में अंतर्निहित बकाया डीआर शेयर
1.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

vii) डिपॉजिटरी रिसीट (DRs) की होल्डिंग दर्शाने वाला विवरण पत्र , जहाँ संबद्ध शेयर कुल शेयरों की संख्या के 1% से अधिक हैं।

क्र.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर का प्रकार (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर, आदि)	अंतर्निहित बकाया डीआर शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में अंतर्निहित बकाया डीआर शेयर
1.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

viii) शेयरों का डीमटेरियलाइजेशन

बैंक के शेयरों का कारोबार अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में किया जा रहा है। बैंक ने शेयरों के डीमैटेरियलाइज़ेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी - नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रलडिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) - के साथ पूर्व में ही समझौता कर चुका है।

31.03.2026 तक शेयरधारकों के पास मौजूद डीमैट और भौतिक रूप में शेयरों का विवरण (डीपी आईडी/क्लाईंट आईडी और फोलियो नंबर के आधार पर) इस प्रकार है:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	% शेयरधारिता
भौतिक	80	130606	0.01%
एनएसडीएल	176842	694918419	7.67%
सीडीएसएल	552258	8356352249	92.32%
कुल	**729180**	**9051401274**	**100.00%**

ix) भौतिक शेयरधारिता का डीमटेरियलाइजेशन – एक विशेष अनुरोध

हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक शेयरधारिता को डीमैट करवा लें। डीमटेरियलाइज़ेशन के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ उनके डीमैट खाते हैं। डीमैटेरियलाइज़ेशन के लाभ निम्नानुसार हैं :

i) निर्बाध अंतरण

ii) शेयर सर्टिफिकेट खोने का कोई खतरा नहीं

iii) लाभांश / कॉर्पोरेट लाभ की त्वरित एवं सीधी प्राप्ति

iv) नामांकन सुविधा

v) अस्बा/आईपीओ आदि के माध्यम से सीधा एप्लीकेशन।

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक या डीमैट रूप में शेयर हैं और जिन्होंने अभी तक अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं कराई है, उनसे अनुरोध है कि वे हरित पहलों को बढ़ावा देने के लिए बैंक के आरटीए या अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर कराएं।

x) केवाईसी विवरण का अद्यतनीकरण :

सेबी ने दिनांक 7 मई, 2024 के अपने मास्टर सर्कुलर सं० SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया है कि 1 अप्रैल, 2024 से, भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले प्रतिभूतिधारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाएगा। ऐसा भुगतान तभी किया जाएगा जब शेयरधारक अपना पैन, सम्पर्क विवरण (मोबाइल नंबर के साथ डाक पता एवं पिन), बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर ("केवाईसी") तथा नॉमिनेशन का विकल्प जमा कर देंगे। इसके अतिरिक्त, सेबी की वेबसाइट पर पब्लिश किए गए संबंधित अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न को इस लिंक पर देखा जा सकता है: https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/sep2024/1727418250017.pdf

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवाईसी और नॉमिनेशन का विकल्प (यदि अद्यतित नहीं है) अद्यतन करने के लिए बैंक के आरटीए को नीचे दिए गए फॉर्म प्रस्तुत करें ।

क्र.	फॉर्म	उद्देश्य
1.	फॉर्म ISR-1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकरण/अद्यतन करने के लिए
2.	फॉर्म ISR-2	बैंक द्वारा प्रतिभूतिधारकों के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3.	फॉर्म ISR-3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा-पत्र
4	फॉर्म SH-13	नामांकन फॉर्म
5.	फॉर्म SH-14	नॉमिनेशन रद्द करने या उसमें बदलाव (यदि कोई हो)

ऊपर बताए गए सभी फ़ॉर्म [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] और इस बारे में सेबी का सर्कुलर बैंक की वेबसाइट https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations पर 'इन्वेस्टर रिलेशंस' सेक्शन में उपलब्ध हैं।

आरटीए और बैंक के इन्वेस्टर रिलेशंस डिवीज़न का संपर्क विवरण इस प्रकार है:

इक्विटी शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

एमयूएफ़जी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग,

विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400 083

टेलीफोन : 022-4918 6270

फैक्स: 022-4918 6060

ईमेल आईडी: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

बैंक के साथ पत्र-व्यवहार के लिए पता:

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

सेन्ट्रलबैंक ऑफ इंडिया, 9 वीं मंजिल, चंद्रमुखी , नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021

फ़ोन: 022- 6638 7575/7818

ईमेल आईडी: investors@centralbank.bank.in

xi) शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मिलान:

सेबी के नियमों के अनुसार, एक कार्यरत कंपनी सेक्रेटरी बैंक की कुल जारी और लिस्टेड पूंजी का मिलान नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रलडिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास मौजूद कुल स्वीकृत पूंजी से करने के लिए लेखापरीक्षा करता है। यह लेखापरीक्षा हर तिमाही में की जाती है और इसकी रिपोर्ट उन स्टॉक एक्सचेंजों को सौंपी जाती है जहाँ बैंक के शेयर लिस्टेड हैं। यह लेखापरीक्षा इस बात की पुष्टि करती है कि कुल लिस्टेड पूंजी और पेड-अप पूंजी, डीमटेरियलाइज्ड रूप (एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रखे गए) में मौजूद शेयरों की कुल संख्या और भौतिक रूप में मौजूद शेयरों की कुल संख्या के योग से मेल खाती है।

xii) अदावाकृत सस्पेंस खातों में शेयर:

सूचीबद्धन समझौता की धारा 5A के अनुसार, 31 मार्च, 2026 तक " अदावाकृत सस्पेंस खातों " में मौजूद शेयर निम्नानुसार हैं:

क्र	विवरण	शेयरधारकों की कुल संख्या	कुल बकाया शेयर में शेयरहोल्डिंग %
(i)	साल की शुरुआत में अदावाकृत सस्पेंस खातों में मौजूद शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर।	233	32,853
(ii)	साल के दौरान अदावाकृत सस्पेंस खातों से शेयरों के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या।	शून्य	शून्य
(iii)	वर्ष के दौरान अदावाकृत सस्पेंस खातों से जिन शेयरधारकों को शेयर ट्रांसफर किए गए, उनकी संख्या ।	शून्य	शून्य
(iv)	वर्ष के अंत में 'अदावाकृत सस्पेंस खातों' में उपलब्ध शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर ।	233	32,853

नोट – इन शेयरों पर मतदान का अधिकार (वोटिंग राइट्स) तब तक फ्रीज (स्थगित) रहेगा जब तक कि इन शेयरों का वास्तविक मालिक इन शेयरों पर अपना दावा नहीं करता। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अनिवार्य शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन , 2015 और स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुये सूचीबद्धता समझौते के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र संलग्न है ।

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं इसकी पुष्टि करता हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर/-

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक : 03 जून, 2026
स्थान : मुम्बई

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणपत्र

प्रति
सदस्यगण,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

हमने सेबी (सूचीबद्धता आदेश और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम , 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैरा सी और डी में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") द्वारा 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन की जाँच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित रही है, जिन्हें बैंक द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है। यह न तो कोई लेखा परीक्षण है और न ही इसका अभिप्राय बैंक के वित्तीय विवरणों पर कोई राय की अभिव्यक्ति से है.

हमने बैंक द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से रखे गए प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जाँच की गई है।

प्रासंगिक रिकॉर्ड की जाँच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सूचीबद्धता विनियम के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैरा सी , डी और ई में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुपालन किया है:

1. दिनांक 31.03.2026 को बैंक के निदेशक मंडल में 09 निदेशक (जिनमें 04 कार्यकारी निदेशक, 02 नामित/गैर-कार्यकारी निदेशक तथा 03 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र/अंशधारक निदेशक शामिल हैं) थे, जबकि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार निदेशक मंडल की स्वीकृत संख्या 15 है।

2. समीक्षा अवधि के दौरान बैंक में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(a) के अनुसार कम-से-कम एक महिला निदेशक तथा एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थीं।

3. समीक्षा अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के अभाव में बैंक के निदेशक मंडल में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(b) के अनुसार 50% स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि आदेशों का पालन किया जाना न तो बैंक की भविष्य की क्षमता या स्थिरता की गारंटी देता है और न ही इसका अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन कितने सक्षम या प्रभावी ढंग से किया है।

कृते **रागिनी चोक्षी एंड कं.**
कंपनी सचिव
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर.92897

(रागिनी चोक्षी)
(साझेदार)
एम. सं.: F2390
सीओपी नं.1436
यूडीआईएन: F002390H000575820
पीआर नं.: 4166/2023

दिनांक: 03-06-2026
स्थान: मुंबई

सेबी विनियमन (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), 2015 के विनियम 17(8) के तहत प्रमाणपत्र

प्रति,
निदेशक मंडल
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए. हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :

I. इन विवरणों में कोई भी ऐसा बयान शामिल नहीं है जो भौतिक रूप से असत्य हो, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाता हो, अथवा ऐसा कोई बयान शामिल नहीं है जो भ्रामक हो सकता है।

II. ये विवरण मिलकर बैंक के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानून और विनियमों के अनुपालन में हैं।

बी. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है, जो कपटपूर्ण, अवैध हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन या संचालन में यदि कोई कमियाँ हैं, जिनकी हमें जानकारी है, उन्हें प्रकट किया है और वे कदम जो हमने इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव करते हैं।

डी. हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है कि:

I. 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।.

II. 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है और इन्हें वित्तीय विवरण के नोटों में प्रकट किया गया है, तथा

III. महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है और उसमें प्रबंधन या किसी ऐसे कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

(मुकुल.एन.दांडिगे)
मुख्य महाप्रबंधक – एफ एंड ए एवं सी.एफ.ओ

(कल्याण कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 30 अप्रैल, 2026

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट 2025-26

अनुभाग ए : सामान्य प्रकटीकरण

I. विवरण

1.	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2.	कंपनी का नाम	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
3.	निगमन वर्ष	1911
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	चंदरमुखी बिल्डिंग नरीमन पॉइंट, मुम्बई – 400 021
5	कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	चंदरमुखी बिल्डिंग नरीमन पॉइंट, मुम्बई – 400 021
6.	ईमेल आईडी	investors@centralbank.bank.in
7.	टेलीफ़ोन	+91 22 6638 7777
8.	वेबसाइट	www.centralbank.bank.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2025-26
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध है	इक्विटी शेयर, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध है.
11.	प्रदत्त पूंजी	₹ 9051.40 करोड़
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री कुशल पाल मुख्य महाप्रबंधक फोन न. +91 22 6638 7880 ईमेल आईडी - gmhrd@centralbank.bank.in
13.	रिपोर्टिंग सीमा	इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण स्वतंत्र आधार पर है और सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से संबंधित है.
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	मेसर्स. यू. हेगड़े एंड एसोसिएट्स
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	बीआरएसआर कोर संकेतक – यथोचित आश्वासन

II. उत्पाद/सेवाएं

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण

क्र.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	कुल कारोबार का %
1.	वित्तीय और बीमा सेवा	केंद्रीकृत, व्यावसायिक और बचत बैंक द्वारा बैंकिंग गतिविधियां	100

17. कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद/सेवाएं

क्र.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार में योगदान %
1.	वित्तीय सेवाएं - व्यावसायिक बैंक, बचत बैंक, डाक बचत बैंक और डिस्काउंट हाउस की मौद्रिक मध्यस्थता (सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एवं ट्रेजरी परिचालन सहित विस्तृत बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर रही है).	64191	100

III. परिचालन

18.स्थानों की संख्या जहाँ संस्था के कारखाने और / या परिचालन स्थल / कार्यालय स्थित है.

स्थान	सयंत्रों की संख्या	कार्यालय की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं★	22129	22129★★
अंतर्राष्ट्रीय		शून्य	शून्य

★ यह संस्था एक बैंक है, अत: कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं करती है.

★★ इसमें शाखाएँ, एटीएम और बीसी आउटलेट (4585+3819+13725) शामिल हैं.

19.संस्था द्वारा सेवाएँ प्रदान किये जाने वाले बाज़ार

ए. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की संख्या)	अखिल भारतीय
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

बी. कंपनी के कुल कारोबार में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में क्या है?

लागू नहीं

सी. ग्राहकों के प्रकार – संक्षिप्त जानकारी -

बैंक खुदरा, कृषि, एमएसएमई, कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग खंडों के अंतर्गत अपने विविध ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। हमारा बैंक उन ग्राहकों के साथ काम करता है जो किसी भी व्यवस्था जैसे जमाकर्ता, उधारकर्ता, सेवा प्रदाता, सरकारी सेवा प्रदाता आदि में बैंक से जुड़े हैं.

IV. कर्मचारी

20.वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक विवरण -

ए. कर्मचारी (दिव्यांग जन सहित):-

क्र.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या. (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)
1.	स्थायी (डी)	33997	24218	71.23	9779	28.77
2.	स्थायी के अलावा (ई)	53	40	75.47	13	24.53
3.	**कुल कर्मचारी (डी+ ई)**	**34050**	**24258**	**71.24**	**9792**	**28.76**

बी. दिव्यांग कर्मचारी:-

क्र.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या. (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)
		दिव्यांग कर्मचारी				
1.	स्थायी (डी)	898	688	76.61	210	23.39
2.	स्थायी के अलावा (ई)	00	00	00	00	00
3.	**कुल दिव्यांग कर्मचारी (डी + ई)**	**898**	**688**	**76.61**	**210**	**23.39**

21.महिलाओं की सहभागिता/समावेशन/प्रतिनिधित्व-

विवरण	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		संख्या(बी)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	9	0	0.00%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	8*	1	12.50%

★ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 03 कार्यपालक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव, मुख्य जोखिम अधिकारी एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी शामिल हैं.

22.वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की टर्नओवर दर

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024			वित्तीय वर्ष 2025			वित्तीय वर्ष 2026		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	0.71%	2.03%	1.37%	1.74%	0.63%	2.37%	1.43%	0.39%	1.82%

V. होल्डिंग, सहायक और सहबद्ध कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

23.(ए) 31 मार्च 2026

क्र.	नाम (ए)	सहायक/ सहबद्ध	धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में इंगित संस्था बैंक की व्यवसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हां/नहीं)
1.	सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	सहायक	64.40	नहीं
2.	सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	100.00	नहीं
3	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक★	सहबद्ध	35.00	नहीं
4.	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक★	सहबद्ध	35.00	नहीं
5.	इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड	सहबद्ध	20.00	नहीं
6	जेनरली सेन्ट्रल जीवन बीमा कम्पनी लि.	सहबद्ध	25.27	नहीं
7.	जेनरली सेन्ट्रल बीमा कम्पनी लि.	सहबद्ध	24.91	नहीं

★ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के तहत 01 मई, 2025 से बैंक की सहयोगी कंपनियाँ नहीं रही हैं.

VI.सीएसआर विवरण

24.क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: नहीं

(ii) टर्न ओवर (कुल आय) (₹ में): ₹42341.42 करोड़

(iii) निवल संपत्ति (₹ में): ₹34600 करोड़

(iv) वित्त वर्ष 2026 के लिए सीएसआर पर खर्च की गई कुल राशि (31.03.2026 तक): ₹1.13 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25.उत्तरदायी व्यवसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एनजीआरबीसी) के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर प्राप्त शिकायतें

हितधारक समूह जहां से शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत निवारण तंत्र स्थापित है (हां/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत तक समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत तक समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ
समुदाय	हां https://centralbank.bank.in/en	-	-	-	-	-	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हां https://centralbank.bank.in/en/investor-relations	-	-	-	-		

हितधारक समूह जहां से शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत निवारण तंत्र स्थापित है (हां/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत तक समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत तक समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ
शेयरधारक	हां https://centralbank.bank.in/en/investor-relations	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
कर्मचारी	Yes https://centralbank.bank.in/en	673★	0	लागू नहीं	190	10	लागू नहीं
वैल्यू चेन पार्टनर्स	हां https://centralbank.bank.in/en	-	-	-	-		
ग्राहकों सहित अन्य (बैंक पोर्टल+ एटीएम + सीपीग्राम+ आईएनग्राम + एमएसएमई रिटेल)	हां https://centralbank.bank.in/sites/default/files/2025-04/Policy-on-Grievance-Redressal-Mechanism-2025-26.pdf	321197	365	-	160868	8285	-
टोल फ्री नं.	1800 3030						

26. संस्था के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण से संबंधित मुद्दों का संक्षिप्त विवरण:-

क्रं.	चिन्हित आर्थिक विषय	जोखिम अथवा अवसर दर्शाएं	जोखिम/अवसर की पहचान का औचित्य	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन बनाने या कम करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को दर्शाएं)
1.	वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी	अवसर	"व्यावसायिक गति संवर्धन वर्ष" में, सहयोगी संस्थाओं की भूमिका पूरे **36 एनबीएफसी/एचएफसी साझेदारों** के लिए एक विस्तार योग्य मॉडल तैयार करने में सहायक रही है, जिससे बैंक ने टियर 2 से टियर 4 स्थानों तक अपनी पहुँच बढ़ाई है। इस मॉडल ने फिनटेक की डिजिटल फुर्ती का लाभ उठाते हुए सूक्ष्म ऋण, ग्रैन्युलर ऋण वितरण तथा ऋण तैनाती को सक्षम बनाया है।	अंतर्निहित ऋण जोखिमों को कम करने के लिए, बैंक ने अपने सह-ऋण पोर्टफोलियो रणनीतिक रूप से सुरक्षित अग्रिमों की ओर सावधानीपूर्वक संतुलित किया है, जो वित्त वर्ष 2026 में 10.58% से बढ़कर **₹13,357.86 करोड़** तक पहुँच गया। इसके अतिरिक्त, **मिशन प्रगति** के माध्यम से वास्तविक समय निगरानी नीति अनुपालन सुनिश्चित करती है।	**सकारात्मक पक्ष**: वित्त वर्ष 2026 में कुल सह-ऋण स्वीकृतियाँ ₹7296.02 करोड़ रहीं, जिससे कुल पोर्टफोलियो ₹14,379.58 करोड़ तक पहुँच गया। यह विविधीकृत, कम जोखिम वाली परिसंपत्ति आधार को बनाए रखने के बैंक के उद्देश्य को दर्शाता है।

क्रं.	चिन्हित आर्थिक विषय	जोखिम अथवा अवसर दर्शाएं	जोखिम/अवसर की पहचान का औचित्य	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन बनाने या कम करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को दर्शाएं)
2.	सतत विकास लक्ष्य - सेन्ट ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट	अवसर	**वित्त वर्ष 2026-27** के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित **ईएसजी नीति** के अनुरूप, ग्रीन जमा भारत के सतत विकास के बैंक के दृष्टिकोण को सीधे सशक्त बनाते हैं। ये जमा राष्ट्रीय स्थिरता लक्ष्यों का समर्थन करने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं।	बैंक एक **सतत वित्तीय रूपरेखा** का उपयोग करता है, जिसके अंतर्गत ग्रीन जमा के माध्यम से जुटाई गई निधियों को विशेष रूप से पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी परियोजनाओं में नियोजित किया जाता है।	**सकारात्मक पक्ष**: वित्त वर्ष 2026 में बैंक ने ₹453 करोड़ की ग्रीन जमा सफलतापूर्वक जुटाई, जिससे हरित ऋण वितरण के लिए एक स्थिर आधार उपलब्ध हुआ।
3.	हरित वित्तपोषण और नवीकरणीय ऊर्जा	अवसर	स्थिरता अब बैंक की विकास रणनीति का एक प्रमुख घटक बन चुकी है। राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका के रूप में ज़ीरो स्कोप 1 को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, बैंक वर्ष 2028 तक हरित ऊर्जा परिवर्तन को सक्रिय रूप से वित्तपोषित कर रहा है।	बैंक ने सभी उच्च-हरित जोखिम वाले क्षेत्रों पर भौतिक एवं संक्रमण जोखिम आकलन करने हेतु विशेष जोखिम कक्ष — **ग्रीन कक्ष तथा जलवायु जोखिम कक्ष** — स्थापित किए हैं।	**सकारात्मक पक्ष**: वित्त वर्ष 2026 में कुल नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण बढ़कर **₹2,751.44 करोड़** हो गया। प्रमुख प्रभावों में **16,500 किसानों** हेतु डिजिटल स्वीकृति प्राप्त सौर पंप शामिल हैं तथा हरित व्यवसाय **₹350.26 करोड़** तक पहुँच गया।

अनुभाग बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय उत्तरदायी व्यवसाय आचरण दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) नौ सिद्धांतों का समर्थन करता है, जो पी1 से पी9 तक निम्नानुसार है:

पी1	व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से ईमानदारी के साथ स्वयं को संचालित और नियंत्रित करना चाहिए।
पी2	व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो सतत और सुरक्षित हो।
पी3	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के हितों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए, जिनमें उनकी मूल्य श्रृंखला भी शामिल है।
पी4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
पी5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए।
पी6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा उसके पुर्नस्थापन के लिए प्रयास करने चाहिए।
पी7	सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होने पर व्यवसायों को ऐसे कार्य चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।
पी8	व्यवसायों को समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

पी9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक उत्तरदायी तरीके से जुड़ना चाहिए और सम्मान प्रदान करना चाहिए।

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में संरचना, नीतियां और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करना है.

प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1 ए **क्या आपकी इकाई की नीतियाँ/ नीति एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत तथा उसके मूल तत्वों को सम्मिलित करती हैं? (हाँ/नहीं)**	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
बी क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
सी यदि उपलब्ध हो तो नीतियों हेतु वेब लिंक	https://www.centralbank.bank.in कुछ नीतियों में आंतरिक नीतियों का संयोजन भी शामिल हो सकता है, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.								
2. **क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है? (हाँ/नहीं)**	जी हां, बैंक ने नीतियों का आवश्यकतानुसार प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में रूपांतरण किया है तथा उन्हें बैंक द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों के क्षेत्रों में अपनाया है।								
3. **क्या सूचीबद्ध नीतियाँ आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित होती हैं? (हाँ/नहीं)**	जी हां, बैंक की आचार संहिता उपर्युक्त सिद्धांतों को व्यापक रूप से अपनाया गया है और बैंक अपने हितधारकों से अपेक्षा करता है कि वे अपने सभी व्यवहारों में इसका पालन करेंगे.								
4. **आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए प्रत्येक सिद्धांत के अनुरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/लेबल/ मानक (जैसे: फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) तथा मानक (जैसे: एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) के नाम और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया.**	लागू नहीं.								
5. **परिभाषित समय-सीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य यदि को हो.**	उपर्युक्त नीतियों के अंतर्गत कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है. तथापि, इन सिद्धांतों का पालन करना ही हमारी प्रतिबद्धता और लक्ष्य है.								
6. **संस्था की विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और टारगेट्स के अनुरूप कार्यप्रदर्शन, साथ ही यदि वे पूरे नहीं किए गए हों तो उसके कारणों सहित विवरण**	लागू नहीं								
प्रशासन, नेतृत्व और निरीक्षण									

प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
7. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का कथन, जिसमें प्रमुख रूप से ईएसजी से संबंधित चुनौतियाँ, लक्ष्य और उपलब्धियाँ वर्णित हों (सूचीबद्ध संस्था को इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन प्राप्त है)	बैंक का उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। बैंक की ईएसजी मानकों के प्रति प्रतिबद्धता उसके मूल सिद्धांतों में सर्वाधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जो इसके संचालन के सभी पहलुओं में समाहित हैं। दयालुता, निष्पक्षता, प्रभावकारिता और कुशलता बैंक के आधारभूत आदर्श हैं. बैंक के अनुसार, सुदृढ़ प्रशासन मानक सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन और स्थिरता को बढ़ावा देने का एक प्रमुख उपकरण हैं। मानव अधिकारों के प्रति सम्मान बैंक के मौलिक और मूल्यों में से एक है। बैंक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक जोखिम भी है. अपनी ऋण नीतियों में, बैंक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर अपनी उचित परिश्रम को बढ़ा रहा है.								
8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण.	श्री महेन्द्र दोहरे कार्यपालक निदेशक								
9. क्या संस्था में स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड/निदेशक की कोई निर्दिष्ट समिति है?	हाँ, जोखिम प्रबंधन समिति स्थिरता से संबंधित मुद्दों की देखरेख करती है. जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना, इसके संदर्भ की शर्तें और वित्तीय वर्ष 2025-26 में हुई इसकी बैठकों का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उल्लिखित है.								
10. बैंक द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण									
समीक्षा के लिए विषय									
उपर्युक्त नीतियों के विरुद्ध कार्य निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	एक प्रथा के रूप में, बैंक की व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीतियों की समय-समय पर या आवश्यकता अनुसार विभागाध्यक्षों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिद्धांतों की समीक्षा की जाती है। इस मूल्यांकन के दौरान, नीतियों की प्रभावशीलता की जांच की जाती है और नीतियों तथा प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं।								
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	बैंक लागू मौजूदा विनियमों के अनुपालन में है.								
11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यान्वयन का स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन किया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं।	बैंक की नीतियों का मूल्यांकन/आकलन आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी सलाह भी प्राप्त की जाती है. बैंक की नीतियों की नियमित रूप से अनुपालन विभाग तथा जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है। सभी नीतियों की वार्षिक आधार पर बोर्ड की उप-समितियों एवं निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया जाता है।								
12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात् सभी सिद्धांतों को किसी नीति द्वारा कवर नहीं किया गया है, तो कारणों का उल्लेख करें:	लागू नहीं								

अनुभाग सी: सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1 व्यवसायों को स्वयं ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित और नियंत्रित करना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1.	**वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:**

सेगमेंट	कुल आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के तहत सम्मलित विषय/सिद्धांत और प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	8	• आईटी और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण • निदेशकों हेतु विकास कार्यक्रम • सम्मेलन	66.66%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	15	विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण/ सम्मेलन तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम	100.00%
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	2326	विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों एवं व्यवहारिक पहलुओं से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम	83.27%

2. वित्तीय वर्ष के दौरान संस्था या निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा विनियामकों / विधि प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के साथ की गई कार्यवाहियों में भुगतान किए गए जुर्माने / मौद्रिक दंड/ दंड/ पुरस्कार / संयोजन शुल्क / निपटान राशि का विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करें. (नोट: संस्था सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की विनियम 30 में निर्दिष्ट भौतिकता के आधार पर और संस्था की वेबसाइट पर प्रकटीकरण करेगी:

वित्तीय

एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के नाम	राशि (₹ में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	अधिमानित (हां/ नहीं)
पेनाल्टी/दण्ड निपटान कंपाउंडिंग शुल्क	बैंक द्वारा भुगतान किया गया कोई भी जुर्माना/दंड/समझौता/संयोजन शुल्क बैंक की भौतिकता नीति के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है. इस संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाते हैं और इन्हें बैंक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाता है.			

	एनजीआबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन/ न्यायिक संस्थाओं के नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	अधिमानित (हां/ नहीं)
कारावास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में उल्लिखित मामलों में, वे विवरण जिनमें मौद्रिक या अमौद्रिक कार्रवाई के विरुद्ध अपील या पुनर्विचार दायर किया गया हो.

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के नाम
शून्य	शून्य

4. क्या एंटिटी के पास एंटी-करप्शन या एंटी-रिश्वत पॉलिसी है? अगर हाँ, तो शॉर्ट में जानकारी दें और अगर उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक दें।

हाँ, बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है, जो बैंक की वेबसाइट तथा आंतरिक पोर्टल पर उपलब्ध है.

यह नीति किसी भी प्रकार की अनियमितता, धोखाधड़ी, लापरवाही, गबन, अधिकार के दुरुपयोग आदि की रिपोर्ट करने हेतु एक सुरक्षित एवं गोपनीय मंच प्रदान करती है. इसके अतिरिक्त, बैंक के पास आचार संहिता, व्यावसायिक आचरण तथा हितों के टकराव से संबंधित नीतियां भी हैं. https://centralbank.bank.in/sites/default/files/2026-04/WHISTLE-BLOWER-POLICY-FOR-FY-2026-27.pdf

हमारी व्हिसल ब्लोअर नीति अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने, विश्वास पैदा करने तथा कर्मचारियों को इस बात के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है कि वे किसी भी अनैतिक आचरण और/या वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी और/या दुराचार

और/या बैंक की आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में अपनी चिंताओं को बिना किसी प्रतिरोध व डर के, स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकें.

बैंक अपने सभी हितधारकों के साथ व्यवसाय संचालन एवं व्यवहार में उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करने तथा सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास एक व्यापक नीति उपलब्ध है जो आचार संहिता, व्यावसायिक आचरण एवं हितों के टकराव से संबंधित है।

आचार संहिता, व्यावसायिक आचरण एवं हितों के टकराव से संबंधित नीति को ऑनलाइन लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है: https://centralbank.bank.in/sites/default/files/2026-04/POLICY-ON-CODE-OF-ETHICS_BUSINESS-CONDUCT-AND-CONFLICT-OF-INTEREST-FOR-FY-2026-27.pdf

बैंक ने उन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की है, जो किसी संभावित धोखाधड़ी/अनियमितता आदि की जानकारी प्रदान करते हैं. इस योजना की विस्तृत जानकारी बैंक के समर्पित "स्टाफ ओनली" पोर्टल पर व्यापक रूप से जारी किया गया है.

5. रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में, किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जिन निदेशकों/प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों / कर्मचारियों/श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, उनकी संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	02★	07
श्रमिक	शून्य	शून्य

★ अभियोजन अनुमति हेतु प्राप्त कुल सेन्ट्रल सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मामले (बैंक स्तर से स्वीकृत या अस्वीकृत)

6. हित टकराव संबंधित शिकायतों का विवरण:

	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों से संबंधित हितों के टकराव के मामलों में प्राप्त शिकायतों की संख्या:	शून्य	-	शून्य	-
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों से संबंधित हितों के टकराव के मामलों में प्राप्त शिकायतों की संख्या:	शून्य	-	शून्य	-

7. भ्रष्टाचार एवं हितों के टकराव से संबंधित मामलों में विनियामक संस्थाओं/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाए गए जुर्मानों/दंडों/कार्रवाइयों के संदर्भ में की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

शून्य

8. देय खातों के दिनों की संख्या को निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें: ((देय खाते ★ 365) / क्रय किए गए वस्तुओं/सेवाओं की लागत):

	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्त वर्ष)
देय खातों के दिनों की संख्या	शून्य	शून्य

9. व्यवसाय की पारदर्शिता व्यापारिक संस्थानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद और बिक्री की एकाग्रता, साथ ही संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण, अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्त वर्ष)
क्रय का केन्द्रीकरण	ए. कुल खरीद में व्यापारिक संस्थानों से की गई खरीद (% में)		
	बी. क्रय किए गए व्यापारिक संस्थानों की कुल संख्या		
	सी. कुल खरीद में शीर्ष 10 व्यापारिक संस्थानों से की गई खरीद का प्रतिशत		
विक्रय का केन्द्रीकरण	ए. कुल बिक्री में डीलरों / वितरकों को की गई बिक्री का प्रतिशत	लागू नहीं	लागू नहीं
	बी. जिन डीलरों / वितरकों को बिक्री की गई, उनकी संख्या		
	सी. शीर्ष 10 डीलरों / वितरकों को की गई बिक्री की, कुल डीलरों / वितरकों को की गई बिक्री में प्रतिशत हिस्सेदारी		
आरपीटी की भागीदारी	ए. खरीद (संबंधित पक्षों से की गई खरीद / कुल खरीद)	0.00	
	बी. बिक्री (संबंधित पक्षों को की गई बिक्री / कुल बिक्री)	0.00	
	सी. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम / कुल ऋण एवं अग्रिम)	0.00	
	डी. निवेश (संबंधित पक्षों में किया गया निवेश / कुल किया गया निवेश)	0.01	

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण:

आयोजित जागरूता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों की प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कुल व्यवसाय के मूल्य से)
शून्य		

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/उसे प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कृपया उसका विवरण दें.

जी हाँ, बैंक ने निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता से संबंधित एक नीति बनाई है, जिसका उद्देश्य हितों के टकराव से बचाव और उसका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है. निदेशकों से इस मॉडल आचार संहिता के पालन की पुष्टि उनके कार्यभार ग्रहण करने के समय तथा उसके पश्चात् प्रतिवर्ष प्राप्त की जाती है.

सिद्धांत 2: व्यवसायों को वस्तुएं और सेवाएं इस प्रकार प्रदान करनी चाहिए कि वे सतत और सुरक्षित हों.

आवश्यक संकेतक

1. उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने हेतु विशिष्ट तकनीकों में किए गए अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजीगत व्यय निवेशों का प्रतिशत, संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजीगत व्यय निवेशों के सापेक्ष. लागू नहीं

बैंक के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, उपर्युक्त का महत्व मुख्यत: सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) तक ही सीमित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक की उन्नत डिजिटल पहलों को सुगम बनाने हेतु आईटी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर पर किया गया पूंजीगत व्यय, कुल राजस्व। डिजिटल मंचों को अधिक अपनाने से न केवल परिचालन दक्षताओं में वृद्धि होती है, बल्कि कागज की खपत में भी उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित होती है।

	वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में हुए सुधार के विवरण
आरएंडडी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कैपेक्स	216.37 करोड़	253.63 करोड़	डेटा सेंटर में की गई सभी खरीद प्रमाणित मूल उपकरण निर्माता के उत्पाद हैं। डेटा सेंटर का अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुरक्षा, विश्वसनीयता, दक्षता तथा पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु उद्योग-विशिष्ट मानकों के अनुरूप है।

2. ए. क्या इकाई के पास सतत स्रोत-प्राप्ति के लिए प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं? हां

बी. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट्स की स्रोत-प्राप्ति सतत तरीके से की गई थी? 80 प्रतिशत क्रय केवल पंजीकृत/लाइसेंसधारी विक्रेताओं से किए जाते हैं। हां

3. अपने उत्पादों के उपयोगी जीवन की समाप्ति के बाद उनके पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण तथा सुरक्षित निपटान हेतु लागू प्रक्रियाओं का वर्णन करें, निम्नलिखित के संबंध में: (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित), (ख) ई-कचरा, (ग) खतरनाक अपशिष्ट तथा (घ) अन्य अपशिष्ट।

जब भी किसी हार्डवेयर उत्पाद का उपयोगी जीवन पूर्ण हो जाता है, बैंक नए उत्पाद की खरीद करता है तथा पुराने/अप्रचलित उत्पाद को विक्रेता द्वारा बायबैक व्यवस्था के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से हटाया जाता है। ई-कचरे के निपटान हेतु बैंक द्वारा ई-कचरा नीति का अनुपालन किया जाता है।

4. क्या इकाई की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू होता है (हाँ/नहीं)? यदि हाँ, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान हेतु उठाए गए कदमों का विवरण दें। – लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) अथवा अपनी किसी सेवा (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) किया है?

नहीं

यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें:

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल टर्नओवर में दिए गए योगदना का %	जिस सीमा के अंतर्गत जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन किया गया	यह मूल्यांकन किसी स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा किया गया था? (हाँ / नहीं)	परिणामों को सार्वजनिक डोमेन में साझा किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो कृपया वेब लिंक प्रदान करें.
लागू नहीं					

2. यदि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) अथवा किसी अन्य माध्यम से आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक अथवा पर्यावरणीय चिंता अथवा जोखिम की पहचान की गई हो, तो उसका तथा उसे कम करने हेतु किए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण दें। – लागू नहीं।

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की गई कुल सामग्री (मूल्य के आधार पर) में से पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत। – लागू नहीं.

4. उत्पादों के उपयोगी जीवन की समाप्ति पर पुन: प्राप्त किए गए उत्पादों एवं पैकेजिंग में से पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण तथा सुरक्षित रूप से निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रदान करें। – लागू नहीं।

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए उपयोगी जीवन की समाप्ति पर पुन: प्राप्त उत्पादों एवं उनकी पैकेजिंग सामग्री का विवरण (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)। – लागू नहीं।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान एवं संवर्धन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. ए. कर्मचारियों के कल्याण हेतु किए गए उपायों का विवरण:

श्रेणी	कवर किए गए कर्माचारियों का प्रतिशत										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		दिन में देखभाल की सुविधा	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई /ए)	संख्या (एफ)	% (एफ /ए)
पुरुष	24218	24218	100	0	0	0	0	24218	100	00	00
महिला	9779	9779	100	0	0	9779	100	0	0	00	00
कुल	**33997**	**33997**	**100**	**0**	**0**	**9779**	**100**	**24218**	**100**	**00**	**00**

★ डे-केयर सुविधा के स्थान पर, बैंक 3 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों के लिए सभी कर्मचारियों को ₹500/- प्रतिमाह की बाल-देखभाल भत्ता (चाइल्ड-केयर अलाउंस) प्रदान करता है।

बी. श्रमिकों के कल्याण हेतु किए गए उपायों का विवरण: लागू नहीं।

सी. कर्मचारियों एवं श्रमिकों (स्थायी तथा अस्थायी सहित) के कल्याण हेतु किए गए व्यय का विवरण निम्नलिखित प्रारूप संलग्न है:

	वित्तीय वर्ष 2025-26 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर किया गया व्यय	0.066%	0.083%

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण.

लाभ	वि.व. 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	कुल कर्मचारियों में सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या % में	कुल श्रमिकों में सम्मिलित कामगारों की संख्या % में	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हां/ नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों में सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या % में	कुल श्रमिकों में सम्मिलित कामगारों की संख्या % में	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हां/ नहीं/लागू नहीं
पीएफ	6044 (17.78%)	लागू नहीं	हां	7007 (21.25%)	लागू नहीं	हां
ग्रेच्युटी	33991 (100%)	लागू नहीं	लागू नहीं	32980 (100%)	लागू नहीं	लागू नहीं
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पेंशन	6005 (17.67%)	लागू नहीं	लागू नहीं	6967 (21.12%)	लागू नहीं	लागू नहीं
एनपीएस	27947 (82.22%)	लागू नहीं	हां	25973 (78.75%)	लागू नहीं	हां

3. कार्यस्थलों तक पहुंच

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

हमारे बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों की आसान आवाजाही हेतु रैम्प/लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है. हमारी अधिकांश शाखाएं/कार्यालय या तो भूतल पर स्थित हैं या फिर वहां लिफ्ट और दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल आधारभूत संरचना उपलब्ध है.

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो कृपया नीति की वेब लिंक प्रदान करें.

हाँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप हमारे बैंक ने एक "समान अवसर नीति" तैयार की है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना तथा उनके लिए किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त, अनुकूल एवं समावेशी कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की समान अवसर नीति बैंक के सभी दिव्यांग कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती है तथा इसमें आयु, रंग, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास अथवा किसी अन्य प्रासंगिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।

इस नीति को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकता है:https://centralbank.bank.in/sites/default/files/2026-04/EQUAL-OPPORTUNITY-POLICY-FOR-FY-2026-27.pdf

5. पैतृक अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की कार्य पर वापसी और प्रतिधारण दर.

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक
लिंग	**कार्य वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**	**कार्य वापसी दर**
पुरुष	100%	99.63%	
महिला	100%	99.44%	लागू नहीं
कुल	**100%**	**99.56%**	

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायत प्राप्त करने और उसका निवारण करने की कोई प्रणाली उपलब्ध है? यदि हाँ, तो कृपया संक्षेप में उस क्रियाविधि का विवरण दें.

	हां/नहीं (यदि हां तो प्रणाली का संक्षिप्त)
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं
स्थायी श्रमिकों के अलावा	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ (बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए एक सुव्यवस्थित और संरचित शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है)
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	लागू नहीं

7. कर्मचारियों और श्रमिकों की सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में सदस्यता.

श्रेणी	**वि.व 2025-26 वर्तमान वित्त वर्ष**			**वि.व 2024-25 पिछला वित्त वर्ष**		
	प्रत्येक श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक (ए) प्रत्येक श्रेणी में कुल कर्मचारी/	**प्रत्येक श्रेणी में संघों या यूनियनों का सदस्य बनने वाले कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (बी) प्रत्येक श्रेणी में**	**% (बी /ए)**	**प्रत्येक श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक (सी) प्रत्येक श्रेणी में कुल कर्मचारी/**	**प्रत्येक श्रेणी में संघों या यूनियनों का सदस्य बनने वाले कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (डी) प्रत्येक श्रेणी में**	**% (डी /सी)**
कुल स्थायी कर्मचारी	**33997**	**30571**	**89.92**	**33081**	**29295**	**88.56**
पुरुष	24218	21659	89.43	23978	21059	87.83
महिला	9779	8912	91.13	9103	8236	90.48

8. कर्मचारियों व कार्मिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

श्रेणी	कवर किए गए कर्माचारियों का प्रतिशत									
	कुल (ए)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों		कुल (ए)		कुल (ए)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों		कुल (ए)	
		नं. (बी)	%(बी/ए)	नं.(सी)	%(सी/ए)		नं.(बी)	%(बी/ए)	नं. (सी)	%(सी/ए)
पुरुष	**24218**	24218	100%	20370	84.10 %	**23978**	23978	100%	20668	86.19%
महिला	**9779**	9779	100%	7941	81.20%	**9103**	9103	100%	7994	87.81%
कुल	**33997**	**33997**	**100%**	**28210**	**83.27%**	**33081**	**33081**	**100%**	**28662**	**86.64%**
					श्रमिक					
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल										

स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम "साप्ताहिक कर्मचारी बैठक" और "इन्फॉर्मेशन ऑन द रन" के माध्यम से किए गए.

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के कार्यनिष्पादन और करियर विकास समीक्षाओं का विवरण:

सभी अधिकारी कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

श्रेणी	वित्तीय वर्ष (2025-26)			वित्तीय वर्ष (2024-25)		
	कुल (ए)★	नं. (बी)	% (बी / ए)	कुल (सी)★	कुल (डी)	% (डी / सी)
		कर्मचारी			कर्मचारी	
पुरुष	24218	19624	81.03	23978	20219	84.32
महिला	9779	8117	83.00	9103	8463	92.96
अन्य	0	0	0.00	0	0	0.00
कुल	**33997**	**27741**	**81.59**	**33081**	**28682**	**86.70**
		श्रमिक			श्रमिक	
पुरुष	0	0	0	0	0	0
महिला	0	0	0	0	0	0
अन्य	0	0	0	0	0	0
कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

★ उपर्युक्त डेटा केवल अधिकारियों और लिपिक से संबंधित है, क्योंकि पीएमएस केवल अधिकारी व लिपिक संवर्ग पर लागू होती है.

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

ए. क्या संस्थान द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं).

यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज (प्रभाव क्षेत्र) क्या है?

व्यवसाय की प्रकृति के कारण कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम नहीं हैं. तथापि, बैंक ने अग्नि सुरक्षा से संबंधित कुछ एहतियाती उपाय अपनाए हैं. बैंक द्वारा अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें आग लगने की स्थिति में निकासी अभ्यास, अग्निशमन यंत्रों/उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण शामिल है. बैंक ने अपने कार्यालयों में फर्स्ट एड मार्शल नियुक्त किए हैं तथा उन्हें चिकित्सकीय आपात स्थितियों/घटनाओं में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. इन मार्शल को सुरक्षा किट और प्राथमिक चिकित्सा किट प्रदान की गई है।

बी. इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान और जोखिमों के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, यह प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता .

सी. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से स्वयं को हटाने की प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं))

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, यह प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता.

डी. क्या इकाई के कर्मचारी/श्रमिकों को गैर-आवासीय चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुँच प्राप्त है? (हाँ/नहीं)

सभी कर्मचारियों को 24x7 असीमित टेली-चिकित्सा परामर्श सेवाओं की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक के सभी कर्मचारी भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा निर्धारित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर किए गए हैं। बीमित राशि से अधिक होने वाले व्यय भी, कॉर्पोरेट बफर के अंतर्गत, उसकी उपलब्धता तथा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन, कवर किए जाते हैं।

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना / नंबर	श्रेणी	वित्त वर्ष 2025-26 चालू वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 2024-25 पिछला वित्तीय वर्ष
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रिक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
(प्रति दस लाख व्यक्ति-घंटे काम किए गए):	श्रमिक	शून्य	शून्य
कुल रिकॉर्डेबल कार्य-संबंधित चोटें:	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	शून्य	शून्य
मृत्यु की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	शून्य	शून्य
गंभीर कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता	कर्मचारी	शून्य	शून्य
(मृत्यु को छोड़कर)	श्रमिक	शून्य	शून्य

12. कार्यस्थल को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का विवरण दें.

I. सभी कर्मचारियों को प्रति वित्तीय वर्ष एक बार कैशलेस एवं प्रतिपूर्ति योग्य आधार पर वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाती है।

II. सभी कर्मचारियों को 24x7 असीमित टेली-मेडिकल परामर्श सेवा की सुविधा प्रदान की जाती है.

III. सभी कर्मचारियों को कर्मचारी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेशेवर परामर्शदाताओं से गोपनीय काउंसलिंग सेवा प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें मानसिक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और वे दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें।

IV. बैंक के सभी कर्मचारी भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा निर्धारित समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं. यदि सीमा समाप्त हो जाती है, तो 10वें द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत परिभाषित कॉर्पोरेट बफ़र की सुविधा भी उपलब्ध है.

V. ड्यूटी के दौरान लगी चोटों के मामले में, मेडिकल इंश्योरेंस योजना के तहत कवर न होने वाले सभी अन्य खर्च बैंक द्वारा वहन किए जाते हैं. अस्पताल में भर्ती के दौरान ऐसे कर्मचारियों को विशेष अवकाश भी प्रदान किया जाता है.

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित विषयों पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में निपटान लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में निपटान लंबित	टिप्पणी
कार्य परिस्थितियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

किसी भी क्षेत्रीय / आंचलिक कार्यालय द्वारा अधिकारियों के किसी भी निरीक्षण की ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है.

आपके संयंत्रों और कार्यालयों में से कितने प्रतिशत का मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)	
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाएं	शून्य
कार्य परिस्थितियाँ	शून्य

15. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हों) को संबोधित करने हेतु की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं एवं कार्य परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का विवरण।

आग्नि सुरक्षा, निकासी सुरक्षा, शाखा सुरक्षा आदि से संबंधित सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें क्रियान्वित किया जाता है.

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या मुआवज़ा पैकेज प्रदान करती है?

(ए) कर्मचारियों के लिए (हाँ/नहीं) – हाँ, मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही बैंक मृतक कर्मचारी के परिवार को 50,000/- की एकमुश्त राशि अंतिम संस्कार व्यय के रूप में प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, बैंक की सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति नीति की शर्तों के अनुसार, मृतक कर्मचारी के जीवन साथी/निर्भर को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की भी व्यवस्था हो सकती है. भूतपूर्व सेवाओं से संबंधित लाभ जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश की नकदीकरण आदि का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इस प्रक्रिया में विकल्पों के चयन हेतु बैंक परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान करता है.

(बी) श्रमिकों के लिए (हां/नहीं). – लागू नहीं

2. मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक देयों की कटौती एवं जमा सुनिश्चित करने हेतु इकाई द्वारा किए गए उपायों का विवरण प्रदान करें.

लागू नहीं.

3. ऐसे कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या बताएं जिन्हें कार्य-संबंधी गंभीर चोट/अस्वस्थता/मृत्यु (जैसा कि उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा हो, और जिन्हें पुनर्वासित कर उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया हो अथवा जिनके पारिवारिक सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया हो।

लागू नहीं.

	प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या		उपयुक्त रोजगार में पुनर्वासित किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों या जिनके पारिवारिक सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया, उनकी संख्या	
	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. क्या इकाई सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार योग्यता बनाए रखने और करियर समाप्ति के प्रबंधन को सुगम बनाने हेतु संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? - हाँ, सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए प्री-रिटायरमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने जीवन के प्रबंधन में सहायता मिल सके।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन से संबंधित विवरण:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों में से कितने प्रतिशत का मूल्यांकन (इकाई, वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा) किया गया।
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	शून्य
कार्य परिस्थितियाँ	शून्य

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों की स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं तथा कार्य परिस्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को संबोधित करने हेतु की गई या प्रगति में सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें. लागू नहीं

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का वर्णन करें.

ऐसे समूहों की पहचान के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो हमारे बैंकिंग उत्पाद या सेवाओं का उपयोग करते हैं, जिनमें कर्मचारी और शेयरधारक भी शामिल हैं, उन्हें हितधारक माना जाता है.

2. आपके इकाई द्वारा प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान तथा प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति का विवरण।

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं हाशिए पर स्थित समूह के रूप में पहचाना गया है? (हाँ/ नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पेम्प्लेट्स, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/ अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	संपर्क का उद्देश्य और दायरा, जिसमें ऐसी बैठक के दौरान उठाए गए मुख्य विषय और चिंताएँ शामिल हैं।
कर्मचारी हितधारक समूह	नहीं	ईमेल, एसएमएस, कर्मचारी बैठक/सम्मेलन, इंट्रानेट पोर्टल संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पेम्प्लेट्स, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	नियमित और आवश्यकतानुसार संपर्क की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	नियोक्ता-कर्मचारी सहभागिता, कर्मचारियों की प्रतिक्रिया, व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोडमैप, बैंक का दृष्टिकोण और मिशन, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, शिकायतों का समाधान. संपर्क का उद्देश्य और दायरा, जिसमें संपर्क के दौरान उठाए गए मुख्य विषय और चिंताएँ शामिल हैं।
शेयरधारक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र विज्ञापन, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, वार्षिक आम बैठकें, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचनाएं, वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय रिपोर्ट, निवेशक बैठकें/ सम्मेलन पत्र, ईमेल, एसएमएस, बैठकें, वेबसाइट, ग्राहक पहुंच कार्यक्रम, सोशल मीडिया	नियमित और आवश्यकता आधारित	बैंक की वित्तीय प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण विकासों का शेयरधारकों तक प्रसार.
ग्राहक	नहीं	पत्र, ई-मेल, एसएमएस, बैठकें, वेबसाइट, ग्राहक संपर्क कार्यक्रम, सोशल मीडिया	नियमित और आवश्यकता अनुसार	बैंक ग्राहक संबंध बनाए रखना, ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना, शिकायतों का समाधान करना (यदि कोई हो)।
चैनल पार्टनर्स और प्रमुख साझेदार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक	नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें	पत्रों और ईमेल के माध्यम से नियमित रूप से संपर्क किया जाता है। बैठकें मासिक/ द्विमासिक/त्रैमासिक आधार पर या आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती हैं।	• बैंक का कार्यनिष्पादन • जोखिम और अनुपालन संबंधी मुद्दे तथा उनके निवारण के लिए किए गए उपाय।

भारत सरकार	नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें	पत्रों एवं ई-मेल के माध्यम से नियमित रूप से संवाद किया जाता है। आवश्यकतानुसार बैठकों का आयोजन भी किया जाता है।	• बैंक का कार्यनिष्पादन. • नियामक/वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन।
समुदाय और गैर-सरकारी संगठन	लागू नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें, विज्ञापन, वेबसाइट, सोशल मीडिया।	नियमित और आवश्यकता अनुसार	समाज के व्यापक हित में दान प्रदान करना, आपदा प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता देना, स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श की प्रक्रियाओं का विवरण दें, या यदि परामर्श सौंपा गया है, तो ऐसे परामर्श से प्राप्त प्रतिक्रिया बोर्ड तक कैसे पहुँचाई जाती है।**

   हितधारकों और बैंक के बीच विभिन्न आर्थिक एवं अन्य पहलुओं पर परामर्श विभिन्न बोर्ड/उप समिति बैठकों के माध्यम से होता है।

2. **क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है? (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण दें जिनमें इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त सुझावों को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे सम्मिलित किया गया।**

   जहाँ भी व्यवहार्य एवं उपयुक्त समझा जाता है, वहाँ शेयरधारकों के सुझावों एवं अभिमतों को बैंक की नीतियों तथा गतिविधियों में समाहित किया जाता है।

3. **कमजोर/वंचित हितधारक समूहों के साथ संपर्क के उदाहरणों और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण प्रदान करें।**

   बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित है। बैंक अपने ग्राहकों, विशेषकर प्राथमिकता क्षेत्र उधार नीतियों के अनुसार कमजोर वर्ग/हाशिए पर स्थित हितधारक समूहों को बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। बैंक वित्तीय समावेशन उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अभियान भी चलाता है।

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनका संवर्धन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2025-26 चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2024-25 पिछला वित्त वर्ष		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या (बी))	%(बी/ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या (डी)	%(डी/सी)
	कर्मचारी			कर्मचारी		
स्थायी	33997	33997	100%	33081	33081	100%
स्थायी के अतिरिक्त	53	53	100%	0	0	0
कुल कर्मचारी	**34050**	**34050**	**100%**	**33081**	**33081**	**100%**
	श्रमिक			श्रमिक		
स्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी के अतिरिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल श्रमिक	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

★ मानवाधिकार संबंधी विषयों (जैसे- कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पॉश) आदि) पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम "साप्ताहिक स्टाफ बैठक" के एजेंडा तथा "सूचना ऑन द रन" विषय के माध्यम से आयोजित किए गए हैं, जिनमें सभी स्टाफ सदस्यों को शामिल किया गया है।

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए न्यूनतम वेतन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2025-26 चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2024-25 पिछला वित्त वर्ष		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या (बी))	%(बी/ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या (डी)	%(डी/सी)
	कर्मचारी			कर्मचारी		
स्थायी	33997	33997	100%	33081	33081	100%
पुरुष	24218	24218	100%	23978	23978	100%
महिला	9779	9779	100%	9103	9103	100%
	श्रमिक			श्रमिक		
स्थायी के अतिरिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. ए. वेतन/भत्तों/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

	पुरुष		महिला	
	नंबर	संबंधित श्रेणी का माध्यिका पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी	नंबर	संबंधित श्रेणी का माध्यिका पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी) (गैर-सरकारी और शेयरधारक निदेशकों के बैठक भत्तों को छोड़कर)	4	369002.49	निरंक	निरंक
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	4	301249.42	1	301031.13
अन्य कर्मचारी (बीओडी तथा केएमपी के अतिरिक्त)	24031	114555.54	9561	102897.08

बी. कुल वेतन में से महिलाओं को दिया गया सकल वेतन (प्रतिशत में), निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2025-26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2024-25 (पिछला वित्त वर्ष)
महिला कर्मचारियों को भुगतान किए गए सकल वेतन का कुल वेतन में प्रतिशत (%)	27.78%	25.63%

4. क्या आपके पास व्यवसाय द्वारा उत्पन्न अथवा उसमें योगदान से संबंधित मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों के समाधान हेतु कोई नोडल व्यक्ति / समिति है? – नहीं।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु उपलब्ध आंतरिक व्यवस्थाओं का वर्णन करें.

बैंक उच्चतम नैतिक मानकों के अनुरूप तथा सभी लागू विनियमों के अनुपालन में अपने व्यवसाय का संचालन करने और अपने सभी हितधारकों एवं कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपनी कार्यबल के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का प्रयास करते हैं, चाहे उनकी जाति, लिंग, कार्य या पद कुछ भी हो. मानवाधिकार मंच पर प्राप्त अभ्यावेदनों को क्षेत्रीय और अंचल स्तर पर निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ निस्तारण किया जाता है.

बैंक ने प्राप्त सभी प्रतिनिधित्वों की त्रैमासिक समीक्षा और मूल्यांकन के लिए एक बोर्ड का गठन किया है। बैंक के पास आचार संहिता, व्यवसाय संचालन और हितों के टकराव से संबंधित एक नीति भी है, तथा इस नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की चूक के प्रति "शून्य सहिष्णुता" अपनाई जाती है।

बैंक ने कर्मचारियों की शिकायतों की रिपोर्टिंग और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित विषयों पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2025-26 चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2024-25 पिछला वित्त वर्ष		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायते	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	15	0		5	0	0
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	0	0	0	0
बाल श्रम	0	0	0	0	0	0
वेतन	0	0	0	0	0	0
अन्य मानवाधिकार संबंधित मुद्दे	0	0	0	0	0	0

7. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

	वित्त वर्ष 2025-26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2024-25 (पिछला वित्त वर्ष)
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश) के तहत कुल दर्ज शिकायतें	15	5
पॉश के तहत शिकायतें महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में	0.15%	0.05%
पॉश के तहत स्वीकार्य शिकायतें	निरंक	निरंक

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले नकारात्मक परिणामों को रोकने के लिए तंत्र.

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पॉश अधिनियम, 2013) के प्रावधानों के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं आंचलिक कार्यालयों में समितियों का गठन किया गया है। नीति को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकता है: https://centralbank.bank.in/sites/default/files/2026-04/POLICY-ON-PREVENTION-OF-SEXUAL-HARASSMENT-OF-WOMEN-AT-WORKPLACE-FOR-FY-2026-27.pdf तथा कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके उल्लंघन की स्थिति में होने वाले गंभीर परिणामों से अवगत कराने हेतु केवल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध समर्पित पोर्टल पर भी यह उपलब्ध है। बैंक द्वारा कर्मचारियों को पॉश अधिनियम के प्रति जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है।

9. क्या आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों में मानवाधिकार संबंधी आवश्यकताएँ शामिल होती हैं? हां

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का वह प्रतिशत जो (संस्था, कानूनी प्राधिकारी या तृतीय पक्ष द्वारा) मूल्यांकित किया गया है.
श्रम	निरंक
बंधुआ /अनैच्छिक श्रम	निरंक
यौन उत्पीड़न	निरंक
कार्यस्थल पर भेदभाव	निरंक
वेतन	निरंक
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें।	निरंक

11. उपर्युक्त प्रश्न 10 के अंतर्गत किए गए आकलनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान हेतु की गई अथवा प्रगति पर चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें : लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार संबंधी शिकायतों/अभ्यावेदनों के निवारण के परिणामस्वरूप संशोधित अथवा प्रारंभ की गई किसी व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

मानवाधिकार संबंधी शिकायतों/अभ्यावेदनों के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2. किए गए किसी मानवाधिकार समुचित सावधानी के दायरे एवं कवरेज का विवरण।

बैंक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने तथा सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। लिंग, जेंडर, राष्ट्रीयता, धर्म, दिव्यांगता, भाषा आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव संबंधी मामलों की बैंक की नीति तथा नियामकीय प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष एवं तटस्थ समीक्षा की जाती है। ऐसे मामलों का निस्तारण लागू नीतियों, कानूनों एवं विनियमों के अनुसार किया जाता है।

3. क्या संस्था के परिसर/कार्यालय, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ हैं?

हमारे बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में दिव्यांगजनों की सुगम आवाजाही हेतु रैंप एवं लिफ्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारी अधिकांश शाखाएँ/कार्यालय भूतल पर स्थित हैं अथवा उनमें लिफ्ट तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

4. मूल्य श्रृंखला के आकलन का विवरण:

	आकलित संयंत्रों एवं कार्यालयों का प्रतिशत (संस्था/वैधानिक प्राधिकरणों/तृतीय पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
बंधुआ अथवा अनैच्छिक श्रम	शून्य
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 में किए गए आकलनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान हेतु की गई अथवा प्रगति पर चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें। लागू नहीं

सिद्धांत 6 : व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा उसके संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के लिए प्रयास करने चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल अथवा उसके गुणकों में) तथा ऊर्जा तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2025-26 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2024-25 (पिछला वित्त वर्ष)
कुल विद्युत खपत (ए)	769.57 लाख किलोवॉट	735.57 लाख किलोवॉट
कुल ईंधन खपत (बी)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों से ऊर्जा खपत (सी)	शून्य	शून्य
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	769.57 लाख किलोवॉट	735.57 लाख किलोवॉट
कारोबार के प्रति रुपये पर ऊर्जा तीव्रता (कुल विद्युत खपत/रुपयों में व्यवसाय)	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी: बैंक, अपनी ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक एवं सुशासन) पहल के अंतर्गत विद्युत खपत में कमी लाने हेतु सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपनी कुछ शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों में सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित किए हैं, ताकि हरित स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा सके तथा पारंपरिक स्रोतों से उत्पन्न विद्युत पर निर्भरता कम की जा सके।.

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार की परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ता के रूप में चिन्हित कोई स्थल/सुविधा है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो यह भी बताएं कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की गई है। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो उसके लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। नहीं

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

बैंक द्वारा जल का उपयोग केवल मानवीय उपभोग एवं घरेलू आवश्यकताओं तक सीमित है। कार्यालय परिसरों में जल का विवेकपूर्ण एवं मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि कार्यालयों एवं शाखाओं से उत्पन्न घरेलू अपशिष्ट जल (सीवेज) को जल निकायों में प्रवाहित न किया जाए।

4. क्या संस्था ने शून्य द्रव अपशिष्ट निर्वहन हेतु कोई व्यवस्था लागू की है? यदि हाँ, तो उसके कवरेज एवं कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें। नहीं।

5. संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के अतिरिक्त) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

लागू नहीं।

6. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप-1 एवं स्कोप-2 उत्सर्जन) तथा उसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:
लागू नहीं।

7. क्या संस्था के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

8. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल उत्पन्न अपशिष्ट		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	*	*
ई-अपशिष्ट (बी) (₹ लाख में)★★	4.00	9.00

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)		
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी)		
बैटरी अपशिष्ट (ई)		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य खतरनाक अपशिष्ट (जी), यदि कोई हो, तो कृपया निर्दिष्ट करें		
अन्य गैर-खतरनाक उत्पन्न अपशिष्ट (एच), यदि कोई हो, तो कृपया निर्दिष्ट करें (संरचना के अनुसार विवरण अर्थात् क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के आधार पर वर्गीकरण सहित)		
कुल (ए+बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	**4.00**	**9.00**

★अपशिष्टों का निपटान अधिकृत पुनर्विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है।

★★ भार के आधार पर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।.

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षिप्त विवरण दें। साथ ही, अपने उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में खतरनाक एवं विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने हेतु अपनाई गई रणनीति तथा ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का विवरण दें।

अपशिष्टों का निपटान दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिकृत पुनर्विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले उपकरण नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। हमारे उत्पादों में किसी भी प्रकार के खतरनाक अथवा विषैले रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है।

10. यदि संस्था का परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में अथवा उनके आसपास स्थित हैं, जहाँ पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृति आवश्यक है, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें: लागू नहीं

11. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण: लागू नहीं

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानूनों/विनियमों/दिशानिर्देशों, जैसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है? (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी अनुपालनों में कमी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें।: हां

नेतृत्व संकेतक

1. नवीकरणीय एवं गैर-नवीकरणीय स्रोतों से उपभोगित कुल ऊर्जा (जूल अथवा उसके गुणकों में) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल विद्युत खपत (ए)	7 लाख	शून्य
कुल ईंधन खपत (बी)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों से ऊर्जा खपत (सी)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	7 लाख	शून्य
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल विद्युत खपत (डी)	शून्य	शून्य
कुल ईंधन खपत (ई)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों से ऊर्जा खपत (एफ)	शून्य	शून्य
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (डी+ई+एफ)	शून्य	शून्य

2. जल निकास से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: लागू नहीं

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
गंतव्य एवं उपचार स्तर के अनुसार जल निकासी (किलोलीटर में)		
i. सतही जल		
- बिना उपचार		
- उपचार सहित – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
ii. भूजल		
- बिना उपचार		
- उपचार सहित – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
iii. तृतीय पक्ष जल		
- बिना उपचार	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार सहित – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
iv. समुद्री जल / अलवणीकृत जल		
- बिना उपचार		
- उपचार सहित – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
v. अन्य		
- बिना उपचार		
- उपचार सहित – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल जल निकास (किलोलीटर में)		

3. जल-अभाव वाले क्षेत्रों में जल निकासी, उपभोग एवं निर्वहन (किलोलीटर में): लागू नहीं

4. कुल स्कोप 3 उत्सर्जन एवं उसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: लागू नहीं

5. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों की जैव विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों तथा रोकथाम एवं सुधारात्मक गतिविधियों का विवरण प्रदान करें। लागू नहीं

6. यदि संस्था ने संसाधन दक्षता में सुधार करने अथवा उत्सर्जन/अपशिष्ट जल निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है अथवा किसी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो उसका विवरण तथा उन पहलों के परिणाम प्रदान करें:

लागू नहीं

7. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में/वेब लिंक सहित विवरण दें।

हाँ, हमारे बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना / आपदा पुनर्प्राप्ति नीति है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु इसे सभी संबंधित पक्षों को प्रसारित किया गया है। प्रत्येक विभाग ने अपने महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों की पहचान की है तथा किसी आकस्मिकता/आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं की पुन: शुरुआत एवं पुनर्प्राप्ति के लिए कार्ययोजना तैयार की है। आपदा पुनर्प्राप्ति व्यवस्थाओं की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों द्वारा आपदा पुनर्प्राप्ति ड्रिल आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक शाखा को दो निकटवर्ती शाखाओं से जोड़ा गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनका मानचित्रण किया गया है ताकि परिपत्र संख्या 2986 दिनांक 04.02.2022 के अनुसार प्रभावित शाखा की समस्त व्यावसायिक गतिविधियाँ तत्काल प्रारंभ की जा सकें। महत्वपूर्ण प्रणालियों के सुदृढ़ संचालन को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर आपदा पुनर्प्राप्ति ड्रिल आयोजित की जाती हैं। आपदा पुनर्प्राप्ति ड्रिल के परिणाम अभिलिखित किए जाते हैं तथा उपयुक्त सुधारात्मक/पुनर्प्राप्ति उपाय करने हेतु संबंधित कार्यक्षेत्रों के साथ साझा किए जाते हैं।

8. संस्था की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न पर्यावरण पर किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव प्रकट करें। इस संबंध में संस्था द्वारा कौन-से शमन अथवा अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

9. मूल्य श्रृंखला साझेदारों (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर) का वह प्रतिशत, जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए आकलन किया गया। लागू नहीं

सिद्धांत 7 : व्यवसायों को सार्वजनिक एवं नियामकीय नीतियों को प्रभावित करने में संलग्न होने पर उत्तरदायी एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. ए. व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धताओं की संख्या - 10

बी. शीर्ष 10 व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची प्रदान करें, जिनके साथ संस्था सदस्यता रखती है/संबद्ध है।

क्र	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों का कार्यक्षेत्र (राज्य/राष्ट्रीय)
1	भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	राष्ट्रीय
2	भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)	राष्ट्रीय
3	इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (आईबीपीएस)	राष्ट्रीय
4	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)	राष्ट्रीय
5	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)	राष्ट्रीय
6	अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आईसीसी)	राष्ट्रीय
7	भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स संघ (फेडाई)	राष्ट्रीय
8	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए)	राष्ट्रीय
9	क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)	राष्ट्रीय
10	वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो	राष्ट्रीय

2. नियामकीय प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई अथवा प्रगति पर चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति संबंधी रुख का विवरण:

क्र	समर्थित सार्वजनिक नीति	ऐसी वकालत हेतु अपनाई गई पद्धति	क्या सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हाँ/नहीं	निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
1.	केवाईसी-एएमएल नीति	बैंक की आंतरिक नीति	हाँ	वार्षिक	https://www.centralbank.bank.in/en
2.	सरकारी व्यवसाय नीति		हाँ	वार्षिक	
3.	चेक संग्रहण नीति		हाँ	वार्षिक	
4.	बैंक जमा नीति		हाँ	वार्षिक	
5.	सुरक्षित जमा लॉकर नीति		हाँ	वार्षिक	
6.	अभिलेख संधारण नीति		हाँ	वार्षिक	
7.	मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान तथा सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं की वापसी एवं लापता व्यक्तियों से संबंधित दावों के निपटान की नीति		हाँ	वार्षिक	
8.	वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांग/अक्षम खाताधारकों हेतु नीति		हाँ	वार्षिक	
9.	क्षतिपूर्ति नीति		हाँ	वार्षिक	
10.	ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र संबंधी नीति		हाँ	वार्षिक	
11.	ग्राहक अधिकार नीति		हाँ	वार्षिक	

सिद्धांत 8 : व्यवसायों को समावेशी विकास एवं समानतापूर्ण प्रगति को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा संचालित परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन का विवरण।** लागू नहीं
2. **उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया वर्तमान में संचालित की जा रही है, निम्नलिखित प्रारूप में:** लागू नहीं
3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने एवं उनके निवारण हेतु उपलब्ध तंत्र का विवरण दें।**

   नीति के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र स्थापित है।
4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट के प्रतिशत के रूप में) का विवरण प्रदान करें:**

   ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन –** निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (स्थायी अथवा अस्थायी/संविदा आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को दिए गए वेतन का कुल वेतन व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रकट करें:

स्थान	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)
ग्रामीण	24.93%	20.41%
अर्ध-शहरी	22.36%	19.02%
शहरी	25.80%	28.01%
महानगरीय	26.91%	32.56%

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन (उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 1 के संदर्भ में) में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने हेतु की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें:** किसी भी प्रकार के नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की सूचना नहीं मिली है।.
2. **सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा संचालित सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:** लागू नहीं
3. **(ए) क्या आपके पास ऐसी अधिमान्य क्रय नीति है जिसके अंतर्गत आप वंचित/संवेदनशील समूहों से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को खरीद में प्राथमिकता देते हैं?** हाँ

   (बी) आप किन वंचित/संवेदनशील समूहों से खरीद करते हैं? सूक्ष्म एवं लघु उद्यम

   (सी) कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) में इसका कितना प्रतिशत योगदान है? ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, आपकी संस्था के स्वामित्व वाली अथवा अर्जित बौद्धिक संपदाओं (वर्तमान वित्तीय वर्ष में) से प्राप्त एवं साझा किए गए लाभों का विवरण प्रदान करें।** उपलब्ध नहीं
5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में, जहाँ पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो, किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई अथवा प्रगति पर चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।** उपलब्ध नहीं

1. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:**

क्र सं.	नाम	एनजीओ / संस्थान	उद्देश्य	राशि (₹ करोड़ में)
1	महावीर कैंसर संस्थान, पटना	महावीर कैंसर संस्थान, पटना	बीपीएल रोगियों हेतु कार्डियक कलर डॉप्लर सिस्टम उपलब्ध कराना	0.18

क्र सं.	नाम	एनजीओ / संस्थान	उद्देश्य	राशि (₹ करोड़ में)
2	सेंट जोसेफ्स लेप्रोसी पेशेंट्स सोसायटी (सेंट जोसेफ्स स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रेन विद इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की इकाई), टी. वी. मलई, तमिलनाडु	सेंट जोसेफ्स लेप्रोसी पेशेंट्स सोसायटी (सेंट जोसेफ्स स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रेन विद इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की इकाई), पी.बी. नं. 2, थेनपल्लीपट्टू, कालासापक्कम - 606751, टी. वी. मलई, तमिलनाडु	बौद्धिक दिव्यांगता वाले 45 चिन्हित बच्चों (विशेष विद्यालय में अध्ययनरत) हेतु नोटबुक, भोजन, यूनिफॉर्म, पोषण, टिल्टिंग थेरेपी टेबल आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	0.02
3	श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगम	श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगम	श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगम को 1 बैटरी चालित उपयोगिता विद्युत वाहन का दान	0.05
4	आरसेटी, कोटा	आरसेटी, कोटा	आरसेटी, कोटा भवन की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु	0.12
5	द गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद (एम. पी. शाह कैंसर हॉस्पिटल), स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, सिविल हॉस्पिटल परिसर, असरवा	द गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद (एम. पी. शाह कैंसर हॉस्पिटल), स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, सिविल हॉस्पिटल परिसर, असरवा, अहमदाबाद - 380016	गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद में साइक्लोट्रॉन सुविधा हेतु सहयोग	0.25
6	श्री आशीष गोयल, संस्थापक एवं प्रबंध न्यासी, उमंग फाउंडेशन	जिला परिषद विद्यालय, शिंदेवाड़ी	महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शिंदेवाड़ी स्थित जिला परिषद विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों के लिए पृथक शौचालय ब्लॉक तथा परिसर दीवार का निर्माण	0.12
7	श्री पंकज सिंह, सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा, लखनऊ	यूपीनेडा, लखनऊ	लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में एनसीईडीए के माध्यम से 25 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता	0.05
8	श्री बी. एन. नवाल, प्रशासक	श्री पी. के. वी. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बिजयनगर, ब्यावर (राजस्थान)	श्री पी. के. वी. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बिजयनगर, ब्यावर (राजस्थान) में चिकित्सा उपकरणों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता	0.08
9	डॉ. गोपाल शरण गुप्ता, सचिव	जन कल्याण संस्थान, जयपुर	जन कल्याण संस्थान, जयपुर के केंद्रीय भवन के भूतल पर मशीनरी सहित वाटर कूलर की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता	0.10
10	श्री के. वी. एस. राव, प्रबंध ट्रस्टी	श्री रामकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट, विजयवाड़ा	विजयवाड़ा के सरकारी सामान्य अस्पताल के भर्ती एवं बाह्य रोगियों के परिजनों को भोजन वितरण हेतु वित्तीय सहायता	0.05
11	श्री प्रथामेश बोभाटे, ट्रस्टी, सार्थ प्रतिष्ठान	सार्थ प्रतिष्ठान, मुंबई	दक्षिण-मध्य मुंबई के वंचित छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता	0.02
12	श्री संजय कुमार, सचिव	भगवान महावीर चाइल्ड वेलफेयर ट्रस्ट, जयपुर	विभिन्न ट्रस्टों, एनजीओ, परामर्श केंद्रों एवं संस्थानों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के कल्याण हेतु सामाजिक निवेश; व्यक्तियों को उनके भविष्य के निर्माण में सहायता प्रदान करना	0.01
13	श्री कमलेश डी. पटेल	हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, कान्हा विलेज, रंगा रेड्डी, तेलंगाना	हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की सामाजिक प्रभाव परियोजनाओं (पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण, खेल उत्कृष्टता एवं अनुसंधान) हेतु वित्तीय सहायता	0.07
			कुल	**1.13**

सिद्धांत 9 : व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से जुड़ना चाहिए तथा उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों एवं फीडबैक को प्राप्त करने तथा उन पर प्रतिक्रिया देने हेतु स्थापित तंत्र का विवरण दें।

शिकायत निवारण तंत्र: त्वरित एवं प्रभावी समाधान का आधार

उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए बैंक का प्रमुख तंत्र एकीकृत ग्राहक सेवा (आईसीसी) मंच है, जिसका संचालन मुंबई और हैदराबाद स्थित दो रणनीतिक कमांड केंद्रों से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान इस मंच का उल्लेखनीय विस्तार किया गया, ताकि डिजिटल सहभागिता में हुई व्यापक वृद्धि का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सके, जो अब कुल लेन-देन का 90.54% है। इस तंत्र को सुदृढ़ बनाने वाली प्रमुख प्रौद्योगिकीय सुविधाएँ निम्नलिखित हैं:

- **एआई-संचालित भावविश्लेषण**: आईसीसी अब ग्राहकों की भावनाओं एवं प्रतिक्रियाओं की वास्तविक समय (रियल-टाइम) निगरानी करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है, जिससे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि शिकायतों के गंभीर रूप धारण करने से पहले ही सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर उनका निवारण कर सकते हैं।
- **वीडियो बैंकिंग एवं सहायता प्राप्त सेवा अनुभव**: जटिल प्रश्नों एवं आवश्यकताओं के समाधान के लिए बैंक ने वीडियो बैंकिंग सुविधा प्रारंभ की है, जो दूरस्थ माध्यम से आमने-सामने संवाद जैसा उच्च-गुणवत्ता वाला सेवा अनुभव प्रदान करती है। यह सुविधा डिजिटल सेवाओं की त्वरितता और मानवीय संवेदनशीलता के बीच प्रभावी संतुलन स्थापित करती है।
- **ग्राहक 360⁰ व्यू**: ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को बैंक के साथ ग्राहक के संपूर्ण संबंध का समग्र विवरण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें खाते की स्थिति, लेन-देन का इतिहास तथा पूर्व में दर्ज शिकायतों का विवरण शामिल होता है। इससे प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप अत्यधिक वैयक्तिकृत एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है।
- **बहुभाषी एआई वॉयस बॉट**:प्रत्येक भारतीय के लिए "ट्रूली सेंट्रल" बने रहने के उद्देश्य से बैंक ने ऐसे वॉयस बॉट स्थापित किए हैं, जो हिंदी, अंग्रेज़ी तथा 10 क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायत निवारण में भाषा कभी भी बाधा न बने।

शिकायत निवारण नीति: सीबीआई-केयर द्वारा समर्थित

बैंक की शिकायत निवारण रूपरेखा उसके सीबीआई-केयर मूल्यों, विशेष रूप से 'ग्राहक सेवा उत्कृष्टता' के स्तंभ में संरचनात्मक रूप से समाहित है। यह नीति केवल दिशानिर्देशों का एक समूह नहीं है, बल्कि एक सक्रिय परिचालन अनुशासन है:

- **स्वचालित पर्यवेक्षण**: 'सक्षम' अनुपालन स्वचालन पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि सभी शाखाएँ एवं ग्राहक संपर्क केंद्र शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करें।
- **मिशन प्रगति के साथ संरेखण**: 'मिशन प्रगति' परिवर्तन पहल के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में प्रक्रिया पुनर्रचना की प्रभावशीलता की निरंतर निगरानी की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि शिकायतों के माध्यम से पहचानी गई प्रणालीगत समस्याओं का प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए स्थायी समाधान किया जाए।
- **सुशासन एवं उत्तरदायित्व**: सेवा प्रदायगी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का प्रमाणन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। साथ ही, 8.26 करोड़ ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल स्तर की समितियों द्वारा बहु-स्तरीय पर्यवेक्षण भी प्रदान किया जाता है।

वेबसाइट पर ग्राहक सेवा संबंधी विवरण एवं डिजिटल विश्वास

निर्बाध एवं सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अपने डिजिटल ग्राहक संपर्क माध्यमों का व्यापक आधुनिकीकरण किया है।

- **ओम्नी-चैनल एकरूपता**: बैंक एक डिवाइस-निरपेक्ष ओम्नी-चैनल प्लेटफ़ॉर्म लागू कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सेंट नियो ऐप पर दर्ज की गई शिकायत का वेबसाइट अथवा बैंक की 4,585 शाखाओं में से किसी भी शाखा के माध्यम से, बिना किसी डेटा की पुनरावृत्ति के, अनुगमन या निवारण किया जा सके।
- .bank.in **सत्यापित डोमेन**: डिजिटल विश्वास को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट, ई-मेल परिवेश तथा इंटरनेट बैंकिंग का .bank.in डोमेन पर 100% माइग्रेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे ग्राहकों को बैंक के साथ ऑनलाइन लेन-देन एवं संवाद के दौरान सुरक्षा और प्रामाणिकता का एक स्पष्ट एवं विश्वसनीय संकेत प्राप्त होता है।
- **विशेषीकृत एनआरआई डेस्क**: वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंक ने चयनित शाखाओं में 159 विशेषीकृत एनआरआई डेस्क स्थापित किए हैं। इन डेस्कों पर प्रशिक्षित कार्मिक नियुक्त हैं, जो फेमा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अनुरूप एक ही स्थान पर समग्र बैंकिंग सेवाएँ एवं शिकायत निवारण सहायता प्रदान करते हैं।

- **इन-हाउस उद्गम पोर्टल**: बैंक ने अदावाकृत जमाओं (डीईएएफ) के लिए एक एकीकृत पोर्टल लागू किया है, जिससे निष्क्रिय खातों की खोज करने वाले ग्राहकों के लिए पारदर्शिता और विश्वास में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, ग्राहक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक लॉगिन पोर्टल: https://icc.centralbank.bank.in/cucms_cboi/docket/srbooking/srbooking/ पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, साथ ही ग्राहक 18003030 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

2. उन उत्पादों/सेवाओं के व्यवसाय का कुल व्यवसाय में प्रतिशत, जिनमें निम्नलिखित संबंधी जानकारी उपलब्ध है:

	कुल व्यवसाय के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानक सुरक्षित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग पुनर्चक्रण एवं/अथवा सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में निस्तारण हेतु लंबित	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में निस्तारण हेतु लंबित	टिप्पणियाँ
डाटा गोपनीयता	-	-	-	-	-	-
विज्ञापन	-	-	-	-	-	-
साइबर सुरक्षा	-	-	-	-	-	-
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति	-	-	-	-	-	-
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	-	-	-	-	-	-
अनुचित व्यापार प्रथा	-	-	-	-	-	-
अन्य	321197	365		160868	8285	

4. सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण उत्पादों को वापस मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण: लागू नहीं

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता संबंधी जोखिमों के लिए कोई रूपरेखा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो तो नीति का वेब लिंक प्रदान करें।

हाँ, चूँकि यह एक आंतरिक दस्तावेज है, इसलिए वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।

6. विज्ञापन एवं आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति; साइबर सुरक्षा एवं ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पादों को वापस मंगाए जाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति; तथा उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा के संबंध में नियामकीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए दण्ड/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई अथवा प्रगति पर चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।

साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- डिजिटल लेन-देन के लिए टू फैक्टर प्रमाणीकरण
- ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट
- अलर्ट मॉनिटरिंग

7. डेटा ब्रीच से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

ए. डेटा ब्रीच की घटनाओं की संख्या: शून्य

बी. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा ब्रीच का प्रतिशत: लागू नहीं

सी. डेटा ब्रीच का प्रभाव, यदि कोई हो: लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. वे चैनल/प्लेटफॉर्म जहाँ संस्था के उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

ए) वेबसाइट – https://centralbank.bank.in/en

बी) "सेंट ईज़" नामक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, जो प्ले स्टोर(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.centralbank.retail.omni) तथा ऐप स्टोर (https://apps.apple.com/in/app/cent-eez/id6737806722) पर उपलब्ध है।

सी) सोशल मीडिया नेटवर्क: यूट्यूब – https://www.youtube.com/channel/UCAlZ_H8-YpEOfQ0VeQ_XsnQ

एक्स (X) – https://x.com/centralbank_in

फेसबुक – https://www.facebook.com/CentralBankofIndia

लिंक्डइन – https://www.linkedin.com/company/centralbankofindia

इंस्टाग्राम – https://www.instagram.com/centralbankofindiaofficial/

डी) टोल-फ्री नंबर – 1800 30 30

2. उत्पादों और/अथवा सेवाओं के सुरक्षित एवं उत्तरदायी उपयोग के संबंध में उपभोक्ताओं को सूचित एवं जागरूक करने के लिए उठाए गए कदम

वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपभोक्ता सुरक्षा एवं जागरूकता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को निम्नलिखित पहलें परिभाषित करती हैं:

1. ".bank.in" डोमेन पर माइग्रेशन: दृश्यात्मक विश्वास का संस्थागतकरण

उपभोक्ताओं को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के उपयोग के प्रति जागरूक बनाने की हमारी रणनीति का एक प्रमुख आधार बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग तथा ई-मेल प्रणाली का .bank.in **डोमेन** पर शत-प्रतिशत सफल माइग्रेशन रहा। यह परिवर्तन ग्राहकों के लिए सुरक्षा एवं प्रामाणिकता का एक महत्वपूर्ण दृश्य संकेत प्रदान करता है, जिससे वे बैंक के डिजिटल संपर्क माध्यमों की प्रामाणिकता का तुरंत सत्यापन कर सकते हैं तथा फ़िशिंग एवं स्पूफिंग जैसे साइबर हमलों के जोखिम में उल्लेखनीय कमी आती है। ग्राहकों को इस विशिष्ट डोमेन की पहचान करने के लिए जागरूक बनाकर, बैंक ने उन्हें उत्तरदायी एवं सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए एक सरल, किन्तु अत्यंत प्रभावी साधन उपलब्ध कराया है।

2. 24x7 साइबर सुरक्षा सुदृढ़ता

बैंक अपने **साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र** के सतत परिचालन के माध्यम से सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर निभा रहा है।

- **वास्तविक समय (रियल-टाइम) निगरानी**: सीएसओसी 24x7 खतरे का पता लगाने तथा साइबर घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। इससे बैंक की प्रौद्योगिकी अवसंरचना, जो वर्तमान में **कुल लेन-देन का 90.54%** संभालती है, परिष्कृत साइबर खतरों के विरुद्ध सुदृढ़ एवं सक्षम बनी रहती है।
- **डेटा संरक्षण**: **प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएएमएस)** तथा **डेटा लीकेज प्रिवेंशन (डीएलपी)** उपकरणों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहकों का संवेदनशील डेटा आंतरिक एवं बाह्य जोखिमों से सुरक्षित रहे।

3. विशेषीकृत मानक एवं कार्डों का सुरक्षित उपयोग

भुगतान उत्पादों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में **पीसीआई-डीएसएस लेवल 1 संस्करण 4.0** का अनुपालन प्राप्त किया। यह वैश्विक मानक कार्डधारकों के डेटा की सुरक्षा के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, **सेंट ईज़ ऐप** के माध्यम से **वर्चुअल डेबिट कार्ड** की सुविधा प्रारंभ की गई है, जो ग्राहकों को भौतिक कार्ड का सुरक्षित एवं वास्तविक समय (रियल-टाइम) विकल्प उपलब्ध कराती है तथा कार्ड के निर्माण और चोरी से जुड़े जोखिमों को कम करती है।

4. सामुदायिक सहभागिता आधारित नवाचार एवं जागरूकता

बैंक सुरक्षा संबंधी समाधान विकसित करने तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहभागिता करता है:

- **हैकाथॉन 2025**: ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में बैंक ने 35 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) की प्रतिभाओं को एआई-संचालित धोखाधड़ी पहचान समाधान विकसित करने के लिए सहभागी बनाया। इस पहल ने न केवल बैंक की तकनीकी सुरक्षा को सुदृढ़ किया, बल्कि डिजिटल सुरक्षा के प्रति ग्राहकों की भावी पीढ़ी को जागरूक करने के लिए एक प्रभावी मंच भी प्रदान किया।

- **डिजिटल चैंपियंस**: जमीनी स्तर पर डिजिटल सेवाओं को उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने प्रत्येक शाखा में **"डिजिटल चैंपियंस"** नामित किए हैं। ये डिजिटल चैंपियंस प्रत्येक सप्ताह हेल्पडेस्क एवं आमने-सामने के सत्र आयोजित कर सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करते हैं तथा ग्राहकों को सेंट ईज़ एप्लिकेशन के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक करते हैं।
- **स्वचालित पर्यवेक्षण**: '**सक्षम**' अनुपालन स्वचालन पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शाखा ग्राहक संरक्षण एवं डिजिटल विश्वास के लिए बैंक द्वारा निर्धारित कठोर मानकों का पालन करे।

उच्च-स्तरीय सुरक्षा नियंत्रणों को सक्रिय सामुदायिक सहभागिता के साथ एकीकृत करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यह सुनिश्चित किया है कि उसकी व्यावसायिक प्रगति **परिचालन उत्कृष्टता** तथा अटूट डिजिटल विश्वास पर आधारित हो।

3. आवश्यक सेवाओं में किसी व्यवधान/बंद होने के जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने हेतु उपलब्ध तंत्र।

तकनीकी कारणों से होने वाले किसी भी व्यवधान के संबंध में ग्राहकों को एसएमएस अथवा ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी से अतिरिक्त उत्पाद संबंधी जानकारी भी उत्पाद पर प्रदर्शित करती है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें।

नहीं।

क्या संस्था ने अपने प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, परिचालन के महत्वपूर्ण स्थानों अथवा संस्था के समग्र स्तर पर उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है? (हाँ/नहीं)

हाँ।

5. डेटा ब्रीच से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

ए. डेटा ब्रीच की घटनाओं की संख्या तथा उनका प्रभाव – अब तक कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है।

बी. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा ब्रीच का प्रतिशत – लागू नहीं।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट (बीआरएसआर) के मुख्य संकेतकों पर स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई, भारत

मैने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (आगे "बैंक" के रूप में संदर्भित) के लिए, हमारे नियुक्ति पत्र दिनांक 30 मई, 2026 के अनुसार नीचे सूचीबद्ध स्वीकृत धारणीयता सूचना (आगे "चिन्हित धारणीयता सूचना" अथवा "बीआरएसआर मुख्य संकेतक" के रूप में संदर्भित) के संदर्भ में युक्तिसंगत आश्वासन कार्य संपादित किया है। यह कार्य नीचे अनुच्छेद 3 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार किया गया है। उक्त धारणीयता सूचना व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर)(आगे "रिपोर्ट" के रूप में संदर्भित) में सम्मिलित है जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

2. चिन्हित धारणीयता सूचना

मेरे युक्तिसंगत आश्वासन कार्य का दायरा इस रिपोर्ट के परिशिष्ट – I में उल्लिखित बीआरएसआर मुख्य संकेतकों तक सीमित है। रिपोर्टिंग सीमा बीआरएसआर के खंड ए : सामान्य प्रकटीकरण के प्रश्न 15 में किए गए प्रकटीकरण के अनुरूप है, तथापि जहां लागू हो, संबंधित प्रश्नों के अन्तर्गत टिप्पणियों के माध्यम से प्रकटीकृत अपवाद इसके अन्तर्गत शामिल नहीं हैं।

यह आश्वासन कार्य केवल 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित सूचना तक सीमित है। मैंने पूर्ववत अवधियों के लिए कोई प्रक्रिया निष्पादित नहीं की है तथा न ही उनपर कोई मत व्यक्त किया है।

3. मानदंड

बैंक ने चिन्हित धारणीयता सूचना निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर तैयार की है -

- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(एफ)(समय – समय पर संशोधित);
- सेबी मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 दिनांक 11 जुलाई 2023; तथा
- सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 दिनांक 12 जुलाई, 2023 तथा उससे संबंधित स्पष्टीकरण।

4. प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन लागू मानदंडों के अनुरूप चिन्हित धारणीयता सूचना की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं -

- उपयुक्त मानदंडों का चयन;
- आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का अभिकल्पन,कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण;
- सुनिश्चित करना कि सूचना धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त हो।

5. अंतर्निहित सीमाएँ

वर्तमान में गैर – वित्तीय आंकड़ों के मापन एवं रिपोर्टिंग हेतु कोई महत्वपूर्ण वैश्विक मानक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण विभिन्न स्वीकार्य कार्यप्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है तथा विभिन्न संस्थाओं के मध्य तुलनीयता प्रभावित हो सकती है।

यह आश्वासन निर्धारित रिपोर्टिंग अवधि एवं भौगोलिक सीमा तक सीमित हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं -

- रणनीतिक दृष्टिकोण अथवा भविष्य संबंधी अपेक्षाएँ;
- बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धात्मक विषयों या विधिक अनुपालन से संबंधित कथन;
- स्वीकृत रिपोर्टिंग रूपरेखाओं के दायरे से बाहर की जानकारी;
- यह आश्वासन बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की पूर्णता, पर्याप्तता एवं प्रमाणिकता पर आधारित हैं।

6. स्वतंत्रता

मैंने लागू सेबी परिपत्र के संदर्भ में स्वतंत्रता बनाए रखी है तथा इस कार्य को संपादित करने हेतु आवश्यक दक्षताओं एवं अनुभवों को धारित करता हूँ।

7. उत्तरदायित्व

मेरा उत्तरदायित्व इस कार्य के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर चिन्हित धारणीयता सूचना के सन्दर्भ में युक्तिसंगत आश्वासन मत व्यक्त करना है।

8. आश्वासन प्रक्रियाएँ

मेरी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं -

- प्रासंगिक नियंत्रकों का अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन;
- बीआरएसआर रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी कार्मिकों के साक्षात्कार तथा डेटा बिंदुओं का नमूना आधारित सत्यापन ;
- विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ एवं सामंजस्यकरण;
- चयनित आंकड़ों के सत्यापन हेतु दस्तावेजों एवं अभिलेखों की समीक्षा।

मेरा मानना है कि प्राप्त साक्ष्य, आश्वासन मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

9. अपवर्जन

इस आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं –

- चिन्हित धारणीयता सूचना के अतिरिक्त अन्य आंकड़े;
- मत, अपेक्षा अथवा भावी आशय से संबंधित कथन।

10. अन्य जानकारी

बीआरएसआर तथा वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित चिन्हित धारणीय सूचना को छोड़कर अन्य सभी जानकारियों के लिए प्रबंधन

उत्तरदायी है। मैनें अतिरिक्त अनुभागों की समीक्षा महत्वपूर्ण विसंगतियों की पहचान के उद्देश्य से की है तथा ऐसी कोई विसंगति नहीं पाई है जो आश्वासन के निष्कर्ष को प्रभावित करती है।

11. आश्वासन मत

निष्पादित प्रक्रियाओं तथा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए चिन्हित धारणीयता सूचना सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप तैयार की गई है।

12. उपयोग पर प्रतिबंध

यह रिपोर्ट केवल सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के उपयोग हेतु अभिप्रेत है तथा मेरी पूर्व लिखित सहमति के बिना इसका उपयोग किसी तृतीय पक्ष द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसे किसी तृतीय पक्ष को प्रकट किया जाना चाहिए।

कृते **यू हेगड़े एण्ड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
उमाशंकर हेगड़े
(प्रोपराइटर)
सदस्यता सं.: A22133
सी.पी. सं.: 11161
यूआईडीएन: A022133H000673564

दिनांक : 23 जून, 2026
स्थान : मुम्बई

परिशिष्ट - I

क्रम सं.	रिपोर्टिंग मानक संदर्भ		संकेतक संख्या	
	खंड सी: सिद्धान्त (पी) आधारित आवश्यक निष्पादन प्रकटीकरण			
1	पी-1:	व्यवसायों को सत्यनिष्ठा, नैतिकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता से अपना संचालन एवं प्रशासन करना चाहिए।	ई-8:	देय खातों के दिनों की संख्या = (देय खाते ★ 365)/क्रय की गई वस्तुओं की लागत)
			ई-9:	संबंधित पक्षों के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों, विक्रेताओं आदि के माध्यम से की गई खरीद एवं बिक्री तथा संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण, अग्रिम एवं निवेशों के संकेंद्रण का विवरण।
2	पी-3:	व्यवसायों को अपने कर्मचारियों तथा अपनी मूल्य श्रृंखला से जुड़े व्यक्तियों के कल्याण में संवर्धन एवं सम्मान करना चाहिए।	ई-1सी:	कर्मचारियों एवं श्रमिकों (स्थायी व उसके अतिरिक्त अन्य भी सम्मिलित) के कल्याण हेतु किए गए व्यय का विवरण।
			ई-11:	सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण।
3	पी-5:	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान एवं संवर्धन करना चाहिए।	ई-3बी:	संस्था द्वारा महिला कर्मचारियों को दिए गए सकल वेतन का कुल वेतन व्यय में प्रतिशत। (चर्चा करें)
			ई-7:	कार्यस्थल पर महिलाओं के य़ौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों का विवरण।
4.	पी-6:	व्यवसायों को पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्स्थापन हेतु प्रयास करने चाहिए।	ई-1:	कुल ऊर्जा उपभोग (जूल अथवा उसके गुणकों में) तथा ऊर्जा तीव्रता का विवरण।
			ई-3:	जल निकासी एवं जल उपभोग से संबंधित प्रकटीकरण।
			ई-4:	अपशिष्ट जल के निस्तारण से संबंधित विवरण।
			ई-7:	ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप -1 एवं स्कोप -2 उत्सर्जन) तथा उसकी उत्सर्जन तीव्रता का विवरण)
			ई-9:	उत्पन्न कुल अपशिष्ट का भार (मीट्रिक टन में) तथा अपशिष्ट की संरचना के आधार पर उसका वर्गीकरण।
5.	पी-8:	व्यवसायों को समावेशी वृद्धि एवं न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	ई-4:	आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट सामग्री के सापेक्ष)
			ई-5:	स्थायी अथवा अस्थायी/संविदात्मक आधार पर नियोजित व्यक्तियों (कर्मचारियों और श्रमिकों) को दिए गए रोजगार सृजन वेतन का कुल वेतन लागत में प्रतिशत। (टिप्पणी 1 देखें)
6.	पी-9:	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से जुड़ना तथा उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए।	ई-7:	डेटा ब्रीच से संबंधित जानकारी।

बैंक की लाभांश वितरण नीति

बैंक ने लाभांश नीति तैयार की है और वह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है

https://centralbank.bank.in/sites/default/files/Dividend-Distribution-Policy.pdf

एडीबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
प्रथम तल, महावीर गौशाला कॉम्पलेक्स,
के.के. रोड़, मौधापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001

जैन पारस बिलाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
50 का 2, ज्योति नगर, जयपुर,
राजस्थान-302005

अमित राय एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
5-B, सरदार पटेल मार्ग, प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश–211001

गर्ग अशोक एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
503, एमार कोलोनेड, सेक्टर 66, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड,
गुरुग्राम, हरियाणा 122018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
सदस्यगण,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई
स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

मत

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक') के साथ संलग्न स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण तथा स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सार सम्मिलित है।

   इन विवरणों में वर्ष के लिए

   i. केन्द्रीय कार्यालय, 14 अंचलों, 1 विशिष्ट एकीकृत कोष शाखा तथा शीर्ष 20 शाखाओं एवं केन्द्रीय कार्यालय के अन्य विभागों की लेखा परीक्षित विवरणियाँ (जिनका परीक्षण हमारे द्वारा किया गया),

   ii. 1952 शाखाओं एवं अन्य कार्यालयों की विवरणियाँ (जिनका लेखा परीक्षण संबंधित सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया), शामिल हैं।

   उक्त शाखाएँ, जिनका लेखा परीक्षण हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

   तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण में ऐसी 2613 शाखाओं से प्राप्त विवरण भी सम्मिलित हैं, जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है। ये अपरीक्षित शाखाएँ कुल अग्रिमों का 19.26 प्रतिशत, जमाओं का 38.50 प्रतिशत, ब्याज आय का 21.94 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 35.77 प्रतिशत योगदान करती हैं।

   हमारे मतानुसार तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर, उपर्युक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार वांछित जानकारी प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा:

   ए) तुलन पत्र (उस पर दिए गए टिप्पणियों सहित) सभी आवश्यक विवरणों सहित पूर्ण और निष्पक्ष है, विधिवत तैयार की गई है तथा 31 मार्च 2026 की स्थिति में बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करती है;

   बी) लाभ और हानि खाता (उस पर दिए गए टिप्पणियों सहित) उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है; तथा

   सी) नकद प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह की सच्ची और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है।

मत का आधार

2. हमने अपना लेखा परीक्षण भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण इस प्रतिवेदन के "स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ" अनुभाग में किया गया है। हम बैंक से स्वतंत्र हैं, जैसा कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और उन नैतिक आवश्यकताओं में निर्धारित है जो स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण से संबंधित हैं। ये वित्तीय विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर दिए गए मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण

3. हम निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

   विवरण हेतु विवरण तालिका 18 टिप्पणी संख्या 15 (एम) देखें, जिसमें स्थगित कर से संबंधित बैंक प्रबंधन द्वारा संभावित कर लाभों के संबंध में किए गए कर मूल्यांकन के आधार पर 31 मार्च 2026 को ₹ 1628.06 करोड़ (31 मार्च 2025 को ₹ 3145.57 करोड़) की शुद्ध स्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता दी गई है।

4. विवरण हेतु विवरण तालिका 18 - टिप्पणी संख्या 15 (अ) (iii) देखें, जिसमें स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की पद्धति को अवलिखित मूल्य पद्धति से सीधी रेखा पद्धति में परिवर्तित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यह्रास में कमी तथा कर-पूर्व लाभ में 49.30 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

   उपरोक्त विषयों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

5. प्रमुख लेखा परीक्षा विषय वे विषय होते हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णयानुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। इन विषयों को हमने संपूर्ण स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में तथा उस पर अपना मत बनाने के दौरान ध्यान दिया गया है, और इन विषयों पर हम पृथक मत नहीं देते हैं। नीचे वर्णित विषयों को हमने इस रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने हेतु प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारी लेखा परीक्षा में इन मामलों पर कैसे ध्यान दिया गया।
1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों (तालिका 9 देखें, साथ ही तालिका 17 की टिप्पणी 3) में निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान एवं उनके लिए प्रावधान करना। अग्रिम बैंक की कुल परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। गैर-निष्पादित अग्रिमों (एनपीए) की पहचान कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर द्वारा प्रणाली आधारित पहचान के माध्यम से की जाती है, जो उसमें निहित विभिन्न नियंत्रणों एवं तर्कों के आधार पर कार्य करता है। ऐसे गैर-निष्पादित अग्रिमों एवं पुनर्गठित अग्रिमों के संबंध में प्रावधान, अग्रिमों की हानि की मात्रा के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तथा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अनुरूप किए जाते हैं। एनपीए पर प्रावधान उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्यांकन के आधार पर भी किया जाता है। पुनर्गठित खातों के मामले में प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। हमने ऋण एवं अग्रिमों पर एनपीए की पहचान एवं प्रावधान को एक **प्रमुख लेखा परीक्षा विषय** के रूप में चिह्नित किया है क्योंकि इसमें एनपीए की पहचान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रयास शामिल होते हैं। इसके साथ ही, प्रावधान निर्धारण में प्रबंधन के विवेक का उच्च स्तर सम्मिलित होता है (जिसमें वे परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है), एनपीए की संपार्श्विक की मूल्यांकन प्रक्रिया तथा ये सभी अनुमान बैंक के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं।	हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों की स्वीकृति, अभिलेख संधारण और निगरानी पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन तथा अग्रिमों से संबंधित आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों के संबंध में प्रामाणिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ शामिल थीं। विशेष रूप से: • हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा कि वह अग्रिमों से संबंधित आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानों के संबंध में लागू भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों का पालन कैसे करता है। • हमने एनपीए की पहचान की प्रक्रिया, उससे संबंधित आय की वापसी और प्रावधान के निर्माण का आकलन एवं मूल्यांकन किया। • हमने प्रमुख आईटी सिस्टम/ एप्लिकेशन का विश्लेषण किया और समझा, जिनका उपयोग संबंधित नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावशीलता के लिए किया जाता है, जिसमें अग्रिमों से संबंधित आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रणों की भागीदारी भी शामिल है। प्रमुख नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावशीलता और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, हमने यह सत्यापित किया है कि क्या सीबीएस प्रणाली और प्रबंधन दोनों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए हैं: • उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य में कमी की समय पर पहचान की गई है।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारी लेखा परीक्षा में इन मामलों पर कैसे ध्यान दिया गया।
यदि सावधानीपूर्ण मानदंडों को अनुपयुक्त रूप से लागू किया जाए अथवा संपार्श्विक के मूल्य का गलत आकलन किया जाए, तो अग्रिमों की वहन लागत व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से भौतिक रूप से भ्रामक हो सकती है।	• भारतीय रिज़र्व बैंक के कोविड-19 नियामक पैकेज के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण के लाभ के लिए पात्र खातों सहित परिसंपत्ति वर्गीकरण की समय-समय पर निगरानी और पहचान के आधार पर उचित प्रावधान किए गए हैं। • हमने परीक्षण आधार पर समवर्ती लेखा परीक्षाओं, आंतरिक निरीक्षणों, नियामक लेखा परीक्षाओं, राजस्व लेखा परीक्षाओं आदि की रिपोर्टों की समीक्षा की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अग्रिमों में कोई कमियाँ या नकारात्मक पहलू तो नहीं हैं, जिनके लिए अतिरिक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ आवश्यक हों। • हमने आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों के संबंध में संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्टों तथा शाखाओं तथा केन्द्रीय कार्यालय दोनों में सुझाए गए परिवर्तनों के ज्ञापन पर भरोसा किया है।
2. निवेश बैंक का निवेश पोर्टफोलियो सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड, डिबेंचर्स, शेयर, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों से बना है, जिन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – परिपक्वता तक रखे जाने वाले, बिक्री के लिए उपलब्ध और लाभ तथा हानि के माध्यम से निपटाए जाने वाले। निवेश बैंक की कुल परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान तथा उनसे संबंधित आय की गैर-मान्यता और प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्रों / दिशानिर्देशों / निर्देशों के अनुसार किया जाता है। (तालिका 17 की टिप्पणी 5, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के साथ तालिका 8 देखें)। उपरोक्त प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें एफबीआईएल दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, सूचीबद्ध न हुई कंपनियों के वित्तीय विवरण, और प्रतिभूति रसीदों के मामले में एनएवी जैसी विभिन्न स्रोतों से आंकड़ें/जानकारी एकत्र करना शामिल होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, कुछ निवेशों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है, जबकि कुछ निवेशों का मूल्यांकन उन पद्धतियों के आधार पर किया जाता है जिनमें सांख्यिकीय मॉडल शामिल होते हैं, जिनमें अंतर्निहित मान्यताएँ होती हैं, और वित्तीय विवरणों के आधार पर मूल्यांकन के लिए मूल्य का आकलन किया जाता है। इन निवेशों के मूल्यांकन हेतु प्राप्त मूल्य केवल उन निवेशों का एक न्यायसंगत आकलन होता है। इसलिए निवेशों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है और वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि की महत्वपूर्णता को दृष्टिगत रखते हुए, इसे हमारे लेखा परीक्षण में प्रमुख लेखा परीक्षण विषय के रूप में माना गया है।	निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में हमारे लेखा परीक्षण दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन, उनके परिचालन की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं परीक्षण, तथा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अवमूल्यित निवेशों की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में पर्याप्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को शामिल किया गया। विशेष रूप से: • हमने निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अवमूल्यित निवेशों की पहचान, निवेशों पर प्रावधान एवं मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक भारतीय रिज़र्व बैंक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा स्थापित प्रणाली एवं आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन किया और उसे समझा। • चयनित निवेशों के नमूनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति का पुन: मूल्यांकन कर उसकी शुद्धता एवं अनुपालन की जांच की। • हमने अवमूल्यित निवेशों की पहचान की प्रक्रिया, आय की वापसी तथा संबंधित प्रावधान के निर्माण का मूल्यांकन एवं आकलन किया। • हमने स्वतंत्र रूप से बनाए जाने वाले प्रावधान एवं प्रदान किए जाने वाले मूल्यह्रास की पुन: गणना हेतु पर्याप्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं। • हमने यह सुनिश्चित किया कि एकल वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण, लागू लेखांकन मानकों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, निवेशों के मूल्यांकन से संबंधित जोखिमों के प्रति बैंक के जोखिम को उपयुक्त रूप से दर्शाते हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारी लेखा परीक्षा में इन मामलों पर कैसे ध्यान दिया गया।
3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली बैंक की परिचालनात्मक और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ मुख्य रूप से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन्स (सीबीएस) तथा अन्य एकीकृत सॉफ्टवेयरों पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों पर निर्भर करती हैं, जो स्वचालित प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लेन-देन का परिचालन करती हैं। प्रक्रियाओं एवं नियंत्रणों का उद्देश्य उपयुक्त उपयोगकर्ता अभिगम एवं प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना है। बैंक के पास एक इन-हाउस सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, जिसका परिचालन शीर्ष प्रबंधन की निगरानी में विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों के सहयोग से किया जाता है, ताकि आईटी सेवाओं का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जा सके। उक्त के परिप्रेक्ष्य में, हमारी लेखा परीक्षा प्रमुख आईटी प्रणालियों एवं नियंत्रणों पर केंद्रित रही, क्योंकि इनका एकल वित्तीय विवरणों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए इसे हमारी लेखा परीक्षा में एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण विषय के रूप में शामिल किया गया है।	हमने एक मूल्यांकन किया और प्रमुख आईटी एप्लिकेशन, डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान की जो हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने सीबीएस और ट्रेजरी सिस्टम को मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक के रूप में पहचाना है। लेखांकन और वित्तीय जानकारी तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणालियों के लिए, हमारे लेखा परीक्षा के फोकस के क्षेत्रों में अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार युक्त अभिगम पर नियंत्रण सहित), एप्लिकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डेटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क संचालन शामिल थे। विशेष रूप से: • हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और प्रमुख परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। • हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख आईटी प्रणालियों पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया, जिसमें स्वतंत्र विशेषज्ञों से रिपोर्ट प्राप्त करना भी शामिल है। इसमें कार्यों के पृथक्करण का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के नियंत्रणों का मूल्यांकन और विधिवत स्वीकृत अनुरोधों के आधार पर प्रावधानित/संशोधित किए जा रहे अभिगम अधिकारों, समयबद्ध तरीके से निकास मामलों के लिए पहुँच को रद्द करना शामिल था। • हमने लेखापरीक्षा से संबंधित प्रणाली जनित रिपोर्टों के लिए प्रमुख स्वचालित और मैन्युअल व्यापार चक्र नियंत्रणों और उनकी तर्क प्रणाली की भी जांच की है; जिसमें क्षतिपूर्ति नियंत्रणों का परीक्षण शामिल था या यह आकलन करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं, कि क्या कोई अनसुलझे आईटी जोखिम थे जो एकल वित्तीय विवरणों, और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी को भौतिक रूप से प्रभावित करते हों, की भी जांच की है।
4. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे: अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों पर कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयता का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 17 की टिप्पण संख्या 14 और अनुसूची 18 की टिप्पण संख्या 15(आर))। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और जहाँ भी आवश्यक समझा जाता है, कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है। प्रबंधन के निर्णय में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावे और मुकदमे अंतत: देयता का कारण नहीं बनेंगे।	हमने लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त कर ली है, ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को ऐसी रूपरेखा में तैयार कर सकें जो परिस्थितियों के अनुरूप हों। हमने व्यापक रूप से प्रावधानीकरण के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त अंतर्निहित मान्यताओं और अनुमानों की समीक्षा की, लेकिन चूंकि प्रभाव की सीमा भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर है, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हमने मुख्य रूप से उन मान्यताओं और अनुमानों पर भरोसा किया, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा का विषय हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारी लेखा परीक्षा में इन मामलों पर कैसे ध्यान दिया गया।
तथापि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को मुख्य रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जो इस स्तर पर अनिश्चित है। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के उपयोग की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय निर्धारित किया गया है।	हमने दावों और कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है और ऐसे मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थिरता, विभिन्न कर अधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या संचार की जांच करने और उनके आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और अंतिम समाधान पर दावों/मुकदमों के अंतत: देयता में बदल जाने की संभावना, उपलब्ध रिकॉर्ड और आज तक के घटनाक्रमों की समीक्षा के लिए अपने आंतरिक टीम को लगाया है।

अन्य मामले

6. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 1952 शाखाओं और अन्य कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2026 तक ₹2,98,880.60 करोड़ की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹11985.47 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना जाता है। ये शाखाएँ 31 मार्च 2026 तक 42.13 प्रतिशत अग्रिम, 57.16 प्रतिशत जमा और 23.90 प्रतिशत गैर-निष्पादित आस्तियाँ तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 46.42 प्रतिशत राजस्व शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा उन सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गई हैं, तथा जहां तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

7. अपनी लेखापरीक्षा के परिचालन में, हमने संबंधित शाखा के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित 2613 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित रिटर्न पर ध्यान दिया है, जिनके वित्तीय विवरण/सूचना 31 मार्च 2026 तक ₹ 99025.15 करोड़ की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 6354.54 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। ये अलेखापरीक्षित शाखाएं 31 मार्च 2026 तक 19.26 प्रतिशत अग्रिम, 38.50 प्रतिशत जमा और 12.95 प्रतिशत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों तथा समाप्त वर्ष के लिए 24.61 प्रतिशत राजस्व को कवर करती हैं।

   उपरोक्त विषयों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

8. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, बैंक की लाभांश वितरण नीति, व्यवसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, प्रमुख वित्तीय पहलुओं और अन्य शेयरधारक जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उपरोक्त अन्य जानकारी इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

   एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के अंतर्गत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं हैं और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

   एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त अन्य जानकारी को पढ़ना है, और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है, या लेखापरीक्षा में या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

   जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी अधिकारियों (टीसीडब्ल्यूजी) को सूचित करना होगा तथा परिस्थितियों के अनुसार तथा लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करनी होगी।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रभारी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

9. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह भारतीय लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जिसमें लागू लेखांकन मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश और न्यायिक घोषणाएं शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की परिसंपत्तियों की देख-रेख और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। साथ ही, इसमें उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है। ये नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहे थे कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता बनी

रहे, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं, ताकि वे सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करें और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हों।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्रबंधन बैंक की निरंतर परिचालन की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, इससे संबंधित बातों का खुलासा करने और लेखांकन में निरंतर परिचालन के आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि यदि प्रबंधन का बैंक का परिसमापन करने या उसके परिचालन को बंद करने का इरादा हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प उपलब्ध न हो तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

10. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त है, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, परंतु इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानक के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत बयान का पता लगा लेगा। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षण के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हम यह भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की अंकण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- हमें इस बात पर निष्कर्ष निकालना होता है कि प्रबंधन द्वारा निरंतर परिचालन की लेखांकन पद्धति का उपयोग कितना उचित है। साथ ही, प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य के आधार पर, हमें यह भी निर्धारित करना होता है कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो बैंक की निरंतर परिचालन की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमें अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक का निरंतर परिचालन बंद हो सकता है।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें तथा देखें कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

भौतिकता, एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है कि एकल वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों से संप्रेषण करते हैं, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संप्रेषण करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा विषय हैं।

हम इन विषयों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन विषय के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

11. तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

    उपरोक्त पैराग्राफ 6 से 10 में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    ए. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

    बी. बैंक के जो लेन-देन हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं; तथा

    सी. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं।

12. जैसा कि 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या डीओएस.एआरजी. संख्या. 6270/08.91.001/2019-20 द्वारा अपेक्षित है, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीएज़) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व", भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 19 मई, 2020 के बाद के संप्रेषण के साथ पढ़ें, हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

    ए. हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

    बी. वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

    सी. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

    डी. खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

    ई. भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या डीओएस.एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च 2026 तक एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

13. हम आगे यह व्यक्त करते हैं:

ए. हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रिटर्न प्राप्त हुए हैं।

बी. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों तथा उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका उचित तरीके से समायोजन किया है; तथा

डी. हमारे विचार में, तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत न हों।

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005593C

सीए अरुण अग्रवाल
भागीदार
एम.नं. – 409937
यूडीआईएन: 26409937ZDXLJR1924

कृते **जैन पारस बिलाला एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 011046C

सीए पारस बिलाला
भागीदार
एम.नं. – 400917
यूडीआईएन: 26400917VEKXHT3374

कृते **अमित राय एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000483C

सीए अभिषेक शर्मा
भागीदार
एम.नं. – 403861
यूडीआईएन: 26403861VYPBWR3857

कृते **गर्ग अशोक एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 012127N

सीए अशोक कुमार
भागीदार
एम.नं. – 090991
यूडीआईएन: 26090991RQXBWI14075

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30.04.2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 11 (ई) में संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) के पत्र डीओएस.एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) (भा.रि.बैं.) द्वारा अपेक्षित एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमारा मत

1. हमने 31 मार्च, 2026 तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ संयोजन में है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

2. हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और निम्न अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

3. बैंक का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

4. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपना लेखा परीक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार किया, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें, ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से परिचालित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

5. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो एकल वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

6. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

अन्य मामले

7. जहाँ तक हमारी उपरोक्त रिपोर्ट 317 (तीन सौ सत्राह) शाखाओं और 90 (नब्बे) अन्य कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, वह उन शाखाओं के संबंधित केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों / सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस विषय में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005593C

सीए अरुण अग्रवाल
भागीदार
एम.नं. – 409937
यूडीआईएन: 26409937ZDXLJR1924

कृते **जैन पारस बिलाला एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 011046C

सीए पारस बिलाला
भागीदार
एम.नं. – 400917
यूडीआईएन: 26400917VEKXHT3374

कृते **अमित राय एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000483C

सीए अभिषेक शर्मा
भागीदार
एम.नं. – 403861
यूडीआईएन: 26403861VYPBWR3857

कृते **गर्ग अशोक एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 012127N

सीए अशोक कुमार
भागीदार
एम.नं. – 090991
यूडीआईएन: 26090991RQXBWI14075

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30.04.2026

तुलन पत्र

31 मार्च 2026 को लेखापरीक्षित

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	मार्च 31, 2026 को ₹	मार्च 31, 2025 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी		90,514,012	90,514,012
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	294,191,542	274,546,830
जमा	3	4,679,224,895	4,126,971,413
उधार राशि	4	314,808,221	215,919,465
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	116,056,996	83,329,533
कुल		**5,494,795,666**	**4,791,281,253**
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	6	189,528,590	229,311,016
अन्य बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	188,816,798	132,657,454
निवेश	8	1,573,201,450	1,414,352,480
अग्रिम	9	3,369,972,831	2,824,198,724
अचल आस्तियां	10	51,246,953	52,042,772
अन्य आस्तियां	11	122,029,044	138,718,807
कुल		**5,494,795,666**	**4,791,281,253**
आकस्मिक देयताएं	12	2,110,288,905	1,437,014,404
वसूली के लिए बिल	-	97,329,706	82,737,699
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन के नोट	18		

उपर्युक्त उल्लेखित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग हैं.

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेंद्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बी.पुरुषार्थ
निदेशक

मनोरंजन दास
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

शारदा कुमार होता
निदेशक

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 005593सी

सीए अरुण अग्रवाल
पार्टनर
एम. संख्या 409937

अमित रे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000483सी

सीए अभिषेक शर्मा
पार्टनर
एम. संख्या 403861

जैन पारस बिलाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 011046सी

सीए. पारस बिलाला
पार्टनर
एम. संख्या 400917

गर्ग अशोक एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन:012127एन

सीए. अशोक कुमार
पार्टनर
एम.संख्या 090991

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

लाभ एवं हानि खाता

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(000 को छोड़कर)

विवरण		अनुसूची क्रमांक	31-मार्च-26 को समाप्त वर्ष हेतु ₹	31-मार्च-25 को समाप्त वर्ष हेतु ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	360,256,841	336,658,529
	अन्य आय	14	63,157,376	56,423,535
कुल			**423,414,217**	**393,082,064**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	218,553,607	197,689,629
	परिचालन व्यय	16	120,078,404	114,149,311
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		41,096,230	43,390,546
कुल			**379,728,241**	**355,229,486**
III.	पूर्व अवधि मद के पहले कर कटौती वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		43,685,976	37,852,578
	घटाएं: पूर्व अवधि मद		-	-
	पूर्व अवधि मद के पश्चात् वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)		43,685,976	37,852,578
	अग्रिम लाभ/(हानि) शेष		52,722,499	26,913,721
कुल			**96,408,475**	**64,766,299**
IV.	विनियोजन			
	निम्न को अंतरण :			
	संवैधानिक आरक्षित निधियां		10,921,494	9,463,145
	पूंजी आरक्षित निधि		1,397,331	883,270
	निवेश अस्थिर आरक्षित निधि @ 2.5%		2,878,201	-
	निवेश आरक्षित निधि		-	-
	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि		516,700	-
	कर्मचारी कल्याण निधि		-	-
	सामान्य/राजस्व निधि		-	-
	सामान्य आरक्षित निधियां एएफएस		-	-
	सामान्य आरक्षित निधियां एचटीएम		-	-
	सामान्य आरक्षित निधियां एफवीटीपीएल		-	-
	एएफएस आरक्षित निधियां		-	-
	बीमा के बदले निधि		-	-
	लाभांश हेतु अंतरण :			
	प्रस्तावित लाभांश- वरीयता पूंजी		-	-
	अंतरिम लाभांश – इक्विटी पूंजी – जून, सितम्बर एवं दिसम्बर 2025		5,430,840	
	वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही हेतु अंतरिम लाभांश पिछले संगत वित्त वर्ष 2024-25 का लाभांश		5,430,840	1,697,385
	लाभांश कर		-	-
	तुलन पत्र में स्थानांतरित शेष		69,833,069	52,722,499
	(शेयर प्रीमियम के विरूद्ध समायोजित हानि बी/एफ)		-	-
	कुल		**96,408,475**	**64,766,299**
	₹ (₹10/- प्रति शेयर मौद्रिक मूल्य) में ईपीएस (आधार एवं डायल्यूटेड)		4.83	4.36
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
	खातों के लिए नोट्स	18		

उपर्युक्त उल्लेखित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न भाग हैं.

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेंद्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बी.पुरुषार्थ
निदेशक

मनोरंजन दास
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

शारदा कुमार होता
निदेशक

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 005593सी

सीए अरुण अग्रवाल
पार्टनर
एम. संख्या 409937

अमित रे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000483सी

सीए अभिषेक शर्मा
पार्टनर
एम. संख्या 403861

जैन पारस बिलाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 011046सी

सीए. पारस बिलाला
पार्टनर
एम. संख्या 400917

गर्ग अशोक एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन:012127एन

सीए. अशोक कुमार
पार्टनर
एम.संख्या 090991

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

एकल तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति में		31 मार्च 2025 की स्थिति में	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
अधिकृत पूंजी*		100,000,000		100,000,000
जारी, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी				
इक्विटी शेयर: #	90,514,012		90,514,012	
कुल		**90,514,012**		**90,514,012**
*₹10/- प्रति 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर)				
# (₹10/- प्रति 9051401274 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 9051401274 इक्विटी शेयर) – केंद्र सरकार द्वारा धारित 8080391687 इक्विटी शेयर सहित।)				
अनुसूची 2 : आरक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. **संवैधानिक निधियां**				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	43,039,372		33,576,227	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	10,921,494		9,463,145	
		53,960,866		43,039,372
II. **पूंजीगत निधियां**				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	20,016,613		19,133,086	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,608,574		883,527	
		21,625,187		20,016,613
III. **पुनर्मूल्यांकित निधियां**				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	39,216,328		40,847,181	
जोड़े: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन	-		-	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण	607,145		1,630,853	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		38,609,183		39,216,328
IV. **शेयर प्रीमियम**				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	85,961,710		74,666,328	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		11,295,382	
		85,961,710		85,961,710
v. **आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां**				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	1,000,000		1,000,000	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	516,700		-	
		1,516,700		1,000,000

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति में		31 मार्च 2025 की स्थिति में	
	₹	₹	₹	₹
VI. राजस्व एवं अन्य सामान्य निधियां				
i) निवेश अस्थिर निधियां				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	9,071,633		8,502,890	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,878,201		568,743	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
	11,949,834		9,071,633	
ii) निवेश निधियां				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	-		568,743	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-		568,743	
	-		-	
iii) एएफएस निधियां				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	4,865,217		-	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		4,865,217	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	13,390,827		-	
	-8,525,610		4,865,217	
iv) सामान्य आरक्षित निधियां:				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	-12,439,472		-	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		36,974,062	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-			
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-		49,413,534	
	-12,439,472		-12,439,472	
v) राजस्व निधियां				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	31,092,930		29,462,077	
जोड़े: पुनर्मूल्यांकन निधि से अंतरण	607,145		1,630,853	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-			
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
	31,700,075		31,092,930	
उप-योग VI – राजस्व / अन्य सामान्य आरक्षित निधियाँ		22,684,827		**32,590,308**
VII. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष राशि	52,722,499		26,913,721	
वर्ष के दौरान की गई अभिवृद्धि	17,110,570		25,808,778	
लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		69,833,069		52,722,499
कुल		**294,191,542**		**274,546,830**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति में ₹	₹	31 मार्च 2025 की स्थिति में ₹	₹
अनुसूची 3: जमा				
ए. I. मांग जमा				
i) बैंकों से	8,350,883		9,295,157	
ii) अन्य से	207,566,540		194,112,579	
		215,917,423		203,407,736
II. बैंक बचत जमा		2,000,240,110		1,817,614,464
III. सावधि जमा				
i) बैंकों से	2,868,465		4,667,132	
ii) अन्य से	2,460,198,897		2,101,282,081	
		2,463,067,362		2,105,949,213
कुल		**4,679,224,895**		**4,126,971,413**
बी. i) भारत में शाखाओं की जमा		4,679,224,895		4,126,971,413
ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमा		-		-
अनुसूची 4 : उधार				
I. भारत में उधार				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	132,000,000		88,910,000	
ii) अन्य बैंक	75,052,539		25,567,286	
iii) अन्य संस्थान एवं संगठन	89,436,457		81,442,179	
iv) असुरक्षित प्रतिदेय बॉन्ड (सहायक उधार)	-		-	
v) ऊपरी टीयर II बॉन्ड	-		-	
vi) नवोन्मेषी सतत ऋण उपाय	-		-	
vii) असुरक्षित प्रतिदेय एनसी बेसल III बॉन्ड (टीयर II)	15,000,000		20,000,000	
		311,488,996		215,919,465
II. भारत के बाहर से उधार		3,319,225		-
कुल		**314,808,221**		**215,919,465**
उपरोक्त I एवं II में शामिल सुरक्षित उधारियाँ.		**250,031,939**		**155,446,913**
अनुसूची 5 : अन्य प्रावधान एवं देयताएं				
I. देय बिल		11,089,737		9,489,218
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)		24,209		2,552
III. उपार्जित ब्याज		7,075,304		7,853,449
IV. आस्थगित कर देयताएं		-		-
V. अन्य (प्रावधान सहित)		97,867,746		65,984,314
*इसमें वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही हेतु मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹3273.93 करोड़ का प्रावधान (वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही हेतु ₹2706.60 करोड़) तथा वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही हेतु ₹543.08 करोड़ देय लाभांश शामिल है।				
कुल		**116,056,996**		**83,329,533**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति में		31 मार्च 2025 की स्थिति में	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 6 : भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष				
I. **नकद (विदेशी मुद्रा नोट सहित)**		13,783,392		14,200,109
II. **भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष**				
चालू खातों में	137,515,198		184,110,907	
अन्य खातों में	38,230,000		31,000,000	
		175,745,198		215,110,907
कुल		**189,528,590**		**229,311,016**
अनुसूची 7 : बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि				
I. **भारत में**				
i) बैंकों के पास शेष				
ए) चालू खातों में	136,121		127,835	
बी) अन्य जमा खातों में	-		-	
ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि				
ए) बैंकों के पास	-		-	
बी) अन्य संगठनों के पास	5,002,454		1,808,962	
		5,138,575		1,936,797
II. **भारत से बाहर**				
ए) चालू खातों में	2,069,198		1,226,032	
बी) अन्य जमा खातों में	181,609,025		129,494,625	
सी) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-		-	
		183,678,223		130,720,657
कुल		**188,816,798**		**132,657,454**
अनुसूची 8 : निवेश				
I. **भारत में निवेश :***				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	1,288,301,524		1,119,078,012	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर	14,312,806		16,140,697	
iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड	257,055,386		266,439,105	
v) सहायक और प्रायोजित संस्थान	6,272,140		7,395,862	
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फण्ड इकाइयां आदि.)	6,784,709		4,823,919	
		1,572,726,565		1,413,877,595
II. **भारत के बाहर निवेश****		474,885		474,885
विदेश में सहायक और सहयोगी कंपनियां				
कुल		**1,573,201,450**		**1,414,352,480**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति में ₹	₹	31 मार्च 2025 की स्थिति में ₹	₹
* भारत में निवेश				
सकल मूल्य	1,587,840,930		1,429,845,329	
घटाएं: प्रावधान पर मूल्यह्रास	15,114,365		15,967,734	
निवल मूल्य		1,572,726,565		1,413,877,595
** भारत के बाहर निवेश				
सकल मूल्य	474,885		474,885	
घटाएं: प्रावधान पर मूल्यह्रास	-		-	
निवल मूल्य		474,885		474,885
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. सुविधानुसार:				
i) क्रय एवं बट्टाकृत बिल	53,341,211		35,239,769	
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	1,654,636,140		1,374,006,738	
iii) सावधि ऋण	1,661,995,480		1,414,952,217	
कुल		**3,369,972,831**		**2,824,198,724**
बी. अग्रिमों का विवरण :				
i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित (बही ऋण पर अग्रिमों सहित)	2,878,015,514		2,284,895,664	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से कवर	23,076,997		18,375,259	
iii) असुरक्षित	468,880,320		520,927,801	
कुल		**3,369,972,831**		**2,824,198,724**
सी. अग्रिमों का खण्डवृत्त वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिक क्षेत्र	1,528,267,086		1,288,077,807	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	13,953,984		20,016,899	
iii) बैंक	369		-	
iv) अन्य	1,827,751,392		1,516,104,018	
कुल		**3,369,972,831**		**2,824,198,724**
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च तक का शेष	53,840,545		53,752,805	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (पुनर्मूल्यांकन सहित)	65,951		87,740	
कुल	**53,906,496**		**53,840,545**	
वर्ष के दौरान कटौती एवं समायोजन	-		-	
कुल	**53,906,496**		**53,840,545**	
दिनांक तक मूल्यह्रास	12,908,295		12,273,298	
कुल		**40,998,201**		**41,567,247**

(000 को छोड़कर)

विवरण		31 मार्च 2026 की स्थिति में ₹	₹	31 मार्च 2025 की स्थिति में ₹	₹
II.	**अन्य अचल आस्तियां**				
	(फर्नीचर व फिक्सचर सहित)				
	पिछले वर्ष के 31 मार्च तक लागत	32,992,503		43,269,025	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	4,510,268		4,459,114	
	कुल	**37,502,771**		**47,728,139**	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	650,447		14,735,637	
	कुल	**36,852,324**		**32,992,502**	
	दिनांक तक मूल्यह्रास	26,603,572		22,516,977	
	कुल		**10,248,752**		**10,475,525**
कुल (I एवं II)			**51,246,953**		**52,042,772**
अनुसूची 11: अन्य आस्तियां					
I.	उपचित ब्याज	26,416,858		22,877,334	
II.	अग्रिम रूप से कर का भुगतान/स्त्रोत पर कर कटौती(शुद्ध)	35,064,892		36,968,404	
III.	स्टेशनरी एवं मुहरें	336,013		272,128	
IV.	दावों की संतुष्टि के लिए अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां	-		-	
V.	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	16,280,562		31,455,740	
VI.	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-		-	
VII.	अन्य	43,930,719		47,145,201	
कुल			**122,029,044**		**138,718,807**
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं					
I.	ए) बैंक के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		4,205,064		4,173,800
	बी) अपीलों, संशोधनों के अंतर्गत विवादित आयकर मांगें*		59,377,056		65,191,711
II.	**आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश के लिए देयता**		11,270,113		11,780,241
III.	**अग्रिम विनियम अनुबंध बकाया के कारण देयता**		1,857,430,740		1,187,035,182
IV.	**ग्राहक की ओर से दी गई गारंटी**				
	ए) भारत में	107,447,794		99,834,082	
	बी) भारत के बाहर से	961,928		338,240	
			108,409,722		100,172,322
V.	**स्वीकृतियां, समर्थन और अन्य दायित्व**		31,904,221		34,669,411
VI.	**अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है**		37,691,989		33,991,737
कुल			**2,110,288,905**		**1,437,014,404**

* अपीलों एवं पुनरीक्षण के अंतर्गत विवादित कर मांगें (जिसमें आयकर विभाग द्वारा दायर अपीलें शामिल हैं) 31 मार्च 2026 को ₹5130,49,39 (000 को छोड़कर) थीं, जबकि 31 मार्च 2025 को यह ₹5802,75,23 (000 को छोड़कर) थीं। टीडीएस से संबंधित मांग हेतु वित्तीय विवरणों में पहले ही प्रावधान किया जा चुका है।

एकल लाभ एवं हानि खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़कर)

विवरण	मार्च 31, 2026 की स्थिति में ₹	मार्च 31, 2025 की स्थिति में ₹
अनुसूची 13: अर्जित ब्याज		
I. **अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/छूट**	240,497,605	223,390,767
II. **निवेश पर आय**	102,100,962	100,923,963
III. **भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतरबैंक निधियों के पास शेष पर ब्याज**	12,538,285	9,164,034
IV. **अन्य**	5,119,990	3,179,765
कुल	**360,256,841**	**336,658,529**
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. **कमीशन, विनिमय एवं दलाली**	22,327,225	21,803,094
II. **निवेश बिक्री पर लाभ**	10,536,616	10,479,077
कमी: निवेश का बिक्री पर हानि	-	-
III. **निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ**	-	1,448,537
कमी: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	933,308	-
IV. **भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ**	71,415	6
कमी: भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	108,490	243,995
V. **ट्रांजैक्शन विनिमय पर लाभ**	1,828,534	2,249,797
कमी: लेन-देन पर हानि	-	-
VI. **विदेश में/ भारत में सहायक कंपनियों एवं सहयोगियों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय**	177,898	85,085
VII. **विविध आय**	29,257,486	20,601,934
कुल	**63,157,376**	**56,423,535**
अनुसूची 15: व्यय किया गया ब्याज		
I. **जमा पर ब्याज**	210,014,374	184,884,143
II. **भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर्बैंक उधार पर ब्याज**	2,372,234	4,639,812
III. **अन्य**	6,166,999	8,165,674
कुल	**218,553,607**	**197,689,629**

(000 को छोड़कर)

विवरण	मार्च 31, 2026 की स्थिति में ₹	मार्च 31, 2025 की स्थिति में ₹
अनुसूची 16: परिचालन पर व्यय		
I. कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	75,809,337	72,185,670
II. किराया, कर एवं बिजली	6,858,740	6,711,027
III. प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	346,945	380,140
IV. विज्ञापन एवं प्रकाशन	454,999	389,237
V. बैंक की अन्य संपत्तियों पर मूल्यह्रास	5,294,966	5,573,173
VI. निदेशक के शुल्क, भत्ते एवं व्यय	16,033	7,860
VII. लेखापरीक्षकों के शुल्क एवं व्यय (शाखा के लेखापरीक्षकों की शुल्क सहित)	537,371	423,548
VIII. विधि शुल्क	615,502	594,026
IX. डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि	936,287	883,337
X. मरम्मत व रखरखाव	2,170,712	2,078,470
XI. बीमा	5,803,299	4,872,640
XII. अन्य व्यय	21,234,212	20,050,183
कुल	**120,078,404**	**114,149,311**

एकल वित्तीय विवरणो संबंधी टिप्पणियां

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ए) पृष्ठभूमि:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकृत एक निगमित निकाय है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है .बैंक का मुख्य व्यवसाय व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉरपोरेट्स, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के साथ बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है. भारत में व्यवसाय इसकी शाखाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है. बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

बी) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, परिसरों के पुनर्मल्यांकन को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परंपराओं के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, जो चालू व्यवसाय,निरंतरता और उपार्जन की मूलभूत लेखाकंन अवधारणाओं का पालन करतें हैं, और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, इसमें अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित लागू वैधानिक प्रावधान, विनियामक मानदंड शामिल हैं. जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा निर्धारित प्रावधान, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकंन मानक (एएस) और उद्गोषणाएं तथा भारत में बैंकिंग उद्योग के भीतर प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं ।

ये वित्तीय विवरण बैंकिंग विनिमय अधिनियम,1949 की तीसरी अनुसूची के तहत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं ।

सी) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तिथि पर संपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय में विचार किए गए अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले अनुमान विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं । वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

लेखाकंन अनुमानों में किसी भी संशोधन को बदलाव की अवधि से आगे के लिए मान्यता दी जाती है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो ।

डी) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1. नकद एवं नकद समतुल्य:

नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में नकदी और एटीएम, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के साथ शेष राशि तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य सम्मिलित है.

2. राजस्व मान्यता:

2.1 सामान्य

नियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर समान्यत: आय/व्यय का लेखा-जोखा उपार्जन आधार पर किया जाता है.

2.2 निवेशों से आय

ए) निवेशों के विक्रय पर लाभ या हानि को 'लाभ एवं हानि' खाते में लिखा जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को "सांवधिक आरक्षित खाते" में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि के बाद "पूंजीगत आरक्षित खाते" में विनियोजित किया जाता है ।

बी) लाभांश आय को मान्यता तब दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है.

सी) प्रतिभूति प्राप्तियों पर होने वाली राशि को वसूली पर 'अन्य आय' के रूप में मान्यता दी जाती है .

2.3. वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री

बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नानुसार मान्यता दी जाती है:

ए) अनर्जक परिसंपत्तियों की बिक्री का लेखा-जोखा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. जब बैंक अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी (SC)/ पुनर्निर्माण कंपनी (RC) को बेचता है, तो उसे बही-खातों से हटा दिया जाता है.

बी) यदि एससी/एआरसी को बिक्री शुद्ध बही मूल्य (Net Book value) से कम मूल्य पर होती है, तो इस कमी को बिक्री के वर्ष में ही लाभ और हानि खाते से दर्ज किया जाता है.

सी) यदि बिक्री नकद आधार पर शुद्ध बही मूल्य से अधिक कीमत पर होती है, तो अधिशेष को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है.

2.4. शुल्क आधारित आय

साख पत्र, बैंक गारंटी और आस्थगित भुगतान गारंटी पर कमीशन को अवधि के आनुपातिक रूप से उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है. अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है.

2.5 अन्य

आयकर वापसी पर ब्याज का लेखा-जोखा रिफंड आदेश/आयकर विभाग से सूचना प्राप्त होने और बैंक द्वारा उसे स्वीकार किए जाने पर किया जाता है ।

3. अग्रिम:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निदेशों के आधार पर, ऋणों और अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक के रूप में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

ए) सावधि ऋण को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है.

बी) एक ओवरड्राफ्ट या नकद क्रेडिट को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि, खाता "आउट ऑफ आर्डर" रहता है, अर्थात यदि बकाया शेष 90 दिनों की अवधि में लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण सीमा से अधिक रहता है, या यदि 90 दिनों के लिए लगातार कोई जमा नहीं है, या यदि जमा राशि पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

सी) खरीदे गए बिलों को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है.

डी) कृषि अग्रिमों को अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि, (i) छोटी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है;और (ii) लंबी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या ब्याज एक फसल के मौसम के लिए अतिदेय रहता है.

ई) एक कार्यशील पूंजी उधार खाता ,जहां खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए अनियमित आहरण की अनुमति दी जाती है,भले ही इकाई काम कर रही हो या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो.

एफ) ऐसा खाता जहां नियमित/तदर्थ ऋण सीमाओं की नियत तारीख/तदर्थ स्वीकृति की तारीख से 180 दिनों के भीतर समीक्षा या नवीनीकरण नहीं किया गया है ।

जी) भारतीय रिजर्व बैंक(वाणिज्यिक बैंक प्रतिभूतिकरण लेन-देन) निर्देश,2025 के नियमों के तहत किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में,तरलता सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय के लिए बकाया रहती है

एच) व्युत्पन्न लेनदेन के संबंध मे,किसी व्युत्पन्न अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिदेय प्राप्य,भुगतान के लिए निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों की अवधि तक नकद अप्राप्य रहते हैं ।

3.2 अनर्जक परिसंपत्तियों को आरबीआई द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

क) अवमानक : ऐसी ऋण संपत्ति जो 12 माह से कम या उसके बराबर अवधि से अनर्जक रही हो .

ख) संदिग्ध : एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी हुई है.

ग) हानि: ऐसी ऋण संपत्ति जिसमें हानि की पहचान तो कर ली गई है किन्तु राशि को पूर्णत: बट्टे खाते में डाल दिया गया है .

3.3 नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो नीचे निर्धारित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन हैं:

अवमानक परिसंपत्तियां:

i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान.

ii. उन एक्सपोज़र के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (बकाया शेष पर कुल 25 प्रतिशत) जो प्रारंभ से ही असुरक्षित हैं. (जहाँ प्रतिभूति का वसूली योग मूल्य प्रारंभ से ही 10 प्रतिशत से अधिक है.

iii. अवसंरचना अग्रिमों के संबंध में असुरक्षित एक्सपोजर जहां एस्क्रो खाते जैसे कुछ सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं - 20%

संदिग्ध परिसंपत्तियां:	
- सुरक्षित अंश	
एक वर्ष तक	25%
एक से तीन वर्ष तक	40%
तीन साल से अधिक	100%
- असुरक्षित अंश	100%
हानि परिसंपत्तियां	100%

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), लघु आय वाले आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटी द्वारा कवर किये गये अग्रिम।

यदि सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं/गारंटियों के तहत कवर किया गया अग्रिम गैर-निष्पादित हो जाता है, तो गारंटीकृत हिस्से के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। गारंटीकृत हिस्से

से अधिक की बकाया राशि के लिए गैर-निष्पादित आस्तियों पर प्रोविज़निंग के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए।

3.4 अग्रिमों को प्रावधानों (एनपीए के मामले में), विविध में रखी गयी उधारकर्ताओं से वसूली गई अप्राप्त ब्याज और सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से प्राप्त दावों आदि के निवल में दिखाया गया है.

3.5 पुनर्रचित/पुनर्निर्धारित परिसंपत्तियों के लिए, आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि संबंधित ऋण/अग्रिमों के प्रावधान के अलावा, पुनर्रचना से पहले और बाद में ऋणों/अग्रिमों के उचित मूल्य के बीच अंतर प्रदान किया गया है. उचित मूल्य और ब्याज के त्याग में कमी के लिए प्रावधान, यदि कोई उपरोक्त से उत्पन्न हो तो अग्रिमों से कम हो जाता है .

3.6 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किए जाते हैं. ये प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित होते हैं और शुद्ध एनपीए पर पहुंचने के लिए विचार नहीं किया जाता है.

3.7 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक खाते को एक अर्जक परिसंपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह नियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप हो.

3.8 पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों पर वसूल की गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है.

3.9 अभिज्ञात कमजोरी और/अथवा मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट परिसंपत्तियों में विनियामक मानकों से अधिक अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं.

3.10 अनर्जक खातों (आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों सहित) में आंशिक वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है:

i) मूल अतिदेय / अनियमितताएं

ii) अप्राप्त ब्याज

iii) आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाला गया मूलधन

iv) प्रभार रहित ब्याज

v) अप्राप्त शुल्क

दायर किया गया मुकदमा/सरफेसी/वापस लिए गए खातों के मामले में, वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है:

i) बही बकाया शेष

ii) अप्राप्त ब्याज

iii) आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाला गया मूलधन

iv) अप्रयुक्त ब्याज

v) अप्राप्त प्रभार

तथापि, जहां किसी उधारकर्ता खाते को पूर्व की तारीख से अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है, वहां खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने तक की किसी वसूली को पहले ऋण और अग्रिमों पर ब्याज में जमा किया जाता है

4 देश के एक्सपोजर के लिए प्रावधान

परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार रखे गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, अलग-अलग देश एक्सपोजर (गृह देश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं. देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, महत्वहीन, कम, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट और प्रावधान आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए है. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का देश एक्सपोजर (शुद्ध) कुल वित्त पोषित परिसंपत्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देश के एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है.

5. निवेश

वाणिज्यिक बैंकों (दिशानिर्देशों), 2023 के निवेश पोर्टफोलियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश – वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन द्वारा दिए गए आरबीआई आरबीआई/डीओआर/2025-26/162 डीओआर.एमआरजी. आरईसी. नं. 81/00-00-001/2025-26 दिनांक 28.11.2025 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेशों की गणना की जाती है.

5.1 वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निवेश पोर्टफोलियो को (अपनी स्वयं की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को छोड़कर) तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना है, अर्थात, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश उप-श्रेणी होगी। सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को अन्य निवेश श्रेणियों से अलग एक अलग श्रेणी अर्थात एसएजेवी में रखा जाएगा।

अनुसूची 8 में बैलेंस शीट में प्रकटीकरण के लिए, निवेश को भारत में और भारत के बाहर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, भारत में निवेश को आगे वर्गीकृत किया गया है

ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ

बी) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां

सी) शेयरों

डी) डिबेंचर और बॉन्ड

ई) सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम/सहयोगी और प्रायोजित संस्थान; तथा

एफ) अन्य (वाणिज्यिक पत्र और म्यूचुअल फंड की इकाइयां)

भारत के बाहर निवेश को आगे 3 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ

बी) सहायक और संयुक्त उद्यम/सहयोगी

सी) अन्य निवेश

5.2 वर्गीकरण का आधार

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है:

ए) परिपक्वता तक के लिए धारित : परिपक्वता तक बैंक द्वारा धारण किए जाने वाले निवेशों को "परिपक्वता के लिए धारित (हेल्ड फॉर मेचूरिटि, एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो मूल राशि और ब्याज के पूर्ण भुगतान (एसपीपीआई) श्रेणी को पूरा करते हैं.

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध: निवेश, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक धारित करने के उद्देश्य से रखती है और उनके एसपीपीआई वर्गीकरण पूरा करने के पश्चात बिक्री करती है.

सी) एफवीटीपीएल: प्रतिभूतियां जो एचटीएम अथवा एएफएस में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होती है, इन्हें एफवीटीपीएल में वर्गीकृत किया जाता है. एफवीटीपीएल के अंतर्गत एचएफटी एक उप-श्रेणी है.

डी) सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश एक अलग अवधि के लिए धारित होगी अर्थात यह एक अलग श्रेणी है जो अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग है.

ई) केवल वे वित्तीय दस्तावेज एचएफटी में शामिल होंगे जिनमें बिक्री अथवा उनके पूर्ण धारिता के लिए कोई विधिक प्रावाधान नहीं हैं.

5.3 मूल्यांकन

सभी प्रतिभूतियों में लेनदेन एक निपटान तिथि पर दर्ज किए जाते हैं और लागत का निर्धारण भारित औसत लागत विधि पर किया जाता है.

ए) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त प्रोत्साहन, फ्रंट-एंड शुल्क आदि को निवेश की लागत से घटा दिया जाता है.

बी) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन या करों जैसे व्यय राजस्व व्यय के रूप में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं.

सी) ऋण लिखतों पर प्रदत्त / प्राप्त ब्रोकन अवधि ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है.

सभी प्रतिभूतियों को वर्तमान आरबीआई के दिशा-निर्देशों और एफआईएमएमडीए / एफआईबीआईएल एवं स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी किए गए मूल्यों / दरों के अनुसार मूल्यांकित किया जाएगा.

ए) परिपक्वता तक धारित - के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश अधिग्रहण लागत पर किया जाता है. अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य का अंतर परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधन की जाती है. प्रीमियम/डिस्काउंट के इस तरह के परिशोधन को व्यय/आय के रूप में माना जाता है. तथापि, यह आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होगी.

बी) सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश:

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात डेब्ट और इक्विटी) अधिग्रहण लागत पर धारित होगी. किसी ह्रास, अस्थायी प्रकृति के अलावा निवेश, प्रत्येक एकल निवेश के लिए प्रावधान किया जाता है.

सी) बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:

बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों का एकल रूप से बाजार मूल्य या विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत / बही मूल्य का अंतर परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम/छूट के ऐसे परिशोधन को व्यय/आय के रूप में माना जाता है। एएफएस के तहत रखे गए सभी प्रदर्शनकारी निवेशों में मूल्यांकन लाभ और हानि, वर्गीकरण (यानी सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड और डिबेंचर, आदि) के बावजूद, एकत्रित की जाती है। शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना एएफएस-रिजर्व में जमा या डेबिट किया जाता है। हालांकि, वे आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगे।

डी) एफवीटीपीएल (एचएफटी और गैर एचएफटी) के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:

एफवीटीपीएल (एचएफटी और गैर एचएफटी) के रूप में वर्गीकृत निवेशों का एकल रूप से बाजार मूल्य या विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार

निर्धारित उचित मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन पर होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा/डेबिट किया जाता है। एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों के लिए, अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य का अंतर परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम/छूट के ऐसे परिशोधन को व्यय/आय के रूप में माना जाता है। हालांकि, वे आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगे। सभी एचएफटी उपकरणों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है, किसी भी मूल्यांकन परिवर्तन को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है

ई) सरकारी गारंटीकृत सुरक्षा प्राप्तियों के बदले एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को (वित्तीय परिसंपत्ति) की बिक्री के मामले में मूल्यांकन

i) यदि किसी ऋण को बुक वैल्यू (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर एआरसी को हस्तांतरित किया जाता है, तो अतिरिक्त प्रावधान को हस्तांतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में वापस किया जा सकता है, यदि बिक्री प्रतिफल में केवल नकदी और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं।

ii) एसआर का मूल्यांकन समय-समय पर प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाएगा। सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान या गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद बकाया एसआर का मूल्यांकन एक रुपया (₹1) किया जाएगा।

(एफ) गैर-सरकारी गारंटीकृत सुरक्षा प्राप्तियों के बदले एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को (वित्तीय परिसंपत्ति) की बिक्री के मामले में मूल्यांकन

i) जब तनावग्रस्त ऋण को हस्तांतरण के समय एनबीवी से कम कीमत पर एआरसी को हस्तांतरित किया जाता है, तो ऋणदाता उस वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में कमी को डेबिट करेंगे जिसमें हस्तांतरण हुआ है। बैंकों को तनावग्रस्त ऋण के हस्तांतरण पर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए काउंटरसाइक्लिकल या फ्लोटिंग प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति है, जब हस्तांतरण एनबीवी से कम कीमत पर होता है।

ii) दूसरी ओर, जब तनावग्रस्त ऋण को हस्तांतरण के समय एनबीवी से अधिक मूल्य पर एआरसी को हस्तांतरित किया जाता है, तो ऋणदाता हस्तांतरण पर अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष लाभ और हानि खाते में उलट देंगे जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई है और केवल तभी जब प्रारंभिक विचार और / या मोचन या सुरक्षा रसीदों (एसआर) / पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) / एआरसी द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त नकदी की राशि हस्तांतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक है। इसके अलावा, ऐसा उलटफेर उस सीमा तक सीमित होगा जिस सीमा तक प्राप्त नकदी हस्तांतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक है।

iii) एआरसी द्वारा जारी एसआर / पीटीसी / अन्य प्रतिभूतियों में उधारदाताओं द्वारा निवेश को ऐसे दस्तावेजों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा जारी शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) गणना द्वारा आवधिक मूल्यांकन की जाएगी. इसके अलावा, जब स्थानांतरणकर्ता एआरसी को उनके द्वारा स्थानांतरित दबावग्रस्त ऋणों से संबंधित, एआरसी द्वारा जारी एसआर / पीटीसी में निवेश करते हैं, तो हस्तांतरक अपने बहीखातों में निवेश को उसके हस्तांतरण या प्राप्ति तक, ऊपर बताए गए एनएवी के आधार पर प्राप्त एसआर के मोचन मूल्य और हस्तांतरण के समय हस्तांतरित तनावग्रस्त ऋण के एनबीवी में से जो भी कम हो, पर निरंतर आधार पर रखेंगे।

iv) यदि हस्तांतरक, उसके द्वारा हस्तांतरित ऋणों के विरुद्ध जारी एसआर में निवेश, हस्तांतरित परिसंपत्ति के विरुद्ध जारी सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो हस्तांतरक की बहीखातों पर एसआर का मूल्यांकन निम्नलिखित में से जो भी कम हो, वह होगा: i) ऊपर बताए अनुसार प्राप्त मूल्य ii) एसआर का अंकित मूल्य, यदि ऋण हस्तांतरक की बहीखातों पर जारी रहे होते तो लागू काल्पनिक प्रावधान दर से घटाया गया।

जी) ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स वहन लागत पर मूल्यांकित है.

5.4 निवेश(एनपीआई)

निवेश को "वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निदेश), 2023" दिनांक 12.09.2023 और "आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड" के आधार पर अर्जक एवं अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है:"

ए) डेब्ट लिखितों जैसे बॉंड अथवा डिबेंचर्स के मामलों में, ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अवैतनिक

रहता है. इसे वरीयता शेयरों पर लागू किया जाता है जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है.

बी) इक्विटि शेयर के मामले में, यदि नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण में किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश का मूल्य 1 रुपया प्रति कंपनी है तो उन इक्विटि शेयरों की गणना गैर-निष्पादित निवेश के रूप में किया जाएगा.

सी) बैंक एक निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में भी वर्गीकृत करता है, यदि उसी उधारकर्ता/इकाई द्वारा प्राप्त किसी भी क्रेडिट सुविधा को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके विपरीत.

डी) डिबेंचरों/बांडों में निवेश, जिन्हें अग्रिम माना जाता है, वह भी निवेशों पर लागू एनपीआई मानदंडों के अध्यधीन हैं.

ई) जब कोई निवेश एनपीआई के रूप में वर्गीकृत होती है, तो यह अन्य पोर्टफोलियो से अलग होती है और लाभ एवं हानि के शुद्ध मूल्यांकन में शामिल नहीं होती है.

5.5 रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखांकन

बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत आरबीआई और बाजार सहभागियों के साथ रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन में प्रवेश करता है. पुन:क्रय लेनदेन प्रतिभूतियों को रेपो करने के करार के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार लेने का प्रतिनिधित्व करता है.दूसरी ओर रिवर्स रेपो लेनदेन प्रतिभूतियों के क्रय द्वारा ऋण देने का प्रतिनिधित्व करता हैं.

ए) रेपो/रिवर्स रेपो (एलएएफ के अलावा) के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों को ओवरनाइट त्रि-पार्टी रेपो (टीआरईपीएस) लेनदेन और निपटान के रूप में दर्ज किया जाता है.

बी) हालाँकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री/क्रय लेनदेन के मामले में स्थानांतरित किया जाता है और प्रतिभूतियों की ऐसी गतिविधि रेपो/रिवर्स रेपो खातों और अनुबंध प्रविष्टियों का उपयोग करके परिलक्षित होती है.

सी) उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्ति कर दी जाती हैं. रेपो खाते में शेष राशि अनुसूची 4 (उधार राशियां) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि अनुसूची 7 (बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर धन) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

डी) आरबीआई के पास एलएएफ के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों पर व्यय/ अर्जित ब्याज को व्यय/राजस्व के रूप में शामिल किया जाता है.

6. डेरिवेटिव्स:

बैंक तुलन पत्र/तुलनपत्रेतर परिसंपत्तियों और देयताओं पर बचाव के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप और पारस्परिक मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करता है.

6.1 जोखिम न्यूनीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले व्युत्पन्न इस प्रकार है:

ए) ऐसे मामलों में जहां अंतर्निहित परिसंपत्तियों/देनदारियों को बाजार में चिह्नित किया जाता है, वहां अभिलाभ/हानि के परिणाम को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है.

बी) जोखिम न्यूनीकरण स्वैप का बार-बार के अंतरालों पर बाजार मूल्य से मिलान किया जाता है । नेट आधार पर किसी भी मार्क टू मार्केट लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है ।

सी) स्वैप की समाप्ति पर अभिलाभ या हानि को स्वैप के शेष संविदात्मक जीवन या परिसंपत्तियों/देयताओं के शेष जीवन में जो भी कम हो,उसे मान्यता दी जाती है.

6.2 ट्रेडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले व्युत्पन्न इस प्रकार है:

ए) मुद्रा फ्यूचर्स और ब्याज दर फ्यूचर्स को एमसीएक्स-एसएक्स, एनएसई और बीएसई के विनिमय दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक आधार पर बाजार में चिह्नित किया जाता है.

बी) मार्क टू मार्केट लाभ या हानि का हिसाब दैनिक आधार पर मार्जिन खाते में क्रेडिट/डेबिट द्वारा किया जाता है और अंतिम निपटान पर इसे बैंक के लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है.

सी) ट्रेडिंग स्वैप को लगातार अंतराल पर बाजार में चिह्नित किया जाता है. बाजार में होने वाले किसी भी नुकसान और लाभ, यदि कोई हो .को शुद्ध आधार पर दर्ज किया जाता है.

डी) स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत आय/व्यय के रूप में तुरंत दर्ज किया जाता हैं .

7. विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन:

7.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा राशि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके दर्ज किया जाता है.

7.2 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारत की विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) समापन(स्पॉट/फॉरवर्ड) दरें का उपयोग करके की जाती है और लाभ या हानि के परिणाम को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है.

विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें, जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर ले जाया जाता है, लेन देन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता हैं.

विदेशी मुद्रा में अंकित आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई समापन हाजिर दरों का उपयोग करके सूचित किया जाता.

7.3 बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर और वायदा अनुबंधों पुनर्मूल्यांकन निर्दिष्ट परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है. विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध जो व्यापार के लिए नहीं हैं और बकाया हैं तुलन पत्र की तारीख पर, समापन हाजिर दर पर मूल्यांकित किया जाता है.

7.4 मौद्रिक मदों के उन दरों से भिन्न दरों पर निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिस पर वे शुरू में दर्ज किए गए थे, आय के रूप में या उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

7.5 मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति की विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि का निपटान दैनिक आधार पर एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस के साथ किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है.

7.6 बैंक के फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के मामलों में लेखानंक प्रक्रिया, आरबीआई मास्टर निर्देश सं. आरबीआई/डीओआर/2025-26/162 डीओआर. एमआरजी.81/00-00-001/2025-26 दिनांक 28.11.2025 और डेरिवेटिव्स संविदा के लिए लेखांकन पर आईसीएआई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करती है.

8. अस्थिर रिजर्व में निवेश :

अस्थिर रिजर्व में निरंतर आधार पर निवेश किया जाता है अर्थात एएफएस और एफवीटीपीएल पोर्टफोलियो (एचएफटी सहित) का कम से कम 2 प्रतिशत, आईएफआर में ऐसी राशि अंतरित करके जो निम्नलिखित मे से कम हो.

1) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ

2) वर्ष का शुद्ध लाभ, अनिवार्य विनियोजनो को घटाकर

9. अचल परिसंपत्तियां और मूल्यह्रास :

9.1 अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और हानि,यदि कोई हो,को घटाकर दर्शाया जाता है ।जिन परिसंपत्तियों का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है,उन्हें पुनर्मूल्यांकित राशि में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर दर्शाया जाता है।

लागत में खरीद की लागत और संपत्ति के उपयोग के लिए तैयार होने की स्थिति (जो भी पहले हो) में आने से पहले उस पर किए गए सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी,स्थापना लागत,कर,पेशेवरशुल्क आदि शामिल है।

9.2 उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों पर किए गए व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य में होने वाले लाभ में वृद्धि होती है.

9.3 अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके संपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर की जाती है, जैसा नीचे उल्लिखित है

समूह/मदें (व्यय नीति में उल्लिखित अनुसार)	उपयोगी जीवन	मूल्यह्रास पद्धति
1 फर्नीचर और फिक्स्चर		
ए) कार्यालय फर्नीचर और फिक्स्चर	12 वर्ष	एसएलएम
बी) आवासीय फर्नीचर और फिक्स्चर	12 वर्ष	एसएलएम
2. प्लांट और मशीनरी		
ए) सेफ डिपोजिट वॉल्ट और लॉकर	20 वर्ष	एसएलएम
बी) लिफ्ट	20 वर्ष	एसएलएम
सी) कारें और जीप	8 वर्ष	एसएलएम
डी) अन्य वाहन (कारों और जीपों के अलावा)	8 वर्ष	एसएलएम
ई) (i) एयर कंडीशनर/रुम एयर कंडीशनर/वाटर कूलर्स/फ्रैकिंग मशीन/कैलकूलेटर/टाइपराइटर/कार्यालय/मशीनरी,नोट सॉर्टिंग मशीनरी और उपकरण आदि	8 वर्ष	एसएलएम
(ii) आवासीय-विद्धुत/इलेक्ट्रानिक वस्तुएँ	8 वर्ष	एसएलएम
(एफ)कैलकुलेटिंग मशीनें/इनकोडर/एडवांस लेजर	3 वर्ष	एसएलएम
3. कम्प्यूटर/लैपटॉप/आई-पैड/सॉफ्टवेयर/मोबाइल आदि		
(i) कार्यालय-कम्प्यूटर आदि	3 वर्ष	एसएलएम
(ii) आवासीय- कम्प्यूटर आदि	3 वर्ष	एसएलएम

9.4 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे (लीज़) पर ली गई भूमि को फ्रीहोल्ड (पूर्ण स्वामित्व वाली) भूमि माना जाता है और 99 वर्ष या उससे कम की अवधि वाली भूमि को लीजहोल्ड (पट्टाधृत) भूमि माना जाता है। वित्तीय लीजहोल्ड परिसरों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम (यदि कोई हो) को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है, और ऑपरेटिंग लीज पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

9.5 पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामले में, मूल्यह्रास/परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर प्रदान किया जाता है और इसे लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि पर होने वाले क्रमिक मूल्यह्रास/परिशोधन की राशि को 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित' से स्थानांतरित करके 'राजस्व और अन्य आरक्षित' में क्रेडिट किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास, पुनर्मूल्यांकन के समय आकलित परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर लगाया जाता है।

9.6 परिसंपत्तियों पर आकलित मूल्यह्रास, उनके पूंजीकरण की तिथि से दिनों की संख्या के आधार पर लेखा बही में दर्ज किया जाता है। मूल्यह्रास की गणना के लिए सरल रेखा विधि को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है।

9.7 बैंक केवल अचल संपत्तियों,जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, के संबंध में ही पुनर्मूल्यांकन मॉडल का पालन करता है। अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नियमित अंतराल पर, कम से कम हर तीन साल में एक बार, या उससे पहले किया जाता है यदि बाजार की स्थितियों में महत्वपूर्ण बदलावों के कारण या प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहित की गई परिसंपत्तियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाता है।

9.8 प्रति इनवॉइस 5,000 रुपये से कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन्हें अधिग्रहण के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है। हालांकि, जहां ऐसी वस्तुएं किसी बड़ी परिसंपत्ति या प्रणाली का अभिन्न अंग होती हैं, उन्हें संबंधित परिसंपत्ति के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

10 पट्टे

ऑपरेटिंग लीज: ऐसे पट्टे जिनमें स्वामित्व के जोखिम और प्रतिफल पट्टादाता के पास ही रहते हैं, उन्हें एएस-19 (पट्टे) के अनुसार ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग लीज पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान 'सरल रेखा आधार' पर लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

फाइनेंस लीज: वह पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के लगभग सभी जोखिम और प्रतिफल स्वीकार करता है, उसे फाइनेंस लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी अधिग्रहित परिसंपत्तियों को पट्टे की शुरुआत में ही पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

11. परिसंपत्तियों की क्षति:

जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन यह सुनिश्चित करता है कि किसी परिसंपत्ति की वहन राशि पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकती है, तो अचल संपत्तियों की हानि के लिए समीक्षा की जाती है . धारित और उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों की पुनर्प्राप्ति को किसी परिसंपत्ति की वहन राशि की तुलना भविष्य में परिसंपत्ति द्वारा उत्पन्न होने वाले शुद्ध रियायती नकदी प्रवाह से की जाती है . यदि ऐसी परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त है, तो हुई क्षति को उस राशि से मापा जाता है वह राशि जहां परिसंपत्ति की वहन राशि परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है.

12. कर्मचारी लाभ:

12.1 कर्मचारी लाभ उस वर्ष अर्जित किए जाते हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं .

12.2 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट राशि, जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान की जाने की उम्मीद है, उस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

12.3 परिभाषित लाभ योजनाएं:

बैंक द्वारा संचालित ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाओं को लाभ योजनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता हैं .

ए) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है. ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या रोजगार के दौरान मृत्यु होने पर, या सेवा समाप्त होने पर, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राशि एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा, जो कि सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित है. पांच साल की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होती है. बैंक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित फंड में समय-समय पर योगदान देता है.

बी) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है. यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर, या सेवाकाल समाप्त होने पर नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है. नियमों के अनुसार वेस्टिंग अलग-अलग चरणों में होती है. पेंशन देनदारी की गणना सालाना किए गए स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है और बैंक समय-समय पर फंड में ऐसे अतिरिक्त योगदान देता है जो पेंशन नियमों के अंतर्गत लाभों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है.

सी) परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके, प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन से निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ/हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है और स्थगित नहीं किया जाता है

डी) जब योजना के लाभ बदले जाते हैं, या जब किसी योजना में कटौती या निपटान होता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित परिवर्तित लाभ का हिस्सा, या कटौती या निपटान पर लाभ या हानि को, जब योजना में संशोधन होता हैं या जब कटौती या निपटान होता हैं तो उसे तुरंत लाभ या हानि खाते में मान्यता दी जाती है. परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व जैसे कि ग्रेच्युटी, पेंशन फंड और छुट्टी नकदीकरण में योगदान,बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष के अंत में निर्धारित किया जाता है .

ई) बैंक ने नए वेतन कोड के लागू होने के बाद उत्पन्न होने वाली देनदारी के प्रति संविदात्मक/ निश्चित अवधि के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए प्रावधान किया है ।

एफ) बीमांकिक लाभ/हानि उस वर्ष में पहचानी जाती है जब वे जारी होते हैं.

12.4 परिभाषित अंशदान योजना:

भविष्य निधि एक परिभाषित योगदान है जो बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करता है. बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है. ऐसे योगदान लाभ और हानि खाते से प्राभारित किया जाता है .

राष्ट्रीय पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल हुए हैं, यह एक परिभाषित योगदान योजना है. बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है . बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक ही सीमित है . ऐसे योगदान लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है

13. आय पर कर के लिए लेखांकन

आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है. वर्ष के लिए कर के प्रावधान में आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार गणना की गई वर्तमान कर देनदारी और लेखांकन मानक 22 के अनुसार क्रमश: "आय पर कर के लिए लेखांकन" शामिल है.

आस्थगित कर को कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर पर पहचाना जाता है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक अवधि में रिवर्सल में सक्षम होता है. आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती हैं, जहां यह उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरूद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जाएगी.

आस्थगित कर परिसंपत्ति को अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों को आगे बढ़ाने पर मान्यता दी जाती है, यदि इस बात के पुख्ता सबूतों द्वारा समर्थित आभासी निश्चितता है कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के विरुद्ध प्राप्त किया जा सकता है.

वसूली का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है. विवादित कर देनदारियों का हिसाब-किताब मूल्यांकन/ अपील कार्यवाही के अंतिम वर्ष में किया जाता है और उस समय तक उन्हें आकस्मिक देनदारी के रूप में दिखाया जाता है. आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है.

14. प्रावधान, आकस्मिकताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

14.1 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 29, "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति" के अनुरूप, बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है जब किसी अतीत की घटना के परिणामस्वरूप उसके पास वर्तमान दायित्व हो, और इसके परिणामस्वरूप दायित्व को निपटान के लिए समाविष्ट आर्थिक लाभ वाले संभावित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी, और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए .

14.2 कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं है

ए) कोई भी संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ जो पूरी तरह से बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं, या

बी) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि

i) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए समाविष्टआर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी, या

ii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है . इनका मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जाता है और दायित्व का केवल वह हिस्सा जिसके लिए समाविष्ट आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्गमनसंभावित है, प्रदान किया जाता है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है .

14:3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में अनुमानित आधार पर रिवॉर्ड पॉइंट का प्रावधान किया गया है

14.4 आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि इससे ऐसी आय की मान्यता हो सकती है, जो कभी प्राप्त न हो ।

15 विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व और अन्य आरक्षित निधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत बनाया गया विशेष आरक्षित निधि शामिल है.

16. संवर्ग रिपोर्टिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17-खंड रिपोर्टिंग के अनुपालन में, बैंक ने व्यावसायिक खंडों को अपने प्राथमिक रिपोर्टिंग खंडों और भौगोलिक खंडों को अपने द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों के रूप में निर्धारित किया है।

बैंक का परिचालन वर्तमान में भारत तक ही सीमित है और भारत के बाहर कोई भी रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं है। तदनुसार,संवर्ग रिपोर्टिंग संबंधी खुलासे केवल प्राथमिक (व्यावसायिक) खंडों के आधार पर ही प्रस्तुत किए गए हैं।

17. प्रति शेयर आय:

ए) बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 20 - "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय की रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है.

बी) प्रति शेयर मिश्रित आय उस संभावित डेल्यूशन को दर्शाती है जो तब घटित हो सकती है जब वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग या परिवर्तित किया गया हो.वर्ष के दौरान बकाया प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और डिल्यूटिभ संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है.

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेंद्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बी.पुरुषार्थ
निदेशक

मनोरंजन दास
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

शारदा कुमार होता
निदेशक

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 005593सी

अमित रे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000483सी

जैन पारस बिलाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 011046सी

गर्ग अशोक एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन:012127एन

सीए अरुण अग्रवाल
पार्टनर
एम. संख्या 409937

सीए अभिषेक शर्मा
पार्टनर
एम. संख्या 403861

सीए. पारस बिलाला
पार्टनर
एम. संख्या 400917

सीए. अशोक कुमार
पार्टनर
एम.संख्या 090991

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

अनुसूची-18: खाते का भाग बनने वाली टिप्पणियां

1. विनियामक पूंजी:

ए. विनियामक पूंजी की संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
1.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) कटौतियों के बाद (यदि कोई होतो)	33,951.05	31,101.14
2.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	-	-
3.	टियर 1 पूंजी (i+ii)	33,951.05	31,101.14
4.	टियर 2 पूंजी	5,001.33	4,847.66
5.	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	38,952.39	35,948.80
6.	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां (आरडब्ल्यूए)	2,17,513.55	211,184.86
7.	सीएटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के % के रूप में)	15.61%	14.73%
8.	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के % के रूप में)	15.61%	14.73%
9.	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के % के रूप में)	2.30%	2.29%
10.	पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात (सीआरएआर)(जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल संपत्ति)	17.91%	17.02%
11.	लीवरेज अनुपात	5.85%	6.15%
12.	शेयरधारिता का प्रतिशत ए) भारत सरकार	89.27%	89.27%
13.	वर्ष के दौरान जुटाई गई पेड-अप इक्विटी पूंजी की राशि	-	370.46
14.	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें प्रपत्र के अनुसार सूची दें (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर, स्थायी ऋण लिखत इत्यादि) वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) यह भी निर्दिष्ट करें कि क्या प्रपत्र बेसल II या बेसल III के अनुरूप हैं	-	-
15.	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें: प्रपत्र प्रकार (टियर 2 ऋण प्रपत्र) के अनुसार सूची दें वाणिज्यिक बैंक यह भी निर्दिष्ट करें कि लिखत बेसल II या बेसल III के अनुरूप हैं."	-	-

दिनांक 31 मार्च 2026 को बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी ₹9,051.40 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) द्वारा बैंक में कोई नई पूंजी निवेशित नहीं की गई। दिनांक 31 मार्च 2026 को बैंक में भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) की शेयरधारिता 89.27 प्रतिशत थी।

बी) आरक्षित निधि से निकासी

वर्ष के दौरान, लाभ एवं हानि खाते से आरक्षित निधि में कोई निकासी नहीं हुई है.

2. आस्ति-देयता प्रबंधन

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न परिपक्वता वर्गों के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार कुल जमा राशियों, उधारियों, अग्रिमों तथा कुल निवेशों की परिपक्वता-वार स्थिति निम्नानुसार है:-

(राशि ₹ करोड़ में)

अवधि		दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15-30 दिन	31 दिन से -02 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 साल तक	1 साल से अधिक और 3 साल तक	3 साल से अधिक और 5 साल तक	5 साल से अधिक	कुल
जमा	चालू वर्ष	1,310.47	5,426.01	4,226.68	10,544.17	18,912.17	19,625.17	57,876.40	107,729.09	128,953.56	111,572.85	1,745.91	467,922.49
	पिछला वर्ष	789.89	3,832.39	4,112.93	9,059.17	13,236.47	12,655.87	42,283.00	97,304.77	92,636.96	69,325.62	67,460.37	412,697.14
अग्रिम	चालू वर्ष	1,070.40	1,458.74	1,718.74	7,332.09	10,661.50	17,003.00	13,936.72	49,812.19	127,351.24	26,685.86	79,966.79	336,997.28
	पिछला वर्ष	1,091.01	897.33	943.05	16,228.62	12,840.29	12,766.23	9,039.03	22,987.47	110,412.45	22,468.10	72,746.29	282,419.87
निवेश	चालू वर्ष	21,967.17	2,209.56	1,659.60	3,082.81	4,375.75	3,353.50	3,482.65	6,680.78	16,017.59	22,401.40	72,089.34	157,320.15
	पिछला वर्ष	23,119.12	5,422.72	99.82	2,338.30	2,891.91	2,539.85	3,797.01	7,114.23	22,173.02	18,385.73	53,553.54	141,435.25
उधार*	चालू वर्ष	4.68	20,003.19	-	5,000.00	331.92	4.39	-	3,508.78	1,120.38	6.91	0.58	29,980.82
	पिछला वर्ष	4.87	15,544.69	35.92	-	35.92	149.09	216.13	71.14	3,526.90	6.99	0.30	19,591.95
विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति #	चालू वर्ष	522.78	4,610.31	816.48	10,096.47	9,618.66	7,391.25	28,140.40	37,180.36	5,934.29	-	-	104,311.00
	पिछला वर्ष	550.21	3,888.65	658.60	10,194.25	8,445.54	5,965.49	10,886.59	27,039.45	22.34	-	-	67,651.12
विदेशी मुद्रा देयताएं #	चालू वर्ष	362.97	4,169.74	712.86	10,638.43	8,092.48	7,017.71	28,512.54	37,959.83	6,792.41	55.40	-	104,614.36
	पिछला वर्ष	398.27	2,783.70	695.32	10,620.10	8,791.94	5,958.79	10,560.20	26,405.71	1,277.04	193.91	-	67,684.98

नोट: - *टियर II पूंजी के अंतर्गत आने वाले मदों को छोड़कर.

#विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और दायित्व में बैलेंस शीट से बाहर की मदें भी शामिल हैं.

परिसंपत्तियों और दायित्वों का वर्गीकरण बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत रिटर्न के लिए उपयोग किए गए अनुमानों और धारणाओं पर आधारित है. कुल निवेश आंकड़े संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र पर आधारित हैं.

बी. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

बैंक का तरलता जोखिम प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति द्वारा संचालित होता है. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है कि बैंक के पास बिना किसी प्रतिबंध के उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) पर्याप्त मात्रा में हो, जिन्हें एक गंभीर तरलता संकट के दौरान अगले 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद में बदला जा सके.

एलसीआर की गणना इस प्रकार की जाती है:

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियाँ (एचक्यूएलए)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल शुद्ध नकदी प्रवाह}} \geq 100\%$$

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) – मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

एलसीआर घटक		तिमाही समाप्ति 30.06.2025		तिमाही समाप्ति 30.09.2025		तिमाही समाप्ति 31.12.2025		*तिमाही समाप्ति 31.03.2026	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत))	कुल भारित मूल्य (औसत))	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत))	कुल भारित मूल्य (औसत))	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत))	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति									
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)		112,772		134,782		114,581		94,792
नकदी बहिर्गमन									
2	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा जिनमें से:								
(i)	स्थिर जमाएं	28,575	1,429	29,074	1,454	29,733	1,487	30,396	1,520
(ii)	कम स्थिर जमाएं	329,075	32,908	338,296	33,830	344,440	34,444	351,040	35,104
3	असुरक्षित थोक निधियां जिनमें से:								
(i)	परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	-	-	-	-	-	-	-	-
ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	42,304	21,777	48,149	24,522	51,253	26,179	51,859	26,339
iii)	असुरक्षित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
4	रक्षित थोक धन								
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से								
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	9,914	9,914	10,373	10,373	13,866	13,866	13,737	13,737
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण और तरलता सुविधाएं	2,730	2,723	2,911	2,904	2,648	2,641	2,744	2,445
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	3,348	3,348	3,431	3,431	2,907	2,907	4,942	4,942
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	35,425	1,497	35,151	1,493	35,580	1,511	37,569	1,600
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**73,595**		**78,006**		**83,035**		**85,687**
नकदी अन्तर्प्रवाह									
9	सुरक्षित ऋण	505	-	561	-	5	-	-	-
10	पूरी तरह से प्रदर्शन करने वाले एक्सपोज़र से प्रवाह	3,678	3,678	3,863	3,863	3,951	3,951	3,530	3,530
11	अन्य नकदी अन्तर्प्रवाह	25,693	21,944	22,167	18,440	26,012	22,756	27,990	24,938
12	कुल नकदी अन्तर्प्रवाह	29,877	25,622	26,591	22,303	29,968	26,707	31,521	28,468
		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य	
13	कुल एचक्यूएलए		112,772		134,782		114,581		94,792
14	कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह		47,972		55,703		56,329		57,219
15	तरलता कवरेज अनुपात (%)		235.08%		241.96%		203.42%		165.67%

* दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए, बैंक ने विवेकपूर्ण (एहतियाती) उपाय के रूप में बीएलआर 1 के क्रमांक (IX) (ए) के अंतर्गत बहिर्प्रवाहों को सम्मिलित किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड निर्देशों के संदर्भ RBI/DOR/2025-26/151 DOR.CAP.REC.70/21-01-002/2025-26 दिनांक 28 नवम्बर 2025 के अनुसार, औसत भारित एवं गैर-भारित राशियों की गणना साधारण दैनिक औसत लेकर की गई है। बैंक ने जनवरी 2026 से मार्च 2026 की तिमाही के लिए 90 डेटा बिंदुओं पर विचार किया है।

तरलता कवरेज अनुपात – मात्रात्मक प्रकटीकरण

	एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण मदें	व्याख्यात्मक टिप्पणी
ए	एलसीआर परिणामों के मुख्य चालक और इसकी गणना में इनपुट का मूल्यांकन	एलसीआर परिणामों के मुख्य चालक हैं: 1) उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) एलसीआर के प्रमुख संचालकों में से एक है. एचक्यूएलए के प्रमुख हिस्से में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), एफएएलएलसीआर और अतिरिक्त एसएलआर निवेश के अंर्तगत तरलता का लाभ उठाने की सुविधा शामिल है. 2) नकद बहिर्वाह एलसीआर का एक अन्य प्रमुख चालक है. नकदी बहिर्वाह के मुख्य घटक कम स्थिर खुदरा जमा, अन्य कानूनी इकाई से वित्तपोषण और शुद्ध व्युत्पन्न नकदी बहिर्वाह हैं. 3) एलसीआर का एक अन्य प्रमुख संचालक नकद अंतर्वाह है. नकदी प्रवाह के मुख्य घटक प्रतिपक्ष और शुद्ध व्युत्पन्न नकदी प्रवाह द्वारा अंतर्वाह हैं.
बी	अंतर-अवधि परिवर्तन के साथ-साथ समय के साथ परिवर्तन	लागू नहीं
सी	उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति की संरचना	एचक्यूएलए में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. स्तर 1 आस्तियों में अधिशेष एसएलआर निवेश (रेपो, सीबीएलओ, एमएसएफ, सीआरओएमएस, आरटीजीएस, एसजीएफ, एमसीएक्स, एनएससीसीएल आदि हेतु गिरवी रखी गई अन्य प्रतिभूतियों के प्रति भारग्रस्त का शुद्ध) और एमएसएफ के लिए लागू एनडीटीएल (शुद्ध मांग और समय देयताएं) का 2% और एनडीटीएल (एफएएलसीआर) का 16.00% तथा आरबीआई परिपत्र संख्या RBI/DOR/2025-26/163 DOR.LRG.No.82/13-10-001/2025-26 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई रात्रिकालीन शेष राशियाँ सम्मिलित हैं। 2. स्तर 2ए परिसंपत्तियों में राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष (डिस्कॉम) बॉन्ड, राज्य विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड, केंद्र सरकार के सरकारी उपक्रमों द्वारा जारी बांड, वित्त और एए- और उससे अधिक रेटिंग वाले निजी कॉर्पोरेटस के बॉन्ड को छोड़कर , जिसमें वित्त कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है. 3. लेवल 2बी आस्तियों में वित्त कंपनियों को छोड़कर बीबीबी से ए + की रेटिंग वाले कॉर्पोरेट्स के बॉन्ड शामिल हैं. 4. लेवल 2बी आस्तियों में वित्त कंपनियों को छोड़कर निफ्टी/सेंसेक्स शेयर भी शामिल हैं.
डी	निधियन स्रोतों की एकाग्रता	बैंक प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष, प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद/प्रपत्र और प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा ('महत्वपूर्ण' को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि कुल राशि बैंक की देनदारियों के 1% से अधिक है) से उनके वित्तपोषण की निगरानी करके धन की एकग्रता को संबोधित करता है.

एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण मदें		व्याख्यात्मक टिप्पणी
ई)	व्युत्पन्न जोखिम और संभावित संपार्श्विक कॉल	बैंक के व्युत्पन्न जोखिम में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. ओटीसी डेरिवेटिव ए) फॉरवर्ड बी) करेंसी स्वैप सी) ब्याज दर स्वैप 2. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ए) करेंसी फ्यूचर बी) ब्याज दर फ्यूचर यदि ट्रेड एक्सचेंज पर होते हैं या निपटान केंद्रीय प्रतिपक्ष के माध्यम से होता है और इसकी गारंटी दी जाती है और यह भी कि क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स (सीएसए) जो आईएसडीए मानक करार के लिए एक अनुलग्नक हो,जो प्रतिपक्षों के साथ हस्ताक्षरित है, तो संभावित संपार्श्विक काल की स्थिति उत्पन्न होती हैं. वर्तमान में, बैंक के पास किसी भी प्रतिपक्ष के साथ क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स नहीं है. अत: कोई संभावित संपार्श्विक कॉल उत्पन्न नहीं होगी. करेंसी फ्यूचर और ब्याज दर फ्यूचर के अंर्तगत व्यापारों के जोखिम के लिए बैंक संपार्श्विक (सरकारी-प्रतिभूति) के रूप में मार्जिन बनाए रखता हैं और इसे जोखिम की मात्रा और बाजार में अस्थिरता के आधार पर रखा जा रहा है. सभी इंटरबैंक यूएसडी/आईएनआर स्वैप और फॉरवर्ड का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से किया जाता है जो एक केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) है. बैंक इंटरबैंक यूएसडी/आईएनआर विनिमय और फॉरवर्ड के गारंटीकृत निपटान के लिए सीसीआईएल के साथ संपार्श्विक (सरकारी-प्रतिभूति) के रूप में मार्जिन बनाए हुए है. मार्जिन की मात्रा, एक्सपोजर की मात्रा और संबंधित बाजारों में अस्थिरता पर निर्भर करती है. जब कभी इसके लिए मांग की जाती है तो एक्सचेंज/सीसीपी के पास अतिरिक्त मार्जिन रखा जाता है.
एफ)	एलसीआर में मुद्रा असंतुलन	संभावित मुद्रा असंतुलन को रोकने के लिए, प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा में एलसीआर की निगरानी की जाती है. एक मुद्रा को "महत्वपूर्ण" तब माना जाता है, यदि उस मुद्रा में अंकित कुल देनदारियां बैंक की कुल देनदारियों का 5 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती हैं. एलसीआर में बैंक की मुद्रा में असंतुलन नहीं है क्योंकि बैंक के पास 'महत्वपूर्ण' मुद्रा में एक्स्पोजर नहीं है.
जी)	तरलता प्रबंधन का केंद्रीकरण की डिग्री और समूह की इकाइयों के बीच समन्वय	बैंक में तरलता प्रबंधन एएलएम और ट्रेजरी टीम द्वारा केंद्रीकृत और निगरानी की जाती है. ट्रेजरी, एएलएम टीम और अन्य कार्यात्मक इकाइयों के बीच बातचीत निर्बाध है.
एच)	एलसीआर गणना में अन्य अंतर्वाह और बहिर्वाह जो एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में दर्ज नहीं हैं, लेकिन जिसे संस्थान अपनी लिक्विडिटी प्रोफ़ाइल के लिए प्रासंगिक मानता है.	कोई नहीं
आई)	अन्य जानकारी	अनाहरित ऋण और चलनिधि प्रतिबद्धताओं सहित अन्य आकस्मिक देयताओं का भी उपयुक्त रूप से समाधान किया जाता है.

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही हेतु औसत एलसीआर 165.67% था, जबकि 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए यह 194.89% था तथा यह नियामकीय रूप से निर्धारित 100% की न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक था। दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए औसत उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) ₹94,792.00 करोड़ थीं, जबकि 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए यह ₹92,665.00 करोड़ थीं।

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए औसत एलसीआर 210.35% था, जबकि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए यह 215.75% था।

सी) निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर):

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तरलता मानकों पर बेसल-III रूपरेखा के अंतर्गत जारी परिपत्र संख्या RBI/DOR/2025-26/163 DOR.LRG.No.82/13-10-001/2025-26 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) की गणना करता है तथा उसका अनुरक्षण करता है।

एनएसएफआर का उद्देश्य एक वर्ष तक की लंबी अवधि के दौरान निधियन जोखिम में कमी सुनिश्चित करना है. इसके अंतर्गत बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे अपनी परिसंपत्तियों और बैलेंस शीट से बाहर की गतिविधियों की संरचना के अनुसार पर्याप्त रूप से स्थिर वित्तीय स्त्रोतों से निरंतर रूप से अपनी गतिधियों का वित्तपोषण करें. एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य धन के नियमित स्त्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है. एनएसएफआर अल्पकालिक थोक वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता को सीमित करता है, और बैलेंस शीट से बाहर सभी मदों में वित्त पोषण जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और वित्त पोषण में स्थिरता को बढ़ावा देता है .

एनएफएसआर को आवश्यक स्थिर वित्तपोषण की मात्रा के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है. उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण को उस पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो एनएसएफआर द्वारा निर्धारित समय सीमा एक वर्ष के दौरान विश्वसनीय माने जाते हैं. आवश्यक स्थिर वित्तपोषण की राशि बैंक द्वारा रखी गई विभिन्न परिसंपत्तियों की तरलता विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ बैलेंस शीट से बाहर की देनदारियों की प्रकृति पर निर्भर करती है. उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा निर्धारित बेसेल III पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के अनुसार कुल विनियामक पूंजी और खुदरा ग्राहकों, लघु व्यवसायों और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों से प्राप्त जमा राशि द्वारा संचालित होता है. आवश्यक स्थिर वित्त पोषण (आरएसएफ) के अंर्तगत, मुख्य रूप से एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाली बंधक रहित निष्पादित ऋण प्रमुख कारक होते हैं.

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{(उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ))}}{\text{(आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ))}} \geq 100\%$$

दबावग्रस्त परिदृश्यों के लिए रन ऑफ फैक्टर्स देनदारियों की विभिन्न श्रेणियों (अर्थात जमा, असुरक्षित और सुरक्षित थोक उधार), अनाहरित प्रतिबद्धताओं, व्युत्पन्न-संबंधी जोखिमों आदि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं, इन देनदारियों से होने वाले बहिर्गमन की गणना उन्हीं अवधियों में परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से होने वाले अंतर्वाह से संतुलित की जाती है.और उसी समय अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से उत्पन्न अंतर्वाहों के साथ निर्धारित किए जाते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर आवश्यकता 100% है.

बैंक का तरलता जोखिम प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति द्वारा शासित होता है. आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) एक निर्णय लेने वाली इकाई है ,जो बैंक की तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन रणनीति को अपने जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप लागू करने के लिए जिम्मेदार है और बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता/सीमाओं का पालन सुनिश्चित करती है.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार स्वतंत्र आधार पर ₹3,22,667.02 करोड़ की आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफ) आवश्यकता के सापेक्ष ₹4,41,752.69 करोड़ की उपलब्ध स्थिर निधि (एएसएफ) बनाए रखी। साथ ही मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 136.91% रहा।

एनएसएफआर घटकों का मात्रात्मक प्रकटीकरण इस प्रकार है :

एनएसएफआर प्रकटीकरण		मार्च-26					दिसं-25			
(₹ करोड़ में)		शेष परिपक्वता अवधि के आधार पर भाररहित मूल्य				राशि ₹ करोड़ में	शेष परिपक्वता अवधि के आधार पर भाररहित मूल्य			
		परिपक्वता नही★	<6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	>= 1 वर्ष	भारित मूल्य	परिपक्वता नही★	<6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	>= 1 वर्ष
एएसएफ मद										
1	पूंजी: (2+3)	38653.40	0.00	0.00	1500.00	40153.40	36481.92	0.00	0.00	1500.00
2	नियामक पूंजी	38653.40	0.00	0.00	1500.00	40153.40	36481.92	0.00	0.00	1500.00
3	अन्य पूंजी उपकरण		0.00	0.00				0.00	0.00	
4	खुदरा जमाएं तथा लघु व्यावसायिक ग्राहकों की जमाएं : (5+6)	0.00	0.00	362633.27	0.00	338253.60	0.00	0.00	345238.47	0.00
5	स्थिर जमाएं	0.00	0.00	237672.99	0.00	225789.34	0.00	0.00	227004.57	0.00
6	कम स्थिर जमाएं	0.00	0.00	124960.28	0.00	112464.25	0.00	0.00	118233.90	0.00
7	थोक निधिकरण : (8+9)	28499.96	30935.93	16294.20	2667.53	29065.79	25782.72	20741.75	19757.05	3201.93
8	परिचालन जमाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधिकरण	28499.96	30935.93	16294.20	2667.53	29065.79	25782.72	20741.75	19757.05	3201.93
10	अन्य देयताएं : (11+12)	33716.85	6054.60	3745.62	34279.90	34279.90	31091.75	19834.73	3419.38	40965.25
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		0.00	0.00	0.00			249.46	0.00	0.00
12	उपर्युक्त श्रेणियों में सम्मिलित नहीं की गई अन्य सभी देयताएं एवं इक्विटी	33716.85	6054.60	3745.62	34279.90	34279.90	31091.75	19585.27	3419.38	40965.25
13	**कुल एएसएफ (1+4+7+10)**					**441752.69**				
आरएसएफ मद										
14	एनएसएफआर हेतु कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)					5561.13				
15	परिचालन प्रयोजनों हेतु अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	निष्पादित ऋण एवं प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	0.00	1065.58	6169.20	161182.78	127808.23	0.00	146.70	4986.11	141094.96
17	स्तर-1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को दिए गए निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर-1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित तथा वित्तीय संस्थानों को दिए गए असुरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	1065.58	6169.20		3244.44	0.00	146.70	4986.11	
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को दिए गए निष्पादित ऋण, खुदरा एवं लघु व्यावसायिक ग्राहकों को दिए गए ऋण तथा संप्रभु सरकारों, केंद्रीय बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ऋण, जिनमें से:	0.00	0.00	0.00	119150.37	97242.73	0.00	0.00	0.00	112962.68
20	बेसल-II के ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% अथवा उससे कम जोखिम भार वाले	0.00	0.00	0.00	20175.42	13114.02	0.00	0.00	0.00	18581.08
21	निष्पादित आवासीय बंधक ऋण, जिनमें से:	0.00	0.00	0.00	42032.41	27321.07	0.00	0.00	0.00	28132.28
22	बेसल-II के ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% अथवा उससे कम जोखिम भार वाले	0.00	0.00	0.00	42032.41	27321.07	0.00	0.00	0.00	28132.28
23	ऐसी प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट नहीं हैं तथा एचक्यूएलए के लिए पात्र नहीं हैं, जिनमें एक्सचेंज में व्यापार की गई इक्विटी भी सम्मिलित हैं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	अन्य परिसंपत्तियां : (पंक्ति 25 से 29 का योग)	0.00	60044.72	44635.48	138710.99	186221.52	0.00	55592.75	39886.20	146734.37
25	भौतिक रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुएं, स्वर्ण सहित	0.00				0.00	0.00			
26	व्युत्पन्न संविदाओं हेतु प्रारंभिक मार्जिन के रूप में रखी गई परिसंपत्तियां तथा केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के डिफॉल्ट फंड में अंशदान		0.00	0.00	33879.93	28797.94		0.00	0.00	25384.04
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न परिसंपत्तियां		995.01	0.00	0.00	995.01		0.00	0.00	0.00
28	पोस्ट किए गए परिवर्तनशील मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		161.54	0.00	0.00	161.54		57.10	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में सम्मिलित नहीं की गई अन्य सभी परिसंपत्तियां	0.00	58888.17	44635.48	104831.06	156267.03	0.00	55535.65	39886.20	121350.33
30	ऑफ-बैलेंस शीट मदें				67135.19	3076.13				34208.62
31	**कुल अपेक्षित स्थिर निधिकरण (आरएसएफ) : (14+15+16+24+30)**					322667.02				
32	निवल स्थिर निधिकरण अनुपात (%)					136.91%				

	सितं-25					जून-25				
राशि ₹ करोड़ में	शेष परिपक्वता अवधि के आधार पर भाररहित मूल्य				राशि ₹ करोड़ में	शेष परिपक्वता अवधि के आधार पर भाररहित मूल्य				राशि ₹ करोड़ में
भारित मूल्य	परिपक्वता नही★	<6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	>= 1वर्ष	भारित मूल्य	परिपक्वता नही★	<6 माह	6 माह से < 1वर्ष	>= 1 वर्ष	भारित मूल्य
37981.92	36409.57	0.00	0.00	1500.00	37909.57	36360.70	0.00	0.00	1500.00	37860.70
37981.92	36409.57	0.00	0.00	1500.00	37909.57	36360.70	0.00	0.00	1500.00	37860.70
		0.00	0.00				0.00	0.00		
322064.85	0.00	0.00	345634.65	0.00	322429.09	0.00	0.00	334401.90	0.00	311987.31
215654.34	0.00	0.00	227157.97	0.00	215800.07	0.00	0.00	220511.96	0.00	209486.36
106410.51	0.00	0.00	118476.69	0.00	106629.02	0.00	0.00	113889.94	0.00	102500.94
25535.16	25049.84	16590.88	23362.40	3797.74	27085.32	21687.00	13143.10	19261.38	8194.69	27205.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25535.16	25049.84	16590.88	23362.40	3797.74	27085.32	21687.00	13143.10	19261.38	8194.69	27205.93
40965.25	3658.64	11317.94	234.93	36383.12	36383.12	3427.98	5476.50	192.55	37804.62	37804.62
		233.74	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40965.25	3658.64	11084.20	234.93	36383.12	36383.12	3427.98	5476.50	192.55	37804.62	37804.62
426547.18					**423807.10**					**414858.56**
7869.65					9956.89					9052.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113103.11	0.00	2677.97	1671.34	133214.77	104991.77	0.00	656.48	1784.58	128597.19	100731.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2515.06	0.00	2677.97	1671.34		1237.37	0.00	656.48	1784.58		990.76
92302.06	0.00	0.00	0.00	104448.75	85056.50	0.00	0.00	0.00	99764.42	80999.01
12077.70	0.00	0.00	0.00	18624.70	12106.06	0.00	0.00	0.00	19003.76	12352.44
18285.98	0.00	0.00	0.00	28766.01	18697.91	0.00	0.00	0.00	28832.77	18741.30
18285.98	0.00	0.00	0.00	28766.01	18697.91	0.00	0.00	0.00	28832.77	18741.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190261.64	0.00	50186.84	28340.54	128404.87	165185.27	0.00	46066.08	22216.07	138729.03	171160.78
0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
21576.43		0.00	0.00	14160.30	12036.26		0.00	0.00	8856.16	7527.74
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20.12	0.00	0.00	20.12
57.10		54.65	0.00	0.00	54.65		39.07	0.00	0.00	39.07
168628.10	0.00	50132.19	28340.54	114244.57	153094.37	0.00	46006.89	22216.07	129872.87	163573.86
1444.22				35838.63	1528.01				34460.49	1461.13
312678.61					281661.95					282405.91
136.42%					150.47%					146.90%

3. निवेश

ए. निवेशों के वहन मूल्य एवं उचित मूल्य का प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष (2025-26)							गत वर्ष (2024-25)						
	एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		सहायक कंपनियां, सहयोगी संस्थाएं एवं संयुक्त उपक्रम		एचटीएम		एएफएस	एफवीटीपीएल		सहायक कंपनियां, सहयोगी संस्थाएं एवं संयुक्त उपक्रम	
	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश	**109,168.89**	**106,422.18**	**43,494.60**	**2,559.77**	**2,933.62**	**627.21**	**627.21**	**98,765.04**	**99,386.69**	**39,287.52**	**1,119.04**	**3,005.15**	**807.79**	**807.79**
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	88,205.88	85,575.17	38,517.29	2,106.98	-	-	-	77,542.95	78,172.22	33,778.10	586.76	-	-	-
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) शेयर	-	-	293.87	228.90	1,323.93	-	-	-	-	284.98	532.28	1,258.96	-	-
(iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड्स	20,963.01	20,847.01	4,378.51	25.06	658.25	-	-	21,222.09	21,214.48	4,919.51	-	764.67	-	-
(v) सहायक कंपनियां, सहयोगी संस्थाएं एवं संयुक्त उपक्रम	-	-	-	-	-	627.21	627.21	-	-	-	-	-	807.79	807.79
(vi) अन्य	-	-	304.93	198.83	951.44	-	-	-	-	304.93	-	981.52	-	-
कुल	**109,168.89**	**106,422.18**	**43,494.60**	**2,559.77**	**2,933.62**	**627.21**	**627.21**	**98,765.04**	**99,386.69**	**39,287.52**	**1,119.04**	**3,005.15**	**807.79**	**807.79**
घटाएं: मूल्यह्रास/ एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	655.49	9.49	846.46	-	-	-	-	666.76	9.49	920.52	-	-
निवल	**109,168.89**	**106,422.18**	**42,839.11**	**2,550.28**	**2,087.16**	**627.21**	**627.21**	**98,765.04**	**99,386.69**	**38,620.76**	**1,109.55**	**2,084.63**	**807.79**	**807.79**
II. भारत के बाहर निवेश	-	-	-	-		47.49	47.49	-	-	-	-	-	47.49	47.49
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) सहायक कंपनियां, सहयोगी संस्थाएं एवं संयुक्त उपक्रम	-	-	-	-		47.49	47.49	-	-	-	-	-	47.49	47.49
(iii) अन्य निवेश	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.49**	**47.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.49**	**47.49**
घटाएं: मूल्यह्रास/ एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल	**-**	**-**	**-**	**-**		**47.49**	**47.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.49**	**47.49**
कुल निवेश (I+II)	**109,168.89**	**106,422.18**	**43,494.60**	**2,559.77**	**2,933.62**	**674.70**	**674.70**	**98,765.04**	**99,386.69**	**39,287.52**	**1,119.04**	**3,005.15**	**855.28**	**855.28**

बी. तुलन-पत्र में उचित मूल्य पर मापे गए निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष (2025-26)								गत वर्ष (2024-25)							
	एएफएस				एफवीटीपीएल				एएफएस				एफवीटीपीएल			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल3	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल3	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल3	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल3	कुल
I. **भारत में निवेश**	42,382.01	195.44	261.67	**42,839.11**	2,638.28	749.71	1,400.72	**4,788.71**	38,165.04	219.17	236.55	**38,620.76**	1,536.18	386.09	1,271.91	**3,194.18**
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	38,517.29	-	-	**38,517.29**	2,106.98	-	-	**2,106.98**	33,778.10	-	-	**33,778.10**	586.76	-		**586.76**
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-		**-**
(iii) शेयर	0.93	-	261.67	**262.60**	370.68	-	949.27	**1,319.95**	17.16	-	236.55	**253.71**	522.79	-	837.56	**1,360.36**
(iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड्स	3,863.78	195.44	-	**4,059.22**	132.43	550.87	-	**683.31**	4,369.78	219.17	-	**4,588.95**	378.58	386.09	-	**764.67**
(v) सहायक कंपनियां, सहयोगी संस्थाएं एवं संयुक्त उपक्रम	-		-	**-**		-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
(vi) अन्य	-	-	-	**-**	28.19	198.83	451.45	**678.47**	-	-	-	**-**	48.05	-	434.34	**482.39**
कुल	**42,382.01**	**195.44**	**261.67**	**42,839.11**	**2,638.28**	**749.71**	**1,400.72**	**4,788.71**	**38,165.04**	**219.17**	**236.55**	**38,620.76**	**1,536.18**	**386.09**	**1,271.91**	**3,194.18**
II. **भारत के बाहर निवेश**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
(i) सहायक कंपनियां, सहयोगी संस्थाएं एवं संयुक्त उपक्रम	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
(iii) अन्य निवेश	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
कुल	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
कुल निवेश (I+II)	**42,382.01**	**195.44**	**261.67**	**42,839.11**	**2,638.28**	**749.71**	**1,400.72**	**4,788.71**	**38,165.04**	**219.17**	**236.55**	**38,620.76**	**1,536.18**	**386.09**	**1,271.91**	**3,194.18**

सी. एएफएस-आरक्षित तथा लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त स्तर-3 वित्तीय लिखतों पर शुद्ध लाभ/(हानि)

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
एएफएस- आरक्षित में मान्यता प्राप्त	22.87	204.09
लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त	75.50	210.66

डी. एचटीएम श्रेणी से की गई बिक्री का विवरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

		चालू वर्ष	गत वर्ष
ए	एचटीएम में प्रतिभूतियों का प्रारंभिक वहन मूल्य	80,800.00	78,762.00
बी	वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	13,266.10	8,500.83
सी	घटाएं : नियामकीय सीमा से छूट प्राप्त की परिस्थितियों में बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	9,242.48	4,771.96
डी	बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (डी = बी - सी)	4,023.62	3,728.87
ई	एचटीएम में प्रतिभूतियों के प्रारंभिक वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियां (ई=डी÷ए)	4.98	4.73
एफ	एचटीएम में प्रतिभूतियों के प्रारंभिक वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियां	286.48	181.13

ई. निवेशों की श्रेणियों के मध्य पुनर्वर्गीकरण के संबंध में प्रकटीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन) निदेश, 2025 के अनुसार निवेशों की श्रेणियों के मध्य पुनर्वर्गीकरण का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
वर्ष के दौरान निवेशों की श्रेणियों (अर्थात् एचटीएम, एएफएस तथा एफवीटीपीएल) के मध्य पुनर्वर्गीकृत निवेशों की राशि	-	-

एफ. गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान एवं निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में परिवर्तन का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	एनपीआई के संबंध में धारित प्रावधानों में परिवर्तन		
	ए) प्रारंभिक शेष	1,596.77	5,614.64
	बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.45	195.33
	सी) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना / प्रत्यावर्तन	85.78	4,213.20
	डी) अंतिम शेष	1,511.44	1,596.77
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित राशि में परिवर्तन		
	ए) प्रारंभिक शेष	907.16	850.29
	बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	287.82	56.87
	सी) घटाएं: आहरित राशि	-	-
	डी) अंतिम शेष	1,194.98	907.16
iii)	एएफएस तथा एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) श्रेणी में निवेशों के समापन शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर का समापन शेष	2.44	2.09

जी. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
ए)	प्रारंभिक शेष	1,596.77	1,917.24
बी)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान की गई वृद्धियां	0.45	15.50
सी)	उपरोक्त अवधि के दौरान की गई कटौतियां	85.78	335.97
डी)	अंतिम शेष	1,511.44	1,596.77
ई)	धारित कुल प्रावधान	1,511.44	1,596.77

ii. गैर-एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता-वार संरचना : दिनांक 31 मार्च 2026

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि		निजी नियोजन की सीमा		निवेश ग्रेड से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा		रेटिंग रहित' प्रतिभूतियों की सीमा		असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
ए)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3,539	4,348	25	100	-	-	260	330	2,330	2878
बी)	वित्तीय संस्थान	3,268	3,209	175	1,175	-	-	803	687	910	805
सी)	बैंक	1,219	1,287	25	400	-	-	71	181	749	386
डी)	निजी कॉरपोरेट संस्थाएं	2,241	2,131	411	50	304	455	1,016	861	1,205	852
ई)	सहायक कंपनियां / सहयोगी संस्थाएं	675	787	-	-	-	-	675	787	675	787
एफ)	अन्य	19,059	19,362	-	-	-	-	19,059	19,362	18,892	18,992
	कुल	**30,001**	**31,124**	**636**	**1,725**	**304**	**455**	**21,883**	**22,207**	**24,760**	**24,700**
जी)	एनपीआई के संबंध में धारित प्रावधान	1,511	1,597	-	-	304	455	1,165	1,142	1,489	1,573
	शुद्ध योग	28,490	29,527	636	1,725	0	-	20,718	21,065	23,272	23,127

टिप्पणी: उपर्युक्त स्तंम्भ 4,5,6 और 7 के अंतर्गत दर्शायी गई राशिया परस्पर अनन्य नहीं है.

एच. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य एवं बाजार मूल्य के संदर्भ में)

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए रेपो समझौते के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च 2026 को बकाया	
i)	रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी
ए)	सरकारी प्रतिभूतियां	15	15	20,992	20,879	3,513	3,484	20,992	20,879
बी)	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
सी)	अन्य कोई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
ii)	रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां								
ए)	सरकारी प्रतिभूतियां	5	5	31,265	31,581	4,343	4,408	505	489
बी)	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
सी)	अन्य कोई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी: एफवी- अंकित मूल्य, एमवी- बाजार मूल्य

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रेपो समझौते के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च 2026 को बकाया	
i)	रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां	एएफवी	एमवी	एएफवी	एमवी	एएफवी	एमवी	एएफवी	एमवी
ए)	सरकारी प्रतिभूतियां	50	52	18,160	18,347	2,616	2,627	11,541	11,595
बी)	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
सी)	अन्य कोई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
ii)	रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां								
ए)	सरकारी प्रतिभूतियां	5	5	1,533	1,549	25	25	175	178
बी)	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
सी)	अन्य कोई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : एफवी- अंकित मूल्य, एमवी- बाजार मूल्य

आई. दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार सरकारी प्रतिभूति उधार लेनदेन का विवरण (बाजार मूल्य के संदर्भ में) निम्नानुसार है :

बैंक द्वारा वर्ष के दौरान तथा पूर्ववर्ती वर्ष में कोई सरकारी प्रतिभूति उधार लेनदेन नहीं किया गया है।

4. परिसंपत्ति गुणवत्ता :

ए) अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक		गैर-निष्पादित								कुल	
	कुल मानक अग्रिम		उप-मानक		संदिग्ध		हानि		कुल गैर-निष्पादित			
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए												
प्रारंभिक शेष	280,876.62	240,404.00	2,383.33	2,294.96	5,720.06	7,559.02	1,121.39	1,486.36	9,224.78	11,340.34	290,101.40	251,744.34
जोड़ें : वर्ष के दौरान की गई वृद्धि									3,267.31	3,494.58	3,267.31	3,494.58
घटाएँ : वर्ष के दौरान की गई कमी									3,307.05	5,610.15	3,307.05	5,610.15
अंतिम शेष	335,331.42	280,876.62	2,890.65	2,383.33	5,222.52	5,720.06	1,071.88	1,121.39	9,185.04	9,224.78	344,516.47	290,101.40
सकल गैर-निष्पादित आस्तियों में निम्नलिखित कारणों से हुई कमी :												
i) उन्नयन									442.48	659.61	442.48	659.61
ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों से प्राप्त वसूली को छोड़कर)									1,146.21	1,611.17	1,146.21	1,611.17
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना									1,435.53	3,160.03	1,435.53	3,160.03
iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त अन्य का अपलेखन									282.83	179.34	282.83	179.34
प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)												
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	2,706.60	2,073.12	1,550.24	588.59	4,603.16	5,840.46	487.49	727.56	6,640.90	7,156.61	9,347.50	9,229.73
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान									1,745.54	2,852.91	1,745.54	2,852.91
घटाएँ : अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन/बट्टे खाते में डाले गए ऋण									1,878.42	3,368.62	1,878.42	3,368.62
धारित प्रावधानों का समापन शेष	3,273.93	2,706.60	2,060.74	1,550.24	4,386.56	4,603.16	1,071.88	487.49	6,508.02	6,640.90	9,781.95	9,347.50
निवल गैर-निष्पादित आस्तियाँ												
प्रारंभिक शेष			802.14	1,678.32	741.11	1,323.63	-	-	1,543.25	3,001.95		
जोड़ें : वर्ष के दौरान नई वृद्धि									2,435.02	2,968.52		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी									2,312.41	4,427.22		
समापन शेष			829.90	802.14	835.96	741.11	-	-	1,665.86	1,543.25		
अस्थायी प्रावधान												
प्रारंभिक शेष											-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान											-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि											-	-
अस्थायी प्रावधानों का समापन शेष											-	-

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक		गैर-निष्पादित								कुल	
	कुल मानक अग्रिम		उप-मानक		संदिग्ध		हानि		कुल गैर-निष्पादित			
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए खातों तथा उनसे की गई वसूली												
तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष											35,413.56	35,391.28
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए खाते											1,435.53	3,160.03
उप-योग (ए)											36,849.09	38,551.31
घटाएँ : वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली (बी)★											2,246.90	1,785.09
घटाएँ : उन्नयन											35.92	6.83
घटाएँ : नियमित बट्टे खाते में रूपांतरण											2,448.09	1,345.83
दिनांक 31 मार्च, 2024 को समापन शेष (ए–बी)											32,118.19	35,413.56

*संबंधित तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों के सापेक्ष किए गए प्रावधान के प्रत्यावर्तन के पश्चात ₹0.77 करोड़ के सीजीटीएमएएसई दावे के समायोजन के माध्यम से प्राप्त वसूली सहित.

सामान्य टिप्पणी: प्रूडेंशियल राइट-ऑफ खातों के लिए ₹1,483.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,486.77 करोड़) की राशि शामिल है तथा वर्ष के दौरान ऐसे खातों में ₹24.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹40.45 करोड़) की वसूली हुई है.

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2026	31.03.2025
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	2.67	3.18
शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम	0.49	0.55
तकनीकी राइट ऑफ के साथ प्रावधान कवरेज अनुपात	95.97	96.54
तकनीकी राइट ऑफ के बिना प्रावधान कवरेज अनुपात	81.86	83.27

बी. क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	31.03.2026			31.03.2025		
		कुल अग्रिम बकाया	सकल एनपीए	संबंधित क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का %	कुल अग्रिम बकाया	सकल एनपीए	संबंधित क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का %
i)	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र**						
ए)	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	61,687.39	3,645.23	5.91%	52,456.39	3,659.39	6.98
	कृषि ऋण	55,803.38	3,453.99	6.19%	46,982.21	3,484.53	7.42
बी)	उद्योग	31,295.15	1,559.34	4.98%	25,149.62	1,438.83	5.72
	अभियांत्रिकी	3,545.78	-	-			
	अन्य उद्योग	14,336.33	1,263.04	8.81%	12,667.76	968.34	7.64
सी)	सेवाएँ	38,078.68	1,970.74	5.18%	34,128.32	1,751.04	5.13
	व्यापार	17,312.85	17.24	0.10%	15,719.95	12.59	0.08
	अन्य सेवाएँ	13,170.70	1,953.50	14.83%	17,323.98	1,640.10	9.47
डी)	वैयक्तिक ऋण	28,033.04	668.28	2.38%	22,911.79	528.12	2.31
	आवासीय ऋण	24,829.89	405.02	1.63%	20,673.49	403.57	1.95
	उप-योग (i)	**1,59,094.26**	**7,843.60**	**4.93%**	**134,646.12**	**7,377.38**	**5.48**
ii)	**गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र**						
ए)	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	-	-	-	-	-	-
बी)	उद्योग	42,655.31	642.76	1.51%	41,900.71	1,157.30	2.76
	वस्त्र	4,899.63	-		-	-	-
	आधारभूत संरचना	26,034.34	115.85	0.44%	21,669.76	126.98	0.59
सी)	सेवाएँ	67,266.56	18.94	0.03%	54,083.29	218.41	0.40
	एनबीएफसी	35,414.31	1.40	-	30,950.39	1.39	-
	वित्तीय मध्यस्थता डीएफआई अर्थात् सिडबी और नाबार्ड	20,508.48	-	-	11,954.95	-	-
डी)	वैयक्तिक ऋण	75,500.34	679.74	0.90%	59,471.27	471.69	0.79
	आवासीय ऋण	34,182.33	289.45	0.85%	31,500.80	242.62	0.77
	अन्य खुदरा योजना	11,130.11	214.26	1.93%	8,796.68	69.45	0.79
	उप-योग (ii)	**1,85,422.21**	**1,341.45**	**0.72%**	**155,455.27**	**1,847.40**	**1.19**
	कुल योग (i + ii)	**3,44,516.47**	**9,185.04**	**2.67%**	**290,101.39**	**9,224.78**	**3.18**

सी. विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व

बैंक के पास वर्तमान वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष, दोनों में कोई विदेशी आस्तियां, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां अथवा राजस्व नहीं है।

डी. समाधान योजना एवं पुनर्गठन का विवरण:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक के तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी निदेशों, संदर्भ RBI/DOR/2025-26/165 DOR.SRT.REC.84/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवम्बर 2025 के अनुसार अग्रिमों का पुनर्गठन.

(राशि ₹ करोड़ में)

समाधान योजना और पुनर्गठन के अधीन अग्रिमों का परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
	उधारकर्ता की संख्या	बकाया राशि	उधारकर्ता की संख्या	बकाया राशि
मानक	4	2,071.13	2	971.75
उप मानक	-	-	-	-
संदिग्ध	6	2,751.75	6	2,649.01
हानि	2	535.60	2	971.03
कुल	**12**	**5,358.48**	**10**	**4,591.79**

ii. पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किए जाने के फलस्वरूप शेयरों का अधिग्रहण : पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करके अर्जित किए गए इक्विटी शेयर पूंजी बाजार जोखिम, पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेश तथा समूह के भीतर जोखिम पर निर्धारित नियामकीय सीमा/प्रतिबंध से अधिक नहीं थे।

ई. परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन:

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण : प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण) निदेश, 2025 के अनुसार यदि निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं, तो बैंक नीचे उल्लिखित उपयुक्त प्रकटीकरण करेगा :

i. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के अंतर्गत आकलित एनपीए हेतु अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि हेतु प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं से पूर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ के पाँच प्रतिशत से अधिक हो; तथा

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के अंतर्गत पहचाने गए अतिरिक्त सकल गैर-निष्पादित आस्तियां, संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट की गई वृद्धिशील सकल गैर-निष्पादित आस्तियों के पाँच प्रतिशत से अधिक हों।

चूँकि आस्ति वर्गीकरण एवं एनपीए हेतु प्रावधानीकरण में विचलन, उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, अत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण एवं एनपीए हेतु प्रावधानीकरण में विचलन के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

एफ. भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र संख्या RBI/DOR/2025-26/159 DOR.STR.REC.No.78/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवम्बर 2025 के संदर्भ में ऋण जोखिम के अंतरण एवं वितरण पर ऋण खातों (एसएमए एवं एनपीए) के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

ऋण की बिक्री:

i. वर्ष के दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) का विवरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	एआरसी/एनएआरसीएल को		अनुमति प्राप्त स्थानांतरितियों के लिए		अन्य स्थानान्तरित व्यक्तियों के लिए	
	समाप्त वर्ष 31.03.2026	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2026	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2026	समाप्त वर्ष 31.03.2025
खातों की संख्या	4	7				
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूल बकाया	241.11	401.77				
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	-	-				
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (स्थानांतरण के समय)	-	-	-	-	-	-
समग्र रूप से विचाराधीन	139.74	324.97				
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त हुआ	28.53	35.17				

(*राशि में वृद्धि)

ii. तनावग्रस्त ऋण की बिक्री के कारण किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस नहीं किया गया है।

iii. बैंक ने कोई विशेष उल्लेख खाता एवं ऋण जिसमें चूक न हुई हो, को हस्तांतरित नहीं किया है.

ऋण का क्रय:

iv. चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष के दौरान कोई भी तनावग्रस्त ऋण/एनपीए अर्जित नहीं किया गया है।

v. हस्तांतरण/नवस्थापन तथा ऋण सहभागिता के माध्यम से अर्जित मानक परिसंपत्तियों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2026	समाप्त वर्ष 31.03.2025
वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या (वित्त वर्ष 2025-26)	2,16,006	-
कुल बकाया	3,263.58	-
भारित औसत परिपक्वता (माह में)	22.61	-
भारित औसत धारण अवधि (माह में)	4.16	-
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	10%	-
मूर्त प्रतिभूति व्याप्ति का कवरेज	100%	-
श्रेणीबद्ध ऋणों का रेटिंग अनुसार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

vi.) सह-ऋण के अंतर्गत हस्तांतरण/नवस्थापन तथा ऋण सहभागिता के माध्यम से अर्जित मानक परिसंपत्तियों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2026	समाप्त वर्ष 31.03.2025
वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या (वित्त वर्ष 2025-26)	1,41,977	132,194
कुल बकाया	4,592.49	3,635.56
भारित औसत परिपक्वता (माह में)	107.00	123.54
भारित औसत धारण अवधि (माह में)	लागू नहीं	लागू नहीं
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	20.40%	20%
मूर्त प्रतिभूति व्याप्ति का कवरेज	99.12%	75.75%
श्रेणीबद्ध ऋणों का रेटिंग अनुसार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

vii) दिनांक 31.03.2026 के अनुसार बैंक द्वारा रखी गई प्रतिभूति रसीदों को दी गई रिकवरी रेटिंग:

दिनांक 31.03.2026 के अनुसार बैंक के पास प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में ₹755.67 करोड़ का निवेश है. इसका रेटिंग अनुसार वितरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

एसआर की रेटिंग	बही मूल्य 31.03.2026	बही मूल्य 31.03.2025
R1+	31.01	-
R1	227.74	163.12
R2	38.54	2.45
R3	-	-
R5	-	-
रेटिंग वापस ले ली गई	458.38	485.13
रेटिंग नहीं की गई	-	14.26
कुल योग	**755.67**	**664.96**

viii) दिनांक 01.01.2026 से 31.03.2026 तक प्रतिभूति रसीदों पर आय का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

दिनांक	एसआर का नाम	वृद्धि राशि
23.01.2026	NARCL TRUST 0007	3.19
05.02.2026	EARC TRUST SC 174 SERIES I SR	0.03
12.03.2026	IARC-IARF Fund I	0.99
12.03.2026	IARC-IARF Fund II	0.09
31.03.2026	NARCL TRUST 0007	1.46
31.03.2026	EARC TRUST SC 156 SERIES I SR	0.40
कुल		6.16

जी. सह-ऋण व्यवस्था (सीएलए) संबंधी प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के जोखिम के अंतरण एवं वितरण संबंधी निदेशों से संबंधित परिपत्र RBI/DOR/2025-26/159 DOR.STR.REC.No.78/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवम्बर 2025के अनुसार, सह-ऋण व्यवस्था के अंतर्गत हस्तांतरण/नवस्थापन तथा ऋण सहभागिता के माध्यम से अर्जित मानक परिसंपत्तियों का विवरण :

क्रम सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2026	
1	वर्ष के दौरान संशोधित सह-ऋण व्यवस्था के अंतर्गत सह-ऋण भागीदारों से क्रय किए गए खातों की संख्या		2
2	वर्ष 2025-26 के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या		30,948
3	खातों की बकाया राशि		1,229.40
4	तिमाही के अंत में कुल बकाया राशि		1,229.40
5	भारित औसत ब्याज दर		9.60%
6	तिमाही के दौरान प्राप्त शुल्क		-
7	तिमाही के दौरान भुगतान किया गया शुल्क		-
8	सह-ऋण व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र/खंड	No	Amt
	रिटेल	29,018	1,199.36
	कृषि	1,753	16.22
	एमएसएमई	177	13.82
	कॉर्पोरेट	-	-
9	सह-ऋण व्यवस्था के अंतर्गत ऋणों की स्थिति	No	Amt
	मानक परिसंपत्तियाँ	30,948	1,229.4
	गैर-निष्पादित आस्तियां	-	-
10	डिफॉल्ट लॉस गारंटी		
	ए) डिफॉल्ट लॉस गारंटी की राशि	-	-
	बी) कवर किए गए पोर्टफोलियो का प्रतिशत	-	-
	सी) वर्ष के दौरान दावा की गई राशि (करोड़ में)	-	-
	डी) वर्ष के अंत में बकाया डीएलजी (करोड़ में)	-	-

एच. धोखाधड़ी वाले खाते

भारतीय रिज़र्व बैंक के आय की मान्यता, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान संबंधी निदेशों से संबंधित परिपत्र RBI/DOR/2025-26/164 DOR.STR.REC.No.83/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवम्बर 2025 तथा वित्तीय विवरणियाँ: प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण संबंधी निदेशों से संबंधित परिपत्र RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025- दिनांक 28 नवम्बर 2025 के अनुसार, धोखाधड़ी एवं उसके विरुद्ध किए गए प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में, 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि पर बैंक ने नियमानुसार पूर्ण प्रावधान किया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	उधार धोखाधड़ी	60	207
	गैर-उधार धोखाधड़ी (डिजिटल धोखाधड़ी के अलावा)	26	34
	डिजिटल धोखाधड़ी	-	762
	कुल	**86**	**1003**
धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि (₹ करोड़ में)	उधार धोखाधड़ी	570.72	83.19
	गैर-उधार धोखाधड़ी (डिजिटल धोखाधड़ी के अलावा)	14.29	29.04
	डिजिटल धोखाधड़ी	-	5.99
	कुल	**585.01**	**118.22**
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि★ (₹ करोड़ में)	उधार धोखाधड़ी	570.72	80.68
	गैर-उधार धोखाधड़ी (डिजिटल धोखाधड़ी के अलावा)	12.17	26.61
	डिजिटल धोखाधड़ी	-	0.01
	कुल	**582.89**	**107.16**
वर्ष के अंत में 'अन्य रिज़र्व' से डेबिट की गई अमूर्त प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)		Nil	Nil

आई. परियोजना वित्तपोषण से संबंधित प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी निदेशों के संबंधि में जारी परिपत्र RBI/DOR/2025-26/165 DOR.STR.REC.84/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवम्बर 2025 के अनुसार, कार्यान्वित की गई समाधान योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	मद का विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)
1	तिमाही की शुरुआत में निर्माणाधीन परियोजना खाते	183	4,402.95
2	तिमाही में स्वीकृत परियोजना खाते.	30	177.41
3	तिमाही के दौरान जिन परियोजनाओं का निर्धारित संचालन प्रारंभ हो गया.	54	575.99
4	तिमाही के अंत में निर्माणाधीन परियोजना खाते (1+2-3)	159	4,004.37
5	'4' में से वे परियोजना खाते, जिनमें निर्धारित संचालन तिथि बढ़ाने के लिए समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	-	-
5.1	'5' में से वे खाते, जिनमें समाधान योजना लागू की जा चुकी है	-	-
5.2	'5' में से वे खाते, जिनमें समाधान योजना लागू की जा रही है	-	-
5.3	'5' में से वे खाते, जिनकी समाधान योजना सफल नहीं हो सकी	-	-
6	'5' में से वे परियोजना खाते, जिनमें परियोजना के आकार या दायरे में बदलाव के कारण निर्धारित संचालन तिथि बढ़ाने के लिए समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है	-	-
7	'5' में से वे खाते, जिनमें परियोजना की निर्धारित संचालन तिथि बढ़ने के कारण बढ़ी हुई लागत के लिए वित्त उपलब्ध कराया गया है।	-	-

क्र. सं.	मद का विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ करोड़ में)
7.1	'7' में से वे खाते, जिनमें वित्तीय समापन के समय SBCF मंजूर हुआ था और उसे लगातार नवीनीकृत किया गया है	-	-
7.2	'7' में से वे खाते, जिनमें एसबीसीएफ पहले से मंजूर नहीं था या उसे लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया है	-	-
8	'4' में से वे परियोजना खाते, जिनमें डीसीसीओ बढ़ाए बिना समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	-	-
8.1	'8' में से वे खाते, जिनमें समाधान योजना लागू हो चुकी है	-	-
8.2	'8' में से वे खाते, जिनमें समाधान योजना लागू की जा रही है।	-	-
8.3	'8' में से वे खाते, जिनकी समाधान योजना सफल नहीं हो सकी।	-	-

जे. कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त खातों के समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटीकरण:

i. दिनांक 31.03.2026 तक समाधान ढांचे 1.0 तथा 2.0 के अंतर्गत पुनर्गठित खातों के संबंध में प्रकटीकरण

(राशि करोड़ रुपये में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम- पिछली छमाही के अंत में स्थिति (ए)**	छमाही के दौरान उन्नयन	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में परिवर्तित हुए	(ए) छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि***	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - इस छमाही के अंत तक स्थिति
पर्सनल लोन #	1,270.04	17.79	24.05	-	68.49	1,195.29
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	436.08	25.31	3.92	-	69.35	388.12
इनमें से एमएसएमई	129.56	25.31	3.92	-	12.11	138.84
अन्य	1,063.98	7.13	21.51	-	90.85	958.75
कुल	**2,770.10**	**50.23**	**49.48**	**-**	**228.69**	**2,542.16**

* जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित है.

** इसमें वे खाते शामिल हैं जहां 30 सितंबर, 2021 तक अनुरोध प्राप्त हुआ और बाद में लागू किया गया. नए जोड़े गए खातों और उन्नयन के समायोजन के बाद प्रकटीकरण में ग्राहक -वार जोखिम लिया गया है.

*** अवधि के दौरान एक्सपोज़र में शुद्ध परिवर्तन शामिल है.

व्यक्तिगत ऋण का तात्पर्य खुदरा अग्रिम है.

ii. **एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए पुनर्गठित खातों पर प्रकटीकरण:**

"वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत छूट प्राप्त अथवा पंजीकृत एमएसएमई हेतु राहत से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र संख्या डीबीआर नंबर BP.BC.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी 2019, डीओआर नंबर BP.BC.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी 2020 और RBI/2020-21/ 17 डीओआर नंबर BP.BC/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

पुनर्गठित खातों की संख्या	# राशि (करोड़ रुपए में)
9,586	1,408.14

मानक पुनर्गठित खातों का एक्सपोज़र. बैंक ने मानक पुनर्गठित खातों पर 5% और 10%, जैसा भी लागू हो, पर अतिरिक्त प्रावधान बनाए रखा है.

iii. **न्यायालय के आदेश के कारण मानक रूप में रखे गए खातों के संबंध में प्रकटीकरण:**

भारतीय रिज़र्व बैंक की पत्र संख्या 10655/21.04.048/2018- 19 दिनांक 21.06.2019 (समय-समय पर संशोधित) के निर्देशानुसार न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए खातों के संबंध में जानकारी इस प्रकार है. दो उधारकर्ता खाते जिनका दिनांक 31.03.2026 तक बकाया शेष ₹4.63 करोड़ है, जिसे न्यायालय/एनसीएलटी निदेशों के अनुसार मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इसके अतिरिक्त बैंक आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ₹1.83 करोड़ का प्रावधान कर रहा है, जिसमें अप्राप्त ब्याज हेतु प्रावधान भी शामिल है.

iv. **बड़े उधारकर्ता खाते हेतु प्रावधान संबंधी प्रकटीकरण:**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर दिशा-निर्देश – आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण दिशा-निर्देश, 2025, दिनांक 04 दिसंबर 2025 के अंतर्गत किए गए संशोधनों के अनुसार, अध्याय IV – प्रावधानीकरण मानदंड के अंतर्गत अनुच्छेद 117 को वापस ले लिया गया है।

उपरोक्त नियामकीय परिवर्तन को देखते हुए, बैंक ने पूर्ववर्ती अनुच्छेद 117 के अंतर्गत रखे गए प्रावधानों से संबंधित प्रावधानीकरण आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन किया है। तदनुसार, दिनांक 31 दिसंबर 2025 को ₹170.69 करोड़ की बकाया प्रावधान राशि को इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वापस कर दिया गया है।

v. **निर्धारित दरों से अधिक दर पर अतिरिक्त प्रावधान:**

आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में RBI/DOR/2025-26/164 DOR.STR.REC.83/21.04.048/2025-26 दिनांक 28.11.2025, अध्याय v की बिंदु संख्या (जी), बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यांकन के बाद, उन क्षेत्रों में परिवर्तन किया है, जिन्हें मानक अग्रिमों पर निर्धारित दर से अधिक दरों पर अतिरिक्त प्रावधान के अंतर्गत तनावग्रस्त माना जाता है. यह परिवर्तन बैंक की उद्योग दृष्टिकोण रिपोर्ट के अंतर्गत "नकारात्मक दृष्टिकोण" वाले क्षेत्रों के अनुरूप किया गया है. तदनुसार तनावग्रस्त क्षेत्र की समीक्षा निम्नानुसार की गई है.

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	क्षेत्र	31.03.2026 तक रोका गया/ वापस किया गया अतिरिक्त प्रावधान
1.	एयरलाइन क्षेत्र (तनावग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत यथावत शामिल)	0.00
2.	रत्न एवं आभूषण क्षेत्र (तनावग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत यथावत शामिल)	3.11
3.	मांस क्षेत्र (तनावग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत यथावत शामिल)	0.15

तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2026 को तनावग्रस्त क्षेत्र में मानक अग्रिमों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रावधान प्रावधान किया है, जिसकी राशि ₹3.26 करोड़ (31.03.2025 तक ₹1.67 करोड़) है.

के. तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 28.11.2025 के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाने वाले अतिरिक्त प्रावधान के संबंध में प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर दिनांक 28 नवंबर 2025 के अपने परिपत्र संख्या RBI/DOR/2025-26 DOR.STR.REC.84/21.04.048/2025-26 के माध्यम से समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें इस परिपत्र के पैरा 47 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकताएं भी शामिल हैं. 31 मार्च, 2026 तक ऐसे मामलों में बकाया राशि ₹ 341.18 करोड़ (31 मार्च, 2025 के लिए ₹ 384.39 करोड़) है और उपरोक्त भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने 31 मार्च, 2026 तक ₹ 95.49 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा है (31 मार्च, 2025 के लिए ₹ 127.82 करोड़) और 31 मार्च, 2026 तक ₹ 328.91 करोड़ (31 मार्च, 2025 के लिए ₹ 213.76 करोड़) का कुल प्रावधान रखा है.

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान:

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र RBI/DOR/2025-26/165 DOR.SRT.REC.84/21.04.048/2025-26 दिनांक 28 नवम्बर 2025 के अनुसार, बैंक ने अपने 12 उधारकर्ताओं (दिनांक 31 मार्च 2025 को कुल 10 उधारकर्ता थे) हेतु समाधान योजनाएँ लागू की हैं, जिनका समाधान योजना के कार्यान्वयन के समय कुल एक्सपोज़र ₹5,358.48 करोड़ (31 मार्च 2025 को ₹4,591.79 करोड़) था। दिनांक 31 मार्च 2026 को ऐसे समाधान किए गए खातों में कुल बकाया एक्सपोज़र ₹1,381.86 करोड़ (31 मार्च 2025 को ₹1,327.26 करोड़) है ।

एल. बड़े एक्सपोज़र ढाँचे पर प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश संख्या DOR.CRE.REC.70/07-01-002/2025-26, दिनांक 28 नवम्बर 2025, अर्थात् "भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों हेतु पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2025", तथा समय-समय पर अद्यतन किए गए प्रावधानों के अनुसार, टियर-1 पूंजी के आधार पर किसी भी व्यक्तिगत खाते एवं समूह खाते के संबंध में बड़े एक्सपोज़र ढाँचे के अंतर्गत बैंक द्वारा किए गए विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाओं से अधिक एक्सपोज़र वाले खातों का विवरण निम्नानुसार है:-

दिनांक 31.03.2026 तक

प्रतिपक्षों (एकल तथा साथ ही जुड़े हुए प्रतिपक्षों के समूह) के लिए बड़े जोखिम बैंक के पात्र पूंजी आधार पर आधारित है. (31.03.2026 तक टियर I पूंजी ₹33,951.05 करोड़)				
क्रमांक	उधारकर्ता/ग्राहक का नाम	एकल (एस) या जुड़े हुए प्रतिपक्षों का समूह (जी)	एक्सपोज़र राशि	टियर I पूंजी के % के रूप में एक्सपोजर ₹39,951.05 करोड़
शून्य				

एम. अमूर्त परिसंपत्तियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि द्वारा सुरक्षित ऋण और अग्रिम का विवरण, जिसे अनुसूची-9 में असुरक्षित के रूप में दिखाया गया है: शून्य

5. एक्सपोज़र्स

ए) रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2026	31.03.2025
(ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
(i) आवासीय बंधक-		
ऐसी आवासीय संपत्ति जो उधारकर्ता के कब्जे में है या होगी या जो किराये पर दी गई है, उस पर बंधक द्वारा पूर्णत: सुरक्षित ऋण देना,.	67,787.68	63,994.81
इनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं.	17,571.04	20,880.21
(एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी)		
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट–		
वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण. जोखिम में गैर-निधि आधारित सीमाएँ भी शामिल होंगी:	4,515.18	4,563.34
(iii) बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश - आवासीय - वाणिज्यिक अचल संपत्ति	--	-
(बी) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित जोखिम.	11,810.60	10,948.83
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल निवेश	**84,113.46**	**79,506.98**

बी) पूंजी बाजार में निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2026	31.03.2025
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं है.	597.96	701.31
ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में निवेश के लिए स्वच्छ आधार पर अग्रिम	0.57	0.87
iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है.	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, अर्थात जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह से कवर नहीं करती है.	22.53	20.23
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियां.	340.90	340.93
vi)	शेयरों/बांडों/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध अथवा संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर कॉरपोरेट्स को स्वीकृत ऋण	-	-
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के विरुद्ध कम्पनियों को ब्रिज ऋण.	-	-
viii)	म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	-	-
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
x)	वेंचर कैपिटल फंडों में सभी निवेश (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	257.61	304.40
	पूंजी बाजार में कुल निवेश	**1,219.57**	**1,367.74**

कार्यनीतिक ऋण पुनर्गठन के भाग के रूप में ऋण को इक्विटी में रूपांतरण के उन विवरणों पर प्रकटीकरण, जिन्हें सीएमई सीमाओं से छूट प्राप्त है।

सी) जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर:

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च (2026) को एक्सपोजर (निवल)	31 मार्च (2026) को किया गया प्रावधान	31 मार्च (2025) को एक्सपोजर (निवल)	31 मार्च (2025) को किया गया प्रावधान
नगण्य	417.90	-	387.78	-
निम्न	145.90	-	173.70	-
मध्यम निम्न	-	-	-	-
मध्यम	1.94	-	106.51	-
मध्यम उच्च	-	-	-	-
उच्च	42.82	-	0.57	-
अत्यधिक उच्च	2.16	-	4.64	-
प्रतिबंधित	1.78	-	-	-
ऋण - प्रतिबंधित	-	-	-	-
कुल	**612.50**	**-**	**673.20**	**-**

डी) असुरक्षित अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम (निधि-आधारित+ गैर-निधि-आधारित + निवेश एक्सपोज़र)	50,905.10	49,142.15
उपरोक्त में से, अग्रिमों की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे राइट्स, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है	-	-
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	-	-

ई) फैक्टरिंग एक्सपोजर:

रिपोर्टिंग अवधि के लिए कोई फैक्टरिंग एक्सपोजर नहीं है.

एफ) अंतर समूह एक्सपोजर (इंट्रा- ग्रुप एक्सपोजर)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
इंट्रा- ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि (निवेश एक्सपोज़र सहित)	1,320.50	1,552.06
टॉप-20 इंट्रा- ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि (निवेश एक्सपोज़र सहित) (इस श्रेणी में मात्र 5 उपक्रम हैं)	1,320.50	1,552.06
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए इंट्रा- ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत (निवेश एक्सपोज़र सहित)	0.31%	0.44%
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर पर सीमा के उल्लंघन का विवरण और यदि कोई हो तो उस पर नियामक कार्रवाई	-	-

जी) असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर प्रावधान की स्थिति में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
प्रावधान खाता - प्रारंभिक शेष	11.22	4.28
लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा (विनिमय अंतर सहित)	21.36	7.96
लेखा वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	9.96	1.02
प्रावधान खाते में अंतिम शेष	22.62	11.22

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को, 80 बीपीएस प्रावधानों को आकर्षित करने वाले उधारकर्ताओं के बचाव रहित विदेशी मुद्रा जोखिम के सापेक्ष बैंक क्रेडिट एक्सपोजर की राशि ₹ 630.32 करोड़ रही. इस एक्सपोजर पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹ 96.59 करोड़ है, जिसके समक्ष अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता ₹ 11.11 करोड़ है.

उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों हेतु – ऋण जोखिम प्रबंधन) निर्देश, 2025 के अनुसार, RBI/DOR/2025-26/157 DOR.CRE.REC.76/07-02-001/2025-26 दिनांक 28 नवम्बर 2025 के संदर्भ में असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्पोज़र हेतु देयता का अनुमान लगाया है और 31 मार्च, 2026 के अनुसार बैंक के पास 22.62 करोड़ का प्रावधान है. (गत वर्ष 31 मार्च 2025 की स्थिति में 11.22 करोड़ था)

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2026	31.03.2025
हेज रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र	99,707.11	26,022.59
उपलब्ध वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों हेतु – ऋण जोखिम प्रबंधन) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवम्बर 2025 के संदर्भ में अपने घटकों के लिए हेज रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रति देयता का अनुमान लगाया है और बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले विनिमय जोखिमों और तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. बैंक ने हेज रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पत्र होने वाले क्रेडिट जोखिमों को भी ध्यान में रखा है और तदनुसार बैंक ने जोखिम शमन उपाय किए हैं.	22.62	11.22

एच) एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ता हेतु जोखिम सीमा:

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रूडेंशियल मानदण्डों के अंतर्गत एकल उधारकर्ता तथा समूह उधारकर्ता के प्रति जोखिम को निर्धारित सीमा के भीतर रखा है.

आई) गिरवी रखे सोने एवं चांदी के सापेक्ष ऋण:

ए. पात्र सोना एवं चाँदी बंधक रखकर दिए गए ऋणों का विवरण

विवरण		बकाया ऋण		प्रति ऋण औसत राशि (₹ करोड़)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए
		₹ करोड़ में	कुल ऋणों के प्रतिशत के रूप में			
1.	**वित्त वर्ष का प्रारंभिक शेष [(ए)+(बी)]**	15,654.86	100	0.02	70.41	25.98
(ए)	उपभोग ऋण	4,255.96	27.19	0.01	64.5	16.86
	इसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	4,230.84	99.41	0.01	64.35	1.82
(बी)	आय सृजन ऋण	11,398.90	72.81	0.01	72.91	9.13
2.	**वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं वितरित किए गए नए ऋण [(सी)+(डी)]**	28,080.52	100	0.03	52.16	लागू नहीं
सी)	उपभोग ऋण	10,755.18	38.3	0.01	50.18	लागू नहीं
	इसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	10,747.21	99.93	0.01	50.23	लागू नहीं
(डी)	आय सृजन ऋण	17,325.34	61.7	0.02	53.47	लागू नहीं
3.	**वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं वितरित किए गए नवीनीकरण ऋण**	601.16	100	0.03	64.33	लागू नहीं
4.	**वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं वितरित किए गए टॉप-अप ऋण**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	**वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण [(ई)+(एफ)]**	21,395.29	100	0.02	लागू नहीं	लागू नहीं
(ई)	उपभोग ऋण	6,105.25	28.54	0.01	लागू नहीं	लागू नहीं
	इसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	6,098.06	99.88	0.01	लागू नहीं	लागू नहीं
(एफ)	आय सृजन ऋण	15,290.04	71.46	0.01	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	**वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किए गए अनर्जक ऋण [(जी) + (एच)]**	9.23	100	0.03	लागू नहीं	लागू नहीं
(जी)	उपभोग ऋण	3.17	34.38	0.01	लागू नहीं	लागू नहीं
	इसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	3.01	94.94	0.01	लागू नहीं	लागू नहीं
(एच)	आय सृजन ऋण	6.06	65.62	0.02	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	**वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋण [(आई) + (जे)]**	3.23	-	0.02	लागू नहीं	लागू नहीं
(आई)	उपभोग ऋण	3.21	-	0.02	लागू नहीं	लागू नहीं
	इसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	1.55	-	0.04	लागू नहीं	लागू नहीं
(जे)	आय सृजन ऋण	0.02	-	0.01	लागू नहीं	लागू नहीं

विवरण		बकाया ऋण		प्रति ऋण औसत राशि (₹ करोड़)	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए
		₹ करोड़ में	कुल ऋणों के प्रतिशत के रूप में			
8.	**वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम शेष [(के) + (एल)]**	28,782.56	100	0.03	68.03	26.19
(के)	उपभोग ऋण	10,836.77	37.65	0.01	63.22	17.46
	इसमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	10,812.80	99.78	0.01	63.19	2.79
(एल)	आय सृजन ऋण	17,945.79	62.35	0.02	71.31	8.73

नोट: (i) औसत एलटीवी अनुपात की गणना स्वीकृति के समय ऋणों के एलटीवी के कुल योग को ऐसे ऋणों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है.

बी. गिरवी रखे गये सोना एवं चाँदी तथा उनकी नीलामी का विवरण

क्र. सं.	विवरण	
(ए)	वित्तीय वर्ष के अंत में अदावाकृत गिरवी रखी सोने एवं चांदी की मात्रा (ग्राम में)	-
(बी)	ऋण खातों की संख्या जिनमें नीलामी की गई	29
(सी)	(बी) में उल्लिखित ऋण खातों में कुल बकाया राशि (₹ करोड़ में)	0.45
(डी)	ऋण चूक के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त सोना या चाँदी गिरवी की मात्रा (ग्राम में)	816.52
(ई)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलाम किया गया, गिरवी रखा हुआ सोना या चाँदी (ग्राम में)	816.52
(एफ)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलामी के माध्यम से की गई वसूली (₹ करोड़ में)	0.45
(जी)	वसूली का प्रतिशत:	
(एच)	गिरवी रखे गये सोने एवं चांदी का मूल्य के प्रतिशत के रूप में	
(आई)	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	100

नोट: (i) गिरवी रखे गए सोना या चाँदी की मात्रा एवं मूल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण सुविधाएँ) निर्देश, 2025 के अनुसार की गई है। (ii) अदावाकृत गिरवी रखे सोने एवं चांदी का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण सुविधाएँ) निर्देश, 2025 में परिभाषित अर्थ के अनुसार है

जे. संबंधित पक्षों को दिए गए एक्सपोज़र:

क्र. सं.	विवरण	गत वर्ष	चालू वर्ष
ए. संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण			
1	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को स्वीकृत ऋणों का कुल मूल्य	-	-
2	31 मार्च तक संबंधित पक्षों को दिए गए बकाया ऋणों का कुल मूल्य	-	-
3	1 मार्च तक संबंधित पक्षों को दिए गए बकाया ऋणों का कुल ऋण एक्सपोज़र के अनुपात में मूल्य	-	-
4	संबंधित पक्षों को दिए गए बकाया ऋणों का कुल मूल्य, जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:	-	-
	(i) 31 मार्च की स्थिति में विशेष उल्लेख खाते	-	-
	(ii) 31 मार्च की स्थिति में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ	-	-
5	31 मार्च की स्थिति में संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों के संबंध में धारित प्रावधानों की राशि।	-	-
बी. संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंध एवं व्यवस्थाएँ			
6	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का कुल मूल्य	-	-
7	31 मार्च की स्थिति में संबंधित पक्षों से संबंधित बकाया अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का कुल मूल्य	-	-

6. जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए की संकेंद्रण के संबंध में प्रकटीकरण:

ए) जमा का संकेन्द्रण:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा	22,256.43	15,822.42
बैंक के कुल जमा में से बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत	4.76%	3.83%

बी) अग्रिमों का संकेन्द्रण*

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम (ऋण एक्सपोजर)	58,606.60	53,902.10
कुल अग्रिम (ऋण एक्सपोजर)	4,12,040.78	3,40,849.75
बैंक के कुल अग्रिम में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं की कुल अग्रिम राशि का प्रतिशत	14.22%	15.81%

* भा.रि.बैं. मानदंडों के अनुसार ऋण एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करें

सी) एक्सपोजर का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
बीस सबसे बड़े उधारकर्ता/ ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	60,337.85	55,397.85
कुल एक्सपोजर	4,23,884.87	3,53,760.56
बैंक के कुल एक्सपोजर में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों की कुल एक्सपोजर राशि का प्रतिशत	14.23%	15.66%

** अग्रिमों में, ऋण और निवेश एक्सपोजर शामिल हैं

डी) एनपीए का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
बीस सबसे बड़े एनपीए खातें की कुल एक्सपोजर	12,886.27	14,553.80
कुल सकल एनपीए की तुलना में शीर्ष बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत	31.20%	32.60%

7. डेरिवेटिव्स

ए) डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष			गत वर्ष		
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
ब्याज दर डेरिवेटिव						
एमटीएम– परिसंपत्तियाँ	113.11	-	-	-	-	-
एमटीएम – देयताएँ	107.88	-	-	-	-	-
लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ / हानि	5.23	-	-	-	-	-
विनिमय दर डेरिवेटिव						
एमटीएम– परिसंपत्तियाँ	3,076.13	-	-	-	-	-
एमटीएम – देयताएँ	4,085.63	-	-	-	-	-
लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ / हानि	(989.78)	-	-	-	-	-
ऋण जोखिम डेरिवेटिव						
एमटीएम– परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
एमटीएम – देयताएँ	-	-	-	-	-	-
लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ / हानि	-	-	-	-	-	-
अन्य डेरिवेटिव (निर्दिष्ट करें)						
एमटीएम– परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
एमटीएम – देयताएँ	-	-	-	-	-	-
लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ / हानि	-	-	-	-	-	-

बी) फॉरवर्ड दर समझौता/ ब्याज दर स्वैप

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	स्वैप समझौतो की परिकल्पित मूल राशि	10,063.19	5,470.59
ii)	प्रतिपक्षकार समझौतों के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन करने में विफल होने की स्थिति में संभावित हानि	113.11	37.5
iii)	स्वैप में प्रवेश करते समय बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	-	-
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	-	-
v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य	113.11	37.5
	*फॉरवर्ड रेट समझौता	-	-

i. फॉरवर्ड दर समझौते या ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तें:

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रपत्र	प्रकृति	संख्या	नोशनल मूल राशि	बेंचमार्क	शर्तें
IRS	हेजिंग	-	-	MIBOR	स्थिर ब्याज भुगतान बनाम परिवर्तनीय ब्याज प्राप्ति
IRS	ट्रेडिंग	181	4,574.02	MIBOR	स्थिर ब्याज भुगतान बनाम परिवर्तनीय ब्याज प्राप्ति
IRS	ट्रेडिंग	200	5,489.17	MIBOR	स्थिर ब्याज भुगतान बनाम परिवर्तनीय ब्याज प्राप्ति

सी) एक्सचेंज के द्वारा ट्रेड किए गए व्याज दर डेरिवेटिव्स

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज के द्वारा ट्रेड किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव की परिकल्पित मूल राशि (प्रपत्र अनुसार)	2,563.82	-
ii)	31 मार्च 2026 को एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की परिकल्पित बकाया मूल राशि (प्रपत्र अनुसार)	294.00	-
iii)	"अत्याधिक प्रभावी" नहीं मानी गई एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की परिकल्पित मूल राशि (प्रपत्र अनुसार)	-	-
iv)	'अत्याधिक प्रभावी' नहीं मानी गई एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया राशि का मार्क टू मार्केट मूल्य (प्रपत्र अनुसार)	(3.05)	-

डी) एक्सचेंज के द्वारा ट्रेड किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स की परिकल्पित मूल राशि		
	ए) करेंसी फ्यूचर	189.67	-
	बी) करेंसी आप्शंस	-	-
ii)	एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स की बकाया परिकल्पित मूल राशि जैसे		
	ए) करेंसी फ्यूचर	-	-
	बी) करेंसी आप्शंस	-	-
iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स की बकाया परिकल्पित मूल राशि, जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है		
	ए) करेंसी फ्यूचर	-	-
	बी) करेंसी आप्शंस	-	-
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स की बकाया मार्क-टू-मार्केट वैल्यू जो 'अत्यधिक प्रभावी' (प्रपत्र के अनुसार) नहीं है		
	ए) करेंसी फ्यूचर	-	-
	बी) करेंसी आप्शंस	-	-

ई) डेरेवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण:

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

ए) बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स के साथ-साथ ब्याज दर फ्यूचर और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स में भी काम करता है. बैंक द्वारा निपटाए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप और विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप शामिल हैं. बैंक द्वारा निपटाए जाने वाले करेंसी डेरिवेटिव्स में USD/INR करेंसी स्वैप और क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं. बैंक के ग्राहकों को उनके जोखिमों को कम करने के लिए ये उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं, और बैंक ऐसे जोखिमों को कवर करने के लिए डेरिवेटिव अनुबंध भी करता है. डेरिवेटिव्स का उपयोग बैंक द्वारा ट्रेडिंग के साथ-साथ बैलेंस शीट मदों को हेज करने के लिए भी किया जाता है.

बी) डेरिवेटिव लेनदेन में बाजार जोखिम होता है अर्थात बैंक को ब्याज दरों/विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण संभावित हानि और क्रेडिट जोखिम भी होता है अर्थात यदि प्रतिपक्षों अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो बैंक को संभावित हानि हो सकती है. बैंक की डेरिवेटिव्स नीति, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमत किया गया है, बाजार जोखिम के मापदण्ड (जैसे ग्रीवस सीमा, हानि सीमा, कट लॉस ट्रिगर, ओपन पोजिशन सीमा अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 आदि) तथा ग्राहक पात्रता मानदण्ड (क्रेडिट रेटिंग, ग्राहक के साथ संबंध की अवधि, सीमा एवं उपयुक्तता नीति (सीएएस) आदि) को निर्धारित करती है. ऋण जोखिम को नियंत्रित करने के लिए केवल उन्ही प्रतिपक्षों के साथ डेरिवेटिव्स लेनदेन किए जाते हैं जो नीति में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं. प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए समझौता किया जाता है.

सी) बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की देखरेख करती है. बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़े बाजार जोखिम की पहचान करता है, मापता है, निगरानी करता है, इन जोखिमों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने में एएलसीओ की सहायता करता है और नियमित अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नीतिगत निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट देता है.

डी) डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका विवरण अनुसूची 17: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (एसएपी) वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत दिया गया है.

ई) ब्याज दर स्वैप का उपयोग परिसंपत्तियों और देनदारियों की हेजिंग के लिए किया जाता है. बैंक द्वारा ब्याज दर स्वैप का व्यवसाय भी किया जाता है.

एफ) अधिकांश स्वैप प्रथम श्रेणी प्रतिपक्ष बैंकों के साथ किए गए थे.

जी) डेरिवेटिव लेनदेन में स्वैप शामिल होते हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है. स्वैप को ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

एच) डेरिवेटिव सौदे केवल उन अंतरबैंक प्रतिभागियों के साथ किए जाते हैं जिनके लिए प्रतिपक्ष जोखिम सीमा स्वीकृत की गई हो. इसी तरह, डेरिवेटिव सौदे केवल उन कॉरपोरेट्स के साथ किए जाते हैं जिनके लिए ऋण जोखिम सीमा स्वीकृत से डेरिवेटिव लेनदेन के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को मामला-दर-मामला आधार पर ऋण स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है. ऐसी संपार्श्विक आवश्यकताओं को सामान्य ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाता है. बैंक कुछ मामलों में जोखिम शमन उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है.

आई) हेजिंग/ट्रेड के लिए डेरिवेटिव प्रपत्रों के उपयोग हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति लागू है.

जे) निवेश पोर्टफोलियो में ब्याज दर जोखिम की हेजिंग तथा मार्केट मेकिंग के लिए अग्रिम दर समझौते, ब्याज दर स्वैप, करेंसी फ्यूचर तथा ब्याज दर फ्यूचर के लिए नीति लागू है.

के) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण उपाय जैसे स्टॉप लॉस सीमा, प्रतिपक्ष जोखिम सीमा आदि लागू हैं.

एल) हेजिंग स्वैप्स का समय-समय पर बाजार मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। बाजार मूल्य से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध आधार पर लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

एम) ट्रेडिंग स्वैप्स का समय-समय पर बाजार मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। बाजार मूल्य से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध आधार (Net Basis) पर लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026		31.03.2025	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
ए)	डेरिवेटिव (परिकल्पित मूलधन राशि)				
	ए) हेजिंग के लिए	20,832.13	400.00	15,762.99	-
	बी) ट्रेडिंग के लिए	1,10,777.97	9,957.19	65,116.06	5,470.59
बी)	बाजार मूल्य के अनुसार स्थिति				
	ए) परिसम्पति (+)	3,076.12	113.11	766.39	37.50
	बी) देयता (-)	4,085.63	107.88	791.74	20.04
सी)	ऋण एक्सपोजर	2,632.20	103.57	1,617.58	54.71
डी)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01)				
	ए) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	-	16.59	-	-
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	-	11.47	-	3.28
ई)	वर्ष के दौरान देखी गई अधिकतम एवं न्यूनतम 100*PV01				
	ए) हेजिंग पर	-	अधि.-16.59 न्यून.-0	-	अधि -62.91 न्यून -35.63
	बी) ट्रेडिंग पर	-	अधि -12.56 न्यून -0.20	-	अधि -77.88 न्यून -3.07

एफ) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में कोई कार्य नहीं किया है.

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण आधारित नीति को हमारे बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है. वर्तमान में हमारे बैंक का इस खंड में कोई भागीदारी नहीं है.

9. एसपीवी प्रायोजित ऑफ-बैलेंस शीट

बैंक ने कोई भी ऑफ बैलेंस शीट एस.पी.वी. जारी नहीं किया है.

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईए फंड) में अन्तरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
i)	डीईए फंड का प्रारंभिक शेष	2,014.23	1,545.50
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित की गई राशि	375.03	523.86
iii)	घटाएँ: दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	168.55	55.13
iv)	डीईए फंड का अंतिम शेष	2,220.71	2,014.23

जैसा कि ऊपर बताया गया है, बैंक यहाँ यह उल्लेख करेगा डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष, आकस्मिक देयताएं- अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है या ' आकस्मिक देयताएं- अन्य, जैसे भी मामले हो,वें 'अनुसूची 12 के अंतर्गत भी शामिल है.

11. शिकायतों का प्रकटीकरण:

ए) बैंक को ग्राहकों और लोकपाल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी:

क्र. सं.		विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
		बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1		वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1708	1,086
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	48,289	29,417
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	48,521	28,795
	3.1	जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या	6,740	161
4		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	236	1,708
		लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त विचारणीय शिकायतें		
5		लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त विचारणीय शिकायतों की संख्या	3,871	3,070
	5.1	क्रमांक 5 में से निर्दिष्ट लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3,719	993
	5.2	क्रमांक 5 में से निर्दिष्ट लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/ मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	152	2,075
	5.3	क्रमांक 5 में से निर्दिष्ट बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1★	2
6		क्रमांक 5 में से निर्दिष्ट निर्धारित समय के भीतर क्रियान्वित न किए गए आदेशों की संख्या (अपील किए गए आदेशों को छोड़कर)	-	-

नोट: अनुरक्षणीय शिकायतें, एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं.

★ (भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल कार्यालय (ओआरबीओआई), मुंबई-I द्वारा शिकायत संख्या N202526023769560, श्री नीरज श्याम चौधरी, शाखा-बस्ती, क्षेत्र-अयोध्या, अंचल-लखनऊ के संबंध में, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि सेन्ट्रल बैंक

ऑफ इंडिया द्वारा सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश के बिना मनमाने ढंग से होल्ड लगाया गया था, पर दिनांक 02.03.2026 को इस संबंध में निर्णय पारित किया गया था।

ग्राहक को ओआरबीओआई तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती शाखा द्वारा यह सूचित किया गया था कि वह निर्णय जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर बैंक को निर्णय का स्वीकृति-पत्र उपलब्ध कराए, अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल (ओआरबीओआई), मुंबई-I द्वारा जारी निर्णय आदेश में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार उक्त निर्णय प्रभावहीन हो जाएगा।

दिनांक 06.04.2026 तक ग्राहक द्वारा निर्णय की स्वीकृति उपलब्ध नहीं कराई गई। निर्णय की प्रति के आदेश के पैरा 4(b) के अनुसार उक्त निर्णय अब निरस्त हो चुका है तथा प्रभावहीन है।

बी) बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतो के शीर्ष पांच आधार:

शिकायतों का आधार (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक की शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
			वित्त वर्ष 2025-26		
एटीएम लेनदेन	6,806	2,48,148	(+)91.21	5,198	-
इंटरनेट/मोबाइल/ई-बैंकिंग	858	3,871	(+)130.96	751	-
शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं आदि.	403	4,858	(+)30.79	24	-
खाता खोलना/खाता परिचालन में कठिनाई-सामान्य बैंकिंग	35	368	(+)76.09	7	-
ऋण एवं अग्रिम	75	5,804	(+)83.52	12	-
अन्य	108	58,148	(+)160.40	350	-
कुल	**8,285**	**3,21,197**		**6,342**	**-**
			वित्त वर्ष 2024-25		
एटीएम लेनदेन	1,904	1,29,775	(+)34.28	6,806	-
इंटरनेट/मोबाइल/ई-बैंकिंग	137	1,676	(+)85.80	858	-
शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं आदि.	102	3,716	(-)29.63	403	-
खाता खोलना/खाता परिचालन में कठिनाई-सामान्य बैंकिंग	1	209	(+)134.83	35	
ऋण एवं अग्रिम	32	3,162	(+)93.75	75	-
अन्य	814	22,330	(+)19.73	108	-
कुल	**2,990**	**1,60,868**		**8,285**	**-**

सी) निवेशकों की शिकायतें:

(राशि ₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित	-	-
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
3	वर्ष के दौरान निवारण किया गया	-	-
4	वर्ष के अंत तक लंबित	-	-

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

क्र. सं.	जिस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत दंड लगाया गया	वह कार्य/कारण जिसके लिए दंड लगाया गया	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत दंड	दिशानिर्देशों के नियामकीय उल्लंघन	0.636
		एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता	**0.360
		मुद्रा कोष	0.409
		बैंकिंग लोकपाल	0.245
		इन्कॉग्निटो निरीक्षण	0.028
	योग		**1.677**
2.	भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत दंड		-
3.	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दंड (एसजीएल के अनादरण/बाउंस होने पर)		-
4.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए अन्य दंड		-
	कुल योग		**1.677**

(राशि रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख सत्तर हजार मात्र)

** हमारे बैंक पर लगाए गए ₹0.36 करोड़ के दंड (एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता) में से, वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही से संबंधित ₹0.008 करोड़ की राशि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 23.07.2025 को माफ कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान किए गए दंड की कुल राशि ₹0.352 करोड़ थी।

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ों में)

नाम	पदनाम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
		31.03.2026	31.03.2025
श्री कल्याण कुमार (दिनांक 30.09.2025 से)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0.21	-
श्री एम वी राव (दिनांक 31.07.2025 तक)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0.30	0.57
श्री विवेक वाही (दिनांक 30.09.2025 तक)	कार्यपालक निदेशक	0.33	0.49
श्री एम वी मुरली कृष्णा	कार्यपालक निदेशक	0.73	0.49
श्री महेन्द्र दोहरे	कार्यपालक निदेशक	0.68	0.42
श्री ई. रतन कुमार ((दिनांक 24.11.2025 से)	कार्यपालक निदेशक	0.15	-
कुल		2.40	1.97

टिप्पणी: आईसीएआई द्वारा जारी एएस-18 - "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के अनुच्छेद 9 के अनुरूप, सहायक और संबद्ध उद्यमों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ लेनदेन से संबंधित कोई भी प्रकटीकरण करने से छूट देता है.

इसके अलावा, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके निकट संबंधी के बैंकर-ग्राहक संबंधों में लेनदेन का प्रकटीकरण एएस-18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार नहीं किया गया है.

14. अन्य प्रकटीकरण

ए) व्यवसाय अनुपात

(राशि ₹ करोड़ों में)

क्र.स.	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.37	7.65
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	1.29	1.28
(iii)	जमा की लागत (प्रतिशत में)	4.82	4.76
(iv)	शुद्ध ब्याज मार्जिन (प्रतिशत में)	3.07	3.40
(v)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.73	1.85
(vi)	परिसंपत्ति पर रिटर्न (प्रतिशत में)	0.89	0.86
(vii)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशि एवं अग्रिम राशि) (₹ करोड़ में)	23.89	21.31
(viii)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.13	0.12

वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आंकड़ों को पुन: समूहीकृत किया गया है, पुनर्गणना की गई है.

बी) मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ों में)

मदें	31.03.2026	31.03.2025
मानक परिसंपत्तियों के सापेक्ष धारित प्रावधान	3,273.93	2,706.60

सी) बैंकाश्योरेंस व्यवसाय:

उनके द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का ब्यौरा वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए प्रकट किया जाएगा.

बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्राप्त शुल्क/ब्रोकरेज निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2026		31.03.2025	
	पॉलिसियों की संख्या	राशि (करोड़ ₹ में)	पॉलिसियों की संख्या	राशि (करोड़ ₹ में)
जीवन	66,390	144.91	59,541	124.25
गैर-जीवन	3,15,398	15.99	3,51,538	17.43
कुल	**3,81,788**	**160.90**	**4,11,079**	**141.68**
म्युचुअल फंड	-	0.17	-	0.16
डी-मैट एवं ट्रेडिंग एवं आस्बा कमीशन	-	1.00	-	0.89
एसबीआई सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड	-	0.68	-	2.59

* सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं एसबीआई काड्र्स के बीच सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड व्यवस्था को दिनांक 26.07.2025 से समाप्त कर दिया गया है।

डी) विपणन और वितरण

बैंक द्वारा कोई विपणन एवं वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) नहीं किया जाता है.

ई) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों के संबंध में प्रकटीकरण

i. बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नानुसार पीएसएलसी बेची है:

(राशि ₹ करोड़ों में)

श्रेणी	31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कमीशन
छोटे एवं सीमांत किसान	1,500	1,000	33.97
कृषि	5,300	6,000	35.90
सूक्ष्म उद्यम	-	-	-
सामान्य	-	-	-
कुल	**6,800**	**7,000**	**69.87**

ii. बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएसएलसी नहीं खरीदी है.

एफ) आईएफआरएस एकीकृत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन को आवश्यक विधिक संशोधनों एवं परिचालन तत्परता लंबित रहने तक अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है।

तदनुसार, बैंक अपने वित्तीय विवरणों को वर्तमान में लागू भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में बैंकों पर लागू सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार करता है।

स्थगन के बावजूद, बैंक भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक पूर्व-तैयारी संबंधी उपायों को निरंतर कर रहा है।

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ों में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए प्रावधान		31.03.2026	31.03.2025
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	555.21★	482.10
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	-	-

★केंद्र/राज्य सरकार खातों में छूट के संबंध में डीआईसीजीसी द्वारा दावा किया गया अतिरिक्त प्रीमियम

वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय छमाही हेतु ₹11.66 करोड़

वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम छमाही हेतु ₹14.19 करोड़

जमा बीमा प्रीमियम, जैसा कि लागू हो, निर्धारित समय-सीमा के भीतर डीआईसीजीसी को भुगतान किया गया

एच) बैंकों द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का विवरण: -

बैंक द्वारा इस वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष में कोई भी लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी नहीं किया गया है.

आई) हरित जमाराशियों से प्राप्त निधियों के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तर की जानकारी: -

(राशि ₹ करोड़ो में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025	संचयी* 31.03.2026	संचयी* 31.03.2025
प्राप्त कुल हरित जमा (ए)	274.13	146.10	452.72	187.96
हरित जमा निधि का उपयोग★★				
(1) नवीकरणीय ऊर्जा	274.13	146.10	452.72	187.96
(2) ऊर्जा दक्षता				
(3) स्वच्छ परिवहन				
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन				
(5) सतत जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन				
(6) प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण				
(7) हरित भवन				
(8) सजीव प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन				
(9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण				
कुल आवंटित हरित जमा निधि (बी = 1 से 9 का योग)	274.13	146.10	452.72	187.96
अनावंटित हरित जमा निधि की राशि (सी = ए – बी)	-	-	-	-
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को आवंटित किये जाने तक हरित जमा राशि के अस्थायी आवंटन का विवरण				

15. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

निम्नलिखित जानकारी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकट की गई है:

ए) लेखा मानक – 5: अवधि के लिए शुद्ध लाभ / हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

(i) पूर्व अवधि मदें: वर्ष के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मदें नहीं थीं

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन:

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई लेखांकन नीतियों में, 31 मार्च 2025 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है, सिवाय निम्नलिखित के:

(iii) लेखांकन अनुमान में परिवर्तन:

बैंक ने अपनी स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की पद्धति को अपलिखित मूल्य विधि से बदलकर सीधी रेखा विधि कर दिया है। परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन एवं संबंधित परिवर्तन अनुसूची 17 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में प्रकटीकृत किए गए हैं।

लेखा मानक 5 – अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के अनुसार, मूल्यह्रास की पद्धति में परिवर्तन को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन माना जाता है तथा इसे भावी आधार पर लागू किया जाता है। तदनुसार, इन परिवर्तनों का प्रभाव वर्तमान वर्ष में मान्यता प्राप्त किया गया है।

उक्त परिवर्तनों के प्रभावस्वरूप मूल्यह्रास में कमी तथा दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ में ₹ 49.30 करोड़ की वृद्धि हुई है।

बी) लेखा मानक 9 – राजस्व मान्यता

राजस्व को अनुसूची 17 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के मद संख्या 2 में वर्णित अनुसार मान्यता दी गई है।

सी) लेखा मानक 11 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव

विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन-देन का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" संबंधी लेखा मानक-11 के अनुसार किया जाता है, जिसका वर्णन भी अनुसूची 17 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के मद संख्या 7 में किया गया है

डी) लेखांकन मानक-15 "कर्मचारी लाभ":

i. परिभाषित लाभ योजनाएँ, कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना

निम्नलिखित तालिका मूल बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजनाओं और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति को दर्शाती है:

ii.

(राशि ₹ करोड़ों में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
परिभाषित लाभ दायित्व खोलना 1 अप्रैल, 2025	18,318.02	17,504.59	1,874.26	1,752.82
वर्तमान सेवा लागत	150.86	140.57	146.56	129.14
ब्याज लागत	1,254.78	1,260.33	100.64	95.69
पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
एक्चुरियल हानियाँ (लाभ)	1,686.49	1,455.77	67.93	108.50
भुगतान किये गये लाभ	(2,095.85)	(2,043.25)	(197.13)	(211.89)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	-	-	-	-
31 मार्च 2026 को परिभाषित लाभ दायित्व का समापन	**19,314.30**	**18,318.01**	**1,992.27**	**1,874.26**

(राशि ₹ करोड़ों में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
योजनागत परिसंपत्तियों में परिवर्तन	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
1 अप्रैल, 2025 तक योजना परिसंपत्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	18,171.85	17,372.81	1,853.76	1,726.03
योजनागत परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	1,172.99	1,177.29	126.06	125.72
नियोक्ता द्वारा योगदान	1,581.93	1,525.68	196.98	252.26
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	-	-	-	-
भुगतान किये गये लाभ	(2,095.85)	(2,043.25)	(197.13)	(211.89)
योजना परिसंपत्तियों पर एक्चुरियल लाभ/ (हानि)	334.34	139.32	1.81	(38.36)
31 मार्च, 2026 तक योजना परिसंपत्तियों का समापन उचित मूल्य	**19,165.26**	**18,171.85**	**1,981.48**	**1,853.76**

(राशि ₹ करोड़ों में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
31 मार्च, 2026 को वित्तपोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	19,314.30	18,318.01	1,992.27	1,874.26
31 मार्च, 2026 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(19,165.26)	(18,171.85)	(1,981.48)	(1,853.76)
अमान्य पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
घाटा/(अधिशेष)	149.04	146.16	10.79	20.50
शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	149.04	146.16	10.79	20.50

(राशि ₹ करोड़ों में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लागत	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
वर्तमान सेवा लागत	150.86	140.57	146.56	129.14
पूर्व सेवा लागत-मान्यता प्राप्त	-	-	-	-
ब्याज लागत	1,254.78	1,260.33	100.64	95.69
योजनागत परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	(1,172.99)	(1,177.29)	(126.06)	(125.72)
वर्ष के दौरान ज्ञात शुद्ध एक्चुरियल हानियाँ/(लाभ)	1,352.15	1,316.45	66.12	146.86
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल परिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत	**1,584.80**	**1,540.06**	**187.27**	**245.97**

(राशि ₹ करोड़ों में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न और वास्तविक रिटर्न का मिलान	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
योजनागत परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	1,172.99	1,177.29	126.06	125.72
योजना परिसंपत्तियों पर एक्चुरियल लाभ/(हानि)	334.34	139.32	1.81	(38.36)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	1,352.15	1,316.61	127.87	87.36

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त आरंभिक और अंतिम शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति) का समाधान	वर्तमान वर्ष वित्त वर्ष (25-26)	गत वर्ष वित्त वर्ष (24-25)	वर्तमान वर्ष वित्त वर्ष (25-26)	गत वर्ष वित्त वर्ष (24-25)
1 अप्रैल, 2025 तक आरंभिक शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	146.17	131.77	20.50	26.78
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय	1,584.80	1,540.07	187.27	245.97
नियोक्ता का अंशदान	(1,581.93)	(1,525.68)	(196.98)	(252.25)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता/(परिसंपत्तियां)	149.04	146.16	10.79	20.50

31 मार्च, 2026 तक पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि की योजनागत परिसंपत्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार है-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना परिसंपत्तियों का %	योजना परिसंपत्तियों का %
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	13.03	24.02
ऋण प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां और बैंक जमा	11.93	20.60
म्यूचुअल फंड्स	3.31	5.34
बीमाकर्ता प्रबंधित निधि	71.54	44.10
अन्य	0.20	5.94
कुल	**100%**	**100%**

प्रमुख बीमांकिक मान्यताएं	पेंशन निधि	
	वर्तमान वर्ष वित्त वर्ष (25-26)	पूर्व वर्ष वित्त वर्ष (24-25)
छूट की दर	7.60	6.85
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर	7.60	6.85
वेतन वृद्धि दर	6.00	5.50
पेंशन वृद्धि दर	4.75	4.00
कर्मचारी परिवर्तन दर	2.50	2.50
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2006-08)	

प्रमुख बीमांकिक मान्यताएं	ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	वर्तमान वर्ष वित्त वर्ष (25-26)	पूर्व वर्ष वित्त वर्ष (24-25)
छूट की दर	7.25%	6.80%
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर	7.25%	6.80%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	5.50%
कर्मचारी परिवर्तन दर	2.50%	2.50%
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14)	

(राशि ₹ करोड़ों में)

योजना में अधिशेष/घाटा					
ग्रेच्युटी योजना	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
वर्ष के अंत में देयता	1,730.20	1,651.72	1,752.82	1,874.26	1,992.27
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,630.51	1,637.42	(1,726.03)	(1,853.76)	(1,981.48)
अंतर	99.69	14.30	26.79	20.50	10.79
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	99.69	14.30	26.79	20.50	10.79

(राशि ₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ घाटा					
अनुभव समायोजित	वर्ष समाप्ति				
तुलन पत्र में मान्य राशि	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
योजनागत देयता पर (लाभ)/ हानि	145.94	(15.07)	122.94	108.50	67.93
योजनागत आस्ति पर (हानि)/लाभ	45.41	(54.23)	31.64	(38.36)	1.81

(राशि ₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ घाटा					
पेंशन योजना	वर्ष समाप्ति				
तुलन पत्र में मान्य राशि	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
वर्ष की समाप्ति पर देयता	16,237.43	16,729.00	17,504.59	18,318.01	19,314.30
वर्ष के अंत पर योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	15,807.88	16,483.92	17,372.81	18,171.85	19,165.26
अंतर	429.55	245.08	131.78	146.16	149.04
तुलन पत्र में गैर मान्य राशि (पिछली सेवा लागत से)	277.43	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्य राशि	152.12	245.08	131.78	146.16	149.04
तुलन पत्र में मान्य राशि (पिछली सेवा लागत से)	544.52	277.43	-	-	-

(राशि ₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ घाटा					
अनुभव समायोजित	वर्ष समाप्ति				
तुलन पत्र में मान्य राशि	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
योजनागत देयता पर (लाभ)/ हानि	847.41	1,126.87	1,199.14	1,455.77	1,686.49
योजनागत आस्ति पर (हानि)/ लाभ	98.07	1,013.25	191.75	139.32	334.34

मार्च 2026 के लिए पेंशन एवं अनुदान निधि में अपेक्षित योगदान क्रमश: ₹149.04 करोड़ तथा ₹10.79 करोड़ है जो वित्त वर्ष 2026-27 में प्राप्त किया जाना है.

iii. परिभाषित अंशदान योजना:

बैंक की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो दिनांक 01/04/2010 या उसके बाद बैंक में शामिल हुए सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है. इस योजना का प्रबंधन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंर्तगत एनपीएस संस्था के तत्वाधान मे किया जाता है. प्रोटीन ई-गवर्मेंट टेकनोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई – गवर्नेंस इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड) को एनपीएस के लिए केन्द्रीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की संस्था के रूप में नियुक्त किया गया है. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने ₹339.90 करोड़ का अंशदान किया है (पिछले वर्ष ₹300.26 करोड़).

iv. कर्मचारी भविष्य निधि:

वर्ष के दौरान बैंक ने पीएफ विकल्प योजना के अंर्तगत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता योगदान के नाते ₹0.37 करोड़ का व्यय मान्य किया है जबकि पिछले वर्ष यह ₹0.54 करोड़ था.

ई) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (अ-निधिकृत दायित्व):

वर्ष के दौरान बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण व्यय के लिए ₹90.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹232.31 करोड़) के व्यय को मान्य किया है.

एफ) नए वेतन संहिता के अनुसार संविदात्मक कर्मचारियों हेतु प्रावधान:

वर्ष के दौरान, बैंक ने नई वेतन संहिता के अनुसार संविदा/निश्चित अवधि के कुल 35 कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता के विरुद्ध ₹0.29 करोड़ का कुल प्रावधान किया है।

एएस15(संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट –विशेषाधिकार अवकाश लाभ

(राशि ₹ करोड़ में)

आस्ति एवं देयताएं		
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	वित्त (25-26)	**वित्त (24-25)**
परिभाषित लाभ दायित्व	1,532.39	1,435.82
योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	1,579.55	1,429.82
शुद्ध देयता (आस्ति)	(47.16)	6.00

वित्तीय अनुमान		
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	वित्त (25-26)	**वित्त (24-25)**
छूट दर	7.25%	6.80%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	5.50%

प्रति वर्ष निकासी दरें		
आयु स्तर	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	वित्त (25-26)	**वित्त (24-25)**
25 एवं कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 एवं अधिक	2.50%	2.50%

ii. मृत्यु दर: इंडियन एश्योर्ड लाइव मोर्टेलिटी (2012-14) तालिका

(इंडियन एश्योर्ड लाइव मोर्टेलिटी) आईएएलएम की नमूना दरें		
आयु (वर्ष में)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

जी) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

एएस 15 (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट - सेवानिवृत्ति लाभ

(राशि ₹ करोड़ में)

आस्ति एवं देयताएं		
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
परिभाषित लाभ दायित्व	6.95	7.68
योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता (आस्ति)	6.95	7.68

वित्तीय अनुमान		
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.25%	6.80%
महंगाई दर (प्रति वर्ष)	-	-
वापसी की अपेक्षित दर (प्रति वर्ष)	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रति वर्ष निकासी दरें		
आयु स्तर	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
25 एवं कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 एवं अधिक	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: इंडियन एश्योर्ड लाइव मोर्टेलिटी (2012-14) तालिका

(इंडियन एश्योर्ड लाइव मोर्टेलिटी) आईएएलएम की नमूना दरें		
आयु (वर्ष में)	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	वित्त वर्ष (25-26)	**वित्त वर्ष (24-25)**
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

एएस 15 (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट – दीर्घ आवधिक लाभ

(राशि ₹ करोड़ में)

आस्ति एवं देयताएं		
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	वित्त वर्ष (25-26)	**वित्त वर्ष (24-25)**
परिभाषित लाभ दायित्व	1.74	1.52
योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता (आस्ति)	1.74	1.52

वित्तीय अनुमान		
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	वित्त वर्ष (25-26)	**वित्त वर्ष (24-25)**
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.25%	6.80%
महंगाई दर (प्रति वर्ष)	-	-
वापसी की अपेक्षित दर (प्रति वर्ष)	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रति वर्ष निकासी दरें		
आयु स्तर	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	वित्त वर्ष (25-26)	**वित्त वर्ष (24-25)**
25 एवं कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 एवं अधिक	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: इंडियन एश्योर्ड लाइव मोर्टेलिटी (2012-14) तालिका

(इंडियन एश्योर्ड लाइव मोर्टेलिटी) आईएएलएम की नमूना दरें		
आयु (वर्ष में)	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	वित्त वर्ष (25-26)	**वित्त वर्ष (24-25)**
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

एच) लेखा मानक 17-

खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ट्रेजरी संचालन कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग व्यवसाय को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता दी है. कोई द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड नहीं हैं.

प्राथमिक (व्यावसायिक खंड)

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं:-

- ट्रेजरी
- कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखांकन एवं सूचना प्रणाली उपर्युक्त खंडों के संबंध में अलग-अलग डेटा को संकलित एवं निष्कर्षित करने का समर्थन नहीं करती है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक एवं प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना तथा उनके जोखिम एवं प्रतिफल की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक खंडों से संबंधित डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. ट्रेजरी –

ट्रेजरी खण्ड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों में व्यापार और डेरिवेटिव अनुबंध शामिल हैं. ट्रेजरी खण्ड के राजस्व में मुख्य रूप से ट्रेडिंग परिचालन से शुल्क और लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल होती है.

ii. कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग –

कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खातों, ट्रस्ट/साझेदारी फर्म कंपनियों और वैधानिक निकायों की ऋण गतिविधियां शामिल हैं जो खुदरा बैंकिंग और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं. इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है.

iii. खुदरा बैंकिंग –

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएं शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से इन शाखाओं के साथ बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देने की गतिविधियों सहित व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं. खुदरा बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ की सीमा तक के सभी एक्सपोज़र (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सहित) शामिल हैं. जो उन्मुखता, उत्पाद और विविधता के मानदंडों तथा व्यक्तिगत देनदारियों के अधीन होती है. इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं.

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय –

उपरोक्त (1) से (3) तक वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

द्वितीयक (भौगोलिक) खंड

भौगोलिक खंड: चूँकि बैंक का संचालन केवल भारत के भीतर ही है, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होता है।.

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरण, प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण संबंधी निर्देशों RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवंबर 2025 के अनुसार, लेखा मानक 17 खंडवार रिपोर्टिंग के अंतर्गत प्रकटीकरण हेतु 'डिजिटल बैंकिंग' को रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत एक उप-खंड के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चिन्हित किया गया है। तथापि, बैंक की प्रस्तावित डिजिटल बैंकिंग यूनिट ने अभी तक संचालन प्रारंभ नहीं किया है, अत: उक्त रिपोर्टिंग की प्रयोज्यता भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति पर निर्भर होगी.

(राशि ₹ करोड़ में)

व्यवसाय खण्ड	ट्रेजरी		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**
राजस्व	13,556.83	12,619.40	9,831.45	8,536.34	18,462.45	17,871.74	-	-	**41,850.73**	**39,027.48**
परिणाम	2,086.07	2,471.05	1,512.72	447.70	2,817.45	2,230.48	-	-	**6,416.24**	**5,149.23**
अनावंटित व्यय#									**18.10**	**(214.96)**
परिचालन लाभ									**6,434.34**	**4,934.27**
आयकर									**2,065.74**	**1,149.01**
असाधारण लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
शुद्ध लाभ									**4,368.60**	**3,785.26**
अन्य जानकारी:										
खण्डवार आस्तियां	2,11,768.25	1,83,664.54	1,21,810.87	1,08,090.06	2,06,191.90	1,75,902.37	-	-	**5,39,771.02**	**4,67,656.97**
अनावंटित आस्तियां									**9,708.54**	**11,471.16**
कुल आस्तियां									**5,49,479.56**	**4,79,128.13**
खण्डवार देयताएं	2,01,309.70	1,73,220.59	1,21,230.60	1,03,819.31	1,88,468.71	1,65,582.14	-	-	**5,11,009.01**	**4,42,622.04**
अनावंटित देयताएं									**-**	**-**
कुल देयताएं									5,11,009.01	4,42,622.04

नोट: खंड के राजस्व और व्यय को खंड की आस्तियों के आधार पर विभाजित किया गया है, जहां प्रत्यक्ष आवंटन संभव नहीं है. चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर आंकड़ों को पुन: समूहीकृत किया गया है.

अवितरित व्यय अवितरित आय एवं अवितरित व्ययों के शुद्ध परिणाम को दर्शाता करता है।

बैंक के पास केवल एक भौगोलिक खंड अर्थात् घरेलू खंड है.

i) **लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण – संबंधित पक्ष**

i. संबंधित पक्षों की सूची:

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक –

निदेशक का नाम	पद
i) श्री कल्याण कुमार (दिनांक 30.09.2025 से प्रभावी)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ii) श्री मटम वेंकट राव (दिनांक 31.07.2025 तक)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
iii) श्री विवेक वाही (दिनांक 30.09.2025 तक)	कार्यपालक निदेशक
iv) श्री एम वी मुरली कृष्णा	कार्यपालक निदेशक
v) श्री महेंद्र दोहरे	कार्यपालक निदेशक
vi) श्री ई. रतन कुमार (दिनांक 24.11.2025 से प्रभावी)	कार्यपालक निदेशक

ii. **सहायक कंपनियां –**

i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

ii) सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

iii. **समबद्ध –**

i) बीमा कंपनियां

ii) जेनरली सेन्ट्रल इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड

iii) जेनरली सेन्ट्रल लाइफ इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड

iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (दिनांक 30.04.2025 तक सहयोगी)

ए. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)

बी. उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)

v) इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड, जाम्बिया

iv) **लेखांकन मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटीकरण**

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें/ संबंधित पक्ष	जेनरली सेन्ट्रल इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड	जेनरली सेन्ट्रल लाइफ इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड
दिनांक 31-03-2026 के अनुसार बकाया		
निवेश	4.75	2.36
जमा	1.27	3.91
अग्रिम	-	-
गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धताएँ	-	-
लीजिंग/हायर परचेज व्यवस्थाएँ	-	-
लीजिंग/हायर परचेज व्यवस्थाएँ जिनका लाभ लिया गया है	-	-
स्थायी परिसंपत्तियां	-	-
अन्य परिसंपत्तियां	-	-
अन्य दायित्व	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		
निवेश	11.91	3.22

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें/ संबंधित पक्ष	जेनरली सेन्ट्रल इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड	जेनरली सेन्ट्रल लाइफ इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड
जमा	8.73	58.15
अग्रिम	-	-
गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धताएँ	-	-
लीजिंग/हायर परचेज व्यवस्थाएँ	-	-
लीजिंग/हायर परचेज व्यवस्थाएँ जिनका लाभ लिया गया है	-	-
जमा	-	-
अग्रिम	-	-
वर्ष के दौरान कुल लेन-देन		
बीमा प्रीमियम का भुगतान	-	0.20
प्राप्त कमीशन	-	-
भुगतान किया गया ब्याज		-
प्राप्त ब्याज	-	-
प्राप्त दावा राशि	-	-
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	-	-
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-
सेवाएँ प्रदान करना	8.57	62.16
सेवाएँ प्राप्त करना	2.76	4.32
लाभांश का भुगतान	-	-

जे) लेखांकन मानक- 10 एवं लेखांकन मानक- 19 तथा (मुक्त स्वामित्व एवं पट्टे)

i. बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर और निदेशक मंडल के अनुमोदन पर दिनांक 31.03.2024 को बाज़ार मूल्य को प्रकट करने के लिए बैंक के परिसर का मूल्यांकन किया गया जिसके मूल्य में ₹490.00 करोड़ (पूर्ण स्वामित्व वाले संपत्तियों के लिए ₹329.98 करोड़ तथा पट्टे पर देय संपत्तियों के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹160.02 करोड़) की वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया गया है.

ii. जिन परिसम्पतियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनके संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यह्रास लगाया गया है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है एवं मार्च 2025 तक पुनर्मूल्यांकित राशि ₹60.71 करोड़ के लिए वृद्धिशील मूल्यह्रास की राशि (विगत वर्ष ₹163.08 करोड़) को "पुनर्मूल्यांकन आरक्षित" से स्थानांतरित कर "राजस्व और अन्य आरक्षित" में जमा किया गया है.

iii. बैंक द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि पर बाजार मूल्य दिनांक 31.03.2026 तक ₹6.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.51 करोड़) तथा लिखित अवशिष्ट मूल्य ₹5.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.58 करोड़) है, जिसकी पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है तथा बैंक का कार्यालय/भवन अभी भी इन भूमियों पर है.

iv. एएस-19 के अनुसार, परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जो बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय है.

ए) गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसर की देयता दिनांक 31.03.2026 तक शून्य है.

बी) परिचालन पट्टे के लिए लाभ-हानि खाते में मान्य पट्टा भुगतान की राशि दिनांक 31.03.2025 तक ₹535.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹521.53 करोड़) है.

v. अतिरिक्त प्रकटीकरण:

प्रतिभूति के निपटान पर अर्जित ₹37.13 करोड़ (मार्च-21 तक पुनर्मूल्यांकित मूल्य) की संपत्ति का स्वामित्व बैंक द्वारा चालू वर्ष 2024-25 के दौरान अपने पक्ष में पंजीकृत करवा लिया गया है. चूंकि उधारकर्ता के साथ मामला विचाराधीन है, इसलिए न तो ऐसी संपत्ति पर प्राप्त किराए को आय के रूप में शामिल किया गया है और न ही दिनांक 31.03.2021 के बाद संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन कर इसके बाजार मूल्य को दर्शाया गया है.

के) लेखा मानक 20 – प्रति शेयर आय

i. एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर पश्चात शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	4,368.60	3,785.26
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (संख्या)	9,05,14,01,274	8,68,49,99,288
प्रति शेयर मूल आय (₹)	4.83	4.36
प्रति शेयर डायल्यूटिड आय (₹)	4.83	4.36
प्रति शेयर नॉमिनल मूल्य (₹)	10	10

एल) लेखांकन मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण:

सहायक कंपनियों एवं सह-उद्यमों के वित्तीय परिणामों को क्रमश: लेखांकन मानक 21 एवं लेखांकन मानक 23 के अनुपालन में मूल बैंक के साथ समेकित किया गया है।

एम). लेखांकन मानक 22 - आय पर लेखांकन

i. चौथी तिमाही तथा दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनियम, 2025 में वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा किए गए संशोधनों के संबंध में, विशेष रूप से एमएटी क्रेडिट के उपयोग के संबंध में, आस्थगित कर आस्तियों के मापन से संबंधित अपने अनुमानों में संशोधन किया है। आगे, एमएटी क्रेडिट पात्रता के कर लाभ एवं उपयोग को ध्यान में रखते हुए, बैंक का प्रबंधन का विचार है कि कर अवधि 2026-27 से बैंक में नई कर व्यवस्था को अपनाया जाए.

तदनुसार, बैंक ने अपनी शुद्ध अस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन लेखांकन मानक 22 – "आय पर कर का लेखांकन" के अनुसार 25.168% (पूर्व में 34.944%) कर की दर का उपयोग करते हुए किया है, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ एवं हानि विवरण में ₹632.39 करोड़ का एकमुश्त प्रभार उत्पन्न हुआ है। दिनांक 31 मार्च 2026 तक मान्यता प्राप्त शुद्ध डीटीए ₹1,628.06 करोड़ है (पिछले वर्ष: ₹3,145.57 करोड़ था).

इसके अतिरिक्त, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मौजूदा कर व्यवस्था को जारी रखने का विकल्प चुना है तथा दिनांक 31 मार्च 2026 को पुस्तकों में विद्यमान एमएटी क्रेडिट पात्रता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वर्तमान कर को 34.944% (25.168% के स्थान पर) की दर से मान्यता दी है।

ii. महत्वपूर्ण प्रावधान आवश्यकताओं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीईटी 1 की गणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशा-निर्देशों में संशोधन को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा समय अंतर के विरुद्ध संभावित कर लाभ की समीक्षा की गई है और दिनांक 31 मार्च 2026 तक कर की 25.168% की लागू दर से ₹1,628.06 करोड़ को आस्थगित कर आस्तियों के रूप में मान्यता दी गई है. दिनांक 31 मार्च 2026 तक आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
व्यावसायिक हानि	-	1,436.33		
अवकाश नकदीकरण, चिकित्सीय अवकाश एवं यूसीएल के लिए प्रावधान	401.91	526.26		
ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	979.31	1,343.78		
पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	480.61	429.77		
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	313.67	412.09		

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	47.61	36.79		
आयकर रिफ़ंड पर ब्याज		-	106.59	35.08
निवेश पर ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं		-	664.86	799.43
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित		-	38.17	34.94
आरक्षित एएफएस		-	(214.57)	170.01
कुल	**2,223.11**	**4,185.02**	**595.05**	**1,039.46**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	1,628.06	3,145.56		

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों में शुद्ध कमी ₹1,517.01 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹1,149.01 करोड़) को लाभ और हानि खाते में मान्य किया गया है.

एन). लेखांकन मानक 23 –

समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कम्पनियों में निवेश का लेखांकन चूंकि बैंक द्वारा सहयोगी कम्पनियों में किया गया निवेश सहभागितापूर्ण प्रकृति का होता है तथा बैंक के पास उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति होती है, इसलिए ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है.

ओ) लेखा मानक-24 समाप्त किए जाने वाले परिचालन:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने अपनी ऐसी किसी भी प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि/ परिचालन को बंद नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप देनदारियों का निर्वहन तथा परिसंपत्तियों का वसूली/वसूलीकरण हुआ हो। साथ ही, किसी भी ऐसी व्यावसायिक गतिविधि को पूर्ण रूप से बंद करने का कोई निर्णय अंतिम रूप से नहीं लिया गया है, जिसके उपर्युक्त प्रभाव उत्पन्न होते हों।

पी) लेखांकन मानक 26- अमूर्त परिसंपत्ति

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्षों की संख्या)	प्रयुक्त परिशोधन दरें	परिशोधन विधि
सॉफ़्टवेयर	3	33.33%	सीधी रेखा विधि

क्यू) लेखांकन मानक– 28 – परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास

बैंक की परिसंपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय परिसंपत्तियों से बना है, जिन पर परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास लेखांकन मानक-28 लागू नहीं होता है. प्रबंधन की राय में दिनांक 31 मार्च 2026 तक वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों पर कोई भौतिक मूल्यह्रास नहीं है, जिसे इस मानक के अनुसार मान्यता देना आवश्यक हो.

आर) लेखांकन मानक- 29- प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(राशि करोड़ में)

लाभ-हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण	31.03.2026	31.03.2025
निवेश पर प्रावधान/मूल्यह्रास (एनपीआई)	(120.90)	(306.45)
एनपीए के लिए प्रावधान	1,534.16	2,801.74
मानक परिसंपत्ति के लिए प्रावधान	(115.01)	72.67
करों के लिए प्रावधान	2,065.74	1,149.01
पुनसंरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	687.60	538.69
अन्य प्रावधान	58.03	83.39
कुल	**4,109.62**	**4,339.05**

आकस्मिक देनदारियों (अनुसूची 12) के तहत ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक के खिलाफ दावों में मूल बैंक की विवादित आयकर देयता ₹5,937.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6,519.17 करोड़) शामिल हैं. इसमें बैंक और आयकर विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर दायर आयकर अपील शामिल हैं. विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामले में अनुकूल निर्णयों के आधार पर बैंक द्वारा विवादित कराधान राशि के लिए प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है. उक्त विवादित बकाया के विरुद्ध भुगतान/समायोजन अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत शामिल हैं. दिनांक 31 मार्च, 2026 तक विवादित सेवा कर और जीएसटी से संबंधित राशि ₹22.92 करोड़ है.

17. अतिरिक्त प्रकटीकरण:

ए) सूचना सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं. 6/31. 02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के अनुसार नीतियां बनाई हैं / प्रक्रियाओं का निर्माण किया है. इन नीतियों की समीक्षा बैंक के प्रबंधन द्वारा समय-समय पर की जाती है. सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) नीति की अंतिम समीक्षा दिनांक 24.03.2026 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी.

बी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंर्तगत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान:- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान का कोई मामला सामने नहीं आया है.

सी) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 31 दिसंबर, 1988 का डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी.57/62-88 के दिशानिर्देशों में बैंक द्वारा अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) उधार दिया गया है. तदनुसार, दिनांक 31.03.2026 को ₹10,820.00 करोड़ बकाया है, इस पर ब्याज आय ₹319.67 करोड़ है.

डी) लेखों का पुर्नमिलान एवं समायोजन:

i. मूल बैंक विभिन्न लेखा शीर्षों में अंत:शाखा समायोजन खाते (आईबीआर) में शामिल बकाया शेष/प्रविष्टियों के पुर्नमिलान की प्रक्रिया में है। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार आईबीआर खाते का शुद्ध शेष ₹2.42 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) है तथा 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार यह ₹0.26 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) था।

ii. निम्नलिखित मदों के पुर्नमिलान की प्रक्रिया जारी है:

- अंतर-शाखा कार्यालय शेष
- अंतर-बैंक खाते
- सस्पेंस खाते
- क्लियरिंग एवं अन्य समायोजन खाते
- नाममात्र खातों में कुछ शेष
- नोस्ट्रो खाते
- एटीएम विभाग से संबंधित शेष
- केंद्रीय कार्ड विभाग द्वारा रखे गए मिरर खाते एवं अन्य शेष
- कृषि एवं प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का डेटा/प्रणाली अद्यतन
- स्थायी परिसंपत्तियाँ
- अन्य परिसंपत्तियाँ
- अन्य देयताएँ

प्रबंधन का मत है कि खातों पर, यदि कोई प्रभाव होता भी है, तो वह समग्र रूप से महत्वपूर्ण नहीं होगा.

ई) भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरण, प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण दिशानिर्देशों RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC. No.86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवंबर 2025 के अनुसार अन्य परिसंपत्तियों एवं अन्य देयताओं से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण:

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
अनुसूची 5 अन्य देयताएँ – IV-5: "अन्य (प्रावधान सहित)" शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल परिसंपत्तियों के 1% से अधिक हो	शून्य	शून्य
अनुसूची 11 अन्य परिसंपत्तियाँ – VI: "अन्य परिसंपत्तियों" के अंतर्गत "अन्य" शीर्ष की कोई भी मद कुल परिसंपत्तियों के 1% से अधिक हो	शून्य	शून्य
अनुसूची 14 – VII: "अन्य विविध आय" के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के 1% से अधिक हो	बट्टे खाते में डाले गए खातों से प्राप्त वसूली ₹2,270.67 करोड़ है, जो अन्य कुल आय का 5.36% है।	बट्टे खाते में डाले गए खातों से प्राप्त वसूली ₹1,716.33 करोड़ है, जो अन्य कुल आय का 4.37% है।
अनुसूची 16 – XII: "अन्य व्यय" के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के 1% से अधिक हो	शून्य	शून्य

एफ) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹10 प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य पर 6.00% (अर्थात ₹0.60 प्रति इक्विटी शेयर) के चौथे अंतरिम लाभांश को स्वीकृति प्रदान की है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम तीन तिमाहियों के लिए कुल 6.00% के अंतरिम लाभांश की पहले ही घोषणा कर दी थी। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष के लिए कुल भुगतान/स्वीकृत लाभांश ₹1.20 प्रति शेयर अर्थात 12.00% है।

जी) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनर्समूहीकृत/पुन: वर्गीकृत किया गया है.

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेंद्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बी.पुरुषार्थ
निदेशक

मनोरंजन दास
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

शारदा कुमार होता
निदेशक

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 005593सी

सीए अरुण अग्रवाल
पार्टनर
एम. संख्या 409937

अमित रे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000483सी

सीए अभिषेक शर्मा
पार्टनर
एम. संख्या 403861

जैन पारस बिलाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 011046सी

सीए. पारस बिलाला
पार्टनर
एम. संख्या 400917

गर्ग अशोक एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन:012127एन

सीए. अशोक कुमार
पार्टनर
एम.संख्या 090991

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	3/31/2026	3/31/2025
ए	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	कर से पूर्व शुद्ध लाभ(हानि)	6,434.33	4,934.27
I	निम्न हेतु समायोजन		
	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	529.50	557.32
	निवेश पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचर सहित)	(120.03)	(306.53)
	निवेश के उचित मूल्यांकन के कारण आरक्षित निधियों में वृद्धि/(कमी)	(1,317.96)	(757.43)
	अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालना/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान	1,534.16	2,801.74
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	578.73	72.67
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	51.04	622.17
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (शुद्ध)	3.71	24.40
	सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	(17.79)	(8.51)
	कुल योग	7,675.69	7,940.10
II	निम्न हेतु समायोजन		
	जमा में वृद्धि /(कमी)	55,225.35	27,685.82
	उधार राशि में वृद्धि /(कमी)	9,888.88	1,786.30
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	2,320.67	(1,617.20)
	अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(56,111.57)	(41,815.33)
	निवेश में (वृद्धि) /कमी	(15,764.86)	2,794.77
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी	(89.94)	(62.29)
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान (शुद्ध प्रतिदान आदि)	(357.87)	818.90
	कुल योग	(4,889.34)	(10,409.03)
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	2,786.35	(2,468.93)
बी	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	अचल परिसंपत्ति की बिक्री/निपटान	4.00	4.44
	अचल परिसंपत्ति का क्रय	(457.63)	(454.67)
	सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	17.79	8.51
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (बी)	(435.84)	(441.72)
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमीयम सहित)	-	1,500.00
	शेयर एप्लीकेशन मनी	-	0.00
	लाभांश- अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	(712.82)	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)	(712.82)	1,500.00

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	3/31/2026	3/31/2025
डी	नकद एवं नकद तुल्य में शुद्ध वृद्धि (ए+बी+सी) अथवा (एफ-ई)	1,637.69	(1,410.65)
ई	वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद तुल्य		
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं बैंक शेष	22,931.10	22,954.69
	बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	13,265.75	14,652.81
	वर्ष के आरंभ में शुद्ध नकद एवं नकद तुल्य (ई)	36,196.85	37,607.50
एफ	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्य		
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं बैंक शेष	18,952.86	22,931.10
	बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	18,881.68	13,265.75
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद एवं नकद तुल्य (एफ)	37,834.54	36,196.85

नोट

1 उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण आईसीएआई द्वारा जारी नकदी प्रवाह विवरण संबंधी लेखा मानक-3 में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष विधि' के अंतर्गत तैयार किया गया है.

2 पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेंद्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बी.पुरुषार्थ
निदेशक

मनोरंजन दास
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

शारदा कुमार होता
निदेशक

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 005593सी

सीए अरुण अग्रवाल
पार्टनर
एम. संख्या 409937

अमित रे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000483सी

सीए अभिषेक शर्मा
पार्टनर
एम. संख्या 403861

जैन पारस बिलाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 011046सी

सीए. पारस बिलाला
पार्टनर
एम. संख्या 400917

गर्ग अशोक एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन:012127एन

सीए. अशोक कुमार
पार्टनर
एम.संख्या 090991

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

एडीबी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
प्रथम तल, महावीर गौशाला कॉम्पलेक्स,
के.के. रोड़, मौधापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001

जैन पारस बिलाला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
50 का 2, ज्योति नगर, जयपुर,
राजस्थान-302005

अमित राय एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
5-B, सरदार पटेल मार्ग, प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश–211001

गर्ग अशोक एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
503, एमार कोलोनेड, सेक्टर 66, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड,
गुरुग्राम, हरियाणा 122018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
सदस्यगण
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ('मूल' अथवा 'बैंक'), इसकी अनुषंगी कंपनियों (मूल और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ मिलाकर 'समूह' कहा गया है) और इसके सहयोगियों के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं हैं (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) जिसमें निम्न शामिल है:

   ए) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित बैंक के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरण.

   बी) एक अनुषंगी का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

      (i) सेंटबैंक फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड – अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित

   सी) 1 सहायक और 5 अनुषंगियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी/वित्तीय सूचना –

      (i) सेंटबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)

      (ii) जेनरली सेन्ट्रल इंश्योरेंस लिमिटेड (05 जून 2025 से सम्बद्ध सदस्य)

      (iii) जेनरली सेन्ट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (05 जून 2025 से सम्बद्ध सदस्य)

      (iv) इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड (संबद्ध सदस्य)

      (v) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (30 अप्रैल 2025 से संबद्ध सदस्य)

      (vi) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार (30 अप्रैल 2025 से संबद्ध सदस्य)

2. हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और सहायक और सहयोगी की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा आवश्यक जानकारी, जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय – समय पर जारी किये गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों तथा लागू लेखा मानकों के अनुसार, समूह और उसके सहयोगी संस्थानों के लिए जिस प्रकार आवश्यक है, उसी प्रकार का अनुपालन किया गया है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप हैं, और

   ए) तुलन पत्र, टिप्पणियों सहित, एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलनपत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, जिसे ठीक से तैयार किया गया है, जो दिनांक 31 मार्च, 2026 को बैंक की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष स्थिति प्रदर्शित करती है.

   बी) लाभ और हानि खाता, टिप्पणियों सहित, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शेष लाभ की सही स्थिति दर्शाता है.

   सी) नकदी प्रवाह विवरणी उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही और निष्पक्ष नगद प्रवाह को प्रदर्शित करती है.

मत का आधार

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुरूप की है.उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा

खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में व्याख्यायित है. नैतिक आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम बैंक समूह और इसके अनुषंगियों से से स्वतंत्र हैं, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, (आईसीएआई) के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय – समय पर जारी किये गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों तथा लागू लेखा मानकों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणियों को हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक किया हैं और इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है. हमें विश्वास है कि निम्नवत् 'अन्य मामले' अनुच्छेद के सन्दर्भ में दूसरे लेखाकारों की रिपोर्ट की रिपोर्ट ध्यान में रखते हुए हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है.

विशेष मामलें

4. हम ध्यान आकर्षित करते है:

ए) समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 3.9, की ओर जो आस्थगित कर से संबंधित है, जिसमें मूल प्रबंधन द्वारा संभावित कर लाभों का मूल्यांकन करते हुए, समयान्तराल के कारण उत्पन्न होने वाले अंतर के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹1,617.71 करोड़ (दिनांक 31 मार्च 2024 तक ₹3,134.02 करोड़) का शुद्ध स्थगित कर संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है.

बी) समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 14 का सन्दर्भ लें. इसमें वित्तीय वर्ष 2025 – 26 के दौरान अन्य आय में शामिल 8,485 लाख की आय दर्ज की गई है. यह राशि सहयोगी संस्थाओं (आरआरबी) में निवेश के वहन मूल्य तथा निवेश के निपटान पर वास्तव में प्राप्त राशि के बीच के अंतर को दर्शाती है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में उल्लिखित है.

सी) समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 – टिप्पणी संख्या 3.1.3 का संदर्भ लें. इसमें मूल कंपनी द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास की पद्धति को लिखित अवशिष्ठ मूल्य विधि से बदलकर सीधी रेखा विधि अपनाने का उल्लेख है. इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास व्यय में कमी आई है तथा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में 49.30 करोड़ की वृद्धि हुई है.

उपरोक्त मामलों में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय

5. मुख्य लेखापरीक्षा के विषय वे विषय हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों को हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में सबसे अधिक महत्व रखते हैं इन विषयों को हमने समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र लेखा परीक्षण के संदर्भ में देखा है और उनके आधार पर हमने अपना अभिमत बनाया है और इन मामलों पर कोई पृथक अभिमत नहीं दिया जाता है. नीचे वर्णित मामलों को हमने मूल लेखापरीक्षा मामला माना है जो हमारी रिपोर्ट में सम्प्रेषित किया है.

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय	हमारे लेखापरीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया
1. गैर निष्पादित अग्रिम की पहचान और प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानों पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के संगत किया गया है. (समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें) अग्रिम में बैंक की कुल अस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है. गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान प्रवर्तमान कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित विभिन्न नियंत्रणों और तर्कों के आधार पर प्रणाली द्वारा की जाती है.	हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों से संबंधित स्वीकृति, अभिलेख, मॉनिटरिंग और आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रकों की रूपरेखा तथा परिचालनीय प्रभावशीलता का निर्धारण शामिल है. विशेष रूप से: • हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पद्धति का मूल्यांकन और अध्ययन किया है. • हमने एनपीए को चिह्नित करने एवं तत्संबंधी आय की पुनर्वापसी और प्रावधान करने की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन एवं परीक्षण किया है. • हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम संबंधित प्रावधानों के संबंध में मैन्युअल नियंत्रण सहित संगत नियंत्रणों परिचालनीय प्रभावशीलता के लिए प्रयुक्त मूल आईटी प्रणाली/ऐप्लीकेशन का विश्लेषण और अध्ययन किया है.

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय	हमारे लेखापरीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया
एनपीए और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अग्रिमों में क्षति के स्तर के निर्धारण के आधार पर किया जाता है जो समय-समय पर निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित और उसके तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन होते है. एनपीए पर प्रावधान उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्यांकन पर भी निर्भर होता हैं. पुनर्गठित खातों में प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है. हमने एनपीए की पहचान और ऋण तथा अग्रिमों पर प्रावधान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है, क्योंकि आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर एनपीए की पहचान करने में प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, प्रावधान निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय की भूमिका होती है(उन परिसंपत्तियों पर भी, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं है), एनपीए की सुरक्षा के मूल्यांकन का महत्व होता है और इन आकलनों का समूह के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है. यदि विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपयुक्त रूप से अनुपालन किया गया हो या प्रतिभूति के मूल्य का गलत आकलन किया गया हो, तो अग्रिमों का वहन मूल्य व्यक्तिगत या समष्टिगत रूप से भ्रामक हो सकता है.	• मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने और इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सत्यापित किया है कि सीबीएस सिस्टम और प्रबंधतंत्र दोनों ने, • उपलब्ध प्रतिभूति की कीमत में गिरावट की समय पर पहचान की है. • ऐसे समय-समय पर की गई निगरानी और आस्ति वर्गीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है या नहीं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के कोविड -19 विनियामक पैकेज के अनुसार आस्ति वर्गीकरण का लाभ प्राप्त खाते भी शामिल है. • हमने समवर्ती लेखापरीक्षा, आंतरिक निरीक्षण, विनियामक लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा आदि की रिपोर्टों की नमूना जांच के आधार पर समीक्षा की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अग्रिमों में कोई कमियां या प्रतिकूल विशेषताएं तो नहीं हैं, जिनके लिए अतिरिक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है. • हम आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के साथ-साथ शाखाओं तथा केन्द्रीय कार्यालय स्तर के सभी परिवर्तनों के ज्ञापन के संबंध में संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है.
2. निवेश समूह के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं जिन्हें तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली(एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत हैं. निवेश बैंक की कुल आस्ति का एक पर्याप्त हिस्सा है. निवेशों का मूल्यांकन, गैर निष्पादित निवेशों (एनपीआई) और संबंधित आय प्राप्त न होने की पहचान एवं उन पर प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित परिपत्रों / दिशानिर्देशों / निर्देशों के अनुसार किया जाता है. (समेकित वित्तीय विवरणियों को अनुसूची 17 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें.) उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिनमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा/सूचनाएं जैसे कि (फाइनेंशियल ब्युरो ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफबीआईएल) दर, बीएसई/ एनएसई पर प्रदर्शित दरों, गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की वित्तीय विवरणियां, प्रतिभूति रसीदों के मामले में निवल परिसंपत्ति मूल्य इत्यादि शामिल है.	निवेशों की तरफ हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों / आदेशों के संदर्भ के साथ गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों पर प्रावधानीकरण / मूल्यह्रास से संबंधित मूल लेखा प्रतिक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा परिचालन प्रभावशीलता का निर्धारण शामिल है. विशेष रूप से: • हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, निवेश पर प्रावधान और मूल्यह्रास के संबंध में संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए मूल बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली और आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण किया है. • हमने चयनित निवेश नमूनों की सटीकता और अनुपालन की जांच की, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन पुन: संपादित कर सत्यापित किया. • हमने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान करने की प्रक्रिया तथा उसके अनुरूप आय के प्रत्यावर्तन और प्रावधान के सृजन का आकलन एवं मूल्यांकन किया।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय	हमारे लेखापरीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया
भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ निवेश बाजार मूल्य पर मूल्यांकित है जबकि कुछ निवेश ऐसी मूल्यांकन पद्धति पर आधारित है जिसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के साथ सांख्यकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन आदि शामिल होते है. इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निश्चित किया गया मूल्य केवल एक उचित आकलन होता है. इसलिए निवेशों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि अत्यंत महत्व रखती है, अत: इसे हमारी लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में माना गया है.	• हमने सृजित किए जाने वाले प्रावधान तथा की जाने वाली मूल्यह्रास व्यवस्था की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने हेतु सारगर्भित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ संपादित कीं। • हमने मूल्यांकन किया है कि वित्तीय विवरण प्रकटीकरण प्रचलित लेखांकन मानकों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के संदर्भ में बैंक के निवेश मूल्यांकन जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है.
3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग बैंक की परिचालन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) और अन्य समन्वित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर हैं जो स्वचालित प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के साथ बड़ी मात्रा में नियंत्रित करती हैं. इन प्रक्रियाओं एवं नियंत्रणों का उद्देश्य उपयुक्त उपयोगकर्ता पहुंच तथा प्रबंधन प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है. मूल बैंक के पास आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिए शीर्ष प्रबंधन के पर्यवेक्षण एवं विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों के सहयोग के अधीन कार्यरत आंतरिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) है. तदनुसार, आईटी प्रणालियों एवं नियंत्रणों का हमारे लेखा परीक्षण पर व्यापक प्रभाव पड़ने के कारण, इस विषय को हमने लेखा परीक्षा का प्रमुख विषय माना गया है.	हमने मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाकर मूल आईटी एप्लीकेशन, डेटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की, जो हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी प्रणाली को चिह्नित किया. लेखांकन और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणालियों के लिए हमारे लेखापरीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त के ऊपर नियंत्रण सहित) के साथ एप्लिकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डेटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन शामिल हैं. विशेष रूप से: • हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मूल बैंक के आईटी नियंत्रण तंत्र एवं मूल परिवर्तनों को समझने के लिए विवरण प्राप्त किया जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं. • हमने मूल आईटी प्रणालियों पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिसमें स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्टों का मूल्यांकन भी शामिल था. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण और विधिवत अनुमोदित अनुरोधों के आधार पर प्रावधान / संशोधित किए जा रहे पहुंच अधिकारों, समय पर तरीके से रद्द किए जा रहे, निकास मामलों की पहुंच का मूल्यांकन शामिल है. • हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली सृजित रिपोर्टों के लिए प्रमुख स्वचालित और मैन्युअल व्यापार चक्रीय नियंत्रण और सिस्टम द्वारा जनित रिपोर्टों के तर्कों का भी परीक्षण किया; इसके साथ ही जहां आवश्यक हुआ, वहां क्षतिपूर्ति नियंत्रणों का परीक्षण या वैकल्पिक प्रक्रियाएं अपनाकर यह मूल्यांकन किया कि क्या कोई आईटी जोखिम शेष है जो वित्तीय विवरणों अथवा इससे इतर सूचनाओं और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है.

प्रमुख लेखापरीक्षा विषय	हमारे लेखापरीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया
4. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे: ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों पर कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों एवं आकस्मिक दायित्व का आकलन (अनुसूची 17 की नोट संख्या 15 एवं अनुसूची 18 की नोट संख्या 3.13) प्रावधान स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के विवेक और निर्णय की आवश्यकता होती है. बैंक को मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव एवं जहां भी आवश्यक हो कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय पर आधारित होता है. तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और बैलेंस शीट में प्रस्तुत मामलों की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं. आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर होता है. प्रबंधन के दृष्टिकोण में कर मांगों सहित ऐसे दावे और मुकदमे बैंक के विरूद्ध दावे उत्पन्न नहीं करेंगे. हालाँकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जिनका पूर्वानुमान इस स्तर पर अनिश्चित/ अप्रत्याशित है. इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कानून की व्याख्या में विवेक के प्रयोग की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है.	हमने लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त कर ली है, ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को ऐसी रूपरेखा में तैयार कर सकें जो परिस्थितियों के अनुरूप हों। हमने प्रावधान हेतु प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की व्यापक समीक्षा की, लेकिन चूंकि इनका प्रभाव भविष्य के विकास पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, अत: हमने मुख्य रूप से उन धारणाओं और अनुमानों पर भरोसा किया, जो बैंक द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन हैं. हमने दावों एवं कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है तथा इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थिरता, हाल के आदेशों की जांच और विभिन्न करों से प्राप्त संप्रेषणों एवं उन पर की गई कार्रवाइयों की समीक्षा के लिए अपनी आंतरिक टीम को शामिल किया है. हमने उपलब्ध अभिलेखों और अब तक की प्रगति के आधार पर यह आकलन किया है कि ये दावे/मुकतमे अंतिम समाधान के पश्चात संभावित रूप से दायित्व में परिवर्तित होंगे या नहीं.

अन्य विषय

6. इन समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है.

(ए) हमने बैंक की 1952 शाखाओं की वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरणों लेखा परीक्षण नही किया है. इन शाखाओं के एकल वित्तीय विवरण के अनुसार, 31 मार्च 2026 को इनकी कुल परिसंपत्तियाँ ₹2,98,880.60 करोड़ तथा वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹11,985.47 करोड़ रूपये था. इन शाखाओं के वित्तीय विवरण /सूचनाओं का लेखा परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई है. जहाँ तक इन शाखाओं की राशियों और सार्वजनिकीकरण का संबंध है, हमारी राय पूर्णत: उन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

(बी) हमारे ऑडिट के दौरान, हमने 2613 शाखाओं के अलेखापरीक्षित रिटर्न को ध्यान में रखा है, जिन्हें बैंक प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है. इन शाखाओं के एकल वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई कुल परिसंपत्तियाँ 31 मार्च 2026 को ₹99,025.15 करोड़ तथा उस वर्, का कुल राजस्व ₹6,354.34 करोड़ रूपये था.

(सी) हमने एक अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों सूचनाओं का लेखा परीक्षण नही किया है, जिसकी वित्तीय स्थितियों के अनुसार 31 मार्च 2026 को कुल परिसंपत्तियाँ ₹78.09 करोड़ तथा वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹20.24 करोड़ था. इन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई है. इस अनुषंगी कंपनी से संबंधित राशियों और प्रकटीकरण के संबंध में हमारी राय पूर्णत: उस अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है.

(डी) समेकित वित्तीय विवरणों में एक ऐसी सहायक कंपनी की वित्तीय जानकारी/विवरण भी शामिल है, जिसकी 31 मार्च 2026 को कुल परिसंपत्तियाँ ₹1862.96 करोड़ तथा उस वर्ष का कुल राजस्व ₹183.84 करोड़ है. इन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नही किया गया है और इन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर शामिल किया गया है. इस सहायक कंपनी से संबंधित राशियों के प्रकटीकरण से संबंध में हमारी राय केवल ऐसे अलेखापरीक्षित विवरणों पर आधारित है. हमारे मत में प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नही हैं.

(ई) समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के हिस्से का ₹47.28 करोड़ का शुद्ध लाभ भी शामिल है जो (31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए) 5 सहयोगी संस्थाओं से संबंधित हैं. ये सहयोगी संस्थाएँ वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रभावों की समाप्ति/खरीद की तिथियों तक अलेखापरीक्षित रही हैं. इनकी वित्तीय जानकारी हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई है और इस सहायक कंपनी से संबंधित राशियों के प्रकटीकरण से संबंध में हमारी राय केवल ऐसे अलेखापरीक्षित विवरणों पर आधारित है. हमारे मत में प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नही हैं.

उपरोक्त विषय के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में कोई संशोधन नही किया गया है.

समेकित वित्तीय विवरणियों तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

7. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है. अन्य सूचना में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, बैंक की लाभांश वितरण नीति, व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, प्रमुख वित्तीय संकेतक और अन्य शेयरधारक जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं है. उपरोक्त अन्य जानकारी इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना एवं नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं, और न ही करेंगे.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि उपर्युक्त अन्य जानकारी पढ़ें और इस बात पर विचार करें कि क्या यह जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है, गलत अथवा कही कोई गंभीर भौतिक प्रस्तुति प्रतीत होती है.

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि उनमें कोई गंभीर भौतिक त्रुटि है तो हमें यह विषय गवर्नेंस से संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों (टीसीडब्ल्यूजी) को सूचित करना होता है.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस से संबंधित उत्तरदायित्व

8. मूल बैंक का प्रबंधन तथा निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यत: स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह और इसके सहयोगियों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह का सटीक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानक तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश ("आरबीआई दिशानिर्देश") और न्यायिक घोषणाएं

सम्मिलित हैं. इस उत्तरदायित्व में समूह की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेख की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं एवं भौतिक असंगत बयानों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिनका उपयोग बैंक के निदेशक मंडल द्वारा उपर्युक्त कथन/विवरण को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, भी शामिल है.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल संस्थाओं और उसके सहयोग समूह के संबंधित निदेशक मंडल इस बात के लिए भी उत्तरदायी है कि वे समूह की सतत परिचालन क्षमता का आकलन करें, जहां लागू हो वहां सतत परिचालन से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करें और सतत परिचालन की लेखांकन नीति का उपयोग करें, जब तक कि निदेशक मंडल का आशय समूह का परिसमापन करने या उसका संचालन बंद करने का न हो अथवा उनके पास कोई व्यवहारिक विकल्प न हो.

संबंधित समूह में शामिल संस्थाओं और सहयोगियों के निदेशक मंडल भी समूह और सहयोगियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी है.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

9. हमारा उद्देश्य यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरणियाँ समग्र रूप से , भौतिक रूप से किसी प्रकार की गलत प्रस्तुति, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण से युक्त है, और इस पर हमारी राय सहित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है. यह युक्तिसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया प्रत्येक लेखा परीक्षण हर स्थिति में भौतिक गलत बयानी का पता लगा लेगा. गलत बयानी, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे भौतिक तब तक माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समष्टि रूप से, यह उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर यथोचित रूप से प्रभावित कर सकती है.

लेखांकन के मानदंडों के अनुरुप लेखापरीक्षा के एक भाग के तौर पर, हम व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते है:

- समेकित वित्तीय विवरणों में संभावित भौतिक गलतबयानी के जोखिमों की पहचान एवं उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर निष्पादित करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय को आधार देने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक गलतबयानी का पता नहीं चलने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है.
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को समझना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो, लेकिन समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना इसका उद्देश्य नहीं होता हैं.
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरण की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना.
- प्रबंधन द्वारा सतत चालू रहने की अवधारणा के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह मूल्यांकन करना कि क्या कोई ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके सहयोगियों की सतत जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण गंभीर संदेह पैदा कर सकती है. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है. तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होता है हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और उसके सहयोगियों को सतत चलायमान रहने से रोक सकती हैं.
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणियों की समग्र

प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना एवं यह मूल्यांकन करना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं की न्यायसंगत प्रस्तुति के अनुरूप चित्रण करते हैं.

- समूह में शामिल उन संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करना जिनका हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक के रूप में लेखा परीक्षण कर चुके हैं, ताकि समेकित वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त की जा सके. हम उन संस्थाओं के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन हेतु उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल अन्य संस्थाओं हेतु, जिनके लेखा परीक्षण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है के विषय में लेखापरीक्षण की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वे लेखा परीक्षा स्वयं उत्तरदायी रहते है. हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं.

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणियों में गलत बयानों का परिणाम है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं. हम (i) अपने लेखापरीक्षण के कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने, और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

हम अन्य विषयों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में मूल बैंक के गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी लोगों के साथ संवाद करते हैं, इसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां, जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पाते है, शामिल हैं.

हम उन बैंक के सन्दर्भ में गवर्नेंस के प्रति उत्तरदायी लोगों को भी एक वचन देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों और अन्य विषयों के बारे में संवाद करते है जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा, उपायों पर भी जानकारी देते हैं.

गवर्नेंस के प्रति उत्तरदायी लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा विषय हैं.

हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामलों में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी विषय को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के सार्वजनिक हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते है.

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है.

11. उपरोक्त पैराग्राफ 6, 8 से 9 में उल्लिखत लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और जैसा कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित, हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर अलग-अलग वित्तीय विवरणों और सहायक कंपनियों और सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर, जैसा कि "अन्य मामले" पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं कि:

ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है.

बी) हमारी जानकारी में आए लेन-देन समूह की शक्तियों के अंतर्गत हैं, और

सी) समूह के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं.

12. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30(2) के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. DOS.ARG. NO.6270/08.91.001/2019 - 20 दिनांक 17 मार्च 2020, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वैधानिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और वित्तीय वर्ष 2019-20 से उनकी रिपोर्टिंग संबंधी दायित्वों से संबंधित है तथा आरबीआई द्वारा 19 मई 2020 को जारीअनुवर्ती निर्देशों के साथ पढ़े जाने पर हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में, मूल बैंक द्वारा विधिक रूप से अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जो हमारे द्वारा उन पुस्तकों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है और हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है.

बी) इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखा पुस्तकों और हमारे द्वारा नहीं देखी गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं.

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक की शाखाओं के खातों पर लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयारी में हमने उन्हें यथोचित रूप से सम्मिलित किया है.

डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का इस सीमा तक अनुपालन करते हैं, कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत न हो.

ई) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणियाँ नहीं हैं जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

एफ) चूंकि मूल बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता मूल बैंक पर लागू नहीं होती है.

भारत में निगमित एक सहायक कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित सहायक कंपनी का कोई भी निदेशक 31 मार्च 2026 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं पाया गया है..

जी) लेखों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई आपत्तियां, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं है.

एच) आईसीएआई द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शिका" के पैरा 1.14 के अनुसार, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकल वित्तीय विवरणों पर लागू होती है. तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की गई है.

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005593C

सीए अरुण अग्रवाल
भागीदार
एम.नं. – 409937
यूडीआईएन: 26409937RTSFIW3278

कृते **जैन पारस बिलाला एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 011046C

सीए पारस बिलाला
भागीदार
एम.नं. – 400917
यूडीआईएन: 26400917SLROFC9677

कृते **अमित राय एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000483C

सीए अभिषेक शर्मा
भागीदार
एम.नं. – 403861
यूडीआईएन: 26403861TVONWL8556

कृते **गर्ग अशोक एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 012127N

सीए अशोक कुमार
भागीदार
एम.नं. – 090991
यूडीआईएन: 26090991UQMAKH3723

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30.04.2026

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च 2026 को लेखापरीक्षित

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची क्रमांक	31 मार्च 2026 को ₹	31 मार्च 2025 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	90,514,012	90,514,012
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	299,497,387	278,300,775
अल्प ब्याज	2A	921,786	851,657
जमा	3	4,684,439,999	4,132,709,815
उधार राशि	4	318,542,048	218,196,431
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	116,876,228	83,995,728
कुल		**5,510,791,460**	**4,804,568,418**
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	6	189,529,570	229,314,258
अन्य बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	188,817,444	132,659,652
निवेश	8	1,576,071,527	1,416,522,608
अग्रिम	9	3,382,086,016	2,835,054,044
अचल आस्तियां	10	51,255,146	52,051,373
अन्य आस्तियां	11	122,270,020	138,877,587
समेकन पर सुनाम		761,737	88,896
कुल		**5,510,791,460**	**4,804,568,418**
आकस्मिक देयताएं	12	2,110,393,595	1,437,119,094
वसूली के लिए बिल		97,329,706	82,737,699

उपर्युक्त उल्लेखित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग हैं.

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेंद्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बी.पुरुषार्थ
निदेशक

मनोरंजन दास
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

शारदा कुमार होता
निदेशक

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 005593सी

सीए अरुण अग्रवाल
पार्टनर
एम. संख्या 409937

अमित रे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000483सी

सीए अभिषेक शर्मा
पार्टनर
एम. संख्या 403861

जैन पारस बिलाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 011046सी

सीए. पारस बिलाला
पार्टनर
एम. संख्या 400917

गर्ग अशोक एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन:012127एन

सीए. अशोक कुमार
पार्टनर
एम.संख्या 090991

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

समेकित लाभ एवं हानि खाता

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु

(000 को छोड़कर)

विवरण		अनुसूची क्रमांक	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	361,676,945	337,974,470
	अन्य आय	14	64,154,439	56,582,717
	कुल		425,831,384	394,557,187
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	219,260,535	198,296,709
	परिचालन व्यय	16	120,500,558	114,509,442
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		41,235,116	43,573,040
	कुल		**380,996,209**	**356,379,191**
	सहयोगी ईकाई में अर्जक/हानि का शेयर		472,828	1,254,095
	अल्प ब्याज में कटौती से पूर्व अवधि के लिए समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		45,308,003	39,432,091
	घटाएं: अल्प ब्याज		70,129	90,037
III.	**समूह के पूर्व अवधि मद के पहले कर कटौती वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**		**45,237,874**	**39,342,054**
	जोडे - पूर्व अवधि मद		55,503,499	28,300,561
	पूर्व अवधि मद के पश्चात् वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)		-	571
	जोडे - अग्रिम लाभ/(हानि) शेष			
IV.	**विनियोजन**			
	संवैधानिक आरक्षित निधियों का अंतरण		10,921,494	9,463,145
	अन्य निधियों का अंतरण		15,707,141	2,676,542
	ए. पूंजी निधियां		1,397,331	883,270
	बी. राजस्व निधियां		13,831	17,841
	सी. निवेश उतार-चढ़ाव निधियां		2,878,201	-
	डी. धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि		556,098	78,046
	लाभांश हेतु अंतरण :			-
	ए. अंतरिम लाभांश – इक्विटी पूंजी – जून, सितम्बर एवं दिसम्बर 2025		5,430,840	-
	बी. अंतरिम लाभांश – इक्विटी पूंजी – चौथी तिमाही हेतु पिछले संगत वित्त वर्ष 2024-25 का लाभांश		5,430,840	1,697,385
	तुलन पत्र में स्थानांतरित शेष		74,112,738	55,503,499
	कुल		**100,741,373**	**67,643,186**
	प्रति शेयर (₹ में) अर्जन - आधार (₹10/- प्रति शेयर मैद्रिक मूल्य)		5.00	4.53
	प्रति शेयर (₹ में) अर्जन - डायल्यूटेड (₹10/- प्रति शेयर मैद्रिक मूल्य)		5.00	4.53

उपर्युक्त उल्लेखित अनुसूचियां समेकित लाभ एवं हानि खातों का अभिन्न भाग हैं.

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेंद्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बी.पुरुषार्थ
निदेशक

मनोरंजन दास
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

शारदा कुमार होता
निदेशक

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 005593सी

सीए अरुण अग्रवाल
पार्टनर
एम. संख्या 409937

अमित रे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000483सी

सीए अभिषेक शर्मा
पार्टनर
एम. संख्या 403861

जैन पारस बिलाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 011046सी

सीए. पारस बिलाला
पार्टनर
एम. संख्या 400917

गर्ग अशोक एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन:012127एन

सीए. अशोक कुमार
पार्टनर
एम.संख्या 090991

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

समेकित तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2026 को

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 को ₹	₹	31 मार्च 2025 को ₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
अधिकृत पूंजी		100,000,000		100,000,000
प्रति ₹ 10/- के 1000,00,00,000 शेयर				
जारी, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी:	90,514,012		90,514,012	
(प्रति ₹ 10/- के 9051401274 इक्विटी शेयर)				
अभिदत्त पूंजी	90,514,012		90,514,012	
(प्रति ₹ 10/- के 9051401274 इक्विटी शेयर)				
चुकता पूंजी	90,514,012		90,514,012	
(प्रति ₹ 10/- के 9051401274 इक्विटी शेयर)				
(प्रति ₹ 10/- के 9051401274 इक्विटी शेयर पिछले वर्ष)				
9051401274 इक्विटी शेयर) केन्द्र सरकार द्वारा धारित				
प्रति शेयर ₹ 10/- के 8080391687 इक्विटी शेयर सहित)				
		90,514,012		90,514,012
कुल		**90,514,012**		**90,514,012**
अनुसूची 2 : आरक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. **संवैधानिक निधियां**				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	43,039,372		33,576,227	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	10,921,494		9,463,145	
		53,960,866		43,039,372
II. **पूंजीगत निधियां**				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	20,046,613		19,163,086	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,608,574		883,527	
		21,655,187		**20,046,613**
III. **पुनर्मूल्यांकित निधियां**				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	39,216,328		40,847,181	
जोड़े: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन	-		-	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण	607,145		1,630,853	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		38,609,183		**39,216,328**
IV. **शेयर प्रीमीयम**				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	85,961,710		74,666,328	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-		11,295,382	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		85,961,710		**85,961,710**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 को ₹	₹	31 मार्च 2025 को ₹	₹
V. अन्य आरक्षित निधियां				
ए) धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	1,737,959		1,660,319	
जोडें-वर्ष के दौरान परिवर्धन	556,098		78,046	
घटाएं- वर्ष के दौरान कटौती	-		406	
		2,294,057		**1,737,959**
VI. राजस्व एवं अन्य सामान्य निधियां				
i) निवेश अस्थिर निधियां				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	9,071,633		8,502,889	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,878,201		568,742	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
	11,949,834		**9,071,631**	
ii) निवेश निधियां				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	-		568,742	
जोड़े: राजस्व निधि से अंतरण	-		-	
जोड़े- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-		568,742	-
	-		**-**	
iii) एएफएस निधियां				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	4,865,217		-	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		4,865,217	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	13,390,827		-	
	(8,525,610)		**4,865,217**	
iv) सामान्य आरक्षित निधियां:				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	(12,439,472)		-	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		36,974,062	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-		49,413,534	
	(12,439,472)		**(12,439,472)**	
v) राजस्व निधियां				
अंतिम तुलन पत्र अनुसार शेष	31,297,918		29,649,389	
जोड़े: पुनर्मूल्यांकन निधि से अंतरण	607,145		1,630,853	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	13,831		17,841	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-		165	
	31,918,894		31,297,918	
उप-योग VI – राजस्व / अन्य सामान्य आरक्षित निधियाँ		**22,903,646**		**32,795,294**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 को ₹	₹	31 मार्च 2025 को ₹	₹
VII. **लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि**				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष राशि	55,503,499		28,300,561	
जोड़े- लाभ एवं हानि में समायोजन	-		571	
जोड़े- लाभ के विनियोग के बाद वर्ष के लिए लाभ	18,609,239		27,202,367	
		74,112,738		55,503,499
कुल		**299,497,387**		**278,300,775**
अनुसूची 2ए: अल्प ब्याज				
जिस दिनांक पर मूल/सहयोगी संबंध अस्तित्व में आए उस दिनांक पर अल्प ब्याज	24,500		24,500	
अनुवर्ती वृद्धि/कमी	897,286		827,157	
तुलन पत्र की दिनांक पर अल्प ब्याज		**921,786**		**851,657**
अनुसूची 3: जमा				
ए. I. मांग जमा				
i) बैंकों से	8,350,883		9,295,157	
ii) अन्य से	207,258,056		193,907,922	
		215,608,939		**203,203,079**
II. **बैंक बचत जमा**		2,000,240,110		1,817,614,464
III. **सावधि जमा**				
i) बैंकों से	6,036,504		7,962,218	
ii) अन्य से	2,462,554,446		2,103,930,054	
		2,468,590,950		2,111,892,272
कुल (I, II और III)		**4,684,439,999**		**4,132,709,815**
बी. i) भारत में शाखाओं की जमा		4,684,439,999		4,132,709,815
ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमा		-		-
कुल (i और ii)		**4,684,439,999**		**4,132,709,815**
अनुसूची 4 : उधार				
I. भारत में उधार				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	132,000,000		88,910,000	
ii) अन्य बैंक	75,052,539		25,567,286	
iii) अन्य संस्थान एवं संगठन	93,170,284		83,719,145	
iv) असुरक्षित प्रतिदेय बॉन्ड (सहायक उधार)	-		-	
v) ऊपरी टीयर II बॉन्ड				
vi) नवोन्मेषी सतत ऋण उपाय	-		-	
vii) असुरक्षित प्रतिदेय एनसी बेसल III बॉन्ड (टीयर II)	-		-	
vii) असुरक्षित प्रतिदेय एनसी बेसल III बॉन्ड (टीयर II)	15,000,000		20,000,000	
		315,222,823		218,196,431
II. भारत के बाहर से उधार		3,319,225.00		-
कुल		**318,542,048**		**218,196,431**
उपरोक्त I एवं II में शामिल सुरक्षित उधारियाँ.		253,765,766		157,723,880

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 को ₹	₹	31 मार्च 2025 को ₹	₹
अनुसूची 5 : अन्य प्रावधान एवं देयताएं				
I. देय बिल	11,089,737		9,489,218	
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	24,209		2,552	
III. उपार्जित ब्याज	7,193,221		7,938,679	
IV. आस्थगित कर देयताएं	-		-	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	98,569,061	116,876,228	66,565,279	**83,995,728**
★इसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मानक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान ₹3280.90 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25 ₹2713.73 करोड़) एवं देय लाभांश ₹543.08 करोड़ शामिल है।				
कुल		**116,876,228**		**83,995,728**
अनुसूची 6 : भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष				
I. नकद (विदेशी मुद्रा नोट सहित)		13,784,372		14,203,351
II. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष				
चालू खातों में	137,515,198		184,110,907	
अन्य खातों में	38,230,000		31,000,000	
		175,745,198		215,110,907
कुल (I and II)		**189,529,570**		**229,314,258**
अनुसूची 7 :बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष				
ए) चालू खातों में	136,767		130,033	
बी) अन्य जमा खातों में	-		-	
		136,767		130,033
ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि				
ए) बैंकों के पास	-		-	
बी) अन्य संगठनों के पास	5,002,454		1,808,962	
		5,002,454		**1,808,962**
कुल... I		**5,139,221**		**1,938,995**
II. भारत से बाहर				
ए) चालू खातों में	2,069,198		1,226,032	
बी) अन्य जमा खातों में	181,609,025		129,494,625	
सी) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-		-	
कुल II		183,678,223		130,720,657
कुल .....(I+II)		188,817,444		132,659,652

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 को ₹	₹	31 मार्च 2025 को ₹	₹
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश:*				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	1,288,786,246		1,119,511,313	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर	14,312,803		16,140,694	
iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड	257,115,146		266,498,865	
v) सहायक और प्रायोजित संस्थान	4,910,350		6,257,769	
vi) अन्य				
a) (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फण्ड इकाइयां आदि.)	6,784,709		4,823,919	
कुल I		**1,571,909,254**		**1,413,232,560**
II. भारत के बाहर निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-		-	
ii) सहायक और प्रायोजित संस्थान	4,162,273		3,290,048	
iii) अन्य निवेश	-		-	
कुल II		**4,162,273**		**3,290,048**
कुल (I और II)		**1,576,071,527**		**1,416,522,608**
III. भारत में निवेश				
सकल मूल्य	1,587,023,618		1,429,200,294	
घटाएं: प्रावधान पर मूल्यह्रास	15,114,364		15,967,734	
निवल मूल्य		1,571,909,254		1,413,232,560
IV. भारत के बाहर निवेश				
सकल मूल्य	4,162,273		3,290,048	
घटाएं: प्रावधान पर मूल्यह्रास	-		-	
निवल मूल्य		4,162,273		3,290,048
कुल		**1,576,071,527**		**1,416,522,608**
अनुसूची 9: अग्रिम				
ए. i) क्रय एवं बट्टाकृत बिल	53,341,211		35,239,769	
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	1,652,639,373		1,372,127,805	
iii) सावधि ऋण	1,676,105,432		1,427,686,470	
कुल (i, ii और iii)		**3,382,086,016**		**2,835,054,044**
बी. अग्रिमों का विवरण:				
i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित (बही ऋण पर अग्रिमों सहित)	2,895,799,935		2,301,219,326	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से कवर	23,076,997		18,375,259	
iii) असुरक्षित	463,209,084		515,459,459	
कुल (i, ii और iii)		**3,382,086,016**		**2,835,054,044**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 को ₹	₹	31 मार्च 2025 को ₹	₹
सी. अग्रिमों का खण्डवृत्त वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिक क्षेत्र	1,529,714,919		1,289,197,730	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	13,953,984		20,016,899	
iii) बैंक	369		-	
iv) अन्य	1,838,416,744		1,525,839,415	
कुल (i, ii, iii **और** iv)		3,382,086,016		2,835,054,044
कुल		3,382,086,016		2,835,054,044
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. **परिसर**				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च तक का शेष	53,840,545		53,752,805	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	65,951		87,740	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्धन	-		-	
कुल	**53,906,496**		**53,840,545**	
वर्ष के दौरान कटौती एवं समायोजन	-		-	
कुल	**53,906,496**		**53,840,545**	
दिनांक तक मूल्यह्रास	12,908,295		12,273,298	
कुल...I		**40,998,201**		**41,567,247**
II. **अन्य अचल आस्तियां**				
(फर्नीचर व फिक्सचर सहित)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च तक लागत	33,027,530		43,307,453	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	4,512,575		4,464,169	
कुल	37,540,105		47,771,622	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	650,691		14,744,093	
कुल	36,889,414		33,027,529	
दिनांक तक मूल्यह्रास	26,632,469		22,543,403	
कुल....II		**10,256,945**		**10,484,126**
कुल ... (I + II)		**51,255,146**		**52,051,373**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-		-	
कुल (I, II **और** III)		**51,255,146**		**52,051,373**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 को ₹	₹	31 मार्च 2025 को ₹	₹
अनुसूची 11: अन्य आस्तियां				
I. **अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)**	-		-	
II. **उपचित ब्याज**	26,533,643		22,961,661	
III. **अग्रिम रूप से कर का भुगतान/स्रोत पर कर कटौती**	35,127,821		37,000,518	
IV. **स्टेशनरी एवं मुहरें**	336,013		272,128	
V. **दावों की संतुष्टि के लिए अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां**	-		-	
VI. **आस्थगित कर परिसंपत्तियां**	16,177,088		31,340,208	
VII. **अन्य**	44,095,455		47,303,072	
		122,270,020		138,877,587
कुल		**122,270,020**		**138,877,587**
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. **ए) बैंक के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया**		4,205,064		4,173,800
बी) अपीलों, संशोधनों के अंतर्गत विवादित आयकर मांगें*		59,377,056		65,191,711
II. आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश के लिए देयता		11,270,113		11,780,241
III. अग्रिम विनियम अनुबंध बकाया के कारण देयता		1,857,430,740		1,187,035,182
IV. ग्राहक की ओर से दी गई गारंटी				
ए) भारत में	107,447,794		99,834,082	
बी) भारत के बाहर से	961,928		338,240	
		108,409,722		**100,172,322**
V. स्वीकृतियां, समर्थन और अन्य दायित्व		31,904,221		34,669,411
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		37,796,679		34,096,427
कुल		**2,110,393,595**		**1,437,119,094**

* अपीलों एवं पुनरीक्षण के अंतर्गत विवादित कर मांगें (जिसमें आयकर विभाग द्वारा दायर अपीलें शामिल हैं) 31 मार्च 2026 को ₹5130,49,39 (000 को छोड़कर) थीं, जबकि 31 मार्च 2025 को यह ₹5802,75,23 (000 को छोड़कर) थीं। टीडीएस से संबंधित मांग हेतु वित्तीय विवरणों में पहले ही प्रावधान किया जा चुका है।

समेकित लाभ एवं हानि खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13: अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/छूट	241,773,920	224,563,325
II. निवेश पर आय (लाभांश सहित)	102,142,154	100,961,969
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतरबैंक निधियों के पास शेष पर ब्याज	12,538,285	9,164,034
IV. अन्य	5,222,586	3,285,142
कुल	**361,676,945**	**337,974,470**
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. **आयोग, विनिमय एवं दलाली**	22,329,606	21,804,305
II. **भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ**	71,415	27
घटाएं: भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	108,490	243,995
III. **ट्रांजैक्शन विनिमय पर लाभ**	1,828,534	2,249,797
घटाएं: ट्रांजैक्शन विनिमय पर हानि	-	-
IV. **निवेश बिक्री पर लाभ (शुद्ध)**	12,558,908	10,479,077
घटाएं: निवेश बिक्री पर हानि	1,173,751	-
V. **निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ**	-	1,448,537
घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	933,308	-
VI. **विविध आय**		
ए. विदेश में/ भारत में सहायक कंपनियों एवं सहयोगियों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	157,898	75,085
बी. अन्य	29,423,627	20,769,884
कुल	**64,154,439**	**56,582,717**

**निवेश की बिक्री पर मुनाफे/नुकसान (शुद्ध) में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में निवेश की बिक्री से हुआ लाभ रु.20,22,292 (000 को छोड़कर) और उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेश की बिक्री से हुआ नुकसान रु. (11,73,751) (000 को छोड़कर) शामिल हैं.

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 15 : व्यय किया गया ब्याज		
I. जमा पर ब्याज	210,500,459	185,344,052
II. भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर्बैंक उधार पर ब्याज	2,548,933	4,700,248
III. अन्य	6,211,143	8,252,409
कुल	**219,260,535**	**198,296,709**
अनुसूची 16 : परिचालन पर व्यय		
I. कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	76,003,763	72,348,461
II. किराया, कर एवं बिजली	6,881,387	6,730,770
III. प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	348,794	382,216
IV. विज्ञापन एवं प्रकाशन	456,159	390,807
V. ए) पट्टाकृत परिसंपत्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास	5,297,631	5,575,736
बी) बैंक की अन्य संपत्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
VI. निदेशक के शुल्क, भत्ते एवं व्यय	19,208	11,041
VII. लेखापरीक्षकों के शुल्क एवं व्यय (शाखा के लेखापरीक्षकों की शुल्क सहित)	540,287	427,268
VIII. विधि शुल्क	632,539	610,454
IX. डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि	938,417	885,541
X. मरम्मत व रखरखाव	2,172,347	2,080,013
XI. बीमा	5,803,327	4,872,677
XII. गुडबिल का परिशोधन, यदि कोई हो	-	-
XIII. अन्य व्यय	21,406,699	20,194,458
कुल	**120,500,558**	**114,509,442**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(ए) पृष्ठभूमि

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत पंजीकृत एक निगमित निकाय है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। इसका मुख्य व्यवसाय व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉरपोरेट्स, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के साथ बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। यह व्यवसाय भारत में इसकी शाखाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समूह में वर्तमान में मूल बैंक और निम्नलिखित संबंधित संस्थाएं शामिल हैं:

कंपनी का नाम	देश	संबंध	बैंक का स्वामित्व अनुपात
सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	भारत	सहायक कंपनी	64.40%
सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	भारत	सहायक कंपनी	100%
जेनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	सहयोगी संस्था	24.91%
जेनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	सहयोगी संस्था	25.27%
इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड	जाम्बिया	सहयोगी संस्था	20%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (UBGB), मुजफ्फरपुर	भारत	सहयोगी संस्था (30 अप्रैल 2025 तक)	
उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (UBKGB), कूचबिहार	भारत	सहयोगी संस्था (30 अप्रैल 2025 तक)	

(बी) तैयारी का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अभिसमय (historical cost conventions) के तहत तैयार किए गए हैं, सिवाय परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में, और ये चालू संस्था (going concern), निरंतरता (consistency), और उपार्जन (accrual) की मूलभूत लेखांकन मान्यताओं का पालन करते हैं तथा सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (GAAP) के अनुरूप हैं, जिसमें लागू वैधानिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड (बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा निर्धारित मानदंडों सहित), लेखांकन मानक (AS) और आईसीएआई द्वारा जारी घोषणाएं तथा भारत में बैंकिंग उद्योग के भीतर प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(सी) समेकन का आधार

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:

(ए) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) के लेखापरीक्षित (Audited) वित्तीय विवरण।

(बी) आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार, सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय जैसी समान मदों का मूल बैंक की संबंधित मदों के साथ लाइन-दर-लाइन एकीकरण तथा सभी महत्वपूर्ण अंतर-समूह शेष/लेनदेन और अवास्तविक लाभ/हानि को समाप्त करने के बाद।

(सी) सहयोगी संस्थाओं में निवेश का हिसाब आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (AS) 23 (समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार इक्विटी विधि के तहत रखा गया है।

(डी) इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड के वित्तीय विवरण लागू स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं और/या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। सहयोगी संस्था से प्राप्त वित्तीय विवरण इन समेकित वित्तीय विवरणों में इसके समेकन का एकमात्र आधार बनते हैं। सहयोगी संस्था अपनी लेखांकन अवधि के रूप में कैलेंडर वर्ष का पालन करती है, जो मूल बैंक की लेखांकन अवधि से भिन्न है। तदनुसार, मूल बैंक के लाभ या हानि के

आनुपातिक हिस्से को लेखापरीक्षित अवधि के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर और बीच की अपरीक्षित अवधि के लिए सहयोगी संस्था की प्रबंधन-प्रमाणित/अपरीक्षित वित्तीय जानकारी के आधार पर माना गया है।

(ई) समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए एकसमान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और जहां तक संभव हो, कंपनी के अलग वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किए जाते हैं, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा उल्लेख किया गया हो।

(फ) सहायक कंपनियों ने कुछ मामलों में बैंक द्वारा अपनाई गई नीतियों से भिन्न लेखांकन नीतियों का उपयोग किया हो सकता है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि समेकित वित्तीय विवरणों में उन मदों का अनुपात जिन पर सहायक कंपनियों द्वारा भिन्न लेखांकन नीतियां लागू की गई हैं, नगण्य है।

सहायक कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं के समेकन पर ख्याति / पूंजी आरक्षित की पहचान:

सहायक/सहयोगी संस्थाओं में समूह की निवेश लागत और सहायक/सहयोगी संस्था की इक्विटी में मूल कंपनी के हिस्से के बीच के अंतर को समेकित वित्तीय विवरणों में ख्याति या पूंजी आरक्षित के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, मान्यता दी जाती है।

समेकित सहायक कंपनियों की शुद्ध संपत्तियों में अल्पसंख्यक हित में निम्नलिखित शामिल हैं

(ए) सहायक कंपनी में निवेश किए जाने की तिथि पर अल्पसंख्यक को देय इक्विटी की राशि, और

(बी) मूल-सहायक संबंध अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी में उतार-चढ़ाव में अल्पसंख्यक का हिस्सा।

(डी) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर संपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय में विचार की जाती हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को बदलाव की अवधि से भावी रूप से मान्यता दी जाती है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

(ई) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. **नकद और नकद समतुल्य**

नकद और नकद समतुल्य में हाथ में नकद (और एटीएम, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग पर और अल्प सूचना पर उपलब्ध धन शामिल हैं।

2. **राजस्व मान्यता**

मूल बैंक

2.1 सामान्य:

आय/व्यय का हिसाब आमतौर पर उपार्जन आधार पर रखा जाता है, सिवाय विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर गिनी जाने वाली आय के।

2.2 निवेशों से आय:

निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ को (लागू करों और "वैधानिक आरक्षित खाते" में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को घटाकर) "पूंजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया जाता है। लाभांश आय तब मान्यता प्राप्त करती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है। सुरक्षा रसीदों पर होने वाले अतिरिक्त लाभ को वसूली होने पर 'अन्य आय' के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.3 वित्तीय आस्तियों की बिक्री:

बेची गई वित्तीय आस्तियों को निम्नानुसार मान्यता दी जाती है:

(ए) एनपीए की बिक्री का हिसाब आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार रखा जाता है। जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी /पुनर्गठन कंपनी को बेचता है, तो उसे बही-खातों से हटा दिया जाता है।

(बी) यदि एससी/एआरसी को बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम कीमत पर होती है, तो कमी को बिक्री वाले वर्ष में ही लाभ और हानि खाते में वसूल किया जाता है।

(सी) यदि बिक्री नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर होती है, तो अधिशेष को लाभ और हानि खाते के क्रेडिट में ले जाया जाता है।

2.4 शुल्क आधारित आय:

साख पत्र , बैंक गारंटी और आस्थगित भुगतान गारंटी पर कमीशन को आनुपातिक रूप से पूरी अवधि में उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी वसूली पर मान्यता दी जाती है।

2.5 अन्य:

आयकर रिफंड पर ब्याज का हिसाब रिफंड आदेश/ आयकर विभाग से सूचना प्राप्त होने और बैंक द्वारा इसे स्वीकार किए जाने पर किया जाता है।

II. सहायक कंपनियां

सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

(ए) ऋणों पर ब्याज:

लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित आस्तियों के मामलों को छोड़कर, ब्याज आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां आय को वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है।

समान मासिक किश्तों के माध्यम से चुकाए जाने वाले ऋणों के संबंध में, प्रत्येक किश्त में मूलधन और ब्याज शामिल होता है, जिसमें ब्याज की गणना महीने के प्रारंभ में बकाया ऋण शेष पर की जाती है।

ईएमआई अधिस्थगन अवधि के पूरा होने के बाद शुरू होती हैं। अधिस्थगन अवधि के दौरान, प्री-ईएमआई ब्याज की वसूली की जाती है।

एनपीए के मामले में, वसूलियों को सबसे पहले अतिदेय ब्याज के प्रति और उसके बाद अतिदेय किश्तों के मूलधन घटक के प्रति तथा उसके बाद शुल्कों में विनियोजित किया जाता है।

(बी) शुल्क और अन्य प्रभार: शुल्क और अन्य प्रभारों से आय, जैसे लॉगिन शुल्क, अतिदेय राशियों पर दंडात्मक ब्याज, पूर्व-भुगतान प्रभार , और इसी तरह की मदों को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है।

(सी) निवेशों से आय: बैंक जमा, बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है। लाभांश आय को उस वर्ष मान्यता दी जाती है जिसमें लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

(डी) अन्य आय: आयकर रिफंड पर ब्याज और अन्य विविध आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाती।

सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

(ए) ट्रस्टीशिप सेवा आय, जिसमें वार्षिक शुल्क शामिल है, सेवा की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त करती है, जबकि प्रारंभिक स्वीकृति शुल्क प्रस्ताव पत्र की स्वीकृति पर मान्यता प्राप्त करता है जो सेवाओं की शुरुआत का प्रतीक है; दस्तावेज़ीकरण और सहायक शुल्कों को तब मान्यता दी जाती है जब वे मापने योग्य और वसूली योग्य हों।

(बी) डिबेंचर और सुरक्षा ट्रस्टीशिप सेवाओं से राजस्व को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मामलों के जिनमें कानूनी विवाद या गैर-निष्पादित आस्तियां शामिल हैं, जहां वसूली की अनिश्चितता के कारण आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है।

(सी) गैर-आवंटित फंडों पर वार्षिक रखरखाव या होल्डिंग शुल्क को गैर-आवंटन की तारीख से सात वर्ष पूरे होने के बाद उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

(डी) अदावाकृत आय पर दंडात्मक शुल्क लगातार तीन वर्षों तक लावारिस रहने के बाद वार्षिक रूप से उपार्जन आधार पर मान्यता प्राप्त करते हैं, और लगातार दस वर्षों के बाद एक अतिरिक्त एकमुश्त जुर्माना मान्यता प्राप्त करता है।

(ई) पोर्टफोलियो प्रबंधन शुल्क को अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य के आधार पर उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है, और सावधि तथा अन्य मियादी जमाओं पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है, जो वसूली की उचित निश्चितता के अधीन है।

3. अग्रिम

मूल बैंक

3.1 आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के आधार पर, ऋणों और अग्रिमों को परफॉर्मिंग और नॉन-परफॉर्मिंग के रूप में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

(ए) मियादी ऋण को एक गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि ब्याज और/या मूलधन की किश्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

(बी) एक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि खाता "आउट ऑफ ऑर्डर" रहता है, यानी यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृत सीमा/ आहरण शक्ति से अधिक हो जाती है, या यदि लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट नहीं होता है, या यदि क्रेडिट पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(सी) खरीदे गए/भुनाए गए बिलों को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है।

(डी) कृषि अग्रिमों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि, (i) कम अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या ब्याज की किश्त दो फसल चक्रों के लिए अतिदेय रहती है; और (ii) लंबी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या ब्याज एक फसल चक्र के लिए अतिदेय रहता है।

(ई) एक कार्यशील पूंजी उधार खाता जहां खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए अनियमित आहरण की अनुमति दी जाती है,

भले ही इकाई काम कर रही हो या उधारकर्ता की स्थिति संतोषजनक हो।

(फ) एक खाता जहां नियमित / तदर्थ क्रेडिट सीमाओं की नियत तारीख / तदर्थ मंजूरी की तारीख से 180 दिनों के भीतर समीक्षा / नवीनीकरण नहीं किया गया है।

(जी) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निर्देश, 2025 के संदर्भ में किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

(एच) डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में, डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य (positive mark-to-market value) का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिदेय प्राप्य (overdue receivables), भुगतान के लिए निर्दिष्ट नियत तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए हों।

3.2 गैर-निष्पादित आस्तियों को RBI द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर उप-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है:

(i) **उप-मानक** : एक ऋण आस्ति जो 12 महीने या उससे कम की अवधि के लिए गैर-निष्पादित रही हो।

(ii) संदिग्ध एक ऋण आस्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए उप-मानक श्रेणी में रही हो या उप-मानक खाते जहां प्रतिभूति के मूल्य में बैंक द्वारा आकलित या अंतिम निरीक्षण के समय RBI द्वारा स्वीकृत मूल्य के 50% से अधिक की कमी हुई हो, जैसी भी स्थिति हो।

(iii) **हानि** : एक ऋण आस्ति जहां हानि की पहचान की गई है लेकिन राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है या यदि बैंक/ अनुमोदित मूल्यांककों/RBI द्वारा आकलित सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य बकाया राशि के 10 प्रतिशत से कम है।

3.3 विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान किए जाते हैं, जो नीचे दिए गए न्यूनतम प्रावधानों के अधीन हैं

उप-मानक आस्तियां:

(i) कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान।

(ii) उन एक्सपोजर के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (बकाया शेष पर कुल 25 प्रतिशत) जो शुरुआत से ही असुरक्षित हैं (अर्थात जहां सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य शुरुआत से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)।

(iii) बुनियादी ढांचा अग्रिमों के संबंध में असुरक्षित एक्सपोजर जहां एस्क्रो खाते-20 % जैसे कुछ सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं ।

संदिग्ध आस्तियां:	
-सुरक्षित हिस्सा	
1 वर्ष तक	25%
1 से 3 वर्ष	40%
3 वर्ष से अधिक	100%
-असुरक्षित हिस्सा-	100%
हानि आस्तियां	**100%**

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, कम आय वाले आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटी द्वारा कवर किए गए अग्रिम।

यदि सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं/गारंटियों द्वारा कवर किया गया अग्रिम गैर-निष्पादित हो जाता है, तो गारंटीकृत हिस्से के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

गारंटीकृत हिस्से से अधिक बकाया राशि के लिए गैर-निष्पादित आस्तियों के प्रावधान के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए।

3.4 अग्रिमों को प्रावधानों (NPA के मामले में), अवास्तविक ब्याज (Unrealised Interest), विविध में रखे गए उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि और सीजीटीएसआई/ईसीजीसी आदि से प्राप्त दावों को घटाकर दिखाया जाता है।

3.5 पुनर्गठित/पुनर्निर्धारित परिसंपत्तियों के लिए, आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि संबंधित ऋणों/अग्रिमों के प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन से पहले और बाद में ऋणों/अग्रिमों के उचित मूल्य के बीच के अंतर का प्रावधान किया जाए। उचित मूल्य में कमी और ब्याज त्याग,यदि कोई हो, से उत्पन्न होने वाले प्रावधान को अग्रिमों से घटाया जाता है।

3.6 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अलावा, मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार मानक संपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए जाते हैं। इन प्रावधानों को बैलेंस शीट की अनुसूची 5 में "अन्य देनदारियां और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है और नेट एनपीए तक पहुंचने के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है।

3.7 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, किसी खाते को परफॉर्मिंग एसेट के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह नियामकों द्वारा निर्धारित

दिशानिर्देशों के अनुरूप हो जाता है।

3.8 पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के बदले वसूल की गई रकम को वसूली वाले वर्ष में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.9 पहचानी गई कमजोरी और/या मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट संपत्तियों में विनियामक मानदंडों से अधिक अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं।

3.10 गैर-निष्पादित खातों (आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों सहित) में आंशिक वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है:

1. अतिदेय मूलधन / अनियमितताएं
2. अवास्तविक ब्याज
3. आंशिक बट्टे खाते में डाला गया मूलधन
4. बिना लगाया गया ब्याज (Uncharged Interest)
5. अवास्तविक प्रभार

वाद दायर /सरफेसी /वापस बुलाए गए खातों के मामले में, वसूली को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है

1. बही बकाया शेष
2. अवास्तविक ब्याज
3. आंशिक बट्टे खाते में डाला गया मूलधन
4. बिना लगाया गया ब्याज
5. अवास्तविक प्रभार

हालांकि, जहां किसी उधारकर्ता खाते को पिछली तारीख से गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक हो, वहां खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने तक की कोई भी वसूली सबसे पहले 'ऋण और अग्रिम पर ब्याज' में क्रेडिट की जाती है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के माध्यम से समझौता और समाधान/निपटान के मामलों में, वसूलियों को संबंधित समझौते/समाधान/निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया जाता है। और वाद दायर खातों के मामले में, वसूली संबंधित न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार विनियोजित की जाती है।

II. सहायक कंपनियां

सहायक कंपनी सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, ऋण और अग्रिम पर प्रावधान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किए जाते हैं।

4. देश जोखिम के लिए प्रावधान

परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार रखे गए विशिष्ट प्रावधानों के अलावा, व्यक्तिगत देश जोखिमों (गृह देश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं। देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् नगण्य , कम , मध्यम , उच्च , बहुत उच्च , प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट और मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का देश जोखिम (शुद्ध) कुल वित्त पोषित परिसंपत्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देश जोखिमों पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है।

5. निवेश

I. मूल बैंक

निवेशों का हिसाब दिनांक 28.11.2025 के आरबीआई/डीओआर/2025-26/162 DOR.MRG.REC. No.81/00-00-001/2025-26 के माध्यम से जारी "भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023" के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार रखा जाता है।

5.1 वर्गीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश पोर्टफोलियो को (स्वयं की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को छोड़कर) तीन श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जाना है, अर्थात परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य । 'ट्रेडिंग के लिए धारित' के भीतर एक अलग निवेश उप-श्रेणी होगी। सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को अन्य निवेश श्रेणियों से अलग एक विशिष्ट श्रेणी यानी में रखा जाएगा। अनुसूची 8 में बैलेंस शीट में प्रकटीकरण के लिए, निवेशों को भारत में निवेश और भारत के बाहर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रत्येक श्रेणी के तहत, भारत में निवेश को आगे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

(ए) सरकारी प्रतिभूतियां,

(बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां,

(सी) शेयर,

(डी) डिबेंचर और बॉन्ड,

(ई) सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम/सहयोगी और प्रायोजित संस्थान; और अन्य (कमर्शियल पेपर और म्यूचुअल फंड की इकाइयां आदि)।

भारत के बाहर के निवेशों को आगे 3 श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है:

(ए) सरकारी प्रतिभूतियां,

(बी) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम/सहयोगी, अन्य निवेश।

5.2 वर्गीकरण का आधार:

खरीद के समय किसी निवेश का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है:

(ए) परिपक्वता तक धारित: वे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान (SPPI) के मानदंडों को पूरा करते हैं।

(बी) बिक्री के लिए उपलब्ध : वे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता और बिक्री तक रखने का इरादा रखता है जो SPPI मानदंडों को पूरा करते हैं।

(सी) FVTPL वे प्रतिभूतियां जो HTM या AFS में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें FVTPL के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। HFT, FVTPL के भीतर एक अलग उप-श्रेणी होगी।

(डी) सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को सुई जेनेरिस यानी ऐसे निवेशों के लिए एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा जो अन्य निवेश श्रेणियों (अर्थात HTM, AFS और FVTPL) से अलग हो।

(ई) HFT में केवल उन्हीं वित्तीय साधनों को शामिल किया जाता है जहां उन्हें बेचने या पूरी तरह से हेजिंग करने में कोई कानूनी बाधा न हो।

5.3 मूल्यांकन (Valuation):

सभी प्रतिभूतियों में लेनदेन निपटान तिथि पर दर्ज किए जाते हैं और लागत भारित औसत लागत विधि पर निर्धारित की जाती है।

(ए) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त प्रोत्साहन , फ्रंट-एंड फीस आदि को निवेश की लागत से घटा दिया जाता है।

(बी) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय होने वाले खर्च जैसे ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन या करों को राजस्व व्यय के रूप में लाभ और हानि खाते में वसूल किया जाता है।

(सी) ऋण साधनों पर भुगतान किए गए/प्राप्त किए गए टूटी हुई अवधि के ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है।

सभी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार और फिम्डा (FIMMDA) / फिबिल (FIBIL) / एम्फी (AMFI) तथा स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा घोषित कीमतों / उद्धरणों (quotes) के अनुसार किया गया है।

(ए) 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:

इस श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेशों को अधिग्रहण लागत पर दर्ज किया जाता है। अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत / बही मूल्य के अंतर को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम/डिस्कौंट के ऐसे परिशोधन को व्यय/आय के रूप में गिना जाता है; हालांकि, वे आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगे।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (एसएजेवी) में निवेश:

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर रखे जाएंगे। प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से गैर-अस्थायी प्रकृति के मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है।

'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:

बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों का व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य या विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत / बही मूल्य के अंतर को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम/डिस्कौंट के ऐसे परिशोधन को व्यय/आय के रूप में गिना जाता है। एएफएस के तहत रखे गए सभी परफॉर्मिंग निवेशों, चाहे उनका वर्गीकरण कुछ भी हो (अर्थात सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, बॉन्ड और डिबेंचर, आदि), में होने वाले मूल्यांकन लाभ और हानि को एकत्रित किया जाता है। शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से ले जाए बिना सीधे एएफएस-रिजर्व (AFS- Reserve) में क्रेडिट या डेबिट किया जाता है। हालांकि, वे आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगे।

FVTPL (HFT और NON HFT) के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:

FVTPL (HFT और NON HFT) के रूप में वर्गीकृत निवेशों का बाजार मूल्य या विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाला शुद्ध लाभ या हानि सीधे लाभ और हानि खाते में क्रेडिट/डेबिट किया जाता है। उन प्रतिभूतियों के लिए जो SPPI मानदंड को पूरा करती हैं, अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत / बही मूल्य के अंतर को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम/डिस्कौंट के ऐसे परिशोधन को व्यय/आय के रूप में गिना जाता है; हालांकि, वे आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगे। सभी HFT साधनों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है और किसी भी मूल्यांकन परिवर्तन को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

(इ) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा रसीदों (SRs) को जारी करने के बदले संपत्ति पुनर्गठन कंपनी (ARC) को एनपीए (वित्तीय परिसंपत्ति) की बिक्री के मामले में मूल्यांकन:

(i) यदि कोई ऋण बही मूल्य से अधिक मूल्य पर ARC को हस्तांतरित किया जाता है, तो अतिरिक्त प्रावधान को हस्तांतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में वापस किया जा सकता है यदि बिक्री प्रतिफल में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत SRs शामिल हों।

(ii) प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर ARC द्वारा घोषित शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) की गणना करके SRs का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा। सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान या गारंटी अवधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, के बाद बकाया SRs का मूल्यांकन एक रुपये (₹1) पर किया जाएगा।

(एफ) गैर-सरकारी गारंटीकृत सुरक्षा रसीदों को जारी करने के बदले संपत्ति पुनर्गठन कंपनी को एनपीए (वित्तीय परिसंपत्ति) की बिक्री के मामले में मूल्यांकन

i) जब तनावग्रस्त ऋण को हस्तांतरण के समय NBV से कम कीमत पर ARC को हस्तांतरित किया जाता, तो ऋणदाता कमी को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट करेंगे जिसमें हस्तांतरण हुआ है। बैंकों को तनावग्रस्त ऋण के हस्तांतरण पर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए प्रति-चक्रवाती (countercyclical) या फ्लोटिंग प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति है जब हस्तांतरण NBV से कम कीमत पर होता है। दूसरी ओर, जब तनावग्रस्त ऋण को हस्तांतरण के समय NBV से अधिक मूल्य पर ARC को हस्तांतरित किया जाता है, तो ऋणदाता हस्तांतरण पर अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष लाभ और हानि खाते में उलट देंगे जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है और केवल तभी जब प्रारंभिक प्रतिफल के रूप में प्राप्त नकद और/या सुरक्षा रसीदों (SR) / पास थ्रू सर्टिफिकेट (PTCs)/ एआरसी द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियों के मोचन (redemption) या हस्तांतरण का योग हस्तांतरण के समय ऋण के NBV से अधिक हो। इसके अलावा, ऐसा रिवर्स उस सीमा तक सीमित होगा जहां तक प्राप्त नकद हस्तांतरण के समय ऋण के NBV से अधिक हो।

(iii) ऋणदाताओं द्वारा एआरसी द्वारा जारी एसआर / पीटीसी / अन्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर ऐसे साधनों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) की गणना करके किया जाएगा। बशर्ते कि जब हस्तांतरणकर्ता (transferors) उनके द्वारा एआरसी को हस्तांतरित तनावग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/ पीटीसी में निवेश करते हैं, तो हस्तांतरणकर्ता अपने बही-खातों में निवेश को निरंतर आधार पर, उसके हस्तांतरण या वसूली तक, उपरोक्त एनएवी के आधार पर निकाले गए एसआर के मोचन मूल्य और हस्तांतरण के समय हस्तांतरित तनावग्रस्त ऋण के NBV में से जो भी कम हो, उस पर दर्ज करेंगे।

(iv) यदि हस्तांतरणकर्ता द्वारा हस्तांतरित परिसंपत्ति के खिलाफ जारी किए गए सभी एसआर में से उसके द्वारा निवेश 10 प्रतिशत से अधिक है, तो हस्तांतरणकर्ता की बहियों में एसआर का मूल्यांकन निम्नलिखित में से जो भी कम हो, वह होगा: i) ऊपर बताए अनुसार निकाला गया मूल्य ii) एसआर का अंकित मूल्य जिसमें से वह काल्पनिक प्रावधान दर घटाई गई हो जो तब लागू होती यदि ऋण हस्तांतरणकर्ता की बहियों में जारी रहता।

(जी) ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर का मूल्यांकन वहन लागत (carrying cost) पर किया जाता है।

5.4 गैर-निष्पादित निवेश

निवेशों को "वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2025" दिनांक 28.11.2025 और "अग्रिमों से संबंधित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड" के आधार पर परफॉर्मिंग और नॉन-परफॉर्मिंग के रूप में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

(ए) बॉन्ड या डिबेंचर जैसे ऋण साधनों के संबंध में, ब्याज/किश्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं किया गया है। यही नियम वरीयता शेयरों (preference shares) पर भी लागू होता है जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।

(बी) इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि नवीनतम बैलेंस शीट की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य ₹1 प्रति कंपनी आंका जाता है, तो उन इक्विटी शेयरों को NPI माना जाएगा।

(सी) बैंक किसी निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में भी वर्गीकृत करता है, यदि उसी उधारकर्ता/इकाई द्वारा प्राप्त किसी भी क्रेडिट सुविधा को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और इसके विपरीत भी।

(डी) डिबेंचर/बॉन्ड में निवेश, जिन्हें अग्रिम माना जाता है, निवेशों पर लागू होने वाले NPI मानदंडों के अधीन भी होते हैं।

(ई) एक बार जब किसी निवेश को NPI के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो उसे बाकी पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाता है और मूल्यांकन लाभ और हानि की नेटिंग के लिए विचार नहीं किया जाता है।

5.5 रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखांकन:

बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत आरबीआई के साथ और बाजार सहभागियों के साथ रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन करता है।

पुनर्खरीद लेनदेन प्रतिभूतियों को वापस खरीदने के समझौते के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार लेने का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर, रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन प्रतिभूतियों को खरीदकर धन उधार देने (lending) का प्रतिनिधित्व करता है।

(ए) रेपो/रिवर्स रेपो (LAF के अलावा) के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों को ओवरनाइट ट्राई-पार्टी रेपो (TREPS) डीलिंग और सेटलमेंट के रूप में गिना जाता है।

(बी) हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद लेनदेन की तरह स्थानांतरित किया जाता है और प्रतिभूतियों के ऐसे संचलन को रेपो/रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों (contra entries) का उपयोग करके दर्शाया जाता है।

(सी) उपरोक्त प्रविष्टियां परिपक्वता की तिथि पर उलट दी जाती हैं। रेपो खाते में शेष राशि को अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत किया गया है और रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को अनुसूची 7 (बैंकों के पास शेष राशि और मांग पर तथा अल्प सूचना पर उपलब्ध धन) के तहत वर्गीकृत किया गया है।

(डी) आरबीआई के साथ एलएएफ (LAF) के तहत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों पर खर्च/अर्जित ब्याज को व्यय/राजस्व के रूप में गिना जाता है।

II. सहायक कंपनियां (Subsidiaries)

निवेशों को चालू और गैर-चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चालू निवेशों को लागत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो उस पर दर्ज किया जाता है और गैर-चालू निवेशों को लागत पर दर्ज किया जाता है। गैर-चालू निवेश के मूल्य में कमी (diminution), यदि कोई हो, के लिए प्रावधान केवल तभी किया जाता है, जब मूल्य में कमी स्थायी प्रकृति की हो।

सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के संबंध में, डिबेंचर/बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए दीर्घकालिक निवेशों पर डिस्काउंट/प्रीमियम के कारण होने वाले लाभ/हानि को आनुपातिक आधार पर प्रतिभूति के जीवनकाल में मान्यता दी जाती है।

6. डेरिवेटिव्स

बैंक बैलेंस शीट/ऑफ-बैलेंस शीट परिसंपत्तियों और देनदारियों की हेजिंग के लिए या ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए ब्याज दर स्वैप (interest rate swaps), मुद्रा स्वैप (currency swaps) और क्रॉस करेंसी स्वैप जैसे डेरिवेटिव अनुबंध करता है।

6.1 हेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले डेरिवेटिव्स का हिसाब निम्नानुसार रखा जाता है:

(ए) जिन मामलों में अंतर्निहित परिसंपत्तियों/देनदारियों को मार्क-टू-मार्केट किया जाता है, उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

(बी) हेजिंग स्वैप को लगातार अंतरालों पर मार्क-टू-मार्केट किया जाता है। कोई भी मार्क-टू-मार्केट लाभ या हानि नेट आधार पर लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है।

(सी) स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को स्वैप के शेष संविदात्मक जीवन या परिसंपत्तियों/देनदारियों के शेष जीवन में से जो भी कम हो, उस अवधि में मान्यता दी जाती है।

6.2 ट्रेडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले डेरिवेटिव्स का हिसाब निम्नानुसार रखा जाता है:

(ए) MCX-SX, NSE और BSE के एक्सचेंज दिशानिर्देशों के अनुसार करेंसी फ्यूचर्स और ब्याज दर फ्यूचर्स को दैनिक आधार पर मार्क-टू-मार्केट किया जाता है।

(बी) मार्क-टू-मार्केट लाभ या हानि का हिसाब दैनिक आधार पर मार्जिन खाते में क्रेडिट/डेबिट करके रखा जाता है और अंतिम निपटान पर बैंक के लाभ और हानि खाते में इसका हिसाब किया जाता है।

(सी) ट्रेडिंग स्वैप को लगातार अंतरालों पर मार्क-टू-मार्केट किया जाता है; कोई भी मार्क-टू-मार्केट लाभ या हानि नेट आधार पर लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है।

(डी) स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उपरोक्त शीर्ष के तहत तुरंत आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन

7.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन प्रारंभिक मान्यता पर रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किए जाते हैं, जिसके लिए विदेशी मुद्रा राशि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर लागू की जाती है।

7.2 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की क्लोजिंग (स्पॉट/फॉरवर्ड) दरों का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है, लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है। विदेशी मुद्रा में अंकित आकस्मिक देनदारियों को FEDAI क्लोजिंग स्पॉट दरों का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

7.3 बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और फॉरवर्ड अनुबंधों का पुनर्मूल्यांकन निर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए FEDAI द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड अनुबंध जो ट्रेडिंग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं और बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया हैं, उनका मूल्यांकन क्लोजिंग स्पॉट दर पर किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को, जो उन दरों से भिन्न दरों पर होते हैं जिन पर वे शुरू में दर्ज किए गए थे, उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

7.4 करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडों में ओपन पोजीशन की विनिमय दरों में बदलाव के कारण होने वाले लाभ/हानि को दैनिक आधार पर एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस के साथ निपटाया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

7.5 बैंक के फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया आरबीआई मास्टर निर्देश संख्या आरबीआई/डीओर/2025-26/162 DOR.MRG.REC. No.81/00-00-001/2025-26 दिनांक 28.11.2025 और डेरिवेटिव अनुबंध के लेखांकन पर आईसीएआई दिशानिर्देशों (संशोधित 2021) के प्रावधानों का पालन करती है।

7.6 विदेशी मुद्रा लेनदेन प्रारंभिक मान्यता पर रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किए जाते हैं, जिसके लिए विदेशी मुद्रा राशि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर लागू की जाती है।

8. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित

निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित को निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है, यानी एएफएस (AFS) और एफवीटीपीएल (FVTPL) (HFT सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत, जिसके लिए IFR में निम्नलिखित में से जो भी कम हो, उससे कम राशि स्थानांतरित नहीं की जाती है:

1. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ।
2. वर्ष के लिए शुद्ध लाभ, अनिवार्य विनियोजनों को घटाकर।

9. अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास

I. मूल बैंक

9.1 अचल संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दिखाया जाता है। जिन संपत्तियों का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उन्हें पुनर्मूल्यांकित राशि में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर दर्शाया जाता है। लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत, कर, पेशेवर शुल्क आदि जैसे सभी खर्च शामिल हैं, जो संपत्ति को उपयोग में लाने या उपयोग के लिए तैयार होने, जो भी पहले हो, से पहले किए गए हों।

9.2 उपयोग के लिए तैयार संपत्तियों पर किए गए बाद के खर्चों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी संपत्तियों से भविष्य के लाभों या उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है।

9.3 अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि का उपयोग करके संपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर लगाया जाता है, जो नीचे दिया गया है:

समूह/मदें (व्यय नीति में उल्लिखित अनुसार)	उपयोगी जीवन	मूल्यह्रास विधि
फर्नीचर और फिक्स्चर		
(ए) कार्यालय फर्नीचर और फिक्स्चर	12 वर्ष	एसएलएम
(बी) आवासीय फर्नीचर और फिक्स्चर	12 वर्ष	एसएलएम
प्लांट और मशीनरी		एसएलएम
(ए) सेफ डिपॉजिट वॉल्ट और लॉकर	20 वर्ष	एसएलएम
(बी) लिफ्ट	20 वर्ष	एसएलएम
(सी) कार और जीप	8 वर्ष	एसएलएम
(डी) अन्य वाहन (कार और जीप के अलावा)	8 वर्ष	एसएलएम
(ई) (i) एयर कंडीशनर/रूम एयर कंडीशनर/वाटर कूलर/फ्रैंकिंग मशीन/कैलकुलेटर/टाइपराइटर/कार्यालय/मशीनरी, नोट सॉर्टिंग मशीन और उपकरण/हीटर/घड़ियां और अन्य मशीनरी और उपकरण, आदि	8 वर्ष	एसएलएम
(ई) (ii) आवासीय- इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक आइटम	8 वर्ष	एसएलएम
(एफ) कैलकुलेटिंग मशीन/एनकोडर/एडवांस लेजर	3 वर्ष	एसएलएम

समूह/मदें (व्यय नीति में उल्लिखित अनुसार)	उपयोगी जीवन	मूल्यह्रास विधि
3. कंप्यूटर/लैपटॉप/आई-पैड/सॉफ्टवेयर/मोबाइल आदि		एसएलएम
(i). कार्यालय - कंप्यूटर आदि	3 वर्ष	एसएलएम
(ii). आवासीय कंप्यूटर आदि	3 वर्ष	एसएलएम

9.4 99 वर्ष से अधिक के पट्टे पर ली गई भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि माना जाता है और 99 वर्ष या उससे कम अवधि के पट्टे वाली भूमि को लीजहोल्ड भूमि माना जाता है। वित्तीय लीजहोल्ड परिसरों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है और ऑपरेटिंग पट्टे पर ली गई संपत्तियों के लिए पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

9.5 पुनर्मूल्यांकित संपत्तियों के मामले में, पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यह्रास/परिशोधन प्रदान किया जाता है और इसे लाभ और हानि खाते में वसूल किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि से संबंधित वृद्धिशील मूल्यह्रास/परिशोधन की राशि को 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित' से स्थानांतरित कर 'राजस्व और अन्य आरक्षित' में क्रेडिट किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित संपत्ति का मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय आकलित संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर किया जाता है।

9.6 संपत्तियों पर गणना किया गया मूल्यह्रास लेखांकन बहियों में अवधि के दौरान पूंजीकरण की तारीख से दिनों की संख्या के आधार पर लगाया जाता है क्योंकि मूल्यह्रास की गणना के लिए सीधी रेखा विधि को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है।

9.7 बैंक केवल भूमि और भवनों वाली अचल संपत्तियों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन मॉडल का पालन करता है। अचल संपत्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर किया जाता है, कम से कम हर तीन साल में एक बार, या उससे पहले यदि बाजार की स्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव या प्रबंधन के आकलन के आधार पर आवश्यक हो। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहित संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाता है।

9.8 प्रति इनवॉइस 5,000 रुपये से कम लागत वाली संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और अधिग्रहण के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में वसूल किया जाता है। हालांकि, जहां ऐसी वस्तुएं किसी बड़ी संपत्ति या प्रणाली का अभिन्न अंग बनती हैं, उन्हें संबंधित संपत्ति के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

II. सहायक कंपनियां

अचल संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास को घटाकर अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया जाता है। लागत में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए आकस्मिक सभी खर्च शामिल हैं।

अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रदान किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल में परिशोधित किया जाता है।

सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में, अमूर्त संपत्तियों को उनके आर्थिक उपयोगी जीवन के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर पांच वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

10. पट्टे

ऑपरेटिंग पट्टा: वे पट्टे जहां स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कार पट्टादाता (lessor) के पास रहते हैं, उन्हें एएस-19 (पट्टे) के अनुसार ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग पट्टे पर ली गई संपत्तियों के लिए पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय पट्टा वे पट्टे जिसके तहत बैंक स्वामित्व के लगभग सभी जोखिमों और पुरस्कारों को ग्रहण करता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी अधिग्रहित संपत्तियों को पट्टे की शुरुआत में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

11. परिसंपत्तियों की हानि

अचल संपत्तियों की हानि के लिए तब समीक्षा की जाती है जब भी घटनाएं या परिस्थितियों में बदलाव यह संकेत देते हैं कि किसी संपत्ति का वहन मूल्य वसूली योग्य नहीं हो सकता है। रखी जाने वाली और उपयोग की जाने वाली संपत्तियों की वसूली क्षमता को संपत्ति का वहन मूल्य और संपत्ति द्वारा उत्पन्न होने वाले भविष्य के शुद्ध बट्टाकृत नकदी प्रवाह की तुलना करके मापा जाता है। यदि ऐसी संपत्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो मान्यता प्राप्त की जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा संपत्ति का वहन मूल्य संपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होता है।

सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए:

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, या जब वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है।

हानि परीक्षण के उद्देश्य से, व्यक्तिगत संपत्तियों के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है, जब तक कि संपत्ति ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य संपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि उस

नकदी-उत्पादक इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे वह संपत्ति संबंधित है।

एक हानि नुकसान को उस अवधि के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें यह उत्पन्न होता है।

12. कर्मचारी लाभ

12.1 कर्मचारी लाभ उस वर्ष में उपार्जित होते हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

12.2 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना बट्टाकृत राशियां , जिनके कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले भुगतान किए जाने की उम्मीद है, उस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त करती हैं जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

12.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

बैंक ग्रैच्युटी और पेंशन योजनाओं का संचालन करता है जो परिभाषित लाभ योजनाएं हैं।

(ए) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ वैधानिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन, सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए 15 दिनों के देय मूल वेतन के बराबर राशि के लिए, सेवानिवृत्ति पर, या रोजगार के दौरान मृत्यु होने पर, या रोजगार की समाप्ति पर निहित कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान के रूप में होता है। पाँच वर्ष की सेवा पूरी होने पर अधिकार निहित होता है। बैंक एक स्वतंत्र बाहरी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित एक फंड में समय-समय पर योगदान करता है।

(बी) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह लाभ नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति पर या रोजगार के दौरान मृत्यु होने पर, या रोजगार की समाप्ति पर निहित कर्मचारियों को मासिक भुगतान के रूप में होता है। नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में अधिकार निहित होता है। पेंशन देनदारी की गणना सालाना किए जाने वाले एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है और बैंक पेंशन नियमों के तहत लाभों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए फंड में समय-समय पर आवश्यक अतिरिक्त योगदान करता है।

(सी) परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड' का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है और इसे स्थगित नहीं किया जाता है।

(डी) जब योजना के लाभ बदले जाते हैं, या जब कोई योजना कम की जाती है या निपटान होता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बदले हुए लाभ का हिस्सा, या कटौती या निपटान पर लाभ या हानि, योजना संशोधन या कटौती या निपटान होने पर तुरंत लाभ या हानि खाते में मान्यता प्राप्त करता है। परिभाषित लाभ योजना के तहत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देनदारी जैसे कि ग्रैच्युटी, पेंशन फंड और अवकाश नकदीकरण में योगदान वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर निर्धारित किए जाते हैं।

(ई) बैंक ने नए मजदूरी कोड के लागू होने के बाद उत्पन्न होने वाली देनदारी के प्रति संविदात्मक/नियत अवधि के कर्मचारियों को ग्रैच्युटी के भुगतान के लिए प्रावधान किया है।

(एफ) बीमांकिक लाभ/हानि उसी वर्ष मान्यता प्राप्त करते हैं जब वे उत्पन्न होते हैं।

12.4 परिभाषित योगदान योजना:

भविष्य निधि एक परिभाषित योगदान है क्योंकि बैंक पूर्व-निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान देता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक सीमित है। योगदान को लाभ और हानि खाते में वसूल किया जाता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल हुए हैं, एक परिभाषित योगदान योजना है। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित योगदान देता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक सीमित है। योगदान को लाभ और हानि खाते में वसूल किया जाता है।

सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड :

लेखांकन मानक-15 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, ग्रैच्युटी राशि को बीमांकिक आधार पर अलग रखा गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित समूह ग्रैच्युटी योजना में निवेश किया गया है।कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में कंपनी का योगदान ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि योजना में किया जाता है और इसे लाभ और हानि के विवरण में वसूल किया जाता है।

मानव संसाधन (HR) नीति के अनुसार, एक कर्मचारी आज तक की 100% छुट्टियों को भुनाने का हकदार है और इसलिए, इसकी गणना अंतिम प्राप्त वेतन (मूल वेतन + एचआरए + विशेष भत्ता) की दर से गैर-उपयोग की गई छुट्टी के आधार पर की जाती है।

इसलिए, अवकाश नकदीकरण देनदारी को "चालू देनदारियां" शीर्ष के तहत अल्पकालिक देनदारी के

रूप में माना जाता है और उक्त फॉर्मूले के अनुसार उपार्जन आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है।

सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड :

कंपनी के पास सभी पात्र कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी के रूप में रोजगार के बाद के लाभ के लिए एक परिभाषित लाभ योजना है। ग्रैच्युटी के लिए देनदारी एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकक द्वारा निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रदान की जाती है।

अवकाश नकदीकरण के लिए देनदारी एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकक द्वारा निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रदान की जाती है।

13. आय पर करों के लिए लेखांकन

आयकर व्यय बैंक द्वारा भुगतान किए गए चालू कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्ष के लिए कर का प्रावधान क्रमश: आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार और लेखांकन मानक 22 - "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार गणना की गई चालू कर देनदारी से मिलकर बनता है।

आस्थगित कर (Deferred tax) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच के समय के अंतर पर मान्यता प्राप्त करता है जो एक अवधि में उत्पन्न होते हैं और एक या अधिक बाद की अवधियों में उलटने (reversal) के योग्य होते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उसी सीमा तक मान्यता दी जाती है जब तक कि यह उचित रूप से निश्चित हो कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भुनाया जा सकेगा।

गैर-अवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों को आगे ले जाने पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब ठोस सबूतों द्वारा समर्थित आभासी निश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के खिलाफ भुनाया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है ताकि इसकी वसूली का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके और बैलेंस शीट की तारीख तक अधिनियमित या बड़े पैमाने पर अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा जा सके।विवादित कर देनदारियों का हिसाब निर्धारण/अपीलीय कार्यवाहियों की अंतिमता के वर्ष में किया जाता है और तब तक उन्हें आकस्मिक देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तनों के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

14. विविध गैर-आवंटित आय और प्राप्तियां

सहायक कंपनी सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले में, उन लाभार्थियों की ओर से प्राप्त राशियां जिनके बारे में विवरण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, ऐसी राशियों को नाममात्र खाते "विविध पक्ष लावारिस लाभांश / ब्याज" और "प्रतिभूतियों के मोचन पर गैर-आवंटित / लावारिस प्राप्तियां" में दर्ज किया गया है। जैसे ही और जब भुगतानकर्ता से लाभार्थियों के बारे में विवरण प्राप्त होता है, राशि संबंधित लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिकताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

15.1 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 29, "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के अनुरूप, बैंक प्रावधानों को केवल तब मान्यता देता है जब उसके पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व हो, और जिसके परिणामस्वरूप दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों का संभावित बहिर्प्रवाह आवश्यक होगा, और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

15.2 निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं किया जाता है:

(ए) कोई भी संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व बैंक के पूर्ण नियंत्रण में न होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटने या न घटने से ही पुष्ट होगा; या

(बी) कोई भी वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि:

(i) यह संभावित नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी; या

(ii) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और दायित्व के केवल उसी हिस्से के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभावित हो, सिवाय उन अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों के जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

15.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए प्रावधान अनुमानित आधार पर किया जाता है।

15.4 आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि इससे ऐसी आय की मान्यता हो सकती है जो शायद कभी वसूल न हो।

16. विशेष आरक्षित

राजस्व और अन्य आरक्षित में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के तहत बनाया गया विशेष आरक्षित शामिल है।

17. खंड रिपोर्टिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 – खंड रिपोर्टिंग के अनुपालन में, बैंक ने व्यावसायिक खंडों को अपने प्राथमिक रिपोर्टिंग खंडों के रूप में और भौगोलिक खंडों को अपने द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों के रूप में पहचाना है।

बैंक का संचालन वर्तमान में भारत के भीतर ही सीमित है और भारत के बाहर कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं। तदनुसार, खंड रिपोर्टिंग प्रकटीकरण केवल प्राथमिक (व्यावसायिक) खंडों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

18. प्रति शेयर आय

(ए) बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 20 – "प्रति शेयर आय" के अनुसार बुनियादी और पतला प्रति शेयर आय की रिपोर्ट करता है।बुनियादी प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों को देय कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

(बी) पतली प्रति शेयर आय उस संभावित कमी को दर्शाती है जो तब हो सकती है जब वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का उपयोग या रूपांतरण किया गया हो। प्रति इक्विटी शेयर पतली आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों और कम करने वाले संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेंद्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बी.पुरुषार्थ
निदेशक

मनोरंजन दास
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

शारदा कुमार होता
निदेशक

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 005593सी

सीए अरुण अग्रवाल
पार्टनर
एम. संख्या 409937

अमित रे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000483सी

सीए अभिषेक शर्मा
पार्टनर
एम. संख्या 403861

जैन पारस बिलाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 011046सी

सीए. पारस बिलाला
पार्टनर
एम. संख्या 400917

गर्ग अशोक एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन:012127एन

सीए. अशोक कुमार
पार्टनर
एम.संख्या 090991

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

अनुसूची-18: समेकित वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में मानी गई सहायक और सहयोगी कंपनियाँ

1.1. निम्नलिखित अनुषंगियों/सहयोगियों को उनके वित्तीय विवरण के आधार पर समेकन के लिए विचारित किया गया है -

सहायक/सहयोगी का नाम	लेखापरीक्षित/ अलेखापरीक्षित	निगमन का देश	31 मार्च, 2026 तक स्वामित्व हित	31 मार्च, 2025 तक स्वामित्व हित
सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (सहायक कंपनी)	अलेखापरीक्षित	भारत	64.40%	64.40%
सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सहायक कंपनी)	लेखापरीक्षित	भारत	100.00%	100.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (सहयोगी कंपनी)	-	भारत		35.00%
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (सहयोगी कंपनी)	-	भारत		35.00%
इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)	अलेखापरीक्षित	ज़ाम्बिया	20.00%	20.00%
जनराली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड (सहायक कंपनी)	अलेखापरीक्षित	भारत	25.27%	0%
जनराली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सहायक कंपनी)	अलेखापरीक्षित	भारत	24.91%	0%

1.2. समेकन में उपयोग की गई सहायक और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड के अलावा मूल बैंक यानी 31 मार्च 2026 की समान रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए गए हैं, जिसकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेंडर वर्ष है और लाभ में हिस्सेदारी 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर ली गई है। इंडो - जाम्बिया बैंक का वित्तीय विवरण स्थानीय कानूनों के तहत अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रबंधन की राय में इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

1.3. बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी के अधिग्रहण संबंधी प्रकटीकरण

भारत की दिवाला एवं धनशोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 29 के अन्तर्गत कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अनुसार, वर्ष 2016 के नियमों के तहत बैंक को श्रेणी-1 परिसंपत्तियों के सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया गया था। इसके पश्चात् 20 अगस्त 2024 को समाधान विशेषज्ञ द्वारा एम/एस फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में बैंक को आशय पत्र जारी किया गया।

इस संदर्भ में जनराली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (जीसीआईसीएल) और जनराली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड (जीसीएलआईसीएल), 5 जून 2025 से प्रभावी बैंक की कंपनियाँ बन गई हैं। यह संबंध 27 जून 2025 को निष्पादित शेयरधारक समझौते द्वारा नियंत्रित है। तदनुसार, इन संस्थाओं का लेखांकन लागू लेखा मानकों के अनुसार इक्विटी पद्धति से सहयोगी संस्थाओं के रूप में किया गया है। बैंक ने 5 जून 2025 (अधिग्रहण तिथि) से इन सहयोगी संस्थाओं के लाभ हानि में अपने हिस्से को मान्यता दी है।

वर्ष के दौरान बैंक ने सेन्ट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अतिरिक्त पूँजी निवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शेयरधारिता 25.18% से बढ़कर 25.27 % हो गई।

1.4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का विलय:

भारत सरकार ने दिनांक 5 अप्रैल 2025 के राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329 के माध्यम से 1 मई 2025 से प्रभावी 11 राज्यो/केन्द्रशासित प्रदेशों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की अधिसूचना जारी की।

उक्त विलय के परिणामस्वरूप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर तथा उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार 1 मई 2025 से मूल बैंक की सहयोगी संस्थाएँ नही रहीं।

1.5. समूह द्वारा अपनी सहायक सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेश की लागत तथा उन संस्थाओं की शुद्ध परिसंपत्तियों में समूह के हिस्से के बीच के अन्तर को वित्तीय विवरणों में गुडविल अथवा पूंजी आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.6. सहयोगी कंपनियों में अभिभावक बैंक के संचित लाभ/हानि के अंश को निवेशों की वहन लागत में जोड़ा गया है / घटाया गया है तथा समूह के संचित भंडार में समुचित समायोजन किया गया है।

1.7. अन्य हाउसिंग फाइनेंस संस्थाओं की तरह, सहायक कंपनी सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं, जबकि प्राप्त जमा राशि / देयताएँ अल्पकालिक होती हैं, जिससे परिसंपत्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन उत्पन्न होता है। इस असंतुलन को उपलब्ध पर्याप्त ऋण सीमाओं के माध्यम से संतुलित किया जा रहा है।

1.8. सहायक कंपनियों में से एक के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण मूल बैंक के लेखापरीक्षक के अतिरिक्त किसी अन्य लेखापरीक्षक द्वारा किया गया है। समेकन के लिए विचार किए गए अन्य संस्थाओं (एक सहायक कंपनी और पांच सहयोगी संस्थाओं) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को संबंधित प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है। प्रबंधन के अनुसार इन अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रभाव समूह के लिए महत्वपूर्ण नही है।

2. कुछ मामलों में संभवत: सहायक कंपनियों ने बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों से भिन्न लेखांकन नीतियों का उपयोग किया है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नही किया गया है, क्योंकि समेकित वित्तीय विवरणों में उन मदों का अनुपात,जिन पर सहायक कंपनियों द्वारा भिन्न लेखांकन नीतियाँ लागू की गई हैं, नगण्य है।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण मानकों का अनुपालन

निम्नलिखित जानकारी भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार की गई है।

3.1. लेखा मानक 5 – अवधि के शुद्ध लाभ हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

3.1.1. पूर्व अवधि की मदें: वर्ष के दौरान पूर्व अवधि से संबंधित आय अथवा व्यय की कोई महत्वपूर्ण मद नही थी।

3.1.2. लेखांकन नीति में परिवर्तन : 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई लेखांकन नीतियों में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त पिछले वर्ष अपनायी गई नीतियों की तुलना में निम्नलिखित के सिवाय कोई परिवर्तन नही किया गया है।

3.1.3. लेखांकन अनुमान में परिवर्तन: बैंक ने अपनी स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना की पद्धति को लिखित अवशिष्ट मूल्य विधि से बदलकर सीधी रेखा विधि कर दिया है। परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन तथा उनसे संबंधित परिवर्तनों का प्रकटीकरण अनुसूची – 17 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ में किया गया है।

लेखांकन मानक – 5 के अनुसार – इस अवधि के शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के अनुसार, मूल्यह्रास की पद्धति में परिवर्तन को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन माना जाता है और इसे भावी प्रभाव से लागू किया जाता है। इस प्रकार, इन परिवर्तनों का प्रभाव वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकार किया गया है।

उपरोक्त परिवर्तनों के प्रभावस्वरूप 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यह्रास में कमी आई हैतथा कर-पूर्व लाभ मे 49.30 करोड़ की वृद्धि हुई है।

3.2. लेखा मानक - 9 : राजस्व की मान्यता

राजस्व को समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची – 17 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ) के मद संख्या 2 में वर्णित नीति के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है।

3.3. लेखा मानक 15 – कर्मचारी लाभ

3.3.1. परिभाषित लाभ योजनाएं

3.3.1.1. परिभाषित लाभ योजनाएं – कर्मचारियों की पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना

निम्नलिखित तालिका में, मूल बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अंशकालिक एक्चुरी द्वारा किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित लाभ पेंशन योजनाओं एवं ग्रेच्युटी योजना की स्थिति दर्शाई गई है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
1 अप्रैल, 2025 को आरंभ निर्धारित लाभ दायित्व	18,318.02	17,504.59	1,874.26	1,752.82
वर्तमान सेवा लागत	150.86	140.57	146.56	129.14
ब्याज लागत	1,254.78	1,260.33	100.64	95.69

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**वित्त वर्ष (25-26)**	**वित्त वर्ष (24-25)**	**वित्त वर्ष (25-26)**	**वित्त वर्ष (24-25)**
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
अंशांकिक हानि लाभ	1,686.49	1,455.77	67.93	108.50
चुकाए गए लाभ	(2,095.85)	(2,043.25)	(197.13)	(211.89)
बैंक द्वारा सीधे भुगतान	-	-	-	-
31 मार्च, 2026 को समापन निर्धारित लाभ दायित्व	**19,314.30**	**18,318.01**	**1,992.27**	**1,874.26**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
योजना संपत्तियों में परिवर्तन	**वित्त वर्ष (25-26)**	**वित्त वर्ष (24-25)**	**वित्त वर्ष (25-26)**	**वित्त वर्ष (24-25)**
1 अप्रैल, 2025 को योजना संपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	18,171.85	17,372.81	1,853.76	1,726.03
योजना संपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1,172.99	1,177.29	126.06	125.72
नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान	1,581.93	1,525.68	196.98	252.26
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-	-	-
प्रदान किए गए लाभ	(2,095.85)	(2,043.25)	(197.13)	(211.89)
योजना संपत्तियों पर अंकीय (एक्चुअरियल) लाभ / (हानि)	334.34	139.32	1.81	(38.36)
31 मार्च, 2026 को योजना संपत्तियों का समापन उचित मूल्य	19,165.26	18,171.85	1,981.48	1,853.76

(Amount ₹ in Crore)

विवरण		पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
तुलन पत्र में अभिलिखित राशि	**वित्त वर्ष (25-26)**	**वित्त वर्ष (24-25)**	**वित्त वर्ष (25-26)**	**वित्त वर्ष (24-25)**
31 मार्च, 2026 को वित्तपोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	19,314.30	18,318.01	1,992.27	1,874.26
31 मार्च, 2026 को योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	(19,165.26)	(18,171.85)	(1,981.48)	(1,853.76)
अमान्यता प्राप्त गत सेवा लागत	-	-	-	-
घाटा / (अधिशेष)	149.04	146.16	10.79	20.50
शुद्ध देयता	149.04	146.16	10.79	20.50

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लागत	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
वर्तमान सेवा लागत	150.86	140.57	146.56	129.14
गत सेवा लागत – मान्यता प्राप्त	-	-	-	-
ब्याज लागत	1,254.78	1,260.33	100.64	95.69
योजना संपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(1,172.99)	(1,177.29)	(126.06)	(125.72)
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध अंकीय (एक्चुअरियल) हानि / (लाभ)	1,352.15	1,316.45	66.12	146.86
परिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत (अनुसूची 16 "कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं प्रावधानों" में सम्मिलित)	1,584.80	1,540.06	187.27	245.97

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
योजना संपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल और वास्तविक प्रतिफल का सामंजस्यकरण	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
योजना संपत्तियों पर अंकीय (एक्चुअरियल) लाभ / (हानि)	1,172.99	1,177.29	126.06	125.72
योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	334.34	139.32	1.81	(38.36)
योजना संपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1,352.15	1,316.61	127.87	87.36

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त प्रारंभिक और समापन शुद्ध देयता / (संपत्ति) का सामंजस्यकरण	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)	वित्त वर्ष (25-26)	वित्त वर्ष (24-25)
1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभिक शुद्ध देयता / (संपत्ति)	146.17	131.77	20.50	26.78
लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय	1,584.80	1,540.07	187.27	245.97
नियोक्ता का अंशदान	(1,581.93)	(1,525.68)	(196.98)	(252.25)
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता / (संपत्ति)	149.04	146.16	10.79	20.50

31 मार्च, 2026 को पेंशन निधि एवं ग्रेच्युटी निधि की योजना संपत्तियों के अंतर्गत निवेश इस प्रकार हैं

संपत्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना संपत्तियों का प्रतिशत (%)	योजना संपत्तियों का प्रतिशत (%)
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	13.03	24.02
ऋण प्रतिभूतियाँ, मनी मार्केट प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाएं	11.93	20.60
म्युचुअल फंड्स	3.31	5.34
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	71.54	44.10
अन्य	0.20	5.94
कुल	**100%**	**100%**

प्रमुख अंकीय (एक्चुअरियल) धारणाएँ	पेंशन योजनाएँ	
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
	वित्त (25-26)	वित्त (24-25)
छूट दर	7.60	6.85
योजना संपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर	7.60	6.85
वेतन वृद्धि दर	6.00	5.50
पेंशन वृद्धि दर	4.75	4.00
कर्मचारी निकासी दर	2.50	2.50
मृत्यु दर तालिका	**आईएएलएम (2006-08)**	

प्रमुख अंकीय (एक्चुअरियल) धारणाएँ	ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
	वित्त (25-26	वित्त (24-25)
छूट दर	7.25%	6.80%
योजना संपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर	7.25%	6.80%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	5.50%
कर्मचारी निकासी दर	2.50%	2.50%
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14)	

(राशि ₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष / घाटा					
ग्रेच्युटी योजना	**वर्ष समाप्त**				
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2025	31-03-2026
वर्ष के अंत में दायित्व	1,730.20	1,651.72	1,752.82	1,874.26	1,992.27
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	1,630.51	1,637.42	(1,726.03)	(1,853.76)	(1,981.48)
अंतर	99.69	14.30	26.79	20.50	10.79
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि	99.69	14.30	26.79	20.50	10.79

(राशि ₹ करोड़ में)

अनुभव आधारित समायोजन	वर्ष समाप्त				
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2025	31-03-2026
योजना दायित्व पर (लाभ) / हानि	145.94	(15.07)	122.94	108.50	67.93
योजना संपत्तियों पर (हानि) / लाभ	45.41	(54.23)	31.64	(38.36)	1.81

(राशि ₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष / घाटा					
पेंशन योजना	वर्ष समाप्त				
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2025	31-03-2026
वर्ष के अंत में दायित्व	16,237.43	16,729.00	17,504.59	18,318.01	19,314.30
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	15,807.88	16,483.92	17,372.81	18,171.85	19,165.26
अंतर	429.55	245.08	131.78	146.16	149.04
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि (गत सेवा लागत के संदर्भ में)	277.43	-	-	-	-
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि	152.12	245.08	131.78	146.16	149.04
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि (गत सेवा लागत के संदर्भ में)	544.52	277.43	-	-	-

(राशि ₹ करोड़ में)

अनुभव आधारित समायोजन					
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि	वर्ष समाप्त				
	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2025	31-03-2026
योजना दायित्व पर (लाभ) / हानि	847.41	1,126.87	1,199.14	1,455.77	1,686.49
योजना संपत्तियों पर (हानि) / लाभ	98.07	1,013.25	191.75	139.32	334.34

पेंशन एवं ग्रेच्युटी कोष में मार्च 2026 हेतु अपेक्षित अंशदान क्रमश: ₹149.04 करोड़ एवं ₹10.79 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2026-27 में प्राप्त किया जाना है।

3.3.1.2. परिभाषित अंशदान योजना :

बैंक ने दिनांक 01.04.2010 या उसके पश्चात नियुक्त सभी श्रेणियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। यह योजना पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अधीन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती है। प्रोटीन ई-जीओवी टेक्नोलोजिस लि (पूर्व नाम एनएसडीएल – ई गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि) को एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेख अनुरक्षण एजेंसी नियुक्त किया गया है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक द्वारा ₹339.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹300.26 करोड़) का अंशदान किया गया।

3.3.1.3. कर्मचारियों का भविष्य निधि :

वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने पीएफ विकल्प योजना (पीएफ चुनने वाले) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों हेतु नियोजक अंशदान के रूप में ₹0.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.54 करोड़) का व्यय मान्य किया है।

3.3.1.4. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने ₹90.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹232.31करोड़) की अवकाश नगदीकरण व्यय को एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी है।

3.3.1.5. नई वेतन संहिता के अनुसार कर्मचारियों के लिए प्रावधान:

वर्ष के दौरान बैंक ने नई वेतन संहिता के अनुसार 35 संविदा/नियत अवधि कर्मचारियों की कुल ग्रेच्युटी देयता के विरूद्ध ₹0.29 करोड़ का कुल प्रावधान किया है।

3.3.1.6. एक्चुरियल मूल्यांकन रिपोर्ट – ए.एस. 15 (संशोधित 2005) के अनुसार – विशेष अवकाश लाभ :

(राशि ₹ करोड़ में)

आस्ति एवं देयताएँ		
विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
	वित्त (25-26)	**वित्त (24-25)**
परिभाषित लाभ दायित्व	1,532.39	1,435.82
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	1,579.55	1,429.82
शुद्ध देयता (आस्ति)	(47.16)	6.00

वित्तीय धारणाएँ		
विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
	वित्त (25-26)	**वित्त (24-25)**
छूट दर	7.25%	6.80%
वेतन वृद्धि दरें	6.00%	5.50%

वार्षिक कर्मचारी निकासी दरें		
आयु वर्ग	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
	वित्त (25-26)	**वित्त (24-25)**
25 एवं कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 एवं अधिक	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु दर तालिका (2012-14)

भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु दर (आईएएलएम) की नमूना दरें		
आयु (वर्ष में)	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
	वित्त (25-26)	**वित्त (24-25)**
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

3.3.2. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

3.3.2.1. एएस 15 (संशोधित 2005) – सेवा निवृत्ति लाभों के अनुसार अंकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन

(राशि ₹ करोड़ में)

आस्ति एवं देयताएँ		
विवरण	वर्तमान वर्ष	**गत वर्ष**
	विव (24-25)	**विव (23-24)**
परिभाषित लाभ दायित्व	6.95	7.68
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता (आस्ति)	6.95	7.68

वित्तीय धारणाएँ		
विवरण	वर्तमान वर्ष	**गत वर्ष**
	विव (25-26)	**विव (24-25)**
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.25%	6.80%
मुद्रास्फीति दर (प्रति वर्ष)	-	-
अपेक्षित प्रतिफल दर (प्रति वर्ष)	Not Applicable	Not Applicable

वार्षिक निकासी दरें		
आयु वर्ग	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
	विव (25-26)	विव (24-25)
25 एवं कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 एवं अधिक	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु दर तालिका (2012-14)

भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु दर (आईएएलएम) की नमूना दरें		
आयु (वर्ष में)	वर्तमान वर्ष	**गत वर्ष**
	विव (25-26)	विव (24-25)
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

3.3.2.2. एएस 15 (संशोधित 2005) के अनुसार अंकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन – दीर्घकालिक सेवा लाभ

(राशि ₹ करोड़ में)

आस्ति एवं देयताएँ		
विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
	वित्त (25-26)	**वित्त (24-25)**
परिभाषित लाभ दायित्व	1.74	1.52
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
शुद्ध देयता (आस्ति)	1.74	1.52

वित्तीय धारणाएँ		
विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
	वित्त (25-26)	**वित्त (24-25)**
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.25%	6.80%
मुद्रास्फीति दर (प्रति वर्ष)	-	-
अपेक्षित प्रतिफल दर (प्रति वर्ष)	लागू नहीं	लागू नहीं

वार्षिक निकासी दरें		
आयु वर्ग	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
	वित्त (25-26)	**वित्त (24-25)**
25 एवं कम	2.50%	2.50%
26 से 35	2.50%	2.50%
36 से 45	2.50%	2.50%
46 से 55	2.50%	2.50%
56 एवं अधिक	2.50%	2.50%

मृत्यु दर: भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु दर तालिका (2012-14)

भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु दर (आईएएलएम) की नमूना दरें		
आयु (वर्ष में)	**वर्तमान वर्ष**	**गत वर्ष**
	वित्त (25-26)	**वित्त (24-25)**
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

3.4. लेखांकन मानक 17 – समूह का खंड रिपोर्ट

वित्त वर्ष 31 मार्च, 2026 के लिए समेकित खंड रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने मुख्य रिपोर्टिंग खंड के रूप में ट्रेजरी ऑपरेशन्स, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और अन्य बैंकिंग व्यवसायों को स्वीकार किया है। कोई भी द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड नहीं हैं।

बैंक के प्रमुख खंड निम्नलिखित हैं:

- ट्रेजरी
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- रिटेल बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखांकन और सूचना प्रणाली,उपर्युक्त खंडों से संबंधित आंकड़ों को पृथक रूप से प्राप्त करने का समर्थन नही करता है, फिर भी जो वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना पर आधारित है और उनके जोखिम और लाभ की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख खंडों पर डेटा निम्नलिखित के रूप में संकलित किया गया है:

- **ट्रेजरी** : ट्रेजरी खंड में सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों तथा डेरिवेटिव अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड की आय मुख्य रूप से व्यापार संचालन से फीस और लाभ या हानि, और निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय से उत्पन्न होती है।
- **कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग**: कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खाते, ट्रस्ट/ पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनियाँ और कानूनी निकाय शामिल हैं, जो रिटेल बैंकिंग और तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन शाखा में शामिल नहीं होते। इसमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेन-देन सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।
- **रिटेल बैंकिंग** : रिटेल बैंकिंग खंड में रिटेल शाखाएँ शामिल हैं, जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ करती हैं, जिसमें कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनका बैंक से संबंध होता है। रिटेल बैंकिंग खंड में ₹ 7.50 करोड़ तक की सभी एक्सपोज़र (फंड आधारित और नॉन-फंड आधारित एक्सपोज़र) शामिल हैं, जो उत्पाद-उन्मुखता मानदंड और व्यक्तिगत एक्सपोज़र के अनुसार होते हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।
- **अन्य बैंकिंग व्यवसाय** : इस खंड में वे बैंकिंग व्यवसाय शामिल हैं जो ऊपर उल्लिखित खंडों में से किसी में भी नहीं आते हैं।

द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

भौगोलिक खंड: चूंकि बैंक भारत में में ही चालित हैं,इसलिए भौगोलिक खंड लागू नही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी वित्तीय विवरण, प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण के संदर्भ में 28 नवम्बर 2025 के परिपत्र RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 के अनुसार, खंड रिपोर्टिंग के तहत 'डिजिटल बैंकिंग' को रिटेल बैंकिंग के तहत एक उप-खंड के रूप में पहचाना गया है। हालांकि, बैंक की प्रस्तावित डिजिटल बैंकिंग यूनिट ने अभी तक संचालन शुरू नहीं किया है, इसलिए इस रिपोर्टिंग की लागू होने की स्थिति रिज़र्व बैंक की स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

(राशि ₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
आय	13,556.83	12,619.40	9,831.45	8,536.34	18,602.38	18,008.85	16.93	10.41	42,007.59	39,175.00
परिणाम	2,086.07	2,471.05	1,512.72	447.70	2,843.36	2,265.37	13.59	8.91	6,455.74	5,193.03
अवितरित व्यय									18.10	(214.96)
परिचालन लाभ									6,473.84	4,978.07
आयकर									2,075.18	1,160.27
असाधारण लाभ / हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	125.12	116.41
शुद्ध लाभ									4,523.78	3,934.21
अन्य जानकारी										
खंड परिसंपत्तियाँ	2,11,768.25	1,83,664.54	1,21,810.87	1,08,090.06	2,07,785.17	1,77,206.02	10.37	10.17	5,41,374.66	4,68,970.79
अवितरित परिसंपत्तियाँ									9,704.49	11,486.05
कुल परिसंपत्तियाँ									5,51,079.15	4,80,456.84
खंड दायित्व	2,01,309.70	1,73,220.59	1,21,230.60	1,03,819.31	1,89,514.62	1,66,516.97	23.09	18.49	5,12,078.01	4,43,575.36
अवितरित दायित्व									-	-
कुल दायित्व									5,12,078.01	4,43,575.36

खंड राजस्व और व्यय का वितरण खंड परिसंपत्तियों के आधार पर किया गया है, जहाँ प्रत्यक्ष आवंटन संभव नहीं था।

• वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आंकड़ों का पुन: वर्गीकरण किया गया है, जहाँ आवश्यक समझा गया।

अनावंटित व्यय, अनावंटित आय और अनावंटित व्यय के शुद्ध परिणाम को दर्शाता है.

• समूह का केवल एक भौगोलिक खंड है, अर्थात् घरेलू खंड।

3.5. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण एएस 18 – संबंधित पक्षों के अनुसार (मूल बैंक के)

3.5.1. संबंधित पक्षों की सूची:

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (दिनांक 31.03.2026 की स्थिति)

क्र सं	नाम	पदनाम
मूल बैंक		
i.	श्री कल्याण कुमार (30.09.2025 से)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ii.	श्री माटम वेंकट राव (31.07.2025 तक)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
iii.	श्री विवेक वाही (30.09.2025 तक)	कार्यकारी निदेशक
iv.	श्री एम. वी. मुरली कृष्णा	कार्यकारी निदेशक
v.	श्री महेंद्र दोहरे	कार्यकारी निदेशक
vi.	श्री ई. रतन कुमार (24.11.2025 से)	कार्यकारी निदेशक
सहायक कंपनियाँ		
सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड		
i.	श्री सुनील कुमार नाइक	प्रबंध निदेशक
ii.	सुश्री जया तिवारी (01.01.2024 से)	कंपनी सचिव
iii.	श्री नवतेज हजारा सिंह	स्वतंत्र निदेशक
सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड		
i.	श्री संजय उपाध्याय	महाप्रबंधक
ii.	श्री सचिन सुधाकर	पूर्व महाप्रबंधक
iii.	श्री ओजस सेठी	पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी
iv.	श्री योगेश कदम	कंपनी सचिव

3.5.2. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन:

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक

(राशि ₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
		31.03.2026	31.03.2025
मूल बैंक			
श्री कल्याण कुमार (30.09.2025 से)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.21	0.00
श्री मातम वेंकट राव (31.07.2025 तक)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	0.30	0.57
श्री विवेक वाही (30.09.2025 तक)	कार्यकारी निदेशक	0.33	0.49
श्री. एम. वी. मुरली कृष्णा	कार्यकारी निदेशक	0.73	0.49
श्री. महेंद्र दोहरे	कार्यकारी निदेशक	0.68	0.42
श्री ई. रतन कुमार (24.11.2025 से)	कार्यकारी निदेशक	0.15	0.00
सहायक कंपनियाँ:			
सीएफएसएल			
श्री सुनील कुमार नाइक	प्रबंध निदेशक	0.32	0.32
श्रीमती जया तिवारी	कंपनी सचिव	0.09	0.09
श्री नवतेज हजारा सिंह	स्वतंत्र निदेशक	0.03	0.03

(राशि ₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
		31.03.2026	31.03.2025
सीबीएचएफएल			
श्री संजय उपाध्याय	महाप्रबंधक	0.11	-
श्री सचिन सुधाकर	पूर्व महाप्रबंधक	0.25	0.33
श्री ओजस सेठी	पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी	0.21	-
श्री योगेश कदम	कंपनी सचिव	0.13	0.13

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) – 18 "संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण" के पैरा 9 के अनुरूप, सहायक कंपनियों और सहयोगी उद्यमों के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य नियंत्रित उपक्रमों को अन्य संबंधित राज्य नियंत्रित उपक्रमों के साथ किए गए लेन-देन के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त, एएस 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक और ग्राहक के संबंध की प्रकृति वाले लेन-देन, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके रिश्तेदारों के साथ किए गए लेन-देन भी शामिल हैं, का भी प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3.6. लेखांकन मानक -10 (संपत्ति, संयंत्र और मशीनें) एवं लेखांकन मानक -19 (मुक्तधारित एवं पट्टाधारित परिसंपत्तियाँ)

3.6.1.परिसरों का पुनर्मूल्यांकन:

बैंक के परिसरों का मूल्यांकन 31.03.2024 की स्थिति में बाजार मूल्य को दर्शाने हेतु बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। इस पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कुल ₹490.00 करोड़ (जिसमें ₹329.98 करोड़ मुक्तधारित परिसंपत्तियों एवं ₹160.02 करोड़ पट्टाधारित परिसंपत्तियों हेतु) की वृद्धि हुई, जिसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में स्थानांतरित किया गया है।

3.6.2.पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों पर ह्रास:

जिन परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उन पर पुनर्मूल्यांकित राशि के आधार पर ह्रास की गणना कर उसे लाभ-हानि खाते में प्रविष्ट किया गया है, तथा पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण उत्पन्न अतिरिक्त ह्रास ₹60.71 करोड़ (मार्च 2026 तक; पिछला वर्ष ₹163.08 करोड़) को "पुनर्मूल्यांकन आरक्षित" से निकालकर "राजस्व एवं अन्य आरक्षित" में स्थानांतरित किया गया है।

3.6.3. बैंक द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि में ऐसी इमारतें शामिल हैं, जिनका बाजार मूल्य 31.03.2026 की स्थिति में ₹6.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.51 करोड़) है, जिनका बही मूल्य ₹5.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.58 करोड़) है। इनकी पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है, फिर भी बैंक इन परिसरों में कार्यरत है।

3.6.4. परिचालन पट्टे (एएस -19): बैंक द्वारा लिए गए परिचालन पट्टे मुख्य रूप से कार्यालय परिसरों एवं कर्मचारियों के आवास हेतु हैं, जिन्हें बैंक अपनी इच्छा से नवीनीकृत कर सकता है।

3.6.4.1.गैर-निरस्त परिचालन पट्टों पर लिए गए परिसर के लिए 31.03.2026 की स्थिति में कोई देयता नहीं है।

3.6.4.2.परिचालन पट्टों के लिए लाभ-हानि खाते में भुगतान राशि ₹535.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹521.53 करोड़) है।

3.6.4.3.अतिरिक्त प्रकटीकरण:

एक संपत्ति जिसकी पुनर्मूल्यांकित राशि मार्च 2021 के अनुसार ₹37.13 करोड़ है और जिसे ऋण प्रतिभूति के रूप में निपटान के बाद बैंक ने प्राप्त किया था, उसका स्वामित्व वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के पक्ष में पंजीकृत करवा लिया गया है। चूंकि उक्त प्रकरण उधारकर्ता के साथ न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस संपत्ति से प्राप्त किराया आय में नहीं जोड़ा गया है, तथा संपत्ति का मूल्य 31.03.2021 के बाद पुन: पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

3.7. AS 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	4,523.78	3,934.20
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	9,05,14,01,274	8,680,939,432
प्रति शेयर मूल आय(₹)	5.00	4.53
समायोजित प्रति शेयर आय (₹)	5.00	4.53
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10	10

3.8. लेखा मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण

सहयोगी संस्थाओं एवं सहायक कंपनियों के वित्तीय परिणामों को क्रमश: लेखा मानक (AS) 21 के अनुपालन में मूल बैंक के साथ समेकित किया गया है।

3.9. लेखा मानक 22 – आयकर का लेखांकन (समूह के लिए)

3.9.1. 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनियम ,2025 में वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा किए गए संशोधनों तथा विशेष रूप से न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट के उपयोग से संबंधित अपने आकलनों को ध्यान में रखते हुए आस्थागित कर परिसंपत्तियों के मापन का पुनरीक्षण किया है। साथ ही बैंक प्रबंधन का मत है कि वित्तीय वर्ष 2026 – 27 से बैंक नयी कर व्यवस्था को अपनायेगा।

तदुनसार बैंक ने लेखा मानक (एएस) 22 – "आयकरों का लेखांकन" के अनुसार अपनी शुद्ध आस्थागित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन 25.168% की कर दर (पूर्व में 34.944%) के आधार पर किया गया है।जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लाभ एवं हानि खाते में ₹632.39 करोड़ का एकमुश्त प्रभार दर्ज किया गया। फलस्वरूप 31 मार्च 2026 की स्थिति में शुद्ध डीटीए घटकर ₹1628.08 करोड़ रह गई।(पिछले वर्ष 3,145.57 करोड़)

इसके अतिरिक्त बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 – 26 के लिए वर्तमान कर को 34.944% की विद्यमान कर व्यवस्था के अनुसार मान्यता देना जारी रखा है तथा 31 मार्च 2026 तक पुस्तकों में बकाया मैट क्रेडिट अधिकारिता को संरक्षित रखने हेतु 25.168% के स्थान पर 34.944% की कर दर का उपयोग किया है।

3.9.2. आरबीआई द्वारा सीईटी1 की गणना में स्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन एवं महत्वपूर्ण प्रावधान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन द्वारा समयांतराल भिन्नताओं के विरुद्ध संभावित कर लाभों के अनुमान के आधार पर कर की समीक्षा की गई, और ₹1,617.72 करोड़ को स्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में 31 मार्च 2026 तक की स्थिति में मान्यता प्रदान की गई है। यह गणना लागू कर दर 25.168% के अनुसार की गई है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थागित कर परिसंपत्ति		आस्थागित कर देयताएँ	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
मूल बैंक				
व्यापार हानि	-	1,436.33		
अवकाश नकदकरण के लिए प्रावधान	401.91	526.26		
ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान	979.31	1,343.78		
पुनर्संरचित मानक संपत्तियों के लिए प्रावधान	480.61	429.77		
मानक संपत्तियों के लिए प्रावधान	313.67	412.09		
स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास	47.91	36.79		
आयकर रिफंड पर ब्याज			106.59	35.08
निवेशों पर ब्याज जो अभी देय नहीं हुआ है			664.86	799.43
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व			38.17	34.94
एएफएस रिजर्व			(214.57)	170.01
उप-योग (ए)	**2,223.11**	**4,185.02**	**595.05**	**1,039.46**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थागित कर परिसंपत्ति		आस्थागित कर देयताएँ	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
अनुषंगी : -				
सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड				
अग्रिमों पर प्रावधान	9.57	8.33		
स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास	-	0.001	0.004	
अन्य	0.33	0.29	1.19	1.85
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व			19.32	18.37
उप-योग (बी)	**9.90**	**8.62**	**20.51**	**20.22**
सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (निवल) उप योग (सी)	**0.26**	**0.06**		
कुल (ए+बी+सी)	**2,233.27**	**4,193.70**	**615.56**	**1,059.68**
निवल आस्थागित कर परिसंपत्ति/देयताएँ	**1,617.71**	**3,134.02**		

वर्ष 2025-26 के लिए स्थगित कर परिसंपत्तियों में शुद्ध कमी ₹1,516.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,149.04 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्रदान की गई है।

3.10. लेखा मानक – 23: समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन:

चूंकि बैंक के अपनी सहयोगी संस्थाओं में निवेश सहभागी प्रकृति के हैं और बैंक को उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति प्राप्त है, इसलिए ऐसे निवेशों कोबैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

3.11. लेखा मानक – 24: बंद की गई परिचालन गतिविधियाँ:

वित्तीय वर्ष 2025 – 26 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी प्मुख व्यावसायिक गतिविधि को बन्द नही किया है, जिसके परिणामस्वरूप संपत्तियों की प्राप्ति तथा दायित्वों के निपटान से संबंधित कोई निर्णय अंतिम रूप से नही लिया गया है और न ही किसी व्यावसायिक गतिविधियों को पूर्णत बन्द किया गया है जिससे उपर्युक्त प्रभाव उत्पन्न हों।

3.12. लेखा मानक – 28: परिसंपत्तियों की क्षति

समूह की परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास /हानि से संबंधित नीति का खुलासा समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 में, मद सं. 11 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अंतर्गत किया गया है। प्रबंधन की राय में 31 मार्च, 2026 की स्थिति में ऐसी कोई अन्य परिसंपत्तियाँ (वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर) नहीं हैं जिनमें कोई महत्वपूर्ण क्षति हुई हो और जिन्हें इस मानक के अनुसार मान्यता की आवश्यकता हो।

3.13. लेखा मानक – 29: प्रावधान, संदिग्ध दायित्व एवं संदिग्ध परिसंपत्तियाँ (मूल बैंक के लिए)

प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रावधानों और संदिग्ध देनदारियों का विवरण जो कि P&L खाता में व्यय के तहत दिखाए गए हैं:	31.03.2026	31.03.2025
निवेश पर प्रावधान/मूल्यह्रास (NPI)	(120.90)	(306.45)
एनपीए के लिए प्रावधान	1,534.16	2,801.74
मानक संपत्ति के लिए प्रावधान	(115.01)	72.67
करों के लिए प्रावधान	2,065.74	1,149.01
पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	687.60	538.69
अन्य प्रावधान	58.03	83.39
कुल	**4,109.62**	**4,339.05**

अनुसूची 12 के तहत "बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें आकस्मिक देयता के अंतर्गत ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है" शीर्षक के अंतर्गत ₹5937.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6,519.17 करोड़) की राशि को मूल बैंक की विवादित आय कर देयता में शामिल किया गया है। इसमें बैंक तथा आयकर विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर दायर की गई अपीलें सम्मिलित हैं। बैंक ने, अपने ही मामलों में प्राप्त हुए अनुकूल निर्णयों एवं विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर, उपरोक्त विवादित कर दायित्वों के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा है। उक्त विवादित देनदारियों के विरुद्ध किए गए भुगतान/समायोजन को "अन्य परिसंपत्तियों" (अनुसूची 11) के अंतर्गत दिखाया गया है। मार्च 31, 2026 की स्थिति के अनुसार बैंक से संबंधित विवादित सेवा कर एवं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मामलों की कुल राशि ₹22.92 करोड़ है।

4. अन्य प्रकटीकरण:

4.1 कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व: वर्ष के दौरान सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत ₹0.81 करोड़ (पिछला वर्ष ₹0.77 करोड़) तथा सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत ₹0.11 करोड़ (पिछला वर्ष शून्य) व्यय किये हैं। यह व्यय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया है।

4.2. सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के मामले में कंपनी द्वारा प्रबंधित संबंधित ट्रस्टों के लाभार्थियों की ओर से प्राप्कत लाभांश पर ₹1,92,85,682 की कुल राशि कंपनी के टीडीएस राशि कंपनी के पैन पर प्रदर्शित हुई है।

यह राशि कंपनी की आय से संबंधित न होने के कारण कंपनी अपनी आयकर विवरणी में इस टीडीएस का लाभ लेने की पात्र नही है।

संबंधित लाभार्थियों के पैन में उक्त टीडीएस क्रेडिट के हस्तांतरण हेतु आयकर नियम 1962 के नियम 37BA(2) के अन्तर्गत आवश्यक घोषणाएँ प्रस्तुत करने के पश्चात् कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

4.3. सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के मामले में ट्रस्टीशिप खाते के अन्तर्गत प्राप्त अवितरित लाभांश, ब्याज आय तथा प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से प्राप्त राशि सहित ₹2.28 करोड़ की अप्रयुक्त आय वर्षों से लंभित लाभार्थियों की पहचान पूर्ण होने के बाद संबंधित लाभार्थियों को हस्तांतरित की जानी है।

उपरोक्त विषयों के संबंध में हमारा मत अपरिवर्तित है।

4.4. वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में विचार किया गया है।

तद्अनुसार मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरणों तथा समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई अतिरिक्त वैधानिक सूचनाएँ जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रभावित नही करतीं, तथा ऐसी मदों से संबंधित जानकारी जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों की व्याख्या के असार समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटित किए जाने हेतु आवश्यक नही हैं, उन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नही किया गया है।

4.5. आरवीआई के वित्तीय विवरण, प्रस्तुति और प्रकटीकरण निर्देश RBI/DOR/2025-26 /167DOR. ACC. REC. NO.86/21.04.018/2025-26 Dated 28th November 2025 के संदर्भ में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण-

विवरण:	वित्तवर्ष 2024-25	वित्तवर्ष 2023-24
अनुसूची 5 – अन्य दायित्व (IV-5): यदि "अन्य (प्रावधान सहित)" के अंतर्गत कोई मद कुल परिसंपत्तियों के 1% से अधिक है।	निरंक	निरंक
अनुसूची 11 – अन्य परिसंपत्तियाँ (VI): यदि अन्य परिसंपत्तियों के अंतर्गत "अन्य" शीर्षक के अंतर्गत कोई मद कुल परिसंपत्तियों के 1% से अधिक है।	निरंक	निरंक
अनुसूची 14 – VII "अन्य विविध आय": यदि इस शीर्ष के अंतर्गत कोई मद कुल आय के 1% से अधिक है।	बट्टाकृत खातों से प्राप्त वसूली ₹2,270.67 करोड़ है, जो कि अन्य कुल आय का 5.36 प्रतिशत है।"	बट्टाकृत खातों से प्राप्त वसूली ₹1,716.33 करोड़ रही, जो कि अन्य कुल आय का 4.37% है।
अनुसूची 16-XII "अन्य व्यय" के अंतर्गत यदि कोई मद कुल आय के 1% से अधिक है।	निरंक	निरंक

4.6. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 रूपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.60 प्रति शेयर के चौथे अंतरिम लाभांश को अनुमोदित किया है। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तीन तिमाहियों के लिए पहले ही कुल 6.00% का अंतरिम लाभांश घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल स्वीकृत किया गया लाभांश ₹1.2 प्रति शेयर अर्थात् 12% है।

4.7. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने हेतु, जहां आवश्यक समझा गया है ,पिछले वर्ष के आंकड़े जहां आवश्यक समझे गए हैं, वहां वर्तमान वर्ष की वर्गीकरण के अनुरूप पुन: समूहीकरण / पुन: वर्गीकृत किए गए हैं।

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेंद्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बी.पुरुषार्थ
निदेशक

मनोरंजन दास
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

शारदा कुमार होता
निदेशक

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 005593सी

सीए अरुण अग्रवाल
पार्टनर
एम. संख्या 409937

अमित रे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000483सी

सीए अभिषेक शर्मा
पार्टनर
एम. संख्या 403861

जैन पारस बिलाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 011046सी

सीए. पारस बिलाला
पार्टनर
एम. संख्या 400917

गर्ग अशोक एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन:012127एन

सीए. अशोक कुमार
पार्टनर
एम.संख्या 090991

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	3/31/2026	3/31/2025
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	कर से पूर्व शुद्ध लाभ(हानि)	6,605.98	5,103.48
I	निम्न हेतु समायोजन		
	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	529.76	557.57
	निवेश पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचर सहित)	(120.03)	(306.53)
	निवेश के उचित मूल्यांकन के कारण आरक्षित निधियों में वृद्धि/(कमी)	(1,317.96)	(757.43)
	अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालना/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान	1,539.27	2,810.56
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	578.56	595.44
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	50.53	97.56
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (शुद्ध)	3.71	24.40
	कुल योग	**7,869.82**	**8,125.05**
II	निम्न हेतु समायोजन		
	जमा में वृद्धि /(कमी)	55,173.02	27,730.20
	उधार राशि में वृद्धि /(कमी)	10,034.56	1,806.76
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	2,336.14	(2,132.96)
	अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(56,242.47)	(41,916.69)
	निवेश में (वृद्धि) /कमी	(15,902.14)	2,664.35
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी	(93.34)	458.59
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान (शुद्ध प्रतिदान आदि)	(371.60)	805.06
	कुल योग	**(5,065.84)**	**(10,584.69)**
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	**2,803.98**	**(2,459.64)**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	अचल परिसंपत्ति की बिक्री/निपटान	4.00	4.44
	अचल परिसंपत्ति का क्रय	(457.86)	(455.21)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (बी)	**(453.86)**	**(450.77)**
सी	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमीयम सहित)	-	1,500.00
	शेयर एप्लीकेशन मनी	-	-
	लाभांश- अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	(712.82)	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)	**(712.82)**	**1,500.00**

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	3/31/2026	3/31/2025
डी	नकद एवं नकद तुल्य में शुद्ध वृद्धि (ए+बी+सी) अथवा (एफ-ई)	1,637.30	(1,410.41)
ई	वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद तुल्य		
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं बैंक शेष	22,931.43	22,954.79
	बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	13,265.97	14,653.01
	वर्ष के आरंभ में शुद्ध नकद एवं नकद तुल्य (ई)	**36,197.40**	**37,607.80**
एफ	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्य		
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं बैंक शेष	18,952.96	22,931.43
	बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	18,881.74	13,265.97
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद एवं नकद तुल्य (एफ)	**37,834.70**	**36,197.39**

नोट

1 उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण आईसीएआई द्वारा जारी नकदी प्रवाह विवरण संबंधी लेखा मानक-3 में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष विधि' के अंतर्गत तैयार किया गया है.

2 पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

एम वी मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

महेंद्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

ई. रतन कुमार
कार्यपालक निदेशक

कल्याण कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बी.पुरुषार्थ
निदेशक

मनोरंजन दास
निदेशक

प्रियव्रत शर्मा
निदेशक

शारदा कुमार होता
निदेशक

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 005593सी

सीए अरुण अग्रवाल
पार्टनर
एम. संख्या 409937

अमित रे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 000483सी

सीए अभिषेक शर्मा
पार्टनर
एम. संख्या 403861

जैन पारस बिलाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 011046सी

सीए. पारस बिलाला
पार्टनर
एम. संख्या 400917

गर्ग अशोक एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन:012127एन

सीए. अशोक कुमार
पार्टनर
एम.संख्या 090991

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार बैंक के पिलर 3 (बेसिल III) प्रकटीकरण

उक्त प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.centralbank.bank.in पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं:
https://centralbank.bank.in/sites/default/files/Leverage%20Ratio%20Disclosure%20Mar%202026.pdf

जीआरआई इंडेक्स

जीआरआई संख्याओं को हिन्दी रिपोर्ट के अध्यायों, पृष्ठों, रणनीतिक प्राथमिकताओं, यूएनएसडीजी, महत्त्वपूर्ण विषयों और व्यवसाय मॉडल कोडों से जोड़ने वाला कार्यकारी सूचकांक।

जीआरआई सं.	पृष्ठ सं.	मुख्य अध्याय + पृष्ठ सं.	रणनीतिक प्राथमिकता	यूएनएसडीजी संरेखण	मटेरियल इश्यू	व्यवसाय मॉडल
जीआरआई 100 श्रृंखला	4-9, 34-50, 358-359	रिपोर्टिंग कम्पास - पृ. 4 रणनीतिक संपर्क - पृ. 6 हितधारक सहभागिता - पृ. 34 महत्त्वता एवं हितधारक मूल्य - पृ. 36 व्यवसाय मॉडल - पृ. 40 मूल्य सृजन - पृ. 44 ईएसजी रणनीति - पृ. 46 शासन एवं नैतिकता - पृ. 50 जीआरआई सूचकांक - पृ. 358	ए, ई, टी, एफ	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13	01, 02, 06, 08, 10, 11, 12, 15, 16	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
जीआरआई 200 श्रृंखला 201, 203, 205	2-3, 22-30, 40-44, 50, 58-63, 119-128, 201-232, 244-356, 358-359	व्यावसायिक गति संवर्धन का वर्ष - पृ. 2 एमडी एवं सीईओ का संदेश - पृ. 22 बाजार गतिशीलता - पृ. 26 व्यवसाय मॉडल - पृ. 40 मूल्य सृजन - पृ. 44 शासन एवं नैतिकता - पृ. 50 वित्तीय पूंजी - पृ. 58 निदेशक रिपोर्ट - पृ. 119 प्रबंधकीय विमर्श एवं विश्लेषण - पृ. 128 बीआरएसआर - पृ. 201 वित्तीय विवरण - पृ. 244/320	ए, ई, एफ	1, 8, 9, 10, 13	06, 08, 12, 15	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
जीआरआई 300 श्रृंखला 302, 303, 305, 306	5, 46-49, 70-75, 201-232, 358-359	रिपोर्टिंग रूपरेखाएँ - पृ. 5 ईएसजी रणनीति फ्रेमवर्क - पृ. 46 प्राकृतिक पूंजी - पृ. 70 बीआरएसआर - पृ. 201 जीआरआई सूचकांक - पृ. 358	टी, एफ	7, 12, 13	01, 02, 15	2, 3, 6, 8
जीआरआई 400 श्रृंखला 401, 404, 405, 413, 418	34-39, 50-53, 64-69, 76-87, 201-232, 358-359	हितधारक सहभागिता - पृ. 34 महत्त्वता एवं हितधारक मूल्य - पृ. 36 शासन एवं नैतिकता - पृ. 50 बौद्धिक पूंजी - पृ. 64 संबंध एवं सामाजिक पूंजी - पृ. 76 मानव पूंजी - पृ. 84 बीआरएसआर - पृ. 201	ए, ई, टी, एफ	3, 4, 5, 8, 10, 13	06, 08, 10, 11, 12, 15, 16	4, 5, 6, 7, 8
एफएस श्रृंखला एफएस-8, एफएस-13, एफएस-14	30-34, 54-57, 58-63, 64-69, 70-75, 76-83, 201-232, 358-359	व्यवसाय प्राथमिकताएँ - पृ. 30 विनिर्मित पूंजी - पृ. 54 वित्तीय पूंजी - पृ. 58 बौद्धिक पूंजी - पृ. 64 प्राकृतिक पूंजी - पृ. 70 संबंध एवं सामाजिक पूंजी - पृ. 76 बीआरएसआर - पृ. 201 जीआरआई सूचकांक - पृ. 358	ए, ई, टी, एफ	1, 4, 7, 8, 9, 10, 13	01, 02, 06, 08, 12, 15, 16	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

नोट: *रणनीतिक प्राथमिकता कोड: ए = गति संवर्धन, ई = विस्तार, टी = रूपांतरण, एफ = सुदृढ़ीकरण। व्यवसाय मॉडल, महत्त्वपूर्ण विषय और यूएनएसडीजी संख्याएँ रिपोर्ट के संदर्भ तालिका अनुभाग (पृष्ठ 7-9) के अनुरूप रखी गई हैं।*

The Year of **Business Acceleration.**

Integrated Annual Report

2025-26

FY2026: Delivering our Promise through Business Acceleration

FY2025-26, designated as the "Year of Business Acceleration," represents the decisive phase where Central Bank of India leveraged its foundational resilience to achieve high-velocity, scalable growth. As the successor to our FY2024-25 mandate of "Delivering Excellence," we have truly delivered our promise to stakeholders, transitioning from strategic ambition to quantifiable success across every business vertical.

Quantifiable Momentum and Financial Fortitude

Our performance underscores this momentum, with Total Business reaching a landmark ₹8,12,439 crore, representing a robust year-on-year growth of 15.60%, which exceeded our management guidance of 14-15%. This expansion was anchored by disciplined financial fortitude; for the first time in our recent history, the Bank successfully achieved its aspirational 1.00% Return on Assets (ROA) target during the first three quarters of the year (reaching 1.02% in Q1), validating our operating momentum. While the full-year standalone ROA stood at 0.89%, this included a significant one-time impact from the remeasurement of Deferred Tax Assets (DTA) under the Finance Act 2026.

The RAM (Retail, Agriculture, and MSME) segment remained our primary growth engine, expanding by 20.86% to reach ₹2,34,571 crore. A flagship milestone of this acceleration was the Retail Advance Portfolio surpassing the ₹1,00,000 crore mark to close at ₹1,03,533 crore, fuelled by a 25.67% year-on-year surge. Simultaneously, our liability franchise demonstrated record strength as Savings Deposits crossed the ₹2,00,000 crore milestone for the first time.

Institutionalising Asset Quality and Risk Discipline

Beyond these volume metrics, we institutionalised a culture of "Acceleration with Discipline" by revamping our risk architecture through centralized transformation frameworks. We achieved a watershed year in asset quality, with the Gross NPA ratio improving to 2.67% (down from 3.18%) and the Net NPA maintained at a respectable 0.49%. Our true resilience was evidenced by a significantly reduced slippage ratio of 1.16%, supported by automated compliance monitoring systems and elevated Early Warning Systems (EWS). We sustained a superior Provision Coverage Ratio (PCR) of 95.97%, ensuring a fortified balance sheet.

Digital Velocity and Inclusive Growth

Our digital velocity was propelled by the expansion of the Cent NEO ecosystem and the Digital Lending Platform (DLP), which now supports 37 live digital journeys. The success of our "digital-first" approach is reflected in the share of digital transactions reaching a historic high of 90.54%. This technological scale-up was matched by a focus on human capital productivity, which rose to ₹23.89 crore per employee, and specialised training for 1,000 Credit Officers to ensure rigorous underwriting standards across our 4,585 branches.

Furthermore, our hybrid service models have deepened financial inclusion and nation-building. We expanded our reach to 22,129 total touchpoints, with 65.19% of our branches located in rural and semi-urban areas. We also took significant strides in social governance by designating 115 "Pink Branches" solely managed by women staff, serving as high-visibility hubs for leadership and empowerment.

The Roadmap Ahead: Towards Business Excellence

This acceleration is not episodic but serves as the bedrock for a permanent institutional shift. Having met our core mandates and "Delivered our Promise" in FY2026, we stand at a strategic inflection point. We now look forward to FY2026-27 as the "Year of Business Excellence," a phase dedicated to institutionalising these gains. Our focus will shift from rapid scaling to the refinement of operational efficiency - targeting a Cost-to-Income Ratio below 56% - and the implementation of global best practices to optimise every customer touchpoint.

We remain, as always, guided by our heritage and driven by digital progress, redefine what it means to be a bank that is "Truly Central to Every Indian".

The Reporting Compass

Navigating the Year of Business Acceleration

Scan the QR code

OR Visit

www.centralbank.bank.in

to download

INTEGRATED ANNUAL REPORT 2025-26

Title & Vision: Fulfilling the Promise of Transparency

Central Bank of India presents its third Integrated Annual Report (IAR) for Financial Year 2025-26, a period officially designated by leadership as the "Year of Business Acceleration". This report marks a definitive strategic progression from our FY2024-25 mandate of "Delivering Excellence" to our current narrative of "Delivering our Promise". While our inaugural integrated report focused on establishing the foundational pillars of integrated thinking, the FY2026 edition is designed to showcase how those strategic frameworks have been successfully translated into tangible, high-velocity results.

The vision of this report is to provide a transparent, evidence-based account of how the Bank has leveraged its six capitals - Financial, Manufactured, Intellectual, Human, Natural, and Relationship & Social - to create enduring value. By synchronising our institutional velocity with our core CBI-CARE values, we have successfully crossed the landmark ₹8,12,439 crore total business mark, proving our ability to scale with discipline. This reporting compass serves as the primary vehicle for communicating our transition from foundational stabilisation to high-scale execution, providing a secure and stable bridge toward our upcoming FY2027 goal: the "Year of Business Excellence". We remain committed to ensuring that our 8.26 crore customers and all stakeholders clearly understand the trajectory of our journey toward becoming a ₹13 lakh crore institution by FY 2030.

Frameworks: Engineering a Future-Ready Narrative

To ensure global comparability and maintain institutional fortitude, this report has been prepared in strict accordance with the International Integrated Reporting Council (IIRC) Framework, which is now a cornerstone of the IFRS Foundation. Our reporting maturation in FY2026 is defined by a rigorous adherence to multifaceted global standards, reflecting our stature as a secure financial powerhouse. We continue to comply with the Global Reporting Initiative (GRI) Standards, ensuring that our environmental, social, and economic impacts are measured against the most respected international benchmarks.

Furthermore, the Bank has integrated the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) indicators and the recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) into our reporting architecture to address climate-linked financial exposures. A significant achievement this year was our alignment with the EASE 7.0 Reforms, where the Bank secured the #2 Rank in Data Quality, validating our commitment to operational excellence. As we advance toward our voluntary goal of Net Zero Scope 1 by 2028, we have initiated the transition toward IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS S1 and IFRS S2). This comprehensive framework allows us to map our strategic priorities - Accelerate, Expand, Transform, and Fortify - directly to the United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs), ensuring that our business acceleration contributes positively to national and global outcomes. By utilising a Double Materiality approach, we ensure that our reporting focuses on the issues that most significantly impact our ability to create value over time.

Scope, Boundary, and Reporting Period

Unless otherwise specified, the information contained within this Integrated Annual Report covers the period from 1 April 2025 to 31 March 2026. The reporting boundary encompasses the universal operations of the Central Bank of India across its vast network of 4,585 branches and 22,129 total touchpoints, ensuring a comprehensive view of our footprint in the heartland. This boundary further includes the financial and operational performance of our wholly-owned subsidiary, Cent Bank Financial Services Limited (CFSL), which serves as our specialist financial services arm and Cent Bank Home Finance Limited (CBHFL), which serves as a specialist home finance arm.

The narrative specifically emphasises our high-velocity impact during the acceleration phase, most notably the achievement of our 1.00% Return on Assets (ROA) target and the historic scaling of our Retail Advance Portfolio beyond the ₹1,00,000 crore mark. By defining the scope across all physical and digital channels, including the Cent NEO ecosystem, we provide a holistic picture of our performance and risks during this landmark fiscal year.

Integrity & Trust: Automated Fortitude

The integrity of the information presented in this report is the bedrock of our relational capital. In FY2026, the Bank moved from manual reporting focuses to intelligence-led governance. All financial data is derived from our audited financial statements, which carry an unmodified opinion, confirming the accuracy and reliability of our reporting. All financial data is derived from audited financial statements, and non-financial indicators are presented on the basis of information available for the reporting period.

The Bank has institutionalised a system of "Automated Fortitude" through three critical technological anchors:

1. **Automated Compliance Systems:** Now live across all 4,585 branches, automating ESG risk screening and slippage control, which reached a record low of 1.16% this year.
2. **PRISM Portal:** Providing real-time monitoring and tracking of major transformation and digitisation projects.
3. **.bank.in Domain Migration:** The 100% completion of our migration to the secure, verified .bank.in domain ensures absolute digital trust and cybersecurity for all stakeholder interactions.

These advanced internal controls, combined with our #2 rank in Data Quality, ensure that every metric reported is verified and resilient.

Forward-Looking Statements

This Integrated Annual Report for FY2025-26, designated as the "Year of Business Acceleration," contains forward-looking statements concerning Central Bank of India's future operations, financial performance, and strategic roadmap as we move toward the proposed FY2026-27 "Year of Business Excellence". These statements, which are integral to our narrative of "Delivering our Promise," can be identified by terms such as "may," "will", "seek", "aim", "anticipate", "target", "projected", "expect", "estimate", "intend", "plan", "goal", "believe", or similar expressions.

Such statements are based on the current beliefs, estimations, and expectations of management as of the date of this report and are inherently subject to known and unknown risks, uncertainties, and assumptions that are difficult to predict. These variables include, but are not limited to, the performance of the Indian and global economies, evolving regulatory frameworks, maturing ESG and climate-linked disclosure requirements, cybersecurity risks, and other external events beyond the Bank's control.

Actual results and institutional outcomes may differ materially from those expressed or implied in these statements. For a comprehensive discussion of potential risks and uncertainties, including those related to our Vision 2030 trajectory, please refer to the Risk Management section of this Integrated Annual Report and the Central Bank of India Integrated Annual Report FY2024-25. Except as required under applicable law or regulation, the Bank assumes no obligation to update, revise, or modify any forward-looking statements to reflect subsequent events or changed circumstances.

Strategic Connectivity

Decoding the Year of Business Acceleration

Decoding the Acceleration: A Guide to our Integrated Narrative

In line with the principles of the International Integrated Reporting Council (IIRC), this chapter serves as a strategic compass for navigating our FY2025-26 Integrated Annual Report. While the previous year focused on the foundational launch of our integrated reporting journey, this year's narrative is built to showcase acceleration in action.

As the Bank transitions from "Delivering Excellence" to "Delivering our Promise," this report is structured to allow stakeholders to trace the flow of value from our six capitals—Financial, Manufactured, Intellectual, Human, Natural, and Relationship & Social—directly into the landmark results achieved during this fiscal year. By understanding the interconnections between our strategic priorities and our record-breaking performance, readers can gain a deeper insight into how Central Bank of India is scaling its universal banking model to become a ₹13 lakh crore institution.

Delivering the Promise: The Value of Connectivity

Interconnecting our material issues, strategic priorities, and business model components is fundamental to understanding the high-velocity execution that defined FY2026. This holistic approach allows us to present a cohesive story of how various capitals influence each other to drive institutional momentum.

In this report, connectivity is not a theoretical concept but a demonstration of scale. For example, the reader can see how our Intellectual Capital (specifically the Cent NEO ecosystem) served as the primary engine for Human Capital productivity, resulting in a landmark Business per Employee of ₹23.89 crore. Similarly, our focus on Natural Capital is no longer just a policy framework but a results-oriented mandate, evidenced by the paperless digital sanctioning of 16,500 solar pumps for farmers. By tracing these "Value Vectors," stakeholders can see how the Bank's strategic intent has been successfully translated into quantifiable, high-velocity results across every business vertical.

Acceleration Nodes: Mapping Materiality to Scale

A defining feature of this year's report is the Double Materiality approach, which ensures that our strategic velocity is aligned with both financial fortitude and national responsibility. This report utilises specific "Acceleration Nodes" to help the reader navigate these interrelationships:

- **Strategic Priorities and Results:** We map our identified material issues—such as Financial Inclusion and Customer Centricity—directly to our RAM (Retail, Agriculture, and MSME) growth engine. This allows the reader to see how our retail advance portfolio crossed the historic ₹1,00,000 crore mark while simultaneously fulfilling our CBI-CARE promise of aspirational growth.
- **The Transformation Hub:** Throughout the document, the role of the internal transformation hub is highlighted as the central nodal point where frameworks become platforms. Whether reading about system-led asset quality or PRISM-led project monitoring, the connectivity between our governance and our results remains transparent.
- **Sustainability Synergy:** The report links our Net Zero Scope 1 goal by 2028 to our operational Manufactured Capital, showcasing how the transition of 33% of our fleet to EVs contributes to institutional decarbonisation.

The Intelligence Ledger: Navigation Anchors

To facilitate a seamless exploration of this landmark report, we have updated our navigation system to reflect our intelligence-led governance. Throughout the document, the following "Navigation Anchors" are used to link disparate capitals and priorities:

1. **CBI-CARE Values:** Every chapter is anchored by our core values—Customer Service, Aspirational Growth, Role in Nation Building, and Employee Well-Being—ensuring our acceleration is always purpose-driven.
2. **Strategic Priorities (AEFT):** Icons for Accelerate, Expand, Transform, and Fortify are placed adjacent to key achievements to show how our roadmap guides our velocity.
3. **Digital Trust Signifiers:** Look for the .bank.in and automated compliance callouts, which signify areas where technology has institutionalised discipline and digital trust.
4. **Integrated Value Matrix:** This visual tool provides a technical summary of how our inputs (the fuel of acceleration) resulted in specific outputs (the result of velocity) and outcomes (the promise delivered).

Reference Tables:

1. Strategic Priorities: The AEFT Roadmap

In FY2026, our overarching strategic direction is categorised into four primary pillars, which guide our high-velocity execution.

Code	Strategic Priority	Meaning in the Year of Acceleration
A	ACCELERATE	Focused on high-velocity credit deployment in RAM segments and increasing per-employee productivity.
E	EXPAND	Scaling our physical and digital footprint, specifically through 22,129 touchpoints and 115 Pink Branches.
T	TRANSFORM	Migrating to an intelligence-led bank via Cent NEO, the Digital Lending Platform (DLP), and paperless journeys.
F	FORTIFY	Strengthening the balance sheet through automated regulatory compliance and achieving a multi-year low GNPA of 2.67%.

2. Strategic Sub-Priorities (Detailed Navigation Codes)

For granular alignment, the Bank utilises a letter-coded system (A-O) to link specific activities to strategic objectives

Code	Strategic Objective	Meaning & Context
A	Operational Excellence	Leveraging digital capabilities to simplify processes.
B	Balance Sheet Optimisation	Improving resource allocation and profitability.
C	Engaged Workforce	Fostering an inclusive, diverse culture.
D	Talent Retention	Investing in training and supportive environments.
E	Digital Capabilities	Utilising technology for superior solution delivery.
F	Customer Innovation	Driving product development based on data analytics.
G	Data Security & Privacy	Ensuring customer trust via strong encryption and audits.
H	Innovation through R&D	Investing in process re-engineering via labs and i3.

Code	Strategic Objective	Meaning & Context
I	**Clients' Financial Health**	Personalised advice driven by data insights.
J	**Financial Inclusion**	Increasing access for underbanked populations.
K	**Strategic Partnerships**	Collaborating with Fintechs and NBFCs for co-lending.
L	**Payments Innovation**	Enhancing systems with contactless and blockchain tools.
M	**Distribution Channels**	Levelling up hybrid and digital service offerings.
N	**Promoting Sustainability**	Minimising environmental impact within operations.
O	**Sustainable Banking**	Committing to climate-friendly financing and green products.

3. Business Model Components (BMC)

These codes represent the core elements of the Bank's value creation architecture, based on the Business Model Canvas.

Code	Strategic Objective	Meaning & Context
1	**Key Partners**	Expansion of the ecosystem with 36 active co-lending partners and marquee SCF tie-ups.
2	**Key Activities**	Pivot from manual branch-led acquisition to widening ecosystem approaches and digital self-serve journeys.
3	**Key Resources**	Optimised financial capital, high-fidelity intellectual capital and internal execution capabilities that enabled disciplined scale-up across digital, credit and operational transformation.
4	**Value Propositions**	Delivering a "Financial Supermarket" experience with 3-in-1 accounts and integrated depository services.
5	**Customer Relationships**	Automated assistance, dedicated advisory support and digital-first engagement journeys strengthened customer experience across forums, platforms and branch-linked touchpoints.
6	**Channels**	Hybrid reach of 22,129 touchpoints, including 13,685 BC outlets and the .bank.in digital domain.
7	**Customer Segments**	High-velocity focus on Medium Enterprises and the Bank's 8.26 crore strong retail base.
8	**Key Inputs**	Optimised financial capital and high-fidelity intellectual capital through the internal transformation hub.
9	**Revenue Streams**	Diversified capture across Forex, Trade Finance and Merchant Acquiring via the Cent e-Trade portal.

4. Key Materiality Issues

Our materiality assessment identifies the environmental, social, and governance issues most significant to our ability to create value.

Domain	Issue No.	Key Material Issue	Meaning / FY2026 Result
Environment	01	Climate Risk & Strategy	Net Zero Scope 1 goal by 2028; Board-approved ESG policy.
	02	Operational Eco-efficiency	Paperless solar pump financing for 16,500 farmers.
Social	06	Customer Centricity	Retail portfolio crossing the ₹1.00 Lakh Crore landmark.
	08	Financial Inclusion	Dominant 65.19% RUSU presence across 22,129 touchpoints.
	10	Human Capital Development	Training 1,000 Credit Officers to ensure quality scale.
	11	Diversity & Inclusion	115 all-women "Pink Branches" established.
Governance	12	Innovation & Digitisation	Digital share reaching 90.54% with 37 live journeys.
	15	Risk & Crisis Management	GNPA reduced to 2.67%; Internal compliance automation is now live.
	16	Data Security & Privacy	100% migration to verified .bank.in domain.

5. Global Reporting Initiative (GRI) Standards Mapping

The GRI codes provide standardised metrics for reporting sustainability performance.

GRI Series	Scope	Key Standards referenced by CBI
100 Series	Foundation & Profile	102 (General Disclosures), 103 (Management Approach).
200 Series	Economic Standards	201 (Economic Performance), 203 (Indirect Economic Impact), 205 (Anti-corruption).
300 Series	Environmental Standards	302 (Energy), 303 (Water), 305 (Emissions), 306 (Waste).
400 Series	Social Standards	401 (Employment), 404 (Training), 405 (Diversity), 413 (Local Communities), 418 (Customer privacy).
FS Series	Sector Supplement	FS-8 (Environmental Benefit), FS-13 (Access points), FS-14 (Access for disadvantaged).

6. UNSDG Alignment: Delivering the Promise of Nation Building

The Bank aligns its strategic priorities with the United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs) to contribute to global outcomes.

UNSDG #	Goal Name	CBI Core Implementation in FY2026
	No Poverty	Advancing credit to rural India through 13,685 BC outlets.
	Good Health & Well-being	Supporting healthcare access through targeted CSR interventions and strengthening employee well-being through structured wellness initiatives.
	Quality Education	Education Loan portfolio surging to reach aspirational students.
	Gender Equality	Designation of 115 Pink Branches solely managed by women.
	Affordable & Clean Energy	Sanctioning ₹2,751.44 Cr toward renewable energy projects.
	Decent Work & Economic Growth	Achieved 15.60% YoY business growth and the 1.00% ROA milestone during the year.
	Industry, Innovation & Infrastructure	Scaling digital banking infrastructure through Cent NEO, 37 live DLP journeys, PRISM monitoring and 100% .bank.in migration.
	Reduced Inequalities	Strengthening the social safety net via PMJJBY and PMSBY schemes.
	Responsible Consumption & Production	Advancing paperless banking, operational eco-efficiency and greener resource use through digital journeys and sustainable infrastructure initiatives.
	Climate Action	Advancing toward Net Zero Scope 1 by 2028 via Green Fleet transition.

Contents

Our Business Model: The Acceleration Architecture

Page. 40

How We Create Value: Value Creation and Impact in FY2026

Page. 44

Page. 64

Intellectual Capital
Institutional Intelligence - Scaling the Promise of Innovation

The Year of Business Acceleration.	02
The Reporting Compass Navigating the Year of Business Acceleration	04
Strategic Connectivity Decoding the Year of Business Acceleration	06
Contents	10

About

Board of Directors	12
Corporate Information	14
Senior Management Team *(As on 30.04.2026)*	15
The Architect of Velocity: Sir Sorabji's 115-Year Promise	16
Managing Director and CEO's Message to Stakeholders	22

Strategy

Navigating Market Dynamics: Leveraging Opportunities for Acceleration	26
Our Business Priorities: Scaling the Promise	30
Stakeholder Engagement: Delivering on our Promise	34
Materiality & Stakeholder Value: Focusing our Acceleration	36
Our Business Model: The Acceleration Architecture	40
How We Create Value: Value Creation and Impact in FY2026	44
Our ESG Strategy Framework: Delivering Our Promise Through Responsible Growth	46
Embedding Governance & Ethics in Action Delivering a Responsible Promise	50

Capitals

Manufactured Capital Scaling the Hybrid Backbone of Acceleration	54
Financial Capital Capital in Motion - Delivering the Promise of Acceleration	58
Intellectual Capital Institutional Intelligence - Scaling the Promise of Innovation	64
Natural Capital Accelerating the Path to a Net Zero Future	70
Relationship & Social Capital Powering Purpose - Delivering the Promise of Inclusion	76
Human Capital Powering the Acceleration Engine - Delivering the Promise of Productivity	84

Notice

Notice of 19th Annual General Meeting	88

Statutory

Directors' Report 2025-26	119
Secretarial Audit Report	124
Certificate of Non-Disqualification of Directors	127
Management Discussion & Analysis	128
Corporate Governance Report 2025-26	173
Certificate on Corporate Governance	199
Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	200
Business Responsibility and Sustainability Report 2025-26	201
Dividend Distribution Policy of Bank	233

Financials

Independent Auditors' Report (Standalone)	234
Standalone Financial Statements	244
Independent Auditors' Report (Consolidated)	312
Consolidated Financial Statements	320
Pillar 3 (Basel III) Disclosures as on 31.03.2026	357
GRI Index	358

Board of Directors

Shri Kalyan Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer
(from 30.09.2025)

Shri M V Rao
Managing Director & Chief Executive Officer
(upto 31.07.2025)

Shri M V Murali Krishna
Executive Director

Shri Mahendra Dohare
Executive Director

Shri E Ratan Kumar
Executive Director
(from 24.11.2025)

Shri Vivek Wahi
Executive Director
(upto 30.09.2025)

Shri Chandradeep Kumar Jha
Government Nominee Director
(from 19.06.2026)

Shri B. Purushartha
Government Nominee Director
(from 24.07.2025 upto 19.06.2026)

Shri Hardik Mukesh Sheth
Government Nominee Director
(upto 24.07.2025)

Shri Manoranjan Dash
RBI Nominee Director

Shri Priavrat Sharma
Part-time Non-Official Director
(upto 07.05.2026)

Shri Sarada Kumar Hota
Shareholder Director

Shri Pradip Pranlal Khimani
Part-time Non-Official Director
(from 11.04.2025 upto 10.04.2026)

Corporate Information

Board of Directors

Shri Kalyan Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer
(from 30.09.2025)

Shri M V Rao
Managing Director & Chief Executive Officer
(upto 31.07.2025)

Shri M V Murali Krishna
Executive Director

Shri Mahendra Dohare
Executive Director

Shri E Ratan Kumar
Executive Director
(from 24.11.2025)

Shri Vivek Wahi
Executive Director
(upto 30.09.2025)

Shri Chandradeep Kumar Jha
Government Nominee Director
(from19.06.2026)

Shri B. Purushartha
Government Nominee Director
(from 24.07.2025 to 19.06.2026)

Shri Hardik Mukesh Sheth
Government Nominee Director
(upto 24.07.2025)

Shri Manoranjan Dash
RBI Nominee Director

Shri Priavrat Sharma
Part-time Non-Official Director
(upto 07.05.2026)

Shri Sarada Kumar Hota
Shareholder Director

Shri Pradip Pranlal Khimani
Part-time Non-Official Director
(from 11.04.2025 upto 10.04.2026)

Statutory Central Auditors

M/s ADB & Company
M/s AMIT RAY & Co.
M/s JAIN PARAS BILALA & Co.
M/s GARG ASHOK & Co.

Secretarial Auditors

M/s. Ragini Chokshi & Co., *Practising Company Secretaries*

Subsidiary Companies

Cent Bank Home Finance Limited
Cent Bank Financial Services Limited

Associate Companies

Generali Central Life Insurance Company Limited
Generali Central Insurance Company Limited
Indo Zambia Bank Limited, *Zambia*

Registrar and Share Transfer Agents

For Equity Shares

MUFG Intime India Pvt. Ltd.
C-101, 247 Park,
LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083
Tel : 022-49186270
Fax : 022-49186060
E-mail ID : rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

For Bonds (Debentures)

MCS Share Transfer Agent Limited
Office No. 383, 3rd floor, B-Wing, Gundecha Onclave,
Premises, Co-op Society Ltd. Kherani Road, Sakinaka,
Andheri (East), Mumbai - 400 072
Tel : 022-28516021
E-mail : helpdeskmum@mcsregistrars.com

Address for Correspondence with the Bank

AGM-Company Secretary and Compliance Officer

Shri Chandrakant Bhagwat
Central Bank of India, 9th floor, Chandermukhi Building,
Nariman Point, Mumbai – 400 021

Tel : 022-66387818/7575
E-mail ID : agmcompsec@centralbank.bank.in /
investors@centralbank.bank.in

Senior Management Team

(As on 30.04.2026)

Sr. No.	Name of Personnel	Portfolio held
1.	**Shri Ajay Kumar Singh**	Chief Vigilance Officer

Sr. No.	Name of Key Managerial Personnel	Portfolio held
1.	**Shri Mukul Narayan Dandige**	Chief General Manager & Chief Financial Officer
2.	**Smt. Kavita Thakur**	Chief General Manager & Chief Compliance Officer
3.	**Shri Raj Kokil Singh**	General Manager & Chief Risk Officer
4.	**Smt. Preeti Saraswat**	Deputy General Manager & Head of Audit Department
5.	**Shri Chandrakant Bhagwat**	Asst. General Manager & Company Secretary
6.	**Shri Rajendra Bhalerao**	CISO

Sr. No.	Name of Chief General Managers	Portfolio held
1.	**Ms. Poppy Sharma**	Customer Care Department
2.	**Shri Vasti Venkatesh**	Treasury and International Banking Department
3.	**Shri Sohail Ahmad**	Strategy Management Department
4.	**Shri Kushal Pal**	Human Capital Management, Learning and Development, Rajbhasha and Security Department

Sr. No.	Name of General Managers	Portfolio held
1.	**Shri Umesh Kumar Singh**	MD & CEO, CERSAI (On Deputation)
2.	**Shri B.S. Harilal**	Principal of SPBT College, Learning and Development Department
3.	**Shri Mohit Kodnani**	Digital Information & Technology Department
4.	**Shri Vivek Kumar**	Finance and Accounts Department
5.	**Shri A.D. Srinivas**	Credit Monitoring & Policy Department
6.	**Shri Shishram Tundwal**	Government Business Department, Delhi
7.	**Shri P Anup Kumar**	Neo Banking and Emerging Technology
8.	**Shri Sanju Mangrulkar**	Emerging Business Department
9.	**Shri Shashidhar K**	Resource Department
10.	**Shri Dharm Pal Khurana**	Strategy Department
11.	**Shri Ashwani Kumar Dhingra**	Customer Care Department
12.	**Shri Ajay Khanna**	Corporate Credit Department
13.	**Shri Suryanarayana Murty Saladi**	MSME Department
14.	**Dr. G. Bhaskar**	Treasury Department
15.	**Shri Arvind Kumar**	Retail Asset Department
16.	**Shri Kousik Kala**	Business Support Department
17.	**Shri P Mahadevan**	International Banking Department
18.	**Dr. Himanshu Gupta**	MSME Department
19.	**Shri Birendra Mehta**	SAM & Recovery Department

Sr. No.	Name of Zonal Heads	Portfolio held
1.	**Shri Ajay Kumar Singh**	Pune Zone
2.	**Shri Tarsem Singh Zira**	Delhi Zone
3.	**Shri Dhananjay Singh Rathour**	Mumbai Metropolitan Zone
4.	**Shri K. Dharasing Naik**	Chennai Zone
5.	**Shri D. K. Arjwani**	Lucknow Zone
6.	**Shri Rajiv Ranjan Sinha**	Patna Zone
7.	**Shri Dheeraj Goel**	Bhopal Zone
8.	**Shri Pramod Mishra**	Ahmedabad Zone
9.	**Shri Anil Kumar**	Jaipur Zone
10.	**Shri Suresh Singh**	Chandigarh Zone
11.	**Shri Raj Kishore Singh**	Kolkata Zone
12.	**Shri M. Pichayya**	Hyderabad Zone
13.	**Shri Rakesh Bhootada**	Raipur Zone
14.	**Shri Rajat Mishra**	Guwahati Zone

The Architect of Velocity:

Sir Sorabji's 115-Year Promise

In this "Year of Business Acceleration," we return to the source of our momentum. Founded in 1911, Central Bank of India was never intended to be a static institution; it was born from the high-velocity vision of a 28-year-old pioneer, Sir Sorabji Pochkhanawala. His decree to create a "property of the nation" was not just a goal - it was a promise to deliver economic self-reliance to every Indian.

Acceleration is the contemporary expression of our Swadeshi spirit. Sir Sorabji didn't just build a bank; he built a laboratory for Indian innovation, moving with a speed that defied the prejudices of his time.

The Original "Startup" Spirit: Accelerating at 28

In an era dominated by foreign monopolies, Sir Sorabji recognised that survival required more than resilience; it required ***strategic velocity.***

- **1911 | The Decisive Launch:** At an age when most are beginning their careers, Sorabji defied the era's banking prejudices to establish India's first truly Swadeshi bank.
- **1916 | Breaking the Monopoly:** Demonstrating early institutional velocity, the Bank penetrated the Bankers' Clearing House in Calcutta, shattering a long-standing foreign bank enclave.
- **The 1913 Crucible:** His ability to navigate the severe banking crisis of 1913 proved that high-speed growth, when anchored by integrity, creates an unbreakable foundation.

Delivering the Promise: A Legacy of "Firsts"

Sir Sorabji's leadership was defined by a rapid-fire series of industry-first innovations that mirror our current Cent NEO and strategic transformation initiatives. He understood that to be "Central" to Indians, the Bank had to deliver results before they were even requested.

- **Pioneering Transparency (1912):** Within a year of founding, he made the Bank the first to publish fortnightly financial statements, establishing a culture of accountability that survives in our PRISM monitoring today.
- **Social Acceleration (1924):** Recognizing the untapped potential of women in the economy, he established a dedicated Ladies Department in Bombay - a revolutionary move for 1920s India that paved the way for our 115 "Pink Branches" in FY2026.
- **Democratizing Savings:** He introduced the Home Savings Bank Department and Recurring Deposits, moving with the intent to make thrift a national habit.

From 1911 to 2026: The Vector of Progress

The founder's vision of a bank that is "Truly Central to Every Indian" remains our guiding compass as we transition from "Delivering Excellence" to "Business Acceleration". Sir Sorabji was a man of results, eventually receiving a knighthood in 1934 for his contributions to indigenous banking.

Today, as our total business crosses the ₹8,12,439 crore landmark, we are not merely growing; we are fulfilling the high-velocity roadmap he laid out 115 years ago. His legacy is the engine; our acceleration is the result.

At a Glance: The Acceleration Pulse

In this reporting cycle, the Bank has moved from strategic frameworks to high-scale execution. These landmark metrics prove how we have "Delivered our Promise" to our 8.26 crore customers and the nation.

FY2025-26 Performance At A Glance

Financial Scale

Total Business

₹8,12,439 crore

Robust year-on-year growth of 15.60%.

Net Profit

₹4,369 crore

Up 15.43% over the previous year.

Total Deposits

₹4,67,923 crore

Savings Deposits crossed the historic ₹2.00 lakh crore milestone.

Gross Advances

₹3,44,516 crore

Supported by a landmark Retail portfolio of over ₹1,03,000 crore.

Digital & Productivity

Digital Transaction Share

90.54%

Digital Transaction Share of all transactions, marking a historic high for the Bank.

Mobile Banking Users

2 crore

Active users, following the transition to the Bank's Cent eez application of Cent NEO ecosystem.

Productivity

₹23.89 crore

Business per employee, registering growth of 12.11%.

Digital Trust

100%

Digital infrastructure migrated to the verified .bank.in domain.

Reach & Footprint

Active Customer Base

8.26 crore

Active customers.

Total Touchpoints

22,129

Touchpoints strengthening last-mile delivery.

Branch Network

4,585

Branches, with 65.19% located in Rural and Semi-Urban India.

Business Correspondents

13,685

Business Correspondents supported by 40 BC Maxx Centres.

Workforce

33,997

Employees trained and aligned for the transition to Business Excellence.

Recognised for Excellence: Validating the Promise

Acceleration in FY2026 was validated by record-breaking recognition across national and international platforms. Our performance in the "Year of Business Acceleration" has redefined our stature as an intelligence-led, inclusive financial institution.

Key Accolades for FY2025-26

Inclusive Leadership:

Honoured as the "Best Organisation for Women 2026" by ET Edge, reflecting the impact of our 115 all-women Pink Branches.

Digital Security:

Received the SKOCH Award 2025 for the resilience of our Security Operations Centre (SOC).

Aspirational Growth:

Awarded "Best Bank for Education Loans" at the Navabharat Education Awards.

Nation Building:

Honoured as the "Best Bank for Promoting Government Schemes" at the MSME Banking Excellence Awards 2025.

Operational Excellence:

Ranked #2 in Data Quality under the EASE 7.0 Reforms.

Innovation:

Winner of the "Customer Experience Transformer" award at the Data Innovation Awards 2026.

The Swadeshi Engine

Founded in 1911 by Sir Sorabji Pochkhanawala, Central Bank of India is the nation's first commercial bank owned and managed entirely by Indians. In the "Year of Business Acceleration," our 115-year legacy has been transformed into a high-scale financial ecosystem that remains "Truly Central to Every Indian."

The Era of Swadeshi Pioneering (1911–1930s)

1911

The Swadeshi Birth: Founded by Sir Sorabji Pochkhanawala as the first commercial bank owned and managed entirely by Indians, dedicated to economic independence and self-reliance.

1916

Breaking Monopolies: Penetrated the Bankers' Clearing House in Calcutta, a milestone in challenging foreign bank dominance.

1921

Safety First: Established the first Safe Deposit Vault in the Indian banking industry, redefining security for the Indian public.

Public Trust: Became the first Indian bank to manage municipal funds for the Bombay Municipality and the Bombay Improvement Trust.

1922

Thrift & Transparency: Launched the Home Savings Bank Department to promote small savings and became the first bank to publish fortnightly financial statements to ensure public accountability.

1924

Financial Empowerment: Established a dedicated Ladies Department with female assistants - a first in India - to encourage women's participation in the formal financial system.

1932

Rural Roots: Opened "mandi branches" in Punjab to provide direct credit support to agriculturists for selling their produce.

The Mid-Century Expansion (1940s–2000s)

1962

Savings Innovation: Pioneered the concept of Recurring Deposits in the Indian market, creating a structural shift in household saving habits.

1964

Nation Building: Formally began offering small-scale loans to farmers, institutionalising the Bank's role in agricultural credit.

1980

Digital Precursor: Launched "The Centralcard," India's first-ever credit card, marking the Bank's entry into consumer-centric credit technology.

2001

Modern Payments: Introduced the Debit Card to its vast customer base to drive digital adoption.

The Transformation Turnaround (2022–2025)

2022

The Great Pivot: Successfully exited the Prompt Corrective Action (PCA) framework, validating a period of intense balance sheet repair and foundational stabilisation.

2025

Mandate: Delivering Excellence: A landmark year where Net Profit surged 48.49% to reach ₹3,785 crore.

The Nucleus of NEO: Launched the Cent NEO Programme and the Digital Lending Platform (DLP) as the core engines of a future-ready, intelligence-led digital bank.

The Strategic Inflection Point (2026)

2026

The Year of Business Acceleration: The Bank moved from setting frameworks to achieving high-scale, quantifiable results, proving it has "Delivered its Promise" to every stakeholder.

The Triple Landmark: Successfully achieved a watershed business volume, crossing the ₹8,00,000 crore mark in total business, ₹2,00,000 crore in Savings Deposits, and ₹1,00,000 crore in the Retail Advance Portfolio.

Financial Fortitude: For the first time in recent history, the Bank met its aspirational 1.00% Return on Assets (ROA) target during the year, signalling its transition to permanent institutional excellence.

Digital Trust: Completed the 100% migration of its digital ecosystem to the secure, verified .bank.in domain.of India—the Central Fixed and Flexible Trust Company.

Managing Director and CEO's

Message to Stakeholders

Growth becomes meaningful only when it is trusted, inclusive and built to endure. That has been our guiding principle throughout this remarkable year.

Kalyan Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

₹8,12,439 Crore

Total Business Milestone: The historic total business milestone successfully crossed in FY2025-26, representing a robust year-on-year growth of 15.60%.

Dear Stakeholders,

It gives me immense pride to present the Integrated Annual Report of Central Bank of India for the Financial Year 2025-26. This year, designated as "The Year of Business Acceleration," represents a definitive watershed moment in our 115-year legacy. It is the year where we transitioned from building foundational resilience to achieving high-velocity, scalable growth. Most importantly, it is the year where we "Delivered our Promise" to every stakeholder sustainably converting strategic ambition into quantifiable, landmark success.

A Landscape of Strategic Opportunity

The global economy in FY2026 operated in a state of "fragile adaptation," navigating geopolitical volatilities and shifting trade paradigms. However, amidst this complexity, India emerged as the world's structural outperformer, with GDP growth reaching a robust 7.6%. At Central Bank of India, we did not merely navigate these dynamics; we leveraged them. By aligning our institutional velocity with the national vision of Viksit Bharat, we successfully crossed the historic total business milestone of ₹8,12,439 crore, representing a year-on-year growth of 15.60%.

Our expansion was not accidental; it was a disciplined response to a well-analysed market landscape. We successfully decoupled from global headwinds by focusing on the granular domestic engine, ensuring that our growth remains "Truly Central to Every Indian."

Quantifiable Success and Financial Fortitude

The hallmark of our acceleration in FY2026 was the achievement of our most aspirational financial mandates. For the first time in our recent history, the Bank successfully achieved 1.00% Return on Assets (ROA) target during the year, validating the efficiency of our operating model. While our full-year standalone ROA stood at 0.89%—primarily due to recognition of Deferred Tax Asset DTA in line with The Finance Bill 2026 thus taking a hit of ₹632 crore on our Net Profit—our core operating profit grew by 10.34% to reach ₹8,124 crore

Our capital position remains fortified, with a CRAR of 17.91%, providing the necessary buffer to fuel our next phase of expansion. This financial fortitude is the bedrock upon which we have built a high-growth liability and asset franchise.

The RAM Engine: Scaling the Granular Promise

In FY2026, the RAM (Retail, Agriculture, and MSME) segment remained our primary growth driver, expanding by 20.86% to reach ₹2,34,571 crore. The crown jewel of this acceleration was the Retail Advance Portfolio, which surged 25.67% to cross the historic ₹1,00,000 crore mark, closing at ₹1,03,533 crore. This achievement is a testament to our commitment to the Indian household and our ability to handle high transaction volumes with precision.

Our MSME Industrial Engine also demonstrated significant velocity, growing by 17.06%. We moved beyond generic lending to institutionalize cluster-based financing, mapping 225 branches to specific industrial hubs. Similarly, in Agriculture, we grew the portfolio by 17.60% to ₹61,687 crore, mapping 274 clusters to specialised agro-clusters to support rural entrepreneurship.

On the liability side, our "CASA First" strategy yielded record results. Through targeted drives like "Agaaz" and "Prarambh," our Savings Deposits crossed the ₹2,00,000 crore milestone for the first time, ensuring a stable, low-cost funding base for our credit engines.

25.67%

Retail Advance Portfolio Growth: Surge in the Retail Advance Portfolio (the crown jewel of the RAM engine), crossing the historic ₹1,00,000 crore mark to close at ₹1,03,533 crore.

> FY2025-26 was not simply a year of stronger numbers. It was a year in which disciplined execution transformed strategic ambition into measurable outcomes

90.54%

Digital Transaction Share: A historic high achieved in our digital transaction share, reflecting the success of our "digital-first" philosophy and institutional trust.

Digital Transformation: The Backbone of Velocity

Acceleration in FY2026 was powered by the Digital ecosystem and the institutionalization of the internal transformation hub. We moved from launching digital platforms to proving their impact at scale. Today, our Digital Lending Platform (DLP) supports 37 live digital journeys, allowing us to execute thousands of MSME and Retail sanctions with near-zero manual intervention.

The success of our "digital-first" philosophy is reflected in our digital transaction share, which reached a historic high of 90.54%. This technological scale-up was anchored by a definitive marker of institutional trust: the successful migration of our entire digital infrastructure to the secure .bank.in domain. We are no longer just a legacy bank; we are an intelligence-led financial ecosystem.

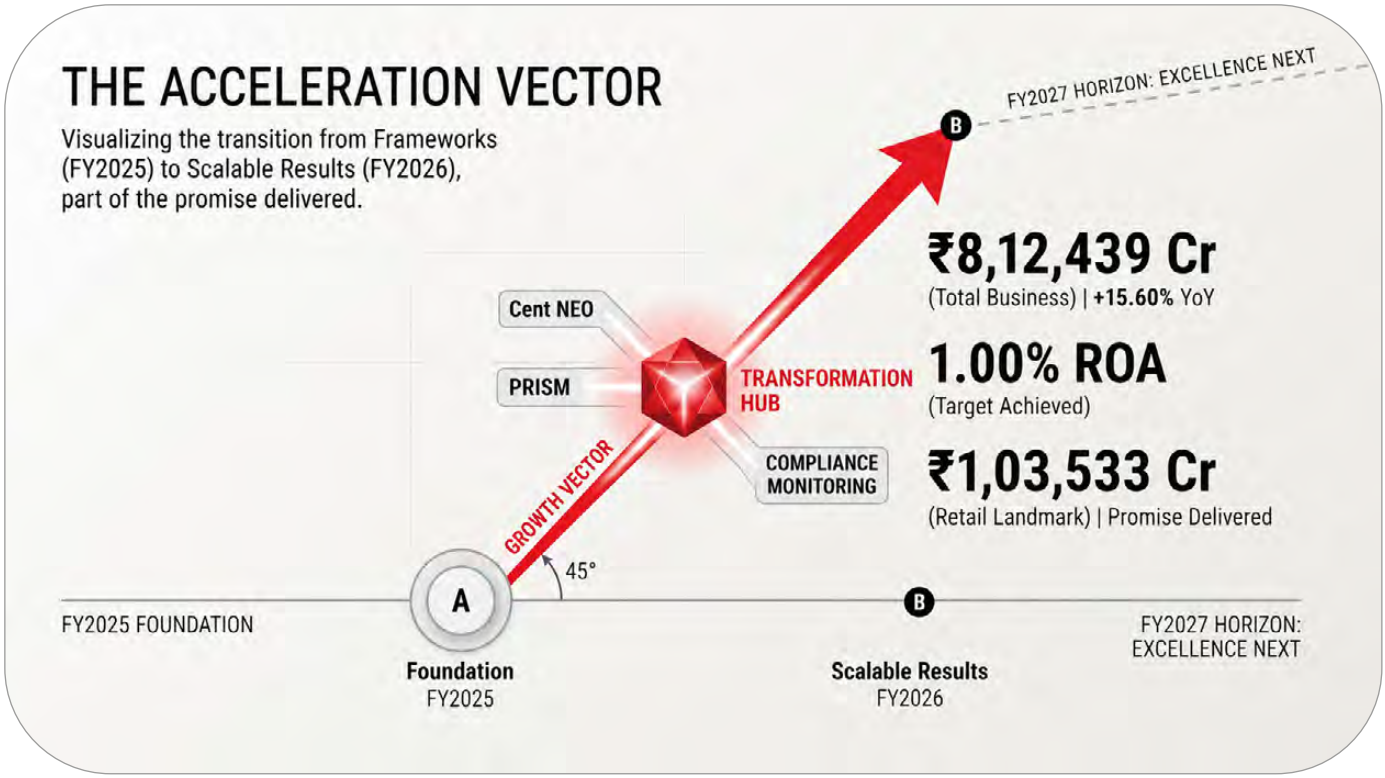

Institutionalising Discipline: Asset Quality and Risk

High-velocity growth must be anchored by superior portfolio hygiene. In FY2026, we achieved a watershed year in asset quality, improving the Gross NPA ratio to 2.67% (down from 3.18%) and maintaining a respectable Net NPA of 0.49%.

Our true resilience was evidenced by our slippage ratio, which we contained at a record low of 1.16%. This was made possible by the proactive recovery measures and our elevated Early Warning Systems (EWS). By institutionalising a culture of "Acceleration with Discipline," we have ensured that every unit of capital deployed contributes to long-term value creation.

Human Capital: The Catalyst of Productivity

Our 33,997-strong workforce is the primary catalyst for our velocity. In FY2026, we saw a definitive jump in efficiency, with Business per Employee rising to ₹23.89 crore, a growth of 12.11%. Through "Project Cent Nurture," we provided specialised training to 1,000 Credit Officers to ensure that our underwriting standards remain rigorous as we scale.

We also prioritized the well-being of our staff through initiatives like "Cent Chetna," a confidential counselling platform. Our goal is to be the "Preferred Employer" in the Indian banking sector, attracting top-tier talent to drive our digital and operational excellence.

Social Responsibility and Nation Building

The Bank's role in nation-building continues to remain at the core of its CARE philosophy: Customer First. Nation Always. People Forever. This philosophy reflects our commitment across four important dimensions, namely Customer Service Excellence, Aspirational and Sustainable Growth, Role in Nation Building and Viksit Bharat, and Employee Wellbeing, including the wellbeing of their families.

During the year, the Bank further expanded its hybrid reach to 22,129 total touchpoints, with 65.19% of its branches serving rural and semi-urban India. This extensive presence enables the Bank to provide accessible banking services, strengthen financial inclusion and support the aspirations of customers across Bharat.

The Bank also took significant strides in social governance through the establishment of 115 Pink Branches, managed entirely by women staff. These branches serve not only as banking touchpoints, but also as symbols of women's leadership, financial empowerment and inclusive growth.

We also take pride to inform that the Bank has started a comprehensive e-MSME Advisory Services suite to support entrepreneurs across their business journey. This includes guidance on MSME registration, GST and Income Tax matters, MCA compliances, and preparation of detailed project reports. Through this initiative, the Bank supports MSME entrepreneurs in achieving operational excellence by strengthening their capabilities, enhancing their credibility and helping them leverage the digital ecosystem more effectively.

As the Bank understands the MSME ecosystem closely, it is well placed to guide MSME units in smoothly manoeuvring the challenges they may encounter on their journey to success. This advisory-led approach reflects the Bank's continued commitment to enterprise development, employment generation and Viksit Bharat.

Further, the Bank's commitment to the planet was formalised through its Board-approved ESG Policy, with a target of achieving Net Zero Scope 1 emissions by 2028. The Bank's green banking initiatives, including solar pump financing extended to 16,500 farmers, demonstrate that sustainability and business acceleration can progress together in a mutually reinforcing manner.

> As we look ahead, our ambition remains unchanged: to combine operational excellence with inclusive growth while remaining Truly Central to Every Indian.

The Roadmap Ahead: Toward Business Excellence (FY2027)

As we conclude "The Year of Business Acceleration," the gains we have achieved provide the bedrock for our next phase. Having "Delivered our Promise" in FY2026, we now look forward to FY2026-27 as the "Year of Business Excellence."

Our focus has already shifted from rapid scaling to the refinement of every touchpoint. For the remaining part of FY2027, we intend to implement global best practices in customer service, optimise our operational efficiency to target a Cost-to-Income Ratio below 56%, and further improve our Credit-Deposit (CD) Ratio. Our journey toward becoming a ₹13 lakh crore institution by FY 2029-30 is well underway, guided by our heritage and driven by our progress.

I thank our customers for their solid trust, our employees for their tireless dedication, and our shareholders for their continued support. Together, we remain "Truly Central to Every Indian."

Warm regards,

Kalyan Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer
Central Bank of India

Navigating Market Dynamics:

Leveraging Opportunities for Acceleration

In the reporting cycle for FY2025-26, the global and domestic landscapes underwent a period of profound transformation. The year under review represented the decisive period where Central Bank of India transitioned from foundational stabilisation to high-velocity execution. By aligning our institutional velocity with structural market tailwinds, we successfully crossed the landmark ₹8,12,439 crore total business mark.

> Acceleration is the synthesis of strategic clarity and market opportunity. While the global landscape remained characterized by 'fragile adaptation,' our focused execution in the granular Indian economy allowed us to deliver scalable, disciplined growth.
>
> – Management Vision for FY2026

The Pulse of the Operating Environment

India GDP Growth	System Credit Growth	Global AI Capex	Gold Price (Peak)
7.6%	14.5%	USD 200 Bn+	USD 3,500/oz
(NSO Provisional)	(SCB December 2025)	(Anchor for Growth)	(Safe-Haven Surge)

The Global Crucible: Fragile Adaptation Amid Resilience

The global economy navigated a phase of "tested resilience" during this period, shaped by severe geopolitical shocks and a historic escalation of trade tensions.

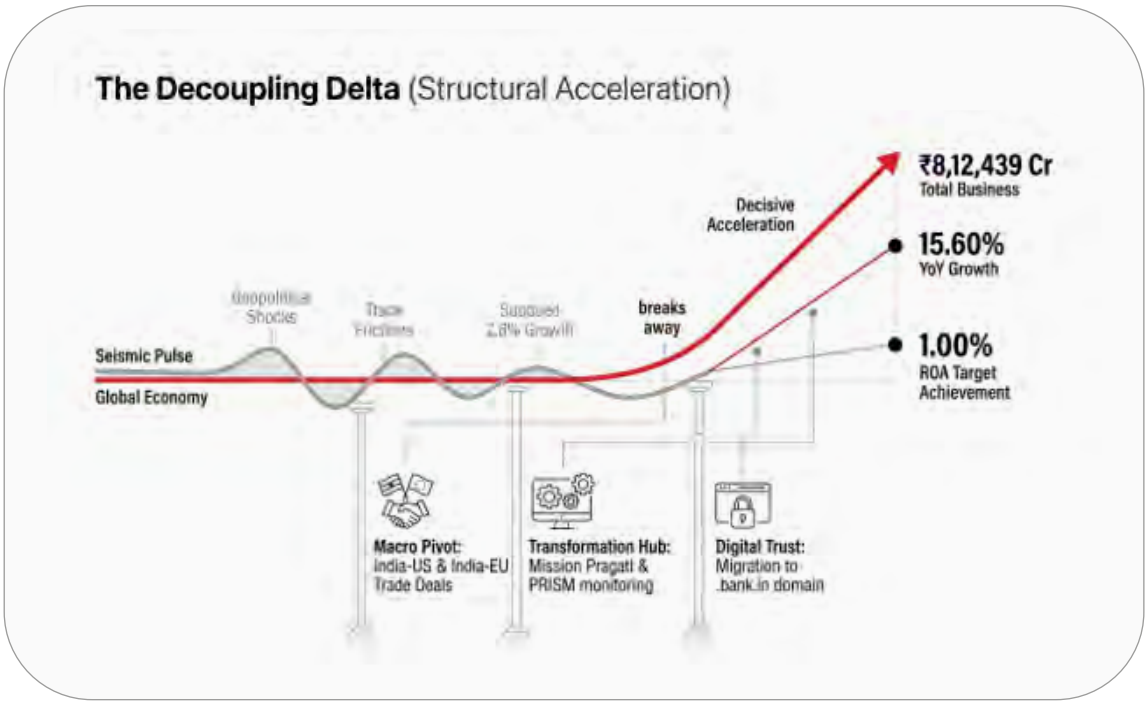

- **Macro-Economic Anchors:** Global growth remained subdued at approximately 2.8%, yet a total systemic crisis was averted through massive investments in Artificial Intelligence, which exceeded USD 200 billion in 2025. These investments acted as a critical macroeconomic anchor for advanced economies, offsetting trade-related drags.
- **Geopolitical Shocks:** Geopolitical risk emerged as the primary threat to financial stability. The re-escalation of conflict in the Middle East and the constriction of shipments through the Strait of Hormuz triggered sharp spikes in energy and fertilizer prices.
- **Trade Disruptions:** Broad-based tariff implementations reached levels not seen since the 1930s, raising the average effective US tariff rate to approximately 17% and triggering a global cycle of escalation.
- **Safe-Haven Pivot:** The spike in global risk appetite led to unprecedented demand for safe-haven assets, with gold prices reaching an all-time high of USD 3,500 per ounce in early 2026.

India: The Structural Outperformer

Amidst global conflagrations, India continued to be the world's standout performer, projected to be the fastest-growing large economy with GDP growth reaching 7.6%.

1

Domestic Demand as an Anchor:

India's resilience was anchored by robust domestic consumption and strengthening rural demand, which consistently outperformed urban consumption for much of the cycle.

2

"Game-Changing" Trade Deals:

The finalization of the India-US Trade Deal and the India-EU Free Trade Agreement (FTA) in early 2026 served as massive tailwinds. These pacts catalysed a V-shaped recovery in the Indian Rupee and opened vast export markets for labour-intensive sectors.

3

Credit Rating Validation:

India's fiscal management received international validation with credit rating upgrades to BBB+ (Stable) by R&I Japan and BBB (Stable) by S&P Global.

Banking Sector Trends: The War for Deposits & Digital Scale

The Indian banking sector entered this period with record profitability but faced a structural shift in its liability profile.

1

Credit Momentum:

The industry moved from balance sheet repair to calibrated growth, with system-wide credit growth accelerating to 14.5% by December 2025. Demand was particularly robust in MSME clusters, retail, and gold loans.

2

The War for Deposits:

Banks faced an intense "War for Deposits" as household savings increasingly migrated toward higher-yielding term deposits and market-linked instruments. This exerted upward pressure on deposit rates and required a strategic focus on granular liability mobilisation.

3

Digital Trust as a Mandate:

Cybersecurity transitioned from a support function to a critical risk parameter. The industry-wide migration to the .bank. in domain became a definitive marker of institutional trust and regulatory compliance.

Strategic Posture: Our SWOT for Acceleration

1. STRENGTHS: Franchise Fortitude

Our acceleration is built upon a bedrock of institutional trust and an unmatched physical-digital hybrid reach.

- **115-Year Swadeshi Legacy:** Our rich heritage serves as a foundational pillar for customer trust, supporting an active base of 8.26 crore customers.
- **Dominant Inclusive Reach:** With 65.19% of our 4,585 branches located in rural and semi-urban (RUSU) areas, we possess a unique, "captive" granular market that aligns with the national vision of Viksit Bharat.
- **Surging Productivity:** The "Year of Business Acceleration" saw a definitive jump in efficiency, with Business per Employee rising to ₹23.89 crore (up from ₹21.31 crore).
- **Liability Powerhouse:** We maintain one of the industry's best CASA bases at 47.30%, providing a low-cost fuel for our credit engines.

2. WEAKNESSES: Operational Refinement

We identify our internal hurdles as "Trajectories for Optimisation," utilising technology to lean out the institution.

- **Cost-to-Income (CIR) Trajectory:** While currently elevated at 58.61%, we have initiated a sharp focus on process re-engineering and digital migration to bring this below 56% by FY2027.
- **CD Ratio Efficiency:** Our Credit-Deposit ratio stands at 72.00% (as of December 2025); we are actively working to align this with the industry benchmark of 75%–80% through targeted granular credit deployment.

3. OPPORTUNITIES: Targeted Growth Engines

The transition from "framework to results" is most visible in our identified growth segments.

- **Transformation Frameworks & Cluster Financing:** We have moved beyond generic lending to map 225 MSME clusters and 274 Agriculture clusters, creating tailored financial ecosystems for specific industries like ceramics and textiles.
- **Digital Velocity (DLP):** Our Digital Lending Platform now features 37 live journeys, providing near-instant credit approvals for products like Cent Grih Lakshmi and solar pump financing.
- **Revenue Diversification:** New partnerships and stake acquisitions in Generali Central Life and Non-Life Insurance open high-margin fee-income streams through our vast bancassurance channels.

4. THREATS: External Vigilance

We mitigate external risks through a culture of "Acceleration with Discipline" and advanced risk architecture.

- **The War for Deposits:** As household savings migrate toward market-linked instruments (Mutual Funds growing at 21.90%), we are leveraging our ".bank.in" digital trust and brand legacy to protect our granular liability franchise.
- **Geopolitical and NIM Pressure:** Ongoing global conflagrations and interest rate volatility pose risks to energy prices and trade finance. We mitigate this through an elevated Early Warning System (EWS) and proactive monitoring of sectoral exposures.

1. STRENGTHS
Franchise Fortitude

Acceleration Built on Institutional Trust & Reach

115-Year Swadeshi Legacy
- Customer Trust Foundation
- Active Base: 8.26 crore customers

Dominant Inclusive Reach
- 65.11%, RUSU Branches (Rural & Semi-Urban)
- Unique "Captive" Granular Market
- Aligned with Viksit Bharat

Surging Productivity
"Year of Business Acceleration"
Business per Employee: ₹23.89 crore (up from ₹21.31 crore)

Liability Powerhouse
- Industry Best CASA Base: 47.30%

Low-Cost Fuel for Credit Engines

2. WEAKNESSES
Operational Refinement

'Trajectories for Optimization' via Technology

Cost-to-Income (CIR) Trajectory
- Currently Elevated at 58.61%
- Focus: Process Re-engineering & Digital Migration
- Target: <56% by FY2027

CD Ratio Efficiency
- Current: 73.80% (March 2026)
- Action: Target 75%-80% Industry Benchmark
- Targeted Granular Credit Deployment

3. OPPORTUNITIES
Targeted Growth Engines

Transitioning from Framework to Results

Transformation Frameworks & Cluster Financing
- Mapped 225 MSME Clusters & 274 Agriculture Clusters
- Tailored Ecosystems (e.g., Ceramics, Textiles)

Digital Velocity (DLP)
- Digital Leading Platform (DLP)
- 37 Live Journeys
- Instant Approvals: Cent Grih Lakshmi, Sular Pumps

Revenue Diversification
- New Partnerships & State Acquisitions
- General Central Life and Non-Life Insurance
- High-Margin Fee-Income Streams
- Bancassurance Channels

4. THREATS
External Vigilance

Mitigating External Risks via Advanced Risk Architecture

The War for Deposits
- Household Savings migrating to market-linked instruments
- Mutual Funds growth: 21.90%
- Leverage: Bank in Digital Trust & Brand Legacy

Geopolitical and NIM Pressure
- Ongoing global conflagrations, interest rate volatility
- Risks: Energy prices, Trade Finance
- Mitigation: Elevated Early Warning System (EWS)
- Proactive Monitoring of Sectoral Exposures

Our Business Priorities:

Scaling the Promise

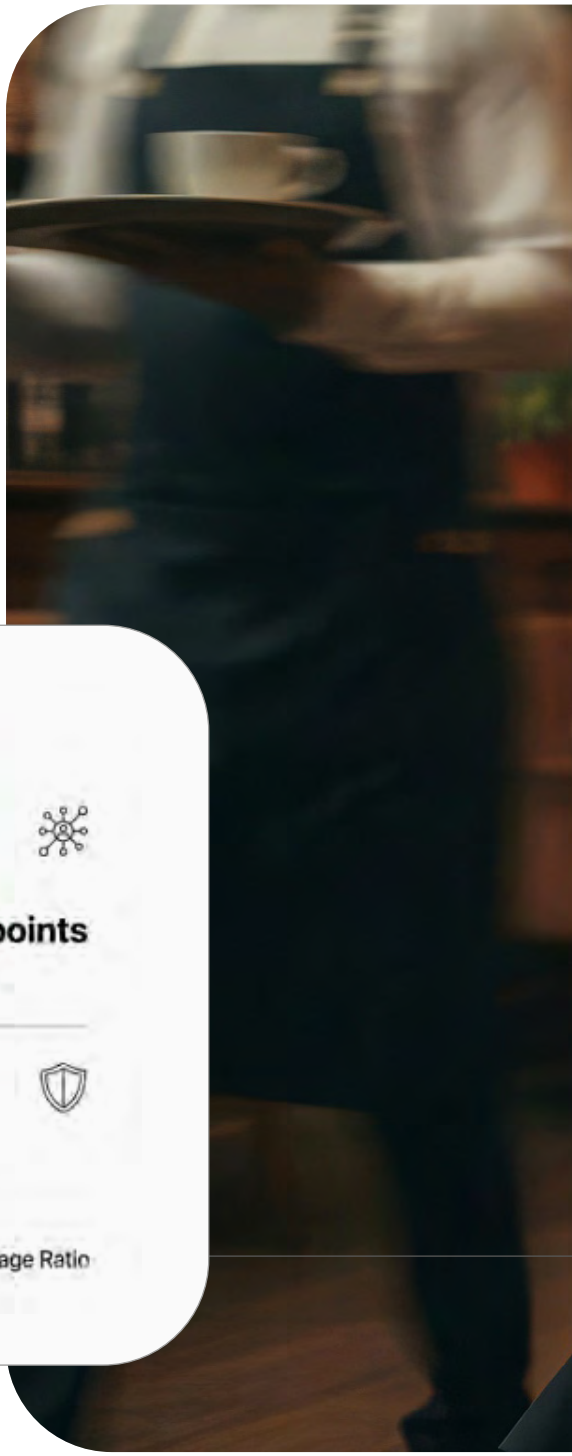

In FY2025-26, Central Bank of India moved from establishing strategic frameworks to a phase of High-Velocity Execution. Our business priorities are no longer just aspirational targets; they are the active engines driving our transition toward a ₹13 lakh crore institution. Guided by the "Accelerate, Expand, Transform & Fortify" roadmap, we have translated our institutional resilience into record-breaking performance.

The Quad-Axis Acceleration Framework

ACCELERATE

₹1,03,533 Cr

(Retail Advances)

25.67%

Crossing the 1 Lakh Crore Landmark

EXPAND

22,129

Total Touchpoints

65.19% Rural & Semi-Urban Presence

TRANSFORM

90.54%

Digital Transaction Share | Historic High

FORTIFY

2.67% (GNPA)

Lowest GNPA in Decades | 1.16% Slippage Ratio

The Roadmap Ahead: Toward Business Excellence (FY2027)

As we conclude the "Year of Business Acceleration," our priorities are already recalibrating. For FY2026-27, designated as the "Year of Business Excellence," we will shift our focus from volume expansion to the refinement of operational efficiency, targeting a Cost-to-Income Ratio (CIR) below 56% and further improving the Credit-Deposit (CD) Ratio.

Central Bank of India remains, as always, "Truly Central to Every Indian."

Acceleration is the synthesis of velocity and direction. In FY2026, we didn't just move faster; we moved with the disciplined intent to deliver every promise made to our 8.26 crore customers.

– Management Vision for FY2026

A

Priority 1: ACCELERATE | Delivering Granular Scale

We have prioritized the *RAM (Retail, Agriculture, and MSME)* segment as our primary growth engine to ensure a diversified, low-risk, and high-yield balance sheet.

- **The Retail Landmark:** Fulfilling our commitment to the Indian household, our retail portfolio surged 25.67% to cross the historic ₹1,00,000 crore mark, closing at ₹1,03,533 crore.
- **MSME Industrial Engine:** Achieved 17.06% growth by moving beyond generic lending to cluster-based financing. We identified 225 potential branches mapped to specific industrial clusters (Ceramics, Textiles, etc.) with a target to reach ₹16,983 crore in cluster sanctions by 2030.
- **Agriculture Fortitude:** Agriculture advances grew 17.60% to ₹61,687 crore. We institutionalised this growth by mapping 274 branches to 9 specific agro-cluster activities, supporting the national vision of "Viksit Bharat".
- **CASA Deepening:** Through the "Agaaz" and "Prarambh" drives, we crossed the ₹2,00,000 crore milestone in Savings Deposits, reinforcing our position as a preferred bank for the common man.

E

Priority 2: EXPAND | Deepening the Hybrid Reach

Our priority is to maintain a dominant physical presence while expanding our agent-led and partner-led ecosystems to reach the last mile.

- **Hybrid Distribution:** We now serve the nation through 22,129 total touchpoints, with 65.19% of our 4,585 branches located in Rural and Semi-Urban (RUSU) areas.
- **Agent-Led Scale:** Our 13,685 Business Correspondents (BCs) act as the extended arms of the Bank, while 40 BC Maxx Centres bring specialised digital banking to unbanked regions.
- **The Co-Lending Ecosystem:** We transitioned our co-lending model from launch to scale, expanding to 36 NBFC/HFC partners and sanctioning ₹7,296.02 crore to underserved Tier 2 to Tier 4 markets.

T

Priority 3: TRANSFORM | Advancing the Digital Frontier

- Transformation in FY2026 moved from "building" to "optimising," centred on the Cent NEO ecosystem and the internal transformation vertical.
- **Cent NEO Digital Bank:** We are building a future-ready, intelligence-led digital bank to meet the aspirations of next-generation customers.
- **Digital Lending Platform (DLP):** Our DLP now supports 37 live digital journeys, executing 6,182 MSME sanctions worth ₹1,625 crore with near-zero manual intervention.
- **Digital Trust Milestone:** In a definitive move for cybersecurity, we successfully migrated our entire enterprise email, internet banking, and corporate website to the ".bank.in" domain.
- **Hyper-Personalisation:** Utilising AI/ML and the Account Aggregator (AA) platform, we have empowered our field staff with tools like the MSME Eligibility Calculator for instant customer onboarding.

F

Priority 4: FORTIFY | Asset Quality & Sustainable Governance

Acceleration in business must be anchored by superior portfolio hygiene and a commitment to the planet.

- **Institutionalised Hygiene:** We achieved a watershed year in asset quality, improving the GNPA ratio to 2.67%(from 3.18%) and maintaining a healthy Net NPA of 0.49%.
- **Automated Compliance Monitoring:** Automated compliance monitoring across all branches helped us contain the overall slippage ratio to a record low of 1.16%.
- **ESG Integration:** We have implemented a Board-approved ESG policy with a goal of Net Zero Scope 1 emissions by 2028. Our green initiatives include solar pump financing for 16,500 farmers through paperless journeys.
- **Nari Shakti:** We have empowered women through leadership, designating 115 "Pink Branches" solely managed by women staff to drive inclusive growth.

Stakeholder Engagement:

Delivering on our Promise

At Central Bank of India, stakeholder engagement is the primary catalyst for our institutional velocity. In the "Year of Business Acceleration," we moved beyond the structured listening frameworks of FY2025 to a phase of High-Scale Fulfillment. By synchronizing our growth strategy with the evolving aspirations of our stakeholders, we have translated dialogue into a landmark total business milestone of ₹8,12,439 crore.

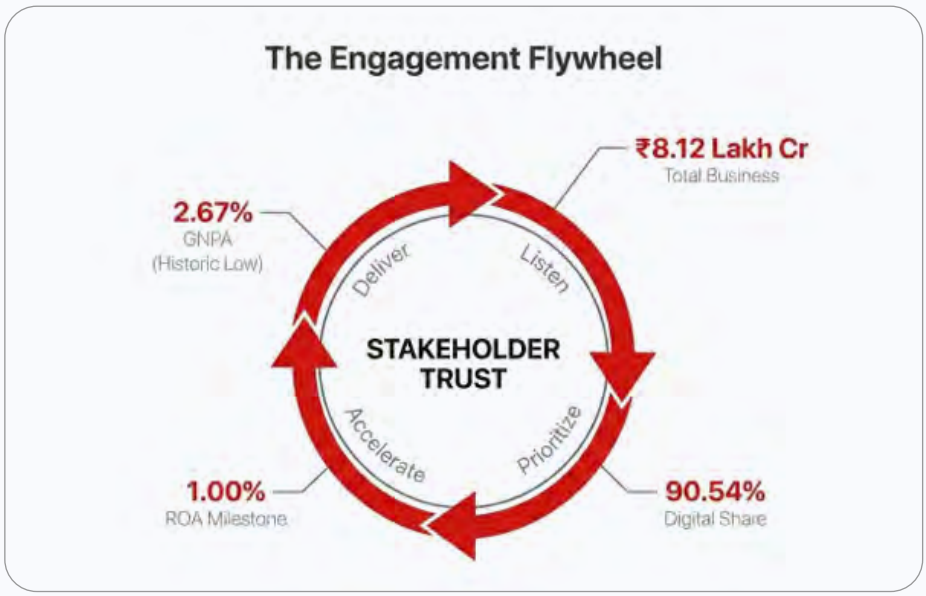

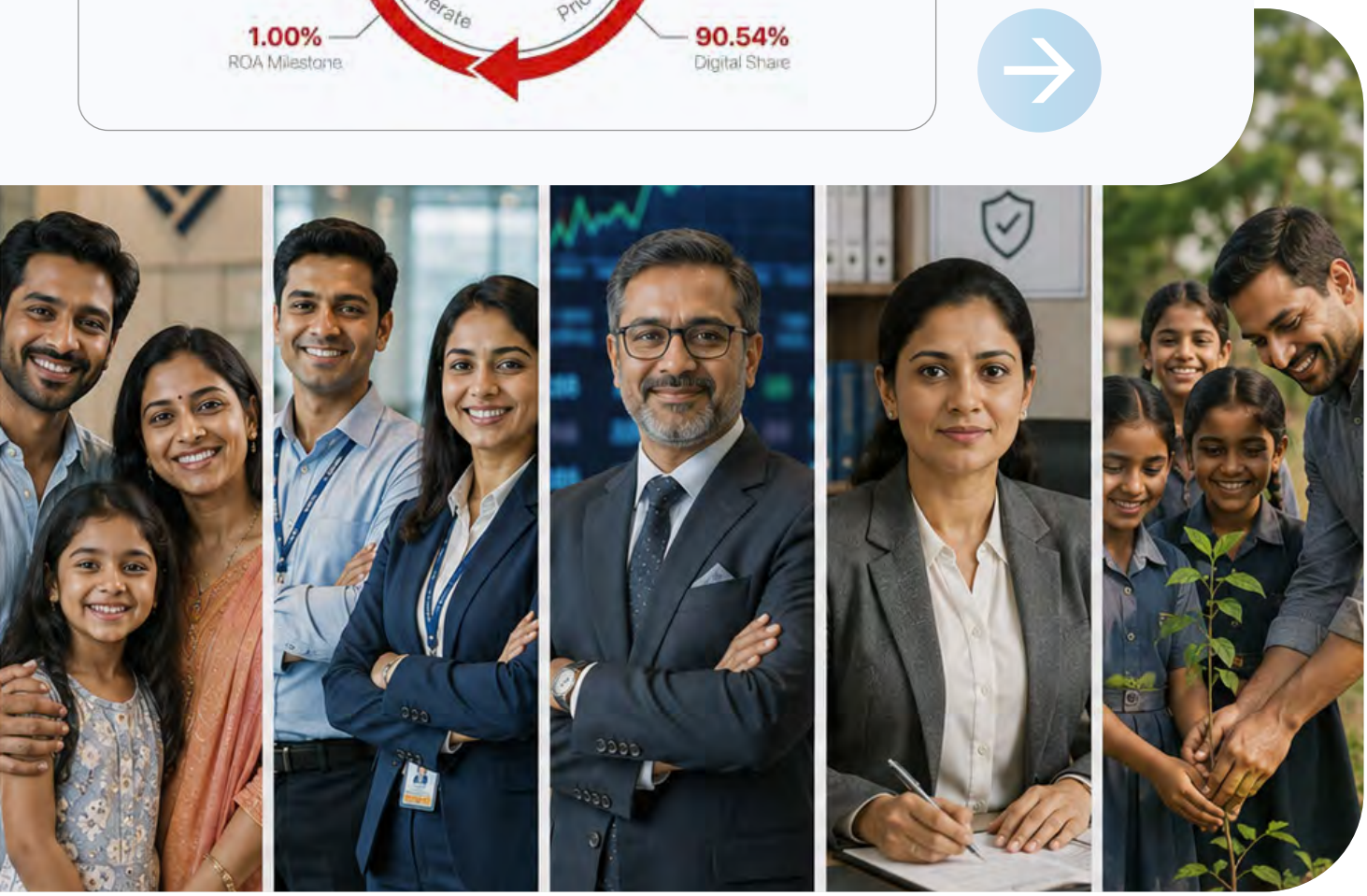

Acceleration is driven by trust. In FY2026, we didn't just listen to our stakeholders; we delivered the digital speed, financial fortitude, and inclusive reach we promised them.

– Management Vision for FY2026

Our Engagement Architecture

Our approach is anchored by the CBI-CARE values, ensuring that every interaction—whether digital or physical—reinforces our role as a bank that is "Truly Central to Every Indian". We prioritize relationships based on their significance, influence, and the impact they have on our journey toward becoming a ₹13 lakh crore institution.

Engagement Pulse & The Promise Delivered

Stakeholder Group	Modes of Engagement	The Promise (FY2025 Mandate)	The Result of Acceleration (FY2026 Outcome)
Customers	Cent NEO, Social Media, Branch Visits, ICC Platform	Seamless, device-agnostic, and rapid banking.	90.54% Digital share; Retail portfolio crossed ₹1.00 Lakh Cr landmark.
Employees	Intranet (i3 Portal), PRISM, Staff Conferences	Professional growth and digital upskilling.	₹23.89 Cr business-per-employee; Specialised training for 1,000 Credit Officers.
Investors	Analyst Calls, AGMs, IR Website	Improved profitability and operational efficiency.	Achieved 1.00% ROA target during the year; Net Profit grew 15.43%.
Regulators	Meetings, Internal Compliance Tracking	Enhanced transparency and data integrity.	Automated compliance monitoring live across all branches; GNPA improved to 2.67%.
Community	CSR Initiatives, "Pink Branches"	Regional inclusivity and nation-building.	Reached 22,129 touchpoints; 115 "Pink Branches" solely managed by women.

Operational Velocity in Grievance Redressal

In FY2026, the Integrated Customer Care (ICC) platform transitioned from an operational framework to a high-velocity resolution engine.

Technology Integration:

By leveraging sentiment analytics and video banking, we reduced turnaround times (TATs) for complex queries.

Digital Trust:

The successful migration to the .bank.in domain significantly enhanced the security and perceived reliability of our digital touchpoints.

Automated Compliance Implementation:

System-led compliance monitoring ensured that grievance escalation paths were rigorously maintained, contributing to an institutional culture of responsiveness.

Materiality & Stakeholder Value:

Focusing our Acceleration

In the "Year of Business Acceleration," Central Bank of India has moved beyond simply identifying stakeholder needs, to actively delivering our promise through high-scale execution. Our approach to value creation is governed by Double Materiality, ensuring that our strategic velocity is aligned with both financial fortitude and institutional responsibility.

> Acceleration without focus is mere motion. By refreshing our materiality assessment in FY2026, we have ensured that our high-velocity growth in the RAM segment directly addresses the core aspirations of our 8.26 crore customers.

The Double Materiality Framework

We evaluate our operating environment through two distinct yet interconnected lenses:

1. Impact Materiality (Inside-Out): How the Bank's high-velocity growth in digital banking and cluster-based lending impacts the economy, environment, and society.
2. Financial Materiality (Outside-In): How external factors—such as geopolitical shocks, trade tensions, and the "war for deposits"—impact the Bank's financial value and its journey toward a ₹13 lakh crore institution.

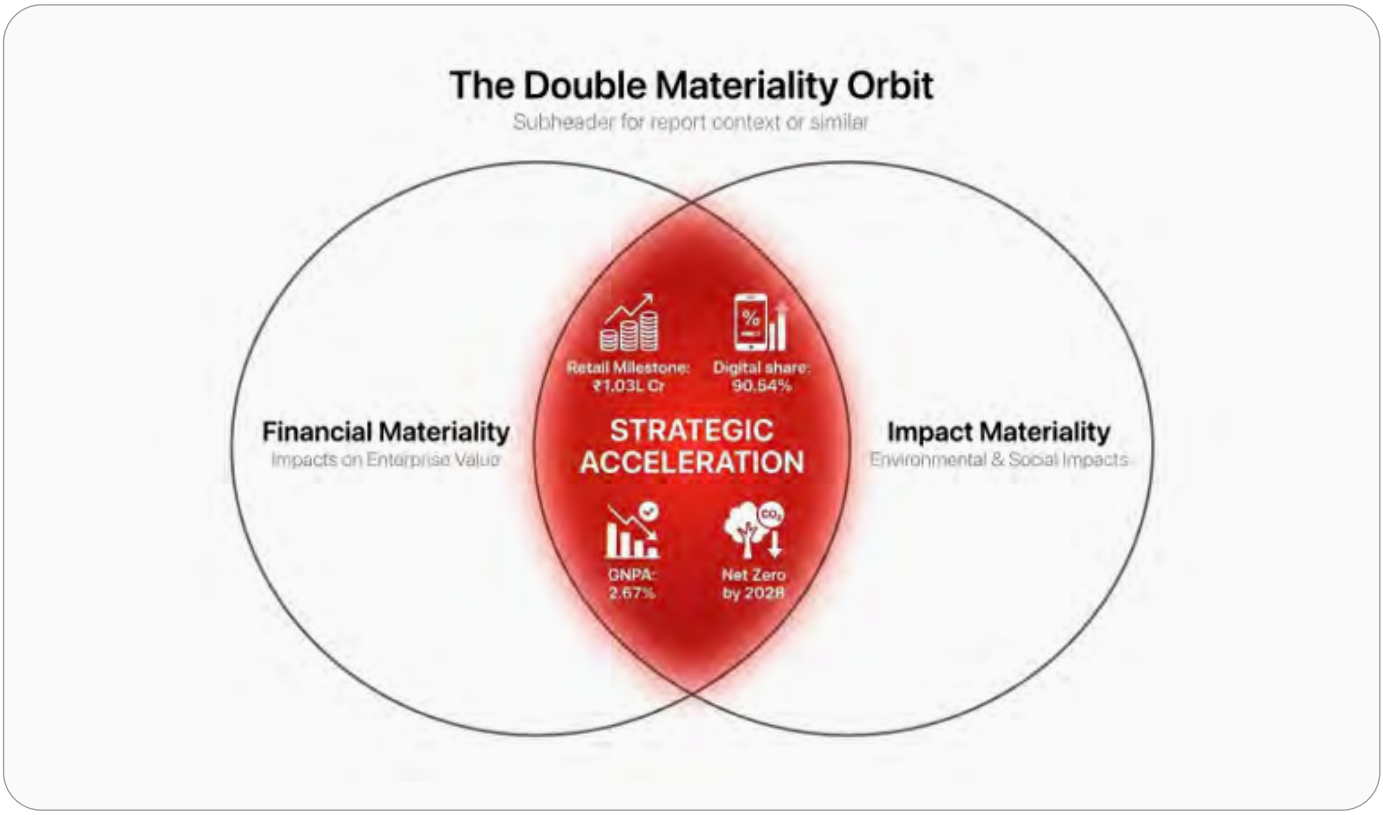

Methodology: How We Listened

The materiality engagement for this cycle was a structured process designed to transition the Bank from foundational stability to high-scale execution.

- **Ongoing Engagement:** Stakeholder dialogue was conducted as a continuous exercise, featuring regular touchpoints with employees and frequent consultations with regulators.
- **Multi-Channel Model:** The Bank utilised a holistic approach comprising digital platforms, in-person interactions, and structured consultations to reach its customers and its workforce.
- **Hybrid Outreach:** For customers, feedback was captured through social media monitoring, satisfaction surveys, and branch interactions. Employees were engaged via the intranet and dedicated conferences to align individual goals with the "Acceleration" mission.
- **Synthesis and Prioritization:** Key stakeholders—including investors and marginalized groups—were evaluated based on their significance and the magnitude of their influence on the Bank's strategic decisions.

Double Materiality Matrix

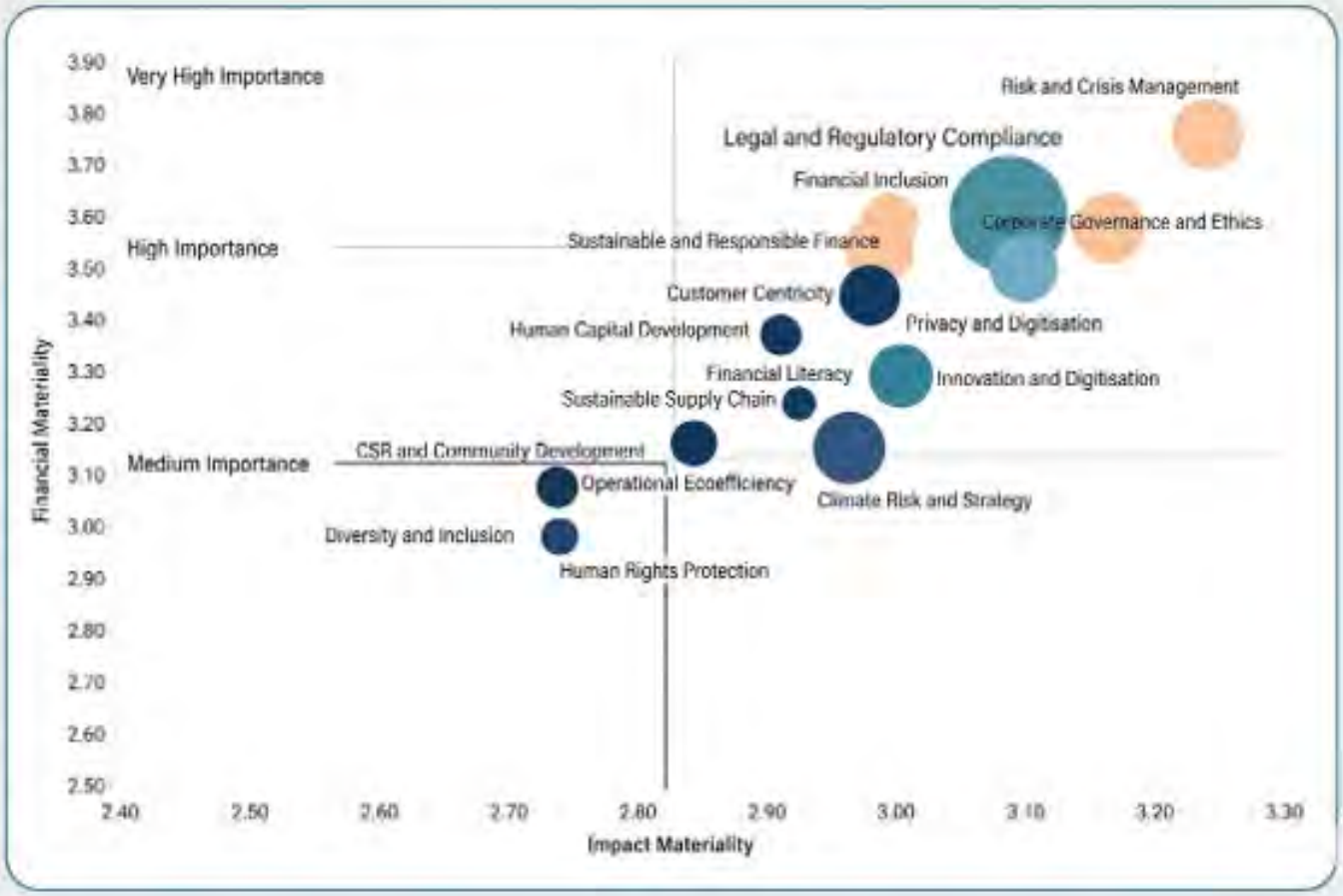

Mapping Our Acceleration: The FY2026 Materiality & GRI Matrix

The following table serves as the strategic bridge of this report. It maps our identified material issues to the FY2026 Strategic Priorities (Accelerate, Expand, Transform, Fortify) and aligns them with the Global Reporting Initiative (GRI) Standards.

Domain	Key Material Issue	GRI Standard Mapping	FY2026 Strategic Priority	Result of Acceleration (FY2026)
ENVIRONMENT	Climate Risk & Strategy	302, 305	FORTIFY	Board-approved ESG Policy; Net Zero Scope 1 goal by 2028.
	Operational Eco-efficiency	302, 305	TRANSFORM	Paperless solar pump financing for 16,500 farmers.

Domain	Key Material Issue	GRI Standard Mapping	FY2026 Strategic Priority	Result of Acceleration (FY2026)
SOCIAL	Financial Inclusion	203, 413	EXPAND	Reached 22,129 total touchpoints; 65.19% RUSU presence.
	Customer Centricity	203, 417, 418	ACCELERATE	Retail portfolio crossed ₹1.00 Lakh Crore; fresh sanctions up 48.71%.
	Human Capital Development	404	FORTIFY	Specialised training for 1,000 Credit Officers to ensure quality scale.
	Diversity & Inclusion	405, 406	EXPAND	Established 115 "Pink Branches" solely managed by women staff.
GOVERNANCE	Innovation & Digitisation	203, 418	TRANSFORM	Digital share reached 90.54%; 37 live journeys on DLP.
	Risk & Crisis Management	201, 205	FORTIFY	GNPA reduced to 2.67%; System-led compliance is fully operational.
	Data Security & Privacy	418	TRANSFORM	Completed migration to .bank.in domain for enhanced digital trust.

Engagement Outcomes: Turning Feedback into Growth

Acceleration in FY2026 was fuelled by a proactive response to the concerns raised by our stakeholders during last year's cycle.

- **For Investors:** We delivered on the promise of profitability, reaching the 1.00% ROA target during the year and growing Net Profit by 15.43%.
- **For Customers:** We transitioned from manual processes to Cent NEO, fulfilling the demand for high-velocity, device-agnostic banking.
- **For Employees:** We prioritized well-being and productivity, resulting in a ₹23.89 crore business-per-employee metric.

Our Business Model:

The Acceleration Architecture

Central Bank of India's value creation engine has transitioned from foundational stability to a high-scale, result-oriented ecosystem. In FY2025-26, officially designated as "The Year of Business Acceleration," our universal banking model moved beyond merely "delivering excellence" to "delivering our promise" through quantifiable, scalable growth.

As we conclude "The Year of Business Acceleration," our model is already recalibrating for FY2027, the "Year of Business Excellence." We will move beyond volume to optimise every touchpoint, targeting a Cost-to-Income Ratio below 56%.

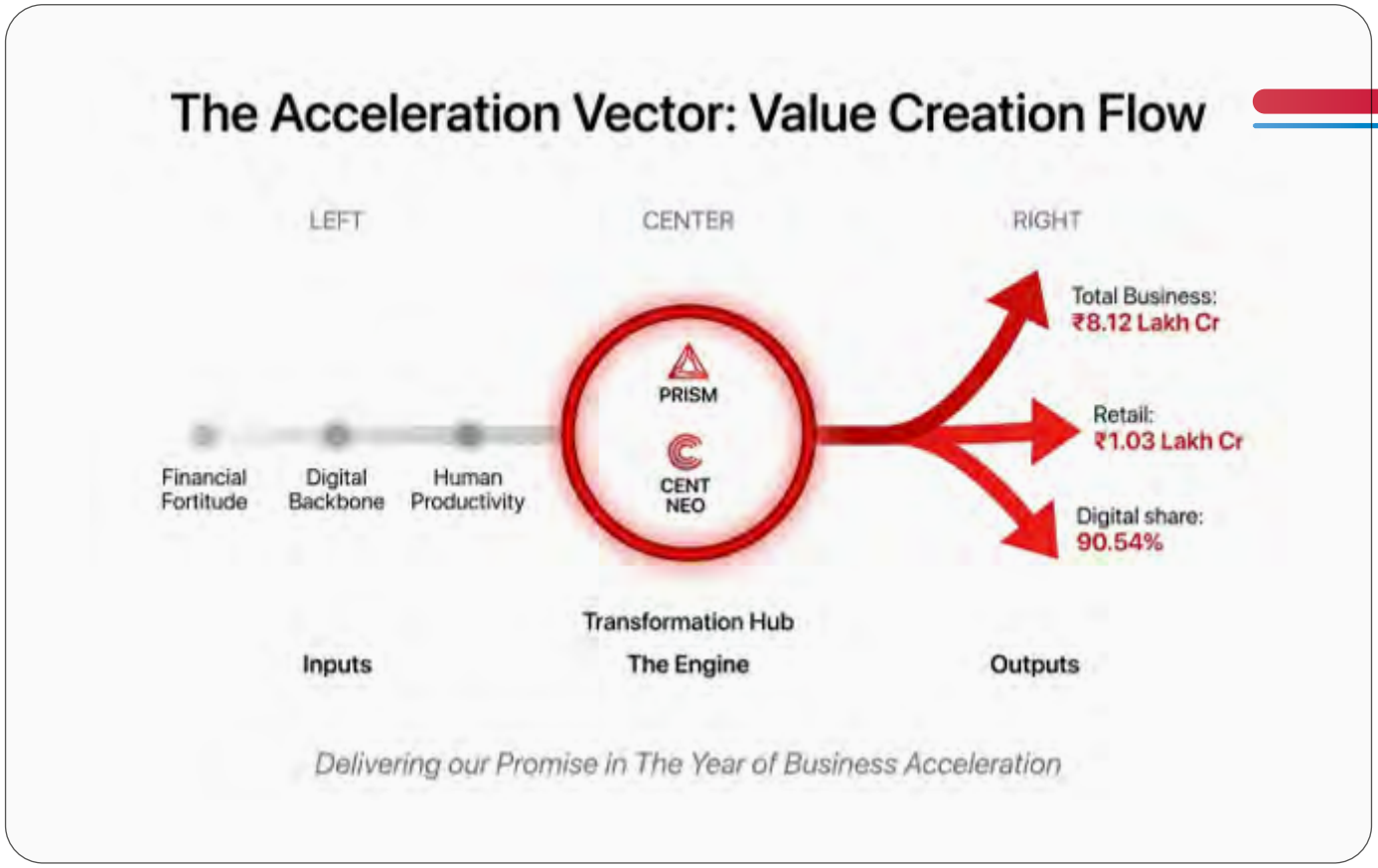

Acceleration is the synthesis of velocity and direction. By institutionalising internal transformation hubs, we have ensured that every unit of capital deployed accelerates our journey toward a ₹13 lakh crore institution.

– Management Vision for FY2026

The Velocity of Scale

Total Business
₹8,12,439 Cr.
(Target Exceeded)

Digital Share
90.54%
(Historic High)

GNPA Ratio
2.67%
(Lowest in Decades)

Business/Employee
₹23.89 Cr.
(+12.11% Growth)

The Accelerated Business Model Canvas

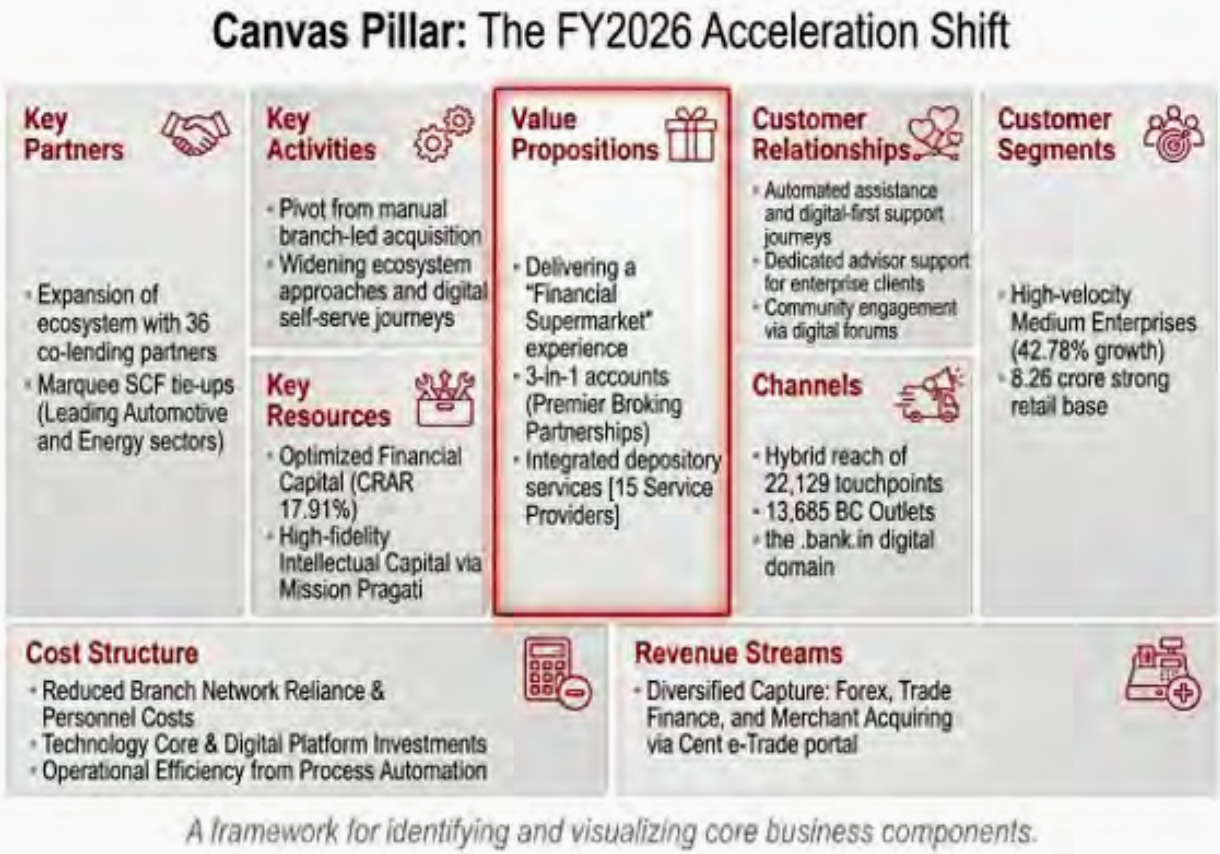

A framework for identifying and visualizing core business components.

Code	Canvas Pillar	The FY2026 Acceleration Shift
1	**Key Partners**	Expansion of the ecosystem with 36 active co-lending partners and marquee SCF tie-ups (TPEML, BALCO).
2	**Key Activities**	Pivot from manual branch-led acquisition to widening ecosystem approaches and digital self-serve journeys.
3	**Key Resources**	Optimised financial capital, high-fidelity intellectual capital and internal execution capabilities that enabled disciplined scale-up across digital, credit and operational transformation.
4	**Value Propositions**	Delivering a "Financial Supermarket" experience with 3-in-1 accounts (Aditya Birla, SMC Global) and integrated depository services [15 (CMC)].
5	**Customer Relationships**	Automated assistance, dedicated advisory support and digital-first engagement journeys strengthened customer experience across forums, platforms and branch-linked touchpoints.
6	**Channels**	A hybrid reach of 22,129 touchpoints, including 13,685 BC Outlets and the .bank.in digital domain.

Code	Canvas Pillar	The FY2026 Acceleration Shift
7	**Customer Segments**	High-velocity focus on Medium Enterprises (42.78% growth) and the 8.26 crore strong retail base.
8	**Key Inputs**	Optimised Financial Capital (CRAR 17.91%) and high-fidelity Intellectual Capital through the internal transformation hub.
9	**Revenue Streams**	Diversified capture across Forex, Trade Finance, and Merchant Acquiring via the Cent e-Trade portal.

The Value Anchor: CBI-CARE

Our model is anchored by the CBI-CARE framework, ensuring that acceleration never comes at the cost of institutional discipline.

C

Customer Service Excellence: A device-agnostic experience powered by Cent NEO and the Integrated Customer Care (ICC) platform.

A

Aspirational and Sustainable Growth: Directing credit to the retail engine, which surged 25.67% this year to cross the ₹1,00,000 crore landmark.

R

Role in Nation Building: Leveraging central transformation hubs to map 274 agriculture and 225 MSME clusters across 154 districts.

E

Employee Well-Being: Productivity driven by specialised training for 1,000 Credit Officers and a performance-driven culture.

The Transformation Hub: Internal Transformation Hub

The core differentiator of our FY2026 model is the internal transformation hub - the central nodal point that converts strategic intent into scalable results.

PRISM Portal: Real-time tracking of 37 live digital journeys.

1

COREE: Ensuring inter-departmental restructuring and 100% regulatory alignment.

2

System-led: Automated compliance monitoring that reduced our slippage ratio to 1.16%.

3

How We Create Value:

Value Creation and Impact in FY2026

At Central Bank of India, our value creation model is an engine that converts foundational resilience into scalable, sustainable impact. In the "Year of Business Acceleration," we moved beyond establishing frameworks to actively "Delivering our Promise" to stakeholders. By synchronising our six capitals through the internal transformation hub, we have achieved a landmark total business milestone of ₹8,12,439 crore, ensuring that our growth is both rapid and disciplined.

The Engine of Value Creation: Our Performance Hubs

To ensure that our business acceleration translates into long-term value, we institutionalised four distinct "Performance Engines" that differentiate our operating model:

Transformation Hub: Serves as the focal point for coordination and monitoring of all major organisational development and digitisation projects, ensuring alignment with national mandates like EASE 7.0.

Cent NEO (Digital): An intelligence-led digital ecosystem that delivers hyper-personalized, device-agnostic customer journeys, fulfilling the demand for high-velocity banking.

PRISM [Project Reporting and Integrated Systems for Monitoring]: A real-time tracking portal used for idea generation, monitoring, and reporting, which provides management with the operational visibility required to scale initiatives rapidly.

Automated Compliance: An automated portal that ensures 100% regulatory alignment and real-time monitoring of slippage, enabling the Bank to achieve a record low slippage ratio of 1.16%.

> Acceleration is the synthesis of strategic intent and scalable execution. By optimising the flow of our capitals, we have proven that a 115-year-old institution can operate with the velocity of a modern digital ecosystem.

The Accelerated Value Creation Matrix: From Inputs to Impacts

Capital Type	Inputs: The Fuel of Acceleration	Outputs: The Result of Velocity (FY2026)	Outcomes: The Promise Delivered	Alignment & Mapping (BMC – Business Model Component)
Financial Capital *(Page 58)*	• Capital Adequacy Ratio (CRAR) of **17.91%** • Total Deposits base of **₹4,67,923 Cr** • Focus on Granular CASA (CASA Ratio: **47.30%**)	• Total Business crossed landmark **₹8.12 Lakh Cr** • Net Profit surged **15.43%** to reach **₹4,369 Cr** • Achieved aspirational **1.00% ROA** during the year	• Fortified balance sheet with multi-year low GNPA of **2.67%** • Enhanced capacity to fund national priority sectors and large-scale infrastructure projects.	**GRI:** 201 **UNSDG:** 8 **BMC:** Key Inputs, Revenue Streams **PRIORITY:** FORTIFY
Manufactured Capital *(Page 54)*	• Hybrid network of **4,585 branches** • Vast footprint with **65.19%** presence in RUSU areas • Total touchpoints reached **22,129**	• Retail Advance Portfolio crossed the historic **₹1,00,000 Cr** landmark • Digital share reached a historic high of **90.54%** • Mobile Banking active user base surged to **2 Cr**	• Redefined "Truly Central to Every Indian" through seamless 24/7 banking via the **Cent NEO** ecosystem. • Empowered rural economies with last-mile digital and physical reach.	**GRI:** 203 **UNSDG:** 1, 8, 10, 13 **BMC:** Key Resources, Channels **PRIORITY:** EXPAND
Intellectual Capital *(Page 64)*	• Integrated Transformation Hub • **PRISM Portal** for real-time project monitoring • Automated compliance monitoring platform	• **37 live digital journeys** operational on the DLP platform • Successful 100% migration to the secure, verified **.bank.in domain** • Automated processing for **Digi Auto Renewal**	• Intelligence-led banking with zero data privacy incidents reported. • Institutionalised asset quality through proactive slippage control **(1.16%)**.	**GRI:** 203, 418 **UNSDG:**1, 8, 10, 13 **BMC:** 2, 4 (Key Activities, Value Proposition) **PRIORITY:** TRANSFORM
Human Capital *(Page 84)*	• Talented workforce of **33,997** employees • Investment in professional growth via **Project Cent Nurture**	• Business per employee surged **12.11%** to reach **₹23.89 Cr** • Specialised credit training for **1,000 Credit Officers** • Female workforce participation increased to **28.77%**	• Highly productive, engaged workforce aligned with the "Acceleration" mission. • Established as an industry leader in diversity through **115 all-women Pink Branches**.	**GRI:** 401, 404, 405 **UNSDG:** 3, 4, 5, 8 **BMC:** Key Resources, Key Inputs **PRIORITY:** ACCELERATE
Natural Capital *(Page 70)*	• Board-approved **ESG Policy** and Risk Framework • Investment of **₹350.26 Cr** in Sovereign Green Bonds • Targeted financing for **Renewable Energy**	• Financed **₹2,751.44 Cr** toward renewable energy projects • Launched **Cent EV Connect** and **Cent Solar Udyam Suraksha** • Expanded paperless digital journeys on DLP	• Actively advancing toward the voluntary goal of **Net Zero Scope 1 by 2028**. • Mitigating climate-related financial risks through enhanced ESG risk screening.	**GRI:** 302, 305 **UNSDG:**7, 12, 13 **BMC:** Key Activities, Value Proposition **PRIORITY:** TRANSFORM
Relationship & Social Capital *(Page 76)*	• 115-year **Swadeshi heritage** and legacy trust • Active base of **8.26 crore customers** • Strategic tie-ups with **13 State SRLMs**	• Retail portfolio growth surged by **25.67%** this year • Mapped **225 branches** to MSME clusters and **274** to Agri-clusters • CSR funds disbursed: **₹1.13 Cr**	• Catalyst for inclusive growth and regional MSME empowerment through the internal transformation hub. • Sustained reputation as a responsible institution supporting the vision of Viksit Bharat.	**GRI:** 203, 413 **UNSDG:**1, 4, 5, 8, 10 **BMC:** Key Partners, Relationships, Segments **PRIORITY:** EXPAND

Our ESG Strategy Framework:

Delivering Our Promise Through Responsible Growth

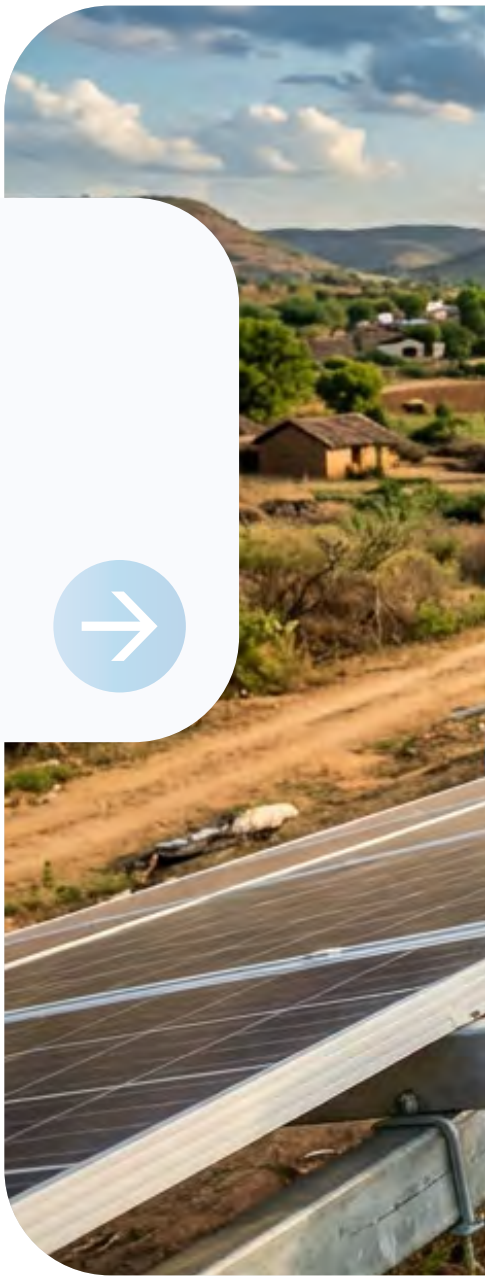

Environmental, Social and Governance (ESG) principles are integral to how Central Bank of India creates long-term value, manages risk, allocates capital and strengthens stakeholder trust. As we advance our transformation journey, ESG is no longer viewed as a standalone sustainability agenda; it is embedded into the way we conduct business, support customers, empower communities and build institutional resilience.

During FY2026, the Bank progressed from establishing foundational ESG structures to embedding sustainability into operational execution. Our approach aligns responsible banking with business growth, ensuring that environmental stewardship, social inclusion and sound governance remain central to every strategic decision. Guided by a Board-approved ESG framework, we continue to strengthen sustainable finance, climate action, financial inclusion, ethical governance and transparent stakeholder engagement while supporting India's development priorities and global sustainability aspirations.

ESG Governance and Oversight

The Bank follows a top-down governance approach to ESG, ensuring that sustainability considerations are embedded within strategic planning, risk management and operational execution.

Oversight of ESG matters rests with the Risk Management Committee (RMC) of the Board, which provides strategic direction and monitors progress against defined sustainability objectives. This governance structure establishes clear accountability across the organisation and ensures that ESG considerations are integrated into business decisions, risk assessments and performance management systems.

ESG is regarded as a strategic business imperative that supports responsible growth, strengthens resilience against emerging risks and enables the Bank to capture opportunities arising from the transition towards a sustainable economy.

ESG Strategy Framework

The Bank's ESG strategy is structured around three interconnected pillars:

1

Environmental Stewardship – reducing environmental impact, accelerating sustainable finance and supporting India's transition towards a low-carbon economy.

2

Social Responsibility – promoting financial inclusion, employee development, diversity, community welfare and equitable access to banking services.

3

Governance Excellence – strengthening ethical conduct, transparency, accountability, risk management and stakeholder confidence.

Together, these pillars guide decision-making across the enterprise and create a framework through which sustainability objectives are translated into measurable outcomes.

Climate Action and Sustainable Finance

Climate responsibility remains a key strategic priority. The Bank continues to channel capital towards projects and sectors that support environmental sustainability while strengthening its own operational decarbonisation efforts.

Our Sustainable Finance Framework supports financing for renewable energy, clean mobility, energy efficiency and climate-resilient infrastructure. During the year, we expanded our green financing initiatives across solar, wind and electric mobility ecosystems, reinforcing our commitment to sustainable economic development.

The Green Fixed Deposit Programmeme continued to mobilise resources dedicated to environmentally beneficial projects, while investments in Sovereign Green Bonds strengthened our contribution towards national climate priorities. We also continued to support rooftop solar adoption and clean-energy financing initiatives designed to improve accessibility and affordability for households, farmers and businesses.

A notable milestone during the year was the sanctioning of solar pumps for 16,500 farmers through a fully digital and paperless process, demonstrating how sustainability and technology can work together to deliver meaningful impact at scale.

In parallel, the Bank has expanded support for electric vehicle financing and associated infrastructure, helping accelerate India's transition towards cleaner transportation systems.

Operational Sustainability

The Bank's operational sustainability agenda focuses on improving resource efficiency, reducing emissions and building environmentally responsible infrastructure.

We continue to pursue our commitment to achieve Net Zero Scope 1 emissions by 2028 through a structured roadmap supported by measurable targets and implementation programmes.

Key initiatives include:

- Expansion of rooftop solar installations across owned premises.
- Progressive reduction of dependence on conventional energy sources.
- Replacement of diesel-generator-based backup systems with energy-efficient alternatives.
- Transition of the Bank's vehicle fleet towards electric and CNG-powered mobility.
- Adoption of energy-efficient practices across branches and administrative offices.

These initiatives are supported by robust monitoring systems that integrate ESG metrics into operational decision-making and risk management processes.

Social Impact and Inclusive Growth

Central Bank of India has a long-standing commitment to inclusive development, reflected in its history of promoting accessibility, diversity and community empowerment.

Our social agenda focuses on expanding financial inclusion, strengthening employee capabilities, supporting underserved communities and fostering an inclusive workplace culture.

The Bank continues to deepen its reach through an extensive physical and digital network, ensuring access to financial services across urban, semi-urban and rural geographies. The expansion of our touchpoint network further strengthens our ability to serve customers across the country while advancing the objective of last-mile inclusion.

Diversity and gender inclusion remain important priorities. Building on a legacy that dates back to the establishment of a dedicated Ladies Department in 1924, the Bank has continued to strengthen female participation and leadership within the organisation. The expansion of all-women-managed "Pink Branches" represents a visible expression of this commitment.

Investment in employee capability development remains central to our people strategy. Through extensive learning and digital upskilling programmes, we are equipping employees with the skills needed to operate in an increasingly digital, data-driven and sustainability-focused banking environment. These efforts have contributed to enhanced productivity, stronger customer service and improved organisational effectiveness.

Stakeholder Engagement

Meaningful stakeholder engagement forms the foundation of our ESG approach.

We actively engage with customers, employees, investors, regulators, communities and business partners through structured communication channels, feedback mechanisms, surveys and stakeholder interactions. These engagements provide valuable insights into evolving expectations and help shape our sustainability priorities, policies and programmes.

By maintaining an open and transparent dialogue, we strengthen stakeholder trust and ensure that our ESG initiatives remain relevant, responsive and outcome-oriented.

Innovation and Partnerships

The Bank recognises that achieving sustainability goals requires both innovation and collaboration.

We continue to develop products and services that align financial performance with environmental and social outcomes. Technology-enabled solutions, digital banking platforms and data-driven capabilities are helping us create more accessible, efficient and sustainable banking experiences.

We also collaborate with government institutions, regulators, industry bodies, development organisations and other stakeholders to advance shared sustainability objectives. These partnerships facilitate knowledge sharing, resource mobilisation and collective action, amplifying the impact of our ESG initiatives.

Policy Framework and Global Alignment

The Bank's ESG Policy provides the foundation for its sustainability strategy and aligns with leading national and international frameworks, including:

- United Nations Principles for Responsible Banking (UNEP FI)
- SEBI Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) requirements
- IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS S1 and IFRS S2)
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
- Global Reporting Initiative (GRI)
- Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

The policy applies across the organisation and supports climate action, responsible business conduct, social responsibility, workforce development, governance integrity and risk management.

The policy is reviewed annually to ensure continued relevance, regulatory alignment and responsiveness to evolving stakeholder expectations and sustainability challenges.

Our 2028 Commitments

The Bank remains focused on delivering measurable progress against its long-term sustainability roadmap. Key commitments include:

- Achieving Net Zero Scope 1 emissions by 2028.
- Reducing Scope 2 emissions by 50% from the FY2024 baseline through renewable energy adoption and energy-efficiency measures.
- Replacing conventional vehicle assets with electric or CNG alternatives.
- Accelerating renewable-energy deployment across Bank-owned infrastructure.
- Strengthening ESG integration across lending, investment and risk-management processes.
- Expanding sustainable finance solutions that support India's green transition and inclusive growth agenda.

Delivering Our Promise

Our ESG journey reflects a simple but powerful belief: sustainable growth and business growth are inseparable. As Central Bank of India advances towards its next phase of transformation, ESG will continue to serve as a strategic enabler of resilience, innovation and long-term value creation.

By embedding sustainability into our operations, financing decisions, people practices and governance structures, we are not merely responding to changing expectations—we are helping shape a more inclusive, responsible and sustainable future for all stakeholders.

Embedding Governance & Ethics in Action

Delivering a Responsible Promise

At Central Bank of India, integrity is not merely an abstract value; we live it every day. As we navigated the "Year of Business Acceleration," our governance and ethics framework transitioned from foundational oversight to a high-velocity engine of trust. We recognize that sustainable growth is only possible when anchored by strong principles, rigorous internal controls, and a culture of accountability that permeates every level of our 115-year-old institution.

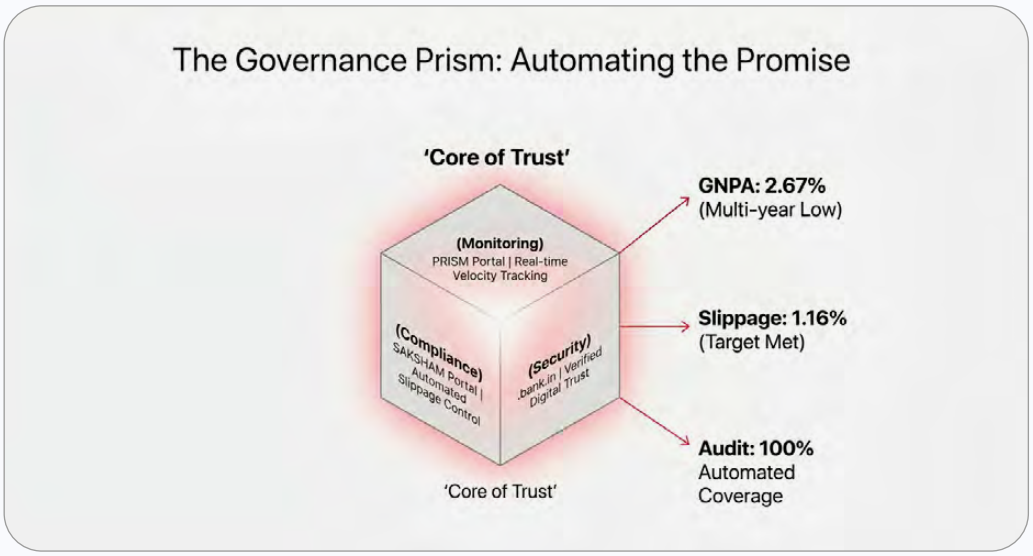

Execution excellence is our defining differentiator. In FY2026, we have proven that acceleration and discipline are mutually reinforcing. By automating compliance through integrated systems and monitoring through PRISM, we have 'Delivered our Promise' of a safe, transparent, and resilient bank.

Our Ethical Foundation: The Bedrock of Growth

The Board has approved a comprehensive Code of Ethics, Business Conduct, and Conflict of Interest Policy to help navigate complex ethical situations and make decisions rooted in strong principles. Alongside this, we follow a robust Code of Conduct and Ethics that is reviewed annually, reinforcing a workplace culture built on accountability and trust.

ESG Governance Structure

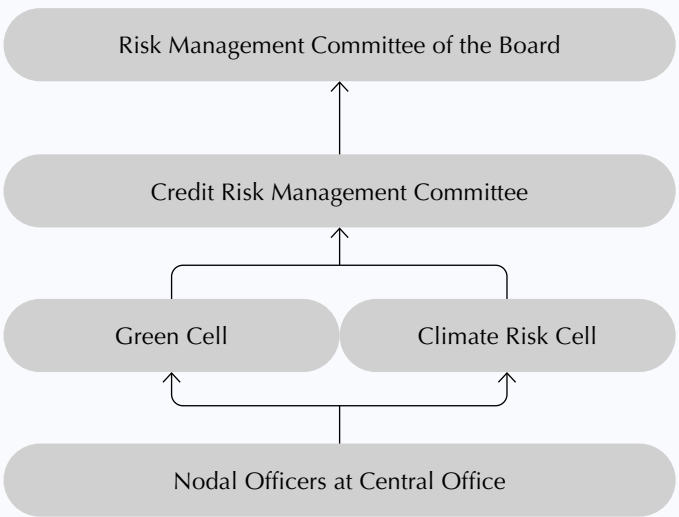

These frameworks provide clear guidance on:

- Managing conflicts of interest.
- Maintaining professional behaviour.
- Upholding the highest ethical standards in all stakeholder interactions.
- Fostering a decision-making environment through the Staff Accountability Policy.

In FY2026, this culture was further fortified by a commitment to "Acceleration with Discipline," ensuring that as business volumes surged, our adherence to ethical standards remained absolute.

The Acceleration Bridge: Internal Control Performance

The transition from FY2025 (Excellence) to FY2026 (Acceleration) is best defined by our move from manual reporting to automated, intelligence-led governance.

Control Component	FY2025 Status (Foundation)	FY2026 Status (Acceleration Results)
Compliance Portal	Foundational Framework established.	Automated compliance monitoring live across all 4,585 branches.
Slippage Control	1.45% recorded in foundational phase.	1.16% (Target <1.25% exceeded).
Digital Trust	Migration Planned.	.bank.in verified domain migration 100% completed.
Audit Coverage	Manual reporting focus.	PRISM Portal for real-time monitoring and tracking.

Global Alignment and Policy Disclosures

Our governance strategy is guided by a robust and publicly available ESG Policy that aligns with both national and international standards, ensuring Central Bank of India remains a leader in sustainable and ethical finance.

- United Nations Principles for Responsible Banking (UNEP FI).
- SEBI's Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR).
- IFRS S1 & S2 issued by the International Sustainability Standards Board (ISSB).
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
- Global Reporting Initiative (GRI) standards.
- Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

In FY2026, we further enhanced our compliance by achieving #2 Rank in Data Quality under the EASE 7.0 Reforms, validating our commitment to operational excellence and transparency.

Key Governance and Ethics Objectives

Our Board-approved policies encompass all organisational facets, targeting employees, contractors, and stakeholders through the following core objectives:

1. **Net-Zero Emissions Goals:** Targeted achievement of Net Zero Scope 1 by 2028 and a 50% reduction in Scope 2 emissions (baseline: FY2023-24).
2. **Climate Action:** Aligning operations with national and international climate agreements, including the Paris Agreement.
3. **Social Responsibility:**
    - **Employee Development:** Training initiatives on ESG issues, health, safety, and diversity.
    - **Inclusive Leadership:** A milestone achievement in FY2026 was the designation of 115 "Pink Branches "solely managed by women, serving as high-visibility hubs for women's leadership.
    - **Community Engagement:** Continuous assessment of Corporate Social Responsibility (CSR) Programmes aimed at underprivileged communities, with projects like the Signal Shala Project and health support for children with disabilities.
4. **Governance Ethics: Adherence to a strict Code of** Conduct, ensuring fairness and transparency supported by robust risk management and complaint resolution processes.

Performance Engines: Automated Compliance and PRISM

In the "Year of Business Acceleration," we institutionalised governance through two flagship digital portals that ensure our growth is backed by evidence.

- **Automated Compliance Systems:** This automated portal enables 100% regulatory alignment and real-time monitoring of slippage. In FY2026, automated compliance monitoring helped reduce our Gross NPA to 2.67% and maintain our slippage ratio at 1.16%, the lowest in decades.
- **PRISM [Project Reporting and Integrated Systems for Monitoring]:** PRISM serves as the central nerve centre for tracking, idea generation, and reporting for all transformation projects. It provides the MD & CEO led IT Risk Management Committee with the operational visibility required to scale initiatives rapidly while maintaining strict audit trails.

Vigilance and Whistleblower Protection

To foster a transparent and responsive environment, the Bank maintains the "Cent e-Whistleblower" portal.

- **Confidentiality:** Provides a secure medium for employees and directors to report ethical violations or malpractices without revealing their identity.
- **Incentivization:** The Bank has introduced a scheme to reward employees who report information on potential fraud or malpractices, widely published on our dedicated staff portal.
- **Integrity Record:** During FY2025-26, no penalties or strictures were imposed on the Bank by stock exchanges or SEBI on any matter related to capital markets.

Way Forward: Institutionalising Excellence (FY2027)

As we conclude the "Year of Business Acceleration," our focus is already shifting toward FY2026-27: "The Year of Business Excellence". Having "Delivered our Promise" of high-scale execution, we will now focus on the refinement of our governance frameworks. Our roadmap includes:

- Integrating AI/ML into compliance testing to flag hotspots in terms of people, product, or process risk through the automated compliance monitoring platform.
- Achieving a Cost-to-Income Ratio (CIR) below 56.00% through tighter operational efficiency and digital adoption.
- Expanding our cybersecurity framework to address emerging threats like AI-driven fraud and ensuring continuous compliance with ISO 27001 and ISO 22301.

Manufactured Capital

Scaling the Hybrid Backbone of Acceleration

UNSDG Alignment:

Strategic Priority:

E

Business Model Elements:

3 6

GRI Standards:

203 (Indirect Economic Impacts)

Our infrastructure is the physical and digital expression of our Swadeshi spirit. By converting 4,585 branches into digital hubs and scaling the Cent NEO platform to handle over 90% of our transactions, we have delivered a bank that moves at the speed of India's aspirations.

The Strategic Architecture: Hybrid Expansion (The "Expand" Pillar)

Manufactured Capital is the primary driver of our **EXPAND** mandate. We utilize our physical and digital touchpoints to penetrate regional markets and deliver specialized financial solutions. In the **"Year of Business Acceleration,"** Manufactured Capital at Central Bank of India has transitioned from a supporting asset class into the primary engine of high-velocity growth. We have "Delivered our Promise" to stakeholders by synchronizing our 115-year physical legacy with a borderless digital ecosystem. This hybrid infrastructure is the structural differentiator that allowed our total business to cross the landmark **₹8,12,439 crore** milestone. Our manufactured capital strategy is no longer focused on mere accessibility; it is centred on **execution at scale**, ensuring that Central Bank of India remains **"Truly Central to Every Indian."**

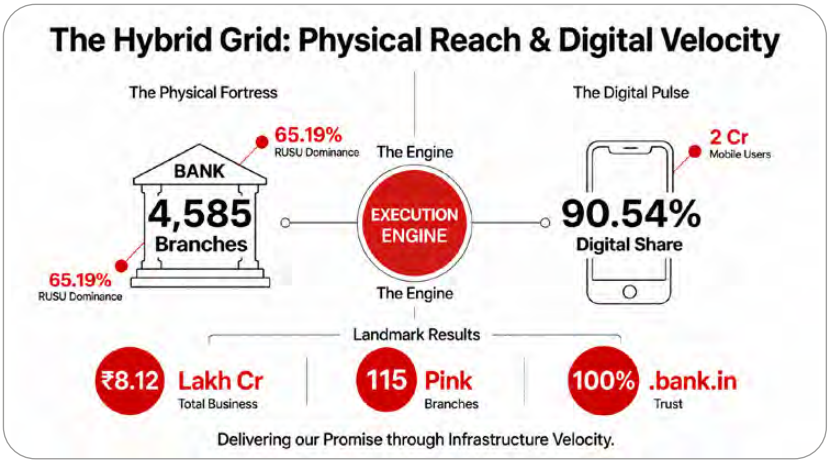

Physical Infrastructure: Delivering Last-Mile Fortitude

Our physical network remains the foundational pillar of our Relationship and Social capital, providing the human touch required for high-value advisory and regional trust.

I. Extensive Branch Network and Regional Dominance

As of March 31, 2026, the Bank operates a robust network of **4,585 physical branches**. Our distribution strategy is deliberately aligned with the national vision of Viksit Bharat, focusing on the granular economic engine of the heartland:

- **RUSU Dominance:** 65.19% of our branch network (2,989 branches) is strategically located in Rural and Semi-Urban (RUSU) areas . This ensures that the "Year of Business Acceleration" is inclusive, bringing credit velocity to underserved agrarian and MSME clusters.
- **Urban-Metro Synergy:** Our 1,596 Urban and Metro branches serve as centres of excellence for high-value corporate lending and the "Cent NEO" digital onboarding experience.

II. The "Pink" Milestone: Socially Responsible Infrastructure

A definitive marker of our maturity in FY2026 was the designation of **115 "Pink Branches"** across the country. These branches are solely managed by women staff, serving as leadership laboratories and specialized hubs for female entrepreneurs. These assets prove that Manufactured Capital can be used as a tool for social engineering and gender-inclusive leadership.

III. BC Maxx: The Hybrid Frontier

Moving beyond the 25 pilots established in FY2025, we have successfully scaled our **BC Maxx Centres to 40 operational units**. These centres represent the "Phygital" future of banking—offering a lean physical presence for essential transactions while serving as high-speed digital onboarding nodes. They allow the Bank to achieve a "low-cost, high-velocity" footprint in remote geographies.

IV. The ATM and Touchpoint Ecosystem

To ensure 24/7 reliability, we have expanded our total physical touchpoints to 22,129. This includes a renewed fleet of **3,819 ATMs** which have been upgraded with high-uptime software to support our goal of zero-fail service delivery.

Strategic Inset: The Infrastructure of Acceleration

Performance Pillar	Infrastructure Metric (FY2026)	Strategic Impact for Acceleration
Physical Reach	22,129 Total Touchpoints	Ensures last-mile delivery and inclusive credit velocity across the heartland.
Regional Depth	65.19% RUSU Branch Network	Captures granular deposits and fuels the "Viksit Bharat" mandate.
Digital Share	90.54% Transaction Velocity	Migrates routine banking to digital, freeing human capital for high-value credit.
Asset Quality	1.16% Slippage Ratio	Powered by automated compliance monitoring to ensure high-quality growth.
Digital Ecosystem	37 Live DLP Journeys	Delivers instant, paperless credit sanctions for Retail and MSME segments.
Cyber Trust	100% .bank.in Verified Domain	Institutionalizes digital trust and eliminates phishing risks for 8.26 crore customers.
Network Power	40 BC Maxx Centres	High-impact, low-cost "Phygital" nodes for remote digital onboarding.
Inclusion Leadership	115 All-Women Pink Branches	Laboratory for gender-inclusive leadership and specialized financial service.
Operational uptime	96.35% ATM Network Uptime	Provides 24/7 reliability for a surging national transaction base.
Data Fortitude	ISO-Certified Dual-Site Data Centres	Zero-data-loss architecture ensures high availability and resilience.

Digital Infrastructure: The Pulse of Velocity

Digitalization is the primary enabler of our acceleration, transitioning the Bank from a transaction processor to an intelligence-led ecosystem. In FY2026, we moved from "Launching Platforms" to **"Proving Scale."**

I. Cent NEO: The Digital Flagship

Our digital flagship, **Cent NEO,** has become the primary destination for our 8.26 crore customers.

- **Mobile Banking Velocity:** Our active mobile banking user base has surged to nearly **2.00 crore users**, a testament to the platform's intuitive UI/UX and 24/7 reliability.
- **Internet Banking Stability:** With nearly **188.00 lakh active users,** our internet banking portal remains the preferred choice for our MSME and Corporate clients for high-value trade and supply chain transactions.

II. Record-Breaking Digital share

In the "Year of Business Acceleration," the migration from branch-based banking to digital channels reached its highest point in our history. The **share of digital transactions has reached 90.54%**. This shift has allowed our physical staff to move from routine processing to high-value credit underwriting, directly contributing to our surging **Business per Employee of ₹23.89 crore**.

III. The Digital Lending Platform (DLP): 37 Live Journeys

Our **Digital Lending Platform (DLP)** is the core engine of our asset growth.

- **Scaling Sanctions:** We now operate **37 live digital journeys** on DLP, covering Retail (Housing, Education, Gold Loans), MSME (Mudra, Cent Udyam), and Agriculture.
- **Landmark Result:** This infrastructure was the catalyst that allowed our **Retail Advance Portfolio to cross the historic ₹1,00,000 crore mark** this year, executing thousands of sanctions with near-zero manual intervention.

IV. .bank.in: The Bedrock of Digital Trust

In FY2026, we completed the 100% migration of our digital infrastructure to the secure, verified .bank.in domain. This manufactured capital asset is a critical marker of cybersecurity excellence, protecting our customers from phishing and spoofing as we scale our digital presence.

Intelligence-Led Management: Transformation Hub & PRISM

To manage our manufactured capital with the velocity required for acceleration, we institutionalised two flagship performance hubs:

1. **Internal Transformation Hub:** Coordinates all infrastructure and digitisation projects, ensuring they align with our CBI-CARE values and national EASE 7.0 mandates.
2. **PRISM Portal:** A real-time tracking portal that provides management with high-velocity visibility into every ATM, branch performance node, and digital transaction pulse.

Sustainable Assets: Greening the Franchise

Our acceleration is anchored by "Green Velocity," ensuring that our infrastructure growth is environmentally responsible.

- **Renewable Energy Adoption:** We expanded our rooftop solar capacity across owned premises to **658 kWp** in FY2026, reducing our grid dependency and operational carbon footprint.
- **Green Fleet Transition:** In line with our 2028 roadmap, the Bank successfully replaced **33% of its owned car fleet** with EVs or CNG alternatives this year.
- **Operational Decarbonization:** We have accelerated the replacement of diesel generator sets with energy-efficient inverters across our RUSU network, advancing toward our goal of **50% Scope 2 reduction by 2028**.

Future Outlook: Toward the Year of Business Excellence

As we conclude the "Year of Business Acceleration" and transition toward FY2026-27, the **"Year of Business Excellence,"** our manufactured capital roadmap focuses on **"Refinement and AI-Maturity":**

1. **AI-Integrated Maintenance:** Deploying AI-driven predictive maintenance for our ATM and Data Centre networks to ensure a **"zero-downtime"** environment.
2. **Omni-channel 2.0:** Finalizing the maturity of our Omni-Channel platform to provide a seamless, device-agnostic journey where a customer can start an application on a phone and finish it at a branch without re-entering data.
3. **Tier-IV Data Centre Scaling:** Upgrading our primary and disaster recovery data centres to support the next leap toward becoming a **₹13 lakh crore institution.**

Financial Capital

Capital in Motion - Delivering the Promise of Acceleration

UNSDG Alignment:

Strategic Priority:

E

Business Model Elements:

1 3 6

GRI Standards:

201 (Economic Performance),
203 (Indirect Economic Impacts),
207 (Tax)

Net Profit Earned

₹4,369 Cr.

Highest-ever earnings with 15.43% YoY growth.

In Fiscal Year 2025-26, the Bank successfully transitioned from a phase of stabilisation into a period of business acceleration. Operating momentum during the year validated our strategic mandates, characterised by landmark profitability, disciplined asset quality management, and a resilient liability franchise. This transition from "turnaround" to "financial fortitude" is evidenced by the Bank fulfilling its promise to stakeholders through scalable, high-impact results.

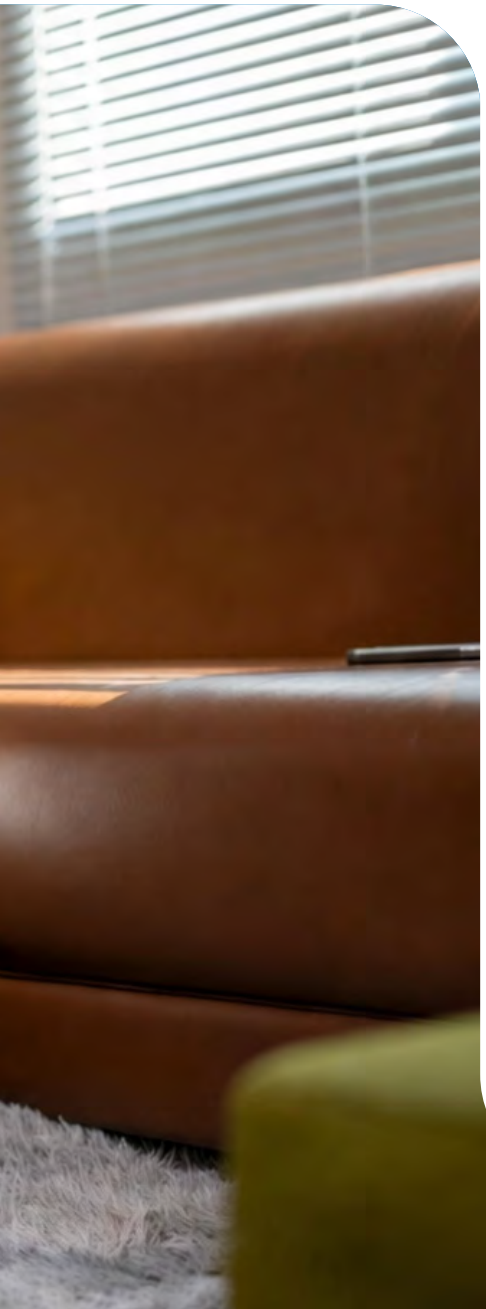

1. The Profitability Landmark: Achieving the 1.00% Mandate

The Bank achieved its highest-ever Net Profit of ₹4,369 crore, representing a 15.43% year-on-year growth. While the bottom line showed robust expansion, Net Interest Income (NII) growth was more tempered at 1.97%, reaching ₹14,171 crore. This divergence reflects the intense competitive interest rate environment and an industry-wide structural migration toward high-cost term deposits, many of which now bear interest rates exceeding 7%. Despite these headwinds, the Bank maintained a healthy Net Interest Margin (NIM) of 3.07%.

Core Profitability Metrics (FY25 vs. FY26)

Metric	FY 2024-25	FY 2025-26	YoY Growth / Change
Net Profit	₹3,785 Cr	₹4,369 Cr	15.43%
Operating Profit	₹8,124 Cr	₹8,479 Cr	4.37%
Net Interest Income (NII)	₹13,897 Cr	₹14,171 Cr	1.97%
Return on Equity (ROE)	12.48%	13.00%	+52 bps

Delivering the 1.00% ROA Milestone

In the "Year of Business Acceleration," one of the clearest indicators of Central Bank of India's structural progress was the strengthening of its earnings trajectory. During FY2026, the Bank advanced from sustaining profitability to optimising the return generated on every unit of assets deployed, achieving the aspirational 1.00% Return on Assets (ROA) milestone during the year. This performance reflected not only improved profitability, but also a more disciplined, resilient and institutionally mature operating model.

Quarterly Momentum: Evidence of Stronger Core Earnings

The achievement of the 1.00% quarterly ROA threshold was not a one-off outcome. It was supported by sustained operating momentum across the reporting period. In Q1 FY2025-26, the Bank formally crossed the milestone, recording an ROA of 1.02%. This momentum was maintained through Q2 and Q3, with ROA remaining above the 1.00% mark at 1.01% in both quarters. The consistency of this performance validated the Bank's strategic emphasis on higher-yield RAM lending, sharper execution discipline and the growing contribution of the Cent NEO digital ecosystem. More importantly, the quarterly trajectory demonstrated that the Bank's core business engine has become structurally capable of delivering returns aligned with stronger institutional benchmarks.

Full-Year ROA: Interpreting the DTA Impact

For the full year, the Bank reported a standalone ROA of 0.89%. This outcome needs to be viewed in the context of a specific, non-operational accounting adjustment. The reported figure includes the impact of a ₹632 crore one-time charge arising from the remeasurement of Deferred Tax Assets (DTA). This remeasurement was undertaken pursuant to amendments in the Finance Act 2026, following which the Bank reassessed its net DTA at the revised tax rate of 25.168%, compared with the earlier rate of 34.944%. This adjustment was accounting-led and tax-related in nature. It did not alter the underlying strength of the Bank's operating performance. Adjusted for this specific technical charge, the Bank's operating trajectory remained aligned with the 1.00% ROA mandate through the year, reinforcing the resilience and quality of its earnings profile.

Building the Bridge to Vision 2030

The Bank's ROA performance also reflects a clear year-on-year improvement curve. Even after the DTA impact, the full-year ROA of 0.89% represented an improvement over 0.86% in FY2024-25 and 0.63% in FY2023-24. This progress was supported by sustained profitability over twenty consecutive quarters. The improvement was further underpinned by a 4.37% growth in operating profit to ₹8,479 crore, along with continued discipline in asset quality, reflected in a record-low slippage ratio of 1.16%. The achievement of the 1.00% operational ROA milestone in FY2026 creates a stronger platform for the Bank's Vision 2030 aspiration of exceeding 1.5% ROA. Having delivered on its profitability commitment during the year, the Bank enters the "Year of Business Excellence" with the momentum, operating discipline and institutional confidence required to consolidate these gains over the long term.

Operational Efficiency

The Bank continues to drive Cost-to-Income (CIR) optimisation through process re-engineering and the digital migration of routine tasks. Currently standing at 58.61%, the Bank is on a clear trajectory toward a sub-56.00% target. This efficiency is institutionalised through an internal transformation vertical, which serves as a central hub for enhancing organisational agility and lowering delivery costs across the network.

ROA Achieved

1.00%+ ROA

Achieved across four consecutive quarters

2. Asset Quality Fortitude: Acceleration with Discipline

Central Bank of India's FY2026 growth was anchored in a clear principle: accelerate the business while protecting the balance sheet. The Bank strengthened credit expansion with sharper portfolio hygiene, proactive risk surveillance and an execution-led recovery culture. This enabled asset quality to improve to multi-year highs, demonstrating that the Bank's growth momentum was supported by stronger controls, earlier risk detection and disciplined resolution.

Automated Compliance and EWS: Institutionalising Risk Vigilance

The rollout of automated compliance monitoring marked an important step in strengthening compliance discipline across the Bank. By enabling real-time, system-led monitoring of policy adherence across all 4,585 branches, the platform helped institutionalise a more consistent and transparent approach to control oversight. This was further reinforced by upgraded Early Warning Systems (EWS), which enabled the Bank to identify operational and financial stress at earlier stages. These interventions helped contain the slippage ratio at 1.16%, reflecting a 29-bps improvement.

The Bank also deployed dedicated "War Rooms" for Special Mention Accounts (SMA), enabling daily tracking, sharper accountability and intensive field-level execution. This disciplined approach reduced the SMA book of ₹5 crore and above accounts to ₹1,670 crore from ₹2,169 crore. Together, these interventions supported a reduction in Gross NPA to 2.67% from 3.18%, while Net NPA was maintained at 0.49%. The Bank also sustained a strong Provision Coverage Ratio of 95.97%, reflecting the continued strengthening of its risk absorption capacity.

Recovery Performance: Strengthening Resolution Outcomes

The Bank intensified its efforts to monetise stressed assets during the year, supported by targeted recovery initiatives and sharper execution discipline. Recoveries in technically written-off accounts reached ₹2,271 crore, representing a 77% increase over FY2025. This was further supported by ₹1,120 crore in direct cash recovery, driven by thematic One-Time Settlement schemes and "Mega Property Expos" conducted for the auction of SARFAESI-seized assets. These outcomes reflect a more active and structured recovery culture, where technology-enabled monitoring, account-level ownership and field execution worked together to convert stressed asset resolution into measurable value creation.

> Central Bank of India crossed the 1.00% ROA milestone during FY2026 while strengthening asset quality, lowering slippages and sustaining recovery momentum.

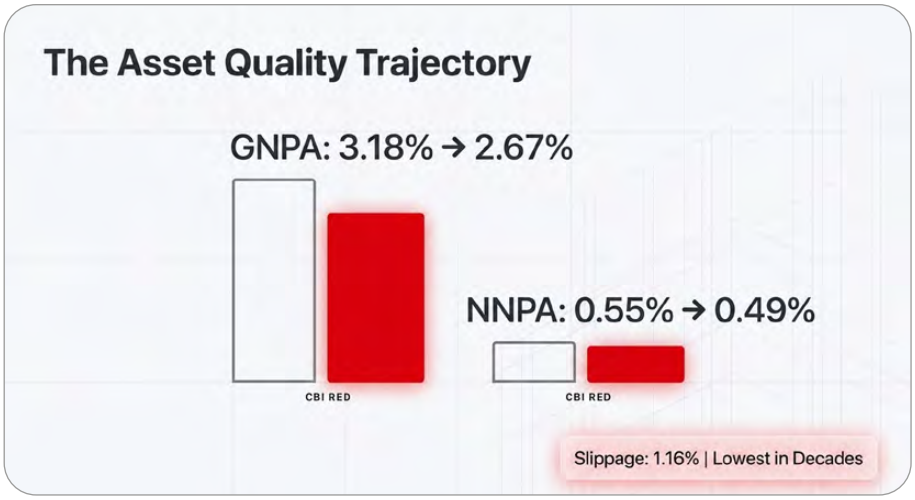

Improved GNPA

2.67% GNPA

Improved from 3.18%, with NNPA at 0.49%

3. The Credit Engine: RAM Segmental Acceleration

The Retail, Agriculture and MSME businesses formed the core growth engine of Central Bank of India's FY2026 performance, driving the Bank towards a total business milestone of ₹8,12,439 crore. Gross advances grew by 18.76% to ₹3,44,516 crore, supported by a sharper focus on granular, higher-impact lending products and diversified sectoral participation.

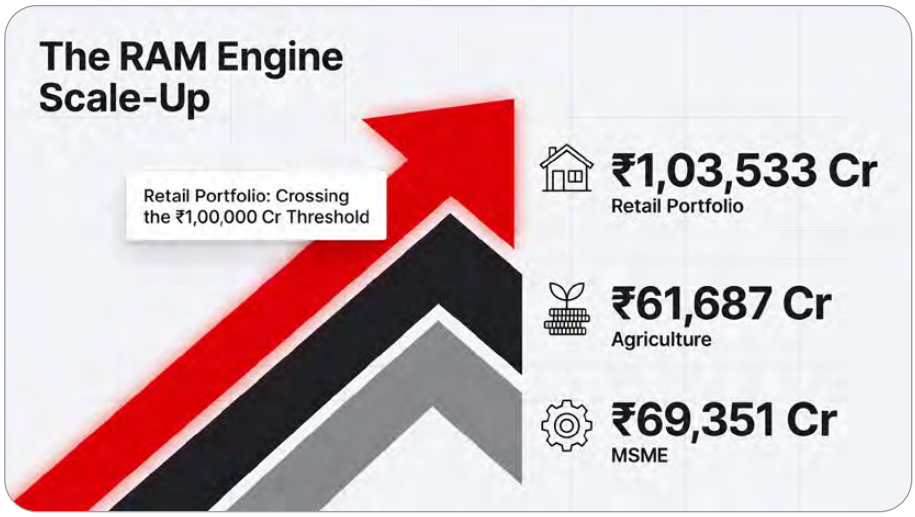

This momentum was led by targeted offerings such as Cent Grih Lakshmi, focused on women's housing finance, and Cent Go-Green, supporting vehicle finance. These products strengthened the Bank's ability to expand credit in priority customer segments while maintaining a balanced and retail-led advances profile.

The RAM portfolio delivered broad-based growth across all three segments during FY2026. Retail advances increased by 25.67%, from ₹82,383 crore in FY2024-25 to ₹1,03,533 crore in FY2025-26. Agriculture advances grew by 17.60%, from ₹52,456 crore to ₹61,687 crore, while MSME advances rose by 17.06%, from ₹59,243 crore to ₹69,351 crore.

Together, Total RAM advances increased by 20.86%, from ₹1,94,082 crore in FY2024-25 to ₹2,34,571 crore in FY2025-26. This performance reinforced the Bank's strategic shift towards granular credit growth, sectoral diversification and deeper participation in productive segments of the economy.

Segment	FY 2024-25 (Baseline)	FY 2025-26 (Achievement)	YoY Growth
Retail	₹82,383 Cr	₹1,03,533 Cr	+25.67%
Agriculture	₹52,456 Cr	₹61,687 Cr	+17.60%
MSME	₹59,243 Cr	₹69,351 Cr	+17.06%
Total RAM	**₹1,94,082 Cr**	**₹2,34,571 Cr**	**+20.86%**

Cluster-Based Growth: Strengthening Value-Chain Lending

In alignment with the Viksit Bharat vision, the Bank advanced its transition towards a specialised cluster-based lending model. This approach enabled the Bank to cover the entire value chain, from production to consumption, while improving the relevance, reach and impact of credit delivery.

During the year, 225 branches were mapped to MSME clusters, while 274 branches were mapped to nine distinct agricultural activities, including rice mills, cold storage and peanut clusters. This targeted model allowed the Bank to deepen its presence in sector-specific ecosystems, support local enterprise growth and strengthen credit access across regional economic clusters.

The cluster-based strategy also contributed to the Bank's Priority Sector achievement of 53.18% of Adjusted Net Bank Credit, comfortably exceeding the regulatory requirement of 40%. This reflected the Bank's ability to combine business growth with developmental relevance, supporting inclusive credit expansion while contributing to national economic priorities.

> RAM growth is not just balance sheet expansion; it is sharper sectoral participation, deeper cluster presence and more purposeful credit delivery to India's productive economy.

4. Liability Resilience: The CASA Engine

The Bank maintained a top-tier liability franchise despite a significant "war for deposits." The industry witnessed a structural shift in savings behaviour, with household assets migrating toward mutual funds (21.90% growth) and pension funds (23.10% growth). While the industry-wide share of low-cost CASA deposits fell, the Bank's CASA ratio moderated only slightly to 47.30%, remaining among the best in the sector.

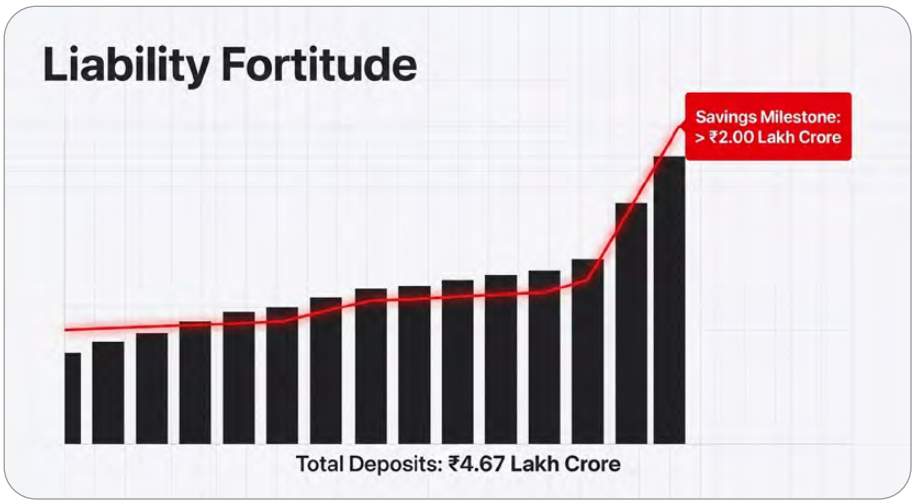

Core Liability Levers

1. **Granular Acquisition:** The "Agaaz" and "Prarambh" campaigns deepened the deposit book, helping savings deposits cross the historic ₹2,00,000 crore mark (specifically ₹2,00,024 Cr).
2. **Tailored Product Innovation:** Products such as Cent Queen (for women) and Cent Parakram (for defence) provided specialised value propositions to core demographics.
3. **Digital Onboarding:** The Cent eeZ application served as a primary driver for frictionless customer acquisition, ensuring resource mobilisation reached ₹4,67,923 crore in total deposits (13.38% growth).

5. Regulatory Capital & Solvency: The Buffer for Excellence

The Bank's capital position serves as a "Buffer for Excellence," ensuring long-term solvency and readiness for future regulatory shifts. The Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) improved by 89 bps to 17.91% (up from 17.02% in FY25), with Tier-I capital standing at 15.61%.

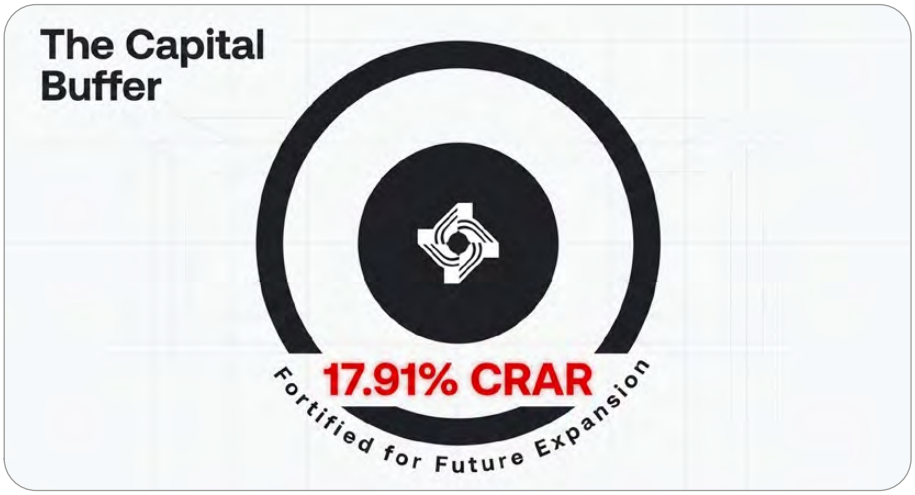

- **Supporting Credit Expansion:** Strong capital buffers provided the headroom to sustain credit growth while maintaining a healthy Credit-Deposit (CD) ratio of 73.80%, demonstrating efficient utilisation of the Bank's liability base.
- **ECL Readiness & Financial Resilience:** High capital levels and a 95.97% PCR ensure institutional readiness for the transition to Expected Credit Loss (ECL) frameworks and resilience against global macroeconomic volatility.

As the Bank enters FY2027 - designated as the "Year of Business Excellence" - the focus will shift from rapid scaling to institutionalised operational maturity. Productivity metrics, including Business per Employee at ₹23.89 crore, provide the foundation for our upcoming performance guidance targets, which include an ROA above 1.00%, GNPA below 2.50%, and a Cost-to-Income ratio below 56.00%.

Intellectual Capital

Institutional Intelligence - Scaling the Promise of Innovation

UNSDG Alignment:

Strategic Priority:

T

Business Model Elements:

2 4

GRI Standards:

203 (Indirect Economic Impacts)
418 (Customer Privacy)

In the **"Year of Business Acceleration,"** Intellectual Capital at Central Bank of India has evolved from an intangible asset into a high-scale performance engine. We have "Delivered our Promise" by translating the strategic frameworks established in FY2025 into quantifiable, high-velocity results. Our intellectual strategy is no longer just about launching platforms; it is about the **Intelligence-Led Execution** that has allowed our total business to cross the landmark **₹8,12,439 crore milestone**.

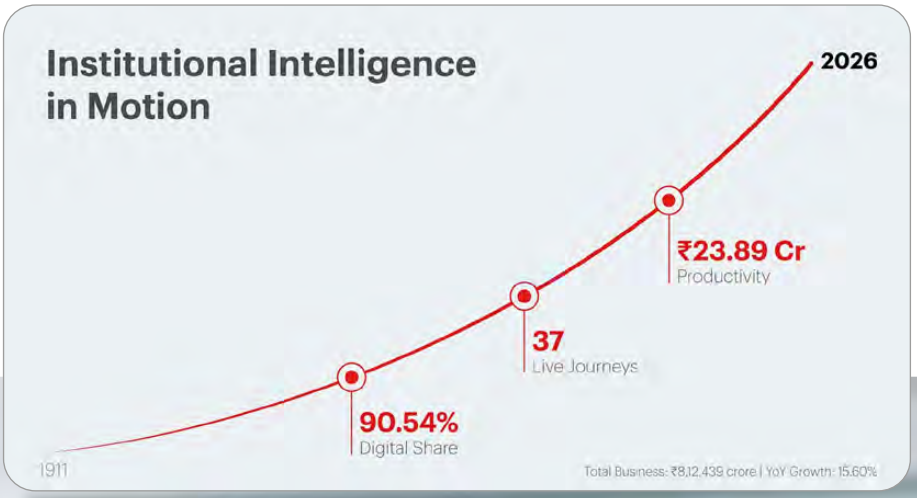

By synchronising our human expertise with the internal transformation hub and the Cent NEO digital ecosystem, we have redefined the 115-year-old Swadeshi legacy as a future-ready, intelligence-first institution.

Structural Capital: The Transformation Engines of Acceleration

In the **"Year of Business Acceleration,"** structural capital at Central Bank of India has been redefined from a collection of legacy systems into a high-velocity, integrated architecture designed for scalable results. This strategic evolution marks our transition from the foundational phase of **"Modernising Infrastructure"** to the execution mandate of **"Accelerating Through Architecture"**. Our structural capital now serves as the institutional "brain" of the Bank, encompassing the automated processes, proprietary digital platforms, and intelligence-led monitoring systems that ensure our total business volume of **₹8,12,439 crore** is managed with uncompromising discipline.

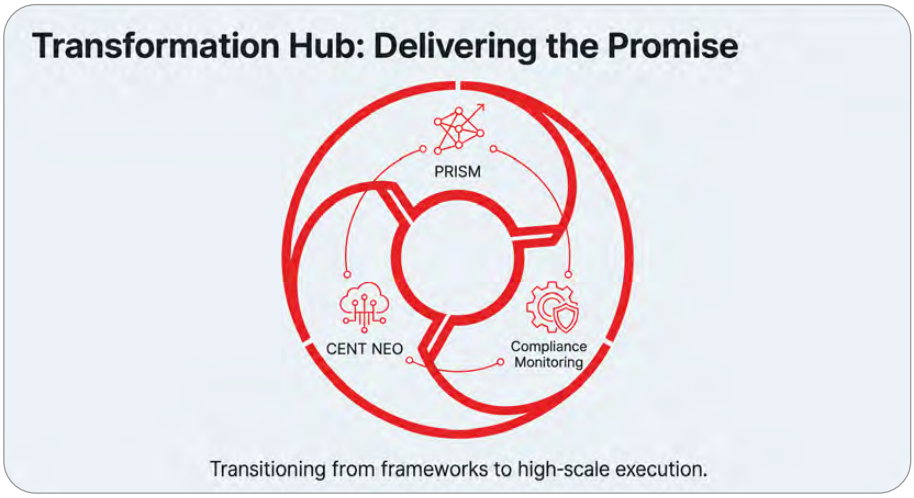

The Central Nerve Centre: Internal Transformation Hub

The core differentiator of our operational model in FY2026 is the institutionalisation of an internal transformation hub. This vertical was established to drive a holistic institutional shift, converting high-level strategic intent into tangible, scalable outcomes across all 4,585 branches. It serves as the central nodal point for coordinating organisational reforms and ensuring absolute alignment with national mandates such as the **EASE 7.0 framework** and DFS directives. By driving process re-engineering and fostering an internal culture of agility, the transformation hub has enabled the Bank to respond to market opportunities with unprecedented speed, ensuring that every unit of capital deployed accelerates our journey toward becoming a ₹13 lakh crore institution.

High-Velocity Visibility: The PRISM Portal

To support this accelerated growth, we institutionalised the **PRISM (Project Reporting and Integrated Systems for Monitoring) Portal** as the Bank's primary engine for real-time operational oversight. PRISM provides the MD & CEO-led IT Risk Management Committee with a transparent, end-to-end view of the Bank's digital and credit initiatives, moving beyond simple reporting to active idea generation and tracking. Currently, PRISM monitors the pulse of **37 live digital journeys** operational on our Digital Lending Platform (DLP), providing management with the data fidelity required to scale initiatives rapidly while maintaining strict audit trails. This system ensures that our business acceleration is evidence-based, allowing for rapid intervention and resource recalibration whenever required.

Automated Fortitude: Compliance Monitoring

The transition from foundational excellence to high-scale execution necessitated an evolution in our risk architecture, culminating in the rollout of automated compliance monitoring. Now live across the entire branch network, the platform has transformed compliance from a manual oversight task into a real-time, intelligence-led discipline.

By automating slippage control and regulatory monitoring, Automated compliance monitoring was a key enabler in helping the Bank achieve a historic **slippage ratio of 1.16%** - significantly bettering our target of 1.25%. This structural asset ensures that as our business volumes surge, our portfolio hygiene is fortified, evidenced by our Gross NPA improving to a multi-year low of **2.67%**.

The Digital Frontier: Cent NEO Ecosystem

At the apex of our structural capital sits **Cent NEO,** our flagship intelligence-led digital ecosystem designed to meet the aspirations of a modern India. In FY2026, Cent NEO transitioned from a launch framework into a high-scale operational bank, delivering hyper-personalised and device-agnostic journeys to our **8.26 crore customers**. This ecosystem has been the engine behind our record-breaking **90.54% digital transaction share**, migrating routine tasks to automated channels and freeing our human capital for high-value credit underwriting. Cent NEO represents the fulfilment of our promise to build a future-ready bank that is truly "Central" to every Indian, providing the structural capacity to deliver 24/7 banking with global standards of efficiency and trust.

Digital Transaction Share

90.54%

Digital transaction share reached a historic high of 90.54%, reflecting the scale of adoption across alternate delivery channels.

Relational Intellectual Capital: Scaling Trust in a Digital Frontier

In the "Year of Business Acceleration," relational intellectual capital has emerged as the vital link between our 115-year legacy of trust and our future as an intelligence-led digital ecosystem. We have moved beyond traditional relationship management to institutionalise digital trust and hyper-personalisation, ensuring that our 8.26 crore customers experience the speed of a fintech with the fortitude of a national institution. By leveraging our proprietary intellectual assets, we have "Delivered our Promise" to create a banking environment where security is invisible but absolute, and where innovation is used as a deliberate tool for social engineering and inclusive growth.

The Bedrock of Digital Trust: .bank.in Migration

A definitive marker of our institutional maturity in FY2026 was the 100% migration of the Bank's digital infrastructure - including enterprise email, internet banking, and our corporate website - to the secure, verified .bank.in domain. This was not merely a technical update but a strategic move to institutionalise cybersecurity as a core component of our brand equity. In an era of sophisticated cyber threats, the .bank. in domain serves as a high-fidelity visual marker of trust, effectively eliminating phishing and spoofing risks while providing customers with the certainty that they are interacting with the authentic Central Bank of India. This migration reinforces our stature as a secure financial powerhouse and aligns our digital posture with the highest global regulatory standards.

Velocity as Evidence: Achieving 90.54% Digital share

The efficacy of our intellectual capital is most visibly proven by the record-breaking velocity of our digital channels. In FY2026, the share of digital transactions through Alternate Delivery Channels (ADC) reached a historic high of **90.54%**, a significant leap that validates the scalability of the **Cent NEO** ecosystem. This means that 9 out of 10 customer interactions are now handled through our intelligence-led platforms, allowing for 24/7 service delivery without the constraints of physical geography. This migration of routine banking to the digital frontier has not only enhanced customer convenience but has been the primary engine for surging workforce productivity, freeing our staff to focus on high-value advisory and complex credit underwriting.

Inclusive Innovation: Leadership through Pink Branches

We recognise that true intellectual capital must be a catalyst for social progress. A major milestone in our social governance was the designation of **115 "Pink Branches"** across the nation, managed entirely by women staff. These branches are more than just physical assets; they are **leadership laboratories** where our intellectual frameworks for diversity and inclusion are translated into a specialised, high-empathy service model.

This commitment to "Nari Shakti" earned the Bank the prestigious title of **"Best Organisation for Women 2026"** by ET Edge, proving that our intellectual assets are being utilised to drive aspirational growth for all segments of society.

Hyper-Personalisation through Intelligence

Our relational capital is further fortified by the integration of AI/ML and sentiment analytics into our customer engagement models. By utilising the Account Aggregator (AA) platform and internal data lakes, we have empowered our frontline staff with tools like the MSME Eligibility Calculator, enabling instant, data-backed customer onboarding. Our Integrated Customer Care (ICC) platform now uses sentiment analytics to proactively resolve grievances, transforming customer service from a reactive function into a high-velocity resolution engine. This intelligence-led approach ensures that Central Bank of India remains not just a provider of capital, but a hyper-personalised partner in the financial journey of every Indian.

Human Intellectual Capital: Knowledge-Driven Productivity

In the **"Year of Business Acceleration,"** human intellectual capital has been recognised as the primary catalyst converting institutional potential into high-velocity results. Central Bank of India's 33,997-strong workforce is no longer viewed merely as a functional input but as a strategic engine of "Delivering our Promise" to 8.26 crore customers. During FY2025-26, the Bank fundamentally pivoted its human capital strategy from "General Training" to **"Precision Upskilling,"** ensuring that our collective expertise is directly aligned with the mandates of high-scale credit deployment and digital transformation. This evolution has created a more agile, intelligence-led workforce capable of navigating a complex financial landscape while maintaining the rigorous underwriting standards required for sustainable growth.

Precision Upskilling: The 1,000 Credit Officer Mandate

To support the Bank's accelerated credit agenda, we successfully executed a flagship training programme for **1,000 Credit Officers**. This initiative was a cornerstone of our intellectual capital strategy, focusing on institutionalising high-quality underwriting standards and significantly accelerating decision speeds. Beyond traditional credit appraisal, the curriculum integrated specialised **ESG risk screening** and digital appraisal techniques, ensuring that as our lending volumes surged, our portfolio hygiene remained fortified. This investment in specialised expertise ensured that the Bank could deliver high-velocity credit to the RAM and Corporate segments without compromising on the credit discipline that is the hallmark of our transformation.

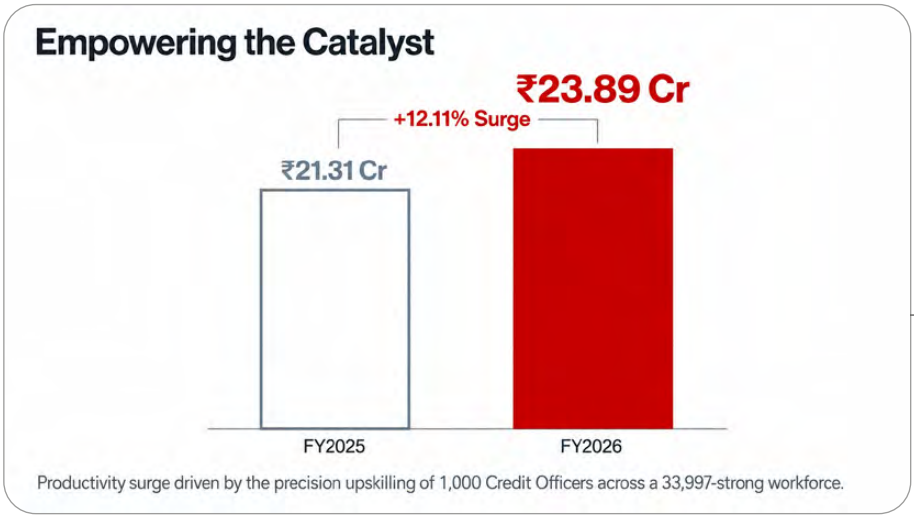

Productivity surge driven by the precision upskilling of 1,000 Credit Officers across a 33,997-strong workforce.

The Productivity Landmark: Surging to ₹23.89 Crore

The direct impact of our knowledge-driven approach is most visibly recorded in our surging productivity metrics. In FY2026, our Business per Employee reached a landmark ₹23.89 crore, representing a definitive 12.11% growth over the previous year. This performance leap validates our strategic decision to migrate routine, low-value transactions to the Cent NEO ecosystem, which achieved a record 90.54% digital share this year. By utilising intellectual capital to automate routine tasks, we have successfully liberated our human capital to focus on high-value advisory services, complex MSME cluster financing, and proactive credit monitoring. This shift from "Processing" to "Intelligence" is the defining differentiator of our accelerated business model.

Building the Future: Project Cent Nurture and Succession Readiness

As we conclude this year of high-velocity growth, our intellectual capital strategy is already preparing for the proposed FY2027 "Year of Business Excellence". Through the refinement of the "Project Cent Nurture" initiative, we have institutionalised targeted grooming for critical leadership roles. By identifying high-potential talent and providing them with specialised leadership pathways, the Bank is ensuring deep succession readiness across all administrative and operational layers. This ensures that the momentum achieved during the acceleration phase is not episodic but serves as the bedrock for permanent institutional excellence and long-term value creation for all stakeholders.

> When knowledge is sharpened with purpose, people become the Bank's strongest engine for productivity, precision credit growth and long-term institutional excellence.

Future Outlook: Institutionalising Excellence (FY2027)

As Central Bank of India concludes the "Year of Business Acceleration," we stand at a strategic inflection point. Having "Delivered our Promise" by translating foundational frameworks into scalable, landmark results, our focus is now shifting toward FY2026-27: "The Year of Business Excellence". This next phase represents the institutionalisation of the gains achieved during our acceleration period, moving from rapid volume expansion to the meticulous refinement of operational efficiency, digital maturity, and sustainable value creation. Our intellectual capital roadmap for the upcoming cycle is designed to bridge the gap between high-velocity growth and permanent institutional excellence.

Intelligence-Led Governance: Predictive AI/ML Integration

Building on the successful rollout of automated compliance monitoring, the Bank will now transition toward a predictive governance model. Our roadmap includes integrating advanced AI/ML and sentiment analytics into the automated compliance ecosystem to flag potential "hotspots" in terms of people, product, process, or policy risk proactively. By moving beyond real-time monitoring to predictive risk modelling, we aim to further institutionalise our asset quality fortitude - targeting a Gross NPA level below 2.50% and a slippage ratio contained within tight parameters. This evolution ensures that our structural capital becomes a self-learning guardian of the Bank's resilience.

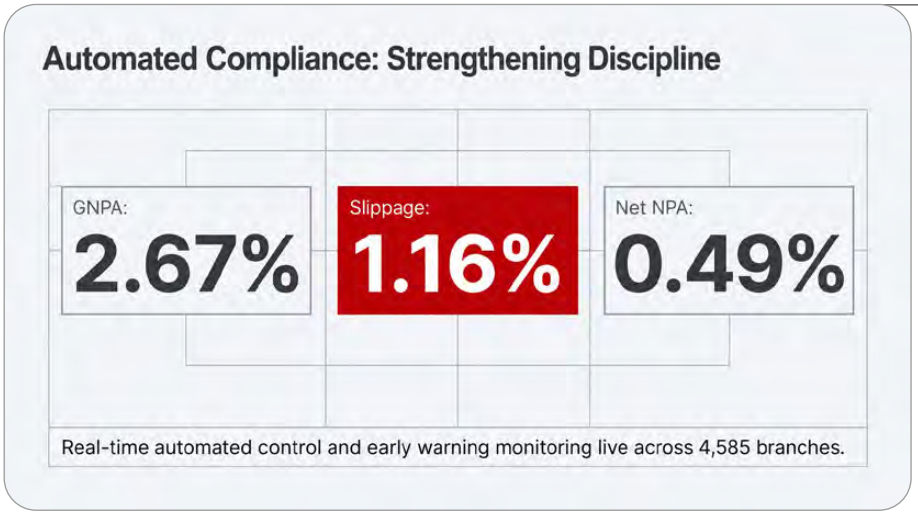

Frictionless Engagement: Omni-channel Maturity

The development of a full-fledged **Omni-Channel Platform** is a primary mandate for the "Year of Business Excellence". We are building a unified digital architecture that ensures a seamless, device-agnostic customer experience where journeys can be initiated on a mobile device and completed through an assisted channel without data duplication. This maturity will be supported by the expansion of our **Digital Lending Platform (DLP)** beyond its current 37 journeys and the scaling of the **Cent NEO** ecosystem. By delivering a "Financial Supermarket" experience across every touchpoint, we will fulfil our promise of being truly "Central" to the evolving aspirations of our 8.26 crore customers.

Optimising the Core: Data Lake Expansion and Efficiency

In FY2027, our intellectual capital will be deployed to lean out the institution and optimise the balance sheet. By leveraging our **Modern Data Platform** and expanding our **Data Lake** capabilities, the Bank will utilise advanced analytics to further refine the **Credit-Deposit (CD) Ratio**, aligning it with industry benchmarks of 75%–80%. These intelligence-led enablers will be the primary drivers for our efficiency mandate: bringing the **Cost-to-Income Ratio (CIR) below 56.00%**. This commitment to operational excellence ensures that our business acceleration serves as the permanent launchpad for long-term, superior value creation for all stakeholders.

Natural Capital

Accelerating the Path to a Net Zero Future

UNSDG Alignment:

Strategic Priority:

T

Business Model Elements:

2 4

GRI Standards:

302, 305 (Energy, Emissions)
FS-8 (Environmental Benefit)

In the **"Year of Business Acceleration,"** Natural Capital at Central Bank of India has evolved from a foundational commitment into a high-velocity engine of sustainable growth. We recognise that our 115-year legacy is inextricably linked to the resilience of the environment. Having "Delivered our Promise" in FY2026, we have moved beyond policy frameworks to achieve quantifiable impact across the green economy. Our natural capital strategy is now a primary driver of the **TRANSFORM** priority, proving that institutional velocity and environmental stewardship are mutually reinforcing.

> The foundational excellence we built in FY2025 served as the launchpad. In FY2026, we achieved take-off - leveraging our universal reach to finance India's green transition at a scale that is truly central to the nation's Net Zero aspirations.

The Acceleration of Green Finance: Scaling the Portfolio

In the "Year of Business Acceleration," Central Bank of India has successfully transitioned from the strategic identification of green opportunities to a phase of high-scale operational execution. While FY2024-25 was characterised by "Delivering Excellence" through policy formulation and the launch of our initial green pilots, FY2025-26 represents the definitive period where these frameworks have been leveraged to drive national impact. We have "Delivered our Promise" to stakeholders by ensuring that our sustainable finance framework now guides most of our capital allocation toward climate-aligned and environmentally responsible sectors, effectively institutionalising green lending as a core business discipline.

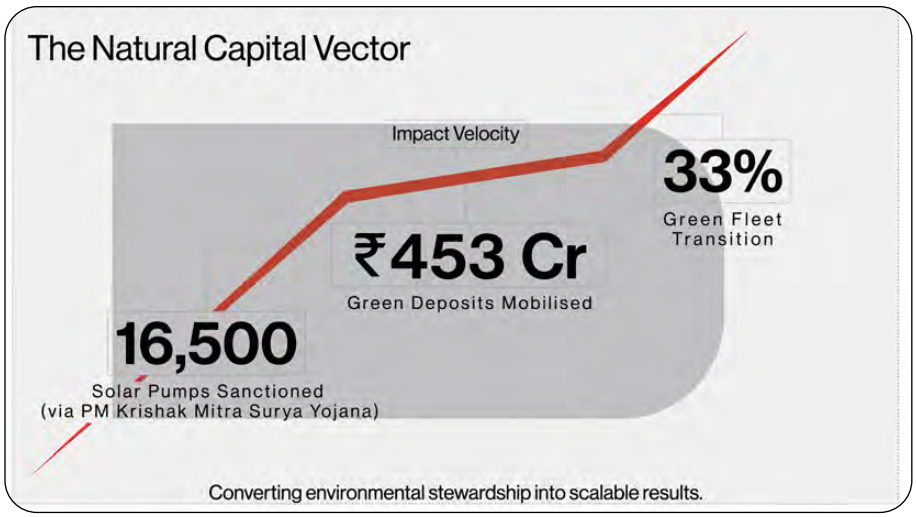

I. Large-Scale Renewable Energy Deployment: Scaling Velocity

The Bank has accelerated its deployment to strategic renewable energy projects that serve as the backbone of India's energy transition. In FY2026, we sanctioned a landmark ₹2,751.44 crore specifically toward large-scale wind, solar, and hydroelectric infrastructure. This shift from general lending to high-velocity, project-specific execution ensures that our credit engine is directly fuelling the national mandate for affordable and clean energy. By synchronising our underwriting speed with the internal transformation hub, we have reduced turnaround times for green credit, allowing the Bank to capture high-quality assets in a competitive landscape while supporting the vision of Viksit Bharat.

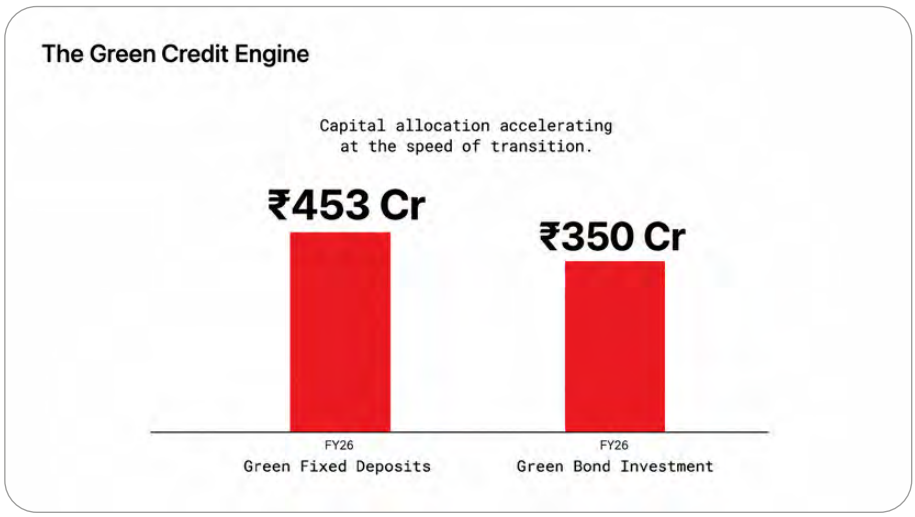

II. Green Bonds & Deposits: Fuelling the Sustainable Engine

Our liability franchise has evolved into a primary catalyst for green growth, providing the low-cost, granular fuel required to accelerate our sustainable lending portfolio.

- **Green Deposits Velocity:** Following the successful mobilisation in FY2025, we have scaled our **Green Fixed Deposit** programme with significant momentum. In FY2026, this programme reached a historic milestone of **₹453 crore,** offering customers flexible tenures and the opportunity to participate directly in the nation's green transition. These proceeds are exclusively earmarked for environmentally beneficial projects, reinforcing our climate-responsible financing model.
- **Sovereign Green Bond Investment:** We have simultaneously increased our stake in national resilience through our treasury operations. Our investment in **Sovereign Green Bonds (G-Sec)** grew to **₹350.26 crore** in FY2026. This strategic increase aligns our capital reserves with the **EASE 7**.0 sustainable mandates and the Ministry of Finance's Green Finance Roadmap, positioning Central Bank of India as a benchmark for institutional environmental stewardship.

Through this synchronised approach to asset deployment and resource mobilisation, we have proved that environmental sustainability is no longer a peripheral goal - it is a driver of institutional velocity and long-term value creation.

Thematic Green Velocity: Delivering the Promise to the Heartland

In the **"Year of Business Acceleration,"** the most visible marker of Central Bank of India's operational evolution has been the seamless integration of **Natural Capital** with our advanced **Digital Ecosystem**. While FY2024-25 was a period dedicated to "Delivering Excellence" through the conceptual launch of EV, solar, and bio-gas schemes, FY2025-26 represents the phase of high-velocity execution. We have moved beyond the laboratory of pilot programmes to achieve a level of thematic green velocity that is "Truly Central" to India's heartland, proving that high-scale credit deployment and environmental stewardship are mutually reinforcing engines of growth.

I. PM Krishak Mitra Surya Yojana: A Digital-Green Synergy

A flagship result of our digital transformation in FY2026 was the landmark achievement under the **PM Krishak Mitra Surya Yojana**. In a decisive demonstration of "Delivering our Promise," the Bank sanctioned solar pumps for **16,500 farmers** during the fiscal year. Crucially, these sanctions were not processed through traditional manual channels but were executed via a **100% paperless digital journey** on our **Digital Lending Platform (DLP)**.

This initiative represents the apex of our **TRANSFORM** priority, where institutional intelligence directly facilitates environmental outcomes. By eliminating physical documentation, the Bank simultaneously reduced its own operational carbon footprint while providing clean energy autonomy to the agrarian heartland. This synergy ensures that our farmers are equipped with sustainable irrigation infrastructure that reduces their dependency on fossil fuels, thereby aligning the Bank's credit engine with the national goal of a **Viksit Bharat**.

II. MSME & Retail Green Engines: Scaling Sustainable Commerce

Our acceleration strategy in the **RAM (Retail, Agriculture, and MSME)** segments has been sharpened to include specialised "Green Engines" that convert sustainability into a competitive advantage for our clients.

- **Cent Solar Udyam Suraksha:** In FY2026, we successfully scaled our specialised financing for MSME units to install captive solar power plants. This product is designed to help the industrial sector reduce carbon intensity while lowering long-term operational costs. By helping MSMEs transition to captive renewable energy, the Bank is fostering a circular economy where business growth is decoupled from environmental degradation.
- **Cent EV Connect:** Transitioning from the vehicle-centric pilots of FY2025, the Bank has moved up the value chain to actively finance **electric vehicle (EV) charging infrastructure**. Through the Cent EV Connect scheme, we are supporting the creation of the necessary charging grid across urban and semi-urban clusters, facilitating India's transition toward cleaner transportation systems. This reflects our **Role in Nation Building** by addressing the structural bottlenecks of sustainable mobility.
- **Green MSME Transformation:** Our commitment to the sector is further evidenced by the **MSE GIFT (Green Investment and Financing for Transformation)** and **MSE SPICE (Promotion and Investment in Circular Economy)** schemes. In FY2026, the Bank increased sanctions under these categories to **₹1.69 crore** and **₹0.14 crore** respectively, providing a structured pathway for small enterprises to adopt eco-friendly technologies and renewable energy sources.

III. Renewable Energy and Circular Economy: Financing the Future

The velocity of our green portfolio is anchored by high-scale deployment in renewable energy and rural clean fuel initiatives. As of March 31, 2026, the Bank has financed ₹2,751.44 crore toward large-scale renewable energy projects. Furthermore, through the Cent Solar PM Kusum Scheme, we have provided ₹312.1 crore in financing for decentralised, grid-connected solar plants, empowering rural communities to become net exporters of clean energy. We have also operationalised the Compressed Bio-Gas scheme, financing ₹33.90 crore to upgrade existing facilities and advance the circular economy in rural India.

By synchronising these thematic products through the internal transformation hub, Central Bank of India has proven that it can deliver high-velocity credit to the heartland while maintaining an uncompromising commitment to a Net zero future.

Operational Stewardship: Decarbonising the Swadeshi Franchise

In the **"Year of Business Acceleration,"** operational stewardship at Central Bank of India has fundamentally shifted from a phase of measurement to one of high-velocity mitigation. We have "Delivered our Promise" to stakeholders by institutionalising a **"Lean and Green"** mandate across our 4,585 branches and 22,129 total touchpoints. While FY2024-25 was a defining chapter focused on balance sheet repair and foundational emissions inventories, FY2025-26 represents the definitive year of high-scale execution. Our natural capital strategy is no longer a collection of policy frameworks; it is a results-oriented engine driving the Bank toward a carbon-neutral operational reality.

I. Solar Powering the Swadeshi Network

A primary pillar of our operational decarbonisation strategy is the aggressive expansion of renewable energy capacity across our owned premises. In FY2026, the Bank accelerated its rooftop solar deployment, scaling total capacity to **658 kWp,** up from the foundational 608 kWp recorded in the previous cycle. This expansion is a strategic move toward institutional energy autonomy, allowing us to capture "Green Dividends" while systematically reducing our grid dependency. By powering our administrative offices and branches with sustainable electrons, the Bank is maintaining a steady vector toward its voluntary target of a **50% reduction in Scope 2 emissions by 2028** (benchmarked against the FY2023-24 baseline).

II. Infrastructure Transformation: The Diesel-to-Inverter Mandate

We recognise that achieving permanent institutional excellence requires the systematic elimination of fossil-fuel reliance within our backup infrastructure. During the "Year of Business Acceleration," the Bank intensified its programme to replace traditional diesel generator (DG) sets with high-efficiency, 5-star rated inverters. This transition is essential for minimising local air pollutants and noise, particularly in our Rural and Semi-Urban (RUSU) network, which constitutes **65.19%** of our footprint. By accelerating this replacement cycle, the Bank is on a firm roadmap to eliminate

Scope 1 diesel-related emissions, with the goal of completing the transition across all targeted branches by the end of 2026.

III. Green Fleet Velocity: Delivering the Net Zero Promise

The most visible marker of our acceleration in operational stewardship is the rapid transformation of the Bank's logistical assets. In line with our Board-approved roadmap to reach **Net Zero Scope 1 emissions by 2028,** Central Bank of India successfully replaced **33% of its owned car fleet** with electric vehicles (EVs) or CNG alternatives during FY2026. This execution-at-scale proves our ability to translate strategic intent into quantifiable outcomes, moving beyond the pilot phase of FY2025. By institutionalising a year-on-year 33% replacement rate, we are ensuring that our institutional mobility remains decoupled from environmental degradation.

IV. Future Readiness: Bridging to Excellence

These operational successes serve as the foundational bedrock for the upcoming **"Year of Business Excellence"**. Our roadmap for FY2027 includes the expansion of **ISO-certified energy audits** and the integration of AI-driven building management systems to further optimise per capita electricity consumption. By synchronising these efforts through its internal transformation framework, Central Bank of India has proved that a century-old institution can lead the national mandate for a sustainable and Viksit Bharat.

Climate Risk Governance: Protecting Value Through Intelligence

In the **"Year of Business Acceleration,"** Central Bank of India has fundamentally transitioned its environmental oversight from a "Maturity Level 1" framework - characterised by the manual setup of task forces - to a sophisticated system of **Intelligence-Led Climate Risk Governance**. We recognise that as our business scale surges, so does the complexity of our environmental exposure. Having "Delivered our Promise" in FY2026, we have institutionalised a governance model that ensures our rapid expansion toward becoming a ₹13 lakh crore institution remains resilient, disciplined, and fully aligned with national climate mandates.

Internal Transformation Hub: The Strategic Nodal Point

The anchor of our climate governance is the Bank's internal transformation hub. Moving beyond the foundational committee structures of FY2025, this hub now serves as the central nodal point where all ESG-linked initiatives are coordinated across administrative layers. It ensures absolute alignment with the **EASE 7.0 framework** and DFS sustainability mandates, converting high-level policy intent into scalable operational results. By integrating ESG goals into the Bank's core strategic priorities - **Accelerate, Expand, Transform, and Fortify** - the internal transformation hub ensures that sustainability is not a standalone agenda but a driver of institutional velocity.

Automated Compliance: The Control Shield for ₹8.12 Lakh Crore

A defining milestone of our acceleration is the rollout of automated compliance monitoring. In FY2026, this platform transitioned from a foundational framework to a live, intelligence-led control system that now automates **ESG risk screening** across all credit verticals. As our total business volume crossed the historic **₹8,12,439 crore** mark, this system helped shield growth from climate-linked financial exposures through rigorous, digitised due diligence. By flagging potential environmental risks in real time during the credit appraisal process, automated compliance monitoring supported the achievement of our record **low slippage ratio of 1.16%**, proving that high-scale execution can be achieved with uncompromising asset quality.

PRISM Portal: High-Velocity Visibility and Recalibration

To manage our Natural Capital with the precision required for acceleration, we institutionalised the **PRISM (Project Reporting and Integrated Systems for Monitoring) Portal**. PRISM provides the MD & CEO-led IT Risk Management Committee with **real-time visibility** into the Bank's sustainability pulse, including the tracking of green credit disbursements and operational energy intensity across our 4,585 branches. This technical dashboard allows for **high-velocity resource recalibration,** enabling management to identify and scale high-impact green opportunities - such as the paperless solar pump financing for 16,500 farmers - with unprecedented speed. Through this intelligence-driven architecture, we have institutionalised a governance model that converts climate risks into quantifiable drivers of long-term value creation.

> Turning climate responsibility into operating discipline through automated ESG risk screening, green mobility transition and intelligence-led governance.

Future Outlook: Toward the Year of Business Excellence

As Central Bank of India concludes the **"Year of Business Acceleration,"** we stand at a strategic inflection point where our environmental stewardship is no longer a peripheral mandate but a core differentiator of institutional value. Having successfully "Delivered our Promise" by scaling green finance and operational decarbonisation, we now transition toward FY2026-27: **"The Year of Business Excellence"**. This upcoming phase will focus on the **Institutionalisation of Green Maturity**, where high-velocity execution is refined into permanent, intelligence-led excellence. Our roadmap for Natural Capital is designed to serve as a sustainable bridge toward our **Vision 2030** goal of becoming a ₹13 lakh crore institution that leads by purpose.

> Building the next horizon of sustainability by scaling measurable environmental action into institutional excellence and long-term value creation.

I. The Definitive Path to Net Zero 2028

Our primary mandate remains the achievement of Net Zero Scope 1 emissions by 2028, a voluntary commitment that aligns the Bank with India's national objective of net-zero by 2070. We have established a disciplined, time-bound roadmap to eliminate fossil-fuel reliance within our operations. A critical milestone for the "Year of Business Excellence" will be the completion of our Diesel-to-Inverter transition by December 31, 2026, ensuring that our entire Rural and Semi-Urban (RUSU) network - which constitutes 65.19% of our footprint - operates on clean backup power. Simultaneously, we will maintain our Green Fleet Velocity, replacing 33% of our owned car fleet with electric or CNG alternatives annually through 2028.

II. Scaling Operational Eco-Efficiency

In FY2027, the Bank will intensify its efforts to reduce Scope 2 emissions by 50% (against the FY2023-24 baseline). This will be achieved by scaling rooftop solar installations beyond the current 658 kWp to cover every owned premises across our 4,585-branch network. Through the internal transformation framework, we will institutionalise energy-efficient practices and conduct regular energy audits to optimise per capita electricity consumption, ensuring our infrastructure is as "Lean" as it is "Green".

III. Intelligence-Led Sustainability: The ESG Data Lake

The transition to "Business Excellence" necessitates a shift toward data-driven environmental governance. In FY2027, the Bank will utilise advanced AI/ML analytics to further refine our ESG risk screening frameworks, integrating them deeply into the Digital Lending Platform (DLP). By building a dedicated ESG Data Lake, we will enhance our ability to quantify financed emissions and identify emerging opportunities in sunrise sectors such as electric mobility and high-scale renewable energy. This intelligence-led architecture will position Central Bank of India as a global benchmark for sustainable public sector banking, proving that institutional fortitude and environmental resilience are inextricably linked.

Relationship & Social Capital

Powering Purpose - Delivering the Promise of Inclusion

UNSDG Alignment:

Strategic Priority:

E

Business Model Elements:

1 7

GRI Standards:

203, 413, 417

In the **"Year of Business Acceleration,"** Relationship & Social Capital at Central Bank of India has evolved from an asset of resilience into a high-velocity engine of growth. We recognise that our 115-year legacy as India's first Swadeshi bank is a "Contract of Trust" with 8.26 crore customers. In FY2026, we moved beyond the structured listening frameworks of the past to a phase of High-Scale Fulfilment, where every interaction - whether digital or physical - was designed to "Deliver our Promise" of inclusive, high-speed, and secure banking.

Acceleration is driven by trust. In FY2026, we didn't just listen to our stakeholders; we delivered the digital speed, financial fortitude, and inclusive reach we promised them, resulting in a landmark business milestone of > ₹8,00,000 crore.

Stakeholder Engagement: Turning Dialogue into Velocity

In the "Year of Business Acceleration," stakeholder engagement at Central Bank of India has fundamentally transitioned from the structured listening frameworks of the previous cycle into a high-velocity engine of High-Scale Fulfilment. We recognise that our 115-year Swadeshi legacy is not merely a historical artifact but a "Contract of Trust" that serves as the primary catalyst for our institutional momentum. Our engagement architecture is rigorously anchored by the CBI-CARE values - Customer Service, Aspirational Growth, Role in Nation Building, and Employee Well-Being - ensuring that every unit of institutional velocity is synchronised with the core aspirations of our 8.26 crore customers.

Having successfully "Delivered our Promise" in FY2026, the Bank has proven that active stakeholder alignment directly facilitates landmark business results, evidenced by our total business crossing the ₹8,12,439 crore mark.

Scaling Aspirational Growth

+25.67%
Overall retail portfolio surge.

₹1,00,000 Crore
Retail Portfolio Landmark

+48.71%
Growth in fresh sanctions.

Velocity powered by Account Aggregator frameworks, OEM partnerships, and a device-agnostic Cent NEO ecosystem.

Investors: Delivering on the Profitability Promise

In FY2026, our engagement with the investor community shifted from a narrative of stabilisation to one of **quantifiable financial fortitude.** We delivered on our promise of superior capital efficiency by achieving the aspirational 1.00% Return on Assets (ROA) target during the year, validating the efficacy of our structural transformation. This performance was supported by a **15.43% surge in Net Profit,** which reached **₹4,369 crore,** ensuring that our "Acceleration" provides tangible value to our financial backers.

Customers: Scaling the Digital Frontier

Our relationship capital with customers has been redefined through the **Cent NEO** digital ecosystem. Moving beyond manual acquisition, we fulfilled the demand for seamless, device-agnostic banking, resulting in our digital transaction share reaching a historic high of **90.54%**. By proving our impact at scale through **37 live digital journeys** on the Digital Lending Platform (DLP), we have enabled thousands of sanctions with near-zero manual intervention, meeting the modern Indian's need for speed and convenience.

Employees: Knowledge-Driven Productivity

We recognise that our 33,997-strong workforce is the primary catalyst for our velocity. In FY2026, we prioritised professional well-being and precision upskilling, most notably through the flagship training of **1,000 Credit Officers** to maintain rigorous underwriting standards during the expansion phase. This focus resulted in a definitive productivity leap, with **Business per Employee surging by 12.11% to reach ₹23.89 crore.**

Regulators: Automated Compliance and Discipline

Our engagement with regulators is now defined by **Automated Fortitude**. Through the institutionalisation of automated compliance monitoring across all 4,585 branches, we have moved from manual reporting to real-time compliance monitoring. This structural asset was instrumental in "Delivering our Promise" of superior portfolio hygiene, reducing our **Gross NPA to a multi-year low of 2.67%** and containing the slippage ratio at a record **1.16%**.

Customer Relationships: Scaling Aspirational Growth

In the **"Year of Business Acceleration,"** customer relationship management at Central Bank of India has evolved from a functional department into a strategic engine of **Aspirational Acceleration**. While FY2024-25 focused on the theme of "Customer Satisfaction with Value Creation" and the initial operationalisation of our **Integrated Customer Care (ICC)** centres, FY2025-26 represents the phase where these relationships were leveraged to deliver landmark business results. We have "Delivered our Promise" to our 8.26 crore customers by converting institutional trust into high-velocity credit deployment, particularly within the **RAM (Retail, Agriculture, and MSME)** segments, which now constitute a dominant **68.09%** of our diversified loan book.

The Retail Landmark: Fulfilling the Aspirational Promise

The most significant validation of our relationship-led strategy in FY2026 was the historic scaling of our retail franchise. Having promised to become a bank that is "Truly Central" to the aspirations of the Indian household, we achieved a watershed moment as the **Retail Advance Portfolio crossed the historic ₹1,00,000 crore mark,** concluding the fiscal year at **₹1,03,533 crore.**

This milestone represents a robust **25.67% year-on-year growth,** significantly outpacing industry averages and our own internal guidance. The velocity of this expansion was fuelled by a remarkable **48.71% surge in fresh sanctions,** proving the efficacy of our **Digital Lending Platform (DLP)** and the heightened engagement of our field staff.

- **Housing Loan Fortitude:** As the primary growth lever, the Housing Loan portfolio reached **₹59,012 crore,** accounting for **57.00%** of total retail advances. This 13.13% growth reflects our deep relationship capital with home-buyers and our commitment to national priority sectors.
- **Education Loan Velocity:** In line with the "Aspirational Growth" pillar of **CBI-CARE,** our Education Loan portfolio surged by **17.86%** to reach **₹6,374 crore,** supporting the academic dreams of thousands of students across the nation.
- **Diversified Impact:** Other retail segments, including Auto Loans (₹4,676 crore) and Personal Loans (₹4,335 crore), continued to show steady momentum, ensuring a balanced and granular retail balance sheet.

Hyper-Personalisation via Intelligence: The Digital Bond

Relationship Capital in FY2026 has been further fortified by our transition from reactive service to **Intelligence-Led Proactive Engagement.** By synchronising our 115-year legacy of trust with advanced technologies, we have redefined the customer journey as a seamless, data-driven experience.

- **Intelligence-Led Onboarding:** Utilising **AI/ML and the Account Aggregator (AA) platform,** we have empowered our frontline staff with tools like the **MSME Eligibility Calculator.** This allows for instant, data-backed onboarding of small businesses, reducing turnaround times and institutionalising credit discipline from the first point of contact.
- **The Cent NEO Experience:** Our relationship with our digitally-savvy customer base is now anchored by the **Cent NEO** ecosystem. This future-ready platform handles a historic **90.54% of our digital transactions,** fulfilling our promise of providing 24/7 banking that is device-agnostic and rapid.
- **Automated Renewal Logic:** Intellectual capital has been deployed to enhance customer retention through **Digi Auto Renewal** journeys on the DLP platform, ensuring that high-quality relationships are maintained without manual friction.

The ICC Evolution: A High-Velocity Resolution Engine

The **Integrated Customer Care (ICC)** platform, which was a "foundation" in FY2025, has transitioned into a **High-Velocity Resolution Engine** in FY2026. Operating from dual sites in Mumbai and Hyderabad, the ICC now provides a **"Customer 360° View"** for agents, allowing for a hyper-personalised understanding of each customer's account, transaction, and complaint history.

To ensure a frictionless experience for our diverse stakeholder base, we have integrated upcoming capabilities into the ICC, including:

- **Sentiment and Speech Analytics:** Utilising AI to proactively resolve grievances and identify intent, moving customer service from a reactive function to a predictive one.
- **Video Banking and Co-Browsing:** Offering assisted digital journeys for complex queries, bridging the gap between physical empathy and digital speed.
- **Multi-lingual AI Voice Bots:** Expanding our reach to include Hindi, English, and 10 regional languages, ensuring that the Bank remains accessible to every Indian, regardless of their linguistic preference.

Future Outlook: Institutionalising Relationship Excellence

As we transition into the **"Year of Business Excellence" (FY2027),** our relationship strategy will focus on the total **Omni-channel Maturity** of our platforms. Our goal is to ensure a unified customer experience across all devices, where a journey started on a mobile app can be seamlessly completed at a branch or via the ICC. By combining our **₹8.12 Lakh Crore business scale** with hyper-personalised intelligence, Central Bank of India is poised to remain the preferred financial partner for the evolving aspirations of a Viksit Bharat.

Inclusive Reach: The "Pink" Milestone in Social Governance

In the "Year of Business Acceleration," Central Bank of India has utilised its EXPAND priority to redefine the parameters of inclusive banking. We recognise that true institutional velocity is only achievable when growth is democratised across every geography and demographic of the nation. In FY2026, our strategy for Relationship & Social Capital moved beyond simple physical expansion to a sophisticated model of Social Engineering, where our manufactured assets (branches and touchpoints) were deployed as laboratories for leadership and empowerment. Having "Delivered our Promise" to be "Truly Central to Every Indian," we have synchronised our 115-year legacy with a modern mandate for gender-diverse leadership and grassroots penetration.

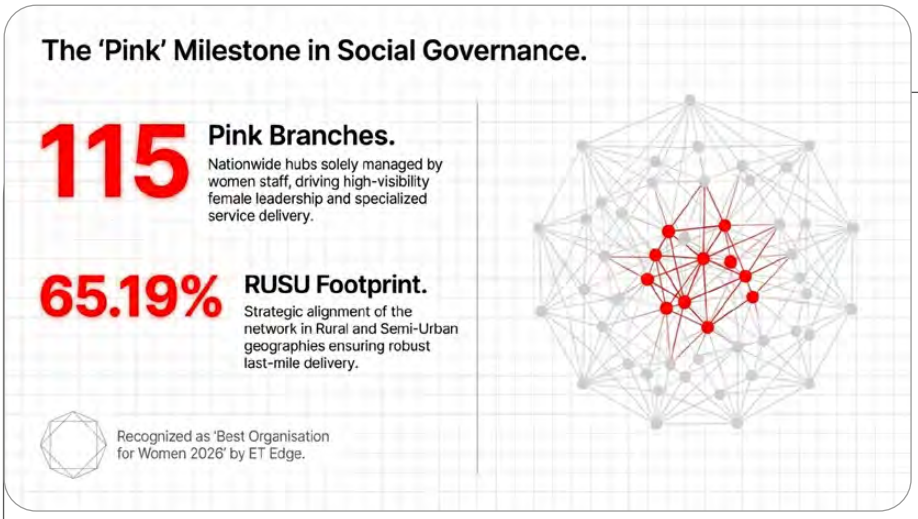

I. Dominance in the Heartland: The RUSU Foundation

Our commitment to nation-building is most visible in our unmatched reach into India's rural and semi-urban (RUSU) heartland. During FY2026, the Bank expanded its hybrid distribution network to a landmark **22,129 total touchpoints.** This vast ecosystem comprises **4,585 full-service branches,** of which a dominant **65.19%** are located in rural and semi-urban areas.

This is not merely a statistical footprint; it is the primary engine for financial inclusion. This network is further fortified by **13,685 Business Correspondent (BC) outlets** and **40 BC Maxx Centres,** which act as the specialised digital arms of the Bank in unbanked regions. By maintaining this high-density presence in the priority sector, the Bank ensures that its **₹8,12,439 crore total business** is anchored by a granular and resilient customer base of **8.26 crore individuals**.

Rural & Semi-Urban Touchpoints

22,129

Expanding financial inclusion across India's underserved markets.

Empowering Nari Shakti: showcasing the inauguration of one of our 115 all-women Pink Branches, signifying our commitment to inclusive social leadership and the fulfilment of a legacy promise.

II. The Pink Milestone: Institutionalising Nari Shakti

The defining achievement of our social governance in FY2026 was the successful scaling of our **"Pink Branches."** Transitioning from the 90 branches established in the previous cycle, the Bank formally designated **115 Pink Branches** across the nation. These branches are a "Visible Expression of Commitment," as they are **solely managed by women staff**.

These are more than functional banking outlets; they are **Leadership Laboratories** designed to strengthen women's positions within the franchise and provide a specialised, high-empathy service model for our female customer base. This initiative creates a historical bridge to 1924, when our founder, Sir Sorabji Pochkhanawala, established the first dedicated **Ladies Department** in Bombay - a revolutionary move that has now been translated into a scalable national model. By empowering women to lead these hubs, we are ensuring that the "Acceleration" of our human capital is as inclusive as it is productive.

External Validation: Recognition of Social Impact

Our performance in the "Year of Business Acceleration" has redefined our stature as an industry leader in diversity and inclusion. This impact was formally validated by ET Edge, which honoured Central Bank of India as the "Best Organisation for Women 2026". Furthermore, the Bank was recognised by EY-India as the "Most Preferred Workplace for Women 2025-26", reflecting the success of our internal support structures, such as the pilot Maternity Package Programme, which provides a 12-month counselling and transition framework for returning employees.

These accolades prove that Central Bank of India is not just scaling its balance sheet but is actively Expanding the Promise of social equity, creating a secure bridge toward the proposed FY2027 "Year of Business Excellence".

> Inclusive banking becomes nation-building when women-led branches, digital delivery and last-mile finance convert access into dignity, resilience and opportunity.

Financial Inclusion: Delivering the Promise of Nation Building

In the "Year of Business Acceleration," Central Bank of India has fundamentally redefined the parameters of financial inclusion, transitioning from a framework of physical outreach to a model of Intelligence-Led Empowerment. Our commitment to nation-building - the "R" in our CBI-CARE philosophy - is no longer a passive mandate but a high-velocity engine driving the vision of a Viksit Bharat. Having successfully "Delivered our Promise" in FY2026, the Bank has integrated its advanced Digital Lending Platform (DLP) with its social mandate to ensure that institutional velocity reaches the last mile of India's heartland.

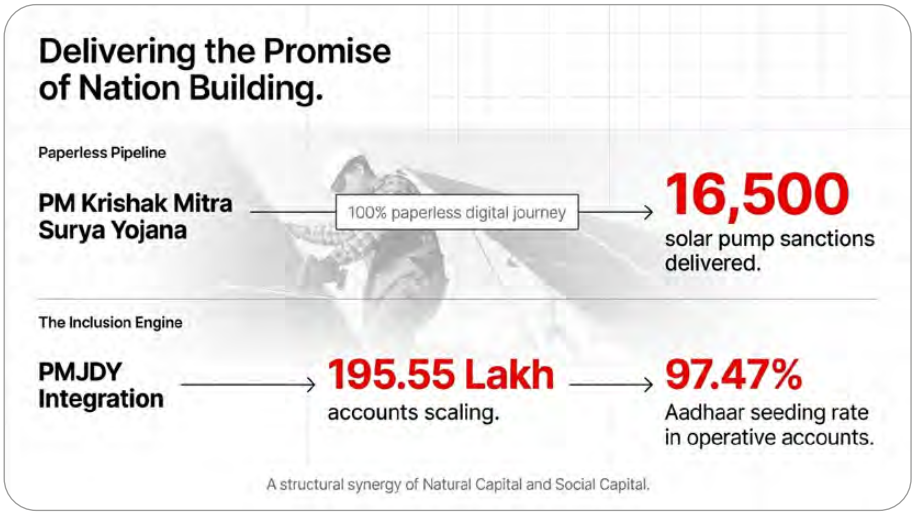

Solar-Green Synergy: Accelerating Agrarian Autonomy

The most definitive marker of our business acceleration this year was the seamless integration of **Natural Capital** with our **Social Mandate,** resulting in a landmark achievement under the **PM Krishak Mitra Surya Yojana**. During FY2025-26, the Bank sanctioned solar pumps to **16,500 farmers** - a milestone that was executed through a **100% paperless digital journey**.

By migrating this complex agrarian credit process to the DLP, we have achieved a trilateral victory:

- **Operational Velocity:** Turnaround times were reduced through automated digital verification, allowing farmers to access capital with unprecedented speed.
- **Environmental Stewardship:** The transition to solar-powered irrigation significantly reduces the carbon intensity of the agricultural sector, supporting our goal of a Net Zero future.
- **Social Equity:** Providing clean energy autonomy to 16,500 farming households empowers the rural economy and shields marginalised producers from rising fossil fuel costs.

Social Security at Scale: Strengthening the Safety Net

In the "Year of Business Acceleration," we utilised our vast network of **22,129 touchpoints** to scale the delivery of government-backed insurance and pension schemes. We recognise that financial inclusion is incomplete without a robust social safety net for the marginalised and vulnerable segments of society.

As of March 31, 2026, the Bank achieved landmark scale in three critical national schemes:

- **Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY):** Enrolments surged to **32.26 lakh,** providing essential life insurance coverage to millions of households.
- **Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY):** We achieved a historic high of **116.87 lakh enrolments,** ensuring that accidental death and disability coverage is accessible to the most remote corners of the nation.
- **Atal Pension Yojana (APY):** To support long-term financial security, the Bank mobilised **31.81 lakh enrolments,** fostering a culture of thrift and retirement planning among the unorganised sectors.

III. The Foundation of Inclusion: PMJDY and the BC Model

The anchor of our inclusion strategy remains the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), which serves as the entry point for millions into the formal financial system. In FY2026, PMJDY accounts reached a landmark 195.55 lakhs, with an outstanding balance of ₹9,222.59 crore, representing a significant surge in the mobilisation of small savings.

This reach is made possible by our hyper-local distribution architecture:

- **Business Correspondent (BC) Network:** We have deployed 13,685 BC outlets and 40 specialised BC Maxx Centres to provide "Banking at the Doorstep".
- **RUSU Dominance:** By ensuring that 65.19% of our 4,585 branches are located in rural and semi-urban areas, the Bank remains "Truly Central" to the nation's agrarian and industrial hubs.
- **Targeted Empowerment:** Through strategic MOUs with 13 State Livelihood Missions (SRLM), we have further accelerated credit flow to Self-Help Groups (SHGs), institutionalising the financial independence of women in rural India.

By synchronising these efforts through the internal transformation hub, Central Bank of India has proven that institutional scale and social purpose are not just compatible - they are the dual engines of sustainable acceleration.

CSR & Community: Investing in Societal Well-Being

In the **"Year of Business Acceleration,"** Corporate Social Responsibility (CSR) at Central Bank of India has transitioned from a series of voluntary projects into a structured engine of **Strategic Impact.** We recognise that our 115-year legacy as a Swadeshi institution carries a profound social contract: to ensure that as the Bank accelerates toward becoming a ₹13 lakh crore institution, the dividends of that growth are democratised for the nation's most vulnerable segments. Our community engagement strategy is rigorously anchored by the **CBI-CARE** philosophy, specifically the pillars of **Role in Nation Building** and **Employee Well-Being,** ensuring that every unit of capital deployed generates a corresponding unit of social equity.

Having successfully "Delivered our Promise" in FY2026, the Bank moved beyond general philanthropy to focus on high-fidelity interventions in healthcare infrastructure, educational accessibility, and disability rehabilitation. As of March 31, 2026, the Bank sanctioned ₹1.17 crore toward specific, high-impact CSR activities that directly support the vision of a Viksit Bharat.

Educational Empowerment: Building Aspirational Foundations

We believe that education is the primary catalyst for long-term socio-economic mobility. In the "Year of Business Acceleration," the Bank shifted its focus from basic infrastructure support to **Fulfilment at the Primary Level,** ensuring that underprivileged children have the tools required to pursue their academic dreams.

- **Infrastructure & Amenities:** The Bank funded the construction of critical public amenities for schools and the installation of **water coolers,** ensuring a hygienic learning environment for thousands of students.
- **Targeted Assistance:** We provided comprehensive educational support to underprivileged children, including the provision of **stationery items** for primary education to reduce the out-of-pocket burden on marginalised families.
- **Sustainable Schools:** Aligning our **Natural Capital** goals with social outreach, the Bank sanctioned the installation of **solar street lights** in and around educational institutions, promoting safety and renewable energy awareness among the youth.

Healthcare Fortitude: Specialised Life-Saving Infrastructure

In FY2026, the Bank's healthcare interventions moved up the value chain to provide sophisticated medical technology to those who need it most. Our goal was to "Deliver the Promise" of affordable, high-quality healthcare to marginalised sections.

- **Diagnostic Excellence:** The Bank sanctioned funds for a cardiac colour doppler system, a critical diagnostic tool for early detection of heart conditions, specifically for underprivileged patients who otherwise lack access to such advanced screenings.
- **Advanced Medical Support:** We extended our support to cyclotron facilities, contributing to the national infrastructure for nuclear medicine and cancer treatment.
- **Institutional Partnerships:** To ensure affordable healthcare for our own 33,997-strong workforce and their dependents, the Bank signed a

landmark MoU with Reliance Foundation Hospital Trust, institutionalising employee well-being as a core corporate priority.

III. Disability Support: Leading with Empathy and Inclusion

A defining marker of our social governance in FY2026 was the intensified focus on the rehabilitation and empowerment of the differently abled.

- **Rehabilitation Services:** The Bank maintained a strategic focus on health and rehabilitation services for children with **neurological impairments and intellectual disabilities.**
- **Inclusive Mobility:** To enhance accessibility, the Bank sanctioned funds for **battery utility electric vehicles,** providing clean and efficient mobility solutions for community welfare organisations.
- **Workplace Sensitivity:** Internally, the Bank continued to fortify its own culture of inclusion, issuing regular instructions to ensure a **safe, inclusive, and gender-sensitive environment** for all staff and visitors.

IV. Strategic Employee-Led Social Impact

We recognise that true social capital is built when our people become the primary ambassadors of our purpose.

- **Cent Sanskriti:** The Bank continued to scale the **Cent Sanskriti** platform, which fosters community service involvement specifically among **employees' spouses,** extending the Bank's social reach into the families of our workforce.
- **Engagement Velocity:** Our commitment to a purpose-driven culture was validated by our regular **Happiness Surveys,** which measure employee satisfaction and alignment with the Bank's leadership and social values.

Through these synchronised efforts, Central Bank of India has proven that institutional acceleration is most sustainable when it is rooted in the well-being of the society it serves.

Future Outlook: Toward the Year of Business Excellence

As Central Bank of India successfully concludes the **"Year of Business Acceleration,"** we stand at a strategic inflection point. Having "Delivered our Promise" in FY2026 by translating strategic frameworks into high-velocity results, the Bank now enters the next phase of institutionalisation. This phase represents the institutionalisation of our gains, moving from rapid volume expansion to the meticulous **refinement of every touchpoint** across our digital and physical ecosystems.

Institutionalising Global Best Practices

In the coming fiscal year, the Bank will move beyond operational stability to implement **global best practices** in customer service and grievance resolution. Our **Integrated Customer Care (ICC)** platform will transition into its next evolutionary stage, incorporating a **"Customer 360° View"** for agents to provide hyper-personalised support based on real-time account and transaction history. We aim to achieve an **IVR satisfaction score of 90%** and reduce the average turnaround time for grievance redressal to just four days, ensuring that Central Bank of India remains a benchmark for service excellence in the Indian banking sector.

Achieving Omni-channel Maturity

A primary mandate for the "Year of Business Excellence" is the completion of a full-fledged **Omni-Channel Platform.** This initiative will ensure a **unified and seamless customer journey** across all devices, allowing users to initiate a process on a mobile device and complete it through assisted channels without data duplication. By scaling the **Cent NEO** ecosystem and expanding the **Digital Lending Platform (DLP)** beyond its current 37 journeys, we will deliver a device-agnostic experience that meets the evolving aspirations of our 8.26 crore customers.

Community Impact 2.0: Scaling the Social Promise

Our commitment to nation-building will intensify through **Community Impact 2.0.** We have set a targeted goal to reach over **30,000 beneficiaries** in the next cycle through expanded **Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs)** and enhanced **RSETI** initiatives. By focusing on rural education, healthcare infrastructure, and specialised credit schemes for startups and labour-intensive industries, the Bank will ensure that its journey toward becoming a **₹13 lakh crore institution** continues to drive inclusive and equitable growth for a Viksit Bharat.

Human Capital

Powering the Acceleration Engine - Delivering the Promise of Productivity

UNSDG Alignment:

Strategic Priority:

A

Business Model Elements:

3 8

GRI Standards:

401, 404, 405 (Employment, Training, Diversity)

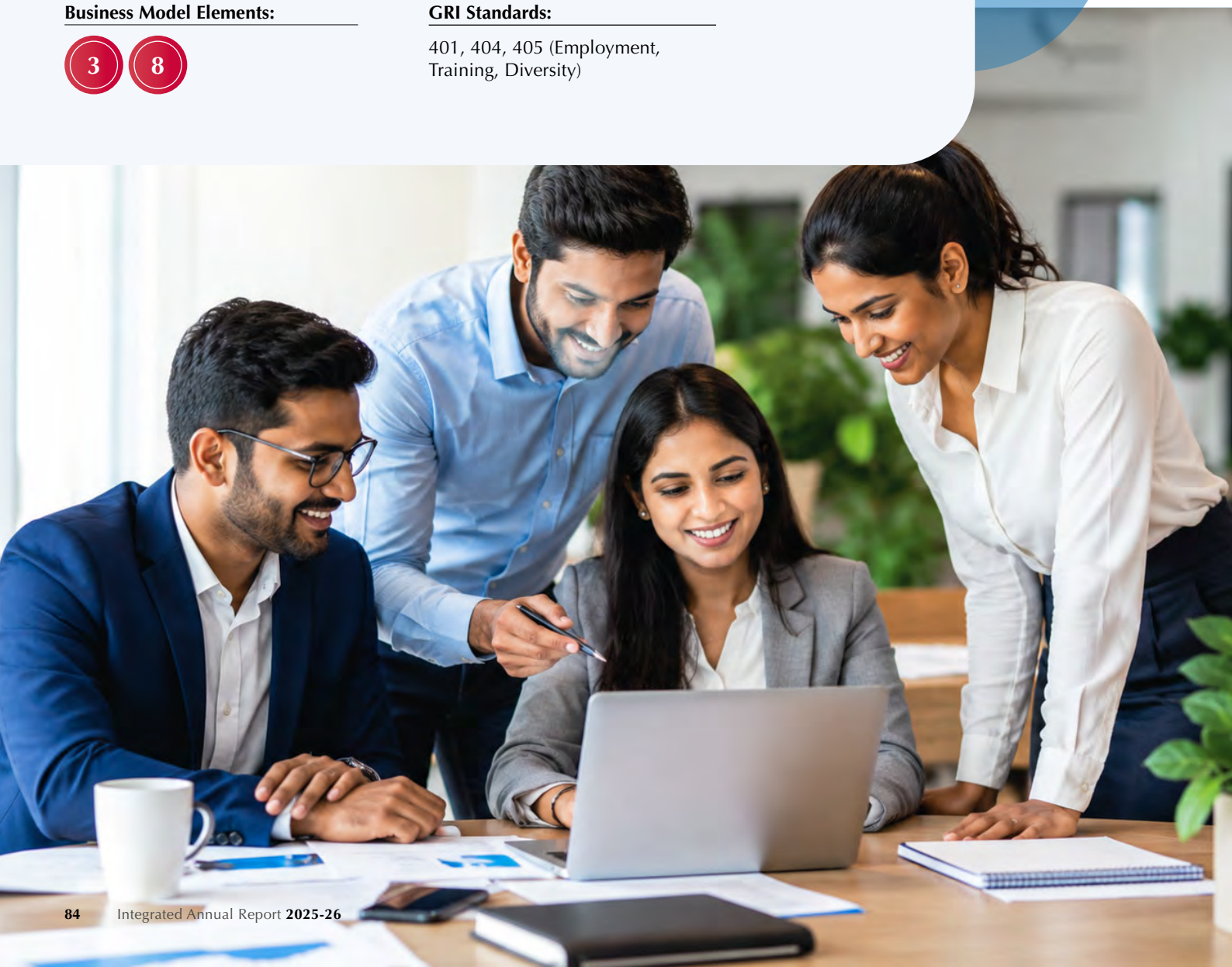

Acceleration is not just about speed; it is about the collective skill and resilience of our people. In FY2026, we empowered our employees to move from routine processing to high-value intelligence, achieving record-breaking efficiency that signals our readiness for global benchmarks.

Opening Vision: The Workforce as the "Acceleration Engine"

In the **"Year of Business Acceleration,"** human capital at Central Bank of India has undergone a profound strategic shift, moving from its FY2025 role as an institutional stabilizer to becoming the definitive **"Acceleration Engine"** of our universal banking model. We recognize that our 33,997-strong workforce is the primary catalyst through which we convert strategic intent into the high-velocity results seen across our ₹8,12,439 crore total business. Having successfully "Delivered our Promise" in FY2026, the Bank has moved beyond foundational capacity building to a model of **Knowledge-Driven Productivity,** proving that an empowered and agile workforce is the bedrock of institutional fortitude.

Our people are no longer viewed merely as functional inputs; they are the intellectual architects of our transformation, responsible for scaling the **Cent NEO** ecosystem and maintaining rigorous credit discipline through automated compliance monitoring. This transition has been guided by the **CBI-CARE** philosophy, specifically the pillar of **Employee Well-Being,** ensuring that as we accelerate, our people remain resilient, skilled, and deeply aligned with the vision of a Viksit Bharat. During FY2026, we empowered our employees to move from routine processing to high-value intelligence, achieving record-breaking efficiency that signals our readiness for global benchmarks. This opening vision sets the stage for a chapter dedicated to the power of our collective skill, proving that Central Bank of India's 115-year legacy is being carried forward by a workforce that is future-ready and results-oriented.

Strategic Pillars: From Framework to Execution Excellence

Our human capital strategy is rigorously anchored around five core themes that serve as the pillars of our high-velocity execution model: **Leadership Development, Digital Empowerment, Engagement & Well-being, Talent Development & Retention, and a Dynamic Work Culture**. In FY2026, we transitioned from the theoretical establishment of these pillars to their active deployment as engines of growth.

The i3 (Ideate, Innovate, Inspire) digital portal has been the primary driver of our "Dynamic Work Culture," converting every employee into a transformation architect. By allowing staff to submit and track innovative suggestions for process re-engineering, i3 has institutionalised an internal culture of agility and synergy. Simultaneously, the launch of **"CENT CHETNA,"** our confidential professional counselling service, has fortified the "Engagement and Well-being" pillar. This initiative supports our employees in preserving emotional well-being and managing workplace dynamics, ensuring that our institutional velocity is matched by psychological resilience.

Digital empowerment was further scaled through the **Central Swadhyay App** and the **Central Chanakya** GenAI-powered chatbot, providing staff with instant access to learning resources and real-time query resolution. These strategic pillars ensure that our human capital strategy is not a standalone agenda but a driver of institutional velocity, enabling us to respond to market opportunities with unprecedented speed. By optimising the flow of our human capital through these five pillars, we have proved that a century-old institution can operate with the velocity of a modern digital ecosystem.

Productivity & Scale: The Velocity of the ₹23.89 Crore Milestone

The most significant validation of our human capital strategy in FY2026 is the record-breaking surge in workforce productivity. As we navigated the **"Year of Business Acceleration,"** our primary mandate was to decouple business growth from headcount expansion by leveraging technology to enhance per-capita output.

The result is a landmark achievement: **Business per Employee surged by 12.11% to reach ₹23.89 crore,** a significant leap from the ₹21.31 crore recorded in FY2025. This metric is the definitive proof that we have "Delivered our Promise" of high-velocity efficiency. This productivity leap was directly fuelled by our strategy of migrating **90.54% of transactions** to digital channels like Cent NEO and the Digital Lending Platform (DLP), thereby liberating our human capital from routine clerical tasks to focus on high-value credit underwriting and advisory.

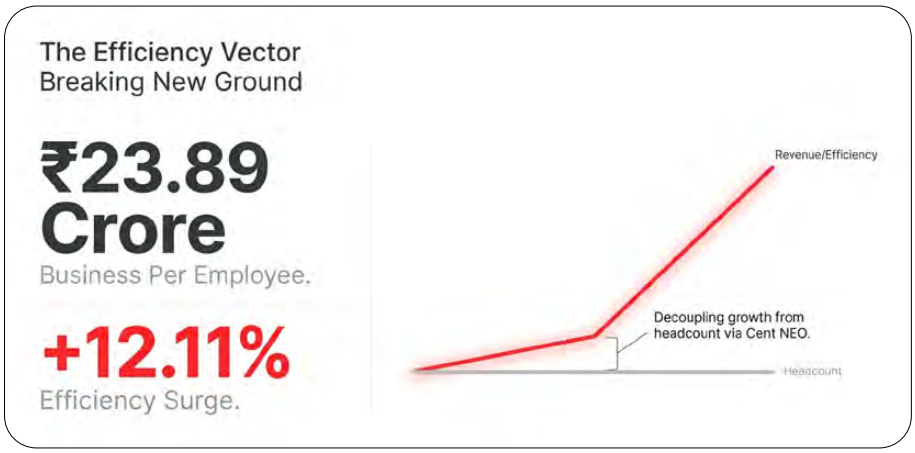

Branch-level scale-up has been equally impressive, with **Business per Branch rising to ₹177.19 crore**. This ensures that our footprint, which remains **65.19% concentrated in rural and semi-urban areas**, is as productive as it is inclusive. This surge in productivity validates our "Growing Smarter" imperative, proving that our 33,997-strong workforce is now performing at a level that rivals private-sector benchmarks. By converting institutional potential into high-velocity results, our people have ensured that every unit of business growth is backed by disciplined human efficiency.

Precision Training: Impact of the 1,000 Credit Officer Mandate

In FY2026, the Bank fundamentally pivoted its learning and development agenda from "General Training" to **"Precision Upskilling,"** aligning our curriculum with the mandates of high-scale credit deployment. The cornerstone of this strategy was the successful execution of the flagship **1,000 Credit Officer Training Programme.**

This initiative was designed to institutionalize high-quality underwriting standards and significantly accelerate decision-making speed, which was critical as our retail portfolio crossed the historic **₹1,00,000 crore mark**. Beyond traditional credit appraisal, the training integrated specialized **ESG risk screening** and digital appraisal techniques via the DLP, ensuring that as our lending volumes surged, our portfolio hygiene remained fortified - evidenced by our record-low **slippage ratio of 1.16%**.

Additionally, the Bank strengthened its leadership pipeline through international exposure visits and structured programmes at institutions like IIMs and XLRI. We also initiated specialized training for **225 identified officers** to become MSME processing experts, with a special design training booklet published to support this vertical. This investment in precision expertise ensures that our human capital is equipped to manage a more complex, intelligence-led balance sheet as we move toward the proposed FY2027 "Year of Business Excellence". Our commitment to specialisation over generalization is the defining differentiator of our human capital model in this acceleration phase.

Inclusion (EXPAND): The "Pink" Milestone and Diversity Leadership

Central Bank of India continues to lead the nation in social governance and gender inclusivity, redefining the role of women in the financial sector. A defining achievement of FY2026 was the scaling of our **"Pink Branches"** to a historic total of **115 outlets**. These branches, solely managed by women staff, serve as high-visibility **Leadership Laboratories** where our intellectual frameworks for diversity are translated into a specialized, high-empathy service model.

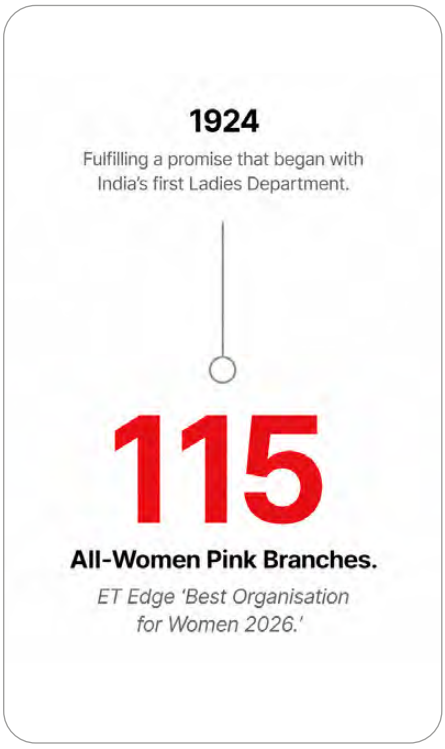

This initiative creates a direct historical bridge to 1924, when our founder Sir Sorabji Pochkhanawala established the first dedicated **Ladies Department** in Bombay. Today, we have successfully translated that pioneering spirit into a scalable national model that empowers women to lead at every layer of the franchise. Our commitment to an inclusive workforce was formally validated by several prestigious awards in FY2026:

- **ET Edge:** Honoured as the **"Best Organisation for Women 2026"**.
- **EY-India:** Recognised as the **"Most Preferred Workplace for Women 2025-26"**.

To support this mission, we institutionalised a pilot **Maternity Package Programme,** providing a 12-month counselling and transition framework for returning lady employees and their managers, ensuring a seamless reintegration into the workforce. These efforts have ensured that our "Acceleration" is as inclusive as it is productive, positioning Central Bank of India as the employer of choice for the next generation of Indian women.

Employee Well-being & Ethics: Fostering Institutional Resilience

We recognize that institutional velocity must be anchored by the holistic well-being of our workforce and a culture of uncompromising ethics. In FY2026, we moved beyond basic wellness programmes to institutionalize **"Cent Chetna,"** a confidential counselling platform managed by qualified professionals to support employees' emotional resilience and workplace dynamics. This initiative reflects our **CBI-CARE** commitment to people as a lifelong priority.

Our culture of innovation is balanced by a robust ethical foundation. The Board-approved **Code of Ethics and Business Conduct** is reviewed annually, reinforcing a workplace built on accountability and trust. We also maintain a revolving **Bereavement Fund of ₹25 crore** to support employees and their families during personal crises, ensuring a secure work environment.

To measure the success of these initiatives, the Bank now conducts regular **"Happiness Surveys"** to track job satisfaction, workplace culture, and work-life balance. These insights have allowed us to maintain an exceptional **employee retention rate of 98.38%**, a metric that signifies the deep institutional loyalty of our 33,997 staff members. By fostering a culture that prioritizes both professional innovation (via i3) and emotional health (via Cent Chetna), we have ensured that Central Bank of India remains a resilient and purpose-driven institution in a dynamic banking landscape.

Future Outlook: Bridging to Business Excellence (FY2027)

As we conclude the "Year of Business Acceleration," our human capital roadmap for FY2026-27 - the "Year of Business Excellence" - focuses on the Intelligence-Led Refinement of our talent pool. We are moving from volume expansion to the meticulous measurement of operational efficiency.

Key initiatives for the upcoming cycle include:

1. **AI/ML Skill Analytics:** We will deploy advanced analytics to measure "Desk-Skill Fit" percentages, identifying emerging training needs proactively and matching roles to employee profiles with mathematical precision.
2. **HR Process Centralization:** The rollout of the HR Hub will centralize all payroll and non-payroll processes - such as fitment and terminal benefits - ensuring end-to-end automation via the HRMS.
3. **Targeted Recruitment:** We have initiated plans to recruit 500 POs, 1,000 Credit Officers under mainstream recruitment, 670 Specialist Officers in Scale I, II, III and IV, 15 AGMs across various streams and 2,000 CSAs, to further strengthen our front-line delivery.
4. **Global Benchmarking:** Initiating a second round of international study tours and executive coaching to align our leadership with global standards of efficiency and digital maturity.

This roadmap ensures that the momentum achieved during the acceleration phase serves as the permanent launchpad for long-term institutional excellence.

NOTICE of 19th (Nineteen) Annual General Meeting (AGM) of Bank

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the **19th (Nineteen) Annual General Meeting (AGM)** of the Shareholders of Central Bank of India (Bank) will be held on Friday, 31st July, 2026 at 03.00 PM (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

Ordinary Business:-

Item No.1

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2026, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the Financial year ended 31st March 2026, together with the report of the Board of Directors and Auditors' thereon.

Item No.2

To confirm the payment of 04 (four) Interim Dividends aggregating to ₹1.20 (12%) per equity share having face value of ₹10 each of Bank for the financial year 2025-26 as declared and approved by Board of Directors of Bank.

Special Business:-

Item No.3

To approve the appointment of Shri Baldeo Purushartha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Baldeo Purushartha as Government Nominee Director (Non-Executive) of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.No.6/2(ii)/2022-BO.I dated 24th July, 2025 read with Notification Ref eF.No.6/2(i)/2022-BO.I dated 19th June, 2026 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 24th July, 2025 till 19th June, 2026 be and is hereby approved."

Item No.4

To approve the extension of term of Shri M V Murali Krishna as an Executive Director on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the extension of term of Shri M V Murali Krishna as an Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.No.4/4(vii)/2024-BO.I dated 15th September, 2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, beyond his existing notified term which ended on 30th November, 2025 till the date of his superannuation i.e. 31st July, 2027 or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved."

Item No.5

To approve the appointment of Shri Kalyan Kumar as Managing Director and Chief Executive Officer on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Kalyan Kumar as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.No.4/3(ii)/2024-BO.I dated 30th September, 2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 30th September, 2025 i.e. date of his assumption of charge, for a period of three years or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved."

Item No.6

To approve the appointment of Shri E. Ratan Kumar as an Executive Director on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri E. Ratan Kumar as an Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.No.4/4(ii)/2024-BO.I dated 24th November, 2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 24th November, 2025 i.e. date of his assumption of charge for a period of three years or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved."

Item No.7

To approve the appointment of Shri Chandradeep Kumar Jha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Chandradeep Kumar Jha as Government Nominee Director (Non-Executive) of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.No.6/2(i)/2022-BO.I dated 19th June, 2026 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 19th June, 2026 and until further orders, be and is hereby approved."

Item No.8

To consider raising of Equity capital aggregate upto ₹7000 crore through various modes such as QIP/FPO/Rights issue.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following Resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of face value of ₹10 (Rupees Ten only) up to the value of ₹7000 crore (Rupees Seven Thousand Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies - private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/ securities of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Qualified Institutions Placements (QIPs), follow-on-Public Issue (FPO), Rights issue or in combination thereof, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 as amended, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such

approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations:

A. The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution.

B. The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

C. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s),Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question,

difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank or a Committee of Board as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Item No.9

Election of ONE Shareholder Director.

To elect **ONE Director** from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "Regulation Act"), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Central Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the "Regulations"), The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (herein after referred to as the "SEBI Listing Regulations") and RBI Master Directions dated 28.11.2025 (Commercial Bank – Governance) Directions, 2025 and further amendments, if any, made thereto and to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT Shri/ Smt. _____ elected as Director from amongst the Shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Master Directions and other applicable guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office with effect from 01st August, 2026 and shall hold the office for a term of three years till 31st July, 2029."

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Chandrakant Bhagwat)
Company Secretary &
Compliance officer

Date: 23rd June, 2026
Place: Mumbai

NOTES:

1. The Explanatory Statement pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 setting out the material facts in respect of the **Business Item Nos.3 to 9** to be transacted at the meeting is annexed hereto.

2. **HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM):**

   Pursuant to Circular No.3/2025 dated 22nd September, 2025 read with other relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) for holding the AGM through VC / OAVM, the Bank is convening the 19th Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members. Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of determining the quorum. **The Central Office of Bank situated at Mumbai shall be deemed to be the venue of the AGM.**

3. **APPOINTMENT OF PROXY:**

   Pursuant to the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, a Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held through VC/OAVM pursuant to the MCA Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the Annual General Meeting and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to the Notice.

4. **Appointment of an Authorised Representative:**

   No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the Shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been sent to the Bank through e-mail at investors@centralbank.bank.in not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before **5.00 PM, Friday, 24th July, 2026.**

5. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

6. The Notice of the 19th Annual General Meeting and Integrated Annual Report 2025-26 is being sent only by electronic mode to those Members, whose email addresses are registered with the Bank/Depositories. Members may note that the Notice of 19th Annual General Meeting and Integrated Annual Report 2025-26 will also be available on the Bank's website https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and BSE Limited www.bseindia.com. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only.

The Bank will also be sending a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available to those shareholder(s) of Bank who have not registered their email addresses with Bank/Depositories.

7. Interim Dividends for FY 2025-26 paid by Bank:

The Board of Directors of Bank has declared Interim Dividends on the equity shares having face value of ₹10/- each of Bank in every quarter for the Financial Year 2025-26 and same was paid to Shareholders of Bank as per their holdings as on the record dates decided by Bank. The details of Interim Dividends declared and paid by Bank for the Financial Year 2025-26 are given as under:

Sr. No.	Type of Dividend	Date of Declaration of dividend by Board of Bank	Dividend %	Dividend Amount (in ₹) per equity shares
1	1st Interim Dividend	19.07.2025	2%	0.20
2	2nd Interim Dividend	17.10.2025	2%	0.20
3	3rd Interim Dividend	16.01.2026	2%	0.20
4	4th Interim Dividend	30.04.2026	6%	0.60
		Total	**12%**	**1.20**

Pursuant to Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the payment of dividend was made only in electronic mode to the Shareholders having updated KYC and Bank account details with Depositories /RTA and payment through dividend warrants or cheques has been discontinued. The Bank has deducted tax at source (TDS) at the prescribed rates, wherever applicable, at the time of making the payment of Interim Dividends to the shareholders of Bank.

8. The Bank has designated an exclusive e-mail id viz. investors@centralbank.bank.in to enable Shareholders to register their grievances, if any. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Bank on or before **Wednesday, 22nd July, 2026** through email on investors@centralbank.bank.in The same will be replied by the Bank suitably.

9. Registration of email ID and Bank Account details:

Process to register the email id for receiving Bank's AGM Notice and Integrated Annual Report and updation of Bank account details for payment of dividend: In case the Shareholder's email ID is already registered with the Bank/ its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/ Depositories, log in details for e-voting will be sent on the registered email address.

In case, the Shareholder has not registered his/her/their email address with the Bank/its RTA/Depositories or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend if declared in future, the following instructions are to be followed:

(i) Kindly log in to the website of our RTA, MUFG Intime India Private Ltd., https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html under Investor Services > Email/ Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit. OR

(ii) **For Shareholders holding shares in demat form:** The Shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email ID and Bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

(iii) **For Shareholders holding shares in physical form:** Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending either physical copy of duly filled-in ISR-1 form alongwith requisite documents to MUFG Intime India Pvt. Ltd , C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 or soft copy of duly filled-in ISR-1 form alongwith requisite documents through mail at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

In consonance with the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders holding shares in physical form are requested to get their email ids registered with the Bank's RTA in case of shares held in physical form and Depository Participant in case of shares held in demat form.

10. Updation of PAN, KYC, Bank details and Nomination by Shareholders of Bank:

SEBI vide its Master Circular No. HO/38/13/ (4)2026-MIRSD-POD/I/4298/2026 dated 06th February, 2026 has issued inter alia, guidelines on 'Common and Simplified Norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination'. Members holding shares in physical form are requested to furnish following forms to update their KYC and choice of Nomination (in case the same are not updated) with the RTA of Bank.

S. No.	Form	Purpose
1.	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2.	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3.	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5.	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular is available on the website of Bank at https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations

Contact details of RTA and Investor Relations Division of Bank are as under:

Registrar and Transfer Agent for Equity Shares:

MUFG Intime India Pvt. Ltd.
(Formerly Known as Link Intime India Pvt. Ltd.)
C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai - 400 083
Tel: 022-4918 6270
Email Id: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Address for correspondence with the Bank:
Company Secretary and Compliance Officer
Central Bank of India,
9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Tel: 022- 6638 7575/7818
Email id: investors@centralbank.bank.in

11. Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. There are various benefits associated with converting your shareholding in Demat form such as:

- Safe and convenient mode of holding securities of multiple companies.
- No risks associated with physical share certificates- such as loss of certificates, mutilation of certificates, bad delivery, fake/ forged certificates or endorsements, etc.,
- Easy and instant transfer of securities.
- No stamp duty on transfer of securities in demat mode.
- Direct credit of benefits and corporate actions such as rights shares, bonus shares, stock split, etc. in the demat account of the shareholder.

12. Opening of Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares:

As per SEBI Circular dated 30th January, 2026, Shareholders of Bank are advised to submit their share transfer requests duly completed in all respects to RTA of Bank on or before 04th February, 2027 during the special window which is opened from 05th February, 2026 to 04th February, 2027 to facilitate the re-lodgement of transfer requests of physical shares which were lodged prior to 01st April 2019 but were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/ process.

13. Online Dispute Resolution Mechanism (SMART ODR):

SEBI vide Circular Nos. SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/131 dated July 31, 2023, and SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/135 dated August 4, 2023, read with Master Circular No. SEBI/HO/ OIAE/OIAE_IAD1/P/CIR/2023/145 dated July 31, 2023 (updated as on August 11, 2023), has established a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market. Pursuant to above-mentioned circulars, post exhausting the option to resolve their grievances with the RTA/ Bank directly and through existing SCORES platform, the investors can initiate dispute resolution through the ODR Portal at https://smartodr.in/login

14. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank. In view of above, Bank has transferred all unpaid or unclaimed dividends declared by Bank upto financial year 2014-15 to said Fund. The shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on IEPF website at www.iepf.gov.in.

Further, as per amendment to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, all the equity shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more shall also be transferred to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. The details of unclaimed dividends of the shareholders till FY 2014-15 have been hosted on the Bank's website at https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations These shares will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice. Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority. Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the shares so transferred to IEPF.

15. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. As per Regulation 10 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

16. Cut Off / Record date for voting:

1. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Friday, 24th July, 2026,** shall be eligible for voting on **agenda item nos.1 to 8.**

2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Friday, 26th June, 2026,** shall be eligible for voting on **agenda item no. 9.**

17. REMOTE E-VOTING:

In compliance with Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in compliance with SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with **MUFG Intime India Pvt. Limited,** Registrar and Share Transfer agent of the Bank to facilitate remote e-voting.

Pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on "e-voting facility provided by Listed Companies", e-voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ DPs to increase the efficiency of the voting process. Individual demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the e-voting service provider ("ESP") thereby not only facilitating seamless authentication but also ease and convenience of participating in e-voting process. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID with their DPs to access e-voting facility.

The remote e-voting period shall begin on Monday, 27th July, 2026 at 10.00 AM and ends on Thursday, 30th July, 2026 at 05.00 PM. The remote e-voting module shall be disabled by MUFG Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

The process and instructions for remote e-voting and login method for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given as below:

In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated November 11, 2024, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode:

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL

METHOD 1 - NSDL OTP based login

a) Visit URL: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp

b) Enter your 8 - character DP ID, 8 - digit Client Id, PAN, Verification code and generate OTP.

c) Enter the OTP received on your registered email ID/ mobile number and click on login.

d) Post successful authentication, you will be re-directed to NSDL depository website wherein you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services.

e) Click on "MUFG InTime" or "evoting link displayed alongside Company's Name" and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

METHOD 2 - NSDL IDeAS facility

Shareholders registered for IDeAS facility:

a) Visit URL: https://eservices.nsdl.com and click on "Beneficial Owner" icon under "IDeAS Login Section".

b) Enter IDeAS User ID, Password, Verification code & click on "Log-in".

c) Post successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services section. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services.

d) Click on "MUFG InTime" or "evoting link displayed alongside Company's Name" and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

Shareholders not registered for IDeAS facility:

a) To register, visit URL: https://eservices.nsdl.com and select "Register Online for IDeAS Portal" or click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp

b) Enter 8-character DP ID, 8-digit Client ID, Mobile no, Verification code & click on "Submit".

c) Enter the last 4 digits of your bank account / generate 'OTP'

d) Post successful registration, user will be provided with Login ID and password.

e) Follow steps given above in points (a-d).

Shareholders/ Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speed" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience

App Store Google Play

METHOD 3 - NSDL e-voting website

a) Visit URL: https://www.evoting.nsdl.com

b) Click on the "Login" tab available under 'Shareholder/ Member' section.

c) Enter User ID (i.e., your 16-digit demat account no. held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen & click on "Login".

d) Post successful authentication, you will be re-directed to NSDL depository website wherein you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services.

e) Click on "MUFG InTime" or "evoting link displayed alongside Company's Name" and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL

METHOD 1 - CDSL e-voting page

a) Visit URL: https://www.cdslindia.com.

b) Go to e-voting tab.

c) Enter 16-digit Demat Account Number (BO ID) and PAN No. and click on "Submit".

d) System will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile and Email as recorded in Demat Account

e) Post successful authentication, user will be able to see e-voting option. The evoting option will have links of e-voting service providers i.e., MUFG InTime. Click on "MUFG InTime" or "evoting link displayed alongside Company's Name" and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

METHOD 2 - CDSL Easi/ Easiest facility:

Shareholders registered for Easi/ Easiest facility:

a) Visit URL: https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login or Visit URL: www.cdslindia.com, click on "Login" and select "My Easi New (Token)".

b) Enter existing username, Password & click on "Login".

c) Post successful authentication, user will be able to see e-voting option. The evoting option will have links of e-voting service providers i.e., MUFG InTime. Click on "MUFG InTime" or "evoting link displayed alongside Company's Name" and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

Shareholders not registered for Easi/ Easiest facility:

a) To register, visit URL: https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiRegistration / https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/EasiestRegistration.

b) Proceed with updating the required fields for registration.

c) Post successful registration, user will be provided username and password on the registered email id. Follow steps given above in points (a-c).

Individual Shareholders holding securities in demat mode with Depository Participant

Individual shareholders can also login using the login credentials of your demat account through your depository participant registered with NSDL / CDSL for e-voting facility.

a) Login to DP website

b) After Successful login, user shall navigate through "e-voting" option.

c) Click on e-voting option, user will be redirected to NSDL / CDSL Depository website after successful authentication, wherein user can see e-voting feature.

d) Post successful authentication, click on "MUFG InTime" or "evoting link displayed alongside Company's Name" and you will be redirected to InstaVote website for casting the vote during the remote e-voting period.

Login method for shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode.

Shareholders holding shares in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode as on the cut-off date for e-voting may register and vote on InstaVote as under:

STEP 1: LOGIN / SIGNUP on InstaVote

Shareholders registered for INSTAVOTE facility:

a) Visit URL: https://instavote.linkintime.co.in & click on **"Login"** under 'SHARE HOLDER' tab.

b) Enter details as under:

InstaVote USER ID	
NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
Shares hold in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

1. User ID: Enter User ID
2. Password: Enter existing Password
3. Enter Image Verification (CAPTCHA) Code
4. Click "Submit".

   (Home page of e-voting will open. Follow the process given under "Steps to cast vote for Resolutions")

Shareholders not registered for INSTAVOTE facility:

a) Visit URL: https://instavote.linkintime.co.in & click on **"Sign Up"** under 'SHARE HOLDER' tab & register with details as under:

InstaVote USER ID	
NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
Shares hold in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

1. User ID: Enter User ID
2. PAN: Enter your 10-digit Permanent Account Number (PAN) (Shareholders who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided to you, if applicable.
3. DOB/DOI: Enter the Date of Birth (DOB) / Date of Incorporation (DOI) (As recorded with your DP/Company - in DD/MM/YYYY format)
4. Bank Account Number: Enter your Bank Account Number (last four digits), as recorded with your DP/Company.
   - Shareholders, holding shares in **NSDL form,** shall provide 'point 4' above.
   - Shareholders, holding shares in **CDSL form,** shall provide 'point 3' or 'point 4' above.
   - Shareholders, holding shares in **physical form** but have not recorded 'point 3' and 'point 4', shall provide their Folio number in 'point 4' above

5. Set the password of your choice.

   (The password should contain minimum 8 characters, at least one special Character (!#$&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter).

6. Enter Image Verification (CAPTCHA) Code.

7. Click "Submit" (You have now registered on InstaVote).

   Post successful registration, click on **"Login"** under 'SHARE HOLDER' tab & follow steps given above in points (a-b).

STEP 2: Steps to cast vote for Resolutions through InstaVote

A. Post successful authentication and redirection to InstaVote inbox page, you will be able to see the "Notification for e-voting".

B. Select 'View' icon. E-voting page will appear.

C. Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' (If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolution' file link).

D. After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on 'Submit'.

E. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on 'Yes', else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote.

NOTE: Shareholders may click on "Vote as per Proxy Advisor's Recommendation" option and view proxy advisor recommendations for each resolution before casting vote. "Vote as per Proxy Advisor's Recommendation" option provides access to expert insights during the e-Voting process. Shareholders may modify their vote before final submission.

Once you cast your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change it subsequently.

Non-Individual Body corporate shareholders shall send a scanned copy of the board resolution authorising its representative to vote, to the scrutinizer at registered email address with a copy marked to RTA at enotices@in.mpms.mufg.com and the company at registered email address.

Guidelines for Institutional shareholders ("Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund")

STEP 1 – Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund Registration

A. Visit URL: https://instavote.linkintime.co.in

B. Click on "Sign Up" under "Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund"

C. Fill up your entity details and submit the form.

D. A declaration form and organization ID is generated and sent to the Primary contact person email ID (which is filled at the time of sign up). The said form is to be signed by the Authorised Signatory, Director, Company Secretary of the entity & stamped and sent to insta.vote@linkintime.co.in.

E. Thereafter, Login credentials (User ID; Organisation ID; Password) is sent to Primary contact person's email ID. (You have now registered on InstaVote)

STEP 2 – Investor Mapping

A. Visit URL: https://instavote.linkintime.co.in and login with InstaVote Login credentials.

B. Click on "Investor Mapping" tab under the Menu section

C. Map the Investor with the following details:

   1) 'Investor ID' – Investor ID for NSDL demat account is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID i.e., IN00000012345678; Investor ID for CDSL demat account is 16 Digit Beneficiary ID.

   2) 'Investor's Name - Enter Investor's Name as updated with DP.

   3) 'Investor PAN' - Enter your 10-digit PAN.

   4) 'Power of Attorney' - Attach Board resolution or Power of Attorney.

   NOTE: File Name for the Board resolution/ Power of Attorney shall be – DP ID and Client ID or 16 Digit Beneficiary ID.

   Further, Custodians and Mutual Funds shall also upload specimen signatures.

D. Click on Submit button. (The investor is now mapped with the Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund Entity). The same can be viewed under the "Report section".

STEP 3 – Steps to cast vote for Resolutions through InstaVote

The corporate shareholder can vote by two methods, during the remote e-voting period.

METHOD 1 - VOTES ENTRY

a) Visit URL: https://instavote.linkintime.co.in and login with InstaVote Login credentials.

b) Click on "Votes Entry" tab under the Menu section.

c) Enter the "Event No." for which you want to cast vote.

   Event No. can be viewed on the home page of InstaVote under "On-going Events".

d) Enter "16-digit Demat Account No.".

e) Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' (If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolution' file link). After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on 'Submit'.

f) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on 'Yes', else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote.

   (Once you cast your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change it subsequently).

METHOD 2 - VOTES UPLOAD

a) Visit URL: https://instavote.linkintime.co.in and login with InstaVote Login credentials.

b) After successful login, you will see "Notification for e-voting".

c) Select "View" icon for "Company's Name / Event number".

d) E-voting page will appear.

e) Download sample vote file from "Download Sample Vote File" tab.

f) Cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' in the sample vote file and upload the same under "Upload Vote File" option.

g) Click on 'Submit'. 'Data uploaded successfully' message will be displayed.

(Once you cast your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change it subsequently).

NOTE: **Non-Individual Body corporate shareholders** shall send a scanned copy of the board resolution authorising its representative to vote, to the scrutinizer at registered email address with a copy marked to RTA at enotices@in.mpms.mufg.com and the company at registered email address.

HELPDESK:

Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode:

Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode facing any technical issue in login may contact INSTAVOTE helpdesk by sending a request at enotices@in.mpms.mufg.com or contact on: - Tel: 022 – 4918 6000.

Individual Shareholders holding securities in demat mode:

Individual Shareholders holding securities in demat mode may contact the respective helpdesk for any technical issues related to login through Depository i.e., NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending request at evoting@nsdl.co.in or call at: 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

Forgot Password:

Individual Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode:

Individual Shareholders holding securities in physical mode / Non-Individual Shareholders holding securities in demat mode have forgotten the USER ID [Login ID] or Password or both then the shareholder can use the "Forgot Password" option available on: https://instavote.linkintime.co.in

InstaVote USER ID	
NSDL	User ID is 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID (e.g.IN123456) and 8 digit Client ID (eg.12345678).
CDSL	User ID is 16 Digit Beneficiary ID.
Shares held in physical form	User ID is Event No + Folio no. registered with the Company

- Click on **"Login"** under 'SHARE HOLDER' tab.
- Further Click on **"forgot password?"**
- Enter User ID, select Mode and Enter Image Verification code (CAPTCHA).
- Click on "SUBMIT".

In case Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund has forgotten the USER ID [Login ID] or Password or both then the shareholder can use the "Forgot Password" option available on: https://instavote.linkintime.co.in

- Click on 'Login' under "Custodian / Corporate Body/ Mutual Fund" tab
- Further Click on **"forgot password?"**
- Enter User ID, Organization ID and Enter Image Verification code (CAPTCHA).
- Click on "SUBMIT".

In case shareholders have a valid email address, Password will be sent to his / her registered e-mail address. Shareholders can set the password of his/her choice by providing information about the particulars of the Security Question and Answer, PAN, DOB/DOI etc. The password should contain a minimum of 8 characters, at least one special character (!#$&), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter.*

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL/ CDSL has forgotten the password:

Individual Shareholders holding securities in demat mode have forgotten the USER ID [Login ID] or Password or both, then the Shareholders are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned depository/ depository participants website.

General Instructions - Shareholders

- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- For shareholders/ members holding shares in physical form, the details can be used only for voting on the resolutions contained in this Notice.
- During the voting period, shareholders/ members can login any number of time till they have voted on the resolution(s) for a particular "Event".
  - Any person who becomes a member of the Bank after sending of the Notice of the Meeting vide e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 24th July, 2026, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.
  - A copy of this notice is being made available on the website of the Bank and also on the website of MUFG Intime India Pvt. Limited.

18. Scrutinizers at remote e-voting / voting at the Meeting:

- **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO,** Company Secretaries, Thane has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and voting process at AGM in a fair and transparent manner.

19. Results of remote evoting and voting at the Meeting:

- The Scrutinizer shall within a period not exceeding two (2) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations and on the website of MUFG Intime India Pvt. Limited within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

20. Outcome of Meeting:

The resolution shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolutions.

21. Recorded Transcript/Proceeding of the Meeting:

Proceeding of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations as soon as possible.

22. Instructions for e-voting and joining the Annual General Meeting are as follows:

In terms of Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 03/2025 dated 22.09.2025, the companies can continue to conduct AGMs by VC or OAVM, as per the existing procedural requirements. Till further orders, the relaxations will remain in force.

Shareholders are advised to update their mobile number and email Id correctly in their demat accounts to access InstaMeet facility.

Login method for shareholders to attend the General Meeting through InstaMeet:

a) Visit URL: https://instameet.in.mpms.mufg.com & click on **"Login"**.

b) Select the "Company Name" and register with your following details:

c) Select Check Box - **Demat Account No. / Folio No. / PAN**

- Shareholders holding shares in NSDL/ CDSL demat account shall select check box - Demat Account No. and enter the 16-digit demat account number.
- Shareholders holding shares in physical form shall select check box – Folio No. and enter the Folio Number registered with the company.
- Shareholders shall select check box – PAN and enter 10-digit Permanent Account Number (PAN). Shareholders who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided by MUFG Intime, if applicable.
- Mobile No: Mobile No. as updated with DP is displayed automatically. Shareholders who have not updated their Mobile No with the DP shall enter the mobile no.
- Email ID: Email Id as updated with DP is displayed automatically. Shareholders who have not updated their Email Id with the DP shall enter the Email Id.

d) Click "Go to Meeting"

You are now registered for InstaMeet, and your attendance is marked for the meeting.

Instructions for Shareholders to Vote during the General Meeting through InstaMeet:

Once the electronic voting is activated during the meeting, shareholders who have not exercised their vote through the remote e-voting can cast the vote as under:

a) On the Shareholders VC page, click on link "Cast your vote".

b) Enter your 16-digit Demat Account No. / Folio No. and OTP (received on the registered mobile number/ registered email Id) received during registration for InstaMeet.

c) Click on 'Submit'.

d) After successful login, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.

e) Cast your vote by selecting appropriate option i.e. "Favour/ Against" as desired. Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/ Against'.

f) After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "Save". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm

your vote, click on "Confirm", else to change your vote, click on "Back" and accordingly modify your vote. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.

Note:

Shareholders/ Members, who will be present in the General Meeting through InstaMeet facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting facility during the meeting.

Shareholders/ Members who have voted through Remote e-Voting prior to the General Meeting will be eligible to attend/ participate in the General Meeting through InstaMeet. However, they will not be eligible to vote again during the meeting.

Shareholders/ Members are encouraged to join the Meeting through Tablets/ Laptops connected through broadband for better experience.

Shareholders/ Members are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Please note that Shareholders/ Members connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Visual loss due to fluctuation in their network. It is therefore recommended to use stable Wi-FI or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Helpdesk:

Shareholders facing any technical issue in login may contact INSTAMEET helpdesk by sending a request at instameet@in.mpms.mufg.com or contact on: - Tel: 022 – 4918 6000 / 4918 6175.

Instructions for Shareholders/Members to register themselves as Speakers for Annual General Meeting:

Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may send their questions and register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail: investors@centralbank.bank.in from 24th July, 2026 at 10.00 am to 27th July, 2026 at 5.00 pm.

Note:

Those shareholders/members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the Annual General Meeting.

**Shareholders are requested to speak only when moderator of the meeting/ management will announce their name and serial number for speaking.*

Shareholders/ Members should use camera and are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

EXPLANATORY STATEMENT

Agenda Item No. 3

To approve the appointment of Shri Baldeo Purushartha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of Bank.

In exercise of powers under clause (b) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification Ref eF.No.6/2(ii)/2022-BO.I dated 24th July, 2025 has appointed Shri Baldeo Purushartha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of Central Bank of India with effect from 24.07.2025 and until further orders. Further, the Central Government vide its Notification dated 19th June, 2026 has nominated Shri Chandradeep Kumar Jha in place of Shri Baldeo Purushartha. Thus, Shri Baldeo Purushartha has ceased to be a Director of Bank with effect from 19th June, 2026.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is sought in the AGM for appointment of **Shri Baldeo Purushartha** as the Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of the Bank from 24th July, 2025 till 19th June, 2026.

Brief profile of **Shri Baldeo Purushartha** in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter:

Name	**Shri Baldeo Purushartha**
DIN	07570116
Age	52 years
Nationality	Indian
Date of Appointment	24th July, 2025 till 19th June, 2026
Education Qualifications	M.A. (History)
Brief resume including expertise in specific functional areas	Shri Baldeo Purushartha was appointed as Government Nominee Director of Bank w.e.f 24th July, 2025 till 19th June, 2026. He joined the Indian Administrative Service (IAS) in 2002. Before joining as Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, he served as Secretary, Lokpal and Divisional Commissioner, Jalandhar, Punjab. He has also served in various field and secretariat positions in the Government of Punjab and Government of India. Among the posts, he held the post of Private Secretary to Union Minister of State (Independent Charge) in the Ministry of Housing and Urban Affairs; Director, Industries and Commerce Department, Punjab; Director, Technical Education and Industrial Training, Punjab, Commissioner, NRI, Punjab and Special Secretary, Expenditure, Punjab. He also represented Government of India as Director in the Executive Board of International Fund for Agricultural Development and as Alternate Director in the Board of New Development Bank and Asian Infrastructure Investment Bank, as Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Ltd., (IIFCL), Indian Railway Station Development Corporation Ltd., (IRSDCL), Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFCL), National Investment and Infrastructure Fund Trustee Limited (NIIFTL), National Land Monetization Corporation Limited (NLMCL), ONGC Videsh Ltd., Chandigarh Smart City Ltd., and AI Assets Holding Ltd.
Directorships held in other companies	Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) Limited - Nominee Director
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)- Listed Company Nomination and Remuneration Committee - Chairman Audit Committee - Member
Disclosure of relationships between Directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the Director has resigned in the past three years	Nil

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and Sitting fees paid to the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Integrated Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 4

To approve the extension of term of Shri M V Murali Krishna as an Executive Director on the Board of the Bank.

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification No. eF.No.4/4(vii)/2024-BO.I dated 15th September, 2025 has extended term of appointment of Shri M V Murali Krishna as an Executive Director on the Board of the Bank w.e.f 15.09.2025 beyond his existing notified term which ended on 30th November, 2025 till the date of his superannuation i.e. 31st July, 2027 or until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is sought in the AGM for appointment of **Shri M V Murali Krishna** as an Executive Director on the Board of the Bank.

Brief profile of **Shri M V Murali Krishna** in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Name	**Shri M V Murali Krishna**
DIN	09021111
Age	59 years
Nationality	Indian
Date of Appointment	01st December, 2022
Education Qualifications	MBA (Banking & Finance)
Brief resume including expertise in specific functional areas	Shri M V Murali Krishna assumed charge as an Executive Director of Central Bank of India w.e.f. 1st December, 2022. Before his elevation to this current position, he served as Chief General Manager at Bank of Baroda. His last posting in Bank of Baroda was Head of Corporate & Institutional Credit -Large Corporate. An MBA in Banking and Finance, he began his career with Bank of Baroda as Probationary Officer and has over three decades of professional banking experience in leadership roles. His expertise extends to all major areas of banking, including Corporate Credit, International Operations, Rural and Agriculture Banking, Financial Inclusion, NRI business etc. During his long stint in the Banking Industry, he worked from branches to regional offices and from overseas territory to corporate office. He successfully handled the responsibilities such as Head of Large Corporate, Head of international Operations, Head of Rural & Agriculture Department and Head of Financial Inclusion Department. He also served as a Director on the Board of BOB Capital Finance Ltd, Baroda Gujarat Gramin Bank and AFC Ltd (Agriculture Finance Corporation).
Directorships held in other companies	1. Cent Bank Financial Services Ltd. Unlisted Company (Chairman) 2. Cent Bank Home Finance Ltd. Unlisted Company (Chairman) 3. Generali Central Insurance Co. Ltd. Unlisted Company (Nominee Director)
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Nil
Disclosure of relationships between Directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the Director has resigned in the past three years	Nil

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and Sitting fees paid to the Director in his earlier term, please refer to the Corporate Governance Report in the Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 5

To approve the appointment of Shri Kalyan Kumar as Managing Director and Chief Executive Officer on the Board of the Bank.

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification Ref eF.No.4/3(ii)/2024-BO.I dated 30th September, 2025 has appointed Shri Kalyan Kumar as Managing Director and Chief Executive Officer on the Board of Central Bank of India with effect from 30.09.2025, for a period of three years or until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is sought in the AGM for appointment of **Shri Kalyan Kumar** as Managing Director and Chief Executive Director on the Board of the Bank.

Brief profile of **Shri Kalyan Kumar** in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter:

Name	**Shri Kalyan Kumar**
DIN	09631251
Age	57 years
Nationality	Indian
Date of Appointment	30th September, 2025
Education Qualifications	M.Sc. (Agriculture)
Brief resume including expertise in specific functional areas	Shri Kalyan Kumar assumed charge as MD & CEO of Central Bank of India w.e.f. 30th September, 2025. Prior to joining Central Bank of India, Shri Kumar served as an Executive Director of Punjab National Bank. He is a Post Graduate in science from Rajendra Prasad Agriculture University, Pusa. He is also a Certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and holds various certifications in Trade Finance, SME Finance, IT Security and KYC-AML from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF). He started his journey in Union Bank of India as Rural Development Officer in 1995 and has served the Bank for more than 26 years in various capacities. He worked as the Branch Head in various categories of branches which also include VLBs (Very Large Branches). He was also the Principal of the Staff Training College. In the Corporate Office, he aided in the Bank's Business Process Transformation, Credit Review & Monitoring and Vigilance. The successful amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India was steered under his supervision and control. He also served as Chairman on the Board of its two subsidiaries of PNB i.e. PNB Gilts Ltd. and PNB Cards & Services Ltd., Nominee member of Board of Governors of Management Development Institute (MDI) Society, SCB Nominee Director on the Board of IIFCL and as Chairman on the Board of NIBSCOM. At present, he is serving as Member of Management Committee of Indian Bank Associations (IBA), Member of CII National Committee on Banking, Governing Board Member of Indian Institute of Bank Management (IIBM) and External Member of College Advisory Committee of College of Agriculture Banking, RBI.

	Shri Kumar has undergone the FSIB Training Program for Top Leadership Development and Director Development Programme, conducted by Egon Zehnder in collaboration with Harvard University.
Directorships held in other companies	Nil
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Nil
Disclosure of relationships between Directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the Director has resigned in the past three years	Nil

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and Sitting fees paid to the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Integrated Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 6

To approve the appointment of Shri E. Ratan Kumar as an Executive Director on the Board of the Bank.

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification Ref eF.No.4/4(ii)/2024-BO.I dated 24th November, 2025 has appointed Shri. E. Ratan Kumar as an Executive Director on the Board of Central Bank of India with effect from 24.11.2025, for a period of three years or until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is sought in the AGM for appointment of **Shri E. Ratan Kumar** as an Executive Director on the Board of the Bank.

Brief profile of **Shri E. Ratan Kumar** in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter:

Name	**Shri E. Ratan Kumar**
DIN	10686007
Age	57 years
Nationality	Indian
Date of Appointment	24th November, 2025
Education Qualifications	M. Tech (Computer Science)
Brief resume including expertise in specific functional areas	Shri E. Ratan Kumar assumed charge as an Executive Director of Bank w.e.f 24th November, 2025. Prior to this, he served as Chief General Manager of Central Bank of India. He is a B. E. (Computer Science) from Allahabad University and M. Tech, from Hyderabad University and holds Master of Financial Management from NMIMS – Mumbai University. Shri E. Ratan Kumar started his banking journey in Central Bank of India in Executive cadre in the year 1997 and has diversified banking experience of around 35 years spread across Banking and IT areas. He headed erstwhile Hyderabad Region and Bhubaneshwar Region as Senior Regional Manager and Hyderabad Zone as the Zonal Manager. He have a varied Experience both in Operational Banking and Technology with a strong insights of Process Re-engineering, he brings a rich and impactful knowledge to the Organisation. As Chief General Manager–Technology, he initiated various Digital initiatives and spearheading the most important Project "Digital Strategy and Transformation" in the Bank.

Directorships held in other companies	1. Cent Bank Financial Services Ltd. - Unlisted Company (Nominee Director)
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Nil
Disclosure of relationships between Directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the Director has resigned in the past three years	Nil

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and Sitting fees paid to the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Integrated Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 7

To approve the appointment of Shri Chandradeep Kumar Jha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of Bank.

In exercise of powers under clause (b) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification Ref eF.No.6/2(i)/2022-BO.I dated 19th June, 2026 has appointed Shri Chandradeep Kumar Jha as Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of Central Bank of India with effect from 19.06.2026 and until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is sought in the AGM for appointment of **Shri Chandradeep Kumar Jha** as the Government Nominee Director (Non- Executive) on the Board of the Bank.

Brief profile of **Shri Chandradeep Kumar Jha** in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter:

Name	**Shri Chandradeep Kumar Jha**
DIN	11417133
Age	50 years
Nationality	Indian
Date of Appointment	19th June, 2026
Education Qualifications	Masters in Statistics
Brief resume including expertise in specific functional areas	Shri Chandradeep Kumar Jha (ISS:2000) was appointed as Government Nominee Director of Bank w.e.f 19th June, 2026. He brings over two decades of distinguished service in various key positions within the Government of India. He holds a Master's Degree in Statistics from the University of Delhi. Presently, he is serving as the Statistical Advisor in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India. He has a rich and diverse experience of working in the organisations under Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), Ministry of Commerce & Industry (MoCI) and Ministry of Home Affairs (MHA), Government of India. Throughout his career, he has made significant contributions in the areas of data analysis, coordination, planning, supervision, policy formulation, development of infrastructure projects and monitoring. His expertise covers a wide range of areas including international cooperation in statistical matters, national statistical system reforms, ease of doing business, industrial development and the implementation of key government initiatives.

	He is also a Government Nominee Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), a Part-time Member of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) and a member of Board of Governors of Management Development Institute (MDI), Gurgaon.
Directorships held in other companies	Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) - Listed Company - Nominee Director
Memberships / Chairmanships of committees of other companies	Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) - Listed Company Audit Committee – Member Stakeholder Relationship Committee – Member Nomination and Remuneration Committee - Member
Disclosure of relationships between Directors inter-se	No relationship per se.
Listed entities from which the Director has resigned in the past three years	Nil

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and Sitting fees paid to the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Integrated Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No.8

To consider raising of Equity capital aggregate upto ₹7000/- crore through various modes like QIP/FPO/Rights Issue.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 9.50% and overall CRAR of 11.50%. The Bank will be requiring capital to meet the prescribed capital adequacy ratio (CRAR). The CRAR of the Bank during the FY 2025-26 is 17.91% (Tier I – 15.61% (includes CCB), Tier II – 2.30%)

Keeping in view of increase in Business projection of 14%-15%, to maintain health CRAR in F.Y. 2026-27 and to increase public shareholding in Bank, Bank has decided to raise the equity capital aggregate upto ₹7000/- Crore through various modes like QIP/FPO/Rights issue. These options will be exercised by the Bank as per the requirement and based on the prevailing market conditions.

The said equity capital will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI.

The Board of Directors at their meeting held on 30th April, 2026 had given their approval to raise capital upto ₹7000/- crore through the different available options.

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2026 is 17.91%. The Authorized Capital of the Bank is, at present, ₹10000/- crore. The Paid-up Equity Share capital of the Bank as on 31st March, 2026 is ₹9051.40 Crore.

The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factory.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

- ✓ The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be, pursuant to Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- ✓ As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required;
- ✓ The issue and allotment of fully paid equity shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 365 days of the date of passing the above Resolution;
- ✓ The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- ✓ The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;
- ✓ The eligible securities allotted under the qualified institutions placement shall not be sold by the allottee for a period of one year from the date of allotment except on recognized Stock exchange.
- ✓ The Bank, its Promoter or Directors is not a fugitive economic offender.
- ✓ The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No.9

ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

i. As per Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, where the capital issued under clause (c) of sub section 2B of Section 3 is more than sixteen per cent of the total paid up capital of the Bank, the Board of Bank should have 02 (two) Directors duly elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves.

ii. As per the above guidelines and in view of public shareholding of Bank being increased from 10.73% to 18.81% after the conclusion of Offer for Sale (OFS) issue announced by promoter of Bank in May 2026, the Bank is entitled to have 02 Directors, elected from amongst Shareholders, other than the Central Government. At present, Bank is having one Shareholder Director Shri Sarada Kumar Hota on the Board and is required to appoint another Shareholder Director on its Board.

iii. The Board at its meeting held on 03rd June, 2026 has approved to conduct the election to fill-in this vacancy arisen of One Shareholder Director on the Board of the Bank.

iv. The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Acts / Scheme /Regulations / Notification /Directions RBI. Upon receipt of nomination of candidature duly filled in all respects, scrutiny of nomination will be completed by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 Section 16 (1) Section 20 Section 51	• Substantial Interest. • Prohibition of Common Director • Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its director • Applicability of certain sections of Act to a corresponding new Bank.

ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E)	• Restriction on voting rights.
	Section 9(3)(i)	• No. of directors to be elected by the shareholder
	Section 9 (3A) (A) to (C)	• Special Knowledge in certain fields.
	Section 9 (3AA)	• No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9 (3AB)	• RBI may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.
	Section 9 (3B)	• Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Sections 9 (3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	• Obligation as to fidelity and secrecy.
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4)	• Term of office of elected directors
	Clause 10	• Disqualifications from being elected as a Director of the bank
	Clause 11	• Vacation of office of Directors
	Clause 11A	• Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	• Filling of Casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	• Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested
Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10	• Exercise of rights of joint holders
	Regulation 63	• Directors to be elected at general meetings
	Regulation 64	• List of Shareholders
	Regulation 65	• Nomination of candidates for election
	Regulation 66	• Scrutiny of nominations
	Regulation 67	• Election disputes
	Regulation 68	• Determination of voting rights
	Regulation 69	• Voting by duly authorized representative
RBI (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	• Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	Regulation 16 and 25	Provisions relating to Independent Director
The Companies Act, 2013	Section 2(77), 89, 90, 164, 184	Provisions relating to Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from The Acts, The Regulation Act, The Scheme / The Regulations as well as RBI Master Directions will be made available on the Bank's website i.e. https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations which can be viewed / downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Central Bank of India at its Central Office at investors@centralbank.bank.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms for election process viz., **Thursday, 16th July, 2026 by 05.00 pm.**

PARTICIPATION IN ELECTION:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified / Cut off Date i.e., on **Friday, 26th June, 2026** shall be entitled to participate i.e., Nominate, Contest and Vote in election of one Director from amongst Shareholders, other than the Central Government. It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the agenda no.8 i.e. Election of Director, but may attend the AGM as an Observer.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9(3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, as detailed herein:

(a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall -

  (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely,-

    i) agricultural and rural economy,

    ii) banking,

    iii) co-operation,

    iv) economics,

    v) finance,

    vi) law,

    vii) small scale industry,

    viii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India, be useful to the Bank; (RBI vide its Master Directions on Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

  (B) represent the interests of depositors; or

  (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

(b) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Master Directions, a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

(c) Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred to it under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and sub-sections (2) of Section 19A of the State Bank of India Act, 1955 and sub-sections (3AA) & (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 has issued Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 which inter-alia lays down "Fit and Proper" Criteria for the persons being elected as Directors on the Board of the PSBs under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970.

(d) Further, the elected Directors will have to execute a deed of covenants, be subjected to Code of Conduct of the Bank and are required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India/other regulatory authorities in this regard.

DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being, a director –

  (a) if he/she has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

  (b) if he/she has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or

  (c) if he/ she has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or

  (d) If he/she holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

and

(B) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Governance) Directions, 2025 dated 28.11.2025, by the Nomination and Remuneration Committee/Board of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

In terms of Regulation 64 of Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2008, a list of Shareholders of the Bank as on Friday, 26th June, 2026 will be available for shareholders of Bank from Monday, 29th June, 2026 onwards on prepayment of ₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) by Demand draft in favour of "Central Bank of India" payable at Mumbai alongwith a request letter addressed to the Assistant General Manager - Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021 or at investors@centralbank.bank.in with an undertaking that the list will be used only for canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever. The intending candidates may also inspect the List of Shareholders and take extracts there from.

INSPECTION OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank from Monday to Saturday between 11 A.M. to 3 P.M. (other than second & fourth Saturday and Bank Holidays). If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹5/- for 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL/RTA as on Friday, 26th June, 2026 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

NOMINATIONS:

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations, RBI Master Directions and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

(a) he/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank as on Friday, 26th June, 2026 being the Specified Date for participating in the election;

(b) as on Thursday, 16th July, 2026 (the last date for receipt of nominations), he/she is not disqualified to be a director under the Act, the Scheme or RBI Master Directions;

(c) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Central Office of the Bank addressed to Assistant General Manager – Company Secretary, Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company;

(d) the nomination by the shareholders of Bank (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he/she is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations or the RBI Master Directions alongwith his/her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

(e) The Nomination Forms and Declaration Form as prescribed in the Regulations/ RBI Master Directions is annexed to the AGM Notice. The said forms will also be made available on website of Bank at https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors should submit

a) duly filled in Declaration Form;

b) nominations from minimum of 100 shareholders of Bank entitled to participate in the elections;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the concerned documents, testimonials, viz., Bio data, Certificates of Educational qualification, work experience, etc. in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope superscribing **thereon "Central Bank of India Election of Director – July 2026"** in person or through Regd. Post / Courier addressed to the Assistant General Manager –Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, Tel No. 022 6638 7818/ 7575 together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Thursday, 16th July, 2026.**

SCRUTINY OF NOMNATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

a) Nominations shall be scrutinized on **Friday, 17th July, 2026,** the next working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.

b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors as the case may be, in terms of RBI and other applicable guidelines.

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / the Board of Directors seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature

c) If there is only ONE valid nomination for the ONE vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be proposed by way of a Resolution pursuant to Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations read with Section 9(3)(i) of the Banking Companies Act at the AGM, wherein only shareholders other than the Central Government shall be entitled to vote. The candidate shall be declared elected, if and only if, the said Resolution is passed with majority. The newly elected director will assume office from Saturday, 01st August, 2026 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.

d) If the valid nominations are more than ONE, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate having the majority of

votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be announced by the Chairman of the AGM and also published in newspapers. The candidate so elected will assume office as Director of Bank on Saturday, 01st August, 2026.

e) If there is any dispute, the same shall be settled as per Regulation 67 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his /her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on or before **4.00 pm, Friday, 24th July, 2026** by sending a signed letter addressed to the Assistant General Manager – Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 or soft copy of signed letter over e-mail at investors@centralbank.bank.in.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Date: 23rd June, 2026
Place: Mumbai

(Chandrakant Bhagwat)
Company Secretary & Compliance Officer

DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt_____son/daughter/wife of Shri/Smt. _____

_____, residing at_____

_____ hereby confirm that:

a. I am a shareholder holding _____ equity shares of ₹10/- each (fully paid up) of **CENTRAL BANK OF INDIA** under Folio No. _____/DP ID No._____/Client ID No. _____ as on **Friday, 26th June, 2026 being the Cut-off/Specified Date** for participating in the Elections and

b. I have special knowledge or practical experience in *(i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-operation, (iv) Economics, (v) Finance, (vi) Law, (vii) Small Scale Industry, or any other matter the special knowledge of Information Technology /Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc., and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank and I represent the interest of Depositors / Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, (tick whichever is applicable) and

c. I accept the nominations numbered from _____ to _____, and

d. I am willing to contest the election for Director of **Central Bank of India,** and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of The Banking Regulations Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended, and the relevant notifications/directions issued by RBI with regard to Shareholder Directors of Public Sector Banks;

f. I am not disqualified under the Companies Act, 2013.

g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

h. I further declare that:

i. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors;

ii. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude;

iii. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court;

iv. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of three years thereafter; and

v. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

vi. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/ RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

vii. I am not engaging in the business of stock broking.

viii. I am not holding the position of a Member of Parliament or State legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)

ix. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized bank or State Bank of India.

x. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Central Bank of India.

xi. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Central Bank of India nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Central Bank of India.

xii. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.

xiii. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.

i. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI) before assuming office as a director;

j. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank;

k. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

l. I enclose my personal Information details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects.

Name
Signature
No. of Shares
Regd. Folio No. **(If not Dematerialised)**
DP ID No. and Client ID No. **(If Dematerialised)**
Place
Date

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and _____

Name of the attesting official _____

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

* Tick whichever is applicable.

NOMINATION FORM

(BY THE SHAREHOLDER)

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To,
The Managing Director and Chief Executive Officer
Central Bank of India
Central Office,
Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai 400021

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 23rd June, 2026, I, Shri/Smt_____ a shareholder of Central Bank of India, holding _____ equity shares of ₹10/- each (fully paid up) as on **Friday, 26th June, 2026** being the Cut-off/Specified Date for the purpose of participation in the election, do hereby **nominate** Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____ residing at _____ _____ _____ for being elected as a Director of Central Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the 19th Annual General Meeting of the shareholders to be held on **Friday, 31st July, 2026**.

Signature
Name
No. of Shares held
Regd. Folio No. **(If not Dematerialised)**
DP ID No. and Client ID No. **(If Dematerialised)**
Place
Date

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidate should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to rejected.

FORMAT FOR PROVIDING PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

CENTRAL BANK OF INDIA

Affix Self Attested Passport Size Photo here

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____2026

I.	**Personal details of the candidate**	
1.	Name in Full (in block capital letters)	First Name Middle Name Last Name
2.	Father's Name (in Full)	
3.	Gender (M/F/others)	Male/Female/Others
4.	Present Address (For correspondence)	
5.	E-mail address & alternate e-mail addresss: Telephone Number with STD code: Mobile Number:	
6.	Nationality	
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	
8.	Education qualification	
9.	Director Identification Number (DIN)	
10.	Aadhaar Number	
11.	a) Permanent Account Number (PAN). b) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed. c) Details of filing of return(s) and payment of taxed for past 3 years	
12.	Permanent Address	
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.	
14.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)	
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.	

Date of filing	Amount of tax paid (INR)

16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): b) Date of registration with the ICAI: c) Name and Address of the registered firm/s: d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:	
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	

Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number

18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)	
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:	
II.	**Relevant Relationships of proposed director**	
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:	
21.	List of entities in which: a) interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):	
22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)4 of the Banking Regulation Act, 1949.	

Name of the Company/firm
Country of incorporation
Number of shares
Face Value of each share
Total face value of share holding
Shareholding as % of total Paid up Capital
Beneficial interest (in value as well as % terms)
Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013

23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.	
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).	
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.	
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.	

27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.	
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.	
III.	**Records of professional achievements**	
29.	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV.	**Proceedings, if any, against the proposed director**	
30.	a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof.	
	b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37.	a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof	
	b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	

V.	General Information	
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI.	In the interest of disclosure and transparency, should there be **any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.**	

Undertaking

I, ... Son/Daughter/wife of Shri/Smt .... confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my election as a shareholder director of the bank, which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of Covenant required to be executed by the directors of the bank.

Place :

Date : **Signature of the Candidate**

Enclosures :

Note:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observations of the Nomination and Remuneration Committee / Board of Directors

Signature of the Chair of the NRC/ Board of Directors

Date:

Place:

BUSINESS ANALYSIS

PARAMETERS	MAR.17	MAR.18	MAR.19	MAR.20	MAR.21	MAR.22	MAR-23	MAR-24	MAR-25	MAR-26
Total Business	4,49,679	4,72,323	4,67,584	4,86,007	5,06,886	5,32,404	5,77,075	6,36,756	7,02,798	8,12,439
YoY Growth	-1.46%	5.04%	-1.00%	3.94%	4.30%	5.03%	8.39%	10.34%	10.73%	15.60%
Total Deposits	2,96,671	2,94,839	2,99,855	3,13,763	3,29,973	3,42,692	3,59,296	3,85,011	4,12,697	4,67,923
YoY Growth	11.45%	-0.62%	1.70%	4.63%	5.17%	3.85%	4.85%	7.16%	7.19%	13.38%
Total Loans & Advances	1,53,008	1,77,484	1,67,729	1,72,244	1,76,913	1,89,712	2,17,779	2,51,745	2,90,101	3,44,516
YoY Growth	-19.53%	16.00%	-5.50%	2.69%	2.71%	7.23%	14.79%	15.60%	15.24%	18.76%
Investments	93,792	1,05,295	1,29,219	1,47,358	1,53,820	1,46,759	1,42,653	1,49,538	1,43,032	1,58,832
YoY Growth	4.34%	12.26%	22.72%	14.03%	4.39%	-4.59%	-2.80%	4.83%	-4.35%	11.05%
CD Ratio	51.57%	60.20%	55.94%	54.90%	53.61%	55.63%	60.86%	65.59%	70.53%	73.80%
Return on Assets	-0.80%	-1.61%	-1.70%	-0.35%	-0.26%	0.30%	0.44%	0.63%	0.86%	0.89%

PROFITABILITY

PARAMETERS	MAR.17	MAR.18	MAR.19	MAR.20	MAR.21	MAR.22	MAR-23	MAR-24	MAR-25*	MAR-26
Gross Income	27,537	26,659	25,052	27,200	25,846	25,770	29,626	35,434	39,308*	42,342
YoY Growth	-1.03%	-3.19%	-6.03%	8.57%	-4.98%	-0.29%	14.96%	19.60%	10.93%	7.72%
Gross Expenses	24,448	23,926	21,925	22,856	21,267	20,028	22,742	28,071	31,184*	33,863
YoY Growth	-2.92%	-2.14%	-8.36%	4.25%	-6.95%	-5.83%	13.55%	23.43%	11.09%	8.59%
Operating Profit	3,089	2,733	3,127	4,344	4,579	5,742	6,884	7,363	8,124	8,479
YoY Growth	16.92%	-11.52%	14.42%	38.92%	5.41%	25.40%	19.89%	6.96%	10.34%	4.37%
Net Profit/Loss	-2,439	-5,105	-5,641	-1,121	-888	1,045	1,582	2,549	3,785	4,369
YoY Growth	-72.00%	-109.31%	-10.50%	80.13%	-20.79%	217.68%	51.39%	61.13%	48.49%	15.43%
NIM (%)	2.51%	2.47%	2.54%	2.80%	2.78%	3.21	3.47%	3.40%	3.40%	3.07%
Net Interest Income	6,574	6,517	6,773	7,629	8,245	9,487	11,687	12,896	13,897	14,171
YoY Growth	-6.95%	-0.88%	3.93%	12.64%	8.07%	15.06%	23.19%	10.34%	7.76%	1.97%
Non Interest Income	2,876	2,623	2,413	3,637	3,116	2,968	4,084	4,712	5,642*	6,316
YoY Growth	48.40%	-8.80%	-8.01%	50.73%	-14.32%	-4.75%	37.60%	15.38%	19.74%	11.95%

* Figures of March25 have been recalculated/regrouped wherever necessary to conform the current year classification

Directors' Report 2025-26

Dear Members,

Your Directors have pleasure in presenting the Integrated Annual Report of the Bank along with the Audited Statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the financial year ended March 31, 2026.

1. Performance Highlights:

- Total Business of the Bank stood at ₹812439 crore as at March 31, 2026 compared to ₹702798 crore as at March 31, 2025.
- Total Deposits stood at ₹467923 crore as against ₹412697 crore in March 31, 2025.
- Total Advances of the Bank stood at ₹344516 crore as against ₹290101 crore in March 31, 2025.
- Total Income for the financial year ended March 31, 2026 was ₹42342 crore as compared to ₹39308 crore for the financial year ended March 31, 2025.
- Non-Interest Income of the Bank stood at ₹6316 crore for the financial year ended March 31, 2026 compared to ₹5642* crore for the financial year ended March 31, 2025.
- Operating Profit of the Bank increased to ₹8479 crore for the financial year ended March 31, 2026 as compared to ₹8124 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2025 showing increase of 4.37%.
- The Bank has earned Net Profit of ₹4369** crore for the financial year ended March 31, 2026 as compared to Net profit of ₹3785 crore during previous financial year ended March 31, 2025.
- Business per employee increased to ₹23.89 crore during the financial year ended March 31, 2026 from ₹21.31 crore in the previous financial year ended March 31, 2025.
- Capital Adequacy Ratio (as per Basel-III) stood at 17.91% with Tier I at 15.61% and Tier II at 2.30% for the financial year ended March 31, 2026. (Bank has computed Capital Ratio after adjustment for reckoning NPV of non-interest bearing recapitalization bond issued by Government of India).
- Net worth stood at ₹34599.72 crore as on March 31, 2026.
- Cash Recovery (including sale of NPA & written off accounts) is ₹3418 crore in the financial year ended March 31, 2026 as compared to ₹3396 crore in the previous financial year ended March 31, 2025.
- Gross NPA to Gross Advances improved to 2.67% as on March 31, 2026 from 3.18% as on March 31, 2025.
- Net NPA to Net Advances reduced to 0.49% as on March 31, 2026 as against 0.55% as on March 31, 2025.
- Provision Coverage Ratio reduced to 95.97% as on March 31, 2026 from 96.54% as on March 31, 2025.
- Net Interest Margin (NIM) reduced to 3.07% as on March 31, 2026 from 3.40% as on March 31, 2025.
- Return on Assets (ROA) improved to 0.89 % for March 2026, from 0.86% at March 2025, registering an improvement of 3 bps.
- The credit deployment under priority sector stood at ₹159094.26 crore during FY 2025-26. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year, Bank sold PSLCs worth ₹6800 crore under PS Advances.
- Agriculture Advance of the Bank stood at ₹61687 crore for the financial year ended March 31, 2026 as against ₹52456 crore for the previous financial year ended March 31, 2025.
- MSME Advance of the Bank stood at ₹69351 Crore for the financial year ended March 31, 2026 as against ₹59243 crore for the previous financial year ended March 31, 2025.
- Retail Loans increased to ₹103533 crore in financial year ended March 31, 2026 from ₹82383 crore in financial year ended March 31, 2025.
- Housing Loan portfolio of the Bank stood at ₹59012 crore for the financial year ended March 31, 2026, registering y-o-y growth of 13.13%. Housing Loan Portfolio constitutes 57% of the total Retail Portfolio as on March 31, 2026.
- There are 48 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh (18), Bihar (9), Maharashtra (6), Uttar Pradesh (5), West Bengal (3), Chhattisgarh (4), Rajasthan (1), Odissa (1) and Assam (1). During the year 2025-26, the RSETIs conducted 1486 training programmes and imparted training to 46188 candidates. Out of which, 34037 (i.e. 73.69%) trainees were settled. Credit linkage of settled candidates achieved is 22214 i.e. 65.26%.
- Total earning from Bancassurance business is ₹161 crore for the financial year ended March 31, 2026 including Bancassurance earnings from its Two Associates Generali Central Insurance Co. Ltd. & Generali Central Life Insurance Co. Ltd.
- Bank is having pan India presence with total 22129 Touch Points, with network of 4585 branches with 2989 branches in rural & semi-urban areas (65.19%), 779 branches in urban and 817 branches in Metro, 3819 ATMs and 13685 BC Points and 40 BC Maxx Points as on March 31, 2026.

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

** After taking one time impact of recognition of Deferred Tax Asset at 25.168% as against 34.944% amounting to ₹632 Crore.

2. Income & Expenditure:

Details of income and expenditure for the financial year 2025-26 are given as under:

(₹ in Crores)

Particulars		31.03.2026	31.03.2025	Variation	%
1	**Interest Income**	36026	33666	2360	7.01%
	– Advances	24050	22339	1711	7.66%
	– Investments	10210	10092	118	1.17%
	– Others	1766	1235	531	42.99%
2	**Non-Interest Income***	6316	5642	674	11.95%
3	**Total Income (1+2) ***	42342	39308	3034	7.72%
4	**Interest Expended**	21855	19769	2086	10.55%
	– Deposits	21001	18488	2513	13.59%
	– Others	854	1281	(427)	-33.33%
5	**Operating Expenses***	12008	11415	593	5.19%
	– Establishment	7581	7219	362	05.01%
	– Others*	4427	4196	231	05.51%
6	**Total Expenses (4+5)***	33863	31184	2679	08.59%
7	**Spread (1-4)**	14171	13897	274	1.97%
8	**Operating Profit (3-6)***	8479	8124	355	04.37%
9	**Provisions***	4110	4339	(229)	-5.28%
10	**Provisions For Tax**	2066	1149	917	79.81%
11	**NET PROFIT/(LOSS) (8-9-11)**	4369	3785	584	15.43%

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification

3. Provisions:

Details of Total Provisions of ₹4110 crore charged to the Profit and Loss Account during the financial year 2025-26 vis- a-vis previous financial year are detailed as under:

(₹ in Crores)

Particulars	31.03.2026 (FY)	31.03.2025 (FY)	Variation
Provisions for Standard Assets	(115)	73	-257.53%
Provisions for NPAs*	1534	2802	-45.25%
Provisions for Restructured Accounts	688	539	27.64%
Provision on Investments*	(121)	(306)	60.46%
Provisions for Taxes	2066	1149	79.81%
Others*	58	82	-29.27%
Total	**4110**	**4339**	**-5.28%**

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification

4. Profitability Ratios:

Details of profitability ratios for the financial year 2025-26 are as under:

(In percentage)

Particulars	31.03.2026 (FY)	31.03.2025 (FY)
Cost of Deposits	4.82	4.76
Cost of Funds	4.83	4.85
Yield on Advances	8.21	8.78
Yield on Investments	6.74	6.87
Yield on Investments (Including Trading profit)	7.30	7.45
Net Interest margin	3.07	3.40
Cost To Income Ratio*	58.61	58.42

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification

5. Business Ratios:

Details of business ratios for the financial year 2025-26 are as under:

(In percentage)

Particulars	31.03.2026 (FY)	31.03.2025 (FY)
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	7.37	7.65
Non-Interest Income to AWF	1.29	1.28
Operating Profit to AWF	1.73	1.85
Return on Average Assets	0.89	0.86
Business Per Employee (₹ in crore)	23.89	21.31
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	13.00	12.00

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

6. Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR):

The components of Capital Adequacy Ratio for the financial year 2025-26 are as under:

(In percentage)

Particulars	31.03.2026 (FY)*	31.03.2025 (FY)
	Basel-III	Basel-III
Tier-I	15.61%	14.73%
Tier-II	2.30%	2.29%
Capital Adequacy Ratio	17.91%	17.02%

*As advised by RBI in its risk assessment report, Bank has computed Capital Ratio after adjustment for reckoning NPV of non-interest bearing recapitalization bond issued by Government of India

7. Net Profit/Loss:

The Bank has earned net profit amounting to ₹4369 crore (after taking one time impact of recognition of Deferred Tax Asset at 25.168% as against 34.944% amounting to ₹632 Crore) during the financial year ended March 31, 2026.

8. Dividend:

The Board of Directors of Bank have approved total Interim Dividend of ₹1.20 per equity share having face value of ₹10 each for financial year 2025-26 (i.e. ₹0.20 per equity share for each 1st Interim Dividend, 2nd Interim Dividend and 03rd Interim Dividend and ₹0.60 per equity share for 04th interim Dividend). The Bank had already paid all the

interim dividends to the eligible Shareholders of Bank after deducting tax at source, pursuant to the Finance Act, 2020, at prescribed rates as per the Income Tax Act, 1961.

The said dividend involve cash outflow of ₹1086.17 crore for FY 2025-26. The above dividend was declared by Board keeping in view the Bank's performance during the year, its future growth prospects and the need to retain adequate reserves for business expansion and operational requirements.

9. Capital raised:

No Equity capital was raised by Bank during the financial year 2025-26.

Further, Bank has redeemed its 01 BASEL III Compliant Tier II Bonds amounting to ₹500 crore by exercising call option during the financial year 2025-26. No Debt capital was raised by bank during the financial year 2025-26.

10. Changes in the Board during the year

Shri Hardik Mukesh Sheth, ceased to be Government Nominee Director of Bank w.e.f 24.07.2025.

Shri Baldeo Purushartha was appointed as Government Nominee Director on the Board of Bank w.e.f. 24.07.2025 untill further orders

Shri Matam Venkat Rao ceased to be the Managing Director & CEO of the Bank on attaining superannuation on 31.07.2025.

Shri Vivek Wahi ceased to be Executive Director of the Bank on attaining superannuation on 30.09.2025.

Shri Kalyan Kumar was appointed as Managing Director & CEO of the Bank w.e.f. 30.09.2025 for the period of three years and until further orders, whichever is earlier.

Shri E Ratan Kumar was appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. 24.11.2025 for the period of three years and until further orders, whichever is earlier.

The term of Shri Malladi Venkat Murali Krishna as an Executive Director on the Board of the Bank was extended by Government of India beyond his existing notified term which ended on 30th November, 2025 till the date of his superannuation i.e. 31st July, 2027 or until further orders, whichever is earlier.

11. Whistle Blower Policy:

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has a web-based portal in the name of "Cent e-Whistleblower" to facilitate reporting of malpractices by Employees and Directors without revealing their identities, which would be known to the General Manager – Human Resources Department. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee of the Board directly. This may help to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

12. Performance Evaluation of The Directors and the Board:

In terms of Regulation 25 of SEBI (LODR) Regulations 2015, the performance of the Board as Whole and Non-Independent Directors was evaluated by the Independent Directors in a separate Meeting held on 11th March, 2026.

Further, the performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Committee of Board for Performance Evaluation based on guidelines prescribed by Government of India. Also, Performance of Non-Official Directors of Bank is done by Board of Directors on annual basis in line with Department of Financial Services guidelines.

The performance evaluation of Board and its sub-committee for FY 2024-25 was carried out by M/s. KPMG based on guidance note on Board Evaluation issued by SEBI. The Board Evaluation report was reviewed by Board in its meeting held on 11.07.2025.

The evaluation of Board, its Sub-Committees and Individual Directors was carried out by means of structured questionnaire and individual Directors interaction with KPMG team to obtain their valuable insights and views on overall functionality of Bank.

The structured questionnaire for performance evaluation of Board and its sub-committees included its composition structure, effectiveness of Board process, oversight, risk and independence, vision and strategy, roles and functions etc.,

The Directors of Bank expressed satisfaction with the performance effectiveness of Board, its sub-committees and Individual Directors.

13. Board and Its Sub-Committees:

The composition of the Board and its Sub-committees as required to be constituted as per the SEBI (LODR) Regulations, Government of India / Reserve Bank India Guidelines and the meetings held therein are mentioned in the Corporate Governance Report.

14. Declaration by Independent Directors during the Year:

All the Independent Directors of Bank have submitted the declaration confirming that they meet the criteria of independence as provided under Regulation 25 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

15. Secretarial Audit:

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, other applicable laws, if any, the relevant circulars issued by SEBI (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and as approved by members in 18th AGM of the Bank, the Bank had appointed M/s. Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries, Mumbai (Firm Registration No. 92897) as Secretarial Auditor

of the Bank for a period of five years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-30. The Secretarial Audit Report is annexed to this Report. The observations made by Secretarial Auditor in his Audit Report and Bank's response thereon are included in Annexure-1.

16. Code of Conduct

Pursuant to the requirements of SEBI (LODR) Regulations, 2015 on Corporate Governance, the Board Members and Senior Management Personnel of Bank have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2026.

17. Management's Discussion and Analysis Report:

Pursuant to Regulation 34 read with Schedule V to the Listing Regulations, Management's Discussion and Analysis for the year under review is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

18. Business Responsibility and Sustainability Report:

Business Responsibility and Sustainability Report as stipulated under Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been annexed to this report and also hosted on the website of the Bank at www.centralbank.bank.in

19. Dividend Distribution Policy:

In accordance with the Regulation 43A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has formulated a Dividend Distribution Policy. The policy has been displayed on the Bank's website at www.centralbank.bank.in

20. Directors' Responsibility Statement:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2026.

The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;

The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied; Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit/ loss of the Bank for the financial year ended March 31, 2026.

Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India.

The accounts have been prepared on a going concern basis. Internal Financial Controls are adequate and were operating effectively and Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems are adequate and operating effectively.

21. Corporate Governance:

The Board of the Bank is committed to adopt best Corporate Governance practices in both letter and spirit. The Bank has a well-documented system and practice on Corporate Governance. The Corporate Governance Report of the Bank is annexed to this Report.

22. Acknowledgments:

The Board placed on record its deep appreciation for the valuable guidance and significant contribution made by outgoing Directors during their association with the Bank.

The Board of Directors places on record its gratitude to its Shareholders, Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, Indian Bank's Association, Customers, Depositors, Stock Exchanges Depositories, and the other Stakeholders for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its employees, customers and shareholders,

For and on behalf of the
Board of Directors

[Kalyan Kumar]
Managing Director and
Chief Executive Officer

Place: Mumbai
Date:03rd June, 2026

Secretarial Audit Report

For the period 01-04-2025 to 31-03-2026

Form No. MR-3

To,
The Members,
CENTRAL BANK OF INDIA

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Central Bank of India (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering April 01, 2025 to March 31, 2026 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the audit period April 01, 2025 to March 31, 2026 according to the provisions of:

i. The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970;

ii. The Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

iii. The Banking Regulation Act, 1949 & Banking Regulation (Companies) Rules, 1949 (as amended from time to time);

iv. The Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998;

v. The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder; (to the extent applicable)

vi. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed thereunder;

vii. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial borrowing ;

The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -

a) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulation");

b) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; **(Not applicable to the Bank during the period under review)**

f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; **(Not applicable to the Bank during the period under review)**

h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **(Not applicable to the Bank during the period under review)**

i) Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009;

j) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993;

k) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

We have relied on the representation made by the Bank and its Officers for systems and mechanism formed by the Bank for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Bank.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. **(Not applicable as the Bank is not incorporated under the Companies Act, 2013)**

b) The Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015("Listing Regulation").

During the period under review the Bank has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines etc., except mentioned hereunder:

- The Bank had 09 Directors (including 04 Executive Directors, 02 Nominee/Non-executive Directors and 03 Non-executive/ Independent/Shareholder Directors) on its Board as on 31st March, 2026 against the strength of 15 Directors as per Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- The Bank did not have at least One Woman Director and One Independent Woman Director during the period under review as per Regulation 17(1)(a) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.
- The Bank did not have 50% of Independent Directors on its Board in absence of non-executive Chairman during the period under review as per Regulation 17(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors (except as stated above). The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act, Rules and Regulations.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank had following specific events or actions which might have a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

1. Bank has redeemed its BASEL III Compliant Tier II Bond amounting to ₹500 crore on 20.05.2025 by exercising call option after 62 months from date of issue.
2. Bank has obtained approval of its shareholders in the 18th Annual General Meeting held on 16th July, 2025 to raise Equity capital upto ₹5000/- crore through QIP issue/ FPO issue/ Rights issue.
3. Shareholders of Bank in the 18th Annual General Meeting held on 16th July, 2025 had approved Final Dividend of ₹0.1875 per equity share for FY 2024-25.
4. The Board of Bank has declared 04 (four) Interim Dividends aggregating to ₹1.20 (12%) per share having face value of ₹10 each of Bank for FY 2025-26.

Following changes occurred in the Board of the Bank during the period under review:

1. Re-appointment of Shri Pradip Pranlal Khimani as Part time non-official Director of Bank by Government of India w.e.f 11th April 2025 for a period of one year.
2. Appointment of Shri Baldeo Purushartha as Government Nominee Director of Bank by Government of India w.e.f 24th July, 2025 till further orders.
3. Cessation of Shri Hardik Mukesh Sheth as Government Nominee Director of Bank w.e.f 24th July, 2025.
4. Cessation of Shri Matam Venkat Rao as Managing Director & CEO of the Bank w.e.f 31st July, 2025 due to superannuation.
5. Cessation of Shri Vivek Wahi as an Executive Director of the Bank w.e.f 30th September, 2025 due to superannuation.
6. Extension of term of Shri M V Murali Krishna, Executive Director of Bank by Government of India beyond the notified term ended on 30th October, 2025 till 31st July, 2027 or until further orders.
7. Appointment of Shri Kalyan Kumar as Managing Director & Chief Executive Officer of Bank by Government of India w.e.f 30th September, 2025 for a period of three years.
8. Appointment of Shri E. Ratan Kumar as an Executive Director of the Bank by Government of India w.e.f 24th November, 2025 for a period of three years.

For **Ragini Chokshi & Co**
Company Secretaries
Firm Registration Number: 92897

-S/d
Ragini Chokshi
(Partner)
M. No.: F2390
COP No.: 1436
UDIN: F002390H000572355
PR No.: 4166/2023

Date: 03-06-2026
Place: Mumbai

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure 'A' and forms an integral part of this report.

Annexure "A"

To
The Members,
CENTRAL BANK OF INDIA

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended on March 31, 2026 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial records is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the processes and practices, we follow provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards are the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For **Ragini Chokshi & Co**
Company Secretaries
Firm Registration Number: 92897

-S/d
Ragini Chokshi
(Partner)
M. No.: F2390
COP No.: 1436
UDIN: F002390H000572355
PR No.: 4166/2023

Date: 03-06-2026
Place: Mumbai

The observations made by Secretarial Auditor in his Audit Report and Bank's Response there on are us under:

Sr No.	Observations/Remarks	Bank's Response
1	The Bank had 09 Directors (including 04 Executive Directors, 02 Nominee/Non-executive Directors and 03 Non-executive/ Independent/Shareholder Directors) on its Board as on 31st March, 2026 against the strength of 15 Directors as per Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	The power to appoint Directors against the vacant posts on Board of Bank is vested with administrative ministry i.e. Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India except appointment of Shareholder Director. Bank has requested administrative ministry to appoint adequate number of Non-Executive/Independent Directors including Woman Director on the Board of Bank to comply with the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
2	The Bank did not have at least One Woman Director and One Independent Woman Director during the period under review as per Regulation 17(1)(a) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.	
3	The Bank did not have 50% of Independent Directors on its Board in absence of nonexecutive Chairman during the period under review as per Regulation 17(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.	

Certificate of Non-Disqualification of Directors

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members of
CENTRAL BANK OF INDIA
Chandermukhi Building, 9th Floor,
Nariman Point, Mumbai-400021, Maharashtra

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Central Bank of India (hereinafter referred to as 'the Bank') having Central Office at Chandermukhi Building, 9th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021, Maharashtra, produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ended March 31, 2026 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	Designation	DIN	Date of Appointment in Banks
1.	Shri Kalyan Kumar	MD &CEO	09631251	30-09-2025
2.	Shri M V Murali Krishna	Executive Director	09021111	01-12-2022
3.	Shri Mahendra Dohare	Executive Director	09406117	09-10-2023
4.	Shri E Ratan Kumar	Executive Director	10686007	24-11-2025
5.	Shri Baldeo Purushartha	GOI Nominee Director	07570116	24-07-2025
6.	Shri Manoranjan Dash	RBI Nominee Director	NOT APPLICABLE	12-12-2024
7.	Shri Priavrat Sharma*	Part time Non-Official Director	06972771	08-05-2023
8.	Shri Sarada Kumar Hota	Shareholder Director	07491088	17-07-2024
9.	Shri Pradip P Khimani**	Part time Non-Official Director	NOT APPLICABLE	11-04-2025

*Shri Privarat Sharma ceased to be Director of Bank w.e.f 07.05.2026 on completion of his tenure of 03 years.

**Shri Pradip P. Khimani ceased to be Director of Bank w.e.f 10.04.2026 on completion of his tenure of 01 year.

Note: The Bank is not a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 / 2013 and accordingly the provisions of Companies Act, 2013 do not apply to the Bank. Thus, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN, therefore, DIN is mentioned for the Directors who possess DIN issued by the Ministry of Corporate Affairs and for the Directors who do not, possess DIN, 'Not Applicable' is mentioned hereinabove.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Ragini Chokshi & Co**
Company Secretaries
Firm Registration Number: 92897

-S/d
Ragini Chokshi
(Partner)
M. No.: 2390
COP No.1436
UDIN: F002390H000572377
PR No.: 4166/2023

Date: 03-06-2026
Place: Mumbai

Management Discussion & Analysis

1. Global Economy Overview: Fragile Adaptation Amid Tested Resilience

The global economy remained on a path of fragile expansion through the period under review. While inflation moderated from the peaks witnessed in earlier periods and labour market conditions normalised across several developed markets, the operating environment remained shaped by trade frictions, policy uncertainty and continuing geopolitical tensions. The macroeconomic backdrop was therefore one of slower but continuing growth, with capital flows and commodity markets responding quickly to changes in global risk appetite.

As the financial year ending March 31, 2026, concludes, the global economy stands at a critical juncture, navigating a phase of "fragile adaptation" and "tested resilience". While early projections for 2025 initially suggested the possibility of a soft landing, the economic landscape was subsequently reshaped by severe geopolitical shocks, a historic escalation of trade tensions, and the eruption of high-intensity conflict in the Middle East. Global GDP growth for 2026 is projected to remain stable yet subdued, with estimates ranging from 2.6% to 2.9%, reflecting a world economy that continues to expand but faces increasingly varied and volatile conditions across regions.

Recent international assessments cited in the Bank's research material point to a softer growth trajectory for 2025 than had been expected at the beginning of the calendar year. The slowdown has been linked to renewed tariff actions, retaliatory trade measures and elevated uncertainty across major economies. Even so, the global economy retained a degree of resilience, supported by easing inflation, adaptive policy responses and continued activity in services and technology-linked sectors. The near-term outlook remains constructive but cautious, with downside risks emanating from commodity prices, geopolitical developments and slower investment sentiment.

A defining characteristic of early 2026 has been the fraying of long-established economic ties. High policy uncertainty, spurred by broad-based tariff implementations reaching levels not seen since the 1930s, jolted financial markets and increased volatility to levels typically associated with systemic crises. Despite these headwinds, the global economy proved surprisingly shock-proof in some sectors, notably through massive investments in Artificial Intelligence, which emerged as a critical macroeconomic force. AI-related capital expenditure exceeded USD 200 billion in 2025, providing a necessary anchor for growth in advanced economies and helping to offset trade-related drags.

Global growth moderated from 3.3% in 2024 to 2.8% in 2025 and is expected to remain subdued at around 2.8% in 2026. Advanced economies are expected to continue growing at a slower pace than emerging market and developing economies, which remain the faster-growing bloc.

Figure 1: Global Growth, Advanced Economy Growth and EMDE Growth Trend, 2024–2026

Year	Global growth (%)	Advanced economy growth (%)	EMDE growth (%)
2024	3.3	1.8	4.3
2025	2.8	1.4	3.7
2026	2.8	1.5	4.0

Source: IMF World Economic Outlook

Advanced Economies

Growth across advanced economies is expected to moderate, led by weaker consumer demand in some large markets and still-tight financial conditions in others. The United States remains relatively better placed than several peers, though activity has softened from the prior year. Europe continues to face a mixed recovery, with manufacturing conditions staying subdued in parts of the region. Japan is also expected to post modest growth.

Across these economies, disinflation has created some policy room, but central banks continue to balance growth support with inflation vigilance.

For central banks, the inflationary impact of tariffs, particularly in the United States, remains a major concern, as suppliers have shown limited capacity to absorb these costs. Sticky inflation, especially in services and housing, constrains the ability of central banks to ease monetary policy aggressively, despite slowing growth. This has kept financial conditions relatively tight in several markets and sustained a cautious policy stance.

Emerging Market and Developing Economies

Emerging market and developing economies are expected to continue outpacing advanced economies, though growth is no longer as uniform as in earlier cycles. Growth in EMDEs is anticipated to average 4.0% in 2026, outperforming advanced economies but remaining below pre-pandemic averages. This group continues to show resilience, underpinned by improved policy frameworks and strong domestic demand in key economies.

However, a sharp divergence is emerging. While nearly 90% of advanced economies are now above pre-pandemic per capita income levels, more than one-quarter of EMDEs remain poorer than they were in 2019. India remains one of the strongest large-economy performers, while China continues to navigate weaker property activity and external trade pressures. China's growth is expected to decelerate to 4.4% in 2026, constrained by a prolonged property sector downturn, high debt levels, and the impact of broad-based manufacturing tariffs.

For emerging markets more broadly, the direction of the US dollar, global yields and commodity prices will remain critical determinants of capital flows, domestic liquidity conditions and external balance stability. Many larger EMDEs have benefited from the depreciation of the US dollar in late 2025, which boosted local-currency bond returns and provided room to respond to trade headwinds without immediate exchange rate pressure.

Geopolitical Crucibles and the Impact of Global Warfare

Geopolitical risk surged to the forefront as the primary threat to global financial stability in 2026. The prolonged invasion of Ukraine by the Russian Federation continued to disrupt commodity markets and energy security across Europe and Central Asia. Attacks on energy infrastructure kept energy transition costs high and constrained supply flexibility, contributing to a slowdown in growth for countries with regional exposure.

Simultaneously, the conflict involving Iran, the United States and Israel reached a critical inflection point in early 2026. While global disinflation had been the prior trend, this conflict triggered sharp spikes in oil and gas prices, eroding consumer purchasing power and denting domestic demand globally. These events not only broadened geopolitical risk to record levels but also triggered a sharp reassessment of risk appetite in global financial markets.

This led to unprecedented demand for safe-haven assets, with gold prices reaching all-time highs of USD 3,500 per ounce in early 2026. The escalation of armed conflict is now viewed as a negative supply shock that directly raises production costs and weighs heavily on aggregate demand.

Strait of Hormuz Blockage and Energy-Commodity Shocks

The most decisive economic shock of early 2026 was the constriction in shipments through the Strait of Hormuz.

Disruption at this critical maritime chokepoint generated a global surge in energy and fertilizer prices. Because the Middle East is a central hub for global supply, the closure and damage of energy infrastructure disrupted the supply of energy and other vital commodities, including fertilisers, which are essential for global food security.

For energy-importing nations, this blockage represented a severe supply shock that forced a revision of inflation projections. G20 headline inflation is now expected to be 1.2 percentage points higher in 2026 than previously projected, reaching 4.0%. The World Trade Organization estimates that if these disruptions persist, they could reduce goods trade growth, already projected to slow to 1.9%, by a further 0.5 percentage points in 2026.

This environment of heightened unreliability has accelerated the transformation of global supply chains, with many firms pursuing onshoring and nearshoring strategies to build resilience against geopolitical chokepoints.

Commodity Market Dynamics

The volatility in energy markets was mirrored across other commodity classes. While crude oil prices were initially projected to fall to USD 60 per barrel due to softening demand, the geopolitical re-escalation in June 2025 and early 2026 introduced significant upward pressure. Natural gas markets are also experiencing structural shifts. US natural gas prices are projected to rise by 11% as more gas is exported as LNG, while European prices are falling by a similar magnitude as they benefit from greater global LNG availability following a shift away from piped Russian gas.

Food prices are forecast to remain structurally high, as the surge in fertilizer costs linked to the Middle East conflict raises production expenses for agricultural producers. Industrial metal prices are being cushioned by robust demand for the green energy transition, partly offsetting the muted growth of manufacturing activity. This complex interplay of rising costs and shifting supply routes places a premium on financial fortitude and cost discipline for businesses and banks alike.

Global Trade and Monetary Policy

The global trading system is navigating its most significant disruption in decades. The introduction of major reciprocal tariffs raised the average effective US tariff rate to approximately 17%. This triggered a cycle of escalation, with tariffs on most US-China trade corridors peaking at staggering levels.

This watershed moment in trade policy led to significant front-loading of imports, as firms scrambled to stockpile goods before tariffs took effect. As this front-loading effect fades in 2026, global trade growth is projected to decelerate markedly to 2.2%. Trade frictions, renewed tariff actions and retaliatory measures remain central risks for the global economy, especially given the associated impact on inflation, investment sentiment and financial market volatility.

2. Indian Economy: Resilience and Structural Acceleration

Against an uneven global backdrop, the Indian economy continued to demonstrate resilience during FY2025-26. Domestic demand remained the principal anchor of growth, with agriculture, construction, financial services and public administration providing support. Rural demand strengthened, inflation moderated materially, monetary conditions turned more supportive, and external buffers remained adequate despite intermittent volatility in the currency and global markets.

Amid global conflagrations, India continued to be the world's standout performer, projected to be the fastest growing large economy with GDP growth of 6.4% to 6.6% for FY2026. India demonstrated notable resilience to global trade tensions, supported by robust domestic demand and significant structural transformation.

GDP Growth

India's growth trajectory remained among the strongest globally. Available macroeconomic estimates indicate that real GDP growth for FY2025-26 is expected around the mid-6% range, supported by healthy household consumption, continued public investment, better agricultural output and sustained services activity. Agriculture performed better on the back of more favourable monsoon conditions, while construction and financial services also remained supportive.

Manufacturing growth moderated from the previous year's elevated base, but the overall growth profile remained robust enough to position India as the fastest-growing major economy. Data from the Economic Survey 2025-26 indicates that industrial activity strengthened significantly, with Industry GVA growing by 7.0% in the first half of FY2026. Manufacturing GVA specifically surged by 9.13% in Q2 FY2026.

This momentum was underpinned by the Government's Production Linked Incentive schemes, which attracted over ₹2.0 lakh crore in investment and generated over 12.6 lakh jobs as of late 2025. Furthermore, the India Semiconductor Mission approved projects involving ₹1.60 lakh crore in investment, positioning the country as a critical node in regionalised supply chains.

Inflation

Retail inflation moderated significantly through the period, helped by softer food inflation, a better agricultural output profile and relatively contained crude dynamics for much of the year. The moderation in headline inflation improved household purchasing power and created policy space for a more supportive monetary stance. That said, core inflation still requires monitoring, especially in a world of geopolitical shocks, volatile gold prices and shifting global supply chains.

India is not immune to the 2026 energy and commodity shocks. The spike in Brent crude prices and volatility in precious metal markets widened the merchandise trade deficit. Renewed pressure on energy and fertilizer prices also remains a key risk to inflation expectations and household purchasing power.

Policy Rates and Monetary Conditions

The Reserve Bank of India shifted to a more accommodative policy setting during the period, with successive repo rate actions and liquidity-supportive measures aimed at sustaining growth while keeping inflation expectations anchored. The changing interest rate environment is relevant to banks both through funding costs and lending opportunities.

For Central Bank of India, the environment supported business expansion, though it also required continued vigilance over margins, liability mix and pricing discipline.

Industrial Production

Industrial production remained positive but moderated relative to the prior year. The more durable sources of strength came from sectors linked to domestic infrastructure, services activity and selective consumer demand. Industrial momentum was not uniform across categories, underscoring the need for calibrated credit deployment and close monitoring of sectoral risk in bank lending portfolios.

At the same time, India's industrial momentum was supported by policy-led investment, manufacturing-sector incentives and supply-chain localisation opportunities. These factors helped create an environment in which India could continue positioning itself as a beneficiary of global supply-chain realignment, notwithstanding external trade disruptions.

Currency Exchange Rates

The Indian Rupee remained broadly resilient but responsive to global risk-off episodes, commodity price movements and the outlook for US rates. Strong foreign exchange reserves and a relatively contained external debt position provided important stability. Robust foreign exchange reserves of approximately USD 696.65 billion and a low external debt-to-GDP ratio of 18% provided a crucial buffer.

Even so, exchange rate movements continued to matter for imported inflation, trade competitiveness and risk sentiment in financial markets. The economy remains susceptible to the higher-for-longer interest rate scenario in the United States and the risk of reversals in foreign portfolio flows.

Trade and Current Account

India's merchandise trade deficit remained elevated, though services exports continued to provide an important balancing contribution. Strong services growth continued international demand for Indian capabilities and better resilience in external accounts supported macro stability, even as higher energy prices or renewed global disruption remained identifiable risks.

The spike in Brent crude prices and precious metal volatility widened the merchandise trade deficit. Renewed pressure on crude prices, including Brent crude surging above USD 74 per barrel, could widen the current account deficit to 1.3% of GDP, impacting the Rupee's stability and inflationary expectations.

Foreign Portfolio Investors

Foreign portfolio flows stayed sensitive to global conditions, but India's inclusion in global bond indices and the continued depth of the domestic market supported debt inflows. This matters to the banking sector both from a system-liquidity standpoint and from the broader confidence effect associated with India's macro positioning.

At the same time, global trade tensions, commodity shocks and the higher-for-longer rate scenario in the United States could trigger reversals in foreign portfolio flows. Therefore, while India's macro position remains relatively strong, external-market volatility continues to require careful monitoring.

Banking Industry Outlook: Cautious Optimism and Digital Scale

The Indian banking sector entered FY2026 from a position of unprecedented systemic strength, having navigated the

complexities of the previous fiscal year with remarkable resilience. This strength was anchored by record breaking financial performance in FY2025, when Public Sector Banks achieved a historic cumulative profit of ₹1.78 lakh crore, representing a robust 26% year-on-year increase.

This era of record profitability was further bolstered by multi-year low non-performing asset levels. Industry-wide Gross NPA levels dropped to a 13-year low of 2.7% by the end of FY2025. For Central Bank of India, this trend was even more pronounced, with Gross NPA declining sharply to 3.18% and Net NPA improving to a strong 0.55%, well below the 1% threshold.

Navigating the War for Deposits and Funding Costs

Despite this strong capital foundation, the sector faces a cautiously optimistic landscape in FY2026, primarily due to the dual challenge of managing funding costs and maintaining growth momentum. Credit growth across Scheduled Commercial Banks moderated to approximately 11% in FY2025, the lowest since 2021-22, largely due to macroprudential policies aimed at containing risks in retail lending. Simultaneously, deposit mobilisation remained tight, with industry deposit growth lagging at 10.6%.

The industry is witnessing a structural shift in its liability profile. As of March 2025, the share of low-cost CASA deposits fell to 29.1%, as depositors migrated toward higher-yielding term deposits. Around 72.7% of term deposits now bear interest rates above 7%. This competitive environment for resources necessitates a strategic pivot, requiring banks to leverage their strong capital adequacy ratios while maintaining pricing discipline and liability-side resilience.

For Central Bank of India, which reported a robust Capital Adequacy Ratio of 17.02%, the high-cost deposit environment calls for careful management of margins, asset-liability positioning and credit growth opportunities. The changing interest rate environment supports business expansion but also requires continued vigilance over funding costs and profitability.

Cautionary Outlook: Geopolitical and Commodity Risks

The outlook for FY2027 remains tempered by extreme caution due to escalating global uncertainties. The ongoing Russia-Ukraine war and the re-escalation of conflict in the Middle East involving Iran, the United States and Israel have introduced significant negative supply shocks. The potential for a prolonged blockage of the Strait of Hormuz poses a severe risk to global energy and fertilizer prices, which would directly raise production costs and weigh on aggregate demand.

For the Indian banking sector, these events present several transmission risks. Commodity price hikes and renewed pressure on Brent crude prices could widen the current account deficit and affect the Rupee's stability and inflationary expectations. Currency volatility remains a key risk, as the Indian Rupee is susceptible to the higher-for longer interest rate scenario in the United States and global trade tensions, which could trigger reversals in foreign portfolio flows. Trade disruptions also remain relevant, especially where geopolitical challenges affect export credit and regional trade corridors.

Geopolitical challenges have already impacted export credit, as seen in Central Bank of India's portfolio, where defaults by major exporter clients were attributed to regional trade corridor disruptions. This underscores the need for banks to remain agile in monitoring sectoral exposures, borrower vulnerabilities and external-market disruptions.

Digital Scale, Financial Fortitude and Inclusive Growth

While the sector must remain agile and responsive to external shocks, the fundamental strength of the Indian banking system, characterised by high capital adequacy, robust liquidity buffers and record-low NPAs, provides a critical degree of domestic resilience. The combination of disciplined financial management, strong capital positions and continuing digital transformation places Indian banks in a favourable position to navigate uncertainty.

For Central Bank of India, the operating environment presents both caution and opportunity. The Bank's improving asset quality, strong capital base and ability to participate in India's domestic growth story provide a stable foundation. At the same time, the war for deposits, funding-cost pressures, currency volatility, commodity-price shocks and external trade disruptions require a calibrated approach to growth.

By combining disciplined financial fortitude with the decisive scale-up of digital infrastructure, Central Bank of India is well-positioned to turn global challenges into opportunities for inclusive growth throughout FY2027.

3. Banking Sector Overview

The Indian banking sector entered FY2025-26 from a position of considerably improved health, characterised by significantly stronger asset quality, robust capital adequacy, sustained profitability among public sector banks, and deepening digital adoption. Having achieved record profitability and multi-year lows in non-performing assets in the preceding period, the sector began the year with a stronger foundation to support business expansion.

At the same time, the operating environment became more competitive and complex. Banks across the system had to balance credit momentum with pricing discipline, prudent risk selection, and efficient liability management. Deposit mobilisation remained competitive, with customers increasingly preferring higher-yielding term deposits, leading to pressure on CASA ratios and overall funding costs. Against this backdrop, FY2025-26 emerged as a year in which the banking sector translated foundational stability into sustained credit momentum and operational resilience, despite a volatile global environment.

As the designated "Year of Business Acceleration", the period witnessed the sector moving from balance sheet repair to calibrated growth. Retail, agriculture, MSME and selected corporate segments continued to offer

opportunities, particularly where credit demand was linked to formalisation, infrastructure, supply-chain activity and the needs of emerging enterprises. The moderation in system-level growth during the early part of the year reinforced the importance of distribution strength, underwriting discipline, digital enablement and segment-focused strategy.

3.1 Credit Growth

System credit growth moderated from the elevated levels seen in the previous year but remained healthy in absolute terms. The fiscal year began with a sharp deceleration in bank credit growth, which reached 9.49% in the June quarter of FY2025-26, the lowest level since March 2022. This initial moderation was particularly steep in agriculture, industry and services, compared with personal loans.

However, as the year progressed, credit growth staged a robust recovery. The rebound was supported by sustained demand across major sectors, a shift by India Inc towards local funding due to elevated global interest rates and geopolitical uncertainty, and continued momentum in retail and RAM segments. Manufacturing witnessed the most significant increase in credit demand during Q4 FY2026, while agriculture, personal loans, vehicle loans and gold loans continued to propel growth.

Gold loans were a particularly strong-performing segment during the year. Rising gold prices renewed household interest in the yellow metal, making gold loans the only segment to record triple-digit growth consistently for several months during the year.

The recovery in credit growth during the year reflected the sector's ability to support India's domestic growth momentum while maintaining caution in risk selection. The moderation at the system level in the early part of the year also underscored the importance of calibrated growth, strong underwriting frameworks, and focused lending strategies across high-potential segments.

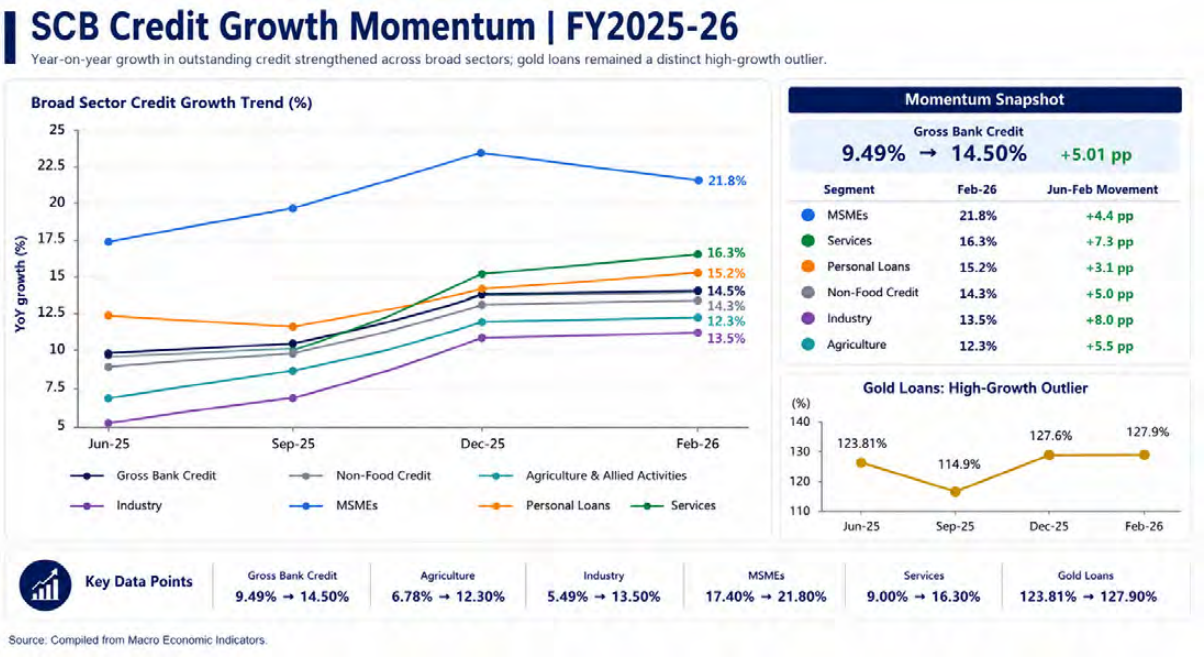

1 Table 1: Year-on-year Growth in Outstanding Credit of Scheduled Commercial Banks

3.2 Deposit Growth

Deposit growth remained positive but competitive through the year. Across the sector, depositors showed a clear preference for higher-yielding term deposits, leading to pressure on CASA ratios and liability costs. This trend was visible across the Bank's own FY2026 performance as well, where deposits grew meaningfully but at a slower pace than advances, while CASA remained healthy in absolute terms despite moderation in the ratio.

The financial profile of Indian households underwent a structural shift during the reporting period. While aggregate bank deposits showed resilience, they faced increasing competition from other financial instruments. Household assets held in bank deposits grew at a slower rate of 8.39% in the preceding period, compared with mutual funds at 21.90% and pension funds at 23.10%. This reflected a broader shift in household savings behaviour, with a growing allocation towards market-linked and long-term financial products.

The industry also observed migration from low-cost CASA balances towards higher-yielding term deposits. By March 2025, the share of term deposits bearing interest rates above 7% had risen to 72.7%. This structural movement increased

the cost of deposits and placed greater emphasis on liability-side management, customer retention, granular deposit mobilisation and pricing discipline.

To support system liquidity, the 100-basis points reduction in the Cash Reserve Ratio was expected to infuse approximately ₹2.5 lakh crore into the banking system, facilitating easier loan disbursement. While this provided liquidity support, the competitive environment for deposits continued to require banks to strengthen customer engagement, expand distribution and improve the quality and stability of their liability franchise.

3.3 Asset Quality

Industry asset quality remained on a strengthening path, with gross non-performing asset ratios staying around multi-year lows. This enabled banks to focus more strongly on calibrated growth, digital enablement and operating efficiency. However, the requirement for robust monitoring remained undiminished, especially in a world of external uncertainty and rapidly scaling credit portfolios.

Asset quality for Scheduled Commercial Banks continued its remarkable journey of improvement, reaching multiyear highs in portfolio hygiene. The industry-wide Gross Non-Performing Asset ratio improved further to 1.89% by December 2025, down from 2.42% in December 2024. This improvement reflected stronger underwriting standards,

Sectoral Deployment of Credit	Jun-25 (%)	Sep-25 (%)	Dec-25 (%)	Feb-26 (%)
Gross Bank Credit	9.49	10.4	14.5	14.5
Non-Food Credit	9.33	10.2	14.4	14.3
Agriculture & Allied Activities	6.78	9.0	12.1	12.3
Industry	5.49	7.3	13.3	13.5
MSMEs	17.4	19.7	23.4	21.8
Personal Loans	12.11	11.7	14.4	15.2
Services	9.00	10.2	15.3	16.3
Gold Loans	123.81	114.9	127.6	127.9

Source: *Compiled from Macro Economic Indicators*

better recoveries, improved risk management practices and the benefit of balance sheet clean-up undertaken over earlier cycles.

The sector also maintained strong capital buffers. As of September 2025, the industry Capital to Risk-weighted Assets Ratio stood at a healthy 17.2%, with a Common Equity Tier 1 ratio of 14.8%. These levels remained comfortably above regulatory thresholds and provided the sector with the capacity to support credit expansion while absorbing potential shocks.

The continued improvement in asset quality also provided banks with greater flexibility to focus on growth, customer acquisition, digital transformation and productivity enhancement. However, the uncertain global environment, commodity price risks, export-related disruptions and the rapid scale-up of certain lending segments require continued vigilance.

3.4 Profitability

Public sector banks sustained strong profitability through the period, supported by expanding business volumes, treasury support in selected periods, lower credit costs than in earlier cycles, and better operating discipline. The sector's profitability remained underpinned by stronger asset quality, improved recovery outcomes and lower provisioning intensity.

At the same time, margin management remained critical, especially in an environment marked by changing interest rates and heightened competition for deposits. While a fall in core income slightly slowed profit growth for some Scheduled Commercial Banks, the contribution of non-interest income to total profits increased. This highlighted the growing importance of diversified income streams, fee-based revenue, treasury efficiency and operating productivity.

The profitability outlook for banks remains closely linked to their ability to manage funding costs, maintain healthy asset quality, expand granular lending, deepen digital channels and improve cross-sell opportunities. In the case of public sector banks, the combination of stronger capital positions, improved profitability and better asset quality provides a solid base for continued business growth.

3.5 Technological Evolution and Digital Trust

Digitalisation served as a primary enabler of operational agility across the banking sector. Scheduled Commercial Banks reported healthy adoption of digital channels, with increasing emphasis on leveraging artificial intelligence and machine learning for analytics, process automation, risk monitoring and customer engagement.

The rapid adoption of digital banking has enabled banks to improve service delivery, expand access, enhance operating efficiency and support customer acquisition across segments. Digital platforms have

also strengthened the ability of banks to serve retail, MSME and rural customers through more efficient onboarding, faster processing and improved data-driven decision-making.

At the same time, the rising scale of digital transactions has increased the importance of cybersecurity and digital trust. To combat sophisticated cyber threats, banks accelerated the procurement of advanced cybersecurity tools. A significant industry movement involved migrating existing domains to the ".bank.in" domain to enhance digital trust and comply with regulatory recommendations. This reflects the sector's growing recognition that digital scale must be accompanied by strong security architecture, customer protection and operational resilience.

3.6 Potential Risks and Stability Outlook

Despite the overall health of the sector, several near-term risks to financial stability remained under close monitoring. Geopolitical and global shocks continued to pose risks to energy availability, commodity prices, import inflation and domestic demand. Ongoing conflicts, including the US-Iran situation, raised concerns about energy supply disruptions and the possibility of renewed inflationary pressures.

Financial market volatility also remained an important risk factor. Fluctuations in global treasury yields and volatility in foreign exchange markets were identified as factors that could impact non-core income, investor flows and market sentiment. Reciprocal tariffs and trade slowdowns were also cited as major risks to the trade balance and current account deficit.

For banks, these risks have implications for credit demand, borrower cash flows, export-oriented sectors, treasury performance, liquidity conditions and asset quality. Therefore, while the sector is better capitalised and more resilient than in earlier cycles, sustained monitoring of external risks remains essential.

3.7 Industry Outlook for FY2026-27

The outlook for the banking industry remains cautiously optimistic, anchored by strong fundamentals. The sector enters FY2026-27 with improved asset quality, healthy capital adequacy, better profitability and expanding digital capabilities. These strengths position banks to support India's growth aspirations while continuing to manage risks prudently.

Success in the upcoming year will depend on the ability of institutions to leverage their strong capital positions and improved asset quality to navigate an evolving credit landscape. Robust credit growth is expected to continue, supported by higher GDP projections, reduction in risk weights for specific lending segments, and the ongoing transmission of policy rate cuts.

At the same time, deposit mobilisation, margin protection, cybersecurity, credit discipline and exposure to external shocks will remain key management priorities. The sector's transition from the "Year of Business Acceleration" towards the proposed "Year of Business Excellence" in FY2026-27 will depend on the ability of banks to combine growth with resilience, digital scale with trust, and profitability with prudent risk management.

4. Central Bank of India Performance Highlights for Fiscal Year 2025-26

Central Bank of India delivered a year of measurable business acceleration in FY2025-26, fulfilling its commitment to stakeholders by translating strategic frameworks into scalable, high-impact results. Under the theme "Delivering our Promise," the Bank successfully crossed the historic ₹8,00,000 crore total business milestone, reached its aspirational Return on Assets (ROA) target, and demonstrated significant momentum across its RAM (Retail, Agriculture, and MSME) and corporate franchises. This performance marks a definitive progression from the period of turnaround and stabilization toward a new era of high-scale execution and financial fortitude.

Key Financial and Business Indicators

Metric	FY2026	FY2025	Change
Total Business (₹ crore)	8,12,439	7,02,798	15.60%
Total Deposits (₹ crore)	4,67,923	4,12,697	13.38%
Gross Advances (₹ crore)	3,44,516	2,90,101	18.76%
CASA Deposits (₹ crore)	2,20,781	2,01,173	9.75%
CASA Ratio (%)	47.30	48.91	-161 bps
RAM Business (₹ crore)	2,34,571	1,94,082	20.86%
Operating Profit (₹ crore)	8,479	8,124	4.37%
Net Profit (₹ crore)	4,369	3,785	15.43%
NII (₹ crore)	14,171	13,897	1.97%
ROA (%)	0.89	0.86	+3 bps

Metric	FY2026	FY2025	Change
ROE (%)	13.00	12.48	+52 bps
GNPA (%)	2.67	3.18	-51 bps
NNPA (%)	0.49	0.55	-6 bps
CRAR (%)	17.91	17.02	+89 bps
PCR (%)	95.97	96.54	-57 bps

4.1 Total Business Growth

Total business reached a landmark ₹8,12,439 crore as of March 31, 2026, representing a robust year-on-year growth of 15.60% compared to ₹7,02,798 crore in FY2024-25. This acceleration, which exceeded the Bank's guidance of 14%.

15%, highlights the deepening of the Bank's market presence and the efficacy of its internal transformation vertical transformation vertical in driving innovation and agility across its 4,585 branches and 22,129 total touchpoints.

4.2 Advances and Credit-Deposit Ratio

Gross advances grew by 18.76% to reach ₹3,44,516 crore, significantly outpacing the ₹2,90,101 crore reported in the previous fiscal year.

- **Segmental Traction:** Growth was balanced across sectors, with the RAM portfolio expanding by 20.86% to reach ₹2,34,571 crore.
- **RAM Breakdown:** Retail advances grew by 25.67% (reaching ₹1,03,533 crore), Agriculture by 17.60% (₹61,687 crore), and MSME by 17.06% (₹69,351 crore).
- **Corporate Credit:** Reached ₹1,09,945 crore, representing 32% of the total advance mix.
- **Efficiency:** The Credit-Deposit (CD) Ratio improved to 73.80%, reflecting enhanced credit deployment efficiency and improved underwriting confidence.

4.3 Profitability and Financial Fortitude

The Bank reported its highest-ever Net Profit of ₹4,369 crore for the year, a growth of 15.43% year-on-year. This achievement is particularly notable as it includes the absorption of a one-time impact of ₹632 crore due to the recognition of Deferred Tax Assets at a revised rate of 25.168%.

- **Operating Profit:** Increased by 4.37% to ₹8,479 crore.
- **Net Interest Income (NII):** Grew to ₹14,171 crore, as the Bank maintained one of the highest Net Interest Margins (NIM) in the industry at 3.07%, despite rate-linked pressures.
- **Return Ratios:** The Bank met its key performance milestones with ROA improving to 0.89% (crossing the 1.00% mark on a quarterly basis during the year) and Return on Equity (ROE) reaching 13.00%.

4.4 Asset Quality Resilience

Asset quality reached multi-year highs in portfolio hygiene through proactive monitoring and intensified recovery efforts.

- **NPA Ratios:** The Gross NPA (GNPA) ratio improved by 51 bps to 2.67%, while the Net NPA (NNPA) ratio was maintained at a healthy 0.49%.
- **Slippage and Recovery:** The slippage ratio was contained at 1.16%, an improvement of 29 bps, supported by the upgraded Early Warning Systems (EWS) and the automated compliance monitoring portal compliance automation portal.
- **Provisioning:** The Bank maintained a superior Provision Coverage Ratio (PCR) of 95.97%.

4.5 Resource Mobilization and CASA Dynamics

Total deposits increased by 13.38% to reach ₹4,67,923 crore, surpassing the guidance of 10-12%.

- **Savings Milestone:** Savings deposits achieved a historic high, crossing the ₹2,00,000 crore mark to reach ₹2,00,024 crore.
- **CASA Performance:** CASA deposits grew by 9.75% to ₹2,20,781 crore. While the CASA ratio moderated to 47.30% due to industry-wide depositor migration to higher-yielding term deposits, the Bank maintained its position as having one of the best CASA bases in the industry.
- **Acquisition Drives:** This stability was driven by comprehensive acquisition campaigns such as "Agaaz" and "Prarambh," and innovative products like "Cent Queen" (for women) and "Cent Parakram" (for defense personnel).

4.6 Capital Adequacy and Ratings

The Bank's capital position remains strong, providing a solid foundation for future business acceleration.

- **CRAR:** The Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) improved to 17.91%, an increase of 89 bps from the previous year.
- **Tier I Capital:** Stood at 15.61%, reflecting high-quality capital buffers.
- **Credit Ratings:** The Bank's stability was reaffirmed by leading agencies, with CRISIL and India Ratings maintaining "AA (Stable)" ratings.

4.7 Productivity and Outreach Growth

The "Year of Business Acceleration" saw a marked improvement in operational productivity:

- **Business Per Employee:** Improved significantly to ₹23.89 crore from ₹21.31 crore in FY2025.
- **Business Per Branch:** Rose to ₹177.19 crore.
- **Pan-India Expansion:** The Bank expanded its network to 4,585 branches, with 65.19% located in rural and semi-urban areas, ensuring its role as a key driver of nation-building and financial inclusion.

4.8 Departmental Highlights: Emerging Business & Co-Lending

The Emerging Business Department played a pivotal role in scaling the advances portfolio through innovative credit delivery models.

- **Co-Lending Excellence:** The Bank strengthened its co-lending framework, expanding to 36 NBFC/HFC partners.
- **Sanctions Impact:** Total co-lending sanctions during the year reached ₹7,296.02 crore, with an outstanding portfolio of ₹14,379.58 crore as of March 31, 2026.
- **Secured Focus:** Strategically focusing on secured advances, the secured portfolio under co-lending grew by 10.58% to ₹13,357.36 crore.

Table 1: FY2025 vs. FY2026 Key Performance Movement

Parameter	FY 2024-25	FY 2025-26	Growth / Change
Total Business	₹7,02,798 Cr	₹8,12,439 Cr	15.60%
Total Deposits	₹4,12,697 Cr	₹4,67,923 Cr	13.38%
Gross Advances	₹2,90,101 Cr	₹3,44,516 Cr	18.76%
CASA Ratio	48.91%	47.30%	(161 bps)
Net Profit	₹3,785 Cr	₹4,369 Cr*	15.43%
GNPA %	3.18%	2.67%	(51 bps)
NNPA %	0.55%	0.49%	(6 bps)
CRAR %	17.02%	17.91%	89 bps
ROA %	0.86%	0.89%*	3 bps

*Post DTA adjustment.

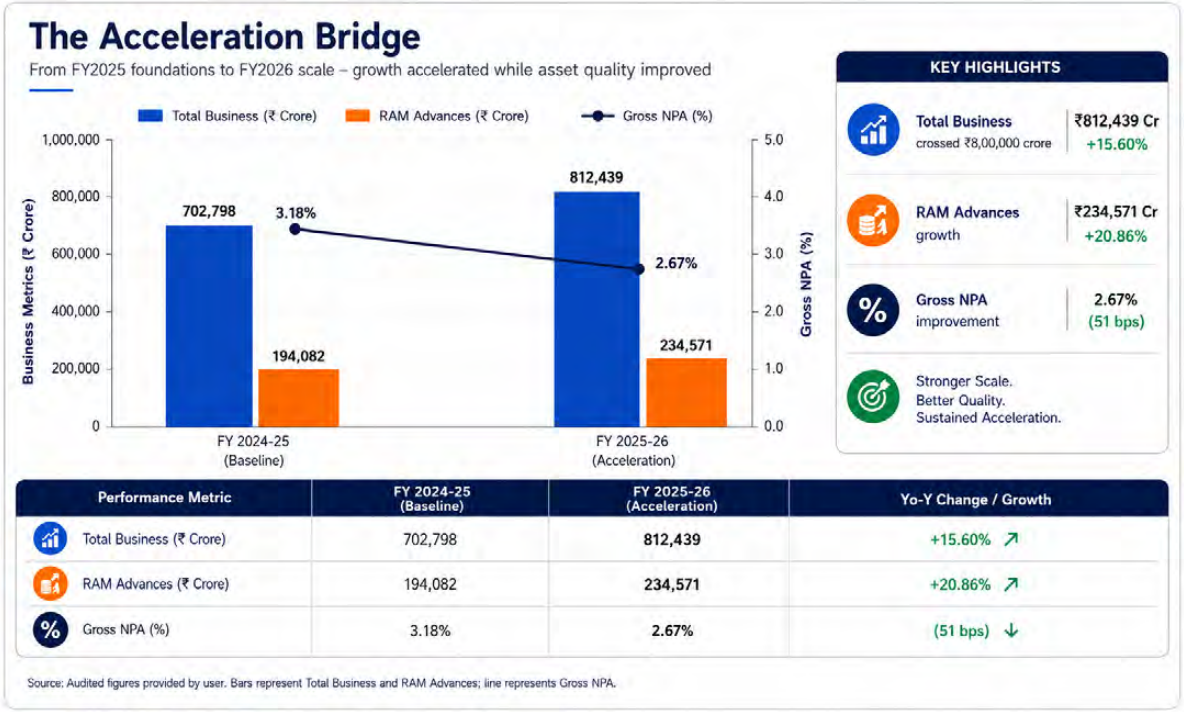

5. Strategic Initiatives and Business Transformation

The fiscal year 2025-26 was characterized by structurally embedded execution, marking the Bank's definitive transition from turnaround and stabilization to high-scale business acceleration. This shift is evidenced by the Bank's total business crossing the historic **₹8,12,439 crore** milestone, supported by the institutionalization of the **integrated transformation verticals** to drive agility across all operations.

5.1 Driving Growth Through Scalable Business Models

Acceleration was fueled by a pivot from conventional acquisition to a widening ecosystem approach, particularly through the **Emerging Business Department.**

- **Co-Lending Excellence:** The Bank expanded its co-lending framework to 36 NBFC/HFC partners, sanctioning ₹7,296.02 crore during the year.
- **Segmental Impact:** The outstanding co-lending portfolio reached ₹14,379.58 crore by March 31, 2026, with a strategic emphasis on secured advances, which grew by 10.58% to ₹13,357.36 crore.
- **Pool Buyout:** Pool Buyout has achieved total business of ₹4381.90 Crore egistering the growth of 155% on YoY basis.
- **TReDS (Trade Receivable Discounting System):** TReDS has achieved total business of ₹4440.54 Crore as on 31.03.2026 registering the growth of 45.72% on Y-O-Y basis.

Table 5.1: Co-Lending Sanctions FY2025-26

Sector	Sanctioned Amount (₹ Crore)
MSME	2,493.22
Retail	2,378.43
Agriculture	1,905.58
Corporate	518.79
Total	**7,296.02**

5.2 Digital Transformation: The Cent NEO Evolution

Digitalization served as the primary enabler of operational agility, with the Cent NEO initiative building a future ready bank for the next generation.

- **Digital Lending Platform (DLP):** The platform expanded to 37 live journeys, facilitating seamless approvals for products like Cent Grih Lakshmi, Mudra variants, and solar rooftop loans.
- **Digital Adoption:** Total share of digital transactions through Alternate Delivery Channels (ADC) reached 90.54%, while the adoption rate of the Cent eeZ app surged to 67.32% of the active customer base.
- **Digital Trust:** In a major compliance milestone, the Bank completed the migration of its corporate website and internet banking to the ".bank.in" domain, enhancing cybersecurity and institutional credibility.

5.3 RAM-Centric Innovation and Cluster Lending

To achieve Aspirational Growth (the "A" in CBI-CARE), the Bank sharpened its proposition in the RAM (Retail, Agriculture, and MSME) segments, which grew by 20.86%.

- **Cluster-Based Lending:** The Bank mapped 225 branches to specialized MSME clusters and 274 branches to 9 distinct agricultural cluster activities (including rice mills and cold storage).
- **Product Revamp:** Campaigns like "Ghar Wapasi" (for MSME takeovers) and new products such as Cent Parakram (for Defense) and Cent Queen (for Women) deepened the granular liability book.

5.4 Sustaining Asset Quality and Financial Fortitude

Acceleration was achieved without compromising credit discipline, proving the efficacy of our Early Warning Systems (EWS).

- **Portfolio Hygiene:** The Bank reduced its GNPA ratio to 2.67% and maintained a Net NPA of 0.49%, the lowest in recent history.
- **Compliance Automation:** The launch of the automated compliance systems portal automated compliance monitoring, contributing to a controlled slippage ratio of 1.16%.
- **Profitability Milestone:** For the first time, the Bank achieved its target 1.00% Return on Assets (ROA) (for Q1-Q3), demonstrating significant financial fortitude.

Quarterly ROA Performance | FY 2025-26

Crossed the 1.00% ROA milestone in Q1 and sustained performance through Q3; Q4 affected by a one-time DTA remeasurement charge

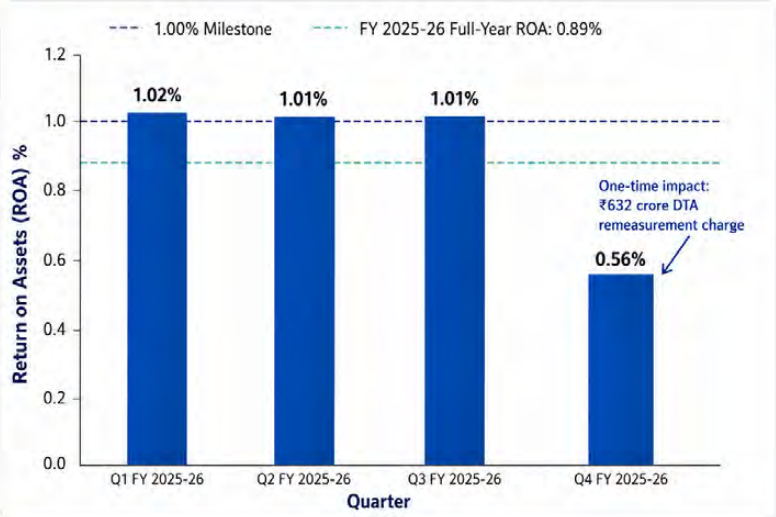

Strategic Significance

- Q1 marked the Bank's formal crossing of the 1.00% ROA milestone.
- Q2 and Q3 sustained ROA above 1.00%, validating operating momentum.
- Q4 ROA of 0.56% was impacted by a one-time ₹632 crore DTA remeasurement charge.
- Full-year standalone ROA improved to 0.89% from 0.86% in FY 2024-25.

Note: Q4 FY 2025-26 ROA includes a one-time charge of ₹632 crore due to the remeasurement of Deferred Tax Assets at a revised rate of 25.168% under the Finance Act 2026.

5.5 Operational Efficiency and Cost Discipline

Management focus extended beyond scale to the **quality of earnings,** with a sharp focus on the Cost-to-Income Ratio (CIR).

- **CIR Optimization:** Through process re-engineering and digital migration of routine tasks, the Bank is on a trajectory to bring the Cost-to-Income ratio below 56%.
- **Fee Income Levers:** Revenue streams were diversified through better capture in trade, forex, and merchant acquiring via the Cent e-Trade portal.

5.6 Service Excellence: Customer Care and Scaling Customer Reach

In FY2025-26, Central Bank of India reaffirmed its commitment to delivering superior customer service, recognising it as a strategic imperative and a key pillar of sustainable growth. The Bank's approach centred on the theme "Customer Satisfaction with Value Creation", reflecting its pledge to uphold ethical conduct, ensure fairness in business practices, and place customer needs at the core of operations. As part of this transformation, the Planning, Development & Operations Department was restructured and renamed the Customer Care Department, underscoring a renewed institutional focus on customer experience.

Integrated Customer Care (ICC) Platform

The launch of the Integrated Customer Care (ICC) platform marked a significant step in modernising the Bank's service architecture. Established in 2024, the centralised and scalable platform now plays a significant role in managing the Bank's wide customer base through the Complaint Management System (CMS). The ICC is operational from Mumbai since 05.02.2024 and Hyderabad since 30.03.2024. It employs over 360 professionals and is seamlessly integrated with the Bank's Data Centre (DC) and Disaster Recovery (DR) infrastructure.

The ICC handles a broad spectrum of services across deposits, loans, payments, and third-party products, including insurance and mutual funds. It also manages service requests, Net Banking and Mobile Banking support, campaign outreach, lead generation, and grievance redressal. A universal, easy-to-remember toll-free number, 1800 30 30, supports a multi-channel engagement framework covering voice, IVR, WhatsApp live chat, email/web forms, video banking, and co-browsing.

Customer-Centric Expansion and Infrastructure

The Bank continued to strengthen its physical and digital footprint. As of 31 March 2026, the branch network expanded to 4,585 branches, up from 4,545, comprising 1,622 rural branches, 1,367 semi-urban branches, 779 urban branches, and 817 metro branches. The ATM network also increased marginally to 3819 terminals.

Branch Expansion

In FY2025-26, Central Bank of India advanced its agenda of strategic branch expansion and optimisation as part of its broader commitment to enhancing customer reach, improving service delivery, and deepening financial inclusion. This strategic initiative was underpinned by a data-driven approach that prioritised branch openings in regions with high business potential and customer demand, while also undertaking selective consolidation

through branch mergers or closures to optimise operational efficiency.

As of 31 March 2026, the Bank's branch distribution across different geographical categories is as follows:

No.	Category	Branches as on 31.03.2025	Branches as on 31.03.2026
1	Rural	1,616	1,622
2	Semi-Urban	1,348	1,367
3	Urban	774	779
4	Metro	807	817
	Total	**4,545**	**4,585**

The total branch count for the Bank stood at 4,585 as of 31 March 2026. This expansion confirms the Bank's continued emphasis on physical presence as a channel for service delivery, particularly in rural and semi-urban India. These two segments together account for over 65% of the Bank's branch network, reinforcing its strategic focus on regional penetration and grassroots outreach.

While this growth enhances customer accessibility and supports inclusive banking, it also leads to higher operating expenses, particularly in categories such as rent and utility costs. Nevertheless, the Bank remains committed to balancing network expansion with operational efficiency, ensuring that each new or retained branch contributes meaningfully to customer service and business development objectives.

Digital Enablement and Technological Initiatives

Technology was integral to improving customer interaction and service delivery. Key digital developments included:

- Enhanced UPI functionalities within the CentPay application, including Hello UPI, UPI Global, Virtual Wallet, Marketplace, and Credit Score integration.
- Rollout of an Omni-Channel Platform for a unified customer experience across devices.
- Expansion of video KYC and periodic KYC updates through digital channels.
- Introduction of self-service tools for mobile number and KYC updates, Form 16 and interest certificate downloads, and service deregistration.

Tailored digital solutions for MSMEs and corporates are under development. Daily average mobile transactions reached 0.49 lakh, growing by 6.52% year-on-year, indicating rising digital adoption.

Grievance Redressal and Customer Feedback

The Bank enhanced its grievance redressal framework through the ICC. A structured Complaint Management System ensures time-bound resolution with well-defined turnaround times (TATs). In FY2026, the Bank received 3,21,197 customer complaints, with 3,641 pending at year-end, compared with 1,60,868 complaints and 8,285 pending in FY2025.

The Customer Service Committee of the Board continues to oversee improvements, guided by the Bank's publicly available policies on grievance redressal and customer rights. Customer feedback mechanisms include social media monitoring, surveys, and in-branch interactions.

Inclusive Services for Senior Citizens and Pensioners

The Bank provides dedicated services to senior citizens and pensioners, including a special toll-free line, 1800 203 1911, and proactive IVR reminders in twelve languages. Digital life certificates, Form 121 submissions, collection of cheque books, ATM cards and account statements, and doorstep service bookings further enhance accessibility for this segment.

Commitment of the Bank Towards Accessibility and Inclusion for Persons with Disabilities

In alignment with the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act and accessibility standards, the Bank has strengthened its policy to ensure inclusive banking services for senior citizens, disabled, and incapacitated account holders. Key initiatives include:

- **Nodal Officers:** Branch Managers serve as nodal officers at the branch level, while the Chief General Manager, Customer Care Department (CCD), oversees disability-related issues at the Central Office, with contact details available on the Bank's website.
- **Advisory Committee:** A four-member committee, led by the Chief General Manager-CCD and including representatives from DPTB, BSD, and DIT, has been formed. While forming this committee, care has been taken to ensure that one member of the committee is a person with disabilities. In the absence of a disability representative, the MD & CEO/ED is authorised to appoint a senior officer with a disability.
- **Customer Service Committee:** At least one member of the branch-level Customer Service Committee is a person with disabilities.
- **Infrastructure and Technology:** Of the Bank's 3,447 ground-floor branches, 2,604 have ramp facilities, and most offices are equipped with elevators or accessible infrastructure. The Core Banking Solution now includes flagging for customers with special needs.
- **Training and Sensitisation:** Over 8,073 staff participated in webinars and training sessions on providing inclusive services to customers with disabilities.
- **Dedicated Services:** Visually challenged customers have non-discriminatory access to banking facilities, including cheque books, ATMs, net banking, lockers, loans, and credit cards. A dedicated or priority counter is available for differently abled persons.

- **Doorstep Banking:** For differently abled or infirm customers, doorstep services include cash or instrument pickup, cash delivery, demand draft delivery, Form 121 submissions, collection of cheque books, ATM cards and account statements, and submission of KYC documents or life certificates. These services are available on demand.

The Bank remains committed to customising products and services to meet the needs of persons with disabilities, ensuring an inclusive and seamless banking experience.

Product Innovation and Customisation

The Bank shifted its approach from standardised offerings to customised, purpose-driven products. Notable examples include:

- Cent Grih Lakshmi, promoting women's financial empowerment.
- Cent e-Vehicles and participation in the PM Suryaghar Muft Bijli Yojana, supporting environmental sustainability.

These offerings align with the Bank's focus on delivering solutions that meet evolving customer expectations and broader ESG priorities.

The initiatives undertaken in FY2026 reflect Central Bank of India's strategic focus on customer centricity, operational excellence, and digital transformation. Through its integrated customer care architecture, product innovation, and expansive outreach—both physical and digital—the Bank continues to reinforce its role as a trusted financial partner, committed to enhancing access, service quality, and overall customer satisfaction.

Real-Time Customer Engagement

The Bank launched a modern Integrated Customer Care (ICC) platform to deliver real-time, multi-lingual support:

- Fully operational from Mumbai and Hyderabad, with scalability and advanced outreach models.
- Introduced a revamped grievance redressal system and integrated complaint management system.
- Offered services through voice, IVR, WhatsApp, video banking, and co-browsing.
- Delivered doorstep banking for senior citizens, visually impaired customers, and differently abled individuals.
- Leveraged Feet-on-Street (FOS) models and collections call centres for customer support.

Enhanced Payment Security

Security was reinforced alongside convenience:

- UPI Lite transactions preserved security standards while enabling PIN-less low-value payments.
- Virtual Debit Card ensured safe e-commerce usage.
- The Cyber Security Operation Centre (CSOC) provided 24/7 monitoring.
- Continued compliance with ISO 27001, PCI-DSS, and RBI cybersecurity norms ensured strong protection of customer data and systems.

Through these initiatives, Central Bank of India has not only modernised its customer engagement model but also established a strong foundation for inclusive, secure, and responsive banking. FY2026 marked a pivotal year in aligning customer service with digital innovation and inclusive growth, affirming the Bank's position as a trusted financial partner to millions.

5.7 ESG: Leading the Way in Nation Building

Sustainable finance is now integral to the Bank's growth blueprint, aligning with the Role in Nation Building ("R" in CBI-CARE).

- **Green Finance:** The Bank financed ₹2,751.44 crore toward renewable energy and invested ₹350.26 crore in green bonds.
- **Solar Momentum:** Sanctioned solar pumps to 16,500 farmers via a paperless digital journey under the PM Krishak Mitra Surya Yojana.
- **Environmental Goal:** The Bank is pursuing a vision of reaching Net Zero Scope 1 by 2028, supported by the installation of 658 kWp of rooftop solar on owned premises

6. Credit Highlights: Accelerating the Lending Franchise

The Central Bank of India achieved a watershed year in credit deployment during FY2025-26, translating its strategic lending frameworks into high-scale, tangible results. Gross advances surged to ₹3,44,516 crore, representing a robust year-on-year growth of 18.76%, which significantly outpaced the ₹2,90,101 crore achieved in the previous fiscal year. This momentum was underpinned by a disciplined focus on portfolio diversification and enhanced underwriting speed, ensuring that business acceleration was achieved with a steady focus on asset quality.

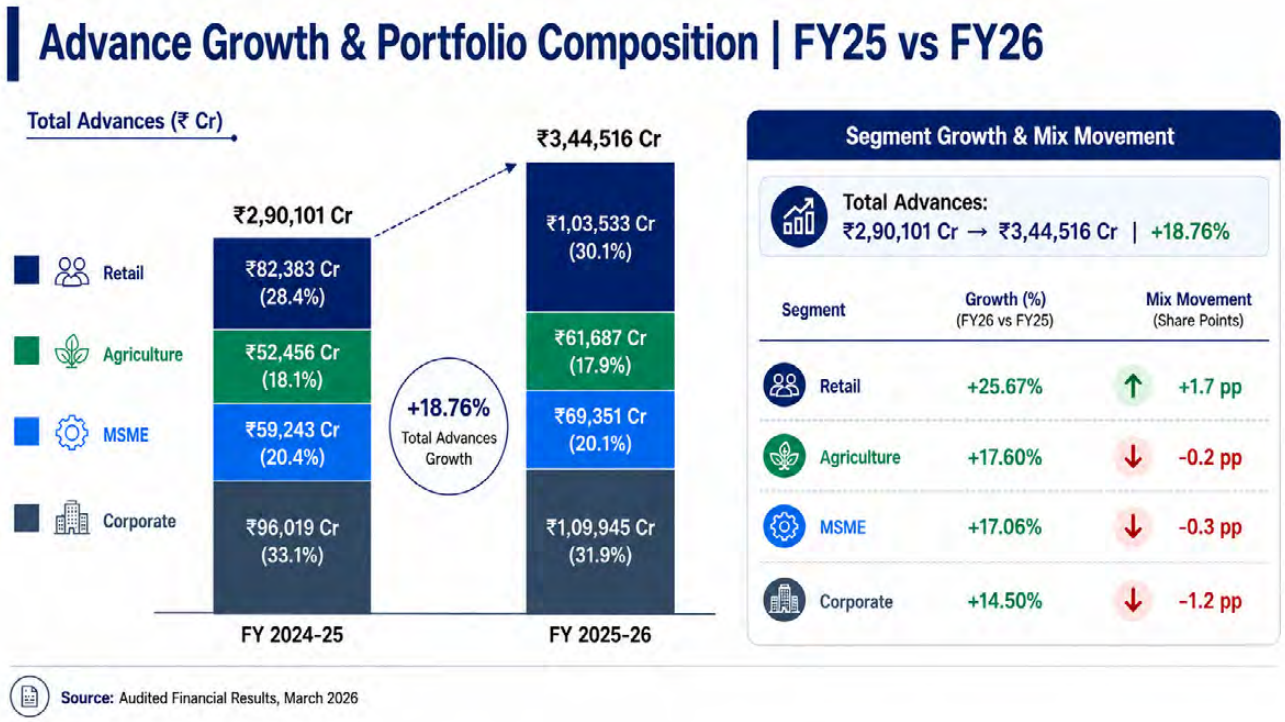

6.1 RAM Segment and the Retail Milestone

The RAM (Retail, Agriculture, and MSME) segment remained the engine of growth, expanding by 20.86% to reach ₹2,34,571 crore. A historic highlight of this "Year of Business Acceleration" was the Retail Advance portfolio crossing the ₹1,00,000 crore milestone, concluding the year at ₹1,03,533 crore.

- **Aspirational Growth:** Within Retail, Housing loans (₹59,012 crore) and Education loans (₹6,374 crore) served as primary growth levers, reflecting the Bank's role in supporting the aspirations of the Indian household.
- **Inclusive Reach:** Agriculture advances grew to ₹61,687 crore, while MSME lending reached ₹69,351 crore, reaffirming the Bank's Role in Nation Building by supporting critical, employment-generating sectors.

6.2 Corporate Credit and Strategic Ecosystems

Corporate credit contributed ₹1,09,945 crore to the total mix, growing by 14.50%. The Bank strategically pivoted toward higher-rated exposures, with 83.59% of standard rated advances being 'A' and above, compared to 81.87% in FY2025.

- **Business Acceleration:** Growth was fueled by innovative delivery models, including Supply Chain Finance (SCF) anchored by marquee partnerships with entities like TPEML, BALCO, and Vedanta Limited.
- **Synergetic Expansion:** The expansion of the co-lending framework to 36 NBFC/HFC partners allowed the Bank to tap into underserved markets, with total co-lending sanctions reaching ₹7,296.02 crore for the year.

6.3 Credit Monitoring, Policy and Automated Compliance Monitoring

Credit monitoring was institutionalized as a live operating discipline through the centralized transformation frameworks vertical. The Bank transitioned from manual oversight to automated compliance through the automated compliance monitoring platform, ensuring real-time monitoring of policy adherence.

- **War Room Discipline:** Dedicated "War Rooms" for Special Mention Accounts (SMA) enabled daily tracking of potential stress, contributing to a significant reduction in the overall slippage ratio to 1.16% from 1.45% in the prior year.

6.4 Comprehensive Credit Monitoring Mechanisms

The Bank maintained a structured governance architecture through weekly High-Level Credit Committee (HLCC)and Zonal Level Credit Committee (ZLCC) meetings, ensuring faster decision-making without diluting underwriting standards. This rigor supported a healthy Credit-Deposit (CD) Ratio of 73.80%, reflecting the efficient conversion of liabilities into productive assets.

6.5 Early Warning Systems (EWS) and Pre-emptive Action

A cornerstone of the Bank's financial fortitude in FY2026 was the elevation of its Early Warning Systems (EWS). By identifying operational and financial stress at the nascent stages, the Bank proactively contained fresh slippages, resulting in a Gross NPA (GNPA) improvement to 2.67% (down from 3.18%) and maintaining a Net NPA of 0.49%.

6.6 Specialised Monitoring for Large Accounts

For high-value exposures exceeding ₹250 crore, the Bank continued to engage Agencies for Specialised Monitoring (ASMs) to provide continuous transactional surveillance. This layer of oversight ensured transparency and discipline across the large corporate book, which accounted for 32% of the total advance mix.

6.7 Digitalisation of Credit: The DLP Revolution

Digitalization served as the primary enabler of scale, with the Digital Lending Platform (DLP) expanding to 37 live journeys.

- **Agile Origination:** The DLP facilitated seamless, paperless approvals for key products like Cent Grih Lakshmi, Mudra variants, and solar pump financing.
- **Data Innovation:** Integration with third-party APIs for GST analysis, ITR verification, and the RBIH-ULI platform for agricultural loans reduced turnaround times (TAT) and enhanced the customer experience.

6.8 Policy Framework and Human Capital

Growth was pursued within a framework of clearer governance and capacity building. To support this business acceleration, the Bank successfully conducted a Training Programme for 1,000 Credit Officers, focusing on skill upgradation and the maintenance of high underwriting quality. This investment in Employee Well-Being and Professional Growth ensures that the Bank's human capital is equipped to transition the franchise toward the proposed FY2027 "Year of Business Excellence".

7A. Business Performance & Segment Growth: The RAM Engine of Acceleration

In FY2025-26, the **RAM (Retail, Agriculture, and MSME)** segment served as the primary engine for the Bank's «Year of Business Acceleration.» By translating strategic growth frameworks into high-scale, tangible results, the Bank achieved a historic expansion of its granular book, which reached **₹2,34,571 crore,** representing a robust year-on-year growth of **20.86%**. This acceleration has significantly shifted the portfolio mix, with RAM now constituting **68.09% of total domestic advances,** up from 66.90% in the previous year.

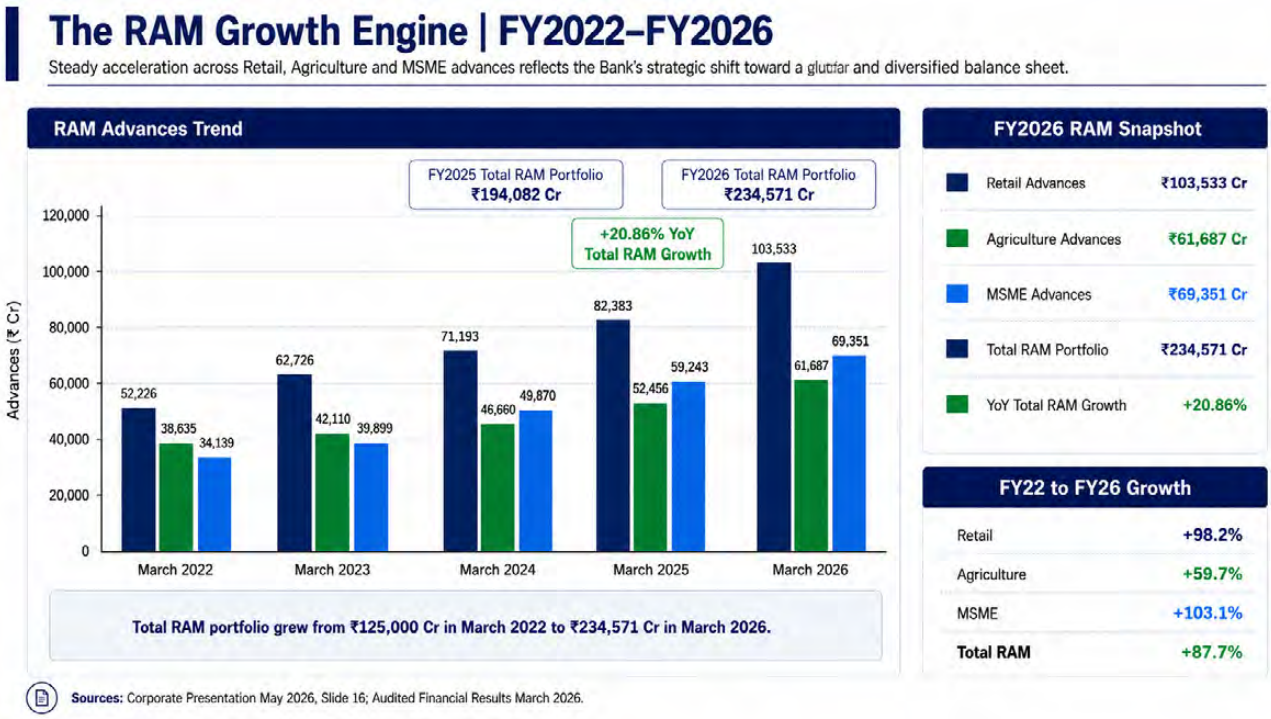

7a.1 RAM Momentum: Delivering Granular Scale

The Bank's pivot toward a granular, diversified balance sheet is evidenced by the balanced growth across all three RAM sub-segments. This momentum was supported by a widened ecosystem approach, moving beyond conventional branch-led acquisition to anchor-based and digital-first models.

RAM Segment Growth Trajectory | FY25 vs FY26

Retail, Agriculture and MSME together drove strong and broad-based expansion in the Bank's RAM portfolio.

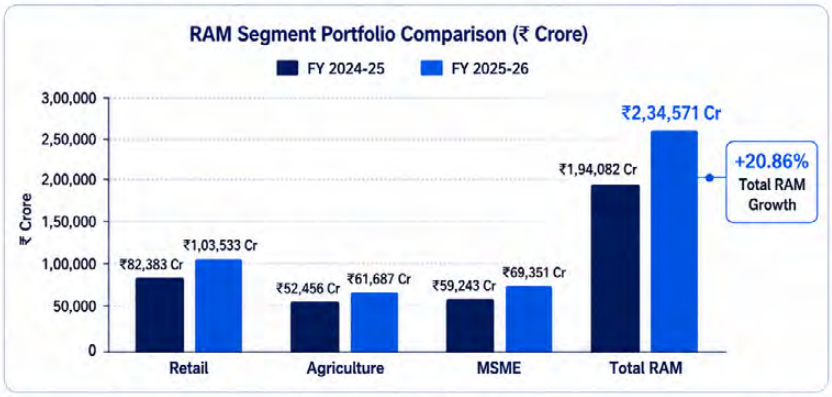

Growth Highlights

Total RAM Portfolio:
₹1,94,082 Cr → ₹2,34,571 Cr | +20.86%

Segment	FY 2025-26	Growth (%)
Retail	₹1,03,533 Cr	+25.67%
Agriculture	₹61,687 Cr	+17.60%
MSME	₹69,351 Cr	+17.06%

Retail recorded the strongest growth, while Agriculture and MSME also delivered healthy double-digit expansion.

Segment	FY 2024-25 (₹ Cr)	FY 2025-26 (₹ Cr)	Growth (%)
Retail	82,383	1,03,533	25.67%
Agriculture	52,456	61,687	17.60%
MSME	59,243	69,351	17.06%
Total RAM	**1,94,082**	**2,34,571**	**20.86%**

Source: Audited Financial Results March 2026

7a.2 Retail Lending: Reaching the ₹1,00,000 Crore Landmark

Retail lending has solidified its position as a cornerstone of the Central Bank of India's credit portfolio, playing a dual role in diversifying the Bank's asset base and stimulating the broader economic ecosystem through enhanced consumer spending. In the **"Year of Business Acceleration,"** the Retail vertical achieved its most significant milestone to date, transitioning from a period of foundational growth to a high-velocity engine that successfully **delivered its promise** to the Bank›s stakeholders.

Retail Portfolio Composition | March 31, 2026

Breakdown of the landmark ₹1,03,533 crore retail book, highlighting housing as the primal lever of Aspirational Growth.

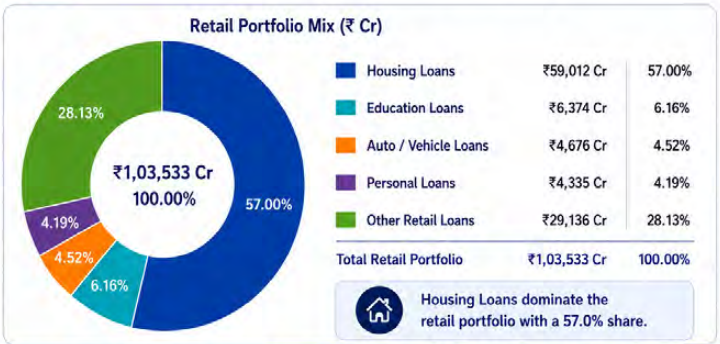

Key Highlights

Total Retail Portfolio:
₹1,03,533 Cr

Retail Sub-Segment	Outstanding Balance (₹ Cr)	% Share of Retail Book
Housing Loans	₹59,012 Cr	57.00%
Education Loans	₹6,374 Cr	6.16%
Auto / Vehicle Loans	₹4,676 Cr	4.52%
Personal Loans	₹4,335 Cr	4.19%
Other Retail Loans	₹29,136 Cr	28.13%

Aspirational Growth

- Education Loan portfolio grew by 17.86% during FY 2025-26.
- Housing Loan portfolio grew by 13.13% during FY 2025-26.
- These segments directly support the 'A' (Aspirational Growth) in CBI-CARE.

Retail Sub-Segment	Outstanding Balance (₹ Cr)	% Share of Retail Book
Housing Loans	₹59,012 Cr	57.00%
Education Loans	₹6,374 Cr	6.16%
Auto / Vehicle Loans	₹4,676 Cr	4.52%
Personal Loans	₹4,335 Cr	4.19%
Other Retail Loans	₹29,136 Cr	28.13%
Total Retail Portfolio	**₹1,03,533 Cr**	**100.00%**

Sources: Corporate Presentation May 2026, Slide 17 & 32; Audited Financial Results March 2026.

7a.2.1 Historic Growth and Portfolio Scale

As of March 31, 2026, the Bank's Retail Credit portfolio reached **₹1,03,533 crore**, marking a watershed moment in the franchise's history. This represents a robust year-on-year growth of **25.67%** compared to the ₹82,383 crore reported in the previous fiscal year. This acceleration has structurally shifted the Bank›s balance sheet, with retail loans now accounting for **30.05%** of total advances, up from 28.40% in FY2025.

The sheer scale of this acceleration is best evidenced by the Bank's sanctions momentum, which saw a nearly 50% increase in capital deployment.

Table 7a.2: Retail Sanctions Acceleration (FY25 vs. FY26)

Performance Metric	FY 2024-25	FY 2025-26	Growth (%)
Number of Retail Accounts Sanctioned	3,50,892	4,97,809	+41.87%
Total Amount Sanctioned (₹ Crore)	**29,951.00**	**44,541.64**	**+48.71%**

7a.2.2 Key Segments: Powering Aspirational Growth

The Bank's retail portfolio is well-diversified across core segments that directly support the **"Aspirational growth"** pillar of **CBI-CARE.** Each sub-segment demonstrated stable growth and contributed to the overall acceleration of the granular book.

- **Housing Loans:** Reaffirming the Bank's role in supporting home ownership, this dominant segment reached **₹59,012 crore,** comprising **57.00%** of the total retail portfolio with a growth of 13.13%.
- **Education Loans:** Reflecting the Bank's promise to nurture the aspirations of the Indian youth, education loans surged by **17.86%** to reach **₹6,374 crore,** accounting for 6.16% of the retail book.
- **Auto Loans:** Supported by aggressive OEM partnerships and festive promotions, this segment grew by **16.96%** to reach **₹4,676 crore**.
- **Personal Loans:** Managed with a disciplined focus on risk, personal loans stood at **₹4,335 crore,** with a marginal growth of **4.58%** reflecting selective underwriting standards.
- **Other Retail Loans:** This category—including consumer durables, lifestyle, and small-ticket financing—was the fastest-growing segment, surging by **79.08%** to reach **₹29,136 crore,** or **28.13%** of the total portfolio.

7a.2.3 Technological Advancements and Digital Efficiency

In the **"Year of Business Acceleration,"** technology served as the primary enabler for operational agility and superior customer experience. The Bank leveraged its **Cent NEO** ecosystem to move retail lending into a more efficient, data-driven era.

- **Data-Driven Acquisition:** The Bank utilized **AI, Machine Learning (ML),** and advanced data mining to identify specific cross-sell and upsell opportunities within its existing 8.26 crore customer base.
- **Account Aggregator Integration:** The adoption of the **Account Aggregator** platform has revolutionized lead generation and streamlined the verification process for retail borrowers.
- **Cent eeZ Evolution:** FY2026 saw the rollout of high-velocity digital initiatives, including pre-approved digital lending functionalities and integrated credit score checks within the **Cent eeZ** app.
- **Omni-Channel Vision:** The Bank is progressing toward a device-agnostic **Omni-Channel Platform** to ensure a seamless and consistent engagement experience for customers across all digital touchpoints.

7a.2.4 Strategic Initiatives: Scaling the Retail Ecosystem

Strategic partnerships and innovative product delivery models were instrumental in translating foundational frameworks into high-scale results.

- **Credit Line on UPI:** In a major innovative push, the Bank launched a facility offering credit against time deposits for immediate liquidity needs, accessible directly via Cent eeZ and Net Banking.
- **Fintech Aggregator Partnerships:** The Bank successfully expanded its lead sourcing through tie-ups with marquee digital aggregators, including housing.com, 99acres, PolicyBazaar, and NoBroker.
- **OEM Tie-up Expansion:** Building on established partnerships with Tata Motors, Maruti Suzuki, and VinFast, the Bank has outlined plans to add Mahindra, Toyota, and Hyundai in FY2026-27 to further accelerate auto loan growth.
- **Payroll-Linked Lending:** The Bank intensified its focus on secure, high-yield retail lending by establishing tie-ups with top-tier builders and government/institutional entities for payroll-linked products.
- **Seasonal Momentum:** Periodic festival campaigns were utilized to boost seasonal demand and reinforce the Bank›s brand as an aspirational partner for retail consumers.

7a.2.5 Future Outlook: Toward the Year of Business Excellence (FY2027)

With retail credit now firmly established as a primary growth driver, the segment is positioned to capitalize on emerging market opportunities as the Bank transitions toward its proposed FY2027 "Year of Business Excellence". For the upcoming fiscal cycle, the Bank has set an overall advances growth guidance of 20-21%, with the retail engine expected to play a pivotal role through continued digital expansion, strengthened partnerships, and focused customer engagement.

7a.3 Agriculture Portfolio: Strategic Cluster Mapping

Agriculture advances grew to ₹61,687 crore, with the Bank moving beyond traditional lending to a value-chain-integrated approach under transformation frameworks.

- **Agro-Cluster Strategy:** The Bank successfully mapped 274 branches across 39 districts to 9 specific cluster activities, including rice, dal, and oil mills, and makhana processing. This allows for focused credit delivery from production to consumption.
- **Mechanization Focus:** A strategic tie-up with ACE (Action Construction Equipment) Ltd enabled the financing of tractors and farm machinery through 334 mapped branches.
- **SHG Linkage:** MOUs with 13 State Livelihood Missions (SRLM) significantly strengthened the Self-Help Group portfolio, facilitating entrepreneurial growth in rural corridors.

7a.4 MSME Department: Empowering the Industrial Engine of Acceleration

In the **"Year of Business Acceleration,"** the MSME Department served as a critical driver of the Bank's **Role in Nation Building** and **Aspirational Growth.** By translating strategic lending frameworks into tangible, scalable results, the Bank achieved a historic expansion of its MSME portfolio, reaching **₹69,351 crore** as of March 31, 2026. This represents a robust year-on-year growth of **17.06%,** significantly outpacing the previous year's baseline of ₹59,243 crore.

7a.4.1 Segmented Performance and Acceleration Metrics

The Bank's MSME strategy in FY2026 focused on balanced growth across the spectrum, with a notable surge in the Medium enterprise segment, which grew by an exceptional **42.78%**.

Table 7a.4.: MSME Segmental Growth Trajectory (₹ in Cr)

Segment	31.03.2025	31.03.2026	Growth Amt	Y-o-Y Growth %
Micro	35,354	42,302	6,948	19.65%
Small	17,496	17,921	425	2.43%
Medium	6,393	9,128	2,735	42.78%
Total	**59,243**	**69,351**	**10,108**	**17.06%**

(Source: AAA MSME_MDA.docx)

7a.4.2 Asset Quality and Portfolio Hygiene

While accelerating credit delivery, the Bank maintained a disciplined focus on portfolio hygiene. The overall MSME NPA percentage stood at 5.35%, with the Service sector showing superior resilience at a 5.00% NPA level.

Table 5.4b: MSME Portfolio and Asset Quality (as on 31.03.2026)

Particular	Total Portfolio (₹ Cr)	Manufacturing (₹ Cr)	Service (₹ Cr)
Total Advances	69,551	29,784	39,767
Net NPA	3,713	1,726	1,987
NPA%	5.35%	5.79%	5.00%

(Source: AAA MSME_MDA.docx)

7a.4.3 Digital Acceleration: The Digital Lending Platform (DLP) Impact

Digitalization served as the primary enabler of scale, with the Digital Lending Platform (DLP) facilitating seamless, paperless approvals. In FY2026, the DLP executed 6,182 sanctions with a total sanctioned amount of ₹1,625.26 crore.

Table 7a.4.c: Digital Journey (DLP) Performance FY2025-26

Scheme Name	Number of Sanctions	Sanctioned Amt (₹ Cr)
Cent Business Loan	1,321	1,266.59
Cent Saral	2,309	197.63
Cent Mudra	2,148	113.97
Cent GST	66	44.27
Others (PM SVANIDHI / Vishwakarma)	318	1.31
Total DLP Sanctions	**6,182**	**1,625.26**

(Source: AAA MSME_MDA.docx)

7a.4.4 MSME Major Schemes: Delivering Targeted Results

The "Year of Business Acceleration" saw record-breaking performance in specialized schemes, with Cent Hotel emerging as a standout outlier with 128.36% growth.

Table 7a.4.d: Performance of Major MSME Schemes

Scheme Name	31.03.2025 (₹ Cr)	31.03.2026 (₹ Cr)	Growth %
Cent Hotel	599.29	1,368.55	128.36%
Cent Sanjivani	291.53	503.28	72.64%
Transport Operator	622.49	1,013.06	62.74%
Cent CA/CS/CMA	120.17	194.69	62.01%
MSME - Platinum	898.20	1,251.34	39.32%
Cent Hosiery/Textiles	1,447.26	2,005.97	38.60%
Cent Business	5,725.93	7,274.60	27.05%

(Source: AAA MSME_MDA.docx)

7a.4.5 Strategic Cluster-Based Financing: Anchoring Transformation

Under the transformation hub of internal transformation hub, the Bank institutionalized a "Cluster-First" approach to MSME financing.

- **Expansion Target:** The Bank has set a strategic target to increase sanctions under Cluster-based financing from ₹2,963 crore in March 2025 to **₹16,983 crore by March 2030**.
- **Infrastructure:** The Bank identified **225 potential branches** covering 26 States and 154 Districts, mapping them to critical industrial clusters.
- **Operational Discipline:** To sustain momentum, the Bank celebrates a pre-fixed **"MSME Cluster Day"** every week (e.g., Leather, Textile, or Engineering Cluster Day) focusing on new acquisition and service resolution.

Key Identified Clusters (FY2026):

1. **Ceramic:** Jodhpur, Rajkot, Cuddapah.
2. **Electricals:** Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore.
3. **Engineering:** Rajkot, Ludhiana, Surat, Thane, Kolkata.
4. **Food Processing:** Karnal, Panipat, Aurangabad, Jalgaon.
5. **Hospitality:** Shimla, Gangtok, Panaji, Udaipur.
6. **Textile:** Kanpur, Ludhiana, Surat, Mumbai, Rajkot, Jodhpur.

7a.4.6 Supply Chain Finance (SCF) and Digital Ecosystems

The SCF platform transitioned from launch to scale, achieving 40% regional activation with a target of 100% activation by 2026-27.

- **Mobilization:** The Bank mobilized ₹518 crore through its sourcing partner, YUBI.
- **Future Guidance:** Through a tie-up with the PSB Alliance, the Bank expects to mobilize ₹2,000 crore by March 2027.
- **Empowering Field Staff:** New digital tools, including MSME Eligibility Calculators and a Digital Booklet of schemes in Cent Sampoorna, allow staff to provide instant loan eligibility to customers.

7a.4.7 Human Capital: Institutionalizing Excellence

To ensure high-quality underwriting, the Bank is creating a pool of MSME processing experts through intensive training.

- **Timeline:** A batch of 225 Identified Officers commenced training at CBOTC Kolkata and Bhopal in February 2026.
- **Scaling Up:** The Bank aims to train 1,000 officers annually through 2030.

7a.4.8 Strategic Outreach: The Saina Nehwal Campaign

To sustain business acceleration, the Bank organized a nationwide Mega Credit Outreach Program from May 1 to June 30, 2026. Hosted by Padma Bhushan Saina Nehwal, this campaign focuses on the RAM segment, leveraging her high visibility to drive brand prestige and aspirational credit growth.

7a.5 CASA Deepening and Target Segment Products

To support RAM lending with low-cost resources, the Bank deepened its liability franchise through the **"Agaaz"** and **"Prarambh"** acquisition drives.

- **Cent Queen:** A premium savings accounts exclusively for women, providing accidental insurance and health perks.
- **Cent Parakram:** A specialized savings product for defense and security personnel, facilitating cross-sell within a loyal customer segment.
- **Cent Prestige:** A premium salary account crafted for professionals in government and top-tier PSUs.

7a.6 Co-Lending Excellence: Widening the Reach

The Bank's co-lending framework with 36 NBFC/HFC partners acted as a force multiplier for RAM growth, particularly in Tier 2 to Tier 4 locations.

- **Scaling Sanctions:** Total co-lending sanctions reached ₹7,296.02 crore for the year, with a strong focus on Retail (₹2,378.43 crore) and MSME (₹2,493.22 crore).
- **Portfolio Hygiene:** The co-lending portfolio was strategically tilted toward quality, with Secured Advances growing by 10.58% to reach ₹13,357.86 crore.

7b. Priority Sector Lending: Delivering the Promise of Inclusive Acceleration

In alignment with the Reserve Bank of India's directive to allocate at least 40% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) or an equivalent credit amount from off-balance sheet exposures, whichever is higher to priority sector activities,

Central Bank of India reaffirmed its commitment to inclusive growth and financial outreach in FY2025 - 26. The Bank significantly exceeded this regulatory threshold, with Priority Sector Advances accounting for 53.18% of its ANBC as at 31 March 2026. This performance reflects the Bank's strategic orientation towards serving critical segments of the economy and contributing to national development goals.

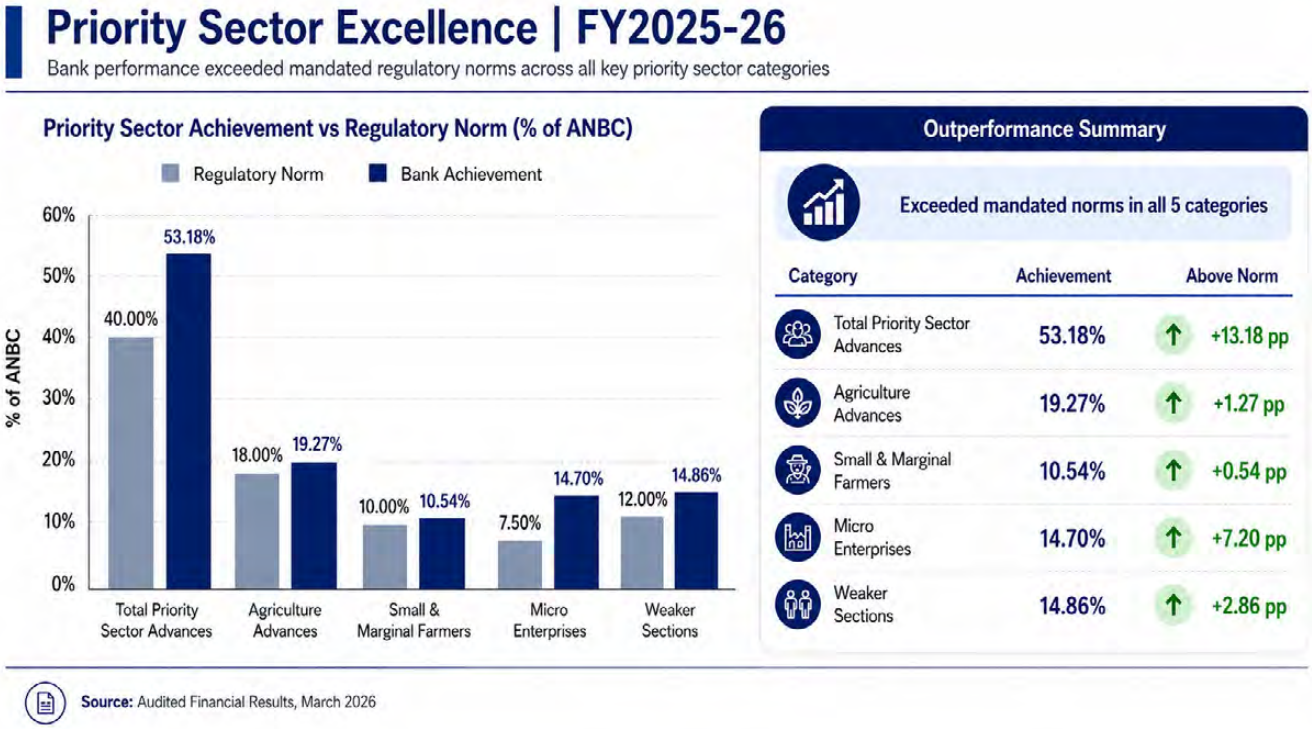

Credit Performance in Priority Sectors

Total Priority Sector Advances reached ₹1,59,094.25 crore as at 31 March 2026, representing a year-on-year growth of 18.15%, or ₹24,448 crore, over the previous year. This expansion was driven by a focused approach to deepening credit penetration across key categories such as agriculture, MSMEs, and affordable housing, while maintaining compliance with prescribed sectoral targets.

Agriculture Credit rose to 61,687.39 crore, an increase of ₹9,231 crore over FY2025, achieving 19.27% of ANBC and surpassing the regulatory sub-target of 18%. Similarly, MSME lending witnessed a strong year-on-year growth of 17.06%, with total advances rising to ₹69,350.49 crore.

Education loans grew by 43.11%, while housing loans up to 25 lakh rose by 20.10%, reaching ₹24,829.89 crore. Some contraction was observed in smaller sub-categories such as Renewable Energy, Social Infrastructure, and Export Credit, reflecting cyclical trends and portfolio rebalancing.

A summary of segment-wise performance is outlined below:

Segment	FY2025 (Rs. Cr)	FY2026 (Rs. Cr)	Growth (%)
Priority Sector Advances	1,34,646.12	1,59,094.25	18.16%
Agriculture	52,456.39	61,687.39	17.60%
MSME	59,242.97	69,350.49	17.06%
Education	2,238.30	3,203.14	43.11%
Housing (up to ₹25 lakh)	20,673.49	24,829.89	20.10%
Other Priority Sectors	0.82	5.02	512.20%
Renewable Energy	0.85	0.31	-63.53%
Social Infrastructure	24.25	16.85	-30.52%
Export Credit	9.05	1.16	-87.18%

Strategic Use of PSLCs and RIDF Allocation

To optimize regulatory capital and benefit from over achievement in certain categories, the Bank actively participated in the Priority Sector Lending Certificate (PSLC) market. In FY2025-26, PSLCs totalling ₹6,800 crore were sold, comprising ₹5,300 crore under agriculture and ₹1,500 crore under the small and marginal farmers sub-category.

Further, the Bank maintained a presence in the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF). As of 31 March 2026, the outstanding RIDF exposure stood at ₹619.12 crore, of which ₹523.21 crore was earmarked towards Ancillary Activities. These initiatives support rural development and enable the Bank to meet shortfalls in sub-targets through eligible investments.

AGRICULTURE SECTOR

Central Bank of India continues to place the agricultural sector at the heart of its inclusive development strategy, recognizing its vital role in sustaining livelihoods, ensuring food security, and contributing to India's economic resilience. In FY2025-26, the Bank deepened its outreach to the farming community through tailored financial products, proactive credit deployment, and targeted support for agri-allied activities and infrastructure.

Strong Growth in Agriculture Advances

As of 31 March 2026, the Bank's total Agriculture and Allied Advances stood at ₹61,687.39 crore, marking a robust 17.60% year-on-year growth over ₹52,456.39 crore recorded at the end of FY2025. Notably, the agriculture credit-to-Adjusted Net Bank Credit (ANBC) ratio reached 19.27%, exceeding the regulatory requirement of 18%. This performance reaffirms the Bank's commitment to meeting regulatory mandates while fulfilling the credit needs of India's agrarian economy.

Diverse and Inclusive Agri-Finance Offerings

The Bank offers a comprehensive suite of agricultural finance products tailored to the varied needs of farmers, agripreneurs, and rural enterprises. These include:

- Cent Kisan Credit Card (KCC) - for crop production, post-harvest expenses, and working capital.
- Cent Agri Gold Loan - rapid credit access against gold for crop and capital needs.
- Cent Poly House / Green House Scheme - for protected cultivation of horticulture crops.
- Cent AMI Scheme - to build marketing and storage infrastructure.
- Cent Dairy, Poultry, Fishery & Animal Husbandry Infra - to finance allied activities and promote rural entrepreneurship.
- Cent SHG Bank Linkage & DAY-NRLM - empowering women-led Self-Help Groups with term and revolving credit.
- Cent Farm Machinery & Cent Agri Infra - for mechanisation and post-harvest investment.
- Cent Solar (under PM-KUSUM) - for decentralised, renewable power solutions.
- Cent Goatery, Mushroom, and Naari Shakti - promoting alternative income sources and supporting underrepresented groups.
- Cent FPO, FIDF, PMFME, and Cold Storage Schemes - for promoting collectives, processing units, and rural agri-logistics.

These schemes reflect the Bank's holistic approach to agricultural financing, spanning crop loans, capital investment, infrastructure creation, and climate-resilient agriculture.

FY2026 Performance Highlights and Initiatives

The Bank undertook several focused initiatives in FY2025-26 to augment credit flows and support inclusive growth in the agriculture sector:

- **Credit Campaigns and Outreach:** Rural and semi- urban branches organized monthly credit camps and village-level awareness drives, promoting SHG financing and expanding access to government schemes such as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY).
- **Priority Sector Lending Certificates (PSLCs):** To optimise regulatory benefits from surplus lending, the Bank executed PSLC sales of 6800 crore, of which 5,300' crore pertained to agriculture and `1,500 crore to small and marginal farmers.
- **Rural Infrastructure Development Fund (RIDF):** As of 31 March 2026, the Bank held an outstanding RIDF allocation of 619.12' crore, including 523.21' crore towards Ancillaries Activities, reinforcing its role in rural capital formation.
- **Digital Innovations for Agri-Inclusion:** The Bank piloted digital agri-loan products, including emergency crop finance, and introduced online journeys under key schemes to enhance accessibility for remote and underserved borrowers.
- **Focus on Climate-Smart Agriculture:** Through schemes like Cent Poly House, the Bank promoted sustainable farming practices, offering financing for high- value horticulture cultivation in protected environments.

Central Bank of India's performance in FY2026 highlights its proactive stance on advancing rural credit, meeting priority sector targets, and enabling sustainable agricultural transformation. By combining product innovation, digital enablement, and institutional partnerships, the Bank is well- positioned to scale its impact in India's agricultural and rural economy."

ENHANCING FINANCIAL INCLUSION

Central Bank of India remains steadfast in its commitment to advancing financial inclusion as a cornerstone of its institutional strategy. For the Bank, financial inclusion is not merely a regulatory mandate—it is a vehicle for social equity, economic empowerment, and sustainable development. In FY2025 - 26, the Bank deepened its outreach to underserved communities through targeted schemes, strategic partnerships, and digital enablement, directly contributing to Sustainable Development Goals (SDGs) such as SDG 1 (No Poverty), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 10 (Reduced Inequalities).

Strengthening Agricultural Inclusion

Recognizing the centrality of agriculture in India's socio-economic fabric, the Bank has prioritized timely and adequate credit flow to farmers and allied activities. In FY2026, total Agriculture and Allied Advances grew by 17.60%, reaching ₹61,687.39 crore. The agriculture credit-to-ANBC ratio stood at 19.27%, surpassing the regulatory target of 18%.

The Bank's extensive portfolio of sector-specific schemes supports a range of farming and agri-business needs. Flagship offerings include:

- Cent Kisan Credit Card (KCC) for crop cultivation and post-harvest financing.
- Cent Agri Gold Loan for quick access to liquidity.
- Cent Poly House Scheme for protected horticulture cultivation.
- Cent Dairy, Cent Fishery, and Cent Farm Machinery to promote diversification and mechanisation.
- Cent FPO, Cent PMFME, and Cent Cold Storage to strengthen agri-infrastructure and processing value chains.
- Cent Solar (PM-KUSUM) and Cent Agri Infra to promote climate-smart agriculture.
- Cent Food cluster: Dal/Rice/Oil: To promote Food Processing activities with concessional ROI.
- Cent Cold Storage/Warehouse cluster: to boost agri business portfolio growth in Agri Infrastructure.
- Cent Agro Tea- Area specific scheme for tea growing schemes.

To enhance last-mile delivery, the Bank conducted monthly credit camps in rural and semi-urban branches and organised weekly village-level awareness drives. Special camps for Self-Help Groups (SHGs) were held to promote formal credit linkage under schemes such as DAY-NRLM and Cent SHG Bank Linkage. The Bank also ensured inclusion under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), offering risk mitigation to small and marginal farmers.

The Bank also intensified efforts in financial inclusion through the PMJDY scheme, achieving 15.68% growth in BC outlet business and 12.99 % growth in total financial inclusion business during FY 2025-26

Banking services were significantly extended across geographies, with 19,336 villages covered and 13,685 Business Correspondent (BC) agents deployed nationwide. In urban areas, 1,268 Financial Inclusion Centres were operational, ensuring equitable access to banking services across both rural and urban landscapes.

Technology-Led Inclusion

Technology remains a pivotal enabler of the Bank's inclusion strategy. FY2025 saw the rollout of emergency agri-loans through digital channels, enabling timely and flexible access to funds. Though explicit metrics on digital financial literacy were not available, the Bank's increasing digital outreach implies continued onboarding of customers onto digital platforms, enhancing self-service capabilities and financial awareness.

SOCIAL SECURITY AND VULNERABLE SEGMENT SUPPORT

The Bank expanded its outreach to socially vulnerable groups through schemes like Cent Naari Shakti (for women SHG members), Cent Kisan Sathi (for debt relief from informal lenders), and Cent Scheduled Tribe (targeting weaker sections). These offerings reinforce the Bank's alignment with national objectives of social inclusion and targeted welfare.

Enrolment under government-backed social security schemes also grew significantly in FY2026:

- **PMJJBY:** 17.35% growth (to 32.26 lakh enrolls)
- **PMSBY:** 11.88% growth (to 116.87 lakh enrolls)
- **Atal Pension Yojana:** 20.35% growth (to 31.81 lakh enrolls)

The Bank demonstrated strong claims servicing under these schemes, settling 18,771 of 20,539 death claims under PMJJBY and 6,984 of 9,248 under PMSBY, reflecting its commitment to timely financial support.

Performance Under PMJDY and BC Model

The Bank's performance under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) continued to strengthen. Business conducted through BCs rose 15.68% to 6917.37 crore, while financial inclusion transactions via BC accounts surged 12.99% to 10405.36 crore. The total number of accounts opened through BCs increased 4 .83% to 198.69 lakh, reinforcing the model's effectiveness in onboarding the unbanked.

Aadhaar seeding under PMJDY accounts also improved—rising to 91.25% for all accounts and 95.51% for operative accounts—facilitating seamless transfers and enhancing identification accuracy.

Through an integrated approach combining physical outreach, customised product development, partnerships, and digital delivery, Central Bank of India has established itself as a leading contributor to India's financial inclusion landscape. The Bank's efforts in FY2025-26 represent a deepening of this mission, with continued focus on rural credit, MSMEs, women, and vulnerable communities. These efforts not only fulfil regulatory obligations but also create long-term value by enabling broader participation in the formal financial ecosystem.

FINANCIAL LITERACY AND CREDIT COUNSELLING CENTRE (FLCC)

For the fiscal year 2025-26, Central Bank of India continued to place significant emphasis on enhancing financial inclusion through dedicated outreach initiatives, prominently featuring its Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs). These centres are pivotal components of the Bank's strategy to bring financial education and guidance to the unserved and underserved segments of the population. Their primary objective is to empower individuals by providing comprehensive financial education, helping them make informed financial decisions, and enhancing their understanding of available financial products and services. As reported for the period 2024- 25, Central Bank of India has established 52 FLCCs across seven states: Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Rajasthan, and Chhattisgarh. Additionally, four FLCCs have been set up at the block level in Kerala. The Bank also operates 178 Community Financial Literacy Centres (CFLs) strategically placed across these states, with the distribution as follows: West Bengal (12), Madhya Pradesh (49), Uttar Pradesh (21), Rajasthan

(7), Bihar (61), Chhattisgarh (14) and Maharashtra (14). These centres are crucial platforms for educating a broad spectrum of individuals and are utilized for conducting mass campaigns and community meetings.

The functioning and activities of the FLCCs, along with Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) and CFLs, are overseen by a dedicated society/trust named "Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan" (CBI- SUAPS). An apex-level Governing Council provides overall guidance and supervision to ensure effective management and coordination of these institutions. The Bank actively engages various resources, including the valuable contributions of retired personnel as consultants. This initiative allows the Bank to leverage their extensive experience and knowledge, benefiting customers through enriched advisory capabilities, aligning with the Bank's broader inclusion and experience- sharing strategy. These efforts are specifically aimed at reaching individuals and small businesses in underserved areas and fostering financial literacy and skills development in rural and semi-urban communities. The impact of these programs includes equipping individuals with knowledge for effective financial management and enhancing their economic well-being.

EMPOWERING RURAL YOUTH THROUGH RSETIS

As part of its enduring commitment to financial inclusion and skill development, Central Bank of India continued to strengthen its Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) during the fiscal year 2025-26. These institutes form a cornerstone of the Bank's broader strategy to empower unemployed youth in rural and semi-urban areas by equipping them with practical skills and entrepreneurial capabilities necessary for self-employment or gainful wage employment. The RSETIs are designed not only to build competencies but also to foster self-reliance and sustainable livelihoods within the communities they serve.

The Bank operates 48 RSETIs strategically located across nine Indian states— viz. Madhya Pradesh (18), Bihar (9), Maharashtra (6), Uttar Pradesh (5), West Bengal (3), Chhattisgarh (4), Rajasthan (1), Odissa (1) and Assam(1). These centres deliver structured training programmes targeted at economically disadvantaged groups, with an emphasis on practical skill-building, entrepreneurship, and financial awareness. The management of RSETIs, along with Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs) and Centres for Financial Literacy (CFLs), is overseen by the Bank's dedicated not-for-profit trust, the Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS).

In FY2025-26, the RSETIs conducted 1510 training programmes and imparted training to 46914 candidates. Out of which, 34037 (i.e. 72.55%) trainees were settled. Credit linkage of settled candidates achieved is 22214 i.e. 47.35 %.

"By nurturing entrepreneurship and financial independence at the grassroots level, RSETIs continue to serve as critical enablers of inclusive development. Central Bank of India's sustained commitment to these institutes reflects its belief in the transformative power of capacity building and its alignment with national priorities focused on employment generation, rural upliftment, and inclusive economic growth."

SOCIAL BANKING AND GOVERNMENT-SPONSORED SCHEMES

Central Bank of India continues to play an essential role in fostering inclusive and sustainable economic growth by delivering financial support to a broad cross-section of society through a range of government-sponsored schemes. These initiatives are integral to the Bank's strategic agenda to deepen financial inclusion, promote entrepreneurship, and empower underserved communities. Aligned with national priorities and the Sustainable Development Goals— particularly SDG 1 (No Poverty), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), and SDG 10 (Reduced Inequalities)— the Bank's outreach is designed to bridge socio-economic disparities and catalyse community-level development.

In FY2025 - 26, the Bank demonstrated strong operational momentum in driving social impact through targeted financial instruments. A notable achievement was recorded under the PM SVANidhi Scheme, aimed at supporting urban street vendors in restoring their livelihoods. The number of accounts surged from 348472 to 376528, representing an impressive growth of 8.05%, underscoring the Bank's agility in addressing the needs of a vulnerable segment.

Further strengthening its support for the micro and small business ecosystem, the Bank delivered robust performance under the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY). The disbursement under PMMY has grown from 8906.37 crore to 9592.37 crore, reflecting a growth of 7.70 %. This funding continues to be a critical enabler for non-corporate enterprises operating across manufacturing, services, and trade sectors, particularly in Tier II and III locations.

The PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PM FME) Scheme, administered by the Ministry of Food Processing Industries, also recorded commendable traction. The number of accounts doubled from 6132 to 8962, marking a growth of 46.15%. This initiative plays a key role in formalising and scaling micro food processors, contributing to rural employment and value chain integration.

Another key initiative, the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), designed to promote self-employment through micro-enterprises, saw disbursements rise sharply from `2467.79 crore to 2738.15 crore, a growth of 10.95 %. This strong performance illustrates the Bank's commitment to supporting greenfield projects and promoting youth entrepreneurship, particularly in economically weaker regions.

Taken together, these outcomes reflect the Bank's deep-rooted commitment to social banking and inclusive development. Through its expansive network of 4,545 branches and a well- integrated Business Correspondent model, the Bank ensures last-mile delivery of financial products to rural, semi-urban, and unbanked areas. These efforts are further supported by its Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs) and Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs), which provide essential training, awareness, and handholding support to individuals aspiring to become financially self-reliant.

The Bank's digital transformation initiatives have also complemented its social agenda. Technology-led simplifications—such as digital loan renewals for MSMEs and streamlined credit approval processes—have enhanced access to finance and improved turnaround times for small borrowers. These improvements contribute meaningfully to the Bank's goal of creating a more enabling ecosystem for micro and small enterprises.

Looking ahead, Central Bank of India remains passionately committed to expanding the reach and effectiveness of its social banking initiatives. It will continue to partner with government agencies, leverage technology, and develop targeted schemes that respond to the evolving needs of its diverse customer base. The results achieved in FY2026 serve as a testament to the Bank's role as a trusted enabler of financial inclusion and a steadfast partner in India's inclusive development journey.

8a. Internal Control Environment: Risk Management, Compliance, and Recovery

By institutionalizing multiple advanced controls, Central Bank of India has successfully transitioned from "Delivering Excellence" to **"Delivering our Promise"** in the **Year of Business Acceleration,** providing a secure and stable bridge toward the proposed FY2027 "Year of Business Excellence".

Summary of Internal Control Performance

Control Component	FY2025 Status	FY2026 (Acceleration Results)
Compliance Portal	Foundational Framework	Internal Compliance Automation live across all branches
Slippage Control	1.45%	1.16% (Target <1.25% met)
Digital Trust	Migration Planned	Migration to ".bank.in" completed
Audit Coverage	Manual reporting focus	PRISM Portal for real-time monitoring

8a.1.Governance and Management Responsibility

The Bank's internal control environment is anchored by the Board of Directors and senior leadership, who maintain a robust architecture to safeguard assets and ensure the integrity of financial reporting.

- **CEO and CFO Certification:** For the fiscal year ended March 31, 2026, the Managing Director & CEO and the Chief Financial Officer have certified their responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting. They have evaluated the effectiveness of these systems and confirmed that no significant deficiencies in the design or operation of these controls were identified during the reporting period.
- **Audit Opinions:** The Statutory Central Auditors have issued an **unmodified opinion** on both the standalone and consolidated financial results for FY2026, affirming that the Bank's financial statements provide a true and fair view in conformity with generally accepted accounting principles.
- **Mission Pragati:** This Central Transformation Hub serves as an additional layer of oversight, driving institutional capacity building and ensuring that all process re-engineering efforts remain aligned with regulatory priorities.

8a.2. Automated Compliance Monitoring

A defining milestone of the "Year of Business Acceleration" is the shift from manual oversight to automated, real-time monitoring.

- **Real-Time Monitoring:** The Bank launched the **automated compliance tracking platforms,** which serves as a centralized platform for monitoring policy adherence across the entire branch network.
- **Efficiency and Agility:** By automating routine compliance tasks, the Bank has improved its ability to detect deviations instantaneously, supporting the goal of bringing the **Cost-to-Income (CIR) ratio below 56%** through optimized resource allocation.

8a.3. Credit Monitoring and Risk Controls

Internal controls within the credit vertical have been significantly elevated to support the **18.76% growth in advances** without compromising portfolio hygiene.

- **Early Warning Systems (EWS):** The Bank has intensified its EWS capability, allowing for the proactive identification of nascent stress in borrower accounts. This systematic control was a primary driver in reducing the slippage ratio to 1.16% in FY2026.
- **War Room Discipline:** Dedicated "War Rooms" were utilized for daily tracking of Special Mention Accounts (SMA), enabling rapid intervention and contributing to the Gross NPA improvement to 2.67%.
- **Specialized Monitoring:** For large-value exposures exceeding ₹250 crore, the Bank continues to employ Agencies for Specialized Monitoring (ASMs) to provide continuous, real-time transactional surveillance.

8a.4. Digital Infrastructure and Cybersecurity Controls

As digital transactions reached a record **90.54% share,** internal controls over the Bank's technology backbone became increasingly critical.

- **Operational Resiliency Command Centre (ORCC):** This center provides 24x7 monitoring of critical applications and customer-facing performance, utilizing automated CBS End-of-Day (EOD) processing to ensure business continuity [MOM, Turn 9].
- **CSOC and PAMS:** The 24x7 Cyber Security Operation Centre (CSOC) provides real-time threat detection, while Privilege Access Management Systems (PAMS) and Data Leakage Prevention (DLP) tools mitigate internal risks and safeguard sensitive data.
- **Domain Migration:** The successful migration to the ".bank.in" domain provides a high-fidelity control marker that enhances digital trust and ensures future-ready regulatory compliance.

8a.5. Audit and Inspection Framework

The Bank maintains a multi-layered audit framework that provides an early warning mechanism for operational risks.

- **Concurrent Audits:** As of March 31, 2026, concurrent audits cover approximately 60% of the Bank's total business and 72.64% of aggregate advances, providing real-time oversight of critical branch operations.
- **Compliance and Legal Audits:** Regular compliance audits were conducted across 696 branches to identify policy deviations, while legal audits ensured the enforceability of documentation in the Bank's asset portfolio.

8a.6. Recovery

During FY2026, The Bank achieved a landmark improvement in portfolio hygiene, reducing the Gross NPA (GNPA) ratio to 2.67%, the lowest in recent history, while containing the slippage ratio at 1.16% through systemic interventions like the integrated compliance monitoring systems automation portal and upgraded Early Warning Systems (EWS). A decisive contributor to the Bank's record profitability was the recovery in written-off accounts, which surged by 77.01% to reach ₹2,271 crore, a significant acceleration over the ₹1,716 crore achieved in the previous fiscal year. This performance was further bolstered by a total cash recovery of ₹1,146 crore from NPA accounts and the successful return of ₹443 crore worth of accounts to the "Standard" category through proactive upgradations. By institutionalizing an aggressive recovery culture through thematic One-Time Settlement (OTS) schemes and nationwide Mega Property Expos to monetize SARFAESI-related assets, the Bank maintained a fortress-like Provision Coverage Ratio (PCR) of 95.97%, providing a resilient foundation for the proposed FY2027 "Year of Business Excellence".

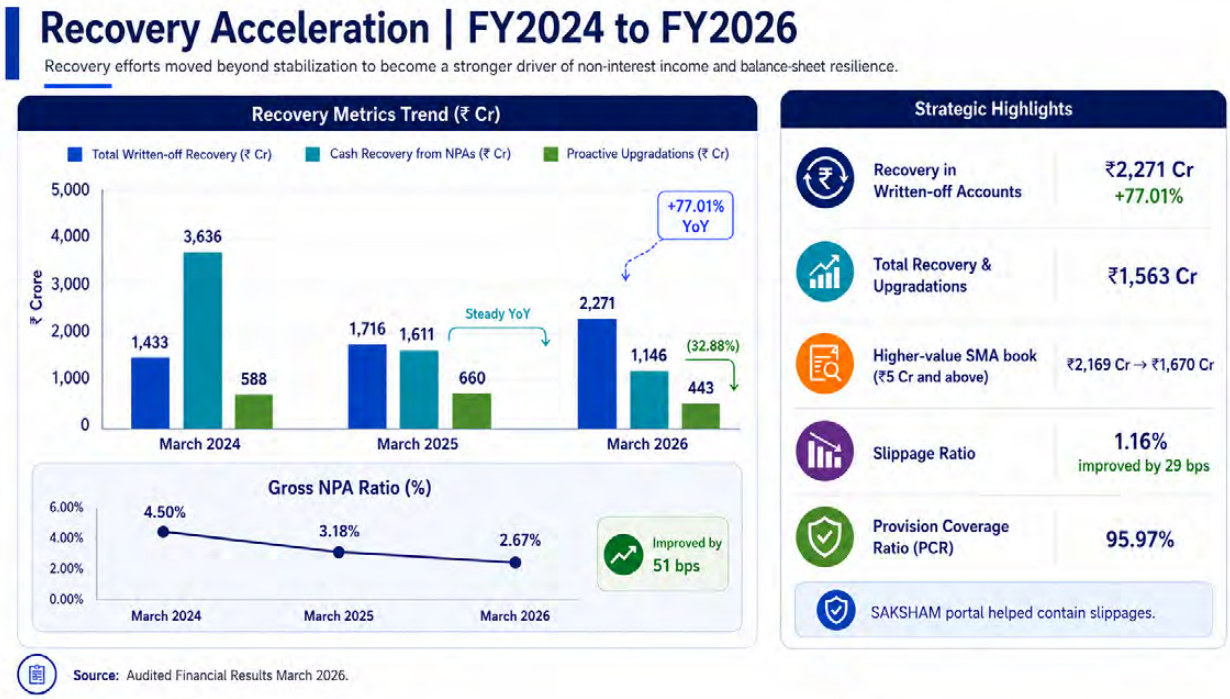

8a.6. Subsidiary Controls: Centbank Financial Services Limited (CFSL)

Internal control excellence extends to the Bank's subsidiaries, ensuring group-wide financial fortitude.

- **Unmodified Audit Opinion:** CFSL's standalone financial statements for FY2026 carry an unmodified opinion, with auditors confirming an adequate internal financial controls system is in place.
- **Standard Operating Procedures (SOP):** CFSL implemented a new SOP for levying Holding Charges on inoperative trust accounts, a move that significantly increased revenue while standardizing administrative discipline.
- **Software Safeguards:** The subsidiary utilizes specialized accounting software that includes a mandatory audit trail (edit log) feature, which operated effectively throughout the year to prevent unauthorized tampering with records.

8b. International Banking: Expanding the Global Footprint

In the **"Year of Business Acceleration,"** the International Banking vertical has transitioned from a specialized support unit into a core engine of scalable growth. Guided by the narrative of **"Delivering our Promise,"** the Bank has successfully translated its international frameworks into high-scale, tangible results by leveraging technology to capture the aspirations of the global Indian diaspora and supporting India's export ambitions. To enhance focus on the Bank's cross-border operations, provide dedicated services to customers, and ensure stronger compliance standards, the Bank has created a new International Banking Vertical. The vertical has been established to enable better monitoring, formulate strategies, and improve the Bank's international banking services.

The new vertical will be effective from 1 April 2026 and will focus on deepening international banking relationships with the Bank's existing customers, engaging prospective customers, undertaking capacity-building exercises for the departmental workforce, and implementing new strategies to strengthen the Bank's footprint in this segment.

Establishment of IFSC Banking Unit at GIFT City

The Bank received regulatory and statutory approvals from the Reserve Bank of India, the International Financial Services Centres Authority, and the Special Economic Zone Authority, Kandla Port, for establishing its IFSC Banking Unit at Gujarat International Finance Tec-City, GIFT City, Gandhinagar, Gujarat.

The IFSC Banking Unit will provide additional services over and above the foreign exchange and trade finance services already being provided by the Bank's existing branches across India. These services will be offered especially to the Bank's existing and prospective clients, including Resident Indians, Non-Resident Indians, and Overseas Citizens of India, as permitted under the GIFT City regime. The services will include deposits in the form of savings and current accounts, credit and trade finance services such as External Commercial Borrowings, buyers' and suppliers' credit, foreign currency loans, syndicated loans, and treasury services.

The Bank has planned to open its IFSC Banking Unit during the first quarter of FY2026-27.

Centralised Forex Cell

The Bank initiated the centralisation of forex operations during FY2024-25 to provide improved customer service and strengthen the compliance culture by bringing all forex operations under one roof.

The Centralised Forex Cell was established by the Bank at Sir Sorabji Bhawan, formerly Ewart House, Mumbai, on the occasion of the Bank's 143rd Founder's Day celebration on 9 August 2024.

All cross-border transactions, including outward remittances, inward remittances, foreign bank guarantees, import bills, foreign letters of credit, and exports, are to be carried out at the Centralised Forex Cell through the newly launched Cent e-Trade application of the Bank.

All branches of the Bank are now able to initiate trade and non-trade transactions through the Cent e-Trade application for onward processing at the Centralised Forex Cell, after carrying out scrutiny and due diligence based on the documents submitted to the Cell. This ensures compliance with FEMA and other regulatory and Bank guidelines. Customers are no longer required to approach an Authorised Dealer Category 'B' branch either directly or through a non-Authorised Dealer branch in their area, as transactions can now be initiated from any branch of the Bank.

The Bank also introduced the web-based Cent e-Trade Customer Web Portal, capable of handling the initiation of all trade finance transactions. Through this portal, customers can directly submit applications for outward remittances, foreign bank guarantees, letters of credit, export bill lodgement and realisation, and export packing credit by uploading the requisite documents for onward routing and processing at the Centralised Forex Cell. This has increased operational flexibility and significantly reduced turnaround time for such transactions.

Further, the Cent e-Trade Portal enables easier tracking of applications at the Centralised Forex Cell, branch, and customer levels through the Customer Portal.

Foreign Exchange Turnover

The total Foreign Exchange Merchant Turnover of Central Bank of India, pertaining to inward and outward remittances, export transactions, and import transactions undertaken on behalf of customers during FY2025-26, was ₹36,592 crore.

The Bank undertook several strategic initiatives to enhance its foreign exchange operations, including the following:

- The Bank opted for enhanced Whole Turnover Export Credit Insurance for Banks guarantee cover of up to 90% of the total outstanding export credit limit, for all packing credit and post-shipment limits up to ₹80.00 crore, from Export Credit Guarantee Corporation Limited. ECGC cover acts as a cushion for the Bank, as it reduces the need to make higher provisions for non-performing assets in export credit to the extent of the ECGC cover.
- As of 31 March 2026, FX Retail access, an electronic trading platform for buying and selling foreign exchange by the Bank's retail customers, was granted to 108 customers for obtaining direct exchange rates. All non-Authorised Dealer branches were also permitted to submit requests from their customers directly to the International Division for onboarding them onto the FX Retail platform.
- The Bank held customer meets for exporters and importers at various locations across India, including Tirupur, Hyderabad, Madurai and Chennai, to publicise its products and receive customer feedback for improving existing services.

The Bank's forex business was earlier conducted through its 64 Authorised Dealer Category 'B' branches. Starting from 22 April 2025 with outward remittance transactions, the Bank began centralising its foreign exchange business. During FY2025-26, an additional 3,335 Category 'C' branches were activated to initiate foreign exchange transactions directly through the new trade finance Cent e-Trade application without the intervention of an Authorised Dealer Category 'B' branch.

Requests initiated from such Category 'C' branches can now be directly received at the Centralised Forex Cell for processing. This has increased the reach of the Bank's forex business across branches, improved customer service, and strengthened compliance. The Bank will continue to streamline its processes and improve service delivery to better meet the needs of customers engaged in international trade.

Export Credit Portfolio

The Bank's export credit portfolio stood at ₹3,346.15 crore as of 31 March 2026, compared with ₹3,757.01 crore as of 31 March 2025. The main reasons for this decrease were:

- Recovery through crystallisation of non-performing asset outstanding amounts in borrowal accounts denominated in foreign currency. The major recovery amount of approximately ₹185.00 crore pertained to three exporter customers of the Bank.

- Geopolitical events such as the Russia-Ukraine war, Israel-Palestine war, Red Sea crisis, and Middle East and West Asia crisis posed significant challenges for international trade, creating concerns for several exporter customers of the Bank having trade ties with these countries.

The Bank has taken initiatives to strengthen its export credit portfolio, such as the centralisation of foreign exchange business with the launch of the Cent e-Trade Portal, conducting credit camps and exporters' meets, and imparting training to officers for better understanding and response.

Central Bank of India has also focused on providing tailored financial solutions to exporters, ensuring timely and adequate credit flow to boost export activities. For example, the Cent Export Scheme was launched by the Bank especially for MSME customers, with significantly liberal norms for allowing credit to customers, supported by the presence of ECGC guarantee cover.

NRE and FCNR Deposits

The Bank has centralised the account opening process for its NRI customers. All NRI accounts, including NRO, NRE, FCNR(B), and RFC accounts, are being opened by the Centralised NRI Cell at the Centralised Forex Cell. This step has been undertaken to standardise the process, eliminate redundancies, streamline operations, and reduce processing time in delivering NRI services.

Central Bank of India recorded an increase in Non-Resident External and Foreign Currency Non-Resident deposits. Total NRE and FCNR deposits increased from ₹7,758 crore as of 31 March 2025 to ₹8,512 crore as of 31 March 2026, reflecting growth of 9.72%.

The Bank has continued to provide high-quality customer service, while also offering competitive interest rates on these deposit schemes.

During FY2025-26, 159 NRI desks were opened at identified branches across India. Capacity-building exercises for staff members posted at these NRI desks are being carried out continuously to enable them to handle day-to-day operations, mobilise fresh NRI business, and provide high-quality customer service to the Bank's clients.

8b.1 International Joint Venture: Indo-Zambia Bank Limited

Indo-Zambia Bank Limited, based in Zambia, is a joint venture between the Government of the Republic of Zambia and the Government of India, represented by Bank of Baroda, Bank of India and Central Bank of India. Each Indian bank holds a 20% equity stake, while the Industrial Development Corporation, a government-owned investment company, holds the remaining 40% on behalf of the Government of Zambia.

Established in 1984, Indo-Zambia Bank operates on a calendar-year basis. As of 31 March 2026, Central Bank of India held 83,200,000 shares in the joint venture, with each share valued at Kwacha 1.

The Bank continued to demonstrate strong growth momentum during the year. Deposits increased by 33.50% over the previous year to 21,310.01 million Kwacha, while loans and advances grew by 55.15% to 9,992.24 million Kwacha. For the calendar year ended 31 December 2025, Indo-Zambia Bank recorded a net profit of 932.83 million Kwacha, equivalent to ₹375.54 crore. Central Bank of India also received a net dividend of ₹13.42 crore from Indo-Zambia Bank for Calendar Year 2025 on 30 March 2026.

Particulars	Details
Joint venture entity	Indo-Zambia Bank Limited
Location	Zambia
Established	1984
Operating year	Calendar year
Shareholding structure	Bank of Baroda: 20%; Bank of India: 20%; Central Bank of India: 20%; Industrial Development Corporation, on behalf of the Government of Zambia: 40%
Central Bank of India holding	83,200,000 shares
Face value per share	Kwacha 1
Deposits	21,310.01 million Kwacha
Deposit growth	33.50% over the previous year
Loans and advances	9,992.24 million Kwacha
Loans and advances growth	55.15% over the previous year
Net profit for calendar year ended 31 December 2025	932.83 million Kwacha, equivalent to ₹375.54 crore
Net dividend received by Central Bank of India	₹13.42 crore for Calendar Year 2025, received on 30 March 2026

8b.5 Depository Services: Accelerating Capital Market Access

In the **"Year of Business Acceleration,"** the Bank has strategically expanded its footprint in the capital markets to meet the growing investment aspirations of its customers. Central Bank of India continues to strengthen its Depository Services by functioning as a robust Depository Participant (DP).

Strategic Expansion and Dual Depository Presence

Demonstrating our commitment to providing choice and flexibility to our 8.26 crore customers, the Bank—previously a DP with **Central Depository Services (India) Limited (CDSL)—**has officially opted to become a depository participant with the **National Securities Depository Limited (NSDL)** during FY 2025-26. This transition to a dual-depository model is a key milestone in our acceleration journey, ensuring that our clients have access to the full spectrum of India's depository infrastructure.

Operational Excellence and Centralization

To ensure high-fidelity service delivery and risk-disciplined oversight, the Bank's depository operations are **fully centralized.** These are managed through the **Capital Market Cell (CMC)**, a specialized nodal office located at the Emerging Business Branch in Fort, Mumbai.

- **Pan-India Accessibility:** Aligning with the **Customer Service** pillar of **CBI-CARE,** all branches across our 4,585-strong network are fully equipped to facilitate Demat account openings using the **OLAO (Online Account Opening)** software.
- **Primary Market Support:** The Capital Market Cell continues to serve as the Nodal Office for **ASBA (Applications Supported by Blocked Amount)** services, facilitating seamless participation for our customers in the nation's primary equity and debt markets.

3-in-1 Account Ecosystem: Delivering a Seamless Experience

The Bank is actively working toward providing a unified investment experience by integrating banking, demat, and trading services.

- **Strategic Partnerships:** The Bank has partnered with marquee entities Aditya Birla Money Limited and SMC Global Securities Limited to provide a 3-in-1 account facility.
- **Acceleration Status:** The technical integration for these trading services is currently in progress, promising a future-ready, end-to-end investment portal for our retail and HNI segments.

As of March 31, 2026, the Bank serves a growing base of Demat account holders, reflecting the successful scaling of our emerging business vertical.

Table 8b.5: Depository Services Milestones

Feature	FY 2024-25 Status	FY 2025-26 (Acceleration Results)
Depository Affiliation	CDSL Only	Dual Presence: CDSL & NSDL
Trading Partnerships	Planning Phase	Tie-ups with Aditya Birla Money & SMC Global
Account Opening	Branch-led	OLAO enabled across ALL branches
Operations	Segmented	Fully Centralised (Mumbai Nodal Office)

8c. Information Technology and Digital Infrastructure: The Engine of Acceleration

In FY2025-26, the Bank's technology strategy transitioned from foundational stabilization to high-velocity execution, serving as the cornerstone of the **"Year of Business Acceleration"**. Digitalization acted as the primary enabler of operational agility, allowing the Bank to scale its total business beyond the ₹8,00,000 crore mark while maintaining institutional resilience. The Bank's infrastructure now supports a "Future-Ready" ecosystem, delivering 24x7 banking services across a vast network of 22,129 touchpoints.

8c.1 Digital Backbone and Operational Resiliency

The Bank continues to operate a robust technology backbone anchored by ISO-certified Data Centres and a Disaster Recovery Center designed with a zero-data-loss architecture.

- **Business Continuity:** Synchronous and asynchronous replication frameworks, supported by regular drills, ensure uninterrupted banking operations across online, mobile, ATM, and RTGS channels.
- **Operational Resiliency Command Centre (ORCC):** Established to provide round-the-clock monitoring of critical applications, the ORCC utilizes automated CBS End-of-Day (EOD) processing and advanced application performance monitoring to ensure consistent service delivery [MOM].
- **Scale of Adoption:** This infrastructure successfully handled a massive surge in digital engagement, with the share of digital transactions through Alternate Delivery Channels (ADC) reaching a historic high of **90.54%** in FY2026.

8c.2 Transformation through the Internal Transformation Hub

Technology execution was institutionalised through the internal transformation vertical, the Bank's Central Transformation Hub.

- **PRISM Portal:** The Project Reporting and Integrated Systems for Monitoring (PRISM) portal was utilized for real-time tracking, monitoring, and reporting of all major transformation and digitization projects.
- **COREE Excellence:** The Center for Organizational Reforms & EASE Excellence (COREE) ensured that all IT initiatives remained aligned with regulatory priorities and government initiatives, such as the EASE 7.0 reforms.

8c.3 IT Governance, Compliance, and Data Security

Technology governance remains anchored in a structured multi-tier oversight mechanism involving a Board-level IT Strategy Committee and an IT Risk Management Committee led by the MD & CEO.

- **Standards and Audits:** The Bank maintained continuous compliance with ISO 27001 (Information Security) and ISO 22301 (Business Continuity), further reinforced by periodic audits from CERT-In empaneled agencies and RBI reviews.
- **Cardholder Security:** Achieving PCI-DSS Level 1 Version 4.0 compliance underscores the Bank's unwavering commitment to safeguarding cardholder data and building digital trust.

8c.4 Information Security and Digital Trust

In an era of sophisticated cyber threats, the Bank has prioritized high-fidelity security controls and institutional trust:

- **Domain Migration:** A critical milestone was the successful migration of the Bank's corporate website, internet banking, and email environment to the ".bank.in" domain. This move enhances cybersecurity posture and provides a visual marker of digital trust for customers.
- **Real-time Protection:** The 24x7 Cyber Security Operation Centre (CSOC) provides continuous threat monitoring and rapid incident response, supported by Privilege Access Management Systems (PAMS) and Data Leakage Prevention (DLP) tools.

8c.5 Key Digital Milestones and Innovations in FY2025-26

The technology agenda for the year focused on "Delivering the Promise" of convenience and innovation:

- **Cent NEO Ecosystem:** Progressed the building of the Cent NEO digital bank, tailored to the aspirations of next-generation customers.
- **Digital Lending Platform (DLP):** Expanded to 37 live journeys, facilitating seamless and fast approvals that boosted total advances.
- **Virtual Debit Cards:** Launched real-time issuance and activation through the Cent eeZ app, reducing manufacturing costs while expanding digital payment adoption.
- **Cent eeZ Vyapaar Saathi:** Launched a comprehensive Corporate Net Banking platform for SMEs and Corporate clients, featuring bulk upload facilities and multi-user workflows.
- **In-house DEAF Portal:** Implemented an integrated portal for unclaimed deposits, compliant with RBI's UDGAM framework, enhancing transparency and customer trust.
- **Financial Inclusion Enablers:** Deployed 40 BC Maxx Centres to promote digital banking in unbanked areas and introduced multiple nomination functionalities in Internet Banking to simplify claim settlements.

Table 8.1: Digital Growth Trajectory

Metric	March 2025	March 2026	Growth %
Internet Banking Users (Lakh)	114.29	117.62	2.91%
Mobile Banking Users (Lakh)	91.90	93.36	1.59%
Share of Digital Transactions (%)	86.15%	90.54%	439 bps
Business Per Employee (₹ Cr)	21.31	23.89	12.11%

(Source: Audited Financial Results and Corporate Presentation May 2026)

8d. Treasury, Funds and Investment

As of 31 March 2026, Central Bank of India's investment portfolio stood at ₹1,58,831.58 crore. This includes ₹17,982.40 crore held in Non-SLR Government of India Recapitalisation Bonds.

Investment Portfolio Composition

(₹ crore)

Sl. No.	Composition	FY2025	FY2026
1	SLR	1,11,907.80	1,28,830.15
2	Non-SLR	31,124.22	30,001.43
	Total	**1,43,032.02**	**1,58,831.58**

8d.1 Monetary and Macro-Economic Environment

In FY2025-26, India's macroeconomic environment remained stable, with continued moderation in inflation and steady growth momentum. CPI inflation is estimated to have averaged around 2.50%-2.60%, supported by stable food prices, improved supply conditions, and benign global commodity trends. Core inflation remained contained at around 4.2%-4.4%, reflecting subdued input cost pressures.

The moderation in inflation supported household consumption and improved corporate margins. However, risks persisted from volatile crude oil prices, geopolitical developments, and weather-related uncertainties impacting food inflation.

The Monetary Policy Committee adopted a gradually accommodative stance during FY2026. Following the rate cut cycle initiated in February 2025, the Reserve Bank of India implemented additional calibrated repo rate cuts totalling 125 basis points, bringing the repo rate closer to the 5.25% range, to support growth while maintaining inflation within the target band. These measures included a 100-basis point reduction in the Cash Reserve Ratio from 4% to 3%, alongside Open Market Operation purchase auctions and USD/INR buy-sell swap operations.

Liquidity conditions improved compared to the previous year, aided by proactive Reserve Bank of India measures. The Reserve Bank of India managed liquidity through:

- Open Market Operations to inject durable liquidity.
- Variable Rate Repo and Variable Rate Reverse Repo auctions for fine-tuning short-term liquidity.
- Forex swap operations to manage systemic liquidity and currency volatility.
- Gradual normalisation of Cash Reserve Ratio requirements as liquidity conditions stabilised.

System liquidity remained largely in surplus to neutral mode, supporting credit growth and financial market stability.

Globally, FY2026 witnessed a continuation of monetary easing across major economies, with central banks such as the United States Federal Reserve implementing rate cuts totalling 75 basis points, as inflation trended lower towards target levels. However, policy divergence persisted, with Japan maintaining a tightening bias amid wage-led inflation.

Global financial markets remained sensitive to geopolitical risks and commodity price fluctuations, while capital flows to emerging markets, including India, remained broadly stable due to strong growth differentials and macroeconomic resilience.

During the financial year, benchmark yields traded in the range of 6.48% to 7.03%, with benchmark yields briefly touching the lowest level of 6.11% in June 2025.

Prior to the outbreak of conflict in West Asia in the first week of March, Indian government bond yields were trading in the range of 6.52%-6.66%, the five-year Overnight Indexed Swap was trading in the range of 5.95%-6.03%, and Brent crude oil was at around USD 72 per barrel. However, following the escalation of hostilities, benchmark yields hardened significantly, breaching the psychological 7% threshold and closing at 7.03%. The Overnight Indexed Swap level also reached a multi-month high of 6.80% as of 30 March 2026.

8d.2 Treasury Income Performance

Particulars	FY2024-25 (₹ crore)	FY2025-26 (₹ crore)
Profit on Sale of Investments	1,048	1,054
Profit on Exchange Transactions	225	180
Dividend Income	9	18
Profit/Loss on Revaluation of Investments	145	(93)
Total Treasury Income	**1,427**	**1,159**

In FY2026, total treasury income decreased significantly to ₹1,159 crore, driven by a substantial fall in profits from investment sales due to rising yields.

- Yield on investments, excluding trading gains, decreased by 13 basis points, from 6.87% in FY2025 to 6.74% in FY2026.
- Yield including trading gains decreased by 15 basis points, from 7.45% to 7.30%.

To manage interest rate sensitivity, the Bank adjusted its portfolio duration profile. As of 31 March 2026:

- **Modified Duration:** 4.25, compared with 3.46 in FY2025.
- **PV01:** 18.08, compared with 13.28 in FY2025.

Strategic Expansion into the Insurance Sector

In a major strategic move, the Bank forayed into insurance services by acquiring:

- 24.91% stake in Generali Central Insurance Co. Ltd., previously known as Future Generali India Insurance Co. Ltd.
- 25.27% stake in Generali Central Life Insurance Co. Ltd., previously known as Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.

This investment marks a significant step towards the Bank's financial services diversification strategy, enabling it to offer integrated banking and insurance solutions. It is expected to:

- Enhance long-term shareholder value.
- Create new revenue streams.
- Reduce dependence on conventional banking income.

9. Human Capital Management Powering the Acceleration Engine

At Central Bank of India (CBI), Human Capital Management (HCM) is recognized as central to driving the Bank's success and is considered the cornerstone of its operational excellence and strategic success. Investing in the Bank's people is seen as investing in its future. HCM is critical to the Bank's success and sustainability, impacting operational efficiency, customer satisfaction, and innovation.

In FY2026, the Bank's philosophy in Human Capital Management continued to focus on strategic initiatives emphasizing employee development, digital empowerment, employee engagement, and well-being. This approach is designed to foster a more inclusive, engaged, and skilled workforce that aligns with organizational goals. The initiatives in FY2026 aimed to lay a strong foundation for a more agile and resilient workforce by prioritizing leadership development, digital empowerment, and employee well- being. The strategic priorities for human capital development also include fostering a dynamic and engaged workforce and enhancing talent development and retention.

Human Capital Performance Improvements | FY2026

Strategic investments in talent acquisition, capability building, diversity and employee well-being strengthened workforce resilience and organisational readiness.

Key Human Capital KPI Improvements (Change vs FY2025)

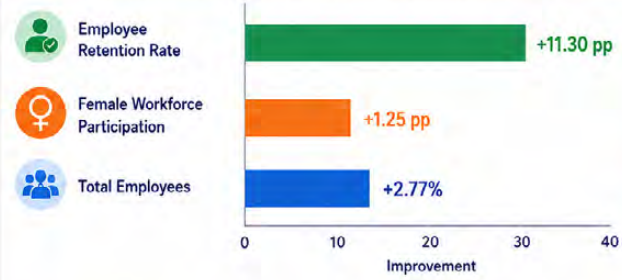

Reference Data (Actual Values)

Metric	FY2024	FY2025	FY2026
Total Employees	31,610	33,081	33,997
Employee Retention Rate	80.50%	87.00%	98.30%
Female Workforce Participation	26.18%	27.51%	28.76%

Human Capital KPI Scorecard

Metric	FY2025	FY2026	Change
Total Employees	33,081	33,997	+916
Employee Retention Rate	87.00%	98.30%	+11.30 pp
Female Workforce Participation	27.51%	28.76%	+1.25 pp
New Recruits	–	2,419	–
Credit Officers Under Training	–	1,000	–
Rashtriya Karmayogi Participants	–	10,000+	–
All-Women Pink Branches	–	115	–
Apprentices as % of Workforce	–	7.12%	–

FY2026 Human Capital Enablers & Highlights

Talent Acquisition
Focused hiring across key roles to strengthen future-ready workforce.

Capability Building
Leadership, domain and digital capability programs for future readiness.

Inclusion & Diversity
115 Pink Branches and strong push for gender inclusivity.

Employee Well-being
Counselling, healthcare support and financial security initiatives.

Innovation & Agility
i³ portal, Mission Pragati and Digital Champions driving transformation.

Workforce Resilience
High retention, engagement and a positive work culture.

Source: Audited Financial Results and Corporate Presentation, May 2026.

Achievements and Initiatives in FY2025-26

During FY2026, Central Bank of India implemented several key strategies and initiatives to strengthen its human capital:

Workforce Growth and Recruitment: During FY 2025-26 the bank has strengthened its workforce through focused recruitment initiatives aimed at attracting high – quality talent which contributes towards organizational growth. The strategic hiring initiatives were aligned with business objectives and future requirements. A total of 2419 employees were recruited across various categories including 1164 Probationary Officers, 163 Zone Based Officers and 117 Specialist Officers. Further, a specialized recruitment initiative has undertaken to induct 1000 Credit Officers (PGDBF), who are undergoing training at Manipal Academy, Bangalore and they will be onboard during FY 2026-27. The strategic efforts were aimed at attracting skilled talent, and bank commitment to build a capable future ready workforce to meet evolving Banking sector requirements.

Talent Development and Training: During FY2026, the Bank strengthened leadership and workforce capabilities through targeted learning initiatives aligned with business priorities. Leadership development was enhanced through international exposure visits and structured programs conducted in collaboration with reputed external institutions. Domain expertise was strengthened through MSME and sustainable finance training, along with the Credit Excellence Flagship programs. Extensive locational workshops on sales mastery, customer service, communication, and team building were conducted across regions, with participation exceeding 4,000 employees per theme. Over 10,000 employees were also trained under the "Rashtriya Karmayogi Jan Seva Programme", reinforcing a citizen-centric service approach.

The Bank further focused on building digital capabilities through training on Artificial Intelligence, IT, and cyber security, while initiating steps to upgrade its Learning Management System (LMS) to enhance digital learning delivery.

Employee Well-being and Engagement: A strong focus was maintained on employee well-being. This commitment is reflected in initiatives such as " Cent Chetna" provide confidential counselling and emotional support service to employees and their dependent, while "Cent Aarogya" offered 24X7 tele-medical consultation facilities for employee and retirees. Bank also extended compassionate support to Centralite family by creation of a revolving Bereavement Fund of `20 Crore for the fiscal year 2025-26. Policies reviewed and approved during FY2025-26 to foster employee well-being and enhance organizational efficiency.

Diversity and Inclusion: Bank Continued to promote an inclusive and equitable workplace through effective implementation of reservation policy and Equal Opportunity Policy. The Bank demonstrated its commitment to gender inclusivity with Female Workforce Participation increasing to 28.76% in FY2026 from 27.51% in FY2025. To further promote women's participation in leadership and inclusive growth, the Bank achieved a significant milestone by establishing 115 all-women branches nationwide.

Bank also introduced "Cent Mamta", a Pre-and Post Maternity Counselling initiative along with "Bank to Work" Training Programme to support women Employees returning after Maternity Leave. Additionally, an accessibility and Inclusion Survey was conducted for differently abled employees to further enhance workplace and accessibility.

Workforce Development and Financial Inclusion Engagement: Initiatives were undertaken to engage human capital in enhancing financial inclusion. This included the engagement of retired personnel as consultants to deliver enriched advisory services, linking to the Bank's broader inclusion and experience- sharing strategy. Workforce development efforts in FY2026 also involved the implementation of the National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS), with apprentices constituting approximately 6.09% of the total staff, contributing to upskilling and employability. Policies reviewed/approved in FY2025-26 included the Apprenticeship Policy.

Industrial Relations: In FY2026, harmonious industrial relations were maintained, underscored by mutual respect and proactive communication between management and employees, facilitating a collaborative environment.

Key Performance Indicators (KPIs) in FY2026

The Bank tracks several Key Performance Indicators related to Human Capital. A notable achievement in FY2026 was the significant improvement in the Overall Employee Retention Rate, which increased to 98.30% in FY2026 from 87% in FY2025. This demonstrates improved job satisfaction. Female Workforce Participation also increased from 27.51 in FY2025 to 28.76% in FY2026. The total number of employees grew from 33,081 to 33997, and the number of Specialist Officers Hired increased from 471 to 610. For these metrics, the FY2026 actuals met the target of 'Increase' set for the year.

These initiatives and achievements in Human Capital Management in FY2026 reflect the Bank's commitment to creating a supportive and dynamic work environment that fosters both personal and professional growth and aligns with its vision to be a leading provider of comprehensive financial services and drive economic growth. Masterful human capital management is understood to translate to elevated employee satisfaction and retention, fuelling the Bank's long- term prosperity.

Industrial Relations

Central Bank of India remains committed to fostering a positive and collaborative workplace culture anchored in mutual respect, transparency, and open dialogue between management and employees. Sound industrial relations are regarded as a cornerstone of operational continuity and institutional stability, directly contributing to employee well- being and the Bank's long-term success.

During FY2026, the Bank successfully maintained harmonious industrial relations across all its operational regions. This outcome was the result of sustained engagement with employee representatives and a management philosophy centered on proactive communication and mutual respect. The Bank's approach promotes a culture of trust and cooperation, which in turn supports productivity, workplace morale, and organizational resilience.

For the year, the broader Human Capital Management framework continued to play a pivotal role in reinforcing positive workforce dynamics. Employee-focused policies - addressing well-being, inclusivity, professional development, and organizational efficiency - were reviewed and implemented, further underpinning a supportive work environment. These policies are aligned with the Bank's broader ESG commitments and responsible business conduct.

In FY2026, internal assessments confirmed that no instances of child labor, forced or involuntary labor, workplace discrimination, sexual harassment, or wage-related grievances were reported across the Bank's branches and offices. Furthermore, no complaints were received under human rights-related grievance mechanisms, reaffirming the Bank's compliance with ethical employment practices and its commitment to maintaining a safe and inclusive workplace.

The Bank's continued emphasis on maintaining cordial industrial relations reinforces its position as an employer of choice in the Indian banking sector. By nurturing a cooperative and ethical work culture, Central Bank of India remains dedicated to sustaining organizational harmony and contributing positively to the well-being of its employees and stakeholders.

Implementation of Reservation Policy

Central Bank of India (CBI) diligently follows the Reservation Policy prescribed by the Government of India for Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Economically Weaker Sections (EWSs), and Persons with Disabilities (PWDs). The policy is implemented across all cadres of the workforce, reflecting the Bank's commitment to diversity, inclusion, equal opportunity, and social equity.

The SC/ST Cell at the Central Office is responsible for implementing, monitoring, and evaluating the Reservation Policy, ensuring effective execution of government guidelines and programmes. A Chief Liaison Officer oversees the Cell, addresses grievances, and safeguards the interests of SC/ST/OBC employees.

Reservation rosters are maintained in accordance with government guidelines and are regularly updated and uploaded on the Bank's website to ensure transparency and compliance. The roster for the year 2024 was inspected during the year. Regular interactions with Welfare Associations and internal grievance redressal committees further support effective implementation and continuous improvement. The Bank has also been providing reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) in direct recruitment in line with Government of India guidelines since 1 February 2019.

The Bank's commitment to diversity and inclusion is reflected in its broader human capital philosophy, which emphasises employee development, digital empowerment, engagement, well-being, and equal opportunity. These efforts support the Bank's strategic priorities of fostering a dynamic workforce and strengthening talent development and retention. Female workforce participation increased to 28.76% in FY2026 from 27.51% in FY2025, further demonstrating progress towards a more diverse and inclusive workplace.

The continued implementation and monitoring of the Reservation Policy underscore the Bank's commitment to maintaining a fair, equitable, and inclusive work environment for all employees.

Additional Initiatives Strengthening Workforce Capability, Inclusion and Well-being

Additional initiatives during FY2026 included a flagship training programme for 1,000 credit officers to strengthen underwriting quality and accelerate decision-making, the establishment of 159 specialised NRI desks staffed by personnel trained in FEMA guidelines and remittances, and the nomination of Digital Champions across branches to resolve service issues and support customer onboarding on Cent eeZ. The Bank also reinforced inclusive leadership through 115 Pink Branches managed entirely by women staff and supported youth employability through the National Apprenticeship Promotion Scheme, with apprentices constituting approximately 6.09% of total staff. Institutional transformation was further strengthened through Central Transformation Hub, the Bank's Central Transformation Hub, and the "i3 – ideate, innovate, inspire" digital portal for employee-led innovation. To deepen employee well-being and resilience, the Bank launched CENT CHETNA, a confidential counselling service, conducted an Accessibility and Inclusion Survey, introduced a pilot 12-month Maternity Package Programme for women returning from maternity leave, and continued regular Happiness Surveys to assess job satisfaction, workplace culture and work-life balance.

Key Achievements of the Rajbhasha Department: Financial Year 2025–26

The Financial Year 2025–26 has been highly significant for the Bank from the perspective of Rajbhasha implementation. During the year, the use of Hindi was strengthened at the institutional level and further promoted through innovations, publications, training initiatives, and competitions, ensuring wider participation. The recognitions received at national platforms and various internal initiatives have elevated the Bank's commitment to Rajbhasha to new heights.

Awards and Recognitions

During the year, the Bank received several prestigious awards in the field of Rajbhasha implementation. At the All India Official Language Conference organized by the Ministry of Home Affairs, Government of India, in Gandhinagar, various Town Official Language Implementation Committees (TOLICs) functioning under the Bank's coordination were honoured for their outstanding performance. Madurai TOLIC secured the top position, while Panaji, Deoria, Gwalior, Akola, and Thane TOLICs received awards under different categories.

The Bank was also awarded the First Prize by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, for Best Rajbhasha implementation in Region 'B', which stands out as a major achievement.

Further, awards were received from Regional Implementation Offices of the Ministry of Home Affairs. Zonal/Regional Offices at Guwahati and Panaji, along with TOLIC (Bank) at Panaji and Thane, were awarded First Prize.

Recognition was also received from other institutions. The Mumbai-based literary and socio-cultural organization "Aashirwad" conferred the "Bhasha Setu Award" on the Bank. Additionally, the Bank's Chief General Manager, Shri Kushal Pal, was honoured with the "Aashirwad Rajbhasha Gaurav Award" for his valuable contribution to the promotion of Rajbhasha.

At the TOLIC level, the Bank's offices demonstrated excellent performance by securing a total of 73 awards, including 25 First, 15 Second, 20 Third, and 13 Consolation prizes. This reflects the Bank's strong commitment towards Rajbhasha at all levels.

Overall, during the Financial Year 2025–26, the Rajbhasha Department has provided a new direction to the effective implementation of Hindi through awards, publications, innovation, and widespread participation. These achievements stand as a testimony to the Bank's sustained commitment to making Hindi an integral part of its working culture.

10. Stressed Asset Management (SAM) and Recovery: Sustaining the Promise of Asset Quality

In the **"Year of Business Acceleration,"** Stressed Asset Management (SAM) transitioned from a reactive cleanup function to a proactive engine of financial fortitude. Central Bank of India recognized that rapid business growth must be anchored by superior portfolio hygiene to **"Deliver our Promise"** of sustainable value creation. By institutionalizing an aggressive recovery culture and upgrading systemic oversight, the Bank achieved a watershed year in asset quality, evidenced by the Gross NPA (GNPA) ratio improving to 2.67% - the lowest in recent history.

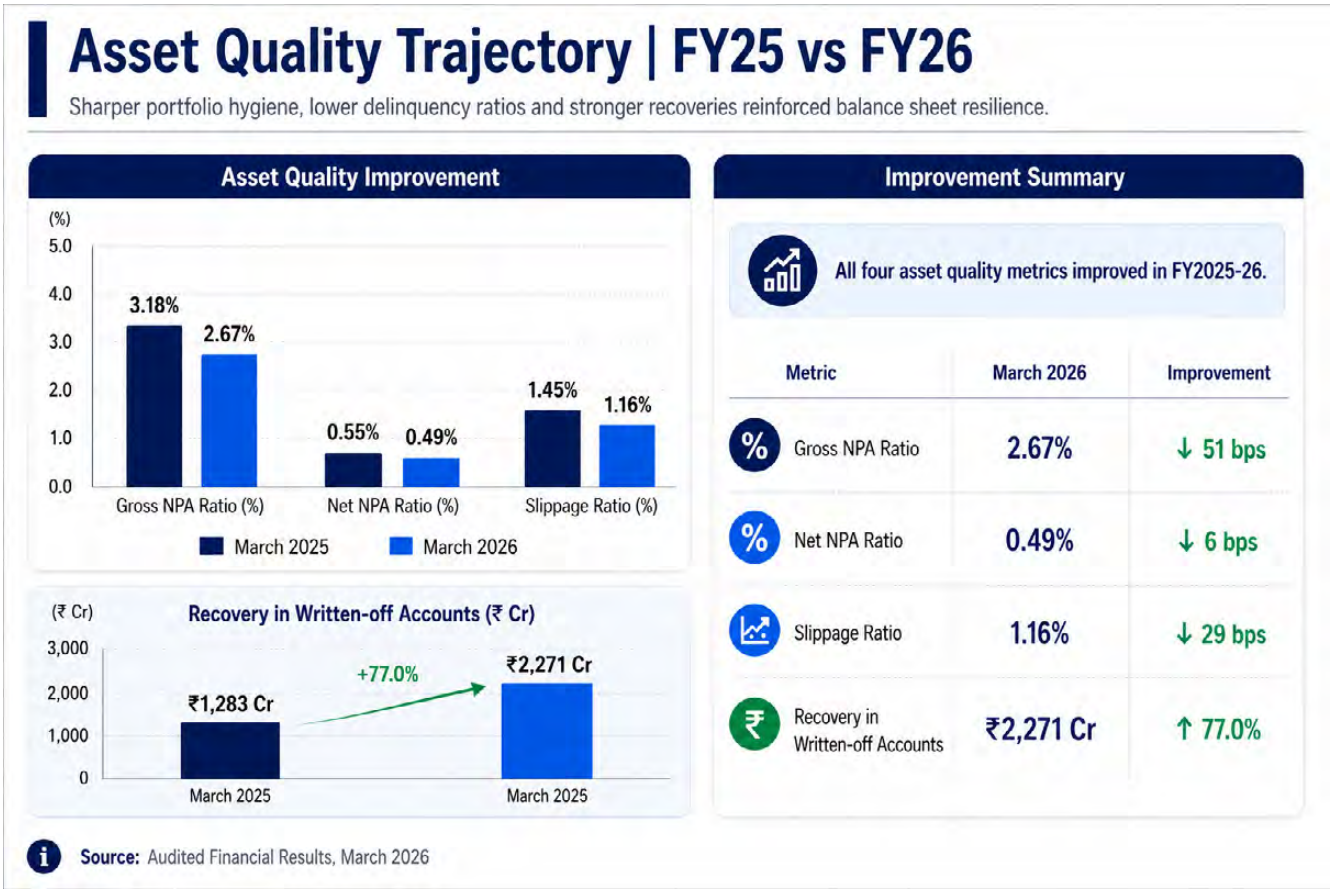

10.1 Recovery Performance and Portfolio Hygiene

During FY2025-26, the Bank intensified its efforts to monetize stressed assets and maximize the "Write-back" impact on the bottom line.

- **Cash Recovery and Upgradations:** The Bank achieved a total Cash Recovery of ₹1,120 crore from NPA accounts, while successfully returning ₹443 crore worth of accounts to the "Standard" category through proactive upgradations.
- **Written-off Recovery:** A major lever of non-interest income during the year was the recovery in written-off accounts, which reached ₹2,271 crore, a significant acceleration over the ₹1,283 crore achieved in FY2025.
- **Provisioning Strength:** Even as business scaled, the Bank maintained its fortress-like Provision Coverage Ratio (PCR) at 95.97%, ensuring high-level resilience against potential credit shocks.

10.2 Strategic Recovery Interventions

The Bank's leadership emphasized qualitative initiatives that translated into quantitative results:

- **Special OTS Schemes:** To facilitate faster resolution, the Bank launched thematic One-Time Settlement (OTS) schemes, with a specialized focus on the Agriculture and MSME segments.
- **Property Expos and SARFAESI:** Recovery teams conducted nationwide Mega Property Expos to auction assets seized under the SARFAESI Act, enhancing transparency and realizing higher recovery values from collateral.
- **ARC and NARCL Transactions:** The Bank strategically utilized the secondary market for distressed debt, successfully transferring 4 high-value NPA accounts to ARCs and the NARCL during the year, with an aggregate principal outstanding of ₹241 crore.

10.3 Slippage Containment and Early Warning Systems (EWS)

The true measure of the Bank's "Acceleration with Discipline" was the significant reduction in fresh slippages.

- **Slippage Ratio:** By elevating its Early Warning Systems, the Bank successfully contained the overall slippage ratio to 1.16% for FY2026, down from 1.45% in the previous year.
- **Automated Compliance Monitoring:** The rollout of the automated compliance tracking systems compliance automation portal enabled real-time monitoring of policy adherence, ensuring that potential stress was flagged and mitigated before deteriorating into NPAs.

10.4 SMA Management: The War Room Approach

The Bank's **Special Mention Account (SMA)** management demonstrated the efficacy of its transformation journey. Through daily tracking in specialized "War Rooms" and intensive field execution, the Bank achieved a significant contraction in its higher-value SMA book.

- **SMA Reduction:** The outstanding SMA (for accounts ₹5 crore and above) was reduced to **₹1,670 crore** as of March 31, 2026, compared to ₹2,169 crore at the close of the previous fiscal year.

10.5 Way Forward: Institutionalizing Excellence

As the Bank transitions into the proposed **FY2027 "Year of Business Excellence,"** the SAM department will focus on further optimizing the recovery-to-expense ratio and leveraging AI-driven predictive analytics to ensure that the gains achieved during this acceleration phase are institutionalized for the long term.

11a. ESG: Embedding Sustainability into Business Acceleration

In the "Year of Business Acceleration," Central Bank of India has successfully transitioned from establishing environmental, social, and governance (ESG) frameworks to achieving high-scale, measurable impact. Under the core narrative of "Delivering our Promise," sustainability has been embedded into the Bank's core financial strategy to drive Aspirational and Sustainable Growth. Aligned with the CBI-CARE values, the Bank's ESG agenda focuses on its Role in Nation Building and its commitment to Employee Well-Being, ensuring that business acceleration creates long-term value for all stakeholders.

11a.1 ESG Strategy and Sustainable Finance Framework

The Bank's sustainability initiatives are governed by a Board-approved **ESG Policy for FY 2026-27,** which aligns its vision and mission with national sustainability goals.

- **Structured Finance:** To provide a systematic approach to responsible banking, the Bank has implemented a Board-approved Sustainable Finance Framework.
- **Dedicated Oversight:** The Bank has established a dedicated Green Cell at the Central Office level and a Climate Risk Cell to steer ESG initiatives and conduct physical and transition risk assessments.

11a.2 Environmental Stewardship: The Path to Net Zero

The Bank is pursuing a definitive vision of reaching Net Zero Scope 1 emissions by 2028. This commitment is backed by aggressive financing of green sectors and the decarbonization of its own operations.

- **Renewable Energy Financing:** As of March 31, 2026, the Bank has financed ₹2,751.44 crore toward renewable energy projects.
- **The PM Krishak Mitra Surya Yojana Milestone:** In a landmark achievement for inclusive acceleration, the Bank sanctioned solar pumps to 16,500 farmers in Madhya Pradesh via a completely paperless digital lending journey, supporting both clean energy goals and rural fortitude.
- **Green Infrastructure:** The Bank has installed 658 kWp of rooftop solar on its owned premises and is systematically replacing diesel generators with energy-efficient inverters to minimize fossil fuel usage.
- **MSE GIFT and MSME SPICE:** Under these green-MSME schemes, the Bank sanctioned ₹1.69 crore for Green Investment and Financing for Transformation and ₹0.14 crore for the Promotion and Investment in Circular Economy.
- **Resource Mobilization:** Through its Cent Green Deposit product, offered in flexible tenures of 1111, 2222, and 3333 days, the Bank mobilized ₹453.00 crore to fund environmentally responsible projects.
- **Green Investments:** Total investment in Green Bonds (G-Sec) reached ₹350.26 crore by the end of FY2026.

Table 7.1: Thematic Green Lending and Initiatives

Performance Metric	FY2026 Acceleration Results
Renewable Energy Financing (₹ Cr)	2,751.44
Green Bond Investments (₹ Cr)	350.26
Cent Green Deposits Mobilized (₹ Cr)	453.00
Rooftop Solar Installed (kWp)	658
Compressed Bio Gas Financing (₹ Cr)	33.90*

*Note: Represents specific new sanctions during the fiscal year.

11a.3 Social Governance: Empowering People and Communities

In line with the Employee Well-Being pillar of CBI-CARE, the Bank has prioritized the development of its human capital and the socioeconomic upliftment of the communities it serves.

- **Talent and Capability Building:** To support the Bank's high-velocity credit agenda, a flagship 1,000-credit-officer training programme was organized to improve underwriting quality and decision speed.
- **Empowering Women Leaders:** A major social milestone was the designation of 115 "Pink Branches" across the nation. These branches are solely managed by women staff, strengthening women's leadership visibility and earning the Bank the "Best Organisation for Women 2026" award by ET Edge.
- **Staff Well-Being and Resilience:** The Bank conducts regular "Happiness Surveys" to measure workplace culture, job satisfaction, and work-life balance. It also launched "CENT CHETNA," a confidential counselling service to support employees' emotional and psychological well-being.
- **Innovation Culture:** To foster inclusive innovation, the Bank launched the "i3 - ideate, innovate, inspire" digital portal, providing employees with a dedicated platform to submit and track innovative process improvements.
- **Corporate Social Responsibility (CSR):** For the year ended March 31, 2026, the Bank had disbursed ₹1.13 crore out of sanctioned ₹1.17 crore toward impactful community activities, including:
  - Educational support and stationery for underprivileged children.
  - Construction of public amenities for rural schools.
  - Installation of solar street lights and water coolers in unbanked areas.
  - Provision of medical equipment, including cardiac colour doppler systems.

11a.4 Corporate Social Responsibility and Community Development in FY2026

Central Bank of India regards Corporate Social Responsibility (CSR) as an intrinsic element of its commitment to inclusive and sustainable development. Although the Bank did not fall under the mandatory purview of Section 135 of the Companies Act, 2013 in FY2026, it continued to demonstrate a robust voluntary commitment to community advancement, financial literacy, environmental sustainability, and ethical banking practices. These endeavours form a key part of the Bank's broader social capital strategy and reflect its enduring role as a responsible financial institution.

As of 31 March 2026, the Bank had disbursed 1.13 crore towards CSR activities from a total sanctioned amount of 1.16 crore. This expenditure underscores its sustained efforts in fostering societal well-being and developmental impact across key focus areas.

During the year, CSR and community engagement initiatives were undertaken across several domains:

- **Education Support:** The Bank extended financial assistance to 45 children with intellectual disabilities through various educational initiatives, with a focus on improving learning environments and supporting under-resourced institutions. Financial assistance was also provided to underprivileged students. Although no scholarships were awarded during the year, the Bank maintained its strategic emphasis on supporting foundational education for underserved communities.
- **Healthcare and Well-being:** Healthcare continued to be a focal area, with support provided for the supply and installation of medical equipment at healthcare institutions. While specific figures on health camps were not disclosed, the Bank has set a target to scale up these efforts in the coming years.
- **Community Development:** Reinforcing its cultural and social engagement, the Bank provided financial assistance for setting up water cooling systems, construction of sanitation facilities and compound walls, and separate toilet blocks for male and female students. Funding was also provided for food distribution programmes aimed at supporting travelling caretakers and family members of hospital patients.

- **Environmental Responsibility:** Environmental stewardship remained integral to the Bank's CSR agenda. The Bank extended financial assistance for the installation of 25 solar-powered streetlights and deployed a battery-powered utility electric vehicle to support green transport at a high-footfall community site. While quantifiable outcomes related to tree plantation were not reported for FY2026, the Bank reaffirmed its commitment to scaling green initiatives. It also supported the financing of sustainable infrastructure, including solar power plants and schemes such as PM-KUSUM, promoting clean energy adoption and ecological resilience.

Across these diverse interventions, Central Bank of India's CSR efforts continued to deepen its engagement with local communities, strengthen stakeholder trust, and catalyse inclusive growth. These initiatives reflect the Bank's belief that the well-being of the community is inseparable from long-term institutional success.

Looking ahead, the Bank is exploring pathways to broaden its CSR impact through innovative and scalable approaches. Priorities include enhancing programme impact assessments, encouraging structured employee volunteerism, conducting community needs diagnostics, and strengthening reporting on strategic partnerships. By embedding these practices into its CSR framework, the Bank aims to advance transparency, accountability, and value creation for all stakeholders.

Through its proactive and principled approach to social responsibility, Central Bank of India continues to uphold its legacy as a catalyst for economic and social empowerment, delivering outcomes that resonate well beyond the realm of banking.

11a.5 External Validation and ESG Ratings

The Bank's successful transition toward sustainable acceleration has been validated by leading credit rating agencies:

- CRISIL reaffirmed the Bank's **"AA (Stable)"** rating.
- India Ratings reaffirmed the Bank's **"IND AA (Stable)"** rating.
- ICRA Rating reaffirmed the Bank's **"AA (Stable)"** rating.

11b. Corporate Communications and Stakeholder Engagement

During FY2025-26, the Bank's corporate communications strategy served as a vital catalyst for the **"Year of Business Acceleration,"** moving beyond aspirational messaging to focus on the tangible achievement of landmark milestones. The primary goal of the department is to shape a consistent and positive public image that reflects the Bank's mission, values, and strategic transformation under **internal transformation hubs.** By leveraging a results-oriented approach, the vertical has reinforced stakeholder confidence and established a clear narrative bridge toward the proposed FY2027 "Year of Business Excellence".

11.1 Brand Fortification and Thematic Alignment

The Bank maintained a disciplined brand-building agenda, utilizing a high-fidelity but low-cost advertising model across print, electronic, digital, and outdoor platforms.

- **Presence at Scale:** The Bank's brand image was consistently reinforced across its vast network of 22,129 total touchpoints, ensuring the «Acceleration» narrative reached customers in remote rural and semi-urban areas, which constitute 65.19% of the branch network.
- **Omni-channel Advertising:** Campaigns focused on core banking products and innovative digital services, using television and radio ads to highlight customer success stories and print ads in leading national publications to reinforce brand presence.
- **Static and Moving Media:** Constant brand reinforcement was achieved through aggressive branding on static and moving media, ensuring that whenever a customer enters a branch or uses an ATM, they find themselves in a familiar and trusted environment.
- **CBI-CARE Values:** Integrated campaigns were aligned with the **CBI-CARE pillars,** specifically highlighting the Bank's **Role in Nation Building** and its commitment to **Aspirational Growth**.

11.2 Showcasing Innovation: Global Fintech Festival and Hackathons

Digitalization and technological leadership were central to the Bank's public engagement strategy in FY2025-26.

- **Global Fintech Fest 2025:** The Bank utilized this premier platform to launch pioneering solutions such as **Biometric UPI** and **Aadhaar-based Face UPI PIN** setup in the presence of senior Ministry of Finance officials.
- **Innovation Hub:** The organization of **Hackathon 2025** at the Global Fintech Festival further positioned the Bank as a «Customer Experience Transformer,» engaging talent from 35 National Institutes of Technology (NITs) to develop AI-powered fraud detection solutions.

11.3 Digital Trust and the ".bank.in" Migration

A cornerstone of stakeholder engagement in the digital era was the institutionalization of digital trust. The successful migration of the Bank's enterprise email, internet banking, and corporate website to the ".bank.in" domain serves as a

critical visual marker of cybersecurity and regulatory compliance. This move has significantly reduced institutional risk and strengthened customer confidence in the Bank's digital ecosystem.

11.4 Community Engagement and Social Responsibility

Community engagement remains at the heart of the Bank's mission to contribute positively to the society it serves.

- **Social Scheme Participation:** The Bank popularizes its products through active participation in government social schemes and major exhibitions such as the India International Trade Fair.
- **Felicitation Programs:** Sponsoring events that honour teachers, students, doctors, and engineers has enhanced the local brand value of the Bank.
- **Nari Shakti:** The department amplified the Bank's commitment to women›s empowerment by spotlighting the 115 "Pink Branches" solely managed by women staff.
- **CSR Visibility:** Communications during the year highlighted the Bank's voluntary contribution of ₹7.09 crore toward societal well-being, including healthcare initiatives and educational support for underprivileged children.

11.5 Institutional Recognition and Awards

The Bank's successful transition into the "Year of Business Acceleration" was validated by several prestigious national awards, which were leveraged to enhance overall brand prestige.

Table 11.1: Institutional Recognition Milestones FY2025-26

Award / Recognition	Awarding Body	Core Value Alignment
Customer Experience Transformer	Data Innovation Awards 2026	Customer Service Excellence
Best Organisation for Women 2026	ET Edge	Employee Well-Being / Inclusion
Resilience Award 2025	SKOCH Group	Institutional Resilience & Trust
#2 in Data Quality Recognition	EASE 7.0 Reforms	Operational Excellence
Best Bank for Education Loans	Navabharat Education Awards	Aspirational Growth

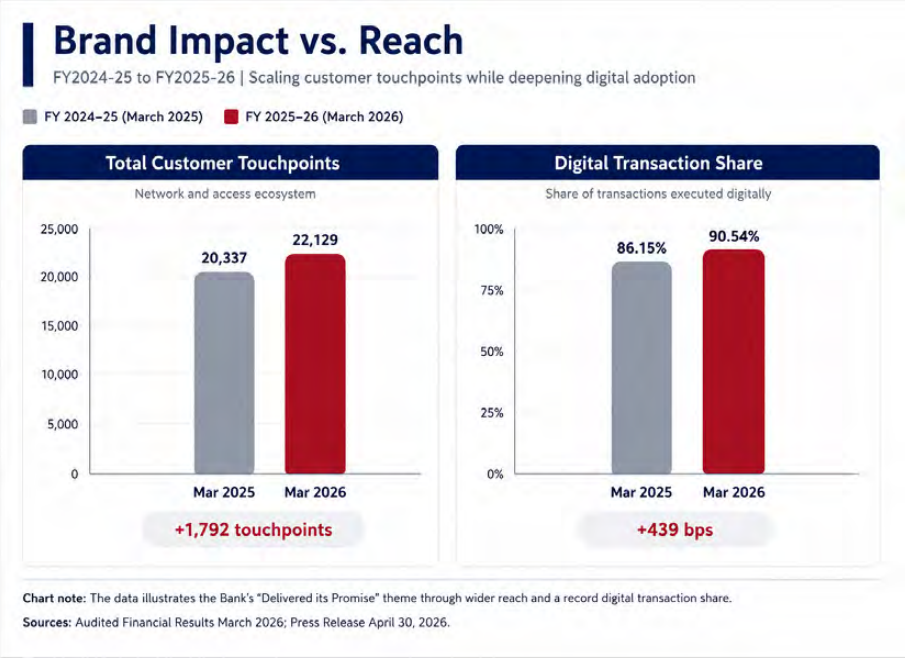

11b.2 Showcasing Innovation: Global Fintech Festival and Hackathons

Digitalization and innovation were central to the Bank's public engagement strategy in FY2025-26.

- **Global Fintech Fest 2025:** The Bank utilized this premier platform to showcase its technological leadership, launching pioneering solutions such as Biometric UPI and Aadhaar-based Face UPI PIN setup in the presence of senior Ministry of Finance officials.
- **Innovation Hub:** The successful organization of Hackathon 2025 at the Global Fintech Festival further positioned the Bank as a "Customer Experience Transformer," engaging the brightest minds from 35 National Institutes of Technology (NITs) to develop AI-powered fraud detection solutions.

11b.3 Digital Trust and the ".bank.in" Migration

A cornerstone of the Bank's stakeholder engagement in the digital era was the strengthening of institutional trust.

- **Domain Migration:** The Bank successfully completed the migration of its enterprise email, internet banking, and corporate website to the ".bank.in" domain. This move serves as a critical visual marker of cybersecurity and regulatory compliance, significantly reducing risk and strengthening customer confidence in the Bank's digital ecosystem.

11b.4 Awards and Institutional Recognition

The Bank's successful transition into the "Year of Business Acceleration" was validated by several prestigious national awards, which were leveraged to enhance brand prestige:

- **Enterprise Security Excellence:** Reaffirmed as the "Best Public Sector Bank" in the category of Enterprise Security at the PSE Excellence Awards.
- **Customer Experience Transformer:** Honored at the Data Innovation Awards 2026 for excellence in leveraging technology to enhance the customer journey.
- **Inclusive Leadership:** Recognized as the "Best Organisation for Women 2026" by ET Edge, reflecting the success of initiatives like the 115 Pink Branches solely managed by women staff.
- **Institutional Resilience:** Awarded the SKOCH Award 2025 for the resilience of its Security Operation Centre.

11b.5 Social Outreach and CSR Communications

In line with the **Employee Well-Being** and **Nation Building** pillars of CBI-CARE, the Bank intensified its social engagement.

- **CSR Visibility:** Communications during the year spotlighted the Bank's voluntary contribution of ₹7.09 crore toward societal well-being, including educational support for underprivileged children and healthcare initiatives like the provision of cardiac color doppler systems.
- **Green Narrative:** The Bank's environmental stewardship was amplified through campaigns promoting its vision of reaching Net Zero Scope 1 by 2028 and the financing of solar pumps for 16,500 farmers via a completely paperless digital journey.

11b.6 Way Forward: Scaling for Excellence

As the Bank concludes the "Year of Business Acceleration," its corporate communication strategy is already evolving to support the transition toward FY2027: Year of Business Excellence. The focus will remain on transparent, proactive engagement with all stakeholders—investors, customers, and employees—ensuring that the Bank's continued growth is understood as a sustainable journey of financial fortitude and service excellence.

12. Subsidiary and Associate Reviews: Synergetic Acceleration

The Bank's subsidiary and associate portfolio continued to provide critical complementary capabilities to the broader franchise during FY2025-26. These entities served as specialized engines for the "Year of Business

Acceleration," extending the Bank's reach into affordable housing and trusteeship services while contributing to the group's overall financial fortitude.

12.1 Cent Bank Home Finance Limited (CBHFL)

Cent Bank Home Finance Limited demonstrated continued balance sheet growth and a profitable operating profile in FY2025-26, fulfilling its role as a key driver of the Bank's Aspirational Growth strategy. While operating in a demanding funding environment, the subsidiary successfully scaled its asset base toward the ₹2,000 crore mark.

Table 12.1: CBHFL Key Financial KPIs – Comparative Summary

Metric (₹ Crore)	FY 2024-25	FY 2025-26	% Change YoY
Total Income	183.56	183.84	+0.15%
Net Profit	25.29	19.70	(22.10%)
Loan Book (Advances)	1,638.50	1,787.04	+9.07%
Total Assets	1,715.00	1,892.66	+10.36%
Capital & Reserves	239.23	258.93	+8.23%
Earnings Per Share (₹)	10.11	7.88	(22.06%)

(Source: Audited Financial Results March 2026)

Performance Review – FY2025-26

- **Income and Profitability:** CBHFL maintained a steady earnings profile with a total income of ₹183.84 crore. Net profit for the year stood at ₹19.70 crore, reflecting the impact of absorbing higher interest expenses during the fiscal cycle.
- **Balance Sheet Position:** The balance sheet reached ₹1,892.66 crore, a robust growth of 10.36% year-on year. This expansion was fueled by the loan book, which grew to ₹1,787.04 crore, underscoring the subsidiary's focus on the retail and affordable housing segments.
- **Resource Mobilization:** Deposits stood at ₹613.79 crore, while borrowings increased to ₹949.11 crore, providing the necessary liquidity for business growth..
- **Outlook:** For FY2026-27, CBHFL remains committed to its mission of financial inclusion. The subsidiary will focus on leveraging its parent bank's distribution network to scale its affordable housing portfolio while maintaining high credit quality standards.

12.2 Centbank Financial Services Limited (CFSL)

Centbank Financial Services Limited, the Bank's wholly-owned trusteeship arm, delivered a year of significant operational acceleration. The subsidiary's standalone financial statements for the year ended March 31, 2026, have been audited and carry an unmodified opinion, confirming the integrity of its reporting.

Table 12.2: CFSL Key Financial KPIs – Comparative Summary

Metric (₹ Crore)	FY 2024-25	FY 2025-26	% Change YoY
Total Income	12.80	20.24	+58.13%
Net Profit	8.25	12.27	+48.73%
Total Assets	63.23	78.09	+23.50%
Capital & Reserves	44.73	55.00	+22.96%
Earnings Per Share (₹)	1,650	2,453	+48.67%

(Source: Audited Financial Results March 2026 & Standalone Financials)

Performance Review – FY2025-26

- **Revenue and Profitability:** CFSL reported an exceptional surge in performance, with total income rising to ₹20.24 crore. This growth was driven by a sharp uptick in Revenue from Operations (₹17.32 crore), particularly from executor and debenture trusteeship fees. Net profit increased significantly to ₹12.27 crore.
- **Expense Management:** Total expenses for the year were maintained at a lean ₹3.55 crore, with personnel costs (₹0.95 crore) forming the primary component. The implementation of a new Standard Operating Procedure (SOP) for holding charges contributed to higher efficiency and revenue capture.
- **Balance Sheet Strength:** The subsidiary remains well-capitalized with a net worth (Capital & Reserves) of ₹55.00 crore, a growth of nearly 23%. Assets are primarily held in conservative investments and cash equivalents.
- **Outlook:** CFSL is positioned as a specialist financial services provider within the group. For the upcoming "Year of Business Excellence," it will focus on deepening its presence in the security trusteeship and escrow markets.

12.3 Associates and Joint Ventures

The Bank's strategic ecosystem is further strengthened by its associates, which play a vital role in revenue diversification and Nation Building.

Indo-Zambia Bank Limited: Continued its robust growth trajectory, with the Bank's share of net profit increasing significantly to ₹436.11 crore for the year ended March 31, 2026.

- **Insurance JVs (Generali Central):** Following the acquisition of stakes in Generali Central Insurance(24.91%) and Generali Central Life Insurance (25.27%), these entities have been integrated as associates. While initial integration costs led to a share of loss for the year, they represent a strategic "bridge" for future fee income growth.
- **Regional Rural Banks (RRBs):** Pursuant to government amalgamation, the Bank ceased to be an associate of Uttar Bihar Gramin Bank and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank effective May 1, 2025. The Bank booked an exceptional income of ₹84.85 crore from the disposal of these investments during Q1 FY2025-26.

13. Outlook: Transitioning Toward the Year of Business Excellence

As Central Bank of India concludes the fiscal year 2025-26, it stands at a strategic inflection point. Having successfully navigated the **"Year of Business Acceleration"** by crossing the landmark ₹8,00,000 crore total business milestone and reaching our aspirational 1.00% Return on Assets (ROA) target, the Bank is now poised to enter FY2027, officially designated as the **"Year of Business Excellence"**. This next phase will focus on institutionalizing the gains achieved during our acceleration period, shifting the emphasis from rapid scaling to the refinement of operational efficiency, digital maturity, and sustainable value creation.

Performance Guidance for FY2026-27

FY2025-26 achievement versus management guidance for FY2026-27

Growth Metrics

Parameter	FY2025-26 Achievement	FY2026-27 Guidance
Business Growth	15.60%	↑ 14.00% - 15.00%
Deposit Growth	13.38%	↑ 10.00% - 12.00%
Advances Growth	18.76%	↑ 14.00% - 16.00%
CASA Ratio	47.30%	↑ 48.00% (+/- 1%)

Profitability & Efficiency

Parameter	FY2025-26 Achievement	FY2026-27 Guidance
Return on Assets (ROA)	0.89%*	↑ Above 1.00%
Cost-to-Income Ratio (CIR)	58.61%	↓ Below 56.00%

Asset Quality

Parameter	FY2025-26 Achievement	FY2026-27 Guidance
Gross NPA	2.67%	↓ Below 2.50%
Net NPA	0.49%	↓ Below 0.50%

*Standalone post-DTA adjustment.

Guidance Priorities

- Balanced growth with calibrated moderation
- Stronger liability franchise and CASA focus
- ROA recovery above 1.00% with tighter efficiency
- Continued improvement in asset quality

13.1 Global and Domestic Economic Landscape

The outlook for the upcoming fiscal year remains cautiously optimistic, anchored by India's position as a "bright spot" in the global economy.

- **Global Context:** While the IMF projects global growth to reach 3.1% in 2026, persistent trade frictions and geopolitical tensions—particularly the US-Iran ceasefire—continue to warrant close monitoring due to their potential impact on energy and fertilizer availability.
- **Indian Resilience:** India's economy is expected to remain robust, with a projected GDP growth of 7.6% (Second Advance Estimate), supported by resilient private consumption, a recovery in private investment, and the finalization of key trade agreements. Although growth may moderate slightly to 6.5% in 2026, the domestic environment remains favourable for banking credit expansion.

13.2 Banking Sector Outlook and Credit Momentum

The Indian banking sector enters FY2026-27 from a position of considerable strength, with improved asset quality and healthy capital buffers across Scheduled Commercial Banks (SCBs).

- **Credit Demand:** SCBs report sustained credit demand across major sectors, with the manufacturing sector showing particular strength in the final quarter of FY2026. Going forward, credit growth is expected to remain robust, aided by higher GDP projections and the transmission of policy rate cuts.
- **Asset Quality:** The industry-wide GNPA ratio, which improved to 1.89% by December 2025, provides a stable foundation for banks to leverage their strong capital positions for further business development.

13.3 Delivering the Promise: Operational and Financial Priorities for FY2027

The Bank's roadmap for the "Year of Business Excellence" is governed by a clear set of performance benchmarks and strategic imperatives designed to enhance financial fortitude.

13.4 Strategic Levers for Excellence

To achieve these targets, the Bank will prioritize the following pillars of transformation:

- **Digital Leadership via Cent NEO:** The Bank will accelerate its evolution into a future-ready institution by further scaling the Cent NEO digital bank initiative. The focus will remain on delivering an omni-channel customer experience and expanding the Digital Lending Platform (DLP) beyond its current 37 journeys.
- **Transformation Hub:** As the central hub for innovation, the internal transformation hub will drive process re-engineering and operational efficiency across the branch network to further optimize the Cost-to-Income ratio.
- **RAM Segment and Cluster Financing:** The Bank will deepen its penetration in the RAM (Retail, Agriculture, and MSME) segments, utilizing cluster-based branch mapping to align with the "Viksit Bharat" vision.
- **ESG and Nation Building:** Aligned with our core value of CBI-CARE, the Bank will implement its Board approved ESG Policy for FY2026-27, pursuing its goal of reaching Net Zero Scope 1 by 2028.

13.5 Conclusion

Central Bank of India is committed to ensuring that the business acceleration of FY2026 serves as the launchpad for institutional excellence in FY2027. By maintaining a sharp focus on asset quality, deepening digital trust, and empowering our 33,997-strong workforce, we will continue to deliver on our promise of providing comprehensive financial services that drive national economic growth.

14. SWOT Analysis: Anchoring Acceleration for Institutional Excellence

14.1 Strengths (Franchise Fortitude)

- **Legacy and Brand Heritage:** With a history spanning over **115 years**, Central Bank of India maintains a strong brand image as the first Swadeshi Bank. This legacy of trust serves as a foundational pillar for its active customer base of **8.26 crore.**
- **Robust Liability Franchise:** The Bank possesses one of the best CASA (Current Account Savings Account) bases in the industry at **47.30%.** This provided a significant funding advantage, sustaining one of the highest Net Interest Margins (NIM) in the industry at **3.07%** despite regulatory rate cuts.
- **Widespread Physical and Digital Footprint:** The Bank operates a vast pan-India network of **4,585 branches** and **22,129 customer touchpoints**. Its strategic presence is particularly dominant in rural and semi-urban (RUSU) areas, which account for **65.19%** of the network.
- **Fortified Financial Position:** Post-exit from the PCA framework, the Bank has demonstrated sustained profitability for 20 consecutive quarters, culminating in a record **Net Profit of ₹4,369 crore** in FY2026. Capital adequacy is robust, with **CRAR at 17.91% and Tier-I at 15.61%**.
- **Asset Quality Resilience:** The Bank has achieved multi-year highs in portfolio hygiene, reducing the **Gross NPA ratio to 2.67%** and maintaining a **Net NPA ratio of 0.49%.** Resilience is further underscored by a superior **Provision Coverage Ratio (PCR) of 95.97%**.
- **Enhanced Operational Productivity:** The "Year of Business Acceleration" saw meaningful productivity gains, with **Business per Employee rising to ₹23.89 crore** from ₹21.31 crore in the prior year. The share of digital transactions through Alternate Delivery Channels (ADC) reached a historic high of **90.54%.**

14.2 Weaknesses (Operational Refinement)

- **Elevated Cost-to-Income Ratio (CIR):** At **58.61%**, the Bank's CIR remains higher than some peer institutions. Reducing this ratio to **below 56%** is a primary target for the transition into the Year of Business Excellence.
- **Impact of Global Shocks on Margins:** While the Bank maintained high NIMs, interest margins faced pressure post-absorption of regulatory rate cuts and the high cost of maintaining a vast physical infrastructure in remote areas.
- **CASA Moderation:** Although CASA remains a strength, the ratio moderated from 48.91% to 47.30% due to industry-wide depositor migration toward higher-yielding term deposits.
- **Credit-Deposit (CD) Ratio Lag:** While improving to **73.80%**, the CD ratio remains an area for further optimization to ensure the efficient utilization of the Bank's strong liability base.

14.3 Opportunities (Strategic Acceleration)

- **Cent NEO Digital Bank:** The Bank's flagship **Cent NEO** initiative presents a massive opportunity to capture the aspirations of next-generation customers through a future-ready, end-to-end digital banking ecosystem.
- **Scalable Ecosystem Models:** The expansion of **co-lending partnerships to 36 partners** and the scaling of the **Supply Chain Finance (SCF)** platform provide new avenues for high-quality, granular credit deployment.
- **Cluster-Based Lending Growth:** Leveraging the **internal transformation initiatives** vertical, the Bank has mapped **225 branches for MSME clusters** and **274 branches for Agriculture clusters,** aligning with the "Viksit Bharat" vision for focused economic growth.
- **Revenue Diversification through Associates:** The acquisition of stakes in **Generali Central Life and Non-Life Insurance** opens significant opportunities for non-interest fee-income growth through bancassurance channels.
- **Global NRI Segment:** The establishment of **159 specialized NRI desks** allows the Bank to deepen its engagement with the global Indian diaspora, capturing higher-margin remittances and investment business.
- **Digital Lending Expansion:** The **Digital Lending Platform (DLP),** currently featuring **37 journeys,** has substantial room to scale into more complex corporate and SME products, reducing turnaround times and acquisition costs.

14.4 Threats (Macro-Economic & External Vigilance)

- **Geopolitical Instability:** Geopolitical tensions, particularly the **US-Iran ceasefire situation**, continue to pose risks to global supply chains, energy availability, and import inflation, which could depress domestic demand.
- **Monetary and Market Volatility:** Persistent high-interest rate scenarios ("higher-for-longer") in advanced economies may lead to continued currency depreciation and capital outflows from emerging markets, impacting forex and treasury income.
- **Competition for Granular Deposits:** Banks face intensifying competition for low-cost liabilities from alternative financial instruments like **mutual funds (growing at 21.90%) and pension funds (23.10%)**.
- **Cybersecurity Risks:** The increasing sophistication of cyber threats necessitates continuous, high-capital investment in security tools and infrastructure to maintain digital trust.
- **Agricultural Supply Chain Disruptions:** Shortages in fertilizers and rising wholesale inflation (WPI) could affect food grain production and the credit profile of the primary sector.

Corporate Governance Report 2025-26

Bank's Philosophy of Corporate Governance

Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standards of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices and standards of governance that are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.

The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines/ directives, etc., issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

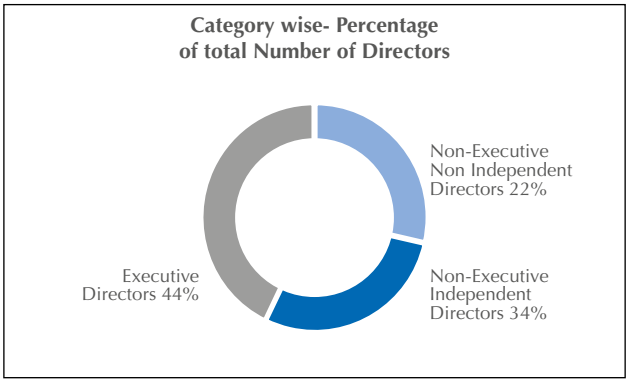

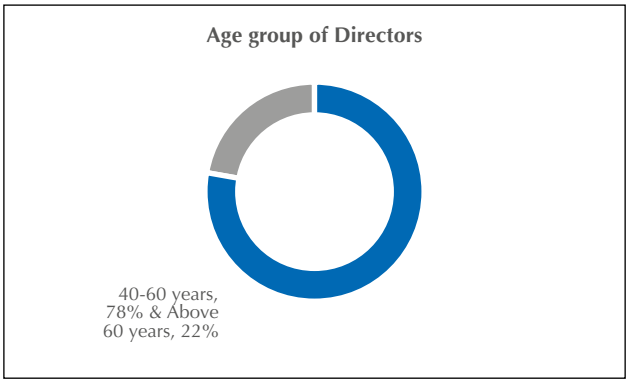

Board of Directors:

A) COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank vests with the Board of Directors presided over by the Chairman.

The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended and Government of India/ Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.

The Board of Bank consists of total 09 Directors as on 31.03.2026 including optimum combination of 04 Executive Directors, 02 Non-Executive/ Non- Independent Directors and 03 Non-Executive/ Independent Directors.

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Banking Regulation Act, 1949 and Government of India / Reserve Bank of India guidelines prescribes the following skills, expertise or competencies required for appointment of Directors on the Board of Bank.

i. Accountancy
ii. Agriculture and Rural Economy
iii. Banking
iv. Co-operation
v. Economics
vi. Finance
vii. Law
viii. Small-scale industry
ix. Information Technology
x. Public Policy etc., or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the Bank.

The Board of Directors of Bank have above professional knowledge, skill sets and experience thereby bringing about an enabling environment for value creation through sustainable business growth.

In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the

general superintendence, direction and management of the business of the Bank vests with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, supervision over Regulatory and Statutory compliances of the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according to financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank. The Board of Directors of Bank function in accordance with the powers delegated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended and Government of India / Reserve Bank of India guidelines issued from time to time

COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS OF BANK DURING 01.04.2025 TO 31.03.2026

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2026	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of ACB/ SRC* of Listed entities (including this Bank) as on 31.03.2026		Directorship of other Companies/Body Corporates as on 31.03.2026	Whether attended last AGM held on 19.07.2025
						Member	Chairman		
1.	Shri Kalyan Kumar	Managing Director and Chief Executive Officer (Whole Time Director)	From 30.09.2025	Nil	Banking	Nil	Nil	Nil	NA
2.	Shri M V Rao	Managing Director and Chief Executive Officer (Whole Time Director)	From 01.03.2021 to 31.07.2025	Nil	Banking	Nil	Nil	1. United India Insurance Co. Ltd. (1) 2. Export Import Bank of India (2)	Yes
3.	Shri Vivek Wahi	Executive Director (Whole Time Director)	From 10.03.2021 to 30.09.2025	Nil	Banking	SRC*	Nil	Indo Zambia Bank Ltd. (3)	Yes
4.	Shri M V Murali Krishna	Executive Director (Whole Time Director)	From 01.12.2022	12025	Banking	SRC*	Nil	1. Cent Bank Financial Services Ltd. 2. Cent Bank Home Finance Ltd. 3. Generali Central Insurance Co. Ltd.	Yes
5.	Shri Mahendra Dohare	Executive Director (Whole Time Director)	From 09.10.2023	Nil	Banking	SRC*	Nil	Generali Central Life Insurance Co. Ltd.	Yes
6.	Shri E Ratan Kumar	Executive Director (Whole Time Director)	From 24.11.2025	21920	Banking	SRC*	Nil	Cent Bank Financial Services Ltd.	NA
7.	Shri Hardik Mukesh Sheth	Government of India Nominee Director (Non-Executive Director)	From 11.04.2022 to 24.07.2025	Nil	Banking and Finance	Nil	Nil	Nil	No
8.	Shri Baldeo Purushartha	Government of India Nominee Director (Non-Executive Director)	From 24.07.2025	Nil	Banking and Finance	Nil	Nil	HUDCO Ltd.	NA
9	Shri Manoranjan Dash	RBI Nominee Director (Non-Executive Director)	From 12.12.2024	Nil	Banking and Finance	ACB*	Nil	Nil	Yes
10.	Shri Pradip Pranlal Khimani	Part Time Non-official Director (Non-Executive Independent Director)	From 11.04.2025 to 10.04.2026	Nil	Accountancy and Finance	ACB*	SRC*	Nil	Yes

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2026	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of ACB/ SRC* of Listed entities (including this Bank) as on 31.03.2026		Directorship of other Companies/Body Corporates as on 31.03.2026	Whether attended last AGM held on 19.07.2025
						Member	Chairman		
11.	Shri Priavrat Sharma	Part Time Non-official Director (Non-Executive Independent Director)	From 08.05.2023 to 07.05.2026	Nil	Accountancy and Finance	Nil	ACB*	PRJ Enterprises Pvt. Ltd.	Yes
12.	Shri Sarada Kumar Hota	Shareholder Director (Non-Executive Independent Director)	From 17.07.2024	250	Banking and Finance	Nil	Nil	Nil	Yes

*ACB means Audit Committee of Board and SRC means Stakeholder Relationship Committee

1 & 2: Shri M.V Rao served as Director of these companies till 31.07.2025

3: Shri Vivek Wahi served as Director of Indo Zambia Bank Ltd till 30.06.2025

Changes in composition of Board of Directors of Bank took place during the year 2025-26:

1. Shri Hardik Mukesh Sheth ceased to be Government Nominee Director of the Bank w.e.f. 24.07.2025.
2. Shri Baldeo Purushartha was appointed as Government Nominee Director on the Board of Bank w.e.f. 24.07.2025, until further orders.
3. Shri M V Rao ceased to be Managing Director & CEO of the Bank on attaining superannuation w.e.f. 31.07.2025.
4. Shri Vivek Wahi ceased to be Executive Director of the Bank on attaining superannuation w.e.f. 30.09.2025.
5. Shri Kalyan Kumar was appointed as Managing Director & CEO of the Bank by Government of India w.e.f. 30.09.2025 for the period of 3 years or till further orders.
6. Shri E Ratan Kumar was appointed as an Executive Director of the Bank by Government of India w.e.f. 24.11.2025 for the period of 3 years or till further orders.
7. The term of Shri M V Murali Krishna, Executive Director of the Bank was extended beyond his notified term which ended on 30th November, 2025 till the date of his superannuation i.e. 31st July, 2027 or till further orders.

Changes in composition of Board of Directors of Bank after closure of the financial year 2025-26:

1. Shri Pradip P. Khimani ceased to be Part time Non-Official Director of the Bank w.e.f 10.04.2026 on completion of his 01 year term.
2. Shri Priavrat Sharma ceased to be Part time Non-Official Director (CA Category) of the Bank w.e.f 07.05.2026 on completion of his 03 years term.

Brief Profile of the Directors of the Bank as on 31.05.2026

1. Shri Kalyan Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer

Shri Kalyan Kumar is appointed as the Managing Director & CEO of Central Bank of India since 30th September, 2025. Before assuming charge of the current position, Shri Kumar served as Executive Director of Punjab National Bank for over three years.

A seasoned Banker, Shri Kumar is a Post Graduate in Science from Rajendra Prasad Agriculture University, Pusa, Certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and holds various certifications in Trade Finance, SME Finance, IT Security and KYC-AML from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF).

Shri Kumar served as Chairman on the Board of two of the subsidiaries of Punjab National Bank, PNB Gilts Ltd. and PNB Cards & Services Ltd. He was the nominee member of Board of Governors of Management Development Institute (MDI) Society. Shri Kumar was also on the Board of NIBSCOM as Chairman and SCB Nominee Director on the Board of IIFCL.

As the Executive Director in Punjab National Bank, he played a pivotal role in Profit & Loss delivery across key business, support, and control functions with responsibilities across multiple domains.

He led the Bank's vision and strategy for overall business growth through Digital Transformation, Strategic Management, Economic Advisory, Data Analytics and Information Technology Excellence. He directed the HR Transformation, 'PNB Udaan', which provides clarity of roles & expectations from each employee with well-defined and measurable KRAs. He also spearheads the Business

Acquisition and Relationship Division, focusing on driving growth in CASA and marketing of both asset and liability products, including Credit Cards. Shri Kumar also led the Wealth Management Vertical of the Bank with focus on increase in fee-based income through third party products.

Keeping the ESG Goals on priority, Shri Kumar also launched a go green initiative 'PNB Palaash'. Multiple awareness programs were conducted, and various initiatives were launched like Tree Plantation Drives, Usage of Digital copies & Biodegradable folders, Energy, Paper & Water saving measures, Carpooling etc.

Shri Kalyan Kumar started his journey in Union Bank of India as Rural Development Officer in 1995 and has served the Bank for more than 26 years in various capacities. He worked as the Branch Head in various categories of branches which also include VLBs (Very Large Branches). He was also the Principal of the Staff Training College. In the Corporate Office, he aided in the Bank's Business Process Transformation, Credit Review & Monitoring and Vigilance. Lastly, he headed HR as the Chief General Manager of the Bank. The successful amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India was steered under his supervision and control.

Shri Kumar has undergone the Banks Board Bureau Training Program for Top Leadership Development and Director Development Programme conducted by Egon Zehnder in collaboration with Harvard University.

At present, he is serving as Member of Management Committee of Indian Bank Associations (IBA), Member of CII National Committee on Banking, Governing Board Member of Indian Institue of Bank Management (IIBM) and External Member of College Advisory Committee of College of Agriculture Banking, RBI .

2. Shri M V Murali Krishna, Executive Director

Shri M.V. Murali Krishna is the Executive Director of the Bank w.e.f. 01st December, 2022. Prior to this, he served as Chief General Manager at Bank of Baroda.

Shri M.V. Murali Krishna is an MBA in Banking and Finance. He began his career with Bank of Baroda a Probationary Officer and has over three decades of professional banking experience in leadership roles. His expertise extends to all major areas of banking including corporate credit, International Operations, Rural and Agricultural Banking, Financial Inclusions, NRI business etc. His last posting in Bank of Baroda was as Head of Corporate Institutional Credit – Large Corporate.

During his long stint in the Banking Industry, he worked across various branches to Regional Offices and from Overseas territory to Corporate office. He successfully handled the responsibilities such as Head of Large Corporate, Head of International Operations, Head of Rural & Agriculture Department and Head of Financial Inclusion Department. Earlier, he also served as a Director on the Board of BOB Capital Finance Ltd., Baroda, Gujarat Gramin Bank and AFC India Ltd (Agriculture Finance Corporation).

Presently, he is serving as a Director on the Board of Subsidiary/Associate Companies of Bank such as Centbank Financial Services Limited, Centbank Home Finance Limited & Generali Central Insurance Co. Ltd.

3. Shri Mahendra Dohare, Executive Director

Shri Mahendra Dohare is an Executive Director of Central Bank of India since 09th October, 2023. Prior to this, he has served as Chief General Manager at Punjab National Bank.

He holds degree in MBA in Marketing & Finance and he is a Certified Associate of Indian Institute of Banking & Finance (IIB&F). He has acquired IIBF Certifications in: Digital Banking, IT Security, Prevention of Cyber Crime & Fraud Management, Certified Information System Banker, Customer Service, MSME Finance and Audit & Accounting.

He is a seasoned banker with more than 25 years of experience. Prior to his appointment as Executive Director in Central Bank of India, he served at Punjab National Bank and e-UNI in the capacity of Chief General Manager & General Manager across diverse segments of banking such as Business Acquisition & Relationship Management, Digital Banking Transformation, Fintech, Credit Card, Merchant Acquiring Business & Information Technology.

He has varied experience across geographies in Metro, Urban, Semi-Urban, Rural locations including as Regional Head. Earlier, he also served as Nominee Director on the Board of PNB Cards & Services Ltd. and Tripura Grameen Bank (TGB).

Presently, he is serving as Director on the Board of Generali Central Life Insurance Co. Ltd and PSB Alliance Pvt.Ltd.

4. Shri E Ratan Kumar, Executive Director

Shri E. Ratan Kumar has assumed Charge as Executive Director on 24th November 2025. Earlier, he was handling Digital Transformation of the Bank as Chief General Manager – Tech.

He is B.E (Computer Science) from REC (now NIT), Allahabad and M. Tech in Artificial Intelligence & Robotics from Hyderabad University. He also did his master's in financial management from, NMIMS, University of Mumbai.

He had varied experience in the Banking as In-charge of Mid Corporate Branch, Corporate Finance Branch, as Senior Regional Head and Zonal Head. Having a varied Experience both in Operational Banking and Technology with a strong insight of Process Re-engineering, he brings a rich and impactful knowledge to the Organisation.

Prior to the current assignment, he also held various Departments in the Bank such as Information Technology Department, Planning & Development, Business Process Re-engineering Department, Credit Monitoring, CDR Cell etc. Some of the key projects being handled are Omnichannel and Digital Lending Platform out of the many others. Overall, he has 3 decades of experience both in Technology and Banking together.

As Chief General Manager–Technology, he is driving Digital initiatives and spearheading the most important Project "Digital Strategy and Transformation" in the Bank.

Presently, he is serving as Director on the Board of Cent Bank Financial Services Limited.

5. Shri Baldeo Purushartha, Govt. Nominee Director

Shri Baldeo Purushartha is a 2002 batch Indian Administrative Service (IAS) officer of Punjab cadre. He has served in

various field and secretariat positions in the Government of Punjab and the Government of India. At present, he is working as Joint Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, and Government of India. He has also represented the Government of India on the Board of many Public Sector Undertakings. He has received award from the Hon'ble Prime Minister for making Chandigarh, the first Million Plus ODF city.

He also represents the Government of India on the Board of HUDCO.

Mr Purushartha holds Post Graduate degree from the University of Delhi, India. As Joint Secretary, DEA, he has contributed to and shaped various books on PPP in infrastructure, namely, Reference Guide for setting up State PPP Units; Reference Guide for PPP Project Appraisal; Reference Guide for Project Implementation

Mode Selection – Waterfall Framework; Transaction Advisors for PPP Projects: Manual for use of the Panel, etc. He has also written many articles on Infrastructure & PPP in various magazines.

6. Shri Manoranjan Dash, RBI Nominee Director

Shri Manoranjan Dash is a RBI Nominee Director of Bank since 12.12.2024.

Shri Manoranjan Dash is a holder of a Bachelor degree in agriculture. He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Banking & Finance (IIB&F). He is having experience over three decades of working with RBI. He served as the Chief General Manager-in-Charge of Risk Monitoring Department, RBI and super annuated from RBI in May, 2025. Prior to this, he served as the Regional Director of RBI, Guwahati. He joined RBI as a Grade 'B' officer in 1990.

He has represented RBI in various international fora such as the International Operational Risk Working Group and Central Bank Risk Managers' forum.

7. Shri Sarada Kumar Hota, Shareholder Director

Shri Sarada Kumar Hota is a Shareholder Director of Bank since 17th July, 2024.

Shri Sarada Kumar Hota is a post graduate in Agriculture. He is having experience of more than 34 years, out of which 26 years in commercial banking across all geographies of the Country across rural and semi urban to metro branches. He has worked in various capacities in Human Resources, Strategic Business Planning and Profit Planning verticals at different locations with Canara Bank.

He has experience of 08 years at Board Level (03 Years as MD & CEO of Can Fin Homes Ltd and 05 years as Managing Director of National Housing Bank).

He was also a member of Inter regulatory Forum (IRF) of RBI, member of Central Advisory Council of Real estate regulatory Authority (RERA) and a member of the Committee constituted by Government of India to examine issues related to stalled projects.

Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel of the Bank has been approved by the Board of Directors in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is available on the Bank's website

https://centralbank.bank.in/sites/default/files/Code-of-conduct-for-Bank's-BOD-and-Senior-Management-2025-26.pdf

All the Board Members and Senior Management Personnel of Bank have affirmed the compliance of the code.

Confirmation by the Board with respect to Independence of Independent Directors:

Based on the disclosures received from all the Independent Directors, the Board opined that all the Independent Directors fulfilled the criteria of independence as specified in Companies Act, 2013 as well as in SEBI (LODR) Regulations, 2015 and are independent of the management.

Separate meeting of Independent Directors:

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, meeting of Independent Directors of the Bank was held on 11.03.2026 during the financial year 2025-26.

Performance Evaluation of Board Members:

The performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Committee of Board for performance Evaluation on the basis of guidelines prescribed by Government of India. Further, Performance of non- official Directors is done by Board of Directors on annual basis.

Familiarization programme:

The Bank regularly familiarizes its Directors with regard to their roles, rights, responsibilities and obligations in the Bank. Bank also nominates its Directors for the training programs conducted by premier institutes such as CAFRAL, IDRBT, IICA and other reputed organisations from time to time. The details of familiarization/ training programs attended by the Directors of the Bank during the financial year 2025-26 are available on the Bank's website https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations

Inter se relationship:

None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se.

A) BOARD MEETINGS

The Board of Bank meets at regular intervals to discuss and decide Bank's business policy and strategy apart from other businesses. The Board oversees implementation of business polices, Governance structure and performance of Management for achieving its objectives. The Board has constituted various committees/sub committees to facilitate the smooth and efficient flow in decision-making process. The meetings of the Board of Directors are generally held at the Bank's Central office at Mumbai. Directors are also provided with video conferencing facility so as to participate virtually in meetings of Board and its Sub-Committees.

During the Financial Year 2025-26, 13 meetings of Board of Directors were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

During the year, 13 Board Meetings were held on the following dates:

28.04.2025	07.10.2025	16.01.2026
13.06.2025	17.10.2025	10.02.2026
11.07.2025	25.11.2025	24.03.2026
19.07.2025	02.12.2025	
17.09.2025	20.12.2025	

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as under:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Kalyan Kumar	08	08	30.09.2025-31.03.2026
Shri M. V. Rao	04	04	01.04.2025-31.07.2025
Shri Vivek Wahi	05	05	01.04.2025-30.09.2025
Shri M V Murali Krishna	13	13	01.04.2025-31.03.2026
Shri Mahendra Dohare	13	13	01.04.2025-31.03.2026
Shri E Ratan Kumar	06	06	24.11.2025-31.03.2026
Shri Hardik Mukesh Sheth	03	04	01.04.2025-24.07.2025
Shri Baldeo Purushartha	05	09	24.07.2025-31.03.2026
Shri Manoranjan Dash	13	13	01.04.2025-31.03.2026
Shri Pradip Pranlal Khimani	13	13	11.04.2025-31.03.2026
Shri Priavrat Sharma	12	13	01.04.2025-31.03.2026
Shri Sarada Kumar Hota	13	13	01.04.2025-31.03.2026

B) DETAILS OF SUB - COMMITTEES OF THE BOARD

As on date, there are total 16 Committees of the Board constituted under the prescribed rules/regulations and directives issued by Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India and by the Board itself. Details of these Sub-Committees are as under:-

i) Management Committee of the Board (MCB)

ii) Credit Approval Committee of the Board (CACB)

iii) Audit Committee of the Board (ACB)

iv) Risk Management Committee of the Board (RMCB)

v) Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds (SCBMF)

vi) Customer Service Committee of the Board (CSC)

vii) Information Technology Strategy Committee of the Board (ITSC)

viii) Stakeholders Relationship Committee of the Board (SRC)

ix) Nomination and Remuneration Committee of the Board (NRC)

x) Vigilance Committee of the Board (VGC)

xi) Human Resource Committee of the Board (HRC)

xii) Committee of the Board for Monitoring of Recovery (MRC)

xiii) Capital Raising Committee of the Board (CRC)

xiv) Committee to the Board to Review the Identification of Willful Defaulter & Declaring of Non-Cooperative Borrowers (CRIW&NCB).

xv) Corporate Social Responsibility Committee (CSR)

xvi) Board Committee Performance Evaluation (BCPE)

i) Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board (MCB) is constituted as per Clause 13, sub clause 2 of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous provisions) Scheme, 1970, and Department of Financial Services letter dated 24.08.2015 & 10.06.2014. The Committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposal, compromise/write off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc. Any other function as per the direction of RBI/GOI/Board of Bank. The Committee meets as and when required.

As on 31.03.2026, it comprised of 06 members, consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer, 03 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director and Shareholder Director. The meeting of the Committee is chaired by Managing Director & CEO of the Bank.

The Management Committee of the Board met 16 times during the year on the following dates:

28.04.2025	14.08.2025	25.11.2025	10.02.2026
02.06.2025	17.09.2025	15.12.2025	23.02.2026
25.06.2025	29.09.2025	24.12.2025	11.03.2026
30.07.2025	01.11.2025	23.01.2026	24.03.2026

Attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Kalyan Kumar	09	09	30.09.2025-31.03.2026
Shri M. V. Rao	04	04	01.04.2025-31.07.2025
Shri Vivek Wahi	07	07	01.04.2025-30.09.2025
Shri M V Murali Krishna	16	16	01.04.2025-31.03.2026
Shri Mahendra Dohare	15	16	01.04.2025-31.03.2026
Shri E Ratan Kumar	08	08	24.11.2025-31.03.2026
Shri Manoranjan Dash	15	16	01.04.2025-31.03.2026
Shri Sarada Kumar Hota	15	16	01.04.2025-31.03.2026

ii) Credit Approval Committee:

Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercised the powers of the Board with regards to credit proposals from above ₹100 crore upto ₹400.00 crore for individual borrower and for group companies/ borrowers, credit proposals from above ₹200 Crore upto ₹800 crore, compromise/ write off proposals involving sacrifice above ₹10 crore and upto ₹50 crore etc. Any other function as per the direction of RBI/GOI/ SEBI/Board of Bank. The Committee meets as and when required.

As on 31.03.2026, the Committee consists of Managing Director and Chief Executive Officer, 03 Executive Directors, Chief General Managers at Central Office, General Managers in charge of Credit, Accounts/ Finance, Credit Monitoring & Policy, Vertical GM's of which proposal are being placed and Chief Risk Officer. The meeting of the Committee is chaired by Managing Director & CEO.

The Credit Approval Committee met 22 times during the year on the following dates:

24.04.2025	15.10.2025	01.12.2025	02.03.2026
22.05.2025	23.10.2025	08.12.2025	09.03.2026
20.06.2025	31.10.2025	02.01.2026	20.03.2026
05.08.2025	06.11.2025	05.01.2026	30.03.2026
04.09.2025	10.11.2025	23.01.2026	
25.09.2025	19.11.2025	06.02.2026	

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Kalyan Kumar	16	16	30.09.2025-31.03.2026
Shri M V Rao	03	03	01.04.2025-31.07.2025
Shri Vivek Wahi	06	06	01.04.2025-30.09.2025
Shri M V Murali Krishna	22	22	01.04.2025-31.03.2026
Shri Mahendra Dohare	21	22	01.04.2025-31.03.2026
Shri E Ratan Kumar	09	10	24.11.2025-31.03.2026

iii) Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board (ACB) is constituted as per RBI Master Direction dated 28.11.2025, Department of Financial Services circular 10.06.2014 respectively and SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended from time to time. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/ external audit of the Bank and inspections conducted by RBI. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

The terms of reference to the Audit Committee are as under:

1. Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/ Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;
2. Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;
3. Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
4. Following up in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacting with the External Auditors before finalization of the quarterly/ half yearly/ annual financial accounts and reports;
5. Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;
6. Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit; Qualifications in the Draft Audit Report; To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern; Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
7. Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
8. Matters as mentioned in SEBI (LODR) Regulations, 2015 and as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee.
9. Any other function as per the direction of RBI/GOI/SEBI/Board of Bank.

As on 31.03.2026, Audit Committee consists of 02 Independent Directors and RBI Nominee Director. The meeting of the Committee is chaired by Shri Priavrat Sharma, Independent Director (CA Category). During the year, the Audit Committee met 11 times on the following dates:

28.04.2025	07.10.2025	16.01.2026
02.06.2025	17.10.2025	23.03.2026
19.07.2025	24.11.2025	25.03.2026
29.09.2025	19.12.2025	

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From – To)
Shri Priavrat Sharma	11	11	01.04.2025-31.03.2026
Shri Pradip Pranlal Khimani	11	11	16.04.2025-31.03.2026
Shri Manoranjan Dash	11	11	01.04.2025-31.03.2026

The Company Secretary acts as the Secretary to ACB.

iv) Risk Management Committee:

The Risk Management Committee of the Board (RMCB) is constituted as per RBI Master Directions dated 28.11.2025 and SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended from time to time, the Committee was constituted to oversee the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

The terms of reference to the Risk Management Committee are as under:

1. The Committee will take both long term and short-term view of the risks faced by the Bank.
2. Keeping the long-term interest and implications in mind, it will articulate and proactively update the risk philosophy of the Bank.
3. From a more operational perspective, it will review the risk profile of the Bank and issue instructions/ guidelines to the appropriate entities to better manage the risk.
4. The Committee would be apex committee for convergence of various risk management efforts and policy guidelines. It would facilitate providing board direction on articulating the risk management philosophy of the Bank and also the risk profile of the Bank and providing guidelines. It would take a integrated view of risk the Bank is willing to take and provide broad directions for indicating the risk appetite for the Bank.
5. It would also review the credit risk management policies to ensure that they are compatible with the risk philosophies and risk preferences. It would also create and build organisational wide awareness and appreciation of risk management policies. It would be reviewing periodically the policies and guiding principles for managing the Bank's operational risk. Also the Committee would review periodically information to monitor the compliance with the policies,
6. Creating awareness and appreciation of ALM issues throughout the Bank. Using appropriate guidelines in the areas of Balance Sheet structure, funding structure pricing and corporate planning so as to maintain the Bank's desired risk preferences and Balance Sheet profile.
7. Reviewing periodically the instructional mechanism that is put in place for attending to functions of risk management and Risk based supervision.
8. The Committee will devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including credit risk.
9. Any other function as per the direction of RBI/GOI/SEBI/Board of Bank.

As on 31.03.2026, Risk Management Committee consists of 01 Executive Director, 02 Independent Directors and Government of India Nominee Director. The meeting of the Committee is chaired by Shri Sarada Kumar Hota, Independent Director.

The Committee met 05 times during the year on the following dates:

02.06.2025	17.09.2025	19.12.2025	10.02.2026	23.03.2026

The attendance recorded of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Sarada Kumar Hota	05	05	01.04.2025-31.03.2026
Shri Pradip Pranlal Khimani	05	05	16.04.2025-31.03.2026
Shri Vivek Wahi	02	02	01.04.2025-30.09.2025
Shri E Ratan Kumar	03	03	24.11.2025-31.03.2026
Shri Hardik Mukesh Sheth	01	01	01.04.2025-24.07.2025
Shri Baldeo Purushartha	02	04	24.07.2025-31.03.2026

v) The Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Frauds:

The Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of frauds (SCBMF) is constituted as per RBI circular dated 15.07.2024. Committee oversee the effectiveness of the fraud risk management in the bank. SCBMF shall review and monitor cases of frauds, including root cause analysis, and suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimizing the incidence of frauds. Committee also review of updated status of Red Flagged Accounts (RFA). The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

As on 31.03.2026, the Committee consists of 03 Executive Directors, Government of India Nominee Director and 02 Independent Directors. The meeting of the Committee is chaired by Shri Priavrat Sharma, Independent Director.

The Committee met 04 times during the year on the following dates:

23.05.2025	29.09.2025	25.11.2025	23.03.2026

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Priavrat Sharma	04	04	01.04.2025-31.03.2026
Shri Vivek Wahi	02	02	01.04.2025-30.09.2025
Shri M V Murali Krishna	04	04	01.04.2025-31.03.2026
Shri Mahendra Dohare	04	04	01.04.2025-31.03.2026
Shri E Ratan Kumar	02	02	24.11.2025-31.03.2026
Shri Hardik Mukesh Sheth	01	01	01.04.2025-24.07.2025
Shri Baldeo Purushartha	02	03	24.07.2025-31.03.2026
Shri Pradip Pranlal Khimani	02	02	07.10.2025-31.03.2026

vi) Customer Service Committee of the Board:

The Customer Service Committee of the Board was constituted as per the advice of the RBI letter dated August 14, 2004 read with Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services set up by Reserve Bank of India under the Chairmanship of Dr. S. S. Tarapore with a view to support broad based improvement in customer services in relation to various banking services. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

The terms of reference to the Customer Service Committee are as under:

1. To bring about ongoing improvements in the quality of customer service provided by the Bank.
2. Ensure the compliance with the recommendations of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services in Banks.
3. Initiate innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all levels.
4. To review the grievance /complaints of the customer. (i) formulation of a Comprehensive Deposit Policy (ii) issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account (iii) product approval process with a view to suitability and appropriateness.
5. Any other function as per the direction of RBI/GOI/SEBI/Board of Bank.

As on 31.03.2026, the Committee consists of 03 Executive Directors, 01 Independent Director and 01 Invitee member. The meeting of the Committee is chaired by domain Executive Director.

The Committee met 04 times during the year on the following dates:

23.05.2025	17.09.2025	19.12.2025	11.03.2026

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Mahendra Dohare	04	04	01.04.2025-31.03.2026
Shri E Ratan Kumar	02	02	24.11.2025-31.03.2026
Shri Vivek Wahi	02	02	01.04.2025-30.09.2025
Shri M V Murali Krishna	04	04	01.04.2025-31.03.2026
Shri Pradip Pranlal Khimani	04	04	16.04.2025-31.03.2026
Shri Gulshan Rai (Invitee)	01	02	19.12.2025-31.03.2026

vii) IT Strategy Committee of the Board:

The IT Strategy Committee of the Board (ITSC) is constituted as per RBI circular dated 07.11.2023 and Department of Financial Services letter dated 06.06.2018 and IBA directives.

Roles & objectives:

1. Ensure that the Management has put an effective IT strategic planning process in place;
2. Guide in preparation of IT Strategy and ensure that the IT Strategy aligns with the overall strategy towards accomplishment of its business objectives;
3. Satisfy itself that the IT Governance and Information Security Governance structure fosters accountability, is effective and efficient, has adequate skilled resources. well defined objectives and unambiguous responsibilities for each level in the organisation;
4. Ensure that the management has put in place processes for assessing and managing IT and cybersecurity risks;
5. Ensure that the budgetary allocations for the IT function (including for IT security), cyber security are commensurate with the IT maturity, digital depth, threat environment and industry standards and are utilised in a manner intended for meeting the stated objectives., and
6. Review, at least on annual basis, the adequacy and effectiveness of the Business Continuity Planning and Disaster Recovery Management of the Bank.
7. Approve the IT strategy and policy document.
8. Any other function as per the direction of RBI/GOI/SEBI/Board of Bank.

As on 31.03.2026, the Committee consists of 03 Executive Directors, 02 Independent Directors, Government Nominee Director and 01 Invitee member. The meeting of the Committee is chaired by Shri Sarada Kumar Hota, Independent Director.

The Committee met 06 times during the year on the following dates:

02.06.2025	11.07.2025	17.09.2025	25.11.2025	19.12.2025	11.03.2026

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Sarada Kumar Hota	06	06	01.04.2025-31.03.2026
Shri Vivek Wahi	03	03	01.04.2025-30.09.2025
Shri M V Murali Krishna	06	06	01.04.2025-31.03.2026
Shri Mahendra Dohare	06	06	01.04.2025-31.03.2026
Shri E Ratan Kumar	03	03	24.11.2025-31.03.2026
Shri Hardik Mukesh Sheth	02	02	01.04.2025-24.07.2025
Shri Baldeo Purushartha	03	04	24.07.2025-31.03.2026
Shri Priavrat Sharma	06	06	01.04.2025-31.03.2026
Shri Vireshwar Kumar (Invitee)	06	06	01.04.2025-31.03.2026

viii) Stakeholders' Relationship Committee:

Pursuant to Regulation 20 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has constituted the Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. Any other function as per the direction of RBI/GOI/SEBI/Board of Bank. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

As on 31.03.2026, the Committee consists of 03 Executive Directors and 01 Independent Director. The meeting of the Committee is chaired by Shri Pradip Pranlal Khimani, Independent Director.

The Committee met 04 times during the year on the following dates:

23.05.2025	11.07.2025	24.11.2025	11.03.2026

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri Vivek Wahi	02	02	01.04.2025-30.09.2025
Shri M V Murali Krishna	04	04	01.04.2025-31.03.2026
Shri Mahendra Dohare	04	04	01.04.2025-31.03.2026
Shri E Ratan Kumar	01	01	24.11.2025-31.03.2026
Shri Pradip Pranlal Khimani	04	04	16.04.2025-31.03.2026

The details of Investor Grievances for the year 2025-26 (from 01.04.2025 to 31.03.2026) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	Nil
2	Letters for Non-Receipt of Share Certificate(s)/Non receipt of shares	Nil
3	Non-Receipt of Dividend Warrants	Nil
4	Non-Receipt of Annual Report/EGM Notice	Nil
5	Non-Receipt of Refund Order	Nil
6	Non-Receipt of Rejected DRF's	Nil
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	Nil
8	Total Grievances received	Nil
9	Total Grievances attended/resolved	Nil
10	Total complaints pending at the end of the year	Nil

We confirm that no investors' complaints remained un- attended/pending for more than 30 days.

ix) Nomination and Remuneration Committee:

The Nomination and Remuneration Committee of the Board (NRC) is constituted as per RBI Master Directions dated 28.11.2025 and SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended from time to time. Bank has constituted a Nomination and Remuneration Committee for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as Directors under clause (i) of sub- section(3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Undertakings) Act, 1970 and role as specified in SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Committee meets as and when required.

As on 31.03.2026, the Committee consists of 03 Non-Executive Directors / Independent Directors. The meeting of the Committee is chaired by Shri Pradip Pranlal Khimani, Independent Director.

The Committee met once during the year on the following date:

23.03.2026

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pradip Pranlal Khimani	01	01	16.04.2025-31.03.2026
Shri Hardik Mukesh Sheth	00	00	01.04.2025-24.07.2025
Shri Baldeo Purushartha	00	00	24.07.2025-20.12.2025
Shri Priavrat Sharma	01	01	20.12.2025-31.03.2026
Shri Sarada Kumar Hota	01	01	01.04.2025-31.03.2026

x) Vigilance Committee:

In terms of Government of India guidelines, the Bank has constituted Vigilance Committee to review vigilance disciplinary cases and departmental enquiries. Any other function as per the direction of RBI/GOI/SEBI/Board of Bank. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

As on 31.03.2026, the Vigilance Committee consist of Managing Director & CEO, Government of India Nominee Director and Reserve Bank of India Nominee Director. The meeting of the Committee is chaired by Managing Director & CEO.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

02.06.2025	11.07.2025	25.11.2025	11.03.2026

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Kalyan Kumar	02	02	30.09.2025-31.03.2026
Shri M V Rao	02	02	01.04.2025-31.07.2025
Shri Hardik Sheth	02	02	01.04.2025-24.07.2025
Shri Baldeo Purushartha	02	02	24.07.2025-31.03.2026
Shri Manoranjan Dash	04	04	01.04.2025-31.03.2026

xi) Human Resource Committee of the Board:

The HR Committee of the Board (HRC) is constituted as per Department of Financial Services letter dated 21.10.2011 & March 2012. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter. The terms of reference to the Committee are as under:

1. Five-year Manpower Planning & its Annual Review
2. Quarterly Review of the key critical and leadership positions for Succession Planning,
3. Quarterly monitoring exercise of grooming identified potential successors through variety of mechanisms to prepare them for the identified potential successors through variety of mechanisms to prepare them for the identified key critical positions
4. Any other HR issue which is considered as critical and crucial, not being HR Policies, individual issues or bilateral issues relating to Award Staff involving Settlements under Industrial Disputes Act, 1947 with Majority Union with Award Staff, Policy issues relating to Officers which are bilateral etc.) thereby require to be referred to the Committee.
5. Any other function as per the direction of RBI/GOI/SEBI/Board of Bank.

As on 31.03.2026, the Human Resource Committee consists of Managing Director & CEO, 03 Executive Directors, Government of India Nominee Director and 01 Invitee member. The meeting of the Committee is chaired by Managing Director & CEO.

The Committee met 07 times during the year on the following dates:

23.05.2025	11.07.2025	17.09.2025	17.10.2025
19.12.2025	05.02.2026	23.03.2026	

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Kalyan Kumar	04	04	30.09.2025-31.03.2026
Shri M V Rao	02	02	01.04.2025-31.07.2025
Shri Vivek Wahi	03	03	01.04.2025-30.09.2025
Shri M V Murali Krishna	07	07	01.04.2025-31.03.2026
Shri Mahendra Dohare	07	07	01.04.2025-31.03.2026
Shri E Ratan Kumar	03	03	24.11.2025-31.03.2026
Shri Hardik M Sheth	02	02	01.04.2025-24.07.2025
Shri Baldeo Purushartha	03	05	24.07.2025-31.03.2026
Shri S. Sengupta (Invitee)	05	07	01.04.2025-31.03.2026

xii) Committee of the Board for Monitoring of Recovery:

The Committee of the Board for Monitoring of Recovery (MRC) is constituted as per Department of Financial Services letter dated 21.11.2012. Committee of the Board for monitoring of recovery was constituted as a sub-committee of the Board to monitor stressed assets of the Bank and recovery in NPA accounts. The Committee meets at least four times a year and once in each quarter.

The terms of reference to the Committee are as under:

1) To monitor the progress in Recovery on regular basis, examine all possible options of Recovery and implement the same.

2) To analyze the position of Special Mention Accounts and to chalk out strategy to arrest slippage.

3) Any other function as per the direction of RBI/GOI/SEBI/Board of Bank.

As on 31.03.2026, the Committee consists of Managing Director & CEO, 03 Executive Directors, Government of India Nominee Director and 01 Independent Director. The meeting of the Committee is chaired by Managing Director & CEO.

The Committee met 04 times during the year on the following dates:

23.05.2025	29.09.2025	25.11.2025	11.03.2026

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Kalyan Kumar	02	02	30.09.2025-31.03.2026
Shri M V Rao	01	01	01.04.2025-31.07.2025
Shri Vivek Wahi	02	02	01.04.2025-30.09.2025
Shri M V Murali Krishna	04	04	01.04.2025-31.03.2026
Shri Mahendra Dohare	04	04	01.04.2025-31.03.2026
Shri E Ratan Kumar	02	02	24.11.2025-31.03.2026
Shri Hardik M Sheth	01	01	01.04.2025-24.07.2025
Shri Baldeo Purushartha	03	03	24.07.2025-31.03.2026
Shri Priavrat Sharma	04	04	01.04.2025-31.03.2026

xiii) Capital Raising Committee:

The Board of the Bank has constituted Capital Raising Committee to look after the activity of raising of Tier 1 and Tier 2 capital required for the Bank and takes all operative steps in connection therewith. Any other function as per the direction of RBI/GOI/SEBI/Board of Bank. The Committee meets as and when required.

As on 31.03.2026, the Committee consists of Managing Director & CEO and 03 Executive Directors. The meetings of the Committee is chaired by Managing Director & CEO.

No Committee meeting was held during FY 2025-26.

xiv) REVIEW COMMITTEE FOR DECLARING OF NON CO-OPERATIVE BORROWER AND IDENTIFICATION OF WILFUL DEFAULTERS

In terms of the RBI Circular, Bank has constituted the Review Committee for Declaring of Non Co-operative Borrower and Identification of Wilful Defaulters. The Role of the Committee is to review the order of the Internal Committee for declaring of Non-Cooperative Borrower and Wilful Defaluters as per RBI Guidelines. Any other function as per the direction of RBI/ GOI/SEBI/ Board of Bank. The Committee meets as and when required.

As on 31.03.2026, the Committee consists of Managing Director & CEO and 03 Independent Directors. The meeting of the Committee is chaired by Managing Director & CEO.

The Committee met 04 times during the year on the following dates:

02.06.2025	29.09.2025	25.11.2025	11.03.2026

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Kalyan Kumar	02	02	30.09.2025-31.03.2026
Shri M V Rao	01	01	01.04.2025-31.07.2025
Shri Vivek Wahi	01	01	02.08.2025-30.09.2025
Shri Pradip Pranlal Khimani	02	02	07.10.2025-31.03.2026
Shri Priavrat Sharma	04	04	01.04.2025-31.03.2026
Shri Sarada Kumar Hota	04	04	01.04.2025-31.03.2026

xv) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE OF THE BOARD

The Committee is constituted by Bank to decide on CSR activities (including donations) to be undertaken by Bank as defined by Ministry of Corporate Affairs, Government of India and RBI. The Committee shall approve CSR Policy of Bank and review and monitor the CSR activity budgets of Bank.

As on 31.03.2026, the Committee consists of 03 Executive Directors and 02 Independent Directors. The meeting of the Committee is chaired by domain Executive Director.

The Committee met twice during the year on the following dates:

02.06.2025	11.03.2026

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Vivek Wahi	01	01	01.04.2025-30.09.2025
Shri M V Murali Krishna	02	02	01.04.2025-31.03.2026
Shri Mahendra Dohare	02	02	01.04.2025-31.03.2026
Shri E Ratan Kumar	01	01	24.11.2025-31.03.2026
Shri Priavrat Sharma	02	02	01.04.2025-31.03.2026
Shri Sarada Kumar Hota	02	02	01.04.2025-31.03.2026

xvi) BOARD COMMITTEE FOR PERFORMANCE EVALUATION

Board Committee for Performance Evaluation (BCPE) is constituted as per Department of Financial Services letter dated 30.08.2019, 14.11.2019 and 06.02.2023. The Committee shall evaluate the performance of Whole Time Directors and General Managers (in charge of internal control functions i.e. Risk, Compliance and Audit) on annual basis. The Committee meets as and when required.

As on 31.03.2026, the Committee consists of Government of India Nominee Director and 03 Independent Directors. The meeting of the Committee is chaired by Shri Sarada Kumar Hota, Independent Director.

The Committee met 04 times during the year on the following dates:

13.06.2025	30.07.2025	29.09.2025	24.03.2026

The attendance record of the members is given as below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Sarada Kumar Hota	04	04	01.04.2025-31.03.2026
Shri Pradip Pranlal Khimani	04	04	11.04.2025-31.03.2026
Shri Priavrat Sharma	02	02	17.09.2025-31.03.2026
Shri Hardik M Sheth	01	01	01.04.2025-24.07.2025
Shri Baldeo Purushartha	02	03	24.07.2025-31.03.2026

1. Remuneration of Directors

The Non-Official (Independent) Directors / Non- Executive Directors were paid sitting fees of ₹40,000 (₹60,000 w.e.f 28.10.2025) for attending every meeting of the Board of Directors and ₹20,000 (₹30,000 w.e.f 28.10.2025) for attending every meeting of various Sub- Committees of the Board. Sitting fees is not being paid to the Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India. For Chairing the meetings of Board of Directors and Committees thereof, an additional sitting fees of ₹10,000 (₹15,000 w.e.f. 28.10.2025) and ₹5,000 (₹7,500 w.e.f. 28.10.2025) respectively were paid.

During the year under review, the Bank has paid ₹24,60,000/- (Rupees Twenty Four Lakh Sixty Thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹39,47,500/- (Rupees Thirty Nine Lakh Forty Seven Thousand Five Hundred only) to the eligible Directors/ Invitee memebrs towards attending meetings of the Sub-Committee of the Board.

Details of sitting fees paid to Directors of Bank during the Year 2025-26 is given as under:

Name of the Director	Sitting Fees Paid for FY 2025-26 (Amount in ₹)
Shri Manoranjan Dash	13,40,000
Shri Priavrat Sharma	15,52,500
Shri Sarada Kumar Hota	17,02,500
Shri Pradip Pranlal Khimani	15,42,500
Total	**61,37,500**

Details of sitting fees paid to Invitee members of Bank during the Year 2025-26 is given as under:

Name of the Invitee member	Sitting Fees Paid for FY 2025-26 (Amount in ₹)
Shri S. Sengupta[1]	1,20,000
Shri Vireshwar Kumar[2]	1,50,000
Dr. Gulshan Rai[3]	Nil
Total	**2,70,000**

Note:

1. Shri S. Sengupta is Invitee member for HR Committee of Board.
2. Shri Vireshwar Kumar is Invitee member for IT Strategy Committee of Board
3. Dr. Gulsan Rai is Invitee member for Customer Service Committee of Board. He does not take any sitting fees for attending meetings.

During the financial year 2025-26, the following amounts have been paid to the Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr.	Name	Rupees in Lakh
1.	Shri Kalyan Kumar, Managing Director & CEO (w.e.f. 30.09.2025)	20.66
2.	Shri M V Rao, Managing Director & CEO (Upto 31.07.2025)	30.20
3.	Shri Vivek Wahi, Executive Director (Upto 30.09.2025)	32.64
4.	Shri M V Murali Krishna, Executive Director	73.39
5.	Shri Mahendra Dohare, Executive Director	67.68
6.	Shri E Ratan Kumar, Executive Director (w.e.f. 24.11.2025)	14.86
	TOTAL	**239.43**

2. Compliance Officer

Shri Chandrakant Bhagwat, Assistant General Manager/ Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges.

3. Secretarial Audit

Bank has appointed M/s Ragini Chokshi & Co., Company Secretaries, Mumbai as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of the Bank for a period of five years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-30. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

4. Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc. during the financial year 2025-26

No Equity Capital was raised by Bank during the Financial year 2025-26.

Further, Bank has redeemed its 01 Basel III Compliant Tier II Bonds amounting to ₹500 crore each by exercising call option during the financial year 2025-26. No Debt capital was raised by Bank during the Financial year 2025-26.

5. Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi and Marathi newspapers, such as Business Standard, Financial Express, Tarun Bharat, Jansatta, Loksatta etc., The results alongwith presentation to analysts, press release on financial performance and official news releases were also uploaded on the Bank's website at www.centralbank.bank.in. All periodical compliances /filings like Shareholding pattern, Corporate Governance Report, Corporate announcements, media releases etc., are filed electronically on the BSE Corporate Compliance & Listing Centre (the 'Listing Centre') and NSE Electronic Application Processing System (NEAPS), and same are also posted on Banks Website for dissemination.

6. Code of Conduct

The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management has been approved by the Board of Directors. Copy of the same is available on website of the Bank i.e. www.centralbank.bank.in under the link "Investor Relations". All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.

The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prohibition of insider trading in Bank's security, copy of the same is also available on website of the Bank i.e. www.centralbank.bank.in under the link "Investor Relations under following weblink- https://centralbank.bank.in/sites/default/files/CBI_POLICY_PIT_2026-27.pdf

7. Other Disclosures

7.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.

7.2 It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed. During the year, there was no materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

7.3 The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market.

7.4 No major penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the last 3 years.

7.5 The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2025-26 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.

7.6 "Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has a web-based portal in the name of "Cent e-Whistleblower" to facilitate reporting of malpractices by Employees and Directors without revealing their identities, which would be known to the General Manager – Human Capital Management. Directors and all Employees may also approach Chairman of the Audit Committee of the Board directly. This may help to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees." No personnel has been denied access to the Audit Committee.

7.7 The Bank has complied with the stipulated requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 read with Listing Agreement to the extent that the requirements of these regulations and agreements do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

7.8 Outstanding global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity

- NIL.

7.9 Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required in the FY 2025-26 – Nil.

7.10 We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations.

7.11 Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – The funds are raised with the primary objective of augmenting and strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

7.12 Policy for determining 'material' subsidiaries is available on website of the Bank at www.centralbank.bank.in under the link Investor Relations under following weblink. https://centralbank.bank.in/sites/default/files/2%20Material%20Subsidairy.pdf

7.13 Policy on dealing with related party transactions is available on website of the Bank at www.centralbank.bank.in under the link Investor Relations under following weblink https://centralbank.bank.in/sites/default/files/1%20RPT_0.pdf

7.14 Bank has framed Dividend Distribution Policy and the same is available on Bank's website i.e. https://centralbank.bank.in/sites/default/files/Dividend-Distribution-Policy.pdf

7.15 During the Financial Year 2025-26, total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part, was ₹54.03 crore.

7.16 Certificate from a company secretary in practice has been obtained that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Board/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority and same is annexed to the report.

7.17 The Bank has complied with the Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C, D and E of Schedule V to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

Position of complaints for the year 2025-26:

No. of complaints pending at the beginning of the year	01
No. of complaints received during the year	15
Total No. of cases	16
No. of complaints disposed of during the year	12
No. of cases pending at the end of the year	04

Discretionary Requirements (Part E of Schedule II of SEBI Listing Regulations)

Sr. No.	Non-mandatory	Status of Implementation
1	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at entity's expense and also allowed reimbursement of expenses in performance of his/her duties.	Yes, implemented. However, post of Non–Executive Chairman is vacant since 23.05.2021.
2	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	The Bank has submitted its financial results on Quarterly, Half yearly and Yearly basis to Stock Exchanges and published the same in Newspapers. Besides this, the financial results were also posted on Bank's website i.e. www.centralbank.bank.in Also, Quarterly Financial results of Bank are emailed to all the Shareholders and Bondholders of the Bank.
3	Company may move towards regime of unqualified financial statements	The Bank is having unqualified financial statements
4	Reporting of Internal Auditor	Head of Internal Audit (HIA) is reporting to the Audit Committee of the Board.

8. General Shareholder Information

19th (Nineteenth) Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Friday, 31st July, 2026 at 03:00 PM (IST) at Central Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2025-26.

9. Details of General Body Meetings held during the last three years are given herein below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
Eighteenth Annual General Meeting	19th July 2025, 11.00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	1. To approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2025, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2025, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. To declare Dividend of ₹0.1875 per Equity share of the Bank. 3. To approve the appointment of Mr. Manoranjan Dash as RBI Nominee Director on the Board of the Bank. 4. To approve the re-appointment of Mr. Pradip P. Khimani as Part time Non-Official Director of the Bank. 5. To consider raising of capital aggregate up to ₹5000 crore through various modes such as QIP/FPO/ Rights Issue etc. 6. To approve the appointment of M/s. Ragini Chokshi & Co, as Secretarial Auditor of Bank for Financial Year 2025-26 to 2029-30.

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
Seventeenth Annual General Meeting	16th July 2024, 11.00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	1. To approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2024, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2024, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. To approve the appointment of Ms. Charulatha S Kar as RBI Nominee Director on the Board of the Bank. 3. To approve the appointment of Shri Mahendra Dohare as Executive Director of the Bank. 4. Election of One Shareholder Director. 5. To consider raising of capital aggregate up to ₹5000 crore through various modes such as QIP/FPO/ Rights issue etc.
Sixteenth Annual General Meeting	30th June 2023, 11:00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	1. To approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2023, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2023, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. To approve the appointment of Shri Hardik Mukesh Sheth as Government Nominee Director on the Board of the Bank. 3. To approve the appointment of Shri M V Murali Krishna as Executive Director on the Board of the Bank. 4. To approve the appointment of Shri Priavrat Sharma as Non-Official Director under CA category on the Board of the Bank. 5. To consider raising of Equity capital aggregate upto ₹2500 crore through various modes such as QIP/FPO/ Rights issue etc.

10. Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE) Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai - 400 051	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2025-26 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Tier-II Bonds - Capital position as on 31.03.2026

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crore)	ISIN	Rating
Basel III Complaint Sr VI	30.08.2023	1500.00	INE483A08049	CRISIL AA/ICRA AA
Total		**1500.00**		

The above bond is listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fees for FY 2025-26 to the Stock Exchange.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

	NSE				
Month	High Price ( )	Low Price ( )	No. of Shares	NSE Nifty	
				High	Low
April 2025	42.79	33.16	346769143	56098.70	49156.95
May 2025	39.48	32.75	217277126	55875.75	53483.05
June 2025	41.20	36.37	343422249	57614.50	55149.30
July 2025	40.69	35.88	173504565	57628.40	55843.25
August 2025	37.08	34.22	76130738	56156.30	53606.45
September 2025	38.75	34.52	121995877	55835.25	53658.15
October 2025	40.65	36.66	214850000	58577.50	54582.55
November 2025	40.53	37.24	156157977	59897.50	57521.00
December 2025	39.04	35.40	112189960	60114.30	58801.40
January 2026	39.75	35.50	177423300	60437.35	58346.25
February 2026	40.92	35.52	201051444	61764.85	57829.85
March 2026	39.20	31.30	169737370	60177.50	50105.25

The monthly high and low quotation and the no. of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

	BSE				
Month	High Price ( )	Low Price ( )	No. of Shares	BSE Sensex	
				High	Low
April 2025	43.51	33.18	28612111	80661.31	71425.01
May 2025	39.45	32.81	22111230	82718.14	78968.34
June 2025	41.18	36.41	22995478	84089.35	80705.18
July 2025	40.70	35.96	13640126	83935.01	80776.44
August 2025	37.10	34.22	6622098	82231.17	79809.65
September 2025	38.73	34.53	11103669	83108.92	79818.38
October 2025	40.68	36.70	18520683	85290.06	80159.90
November 2025	40.53	37.25	13816426	86055.86	82670.95
December 2025	39.05	35.40	8848730	86159.02	84238.43
January 2026	39.75	35.51	15192276	85883.50	81088.59
February 2026	40.91	35.50	17651953	85871.73	80387.25
March 2026	39.19	31.29	17124419	80632.55	71774.13

11. Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/ grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Registrar and Transfer Agent for Equity Shares:
MUFG Intime India Pvt. Ltd.
(Formerly Known as Link Intime India Pvt. Ltd.)
C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai – 400 083 Tel: 022-4918 6270
Fax: 022-4918 6060
Email Id: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Registrar and Transfer Agent for listed non-convertible Debt securities:
MCS Share Transfer Agent Ltd Office No. 3B3, 3rd Floor, B Wing
Gundecha Onclave Premises Co-op Soc. Ltd.
Kherani Road, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai – 400 072
Tel: 022 – 2851 6021
Email Id: helpdeskmum@mcsregistrars.com

Debenture Trustee for listed non-convertible Debt securities:
IDBI Trusteeship Services Limited
Universal Insurance Building,
Ground Floor, Sir P.M. Road,
Fort, Mumbai – 400 001
Tel : 022-4080 7000
Fax :022-66311776
E-mail ID: itsl@idbitrustee.com

Address for correspondence with the Bank:
Company Secretary and Compliance officer
Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi,
Nariman Point, Mumbai 400 021
Tel: 022- 6638 7575/7818
Email id: investors@centralbank.bank.in

12. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

i) Distribution of shareholdings as on 31.03.2026 (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.)

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	**Number of shareholders**	**Percentage of Total**	**Shares**	**Percentage of Total**
1 to 500	609037	83.5235	61540534	0.6799
501 to 1000	53686	7.3625	43731068	0.4831
1001 to 2000	30259	4.1497	45955249	0.5077
2001 to 3000	11796	1.6177	30575091	0.3378
3001 to 4000	5550	0.7611	19903575	0.2199
4001 to 5000	5014	0.6876	23938425	0.2645
5001 to 10000	8477	1.1625	61535860	0.6798
10001 to 99999999999	5361	0.7352	8764221472	96.8272
TOTAL:	**729180**	**100**	**9051401274**	**100**

ii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 3% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	**No. of Shares**	**%**
Life Insurance Corporation of India	285865659	3.16%

iii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
of the Shareholder	**No. of Shares**	**%**
Nil	Nil	Nil

iv) Shareholding pattern as on 31.03.2026

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)						
Category of Shareholders	**Number of share**		**Number of Shareholders**		**Total Shares**	**% of holding**
	Demat	**Physical**	**Demat**	**Physical**		
Central Government (President of India)	8080391687	0	1	0	8080391687	89.2723
Public	425817947	8916	716777	78	425826863	4.7045
Life Insurance Corporation including (Insurance Companies)	288813263	0	11	0	288813263	3.1908
Other Bodies Corporate	15047379	90	881	1	15047469	0.1662
Hindu Undivided Family	14964357	0	7080	0	14964357	0.1653
G I C & Its Subsidiaries	6531875	0	4	0	6531875	0.0722
Non Resident Indians	5846477	121600	1995	1	5968077	0.0659

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)						
Category of Shareholders	**Number of share**		**Number of Shareholders**		**Total Shares**	**% of holding**
	Demat	**Physical**	**Demat**	**Physical**		
Clearing Members	314197	0	45	0	314197	0.0035
Mutual Funds	30367526	0	49	0	30367526	0.3355
Non Resident (Non Repatriable)	4133323	0	2087	0	4133323	0.0457
Body Corporate - Ltd Liability Partnership	797873	0	64	0	797873	0.0088
Trusts	171494	0	20	0	171494	0.0019
NBFCs registered with RBI	34014	0	4	0	34014	0.0004
Nationalised Banks	78853408	0	10	0	78853408	0.8712
Non Nationalised Banks	29677359	0	5	0	29677359	0.3279
FPI (Corporate)	67877646	0	60	0	67877646	0.7499
Systemically Important NBFC	427852	0	1	0	427852	0.0047
Government Companies	1700	0	2	0	1700	0.0000
Alternate Invst Funds	1201291	0	4	0	1201291	0.0133
TOTAL :	**9051270668**	**130606**	**729100**	**80**	**9051401274**	**100**

v) Statement showing details of locked-in shares

Sr.	Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares
1.	Promoter	Nil	Nil
2.	Public	Nil	Nil
	Total	**Nil**	**Nil**

vii) Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Sr.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares
1.	NIL	NIL	NIL	NIL

vii) Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares
1.	NIL	NIL	NIL	NIL

viii) Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.) as on 31.03.2026 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	80	130606	0.01%
NSDL	176842	694918419	7.67%
CDSL	552258	8356352249	92.32%
Total	**729180**	**9051401274**	**100.00%**

ix) Dematerialization of physical holdings – a special request

We request the shareholders to demat their physical holding. For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participants, where they maintain demat accounts. Benefits of dematerialization are as follows:

i) Hassle free transfer

ii) No threat of loss of share certificate

iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits

iv) Nomination facility

v) Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support the green initiatives.

x) Updation of KYC details:

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/ POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 7, 2024, has mandated that with effect from April 1, 2024, dividend to security holders who are holding securities in physical form, shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after the shareholders furnish their PAN, contact details (postal address with PIN and mobile number), Bank Account details & Specimen Signature ("KYC") and choice of Nomination. Further, relevant FAQs published by SEBI on its website can be viewed at the following link: https://www. sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/sep2024/1727418250017.pdf

Members holding shares in physical form are requested to furnish following forms to update KYC and choice of Nomination (in case the same are not updated) with the RTA of Bank.

S. No	Form	Purpose
1.	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2.	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3.	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5.	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and SEBI circular in this regard are available on website of Bank at https://www.centralbank.bank.in/en/investor-relations under Investor Relations section.

Contact details of RTA and Investors Relation Division of Bank are as under: Registrar and Transfer Agent for Equity Shares:

MUFG Intime India Pvt. Ltd.

(Formerly Known as Link Intime India Pvt. Ltd.) C-101, 247 Park, LBS Marg,

Vikhroli (West), Mumbai – 400 083

Tel: 022-4918 6270

Fax: 022-4918 6060

Email Id: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Address for correspondence with the Bank:

Company Secretary and Compliance officer
Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi,
Nariman Point, Mumbai 400 021
Tel: 022- 6638 7575/7818
Email id: investors@centralbank.bank.in

xi) Reconciliation of Share Capital Audit Report:

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the aggregate of the total number of shares in dematerialized form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

xii) Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "Unclaimed Suspense Account" as on 31st March, 2026 are as under:

Sr. No	Particulars	Aggregate number of Shareholders	% shareholding Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	233	32,853
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	233	32,853

Note – Voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares. Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

ANNEXURE I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members and Senior Management of Bank have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2025-26.

Sd/-
Kalyan Kumar
Managing Director and
Chief Executive Officer

Date : 03rd June, 2026
Place : Mumbai

Certificate on Corporate Governance

To
The Members,
Central Bank of India

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Central Bank of India ("the Bank"), for the year ended on March 31, 2026 as stipulated in Regulations 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C and D of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations).

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination has been limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

We have examined the relevant records and documents maintained by the Bank for the purposes of providing reasonable assurance on the compliance with corporate governance requirements by the Bank.

Based on our examination of the relevant records and according to the information and explanations provided to us and the representations provided by the Management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Regulations 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C, D and E of Schedule V of the Listing Regulations during the year ended March 31, 2026 with the following observations:

1. The Bank had 09 Directors (including 04 Executive Directors, 02 Nominee/Non-executive Directors and 03 Non-executive/ Independent/Shareholder Directors) on its Board as on 31.03.2026 against the strength of 15 Directors as per Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
2. The Bank did not have at least one Woman Director and one Independent Woman Director during the period under review as per Regulation 17(1)(a) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.
3. The Bank did not have 50% of Independent Directors on its Board in absence of non-executive Chairman during the period under review as per Regulation 17(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For **Ragini Chokshi & Co**
Company Secretaries
Firm Registration Number: 92897

-S/d
Ragini Chokshi
(Partner)
M. No.: F2390
COP No.: 1436
UDIN: F002390H000575820
PR No.: 4166/2023

Date: 03-06-2026
Place: Mumbai

Certificate Under Regulation 17(8) of SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

To,

The Board of Directors

Central Bank of India

This is to certify that:

a. We have reviewed Financial Statements of Central Bank of India for the Quarter and Year ended March 31, 2026 and to the best of our knowledge and belief:

   I. These Statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.

   II. These Statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the Quarter and Year ended March 31, 2026, which is fraudulent, illegal or volatile of the Bank' s code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:

   I. Significant changes in internal control over financial reporting during the Quarter and Year ended March 31, 2026.

   II. There is no significant changes in accounting policies during the Quarter and Year ended March 31, 2026 and the same have been disclosed in the notes to the financial statement and,

   III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the Management or any employee having a significant role in the Bank's Internal Control System over financial reporting.

(Mukul N. Dandige)
Chief General Manager – F&A & CFO

(Kalyan Kumar)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 30th April, 2026

Business Responsibility and Sustainability Report 2025-26

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details

1.	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
2.	Name of the Entity	Central Bank of India
3.	Year of Incorporation	1911
4.	Registered office address	Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai – 400 021
5	Corporate office address	Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai – 400 021
6.	E-mail id	investors@centralbank.bank.in
7.	Telephone	+91 22 6638 7777
8.	Website	www.centralbank.bank.in
9.	Financial year for which reporting is being done	2025-26
10.	Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	Equity Shares are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd.
11.	Paid-up capital	₹9051.40 crore
12.	Name and contact details of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	Mr Kushal Pal Chief General Manager Phone No. +91 22 6638 7880 E-mail id – gmhrd@centralbank.bank.in
13.	Reporting boundary	Disclosures made in this report are on a standalone basis and pertains to Central Bank of India
14.	Name of assurance provider	M/s. U. Hegde & Associates
15.	Type of assurance obtained	BRSR Core Indicators – Reasonable Assurance

II. Products/Services

16. Details of business activities

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover
1.	Financial and Insurance Service	Banking Activities by Central, Commercial and Savings Bank	100

17. Products/services sold by the entity

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of total turnover contributed
1.	Financial Services – Monetary Intermediation of commercial banks, saving banks, postal saving banks and discount houses (Central Bank of India is engaged in providing a wide range of Banking and financial services including retail banking, corporate banking and treasury operations)	64191	100

III. Operations

18. Number of locations where plants and/or operations/Offices of the entity are situated

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	Not Applicable*	22129	22129**
International		Nil	Nil

*The entity is Bank and hence does not undertake any manufacturing activity.

**includes branches, ATMs, BC outlets (4585+3819+13725).

19. Markets served by the entity

a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States and UTs)	Pan-India
International (No. of countries)	Nil

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Not applicable

c. A brief on types of customers -

Bank offers various types of Banking products and services to its diverse group customers under Retail, Agriculture, MSME, Corporate and Wholesale Banking Segments. Our Bank deals with customers who are associated with Bank in any arrangement like Depositor, Borrower, Service provider, Government Service Provider, etc.,

IV. Employees

20. Details as the end of Financial Year 2025-26 -

a. Employees (including differently abled):-

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
1.	Permanent (D)	33997	24218	71.23	9779	28.77
2.	Other than Permanent (E)	53	40	75.47	13	24.53
3.	**Total employees (D + E)**	**34050**	**24258**	**71.24**	**9792**	**28.76**

b. Differently abled Employees:-

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
	DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES					
1.	Permanent (D)	898	688	76.61	210	23.39
2.	Other than Permanent (E)	00	00	00	00	00
3.	**Total differently abled employees (D + E)**	**898**	**688**	**76.61**	**210**	**23.39**

21. Participation/inclusion/representation of women-

Particulars	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B/A)
Board of Directors	9	0	0.00%
Key Management Personnel	8*	1	12.50%

*Key Managerial Personnel includes MD & CEO, 03 Executive Directors, Chief Financial Officer, Company Secretary, Chief Risk Officer and Chief Compliance Officer.

22. Turnover rate of permanent employees and workers of Financial Year 2025-26 -

Particulars	FY 2024			FY 2025			FY 2026		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	0.71%	2.03%	1.37%	1.74%	0.63%	2.37%	1.43%	0.39%	1.82%

V. Holding, subsidiary and associate companies (including joint ventures)

23. (a) As at March 31, 2026

S. No.	Name (A)	Subsidiary/ Associates	% of shares held	Does the entity indicated the Business Responsibility initiatives of the Bank? (Yes/No)
1.	Cent Bank Home Finance Limited	Subsidiary	64.40	No
2.	Centbank Financial Services Limited	Subsidiary	100.00	No
3.	Uttar Bihar Gramin Bank*	Associates	35.00	No
4.	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank*	Associates	35.00	No
5.	Indo Zambia Bank Limited	Associates	20.00	No
6.	Generali Central Life Insurance Company Ltd	Associates	25.27	No
7.	Generali Central Insurance Company Ltd	Associates	24.91	No

*Uttar Bihar Gramin Bank and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank ceased to be Associates of Bank w.e.f 01st May, 2025 pursuant to Amalgamation of RRBs by Govt. of India.

VI. CSR Details

24. Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: No

(ii) Turnover (Total Income) (in₹): ₹42341.42 crore

(iii) Net worth (in ₹): ₹34600 crore

(iv) Total amount spent on CSR for FY26 (as on 31.03.2026): ₹1.13 crore

VII. Transparency and Disclosures Compliances

25. Complaints/grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC)

Stakeholder group from whom complaints received	Grievance Redressal Mechanisms in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	Financial Year 2025-26			Financial Year 2024-25		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes https://centralbank.bank.in/en	-	-	-	-	-	-
Investors (other than shareholders)	Yes https://centralbank.bank.in/en/investor-relations	-	-	-	-		
Shareholders	Yes https://centralbank.bank.in/en/investor-relations	0	0	NA	0	0	NA
Employees	Yes https://centralbank.bank.in/en	673*	0	NA	190	10	NA
Value Chain Partners	Yes https://centralbank.bank.in/en	-	-	-	-		
Others including customers (Bank Portal+ATM+ CPGRAMS+ INGRAMS+ MSME+RETAIL)	Yes https://centralbank.bank.in/sites/default/files/2025-04/Policy-on-Grievance-Redressal-Mechanism-2025-26.pdf	321197	365	-	160868	8285	-
Toll free No.	1800 3030						

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues:-

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1.	Tie-up with Fintech & Co-Lending Partners	Opportunity	In the "Year of Business Acceleration," co-lending has transitioned into a scalable ecosystem model. By expanding to **36 NBFC/HFC partners,** the Bank has tapped into underserved markets in Tier 2 to Tier 4 locations. This model enables high-velocity, granular credit deployment while leveraging the digital agility of fintechs.	To mitigate inherent credit risks, the Bank has strategically tilted its co-lending portfolio toward **Secured Advances,** which grew by 10.58% to reach **₹13,357.86 crore** in FY2026. Additionally, real-time monitoring via the **Mission Pragati** vertical ensures policy adherence.	**Positive:** Total co-lending sanctions reached **₹7,296.02 crore** in FY2026, contributing to an outstanding portfolio of **₹14,379.58 crore**. This drives interest income while maintaining a diversified, low-risk asset base.
2.	Sustainable Development Goals - Cent Green Fixed Deposits	Opportunity	Aligned with the Board-approved **ESG Policy for FY 2026-27,** Green Deposits empower stakeholders to participate directly in the Bank's vision for a sustainable India. These deposits provide the necessary resource mobilization to fund projects that support national sustainability goals.	The Bank utilizes a **Sustainable Finance Framework** to ensure that funds mobilized through green deposits are deployed exclusively into environmentally responsible projects.	**Positive:** In FY2026, the Bank successfully mobilized **₹453 crore** in green deposits, providing a stable, thematic resource base for green lending.
3.	Green Financing & Renewable Energy	Opportunity	Sustainability is now a core component of the Bank's growth blueprint. As part of our **Role in Nation Building**, the Bank is aggressively financing the green energy transition to achieve its vision of **Net Zero Scope 1 by 2028.**	The Bank employs specialized risk cells - the **Green Cell** and **Climate Risk Cell** - to conduct physical and transition risk assessments on all high-value green exposures.	**Positive:** Total renewable energy financing surged to **₹2,751.44 crore** in FY2026. Key impacts include the paperless digital sanctioning of solar pumps to **16,500 farmers** and green bond investments reaching **₹350.26 crore.**

SECTION B : MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

The National Guidelines for Responsible Business Conduct (NGRBC) as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs advocates nine principles referred as P1-P9 as given below:

P1	Businesses should conduct and govern themselves with integrity in a manner that is ethical, transparent and accountable
P2	Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe
P3	Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all its stakeholders
P5	Businesses should respect and promote human rights
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment
P7	Businesses when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent
P8	Businesses should promote inclusive growth and equitable development
P9	Businesses should engage with & provide value to their consumers in a responsible manner

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

Disclosure Questions			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Policy and management processes											
1	**a**	**Whether your entity's policy/ policies Yes cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	b	**Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	c	**Web Link of the Policies, if available**	https://www.centralbank.bank.in Some policies may also include a combination of internal policies which are made available on the Bank's website.								
2.		**Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes/No)**	Yes. The Bank has translated the policies as applicable and adopted the same into procedures and practices in all spheres of activities that the Bank undertakes.								
3.		**Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/ No)**	Yes. The Bank's Code of Conduct largely adopts the above mentioned principles and the Bank expects its stakeholders to adhere to the same in all their dealings.								
4.		**Name of the national and international codes/ certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.**	Not Applicable.								
5.		**Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.**	No any specific target is being set under the aforesaid policies. However, compliance with these principles is our commitment and goal.								
6.		**Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.**	Not Applicable.								

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Governance, leadership and oversight									
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure)	The Bank aims to enhance financial inclusion in the country. The Bank's commitment to ESG standards is best reflected in its core principles, which are ingrained in all aspects of its operations. Kindness, fairness, efficacy, and efficiency are the foundation ideals of the Bank. Sound governance standards, according to the Bank, are a key instrument for creating long-term value for all of its stakeholders and promoting sustainability. One of the Bank's fundamental and core values is respect for human rights. Climate change is not only an environmental issue, but also a business risk, according to the Bank. In its lending policies, the Bank is boosting its due diligence on social and environmental impact.								
8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	Shri Mahendra Dohare, Executive Director								
9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes	Yes, Risk Management Committee looks after the sustainability related issues. The composition of Risk Management Committee, its terms of references and its meetings held in FY 2025-26 are mentioned in Corporate Governance Report.								
10. Details of Review of NGRBCs by the Bank									
Subject for Review	Review of principles undertaken by and frequency								
Performance against above policies and follow up action	As a practice, BR policies of the Bank are reviewed periodically or on a need basis by Department heads and competent authority. During this assessment, the efficacies of the policies are reviewed and necessary changes to policies and procedures are implemented.								
Compliance With statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances	The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable.								
11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency	Assessment/ Evaluation of policies of Bank is carried out through Internal process and external advise is also obtained, wherever required. The Policies of Bank are reviewed by Compliance and Risk Management Department on regular basis. All Policies are then reviewed and approved by Sub committees of Board and Board of Directors on annual basis.								
12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:	Not Applicable								

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

PRINCIPLE 1 Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/principles covered under the training and the impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	8	• IT & Cyber Security Training • Directors Development Programme • Conferences	66.66%
Key Managerial Personnel	15	Trainings/Conferences related to various functional areas as well as Leadership Development Program	100.00%
Employees other than BoD and KMPs	2326	Trainings related to various functional areas as well as Behavioural aspects	83.27%

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format. (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary

NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In INR)	Brief of the Case	Preferred (Yes/No)
Penalty/Fine Settlement Compounding fee	Penalty/Fine/Settlement/Compounding fee, if any paid by the Bank is not material as per the Materiality policy of the Bank. Necessary disclosures in this regard is submitted to Stock exchanges and same are also hosted on Bank's website.			

	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Brief of the Case	Preferred (Yes/No)
Imprisonment	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

Case Details	Name of the regulatory/enforcement agencies/judicial institutions
Nil	Nil

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes. Bank has adopted whistle blower policy and the same is available on Bank's website as well as internal portal .

The Policy provides a secure and confidential platform to report any act of malpractices, frauds, negligence, misappropriation, abuse of authority etc. Besides this Bank has Policy on code of ethics, business conduct and conflict of Interest. https://centralbank.bank.in/sites/default/files/2026-04/WHISTLE-BLOWER-POLICY-FOR-FY-2026-27.pdf

Our Whistleblower Policy is an extension of Banks Code of Conduct formulated with an aim to promote good Corporate Governance, instill faith and make the employees feel empowered about their decision to blow the whistle in order to voice their concerns in case of unethical behaviour and/or actual or suspected fraud and/or misconduct and/or violation of Bank's Code of Conduct, without fair of reprisal.

The Bank is committed towards conducting the business and dealing with all its stakeholders, with highest ethical standards and in compliance with all the applicable laws and regulations. We also have a comprehensive policy on Code of Ethics, Business Conduct & Conflict of Interest.

The Code of Ethics, Business Conduct and Conflict of Interest Policy can be accessed online via link https://centralbank.bank.in/sites/default/files/2026-04/POLICY-ON-CODE-OF-ETHICS_BUSINESS-CONDUCT-AND-CONFLICT-OF-INTEREST-FOR-FY-2026-27.pdf

Bank has also introduced a scheme of Rewarding employees who reports information on any potential fraud/ Malpractices Etc which is known as Braveheart Scheme. The details of the scheme is also widely published at Bank's dedicated staff only portal.

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	Financial Year 2025-26	Financial Year 2024-25
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	02*	07
Workers	NIL	NIL

* Total CBI cases received for prosecution permission (either sanctioned or declined from Bank level)

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	Financial Year 2025-26		Financial Year 2024-25	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	Nil	-	Nil	-
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	-	Nil	-

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

Nil

8. Number of days of accounts payables ((Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured) in the following format:

	Financial Year 2025-26 (Current Financial Year)	Financial Year 2024-25 (Previous Financial Year)
Number of days of accounts payables	NIL	NIL

9. Open-ness of business Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format:

Parameter	Metrics	Financial Year 2025-26 (Current Financial Year)	Financial Year 2024-25 (Previous Financial Year)
Concentration of Purchases	a. Purchases from trading houses as % of total purchases	Not Applicable	Not Applicable
	b. Number of trading houses where purchases are made from		
	c. Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from		
Concentration of Sales	a. Sales to dealers / distributors as % of total sales		
	b. Number of dealers / distributors to whom sales are made		
	c. Sales to top 10 dealers / distributors as % of total sales to dealers / distributors		
Share of RPTs in	a. Purchases (Purchases with related parties / Total Purchases)	0.00	
	b. Sales (Sales to related parties / Total Sales)	0.00	
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances)	0.00	
	d. Investments (Investments in related parties / Total Investments made)	0.01	

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:

Total number of awareness programmes held	Topics / principles covered under the training	% age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
Nil		

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No) If Yes, provide details of the same.

Yes. Bank has framed the policy on Code of Conduct for Directors and Senior Management in place to avoid/manage the conflict. Confirmation with regards to adherence to the model Code of Conduct is obtained from the Directors at the time of joining and thereafter, on annual basis.

PRINCIPLE 2 Businesses should provide goods and services in a manner that issustainable and safe

Essential Indicators

1. **Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.** Not Applicable

   Given the nature of business of the Bank, the relevance of the above is largely restricted to information technology (IT) capex. In FY26, Capex incurred towards IT hardware and software, which facilitated the enhanced digital initiatives of the Bank was of total revenue. Greater adoption of digital platforms not only brings in increased efficiencies of operations but also ensures substantially reduced consumption of paper.

	Current Financial Year	Previous Financial Year	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	NA	NA	NA
Capex	216.37 crore	253.63 crore	The purchases made in Data Center are certified OEM's Products. DC infrastructure meets industry specific standards to ensure safety, reliability, efficiency and environmental sustainability.

2. a. **Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing?** Yes

   b. **If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?** 80%

   All Purchases are made from registered /licensed vendors.

3. **Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.**

   Whenever Hardware product complete its life, Bank procure the new product and obsolete product is being phased out by the vendor under buyback arrangement. E-waste policy is being followed for disposal of e-waste.

4. **Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.** - Not Applicable

Leadership Indicators

1. **Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)?**

   No

   If yes, provide details in the following format?

NIC Code	Name of Product/ Service	% of total Turnvoer contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective /Assessment was conducte	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/ No) If yes, provide the web-link.
Not Applicable					

2. **If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.** – Not Applicable

3. **Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).** – Not Applicable

4. **Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format** – Not Applicable

5. **Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category -**

   Not Applicable

PRINCIPLE 3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

Category	% of employees covered by											
	Total (A)	Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F /A)
Male	24218	24218	100	0	0	0	0	24218	100	00	00
Female	9779	9779	100	0	0	9779	100	0	0	00	00
Total	**33997**	**33997**	**100**	**0**	**0**	**9779**	**100**	**24218**	**100**	**00**	**00**

* In lieu of Day Care Facility, Bank provides Child-Care Allowance of ₹500/- per month to all employees for child aged 3 years or below.

b. Details of measures for the well-being of workers: Not Applicable

c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format –

	Financial Year 2025-26 (Current Financial Year)	Financial Year 2024-25 (Previous Financial Year)
Cost incurred on well- being measures as a % of total revenue of the company	0.066%	0.083%

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year.

Benefits	FY 2025-26 Current Financial Year			FY 2024-25 (Previous Financial Year)		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	No. of employees and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF	6044 (17.78%)	N.A.	Y	7007 (21.25%)	N.A.	Y
Gratuity	33991 (100%)	N.A.	N.A.	32980 (100%)	N.A.	N.A.
ESI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pension	6005 (17.67%)	N.A.	N.A.	6967 (21.12%)	N.A.	N.A.
NPS	27947 (82.22%)	N.A.	Y	25973 (78.75%)	N.A.	Y

3. Accessibility of workplaces

Are the premises/offices of the entity accessible to differently-abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Branches/offices of our Bank have ramps/lifts for easy movement of differently-abled people. Most of our branches/ offices are located either on the ground floor or have elevators and infrastructure for differently- abled individuals.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web link to the policy.

Yes, in keeping with the provisions of the Rights of Person with Disabilities Act 2016, our Bank has formulated an "Equal Opportunity Policy" which bestows special attention to the differently-abled persons and aims at creating employment opportunities for people with disabilities and also creating for them a conducive working environment free from any kind of discrimination.

The Equal Opportunity Policy of Central Bank of India is applicable to all the differently-abled employees of the Bank without any discrimination, on the grounds of age, colour, marital status, physical ability, nationality, race, religion, sex, sexual orientation, or any other relevant for the purpose.

The policy can be accessed online through the following link https://centralbank.bank.in/sites/default/files/2026-04/EQUAL-OPPORTUNITY-POLICY-FOR-FY-2026-27.pdf

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

	Permanent employees		Permanent workers
Gender	**Return to work rate**	**Retention rate**	**Return to work rate**
Male	100%	99.63%	
Female	100%	99.44%	Not Applicable
Total	**100%**	**99.56%**	

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

	Yes/No (If Yes, then give details of the mechanism in brief)
Permanent Workers	N.A
Other than Permanent Workers	N.A
Permanent Employees	Yes (Bank has a well-defined and structured Grievance Redressal Mechanism in place for all its Employees)
Other than Permanent Employees	N.A

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity

Category	**FY 2025-26 (Current Financial Year)**			**FY 2024-25 (Previous Financial Year)**		
	Total Employees/ workers in respective category (A)	**No. of Employees/ workers in respective category who are part of association(s) or union. (B)**	**% (B/A)**	**Total Employees/ workers in respective category (C)**	**No. of Employees/ workers in respective category who are part of association(s) or union. (D)**	**% (D/C)**
Total Permanent Employees	**33997**	**30571**	**89.92**	**33081**	**29295**	**88.56**
- Male	24218	21659	89.43	23978	21059	87.83
- Female	9779	8912	91.13	9103	8236	90.48

8. Details of training given to employees and workers :

Category	**% of employees covered by**									
	Total (A)	**On Health and safety measures**		**On skill upgradation**		**Total (A)**	**On Health and safety measures**		**On skill upgradation**	
		No. (B)	**%(B/A)**	**No.(C)**	**%(C/A)**		**No.(B)**	**%(B/A)**	**No. (C)**	**%(C/A)**
Male	**24218**	24218	100%	20370	84.10 %	**23978**	23978	100%	20668	86.19%
Female	**9779**	9779	100%	7941	81.20%	**9103**	9103	100%	7994	87.81%
Total	**33997**	**33997**	**100%**	**28210**	**83.27%**	**33081**	**33081**	**100%**	**28662**	**86.64%**
					Workers					
Male	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Female	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Total										

Training & Awareness Programs on Health & safety Measures have been conducted through "Weekly Staff Meeting" Agendas and "Information on the Run" topics covering all the staff Members.

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Performance of all the Officers employees are assessed through Performance Management System after the close of FY

Category	FY (2025-26)			FY (2024-25)		
	Total (A)*	No. (B)	% (B / A)	Total (C)*	No. (D)	% (D / C)
	Employees			Employees		
Male	24218	19624	81.03	23978	20219	84.32
Female	9779	8117	83.00	9103	8463	92.96
Other	0	0	0.00	0	0	0.00
Total	**33997**	**27741**	**81.59**	**33081**	**28682**	**86.70**
	Workers			Workers		
Male	0	0	0	0	0	0
Female	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Above data is in respect of Officers & Clerks Employees only as PMS is applicable to Officer Assistants.

10. Health and safety management system:

a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

There are no occupational health and safety risks owing to the nature of the business. However, Bank has adopted certain safety measures with respect to fire incident. Bank conducts training program on fire safety incident such as evacuation drills, use of fire extinguishers/ firefighting equipment's. Bank has appointed first aid marshals at offices and training have been imparted to them so that they can act in case of medical emergencies / incident. Marshals have been provided with safety kit and first aid medical kit.

b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non- routine basis by the entity?

Given the nature of business, this is not directly applicable.

c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)

Given the nature of business, this is not directly applicable.

d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

All Employees are provided with Facility of 24x7 unlimited Tele-medical consultancy services. All Employees of Bank are covered under Group Health Insurance policy as envisaged by IBA. Expenses incurred over and above the sum insured are also covered under Corporate Buffer subject to availability and its terms & conditions.

11. Details of safety related incidents, in the following format

Safety Incident/Number	Category	FY 2025-26 Current Financial Year	FY 2024-25 Previous Financial Year
Lost Time Injury Frequencies Rate (LTIFR) (per one	Employees	NIL	NIL
million - person hours worked)	Workers	NIL	NIL
Total recordable work-related injuries	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
No. of fatalities	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
High consequence work-related injury or ill-health	Employees	NIL	NIL
(excluding fatalities)	Workers	NIL	NIL

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

I. All Employees are provided with facility of Annual Health check -up on a cashless and reimbursable basis once in a FY.

II. All Employees are provided with Facility of 24x7 unlimited Tele-medical consultancy services.

III. All Employees are provided with confidential Counseling service from profession counselors under Employee Assistance Program to extend mental support and guidance to overcome daily life challenge.

IV. All Employees of Bank are covered under the Group Health Insurance policy as envisaged by IBA. In case the limit is exhausted, there is also a facility of Corporate Buffer as defined under the provisions of the 10th Bipartite Settlement.

V. In case of injuries sustained while on duty, all other expenses not covered under Medical Insurance Scheme are borne by the bank. Special Leave is also provided to such employees during the period of hospitalization.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	Financial Year 2025-26			Financial Year 2024-25		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Health & Safety	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

14. Assessments for the year:

No such incident of visits by any officials has been reported by any RO/ZO.

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Nil
Working Conditions	Nil

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Safety related to Fire drills, evacuation safety, branch security etc are carried out by training provided for the same.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of

(A) Employees (Y/N) - Yes. The Bank offers an ex-gratia amount of ₹50000/- as funeral expenses to the family of the deceased immediately upon intimation of death. In addition, Bank may offer the compassionate appointment to the spouse/dependent of the deceased employee as per terms & conditions of the Banks Compassionate Appointment Policy. Terminal Benefits like provident fund, gratuity, PL encashment etc. are settled on a priority basis. The Bank assists the family in exercising such options.

(B) Workers (Y/N). – Not Applicable

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

Not Applicable

3. **Provide the number of employees/workers having suffered high consequence work-related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment.**

Not Applicable

	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	Financial Year 2025-26	Financial Year 2024-25	Financial Year 2025-26	Financial Year 2024-25
Employees	Nil	Nil	Nil	Nil
Workers	NA	NA	NA	NA

4. **Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment?** - Yes, Pre-Retirement training program are arranged and conducted for all retiring employees for managing their post-employment life.

5. **Details on assessment of value chain partners:**

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Nil
Working Conditions	Nil

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.** Not Applicable

PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

There is not any specific process for identifying such groups, however, those who are availing our banking product or services including employee and shareholders are considered as stakeholder.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/ No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Othe	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Employees	No	Email, SMS, Staff meetings/ conference, Intranet portal.	Frequent and need based	Employer Employee engagement, feedback of employees, Road map to achieve business goals, vision and mission of Bank, Performance appraisal, Resolving grievances
Shareholders	No	Email, SMS, newspaper advertisement, notice board, website, Annual General Meetings, intimation to stock exchanges, annual/ quarterly financials and investors meetings/ conferences	Frequent and need based	Dissemination of financial progress and other key developments of Bank to Shareholders
Customers	No	Letter, Email, SMS, Meetings, Website, Outreach customer programmee, Social Media	Frequent and need based	Maintaining Bank Customer relationship, Offering Better banking products and services to customers, Resolving grievances, if any
Channel Partners and Key Partners	NA	NA	NA	NA
Reserve Bank of India	No	Letter, Email, Meetings	Engagement through Letters, Emails are on regular basis. Meetings are conducted on Monthly/ Bi-monthly/ Quarterly basis or as and when required.	• Performance of the Bank. • Risk and Compliance issuesand measures taken for its mitigation.
Government of India	No	Letter, Email, Meetings	Engagement through Letters, Emails are on regular basis. Meetings are conducted as and when required.	• Performance of the Bank. • Compliance of Regulatory/ Statutory guidelines.
Communities and NGOs	NA	Letter, Email, Meetings, Advertisements, Website, Social Media	Frequent and need based	Supporting the society at large by making donations, providing financial aid to calamity affected people, training program for self-help Groups SHG.

Leadership Indicators

1. **Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.**

   Consultation between Stakeholders and the Bank on various economic and other aspects is through various Board/ Sub committee meetings.

2. **Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.**

   Inputs and suggestions of shareholders are being incorporated into the policies and activities wherever considered feasible.

3. **Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.**

   Bank being Scheduled Commercial Bank is regulated by guidelines of Reserved Bank of India and Government of Indi. Bank offers Banking products and services to its customers, marginal weaker section/ Vulnerable stakeholders groups in line with priority sector lending norms. Bank also conducts campaign for providing financial inclusion products and services to its customers.

PRINCIPLE 5 Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

Category	FY 2025-26 (Current Financial Year)			FY 2024-25 (Previous Financial Year)		
	Total (A)	No. of employees/ workers covered (B)	%(B/A)	Total (C)	No. of employees/ workers covered (D)	%(D/C)
		Employees			Employees	
Permanent	33997	33997	100%	33081	33081	100%
Other than permanent	53	53	100%	0	0	0
Total Employees	**34050**	**34050**	**100%**	**33081**	**33081**	**100%**
		Workers			Workers	
Permanent	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Other than permanent	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Total Workers	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**

* Training & Awareness Programs on Human Rights Issues (Viz. PoSH etc) have been conducted through "Weekly Staff Meeting" Agenda and "Information on the run" topic covering all the staff Members.

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

Category	FY 2025-26 (Current Financial Year)			FY 2024-25 (Previous Financial Year)		
	Total (A)	No. of employees/ workers covered (B)	%(B/A)	Total (C)	No. of employees/ workers covered (D)	%(D/C)
		Employees			Employees	
Permanent	33997	33997	100%	33081	33081	100%
Male	24218	24218	100%	23978	23978	100%
Female	9779	9779	100%	9103	9103	100%
		Workers			Workers	
Other than permanent	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Male	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Female	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

3. a. Details of remuneration/salary/wages, in the following format:

	Male		Female	
	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category
Board of Directors (BoD) (Excluding sitting fees of non-official and shareholder directors)	4	369002.49	Nil	Nil
Key Managerial Personnel	4	301249.42	1	301031.13
Employees other than BoD and KMP	24031	114555.54	9561	102897.08

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity, in the following format:

	Financial Year 2025-26 (Current Financial Year)	Financial Year 2024-25 (Previous Financial Year)
Gross wages paid to females as % of total wages	27.78%	25.63%

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? No

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights Issues.

The Bank is committed to conducting business and dealing with all its stakeholders and staff with the highest ethical standards and in compliance with all applicable regulations. We ensure to maintain a healthy and safe environment for our workforce irrespective of their caste, Gender, Work, designation etc. Representations received on the platform of Human rights are dealt with fairly and transparently at the Regional and Zonal level.

Bank has constituted a Board for review and assessment of all representation received on a quarterly basis. Bank has also policy on code of ethics, Business conduct, and conflict of Interest and has "Zero tolerance" for any deviation in the provision of the said policy

Bank has laid down a grievance redressal mechanism for employees to report their concern and secure rightful resolution thereof at faster turnaround time.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2025-26 (Current Financial Year)			FY 2024-25 (Previous Financial Year)		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	15	0		5	0	0
Discrimination at workplace	0	0	0	0	0	0
Child Labour	0	0	0	0	0	0
Wages	0	0	0	0	0	0
Other human Rights related issues	0	0	0	0	0	0

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

	Financial Year 2025-26 (Current Financial Year)	Financial Year 2024-25 (Previous Financial Year)
Total Complaints reported under Sexual Harassment on of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	15	5
Complaints on POSH as a % of female employees/ workers	0.15%	0.05%
Complaints on POSH upheld	NIL	NIL

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Committee has been constituted at all Regional offices and Zonal offices under the provisions of POSH Act, 2013. Policy can be accessed online via link https://centralbank.bank.in/sites/default/files/2026-04/POLICY-ON-PREVENTION-OF-SEXUAL-HARASSMENT-OF-WOMEN-AT-WORKPLACE-FOR-FY-2026-27.pdf and dedicated staff only portal to keep employees informed of the provisions of the act and severe consequence in violation thereof. Bank Also conducts training and workshop to make employees aware of the PoSH Act.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? Yes

10. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Labour	Nil
Forced/involuntary labour	Nil
Sexual harassment	Nil
Discrimination at workplace	Nil
Wages	Nil
Others – please specify	Nil

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 10 above: Not Applicable.

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/ complaints.

No complaints have been received under human rights grievances/complaints.

2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.

The Bank endeavors to maintain a safe environment along with providing equal opportunity to all the staff members. Issues related to discrimination based on sex, gender, nationality, religion, disability, language etc. are subject to free and neutral scrutiny based on the nature of the issue as per provisioning of the Bank's Policy and regulatory stipulations the same is being resolved as per applicable policy, laws, and regulations

3. Is the premise/office of the entity accessible to differently-abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

Various branches/offices of our Bank, have ramps/lifts for easy movement of differently-abled people. Most of our branches/ offices are located either on the ground floor or have elevators and infrastructure for differently-abled individuals.

4. Details on assessment of value chain partners:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	Nil
Forced/involuntary labour	Nil
Sexual harassment	Nil
Discrimination at workplace	Nil
Wages	Nil
Others – please specify	Nil

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above. Not Applicable

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

	Financial Year 2025-26 (Current Financial Year)	Financial Year 2024-25 (Previous Financial Year)
Total electricity consumption (A)	769.57 lakh kwh	735.57 lakh kwh
Total fuel consumption (B)	NIL	NIL
Energy consumption through other sources (C)	NIL	NIL
Total energy consumption (A+B+C)	769.57 lakh kwh	735.57 lakh kwh
Energy intensity per rupee of turnover (Total electricity consumption / turnover in rupees)	N/A	N/A

Note: - Bank is taking its best efforts to reduce the electricity consumption as a part of ESG Initiative. Further, Bank has also installed solar equipment of few of its Branches/Regions/Zonal offices to consume power generated by green channels and to reduce use of power generated by connected channels.

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any. No

3. Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:

The Bank's usage of water is restricted to human consumption purposes only. Efforts have been made to ensure that water is consumed judiciously in the office premises. The Corporation ensures that the domestic waste (sewage) from office and branches are not let into water bodies.

4. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation. No

5. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:

Not Applicable

6. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:

Not Applicable

7. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.

Not Applicable

8. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	FY 2025-26 (Current Financial Year)	FY 2024-25 (Previous Financial Year)
Total Waste generated		
Plastic waste (A)	*	*
E-waste (B)(₹ In lakh)**	4.00	9.00
Bio-medical waste (C)		
Construction and Demolition waste (D)		
Battery waste (E)		
Radioactive waste (F)	Not Applicable	Not Applicable
Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)		
Other Non-hazardous Waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)		
Total (A+B + C + D + E + F + G + H)	**4.00**	**9.00**

*Wastes are disposed off through authorized re-sellers.

** Weight wise data not available.

9. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Wastes are disposed off through authorized re-sellers as per guidelines. Equipment used are compliant to latest guidelines. No usage of hazardous and toxic chemicals in our products.

10. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format: Not Applicable

11. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year: Not Applicable

12. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format: Yes

Leadership Indicators

1. Provide break-up of the total energy consumed (in Joules or multiples) from renewable and non-renewable sources, in the following format

Parameter	FY 2025-26 (Current Financial Year)	FY 2024-25 (Previous Financial Year)
From renewable sources		
Total electricity consumption (A)	7 LAKH	Nil
Total fuel consumption (B)	Nil	Nil
Energy consumption through other sources (C)	Nil	Nil
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)	7 LAKH	Nil
From non-renewable sources		
Total electricity consumption (D)	NIL	Nil
Total fuel consumption (E)	Nil	Nil
Energy consumption through other sources (F)	Nil	Nil
Total energy consumed from renewable sources (D+E+F)	Nil	Nil

2. Provide the following details related to water discharged: Not Applicable

Parameter	FY 2025-26 (Current Financial Year)	FY 2024-25 (Previous Financial Year)
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) Surface wate		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(ii) Groundwater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iii) Third party water		
- No treatment	**Not Applicable**	**Not Applicable**
- With treatment – please specify level of treatment		
(iv) Seawater / desalinated water		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(v) Others		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)		

3. **Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):** Not Applicable

4. **Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:** Not Applicable

5. **With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.** Not Applicable

6. **If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives:** Not Applicable

7. **Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.**

   Yes, Our Bank has a Board approved BCP/ DR policy and it is circulated to all concerned for implementation. Each Department has identified its critical business functions and had a plan of action for resumption & recovery of critical Business processes in case of any eventuality/ disaster. The DR drills are being conducted by respective Departments for ensuring the robustness of the DR arrangements. Each branch has identified & linked to two nearby branches and are mapped by ROs to ensure the immediate start of all business activity of the Branch affected vide Circular no. 2986 dated 04.02.2022. The DR Drills are being carried out at periodic intervals for ensuring robust working of critical systems. The result of the DR drills is recorded & is being shared to respective verticals to take appropriate remedial /recovery measures.

8. **Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard?**

   No Adverse impact on the environment.

9. **Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.** Not Applicable

PRINCIPLE 7 Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations. - 10

b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

S. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	Indian Banks Association (IBA)	National
2	Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)	National
3	Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)	National
4	National Institute of Bank Management (NIBM)	National
5	National Payment Corporation of India (NPCI)	National
6	International Chamber of Commerce (ICC)	National
7	Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI)	National
8	Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)	National
9	Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL)	National
10	Financial Services Institution Bureau	National

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anticompetitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
	Nil	

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

S. No	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/ No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available
1.	KYC-AML Policy	Bank's	YES	ANNUAL	https://www.centralbank.bank.in/en
2.	Government Business Policy	Internal Policy	YES	ANNUAL	
3.	Cheque Collection Policy		YES	ANNUAL	
4.	Policy on Bank Deposits		YES	ANNUAL	
5.	Policy on Safe Deposit Locker		YES	ANNUAL	
6.	Record Maintenance Policy		YES	ANNUAL	
7.	Policy for settlement of claim of Deceased depositors and return of Articles in safe Deposit Lockers/ Safe Custody and Policy for Settlement of claims in respect of Missing Persons		YES	ANNUAL	
8.	Policy for Senior Citizens/ Disabled/ Incapacitated Account holders		YES	ANNUAL	
9.	Compensation Policy		YES	ANNUAL	
10.	Policy on Customer Grievances Redressal Mechanism		YES	ANNUAL	
11.	Customer Rights Policy		YES	ANNUAL	

PRINCIPLE 8 Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. **Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.** Not Applicable
2. **Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:** Not Applicable
3. **Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.**

   Grievance redressing mechanism is in place as per policy.
4. **Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:**

   No such data available.
5. **Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost**

Location	FY 2025-26 (Current Financial Year)	FY 2024-25 (Previous Financial Year)
Rural	24.93%	20.41%
Semi-Urban	22.36%	19.02%
Urban	25.80%	28.01%
Metropolitan	26.91%	32.56%

Leadership Indicators

1. **Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):** No negative social impact reported.
2. **Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:** Not applicable
3. **(a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups?** Yes

   (b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure? Micro & Small Enterprises

   (c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute? No such data available
4. **Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:** Not Available
5. **Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.** Not Available
1. **Details of beneficiaries of CSR Projects:**

S. No	Name	NGO /Institute	Purpose	Amount (₹ in crore)
1	Mahavir Cancer Sansthan, Patna	Mahavir Cancer Sansthan, Patna	BPL make Cardiac Colour Doppler System	0.18
2	St. Joseph's Leprosy Patients Society (A unit of St. Joseph's Special School for the Children with Intellectually Disabled, T. V Malai, Tamil Nadu	St. Joseph's Leprosy Patients Society (A unit of St. Joseph's Special School for the Children with Intellectually Disabled), P.B. No. 2, Thenpallipattu, Kalasapakkam - 606751, T. V Malai, Tamil Nadu	Providing necessary Financial assistance to 45 identified Children with Intellectual disability (admitted to their special school) such as Note books, Lunch, Uniform, Nutrition, Tilting Therapy Table etc.	0.02

S. No	Name	NGO /Institute	Purpose	Amount (₹ in crore)
3	Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam	Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam	Donation of 1 Battery utility Electric Vehicle to Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam	0.05
4	RSETI, Kota	RSETI, Kota	For Repair and maintenance of RSETI, Kota Building	0.12
5	The Gujarat Cancer & Research Institute, Ahmedabad (M.P. Shah Cancer Hospital), State Cancer Institute, Civil Hospital Campus, Asarwa.	The Gujarat Cancer & Research Institute, Ahmedabad (M.P. Shah Cancer Hospital), State Cancer Institute, Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahemdabad - 380016	To support for Cyclotron Facility at the Gujarat Cancer & Research Institute, Ahemdabad	0.25
6	Mr. Ashish Goyal, Founder & Managing Trustee, Umang Foundation	Zila Parishal School, Shindewadi.	To construct a compound wall and separate toilet blocks for Boys and Girls of the Zila parishad School, Shindewadi, Ahilyanagar District of Maharashtra.	0.12
7	Mr. Pankaj Singh, Secretary & Chief Project Officer, UPNEDA, Lucknow	UPNEDA, Lucknow	Financial assistance for installation of 25 Solar Street Lights through NCEDA in Lucknow (Uttar Pradesh)	0.05
8	Mr. B. N Nawal, Administrator.	Shree P K V Hospital and Research Center, Bijainagar, Beawar (Rajasthan)	Financial assistance for installation of Medical Equipment at Shree P K V Hospital and Research Centre, Bijainagar, Beawar (Rajasthan)	0.08
9	Dr. Gopal Sharan Gupta, Secretary.	Jan Kalyan Sansthan, Jaipur	Financial assistance for installation of Water Cooler with machinery on Ground Floor of Central Building of Jan Kalyan Sansthan at Jaipur (Rajasthan)	0.10
10	Mr. K V S Rao, Managing Trustee.	Shree Ramakrishna Charitable Trust, Vijayawada.	Financial assistance to Sree Ramakrishna Charitable Trust, Vijayawada for distribution of Food to the attendants of inpatients and out-patients of Government General Hospital, Vijayawada	0.05
11	Mr. Prathamesh Bobhate, Trustee, Saarth Pratishthan.	Saarth Pratishthan, Mumbai	Financial assistance to Saarth Pratishthan, Mumbai for providing Educational Support to under-privileged students of South-Central Mumbai.	0.02
12	Mr. Sanjay Kumar, Secretary.	Bhagwan Mahavir Child Welfare Trust, Jaipur	Social Investment - Contribute to the society through various Trusts, NGOS, Counseling Centers, Institutes which serve the underprivileged. Aim to help individuals to shape their future	0.01
13	Mr. Kamlesh D. Patel.	Heartfulness Institute Kanha Village, Ranga Reddi ,Telangana	Financial assistance to Heartfulness Institute for any of their Social Impact Project (Environment, Education, Health & Wellness, Sports Excellence & Research).	0.07
			Total	**1.13**

PRINCIPLE 9 Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

Grievance Redressal Mechanism: The High-Velocity Resolution Engine

The Bank's primary engine for resolving consumer complaints is the Integrated Customer Care (ICC) platform, which operates from dual strategic command centres in Mumbai and Hyderabad [76, Conversation History]. In FY2026, this platform was significantly scaled to handle a massive surge in digital engagement, which now constitutes 90.54% of all transactions. Key technological enablers of this mechanism include:

- **AI-Powered Sentiment Analytics:** The ICC now utilizes Artificial Intelligence to monitor customer sentiment in real-time, allowing agents to proactively intervene and resolve grievances before they escalate.
- **Video Banking and Assisted Journeys:** For complex queries, the Bank has introduced Video Banking, providing a high-fidelity, face-to-face remote service experience that bridges the gap between digital speed and human empathy.
- **Customer 360° View:** Agents are empowered with a holistic view of the customer's entire relationship with the Bank - including account status, transaction history, and past complaints - to ensure hyper-personalized and rapid resolution.
- **Multi-lingual AI Voice Bots:** To remain "Truly Central" to every Indian, the Bank deployed voice bots supporting Hindi, English, and 10 regional languages, ensuring that language is never a barrier to grievance redressal.

Grievance Redressal Policy: Anchored in CBI-CARE

The Bank's grievance redressal framework is structurally embedded in its **CBI-CARE** values, specifically the pillar of **Customer Service Excellence**. This policy is not merely a set of guidelines but an active operating discipline:

- **Automated Oversight:** The SAKSHAM compliance automation portal ensures that all branches and touchpoints adhere to the established timelines for complaint resolution.
- **Mission Pragati Alignment:** The Mission Pragati transformation vertical monitors the effectiveness of process re-engineering in the service vertical, ensuring that systemic issues identified through complaints are permanently resolved through technological upgrades.
- **Governance and Accountability:** The effectiveness of internal controls for service delivery is certified by the MD & CEO and the CFO, with additional multi-tier oversight provided by Board-level committees to safeguard the interests of 8.26 crore customers.

Customer Care Details on the Website and Digital Trust

To facilitate seamless and secure communication, the Bank has revolutionized its digital touchpoints:

- **Omni-Channel Consistency:** The Bank is deploying a device-agnostic **Omni-Channel Platform,** ensuring that a grievance initiated on the **Cent NEO** app can be tracked or resolved through the website or any of the 4,585 branches without data duplication [76, 93, Conversation History].
- **.bank.in Verified Domain:** In a major milestone for digital trust, the Bank completed the 100% migration of its corporate website, email environment, and internet banking to the **.bank.in domain**. This provides customers with a visual marker of security and authenticity when engaging with the Bank online.
- **Specialized NRI Desks:** For the global Indian diaspora, the Bank has established **159 specialized NRI desks** at identified branches, staffed by trained personnel to provide one-stop service and grievance support in line with FEMA and RBI regulations.
- **In-house UDGAM Portal:** The Bank implemented an integrated portal for unclaimed deposits (DEAF), enhancing transparency and trust for customers searching for inactive accounts.

Further complaints can be submitted through Central Bank of India customer login https://icc.centralbank.bank.in/cucms_cboi/docket/srbooking/srbooking/ and also customers can call on 18003030

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	
Safe and responsible usage	Not Applicable
Recycling and/or safe disposal	

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2025-26 (Current Financial Year)			FY 2024-25 (Previous Financial Year)		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Data privacy	-	-	-	-	-	-
Advertising	-	-	-	-	-	-
Cyber-security	-	-	-	-	-	-
Delivery of Essential services	-	-	-	-	-	-
Restrictive Trade Practices	-	-	-	-	-	-
Unfair Trade Practices	-	-	-	-	-	-
Other	321197	365		160868	8285	

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues: Not Applicable

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes, Since this is an internal document and not available on website.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

Corrective actions taken on issues relating to cyber security include:

- 2FA for digital transactions
- SMS to customers
- Alert Monitoring

7. Provide the following information relating to data breaches:

a. Number of instances of data breaches: NIL

b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers: Not Applicable

c. Impact, if any, of the data breaches: Not Applicable

Leadership Indicators

1. Channels/platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

a) website https://centralbank.bank.in/en,

b) Mobile Banking application in the name of "Cent Eez" available at the play store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.centralbank.retail.omni) and app store (https://apps.apple.com/in/app/cent-eez/id6737806722),

d) Social media network over Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCAlZ_H8-YpEOfQ0VeQ_XsnQ), X (https://x. com/centralbank_in), Facebook (https://www.facebook.com/CentralBankofIndia) LinkedIn (https://www.linkedin. com/company/centralbankofindia) and Instagram (https://www.instagram.com/centralbankofindiaofficial/)

f) Toll-free number 1800 30 30.

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

The following mechanisms define our approach to consumer safety and education in FY2026:

1. The ".bank.in" Migration: Institutionalizing Visual Trust

A cornerstone of our strategy to educate consumers on safe digital usage was the successful 100% migration of the Bank's corporate website, internet banking, and email environment to the **.bank.in domain**. This move serves as a critical visual marker for customers, allowing them to instantly verify the authenticity of the Bank's digital touchpoints and significantly reducing the risk of phishing and spoofing attacks. By educating customers to look for this specific domain suffix, the Bank has provided a simple yet powerful tool for responsible digital banking.

2. **24x7 Cybersecurity Fortitude**

   The Bank has "Delivered its Promise" of security through the continuous operation of its **Cyber Security Operation Centre (CSOC).**

   - **Real-time Monitoring:** The CSOC provides 24x7 threat detection and rapid incident response, ensuring that the Bank's technology backbone - which now handles **90.54% of all transactions** - remains resilient against sophisticated cyber threats.
   - **Data Protection:** The implementation of **Privilege Access Management Systems (PAMS)** and **Data Leakage Prevention (DLP)** tools ensures that sensitive customer data is protected from internal and external risks.

3. **Specialized Standards and Safe Card Usage**

   To ensure the safe usage of payment products, the Bank achieved **PCI-DSS Level 1 Version 4.0 compliance** in FY2026. This global standard underscores the Bank's commitment to safeguarding cardholder data. Furthermore, the launch of **Virtual Debit Cards** through the **Cent eeZ app** provides customers with a secure, real-time alternative to physical cards, reducing the risks associated with card manufacturing and theft.

4. **Community-Led Innovation and Education**

   The Bank actively engages stakeholders to co-create safety solutions and drive awareness:

   - **Hackathon 2025:** At the Global Fintech Festival, the Bank engaged talent from 35 National Institutes of Technology (NITs) to develop **AI-powered fraud detection solutions.** This initiative not only improved the Bank's technical defences but also served as a high-visibility platform to educate the next generation of customers about digital security.
   - **Digital Champions:** To facilitate responsible adoption at the grassroots level, the Bank nominated **"Digital Champions"** in every branch. These champions conduct weekly huddles and face-to-face sessions to troubleshoot service issues and educate customers on the secure usage of the **Cent eeZ** application.
   - **Automated Oversight:** The **SAKSHAM** compliance automation portal ensures that every branch adheres to the Bank's rigorous standards for customer protection and digital trust.

   By uniting these high-fidelity security controls with active community engagement, Central Bank of India has ensured that its business acceleration is anchored in **Operational Excellence** and uncompromised digital trust.

3. **Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.**

   Customers are informed through SMS or mail about any disruption due to technical reasons.

4. **Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? If yes, provide details in brief.**

   No

   Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products/ services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)

   Yes

5. **Provide the following information relating to data breaches:**

   a. **Number of instances of data breaches along-with impact –** No instance Reported yet

   b. **Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers –** Not Applicable

Independent Assurance Report On Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) Core Indicators

To,
Board of Directors
Central Bank of India
Mumbai, India

I have undertaken a reasonable assurance engagement for Central Bank of India (the "Bank") vide our engagement letter dated May 30, 2026, in respect of the agreed Sustainability Information listed below (the "Identified Sustainability Information" or "BRSR Core indicators") in accordance with the Criteria stated in paragraph 3 below. This Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report (the "BRSR" or "Report") forming part of the Annual Report for the financial year ended March 31, 2026.

2. Identified Sustainability Information

The scope of my reasonable assurance covers the BRSR Core indicators listed in Appendix I of this report. The reporting boundary is as disclosed in Question 15 of Section A: General Disclosure of the BRSR, with exceptions disclosed by way of notes under respective questions, where applicable.

This assurance engagement is limited to information for the financial year ended March 31, 2026. I have not performed procedures for earlier periods and express no opinion thereon.

3. Criteria

The Bank has prepared the Identified Sustainability Information based on the following criteria:

- Regulation 34(2)(f) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended);
- SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023;
- SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023, and any related clarifications.

4. Management's Responsibility

The Bank's management is responsible for the preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the applicable criteria. This responsibility includes:

- Selection of suitable criteria;
- Design, implementation, and maintenance of internal control systems;
- Ensuring the information is free from material misstatement due to fraud or error.

5. Inherent Limitations

There is currently no significant global standard for measuring and reporting non-financial data, which allows for diverse acceptable methodologies and may affect comparability across entities.

The assurance is limited to the defined reporting period and geographical boundary. It excludes: Strategic narratives or future expectations;

- Statements on intellectual property, competitive issues, or legal compliance;
- Information outside the agreed reporting frameworks.
- This assurance is based on the completeness, sufficiency, and authenticity of data provided by the Bank.

6. Independence

I have maintained independence in accordance with the applicable SEBI circular and possess the required competencies and experience to conduct this engagement.

7. Responsibility

My responsibility is to express a reasonable assurance opinion on the Identified Sustainability Information based on evidence obtained during the engagement.

8. Assurance Procedures

My procedures included:

- Evaluation of design and implementation of relevant controls;
- Interviewing personnel responsible for BRSR reporting; Sample-based verification of data points;
- Analytical procedures and reconciliations;
- Reviewing documents and records to validate selected data.

I believe that the evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the assurance opinion.

9. Exclusions

This assurance excludes:

- Data outside the Identified Sustainability Information;
- Statements of opinion, expectation, or future intent.

10. Other Information

Management is responsible for all other information included in the BRSR and Annual Report, excluding the Identified Sustainability Information. I have reviewed the additional sections for material inconsistencies and found none that would affect the assurance conclusion.

11. Assurance Opinion

Based on the procedures performed and evidence obtained, the Identified Sustainability Information for the year ended March 31, 2026, is prepared, in all material respects, in accordance with the stated criteria.

12. Restriction on Use

This report is intended solely for the Board of Directors of Central Bank of India and should not be used by or disclosed to any third party without my prior written consent except publication of this certificate in Annual Report of the Bank.

For **U. HEGDE & ASSOCIATES**
Company Secretaries

Sd/-
UMASHANKAR HEGDE
(Proprietor) Membership No.: A22133
C.P.NO.: 11161
UDIN: A022133H000673564

Date: June 23, 2026
Place : Mumbai

Appendix I

Sr. No	Reporting Standard Reference		Indicator number	
	Section C: Principle [P] Wise Performance Disclosures- Essential			
1	P-1:	Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable	E-8:	Number of days of accounts payables ((Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured).
			E-9:	Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances and investments, with related parties.
2	P-3:	Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains.	E-1c:	Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent.
			E-11	Details of safety related incidents
3	P-5:	Businesses should respect and promote human rights	E-3b:	Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity. (Discuss).
			E-7:	Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
4.	P-6:	Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment	E-1:	Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity.
			E-3:	Disclosures related to water withdrawal and consumption.
			E-4:	Details related to water discharged.
			E-7:	Details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) and its intensity.
			E-9:	Total weight of waste generated in metric tons, and a breakdown of this total by composition of the waste.
5.	P-8:	Businesses should promote inclusive growth and equitable development	E-4:	Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers
			E-5:	Job creation wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non- permanent / on contract basis), as % of total wage cost. (Refer Note 1).
6.	P-9:	Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner	E-7:	Information relating to data breaches. Breaches.

Dividend Distribution Policy of Bank

Bank has framed Dividend Distribution Policy and the same is available on Bank's website i.e.
https://centralbank.bank.in/sites/default/files/Dividend-Distribution-Policy.pdf

ADB & COMPANY
Chartered Accountants,
First Floor, Mahavir Gaushala Complex,
K.K Road, Moudhapara, Raipur, Chattisgarh-492001

JAIN PARAS BILALA & CO.
Chartered Accwountants,
50 Ka 2, Jyoti Nagar, Jaipur,
Rajasthan-302005

AMIT RAY & CO.
Chartered Accountants,
5-B, Sardar Patel Marg, Prayagraj,
Uttar Pradesh-211001

GARG ASHOK & CO.
Chartered Accountants,
503 Emmar Colonnade, Sector 66,
Golf Course Extn Road, Haryana, Gurugram-122018

Independent Auditors' Report

To
Members of Central Bank of India
Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Central Bank Of India** ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2026, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement for the year then ended, and Notes to Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of

   i. The Central Office, 14 Zones, 1 Integrated Treasury Branch, Top 20 branches and other Central Office departments audited by us;

   ii. 1952 branches and other offices audited by respective Statutory Branch Auditors;

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India (RBI). Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement are the returns from 2613 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 19.26% of advances, 38.50% of deposits, 21.94% of interest income and 35.77% of interest expenses.

   In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Act") in the manner so required for the Bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

   a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2026;

   b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and

   c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the "Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements" section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standalone Financial Statements.

Emphasis of Matter

3. We draw attention to:

   Refer Schedule 18 - Note no. 15(m) of the Statement regarding deferred tax, wherein on the basis of tax review made by the Bank's management with respect to the possible tax benefits arising out of the timing difference, the net deferred tax asset of ₹1,628.06 Crore is recognised as on March 31, 2026 (₹3,145.57 crore as on March 31, 2025).

4. Refer Schedule 18 - Note no. 15(a)(iii) of the statement regarding change in method of depreciation on fixed assets from the Written Down Value (WDV) method to the Straight-Line Method (SLM) which has resulted in a decrease in

depreciation and an increase in profit before tax of ₹49.30 crores for the year ended March 31, 2026.

Our opinion is not modified respect of the above matters.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our Audit
1. Identification and provisioning of non-performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances (refer Schedule 9 read with Note 3 of Schedule 17 to the Standalone Financial Statements) Advances comprise substantial portion of the Bank's total assets. Identification of non-performing advances (NPAs) is carried out, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein. Provisions in respect of such NPAs and restructured advances are made based on management's assessment of the degree of impairment of the advances subject to and guided by the minimum provisioning levels prescribed under RBI guidelines, prescribed from time to time. The provisions on NPAs are also based on the valuation of the security available. In case of restructured accounts, provision is made in accordance with the RBI guidelines. We identified NPA identification and provision on loans and advances as a key audit matter because of the significant efforts involved by the management in identifying NPAs based on the RBI Guidelines, the level of management judgement involved in determining the provision (including the provisions on assets which are not classified as NPAs), the valuation of security of the NPAs and on account of the significance of these estimates to the Standalone Financial Statements of the Bank. In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of incorrect value of security, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively.	Our audit approach included assessment of the design, operating effectiveness of key internal controls over approval, recording and monitoring of loans and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular: • We have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. • We assessed and evaluated the process of identification of NPAs, and corresponding reversal of income and creation of provision. • We have analysed and understood key IT systems/ applications used operational effectiveness of relevant controls including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI, we have verified whether both CBS system and the management have: • timely recognized the depletion in the value of available security. • made adequate provisioning based on such time-to-time monitoring and identification of asset classification including accounts which meet the criteria for asset classification benefit in accordance with the Reserve Bank of India COVID-19 Regulatory Package. • We have reviewed on test check basis the reports of the Concurrent Audits, Internal Inspections, Regulatory audits, Revenue Audits etc. to ascertain whether the advances are having any shortcomings or adverse features, requiring additional audit procedures. • We placed reliance upon the Independent Auditor's Report of the respective Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning as well as Memorandum of changes suggested both at the branches and at Head Office.

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our Audit
2. Investments Investment portfolio of the Bank comprises of investments in government securities, bonds, debentures, shares, security receipts and other approved securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Fair Value through Profit and Loss. Investments comprise a substantial portion of the Bank's total assets. Valuation of Investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 5 of Schedule 17 to the Standalone Financial Statements). The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc. As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments. Hence, the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/ directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning/ depreciation related to Investments. In particular: • We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non- Performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments. • Tested accuracy and compliance for selected sample of investments with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines. • We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. • We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided. • We assessed that the standalone financial statement disclosures appropriately reflected the Bank's exposure to investments valuation risks with reference to the requirements of the prevailing accounting standards and the RBI guidelines.

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our Audit
3. Information technology (IT) systems used in financial reporting process The Bank's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions. The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use. The Bank has an in-house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services. Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive Impact on the Standalone Financial Statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular: • We obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. • We tested the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting including obtaining reports from independent experts. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner. • We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the Standalone Financial Statements, information other than the standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon.

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our Audit
4. Provisions, Contingent Liabilities and Claims: Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 14 of Schedule 17 and Note No. 15(r) of Schedule 18). There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability. However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/ unascertainable at this stage. Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law, this has been determined as a key Audit Matter.	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. We broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for provisioning but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank. We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.

Other Matters

6. We did not audit the financial statements/ information of 1952 branches and other offices included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹2,98,880.60 crore as at March 31, 2026 and total revenue of ₹11,985.47 crore for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches cover 42.13% of advances, 57.16% of deposits and 23.90% of non-performing assets as at March 31, 2026 and 46.42% of revenue for the year ended on that date. The financial statements/ information of these branches have been audited by the statutory branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such statutory branch auditors.

7. In the conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2613 branches certified by the respective branch's management whose financial statements/ information reflect total assets of ₹99,025.15 crore as at March 31, 2026 and total revenue of ₹6,354.54 crore for the year ended on that date. These unaudited branches cover 19.26% of advances, 38.50% of deposits and 12.95% of non-performing assets as on March 31, 2026 and 24.61% of revenue for the year then ended.

   Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' report thereon

8. The Bank's Board of Directors is responsible for the Other Information. The Other Information comprises the Corporate Governance Report, the Directors' Report including annexures, Dividend Distribution Policy of Bank, Business Responsibility and Sustainability Report, Management Discussion and Analysis, Key Financial indicators and other Shareholder information, but does not include the Standalone Financial Statements and our auditor's report thereon. The above Other Information is expected to be made available to us after the date of this audit report.

   Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the Other Information and the Pillar 3 disclosures under Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures) and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements, or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   When we read the Other Information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to Those Charged with Governance (TCWG).

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

9. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time ("RBI guidelines") and judicial pronouncements. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error which have been used for the purpose of preparation of the Statement by the Board of Directors of the Bank as aforesaid.

    In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

10. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

    As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

    - Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures

responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls with reference to financial statements and the operating effectiveness of such control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone financial statements, including the disclosures, and whether the Standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charge with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

11. The Balance sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

    Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 10 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, based on our audit on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

    b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

    c) As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

    d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

    e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting as required by the RBI Letter No. DOS. ARG. No. 6270/ 08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 (as amended) with reference to standalone financial statements is given in **Annexure A** to this

report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the Standalone Financial Statements as at March 31, 2026.

13. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA ARUN AGARWAL
PARTNER
M. No.: 409937
UDIN: 26409937ZDXLJR1924

For **JAIN PARAS BILALA & CO.**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA PARAS BILALA
PARTNER
M. No.: 400917
UDIN: 26400917VEKXHT3374

For **AMIT RAY & CO.**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA ABHISHEK SHARMA
PARTNER
M. No.: 403861
UDIN: 26403861VYPBWR3857

For **GARG ASHOK & CO.**
Chartered Accountants
FRN.: 012127N

CA ASHOK KUMAR
PARTNER
M. No.: 090991
UDIN: 26090991RQXBWI4075

Place : Mumbai
Date : April 30, 2026

Annexure "A" to The Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 11 (e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS. ARG. No. 6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

Opinion

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of Central Bank of India ("the Bank") as at March 31, 2026 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

2. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting with reference to the Standalone Financial Statements and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2026, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI").

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

3. The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting with reference to the standalone financial statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

   Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting with reference to the standalone financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting with reference to the standalone financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error.

   We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the standalone financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

5. A Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the standalone financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the Standalone Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

6. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting with reference to the standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting with reference to the standalone financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

7. Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting with reference to the standalone financial statements of 317 (Three Hundred Seventeen) branches and 90 (Ninety) other offices is based on the corresponding reports of the respective Statutory Central Auditors / Statutory branch Auditors of those branches.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA ARUN AGARWAL
PARTNER
M. No.: 409937
UDIN: 26409937ZDXLJR1924

For **JAIN PARAS BILALA & CO.**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA PARAS BILALA
PARTNER
M. No.: 400917
UDIN: 26400917VEKXHT3374

For **AMIT RAY & CO.**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA ABHISHEK SHARMA
PARTNER
M. No.: 403861
UDIN: 26403861VYPBWR3857

For **GARG ASHOK & CO.**
Chartered Accountants
FRN.: 012127N

CA ASHOK KUMAR
PARTNER
M. No.: 090991
UDIN: 26090991RQXBWI4075

Place : Mumbai
Date : April 30, 2026

Balance Sheet

as at March 31, 2026

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	As on 31-Mar-26 ₹	As on 31-Mar-25 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	90,514,012	90,514,012
Reserves and Surplus	2	294,191,542	274,546,830
Deposits	3	4,679,224,895	4,126,971,413
Borrowings	4	314,808,221	215,919,465
Other Liabilities and Provisions	5	116,056,996	83,329,533
TOTAL		**5,494,795,666**	**4,791,281,253**
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	189,528,590	229,311,016
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	188,816,798	132,657,454
Investments	8	1,573,201,450	1,414,352,480
Advances	9	3,369,972,831	2,824,198,724
Fixed Assets	10	51,246,953	52,042,772
Other Assets	11	122,029,044	138,718,807
TOTAL		**5,494,795,666**	**4,791,281,253**
Contingent Liabilities	12	2,110,288,905	1,437,014,404
Bills for Collection	-	97,329,706	82,737,699
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

E RATAN KUMAR
Executive Director

KALYAN KUMAR
MD & CEO

B. PURUSHARTHA
Director

MANORANJAN DASH
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

SARADA KUMAR HOTA
Director

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA. ARUN AGARWAL
Partner
M. No. 409937

For **AMIT RAY & CO**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA. ABHISHEK SHARMA
Partner
M. No. 403861

FOR **JAIN PARAS BILALA & CO**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA. PARAS BILALA
Partner
M. No. 400917

For **GARG ASHOK & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 012127N

CA. ASHOK KUMAR
Partner
M. No. 090991

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

Profit and Loss Account

for the year ended March 31, 2026

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	Year Ended 31-Mar-26 ₹	Year Ended 31-Mar-25 ₹
I. INCOME			
Interest Earned	13	360,256,841	336,658,529
Other Income	14	63,157,376	56,423,535
TOTAL		**423,414,217**	**393,082,064**
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	218,553,607	197,689,629
Operating Expenses	16	120,078,404	114,149,311
Provisions and Contingencies		41,096,230	43,390,546
TOTAL		**379,728,241**	**355,229,486**
III. PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR ENDED BEFORE PRIOR PERIOD ITEM		43,685,976	37,852,578
Less: Prior period Item		-	-
Net Profit /(Loss) for the year ended after Prior period item		43,685,976	37,852,578
Profit / (loss) brought forward		52,722,499	26,913,721
TOTAL		**96,408,475**	**64,766,299**
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		10,921,494	9,463,145
Capital Reserve		1,397,331	883,270
Investment Fluctutation Reserve @ 2.5%		2,878,201	-
Investment Reserve		-	-
Special Reserve u/s 36(1)(viii)		516,700	-
Staff Welfare Fund		-	-
General / Revenue Reserve:		-	-
General Reserve AFS		-	-
General Reserve HTM		-	-
General Reserve FVTPL		-	-
AFS Reserve		-	-
Fund in lieu of Insurance		-	-
Transfer to Dividend:			
Proposed Dividend - Preference Capital		-	-
Interim Dividend- Equity Capital- Jun, Sep & Dec 2025 Interim Dividend for FY-25-26 Q4		5,430,840	
Dividend in corrosponding previous FY-24-25		5,430,840	1,697,385
Dividend Tax		-	-
Balance carried over to Balance Sheet		69,833,069	52,722,499
(B/F losses adjusted against Share Premium)		-	-
TOTAL		**96,408,475**	**64,766,299**
EPS (Basic & Diluted) in ₹ (nominal value ₹10/- per share)		4.83	4.36
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

E RATAN KUMAR
Executive Director

KALYAN KUMAR
MD & CEO

B. PURUSHARTHA
Director

MANORANJAN DASH
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

SARADA KUMAR HOTA
Director

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA. ARUN AGARWAL
Partner
M. No. 409937

For **AMIT RAY & CO**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA. ABHISHEK SHARMA
Partner
M. No. 403861

FOR **JAIN PARAS BILALA & CO**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA. PARAS BILALA
Partner
M. No. 400917

For **GARG ASHOK & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 012127N

CA. ASHOK KUMAR
Partner
M. No. 090991

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

Schedules forming part of the Standalone Balance Sheet

as at March 31, 2026

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at MAR 31, 2026 ₹	₹	As at MAR 31, 2025 ₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital: *		100,000,000		100,000,000
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares: #	90,514,012		90,514,012	
TOTAL		**90,514,012**		**90,514,012**
* 1000,00,00,000 equity shares of ₹10/- each (previous year 1000,00,00,000 equity shares) of ₹10/- each shares.				
# (9051401274 Equity shares (previous year 9051401274 Equity shares)of ₹10/- each includes 8080391687 Equity shares of ₹10/- each held by Central Government).				
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	43,039,372		33,576,227	
Additions during the year	10,921,494		9,463,145	
		53,960,866		43,039,372
II. Capital Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	20,016,613		19,133,086	
Additions during the year	1,608,574		883,527	
		21,625,187		20,016,613
III. Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	39,216,328		40,847,181	
Additions -during the year / Revaluation	-		-	
Less : Transfer to Revenue and Other Reserves	607,145		1,630,853	
Deductions during the year	-		-	
		38,609,183		39,216,328
IV. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	85,961,710		74,666,328	
Reduction during the year	-		-	
Additions during the year	-		11,295,382	
		85,961,710		85,961,710
v. Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act				
Balance as per last Balance Sheet	1,000,000		1,000,000	
Add: Addition during the year	516,700		-	
		1,516,700		1,000,000
VI. Revenue / Other General Reserves				
i) Investment Fluctuation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	9,071,633		8,502,890	
Add :Addition during the year	2,878,201		568,743	
Additions/Adjustment during the year	-		-	
Less: Deductions during the year	-		-	
	11,949,834		9,071,633	

(000's Omitted)

PARTICULARS		As at MAR 31, 2026		As at MAR 31, 2025	
		₹	₹	₹	₹
	ii) Investment Reserve				
	Balance as per last Balance Sheet	-		568,743	
	Add :Addition during the year	-		-	
	Additions/Adjustment during the year	-		-	
	Less: Deductions during the year	-		568,743	
		-		-	
	iii) AFS Reserve				
	Balance as per last Balance Sheet	4,865,217		-	
	Add : Addition during the year	-		4,865,217	
	Additions/Adjustment during the year	-		-	
	Less: Deductions during the year	13,390,827		-	
		-8,525,610		4,865,217	
	iv) General Reserve Treasury:				
	Balance as per last Balance Sheet	-12,439,472		-	
	Add : Addition during the year	-		36,974,062	
	Additions/Adjustment during the year	-			
	Less: Deductions during the year	-		49,413,534	
		-12,439,472		-12,439,472	
	v) Revenue Reserve				
	Balance as per last Balance Sheet	31,092,930		29,462,077	
	Add : Transfer from Revaluation Reserve	607,145		1,630,853	
	Additions/Adjustment during the year	-			
	Less: Deductions during the year	-		-	
		31,700,075		31,092,930	
	Sub-Total VI- Revenue / Other General Reserves		**22,684,827**		**32,590,308**
VII.	**Balance in Profit and Loss Account**				
	Balance as per last Balance Sheet	52,722,499		26,913,721	
	Additions during the year	17,110,570		25,808,778	
	Balance in Profit & Loss A/c		69,833,069		52,722,499
TOTAL			**294,191,542**		**274,546,830**

(000's Omitted)

PARTICULARS			As at MAR 31, 2026		As at MAR 31, 2025	
			₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 3 : DEPOSITS						
A. I.	**Demand Deposits**					
	i)	From Banks	8,350,883		9,295,157	
	ii)	From Others	207,566,540		194,112,579	
				215,917,423		203,407,736
II.	**Savings Bank Deposits**			2,000,240,110		1,817,614,464
III.	**Term Deposits**					
	i)	From Banks	2,868,465		4,667,132	
	ii)	From Others	2,460,198,897		2,101,282,081	
				2,463,067,362		2,105,949,213
TOTAL				**4,679,224,895**		**4,126,971,413**
B.	i)	Deposits of Branches in India		4,679,224,895		4,126,971,413
	ii)	Deposits of Branches outside India		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS						
I.	**Borrowings in India**					
	i)	Reserve Bank of India	132,000,000		88,910,000	
	ii)	Other Banks	75,052,539		25,567,286	
	iii)	Other Institutions & Agencies	89,436,457		81,442,179	
	iv)	Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	-		-	
	v)	Upper Tier II bonds	-		-	
	vi)	Innovative Perpetual Debt Instrument	-		-	
	vii)	Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier2)	15,000,000		20,000,000	
				311,488,996		215,919,465
II.	**Borrowings outside India**			3,319,225		-
TOTAL				**314,808,221**		**215,919,465**
	Secured Borrowings included in I & II above			**250,031,939**		**155,446,913**
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS						
I.	**Bills Payable**			11,089,737		9,489,218
II.	**Inter Office Adjustments (Net)**			24,209		2,552
III.	**Interest Accrued**			7,075,304		7,853,449
IV.	**Deferred Tax Liability**			-		-
V.	**Others (including provisions)***			97,867,746		65,984,314
*Includes Provisions for Standard Asset for Q4-2025-26 ₹3273.93 crores (Q4 2024-25 ₹2706.60 crores) & Dividend payable of ₹543.08 crore for Q4-2025-26.						
TOTAL				**116,056,996**		**83,329,533**

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at MAR 31, 2026		As at MAR 31, 2025	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (Including Foreign Curreny Notes)		13,783,392		14,200,109
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	137,515,198		184,110,907	
In Other Accounts	38,230,000		31,000,000	
		175,745,198		215,110,907
TOTAL		**189,528,590**		**229,311,016**
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	136,121		127,835	
b) In Other Deposit Accounts	-		-	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-		-	
b) With Other Institutions	5,002,454		1,808,962	
		5,138,575		1,936,797
II. Outside India				
a) In Current Accounts	2,069,198		1,226,032	
b) In Other Deposit Accounts	181,609,025		129,494,625	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
		183,678,223		130,720,657
TOTAL		**188,816,798**		**132,657,454**
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	1,288,301,524		1,119,078,012	
ii) Other approved Securities	-		-	
iii) Shares	14,312,806		16,140,697	
iv) Debentures and Bonds	257,055,386		266,439,105	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	6,272,140		7,395,862	
vi) Others (Commercial Papers,Mutual Fund Units etc.)	6,784,709		4,823,919	
		1,572,726,565		1,413,877,595
II. Investments outside India in **		474,885		474,885
Subsidiaries and / or Associates abroad				
TOTAL		**1,573,201,450**		**1,414,352,480**
* Investments in India				
Gross Value	1,587,840,930		1,429,845,329	
Less:Provision for Depreciation	15,114,365		15,967,734	
Net Value		1,572,726,565		1,413,877,595
** Investments outside India				
Gross Value	474,885		474,885	
Less:Provision for Depreciation	-		-	
Net Value		474,885		474,885

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at MAR 31, 2026 ₹	₹	As at MAR 31, 2025 ₹	₹
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. Facility Wise:				
i) Bills Purchased and Discounted	53,341,211		35,239,769	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	1,654,636,140		1,374,006,738	
iii) Term Loans	1,661,995,480		1,414,952,217	
TOTAL		**3,369,972,831**		**2,824,198,724**
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	2,878,015,514		2,284,895,664	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	23,076,997		18,375,259	
iii) Unsecured	468,880,320		520,927,801	
TOTAL		**3,369,972,831**		**2,824,198,724**
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	1,528,267,086		1,288,077,807	
ii) Public Sector	13,953,984		20,016,899	
iii) Banks	369		-	
iv) Others	1,827,751,392		1,516,104,018	
TOTAL		**3,369,972,831**		**2,824,198,724**
(II) Advances outside India	-			-
SCHEDULE 10: FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at March 31 of the preceding year	53,840,545		53,752,805	
Additions during the year (Including Revaluation)	65,951		87,740	
Total	**53,906,496**		**53,840,545**	
Deductions / Adjustments during the year	-		-	
Total	53,906,496		53,840,545	
Depreciation to date	12,908,295		12,273,298	
Total		**40,998,201**		**41,567,247**
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at March 31 of the preceding year	32,992,503		43,269,025	
Additions / Adjustments during the year	4,510,268		4,459,114	
Total	**37,502,771**		**47,728,139**	
Deductions / Adjustments during the year	650,447		14,735,637	
Total	**36,852,324**		**32,992,502**	
Depreciation to Date	26,603,572		22,516,977	
Total		**10,248,752**		**10,475,525**
TOTAL (I & II)		**51,246,953**		**52,042,772**

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at MAR 31, 2026 ₹	₹	As at MAR 31, 2025 ₹	₹
SCHEDULE 11: OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	26,416,858		22,877,334	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source(Net of Provisions)	35,064,892		36,968,404	
III. Stationery and Stamps	336,013		272,128	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-		-	
V. Deferred Tax Assets	16,280,562		31,455,740	
VI. Inter Office Adjustments (Net)	-		-	
VII. Others	43,930,719		47,145,201	
TOTAL		**122,029,044**		**138,718,807**
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. a. Claims against the Bank not acknowledged as Debts		4,205,064		4,173,800
b. Disputed income tax demands under appeals, revisions*		59,377,056		65,191,711
II. Liability for partly paid Investments		11,270,113		11,780,241
III. Liability on account of outstanding forward Exchange Contract.		1,857,430,740		1,187,035,182
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	107,447,794		99,834,082	
b) Outside India	961,928		338,240	
		108,409,722		100,172,322
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		31,904,221		34,669,411
VI. Other item for which the bank is contingently liable		37,691,989		33,991,737
TOTAL		**2,110,288,905**		**1,437,014,404**

* Disputed tax demands under appeals, revision (includes appeals filed by the Income Tax Department of ₹5130,49,39('000s omitted) as at March 31, 2026 as against ₹5802,75,23 ('000s omitted) at March 31, 2025. TDS related demand already provided for in the financials.

Schedules forming part of the Standalone Profit & Loss Account

for the year ended March 31, 2026

(000's Omitted)

PARTICULARS		As at MAR 31, 2026 ₹	As at MAR 31, 2025 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED			
I.	**Interest / Discount on Advances / Bills**	240,497,605	223,390,767
II.	**Income on Investments**	102,100,962	100,923,963
III.	**Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Funds**	12,538,285	9,164,034
IV.	**Others**	5,119,990	3,179,765
TOTAL		**360,256,841**	**336,658,529**
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME			
I.	**Commission, Exchange and Brokerage**	22,327,225	21,803,094
II.	**Profit on Sale of Investments**	10,536,616	10,479,077
	Less: Loss on Sale of Investments	-	-
III.	**Profit on Revaluation of Investments**	-	1,448,537
	Less: Loss on Revaluation of Investment	933,308	-
IV.	**Profit on Sale of Land, Buildings and other Assets**	71,415	6
	Less: Loss on Sale of Land, Buildings and other Assets	108,490	243,995
V.	**Profit on Exchange Transactions**	1,828,534	2,249,797
	Less: Loss on Exchange Transaction	-	-
VI.	**Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India**	177,898	85,085
VII.	**Miscellaneous Income**	29,257,486	20,601,934
TOTAL		**63,157,376**	**56,423,535**
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED			
I.	**Interest on Deposits**	210,014,374	184,884,143
II.	**Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings**	2,372,234	4,639,812
III.	**Others**	6,166,999	8,165,674
TOTAL		**218,553,607**	**197,689,629**
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES			
I.	**Payments to and Provisions for employees**	75,809,337	72,185,670
II.	**Rent, Taxes and Lighting**	6,858,740	6,711,027
III.	**Printing and Stationery**	346,945	380,140
IV.	**Advertisement and Publicity**	454,999	389,237
V.	**Depreciation on Bank's property**	5,294,966	5,573,173
VI.	**Directors' Fees,Allowances and Expenses**	16,033	7,860
VII.	**Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)**	537,371	423,548
VIII.	**Law Charges**	615,502	594,026
IX.	**Postages, Telegrams, Telephones etc.**	936,287	883,337
X.	**Repairs and Maintenance**	2,170,712	2,078,470
XI.	**Insurance**	5,803,299	4,872,640
XII.	**Other Expenditure**	21,234,212	20,050,183
TOTAL		**120,078,404**	**114,149,311**

Notes to standalone Financial Statements
for the year ended March 31, 2026

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Background

Central Bank of India (the Bank) is a body corporate registered under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. The principal business is providing banking and financial services with wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, large corporates, public bodies and institutional customers. The business is conducted through its branches in India. The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

B. Basis of preparation:

The financial statements have been prepared under historical cost conventions except in respect of revaluation of premises, following fundamental accounting assumptions of going concern, consistency, and accrual and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the banking industry in India.

These financial statements have been prepared in accordance with requirements under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949.

C. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. The management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively from the period of change unless otherwise stated.

D. Significant accounting policies:

1. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice.

2. Revenue recognition:

2.1 General

Income/ expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income accounted on cash basis as per regulatory provisions.

2.2 Income from investments

a) The Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account. In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, profit on sale of investments in the Held to Maturity (HTM) category is appropriated (Net of applicable taxes and amount required to be transferred to "Statutory Reserve Account") to the "Capital Reserve Account".

b) Dividend income is recognized when right to receive the dividend is established.

c) Upside on security receipts is recognised on realisation as 'Other income'.

2.3. Sale of financial assets

Financial Assets sold are recognized as under:

a) The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI. When the Bank sells its financial assets to Securitisation Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.

b) In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account in the year of sale.

c) In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

2.4. Fee based income

Commission on letters of credit, bank guarantee and deferred payment guarantee are recognised on accrual basis proportionately over the period. All other commission and fee income are recognised on their realisation.

2.5 Others

Interest on income tax refund is accounted on receipt of refund order(s)/ intimation from Income Tax Department and acceptance by the Bank.

3. Advances:

3.1 Based on the guidelines/ directives issued by the RBI, loans and advances are classified as performing and non-performing, as follows:

a) The term loan is classified as a non-performing asset, if interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days.

b) An overdraft or cash credit is classified as a non-performing asset, if, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days, or if the credits are not adequate to cover the interest debited during the previous 90 days period.

c) The bills purchased/ discounted are classified as non-performing asset if the bill remains overdue for a period of more than 90 days.

d) The agricultural advances are classified as a non-performing if, (i) for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons; and (ii) for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

e) a working capital borrowal account where irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory;

f) an account where the regular / ad hoc credit limits have not been reviewed / renewed within 180 days from the due date / date of ad hoc sanction;

g) the amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitisation transaction undertaken in terms of the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Securitisation Transactions) Directions, 2025;

h) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

3.2 Non-performing assets are classified into sub-standard, doubtful and loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI

i. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.

ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months or Sub-Standard Accounts where erosion in the value of security by more than 50% of the value assessed by the bank or accepted by RBI at the time of last inspection, as the case may be.

iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off or if the realisable value of the security as assessed by the Bank/approved valuers/RBI is less than 10 percent of the outstanding.

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-standard assets:

i. A general provision of 15% on the total outstanding.

ii. Additional provision of 10% (a total of 25 per cent on the outstanding balance) for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio).

iii. Unsecured Exposure in respect of infrastructure advances where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20%.

Doubtful Assets:	
- Secured portion:	
Up to one year	25%
One to three years	40%
More than three years	100%
- Unsecured portion	100%
Loss Assets	100%

Advance covered by guarantees under any existing or future schemes launched by Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing (CRGFTLIH) and National Credit Guarantee Trustee Company Ltd (NCGTC).

In case the advance covered by any existing or future schemes/guarantees launched by CGTMSE, CRGFTLIH and NCGTC becomes nonperforming, no provision need be made towards the guaranteed portion. The amount outstanding, in excess of the guaranteed portion, should be provided for as per the extant guidelines on provisioning for non-performing assets.

3.4 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and claims received from CGTSI/ ECGC, etc.

3.5 For restructured/ rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which inter alia require that the difference between the fair value of the loans/ advances before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, if any, arising out of the above, is reduced from advances.

3.6 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

3.7 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

3.8 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.

3.9 Additional provisions higher than regulatory norms are made in specific assets in view of the identified weakness and/ or prevailing economic situation.

3.10 Partial recoveries in non-performing account (including partially written off accounts) are appropriated in the following order:

i. Principal Overdue / Irregularities

ii. Unrealised interest

iii. Partial Written Off principal

iv. Uncharged Interest

v. Unrealised charges

In case of suit filed/SARFAESI/ recalled accounts, recovery is appropriated in the following order:

i. Ledger outstanding balance

ii. Unrealised interest

iii. Partial Written Off principal

iv. Uncharged Interest

v. Unrealised charges

However, where any borrower account is required to be classified as non-performing from an earlier date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances

In case of Compromise and Resolution/ Settlement through National Company Law Tribunal (NCLT) cases, the recoveries are appropriated as per the terms of respective compromise/ resolution/ settlement. And in case of suit filed accounts, recovery is appropriated as per directives of respective courts.

4 Provision for country exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures.

5. Investments:

Investments are accounted for in accordance with the extant guidelines Reserve Bank of India Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 vide RBI/ DOR/2025-26/162 DOR.MRG.REC.No.81/00-00-001/2025-26 dated 28.11.2025

5.1 Classification:

In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investment portfolio is to be classified (except investments in their own subsidiaries, joint ventures and associates) under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit and Loss (FVTPL). Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub- category within FVTPL. Investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held in a distinct category i.e. "SAJV" separate from the other investment categories.

For disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, investments are classified as Investments in India and outside India.

Under each category, the investments in India are further classified as

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures and Bonds

e) Subsidiaries, joint ventures/associates and sponsored institutions; and

f) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

The investments outside India are further classified under 3 categories

a) Government Securities

b) Subsidiaries and Joint Ventures/Associates

c) Other Investments

5.2 Basis of Classification:

Classification of an investment is done at the time of purchase into the following categories:

(a) Held to Maturity: Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)" which meets Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) criteria.

(b) Available for Sale: Investments that the Bank intends to hold till maturity & sale which meets SPPI Criteria.

(c) FVTPL: Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. HFT shall be separate sub-category within FVTPL.

(d) Investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

(e) Only those financial instruments are included in HFT where there is no legal impediment against selling or fully hedging it.

5.3 Valuation:

The transactions in all securities are recorded on a Settlement Date and cost is determined on the weighted average cost method.

A. Incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.

B. Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities are charged to the Profit and Loss Account as revenue expenses.

C. Broken Period interest paid/ received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/ sale consideration.

All the securities have been valued as per extant RBI guidelines and also as per the prices / quotes declared by FIMMDA / FIBIL /AMFI and stock exchanges.

a) Valuation of investments classified as Held to Maturity:

The investments classified under this category are carried at acquisition cost. The difference of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Such amortisation of premium/discount is accounted as expense/income. However, they shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms.

b) Investments in Subsidiaries, Joint ventures and Associates (SAJV)

All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost. A provision is made for diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

c) Valuation of investments classified as Available for sale:

Investments classified as Available for Sale are individually revalued at market price or fair value determined as per the regulatory guidelines. The difference of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Such amortisation of premium/discount is accounted as expense/income. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS is aggregated. The net appreciation or depreciation is credited or debited to AFS- Reserve without routing through the Profit & Loss Account. However, they shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms.

d) Valuation of investments classified as FVTPL (HFT & NON HFT):

Investments classified as FVTPL (HFT & NON HFT) are individually revalued at market price or fair value determined as per the regulatory guidelines. The net Gain or loss arising on valuation is directly credited/debited to the Profit and Loss Account. For securities which meet SPPI criterion, the difference of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Such amortisation of premium/discount is accounted as expense/income. However, they shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms. Fair Valuation of all HFT instruments is done on daily basis and any valuation change is recognised in profit and loss account.

e) Valuation in case of sale of NPA (financial asset) to Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Govt Guaranteed Security Receipts (SRs):

i) If a loan is transferred to an ARC for a value higher than the book value (NBV), the excess provision can be reversed to the Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by Govt of India.

ii) SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received. SRs Outstanding after the final settlement of the government guarantee or the expiry of the guarantee period whichever is earlier, shall be valued at one Rupee (₹1).

f) Valuation in case of sale of NPA (financial asset) to Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Non Govt Guaranteed Security Receipts (SR):

i) When the stressed loan is transferred to ARC at a price below the NBV at the time of transfer, lenders shall debit the shortfall to the profit and loss account for the year in which the transfer has taken place. Banks are permitted to use countercyclical or floating provisions for meeting any shortfall on transfer of stressed loan when the transfer is at a price below the NBV.

ii) On the other hand, when the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, lenders shall reverse the excess provision on transfer to the profit and loss account in the year the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs)/ other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of transfer. Further, such reversal shall be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer.

iii) Investments by lenders in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. Provided that when transferors invest in the SRs/ PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the transferors shall carry the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.

iv) If the investment by the transferor in SRs issued against loans transferred by it is more than 10 percent of all SRs issued against the transferred asset, then the valuation of the SRs on the books of the transferor shall be the lower of the following: i) value arrived as mentioned above ii) face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the loans had continued on the books of the transferor.

g) Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

5.4 Investments (NPI):

Investments are classified as performing and non-performing, based on "Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025" dated 28.11.2025 and "Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances", as under:

a) In respect of debt instruments such as bonds or debentures, Interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days. The same is applied to preference shares where the fixed dividend is not paid.

b) In the case of equity shares, in the event the investment in shares of any company is valued at ₹1 per company on account of non-availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.

c) The Bank also classifies an investment as a non-performing investment, in case any credit facility availed by the same borrower/ entity has been classified as a non-performing asset and vice versa.

d) The investments in debentures/ bonds, which are deemed to be advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

e) Once an investment is classified as NPI it is segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.

5.5 Accounting for Repo/ Reverse Repo transactions

The Bank enters into repurchase and reverse repurchase transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and also with market participants. Repurchase transaction represents borrowing by selling the securities with an agreement to repurchase the securities. Reverse repurchase transactions on the other hand represent lending funds by purchasing the securities.

a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo (other than LAF) are accounted as overnight Tri-party Repo (TREPS) dealing and settlement.

b) However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and contra entries.

c) The above entries are reversed on the date of maturity. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at call & short notice).

d) Interest expended/ earned on Securities purchased/ sold under LAF with RBI is accounted for as expenditure/ revenue.

6. Derivatives:

The Bank enters into derivative contracts, such as interest rate swaps, interest rate futures, currency swaps and cross currency swaps in order to hedge on balance sheet/ off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes.

6.1 Derivatives used for hedging are accounted as under:

a) In cases where the underlying assets/ liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit and Loss Account.

b) Hedging swaps are marked to market at frequent intervals. Any mark to market gain or losses are booked to P&L account on net basis.

c) Gain or losses on termination of swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swaps or the remaining life of the assets/liabilities.

6.2 Derivatives used for trading are accounted as under:

a) Currency futures and interest rate futures are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and BSE.

b) Mark to market profit or loss is accounted by credit/ debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in the Bank's profit and loss account on final settlement.

c) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any mark to market gain or losses are booked to P&L account on net basis.

d) Gains or losses on termination of swaps are recorded immediately as income/ expense under the above head.

7. Transactions involving foreign exchange:

7.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency.

7.2 Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India ("FEDAI") closing (spot/ forward) rates and the resultant profit or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

Foreign currency non-monetary items, which are carried at historical cost, are reported using the exchange rate on the date of the transaction.

Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

7.3 Outstanding foreign exchange spot and forward contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting Profit or Loss is recognised in the Profit and Loss Account. Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate.

7.4 Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or

as expense in the period in which they arise.

7.5 Gains/ Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the profit and loss account.

7.6 Accounting procedure in respect to the Forex Derivatives of the bank adheres to the RBI Master Direction No. RBI/DOR/2025-26/162 DOR.MRG.REC.No.81/00-00-001/2025-26 dated 28.11.2025 and provisions of ICAI guidelines on accounting for Derivatives contract (revised 2021).

8 Investment Fluctuation Reserve:

Investment Fluctuation Reserve is maintained on continuing basis i.e. at least two percent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:

(1) Net profit on sale of investments during the year.

(2) Net profit for the year, less mandatory appropriations.

9. Fixed Assets And Depreciation:

9.1 Fixed assets are stated at historical cost less accumulated depreciation/ amortisation and impairment losses, if any. Assets which have been periodically revalued are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, taxes professional fees, etc. incurred on the asset before it is put to use or capable of ready to use whichever is earlier.

9.2 Subsequent expenditure(s) incurred on assets ready to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

9.3 The fixed assets are depreciated using the straight-line method based on useful life of the assets stated as under:

Groups/ Items (As mentioned in Expenditure Policy)	Useful Life	Depreciation Method
Furniture & Fixtures		
a) Office furniture & fixtures	12 Years	SLM
b) Residential furniture & fixtures	12 Years	SLM
Plant & Machinery:		
a) Safe Deposit Vault & Lockers	20 Years	SLM
b) Lifts	20 Years	SLM
c) Cars & Jeeps	8 Years	SLM
d) Other Vehicles (Other than Cars & Jeeps)	8 Years	SLM
e. (i) Air Conditioners/Room Air Conditioners/ Watercoolers/ Franking Machine/ Calculators/Typewriters/Office/Machinery, Note sorting machine and Equipment/ Heaters/Clocks &Other Machinery & Equipment, etc.	8 Years	SLM
e. (ii) Residential- Electrical/Electronic Items	8 Years	SLM
f) Calculating Machines/Encoders/Advance Ledger	3 Years	SLM
3. Computer /Laptop/I-pad/Software/Mobile etc.		
i). Office - Computers etc.	3 Years	SLM
ii). Residential- Computers etc.	3 Years	SLM

9.4 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. In respect of financial leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and Lease payments for assets taken on Operating lease are recognised as expense in the Profit & Loss account over the lease term.

9.5 In case of assets, which have been revalued, the depreciation/ amortization is provided on the revalued amount and is charged to the Profit and Loss Account. Amount of incremental depreciation/ amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to 'Revenue and Other Reserves'. The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

9.6 Depreciation calculated on assets is charged in the books of accounts on the basis of no. of days from the date of its capitalization. The Straight-Line Method for calculation of depreciation has been implemented w.e.f from April 1, 2025.

9.7 The Bank follows the revaluation model only in respect of immovable properties comprising land and buildings. Revaluation is carried out for immovable properties at regular intervals, at least once every three years, or earlier if warranted by significant changes in market conditions or based on management's assessment. Assets acquired during the preceding three years are not considered for revaluation.

9.8 Assets individually costing less than ₹5,000 per invoice are not capitalised and are charged to the Statement of Profit and Loss in the year of acquisition. However, where such items form an integral part of a larger asset or system, the same are capitalised as part of the respective asset.

10 LEASES:

Operating Lease: Leases where risks and rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS-19 (Leases). Lease payments for assets taken on Operating lease are recognised as expense in the Profit & Loss account over the lease term on straight line basis.

Finance Lease: Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at the inception of the lease and amortised over the period of lease.

11 Impairment of assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future Net Discounted Cash Flows expected to be generated by the asset. If such assets are impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

12. Employee Benefits:

12.1 Employee benefits are accrued in the year in which services are rendered by the employees.

12.2 **Short Term Employee Benefits:**

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

12.3 **Defined benefit plans:**

The Bank operates Gratuity and Pension schemes which are defined benefit plans.

a) The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to the cap prescribed by the Statutory Authorities. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation.

b) The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules to vested employees on retirement or on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

c) The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/ losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.

d) When the benefits of the plan are changed, or when a plan is curtailed or settlement occurs, the portion of the changed benefit related to past service by employees, or the gain or loss on curtailment or settlement, is recognized immediately in the profit or loss account when the plan amendment or when a curtailment or settlement occurs.

Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique.

e) The Bank has made provision for the payment of gratuity to contractual/fixed term employees towards the liability arises after implementation of new wages code.

f) Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

12.4 **Defined Contribution Plan:**

Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss account.

National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

13. Accounting for Taxes on Income:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively.

Deferred tax is recognized on timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization and

measured using enacted or substantially enacted tax rates as on balance sheet date Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the Profit and Loss Account.

14. Provisions, Contingencies and Contingent assets:

14.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

14.2 No provision is recognised for:

a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

b) any present obligation that arises from past events but is not recognised because:

i. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

ii. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

14.3 Provision for reward points in relation to the debit card holders of the Bank is made on estimated basis.

14.4 Contingent assets are not recognised in financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

15 Special Reserves:

Revenue and other Reserve include Special Reserve created under Section 36(i)(viii) of the Income Tax Act, 1961.

16 Segment Reporting

In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) and in compliance with Accounting Standard 17 – Segment Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank has identified business segments as its primary reporting segments and geographical segments as its secondary reporting segments.

The Bank's operations are presently confined within India and there are no reportable geographical segments outside India. Accordingly, segment reporting disclosures have been presented based on primary (business) segments only.

17 Earnings per Share:

a) The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – "Earnings per Share" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

b) Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

E RATAN KUMAR
Executive Director

KALYAN KUMAR
MD & CEO

B. PURUSHARTHA
Director

MANORANJAN DASH
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

SARADA KUMAR HOTA
Director

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA. ARUN AGARWAL
Partner
M. No. 409937

For **AMIT RAY & CO**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA. ABHISHEK SHARMA
Partner
M. No. 403861

FOR **JAIN PARAS BILALA & CO**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA. PARAS BILALA
Partner
M. No. 400917

For **GARG ASHOK & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 012127N

CA. ASHOK KUMAR
Partner
M. No. 090991

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. Regulatory Capital:

a. Composition of Regulatory Capital

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025
1.	Common Equity Tier 1 Capital (CET 1) (net of deductions, if any)	33,951.05	31,101.14
2.	Additional Tier 1 Capital	-	-
3.	Tier 1 Capital (i+ii)	33,951.05	31,101.14
4.	Tier 2 Capital	5,001.33	4,847.66
5.	Total Capital (Tier 1+ Tier 2)	38,952.39	35,948.80
6.	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	2,17,513.55	211,184.86
7.	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	15.61%	14.73%
8.	Tier 1 Ratio (Tier 1 Capital as a percentage of RWAs)	15.61%	14.73%
9.	Tier 2 Ratio (Tier 2 Capital as a percentage of RWAs)	2.30%	2.29%
10.	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	17.91%	17.02%
11.	Leverage Ratio	5.85%	6.15%
12.	Percentage of the shareholding of a) Government of India	89.27%	89.27%
13.	Amount of paid-up Equity Capital raised during the year	-	370.46
14.	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, which: Give list as per instrument type (Perpetual non-cumulative preference shares, perpetual debt instrument etc.). Commercial banks (Excluding RRBS) shall also specify if the instrument are Basel II or Basel III compliant	-	-
15.	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which : Give list as per instrument type (Tier 2 debt Instruments) Commercial banks shall also specify if the instrument are Basel II or Basel III compliant	-	-

Paid up Equity Capital of the Bank as on 31.03.2026 is ₹9,051.40 Crore, the President of India (Government of India) has not infused any fresh capital during the Financial Year 2025-26. The shareholding of President of India (Government of India) in the Bank is 89.27% as on 31.03.2026

b) Draw down from reserves

During the year, there has been no draw drawn from Reserve to Profit & Loss account

2. Asset Liability Management

a. Maturity pattern of total Deposits, Borrowings, Advances & Total Investments under various maturity buckets prescribed by Reserve Bank of India as of March 31, 2026 are as follows:-: -

(Amount in ₹ Crore)

Period		Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 months and up to 3 months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	Current Year	1,310.47	5,426.01	4,226.68	10,544.17	18,912.17	19,625.17	57,876.40	107,729.09	128,953.56	111,572.85	1,745.91	467,922.49
	Previous Year	789.89	3,832.39	4,112.93	9,059.17	13,236.47	12,655.87	42,283.00	97,304.77	92,636.96	69,325.62	67,460.37	412,697.14
Advances	Current Year	1,070.40	1,458.74	1,718.74	7,332.09	10,661.50	17,003.00	13,936.72	49,812.19	127,351.24	26,685.86	79,966.79	336,997.28
	Previous Year	1,091.01	897.33	943.05	16,228.62	12,840.29	12,766.23	9,039.03	22,987.47	110,412.45	22,468.10	72,746.29	282,419.87
Investments	Current Year	21,967.17	2,209.56	1,659.60	3,082.81	4,375.75	3,353.50	3,482.65	6,680.78	16,017.59	22,401.40	72,089.34	157,320.15
	Previous Year	23,119.12	5,422.72	99.82	2,338.30	2,891.91	2,539.85	3,797.01	7,114.23	22,173.02	18,385.73	53,553.54	141,435.25
Borrowings *	Current Year	4.68	20,003.19	-	5,000.00	331.92	4.39	-	3,508.78	1,120.38	6.91	0.58	29,980.82
	Previous Year	4.87	15,544.69	35.92	-	35.92	149.09	216.13	71.14	3,526.90	6.99	0.30	19,591.95
Foreign Currency assets #	Current Year	522.78	4,610.31	816.48	10,096.47	9,618.66	7,391.25	28,140.40	37,180.36	5,934.29	-	-	104,311.00
	Previous Year	550.21	3,888.65	658.60	10,194.25	8,445.54	5,965.49	10,886.59	27,039.45	22.34	-	-	67,651.12
Foreign Currency liabilities #	Current Year	362.97	4,169.74	712.86	10,638.43	8,092.48	7,017.71	28,512.54	37,959.83	6,792.41	55.40	-	1,04,314.36
	Previous Year	398.27	2,783.70	695.32	10,620.10	8,791.94	5,958.79	10,560.20	26,405.71	1,277.04	193.91	-	67,684.98

Note: - * Excluding those considered under Tier II Capital.

Foreign currency Assets and Liabilities include off-balance sheet items.

Classification of assets and liabilities under the maturity buckets is based on the same estimates and assumptions as used by the Bank for compiling the return submitted to the RBI. Total investment figures are based on the certificate provided by the respective auditor.

b. Liquidity coverage ratio (LCR)

The Liquidity Risk Management of the Bank is governed by the Asset Liability Management (ALM) Policy approved by the Board. Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard has been introduced with the objective that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario.

The LCR is calculated as under:

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Total net cash outflow over the next 30 calendar days}} \geq 100\%$$

Liquidity Coverage ratio (LCR) Quantitative Disclosure:

(Amount in ₹ Crore)

LCR Components		Quarter Ended 30.06.2025		Quarter Ended 30.09.2025		Quarter Ended 31.12.2025		* Quarter Ended 31.03.2026	
		Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		112,772		134,782		114,581		94,792
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:								
(i)	Stable deposits	28,575	1,429	29,074	1,454	29,733	1,487	30,396	1,520
(ii)	Less stable deposits	329,075	32,908	338,296	33,830	344,440	34,444	351,040	35,104
3	Unsecured wholesale funding of which:								
(i)	Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-	-	-	-	-
ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	42,304	21,777	48,149	24,522	51,253	26,179	51,859	26,339
iii)	Unsecured debt	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Secured wholesale funding								
5	Additional requirements, of which								
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	9,914	9,914	10,373	10,373	13,866	13,866	13,737	13,737
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	Credit and liquidity facilities	2,730	2,723	2,911	2,904	2,648	2,641	2,744	2,445
6	Other contractual funding obligations	3,348	3,348	3,431	3,431	2,907	2,907	4,942	4,942
7	Other contingent funding obligations	35,425	1,497	35,151	1,493	35,580	1,511	37,569	1,600
8	**Total Cash Outflows**		**73,595**		**78,006**		**83,035**		**85,687**
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repo)	505	-	561	-	5	-	-	-
10	Inflows from fully performing exposures	3,678	3,678	3,863	3,863	3,951	3,951	3,530	3,530
11	Other cash inflows	25,693	21,944	22,167	18,440	26,012	22,756	27,990	24,938
12	**Total Cash Inflows**	**29,877**	**25,622**	**26,591**	**22,303**	**29,968**	**26,707**	**31,521**	**28,468**
		Total adjusted value		**Total adjusted value**		**Total adjusted value**		**Total adjusted value**	
13	**TOTAL HQLA**		**112,772**		**134,782**		**114,581**		**94,792**
14	**Total Net Cash Outflows**		**47,972**		**55,703**		**56,329**		**57,219**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**235.08%**		**241.96%**		**203.42%**		**165.67%**

*For the quarter ended March 31, 2026, Bank has factored outflows in Sr. no. (IX) (a) of BLR 1 as a prudent measure.

In accordance with Reserve Bank of India's Prudential Norms on Capital Adequacy Directions vide RBI/DOR/2025-26/151 DOR. CAP.REC.70/21-01-002/2025-26 dated November 28, 2025, average weighted and unweighted amounts have been calculated taking simple daily average. The Bank has considered 90 data points for the quarter January 2026 to March 2026.

Liquidity Coverage ratio (LCR) – Qualitative Disclosure

	Line items significant to LCR	Explanatory Notes
A	The main drivers of the LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation	The main drivers of LCR results are: 1) High Quality Liquid Asset (HQLA) is one of the major drivers of LCR. The major portion of HQLA consists of facility to avail liquidity under Marginal Standing Facility (MSF), FALLCR & excess SLR investments. 2) Cash Outflow is another major driver of LCR. The main components of cash outflows are less stable retail deposit, funding from other legal entity and net derivative cash outflow. 3) Another major driver of LCR is Cash Inflow. The main components of cash inflows are inflows by counterparty and net derivative cash inflow.
B	Intra-period changes as well as changes over time	Not Applicable
C	The composition of HQLA	The HQLA comprises of the following: 1. Level 1 assets comprises of surplus SLR investments (net of encumbered against REPO, CBLO, MSF, CROMS, other securities pledged for RTGS, SGF, MCX, NSCCL etc) and 2% of NDTL applicable for MSF and 16.00% of NDTL (FALLCR) and overnight balances held by bank with RBI as per RBI circular no. RBI/DOR/2025-26/163 DOR.LRG.No.82/13-10-001/2025-26 dated 28/11/2025. 2. Level 2A assets comprises of Special (Discom) Bonds issued by State Government, Bonds issued by State Power Distribution Companies, Central Government PSUs excluding the finance companies and bonds of private corporates having rating of AA- and above excluding the finance companies. 3. Level 2B assets comprises of bonds of corporates having rating of BBB- to A+ excluding the finance companies. 4. Level 2B assets also comprises of NIFTY/SENSEX shares excluding the finance companies.
D	Concentration of funding sources	Bank addresses the funding concentration by monitoring their funding from each significant counterparty, each significant product / instrument and each significant currency ('significant' is defined as aggregate amount is more than 1% of the bank's liabilities).

Line items significant to LCR		Explanatory Notes
E	Derivative exposures and potential collateral calls	Derivative exposure of the bank consists of the following: 1. OTC Derivatives a. Forwards b. Currency Swaps c. Interest Rate Swap 2. Exchange Traded Derivatives a. Currency Futures b. Interest Rate Futures Potential collateral call comes into question if the trades take place on the Exchange or the settlement takes place through Central Counterparty and is guaranteed and also if the Credit Support Annex(CSA) which is an attachment to the ISDA Master Agreement , is signed with the counterparties. At present, the Bank does not have in place the Credit Support Annex with any counterparty. As such, no potential collateral call will arise. For exposure of trades under Currency Futures and Interest Rate Futures bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) and the same is being maintained depending on the amount of exposure and the volatility in the market. All Interbank USD/INR Swaps and forwards are being settled through CCIL which is a Central Counterparty (CCP). Bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) with CCIL for guaranteed settlement of Interbank USD/INR Swaps and Forwards. The amount of margin depends on the amount of exposure and the volatility in the respective markets. The additional margin is being maintained with the Exchange/ CCP as and when the call is made for the same.
F	Currency mismatch in the LCR	To capture potential currency mismatches, the LCR in each significant currency is monitored. A currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. Bank doesn't have currency mismatch in LCR as bank does not have exposure in 'significant' currency.
G	Degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units	Liquidity management in the bank is centralized and monitored by ALM & Treasury team. Interaction between treasury, ALM team & other functional units are seamless.
H	Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.	None
I	Other Information	Other contingent liabilities including undrawn credit and liquidity commitments are also suitably addressed.

The average LCR for the quarter ended March 31, 2026, was at 165.67% as against 194.89% for the quarter ended March 31, 2025 and well above the regulatory prescribed minimum requirement of 100%. The average HQLA for the quarter ended March 31, 2026, was ₹94,792.00 Crore as against ₹92,665.00 Crore for the quarter ended March 31, 2025.

The average LCR for the year ended March 31, 2026, was at 210.35 % as against 215.75% for the year ended March 31, 2025.

c. Net Stable Funding ratio (NSFR):

The Bank computes and maintains Net Stable Funding Ratio (NSFR) in accordance with guidelines issued by the Reserve Bank of India under Basel III framework on Liquidity Standards vide Circular no RBI/DOR/2025-26/163 DOR.LRG.No.82/13-10-001/2025-26 dated 28.11.2025.

The objective of NSFR is ensure reduction in funding risk over a longer time horizon extending to one year by requiring banks to fund their activities in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities, with sufficiently stable sources of funding on an on-going basis. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of a Bank's liquidity position due to disruptions in the regular sources of funding. NSFR limits over-reliance on short term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on and off-balance sheet items, and promotes funding stability.

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available stable funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the Bank as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. The Available Stable Funding (ASF) is primarily driven by the total regulatory capital as per Basel III Capital Adequacy guidelines stipulated by RBI and deposits from retail customers, small business customers and non-financial corporate customers. Under the Required Stable Funding (RSF), the primary drivers are unencumbered performing loans with residual maturities of one year or more.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{(Available Stable Funding (ASF))}}{\text{(Required Stable Funding (RSF))}} \geq 100\%$$

The runoff factors for the stressed scenarios are prescribed by the RBI, for various categories of liabilities (viz., deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), undrawn commitments, derivative-related exposures, and offset with inflows emanating from assets maturing within the same time period. The minimum NSFR requirement set out in the RBI guideline is 100%.

The Liquidity Risk Management of the Bank is governed by the Asset Liability Management (ALM) Policy approved by the Board. The Asset Liability Committee (ALCO) is a decision-making unit responsible for implementing the liquidity and interest rate risk management strategy of the Bank in line with its risk management objectives and ensures adherence to the risk tolerance/limits set by the Board.

Central Bank of India on standalone basis maintained Available Stable Funding (ASF) of ₹4,41,752.69 Crore against the RSF requirement of ₹3,22,667.02 Crore as on March 31, 2026. The NSFR for the quarter ended March 2026 is at 136.91%.

c. Net Stable Funding ratio (NSFR):

NSFR Disclosure		Mar-26					Dec-25			
(₹ In Crore)		Unweighted value by residual maturity				Amount in ₹ crore	Unweighted value by residual maturity			
		No maturity*	<6 months	6 months to < 1yr	>= 1 yr	Weighted value	No maturity*	<6 months	6 months to < 1yr	>= 1 yr
ASF Item										
1	Capital: (2+3)	38653.40	0.00	0.00	1500.00	40153.40	36481.92	0.00	0.00	1500.00
2	Regulatory capital	38653.40	0.00	0.00	1500.00	40153.40	36481.92	0.00	0.00	1500.00
3	Other capital instruments		0.00	0.00				0.00	0.00	
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	0.00	0.00	362633.27	0.00	338253.60	0.00	0.00	345238.47	0.00
5	Stable deposits	0.00	0.00	237672.99	0.00	225789.34	0.00	0.00	227004.57	0.00
6	Less stable deposits	0.00	0.00	124960.28	0.00	112464.25	0.00	0.00	118233.90	0.00
7	Wholesale funding: (8+9)	28499.96	30935.93	16294.20	2667.53	29065.79	25782.72	20741.75	19757.05	3201.93
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	28499.96	30935.93	16294.20	2667.53	29065.79	25782.72	20741.75	19757.05	3201.93
10	Other Liabilities: (11+12)	33716.85	6054.60	3745.62	34279.90	34279.90	31091.75	19834.73	3419.38	40965.25
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00			249.46	0.00	0.00
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	33716.85	6054.60	3745.62	34279.90	34279.90	31091.75	19585.27	3419.38	40965.25
13	**Total ASF (1+4+7+10)**					**441752.69**				
RSF Item										
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					5561.13				
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	1065.58	6169.20	161182.78	127808.23	0.00	146.70	4986.11	141094.96
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	1065.58	6169.20		3244.44	0.00	146.70	4986.11	
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0.00	0.00	0.00	119150.37	97242.73	0.00	0.00	0.00	112962.68
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	20175.42	13114.02	0.00	0.00	0.00	18581.08
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	42032.41	27321.07	0.00	0.00	0.00	28132.28
22	With a risk weight of less than or equal to 35 % under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	42032.41	27321.07	0.00	0.00	0.00	28132.28
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	0.00	60044.72	44635.48	138710.99	186221.52	0.00	55592.75	39886.20	146734.37
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00	0.00			
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	33879.93	28797.94		0.00	0.00	25384.04
27	NSFR derivative assets		995.01	0.00	0.00	995.01		0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivatative liabilities before deduction of variation margin posted		161.54	0.00	0.00	161.54		57.10	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	0.00	58888.17	44635.48	104831.06	156267.03	0.00	55535.65	39886.20	121350.33
30	Off-balance sheet items				67135.19	3076.13				34208.62
31	**Total RSF (14+15+16+24+30)**					**322667.02**				
32	Net Stable Funding Ratio (%)					136.91%				

	Sep-25					Jun-25				
Amount in ₹ crore		Unweighted value by residual maturity			Amount in ₹ crore		Unweighted value by residual maturity			Amount in ₹ crore
Weighted value	No maturity*	<6 months	6 months to < 1yr	>= 1 yr	Weighted value	No maturity*	<6 months	6 months to < 1yr	>= 1 yr	Weighted value
37981.92	36409.57	0.00	0.00	1500.00	37909.57	36360.70	0.00	0.00	1500.00	37860.70
37981.92	36409.57	0.00	0.00	1500.00	37909.57	36360.70	0.00	0.00	1500.00	37860.70
		0.00	0.00				0.00	0.00		
322064.85	0.00	0.00	345634.65	0.00	322429.09	0.00	0.00	334401.90	0.00	311987.31
215654.34	0.00	0.00	227157.97	0.00	215800.07	0.00	0.00	220511.96	0.00	209486.36
106410.51	0.00	0.00	118476.69	0.00	106629.02	0.00	0.00	113889.94	0.00	102500.94
25535.16	25049.84	16590.88	23362.40	3797.74	27085.32	21687.00	13143.10	19261.38	8194.69	27205.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25535.16	25049.84	16590.88	23362.40	3797.74	27085.32	21687.00	13143.10	19261.38	8194.69	27205.93
40965.25	3658.64	11317.94	234.93	36383.12	36383.12	3427.98	5476.50	192.55	37804.62	37804.62
		233.74	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40965.25	3658.64	11084.20	234.93	36383.12	36383.12	3427.98	5476.50	192.55	37804.62	37804.62
426547.18					**423807.10**					**414858.56**
7869.65					9956.89					9052.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113103.11	0.00	2677.97	1671.34	133214.77	104991.77	0.00	656.48	1784.58	128597.19	100731.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2515.06	0.00	2677.97	1671.34		1237.37	0.00	656.48	1784.58		990.76
92302.06	0.00	0.00	0.00	104448.75	85056.50	0.00	0.00	0.00	99764.42	80999.01
12077.70	0.00	0.00	0.00	18624.70	12106.06	0.00	0.00	0.00	19003.76	12352.44
18285.98	0.00	0.00	0.00	28766.01	18697.91	0.00	0.00	0.00	28832.77	18741.30
18285.98	0.00	0.00	0.00	28766.01	18697.91	0.00	0.00	0.00	28832.77	18741.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190261.64	0.00	50186.84	28340.54	128404.87	165185.27	0.00	46066.08	22216.07	138729.03	171160.78
0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
21576.43		0.00	0.00	14160.30	12036.26		0.00	0.00	8856.16	7527.74
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20.12	0.00	0.00	20.12
57.10		54.65	0.00	0.00	54.65		39.07	0.00	0.00	39.07
168628.10	0.00	50132.19	28340.54	114244.57	153094.37	0.00	46006.89	22216.07	129872.87	163573.86
1444.22				35838.63	1528.01				34460.49	1461.13
312678.61					**281661.95**					**282405.91**
136.42%					150.47%					146.90%

3. Investments

a. Disclosure of carrying value of investments and fair value

(all amounts in ₹ crore)

		Current Year (2025-26)							Previous Year(2024-25)						
		HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries, Associates & JVs		HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries, Associates & JVs	
		At cost	Fair Value		HFT	non-HFT	At cost	Fair Value	At cost	Fair Value		HFT	non-HFT	At cost	Fair Value
I.	**Investments in India**	**109,168.89**	**106,422.18**	**43,494.60**	**2,559.77**	**2,933.62**	**627.21**	**627.21**	**98,765.04**	**99,386.69**	**39,287.52**	**1,119.04**	**3,005.15**	**807.79**	**807.79**
(i)	Government securities	88,205.88	85,575.17	38,517.29	2,106.98	-	-	-	77,542.95	78,172.22	33,778.10	586.76	-	-	-
(ii)	Other approved securities	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	Shares	-	-	293.87	228.90	1,323.93	-	-	-	-	284.98	532.28	1,258.96	-	-
(iv)	Debentures and Bonds	20,963.01	20,847.01	4,378.51	25.06	658.25	-	-	21,222.09	21,214.48	4,919.51	-	764.67	-	-
(v)	Subsidiaries, associates and joint ventures	-	-	-	-	-	627.21	627.21	-	-	-	-	-	807.79	807.79
(vi)	Others	-	-	304.93	198.83	951.44	-	-	-	-	304.93	-	981.52	-	-
Total		**109,168.89**	**106,422.18**	**43,494.60**	**2,559.77**	**2,933.62**	**627.21**	**627.21**	**98,765.04**	**99,386.69**	**39,287.52**	**1,119.04**	**3,005.15**	**807.79**	**807.79**
Less: Provisions for impairment / NPI		-	-	655.49	9.49	846.46	-	-	-	-	666.76	9.49	920.52	-	-
Net		**109,168.89**	**106,422.18**	**42,839.11**	**2,550.28**	**2,087.16**	**627.21**	**627.21**	**98,765.04**	**99,386.69**	**38,620.76**	**1,109.55**	**2,084.63**	**807.79**	**807.79**
II.	**Investments outside India**	-	-	-	-		47.49	47.49	-	-	-	-	-	47.49	47.49
(i)	Government securities (including local authorities)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i)	Subsidiaries, associates and joint ventures	-	-	-	-		47.49	47.49	-	-	-	-	-	47.49	47.49
(iii)	Other investments	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
Total		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.49**	**47.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.49**	**47.49**
Less: Provisions for impairment/ NPI		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net		**-**	**-**	**-**	**-**		**47.49**	**47.49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.49**	**47.49**
Total investments (I+II)		**109,168.89**	**106,422.18**	**43,494.60**	**2,559.77**	**2,933.62**	**674.70**	**674.70**	**98,765.04**	**99,386.69**	**39,287.52**	**1,119.04**	**3,005.15**	**855.28**	**855.28**

b. Fair value hierarchy of investment portfolio measured at fair value on balance sheet

(all amounts in ₹ crore)

		Current Year (2025-26)								Previous Year (2024-25)							
		AFS				FVTPL				AFS				FVTPL			
		Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
I.	**Investments in India**	42,382.01	195.44	261.67	**42,839.11**	2,638.28	749.71	1,400.72	**4,788.71**	38,165.04	219.17	236.55	**38,620.76**	1,536.18	386.09	1,271.91	**3,194.18**
(i)	Government securities	38,517.29	-	-	**38,517.29**	2,106.98	-	-	**2,106.98**	33,778.10	-	-	**33,778.10**	586.76	-		**586.76**
(ii)	Other approved securities	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-			**-**
(iii)	Shares	0.93	-	261.67	**262.60**	370.68	-	949.27	**1,319.95**	17.16	-	236.55	**253.71**	522.79	-	837.56	**1,360.36**
(iv)	Debentures and Bonds	3,863.78	195.44	-	**4,059.22**	132.43	550.87	-	**683.31**	4,369.78	219.17	-	**4,588.95**	378.58	386.09	-	**764.67**
(v)	Subsidiaries, associates and joint ventures	-		-	**-**		-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
(vi)	Others	-	-	-	**-**	28.19	198.83	451.45	**678.47**	-	-	-	**-**	48.05	-	434.34	**482.39**
Total		**42,382.01**	**195.44**	**261.67**	**42,839.11**	**2,638.28**	**749.71**	**1,400.72**	**4,788.71**	**38,165.04**	**219.17**	**236.55**	**38,620.76**	**1,536.18**	**386.09**	**1,271.91**	**3,194.18**
II.	**Investments outside India**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
(i)	Government securities (including local authorities)	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
(ii)	Subsidiaries, associates and joint ventures	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
(iii)	Other investments	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
Total		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total investments (I+II)		**42,382.01**	**195.44**	**261.67**	**42,839.11**	**2,638.28**	**749.71**	**1,400.72**	**4,788.71**	**38,165.04**	**219.17**	**236.55**	**38,620.76**	**1,536.18**	**386.09**	**1,271.91**	**3,194.18**

c. Net gains / (losses) on Level 3 financial instruments recognized in AFS-Reserve and Profit and Loss Account

(Amount in ₹ Crore)

	Current Year	Previous Year
Recognised in AFS-Reserve	22.87	204.09
Recognised in Profit and Loss Account	75.50	210.66

d. Details of sales made out of HTM:

(Amount in ₹ Crore)

		Current Year	Previous Year
A	Opening carrying value of securities in HTM	80,800.00	78,762.00
B	Carrying value of all HTM securities sold during the year	13,266.10	8,500.83
C	Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit	9,242.48	4,771.96
D	Carrying value of securities sold (D=B-C)	4,023.62	3,728.87
E	Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D÷A)	4.98	4.73
F	Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain	286.48	181.13

e. Disclosure with respect to Reclassification between categories of investments:

In terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 the details of reclassification between categories of investments are as follows:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Amount of reclassified investments between categories (viz.,HTM,AFS and FVTPL during the year.	-	-

f. Movement of provisions for non-performing investments (NPIs) and investment fluctuation reserve

(Amount in ₹ Crore)

Particulars		Current Year	Previous Year
i)	Movement of provisions held towards NPIs		
	a) Opening balance	1,596.77	5,614.64
	b) Add: Provisions made during the year	0.45	195.33
	c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	85.78	4,213.20
	d) Closing balance	1,511.44	1,596.77
ii)	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	a) Opening balance	907.16	850.29
	b) Add: Amount transferred during the year	287.82	56.87
	c) Less: Drawdown	-	-
	d) Closing balance	1,194.98	907.16
iii)	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and FVTPL (including HFT) category	2.44	2.09

g. Non-SLR investment portfolio

i. Non-Performing Non-SLR Investments

(Amount in ₹ Crore)

		Current Year	Previous Year
a)	Opening Balance	1,596.77	1,917.24
b)	Additions during the year since April 1	0.45	15.50
c)	Reductions during the above period	85.78	335.97
d)	Closing balance	1,511.44	1,596.77
e)	Total provisions held	1,511.44	1,596.77

ii. Issuer-wise composition of Non-SLR Investments: March 31, 2026

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year	Current year	Previous Year
a)	PSUs	3,539	4,348	25	100	-	-	260	330	2,330	2878
b)	FIs	3,268	3,209	175	1,175	-	-	803	687	910	805
c)	Banks	1,219	1,287	25	400	-	-	71	181	749	386
d)	Private Corporates	2,241	2,131	411	50	304	455	1,016	861	1,205	852
e)	Subsidiaries/ Associate	675	787	-	-	-	-	675	787	675	787
f)	Others	19,059	19,362	-	-	-	-	19,059	19,362	18,892	18,992
	TOTAL	**30,001**	**31,124**	**636**	**1,725**	**304**	**455**	**21,883**	**22,207**	**24,760**	**24,700**
g)	Provision held towards NPI	1,511	1,597	-	-	304	455	1,165	1,142	1,489	1,573
	NET TOTAL	**28,490**	**29,527**	**636**	**1,725**	**0**	**-**	**20,718**	**21,065**	**23,272**	**23,127**

Note: Amounts reported under Column 4,5,6 and 7 above are not mutually exclusive.

h. Repo Transactions (in face value and market value terms)

The details of face value of securities Purchased/Sold under Repo Agreement for the year ended March 31, 2026 are as follows:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars		Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily Average outstanding during the year		Outstanding as on March 31, 2026	
i)	Securities sold under Repo	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
a)	Government Securities	15	15	20,992	20,879	3,513	3,484	20,992	20,879
b)	Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-
ii)	Securities purchased under Reverse Repo								
a)	Government Securities	5	5	31,265	31,581	4,343	4,408	505	489
b)	Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: FV-Face Value, MV- Market Value

The details of face Value of securities Purchased/Sold under Repo Agreement for the year ended March 31, 2025 , are as follows:

Particulars		Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily Average outstanding during the year		Outstanding as on March 31, 2025	
i)	Securities sold under Repo	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
a)	Government Securities	50	52	18,160	18,347	2,616	2,627	11,541	11,595
b)	Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-
ii)	Securities purchased under Reverse Repo								
a)	Government Securities	5	5	1,533	1,549	25	25	175	178
b)	Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: FV-Face Value, MV- Market Value

i. Details of Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms) as on 31.03.2026: -

There are no Government Security Lending (GSL) transactions during the year as well as in Previous year by Bank.

4. Asset Quality:

a) Classification of advances and provisions held

(Amount in ₹ Crore)

	Standard		Non-Performing								Total	
	Total Standard Advances		Sub-standard		Doubtful		Loss		Total Non-Performing Advances			
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Gross Standard Advances and NPAs												
Opening balance	280,876.62	240,404.00	2,383.33	2,294.96	5,720.06	7,559.02	1,121.39	1,486.36	9,224.78	11,340.34	290,101.40	251,744.34
Add: Additions during the year									3,267.31	3,494.58	3,267.31	3,494.58
Less: Reduction during the year									3,307.05	5,610.15	3,307.05	5,610.15
Closing balance	335,331.42	280,876.62	2,890.65	2,383.33	5,222.52	5,720.06	1,071.88	1,121.39	9,185.04	9,224.78	344,516.47	290,101.40
Reductions in Gross NPAs due to:												
i) Upgradation									442.48	659.61	442.48	659.61
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)									1,146.21	1,611.17	1,146.21	1,611.17
iii) Technical/ Prudential Write-offs									1,435.53	3,160.03	1,435.53	3,160.03
iv) Write-offs other than those under (iii) above									282.83	179.34	282.83	179.34
Provisions (excluding Floating Provisions)												
Opening balance of provisions held	2,706.60	2,073.12	1,550.24	588.59	4,603.16	5,840.46	487.49	727.56	6,640.90	7,156.61	9,347.50	9,229.73
Add: Fresh provisions made during the year									1,745.54	2,852.91	1,745.54	2,852.91
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans									1,878.42	3,368.62	1,878.42	3,368.62
Closing balance of provisions held	3,273.93	2,706.60	2,060.74	1,550.24	4,386.56	4,603.16	1,071.88	487.49	6,508.02	6,640.90	9,781.95	9,347.50
Net NPAs												
Opening Balance			802.14	1,678.32	741.11	1,323.63	-	-	1,543.25	3,001.95		
Add: Fresh Additions during the year									2,435.02	2,968.52		
Less: Reductions during the year									2,312.41	4,427.22		
Closing Balance			829.90	802.14	835.96	741.11	-	-	1,665.86	1,543.25		
Floating Provisions												
Opening Balance											-	-
Add: Additional provisions made during the year											-	-
Less: Amount drawn down during the year											-	-
Closing balance of floating provisions											-	-

(Amount in ₹ Crore)

	Standard		Non-Performing								Total	
	Total Standard Advances		Sub-standard		Doubtful		Loss		Total Non-Performing Advances			
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Technical write-offs and the recoveries made thereon												
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts											35,413.56	35,391.28
Add: Technical write-offs during the year											1,435.53	3,160.03
Sub Total (A)											36,849.09	38,551.31
Less: Recoveries made from previously technical written-off accounts during the year (B)*											2,246.90	1,785.09
Less: Upgradation											35.92	6.83
Less: conversion to Regular Write off											2,448.09	1,345.83
Closing balance as at March 31, 2024 (A-B)											32,118.19	35,413.56

*Including Recovery Received through appropriation of CGTSME Claim of ₹0.77 Crore after reversal of Provision against Concerned Technical Write-off Accounts.

General Note: For prudential write off accounts, amounting to ₹1,483.39 Crore (Previous year ₹1,486.77 Crore) and during the year recovery in such accounts is ₹24.54 Crore (Previous year ₹40.45 Crore).

Ratios (in percent)	31.03.2026	31.03.2025
Gross NPA to Gross Advances	2.67	3.18
Net NPA to Net Advances	0.49	0.55
The Provisioning Coverage Ratio with Technical Write Off	95.97	96.54
The Provisioning Coverage Ratio without Technical Write Off	81.86	83.27

b. Sector- wise Advances and Gross NPAs

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Sector	31.03.2026			31.03.2025		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	61,687.39	3,645.23	5.91%	52,456.39	3,659.39	6.98
	Farm Credit	55,803.38	3,453.99	6.19%	46,982.21	3,484.53	7.42
b)	Industry	31,295.15	1,559.34	4.98%	25,149.62	1,438.83	5.72
	Engineering	3,545.78	-	-			
	Other Industries	14,336.33	1,263.04	8.81%	12,667.76	968.34	7.64
c)	Services	38,078.68	1,970.74	5.18%	34,128.32	1,751.04	5.13
	Trade	17,312.85	17.24	0.10%	15,719.95	12.59	0.08
	Other Services	13,170.70	1,953.50	14.83%	17,323.98	1,640.10	9.47
d)	Personal loans	28,033.04	668.28	2.38%	22,911.79	528.12	2.31
	Housing Loan	24,829.89	405.02	1.63%	20,673.49	403.57	1.95
	Subtotal (i)	**1,59,094.26**	**7,843.60**	**4.93%**	**134,646.12**	**7,377.38**	**5.48**
ii)	Non-Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
b)	Industry	42,655.31	642.76	1.51%	41,900.71	1,157.30	2.76
	Textile	4,899.63	-		-	-	-
	Infrastructure	26,034.34	115.85	0.44%	21,669.76	126.98	0.59
c)	Services	67,266.56	18.94	0.03%	54,083.29	218.41	0.40
	NBFC	35,414.31	1.40	-	30,950.39	1.39	-
	DFIs Viz. SIDBI and NABARD	20,508.48	-	-	11,954.95	-	-
d)	Personal loans	75,500.34	679.74	0.90%	59,471.27	471.69	0.79
	Housing Loan	34,182.33	289.45	0.85%	31,500.80	242.62	0.77
	Other Retail Scheme	11,130.11	214.26	1.93%	8,796.68	69.45	0.79
	Sub-total (ii)	**1,85,422.21**	**1,341.45**	**0.72%**	**155,455.27**	**1,847.40**	**1.19**
	Total (I + ii)	**3,44,516.47**	**9,185.04**	**2.67%**	**290,101.39**	**9,224.78**	**3.18**

c. Overseas assets, NPAs and Revenue:

The bank does not have any overseas assets, NPAs and revenues, in both the current and previous year.

d. Particulars of Resolution Plan & Restructuring:

i. Restructuring of advances in terms of RBI's Directions on Resolution of Stressed Assets vide RBI/DOR/2025-26/165 DOR. SRT.REC.84/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025

(Amount in ₹ Crore)

Asset Classification of advances subject to Resolution Plan & restructuring	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Number of Borrower	Amount outstanding	Number of Borrower	Amount outstanding
Standard	4	2,071.13	2	971.75
Sub Standard	-	-	-	-
Doubtful	6	2,751.75	6	2,649.01
Loss	2	535.60	2	971.03
Total	**12**	**5,358.48**	**10**	**4,591.79**

ii. Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during the restructuring process: Equity shares acquired by way of conversion of debt to equity during the restructuring process did not exceed the prescribed regulatory ceilings/ restriction on capital market exposure, investment in para banking activities & intra group exposure.

e. Divergence in asset classification and provisioning:

As per Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025 a bank shall make suitable disclosures as mentioned below, if either or both of the following conditions are satisfied:

i. the additional provisioning for NPAs assessed by RBI as part of its supervisory process, exceeds five per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and

ii. the additional Gross NPAs identified by the RBI as part of its supervisory process exceed five per cent of the reported incremental Gross NPAs for the reference period.

As the divergences are within threshold limit as specified above, no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2024-25.

f. Disclosure of Transfer of Loan Accounts (SMAs & NPAs) in terms of RBI's Directions on Transfer and Distribution of Credit Risk issued vide RBI/DOR/2025-26/159 DOR.STR.REC.No.78/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025

Sale of Loans:

i. Details of stressed loans (NPA) transferred during the Year:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	To ARCs/NARCL		To permitted transferees		To other transferees	
	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
No: of accounts	4	7				
Aggregate principal outstanding of loans transferred	241.11	401.77				
Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-				
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-	-	-	-
Aggregate consideration	139.74	324.97				
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	28.53	35.17				

(*Amount upside)

ii. No excess provision has been reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loan.

iii. The Bank has not transferred any Special Mention Account and loan not in default.

Purchase of Loans:

iv. There are no stressed loans/NPA acquired during the current year as well as in Previous year

v. Details of Standard Assets Acquired through assignment/Novation and Loan Participation:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
No. of accounts Purchased during the year (FY 2025-26)	2,16,006	-
Aggregate outstanding	3,263.58	-
Weighted average maturity (In Months)	22.61	-
Weighted average holding period (In Months)	4.16	-
Retention of beneficial economic interest	10%	-
Coverage of tangible security coverage	100%	-
Rating wise distribution of rated loans	NA	NA

vi. Details of Standard Assets Acquired through assignment/Novation and Loan Participation under Co-Lending:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
No. of accounts Purchased during the year (FY 2025-26)	1,41,977	132,194
Aggregate outstanding	4,592.49	3,635.56
Weighted average maturity (In months)	107.00	123.54
Weighted average holding period (In Months)	NA	NA
Retention of beneficial economic interest	20.40%	20%
Coverage of tangible security coverage	99.12%	75.75%
Rating wise distribution of rated loans	NA	NA

vii. Recovery ratings assigned to Security Receipts held by bank as on 31.03.2026:

Bank is holding an investment of ₹755.67 Crore in security receipts (SR) as on 31.03.2026. Rating wise distribution of the same is as under:

(Amount in ₹ Crore)

Rating of SR	Carrying Value 31.03.2026	Carrying Value 31.03.2025
R1+	31.01	-
R1	227.74	163.12
R2	38.54	2.45
R3	-	-
R5	-	-
Rating Withdrawn	458.38	485.13
Unrated	-	14.26
Grand Total	**755.67**	**664.96**

viii. Statement of Income on Security Receipts from 01.01.2026 to 31.03.2026

(Amount in ₹ Crore)

Date	Name of SR	Amount of upside
23.01.2026	NARCL TRUST 0007	3.19
05.02.2026	EARC TRUST SC 174 SERIES I SR	0.03
12.03.2026	IARC-IARF Fund I	0.99
12.03.2026	IARC-IARF Fund II	0.09
31.03.2026	NARCL TRUST 0007	1.46
31.03.2026	EARC TRUST SC 156 SERIES I SR	0.40
Total		**6.16**

g. Disclosure on Co-Lending Arrangements (CLA):

In accordance with RBI's Directions on Transfer and Distribution of Credit Risk issued vide RBI/DOR/2025-26/159 DOR.STR.REC.No.78/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025 Details of Standard Assets Acquired through assignment/Novation and Loan Participation under Co-Lending Arrangement (CLA):

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2026	
1	No. of Co-Lending Partner Under Revised Co-Lending Arrangement accounts Purchased during the year		2
2	No of Accounts Purchased during (FY 2025-26)		30,948
3	Outstanding of accounts		1,229.40
4	Aggregate O/S as on Qtr. End		1,229.40
5	Weighted Avg Rate of Interest		9.60%
6	Fees Charged during Qtr.		-
7	Fees paid during Qtr.		-
8	Sectors/Segment under CLA	No	Amt
	Retail	29,018	1,199.36
	Agri	1,753	16.22
	Msme	177	13.82
	Corporate	-	-
9	Aggregate Performance of Loan Under CLA	No	Amt
	Standard	30,948	1,229.4
	NPA	-	-
10	Default Loss Guarantee		
	a) Quantum of DLG	-	-
	b) % of Portfolio covered	-	-
	c) Amount invoked during the year (in Crore)	-	-
	d) Outstanding DLG as at year end (in Crore)	-	-

h. Fraud Accounts

In accordance with Reserve Bank of India's Directions on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning vide RBI/DOR/2025-26/164 DOR.STR.REC.83./21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025 and Financial Statements; Presentation and Disclosure Directions vide RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025, details of Fraud and Provision are as below:

Bank holds full provision as applicable against outstanding balance as on 31.03.2026 in respect of frauds reported during the year ended 31.03.2026.

(Amount in ₹ Crore)

Particulars		During the FY Ended 31.03.2026	During the FY Ended 31.03.2025
Number of frauds reported	Borrowal frauds	60	207
	Non-Borrowal frauds (Other than Digital frauds)	26	34
	Digital frauds	-	762
	Total	**86**	**1003**
Total Amount involved in fraud (₹ Crore)	Borrowal frauds	570.72	83.19
	Non-Borrowal frauds (Other than Digital frauds)	14.29	29.04
	Digital frauds	-	5.99
	Total	**585.01**	**118.22**
Amount of provision made for such frauds (₹ Crore)	Borrowal frauds	570.72	80.68
	Non-Borrowal frauds (Other than Digital frauds)	12.17	26.61
	Digital frauds	-	0.01
	Total	**582.89**	**107.16**
Amount of Unmortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ Crore)		Nil	Nil

i. Disclosure related to project finance

In accordance with RBI's Directions on Resolution of Stressed Assets vide RBI/DOR/2025-26/165 DOR.STR.REC.84/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025 the details resolution plan implemented are as under:

Sl. No.	Item Description	Number of accounts	Total outstanding (in ₹ crore)
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter	183	4,402.95
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter	30	177.41
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	54	575.99
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter (1+2-3)	159	4,004.37
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked	-	-
5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented	-	-
5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation	-	-
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed	-	-
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project	-	-
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original / extended DCCO, as the case may be, was funded	-	-
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	-	-

Sl. No.	Item Description	Number of accounts	Total outstanding (in ₹ crore)
7.2	ut of '7', accounts where SBCF was not presanctioned or renewed continuously	-	-
8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked	-	-
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented	-	-
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation	-	-
8.3	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed	-	-

j. Disclosure under resolution framework for COVID-19-related Stress:

i. Disclosure regarding accounts restructured under resolution framework 1.0 & 2.0 as on 31.03.2026

(Amount in ₹ Crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan-Position as at the end of the Previous half-year (A)**	Upgradation during the half year	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year***	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan-Position as at the end of this half-year
Personal Loans #	1,270.04	17.79	24.05	-	68.49	1,195.29
Corporate persons*	436.08	25.31	3.92	-	69.35	388.12
Of which MSMEs	129.56	25.31	3.92	-	12.11	138.84
Others	1,063.98	7.13	21.51	-	90.85	958.75
Total	2,770.10	50.23	49.48	-	228.69	2,542.16

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

** Includes accounts where request received till September 30, 2021 and implemented subsequently. Customer-wise exposure has been taken in disclosure after adjustment of new addition and up gradation of accounts.

*** Includes net change in exposure during the period.

\# Personal loan represents retail advances.

ii. Disclosure on Restructured Accounts to MSME Borrowers:

In accordance with RBI circular no. DBR No. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, DOR No. BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 and RBI/2020-21/17 DOR No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Services Tax(GST), the details of MSME restructured accounts as on March 31, 2026 are as under:

No of Accounts Restructured	Amount (₹ in Crore)
9,586	1,408.14

\# Standard Restructured accounts exposure. The Bank has maintained additional provision on standard restructured accounts at 5% & 10% whichever applicable.

iii. Disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order:

As per directions of RBI vide letter no 10655/21.04.048/2018- 19 dated 21.06.2019 (as amended from time to time) disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order, there are two borrower accounts with cumulative outstanding balance of ₹4.63 Crore as on 31.03.2026 are classified as Standard pursuant to the Court/ NCLT directions/orders. Further, bank is holding provision of ₹1.83 Crore as per IRAC Norms, including provision for unrealized interest.

iv. Disclosure for Provision of Large Borrowal Account:

Pursuant to the amendments issued by the reserve bank of India vide Master Direction-Prudential Norms on Income Recognition, asset Classification & provisioning (IRACP) Direction, 2025, dated December 04, 2025, Paragraph 117 under Chapter IV- Provisioning Norms has been withdrawn.

In view of the above regulatory change, the Bank has reassessed the provisioning requirement relating to provisions maintained under the erstwhile Paragraph 117. Accordingly, provision amounting to ₹170.69 Crore, outstanding as on December 31, 2025 has been reversed during this reporting period.

v. Additional Provisions at higher than prescribed rates:

In compliance to the RBI guidelines on Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances vide RBI/DOR/2025-26/164 DOR.STR.REC.83/21.04.048/2025-26 dated 28.11.2025, Point No. G of chapter IV, Bank, after evaluation of various sectors, had changed the sectors considered as Stress for the purview of additional provision at higher than prescribed rates in Standard Advances in accordance with the Bank's Industry Outlook "Negative Outlook" Sectors. Accordingly Stressed Sector has been reviewed as under.

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No	Sector	Additional Provision Held/ Reversed as on 31.03.2026
1.	Airline Sector (Continued to be covered under Stressed Sector)	0.00
2.	Gems & Jewellery Sector (Continued to be covered under Stressed Sector)	3.11
3.	Meat Sector (Continued to be covered under Stressed Sector)	0.15

Accordingly, Bank has made Additional Provision in Standard Advances in Stressed Sector during March 31, 2026, is ₹3.26 Crore (₹1.67 Crore as on 31.03.2025)

k. Disclosure in respect of Additional Provision to be made as per RBI guidelines on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets dated 28.11.2025:

RBI vide their circular no. RBI/DOR/2025-26 DOR.STR.REC.84/21.04.048/2025-26 Nov 28, 2025 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Asset issued guidelines for implementation of Resolution Plan, also containing requirements of additional provision as per Para 47 of this RBI circular. The outstanding in such cases as at March 31, 2026 is ₹341.18 Crore (₹384.39 Crore for March 31, 2025) and in compliance of the above RBI circular, the Bank has held additional provision of ₹95.49 Crore as at March 31, 2026 (₹127.82 Crore for March 31, 2025) and hold total provision of ₹328.91 Crore (₹213.76 Crore for March 31, 2025) as at March 31, 2026.

Resolution of Stressed Assets:

As per RBI circular RBI/DOR/2025-26/165 DOR.SRT.REC.84/21.04.048/2025-26 dated 28th Nov 2025, the bank has implemented Resolution plans for its 12 borrowers (Total 10 borrowers was there at march 31, 2025) having total exposure ₹5,358.48 Crore (₹4,591.79 Crore as at March 31, 2025) at the time of implementation. The total exposure outstanding in such resolved accounts as at March 31, 2026 ₹1,381.86 Crore (₹1,327.26 Crore for March 31, 2025).

l. Disclosure on Large Exposure framework:

Details of Accounts where bank has exceeded prudential exposure ceilings as per Large Exposure (LE) Framework in respect of any Individual and Group Account based on Tier-1 capital as per RBI Master Directions Ref no.DOR.CRE,.REC.70/07-01-002/2025-26/ on Reserve Bank of India (Commercial Banks Prudential Norms on Capital Adequacy) Directions, 2025 dated November 28, as updated from time to time are as below: -

As of 31.03.2026

Large Exposures to counterparties (Single as well as group of connected counterparties) bank's eligible capital base. (Tier I Capital as of 31.03.2026 ₹33,951.05 Crore)				
Sr. No.	**Borrower/ Customer Name**	**Whether Single (S) or Group (G) of connected Counterparties**	**Exposure Amount**	**Exposure as % of Tier I Capital ₹39,951.05 Crore**
NIL				

m. Disclosure on Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz. Rights, Licenses & Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9: NIL

5. Exposures

a) Exposure to Real Estate Sector

(Amount in ₹ Crore)

Category	31.03.2026	31.03.2025
(A) Direct Exposure		
(i) Residential Mortgages -		
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.	67,787.68	63,994.81
Out of which, Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances.	17,571.04	20,880.21
(Exposure would also include non-fund based (NFB) limits).		
(ii) Commercial Real Estate –		
Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits:	4,515.18	4,563.34
(iii) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures- -Residential -Commercial Real Estate	--	-
(B) Indirect Exposure		
(i) Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	11,810.60	10,948.83
Total Exposure to Real Estate Sector	**84,113.46**	**79,506.98**

b) Exposure to capital market

(Amount in ₹ Crore)

Particulars		31.03.2026	31.03.2025
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	597.96	701.31
ii)	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.57	0.87
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	-	-
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	22.53	20.23
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	340.90	340.93
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	-	-
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	257.61	304.40
	Total Exposure to Capital Market	**1,219.57**	**1,367.74**

Disclosure on details of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from CME limits.

c) Risk Category-wise Country Exposure:

(Amount in ₹ Crore)

Risk Category	Exposure (net) as of March 31st 2026	Provision held as of March 31st 2026	Exposure (net) as of March 31st 2025	Provision held as of March 31st 2025
Insignificant	417.90	-	387.78	-
Low	145.90	-	173.70	-
Moderately Low	-	-	-	-
Moderate	1.94	-	106.51	-
Moderately High	-	-	-	-
High	42.82	-	0.57	-
Very High	2.16	-	4.64	-
Restricted	1.78	-	-	-
Off-Credit	-	-	-	-
Total	**612.50**	**-**	**673.20**	**-**

d) Unsecured Advances

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Total unsecured advances of the bank (FB+NFB+Investment Exposure)	50,905.10	49,142.15
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	-	-
Estimated value of such intangible securities	-	-

e) Factoring Exposures:

There is no factoring exposure for reporting period.

f) Intra-Group Exposures:

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Total amount of intra-group exposures (Including Investment Exposure)	**1,320.50**	**1,552.06**
Total amount of top 20 intra-group exposures (Including Investment Exposure) (There are only 5 entities in this category)	**1,320.50**	**1,552.06**
Percentage of intra-group- exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers (Including Investment Exposure)	0.31%	0.44%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon if any	-	-

g) Disclosure on Movement of Provision on Unhedged Foreign Currency Exposure:

Particulars	For the year ended March 2026	For the year ended March 2025
Opening Balance Provision account	11.22	4.28
The quantum of provisions made in the accounting year (including exchange difference)	21.36	7.96
Amount Reverse during the accounting year	9.96	1.02
Closing balance in the provisions account	22.62	11.22

In accordance with RBI guidelines, as of March 31, 2026, the amount of bank's credit exposure against un-hedged Foreign Currency Exposure of borrowers attracting 80 bps provisions was ₹630.32 Crore. The additional RWA on this exposure is ₹96.59 Crore against this additional minimum capital requirement is ₹11.11 Crore.

Based on the available financial statements and the declarations from borrowers, the Bank has estimated the liability for Un-hedged Foreign Currency in terms of RBI (Commercial Bank's – Credit Risk Management) directions, 2025 vide RBI/DOR/2025-26/157 DOR.CRE.REC.76/07-02-001/2025-26 dated November 28, 2025 and is holding a provision of ₹22.62 Crore as on March 31, 2026 (Previous Year ₹11.22 Crore as on March 31, 2025)

(Amount in ₹ Crore)

Category	31.03.2026	31.03.2025
Unhedged Foreign Currency exposure	99,707.11	26,022.59
Based on the available financial statements and the declaration from borrowers, the Bank has estimated the liability towards Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI (Commercial Bank's – Credit Risk Management) directions, 2025 dated November 28, 2025, and Bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of Unhedged foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures. Provisions held for Unhedged Foreign Currency exposure	22.62	11.22

h) Single Borrower and Group Borrower Exposure Limits:

The bank has taken single borrower exposure & group borrower within the prudential limit prescribed by RBI.

i) Loans against gold and silver collateral:

a. Details of loans extended against eligible gold and silver collateral

Particulars	Loan outstanding		Average ticket size (₹ crore)	Average LTV ratio	Gross NPA
	₹ crore	As % of Total Loans			
1. Opening balance of the FY [(a)+(b)]	15,654.86	100	0.02	70.41	25.98
(a) Consumption loans	4,255.96	27.19	0.01	64.5	16.86
Of which bullet repayment loans	4,230.84	99.41	0.01	64.35	1.82
(b) Income generating loans	11,398.90	72.81	0.01	72.91	9.13
2. New loans sanctioned and disbursed during the FY [(c)+(d)]	28,080.52	100	0.03	52.16	NA
(c) Consumption loans	10,755.18	38.3	0.01	50.18	NA
of which bullet repayment loans	10,747.21	99.93	0.01	50.23	NA
(d) Income generating loans	17,325.34	61.7	0.02	53.47	NA
3. Renewals sanctioned and disbursed during the FY	601.16	100	0.03	64.33	NA
4. Top-up loans sanctioned and disbursed during the FY	NA	NA	NA	NA	NA
5. Loans repaid during the FY [(e)+(f)]	21,395.29	100	0.02	NA	NA
(e) Consumption loans	6,105.25	28.54	0.01	NA	NA
Of which bullet repayment loans	6,098.06	99.88	0.01	NA	NA
(f) Income generating loans	15,290.04	71.46	0.01	NA	NA
6. Non-Performing Loans recovered during the FY [(g) + (h)]	9.23	100	0.03	NA	NA
(g) Consumption loans	3.17	34.38	0.01	NA	NA
of which bullet repayment loans	3.01	94.94	0.01	NA	NA
(h) Income generating loans	6.06	65.62	0.02	NA	NA
7. Loans written off during the FY [(i) + (j)]	3.23	-	0.02	NA	NA
(i) Consumption loans	3.21	-	0.02	NA	NA
of which bullet repayment loans	1.55	-	0.04	NA	NA
(j) Income generating loans	0.02	-	0.01	NA	NA
8. Closing balance at the end of FY [(k) + (l)]	28,782.56	100	0.03	68.03	26.19
(k) Consumption loans	10,836.77	37.65	0.01	63.22	17.46
of which bullet repayment loans	10,812.80	99.78	0.01	63.19	2.79
(l) Income generating loans	17,945.79	62.35	0.02	71.31	8.73

Note: (i) Average LTV ratio is calculated as ratio of sum of LTVs of loans at the time of sanction to total number of such loans.

b. Details of gold and silver collateral and auctions

Sr. No.	Particulars	
(a)	Unclaimed gold or silver collateral at the end of the financial year (in grams)	-
(b)	Number of loan accounts in which auctions were conducted	29
(c)	Total outstanding in loan accounts mentioned in (b) (₹ Crore)	0.45
(d)	Gold or silver collateral acquired during the FY due to default of loans (in grams)	816.52
(e)	Gold or silver collateral auctioned during the FY (in grams)	816.52
(f)	Recovery made through auctions during the FY (in ₹ crore)	0.45
(g)	Recovery percentage:	
(h)	as % of value of gold or silver collateral	
(i)	as % of outstanding loan	100

Note: (i) Weight and value of collateral has been calculated in accordance with the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Credit Facilities) Directions, 2025. (ii) Unclaimed gold or silver collateral means as defined under the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Credit Facilities) Directions, 2025.

j) Exposures to Related Parties

Sr. No.	Particulars	Previous Year	Current Year
	A. Loans to Related Parties		
1	Aggregate value of loans sanctioned to related parties during the year	-	-
2	Aggregate value of outstanding loans to related parties as on March 31	-	-
3	Aggregate value of outstanding loans to related parties as a proportion of total credit exposure as on March 31	-	-
4	Aggregate value of outstanding loans to related parties which are categorized as:	-	-
	(i) Special Mention Accounts as on March 31	-	-
	(ii) Non-Performing Assets as on March 31	-	-
5	Amount of provisions held in respect of loans to related parties as on March 31	-	-
	B. Contracts and Arrangements involving Related Parties		
6	Aggregate value of contracts and arrangements awarded to related parties during the year	-	-
7	Aggregate value of outstanding contracts and arrangements involving related parties as on March 31	-	-

6. Disclosure regarding concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:

a) Concentration of deposits:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Total deposits of the twenty largest depositors	22,256.43	15,822.42
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	4.76%	3.83%

b) Concentration of Advances*

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Total Advances (Credit Exposure) to Top 20 largest borrowers	58,606.60	53,902.10
Total Advances (Credit Exposure)	4,12,040.78	3,40,849.75
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	14.22%	15.81%

*Represent Credit exposure as per RBI Norms

c) Concentration of Exposures**

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Total exposure to twenty largest borrowers/customers	60,337.85	55,397.85
Total Exposure	4,23,884.87	3,53,760.56
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	14.23%	15.66%

** Advances represent credit and investment exposure

d) Concentration of NPAs

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Total Exposure to top twenty NPA accounts	12,886.27	14,553.80
Percentage of exposures to the top twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs	31.20%	32.60%

7. Derivatives

a) Details of derivative portfolio

(Amount in ₹ Crore)

	Current Year			Previous Year		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
Interest Rate Derivatives						
MTM – Assets	113.11	-	-	-	-	-
MTM – Liabilities	107.88	-	-	-	-	-
Net Gain / Loss recognised in Profit &Loss Account	5.23	-	-	-	-	-
Exchange Rate Derivatives						
MTM – Assets	3,076.13	-	-	-	-	-
MTM – Liabilities	4,085.63	-	-	-	-	-
Net Gain / Loss recognised in Profit &Loss Account	(989.78)	-	-	-	-	-
Credit Risk Derivatives						
MTM – Assets	-	-	-	-	-	-
MTM – Liabilities	-	-	-	-	-	-
Net Gain / Loss recognised in Profit &Loss Account	-	-	-	-	-	-
Other Derivatives (specify)						
MTM – Assets	-	-	-	-	-	-
MTM – Liabilities	-	-	-	-	-	-
Net Gain / Loss recognised in Profit &Loss Account	-	-	-	-	-	-

b) Forward rate agreement / Interest rate swap

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	The Notional Principal of Swap agreements	10,063.19	5,470.59
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements.	113.11	37.5
iii)	Collateral required by the bank upon entering swaps	-	-
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	-	-
v)	The fair value of the swap book	113.11	37.5
	*Forward rate Agreement	-	-

i. Nature and Terms of forward rate agreement or Interest rate swaps:

(Amount in ₹ Crore)

Instrument	Nature	Nos	Notional Principal	Benchmark	Terms
IRS	HEDGING	-	-	MIBOR	FIXED PAY VS FLOATING RECEIVABLE
IRS	TRADING	181	4,574.02	MIBOR	FIXED PAY VS FLOATING RECEIVABLE
IRS	TRADING	200	5,489.17	MIBOR	FLOATING PAY VS FIXED RECEIVABLE

c) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	2,563.82	-
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2025 (instrument wise)	294.00	-
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	-	-
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	(3.05)	-

d) Exchange Traded Currency Derivatives:

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives undertaken during the year		
	a) Currency Futures	189.67	-
	b) Currency Options	-	-
ii)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives outstanding as		
	a) Currency Futures	-	-
	b) Currency Options	-	-
iii)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives outstanding and not 'highly effective'		
	a) Currency Futures	-	-
	b) Currency Options	-	-
iv)	Mark-to market value of exchange traded currency derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)		
	a) Currency Futures	-	-
	b) Currency Options	-	-

e) Disclosures on risk exposure in derivatives:

i) Qualitative Risk Disclosures

a) The Bank currently deals in over the counter (OTC) interest rate and currency derivatives as also in Interest Rate Futures and Exchange Traded Currency Derivatives. Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are rupee interest rate swaps and foreign currency interest rate swaps. Currency derivatives dealt by the Bank are USD/INR currency swaps and cross currency swaps. The products are offered to the Bank's customers to hedge their exposures, and the Bank also enters into derivatives contracts to cover off such exposures. Derivatives are used by the Bank both for trading as well as hedging balance sheet items.

b) Derivative transactions carry market risk i.e. the probable loss the Bank may incur because as a result of adverse movements in interest rates/exchange rates and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Policy for Derivatives" approved by the Board prescribes the market risk parameters (Greeks limits, Loss Limits, cut-loss triggers, open position limits, duration, modified duration, PV01 etc.) as well as customer eligibility criteria (credit rating, tenure of relationship, limits and customer appropriateness and suitability of policy (CAS) etc.) for entering into derivative transactions. Credit risk is controlled by entering derivative transactions only with counterparties satisfying the criteria prescribed in the Policy. Appropriate limits are set for the counterparties taking into account their ability to honor obligations and the Bank enters ISDA agreement with each counterparty.

c) The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees efficient management of these risks. The Bank's Market Risk Management Department (MRMD) identifies, measures, monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17: Significant Accounting Policies (SAP) for the financial year 2025-26.

e) Interest Rate Swaps are used for hedging of the assets and liabilities. The trading of Interest rate Swaps are also undertaken by the bank.

f) Majority of the swaps were done with First class counterparty banks.

g) Derivative transactions comprise of swaps which are disclosed as contingent liabilities. The swaps are categorized as trading or hedging.

h) Derivative deals are entered with only those interbank participants for whom counterparty exposure limits are sanctioned. Similarly, derivative deals entered with only those corporates for whom credit exposure limit is sanctioned. Collateral requirements for derivative transactions are laid down as a part of credit sanctions terms on a case-by-case basis. Such collateral requirements are determined based on usual credit appraisal process. The Bank retains the right to terminate transactions as a risk mitigation measure in certain cases.

i) Risk management policy approved by the Board of Directors for the use of derivative instruments to hedge/trade is in place.

j) Policy for forward rate agreement, interest rate swaps, currency futures and interest rate futures for hedging the interest rate risk in investment portfolio and also for market making is in place.

k) The risk management policies and major control measures like stop loss limits, counterparty exposure limits etc. as approved by board of directors are in place.

l) Hedging swaps are marked to market at frequent intervals. Any mark to market gain or losses are booked to P&L account on net basis.

m) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any mark to market gain or losses are booked to P&L account on net basis.

ii) Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2026		31.03.2025	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For hedging	20,832.13	400.00	15,762.99	-
	b) For trading	1,10,777.97	9,957.19	65,116.06	5,470.59
b)	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)	3,076.12	113.11	766.39	37.50
	b) Liability (-)	4,085.63	107.88	791.74	20.04
c)	Credit Exposure	2,632.20	103.57	1,617.58	54.71
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	-	16.59	-	-
	b) On trading derivatives	-	11.47	-	3.28
e)	Maximum and Minimum of 100* PV01 observed during the year				
	a) On hedging	-	Max-16.59 Min-0	-	Max-62.91 Min-35.63
	b) On trading	-	Max-12.56 Min-0.20	-	Max-77.88 Min-3.07

f) Credit Default Swaps

Bank has not taken any position in Credit Default Swap in the financial year 2025-26.

8. Disclosure Relating to securitization

Policy on Securitization of Standard Assets in line with RBI Guidelines has been approved by our Bank's Board. At present our Bank has no exposure under this segment.

9. Off-Balance Sheet SPVs sponsored

The Bank had not floated any off Balance Sheet SPV.

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025
i)	Opening balance of DEAF	2,014.23	1,545.50
ii)	Add: Amount transferred to DEAF during the year	375.03	523.86
iii)	Less: Amount reimbursement by DEAF towards claims	168.55	55.13
iv)	Closing balance of DEAF	2,220.71	2,014.23

Banks shall specify here that the closing balance of the amount transferred to DEA Fund, as disclosed above, are also included under 'Schedule 12-Contigent Liabilities-Other items for which the bank is contingently liable or 'Contingent Liabilities -Others,' as the case may be.

11. Disclosure of Complaints:

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of ombudsman:

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025
	Complaints received by the bank from its customers		
1	Number of complaints pending at beginning of the year	1708	1,086
2	Number of complaints received during the year	48,289	29,417
3	Number of complaints disposed during the year	48,521	28,795
3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	6,740	161
4	Number of complaints pending at the end of the year	236	1,708
	Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5	Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	3,871	3,070
5.1	Of 5, number of complaints resolved in favors of the bank by Office of Ombudsman	3,719	993
5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	152	2,075
5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	1*	2
6	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	-	-

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

* (Award was passed by Office of RBI Ombudsman (ORBIO) Mumbai I on 02.03.2026 for the Complaint no. N202526023769560 of Mr. Niraj Shyam Chaudhary of Branch-Basti, Region-Ayodhya, Zone- Lucknow regarding hold was marked by Central Bank of India arbitrarily i.e. without any order of competent authority.

Customer was informed by ORBIO & also by Central Bank of India Basti Branch to provide letter of acceptance of award to the Bank within 30 days from the date issue of award, otherwise award shall and be of no effect as mentioned in the award order issued by RBI Ombudsman (ORBIO) Mumbai I.

As on 06.04.2026 customer has not provided acceptance of the award, as per para 4(b) of order of the award copy said award is now lapsed and be of no effect.

b) Top five Grounds of Complaints received by the bank from customers:

Grounds of complaints (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the Previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, Number of complaints beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
			FY 2025-26		
ATM Transactions	6,806	2,48,148	(+)91.21	5,198	-
Internet/Mobile/E-banking	858	3,871	(+)130.96	751	-
Facilities for customers visiting the branch etc.	403	4,858	(+)30.79	24	-
A/C Opening/difficulty in operation of account-General Banking	35	368	(+)76.09	7	-
Loans & Advances	75	5,804	(+)83.52	12	-
Others	108	58,148	(+)160.40	350	-
Total	**8,285**	**3,21,197**		**6,342**	**-**

Grounds of complaints (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the Previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, Number of complaints beyond 30 days
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			FY 2024-25		
ATM Transactions	1,904	1,29,775	(+)34.28	6,806	-
Internet/Mobile/E-banking	137	1,676	(+)85.80	858	-
Facilities for customers visiting the branch etc.	102	3,716	(-)29.63	403	-
A/C Opening/difficulty in operation of account-General Banking	1	209	(+)134.83	35	
Loans & Advances	32	3,162	(+)93.75	75	-
Others	814	22,330	(+)19.73	108	-
Total	**2,990**	**1,60,868**		**8,285**	**-**

c) Investors' Complaints:

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2026	Year ended 31.03.2025
1	Pending at the beginning of the year	-	-
2	Received during the year	-	-
3	Redressed during the year	-	-
4	Pending at the end of the year	-	-

12. Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India

Sr. No.	Under provision of Act which the penalty is imposed	Function for which penalty imposed	Amount (in ₹ Crore)
1.	Penalty under Banking Regulation Act, 1949	Regulatory violation of guidelines	0.636
		ATM Cash Dry Out	**0.360
		Currency Chest	0.409
		Banking Ombudsman	0.245
		Incognito Visit	0.028
	Sub Total		**1.677**
2.	Payment and Settlement Systems Act, 2007		-
3.	Penalty under Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)		-
4.	Other Penalties levied by RBI		-
	Grand Total		**1.677**

(Amount Rupees One Crore Sixty-Seven Lacs Seventy Thousand Only)

**Out of ₹0.36 Crore penalty imposed on our bank (ATM cash dry out), an amount of ₹0.008 Crore pertaining to Q1 FY 2025-26 was waived by RBI on 23.07.2025. Total amount of penalty paid to RBI on ATM cash out was ₹0.352 Crore during FY 2025-26.

13. Disclosures on Remuneration

(Amount in ₹ Crore)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2026	31.03.2025
Shri. Kalyan Kumar (w.e.f. 30.09.2025)	Managing Director & CEO	0.21	-
Shri. M V Rao (up to 31.07.2025)	Managing Director & CEO	0.30	0.57
Shri. Vivek Wahi (up to 30.09.2025)	Executive Director	0.33	0.49
Shri. M V Murali Krishna	Executive Director	0.73	0.49
Shri. Mahendra Dohare	Executive Director	0.68	0.42
Shri. E. Ratan Kumar (w.e.f. 24.11.2025)	Executive Director	0.15	-
Total		**2.40**	**1.97**

Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18 – "Related Party Disclosure" issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

Further, transactions in Banker-Customer relationship including those with KMP and relatives of KMP have not been disclosed in terms of Para 5 of AS-18.

14. Other Disclosures

A. Business Ratios

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Items	31.03.2026	31.03.2025
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds (in %)	7.37	7.65
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds (in %)	1.29	1.28
(iii)	Cost of Deposits (in %)	4.82	4.76
(iv)	Net Interest Margin (in %)	3.07	3.40
(v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds (in %)	1.73	1.85
(vi)	Return on Assets (in %)	0.89	0.86
(vii)	Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ Crore)	23.89	21.31
(viii)	Profit per employee (in ₹ Crore)	0.13	0.12

Note: Figures have been regrouped/recalculated to conform the current year classification

B. Provision on Standard Assets

(Amount ₹ in Crore)

Items	31.03.2026	31.03.2025
Provisions towards Standard Assets held	3,273.93	2,706.60

C. Bancassurance Business:

The details of fees/brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them shall be disclosed for both the current year and Previous year.

Fees/brokerage received in respect of the Bancassurance Business undertaken is as under:

Particulars	31.03.2026		31.03.2025	
	No. of policies	Amount (in ₹ Crore)	No. of policies	Amount (in ₹ Crore)
Life	66,390	144.91	59,541	124.25
Non-Life	3,15,398	15.99	3,51,538	17.43
Total	**3,81,788**	**160.90**	**4,11,079**	**141.68**
Mutual Fund	-	0.17	-	0.16
D-Mat & Trading & ASBA Commission	-	1.00	-	0.89
SBI Co-Branded Credit card*	-	0.68	-	2.59

* The co-branded Credit Card arrangement between Central Bank of India & SBI Cards has been discontinued w.e.f. 26.07.2025.

D. Marketing and distribution

There are no Marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken by bank.

E. Disclosure regarding priority sector lending certificates

i. The bank has sold PSLC during FY 2024-25 and FY 2025-26 as follows:

(Amount in ₹ Crore)

Category	Year Ended 31.03.2026	Year Ended 31.03.2025	Commission for FY 2025-26
Small and Marginal Farmers	1,500	1,000	33.97
Agriculture	5,300	6,000	35.90
Micro Enterprises	-	-	-
General	-	-	-
Total	**6,800**	**7,000**	**69.87**

ii. The Bank has not purchased PSLC during FY 2024-25 and FY 2025-26.

F. Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

The Reserve Bank of India (RBI), vide Circular No DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, had deferred the implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) for Scheduled Commercial Banks until further notice, pending requisite legislative amendments and operational preparedness.

Accordingly, the Bank continues to prepare its financial statements in accordance with the relevant circulars and guidelines issued by RBI, and the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, as presently applicable to banks.

Notwithstanding the deferment, the Bank has been undertaking necessary preparatory measures towards implementation of Ind AS.

G. Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in ₹ Crore)

Provisions debited to Profit and Loss Account	31.03.2026	31.03.2025
i) Payment of DICGC Insurance Premium	555.21*	482.10
ii) Arrears in payment of DICGC premium	-	-

*Additional premium claimed by DICGC in respect of exemption in Central/State Government Accounts,

For HY2 of F.Y. 2024-25 ₹11.66 Crore

For HY1 of F.Y. 2025-26 ₹14.19 Crore

Deposit insurance premium as applicable was paid to DICGC within the prescribed timelines.

H. Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by banks:

There are no Letter of Comfort issued during the year as well as in Previous year by Bank.

I. Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025	Cumulative* 31.03.2026	Cumulative* 31.03.2025
Total green deposits raised (A)	274.13	146.10	452.72	187.96
Use of green deposit funds**				
(1) Renewable Energy	274.13	146.10	452.72	187.96
(2) Energy Efficiency				
(3) Clean Transportation				
(4) Climate Change Adaptation				
(5) Sustainable Water and Waste Management				
(6) Pollution Prevention and Control				
(7) Green Buildings				
(8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use				
(9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation				
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	274.13	146.10	452.72	187.96
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	-	-	-	-
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects				

15. Disclosure Requirements as per the Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

a) Accounting Standard – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

(i) Prior Period Items: During the year, there were no material prior period income / expenditure items

(ii) Change in accounting policy:

There are no changes in the Accounting Policies followed during the year ended March 31, 2026, as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2025 except the following:

(iii) Change in accounting estimate:

The Bank has changed its method of depreciation on fixed assets from the Written Down Value (WDV) method to the Straight-Line Method (SLM). The useful lives of assets and related changes have been disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies.

As per Accounting Standard (AS) 5 – Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies, a change in the method of depreciation is treated as a change in an accounting estimate and is applied prospectively. Accordingly, the impact of these changes has been recognized in the current year.

The impact of the aforesaid changes has resulted in a decrease in depreciation and an increase in profit before tax of ₹49.30 Crore for the year ended March 31, 2026.

b) Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

c) Accounting Standard 11 – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by the ICAI which is also described in item No. 7 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

d) Accounting Standard-15 "Employee Benefits":

i. Defined Benefit Plans, Employee's pension plan and Gratuity plan

The following table sets out the status of the Defined Benefit Pension Plans and Gratuity Plan as per Actuarial Valuation by the independent Actuary appointed by the parent bank: -

ii.

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Change in the Present Value of the Defined Benefit Obligation	FY (25-26)	FY (24-25)	FY (25-26)	FY (24-25)
Opening Defined Benefit Obligation April 1, 2025	18,318.02	17,504.59	1,874.26	1,752.82
Current Service Cost	150.86	140.57	146.56	129.14
Interest Cost	1,254.78	1,260.33	100.64	95.69
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	-	-
Actuarial Losses (gains)	1,686.49	1,455.77	67.93	108.50
Benefits Paid	(2,095.85)	(2,043.25)	(197.13)	(211.89)
Direct Payment by Bank	-	-	-	-
Closing Defined Benefit Obligation at March 31, 2026	**19,314.30**	**18,318.01**	**1,992.27**	**1,874.26**

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
Change in Plan Assets	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY (25-26)	FY (24-25)	FY (25-26)	FY (24-25)
Opening Fair Value of Plan Assets as at April 1, 2025	18,171.85	17,372.81	1,853.76	1,726.03
Expected Return on Plan Assets	1,172.99	1,177.29	126.06	125.72
Contributions by Employer	1,581.93	1,525.68	196.98	252.26
Expected Contributions by the employees	-	-	-	-
Benefits Paid	(2,095.85)	(2,043.25)	(197.13)	(211.89)
Actuarial Gains /(Loss)on Plan Assets	334.34	139.32	1.81	(38.36)
Closing Fair Value of Plan Assets as at March 31, 2026	**19,165.26**	**18,171.85**	**1,981.48**	**1,853.76**

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
Amount Recognized in the Balance Sheet	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY (25-26)	FY (24-25)	FY (25-26)	FY (24-25)
Present Value of Funded obligation at March 31, 2026	19,314.30	18,318.01	1,992.27	1,874.26
Fair Value of Plan Assets at March 31, 2026	(19,165.26)	(18,171.85)	(1,981.48)	(1,853.76)
Unrecognized past service Cost	-	-	-	-
Deficit/(Surplus)	149.04	146.16	10.79	20.50
Net Liability/(Asset)	**149.04**	**146.16**	**10.79**	**20.50**

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
Net Cost Recognized in the Profit and Loss Account	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	FY (24-25)	FY (25-26)	FY (24-25)
Current Service Cost	150.86	140.57	146.56	129.14
Past Service Cost-Recognized	-	-	-	-
Interest Cost	1,254.78	1,260.33	100.64	95.69
Expected Return on Plan Assets	(1,172.99)	(1,177.29)	(126.06)	(125.72)
Net Actuarial Losses/(Gain) Recognized During the Year	1,352.15	1,316.45	66.12	146.86
Total Cost of Defined Benefit Plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for Employees"	**1,584.80**	**1,540.06**	**187.27**	**245.97**

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
Reconciliation of Expected Return and Actual Return on Plan Assets	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	FY (24-25)	FY (25-26)	FY (24-25)
Expected Return on Plan Assets	1,172.99	1,177.29	126.06	125.72
Actuarial Gain/(loss)on Plan Assets	334.34	139.32	1.81	(38.36)
Actual Return on Plan Assets	1,352.15	1,316.61	127.87	87.36

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
Reconciliation of Opening and Closing Net Liability /(Asset) Recognized in Balance Sheet	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	FY (24-25)	FY (25-26)	FY (24-25)
Opening Net Liability /(Asset) as at April 1, 2025	146.17	131.77	20.50	26.78
Expenses as Recognized in Profit and Loss Account	1,584.80	1,540.07	187.27	245.97
Employer's Contribution	(1,581.93)	(1,525.68)	(196.98)	(252.25)
Net Liability/(Assets) Recognized in Balance Sheet	**149.04**	**146.16**	**10.79**	**20.50**

Investment under Plan Assets of Pension Funds & Gratuity Fund as on March 31, 2026 are as follows-

CATEGORY OF ASSETS	PENSION FUND	GRATUITY FUND
	% OF PLAN ASSETS	% OF PLAN ASSETS
State Govt. Securities	13.03	24.02
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	11.93	20.60
Mutual Funds	3.31	5.34
Insurer Managed Funds	71.54	44.10
Others	0.20	5.94
Total	**100%**	**100%**

CATEGORY OF ASSETS	Pension Plan	
	Current Year	Previous Year
	FY (25-26)	FY (24-25)
Discount Rate	7.60	6.85
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.60	6.85
Salary Escalation Rate	6.00	5.50
Pension Escalation Rate	4.75	4.00
Attrition Rate	2.50	2.50
Mortality Table	**IALM (2006-08)**	

Principal Actuarial Assumptions	GRATUITY PLANS	
	Current Year	Previous Year
	FY (25-26)	FY (24-25)
Discount Rate	7.25%	6.80%
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.25%	6.80%
Salary Escalation Rate	6.00%	5.50%
Attrition Rate	2.50%	2.50%
Mortality Table	**IALM (2012-14)**	

(Amount ₹ in Crore)

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN					
GRATUITY PLAN	**YEAR ENDED**				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
Liability at the end of the year	1,730.20	1,651.72	1,752.82	1,874.26	1,992.27
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,630.51	1,637.42	(1,726.03)	(1,853.76)	(1,981.48)
Difference	99.69	14.30	26.79	20.50	10.79
Amount Recognized in the Balance Sheet	99.69	14.30	26.79	20.50	10.79

(Amount ₹ in Crore)

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN					
EXPERIENCE ADJUSTMENT	**YEAR ENDED**				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
On Plan Liability (Gain)/ Loss	145.94	(15.07)	122.94	108.50	67.93
On Plan Asset (Loss) / Gain	45.41	(54.23)	31.64	(38.36)	1.81

(Amount ₹ in Crore)

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN					
PENSION PLAN			**YEAR ENDED**		
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
Liability at the end of the year	16,237.43	16,729.00	17,504.59	18,318.01	19,314.30
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	15,807.88	16,483.92	17,372.81	18,171.85	19,165.26
Difference	429.55	245.08	131.78	146.16	149.04
Amount unrecognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	277.43	-	-	-	-
Amount Recognized in the Balance Sheet	152.12	245.08	131.78	146.16	149.04
Amount Recognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	544.52	277.43	-	-	-

(Amount ₹ in Crore)

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN					
EXPERIENCE ADJUSTMENT			**YEAR ENDED**		
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
On Plan Liability (Gain)/ Loss	847.41	1,126.87	1,199.14	1,455.77	1,686.49
On Plan Asset (Loss) / Gain	98.07	1,013.25	191.75	139.32	334.34

The expected contribution to the Pension and Gratuity fund for the of March 2026 is ₹149.04 crore and ₹10.79 Crore respectively which is to be received in the FY 2026-27.

iii. Defined Contribution Plan:

The bank has a defined contribution pension scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining bank on or after 01/04/2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. Protean eGov Technologies Ltd (Formerly NSDL e-Governance Infrastructure Limited) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During 2025-26, the bank has contributed ₹339.90 crore (Previous year ₹300.26 crore).

iv. Employees' Provident Fund:

During the year bank has recognized expenses of ₹0.37 Crore and corresponding year ₹0.54 Crore on account of employer contribution for the employees covered under PF option Scheme i.e. PF Optees.

e) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

During the year bank has recognized expenses of ₹90.90 crore (Previous Year ₹232.31 crore) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

f) Provision for Contractual Employees as per new wages code:

During the year Bank has made Total provision of ₹0.29 Crore against the gratuity liability of total 35 Employees (Contractual/ Fixed Term basis) as per new wages code.

Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) - Privilege Leave Benefits

(Amount ₹ in Crore)

Asset and Liabilities		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
Defined Benefit Obligation	1,532.39	1,435.82
Fair Value of Plan Assets	1,579.55	1,429.82
Net Liability (Asset)	(47.16)	6.00

Financial Assumptions		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
Discount Rate	7.25%	6.80%
Salary Growth Rates	6.00%	5.50%

Withdrawal rates Per Annum		
Age Band	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
25& Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality) IALM		
Age (In Years)	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

g) Other Long Term Employee Benefits

Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) – Retirement Benefits

(Amount ₹ in Crore)

Asset and Liabilities		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
Defined Benefit Obligation	6.95	7.68
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	6.95	7.68

Financial Assumptions		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
Discount Rate (P.a)	7.25%	6.80%
Inflation Rate (p.a)	-	-
Expected Rate of Return (p.a)	Not Applicable	Not Applicable

Withdrawal rates Per Annum		
Age Band	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
25& Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality) IALM		
Age (In Years)	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) – Long Service Benefits

(Amount ₹ in Crore)

Asset and Liabilities		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
Defined Benefit Obligation	1.74	1.52
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	1.74	1.52

Financial Assumptions		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
Discount Rate (P.a)	7.25%	6.80%
Inflation Rate (p.a)	-	-
Expected Rate of Return (p.a)	Not Applicable	Not Applicable

Withdrawal rates Per Annum		
Age Band	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
25& Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality) IALM		
Age (In Years)	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

h) Accounting Standard 17 –

Segment Reporting

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India the Bank has recognized Treasury Operations Corporate/ Wholesale Banking Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

Primary (Business Segment)

The following are the primary segments of the Bank: -

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business.

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organizational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury –

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking –

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts, Trust / Partnership Firms Companies and statutory bodies which are not included under Retail Banking and Stressed Assets Management Branch. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients.

iii. Retail Banking –

The Retail Banking Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. The Retail Banking Segment consists of all exposures up to a limit of ₹7.50 Crore (including Fund Based and Non-Fund Based exposures) subject to orientation product granularity criteria and individual exposures. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. Other Banking business –

Segments not classified under (1) to (3) above are classified under this primary segment.

Secondary (Geographical Segment)

Geographical Segment: Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

As per RBI's Financial Statements, Presentation and Disclosure Directions vide RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC. No.86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025, for disclosure under Accounting Standard 17, Segment reporting, 'Digital Banking' has been identified as a sub-segment under Retail Banking by the Reserve Bank of India (RBI). However, as the proposed Digital Banking Unit (DBU) of the Bank has not yet commenced operations, hence applicability of the said reporting will be on approval of RBI.

(Amount in ₹ Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**
Revenue	13,556.83	12,619.40	9,831.45	8,536.34	18,462.45	17,871.74	-	-	**41,850.73**	**39,027.48**
Result	2,086.07	2,471.05	1,512.72	447.70	2,817.45	2,230.48	-	-	**6,416.24**	**5,149.23**
Unallocated Expenses#									**18.10**	**(214.96)**
Operating Profit									**6,434.34**	**4,934.27**
Income Taxes									**2,065.74**	**1,149.01**
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
Net Profit									**4,368.60**	**3,785.26**
Other Information:										
Segment Assets	2,11,768.25	1,83,664.54	1,21,810.87	1,08,090.06	2,06,191.90	1,75,902.37	-	-	**5,39,771.02**	**4,67,656.97**
Unallocated Assets									**9,708.54**	**11,471.16**
Total Assets									**5,49,479.56**	**4,79,128.13**
Segment Liabilities	2,01,309.70	1,73,220.59	1,21,230.60	1,03,819.31	1,88,468.71	1,65,582.14	-	-	**5,11,009.01**	**4,42,622.04**
Unallocated Liabilities									**-**	**-**
Total Liabilities									**5,11,009.01**	**4,42,622.04**

Note: Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

Unallocated Expenses represents net result of unallocated income & unallocated expenses.

The Bank has only one geographical segment i.e. Domestic Segment

i) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

i. List of Related Parties:

Key Managerial Personnel –

Name of Director		Designation
i)	Mr. Kalyan Kumar (w.e.f. 30.09.2025)	Managing Director & CEO
ii)	Mr. Matam Venkata Rao (up to 31.07.2025)	Managing Director & CEO
iii)	Mr. Vivek Wahi (up to 30.09.2025)	Executive Director
iv)	Mr. M V Murali Krishna	Executive Director
v)	Mr. Mahendra Dohare	Executive Director
vi)	Mr. E. Ratan Kumar (w.e.f. 24.11.2025)	Executive Director

ii. Subsidiaries –

i) Cent Bank Home Finance Limited
ii) Cent Bank Financial Services Limited

iii. Associates -

i) Insurance Companies
a. Generali Central Insurance Company Limited
b. Generali Central Life Insurance Company Limited
ii) Regional Rural Banks (associates till 30.04.2025) –
a. Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Bihar)
b. Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (West Bengal)
iii) Indo – Zambia Bank Ltd., Zambia

iv. Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

(Amount in ₹ Crore)

Items/Related Party	Generali Central Insurance Company Limited	Generali Central Life Insurance Company
Outstanding as at 31-03-2026		
Investment	4.75	2.36
Deposits	1.27	3.91
Advances	-	-
Non-funded commitments	-	-
Leasing/HP arrangements	-	-
Leasing/HP arrangements availed	-	-
Fixed Assets	-	-
Other Assets	-	-
Other Liabilities	-	-
Maximum outstanding during the year		
Investment	11.91	3.22
Deposits	8.73	58.15
Advances	-	-
Non-funded commitments	-	-
Leasing/HP arrangements	-	-
Leasing/HP arrangements availed	-	-
Deposits	-	-
Advances	-	-

(Amount in ₹ Crore)

Items/Related Party	Generali Central Insurance Company Limited	Generali Central Life Insurance Company
Total of transaction During the year		
Insurance Premium Paid	-	0.20
Commission Received	-	-
Interest Paid	-	-
Interest Received	-	-
Claim Received	-	-
Purchase of fixed assets	-	-
Sale of fixed assets	-	-
Rendering of services	8.57	62.16
Receiving of services	2.76	4.32
Dividend Paid	-	-

j) Accounting Standard -10 & Accounting Standard - 19 & (Freehold & Leases)

i. The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2024 based on valuation reports of external independent valuers' and approved by the Board of Directors and ₹490.00 Crore (₹329.98 Crore for Freehold properties and ₹160.02 Crore for Leasehold properties) increases in value thereof have been credited to Revaluation Reserve Account.

ii. In case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹60.71 Crore up to March 2026 (Previous year ₹163.08 Crore) is transferred from 'Revaluation Reserves' and credited to "Revenue and Other Reserves".

iii. Land obtained on lease by bank includes market value as on 31.03.2026 is ₹6.51 Crore (Previous year ₹6.51 Crore) with written down value of ₹5.35 Crore (Previous year ₹5.58 Crore), the lease period of which has expired, and the bank is still having its offices/building on these lands.

iv. As per AS-19, operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

a) Liability for Premises taken on non-cancellable operating lease are ₹ NIL as on 31.03.2026.

b) Amount of lease payments recognized in the P&L Account for operating leases is ₹535.63 Crore as on 31.03.2026 (Previous year ₹521.53 Crore).

v. Additional Disclosure:

The title of property amounting to ₹37.13 Crore (Revalued value as on Mar-21) acquired on disposal of security has been got registered by the bank in its favor during the financial year 2024-25. As the matter with the borrower is sub-judice neither the rent received on such property has been accounted for as income nor the property has revalued after 31.03.2021 to reflect its market value.

k) Accounting Standard 20 – Earnings per Share

i. Earnings per share as per AS 20 have been arrived at as follows:

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	4,368.60	3,785.26
Weighted Average number of Equity Share (No.)	9,05,14,01,274	8,68,49,99,288
Basic Earnings per Share (₹)	4.83	4.36
Diluted Earnings per Share (₹)	4.83	4.36
Nominal Value per Share (₹)	10	10

l) Accounting Standard 21– Consolidated Financial Statements:

The financial results of the associates and subsidiaries have been consolidated with the parent bank in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

m) Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income

i) During the quarter and year ended March 31, 2026, the Bank revised its estimates relating to measurement of Deferred Tax Assets (DTA) in view of amendments under the Income Tax Act, 2025 as amended by the Finance Act,2026, particularly with respect to utilization of MAT Credit. Further, considering the Tax Benefit & utilization of MAT Credit Entitlement the Bank's management is of the view that from Tax period 2026-27 bank will opt new tax Regime.

Accordingly, the Bank has remeasured its net Deferred Tax Assets as per AS 22 – "Accounting for Taxes on Income" using the tax rate of 25.168% (previously 34.944%), resulting in a one-time charge of ₹632.39 Crore to the Statement of Profit and Loss for the quarter ended March 31, 2026. Net DTA recognized amounts to ₹1,628.06 Crore as of March 31, 2026 (previous year: ₹3,145.57 Crore).

Further, the Bank has opted to continue with the existing tax regime for Financial Year 2025-26 and recognized current tax at 34.944% (instead of 25.168%) to preserve MAT Credit Entitlement outstanding in the books as on March 31, 2026.

ii) Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹1,628.06 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as of March 31, 2026 taking applicable tax rate of 25.168%. Component of deferred tax assets/ liabilities as on March 31, 2026 are as under:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred tax Liability	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Business Loss	-	1,436.33		
Provision for Leave Encashment, Sick leave & UCL Fund	401.91	526.26		
Provision for Loans and Advances	979.31	1,343.78		
Provision for Restructured Standard Assets	480.61	429.77		
Provision for Standard Assets	313.67	412.09		
Depreciation on Fixed Assets	47.61	36.79		
Interest on Income Tax Refund		-	106.59	35.08
Interest accrued but not due on investments		-	664.86	799.43
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961		-	38.17	34.94
AFS Reserve		-	(214.57)	170.01
TOTAL	**2,223.11**	**4,185.02**	**595.05**	**1,039.46**
Net Deferred Tax Asset/Liability	1,628.06	3,145.56		

Net decrease in Deferred Tax Assets for the Financial Year 2025-26 is ₹1,517.50 Crore (Previous year ₹1,149.01 Crore) has been recognized in profit & loss account.

n) Accounting Standard 23 –

Accounting for Investments in associates in consolidated financial Statements Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

o) Accounting Standard -24 Discontinuing Operations:

The Bank, during the financial year 2025-26, has not discontinued any of its major business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

p) Accounting Standard 26- Intangible Asset

Particulars	Useful life (No. of years)	Amortization rates used	Amortization method
Software	3	33.33%	Straight Line Method

q) Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as of March 31, 2026, requiring recognition in terms of the Standard

r) Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(Amount in ₹ Crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2026	31.03.2025
Provisions/Depreciation on Investment (NPI)	(120.90)	(306.45)
Provision towards NPA	1,534.16	2,801.74
Provision towards Standard Asset	(115.01)	72.67
Provision made for Taxes	2,065.74	1,149.01
Provision for Restructured Advances	687.60	538.69
Other Provisions	58.03	83.39
TOTAL	**4,109.62**	**4,339.05**

Claims against the bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (schedule 12) includes ₹5,937.71 Crore (Previous year ₹6,519.17 Crore) towards disputed Income Tax liability of the parent Bank. It includes Income tax appeals at various levels by bank and Income tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank based on various judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case. Payments/ adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (schedule 11). Disputed service tax matter and GST matter as on March 31, 2026, is ₹22.92 Crore.

17. Additional Disclosures: -

a) Implementation of the Guidelines on Information Security Electronic Banking Technology Risk Management and Cyber Frauds. The bank has formulated policy/procedures as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No. 6/31. 02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policy/procedures are being reviewed by the management of the bank on periodical basis. The Information Security Management System (ISMS) policy was last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 24.03.2026.

b) Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006: - There has been no reported cases of the delayed payments of the principal amount or interest due to Micro, Small & Medium Enterprises.

c) With reference to the RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) Lending has been undertaken by the bank & accordingly, the outstanding as on 31.03.2026 is ₹10,820.00 Crore Interest income is therefore ₹319.67 Crore.

d) Balancing of Books / Reconciliation:

i. The parent Bank is under process of reconciling the outstanding balances/entries in various heads of accounts included in Inter office adjustment (IBR) account. The Net balance of IBR account as of March 31, 2026, is ₹2.42 Crore (Net Credit) and as at March 31, 2025 is ₹0.26 Crore (Net Credit)

ii. The reconciliation of the following items is in progress:

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- Nostro Accounts
- Balances related to ATM Department
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department and other balances
- Data/System updating of Agricultural and Priority Sector Advances
- Fixed Asset

- Other Assets

- Other Liabilities

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

e) Additional disclosure related to other asset & other liabilities in accordance with RBI's Financial Statements; Presentation and Disclosure Directions vide RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025:

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Schedule 5 other liabilities-IV-5 any item under "others (including provisions)" exceeds 1% of total assets	NIL	NIL
Schedule 11 other asset –VI any item under "others" in other assets exceeds 1% of the total assets	NIL	NIL
Schedule 14-VII "other miscellaneous income" any item under this head exceeds 1% of total income	Recovery received in accounts written off ₹2270.67 Crore which is 5.36% of other Total income.	Recovery received in accounts written off ₹1,716.33 Crore which is 4.37% of other Total income.
Schedule 16-XII "other expenditure" any item under this head exceeds 1% of total income	NIL	NIL

f) The Board of Directors of Central bank of India have approved 4th interim dividend of ₹0.60 per equity share (i.e. 6.00 % on the face value of ₹10 per equity share) for financial year 2025-26.The Bank had already declared interim dividend of total@ 6.00% for the first three quarters for Financial Year 2025-26, Total dividend paid/approved for the financial year ₹1.20 per share i.e. 12.00%.

g) Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm current year's classification.

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

E RATAN KUMAR
Executive Director

KALYAN KUMAR
MD & CEO

B. PURUSHARTHA
Director

MANORANJAN DASH
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

SARADA KUMAR HOTA
Director

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA. ARUN AGARWAL
Partner
M. No. 409937

For **AMIT RAY & CO**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA. ABHISHEK SHARMA
Partner
M. No. 403861

FOR **JAIN PARAS BILALA & CO**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA. PARAS BILALA
Partner
M. No. 400917

For **GARG ASHOK & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 012127N

CA. ASHOK KUMAR
Partner
M. No. 090991

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

Standalone Cash Flow Statement

for the year ended March 31, 2026

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	3/31/2026	3/31/2025
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit/(Loss) before taxes	6,434.33	4,934.27
I	**Adjustments for:**		
	Depreciation on fixed assets	529.50	557.32
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	(120.03)	(306.53)
	Increase/(Decrease) in Reserves on account of Fair Valuation of Investments	(1,317.96)	(757.43)
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	1,534.16	2,801.74
	Provision for Standard Assets	578.73	72.67
	Provision for Other items (Net)	51.04	622.17
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	3.71	24.40
	Dividend Received from Subsidiaries	(17.79)	(8.51)
	Sub total	**7,675.69**	**7,940.10**
II	**Adjustments for :**		
	Increase / (Decrease) in Deposits	55,225.35	27,685.82
	Increase / (Decrease) in Borrowings	9,888.88	1,786.30
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	2,320.67	(1,617.20)
	(Increase) / Decrease in Advances	(56,111.57)	(41,815.33)
	(Increase) / Decrease in Investments	(15,764.86)	2,794.77
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(89.94)	(62.29)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc.)	(357.87)	818.90
	Sub total	**(4,889.34)**	**(10,409.03)**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**2,786.35**	**(2,468.93)**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	4.00	4.44
	Purchase of Fixed Assets	(457.63)	(454.67)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	17.79	8.51
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(435.84)**	**(441.72)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Share Capital (Including Share Premium)	-	1,500.00
	Share Application Money	-	0.00
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(712.82)	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**(712.82)**	**1,500.00**

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	3/31/2026	3/31/2025
D	**Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)**	**1,637.69**	**(1,410.65)**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	22,931.10	22,954.69
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	13,265.75	14,652.81
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	**36,196.85**	**37,607.50**
F	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	18,952.86	22,931.10
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	18,881.68	13,265.75
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	**37,834.54**	**36,196.85**

Notes:

1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.

2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

E RATAN KUMAR
Executive Director

KALYAN KUMAR
MD & CEO

B. PURUSHARTHA
Director

MANORANJAN DASH
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

SARADA KUMAR HOTA
Director

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA. ARUN AGARWAL
Partner
M. No. 409937

For **AMIT RAY & CO**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA. ABHISHEK SHARMA
Partner
M. No. 403861

FOR **JAIN PARAS BILALA & CO**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA. PARAS BILALA
Partner
M. No. 400917

For **GARG ASHOK & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 012127N

CA. ASHOK KUMAR
Partner
M. No. 090991

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

ADB & COMPANY
Chartered Accountants,
First Floor, Mahavir Gaushala Complex,
K.K Road, Moudhapara, Raipur, Chattisgarh-492001

JAIN PARAS BILALA & CO.
Chartered Accwountants,
50 Ka 2, Jyoti Nagar, Jaipur,
Rajasthan-302005

AMIT RAY & CO.
Chartered Accountants,
5-B, Sardar Patel Marg, Prayagraj,
Uttar Pradesh-211001

GARG ASHOK & CO.
Chartered Accountants,
503 Emmar Colonnade, Sector 66,
Golf Course Extn Road, Haryana, Gurugram-122018

Independent Auditors' Report

To
The Members of Central Bank of India
Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Central Bank of India** ("the Parent" or "the Bank"), its subsidiaries (the parent and its subsidiaries together referred to as "the Group"), and its associates, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2026, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement for the year then ended, and Notes to Consolidated Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as " The Consolidated Financial Statements") which includes:

   a) audited standalone financial statements of the Bank audited by us;

   b) audited financial statements of 01 subsidiary-

      (i) Centbank Financial Services Limited - audited by other auditor

   c) unaudited financial statements/financial information of 01 subsidiary and 05 associates-

      (i) Cent Bank Home Finance Limited (Subsidiary Company)

      (ii) Generali Central Insurance Company Limited (Associate Entity from June 05, 2025)

      (iii) Generali Central Life Insurance Company Limited (Associate Entity from June 05, 2025)

      (iv) Indo-Zambia Bank Limited (Associate Entity)

      (v) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate Entity till April 30, 2025)

      (vi) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate Entity till April 30, 2025)

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of the reports of the other auditor on separate financial statements of subsidiary, the unaudited financial statements and other financial information of subsidiary and associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Act"), the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the group & its associates in the manner so required and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

   a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2026;

   b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and

   c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, and circulars and guidelines issued by Reserve bank of India from time to time, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to:

a) Refer Schedule 18 Note no. 3.9 to the Consolidated Financial Statements regarding deferred tax, wherein on the basis of tax review made by the Parent's management with respect to the possible tax benefits arising out of the timing difference, the net deferred tax asset of ₹1617.71 crore is recognised as on March 31, 2026 (₹3134.02 crore as on March 31, 2025).

b) Refer Schedule 14 of the Consolidated financial statements regarding income booked during the financial year 2025-26 included in Other Incomes amounting to ₹8,485 lakhs being the difference in carrying amount of investment in associates (RRB's) mentioned in consolidated financials & actual amount received on disposal of investment.

c) Refer Schedule 18 - Note no.3.1.3 to the Consolidated Financial Statements regarding change in method of depreciation on fixed assets from the Written Down Value (WDV) method to the Straight-Line Method (SLM) by the Parent which has resulted in a decrease in depreciation and an increase in profit before tax of ₹49.30 crores for the year ended March 31, 2026.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our Audit

1. Identification and provisioning of non-performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances (refer Schedule 9 read with Note 3 of Schedule 17 to the Consolidated Financial Statements)
 	
Advances comprise substantial portion of the Group's total assets. Identification of non-performing advances (NPAs) is carried out, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein.
 	
Provisions in respect of such NPAs and restructured advances are made based on management's assessment of the degree of impairment of the advances subject to and guided by the minimum provisioning levels prescribed under RBI guidelines, prescribed from time to time. The provisions on NPAs are also based on the valuation of the security available. In case of restructured accounts, provision is made in accordance with the RBI guidelines.
	Our audit approach included assessment of the design, operating effectiveness of key internal controls over approval, recording and monitoring of loans and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular:
	
	• We have evaluated and understood the Parent Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.
	• We assessed and evaluated the process of identification of NPAs, and corresponding reversal of income and creation of provision.
	• We have analyzed and understood key IT systems/ applications used, operational effectiveness of relevant controls including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.
	• In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI, we have verified whether both CBS system and the management have:
	  • timely recognized the depletion in the value of available security.
	  • made adequate provisioning based on such time-to-time monitoring and identification of asset classification including accounts which meet the criteria for asset classification benefit in accordance with the Reserve Bank of India COVID-19 Regulatory Package.

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our Audit
We identified NPA identification and provision on loans and advances as a key audit matter because of the significant efforts involved by the management in identifying NPAs based on the RBI Guidelines, the level of management judgement involved in determining the provision (including the provisions on assets which are not classified as NPAs), the valuation of security of the NPAs and on account of the significance of these estimates to the Financial Statements of the Group. In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of incorrect value of security, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively.	• We have reviewed on test check basis the reports of the Concurrent Audits, Internal Inspections, Regulatory audits, Revenue audits etc. to ascertain whether the advances are having any shortcomings or adverse features, requiring additional audit procedures. • We placed reliance upon the Independent Auditor's Report of the respective Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning as well as Memorandum of changes suggested both at the branches and at Head Office.
2. Investments Investment portfolio of the Group comprises of investments in government securities, bonds, debentures, shares, security receipts and other approved securities which are classified under three categories: Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit and Loss. Investments comprise a substantial portion of the Bank's total assets. Valuation of Investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 5 of Schedule 17 to the Consolidated Financial Statements) The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc. As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments. Hence, the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/ directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning/ depreciation related to Investments. In particular: • We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Parent Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non- Performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments. • We tested accuracy and compliance for selected sample of investments with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines. • We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. • We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided. • We assessed that the financial statement disclosures appropriately reflected the Bank's exposure to investments valuation risks with reference to the requirements of the prevailing accounting standards and the RBI guidelines.

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our Audit
3. Information technology (IT) systems used in financial reporting process The Bank's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions. The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use. The Parent Bank has an in-house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services. Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive Impact on the Financial Statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular: • We obtained an understanding of the Parent Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. • We tested the design, implementation, and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting including obtaining reports from independent experts. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner. • We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements, information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon.
4. Provisions, Contingent Liabilities and Claims: Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 15 of Schedule 17 and Note No. 3.13 of Schedule 18). There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability. However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/ unascertainable at this stage. Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law, this has been determined as a Key Audit Matter.	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. We broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for provisioning but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank. We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/ or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/ litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.

Other Matters

6. Incorporated in these consolidated financial statements are the:

   (a) We did not audit the financial statements/ information of 1952 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹2,98,880.60 crore as at March 31, 2026 and total revenue of ₹11,985.47 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

   (b) In the conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2613 branches included in the standalone financial statements of the Bank certified by the respective branch's management whose financial statements/ information reflect total assets of ₹99,025.15 crore as at March 31, 2026 and total revenue of ₹6,354.54 crore for the year ended on that date.

   (c) We did not audit the financial statements / information of one subsidiary whose financial statement reflects total assets of ₹78.09 crore as at March 31, 2026 and total revenues of ₹20.24 crore for the year ended on that date as considered in the consolidated financial statements. These financial statements / information have been audited by other auditor whose report has been furnished to us by the management, and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, is based solely on the report of the such auditor.

   (d) The consolidated financial statements include the financial statements / information of one subsidiary whose financial statement reflects total assets of ₹1,892.66 crore as at March 31, 2026 and total revenues of ₹183.84 crore for the year ended on that date as considered in the consolidated financial statements. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary is based solely on such unaudited Financial Statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, these financial statements are not material to the Group.

   (e) The consolidated financial statements include the Group's share of net profit of ₹47.28 crore for the year ended March 31, 2026 in respect of 5 associates (for the respective periods from/ up to the dates of purchase/ cessation of significant influence).These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates is based solely on such unaudited Financial Statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, these financial statements are not material to the Group.

   Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of the above matters.

Information other than the consolidated financial statements and Auditors' report thereon

7. The Bank's Board of Directors is responsible for the Other Information. The Other Information comprises the Corporate Governance Report, the Directors' Report including annexures, Dividend Distribution Policy of Bank, Business Responsibility and Sustainability Report, Management Discussion and Analysis, Key Financial indicators and other Shareholder information, but does not include the Standalone Financial Statements and our auditor's report thereon. The above Other Information is expected to be made available to us after the date of this audit report.

   Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the Other Information and the Pillar 3 disclosures under Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures) and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements, or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

   When we read the Other Information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to Those Charged with Governance (TCWG).

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

8. The Parent Bank's management and Board of Directors are responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associates in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time ("RBI guidelines") and judicial pronouncements. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate

accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error which have been used for the purpose of preparation of the Statement by the Board of Directors of the Bank as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates are responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and its associates.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

9. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
   - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
   - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
   - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group and its associates ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates to cease to continue as a going concern.
   - Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
   - Obtain sufficient appropriate evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group of which we are the independent auditors and whose financial information we have audited, to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

   Materiality is the magnitude of the misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the Consolidated Financial Statements.

   We communicate with those charged with governance regarding of the Bank, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

   We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

   From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors'

report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6, 8 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, based on our audit and on the consideration of reports of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries and associates as noted in the "Other Matters" paragraph, we report, to the extent applicable that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

    b) The transactions, which have come to our notice, have been within the powers of the Group; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Group have been found adequate for the purposes of our audit.

12. As required under the provisions of Section 30(2) of the Banking Regulation Act, 1949 and by the RBI letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report that:

    a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

    b) the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;

    c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

    d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

    e) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

    f) As the Parent Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Parent Bank.

On the basis of the reports of the statutory auditors of one subsidiary incorporated in India, none of the directors of the that subsidiary incorporated in India is disqualified as on March 31, 2026 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

g) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

h) As per para 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of Public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated financial statements.

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA ARUN AGARWAL
PARTNER
M. No.: 409937
UDIN: 26409937RTSFIW3278

For **JAIN PARAS BILALA & CO.**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA PARAS BILALA
PARTNER
M. No.: 400917
UDIN: 26400917SLROFC9677

For **AMIT RAY & CO.**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA ABHISHEK SHARMA
PARTNER
M. No.: 403861
UDIN: 26403861TVDNWL8556

For **GARG ASHOK & CO.**
Chartered Accountants
FRN.: 012127N

CA ASHOK KUMAR
PARTNER
M. No.: 090991
UDIN: 26090991UQMAKH3723

Place : Mumbai
Date : April 30, 2026

Consolidated Balance Sheet

as on March 31, 2026

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	As on 31-Mar-26 ₹	As on 31-Mar-25 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	90,514,012	90,514,012
Reserves and Surplus	2	299,497,387	278,300,775
Minority Interest	2A	921,786	851,657
Deposits	3	4,684,439,999	4,132,709,815
Borrowings	4	318,542,048	218,196,431
Other Liabilities and Provisions	5	116,876,228	83,995,728
TOTAL		**5,510,791,460**	**4,804,568,418**
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	189,529,570	229,314,258
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	188,817,444	132,659,652
Investments	8	1,576,071,527	1,416,522,608
Advances	9	3,382,086,016	2,835,054,044
Fixed Assets	10	51,255,146	52,051,373
Other Assets	11	122,270,020	138,877,587
Goodwill on Consolidation		761,737	88,896
TOTAL		**5,510,791,460**	**4,804,568,418**
Contingent Liabilities	12	2,110,393,595	1,437,119,094
Bills for Collection		97,329,706	82,737,699

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

E RATAN KUMAR
Executive Director

KALYAN KUMAR
MD & CEO

B. PURUSHARTHA
Director

MANORANJAN DASH
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

SARADA KUMAR HOTA
Director

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA. ARUN AGARWAL
Partner
M. No. 409937

For **AMIT RAY & CO**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA. ABHISHEK SHARMA
Partner
M. No. 403861

FOR **JAIN PARAS BILALA & CO**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA. PARAS BILALA
Partner
M. No. 400917

For **GARG ASHOK & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 012127N

CA. ASHOK KUMAR
Partner
M. No. 090991

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

Consolidated Profit and Loss Account

for the year ended March 31, 2026

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	Year Ended 31-Mar-26 ₹	Year Ended 31-Mar-25 ₹
I. INCOME			
Interest Earned	13	361,676,945	337,974,470
Other Income	14	64,154,439	56,582,717
TOTAL		**425,831,384**	**394,557,187**
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	219,260,535	198,296,709
Operating Expenses	16	120,500,558	114,509,442
Provisions and Contingencies		41,235,116	43,573,040
TOTAL		**380,996,209**	**356,379,191**
Share of earning/(loss) in Associates		472,828	1,254,095
Consolidated Net Profit/(Loss) for the period before deducting Minorities Interest		**45,308,003**	**39,432,091**
Less: Minorities Interest		70,129	90,037
III. Consolidated Profit/(Loss) for the period attributable to the Group		45,237,874	39,342,054
Add: -Brought forward consolidated Profit/(Loss) attributable to the Group		55,503,499	28,300,561
Add- Adjustment in Profit & Loss		-	571
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		10,921,494	9,463,145
Transfer to Other Reserve		15,707,141	2,676,542
a. Capital Reserve		1,397,331	883,270
b. Revenue Reserve		13,831	17,841
c. Investment Fluctuation Reserve		2,878,201	-
d. Special Reserve us 36 (1) (viii)		556,098	78,046
Transfer to Dividend			-
a. Interim Dividend- Equity Capital- Jun, Sep & Dec 2025		5,430,840	-
b. Interim Dividend- Equity Capital- Q4 Dividend in corresponding previous FY 24-25		5,430,840	1,697,385
Balance Carried over to the Balance Sheet		74,112,738	55,503,499
TOTAL		**100,741,373**	**67,643,186**
Earnings Per Share (In ₹)- Basic (Nominal Value ₹10/- per share)		5.00	4.53
Earnings Per Share (In ₹)- Diluted (Nominal Value ₹10/- per share)		5.00	4.53

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit and Loss Account

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

E RATAN KUMAR
Executive Director

KALYAN KUMAR
MD & CEO

B. PURUSHARTHA
Director

MANORANJAN DASH
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

SARADA KUMAR HOTA
Director

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA. ARUN AGARWAL
Partner
M. No. 409937

For **AMIT RAY & CO**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA. ABHISHEK SHARMA
Partner
M. No. 403861

FOR **JAIN PARAS BILALA & CO**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA. PARAS BILALA
Partner
M. No. 400917

For **GARG ASHOK & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 012127N

CA. ASHOK KUMAR
Partner
M. No. 090991

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

Schedules forming part of the Consolidated Balance Sheet

as on March 31, 2026

(000's Omitted)

Particulars	AS ON 31-Mar-26		AS ON 31-Mar-25	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		100,000,000		100,000,000
1000,00,00,000 shares of ₹10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :	90,514,012		90,514,012	
(9051401274 Equity Shares of ₹10 each)				
Subscribed Capital	90,514,012		90,514,012	
(9051401274 Equity Shares of ₹10 each)				
Paid up	90,514,012		90,514,012	
(9051401274 Equity Shares of ₹10 each)				
(9051401274 Equity shares (previous year 9051401274 Equity share) of ₹10/- each includes 8080391687 Equity shares of ₹10/- each held by Central Government))				
		90,514,012		**90,514,012**
TOTAL		**90,514,012**		**90,514,012**
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	43,039,372		33,576,227	
Additions during the year	10,921,494		9,463,145	
		53,960,866		**43,039,372**
II. Capital Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	20,046,613		19,163,086	
Additions during the year	1,608,574		883,527	
		21,655,187		**20,046,613**
III. Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	39,216,328		40,847,181	
Additions - Adjustments during the year	-		-	
Less: Transfer to Revenue and Other Reserves	607,145		1,630,853	
Deductions during the year	-		-	
		38,609,183		**39,216,328**
IV. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	85,961,710		74,666,328	
Additions/Adjustments during the year	-		11,295,382	
Reduction during the year	-		-	
		85,961,710		**85,961,710**
V. Other Reserves				
a). Special Reserve U/S 36 (1)(viii)				
Balance as per last Balance Sheet	1,737,959		1,660,319	
Add:- Addition during the year	556,098		78,046	
Less:- Deduction/Adjustment during the year	-		406	
		2,294,057		**1,737,959**

(000's Omitted)

Particulars	AS ON 31-Mar-26		AS ON 31-Mar-25	
	₹	₹	₹	₹
VI. Revenue and Other Reserves				
i). Investment Fluctuation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	9,071,633		8,502,889	
Add:- Addition during the year	2,878,201		568,742	
Less:- Deduction during the year	-		-	
	11,949,834		**9,071,631**	
ii). Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	-		568,742	
Add : Transfer from Revaluation Reserve	-		-	
Add:- Addition during the year	-		-	
Less: Deductions during the year	-		568,742	-
	-		**-**	
iii) AFS Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	4,865,217		-	
Add:- Addition during the year	-		4,865,217	
Additions/Adjustment during the year	-		-	
Less: Deductions during the year	13,390,827		-	
	(8,525,610)		**4,865,217**	
iv) General Reserve Treasury:				
Balance as per last Balance Sheet	(12,439,472)		-	
Add:- Addition during the year	-		36,974,062	
Additions/Adjustment during the year	-		-	
Less: Deductions during the year	-		49,413,534	
	(12,439,472)		**(12,439,472)**	
v). Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	31,297,918		29,649,389	
Add: Transfer from Revaluation Reserves	607,145		1,630,853	
Additions during the year	13,831		17,841	
Less: Deduction/Adjustment during the year	-		165	
	31,918,894		**31,297,918**	
Sub-Total VI- Revenue/Other General Reserve		**22,903,646**		**32,795,294**
VII. Balance in Profit and Loss Account				
Balance as per last balance sheet	55,503,499		28,300,561	
Add:- Adjustment in Profit & Loss	-		571	
Add:- Profit for the year after appropriation of Profit	18,609,239		27,202,367	
		74,112,738		**55,503,499**
TOTAL		**299,497,387**		**278,300,775**

(000's Omitted)

Particulars	AS ON 31-Mar-26		AS ON 31-Mar-25	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 2 A : MINORITY INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	24,500		24,500	
Subsequent increase / decrease	897,286		827,157	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		**921,786**		**851,657**
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	8,350,883		9,295,157	
ii) From Others	207,258,056		193,907,922	
		215,608,939		**203,203,079**
II. Savings Bank Deposits		**2,000,240,110**		**1,817,614,464**
III. Term Deposits				
i) From Banks	6,036,504		7,962,218	
ii) From Others	2,462,554,446		2,103,930,054	
		2,468,590,950		**2,111,892,272**
TOTAL (I,II and III)		**4,684,439,999**		**4,132,709,815**
B. i) Deposits of Branches in India		4,684,439,999		4,132,709,815
ii) Deposits of Branches outside India		-		-
TOTAL (i and ii)		**4,684,439,999**		**4,132,709,815**
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	132,000,000		88,910,000	
ii) Other Banks	75,052,539		25,567,286	
iii) Other Institutions & Agencies	93,170,284		83,719,145	
iv) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	-		-	
v) Upper Tier II Bonds	-		-	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	-		-	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	15,000,000		20,000,000	
		315,222,823		**218,196,431**
II. Borrowings outside India		3,319,225.00		-
TOTAL		**318,542,048**		**218,196,431**
Secured borrowings included in I & II above		253,765,766		157,723,880

(000's Omitted)

Particulars	AS ON 31-Mar-26		AS ON 31-Mar-25	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	11,089,737		9,489,218	
II. Inter Office Adjustments (Net)	24,209		2,552	
III. Interest Accrued	7,193,221		7,938,679	
IV. Deferred Tax Liabilities (Net)	-		-	
V. Others(including provisions)* & Proposed Dividend	98,569,061	**116,876,228**	66,565,279	**83,995,728**
*Includes Provisions for Standard Asset for Q4-2025-26 ₹3280.90 crores (Q4 2024-25 ₹2713.73 crores) & Dividend payable of ₹543.08 crore..				
TOTAL		**116,876,228**		**83,995,728**
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in hand		13,784,372		14,203,351
(including foreign currency notes)				
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	137,515,198		184,110,907	
In Other Accounts	38,230,000		31,000,000	
		175,745,198		**215,110,907**
TOTAL (I and II)		**189,529,570**		**229,314,258**
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	136,767		130,033	
b) In Other Deposit Accounts	-		-	
		136,767		**130,033**
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-		-	
b) With Other Institutions	5,002,454		1,808,962	
		5,002,454		**1,808,962**
TOTAL.... I		**5,139,221**		**1,938,995**
II. Outside India				
a) In Current Accounts	2,069,198		1,226,032	
b) In Other Deposit Accounts	181,609,025		129,494,625	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
TOTAL.... II		**183,678,223**		**130,720,657**
TOTAL.... (I + II)		**188,817,444**		**132,659,652**

(000's Omitted)

Particulars	AS ON 31-Mar-26		AS ON 31-Mar-25	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in :				
i) Government Securities	1,288,786,246		1,119,511,313	
ii) Other approved Securities	-		-	
iii) Shares	14,312,803		16,140,694	
iv) Debentures and Bonds	257,115,146		266,498,865	
v) Associates	4,910,350		6,257,769	
vi) Others				
a) UTI Shares & Commercial Papers				
Mutual Fund Units etc.	6,784,709		4,823,919	
Total I		**1,571,909,254**		**1,413,232,560**
II. Investments outside India in				
i) Government Securities	-		-	
ii) Associates	4,162,273		3,290,048	
iii) Other Investments	-		-	
Total II		**4,162,273**		**3,290,048**
TOTAL (I and II)		**1,576,071,527**		**1,416,522,608**
III. Investments in India :				
Gross Value of Investments	1,587,023,618		1,429,200,294	
LESS: Aggregate of Provision for Depreciation	15,114,364		15,967,734	
Net Investments		**1,571,909,254**		**1,413,232,560**
IV. Investments outside India :				
Gross Value of Investments	4,162,273		3,290,048	
LESS: Aggregate of Provision for Depreciation	-		-	
Net Investments		**4,162,273**		**3,290,048**
TOTAL		**1,576,071,527**		**1,416,522,608**
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	53,341,211		35,239,769	
ii) Cash Credits Overdrafts & Loans repayable on demand	1,652,639,373		1,372,127,805	
iii) Term Loans	1,676,105,432		1,427,686,470	
TOTAL (i,ii and iii)		**3,382,086,016**		**2,835,054,044**
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets Including advances against Book Debts	2,895,799,935		2,301,219,326	
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	23,076,997		18,375,259	
iii) Unsecured	463,209,084		515,459,459	
TOTAL (i,ii and iii)		**3,382,086,016**		**2,835,054,044**

(000's Omitted)

Particulars	AS ON 31-Mar-26		AS ON 31-Mar-25	
	₹	₹	₹	₹
C. Sectorial Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	1,529,714,919		1,289,197,730	
ii) Public Sector	13,953,984		20,016,899	
iii) Banks	369		-	
iv) Others	1,838,416,744		1,525,839,415	
TOTAL (i,ii, iii and iv)		**3,382,086,016**		**2,835,054,044**
TOTAL		**3,382,086,016**		**2,835,054,044**
(II) Advances outside India		-		-

SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS

I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at March 31 of the preceding year	53,840,545		53,752,805	
Additions during the year	65,951		87,740	
Additions on account of revaluation during the year	-		-	
Total	**53,906,496**		**53,840,545**	
Deduction/Adjustments during the year	-		-	
Total	**53,906,496**		**53,840,545**	
Depreciation to date	12,908,295		12,273,298	
TOTAL.... I		**40,998,201**		**41,567,247**
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as on March 31 of the preceding year	33,027,530		43,307,453	
Additions/Adjustments during the year	4,512,575		4,464,169	
Total	**37,540,105**		**47,771,622**	
Deductions/Adjustments during the year	650,691		14,744,093	
Total	**36,889,414**		**33,027,529**	
Depreciation to date	26,632,469		22,543,403	
TOTAL.... II		**10,256,945**	.	**10,484,126**
TOTAL.... (I + II)		**51,255,146**		**52,051,373**
II. Capital-work-in progress	-		-	
Total (I, II & III)		**51,255,146**		**52,051,373**

(000's Omitted)

Particulars	AS ON 31-Mar-26		AS ON 31-Mar-25	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Inter office adjustments (Net)	-		-	
II. Interest accrued	26,533,643		22,961,661	
III. Tax paid in advance/tax deducted at source	35,127,821		37,000,518	
IV. Stationery and Stamps	336,013		272,128	
V. Non-banking assets acquired in Satisfaction of claims	-		-	
VI. Deferred Tax Assets	16,177,088		31,340,208	
VII. Others	44,095,455		47,303,072	
		122,270,020		**138,877,587**
TOTAL		**122,270,020**		**138,877,587**
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		4,205,064		4,173,800
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions *		59,377,056		65,191,711
II. Liability for partly paid Investments		11,270,113		11,780,241
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		1,857,430,740		1,187,035,182
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	107,447,794		99,834,082	
b) Outside India	961,928		338,240	
		108,409,722		**100,172,322**
V. Acceptances Endorsements and Other Obligations		31,904,221		34,669,411
VI. Other items for which the bank is contingently liable		37,796,679		34,096,427
TOTAL		**2,110,393,595**		**1,437,119,094**

*Disputed tax demands under appeals, revision (includes appeals filed by the Income Tax Department of ₹51,30,49,39 ('000s omitted) as at 31st Mar 2026 as against ₹58,02,75,23 ('000s omitted) at 31st Mar 2025. TDS related demands are already provided in the Financials.

Schedules forming part of the Consolidated Profit & Loss Account

for the year ended March 31, 2026

(000's omitted)

Particulars	YEAR ENDED 31-Mar-26	YEAR ENDED 31-Mar-25
	₹	₹
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	241,773,920	224,563,325
II. Income on Investments (Including Dividend)	102,142,154	100,961,969
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	12,538,285	9,164,034
IV. Others	5,222,586	3,285,142
TOTAL	**361,676,945**	**337,974,470**
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	22,329,606	21,804,305
II. Profit on sale of land, buildings and Other Assets	71,415	27
Less: Loss on sale of land, buildings and Other Assets	108,490	243,995
III. Profit on Exchange transactions	1,828,534	2,249,797
Less: Loss on Exchange transactions	-	-
IV. Profit on sale of Investments (Net)**	12,558,908	10,479,077
Less: Loss on sale of Investments**	1,173,751	-
V. Profit on revaluation of Investments	-	1,448,537
Less: Loss on revaluation of Investments	933,308	-
VI. Miscellaneous Income		
a. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	157,898	75,085
b. Others	29,423,627	20,769,884
TOTAL	**64,154,439**	**56,582,717**
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	210,500,459	185,344,052
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	2,548,933	4,700,248
III. Others	6,211,143	8,252,409
TOTAL	**219,260,535**	**198,296,709**
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	76,003,763	72,348,461
II. Rent, Taxes and Lighting	6,881,387	6,730,770
III. Printing and Stationery	348,794	382,216
IV. Advertisement and Publicity	456,159	390,807
V. a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	5,297,631	5,575,736
b) Depreciation on Leased Assets	-	-
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	19,208	11,041
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	540,287	427,268
VIII. Law Charges	632,539	610,454
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	938,417	885,541
X. Repairs and Maintenance	2,172,347	2,080,013
XI. Insurance	5,803,327	4,872,677
XII. Amortisation of Goodwill, if any	-	-
XIII. Other Expenditure	21,406,699	20,194,458
TOTAL	**120,500,558**	**114,509,442**

** Profit/Loss on sale of Investments (Net) includes profit on sale of investment in in Uttar Bihar Gramin Bank amount to 20,22,292 ('000s omitted) and loss on sale of investment in Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank ₹(11,73,751) ('000s omitted)

Notes to Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2026

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONSOLIDATED)

A. Background

Central Bank of India (the Bank) is a body corporate registered under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. The principal business is providing banking and financial services with wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, large corporates, public bodies and institutional customers. The business is conducted through its branches in India. The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

Central Bank of India Group ("the group") presently consists of the parent bank and the following related entities:

Name of the company	Country	Relationship	Proportion of Ownership of Bank
Cent bank Home Finance Ltd.	India	Subsidiary	64.40%
Cent bank Financial Services Ltd.	India	Subsidiary	100.00%
Generali Central Insurance Company Limited (GCICL)	India	Associate	24.91%
Generali Central Life Insurance Company Limited (GCLICL)	India	Associate	25.27%
Indo-Zambia Bank Limited	Zambia	Associate	20%
Uttar Bihar Gramin Bank (UBGB), Muzaffarpur	India	Associate (till April 30, 2025)	
Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank (UBKGB), Cooch Behar	India	Associate (till April 30, 2025)	

B. Basis of preparation:

The consolidated financial statements have been prepared under historical cost conventions except in respect of revaluation of premises, following fundamental accounting assumptions of going concern, consistency, and accrual and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the banking industry in India.

These financial statements have been prepared in accordance with requirements under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949.

C. Basis of Consolidation

Consolidated financial statements of the Group have been prepared on the basis of:

a) Audited financial statements of Central Bank of India (Parent)

b) Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of Parent and after eliminating all material intra-group balances/ transactions, unrealized profit/ losses as per Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statement" issued by the ICAI.

c) Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI.

d) The financial statements of Indo Zambia Bank Limited have been prepared in accordance with applicable local regulatory requirements and/or International Financial Reporting Standards. The financial statements received from the associate form the sole basis for its consolidation in these consolidated financial statements.

The associate follows a calendar year as its accounting period, which differs from that of the Parent Bank. Accordingly, the Parent Bank's proportionate share of profit or loss has been considered based on audited financial statements for the audited period and, for the intervening unaudited period, based on management-certified/unaudited financial information of the associate.

e) The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transaction and other events in similar circumstances and are presented to the extent possible, in the same manner as the Company's separate Financial Statements except as otherwise stated.

f) The subsidiaries may have used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements as the proportion of

the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiaries is insignificant.

Recognition of Goodwill / Capital Reserve on Consolidation of Subsidiaries and Associates:

The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary/associate entities and the Parent's portion of the equity of the subsidiary/associate is recognized in the consolidated financial statements as goodwill / capital reserve, as the case may be.

Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consists of:

a. The amount of equity attributable to the minority as at the date on which investments in a subsidiary is made, and

b. The minority share of movements in equity since date of parent-subsidiary relationship came into existence.

D. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. The management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively from the period of change unless otherwise stated..

E. Significant accounting policies:

1. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice.

2. Revenue recognition:

I Parent Bank

2.1 General

Income/ expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income accounted on cash basis as per regulatory provisions.

2.2 Income from investments

a) The Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account. In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, profit on sale of investments in the Held to Maturity (HTM) category is appropriated (Net of applicable taxes and amount required to be transferred to "Statutory Reserve Account") to the "Capital Reserve Account".

b) Dividend income is recognized when right to receive the dividend is established.

c) Upside on security receipts is recognised on realisation as 'Other income'.

2.3. Sale of financial assets

Financial Assets sold are recognized as under:

a) The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI. When the Bank sells its financial assets to Securitisation Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.

b) In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account in the year of sale.

c) In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

2.4. Fee based income

Commission on letters of credit, bank guarantee and deferred payment guarantee are recognised on accrual basis proportionately over the period. All other commission and fee income are recognised on their realisation.

2.5 Others

Interest on income tax refund is accounted on receipt of refund order(s)/ intimation from Income Tax Department and acceptance by the Bank.

II Subsidiaries

Cent Bank Home Finance Ltd.

a. Interest on Loans

Interest income is recognized on an accrual basis, except in the case of Non-Performing Assets (NPAs), where income is recognized on a realization basis, in accordance with applicable regulatory guidelines.

In respect of loans repayable through Equated Monthly Instalments (EMIs), each instalment comprises principal and interest, with interest computed on the outstanding loan balance at the beginning of the month.

EMIs commence after the completion of the moratorium period. During the moratorium period, pre-EMI interest is recovered.

In the case of NPAs, recoveries are appropriated first towards overdue interest and thereafter towards the principal component of overdue instalments and thereafter to charges.

b. Fees and Other Charges

Income from fees and other charges, such as login fees, penal interest on overdue amounts, prepayment charges, and similar items, is recognized on a cash basis.

c. Income from Investments

Interest income on bank deposits, bonds, and government securities is recognized on an accrual basis. Dividend income is recognized in the year in which the right to receive the dividend is established.

d. Other Income

Interest on income tax refunds and other miscellaneous income are recognized on a cash basis.

Cent Bank Financial Services Ltd.

a. Trusteeship service income, including annual fees, is recognized on a straight-line basis over the period of service, while initial acceptance fees are recognized upon acceptance of the offer letter signifying commencement of services; documentation and ancillary fees are recognized when measurable and realizable.

b. Revenue from debenture and security trusteeship services is recognized on an accrual basis, except in cases involving legal disputes or Non-Performing Assets (NPAs), where income is recognized on a cash basis due to uncertainty of collection.

c. Annual maintenance or holding charges on unallocated funds are recognized on an accrual basis after completion of seven years from the date of unallocation.

d. Penalty charges on unclaimed income are recognized annually on an accrual basis after three consecutive years of being unclaimed, with an additional one-time penalty recognized after ten consecutive years.

e. Portfolio management fees are recognized on an accrual basis based on the value of underlying assets, and interest income on fixed and other term deposits is recognized on an accrual basis using the effective interest rate method, subject to reasonable certainty of collection.

3. Advances:

I Parent bank

3.1 Based on the guidelines/ directives issued by the RBI, loans and advances are classified as performing and non-performing, as follows:

a) The term loan is classified as a non-performing asset, if interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days.

b) An overdraft or cash credit is classified as a non-performing asset, if, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days, or if the credits are not adequate to cover the interest debited during the previous 90 days period.

c) The bills purchased/ discounted are classified as non-performing asset if the bill remains overdue for a period of more than 90 days.

d) The agricultural advances are classified as a non-performing if, (i) for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons; and (ii) for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

e) a working capital borrowal account where irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory;

f) an account where the regular / ad hoc credit limits have not been reviewed / renewed within 180 days from the due date / date of ad hoc sanction;

g) the amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitisation transaction undertaken in terms of the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Securitisation Transactions) Directions, 2025;

h) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

3.2 Non-performing assets are classified into sub-standard, doubtful and loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI

i. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.

ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months or Sub-Standard Accounts where erosion in the value of security by more than 50% of the value assessed by the bank or accepted by RBI at the time of last inspection, as the case may be.

iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off or if the realisable value of the security as assessed by the Bank/approved valuers/RBI is less than 10 percent of the outstanding.

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-standard assets:

i. A general provision of 15% on the total outstanding.

ii. Additional provision of 10% (a total of 25 per cent on the outstanding balance) for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio).

iii. Unsecured Exposure in respect of infrastructure advances where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20%.

Doubtful Assets:	
- Secured portion:	
Up to one year	25%
One to three years	40%
More than three years	100%
- Unsecured portion	100%
Loss Assets	**100%**

Advance covered by guarantees under any existing or future schemes launched by Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing (CRGFTLIH) and National Credit Guarantee Trustee Company Ltd (NCGTC).

In case the advance covered by any existing or future schemes/guarantees launched by CGTMSE, CRGFTLIH and NCGTC becomes nonperforming, no provision need be made towards the guaranteed portion. The amount outstanding, in excess of the guaranteed portion, should be provided for as per the extant guidelines on provisioning for non-performing assets.

3.4 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and claims received from CGTSI/ ECGC, etc.

3.5 For restructured/ rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which inter alia require that the difference between the fair value of the loans/ advances before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, if any, arising out of the above, is reduced from advances.

3.6 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

3.7 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

3.8 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.

3.9 Additional provisions higher than regulatory norms are made in specific assets in view of the identified weakness and/ or prevailing economic situation.

3.10 Partial recoveries in non-performing account (including partially written off accounts) are appropriated in the following order:

i. Principal Overdue / Irregularities

ii. Unrealised interest

iii. Partial Written Off principal

iv. Uncharged Interest

v. Unrealised charges

In case of suit filed/SARFAESI/ recalled accounts, recovery is appropriated in the following order:

i. Ledger outstanding balance

ii. Unrealised interest

iii. Partial Written Off principal

iv. Uncharged Interest

v. Unrealised charges

However, where any borrower account is required to be classified as non-performing from an earlier date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances

In case of Compromise and Resolution/ Settlement through National Company Law Tribunal (NCLT) cases, the recoveries are appropriated as per the terms of respective compromise/ resolution/ settlement. And in case of suit filed accounts, recovery is appropriated as per directives of respective courts.

II Subsidiaries

In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, provisions on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank.

4 Provision for country exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures.

5. Investments:

I Parent bank

Investments are accounted for in accordance with the extant guidelines Reserve Bank of India Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 vide RBI/ DOR/2025-26/162 DOR.MRG.REC.No.81/00-00-001/2025-26 dated 28.11.2025

5.1 Classification:

In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investment portfolio is to be classified (except investments in their own subsidiaries, joint ventures and associates) under three categories, viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit and Loss (FVTPL). Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub- category within FVTPL. Investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held in a distinct category i.e. "SAJV" separate from the other investment categories.

For disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, investments are classified as Investments in India and outside India.

Under each category, the investments in India are further classified as

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures and Bonds

e) Subsidiaries, joint ventures/associates and sponsored institutions; and

Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)The investments outside India are further classified under 3 categories

a) Government Securities

b) Subsidiaries and Joint Ventures/Associates

Other Investments

5.2 Basis of Classification:

Classification of an investment is done at the time of purchase into the following categories:

(a) Held to Maturity: Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)" which meets Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) criteria.

(b) Available for Sale: Investments that the Bank intends to hold till maturity & sale which meets SPPI Criteria.

(c) FVTPL: Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. HFT shall be separate sub-category within FVTPL.

(d) Investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

(e) Only those financial instruments are included in HFT where there is no legal impediment against selling or fully hedging it.

5.3 Valuation:

The transactions in all securities are recorded on a Settlement Date and cost is determined on the weighted average cost method.

A. Incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.

B. Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities are charged to the Profit and Loss Account as revenue expenses.

C. Broken Period interest paid/ received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/ sale consideration.

All the securities have been valued as per extant RBI guidelines and also as per the prices / quotes declared by FIMMDA / FIBIL /AMFI and stock exchanges.

a) Valuation of investments classified as Held to Maturity:

The investments classified under this category are carried at acquisition cost. The difference of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Such amortisation of premium/discount is accounted as expense/income. However, they shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms.

b) Investments in Subsidiaries, Joint ventures and Associates (SAJV)

All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost. A provision is made for diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

c) Valuation of investments classified as Available for sale:

Investments classified as Available for Sale are individually revalued at market price or fair value determined as per the regulatory guidelines. The difference of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Such amortisation of premium/discount is accounted as expense/income. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS is aggregated. The net appreciation or depreciation is credited or debited to AFS- Reserve without routing through the Profit & Loss Account. However, they shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms.

d) Valuation of investments classified as FVTPL (HFT & NON HFT):

Investments classified as FVTPL (HFT & NON HFT) are individually revalued at market price or fair value determined as per the regulatory guidelines. The net Gain or loss arising on valuation is directly credited/debited to the Profit and Loss Account. For securities which meet SPPI criterion, the difference of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Such amortisation of premium/discount is accounted as expense/income. However, they shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms. Fair Valuation of all HFT instruments is done on daily basis and any valuation change is recognised in profit and loss account.

e) Valuation in case of sale of NPA (financial asset) to Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Govt Guaranteed Security Receipts (SRs):

i) If a loan is transferred to an ARC for a value higher than the book value (NBV), the excess provision can be reversed to the Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by Govt of India.

ii) SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received. SRs Outstanding after the final settlement of the government guarantee or the expiry of the guarantee period whichever is earlier, shall be valued at one Rupee (₹1).

f) Valuation in case of sale of NPA (financial asset) to Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Non Govt Guaranteed Security Receipts (SR):

i) When the stressed loan is transferred to ARC at a price below the NBV at the time of transfer, lenders shall debit the shortfall to the profit and loss account for the year in which the transfer has taken place. Banks are permitted to use countercyclical or floating provisions for meeting any shortfall on transfer of stressed loan when the transfer is at a price below the NBV.

ii) On the other hand, when the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, lenders shall reverse the excess provision on transfer to the profit and loss account in the year the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs)/ other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of transfer. Further, such reversal shall be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer.

iii) Investments by lenders in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. Provided that when transferors invest in the SRs/ PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the transferors shall carry the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.

iv) If the investment by the transferor in SRs issued against loans transferred by it is more than 10 percent of all SRs issued against the transferred asset, then the valuation of the SRs on the books of the transferor shall be the lower of the following: i) value arrived as mentioned above ii) face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the loans had continued on the books of the transferor.

g) Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

5.4 Investments (NPI):

Investments are classified as performing and non-performing, based on "Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025" dated 28.11.2025 and "Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances", as under:

a) In respect of debt instruments such as bonds or debentures, Interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days. The same is applied to preference shares where the fixed dividend is not paid.

b) In the case of equity shares, in the event the investment in shares of any company is valued at ₹1 per company on account of non-availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.

c) The Bank also classifies an investment as a non-performing investment, in case any credit facility availed by the same borrower/ entity has been classified as a non-performing asset and vice versa.

d) The investments in debentures/ bonds, which are deemed to be advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

e) Once an investment is classified as NPI it is segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.

5.5 Accounting for Repo/ Reverse Repo transactions

The Bank enters into repurchase and reverse repurchase transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and also with market participants. Repurchase transaction represents borrowing by selling the securities with an agreement to repurchase the securities. Reverse repurchase transactions on the other hand represent lending funds by purchasing the securities.

a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo (other than LAF) are accounted as overnight Tri-party Repo (TREPS) dealing and settlement.

b) However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and contra entries.

c) The above entries are reversed on the date of maturity. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at call & short notice).

d) Interest expended/ earned on Securities purchased/ sold under LAF with RBI is accounted for as expenditure/ revenue.

II Subsidiaries

Investments are classified as current and non-current Investments. Current Investments are carried at lower of cost or market value and non-current investments are carried at cost. Provision for diminution, if any, in the value of the non-current investment is made only, if the diminution in the value is of permanent nature.

In respect of Cent Bank Home Finance Ltd., the gain/loss on account of discount/premium on long term investments made in debentures/bonds and government securities are recognized over the life of the security on a pro-rata basis.

6. Derivatives:

The Bank enters into derivative contracts, such as interest rate swaps, currency swaps and cross currency swaps in order to hedge on balance sheet/ off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes.

6.1 Derivatives used for hedging are accounted as under:

a) In cases where the underlying assets/ liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit and Loss Account.

b) Hedging swaps are marked to market at frequent intervals. Any mark to market gain or losses are booked to P&L account on net basis.

c) Gain or losses on termination of swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swaps or the remaining life of the assets/liabilities.

6.2 Derivatives used for trading are accounted as under:

a) Currency futures and interest rate futures are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and BSE.

b) Mark to market profit or loss is accounted by credit/ debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in the Bank's profit and loss account on final settlement.

c) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any mark to market gain or losses are booked to P&L account on net basis.

d) Gains or losses on termination of swaps are recorded immediately as income/ expense under the above head.

7. Transactions involving foreign exchange:

7.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency.

7.2 Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India ("FEDAI") closing (spot/ forward) rates and the resultant profit or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

Foreign currency non-monetary items, which are carried at historical cost, are reported using the exchange rate on the date of the transaction.

Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

7.3 Outstanding foreign exchange spot and forward contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting Profit or Loss is recognised in the Profit and Loss Account. Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

7.4 Gains/ Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the profit and loss account.

7.5 Accounting procedure in respect to the Forex Derivatives of the bank adheres to the RBI Master Direction No. RBI/DOR/2025-26/162 DOR.MRG.REC.No.81/00-00-001/2025-26 dated 28.11.2025 and provisions of ICAI guidelines on accounting for Derivatives contract (revised 2021).

7.6 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency.

8. Investment Fluctuation Reserve:

Investment Fluctuation Reserve is maintained on continuing basis i.e. at least two percent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:

(1) Net profit on sale of investments during the year.

(2) Net profit for the year, less mandatory appropriations

9. Fixed assets and depreciation:

I Parent bank

9.1 Fixed assets are stated at historical cost less accumulated depreciation/ amortisation and impairment losses, if any. Assets which have been periodically revalued are stated at revalued amount less accumulated depreciation. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, taxes professional fees, etc. incurred on the asset before it is put to use or capable of ready to use whichever is earlier.

9.2 Subsequent expenditure(s) incurred on assets ready to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

9.3 The fixed assets are depreciated using the straight-line method based on useful life of the assets stated as under:

Groups/ Items (As mentioned in Expenditure Policy)	Useful Life	Depreciation Method
Furniture & Fixtures		
a) Office furniture & fixtures	12 Years	SLM
b) Residential furniture & fixtures	12 Years	SLM
Plant & Machinery:		
a) Safe Deposit Vault & Lockers	20 Years	SLM
b) Lifts	20 Years	SLM
c) Cars & Jeeps	8 Years	SLM
d) Other Vehicles (Other than Cars & Jeeps)	8 Years	SLM
e. (i) Air Conditioners/Room Air Conditioners/Watercoolers/Franking Machine/ Calculators/Typewriters/Office/Machinery, Note sorting machine and Equipment/ Heaters/Clocks &Other Machinery & Equipment, etc.	8 Years	SLM
e. (ii) Residential- Electrical/Electronic Items	8 Years	SLM
f) Calculating Machines/Encoders/Advance Ledger	3 Years	SLM
3. Computer /Laptop/I-pad/Software/Mobile etc.		
i). Office - Computers etc.	3 Years	SLM
ii). Residential- Computers etc.	3 Years	SLM

9.4 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. In respect of financial leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and Lease payments for assets taken on Operating lease are recognised as expense in the Profit & Loss account over the lease term.

9.5 In case of assets, which have been revalued, the depreciation/ amortization is provided on the revalued amount and is charged to the Profit and Loss Account. Amount of incremental depreciation/ amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to 'Revenue and Other Reserves'. The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

9.6 Depreciation calculated on assets is charged in the books of accounts on the basis of no. of days from the date of capitalization during the period as Straight-Line Method for calculation of depreciation is implemented w.e.f from April 1, 2025.

9.7 The Bank follows the revaluation model only in respect of immovable properties comprising land and buildings. Revaluation is carried out for immovable properties at regular intervals, at least once every three years, or earlier if warranted by significant changes in market conditions or based on management's assessment. Assets acquired during the preceding three years are not considered for revaluation.

9.8 Assets individually costing less than ₹5,000 per invoice are not capitalised and are charged to the Statement of Profit and Loss in the year of acquisition. However, where such items form an integral part of a larger asset or system, the same are capitalised as part of the respective asset.

II Subsidiaries

Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Cost includes all expenses incidental to expenses to the acquisition of fixed assets.

Depreciation on fixed assets is provided on the straight-line method in accordance with the rates prescribed under Schedule II of the Companies Act, 2013. Intangible assets are amortized over their estimated useful lives.

In respect of Centbank Financial Services Ltd., intangible assets are amortized over a period of five years, based on management's estimate of their economic useful life.

10 Leases:

Operating Lease: Leases where risks and rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS-19 (Leases). Lease payments for assets taken on Operating lease are recognised as expense in the Profit & Loss account over the lease term on straight line basis.

Finance Lease: Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at the inception of the lease and is amortised over the period of lease.

11 Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

For Cent Bank Financial Services Ltd:

The Company assesses at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing is required, the Company estimates the recoverable amount of the asset.

For the purpose of impairment testing, the recoverable amount is determined for individual assets, unless the asset does not generate cash flows that are largely independent of those from other assets. In such cases, the recoverable

amount is determined for the cash-generating unit (CGU) to which the asset belongs.

An impairment loss is recognized in the Statement of Profit and Loss in the period in which it arises.

12. Employee Benefits:

12.1 Employee benefits are accrued in the year in which services are rendered by the employees.

12.2 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

12.3 Defined benefit plans:

The Bank operates Gratuity and Pension schemes which are defined benefit plans.

a) The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to the cap prescribed by the Statutory Authorities. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation.

b) The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules to vested employees on retirement or on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

c) The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/ losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.

d) When the benefits of the plan are changed, or when a plan is curtailed or settlement occurs, the portion of the changed benefit related to past service by employees, or the gain or loss on curtailment or settlement, is recognized immediately in the profit or loss account when the plan amendment or when a curtailment or settlement occurs.

Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique.

e) The Bank has made provision for the payment of gratuity to contractual/fixed term employees towards the liability arises after implementation of new wages code.

f) Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

12.4 Defined Contribution Plan:

Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss account.

National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account

Cent Bank Home Finance Ltd:

As per Accounting Standard-15 "Employee Benefits", Gratuity amount has been set aside on actuarial basis and invested in Group Gratuity Scheme administered by the Life Insurance Corporation of India. Company's contribution in respect of Employees' Provident Fund is made to Employees' Provident Fund Scheme of EPFO and is charged to the Statement of Profit & Loss.

As per HR Policy, an Employee is entitled to encash 100% leaves till date and therefore, the same is determined on the basis of un-availed leave at the rate of the last drawn salary (Basic HRA Special Allowance). Therefore, the Leave Encashment liability is treated as short term Liability under the head "Current Liabilities" and provided for on Accrual basis as per said formula.

Cent Bank Financial Services Ltd:

The Company has a defined benefits plan for post-employment benefit in the form of Gratuity for all eligible employees. The liability for the gratuity is provided on actuarial valuation basis determined by an independent Actuarial valuer.

Liability for leave encashment is provided on actuarial valuation basis determined by an independent Actuarial valuer.

13. Accounting for Taxes on Income:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively.

Deferred tax is recognized on timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization and measured using enacted or substantially enacted tax rates as on balance sheet date Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the Profit and Loss Account.

14. Sundry Unallocated Income and Proceeds

In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, the amounts received on behalf of beneficiaries of whom details about the beneficiaries cannot be ascertained, such amounts have been accounted in nominal account "Sundry Party Unclaimed Dividend / Interest" and "Unallocated / Unclaimed Proceeds on Redemption of Securities".

As and when the details are received from the payer about the beneficiaries, the amount is transferred to the respective beneficiary account.

15. Provisions, Contingencies and Contingent assets:

15.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

15.2 No provision is recognised for:

a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

b) any present obligation that arises from past events but is not recognised because:

i. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

ii. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

15.3 Provision for reward points in relation to the debit card holders of the Bank is made on estimated basis.

15.4 Contingent assets are not recognised in financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16 Special Reserves:

Revenue and other Reserve include Special Reserve created under Section 36(i)(viii) of the Income Tax Act, 1961.

17 Segment Reporting

In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) and in compliance with Accounting Standard 17 – Segment Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank has identified business segments as its primary reporting segments and geographical segments as its secondary reporting segments.

The Bank's operations are presently confined within India and there are no reportable geographical segments outside India. Accordingly, segment reporting disclosures have been presented based on primary (business) segments only.

18 Earnings per Share:

a) The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – "Earnings per Share" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

b) Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

E RATAN KUMAR
Executive Director

KALYAN KUMAR
MD & CEO

B. PURUSHARTHA
Director

MANORANJAN DASH
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

SARADA KUMAR HOTA
Director

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA. ARUN AGARWAL
Partner
M. No. 409937

For **AMIT RAY & CO**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA. ABHISHEK SHARMA
Partner
M. No. 403861

FOR **JAIN PARAS BILALA & CO**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA. PARAS BILALA
Partner
M. No. 400917

For **GARG ASHOK & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 012127N

CA. ASHOK KUMAR
Partner
M. No. 090991

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1. Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated Financial Statements

1.1. The following subsidiaries/associates have been considered for consolidation based on their Financial Statements:

Name of the Subsidiary/Associate	Audited/ Unaudited	Country of Incorporation	Ownership interest as of March 31, 2026	Ownership interest as of March 31, 2025
Cent Bank Home Finance Limited (Subsidiary)	Unaudited	India	64.40%	64.40%
Cent Bank Financial Services Limited (Subsidiary)	Audited	India	100.00%	100.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate till 30.04.2025)	-	India		35.00%
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate till 30.04.2025)	-	India		35.00%
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Unaudited	Zambia	20.00%	20.00%
Generali Central Life Insurance Company Limited (Associate)	Unaudited	India	25.27%	0%
Generali Central Insurance Company Limited (Associate)	Unaudited	India	24.91%	0%

1.2. The financial statements of the Subsidiaries and Associates which are used in the consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of Parent Bank i.e. March 31, 2026, except for Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year and share in profit has been taken on unaudited figures for the financial year ended 31.03.2026. Financial Statement of Indo Zambia Bank is prepared as per the accounting policies adopted under local laws. In the opinion of the Management the impact is not material.

1.3. Disclosure on Acquisition of Stake in Insurance Companies:

Pursuant to Regulation 29 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, the Bank was declared the successful bidder for Category I assets and was issued a Letter of Intent (LOI) on August 20, 2024 by the Resolution Professional in the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of M/s Future Enterprises Limited.

In this regard GCICL (Generali Central Insurance Company Limited) and GCLICL (Generali Central Life Insurance Company Limited) became associate companies of the Bank with effect from June 5, 2025. The relationship is governed by the Shareholders' Agreement (SHA) executed on June 27, 2025. Accordingly, these entities have been accounted for as associates under the equity method in accordance with the applicable accounting standards. The Bank has recognised its share of profit/ loss of these associates from the date of acquisition, i.e., June 5, 2025.

During the year, the Bank further infused additional capital in Generali Central Life Insurance Company Limited, resulting in an increase in its shareholding from 25.18% to 25.27%.

1.4. Amalgamation of Regional Rural Banks:

The Government of India (GoI), vide Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated April 5, 2025, notified the amalgamation of Regional Rural Banks (RRBs) in 11 States/UTs with effect from May 1, 2025. Pursuant to the said amalgamation, Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar ceased to be associate entities of the Parent Bank with effect from May 1, 2025. Accordingly, the Parent Bank has recognized its share of profit/loss of these associates only up to April 30, 2025.

1.5. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary/associate entities and the groups portion of the equity of the subsidiary/associate is recognized in the financial statements as goodwill / capital reserve.

1.6. The accumulated share of profit/ loss of the Parent Bank in the associates has been added to/ reduced from the carrying cost of Investments with corresponding adjustments in accumulated reserves of the Group.

1.7. Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, like other Housing Finance Institutions grant loans for longer tenure, while deposits received/ liabilities are for shorter tenure, resulting in mismatch of assets and liabilities. The same is being addressed by sufficient credit lines available.

1.8. Financial Statements of one of the Subsidiaries are audited by an auditor other than auditor of parent bank the unaudited financial statements of other entities (One Subsidiary and five associates) considered for consolidation have been certified by the respective management. As represented by the management, the impact of these unaudited financial statements on the consolidated financial statements is not material to the Group.

2. The subsidiaries may have used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements as the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiaries is insignificant.

3. Compliance with Accounting Standards Disclosures Requirements as per Accounting Standards:

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.1. Accounting Standard – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

3.1.1. Prior Period Items: During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

3.1.2. Change in accounting policy: There are no changes in the Accounting Policies followed during the year ended March 31, 2026, as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2025, except the following.

3.1.3. Change in accounting estimate: The Bank has changed its method of depreciation on fixed assets from the Written Down Value (WDV) method to the Straight-Line Method (SLM). The useful lives of assets and related changes have been disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies.

As per Accounting Standard (AS) 5 – Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies, a change in the method of depreciation is treated as a change in an accounting estimate and is applied prospectively. Accordingly, the impact of these changes has been recognized in the current year.

The impact of the aforesaid changes has resulted in a decrease in depreciation and an increase in profit before tax of ₹49.30 Crore for the year ended March 31, 2026.

3.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17 of consolidated financial statements.

3.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

3.3.1 Defined Benefit Plans:

3.3.1.1 Defined Benefit Plans, Employee's pension plan and Gratuity plan:

The following table sets out the status of the Defined Benefit Pension Plans and Gratuity Plan as per Actuarial Valuation by the independent Actuary appointed by the Parent bank: -

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Change in the Present Value of the Defined Benefit Obligation	FY(25-26)	FY(24-25)	FY(25-26)	FY(24-25)
Opening Defined Benefit Obligation April 1, 2025	18,318.02	17,504.59	1,874.26	1,752.82
Current Service Cost	150.86	140.57	146.56	129.14
Interest Cost	1,254.78	1,260.33	100.64	95.69
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	-	-
Actuarial Losses (gains)	1,686.49	1,455.77	67.93	108.50
Benefits Paid	(2,095.85)	(2,043.25)	(197.13)	(211.89)
Direct Payment by Bank	-	-	-	-
Closing Defined Benefit Obligation on March 31, 2026	**19,314.30**	**18,318.01**	**1,992.27**	**1,874.26**

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
Change in Plan Assets	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	FY (24-25)	FY (25-26)	FY (24-25)
Opening Fair Value of Plan Assets as at April 1, 2025	18,171.85	17,372.81	1,853.76	1,726.03
Expected Return on Plan Assets	1,172.99	1,177.29	126.06	125.72
Contributions by Employer	1,581.93	1,525.68	196.98	252.26
Expected Contributions by the employees	-	-	-	-
Benefits Paid	(2,095.85)	(2,043.25)	(197.13)	(211.89)
Actuarial Gains /(Loss)on Plan Assets	334.34	139.32	1.81	(38.36)
Closing Fair Value of Plan Assets as at March 31, 2026	**19,165.26**	**18,171.85**	**1,981.48**	**1,853.76**

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
Amount Recognized in the Balance Sheet	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	FY (24-25)	FY (25-26)	FY (24-25)
Present Value of Funded obligation at March 31, 2026	19,314.30	18,318.01	1,992.27	1,874.26
Fair Value of Plan Assets at March 31, 2026	(19,165.26)	(18,171.85)	(1,981.48)	(1,853.76)
Unrecognized past service Cost	-	-	-	-
Deficit/(Surplus)	149.04	146.16	10.79	20.50
Net Liability/(Asset)	149.04	146.16	10.79	20.50

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
Net Cost Recognized in the Profit and Loss Account	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	FY (24-25)	FY (25-26)	FY (24-25)
Current Service Cost	150.86	140.57	146.56	129.14
Past Service Cost-Recognized	-	-	-	-
Interest Cost	1,254.78	1,260.33	100.64	95.69
Expected Return on Plan Assets	(1,172.99)	(1,177.29)	(126.06)	(125.72)
Net Actuarial Losses/(Gain) Recognized During the Year	1,352.15	1,316.45	66.12	146.86
Total Cost of Defined Benefit Plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for Employees"	1,584.80	1,540.06	187.27	245.97

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
Reconciliation of Expected Return and Actual Return on Plan Assets	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	FY (24-25)	FY (25-26)	FY (24-25)
Expected Return on Plan Assets	1,172.99	1,177.29	126.06	125.72
Actuarial Gain/(loss)on Plan Assets	334.34	139.32	1.81	(38.36)
Actual Return on Plan Assets	1,352.15	1,316.61	127.87	87.36

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
Reconciliation of Opening and Closing Net Liability /(Asset) Recognized in Balance Sheet	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY (25-26)	FY (24-25)	FY (25-26)	FY (24-25)
Opening Net Liability /(Asset) as of April 1, 2025	146.17	131.77	20.50	26.78
Expenses as Recognized in Profit and Loss Account	1,584.80	1,540.07	187.27	245.97
Employer's Contribution	(1,581.93)	(1,525.68)	(196.98)	(252.25)
Net Liability/(Assets) Recognized in Balance Sheet	149.04	146.16	10.79	20.50

Investment under Plan Assets of Pension Funds & Gratuity Fund as on March 31, 2026 are as follows-

Category of Assets	Pension Fund	Gratuity Fund
	% of Plan Assets	% of Plan Assets
State Govt. Securities	13.03	24.02
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	11.93	20.60
Mutual Funds	3.31	5.34
Insurer Managed Funds	71.54	44.10
Others	0.20	5.94
Total	**100%**	**100%**

Principal Actuarial Assumptions	Pension Plan	
	Current Year	Previous Year
	FY (25-26)	FY (24-25)
Discount Rate	7.60	6.85
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.60	6.85
Salary Escalation Rate	6.00	5.50
Pension Escalation Rate	4.75	4.00
Attrition Rate	2.50	2.50
Mortality Table	**IALM (2006-08)**	

Principal Actuarial Assumptions	Gratuity Plans	
	Current Year	Previous Year
	FY (25-26)	FY (24-25)
Discount Rate	7.25%	6.80%
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.25%	6.80%
Salary Escalation Rate	6.00%	5.50%
Attrition Rate	2.50%	2.50%
Mortality Table	**IALM (2012-14)**	

(Amount ₹ in Crore)

Surplus/Deficit in the plan					
Gratuity plan	**Year Ended**				
Amount recognized in the Balance Sheet	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
Liability at the end of the year	1,730.20	1,651.72	1,752.82	1,874.26	1,992.27
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,630.51	1,637.42	(1,726.03)	(1,853.76)	(1,981.48)
Difference	99.69	14.30	26.79	20.50	10.79
Amount Recognized in the Balance Sheet	99.69	14.30	26.79	20.50	10.79

(Amount ₹ in Crore)

Experience Adjustment	**Year Ended**				
Amount Recognized in the Balance Sheet	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
On Plan Liability (Gain)/ Loss	145.94	(15.07)	122.94	108.50	67.93
On Plan Asset (Loss) / Gain	45.41	(54.23)	31.64	(38.36)	1.81

(Amount ₹ in Crore)

Surplus/Deficit in the Plan					
Pension Plan	**Year Ended**				
Amount Recognized in the Balance Sheet	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
Liability at the end of the year	16,237.43	16,729.00	17,504.59	18,318.01	19,314.30
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	15,807.88	16,483.92	17,372.81	18,171.85	19,165.26
Difference	429.55	245.08	131.78	146.16	149.04
Amount unrecognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	277.43	-	-	-	-
Amount Recognized in the Balance Sheet	152.12	245.08	131.78	146.16	149.04
Amount Recognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	544.52	277.43	-	-	-

(Amount ₹ in Crore)

Surplus/Deficit in the Plan					
Experience Adjustment	**Year Ended**				
Amount Recognized in the Balance Sheet	**31-03-2022**	**31-03-2023**	**31-03-2024**	**31-03-2025**	**31-03-2026**
On Plan Liability (Gain)/ Loss	847.41	1,126.87	1,199.14	1,455.77	1,686.49
On Plan Asset (Loss) / Gain	98.07	1,013.25	191.75	139.32	334.34

The expected contribution to the Pension and Gratuity fund for the March 2026 is ₹149.04 Crore and ₹10.79 Crore respectively which is to be received in the FY 2026-27.

3.3.1.2 Defined Contribution Plan:

The bank has a defined contribution pension scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining bank on or after 01/04/2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. Protean eGov Technologies Ltd (Formerly NSDL e-Governance infrastructure Limited) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During 2025-26, the bank has contributed ₹339.90 Crore (Previous year ₹300.26 Crore).

3.3.1.3 Employees' Provident Fund:

During the year bank has recognized expenses of ₹0.37 Crore and corresponding year ₹0.54 Crore on account of employer contribution for the employees covered under PF option Scheme i.e. PF Optees.

3.3.1.4 Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

During the year bank has recognized expenses of ₹90.90 Crore (Previous Year ₹232.31 Crore) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

3.3.1.5 Provision for Contractual Employees as per new wages code:

During the year Bank has made Total provision of ₹0.29 Crore against the gratuity liability of total 35 Employees (Contractual/Fixed Term basis) as per new wages code.

3.3.1.6 Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) - Privilege Leave Benefits:

(Amount ₹ in Crore)

Asset and Liabilities		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
Defined Benefit Obligation	1,532.39	1,435.82
Fair Value of Plan Assets	1,579.55	1,429.82
Net Liability (Asset)	(47.16)	6.00

Financial Assumptions		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
Discount Rate	7.25%	6.80%
Salary Growth Rates	6.00%	5.50%

Withdrawal rates Per Annum		
Age Band	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
25 & below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality) IALM		
Age (In Years)	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

3.3.2Other Long Term Employee Benefits

3.3.2.1 Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) – Retirement Benefits:

(Amount ₹ in Crore)

Asset and Liabilities		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
Defined Benefit Obligation	6.95	7.68
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	6.95	7.68

Financial Assumptions		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
Discount Rate (P.a)	7.25%	6.80%
Inflation Rate (p.a)	-	-
Expected Rate of Return (p.a)	Not Applicable	Not Applicable

Withdrawal rates Per Annum		
Age Band	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
25& Below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality) IALM		
Age (In Years)	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

3.3.2.2 Actuarial Valuation Report as per AS15 (revised 2005) – Long Service Benefits

(Amount ₹ in Crore)

Asset and Liabilities		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
Defined Benefit Obligation	1.74	1.52
Fair Value of Plan Assets	-	-
Net Liability (Asset)	1.74	1.52

Financial Assumptions		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
Discount Rate (P.a)	7.25%	6.80%
Inflation Rate (p.a)	-	-
Expected Rate of Return (p.a)	Not Applicable	Not Applicable

Withdrawal rates Per Annum		
Age Band	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
25& below	2.50%	2.50%
26 to 35	2.50%	2.50%
36 to 45	2.50%	2.50%
46 to 55	2.50%	2.50%
56 & above	2.50%	2.50%

Mortality Rates: Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table

Sample Rates of (Indian Assured Life Mortality) IALM		
Age (In Years)	**Current Year**	**Previous Year**
	FY (25-26)	**FY (24-25)**
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

3.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

CONSOLIDATED SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India the Bank has recognized Treasury Operations Corporate/ Wholesale Banking Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

The following are the primary segments of the Bank: -

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business.

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organizational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

- **Treasury –** The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.
- **Corporate / Wholesale Banking –** The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts, Trust / Partnership Firms Companies and statutory bodies which are not included under Retail Banking and Stressed Assets Management Branch. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients.

- **Retail Banking –** The Retail Banking Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. The Retail Banking Segment consists of all exposures up to a limit of ₹7.50 Crore (including Fund Based and Non-Fund Based exposures) subject to orientation product granularity criteria and individual exposures. This segment also includes agency business and ATMs.
- **Other Banking business –** Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.
- **Secondary (Geographical Segment)**
- **Geographical Segment:** Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable

As per RBI's Financial Statements, Presentation and Disclosure Directions vide RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC. No.86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025, for disclosure under Accounting Standard 17, Segment reporting, 'Digital Banking' has been identified as a sub-segment under Retail Banking by the Reserve Bank of India (RBI). However, as the proposed Digital Banking Unit (DBU) of the Bank has not yet commenced operations, hence applicability of the said reporting will be on approval of RBI.

(Amount in ₹ Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**	**2025-26**	**2024-25**
Revenue	13,556.83	12,619.40	9,831.45	8,536.34	18,602.38	18,008.85	16.93	10.41	42,007.59	39,175.00
Result	2,086.07	2,471.05	1,512.72	447.70	2,843.36	2,265.37	13.59	8.91	6,455.74	5,193.03
Unallocated Expenses#									18.10	(214.96)
Operating Profit									6,473.84	4,978.07
Income Taxes									2,075.18	1,160.27
extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	125.12	116.41
Net Profit									4,523.78	3,934.21
Other Information:										
Segment Assets	2,11,768.25	1,83,664.54	1,21,810.87	1,08,090.06	2,07,785.17	1,77,206.02	10.37	10.17	5,41,374.66	4,68,970.79
Unallocated Assets									9,704.49	11,486.05
Total Assets									5,51,079.15	4,80,456.84
Segment Liabilities	2,01,309.70	1,73,220.59	1,21,230.60	1,03,819.31	1,89,514.62	1,66,516.97	23.09	18.49	5,12,078.01	4,43,575.36
Unallocated Liabilities									-	-
Total Liabilities									**5,12,078.01**	**4,43,575.36**

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible.

Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

Unallocated Expenses represents net result of unallocated income & unallocated expenses.

The Group has only one geographical segment i.e. Domestic Segment.

3.5 Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

3.5.1 List of Related Parties:

Key Managerial Personnel as on 31.03.2026

Sr. No.	Name	Designation
PARENT BANK		
i.	Mr. Kalyan Kumar (w.e.f. 30.09.2025)	Managing Director & CEO
ii.	Mr. Matam Venkata Rao (up to 31.07.2025)	Managing Director & CEO
iii.	Mr. Vivek Wahi (up to 30.09.2025)	Executive Director
iv.	Mr. M V Murali Krishna	Executive Director
v.	Mr. Mahendra Dohare	Executive Director
vi.	Mr. E. Ratan Kumar (w.e.f. 24.11.2025)	Executive Director
SUBSIDIARIES		
CENT BANK FINANCIAL SERVICES LIMITED		
i.	Shri Sunil Kumar Naik	Managing Director
ii.	Smt. Jaya Tiwari	Company Secretary
iii.	Mr. Navtej Hazara Singh	Independent Director
CENT BANK HOME FINANCE LIMITED		
i.	Shri Sanjay Upadhyay	General Manager
ii.	Shri Sachin Sudhakar	Ex - General Manager
iii.	Shri Ojas Sethi	Ex - Chief Financial Officer
iv.	Shri Yogesh Kadam	Company Secretary

3.5.2 Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons:

(Amount in ₹ Crore)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2026	31.03.2025
PARENT BANK:			
Mr. Kalyan Kumar (w.e.f. 30.09.2025)	Managing Director & CEO	0.21	0.00
Mr. Matam Venkata Rao (up to 31.07.2025)	Managing Director & CEO	0.30	0.57
Mr. Vivek Wahi (up to 30.09.2025)	Executive Director	0.33	0.49
Mr. M V Murali Krishna	Executive Director	0.73	0.49
Mr. Mahendra Dohare	Executive Director	0.68	0.42
Mr. E. Ratan Kumar (w.e.f. 24.11.2025)	Executive Director	0.15	0.00
SUBSIDIARIES:			
CENT BANK FINANCIAL SERVICES LIMITED			
Shri Sunil Kumar Naik	Managing Director	0.32	0.32
Smt. Jaya Tiwari	Company Secretary	0.09	0.09
Mr. Navtej Hazara Singh- Sitting Fees	Independent Director	0.03	0.03
CENT BANK HOME FINANCE LIMITED			
Shri Sanjay Upadhyay	General Manager	0.11	-
Shri Sachin Sudhakar	Ex - General Manager	0.25	0.33
Shri Ojas Sethi	Ex - Chief Financial Officer	0.21	-
Shri Yogesh Kadam	Company Secretary	0.13	0.13

Note: Keeping in line with para 9 of the AS - 18 - "Related Party Disclosure" issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises. Further, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with KMP and relatives of KMP have not been disclosed in terms of Para 5 of AS-18.

3.6 Accounting Standard -10 (Property, Plant & Equipment) & Accounting Standard - 19 (Leases):

3.6.1 The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2024 based on valuation reports of external independent valuers' and approved by the Board of Directors and ₹490.00 Crore (₹329.98 Crore for Freehold properties and ₹160.02 Crore for Leasehold properties) increases in value thereof have been credited to Revaluation Reserve Account.

3.6.2 In case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹60.71 Crore up to March 2026 (Previous Year 2024-25 ₹163.08 Crore) is transferred from "Revaluation Reserves' and credited to "Revenue and Other Reserves".

3.6.3 Land obtained on lease by bank includes market value as on 31.03.2026 for ₹6.51 Crore (previous year ₹6.51 Crore) with written down value of ₹5.35 Crore (Previous year ₹5.58 Crore), the lease period of which has expired, and the bank is still having its offices/building on these lands.

3.6.4 As per AS-19, operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

3.6.4.1 Liability for Premises taken on non-cancellable operating lease are ₹ NIL as on 31.03.2026.

3.6.4.2 Amount of lease payments recognized in the P&L Account for operating leases is ₹535.63 Crore as on 31.03.2026 (Previous year ₹521.53 Crore).

3.6.4.3 Additional Disclosure:

The title of property amounting to ₹37.13 Crore (Revalued value as on Mar-21) acquired on disposal of security has been got registered by the bank in its favor during the year 2024-25. As the matter with the borrower is sub-judice neither the rent received on such property has been accounted for as income nor the property has been revalued after 31.03.2021 to reflect its market value.

3.7 Earnings per Share as per AS 20 has been arrived at as follows:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Net Profit / (Loss) after Tax available for Equity Share Holder	4,523.78	3,934.20
Weighted Average number of Equity Share (No.)	9,05,14,01,274	8,680,939,432
Basic Earnings per Share (₹)	5.00	4.53
Diluted Earnings per Share (₹)	5.00	4.53
Nominal Value per Share (₹)	10	10

3.8 Accounting Standard 21– Consolidated Financial Statements:

The financial results of the associates and subsidiaries have been consolidated with the parent bank in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

3.9 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income (of the Group):

3.9.1 During the quarter and year ended March 31, 2026, the Bank revised its estimates relating to measurement of Deferred Tax Assets (DTA) in view of amendments under the Income Tax Act, 2025 as amended by the Finance Act,2026, particularly with respect to utilization of MAT Credit. Further, considering the Tax Benefit & utilization of MAT Credit Entitlement the Bank's management is of the view that from Tax period 2026-27 bank will opt new tax Regime.

Accordingly, the Bank has remeasured its net Deferred Tax Assets as per AS 22 – "Accounting for Taxes on Income" using the tax rate of 25.168% (previously 34.944%), resulting in a one-time charge of ₹632.39 Crore to the Statement of Profit and Loss for the quarter ended March 31, 2026. Net DTA recognized amounts to ₹1,628.06 Crore as of March 31, 2026 (previous year: ₹3,145.57 Crore).

Further, the Bank has opted to continue with the existing tax regime for Financial Year 2025-26 and recognized current tax at 34.944% (instead of 25.168%) to preserve MAT Credit Entitlement outstanding in the books as on March 31, 2026.

3.9.2 Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹1,617.72 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as of March 31, 2026 taking applicable tax rate of 25.168%. Component of deferred tax assets/ liabilities as on March 31, 2026 are as under:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred tax Liability	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Parent Bank: -				
Business Loss	-	1,436.33		
Provision for Leave Encashment	401.91	526.26		
Provision for Loans and Advances	979.31	1,343.78		
Provision for Restructured Standard Assets	480.61	429.77		
Provision for Standard Assets	313.67	412.09		
Depreciation on Fixed Assets	47.91	36.79		
Interest on Income Tax Refund			106.59	35.08
Interest accrued but not due on investments			664.86	799.43
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961			38.17	34.94
AFS Reserve			(214.57)	170.01
Sub-Total (A)	**2,223.11**	**4,185.02**	**595.05**	**1,039.46**
Subsidiary: -				
Cent Bank Home Finance Ltd.				
Provision on Advances	9.57	8.33		
Depreciation on Fixed Assets	-	0.001	0.004	
Others	0.33	0.29	1.19	1.85
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961			19.32	18.37
Sub-Total (B)	**9.90**	**8.62**	**20.51**	**20.22**
Cent Bank Financial Services Ltd (Net) Sub-Total (C)	0.26	0.06		
TOTAL (A+B+C)	**2,233.27**	**4,193.70**	**615.56**	**1,059.68**
Net Deferred Tax Asset/Liability	1,617.71	3,134.02		

Net decrease in Deferred Tax Assets for the year 2025-26 is ₹1,516.30 Crore (Previous year ₹1,149.04 Crore) has been recognized in profit & loss account.

3.10 Accounting Standard 23 – Accounting for Investments in associates in consolidated financial Statements:

Since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

3.11 Accounting Standard -24 Discontinuing Operations:

The Bank, during the financial year 2025-26, has not discontinued any of its major business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

3.12 Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets:

Group's policy on impairment of asset has been disclosed in item no. 11 of schedule 17 significant accounting policy of Consolidated Financial Statements. In the opinion of the Management there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as of March 31, 2026 requiring recognition in terms of the Standard.

3.13 Accounting Standard – 29 on Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets (of Parent Bank):

Provisions and Contingencies:

(Amount in ₹ Crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2026	31.03.2025
Provisions/Depreciation on Investment (NPI)	(120.90)	(306.45)
Provision towards NPA	1,534.16	2,801.74
Provision towards Standard Asset	(115.01)	72.67
Provision made for Taxes	2,065.74	1,149.01
Provision for Restructured Advances	687.60	538.69
Other Provisions	58.03	83.39
TOTAL	**4,109.62**	**4,339.05**

Claims against the bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (schedule 12) includes ₹5,937.71 Crore (Previous year ₹6,519.17 Crore) towards disputed Income Tax liability of the parent Bank. It includes Income tax appeals at various levels by bank and Income tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank based on various judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case. Payments/ adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (schedule 11). Disputed service tax matter and GST matter as on March 31, 2026, is ₹22.92 Crore.

4. Other Disclosures:

4.1. Corporate Social Responsibility:

During the year Cent Bank Home Finance Limited the subsidiary has spent ₹0.81 Crore (Previous year ₹0.77 Crore) & Cent Bank Financial Services Limited the subsidiary has spent ₹0.11 Crore (Previous year ₹ NIL) towards corporate social responsibility under section 135 of companies Act 2013 and rules thereof.

4.2. In case of Cent Bank Financial Services Limited TDS aggregating to ₹1,92,85,682/- on dividend received on behalf of the beneficiaries of the respective trust managed by the Company is reflected on the PAN of the Company. The Company is not eligible to claim TDS credit in its income tax return as it is not related to Company's income. The transfer of such TDS credit to the PAN of respective beneficiaries by submission of appropriate declarations under Rule 37BA (2) of the income Tax Rules 1962 has not been initiated.

4.3. In case of Cent Bank Financial Services Limited unallocated balance of income aggregating to ₹2.28 Crore being undistributed dividend, interest income and sale proceeds of redemption of securities received on behalf of trusteeship account under management remaining to be transferred to respective beneficiaries for want of identification accumulated over the years. Our opinion is not modified in respect of the above matters.

4.4. In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.

4.5. Additional disclosure related to other asset & other liabilities in accordance with RBI's Financial Statements; Presentation and Disclosure Directions vide RBI/DOR/2025-26/167DOR. ACC. REC. No.86 / 21.04.018 / 2025-26 dated November 28, 2025:

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Schedule 5 Other liabilities-IV-5 any item under "others (including provisions)" exceeds 1% of total assets	-	-
Schedule 11 Other asset –VI any item under "others" in other assets exceeds 1% of the total assets	-	-
Schedule 14-VII "other miscellaneous income" any item under this head exceeds 1% of total income	Recovery received in accounts written off ₹2,270.67 Crore which is 5.36% of other Total income.	Recovery received in accounts written off ₹1,716.33 Crore which is 4.37% of other Total income.
Schedule 16-XII "other expenditure" any item under this head exceeds 1% of total income	-	-

4.6. The Board of Directors of Central bank of India (Parent entity) have approved 4th interim dividend of ₹0.60 per equity share (i.e. 6.00 % on the face value of ₹10 per equity share) for financial year 2025-26.The Bank had already declared interim dividend of total@ 6.00% for the first three quarters for Financial Year 2025-26, Total dividend paid/approved for the financial year ₹1.20 per share i.e. 12.00%.

4.7. Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification.

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

E RATAN KUMAR
Executive Director

KALYAN KUMAR
MD & CEO

B. PURUSHARTHA
Director

MANORANJAN DASH
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

SARADA KUMAR HOTA
Director

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA. ARUN AGARWAL
Partner
M. No. 409937

For **AMIT RAY & CO**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA. ABHISHEK SHARMA
Partner
M. No. 403861

FOR **JAIN PARAS BILALA & CO**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA. PARAS BILALA
Partner
M. No. 400917

For **GARG ASHOK & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 012127N

CA. ASHOK KUMAR
Partner
M. No. 090991

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

Consolidated Cash Flow Statement

for the year ended March 31, 2026

(Amount in ₹ Crore)

Sn	Particulars	31-Mar-26	31-Mar-25
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit/(Loss) before Taxes & Minority Interest	**6,605.98**	**5,103.48**
I	**Adjustments for:**		
	Depreciation on fixed assets	529.76	557.57
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	(120.03)	(306.53)
	Increase/(Decrease) in Reserves on account of Fair Valuation of Investments	(1,317.96)	(757.43)
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	1,539.27	2,810.56
	Provision for Standard Assets	578.56	595.44
	Provision for Other items (Net)	50.53	97.56
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	3.71	24.40
	Sub total	**7,869.82**	**8,125.05**
II	**Adjustments for :**		
	Increase / (Decrease) in Deposits	55,173.02	27,730.20
	Increase / (Decrease) in Borrowings	10,034.56	1,806.76
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	2,336.14	(2,132.96)
	(Increase) / Decrease in Advances	(56,242.47)	(41,916.69)
	(Increase) / Decrease in Investments	(15,902.14)	2,664.35
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(93.34)	458.59
	Direct Taxes Paid (Net of Refund etc.)	(371.60)	805.06
	Sub total	**(5,065.84)**	**(10,584.69)**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**2,803.98**	**(2,459.64)**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	4.00	4.44
	Purchase of Fixed Assets	(457.86)	(455.21)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(453.86)**	**(450.77)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Share Capital (Including Share Premium)	-	1,500.00
	Share Application Money	-	-
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(712.82)	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**(712.82)**	**1,500.00**
D	**Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)**	**1,637.30**	**(1,410.41)**

(Amount in ₹ Crore)

Sn	Particulars	31-Mar-26	31-Mar-25
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	22,931.43	22,954.79
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	13,265.97	14,653.01
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	**36,197.40**	**37,607.80**
F	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	18,952.96	22,931.43
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	18,881.74	13,265.97
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	**37,834.70**	**36,197.39**

Notes:

1) The above Consolidated Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.

2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

M V MURALI KRISHNA
Executive Director

MAHENDRA DOHARE
Executive Director

E RATAN KUMAR
Executive Director

KALYAN KUMAR
MD & CEO

B. PURUSHARTHA
Director

MANORANJAN DASH
Director

PRIAVRAT SHARMA
Director

SARADA KUMAR HOTA
Director

For **ADB & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 005593C

CA. ARUN AGARWAL
Partner
M. No. 409937

For **AMIT RAY & CO**
Chartered Accountants
FRN: 000483C

CA. ABHISHEK SHARMA
Partner
M. No. 403861

FOR **JAIN PARAS BILALA & CO**
Chartered Accountants
FRN: 011046C

CA. PARAS BILALA
Partner
M. No. 400917

For **GARG ASHOK & COMPANY**
Chartered Accountants
FRN: 012127N

CA. ASHOK KUMAR
Partner
M. No. 090991

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

Pillar 3(BASEL III) Disclosures of Bank as on 31.03.2026

The said disclosures are available on Bank's website i.e. www.centralbank.bank.in under the following link:
https://centralbank.bank.in/sites/default/files/Leverage%20Ratio%20Disclosure%20Mar%202026.pdf

GRI Index

GRI Number	Page Nos.	Main Chapters + Page No.	Strategic Priority	Aligned UNSDG	Material Issue	Business Model
401	22-25, 84-87, 201	MD & CEO Message p22; Human Capital p84; BRSR p201	ACCELERATE	5,8	10,11	3,8
404	22-25, 84-87, 201	MD & CEO Message p22; Human Capital p84; BRSR p201	ACCELERATE, FORTIFY	4,8	10	3,8
405	46-49, 54-57, 84-87, 201	ESG Strategy p46; Manufactured Capital p54; Human Capital p84; BRSR p201	EXPAND, ACCELERATE	5,10	11	3,8
406	36-39, 84-87, 201	Materiality & Stakeholder Value p36; Human Capital p84; BRSR p201	EXPAND	5,10	11	3,8
413	34-35, 46-49, 76-83, 201	Stakeholder Engagement p34; ESG Strategy p46; Relationship & Social Capital p76; BRSR p201	EXPAND	1,4,5,10	08,11	1,5,7
417	34-39, 40-45	Stakeholder Engagement p34; Materiality & Stakeholder Value p36; Business Model p40; Value Creation p44	ACCELERATE	8,10	06	4,5,7
418	04-05, 34-39, 50-57, 64-69, 201	Reporting Compass p04; Stakeholder Engagement p34; Materiality p36; Governance & Ethics p50; Manufactured p54; Intellectual Capital p64; BRSR p201	TRANSFORM, FORTIFY	8,10	12,16	2,4,6
FS-8	46-49, 70-75, 201	ESG Strategy p46; Natural Capital p70; BRSR p201	TRANSFORM	7,13	01,02	4
FS-13	34-35, 54-57, 76-83, 201	Stakeholder Engagement p34; Manufactured Capital p54; Relationship & Social Capital p76; BRSR p201	EXPAND	1,10	08	6,7
FS-14	46-49, 76-83, 201	ESG Strategy p46; Relationship & Social Capital p76; BRSR p201	EXPAND	1,4,10	08,11	5,7
401	22-25, 84-87, 201	MD & CEO Message p22; Human Capital p84; BRSR p201	ACCELERATE	5,8	10,11	3,8
404	22-25, 84-87, 201	MD & CEO Message p22; Human Capital p84; BRSR p201	ACCELERATE, FORTIFY	4,8	10	3,8
405	46-49, 54-57, 84-87, 201	ESG Strategy p46; Manufactured Capital p54; Human Capital p84; BRSR p201	EXPAND, ACCELERATE	5,10	11	3,8
406	36-39, 84-87, 201	Materiality & Stakeholder Value p36; Human Capital p84; BRSR p201	EXPAND	5,10	11	3,8
413	34-35, 46-49, 76-83, 201	Stakeholder Engagement p34; ESG Strategy p46; Relationship & Social Capital p76; BRSR p201	EXPAND	1,4,5,10	08,11	1,5,7
417	34-39, 40-45	Stakeholder Engagement p34; Materiality & Stakeholder Value p36; Business Model p40; Value Creation p44	ACCELERATE	8,10	06	4,5,7
418	04-05, 34-39, 50-57, 64-69, 201	Reporting Compass p04; Stakeholder Engagement p34; Materiality p36; Governance & Ethics p50; Manufactured p54; Intellectual Capital p64; BRSR p201	TRANSFORM, FORTIFY	8,10	12,16	2,4,6
FS-8	46-49, 70-75, 201	ESG Strategy p46; Natural Capital p70; BRSR p201	TRANSFORM	7,13	01,02	4
FS-13	34-35, 54-57, 76-83, 201	Stakeholder Engagement p34; Manufactured Capital p54; Relationship & Social Capital p76; BRSR p201	EXPAND	1,10	08	6,7
FS-14	46-49, 76-83, 201	ESG Strategy p46; Relationship & Social Capital p76; BRSR p201	EXPAND	1,4,10	08,11	5,7

Disclaimer: *This GRI index is a working alignment map prepared from the available draft Integrated Annual Report pages. Page references, UNSDG links, material issue numbers and BMC references are indicative and approximate, based on the narrative and mapping tables visible in the draft.*

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

www.dickensonworld.com
DICKENSON

www.centralbank.bank.in
Central Office, Chandermukhi Building, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Like us on
https://www.facebook.com/CentralBankofIndia

Follow us on
https://x.com/centralbank_in

Find us on
https://www.youtube.com/channel/UCAlZ_H8-YpEOfQ0VeQ_XsnQ

Follow us on
https://www.linkedin.com/company/centralbankofindia

Follow us on
https://www.instagram.com/central-bankofindiaofficial/

Scan the QR Code to download
Annual Report 2025-26